ख़ान
अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ां

ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ां

लेखक
डी० जी० तेन्दुलकर

प्रकाशक
सर्वोदय-साहित्य-प्रकाशन
बुलानाला, वाराणसी

प्रकाशक
सर्वोदय-साहित्य-प्रकाशन
बुलानाला, वाराणसी (भारत)

प्रथम संस्करण (हिन्दी)
११०० प्रतियाँ

मूल्य २५ रुपये

मुद्रक
जीवन-शिक्षा मुद्रणालय
गोलघर, वाराणसी (भारत)

समर्पण

जीवनका मूल्यवान समय जेलोंमे और शेष सम्पूर्ण जीवन अनवरत कार्य करनेमें बितानेवाले खान अब्दुल ग़फ्फार खाँका जीवन-कार्य और उस संदर्भमेसे परिस्थितियोंका मूल्याकन इस पुस्तकमें बहुत ही अच्छे ढंगसे संगृहीत है। वैसे इस पुस्तकका हिन्दी संस्करण बहुत पहले ही प्रकाशित हो जाना चाहिए था, किन्तु अनुवादकी कठिनाइयाँ और प्रकाशनके दूसरे नियमोंके कारण विलम्ब हुआ, फिर भी भारतमे उनके रहते-रहते इसका प्रकाशन हो रहा है, यह गौरवकी बात है।

हमारी नयी पीढ़ी, जिसने गांधीजीको नही देखा है, सरहदी गांधीको देखकर यह अवश्य अनुभव करेगी कि गाधी पुन: अपने देशमे लौट आया है। आजकी राजनयिक परिस्थितियों और विषमताओके बीच, गांधीकी वही भाषा, वही जीवन और वही विचार देनेवाले बादशाह खाँ-को यह देश कभी नही भूलेगा। उन्होंने हिन्दुस्तान हो या पख्तूनिस्तान अथवा पाकिस्तान, अपना स्पष्ट मत, खुला विचार तथा खुला जीवन लोगो-के सामने रखा है।

इस पुस्तकमे काल-क्रमानुसार न केवल जीवन-चरित्र ही अपितु पार्श्व-भूमिकी समस्त भूमियोका मूल्यांकन है। इसके लिए पत्रकार और लेखक श्री जी० डी० तेन्दुलकरके हम आभारी है और श्रद्धापूर्वक यह ग्रंथ प्रकाशनकी ओरसे उन्हे अर्पित कर रहे है।

वाराणसी
२९-११-१९६९

तरुण भाई

महामानव

"सीमांत गांधी वह महान व्यक्ति हैं जो संकीर्ण वर्गवाद और गुटबन्दी की परिधिसे बहुत दूर हैं। शान्ति और मानवताके पुजारी हैं। जीवनके शाश्वत मूल्यका पोषण इनके जीवनका सर्वप्रथम लक्ष्य है। ऐसा व्यक्ति समूची मानव जातिकी श्रद्धाका केन्द्र होता है।

यदि संसारमें किसीको महामानवकी संज्ञा दी जा सकती है तो वे हैं खान अब्दुल गफ्फार खाँ क्योंकि वे संकीर्ण वर्गवाद अथवा गुटबन्दीके पोषक न होकर जीवनके शाश्वत मूल्योंके पोषक हैं जिनका हर युगमें महत्त्व रहेगा। वास्तवमें बादशाह खाँ सरलता और नैतिक शुद्धताके अवतार हैं और उनमें वे सभी मानवीय गुण विद्यमान हैं, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं।"

नयी दिल्ली
१५ नवम्बर १९६९

वाराह वेंकट गिरि
(राष्ट्रपति, भारत)

राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली-४
१५ जून १९६७

मुझे इस बातकी बडी प्रसन्नता है कि मेरे मित्र श्री डी० जी० तेन्दुलकरने खान अब्दुल गफ्फार खाँके एक प्रामाणिक जीवन-चरित्रकी रचना की है। महात्मा गाधीके जीवन वृत्तपर एक शाश्वत कृतिके प्रणयनसे श्री तेन्दुलकरका नाम विख्यात हो गया है, अतः निश्चित रूपसे प्रस्तुत कृति मौलिक होनेके साथ ही साहित्यिक महत्त्वकी भी सिद्ध होगी।

मानव-प्रयासोंमे जो कुछ भी सत् और महान है, बादशाह खॉ जिस नामसे कि खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँ प्यारसे पुकारे जाते है, उसके प्रतीक है। जहाँ कि हम लोगोंको, जो उनकी पीढ़ीके है और जो उनके नेतृत्वमे काम करनेका सौभाग्य प्राप्त कर चुके है, बादशाह खाँके त्याग और सेवामय जीवनका परिचय प्राप्त है, वहाँ श्री तेन्दुलकरकी यह पुस्तक तरुण पीढ़ी और भावी पीढ़ियोंके लोगोंको इस बातसे अवगत करायेगी कि कभी बादशाह खाँ नामकी कोई हस्ती थी जिसने जिस बातको सही समझा, उसपर अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया।

मै आशा करता हूँ कि श्री तेन्दुलकरकी पुस्तक लोकप्रिय होगी।

—ज़ाकिर हुसेन

भूमिका

यह मात्र एक सयोग नही है कि श्री डी० जी० तेदुलकरने आठ खडोमे गाधीजीपर एक अनुपम ग्रथ लिखनेके तुरत बाद बादशाह खाका जीवन-वृत्त लिखना प्रारभ किया। इनमसे एककी जीवन गाथा दूसरेकी जीवन गाथाका स्वाभाविक प्रेरणास्रोत है। इन दोनोने सम्मिलित रूपसे उस पथको आलोकित किया जिसके कि मेरी पीढीके लोग पथिक है।

मानवजातिका इतिहास मानवकी शहादतका इतिहास है। प्राय ऐसी अनेक शताब्दियाँ व्यतीत हो जाती हैं जिनमे मानव-चेतना प्रसुप्त और कुठित रह जाती है। तब कोई व्यक्ति सहसा उठकर मानव चेतनाके मौन उद्वेलनको वाणी देता है। गाधीजी एक ऐसे ही व्यक्ति थे। बादशाह खा दूसरे हैं। वे अब भी इस धरापर चल फिर रहे हैं और हमे अपनी परम्पराओपर दृढ रहनेके लिए इगित कर रहे हैं। गाधी-युगमे अनेक चमत्कार हुए, परन्तु उग्र प्रकृतिके पठानोके खुदाई खिदमतगारोमे परिणति और उन युद्धप्रिय जनो द्वारा मानवकी प्रतिष्ठाके रक्षार्थ अहिंसा और आत्मोत्सगके महान् सिद्धातोकी स्वीकृतिसे बढकर नाटकीय चमत्कार दूसरा न हुआ। श्री तेन्दुलकरने इस नाटकका वर्णन उसकी पूरी गतिमयताके साथ किया है।

श्री तेन्दुलकरकी इस पुस्तकके पृष्ठोका पढते समय पाठक एक लज्जाकी भावनासे अभिभूत हो उठता है। हम केवल यही आशा कर सकते है कि बादशाह खाँ अपनी करुणासे हम हमारी त्रुटियोके लिए क्षमा करेंगे।

नयी दिल्ली
२१ जून १९६७

(इन्दिरा गांधी)

पुस्तकके विषयमें

जब हम भारतकी स्वाधीनताके अमर संग्रामके बारेमें कभी सोचते है, तो हमारे मस्तिष्कमें ख़ान अब्दुल ग़फ़्फ़ार ख़ाँका नाम प्रमुख रूपसे उभरता है। वे गांधीजीके निकटतम सहयोगियोंमेसे थे, यहाँतक कि वे सीमान्त गाधी कहलाने लगे। इन पक्तियोंको लिखते समय, पठानोके नेता और हमारी स्वाधीनताकी लड़ाईके योद्धाका एक शानदार व्यक्तित्व मेरी आँखोके समक्ष है। सत्याग्रहमे विजयकी आशा आज भी उनकी धुँधली नहीं हुई है।

गाधी शाति प्रतिष्ठानने इस शातिदूतका जीवन-वृत्त प्रकाशित करके अनेक संघर्षोंके इस सेनानीको अपनी श्रद्धांजलि निवेदित करना कर्तव्य समझा। मैने जब यह प्रस्ताव डी० जी० तेन्दुलकरके समक्ष रखा तो वे बोले, "यदि मै 'महात्मा' के बाद कोई दूसरी जीवनी लिखूँगा तो वह खान अब्दुल गफ्फार खाँकी होगी।" उन्हे विविध स्रोतोसे विपुल सामग्री एकत्र करनी पड़ी और एक सदेशवाहक बादशाह ख़ाके पास काबुल भेजा गया। इस महान व्यक्तिका जीवनचरित्र, महात्मा गांधीके जीवनी लेखक-की लेखनीसे एक वीरगाथाके रूपमे बन पडा है। यह हमारे युगके अत्यन्त हृदयग्राही और महत्त्वपूर्ण जीवन-वृत्तोंमेंसे है।

इस ग्रंथका लेखक बनना स्वीकार करनेके लिए और इस विषयपर गहरे अनुराग और समझसे लिखनेके लिए, मै लेखकको धन्यवाद देता हूँ। लेखककी लगन आश्चर्यजनक है। अभिलेखागारसे सामग्री एकत्र करनेके हेतु श्री के० बी० नारंगको और ऐतिहासिक दस्तावेजोंके लिए आवश्यक अनुमति प्रदानके लिए गृह मंत्रालयको मै धन्यवाद देता हूँ। पुस्तकके मुद्रणके लिए टाइम्स ऑव् इण्डिया प्रेस और प्रतिनिधि बननेकी स्वीकृति-के लिए बंबई पॉपुलर प्रकाशन धन्यवादका पात्र है।

साहसी और शानदार जनताके जन्मसिद्ध अधिकारोके संघर्षके एक सजीव नेताकी यह जीवनी निश्चय ही भावी पीढ़ियोंको प्रेरणा देगी।

गांधी शाति प्रतिष्ठान
नयी दिल्ली . ५ मई १९६७

रंगनाथ दिवाकर

(रंगनाथ दिवाकर)

प्रिय श्री तेन्दुलकर,

मै आपके सभी पत्रोके लिए आभारी हूँ। आप मेरा जीवन वृत्त और हमारे आन्दोलनका इतिहास लिखनेके लिए जो श्रम कर रहे है, उसके लिए भी मै आपका आभारी हूँ।

आपको अबतक न लिख पानेका कारण मेरी अस्वस्थता और बहुत-सी दूसरी व्यस्तताएँ रही है। बहरहाल, मै इस विलंबके लिए क्षमा-प्रार्थी हूँ।

मेरी याददाश्तमे जितनी पुरानी बाते थी, उन सबके साथ श्री नारग आपके पास जा रहे है। पाकिस्तानमें मैने जो जीवन बिताया है उसपर यदि आप कुछ लिखना चाहे, तो मै आपको लिख भेजूँगा, हालॉकि यह ब्यौरा होगा बड़ा ही दर्दनाक।

मै आपकी पुस्तकके लिए संदेश भेज दूँगा, जिसकी कि आपने मॉग की है। और जिस चीजकी भी आपको जरूरत हो, मुझे सूचित करे। ऐसी किसी भी स्थितिमे, मुझे लिखिए अवश्य। मैने कुछ कारणोसे पख्तू-निस्तानके विषयमे कुछ कहनेसे किनारा किया है। कुछ समय बाद शायद इस विषयपर कुछ कह सकूँ।

मै अपने स्नेहके प्रतीकके रूपमें आपके पास अपनी एक तस्वीर दस्त-खत करके भेज रहा हूँ और एक मेजपोश भी भेज रहा हूँ जो मुझे हाल मे ही मेरे एक मित्रने दी थी। मै कभी तोहफ़े कबूल नही करता, मगर महज आपके लिए मुझे यह करना पड़ा।

सारी शुभकामनाओं और स्नेहके साथ—

काबुल
५-५-१९६५

खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ

आमुख

आठ जिल्दोंमें महात्मा गांधीकी जीवनी प्रस्तुत करनेमें मुझे एक दशाब्दीसे कुछ अधिक ही समय लगा और खान अब्दुल गफ्फार खाँपर यह ग्रंथ तैयार करनेमें मुझे पूरे चार वर्षोंतक व्यस्त रहना पड़ा। वैसे तो मैं राजनीतिज्ञोंको पसंद नहीं करता परंतु इस सरल और अजेय पठानने मुझे आकर्षित कर लिया। मेरे लिए हिंसा या अहिंसा कोई सिद्धांत नहीं है। मैं हाँ चा मिहुका भी उतनी ही सराहना करता हूँ, जितनी कि बादशाह खाँकी। व्यक्तिके कृतित्वको संचालित करनेवाली भावना ही मुझे बरबस अपनी ओर खींचती है।

गांधीजी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ एक दूसरेकी ओर अत्यधिक आकृष्ट हुए। यद्यपि इन दोनोंका परिवेश भिन्न था और लालन-पालन भी बहुत भिन्न प्रकारसे हुआ था परंतु समान परिस्थितियोंमें दोनोंकी प्रतिक्रिया और बातें एक जैसी होती थीं। बादशाह खाँ अपनी जनताके आराध्य हैं परंतु उनकी इस लोकप्रियताने उनका मस्तिष्क कभी असंतुलित नहीं किया। वे सत्ता और टीम टामको अपने पास फटकने नहीं देते। उन्हें तो बस पठानोंको आजाद करनेकी तीव्र इच्छा है। वे चाहते हैं कि पठान मानव-समाजकी भलाई करें और एशियाई मामलोंमें सम्मानजनक भूमिका निभायें। उन्हें गुलामीसे नफरत है और उनका हृदय दीन दशाको देखकर रो पड़ता है। अगर उनका वश चले तो वे इस धरतीपर दमन और अत्याचारको रहने ही न दें। इस्लामका उनके लिए यही अर्थ है। वे एक महान धर्मयोद्धा हैं।

यह भाग्यकी विडंबना है कि विदेशी हुकूमतसे इस उपमहाद्वीपको मुक्त करनेमें बादशाह खाँ अपनी आजादीसे वंचित रह गये और उनकी गर्वमद जनता पख्तून सर्वतोमुखी विकासकी संभावनाओंसे दूर रह गये। आजादीकी लड़ाईमें उनका और उनकी जनताका अवदान इतिहासका अंग बन गया है।

पंडित जवाहरलाल नेहरूने मुझे खान अब्दुल गफ्फार खाँका जीवन-वृत्त तैयार करनेका यह काम अंतिम सौंपा। विभाजनका एक पक्ष होनेके कारण उनको एक चुभन अनुभव हो रही थी। जवाहरलालजी उत्सुक थे कि मैं बादशाह खाँ पर लिखूँ। जीवन-चरित लिख सकूँ इसके लिए उन्होंने मुझे विदेश मंत्रालय और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटीसे संबंधित सामग्री दिलायी और कांग्रेस कार्यकारिणी समितिकी कारर्वाइयोंके विवरण भी दिलाये। वे मेरे मनोबलको बढ़ाने

मे वडे सहायक थे और उसी आभारको मानते हुए, यह ग्रंथ मै उनकी स्मृतियो-को अर्पित करता हूँ।

मैने वादशाह खाँपर लिखते हुए वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण वनाये रखनेकी प्रामाणिक चेष्टा की है। हालमे ही हुए भारत-पाक संघर्षके दरम्यान मैने प्रेसिडेण्ट अयूव खाँसे लिखकर याचना की कि वे मुझे वादशाह खाँपर सामग्री मुहैया करें। लेकिन मुझे उनसे कोई उत्तर नही मिला। मैने सामग्री एकत्र करनेके लिए हर संभव चेष्टा की है और जिन लोगोने मुझे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपसे सामग्री जुटायी है उन सवको मै धन्यवाद देता हूँ।

मै श्री आर. आर. दिवाकरका भी आभारी हूँ। उनकी भी राय थी कि मुझे यह काम करना चाहिए। इसके पूर्व हीरक जयंती ग्रंथ और महात्माजीका विस्तृत जीवनचरित लिखनेके लिए भी उन्होंने मुझे प्रेरणा दी थी। गाधी शांति प्रतिष्ठान के अध्यक्ष और विशेपत. एक पुराने मित्र, और नासिक जेलमे साथी होनेके कारण उन्होने मुझे मदद करनेकी कोशिश की। स्वभावत' मै किसी समिति या प्रतिष्ठानकी ओरसे कार्य संपन्न करनेवाला नही हूँ। विना उनकी सहायताके मै गाधी शाति प्रतिष्ठानके साथ शायद चल न सकता।

अपने अनुसंधान कार्यमे मुझे सौभाग्यसे ही के. वी. नारंगकी सहायता मिल गयी जो कि एक समर्पित खुदाई खिदमतगार है और पश्चिमोत्तर सीमाप्रात विधान-सभाके सदस्य रह चुके है। उन्होने नयी दिल्लीके राष्ट्रीय अभिलेखागारमे दस्तावेजोका अध्ययन करके मुझे महत्त्वपूर्ण आँकडे दिये। 'पख्तून' मे प्रकाशित वादशाह खाँके कुछ भाषणो और लेखोके अनुवाद भी मेरे लिए उन्होने किये। वादशाह खाँके सौजन्यसे कावुल लायब्रेरीसे 'पख्तून' के कुछ अंक मिल गये। कावुल में वादशाह खाँसे उनके जीवनकी कुछ घटनाओका,—विशेपत. प्रारंभिक जीवन का श्रुतलेख प्राप्त करनेका श्रेय भी नारंगजीको है। वे सारी घटनाएँ यहाँ पहली वार प्रकाशित हो रही है। वास्तवमे वादशाह खाँने ही मुझे इस पुस्तककी रूपरेखा प्रस्तुत कर दी। उनके मूल्यवान् सहयोगके लिए मै उनका आभारी हूँ। उनके पुत्र गनीने 'दि पठान्स' नामक लघु गौरवग्रंथ रचा है और मैने उसका खुल-कर उपयोग किया है।

राष्ट्रीय अभिलेखागारके अतिरिक्त, जहाँ कि राष्ट्रीय आन्दोलन संवंधी अभि-लेख मिलते है, मुझे भूतपूर्व वंबई सरकारके गृहमंत्रालयकी दो पुलिस फाइलें प्राप्त हो गयी, जिनमें खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ संवंधी अखवारी कतरनें थी। मेरे लिए आवश्यक है कि मै श्री वी. एन पाठकके प्रति उनके सहयोगके लिए आभार

मानूँ। इसी प्रकार श्री बाबूराव पटेल और सुश्री सुशीला रानीके प्रति मैं आभारी हूँ जिन्होने मुझे अखबारोकी कतरनें उधार दी। 'दि टाइम्स ऑव् इडिया'के सदम अनुभागने मुझे अपनी सदभ-सामग्री और मेरी पुस्तकके लिए छायाचित्र दिये, एतदथ मैं उसका आभार मानता हूँ। मैं सवश्री पी के राय, रमेश सजगीरी, आर एस कोलटकर और दि टाइम्स ऑव इडिया'के अन्यान्य लोगोका ऋणी हूँ, जिनका सहयाग मैंने जब चाहा, मिला।

एशियाटिक लायब्रेरी और बबई विश्वविद्यालयकी लायब्रेरीके पुस्तकालयाध्यक्ष श्री डी एन मार्शलको मैं प्रभूत धन्यवाद देता हूँ, जहाँसे और जिनसे मुझे किताबें बराबर मिलती रही।

म गाधी शाति प्रतिष्ठानकी प्रकाशन समितिके अन्यतम सदस्य श्री प्यारेलाल का आभारी हूँ जिन्होने दि स्टेट्समैन', 'दि इलस्ट्रेटेड वीकली आव इडिया और हरिजन'में प्रकाशित अपने लेखोंका इस्तेमाल करनेकी मुझे अनुमति दी।

प्रस्तुत ग्रथको तैयार करनेमें मुझे सुश्री अनु बद्योपाध्यायका शाश्वत सहयोग मिला, जसा कि महात्मा तयार करनेमें मिला था। बादशाह खाके कुछ सस्मरणो और पख्तून'मे प्रकाशित उनके कुछ लेखोका उन्होने नारगजीकी सहायतासे अनुवाद किया और पश्तो कविताओका अग्रेजी अनुवाद भी किया। उन्होने अनुक्रमणिका बनानेमें भी मेरी सहायता की है।

मेरी पाडुलिपि सवश्री डी एस बखले, डी जी पलेकर, एन जी जोग और अनु बद्योपाध्यायने पढी और उनके सुझावोंके लिए उन्हें मैं धयवाद देता हूँ। कुछ अध्यायोंको श्री शामलालने देखा। मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि सुझावोके लिए मैं अपने मित्रोका ऋणी हूँ परन्तु पुस्तकके इस रूपमें प्रकाशित होनेके लिए मैं स्वय उत्तरदायी हूँ।

शब्दावलीके सशोधनके लिए और इस्लामिक शब्दोंके अग्रेजी अनुवादके लिए मैं डॉ० जाकिर हुसैनका कानूनी और सास्कृतिक विषयोपर परामर्शके लिए वी एस बखलेका मेरे शोधकार्यमें रुचि प्रदर्शित करनेके लिए डॉ एन बी परुलेकर का और श्रीमती इदिरा गाधी, निर्मलकुमार बसु पुलिन बिहारी सेन, विश्वरूप बोस डी आर डी वाडिया, पी एन शर्मा आ एन वर्मा रामभद्रचारी रगाचारी पी के जन सदानद भटकल, रामदास भटकल और वी आर नारायणका आभारी हूँ। मैं श्री आर के करजियाको उनसे मिली सहायताके लिए और उनके सहयोगी श्री पी एस परशुरामनको हजार पृष्ठोसे अधिककी पाडुलिपिका टकण करनेके लिए धन्यवाद देता हूँ।

—डी जी तेन्दुलकर

विषय-सूची

प्रस्तावना

खान अब्दुल गफ्फार खाँको, जिन्हे 'सीमान्त गाधी' के नामसे जाना जाता है, महात्मा गाधी आदरपूर्वक "ईश्वरके पुरुष" कहा करते थे "अपने—उद्देश्यमे अपनी समग्र आत्माको उडेलकर भी वे उसके फलकी ओरसे अनासक्त रहते है। उनके लिए यह महसूस कर लेना काफी रहा है कि अहिसाको पूर्ण रूपसे स्वीकार किये विना पठानकी मुक्ति नही है। इस वातमे वे कोई गौरव अनुभव नही करते कि पठान अच्छा लडाका है। वे उसकी वीरताकी कद्र करते है लेकिन उनका विचार है कि अधिक प्रशसासे उसे विगाड दिया गया है। उनका यह विश्वास है कि पठानको अज्ञानमे रखा गया है। वह पठानको और भी अधिक वीर वनाना चाहते है और उससे यह अपेक्षा करते है कि वह अपनी वीरतामे सच्चे ज्ञानका समावेश करे। उनका यह खयाल है कि वह ज्ञान केवल अहिसा द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।"

शरीर और मनके सीधे, विश्वस्त और सरल, कृपालु और सज्जन, निर्भीक, निष्ठावान् और सच्चे, एक मैत्री-भावनासे पूर्ण, तराशे हुए-से चेहरेके, उन्नत व्यक्तित्ववाले तथा लम्वे कष्टो और पीडामय परीक्षाओकी ज्वालामे तपकर निखरे हुए चरित्रवाले खान अब्दुल गफ्फार खाँ भारतकी स्वाधीनताके हेतु विदेशी सत्ता और शोषणसे लोहा लेनेवाले विशिष्ट सेनानियोमेसे एक रहे है। एक दर्जन वारसे भी अधिक उनको जेलमे डाला गया—पहले अंग्रेजोके द्वारा और फिर पाकिस्तानियोके द्वारा। शात और उदात्त प्रवृत्तियोके इस उन्यासी वर्षीय दृढ-निश्चयी योद्धाको तीस वर्षके जेल-जीवनका श्रेय प्राप्त है। वे झुकेगे नही।

पठानोकी अदमनीय आत्माका सवसे प्रारम्भका तथा सवसे विशिष्ट प्रसंग उस लडाईमे मिलता है जो तक्षशिलाके मैदानमे सिकन्दर और भारतीय साधु दण्डेमिस के वीच हुई थी। प्राचीन यूनानी अभिलेखकारके अनुसार, "यद्यपि वह वूढा और नगा था तथापि अनेक राष्ट्रोके विजेता सिकन्दरको उसके रूपमे अपना एकमात्र समवलशाली प्रतिद्वन्द्वी मिला था।" सिकन्दरके दूतोने उसे जियस[1] के पुत्रके

---

१. यूनानका एक प्रधान पौराणिक देवता।

पास जानेका आमंत्रण दिया। उन्होंने उसे वचन दिया कि यदि वह उनके आमंत्रणको स्वीकार कर लेगा तो उसे उपहार दिये जायँगे और अस्वीकार करनेपर दण्ड दिया जायगा। फिर भी वह साधु सिकन्दरके पास नहीं गया। उसने दूतोंसे कहा कि सिकन्दर जियसका पुत्र नहीं है क्योंकि वह अबतक विश्वके बड़े अर्धांशका स्वामी भी नहीं बना है। जहाँतक उसका अपना सम्बन्ध है वह किसी ऐसे व्यक्तिसे कोई उपहार ग्रहण नहीं करना चाहता जिसकी स्वयंकी आकांक्षाएँ अतृप्त हैं। उसने कहा कि उसे धमकियोंका कोई भय नहीं है। यदि वह जीवित रहा तो भारत उसके लिए काफी भोजन देता रहेगा और यदि उसे मार डाला गया तो उसको अपनी बुढ़ापेसे जीर्ण इस कष्टदायिनी कायासे मुक्ति मिल जायगी और वह इससे बढ़कर एवं अधिक श्रेष्ठ और पवित्र जीवन पा लेगा।

यह क्षेत्र पेशावरकी यह घाटी जो प्राचीन कालमें गंधारके नामसे प्रसिद्ध थी जहाँ कि एक नग्न साधुने एक शक्ति-सम्पन्न सम्राटको इनकार दी थी खान अब्दुल गफ्फार खाँकी जन्मभूमि है। गंधार शब्द सबसे पहले ऋग्वेदमें प्राप्त होता है। यह शब्द परवर्ती आकमानियन हखामनिशी और रोमन युगोंके ग्रंथोंमें भी मिलता है। यह उस भूखण्डका सूचक रहता है जो भारतकी पश्चिमोत्तर सीमापर स्थित था। ऋग्वेदमें इस क्षेत्रके निवासियोंको पख्त कहा गया है। पख्तून या पठान जैसा कि वे आज कहलाते हैं उसीका रूप है। पठान अभिधान पख्तूनका भारतीय रूपान्तर है और पुख्तून शब्दका बहुवचन है। पठानों की भाषाके दो मुख्य प्रकार प्रचलित हैं—पख्तू जो उत्तर-पूर्वी जन जातियोंमें बोली जाती है और उसका अपभ्रंश रूप पश्तू है जिसका दक्षिण-पश्चिममें प्रचलन है। भाषाके इन दो रूपोंके भौगोलिक विभाजनमें पेशावरके पश्चिममें पख्तूके प्रति ध्यान दिया गया है। वास्तवमें यह नगर पेशावरके नामसे जाना जाता है।

लघु खण्ड भी अपने पडोसीके सदृश नही है। सीमासे वीस मीलकी दूरीके वाद ऐसी भूमि नही मिलेगी। पहले मीलोतक फैली हुई चट्टाने और पथरीली ढलानें दिखलाई देती है जिन्होने बीच-बीचमे खुले पखा जैसे खेतोके लिए स्थान छोड दिया है। उनके पीछे भी चट्टानोकी शृखला चली है। कही पर्वतोके बीचमे वहती हुई नदियोकी संकीर्ण धाराएँ है जो देवदारुसे ढके हुए पर्वतोमे वहकर आती है और उन पहाडियोपर गिरती है जो झाडियोके कारण फूली हुई-सी लगती हैं, अथवा वे उन खाली चरागाहोमे वहती है जिनके एक ओर रिक्त, नीची पहाडियाँ है और जिनकी भूमिमे गहरे खड्ड और दरारें है। यह एक भयावह किन्तु चित्तको अपनी ओर खीचनेवाला 'केन्वस' है, जिसके विरोधमे पठान अपना जीवन-नाटक खेलते है—एक ऐसा 'केन्वस' जिसपर जलवायु अपने त्वरित और निर्दय परिवर्तनोसे गहरे, उभारदार दृश्य कोरती है। इस 'टेपेस्ट्री' के तानेवाने यहाँके लोगोकी देह और आत्माओमे वुन गये है। वहुतसा कर्कश है परन्तु सब सशक्त ध्वनियो द्वारा खीचकर लाया गया है, जो श्वासको पकडता है।

भारतके इस सीमान्तके देशकी कथा भारतके अतीतके इतिहासके संक्षिप्त रूपमे अनेक प्रकारसे उपयोगी हो सकती है। पुरातन कालमे यहाँ एशियाकी तीन महान् संस्कृतियोका सगम हुआ था—भारतीय, चीनी और ईरानी। यही यूनान और भारतकी संस्कृति और दर्शनके क्षेत्रोने भी मैत्री स्थापित हुई थी। अनेक देशोसे ज्ञानके अन्वेषी इसके महान् विश्वविद्यालय तक्षशिलातक आते थे। खैवरके दर्रेसे, जो अवरोधकारी होते हुए भी एक आमत्रण देनेवाला प्रवेश-द्वार था, वहुतसे जन और वहुत-सी जातियाँ अपनी विशिष्ट देने लेकर इस देशमे आयी, फिर भी अन्तमे उन्होने अपनेको भारतकी मानवताके सागरमे समाहित कर दिया। यह सीमा-प्रान्त, जो अनेक शताब्दियोतक भारतीय संस्कृतिका एक केन्द्र रहा था, समस्त भारतमे इतना प्रख्यात हो गया था कि जब दक्षिण-पूर्वी एशियाके पूर्वीय सागरोमे अपने उपनिवेश वसानेके लिए दक्षिण भारतसे शौर्यपूर्ण अभियान हुए तब उनमेसे अनेक द्वीपोका नामकरण कावुल नदीकी उपत्यकाके स्थानोपर किया गया।

उत्तर-पश्चिममे स्थित इस सरहदी सूबेकी सीमाएँ समय-समयपर वदलती रही है। प्रारम्भिक आर्य-कालमे उनका विस्तार सिन्धु-घाटीसे सुदूरवर्ती मध्य-एशियातक हुआ था और उनमे अधिकाश वर्तमान अफगानिस्तान, आधुनिक पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, सिन्धु नदीकी पश्चिमी घाटी और वलूचिस्तानका भू-खण्ड भी सम्मिलित था। लगभग छठी शताब्दी ईसा-पूर्वके पश्चात् यह पश्चिमोत्तर

प्रदेश, जो पहले ईरानके महा-साम्राज्यका भी एक अंग रहा था, यूनानी कुषाण गुप्त तुर्क गोरी मुगल और अंतमें सन १८१९ ई० तक दुर्रानी सम्राटोंके अधिकारमें रहा। सन १८४९ ई० में सिखोंके राज्यमें लगभग बीस सालतक रहनेके बाद यह अंग्रेजोंके अधिकारमें आ गया। उन्होंने इसको बन्दोबस्ती जिले [सेटिल्ड डिस्ट्रिक्ट्स] का नाम दिया। सीमाके परिवर्तनके बाद बनी हुई यह रेखा जिसको 'डूरण्ड रेखा' कहते हैं, सन १८९४ ई० में निश्चित की गयी। अफगान युद्धोंके पश्चात सुलेमानके पर्वत शिखरोंके साथ खैबर मोहमद कुर्रम और वजीरिस्तानकी जन-जातियोंको लेकर यह भू प्रदेश अंग्रेजोंके प्रभाव-क्षेत्रमें आ गया। इस प्रकार पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें दो सीमा रेखाएँ बन गयीं—एक अन्तराष्ट्रीय सीमा रेखा जिसका प्रतिनिधित्व डूरण्ड रेखा करती थी और जो ब्रिटिश भारतको अफगानिस्तानसे पृथक करती थी तथा दूसरी प्रशासनिक रेखा। यह रेखा उस क्षेत्रकी सीमा निर्धारित करती थी जो वस्तुतः अंग्रेजोंके शासनाधिकारमें था। वह भू-खण्ड जो इन दोनोंके बीचमें पड़ता था और जो 'कबीलोंकी पट्टी [ट्रायबल बेल्ट] कहलाता था किसीके स्वामित्वमें न था। यों मानचित्रमें वह भारतका ही एक अंग प्रदर्शित किया जाता था परन्तु वास्तवमें वह उसके अन्तर्गत था नहीं। उसकी जनता ब्रिटेनके सम्राटके प्रति कोई प्रत्यक्ष राज निष्ठा नहीं रखती थी और न अपने क्षेत्रमें अंग्रेजोंके अधिकारको बढ़ने ही देती थी। सैनिक मार्गोंके उस पार कबीलोंके लोग वहीं करते थे जो उनको अपनी दृष्टिमें उचित प्रतीत होता था। वे अपने स्त्री-बच्चोंके साथ अपने खेतोंके निकट गढ़ियाँ बनाकर रहते थे। उनके साथ ब्रिटेनकी प्रजा जैसा व्यवहार भी नहीं किया जाता था अपितु वे उसके द्वारा अरक्षित जन समझे जाते थे। जबतक वे निष्क्रिय रहते थे तबतक स्वाधीन नागरिक थे परन्तु ज्यों ही वे सक्रिय होने लगते थे त्यों ही उनको अरक्षित जन समझा जाने लगता था। पुलिसके कार्य आरक्षणके लिए अंग्रेजी सरकार इन कबायलों लोगोंपर हवाई जहाजसे बम बरसाना अपना अधिकार समझती थी।

अपनी वर्तमान स्थितिमें पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश उत्तरमें हिन्दूकुश पर्वत श्रेणियों गिलगिटसे दक्षिणमें पूर्वमें कश्मीर और पंजाबसे तथा पश्चिममें अफगानिस्तानसे घिरा हुआ है। इसका क्षेत्रफल ३८००० वर्ग मील है और इसकी जनसंख्या पचास लाखसे ऊपर है। इसमें मुसलमानोंका अतिशय बहुमत है। यहाँ अल्पसंख्यकोंमें केवल पाँच प्रतिशत हिन्दू सिख और ईसाई थे परन्तु भारतके विभाजनके उपरान्त उनकी संख्या शायद तुच्छ रह गया है। इस क्षेत्रकी

अधिकतम लम्बाई ४०८ मील है और अधिकतम चौडाई २७९ मील। भौगोलिक दृष्टिसे इसके तीन भाग किये जा सकते हैं—हजाराका सिन्धु नदके तटका समतल जिला, सिन्धु नद और पहाडियोंके बीचकी सकीर्ण पट्टी जिसमे सिन्धु नदके उस ओरके पेशावर, कोहाट, बन्नू, मरदान और डेरा इस्माईलखाँके पाँच जिले सम्मिलित हे और तीसरा इन जिलोकी सरहदो और अफगानिस्तानकी पूर्वीय सीमाके मध्यका ऊँचा-नीचा पर्वतीय क्षेत्र। इस प्रदेशका तृतीयागमे भी अधिक भाग 'वन्दोवस्ती जिले' घेर लेते हे। शेप दो-तिहाई या २५,००० वर्गमील था तो 'कवाइलियोकी' पेटी है, अथवा 'स्वाधीन क्षेत्र'। यह उन जन-जातियोके अधिकारमे हे जिन्होने एक शताब्दीके लगभग अंग्रेजी सत्ताके दमनको झेला है। भारत के विभाजनसे पहले प्रशासनिक कार्यकी सुविधाकी दृष्टिमे पिछडा क्षेत्र मालाकण्ड, कुर्रम, खैबर, उत्तरी वजीरिस्तान और दक्षिणी वजीरिस्तानकी पाच एजेन्सियोमे वाँट दिया गया था।

इस क्षेत्रका अधिकतर भाग अभीतक कुआरी धरती है जिसकी खनिज सम्पत्तिका उत्खनन नही हुआ है। इसमे पहाडी नमक, तेल, चुनियाई पत्थर, संगमर्मर तथा रागा मुख्य है। यहाँ अल्प मात्रामे सोना और लोहा भी मिला हे। इस प्रदेशमे श्रम-शक्ति सुलभ हे और जलागारोके कारण इसकी जल-शक्ति भी अमित हे। यहाँ दो वरसाते होती है और वर्षाका औसत प्रतिवर्ष २० इचके लगभग रहता है। यहाँकी फसलोको मुख्य उपज मकई, जौ, गेहूँ, चावल, चना, गन्ना, कपास और तम्बाकू है। वादशाह वावरका दावा था कि हस्तनगरमे सवसे पहले उन्हीने गन्नेकी फसल शुरू करायी थी। इस भू-प्रदेशके अधिकतर भागमे सिचाईके काफी अच्छे साधन है और यहाँ वन-सम्पदा भी प्रचुर है। इस प्रकार वसत और शरद् ऋतुओमे यह क्षेत्र एक ऐसे चित्रकी झलक प्रस्तुत करता है, जिसमे अनाजकी लहलहाती हुई फसलें और फलोकी मुस्कराती वाटिकाएँ है ओर जिसको ऊँची-नीची पहाडियोके चौखटेसे घेर दिया गया है। यहाँके हर एक घर मे भेड और वकरियाँ पली हुई है।

यहाँके अधिकाश निवासी खेतिहर है। साधारण रूपसे उनका भोजन खिचडी है, जिसको वे चावल, दाल और सब्जी मिलाकर तैयार करते हे। जिस समय भी उनके लिए सम्भव होता है, वे घरमे पकायी गयी गेहूँकी रोटी 'नान' के साथ अपना मासका प्रिय आहार करते है। सामान्यतया पठान सयमी होता है और शहरसे दूर गाँवोमे अफीम अथवा शराव जैसे मादक द्रव्योका खान-पान वदनामी का एक कारण समझा जाता है। चाय और धूमपान तो विश्वभरमे प्रचलित

भी अपने कंधेपर वन्दूक लटकानेका चाव होता है। कवाइली पठानकी गतिकी शक्तिके लिए 'गतिशीलता' शब्द बहुत दुर्वल जान पडता है। ये लोग पहाडियों की ओरसे बडे, गोल, चिकने पत्थरकी भाँति नीचे गिरते हुए आते है—दौडते हुए नही, वल्कि लुढकते हुए। एक पत्थरसे दूसरे पत्थरपर पैर जमाते हुए वे अपने शाब्दिक अर्थमे दर्रोमे गिरते है। वे लोहेकी कीलकी भाँति कडे है। वे अत्यत स्वल्पजीवी लोग है। एक पठान अपने साथ एक राइफल, एक चाकू और अल्प खाद्य-सामग्रीके अलावा कुछ नही रखता। इनका प्रत्येक व्यक्ति एक सिपाही होता है। सन् १९३७ ई०मे इन लोगोके पास २,५०,००० से कम आधुनिक पद्धतिसे निर्मित शस्त्रास्त्र नही थे। उन विभिन्न शासकोने भी, जिन्होने अतीत कालमे सीमा-प्रदेशपर शासन करनेका दावा किया है, अपने अधिकारका विस्तार मैदानी क्षेत्रोतक और पहाडी दर्रोमे एक या दो पथोतक ही कर पाया था। यहाँतक कि उनको पहाडोमेसे गुजरनेवाले किसी मुख्य पथपर भी उन हठी कवाइलियो- के विरुद्ध वलपूर्वक ही अपना अधिकार स्थिर रखना पडता था, जो उस मार्गको अपने व्यवहारमें ला रहे होते थे। इसमे भी कभी-कभी वडी कठिनाईका सामना करना पडता था। यह तथ्य इस ओर स्पष्ट इगित करता है कि यह समूची 'कवाइलियोकी पेटी', किसी वाह्य शक्तिके अधिकारसे अपने-आपको कैसे वचाती रही है। यही कारण है कि वह भू-प्रदेश, जो अनगिनत आक्रमणकारियोके मार्गमे पडता था, अपने समाजके जन-जातीय रूपको वनाये रख सका। इन आक्रमण- कारियोमे सिकन्दर, चगेज खाँ और तैमूरलग जैसे समूचे इतिहासके अति प्रसिद्ध विजेता भी सम्मिलित है। सम्राट् अशोककी सीमा-नीति अपने पडोसियोके साथ शान्तिपूर्ण सम्वन्ध वनाये रखनेकी थी। उसने अपनी एक धर्म-लिपिमे यह उत्कीर्ण कराया है, "सीमान्तके निवासी, जो किसीके अधिकारमे नही है, मुझसे भय न करे। वे मुझपर विश्वास रखे। उनको मुझसे प्रसन्नता ही मिलेगी, दुख नही।"

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी आवादी मुख्य रूपमे पठानोकी है। लोग अपनेको 'पख्तून' कहते है। पठानोके देश और शेष उप महाद्वीप, भारतके वीचमे सिन्धु नद एक ऐसी सीमा है जिसके दोनो ओर दो अलग-अलग जातियोके लोग वसते है। कवाइलियोकी पेटीमे चार महत्त्वपूर्ण जन-जातियाँ वसती है—अफरीदी, मामुन्द, वजीरी और महसूद। अन्य जन-जातियोमे ओरकजई, यूसुफजई, भिटान्नी, गिनवारी तथा अन्य कवीलोकी गिनती है। मुहम्मदजई वुनेरमे तथा पेशावरकी घाटीके उस पार पहाडी देशमे रहते है। पेशावरके पश्चिमोत्तरमे कावुल और स्वात नदियोके मध्यमे मामुन्दोका निवास है। खैवरके निकट और उसके दक्षिणमे

अफरीदियोंकी आवास भूमि है। तिराहके दक्षिणकी ओरके गाँवोंमें इनसे कुछ भिन्न जन-जातियाँ बसती हैं, जिनका सम्मिलित रूपसे ओरकजई अर्थात् खोयी हुई जातियाँ कहते हैं। कुरम और गोमलके मध्यमें वज़ीरिस्तान पड़ता है जिसको पहाड़ों और घाटियोंकी लगभग भूलभुलैयाँ कहा जा सकता है। इसमें वजीरी लोग रहते हैं। दक्षिणकी ओरकी जन जातियाँ पविन्द कबीलोंके लोग हैं जो सदा एक स्थानसे दूसरे स्थानपर विचरण करते रहते हैं। प्रति वर्ष २ ०० ००० से अधिक घुमन्तू गिल्जई अफगान अपने पहाड़ी प्रदेशसे भारतके मैदानोंमें उतर आते हैं। भिटानी उस क्षेत्रमें बसे हुए हैं जो वज़ीरिस्तानके पूर्वी किनारेके साथ साथ गोमलसे मवततक चला गया है। बन्नूसे कोहाटतक खटक लोगोंकी भूमियाँ फैली हुई हैं। बन्नूमें बन्नूचिज और मवत लोग रहते हैं और डेरा इस्माईल-खाँमें पठानोंकी जन-संख्या कुल आबादीका तृतीयांश है। इसी तरह हजारा जिलेमें भी पठानोंकी संख्या अधिक नहीं है। उनमें पंजाबी मुसल्मान गोजार तथा अन्य जातियोंके लोग हैं। जन-जातियोंके थोड़े अपवादोंको छोड़कर शेष सब परम्परानिष्ठ सुन्नी सम्प्रदायके मुसल्मान हैं। वे महम्मद साहबके सारे उत्तराधिकारियोंको मानते हैं और केवल कुरान ही नहीं हदीसके उस परम्परागत उपदेशको भी आदरकी दृष्टिसे देखते हैं जो कुरानमें शामिल नहीं है। प्रजातीय भाषाशास्त्रीय और भौगोलिक प्रत्येक दृष्टिसे यहाँतक कि परम्परा और इतिहाससे भी पठानोंके कबीले पंजाबके निवासियोंसे बिल्कुल भिन्न हैं।

पठान लोग कई दर्जन अलग-अलग कबीलोंमें बँटे हुए हैं जिनमेंसे प्रत्येकमें हजारोंसे लेकर लाखों लोगतक हैं। इसी तरहसे कबीले खेलों में बँट गये हैं जिनको मोटे तौरपर कुल कहा जा सकता है। प्रत्येक खेल विभिन्न छोटे-बड़े आकारों और जटिल ग्रंथियोंवाले परिवारोंमें विभाजित हो गया है। सिद्धान्त रूपमें एक ही पूर्वजके वंशज होनेके कारण वे सब आपसमें सम्बन्धित हैं। आजाद कबीलोंमेंसे कतिपय विशेष रूपसे मुहम्मन्दजई और मोहमदोंमेंसे कुछ लोग बन्दोबस्ती जिलों और बसे हुए इलाके में जाकर बस गये हैं। वस्तुतः आजाद कबीलोंने पख्तून समाजके मूल स्वरूपको सुरक्षित रखा है। वे अपनेको अफरादी वजारों और मस्यूद आदि कहते हैं। इनकी प्रथम निष्ठा सहज रूपसे अपने कुलके प्रति रहती है। वे अपने कानूनके अनुसार चलते हैं जिसको पख्तून वली या पठानोंका मार्ग कहा जाता है। इन लोगोंमें एक प्रकारकी कठोर और अबाधनीय प्रजातन्त्रीय भावना रहती है जो केवल थोड़ेसे परिवारोंके लिए शिथिल पड़ती है—कुछ ऐसे परिवारोंके लिए जिनको कुलक्रमानुगत प्रतिष्ठा प्राप्त

है, अथवा किसी मलिक, खान या कबीलेके सरदारके लिए। यह प्रतिष्ठा व्यक्तिविशेपकी वुद्धिमत्ता, वीरता और समाजमे उसकी शक्तिपर भी आश्रित रहती है।

वन्दोवस्ती जिलोके पठानोने अपनी भाषा, संस्कृति और अपनी पडोसी जन-जातियोमे अपनी विशिष्टताकी चेतनाको सुरक्षित रखा है। वन्दोवस्ती जिलो के परिवारतक अपनी धार्मिक विधियोके अनुसार नही वल्कि अपने रूढि-आचार के अनुसार चलते है। आचारकी विलक्षण शृंखलाओके द्वारा आदिम मानवने समाजके ढाँचेको जकडकर रखनेकी चेष्टा की है। कवाइलियोके क्षेत्रमे जहाँ विना अदालतो, न्यायाधीशो, वकीलो यहाँतक कि विना पुलिसके लगभग चालीस लाख लोग रहते है, व्यभिचार या हत्याकी कोई घटना शायद ही कभी सुनी गयी हो। स्त्री अपहरण तो ऐसा अपराध है जो यदा-कदा ही होता है। इसके अपराधीको एक वहुत वडी विपत्तिका सामना करना पडता है और उसका भारी मूल्य चुकाना पडता है। यदि लडका और लडकी विवाह कर लेते है तो दोपकी मात्रा कुछ कम हो जाती है और अपराधीकी खोज शिथिल पड जाती है परन्तु इस स्थितिमे भी अपहरणकर्त्ताको अपने परिवारकी दो या तीन कन्याएँ उस परिवारको देनी पडती है, जिसमेसे उसने एक लडकी भगायी थी। किन्तु यदि वह अपहृताको धोखा देता है या उसको त्याग देता है तो फिर उसको जीवित नही रहने दिया जाता। कन्या पक्षका पूरा कवीला उसका शिकार करने निकल पडता है और दोपीके अपने कवीलेके लोग भी उसकी रक्षा करनेसे इनकार कर देते है। समाजका आचार, आचार-भग करनेवालेको क्षमाकी अनुमति नही देता। उसको अकेले रह जाना पडता है और अपने अपराधका अकेले ही मूल्य चुकाना पडता है। उसके मित्रतक उसकी शव-यात्रामे जानेसे कतराते है। यह प्रथा निर्मम और पाशविक है परन्तु वहाँ प्रचलित तो है ही।

पख्तून वली, जिसको वहुधा पठानोकी संहिता कहा जाता हे, न्यायके मामले मे सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है। उसका प्रथम आदेश 'वदल' या वदला हे। अन्याय अथवा अनुचित कार्यके लिए प्रतिशोधका उत्तरदायित्व उस व्यक्तिका ही नही होता जिसने कि कष्ट सहा हे अपितु उसके लिए प्रतिशोध लेनेका उत्तरदायित्व उसके परिवार और कवीलेके सदस्योपर भी आ जाता है। घटना हो जानेपर प्रतिशोधको रोका नही जा सकता और उसके अपमान और प्रति-कारकी लपेटमे दोपी ही नही, उसका पूरा कुल आ जाता है। इससे रक्तपातपूर्ण झगडे वढते है। वहुतसे झगडे जो आज दिखलाई दे रहे है, कई पीढियाँ पुराने

है। वस्तुतः वैमनस्य और झगड़ेके तीन ही कारण होते हैं—'जर, जोरू और जमीन'—अर्थ, स्त्री और भूमि।

इन प्रकारके झगड़े प्रायः तभी मिटते हैं जब दो परिवारोंमेंसे एक या दोनों नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं जब दुर्बल पक्ष झगड़ेको निबटानेके लिए अपनेको शत्रुकी दयापर छोड़ देता है। इसको ननवताई कहा जाता है। इसे मान-हानिकी सबसे गिरी हुई स्थिति माना जाता है। झगड़ेको निबटानेवाला दुर्बल पक्ष अपने घरकी औरतोंको लेकर, अपने शत्रुके घर जाता है। स्त्रियोंके सिरपर कुरान रखा रहता है। दुर्बल पक्ष सबल पक्षको कुछ भेंट देता है और उससे क्षमा मांगता है।

इस रक्तपातपूर्ण वैमनस्यने पठान-जीवनके कलेजेको घुन डाला है। प्रसिद्ध ईसाई मिशनरी डाक्टर पैनेल्ने जिन्होंने सीमान्त क्षेत्रमें सोलह वर्ष बिताये थे और जिनके पठान प्रशंसक रहे हैं लिखा है "यह देश तबतक प्रगति नहीं कर सकता जबतक कि प्रतिशोधके प्रश्नपर यहांका जन-मत परिवर्तित नहीं होता।"

दूसरा आदर्श मेल्मस्तिया अर्थात अतिथि-सत्कार है। पठानोंके जीवनपर इसका भी वैसा ही व्यापक प्रभाव है जैसा कि प्रथम आदेशका। सम्पन्न गृह-स्वामी निर्धन अतिथिके साथ भोजनके आसनपर बैठता है और उसको अपने हाथोंसे खाना परोसता है। हुजा यानी अतिथिगृह मेल्मस्तिया को व्यावहारिक रूप देनेमें मुख्य साधन बनता है। इसमें एक या दो कमरे रहते हैं। हुजा अतिथि-गृहके अतिरिक्त स्थानीय लोगोंके लिए क्लब का काम भी देता है। वे लोग यहां आकर चाय पीते हैं चिलम फूंकते हैं और सामाजिक विषयोंपर चर्चाएं करते हैं। गांवके क्वारे युवक हुजा में आकर सोया करते हैं क्योंकि पठानोंका सामाजिक आचार वयस्क हो जानेपर उनको घरमें सोनेकी अनुमति नहीं देता।

अतिथि-सत्कार नियमानुसार पठानका यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अतिथिकी सुरक्षाका उत्तरदायित्व स्वीकार करे और उसे वे सब सुविधाएं दे जिनका पानेका अतिथि अधिकारी होता है। इस विशेष स्थितिमें मेल्मस्तिया (अतिथि-सत्कार) बदल (प्रतिशोध) से प्रायश्चित्त रूप लेता है। यहांतक कि यदि शत्रु भी शरणार्थीके रूपमें आता है तो उसे शरण दी जाती है और उस अतिथिका सारा खर्चा मेजबानको उठाना पड़ता है।

[illegible] प्रसंगमें गांवका पुरोहित मुल्ला एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति माना है। [illegible] कि अन्य मुसलमानोंमें होता है पठानोंका मुल्ला विधिपूर्वक कोई दावा

नही लेता। जो भी व्यक्ति अपने हृदयमे ईश्वरकी वाणीका अनुभव करता है, मुल्ला वन जाता है। वहुत वार गाँवका मुल्ला परम्परागत मुल्ला-परिवारका ही होता है।

'जिरगा' सम्भवत पठानोकी सवसे महत्त्वपूर्ण संस्था है। इसे वयोवृद्धोकी सभा कहा जा सकता है। वस्तुत यह पचायतका काम करता है। जिस कवीलेमे जितनी अधिक लोकतंत्रीय भावना होती है, उसका जिरगा उतना ही वडा होता है। उसमे मतदान नही लिया जाता और उसके निर्णय प्राय. सर्वसम्मतिसे ही होते है। वे सभाका अभिप्राय समझकर लिये जाते है। सामान्य रूपसे जिरगा किसीपर अपराध नही लादता और न किसीके लिए दण्डका विधान ही करता है। वह पठानोकी निश्चित परम्पराओके अनुसार उभयपक्षमे एक समझौता करानेका प्रयत्न करता है।

माउन्ट स्टुअर्ट एलफिस्टनने, जो पेशावरमे पहुँचनेवाले पहले अंग्रेज थे, सार-रूपमे पठानके ये लक्षण वतलाये है "प्रतिहिंसा, स्पर्द्धा, लोभ, लुटेरापन और हठवादिता उसके स्वभावके दोप है किन्तु दूसरी ओर वह स्वतंत्रता-प्रेमी, अपने मित्रोके प्रति विश्वासी, अपने आश्रितोके प्रति दयालु, अतिथिसेवी, वीर, दृढ, मितव्ययी, परिश्रमी और विवेकी होता है। अपने पडोसी देशोके निवासियोकी अपेक्षा उसमे झूठ वोलनेकी, षड्यन्त्र रचनेकी और धोखा देनेकी प्रवृत्तियाँ वहुत ही कम होती है। मै एशियामे ऐसे अन्य लोगोको नही देखता जिनमे पठानोसे कम चरित्र-दोप हो और जो उनसे कम विलासी और कम आचारहीन हो।"

सन् १८५७ ई० मे भारतमे विद्रोहकी ज्वालाएँ सुलग उठी। सीमान्तके ऊपरसे यह लहर हल्केसे निकल गयी। जिस समय विद्रोह चल रहा था, उस समय अग्रेजोकी स्थितिसे लाभ उठानेकी वातको पठानोने तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा। परन्तु उसके तुरन्त वाद ही उनकी अग्रेजोसे लडाई छिड गयी। सन् १८५८ ई० और सन् १९०२ ई० के वीच अग्रेजोने उनकी भूमिपर अधिकार करनेके लिए चालीससे भी अधिक युद्ध-अभियान किये। सन् १८९७ ई० मे अफरीदी और ओरकजई कवीलोके विरुद्ध जिन सैनिकोकी नियुक्ति की गयी, उनकी सख्या चालीस हजार थी। अफरीदियोसे और उसके आक्रमणकी आशकामे अग्रेज ऐसे भयभीत थे, मानो प्रेतसे डरे हुए हो। साइमन कमीशनने जोर देते हुए लिखा था, "पश्चिमोत्तर सीमात भारतका सीमात ही नही है वल्कि सैनिक दृष्टिसे यह एक प्रथम महत्त्वका अन्तर्राष्ट्रीय सीमान्त है। यह भारतका प्रवेश-द्वार है।"

अग्रेजोने इस सीमान्तपर अपने अधिकारका पजा सदा कसा हुआ रखा।

स्तम्भोकी पंक्तियाँ खडी कर दी गयी, जो कि उसके देशको घेरे हुए थी और उसकी स्वाधीनताको, जिसपर उसे अति गर्व था, घुडकियाँ-सी दे रही थी।"

स्वाभिमानी पठानकी प्रतिक्रिया सहज रूपसे उग्र हुई। उसने कार्य-रूप ले लिया और एक या दूसरे समयमे सीमाके प्रत्येक कवीलेने अपने हथियारोको उठा लिया। आतिथ्य और धर्मपरायणताने आक्रोशका रूप ले लिया। अनेक सिविल अफसरोपर हमले किये गये और उनकी हत्या कर दी गयी। अंग्रेजोने भी वैसा ही जवाव दिया। कवाइली लोगोको कालेपानीकी सजा देकर अण्डमान द्वीप-समूहमे भेज दिया गया। गाँव और खेतोकी फसले जला दी गयी। कुएँ और फलदार वृक्ष नष्ट कर दिये गये। स्त्रियो और बच्चोको सेनासे घिराव कराकर भूखा मारा गया।

अग्रेजोने अपनी सुरक्षाको जीत लिया। विद्रोहका दमन कर दिया गया। दर्रो और मार्गोको अपने अधिकारमे कर लिया गया यद्यपि पहाडोके ऊपर अग्रेज अपना आधिपत्य कभी भी स्थापित न कर सके। सन् १९०१ ई० मे तत्कालीन वाइसराय लार्ड कर्जनने एक नये प्रान्तका प्रारम्भ करके शासनको नवीनतम स्वरूप दे दिया। इस प्रान्तको नार्थ वेस्टर्न फ्रण्टियर प्राविन्स [पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश] का नाम दिया गया और इसके ऊपर एक चीफ कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। उसमें सिन्धु नदके उस पारके पाँचो 'वन्दोवस्ती जिलो'को सम्मिलित कर दिया गया। इस प्रकार इस प्रदेश और अफगानिस्तानके बीचकी पेटी 'कवीलोके इलाके' का प्रारम्भ हुआ जिसका शासन सीधा भारत सरकारके हाथोमे रखा गया। इससे पूर्व यह समस्त क्षेत्र पजाव प्रदेशका एक अंग समझा जाता था। शासनका यह आदेश हुआ कि यह नवीन प्रदेश एक मुहरवन्द पुस्तक जैसा,—जन-साधारणके लिए अप्रवेश्य रहेगा और सेना तथा पोलिटिकल विभागके अधिकारी यहाँ शिकारके लिए जाया करेगे। इन पाँच वन्दोवस्ती जिलोके लिए ६,००० सिपाहियोकी नियुक्ति की गयी जिनपर प्रतिवर्ष ३० लाख रुपया व्यय किया जाता था। 'सीमान्त प्रदेश अपराध विनियम' (फ्रण्टियर क्राइम रेगुलेशन) के अन्तर्गत विना न्यायालयमे भेजे हुए ही अभियुक्तको आजीवन कारावासका दण्ड दिया जा सकता था। आरोपीको अपनी रक्षाके लिए वकीलसे कानूनी सलाह लेनेकी सुविधा न थी और न वह अपना वचाव ही कर सकता था। कुछ अग्रेजपरस्त वडे जमीदारो और व्यापारियोको वुलाकर उनकी हत्या जैसे गम्भीर अपराधोको निवटानेके अधिकारतक दे दिये गये थे जव कि सिद्धान्त रूपमे तथ्यो के निष्कर्षका उत्तरदायित्व 'जिरगा' को सौंपा गया था। उसकी खोजके निष्कर्ष

यदि सर्वसम्मतिसे स्वीकृत होकर आये तो उनको डिग्री का मान लेना चाहिये था परन्तु जहाँतक व्यवहारका प्रश्न था, 'जिरगा' न्यायालयका अपना गढ़ी हुई चीज थी जिसका यह पहले ही बतला दिया जाता था कि उसमें किस प्रकारके निर्णयकी अपेक्षा की जा रही है। दोष सिद्ध हो जानेपर अपराधीको पुनर्विचारकी प्रार्थनाकी आज्ञा नहीं दी जाती थी। केवल चीफ कमिश्नरसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वही यदि उचित समझें तो इस प्रकारके आदेशको संशोधित कर दें।

सन १९०९ ई० में मार्ले मिण्टो सुधार और १९१० ई० में माण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार लागू किये गये परन्तु उनसे सीमान्त प्रदेशको पूर्ण रूपसे उपेक्षा की गयी। सीमाप्रदेश अपराध विनियम उनके खिलाफ काममें लाया गया जिन्होंने उस प्रदेशमें सुधारोंकी मांगका समर्थन किया। इस विनियमकी धारा ४० के अन्तर्गत लोगोंसे शान्ति बनाये रखनेके लिए भारी भारी जमानतें देनेको कहा गया और जो उनको न भर सके उनको किसी भी अवधिके लिए, जो अधिक से अधिक तीन वर्ष हो सकती थी, जेलमें डाल दिया गया।

प्रथम विश्व युद्धके पश्चात भारतमें एक ओरसे दूसरी ओरतक राजनीतिक जागृतिकी जो हवाएं चल रही थीं उनका स्पर्श सीमा प्रदेशमें भी अनुभव किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँके नामकी ओर सन १९१९ ई० में देशवासियों का ध्यान तब विशेष रूपसे आकृष्ट हुआ जब कि उन्होंने देशके समवेत स्वरके साथ रौलेट एक्टका विरोध किया और उसके प्रति अपना असंतोष व्यक्त करनेवाले एक विराट् प्रदर्शनका नेतृत्व किया। इस कानूनने भारतकी राजनीतिक चेतनापर अपने प्रतिक्रिया द्वारा कठोर आघात किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ शीघ्र ही एक जनप्रिय नेता समझे जाने लगे और सन १९३४ ई० में उनसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसका सभापतित्व स्वीकार करनेका अनुरोध किया गया परन्तु अपनी सहज विनम्रताके साथ वे यह कहकर पीछे हट गये कि मैं तो गांधीजीके निकट एक सिपाही मात्र हूँ। अभी मैं अखिल भारतीय ख्यातिका नेता नहीं हूँ यद्यपि बात ऐसी न थी। पण्डित जवाहरलाल नेहरूने लिखा है "उन दिनों खान अब्दुल गफ्फार खाँ निश्चय ही एक ऐसे नेता थे जो फखे-अफगान फखे पठान (पठानों के गौरव) या बाचा-खान (सीमान्त गांधी) के नामसे जाने जाते थे। वे ऐसे भारतवासियोंके प्रतीक उस बार पूर्वीय जनताके साहस और त्यागके प्रतीक बनते गए जिन्होंने हमारे संघर्षमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लेकर भाग लिया।'

खाँ अब्दुल गफ्फार खाँने सन् १९४२ में कहा था :

"पख्तून अत्यन्त स्वातंत्र्यप्रिय जाति है और किसी भी प्रकारकी अधीनता से उसको रोष आता है, फिर भी उसके अधिकाश लोग यह समझने लगे है कि भारतीय जनताकी मुक्तिमे ही उनकी स्वाधीनता निहित है। यही कारण है कि उन्होने भारतको कई राज्योमे विभाजित कर देनेकी योजनाका समर्थन न करके, स्वाधीनताके इस समान सघर्षमे अपने देशवासियोका पूरा साथ दिया। उन्होने अनुभव किया कि आजकी दुनियामे भारतके विभाजनसे इस देशके सभी भागोमे एक व्यापक दुर्बलता आ जायगी और इसके किसी भी भागके पास इतने यथेष्ट साधन और क्षमताएँ न रह जायँगी कि वह अपनी आजादीको चिर-स्थायी रख सके। अकेलेपनका युग वीत गया। अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता और सहयोगकी एक नयी संकल्पना जन्म ले रही है। पख्तून अपनी इच्छाके विरुद्ध लादी गयी किसी वाध्यता या किसी प्रकारके निर्देशको घृणाकी दृष्टिसे देखते है परन्तु अपनी निज की स्वतन्त्र इच्छासे वे अन्य लोगोंके साथ एकता और सहयोगके साथ कार्य करने-को सदैव तत्पर है। वे अपने शेष देशवासियोके साथ काम करनेको तैयार है और कवाइली क्षेत्रके अपने वन्धुओके साथ भी। उनको ऐसी जिन्दगी जीनेको विवश कर दिया गया है जो किसी भी जनताके लिए उचित नही कही जा सकती। परन्तु इस समय, जब कि मै अपनी पख्तून जनताके साथ आपकी भाव-नाओमे साझीदार हो रहा हूँ, क्षणभरके लिए भी इस वातसे इनकार नही कर सकता कि प्रत्येकको आत्म-निर्णयका अधिकार है। किसीके भी सिद्धातमे वलपूर्वक परिवर्तन नही किया जा सकता और समय आनेपर प्रत्येक इकाईको अपने भविष्य के निर्णयके लिए अपने आत्म-विवेकपर ही निर्भर होना पडता है। फिर भी भारतकी इस आकाक्षाकी अवहेलना नही की जा सकती कि वह वाहरी दमनको रोकनेके लिए अपने समग्र रूपमे घनिष्ठताके सम्वन्धोका विकास करे और एशिया-के लोगोका एक शक्तिशाली सघ वनाये, न इस वातसे इनकार किया जा सकता है कि वह एक प्रधान निमित्तके रूपमे पृथक् रहनेवाली शक्तियोंको भिन्न प्रकारसे सोचनेको विवश करे और परस्पर विरोधी लोगोके वीचमे निकटताके सम्पर्क स्थापित करे। एशियाके देश अपने-आप किसीपर आक्रमण नही करेंगे और न किसीको क्षति ही पहुँचायेगे। वे मैत्रीके पारस्परिक सूत्रोको दृढ करेगे, परन्तु एक वात निश्चित है कि वे वर्तमान स्थितिको ज्योका त्यो नही चलने देगे और न श्रमिक वर्गको ही ऐसी विपरीत स्थितियोमे रहने देगे। हमे यह देखकर प्रोत्साहन मिलता है कि पूर्वमे ऐसे वहुतसे देश है जो सुशान्ति और स्वाधीनताके ऐसे संगठन

का सहन कर रहे हैं और सब कुछ सह रहे हैं। आज आत्मपूर्ण दृढ़ता [illegible] रहे हैं। सामान्य प्रजाका [illegible] कुछ इस प्रकारकी है कि [illegible] शान्ति और अहिंसाके [illegible] का समग्र महान् [illegible] और [illegible] मध्य बिन्दु था आपका और [illegible] आरम्भ [illegible] महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायेगा।

सन् १९४७ ई० में भारतका विभाजन हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ स्तब्ध हो उठे। उन्होंने गांधीजीसे कहा 'भारतके लोग पख्तूनोंको भेड़ियोंके हवाले छोड़ रहे हैं।' गांधीजीने उनको उत्तर दिया 'यदि पाकिस्तानके लोग आपके साथ सद्व्यवहार न करेंगे तो हम उनसे बात करेंगे।' यह सच है कि मैं अहिंसामें विश्वास करता हूँ परन्तु यह भारतकी सरकारका कर्तव्य होगा कि वह पख्तूनोंके उच्च आत्म-सम्मान और आत्म-निर्णयकी रक्षामें सहयोग दे।

खान अब्दुल गफ्फार खान सन् १९४७ ई० के बाद १५ वर्ष पाकिस्तानकी जेलोंमें नजरबन्दीकी स्थितिमें बिताये और यहाँसे छूटनेके बाद वे अपने पाकिस्तानी भाइयोंके अन्तर्गत दमन और अन्यायकी वृत्तियोंसे जूझते रहे। सन् १९५५ ई० में पश्चिमी पाकिस्तानको एक इकाई बनानेके लिए पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्तको सिंध, पंजाब और बलूचिस्तानमें मिला दिया गया और इस प्रकार इतिहासके पृष्ठोंसे पख्तूनोंका नाम सदाके लिए मिटा दिया गया। ३१ अगस्त सन् १९६५ ई० के दिन काबुलमें पख्तूनिस्तान दिवस मनाते हुए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था कि पख्तूनोंने एक राष्ट्रका निर्माण किया है। यह उनके बलिदान और संघर्षका ही फल है कि स्वराज्य मिला और अंग्रेज निकल गये। 'पाकिस्तानका सृजन हमने किया है।' उन्होंने बल देते हुए कहा, 'वह पख्तूनोंके रक्तसे बना है। हम पाकिस्तानसे मैत्रीके सम्बन्ध रखना चाहते हैं। पख्तून केवल अपने घरको बनानेकी माँग कर रहे हैं।'

कवि इकबालने कहा है, 'एक मोमिन विश्वासी, बिना तलवारके भी अन्त तक लड़ता है।' खान अब्दुल गफ्फार खाँका जीवन एक प्रेरणाप्रद वीर गाथा है—एक ऐसी आत्माकी विजय है जो बल प्रयोगको नहीं पहचानती और जिसकी समस्त विजयें उसकी अजेय सज्जनताके बलपर जीती गयी हैं।

परम्परा

१८९०

हस्तनगरके, जिसको अव अश्तंगर [अष्ट नगर] कहा जाता है, उत्तमंजई गॉवमे सन् १८९० ई० मे खान वहराम खाँके यहाँ अब्दुल गफ्फार खाँका जन्म हुआ। पठानोमे नवजात शिशुका जन्म-दिवस लिखकर रख लेनेकी प्रथा नही है। यो भी उनमे वहुत कम लोग लिख-पढ सकते है, इसलिए उनमे जन्मकी तारीख लेखावद्ध नही हो पाती। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने सम्बन्धमे वतलाया, "मेरी माँ मुझसे यह कहा करती थी कि सन् १९०१ ई० मे जव मेरे वडे भाई डाक्टर खान साहवका विवाह हुआ, तव मेरी आयु ग्यारह वर्पकी थी। उसीके आधारपर मै आपसे यह कह रहा हूँ कि मेरा जन्म सन् १८९० ई० मे हुआ है। मै आपको अपने जन्मका वर्प वतला सकता हूँ परन्तु निश्चित तारीख नही। मै चन्द्रमास जेठके अनुसार तिथि भी वतला सकता हूँ परन्तु अंग्रेजी तारीख नही। जितनी हम जानते है, उससे कह अधिक हमारी और आपकी वाते मिलती है। हमारी परम्पराएँ वस्तुत. एक ही है और कुछ भी हो, हमे यह नही भूलना चाहिए कि सदियोतक हमारे इस क्षेत्रके लोगोका धर्म वौद्ध मत रहा है। हमारे जिलेमे वौद्ध युगके अनेक स्मृति-अवशेप विखरे पडे है और हमारे नगरोमेसे कुछके नाम वौद्ध अथवा हिन्दू है। पश्तूके वहुतसे शब्द संस्कृत भापासे लिये गये है।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी माता लम्वी देहकी, नीली आँखोवाली एक सुन्दर महिला थी और पिता अभिजात कुलके मझोले कदके वलिष्ठ और कुछ अधिक आयुके खान थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने पिताकी चौथी सतान है। पठानो मे सामान्यत दो नाम होते है और पुत्रका नाम पिताके नामपर कभी नही रखा जाता। खान वहराम खाँ एक धनी जमीदार थे और वे अपने गाँवके सवसे प्रतिष्ठित खान समझे जाते थे। उनको अपने मुहम्मदजई कुलके होनेका या अश्तंगरके प्रमुख खान होनेका गर्व अथवा अहंकार नही था। वे ईश्वरसे डरनेवाले, नम्र और आत्मसंयमी व्यक्ति थे। लोग उनके ऊपर इतना अधिक विश्वास करते थे कि मामूली गृहस्थ उनके पास अपनी वचतकी रकम जमा कर जाते थे। उनकी वात

लिखा-पढ़ीमे कम पक्की न समझी जाती थी। उनके मित्रोकी सख्या बडी था परन्तु शत्रु कोई न था। उनके साथ किसीका झगडा न था। किसी भी खानके लिए यह एक विरल विशिष्टता थी। उन्होने अपने सारे शत्रुओंको क्षमा कर दिया था। प्रतिरोधकी भावनासे मानो उनका परिचय ही न था। उनका विश्वास था कि धोखा देनेमें अप्रतिष्ठा है किसीसे धोखा खानेमें नही। वे अपने वचनके धनी थे और उनका हृदय स्फटिक-सा स्वच्छ था। वे लोगोके इतने विश्वासपात्र थे कि न तो कोई उनकी बातका अविश्वास करता था और न किसीमे उनकी बातको काटनेकी हिम्मत थी। वे कभी झूठ नही बोले थे और वे यह जानते भी न थे कि झूठ बोला कैसे जाता है। जब गाँवमे कोई झगडा हो जाता तो वे सदैव निर्बल, सताये गये व्यक्तिका पक्ष लेते थे। अधिकारियोंकी खुशामदमें उनका विश्वास न था परन्तु वे सब उनको आदरकी दृष्टिसे देखते थे। अग्रेज अधिकारी उनको 'चाचा' कहकर सम्बोधित करते थे। उन्हें भी वे लोग अच्छे लगते थे यद्यपि वे उनके नाम कभी याद न रख पाते थे। खान बहराम खाँको घोडे प्रिय थे और वे नब्बे वर्षकी उम्रतक घुडसवारी करते रहे। किसी भी दोष अथवा भूलको वे बडे सहज रूपमे हँसी-खुशीमे ले लेते थे और हास्य विनोद उनके स्वभावका एक अग था। एक लम्बी पकी आयुतक लगभग सौ वर्षतक वे खेती कराते हँस-हँस कर करमें खाते हुए जीवित रहे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी माता और पितामे कोई साक्षर न था। लौकिक जगतकी अपेक्षा वे आध्यात्मिक ससारमे अधिक रहा करते थे। माँ बहुधा नमाज पढ चुकनेके बाद एकान्तमे ध्यानके लिए बैठ जाती थी। वे एक बहुत बडे पात्रमें सब्जी-पकाती थी और उसे निर्धन पडोसियोके यहाँ भी भेजा करती थी। यद्यपि उनके घरमें नौकरोकी एक अच्छी-खासी पल्टन थी परन्तु खान बहराम खाँ इस बातका आग्रह करते थे कि उधरसे गुजरनेवाले पथिकोको भोजन करानेके लिए वे स्वय बुलाया जाय और वे अपने सिरपर नानरोटियोंसे भरी टोकरी और सब्जीका बडासा पात्र लेकर जाते भी थे। वे अक्सर यह कहा करते थे यात्रा करते हुए पथिक जिनको हम नही जानते और जिनकी हम चिन्ता नही करते वास्तवमें ईश्वरके भेजे हुए अतिथि है। इसलिए उनके लिए भोजन ले जाना मुझे अच्छा लगता है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा

मेरी माता और मेरे पिता एक सच्चे धार्मिक जीवनके आदर्श रूपमें मेरी स्मृतिमें अब भी सजीव है। यद्यपि पिता अधिक पढे नही थे किन्तु वे सन १८५७ के गदरके दिनोंमें ... सम्मानित सुनाते थे। बचपनसे उन दिनोंमें

पठानोने जो भूमिका निभायी, उसपर उनको गर्व न था। जिस समय वे यह स्मरण करते थे कि उनके वडे भाईने चारसद्दाके खजानेके सैनिक रक्षकोंके अधिकारीके रूपमे अंग्रेजोकी नौकरी की तव उनको किसी प्रकारकी लज्जाका बोध न होता हो, ऐसी वात न थी। कवीलेके लोगोके साथ जव कभी अग्रेजोकी मुठभेड हुई और जव भी अग्रेजोने उनका दमन करना चाहा तव खान वहराम खाँके पिता सैफुल्ला खाँने अपने उन सताये जानेवाले वन्धुओका पक्ष लिया। सैफुल्ला खाँके पिता अवीदुल्लाह खाँको जाति-उद्वोधन और देशभक्तिके लिए तत्कालीन दुर्रानी शासकोने फासीपर लटका दिया था। वे अपनी जातिके एक अत्यन्त प्रभावशाली, सामर्थ्यवान् और जन-प्रिय नेता थे।"

खान अव्दुल गफ्फार खाँके पूर्व पुरुषोकी भाँति ही उनकी जन्म-भूमि कई दृष्टियोसे स्मरणीय है। पेशावर जिलेकी चारसद्दा तहसीलका एक भू-भाग हस्तनगर, जमीन की उस पतली पट्टीमे स्थित है जो स्वात नदीके पूर्वकी ओर दस मीलतक चली गयी है और उत्तरकी ओरकी पहाडियोसे नीचे दक्षिणमे कावुल नदीतक अपनेको फैलाये हुए है। इसके निवासी मुहम्मदजई है। मुहम्मदजई पठानोकी एक छोटी परन्तु व्यवस्थित ढगसे वसी हुई खैल है। हस्तनगरकी पश्तू अपने मुहावरो तथा उच्चारणकी शुद्धताके लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र दो भागोमे विभक्त हो गया है, एक निचली जमीन जिसकी सिंचाई स्वात नदीके जलसे होती है और दूसरा ऊपर की ओरका मैदान जिसको स्वात नदीकी नहर दो भागोमे विभाजित करती है। चारसद्दाके दो टीलोमे जो वडा है, उसी स्थानपर गंधारके कुषाण-पूर्व कालकी राजधानी वसी थी। तत्पश्चात् कुषाण-सम्राटोने पेशावर अर्थात् प्राचीन पुरुषपुरको अपना शासन-केन्द्र वनाया। चारसद्दा पेशावरसे वीस मीलकी दूरीपर स्थित है और उत्तमजई चारसद्दासे चार मीलकी दूरीपर वसा हुआ एक सुन्दर गाँव है। स्वात नदीके इस तटवर्ती गाँवमे ५००० से अधिक लोग रहते है। इसके पश्चिममे वीस मीलकी दूरीपर मोहमद कवीलेका इलाका है, जिसमेसे होकर अफगानिस्तानमे प्रवेश किया जा सकता है। इस परिवेशमे जन्मे और पले हुए खान अव्दुल गफ्फार खाँ प्रकृतिके एक वालक है।

"पृथ्वीपर इतना रमणीक अन्य कोई स्थान नही है।" उन्होने कहा। पेशावरकी इस उपत्यकामे सव प्रकारके फल होते है—खूवानी, सतरे, वेर और नागपाती। इसके खेतोमे गेहू, चावल और गन्ना उत्पन्न होता है। चारसद्दा उन नदियोकी भूल-भुलैयोसे भरा हुआ है जो एक विशाल मैदानको हरा-भरा और उर्वर वनाती है। तटोकी हरीतिमाके मध्य नहरे शात, मन्थर गतिसे वहती

जाती है। उनके किनारे झुके हुए सरकारी वृक्ष हैं। यह मैदान अपनी कृषि सम्पत्तिके कारण इस उप महाद्वीप भारत और पुरातन विश्वके बीचके मार्गपर एक विशिष्ट महत्त्वकी स्थली रहा है।

सन १८४९ ई० से लेकर सन १९०१ ई० तक पश्चिमोत्तर सीमान्तका यह क्षेत्र पंजाबमें जुड़ा रहा। अंग्रेजोंने पंजाबियोंके लिए अनेक पाठशालाएं स्थापित की किन्तु उन्होंने सीमान्त प्रदेशके निवासियोंको शिक्षाकी कोई सुविधा नहीं दी। अंग्रेज और पंजाबी दोनोंने पख्तूनोंकी उपेक्षा की। सीमान्त प्रदेशके किसी गाँवमें शायद ही कहीं कोई पाठशाला रही हो। भारतके अन्य प्रान्तोंमें अंग्रेज़ सरकार क्षेत्रीय भाषाओंके माध्यममें शिक्षा देती थी। केवल पठान जाति ही ऐसी भाग्यहीन कौम थी जिसको शायद ही कभी पढ़ाई लिखाईका कोई अवसर दिया गया और यदि उसको कभी कोई अवसर दिया भी गया तो यह कि पठानोंके बालकोंको एक अन्य क्षेत्रीय भाषा उर्दू पढ़ायी गयी।

मस्जिदोंमें पख्तून बालकोंकी धार्मिक शिक्षाकी व्यवस्था थी परन्तु वह भी मुल्ला या इमाम बनानेके उद्देश्यसे दी जाती थी। अब्दुल गफ्फार खाँने बतलाया

साधारण रूपसे पठानोंको ऐसी शिक्षामें कोई रुचि न थी। इस्लामके आगमनसे पहले पख्तून हिन्दू थे और हमारे यहाँ भी यह परम्परा चल रही थी कि शिक्षाको ब्राह्मणोंके लिए सुरक्षित रखा जाय। उन्होंने कहा, यह बहुत मज़ेकी बात है कि अंग्रेजोंने हमारे लिए कोई विद्यालय नहीं खोला। यदि कहीं कोई स्कूल था भी तो मुल्ला लोग उसके विरोधमें यह प्रचार करते थे कि उसमें पढ़ाना पाप है। उनकी यह इच्छा थी कि पठान सदा निरक्षर रहें और सदा अज्ञानके अन्धकारमें डूबे रहें। यही कारण है कि हमारा पठान समाज सारे भारतमें सबसे पिछड़ा रह गया। कैसी दयनीय स्थिति आ गयी हमारे देशपर, जो इतिहासके विभिन्न कालोंमें शिक्षा और संस्कृतिका एक केन्द्र रहा था। दुर्भाग्य-जनक परिस्थितियों तथा मुल्लाओंकी मूर्खता तथा जड़ताके कारण उसके बुरे दिन आ गये। इसका फल यह हुआ कि हमारे समाजका इतना पतन हो गया कि [illegible]

खान अब्दुल गफ्फार खाँने [illegible]

हमारा [illegible] विभिन्न संस्कृतियोंका [illegible]। [illegible] कारण यह [illegible] [illegible] बौद्ध धर्मका [illegible] [illegible]। [illegible] सदियों [illegible]। हमारे [illegible]

उन युगोके स्मृति-चिह्न अब भी बिखरे पडे है। अबतक बामियानमे सजीव चट्टानमेसे कोरी हुई बुद्धदेवकी दो विशालकाय प्रस्तर-प्रतिमाएँ विद्यमान है। सम्भवत. वे विश्वभरमे भगवान् बुद्धकी सबसे बडी मूर्तियाँ है। पहाडीकी गोदमे इन मूर्तियोको घेरे हुए एक विशाल गुहा-समूह है जहाँ किसी समय बौद्ध भिक्षुओ और नव-दीक्षित श्रमणेरोका आवास था। बामियानकी बगलमे जलालाबादके निकट 'अड्डा' (प्राचीन हिड्डा नगर) था, जहाँ एक विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय था। उसके अवशेष अब भी यत्र-तत्र बिखरे पडे है। यही बात तक्षशिलाके बारेमे भी है। प्रस्तर-प्रतिमाओका अंकन और वास्तुकलाका रचना-कौशल्य यह प्रमाणित करता है कि पठानोकी एक महान् सभ्यता और सस्कृति रही है। मध्य एशियाके माध्यमसे उसका सुदूर-पूर्वमे प्रसार हुआ। हमने समस्त विश्वमे भगवान् बुद्धका पुण्य-सदेश मुखरित किया था। अभी कुछ दिनो पहले ही पुरातत्त्व विभागने सम्भवत कुषाण कालका एक विशाल नगर खोजकर निकाला है। यदि हम इतिहासका सूत्र पकडकर और पीछे जाये तो हम देखेगे कि पख्तूनोका यह देश ही महान् मानव-सभ्यताका भी एक पालना रहा है। अनेक विद्वानोका मत है कि आर्योने आमू नदीके तटोपर ही प्रथम दिवा-आलोक देखा था और यही उन्होने अपनी सस्कृतिका एक उच्च स्तरतक विकास किया था। जब उनकी संख्या अधिक बढ गयी और जब उनको अपने इस क्षेत्रमे स्थानाभाव अनुभव होने लगा तब उन्होने शनै -शनै. नये देशोमे स्थानान्तरण किया। उनमेंसे एक शाखा ईरान होती हुई यूरोप चली गयी और दूसरे समूहने भारतकी ओर प्रयाण किया। यहाँ आकर वे अलग-अलग समाजोमे विभक्त हो गये। भूगोल तथा जलवायुकी स्थितियोके अनुसार उन्होने विभिन्न सस्कृतियो और भाषाओका विकास किया। परन्तु जब वे अपने मूल देश 'आर्यानावेजो' अर्थात् आधुनिक अफगानिस्तान और पख्तूनिस्तानमे रहते थे, तब वे एक भाषा, जिसको 'आर्यिक' भाषा कहा जाता है, बोला करते थे। पख्तू इस भाषाके बहुत निकट है। यह वही आर्यानावेजो था, जिसमे इतिहासके सर्वप्रथम माने जानेवाले जरथुस्तने जन्म लिया था। वे बल्खके निवासी बतलाये जाते है। बलखसे वे ईरान चले गये। बलखकी प्रशंसामे लिखी गयी उनकी कविताएँ इस तथ्यकी साक्षी है। यही वह देश है जहाँ कि हिन्दुओके वैदिक सूक्तोकी रचना हुई और इसी देशमे संस्कृतके प्रथम व्याकरणकार पाणिनिने जन्म लिया। पाणिनि सिन्धु नदके तटपर स्थित वर्तमान 'सवाबी' तहसीलके निवासी थे। 'इडस' शब्द और इसी प्रकार 'हिन्दू' शब्द की व्युत्पत्ति पख्तू शब्द 'सिन्द' से हुई है, जिसका अर्थ नदी है।

'इस महास्थानान्तरके उपरान्त आर्य भाषा-परिवारकी केवल दो शाखाएँ पख्तून और बलूच अपने मूल स्थानमें रह गयी, जिनको मानो इस महान् परम्परा की रक्षाका कर्त्तव्य भार सौंप दिया गया।

बादमें इस देशमें इस्लाम आया। जबतक इस्लाम यहाँ पहुँचा तबतक अरबोंने अपना वह आत्मिक सत्त्व, ईश्वरीय ज्ञान और आत्मसंयम खो दिया था जिसका पैगम्बर (मुहम्मद साहब) ने उनमें बूँद-बूँद करके संचय किया था और जिसका परवर्ती कालमें अबूबकर और उमर जैसे महान् व्यक्तियोंने प्रचार किया था। अरबोंकी सबसे बड़ी भूल यह हुई कि वे अपने साम्राज्यको बढ़ाने और उसपर अपना स्वामित्व जमानेमें लग गये। तब भी, जब कि इस्लाम यहाँ आया, वे उसका विस्तार करते जा रहे थे। अपने इस विस्तारमें वे रसूलपाकके पवित्र उपदेशोंमें बतलाये गये उच्चादर्शोंको और उनके सद्गुणोंके विस्तारकी बातको भूल चुके थे।

'इसका परिणाम यह हुआ कि हम अपनी मूल महान् संस्कृतिसे तो अपरिचित रह ही गये हम इस्लामकी सच्ची मूल भावना भी बदलेमें नहीं मिली। इतना होनेपर भी अनेक विद्वान् और ईश्वर भक्तोंने इस्लामके मूल तत्त्वोंकी खोजके लिए समस्त इस्लामी जगतमें पर्यटन किया और इस्लामी दर्शन, विद्वत्ता और विचारके क्षेत्रोंमें अपना एक सम्मानजनक स्थान बनाया जिसके लिए हम आज भी गर्वका अनुभव कर सकते हैं।'

प्रारम्भिक वर्ष

१८९५–१९०९

खान वहराम खाँ स्वयं पढे-लिखे नही थे परन्तु वे विद्वत्ताका आदर करते थे। उनके पुत्र अब्दुल गफ्फ़ार जव पाँच-छ. सालके हुए तव उनको एक मस्जिदमे मुल्लाके पास पढने भेज दिया गया। वेचारा मुल्ला भी विद्वत्ताके क्षेत्रमें अजनवी था। उसके लिए लिखनातक कठिन था। उसने कुरान शरीफकी कुछ सुरहे (सूरतें) कंठस्थ कर ली थी। वह कुरान पढ तो लेता था परन्तु उसके अर्थ न समझ पाता था। खान अब्दुल गफ्फार खाँके शिक्षारम्भपर उनके माता-पिता वहुत प्रसन्न हुए। उन्होने एक समारोह मनाया जिसमे लोगोको वहुतसे खाद्य-पदार्थ और मिठाइयाँ वाटी गयी। मुल्लाने वालकको पहले अक्षर-ज्ञान नही कराया वल्कि उसने 'सिपरह' को शुरू कराया। इसमे उस वेचारेका भी कोई दोष नही था क्योकि उन दिनो शिक्षाकी यही पद्धति प्रचलित थी। मुल्ला कठोर स्वभावका निर्दयी व्यक्ति था और वह अपने छात्रोको वहुत वुरी तरह मारता-पीटता था। कुछ दिनोमें अब्दुल गफ्फारने कुरानका पाठ पूरा कर लिया। इससे उनके माता-पिताको अत्यन्त हर्ष हुआ और उन्होने पुन. एक जश्नका आयोजन किया। उसमे निर्धनोको वडी उदारताके साथ दान दिया गया। इसमें कोई सन्देह नही कि मुल्लाको भी इस दानमेसे एक अच्छा खासा हिस्सा मिला।

पठानोमे शिक्षाके प्रति चाव था और अधिकतर लोग अपने वच्चोको पढने के लिए मस्जिदमे भेजा करते थे। गाँवमे अन्य कोई विद्यालय तो था नही। यदि कही कोई था भी तो मुल्ला लोग उस शिक्षासे लाभान्वित नही होने देते थे। उनका कहना था कि इन विद्यालयोकी पढाई इस्लाम-विरोधी, 'कुफ्र' है। उन्होने अपने शिष्योको तथा अन्य अशिक्षित लोगोको एक कविता सिखलायी थी, जिसको वे लोग वडे उत्साह के साथ वाजारो और गलियोमे गाते थे

सवक चि. द मद्रसे वाई। द पारह द पैसे वाई।
जन्नत के व. जाए नवी। दोजख के व घंसे वही॥

इसका अर्थ यह था :

"जो मदरसेमे पढते है, वे पैसेके लिए पढते है। उनको स्वर्गमे कोई स्थान नही मिलेगा और वे लोग नरकमे जायँगे।"

अब्दुल गफ्फार खाँके सौभाग्यसे उनके पिता एक निर्भीक विशाल हृदयके व्यक्ति थे और माता एक पुण्यशील ममतामयी महिला। उन्होंने मुल्ला लोगोंके फतवे और उनके अनुयायियोंकी बातोंपर कोई ध्यान नहीं दिया। सबूते इस्त नगरमें खान साहब पहले बालक थे जिनको किसी विद्यालयमें पढ़ने भेजा गया था। उस समय उनकी वय आठ वर्षकी थी। मुल्ला लोग पीठ पीछे बहराम खाके परिवारकी बुराई किया करते थे परन्तु उन लोगोंमें इतना साहस न था कि खानके विरुद्ध खुला कुफ्र फतवा दे सकते। बहराम खाँ गाँवके सबसे बड़े और लोकप्रिय खान थे।

अब्दुल गफ्फारको कहानियाँ बहुत अच्छी लगती थी। वे कहानियोंकी पुस्तकें पढ़ते थे और दूसरोंके मुँहसे भी बड़े चावसे सुनते थे। फराशके लड़के उनके खेलके साथी थे। उनके अन्य सहपाठी प्राय उनसे कहा करते 'ये तो भंगी है। तुम इनके साथ क्या खेलते हो ?' लेकिन वे किसीकी बात न सुनते थे और न उन लोगोंकी रोकथाम अब्दुल गफ्फारके मनपर कोई प्रभाव ही डाल पाती थी। यहाँतक कि बड़े हो जानेपर भी उनका दस्तकार लोगोंसे विशेष सम्बन्ध रहा जैसे कुम्हार जुलाहे या बढ़ई।

उन्होंने अपनी प्रारम्भिक शिक्षा म्युनिसिपल बोर्ड हाई स्कूलकी प्रारम्भिक कक्षाओंमें प्राप्त की और फिर उन्होंने पेशावरके ही एडवर्ड्स मेमोरियल हाई स्कूलमें अपना प्रवेश ले लिया। इस विद्यालयके प्रधानाध्यापक रेवरेण्ड इ० एफ० ई० विगरम थे। अब्दुल गफ्फार खाके बड़े भाई खान साहब भी वहीं पढ़ रहे थे। उन्होंने इसी विद्यालयसे सन १९०५ ई० में पंजाब विश्वविद्यालयकी मैट्रीकुलेशन परीक्षा उत्तीर्ण की। तबतक सीमा प्रान्तमें अपना कोई विश्वविद्यालय न था। पेशावरका एडवर्ड्स मेमोरियल मिशन कालेज सारे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें अकेला महाविद्यालय था जो सन १९०३ ई० में लाहौरके पंजाब विश्वविद्यालयसे सम्बद्ध हुआ था। सीमान्त प्रदेशमें सन १८९१ ई० में मैट्रीकुलेशन परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियोंकी संख्या कुल पन्द्रह थी और सन १९०३ ई० में ७१। सारे प्रान्तमें उन दिनों मुश्किलसे एक दर्जन हाई स्कूल होंगे। उनमें भी पेशावर और बन्नूके हाई स्कूल सबसे अच्छे और चुने हुए समझे जाते थे जिनकी व्यवस्था रेवरेण्ड मि० वीगरम और रेवरेण्ड डाक्टर पेनेलके हाथोंमें थी।

सीमाप्रान्तमें मिशन स्कूलोंकी स्थापनाके समय मुल्लाओंने यह फतवा दिया कि जो भी व्यक्ति अपने बालकोंको इन ईसाई स्कूलोंमें भेजेंगे उनका जातिसे बहिष्कार कर दिया जायगा। फिर उनका यह आन्दोलन हुआ, "बालकोंको इन

स्कूलोमे जाने दिया जाय परन्तु इस बातका ध्यान रखा जाय कि वे लोग अंग्रेजी भाषा न सीखने पायें क्योकि वह उनको अपने धर्मकी निन्दा सिखलायेगी। वह निश्चित ही उनकी आत्माओका हनन कर देगी।" बादमे मुल्लाओका आदेश इस रूपमे बदल गया, "बच्चोको इन स्कूलोमे तबतक अंग्रेजी पढने दी जाय जबतक कि वे ईसाइयतकी धर्म-पुस्तके नही पढते क्योकि ईसाई इन्ही पुस्तकोके द्वारा हमारे विचारोको दूषित करते है और इन पुस्तकोको पढना मुसलमानोके लिए विधि-संगत नही है।"

मिशन स्कूलमे पढाईका प्रारम्भ छात्रोकी हाजिरीसे होता था। उस समय प्रधानाध्यापक धर्म-पुस्तक बाइबिलका कोई अश पढकर सुनाते थे। यद्यपि खान अब्दुल गफ्फार खाँ विद्यालयकी प्रवृत्तियोमे भाग लेते थे फिर भी वे बहुधा अपने निजके विचारोमे डूबे रहते थे और एक शात जीवन बिताते थे। उनकी खेलोमे विशेष रुचि न थी, यद्यपि वे क्रिकेट और फुटबॉल खेला करते थे। वे अपने साथियोके पास गेद-बल्ले तथा खेलका सामान पहुचाकर उनकी खेलमे सहायता करते थे। वे कभी-कभी अपनी बन्दूक लेकर शिकारको भी निकल जाते थे परन्तु वे किसी पशु-पक्षीका आखेट नही करते थे। उनके घनिष्ठ मित्र अब्दुल रहमान थे जो बादमे सन् १९११ ई० मे डाक्टर एम० ए० अन्सारीके साथ उनके 'रैड क्रीसेन्ट मिशन' मे तुर्की गये। फिर वे वही ठहर गये और कमाल अतातुर्कके एक प्रसिद्ध सहयोगी बने।

सन् १९०६ मे अब्दुल गफ्फारके बडे भाई मेडिकल कॉलेजमे प्रवेश लेनेके लिए बम्बई गये। उन दिनो अब्दुल गफ्फार खॉ छठी कक्षाके विद्यार्थी थे। उनकी पढाई अपने उसी स्कूलमे चलती रही। उन दिनो उनके पास एक नौकर बारानी काका रहा करता था। वह सेनाकी नौकरीकी चमक-दमककी ओर विशेष रूपसे आकृष्ट था। वह अब्दुल गफ्फार खॉके चित्तको भी उसी ओर खीचनेका निरन्तर प्रयत्न करता रहता था। बारानी काकाको वे फौजी अफसर अच्छे लगते थे, जो चुस्त वर्दी पहनकर, अपनी कमरमे तलवार लटकाये हुए अनुशासित सैनिकोके आगे-आगे चलते थे। कुछ बारानी काका का आग्रह और कुछ अपनी स्वयंकी इच्छासे बिना माता-पितासे आज्ञा लिये ही उन्होने भारतके प्रधान सेनापतिके पास सेनामे आयोगके लिए एक प्रार्थना-पत्र भेज दिया। प्रत्येक पठान जन्मजात सिपाही होता है। अब्दुल गफ्फार खॉके पक्षमे कई बातें थी। सबसे मुख्य बात यह थी कि वे एक प्रतिष्ठित परिवारके तरुण थे। उनके सम्बन्धमे सरकारी तौर-पर छानबीन कर ली गयी और वे सरकारके निर्णयकी प्रतीक्षा करने लगे। उस

सुधारक

१९१०–१५

मुल्लाओंको यह डर लगा कि यदि जनता जाग्रत हो गयी तो उनको दान और भेंटें मिलनी बन्द हो जायगी। अब्दुल गफ्फार खाँने उनको समझाया कि जनताकी सफलता और समृद्धिमें ही उनका कल्याण निहित है और किसी राष्ट्रकी प्रगति जन जाग्रतिपर निर्भर होती है। ब्रिटिश मुल्लाओं, धर्म प्रचारकोंकी सब प्रकार की सारी व्यवस्था की जाती है और वे एक आरामका जीवन बिताते हैं। इसका कारण यह है कि ब्रिटेन एक सफल और समृद्ध देश है। इस्लामने शिक्षा प्राप्त करनेको प्रत्येक स्त्री-पुरुषका धर्म बतलाया है। मुहम्मद साहबने कहा है कि ज्ञान की खोज करो, भले ही तुम्हें उसके लिए चीन जैसे दूर देशमें जाना पड़े। अब्दुल गफ्फार खाँने मुल्ला लोगोंसे कहा 'अशिक्षित बने रहनेसे यह कहीं अच्छा है कि लोग अंग्रेजोंके चलाये हुए स्कूलोंमें अपने बच्चोंको पढ़ायें। यदि तुम यह कहते हो कि लोगोंको अंग्रेजोंके स्कूलोंमें नहीं जाना चाहिए तो तुम उनके लिए अपने विद्यालय खोलो।' उन्होंने मुल्लाओंको सब प्रकारसे समझाया और उनमें जाग्रति लानेका प्रयत्न किया परन्तु उनको सफलता नहीं मिली। उन्होंने सोच लिया यदि ईश्वरकी इच्छा नहीं है कि इन मुल्लाओंको समझ आये तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ?

अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके कतिपय सहयोगियोंने आपसमें मिलकर विचार-विमर्श किया। ये लोग संगठित होकर शिक्षाका प्रसार करना चाहते थे। इस काममें तरंगजईके हाजी साहबने जो स्वयं एक विद्वान् और धार्मिक व्यक्ति थे बहुत सहायता की। तरंगजई उत्तमजईसे कुछ एक मीलकी दूरीपर बसा हुआ गाँव है। सन् १९११ ई० में जब हाजी साहबने शिक्षा प्रसारके उद्देश्य से अपने विद्यालय खोलने प्रारम्भ कर दिये तब उनकी ख्याति और भी बढ़ गयी। अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके सहयोगियोंने हाजी साहबके सहयोगसे 'दार-उल-उलूम' नामक मदरसेकी स्थापना की। [illegible] मौलवी ताज मुहम्मद [illegible] था। मौलवी [illegible] और मौलवी [illegible] [illegible] ५। [illegible] शिक्षा प्रसार था और [illegible] प्रसार [illegible] था। अब्दुल गफ्फार खाँ और मौलवी अब्दुल

अजीजने सन् १९१० मे उत्तमंजईमे एक विद्यालय खोला। थोडे ही दिनोमे सारे प्रदेशमे ऐसे अनेक विद्यालय खुल गये। उनमे काफी विद्यार्थियोने दाखिला भी लिया।

अब्दुल गफ्फार खाँ तथा उनके सहयोगियोने देशके कतिपय प्रमुख इस्लामी शिक्षा-संस्थाओसे अपना संपर्क स्थापित किया। उनके साथी फजल रब्बी साहब और फजल मखफी साहबने अपनी शिक्षा देवबन्दमे ग्रहण की थी जो कि उन दिनो एक प्रधान शिक्षा-केन्द्र समझा जाता था। मौलवी महमूदुल हसन उसके प्रधानाचार्य थे। वे स्वयं एक प्रख्यात विद्वान् तथा धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्हीने अब्दुल गफ्फार खाँका परिचय मौलवी अबीदुल्लाह सिंधीसे कराया था, जो दिल्लीकी फतहपुरी मस्जिदमे अंग्रेजी पढे-लिखे युवकोको कुरान शरीफ पढाया करते थे। वे हर एक पढनेवालेको पचास रुपये महीने वजीफा दिया करते थे। उनकी धारणा यह थी कि समाजका अंग्रेजी पढा-लिखा वर्ग धार्मिकतासे दूर है। यदि वह इस्लामकी सच्ची भावनासे परिचित हो जाय तो वह समाजकी अपेक्षाकृत अधिक सेवा कर सकता है। देवबन्दका शिक्षा-सस्थान अलीगढकी ब्रिटिशपोषक विचारधारासे टक्कर लेनेके लिए खडा किया गया था और उसने देशमे कई विद्यालय स्थापित किये थे। सीमाप्रान्तके अनेक लोगोने अपनी धार्मिक शिक्षा देवबन्दमे ली थी। अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके कुछ साथी, समय-समयपर गुप्त रूपसे देवबन्द जाया करते थे और वहाँ पहुँचकर आवश्यक विषयोपर राय लेते थे तथा उन लोगोके साथ विस्तारसे विचार-विमर्श करते थे। अग्रेज सरकारने उस संस्थामे अपने गुप्तचर छोड रखे थे जो उसके पास वहाँके सारे समाचार पहुँचाते रहते थे।

अब्दुल गफ्फार खाँका उन धर्मोपदेशकोसे भी सम्पर्क था जो अत्यन्त क्रान्तिकारी विचारोके लोग समझे जाते थे। अब्दुल गफ्फार खाँके बहुतसे साथी उन लोगोके शिष्य रह चुके थे। अब्दुल गफ्फार खाँ उर्दू पत्र 'जमीदार' और उर्दू साप्ताहिक पत्र 'अल हलाल' के नियमित रूपसे ग्राहक थे। 'अल हलाल' का सम्पादन मौलाना अबुल कलाम आजाद किया करते थे। इस पत्रका प्रकाशन उर्दू पत्रकारिताके क्षेत्रमे एक नया मोड था। इसका प्रथम अंक जून १९१२ मे निकला और प्रकाशित होते ही उसने जनतामे एक हलचल पैदा कर दी। 'अल-हलाल' की माग इतनी अधिक हुई कि पहले तीन महीनोके उसके सारे पुराने अंक फिर छापने पडे क्योकि ग्राहक पत्रके शुरूसे पूरे अंक चाहते थे।

मुस्लिम राजनीतिका नेतृत्व उस समय अलीगढ दलके हाथोमे था और

उमर लोग स्वयंको सर सैयद अहमद खाँकी नीतियोंका ट्रस्टी समझते थे। उनका बुनियादी सिद्धांत यह था कि मुसलमान ब्रिटेनके सम्राटके प्रति राजभक्त रहें और अपने-आपको स्वाधीनताके आन्दोलनसे अलग रखें। जब अल हिलाल ने एक अलग नारा उठा लिया और उसकी लोकप्रियता तथा खपत बढ़ गयी तब उन लोगोंने यह समझा कि उनके नेतृत्वको चुनौती दी गयी है। वे इसीलिए अल हिलाल' का विरोध करने लगे और यह विरोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने पत्रके सम्पादक मौलाना आजादको जानसे मार डालनेकी धमकीतक दे डाली। पुराने नेतृत्वने अल हिलाल का जितना विरोध किया, वह उतना ही लोकप्रिय होता गया। दो वर्षमें अल हिलाल की साप्ताहिक खपत २६ ००० प्रतियोंतक पहुँच गयी। यह एक ऐसी संख्या थी जो उर्दू पत्रकारिताके क्षेत्रमें अज्ञातक सुनी न गयी थी।

जो अल हिलाल के ग्राहक बने थे, उनका नाम पुलिसकी काली सूचीमें दर्ज था। अब्दुल गफ्फार खाँ केवल इस साप्ताहिकके नियमित ग्राहक एवं पाठक ही नहीं थे बल्कि वे उसे पढ़कर औरोंको सुनाते भी थे। लोग इस पत्रको बहुत पसंद करने लगे थे।

बहराम खाँ अपने पुत्रकी इन प्रवृत्तियोंके कारण एक बेचैनीका अनुभव कर रहे थे। उनकी दो पुत्रियोंका विवाह अच्छे घरोंमें हो चुका था। उनके बड़े पुत्र खान साहब भी विवाहित थे। वे इंगलैण्डमें अपनी डाक्टरीका अध्ययन पूरा कर चुके थे। बहराम खाँकी यह सबसे छोटी संतान—अब्दुल गफ्फार खाँ अपने कमीशनसे त्यागपत्र दे चुके थे और उन्होंने खेती धार्मिक ग्रन्थों का अध्ययन और गाँवोंमें शिक्षा प्रसारके कार्यको अपना लिया था। उनकी ये बातें बहराम खाँ की समझमें न आती थीं। सबसे छोटी संतान होनेके कारण अब्दुल गफ्फार खाँ वे अधिक लाड़ले थे। वे अपने बूढ़े पिताको अत्यधिक प्यार करते थे। अपने कार्योंके लिए वे पिताके आगे कोई न कोई उचित कारण रख देते थे और वृद्ध पिता उनको क्षमा कर दिया करते थे। माँ हमेशा अब्दुल गफ्फारके पक्षमें रहती थीं। शायद वे पिताकी अपेक्षा उनके विचारोंको अधिक समझती थीं और जिसे वे ठीक समझती थीं उसीको वास्तवमें ठीक समझा भी जाता था। बहराम खाँने एक गाँवकी व्यवस्था अब्दुल गफ्फार खाँको सौंप दी जिस लड़कीके साथ वे शादी करना चाहते थे उससे उनकी शादी कर दी। फिर यह आशा करने लगे कि उनका पुत्र अपने निराले विचारोंका त्याग देगा और अन्य लोगोंकी भाँति व्यवस्थित जीवन बितायेगा।

अब्दुल गफ्फार खाँका विवाह सन् १९१२ ई० मे हो गया और दूसरे वर्ष उनके एक पुत्र गनी उत्पन्न हुआ। उनकी पत्नी उदार प्रकृतिकी ममतामयी नारी थी। वे अपनी पत्नीको अत्यन्त प्रेम करते थे। वे एक अभिजात परिवारकी कन्या थी और उनका लालन-पालन वडे स्नेहसे हुआ था। अब्दुल गफ्फार खाँ अपने पुत्रसे भी स्नेह करते थे परन्तु वहुत वार अलावके पास वैठे हुए जव वे उसे प्यारसे खिला रहे होते तव उसकी ओर ध्यान न देकर अन्य विचारोमे खो जाते थे। उनकी पत्नी उनके चित्तकी इस अन्यमनस्कताको देखती थी, इन लम्वी चुप्पियो को भी देखती थी और वे उनको विलकुल अच्छी न लगती थी। धीरे-धीरे उनको यह आभास होने लगा कि कोई ऐसी चीज जरूर है जिसके कारण उनके शक्ति और सौन्दर्य-सम्पन्न पतिने उनकी सुन्दर आँखो और लाडले वेटेको भुला रखा है। अब्दुल गफ्फार खाँ कम वोलते थे और कोई उनके मनकी थाह न ले पाता था।

पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तमे इन दिनो सरकारके डरसे राजनीतिक सभाएँ नही होती थी। अब्दुल गफ्फार खाँ अपने प्रिय समाचारपत्रोके माध्यमसे देशकी सामयिक घटनाओकी जानकारी रखते थे। सन् १९१३ की वात है। उन्होने आगरामे मुस्लिम लीगके वार्पिक अधिवेशनका समाचार प्रकाशित देखा, जिसका सभापतित्व सर इब्राहीम रहीमतुल्लाह कर रहे थे। मौलाना आजाद तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियोके नाम भापण-कर्त्ताओकी सूचीमे थे। अब्दुल गफ्फार खाँ इस अधिवेशनमे गये और वह उनको अच्छा लगा। इसके वाद वे दिल्ली रुके और तत्पश्चात् अपनी शिक्षा-सम्बन्धी प्रवृत्तियोको चलानेके लिए अपने गाँवमें लौट आये।

सन् १९१४ मे मौलाना मोहमेदुल हसनके अनुरोधपर वे अपने सहयोगी फज्ले मुहम्मद और मौलवी फज्ले रव्वीके साथ देववन्द गये। वहाँ मौलवियोकी एक सभा हुई जिसमे यह निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर प्रदेशके कवायली इलाके मे एक केन्द्र खोला जाय और अग्रेजोकी दासतासे भारतको मुक्त करनेके लिए वहीसे सघर्पकी तैयारियाँ शुरू की जायँ।

इस उद्देश्यको लेकर पहले भी वुनरमे एक केन्द्र स्थापित किया गया था परन्तु कुछ समयके पश्चात् यह पता चला कि जिन लोगोके हाथोमे कार्यभार सौंपा गया है, वे सही किस्मके आदमी नही है। तथाकथित धर्म-युद्धकर्त्ता निष्क्रिय लोग थे और स्थानीय जनतासे उनका कोई सम्पर्क न था। उनके वीचमें कुछ मुखविर भी थे। अव यह कार्य खान अब्दुल गफ्फार खाँ और मौलवी फज्ले

माहमदको सौंपा गया। उनको बाजोड़में ऐसी जगह चुननी था जो सब प्रकारसे उपयुक्त हो और निरापद भी हो। इस केन्द्रके स्थानके चयनका अंतिम निर्णय मुख्य रूपसे मौलाना ओबेदुल्लाह सिन्धीपर छोड़ दिया गया।

अपने गाँवमें पहुँचनेके कुछ समय बाद ही खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथी चुपचाप बाजोड़ चल दिये। वे ट्रेनसे दरगई पहुँचे और वहाँसे टमटमपर मालाकण्डकी सीमापर, जहाँ कि सशस्त्र सैनिकोंका पहरा था। इस चौकीके सिपाहियोंका काम यह था कि वे हर एक व्यक्तिकी, चाहे वह पैदल हो या किसी सवारीपर, तलाशी लें और छानबीन करें। यदि उनको किसी मनुष्यपर तनिक भी सन्देह हो जाय तो वे उसे तत्काल गिरफ्तार कर लें। खान अब्दुल गफ्फार खाँ टमटमकी पिछली सीटपर बैठे थे और उन्होंने अपनेको एक चादरसे ढँक लिया था। उनकी सूरत शक्ल और डीलडौल ऐसा था कि उसका छिप सकना कठिन था और जब एक सिपाही टमटमके पास आया तब वे व्यग्र हो उठे। शामका समय था और रात तेजीसे घिरती आ रही थी। चतुर टमटमवालेने सवारियोंका पक्ष लिया। उसने सिपाहीसे कहा "साहब टमटममें कुछ नहीं है।" उनके साथी टमटमसे पहले ही उतर पड़े थे। वह सिपाही टमटमके पास आया और उसने भीतर एक दृष्टि डालकर बोला "ठीक है जा सकते हो।" वे लोग थोड़ी दूरतक गाड़ीमें गये और फिर एक गाँवमें रात बितानेके लिए टमटमसे उतर आये। वहाँ रात व्यतीत करके उन्होंने दूसरे दिन बहुत सवेरे ही चलना प्रारम्भ कर दिया। सारा दिन पैदल चलनेके बाद संध्याके समय वे लोग एक छोटी नदीके निकट पहुँच गये। उन दिनों जाड़ेके दिन थे और नदीमें पानी बहुत कम था। उन लोगोंने उसे पार किया और मौलवी फज्ले मुहम्मदके गाँवमें पहुँच गये। ये लोग बहुत थक चुके थे इसलिए इन्होंने रातको और दूसरे दिन पूर्ण विश्राम किया। फज्ले मुहम्मद मौलाना ओबेदुल्लाह सिन्धीको बुलाने चले गये और अपने छुफ्रे भाईको खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास उनकी देखभालके लिए छोड़ दिया।

कठोर भू प्रदेशमें तीन दिनकी दुःसाध्य पैदल यात्राके पश्चात वे लोग बाजोड़ पहुँच गये। उत्तरमें बाजोड़की सीमा पचकोरा नदी निश्चित करती थी। पूर्व और दक्षिणकी ओरसे वह मामुन्द कबीलोंके इलाकेसे घिरा था और पश्चिममें कुनार नदीकी धारा थी जो बाजोड़को अफगानिस्तानसे अलग करती थी। इस क्षेत्रकी जनसंख्या १००,००० थी और उसका क्षेत्रफल ५००० वर्गमील था। खान अब्दुल गफ्फार खाँ इस इलाकेके प्रायः प्रत्येक गाँवमें गये और अपना केन्द्र बनानेके लिए उन्होंने मामुन्दके इलाकेका जगई गाँव चुना। वहाँ उन्होंने ओबेदुल्लाह

सिन्धीकी काफी दिनोतक प्रतीक्षा की। उनपर गाँववालोको कही सन्देह न हो जाय, इसलिए वे एक मस्जिदके पासकी छोटी-सी कोठरीमे चले गये और 'चिल्ला' (४० दिनका धार्मिक व्रत) रखने लगे। इस अवधिके पश्चात् भी जब ओबै-दुल्लाह साहब नही आये तब खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथी माला-कण्डकी ओर चल दिये।

मालाकण्डमे 'पोलिटिकल एजेण्ट' (राजनीतिक अभिकर्त्ता) का इतना आतक जमा हुआ था कि वहाँके प्रभावशाली लोग भी एक सामान्य अग्रेजको देखकर काप उठते थे। उसको देखते ही वे झुककर दूरसे सलाम करते थे। यदि कोई कबायली किसी अग्रेजको बिना सलाम किये निकल जाता तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और हथकडियाँ कस दी जाती थी। अब्दुल गफ्फार खाँ माला-कण्डसे चल दिये और इरा सतत श्रमसाध्य यात्राको पूरा करनेके बाद अपने गाँव लौट आये। उनसे मिलनेके लिए बहुतसे लोग आने लगे क्योकि घरसे चलते समय उन्होने यह कह रखा था कि वे तीर्थयात्राके लिए अजमेर शरीफ जा रहे है।

इसके कुछ अर्सेके बाद प्रथम विश्व-युद्ध छिड गया और क्रातिकारी प्रवृत्तियो-के इस केन्द्रकी योजना कार्यान्वित नही हो सकी। देवबन्दके मौलाना मोहमेदुल हसन हजके लिए मक्का चले गये। उन्हे वही बन्दी बनाकर ब्रिटिश सरकारको सौप दिया गया। ओबैदुल्लाह साहब अफगानिस्तान चले गये और उनके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँके कई निकट सहयोगी भी। हाजी साहब अपनी शैक्षणिक प्रवृत्तियोको सजग रखना चाहते थे। जनताने उनको अनुकूल सहयोग भी दिया था परन्तु मुल्ला लोगोने उनके विरुद्ध षड्यत्र रचा। मुल्लाओका कुचक्र यह था कि उनको अग्रेज सरकारको सौंप दिया जाय और फिर आरोप लगाये जायँ। किसी प्रकारसे हाजी साहबको इसकी सूचना मिल गयी और वे मामुन्दोके इलाकेमेसे बचकर निकल गये। अग्रेज अधिकारियोने उनके विद्यालय बन्द करा दिये और अध्यापकोको गिरफ्तार कर लिया। इस प्रकार खान अब्दुल गफ्फार खाँका अपना एक विश्वस्त प्रभावशाली मित्र एवं सहयोगी खो गया।

सन् १९१५ के दिसम्बर मासमे उनके दूसरे पुत्र वलीके उत्पन्न होनेके बाद उनका बडा लडका गनी बीमार पड गया और उसकी दशा गम्भीर हो गयी। उन दिनो देशभरमे इन्फ्लुएंजाकी बीमारी व्यापक रूपसे फैली हुई थी। गनी भी उसी रोगसे पीडित हो गया और उसकी दशा इतनी बिगड़ गयी कि वह अचेत हो गया। उसके उठकर खडे होनेकी सारी आशाएँ धूमिल हो गयी। संध्याका समय था। खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपनी नमाज पढ चुकनेके बाद उसी चटाईपर

डुबकी

१९१५ १६

सन् १९१४ मे युद्धकी घोषणा सीमा-प्रान्तकी जनताके मनको अपनी ओर उतना आकृष्ट न कर सकी और न उसमे उतनी हलचल ही पैदा कर सकी जितनी कि उससे अपेक्षा की जा रही थी। पेशावर जिलेसे लगभग १२,००० व्यक्तियोने सेनाकी भर्तीमे अपने नाम लिखवाये। सन् १९१८ की सन्धिके रूपमे यूरोपमे शत्रुताकी समाप्तिसे एक विश्वव्यापी उल्लास छा गया परन्तु इस उल्लास का मुख्य कारण युद्धमे मित्र-राष्ट्रोकी विजय उतनी न थी जितनी कि वस्तुओके चढे हुए मूल्योके तेजीसे नीचे गिरनेकी सम्भावना, एक आशा जो बादमे कटु निराशा मे बदल गयी। सुधारोके लिए आकुलता और ऊँचे मूल्योके भारके कारण जो वातावरण भारतमे था वह सीमा-प्रान्तमे भी पहुँच गया।

भारतको यद्यपि युद्धकी लपटोने स्पर्श नही किया परन्तु उसके प्रभाव तो साक्षी रूपमे थे ही। सन् १९१८ ई० के जुलाई मासमे 'मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट' बाहर आयी। उसमे पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तके अपवादको छोडकर, भारतके शेष समस्त प्रान्तोमे एक उत्तरदायी शासनका नया प्रयोग करनेकी सिफारिश की गयी थी। उसमे पठानोके लिए मताधिकार नही था, निर्वाचन नही था, विधानसभा नही थी, मंत्रिमण्डल नही था, यहाँतक कि स्थानीय सस्थाओके चुनाव भी नही थे। पठानोने इस सौतेले व्यवहारके प्रति अपना रोष व्यक्त किया।

सन् १९१९ ई० का साल भारतके इतिहासमे सर्वाधिक यातनापूर्ण वर्षोमेसे था। जनताका प्रत्येक अंग लडाई छेडनेके लिए तैयार था। किसान वर्ग ऊँचे मूल्योके कारण अत्यत कष्ट उठा रहा था। उद्योगोमे लगा हुआ श्रमिक वर्ग भय उत्पन्न करनेवाली उन शर्तोके कारण क्षुब्ध था, जिनके अन्तर्गत उसको कार्य करना था। परिणामस्वरूप वर्षके प्रारम्भसे ही ऐसी हडताले होनी शुरू हो गयी थी जो इसमे पहले कभी न हुई थी। पराजित खलीफाके प्रति ग्रेट-ब्रिटेनने जो व्यवहार किया, उससे मुसलमान ब्रिटेनके ऊपर क्रोधित थे। इधर भारतीय काग्रेसके उग्रवादी तत्त्व आश्वासन भग कर दिये जानेके कारण शासनसे रुष्ट थे।

भारतकी अग्रेज़ सरकार यह अनुभव कर रही थी कि उसकी लोकप्रियता घटती जा रही है। परन्तु वह विद्रोहकी आवाजको चुप कर देना चाहती थी।

राजद्रोहके अपराधपर विचार करनेवाली समिति सडिशन कमेटी की सिफा-रिशोंको समावेश करते हुए सन् १९१९ ई० में रालट बिल्स जनताके समक्ष आये। 'भारत रक्षा नियम [डिफेंस आफ इंडिया रूल्स] की अवधि समाप्त हो जानेके कारण जो स्थिति उत्पन्न हो गयी थी, उसे सभालनेके लिए किया गया यह एक अस्थायी उपाय था। दूसरे विधेयकका उद्देश्य देशके अपराध-कानूनमें एक स्थायी परिवर्तन करना था। राजद्रोहकी भावनाको जगानेवाले किसी भी पर्चेको प्रकाशित और प्रसारित करनेके लिए अपने पास रखना एक ऐसा दडनीय अप-राध निश्चित किया गया था जिसके लिए कारावास दड दिया जा सकता था। इसपर गाधीजीने सत्याग्रहकी प्रतिज्ञा करते हुए यह कहा

'ये अधिनियम अनुचित है। ये स्वाधीनता और न्यायके सिद्धातोका हनन करनेवाले और व्यक्तिके उन मूलभूत अधिकारोको मिटा देनेवाले है जिनके ऊपर समग्र रूपसे लोक समाज और शासनकी सुरक्षा आधारित है। हमारा यह दृढ निश्चय है कि इन विधेयकोके कानून बननेकी स्थितिमे अथवा इनके वापस न लिये जानेपर, हम बडी विनम्रताके साथ इन कानूनोकी अवज्ञा करेंगे। हम अपना यह निश्चय भी व्यक्त करते है कि इस सघर्षमें हम बडी निष्ठाके साथ सत्यके पथका अनुसरण करेंगे और किसी व्यक्तिके जीवन या उसकी सम्पत्तिके लिए किसी भी प्रकारकी हिंसाको प्रश्रय न देंगे।

गाधीजी उस समयतक देशके सार्वजनिक जीवनमे सबसे प्रमुख स्थान ले चुके थे। आनेवाले सुधारोके फल लोगोकी दृष्टिसे ओझल होकर पृष्ठभूमिमे चले गये और 'रालट बिल्स जिनको शासन-सत्ताके शरीरके गहरे जमे हुए रोगका निश्चित लक्षण कहा गया जनताकी कटु आलोचना और रोषके लक्ष्य बन गये।

सभी निर्वाचित भारतीय सदस्योके सम्मिलित विरोधके होते हुए भी ब्लैक नाम गॅजेट बिल्स मार्च सन १९१९ में स्वीकृत हो गये। श्री श्रीनिवास शास्त्री मि० मुहम्मद अली जिना सरदार वल्लभभाई पटेल तथा अन्य जनता नेताओने शासनके इस कदमको गलत बतलाया। गाधीजीने भारतकी जनताका आह्वान किया और कहा कि वह हजारोकी सख्यामे आन्दोलन करे और शासन को यह विश्वास दिला दे कि इस कानूनके फलस्वरूप उसे निकट भविष्यमे उससे क्या आशा रखनी चाहिए। देशव्यापी हडतालकी तारीख पहले रूपमे ३० मार्च निश्चित की गयी थी परन्तु बादमे वह बदलकर ६ अप्रैल कर दी गयी। भूलसे दिल्लीमें यह हडताल एक सप्ताह पहले हो अपनी पूर्वघोषित तारीखको मना ली गयी। यह हडताल अत्यन्त सफल रहा। आर्यसमाजके एक महान नेता स्वामी

श्रद्धानन्दने दिल्लीकी प्रसिद्ध जामा मस्जिदके आगे एक वहुत वडी सभामे भाषण किया। पुलिस और सेनाने वहाँ एक विशाल जुलूसको भंग कर देनेकी कोशिश की। इस मौकेपर गोली चली और कुछ लोग हत हुए। दिल्लीके चाँदनी चौकमे स्वामी श्रद्धानन्दने, जो काफी लम्बे थे और जो अपने संन्यासी वेशमे अत्यत भव्य प्रतीत होते थे, अपने नग्न वक्षपर गोरखोकी सगीनोके वार झेले। इस दुर्घटनासे सारे भारतमें एक सनसनी फैल गयी।

६ अप्रैलकी राष्ट्रव्यापी हडताल पूर्ण रूपसे सफल रही। उसकी विशेपता थी, एक अभूतपूर्व उत्साह! इधर-उधर हिंसाकी भी कुछ छिटफुट घटनाएँ हुईं और शासनने दमनकी दिशामे अत्यधिक कठोर कदम उठाये। १३ अप्रैलको अमृतसरके जलियाँवाले वागमें एक शान्तिपूर्ण सभा हो रही थी कि गोली चला दी गयी और ये गोलियाँ तवतक वरसती ही रही जवतक कि खत्म नही हो गयी! सैकडोकी सख्यामें निहत्थे शान्त नागरिक, पुरुप, स्त्रियाँ और वच्चे मारे गये। अमृतसर शब्द 'कत्ले आम' का पर्यायवाची वन गया। समूचे पंजावमे कही-कही इससे भी जघन्य, इससे भी अधिक लज्जाजनक कुकृत्य हुए। सारे प्रदेशमे फौजी कानून (मार्शल लॉ) घोषित कर दिया गया।

भारतके स्वाधीनता आन्दोलनमे पश्चिमोत्तर प्रदेशने पूरी तरहसे भाग लिया। ६ अप्रैलको उत्तमजईमे एक सभा हुई जिसमें काफी संख्यामे लोग उपस्थित थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस जन-सभामे भाषण किया। इस सभामे 'रॉलेट विल्स' के सम्वन्धमें भर्त्सनाका एक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया। यह एक ऐतिहासिक अवसर कहा जा सकता है जव कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके ९० वर्पके वृद्ध पिता खान वहराम खाँ अपने जीवनमे पहली वार किसी भी राजनीतिक सभामे उपस्थित हुए।

ब्रिटिश सरकारने जनतामे अपना आतक फैलाना शुरू कर दिया। उसी समय अफगानिस्तानके साथ युद्ध भी छिड गया। अफगानिस्तानके शाह अमानुल्लाह खाँ-का रुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण था। तत्काल ही पेशावर जिलेमें 'फौजी कानून' घोपित कर दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके कतिपय सहयोगी अपना घर छोडकर मोहमदोके इलाकेमे चले गये जहाँसे उनका इरादा अफगानिस्तानकी ओर वढ जानेका था। ये लोग मोहमदोके इलाकेमे पहुँचे ही थे कि उनके पीछे-पीछे खान अब्दुल गफ्फार खाँके पिता भी पहुँच गये। उन्होने इन लोगोको अफगानिस्तान नही जाने दिया और उन्हें उत्तमजई वापस ले आये। अधिकारियोके डरसे ये लोग दिनमे वाहर छिपे रहते थे और रातके समय घर आते थे।

किन्तु पुलिसको इन लोगोंकी उपस्थितिका पता चल गया। उसने खान अब्दुल गफ्फार खाँको गिरफ्तार कर लिया और उनको मरदान ले गया। वे मरदानकी जेलमें रख दिये गये और दूसरे दिन पुलिस अधीक्षकके आगे उपस्थित किये गये। उसने खान अब्दुल गफ्फार खाँके पाँवोंमें बेड़ियाँ डाल देनेकी आज्ञा दी अतः उनको फिर जेलमें ले जाया गया। जेलमें उनके पैरोंकी नापकी इतनी बड़ी बेड़ियाँ न थीं। जेलके अधिकारियोंने बड़ी कठिनाईसे उनके पाँवोंमें बेड़ियाँ डालीं। फिर उनको ले जाकर एक मोटरकारमें बैठा दिया गया। मरदानके पुलिस अधीक्षक और सहायक आयुक्त उनको अपने साथ पेशावर ले गये और वहाँ उनको पेशावरके पुलिस अधीक्षकके सामने प्रस्तुत किया गया। बादमें उनको ले जाकर पेशावरकी छावनीमें बन्दी बना दिया गया। उनके पाँवोंमें जिनमें कि बेड़ियाँ पड़ी थीं रक्त बह रहा था। दूसरे दिन एक अफरीदी दरोगा उनकी कोठरीमें आकर बोला 'बाहर आ जाओ। तुमको अदालतके सामने हाजिर होना है।' इस उद्दंड अधिकारीसे बहस करनेका कोई अर्थ न था इसलिए उन्होंने उससे केवल इतना कहा, 'मेरे पाँवोंमें बहुत दर्द है इसलिए मैं वहाँ पैदल नहीं जा सकता। यदि तुम एक ताँगा ले आओ तो चला चलूँगा वरना नहीं जाऊँगा।' अन्तमें वे एक ताँगेमें बैठकर न्यायालय गये जहाँ कि तीन चार अंग्रेज बैठे हुए थे। उन लोगोंने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कुछ प्रश्न किये। उन्होंने पूछा 'क्या तुम घूम घूमकर लोगोंको सरकारके खिलाफ भड़काते हो?' खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनको उत्तर दिया, 'जिन लोगोंमें मैं घूमता हूँ, वे सब आपके राजभक्त खान और मलिक हैं।' प्रश्नोंको पूछ चुकनेके बाद वे लोग फैसला करनेके लिए उठ गये और इस बीचमें खान अब्दुल गफ्फार खाँको बाहर भेज दिया गया। एक घंटेके पश्चात् उनको कारागार ले जाया गया और उस बैरकमें रख दिया गया जिसमें बहुतसे पठान बन्दी थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपनी गिरफ्तारी, मुकदमेकी विचारणा और तत्पश्चात् जेल भेजे जानेका वर्णन इस प्रकार किया है :

'मेरे जेल भेजे जानेका कारण सत्याग्रह नहीं था। अधिकारीवर्गके लिए इतना काफी था कि मैंने ६ अप्रैलको उतमनजईकी सार्वजनिक सभामें भाषण दिया था। यद्यपि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु मेरे आरोपपर विचार नहीं किया गया। मुझसे पूछा गया कि क्या मैं पठानोंका दोस्त/बादशाह हूँ ? मैंने कहा कि मैं यह नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं एक समाज सेवक हूँ और दूसरी बात यह कि हम लोग राउलट बिलको स्वीकार नहीं करेंगे। मेरे ऊपर जिरगाको

सदस्य-मण्डल प्रतिनियुक्त किया गया। उसने मुझे सब तरहकी धमकियाँ दी और मुझसे तरह-तरहके खुले तर्क किये। इन लोगोने मुझसे एक तर्क यह किया कि 'सीमान्त-अपराध विनियम' [फ्रन्टियर क्राइम रेग्यूलेशन], जो इस समय भी इस प्रदेशमे लागू है, क्या 'रॉलेट विल' से भी वदतर नही है ? और यदि पठानोको इसके विरोधमे कोई शिकायत नही है तो क्या इसे उचित ठहराया जा सकता है कि वे रॉलेट एक्टके विरोधमे आयोजित सार्वजनिक सभाओ और आन्दोलनोमे भाग लें ? इसके अलावा ब्रिटिश भारतके लोगोने पठानोके प्रति शायद ही कभी सहानुभूति दिखलायी हो। ऐसी स्थितिमे पठान ही क्यो ब्रिटिश भारतके उन कृतघ्न लोगोके लिए कोई खतरा मोल लेनेको तैयार हो ?"

"उनके यह सब तर्क मुझपर निष्फल सिद्ध हुए। मै अपने सकल्पपर दृढ रहा, इसलिए अन्य अनेक लोगोके साथ गिरफ्तार कर लिया गया।"

"मै साधारण नही वल्कि सबसे खतरनाक अपराधी समझा गया। मुझे हथकडियाँ डालकर जेलमे ले जाया गया और जवतक मै कारावासमे रहा, मेरे पैरोमे वेडियाँ पडी रही। मेरा वजन २२० पाउण्ड था और जेलमे मेरे पाँवकी नापकी वेडियाँ न थी। मेरे लिए विशेष वेडियाँ वनवायी गयी या नही, यह मै नही जानता लेकिन मेरे पाँवकी वेडियाँ खोजनेमे जेलवालोको काफी दिक्कत हुई। जव उन्होने मेरे पाँवोमे वेडियाँ पहनायी तव मेरे टखनेके ऊपरका मास छिल गया और उसमेसे काफी खून निकलने लगा। प्रत्यक्ष रूपसे जेलके अधिकारी इनसे चिन्तित न जान पडे। उन्होने कहा कि थोडे ही दिनोमे मै इनका अभ्यस्त हो जाऊँगा। मानो यह सब भी काफी नही था। उन्होने मुझको एक गम्भीर अपराध की लपेटमे लेनेका भी दुष्टतापूर्ण प्रयास किया। मेरे गाँवके एक पठानपर टेली-ग्राफके तार काटनेका आरोप लगाया गया था। उसके अपराधकी सुनवाई हुई और उसे दड देनेका निश्चय हुआ। उससे पूछा गया कि क्या वह मुझको जानता है ? उसने इसे स्वीकार किया और कहा कि मेरी अपीलपर ही उसने इस आन्दोलनमे हिस्सा लिया है। उस पठानसे अगला प्रश्न किया गया, "अच्छा, तो क्या इन्होने तुमको तार काटनेके लिए प्रेरित किया ?" इसके उत्तरमे उसने जोर देकर कहा, "नही।" वादमें जव मेरे पिता मुझसे मिलनेके लिए आये तो मुझको देखकर उन्हे अत्यन्त आनन्द हुआ। मेरे वारेमे फाँसीपर लटका दिये जानेकी अफवाह उड गयी थी।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके साथियोको गिरफ्तार करनेके लिए सेनाकी टुकडी उत्तमजई गयी थी। उन लोगोने गाँवको घेर लिया और सब गाँववालोको

आजाद स्कूलके अहातेमें एकत्र कर लिया। फिर उन्होने अपनी बन्दूकोंको उठाया और उनको तेज़ीसे भरने लगे। लोगोंने समझा कि बस, अब वे गोलीसे उड़ा दिये जायगे इसलिए वे ईश्वरसे अन्तिम प्रार्थना करने लगे। वास्तवमें यह चाल गाँवके लोगोको डरा देनेके लिए चली गयी थी। इसके बाद सेना गाँवको लूटनेमें लग गयी। उत्तमजई गाँवके ऊपर ३०००० रुपयेका दण्ड-कर निश्चित किया गया था लेकिन १,००,००० से भी अधिक रुपयोंकी जबरदस्ती उगाही की गयी। १५० व्यक्तियोंको तबतकके लिए जेलमें बन्धककी भाँति रखा गया जबतक कि वे दण्ड-कर न चुका दें। बहराम खाँ और उनके कई सम्बन्धियोंको भी तीन मासतक जेलमें रखा गया। बहराम खाँको इस बातकी बड़ी खुशी थी कि उनको उसी जेलमें रखा गया था जिसमें कि उनके पुत्र थे। 'अगर ऐसा न होता तो मैं अपने बेटेको न जाने कब, कितने दिनों या सालोंमें देख पाता।"

अंग्रेजोके लिए यह बड़ी उद्विग्नताका समय था क्योंकि देशमें आन्दोलन चल रहा था और उसके साथ ही उन दिनो अफगानिस्तानके आक्रमणकी सम्भावनाएँ भी बढ़ गयी थी। अंग्रेज पठानोंके ऊपर अपना आतंक जमाकर पश्चिमोत्तर प्रदेशमें आन्दोलनको कुचल देनेका पक्का इरादा कर चुके थे। परन्तु तत्कालीन चीफ कमिश्नर सर जॉर्ज रोसकेपल्ने, जो एक सुयोग्य और जनताके प्रति सहानुभूति रखनेवाले शासक थे, इस दमन चक्रको रोक दिया। छः मासके कारावासके पश्चात् खान अब्दुल गफ्फार खाँको रिहा कर दिया गया।

हिज्रतकी हलचल

१९२०

जव खान अब्दुल गफ्फार खाँ जेलसे वाहर आ गये तव उनके वृद्ध माता-पिताने उनकी सगाई तय कर दी और उनके शीघ्र विवाहकी इच्छा करने लगे। एक दिन खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने चचेरे भाई अब्बास ख़ाँके साथ इसी सम्वन्धमे कुछ खरीदारीके लिए पेशावर जा रहे थे। वे सरदरयाव पहुँच पाये थे कि उनको पुलिसके सिपाही पुलके निकट प्रतीक्षा करते हुए मिले। उन्होने दोनो भाइयोको गिरफ्तार कर लिया। इन लोगोंको वापस चारसद्दा थाने ले आया गया। वहाँसे ये लोग सी० आई० डी० के मुख्य अधिकारी मि० शार्टके वगलेपर ले जाये गये और वहाँ जाडेकी कड़कड़ाती सर्दीमे उनको वाहर सडकपर खडा रखा गया। शामका समय था। शार्ट शराव पीकर आराममे अपनी अंगीठीके पास वैठा था।

"हम लोगोको किसलिए गिरफ्तार किया गया है? जिस समय मुझे पुलिसके अफसरके आगे हाजिर किया जाय, उस समय मै क्या कहू?" सर्दीमे ठिठुरते हुए अब्वास खाँ ने अब्दुल गफ्फार ख़ाँसे पूछा। उन्होने कहा कि आप निडर होकर सच-सच वोलिए और कोई झूठा वयान न दीजिए।

काफी रात वीत जानेके वाद मि० शार्टने, जो एक अहकारी अफसर समझे जाते थे, उन दोनोको पूछ-ताछके लिए वुलवाया। इन लोगोको नौशेराके एक वम-काण्डमें शरीक होनेके सन्देहमे पकडा गया था। जिस समय विना किसी व्यग्रताके खान अब्दुल गफ्फार खाँ उनके प्रश्नोका उत्तर दे रहे थे, उस समय मि० शार्टने जोरमे कहा, "धीमे वोलो।" खान अब्दुल गफ्फार खाँ वोले, "जव मै ज़ोरसे वोलता हू, तव आप मुझे धीमे वोलनेके लिए कहते है और जव मै धीमे वोलता हूं तो आप मुझे ज़ोरसे वोलनेके लिए कहते है। कृपया आप ही मुझे वोलकर वतला दीजिये कि कैसे वोला जाय?" यह वात सुनकर मि० शार्ट क्रोधित हो गये और उन्होने इन लोगोको पुलिसके सिपाहियोको सौंप दिया। उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खाँ और अब्वास खाँको ले जाकर अलग-अलग कोठरीमे वन्द कर दिया। अब्वास खाँ अब्दुल गफ्फार ख़ाँसे अलग हो गये। उस रातको इन लोगोको खाना नही दिया गया।

कोठरीका फर्श सीमेंटका था और उसका दरवाजा छडदार था। उनके फर्शपर दो कम्बल पडे हुए थे। बडा भयानक शीत था। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उन कम्बलोंको ओढनेके लिए विवश थे। जब वे सवेरे सोकर उठे तब उनके सारे कपडोंमें जूँ भरी हुई थी। वे उनको एक एक करके बीनने और बाहर फेंकने लगे। उस हवालातमें उनको एक सप्ताहतक रखा गया और इसके बाद एक अंग्रेजके सामने उपस्थित किया गया। अंग्रेजने दोनों भाइयोंको रिहा कर दिया।

'मुझको किसलिए गिरफ्तार किया गया था ?'' खान अब्दुल गफ्फार खाँने उससे पूछा।

'मैं तुम्हारे मामलेकी जाँच कर रहा था।' उसने लापरवाहीसे उत्तर दिया।

क्या आप मुझे गिरफ्तार करनेसे पहले जाँच नहीं कर सकते थे ?'

यह मेरे ऊपर निर्भर है कि पहले गिरफ्तार करके पूछ-ताछ करूँ या पहले पूछ-ताछ करके गिरफ्तार करूँ। अंग्रेजने प्रत्युत्तर दिया।

कुछ भी हो मैं भी एक इंसान हूँ। अब्दुल गफ्फार खाँ ने कहा कुछ मेरी स्थितिको सोचिए। आपने व्यर्थ मुझको परेशानीमें डाल दिया। मैं भाग नहीं रहा था। मेरा अपराध निश्चय करनेके बाद भी आप मुझे गिरफ्तार कर सकते थे।''

क्या आप अपनी स्थितिकी कथा सुनाने लगे ? अंग्रेजने बातको संक्षेपमें खत्म करते हुए कहा। यहींपर आकर बात समाप्त हो गयी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने गाँवको वापस लौट आये।

अपने माता पिताकी इच्छाके अनुसार अब्दुल गफ्फार खाने दूसरा विवाह कर लिया। फिर वे सार्वजनिक कल्याणकी प्रवत्तियोंमें डूब गये। जेलके अनुभव ने उनको राजनीतिके निकट ला दिया था। वे सन् १९२० के प्रारम्भमें खिलाफत सम्मेलनमें सम्मिलित होनेके लिए दिल्ली चले आये जिसमें कि महात्मा गाधी मौलाना आजाद हकीम अजमल खाँ अली बन्धु (मौलाना शौकत अली और मुहम्मद अली) तथा कई प्रमुख मुसलमान नेता भाग ले रहे थे। विश्व युद्ध की सन्धिकी शर्तोंमें एक ऐसा प्रस्ताव आ गया था जिसके अनुसार तुर्कीके खलीफाकी उन शक्तियोंमें जो कि उनको अपने धार्मिक पदकी प्रधानताके कारण मिली हुई थी, कटौती की गयी था। अधिकांश तुर्की मुसलमान भी थे। मुसलमानोंने इसे अपने धर्मके विरुद्ध माना और इसे ब्रिटिश सरकारकी आत्म प्रतिज्ञा भंगका माय

समझा। भारतके मुसलमान धर्माचार्योंने, जिनकी ऐक्यशक्ति और प्रभाव सन् १८५७ के गदरके बाद बिखर चुके थे, पुन सगठन-शक्तिकी आवश्यकताका अनुभव किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद अपनी गहन-विद्वत्ता, धार्मिक निष्ठा और वक्तृत्व शक्तिके साथ अपने आधुनिक दृष्टिकोणको लेकर क्षेत्रमे उतरे थे। उन्ही दिनो उनको नजरबन्दीसे रिहा किया गया था। मुसलमान नेताओमे सबसे कम वयके होनेपर भी गाधीजीके लिए वे एक बडे शक्ति-स्तम्भ थे। मौलाना आजादने खिलाफतके प्रश्नको लेकर असहयोग आन्दोलनके कार्यको प्रारम्भ करनेका प्रस्ताव रखा था।

हिज्रत, खिलाफत आन्दोलनकी एक निकटकी शाखा थी। ब्रिटेनने तुर्कीके खलीफाके सम्बन्धमे जो नीति अपनायी थी, उससे अपनी असहमति प्रकट करनेके हेतु अनेक भारतीय मुसलमानोने स्वदेश-त्यागका निश्चय कर लिया। भारत उनके लिए 'दार-उल-हर्ब', (युद्धका देश) बन गया। उन्होने अपना सर्वस्व त्यागकर इसे छोड देना और 'हिज्रत' (धर्म-यात्रा) करके 'दार-उल-अलम' (शातिके देश)मे चले जाना अपना धार्मिक कर्त्तव्य समझा। उनकी दृष्टिमे वही सच्चे विश्वासियोका देश था। जिन लोगोने इस त्यागका सकल्प कर लिया, वे पेशावर होते हुए खैबर दर्रातक गये और वहाँसे होकर अफगानिस्तानमे प्रवेश कर गये। पेशावरमे एक 'हिज्रत समिति' का गठन हो गया था। देशान्तरण करके अफगानिस्तान जानेवाले उसीके द्वारा जाते थे। यह समिति 'मुहाजरीनो' अर्थात् देश-त्याग करके जानेवालोको सब प्रकारकी सुविधाएँ देती थी। अग्रेज सरकारने अपने नागरिकोको पहले हिज्रतके लिए निरुत्साहित किया। बादमे वह भी लोगोको अधिकसे अधिक सख्यामे देश छोडकर जानेके लिए उत्साहित करने लगी। उसने सोचा कि अपना देश छोडकर दूसरे देशमे जानेवाले इन उत्प्रवासियोके पहुँच जानेसे अफगानिस्तान अपने ऊपर एक बडे बोझका अनुभव करने लगेगा। वह स्वयं भी भारतके इन राजनीतिक कार्यकर्त्ताओसे छुटकारा पाना चाहेगा। अग्रेज सरकारने देश त्यागकर अफगानिस्तान जानेवाले इन लोगोमे अपने कुछ गुप्तचर भी भेज दिये। मुल्लाओने फतवा दिया कि जो लोग 'हिज्रत' नही करेगे, उनका अपनी पत्नियोके ऊपर कोई अधिकार नही रहेगा। बहुत-सी महिलाओने भी अपने पतियोका साथ दिया। पेशावर जिलेके कई हजार निवासी अफगानिस्तान चले गये और प्रदेशके अन्य जिले भी थोडे-बहुत अंशोमे इससे प्रभावित हुए। अगस्त, सन् १९२० मे १८,००० पठानोने अपने खेत, घरबार और दूकाने बेच दी तथा काबुल चले गये। खान अब्दुल गफ्फार खॉने 'मुहाजरीनो' के एक बडे दलका

नेतृत्व किया। उनके १० वर्षीय पुत्र गनी भी इस दलके साथ जानेको उत्सुक थे परन्तु बहुत प्रयत्नके बाद उनको आखिरकार घरपर रोका गया।

शाह अमानुल्लाहकी यह इच्छा थी कि अपने देशमें आनेवाले इन लोगोंको वे उपजाऊ भूमि और नौकरी दें तथा व्यापारके लिए भी सुविधाएँ दें। परन्तु मुहाजरीन वहाँ जानेवाले लोगोंने गुमराह कर दिया। लोग कहने लगे कि हम यहाँ काम करनेके लिए नहीं बल्कि एक पवित्र युद्धमें जूझनेके लिए आये हैं। मुझमें इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अंग्रेजोंके विरोधमें युद्ध छेड़ सकूँ परन्तु मैं आप लोगोंको एक अलग बस्तीमें बसा सकता हूँ। अमानुल्लाह खाँने कहा, 'अंग्रेजोंके विरोधमें युद्ध छेड़नेके लिए आप अपना दल संगठित कीजिए। मैं आपको पूरी सहायता दूँगा क्योंकि अंग्रेज उस बातके नागकी भाँति हैं जो मुझको कभी शान्तिसे नहीं बढ़ने देंगे।' उन्होंने इन प्रवासियोंकी सहायताकी पूरी कोशिश की परन्तु वह व्यर्थ गयी। हिजरत आन्दोलन असफल हो गया।

जिन दिनों खान अब्दुल गफ्फार खाँ काबुलमें थे उन्हीं दिनों उन्होंने शाह अमानुल्लाह खाँसे भेंट की। शाह पश्तूको छोड़कर कई भाषाएँ जानते थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने शाहका ध्यान उनकी अपनी मातृभाषा तथा उनके देशकी राष्ट्रभाषाके प्रति उनकी अनभिज्ञताकी ओर आकृष्ट किया। यह बात उनके मनको छू गयी और उन्होंने तुरन्त कुछ समयमें ही पश्तू सीख ली। खान अब्दुल गफ्फार खाँको अफगान मन्त्रियों और विश्वविद्यालयके छात्रोंमें भी फारसीमें बोलना पड़ता था। उन्होंने इन लोगोंका ध्यान भी इस ओर खींचा। उन्होंने कहा पश्तू आपकी राष्ट्रीय भाषा है। प्रत्येक पठानको यह सीखनी चाहिए।

अफगानिस्तान पहुँचनेवाले उत्प्रवासियोंकी भीड़ने शाह अमानुल्लाह खाँको घबरा दिया। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा कि स्वदेशका त्याग करके बाहरकी ओर भागना और वहाँ जाकर शरण खोजना बिलकुल व्यर्थ है। उनकी यह बात खान अब्दुल गफ्फार खाँकी समझमें आ गयी। उन्होंने इस प्रश्नपर पुनर्विचार किया और नये पथकी खोज की। अफगानिस्तान पहुँचनेवाले धर्मयुद्धकर्ताओंका मायाजाल टूट गया और वे अपने-आपको नितान्त निराश्रित अनुभव करने लगे। वे धीरे धीरे भारत वापस लौटने लगे। खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथियोंमेंसे कुछ ताशकन्दकी ओर चले गये और वे स्वयं अपने अन्य कुछ साथियोंके साथ बाजौर चले आये। वहाँ उनका विचार आजादकबीलोंके बीच एक स्कूल खोलनेका हुआ। स्कूल खुल गया और इस विद्यालयने आसपासके इलाकेके अनेक विद्यार्थियोंको अपनी ओर आकृष्ट भी किया, परन्तु पालिटिकल एजेंटने दीरके नवाबको बुला

कर यह आदेश दिया कि वे इस विद्यालयको तुरन्त वन्द करा दे। अब्दुल गफ्फार खाँके सब साथी विखर गये। दीर तथा वाजोड्के अनेक स्थानोमे घूमते हुए वे अपने गाँव उत्तमंजई लौट आये और उन विद्यालयोको फिरसे खुलवानेका प्रयत्न करने लगे, जिनको कि प्रथम विश्वयुद्धमे व्रिटिश शासनने वन्द करा दिया था।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने काग्रेसके उस महत्त्वपूर्ण अधिवेशनको देखा जो दिसम्बर १९२० मे नागपुरमे आयोजित हुआ था। उसमे सारे देशसे १४,००० से भी अधिक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे और उसमे अनेक नेताओने भाषण भी किये थे। इनमें सी० आर० दास, पंडित मदनमोहन मालवीय, मुहम्मद अली जिना, लाला लाजपतराय, पंडित मोतीलाल नेहरू, अली वन्धु (मौलाना शौकत अली और मुहम्मद अली) तथा अवुल कलाम आजाद प्रमुख थे। काग्रेस अब भारतकी जनताकी प्रतिनिधि संस्था थी जिसका गाधीजी नेतृत्व कर रहे थे। इस अधिवेशनके शुरूके प्रस्तावोमे एक प्रस्ताव काग्रेसके उद्देश्यके वारेमे स्वीकृत हुआ। "काग्रेसका लक्ष्य समस्त वैध और शान्तिपूर्ण उपायोसे भारतकी जनताके लिए स्वराज्यकी प्राप्ति है।" काग्रेस संगठनने अपनी ढुलमुल नीतिको छोड दिया था और अब वह एक ऐसे नवीन दलके रूपमे विकसित हो गयी थी जिसकी इकाइयाँ गाँवोतकमे पहुँच गयी थी और जिसकी स्थायी कार्यसमितिके अखिल भारतीय ख्यातिके पन्द्रह वडे-वडे नेता सदस्य थे।

नागपुर अधिवेशनसे पहले कलकत्तामे काग्रेसकी जो वैठक हुई थी, उसमे असहयोगका कार्यक्रम घोषित किया गया था। गाधीजीने उसे नागपुरमे अन्तिम रूप देनेका निश्चय किया। इस वार अपने सारे कार्यमे उनको उन्ही लोगोका सहयोग मिला जिन्होने कलकत्तामे आशिक रूपमे उसका विरोध किया था। असहयोग सम्वन्धी यह ऐतिहासिक प्रस्ताव संशोधन सहित इन शब्दोमे स्वीकार किया गया :

"काग्रेसकी दृष्टिमे वर्तमान भारत सरकारने देशका विश्वास खो दिया है और देशकी जनताने स्वतन्त्रताको प्राप्त करनेका पूर्ण निश्चय कर लिया है क्योकि अवतक उसने जिन उपायोका आश्रय लिया है, वे उसको उसके अधिकार तथा स्वाधीनताकी स्वीकृति दिलानेमे असमर्थ सिद्ध हुए हैं। सरकारने अनेक गम्भीर भूले की है जिनमे खिलाफत आन्दोलन और पजावकी घटनाओका विशेष रूपमे उल्लेख किया जा सकता है। अव, जव कि काग्रेस अहिसात्मक असहयोगका प्रस्ताव स्वीकार कर रही है, अपने सम्पूर्ण या आशिक रूपमे अहिंसाकी इस योजनाकी घोषणा करती है। वह एक ओर शासनके साथ स्वेच्छासे असहयोग करेगी और दूसरी ओर सरकारको कर नही देगी। यह योजना भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस अथवा अखिल

पदका कार्यभार सभाला। पुलिसने आजाद स्कूलमे पढानेवाले शिक्षकोंको डरानेकी बहुत कोशिश की। परन्तु जब उसको इसमे सफलता न मिली तब सरकारने उन अध्यापकोंको अधिक वेतनकी नौकरियाँ देकर अपनी ओर खीचना चाहा। पुलिस आजाद हाई स्कूलके नये शिक्षकोंको बराबर तग करती रहती थी।

खिलाफत समितिके भीतरके असतुष्ट दलने अब्दुल गफ्फार खाँसे पेशावर की खिलाफत समिति की अध्यक्षता स्वीकार कर लेनेका आग्रह किया क्योंकि वही ऐसे एकमात्र व्यक्ति थे जिनका नाम सबका समान रूपसे मान्य था। सस्थामें लगातार झगडे चल रहे थे और कोई ठोस काम नहीं हो पा रहा था। अब्दुल गफ्फार खाँने इस पदको इस शर्तपर स्वीकार कर लिया कि सामान्य प्रान्तकी इस खिलाफत समितिके द्वारा चन्देके रूपमे जो भी निधि एकत्र की जायगी उसका व्यय केवल शैक्षणिक प्रवृत्तियोंमें होगा। उनके लिए शिक्षाका प्रसार एक भावनात्मक कार्य था जिसकी सफलताके लिए उन्होंने अपनी सारी शक्ति लगा दी थी। उन्होंने जनताम अपने सम्पर्क फिर नये करनेके लिए और अपने उन बन्द विद्यालयोंको फिरसे खोलनेके लिए दौरे प्रारम्भ कर दिये थे जिन्होंने मालाकण्ड बाजार और स्वातके निकटवर्ती क्षेत्रोंके बालकोंको अपनी ओर आकृष्ट किया था।

अब्दुल गफ्फारकी प्रवृत्तियोंसे अधिकारी-वर्ग आतकित हो उठा। उनके जिलेके दौरोंपर आपत्ति की गयी। उनके उत्तमजई विद्यालयको खुले हुए अभी केवल छ महीने हुए थे कि चीफ कमिश्नर सर जौन मफेने अब्दुल गफ्फार खाँ के पिताको बुलाकर इस बातके लिए उकसाया कि वे अपने पुत्रपर जोर डाल कर इस विद्यालयको बन्द करा दें। चीफ कमिश्नरने बूढ़े खानको बतलाया कि यह काम अंग्रेजी सरकारके खिलाफ है। चीफ कमिश्नरने उनसे कहा, "जब और कोई इस काममें दिलचस्पी नहीं ले रहा है तब आपके पुत्रने ही इस स्कूल को चलानेका काम अपने ऊपर क्यों ले रखा है? आपका पुत्र एक गाँवसे दूसरे गाँवमें पहुँचकर पाठशालाएँ खोलते हैं। आप उनसे कहिए कि वे इस कामको बन्द कर दें तथा अन्य लोगोंकी भाँति अपने घरपर रहें। अन्यथा आप दोनों को इसका फल भुगतना पड़ेगा।

बन्नूके गोरे अंग्रेज बहुत अच्छे लगते थे। वे लोग उन्हें 'चाचा' कहा करते थे। बन्नूके गोरे अंग्रेजोंके बारेमें प्राय कहा करते [illegible] अंग्रेज हमारे चाचाके [illegible]। [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] उनपर [illegible] करना [illegible]

है।" उन्होने अब्दुल गफ्फार खाँको अलग बुलाया और उन्हे चीफ कमिश्नरके साथ अपनी भेंटकी सब बाते बतलायी। फिर उन्होने धीरेसे कहा, "जो काम और लोग नही कर रहे है, उसे तुम भी मत करो। तुम भी अपने घरपर आराममे रहो।" उनकी यह बात सुनकर अब्दुल गफ्फार खाँने अपने मनमे बडे क्लेशका अनुभव किया। उन्होने अपने मनमे सोचा कि अग्रेज स्वार्थके लिए पिता और पुत्रके बीच भी भेद उत्पन्न कर रहे है! उन्होने अपने पितासे, जो अति धार्मिक थे, यह कहा, "मान लीजिए कि बाकी लोग नमाजमे रुचि नही लेते तो क्या आप मुझे उसको छोड देने और धर्म-विमुख होनेको कहेगे?"

"कभी नही" बहराम खाँने उत्तर दिया, "मै तुमसे यह कभी नही कहूँगा कि तुम अपने धार्मिक कर्त्तव्यको छोड दो, अन्य लोग भले ही कुछ भी करे।"

"तब ठीक है बाबा, राष्ट्रीय शिक्षाका यह काम भी वैसा ही है। यदि मै अपनी नमाज छोड सकता हूँ तो स्कूल चलाना भी छोड सकता हूँ। जिस प्रकार नमाज पढना मेरा एक कर्त्तव्य है उसी प्रकार जनताकी सेवा और शिक्षाका प्रसार भी मेरा एक कर्त्तव्य है।"

उनके पिता बोले, "अब मै समझ गया। यदि तुम इसे अपना कर्त्तव्य मानते हो तो खुशीसे करते रहो।" बहराम खाँने चीफ-कमिश्नरसे कह दिया कि उनका पुत्र अपने धार्मिक कर्त्तव्यको नही छोड सकता। इसके पश्चात् वे भी निर्भीक भावसे अपने पुत्रकी प्रवृत्तियोका समर्थन करने लगे।

जब अब्दुल गफ्फार खाँने अपने पक्षका समर्थन करते हुए शासकोसे कहा कि शिक्षा कोई अपराध नही है, बल्कि इस कामको करके हम शासनको सहयोग ही दे रहे है तब उन लोगोसे उन्हे यह उत्तर मिला, "लेकिन अगर आपको समाज-सुधारके नामपर पठानोको संगठित करनेकी अनुमति दे दी जाती है तो इस बातका क्या भरोसा कि यह संगठन शासन और उसके हितोके विरुद्ध काममे नही लाया जायगा?"

"आप मुझपर विश्वास कीजिए" अब्दुल गफ्फार खाँने उत्तर दिया। शासकोका कहना था, "नही, आप इसके लिए क्षमा माँगिए और इस बातकी जमानत दीजिए कि आप भविष्यमे यह कार्य नही करेंगे।"

"मै इस बातकी जमानत दूँ कि मै अपने लोगोको प्यार करना और उनकी सेवा करना छोड दूँगा?" उन्होने अधिकारियोंसे प्रश्न किया। अब्दुल गफ्फार खाँने मिशन स्कूलमे शिक्षा पायी थी और वे ईसाइयतकी न्याय-भावना और उदारताको भली भाँति समझते थे। अधिकारियोका कहना यह था कि यह देश-सेवा

नहीं बल्कि विद्रोह है। बाद यह कि अब्दुल गफ्फार खाँको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको सामान्य अपराध विनियम की ४०वीं धाराके अनुसार १७ दिसम्बर, सन १९२१ को कठोर कारावासका दण्ड दिया गया। जिन कष्टोंका प्रारम्भ सन १९१९ में हुआ था और जिन संकटोंसे वे गुजर रहे थे उनकी यह मानो बपतिस्मा, प्रथम दीक्षा थी। अब्दुल गफ्फार खाँने एक मर्मस्पर्शी कथा सुनायी

"मेरे गाँवसे एक पिता और उसके पुत्रको साथ-साथ जेल भेजा गया। जब उनको जेलके कपड़े पहनाकर खड़ा किया गया तब पुत्र अपने पिताको मुश्किलसे पहचान सका। वह उसे पुकारकर बोला 'बाबा तुम कहाँ गये?' यह सुनकर पिताने कहा, 'मैं यहीं तुम्हारे पास ही तो खड़ा हूँ।' फिर मुझ जैसे लम्बे-तगड़े आदमीकी क्या बात पूछते हैं। जब मुझे जेलके कपड़े पहनाये गये तब पाजामा मेरे पाँवकी नलीतक पहुँच सका और कमीज तो नाभितक भी नहीं पहुँची। जब मैं अपनी नमाज पढ़ता था तब पाजामा बार-बार घुटनोंपर फट जाता था और कमीज मेरी पसलियोंमें चिपक जाती थी। नियमके अनुसार हर एक कैदीको प्रतिदिन चक्कीपर २० सेर अनाज पीसना पड़ता था। उसके पाँवोंमें बेड़ियाँ पड़ी रहती थीं और गलेमें लोहेका एक छल्ला जिसमें काठकी एक तख्तीपर उसके दण्डका प्रकार और अवधि खुदी रहती थी लटकता रहता था। मगर जेलर हिन्दू था। वह एक ईमानदार व्यक्ति था और कैदियोंके लिए उसका व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण था। उसने मुझे एक अकेली कोठरीमें रख दिया। उसने मुझसे चक्की नहीं पिसवायी और न मेरे पाँवोंमें बेड़ियाँ ही डलवायीं। यद्यपि उसने मुझे जेलका ही भोजन दिया परन्तु वह अपेक्षाकृत स्वच्छ था और दाल एवं सब्जियाँ स्वादिष्ट थीं। मेरी कोठरीका दरवाजा उत्तरकी ओर था और उसमें कभी धूप नहीं आती थी। सर्दी भयानक थी। मुझे ओढ़ने बिछानेको तीन पुराने कम्बल और एक चटाई दी गयी थी। यह मेरे लिए अपर्याप्त था। मुझको दिन रात उसी कोठरीमें नजरबन्द रखा जाता था। जब एक पहरेदार जो कुछ दयालु था, पहरेपर होता था तब वह मुझको कभी-कभी कोठरीसे बाहर निकालता था और मुझे लगभग आधा घण्टेके लिए धूप सेंकने देता था।

जेलमें भी मुझे शान्तिसे सोने नहीं दिया जाता था। प्रत्येक तीन घण्टे बाद पहरेदारोंकी ड्यूटी बदलती थी। वह काफी शोरगुल करता था और हम लोगोंको नाम ले-लेकर आवाज देता था। जबतक हम लोग जाग न जायँ और उसकी पुकारका जवाब न दें तबतक वह जाया नहीं करता था। यदि कोई उसकी पुकारपर

तुरंत नही वोलता था तो उसको दूसरे दिन दण्ड दिया जाता था। जव मै गिरफ्तार हुआ और पेशावर जेलमे ले जाया गया तव मुझको हवालातमे वन्द न करके एक अकेली कोठरीमे रख दिया गया। जव मै कोठरीमे घुसा तव उसमेसे दुर्गन्ध आ रही थी। मिट्टीके सफाईके तसलेमे ऊपरतक मल भरा हुआ था। मैने कोठरीसे वाहर निकलकर अधिकारीसे कहा कि इस कोठरीकी वदवू तो सही नही जा रही है। इसपर उसने मुझको भीतर ढकेल दिया और वाहरसे ताला वन्द कर दिया।

मेरी गिरफ्तारीके पश्चात् खिलाफत-आन्दोलनके मेरे अन्य साथी भी पकड लिये गये। पूरे चौवीस घंटे हमको एकान्त कोठरियोमे नजरवन्द रखा जाता था। हमारा भोजन छडोमेसे अन्दर पहुँचा दिया जाता था। कोठरीका द्वार केवल सफाई करनेवाले मेहतरके लिए खुलता था। हमारे साथ कोई वातचीत न करे या पत्र-व्यवहार न करे इसके लिए हमारी कोठरीकी पूरी चौकसी रखी जाती थी। इस कडे व्यवहारके कारण ही हमारे वहुतसे साथी जमानत दे देनेके लिए तैयार हो गये। मुझको दस दिनोके वाद जेलसे निकाला गया और डिप्टी कमिश्नरके सामने उपस्थित किया गया, जो कि एक विलक्षण स्वभावका अंग्रेज था। पुलिसके अनुसार मेरा पहला अपराध यह था कि मै हिज्रत करनेके लिए अफगानिस्तान गया था और दूसरा यह कि मैने आजाद स्कूल खोला था। अग्रेज अधिकारी पुलिससे वार-वार पूछ रहा था कि जव ये हिज्रत करके चले गये तव इनको इस देशमे वापस क्यो आने दिया गया? मैने उसे वीचमे ही टोककर कहा, "आपने तो हमारे देशपर अपना अधिकार जमा रखा है और अव हमारे लिए उसमे घुमनेपर भी रोक लगा रहे है?" मेरी इस वातपर वह क्रोधित हो गया और उसने पुलिससे मुझे ले जानेको कहा। साथ ही उसने मुझे तीन वर्षका कारावास-दड भी सुना दिया।

डॉ० खान साहव तथा अन्य लोग जेलमे मुझसे मिलनेके लिए आये। वे मेरे लिए सरकारका यह सन्देश भी लाये कि मै विद्यालय तो चला सकता हूँ, परन्तु मुझको अपने दौरे रोक देने होगे।

जेलके वन्दियोमे वहुतसे तथाकथित पवित्र धर्मयुद्धकर्त्ता भी थे। वे आपसमे ही लड गये। उनमे एक ऐसा आदमी भी था जिसे पूरा कुरान कठस्थ था। पुलिसने उसको अपनी ओर कर लिया। वह अच्छे कार्यकर्त्ताओको पुलिससे मिल जानेके लिए प्रलोभन देता था। कारागारमे धर्मयुद्धकर्त्ताओकी स्थिति वडी दयनीय थी। मेरे वहाँ पहुँचनेके वाद इस दशामे वहुत कुछ सुधार हो गया।

साधारण रूपमें कैदी एक एकान्त कोठरियोंमें एक सप्ताहतक रखे जाते थे परंतु मुझको वहाँ दो मासतक रखा गया और इसके बाद मेरा तबादला डेरा इस्माईल खाको कर दिया गया। इस कारागारमें कई ही कैदी रखे जाते थे जो जेल जीवनके अभ्यासी हो चुके होते थे। मुझको वहाँ बेड़ियाँ डालकर ले जाया गया। जिस समय मुझको लारीमें बन्द किया गया उस समय मेरी बेड़ियाँ खोल दी गयी। दूसरे दिन मुझको पीसनेके लिए २० सेर अनाज दिया गया। भाग्यसे वह साफ किया हुआ था। उसको पीसनेमें मुझको कोई कठिनाई नहीं हुई। डेरा इस्माईल खाँका जेलर एक अधेड़ उम्रका मुसलमान था जो पहले एक सिपाही रहा था। वह अंग्रेजी नहीं जानता था और कुछ ही दिनोंमें पेन्शन लेकर घर जानेवाला था। कारागारका अधीक्षक एक अंग्रेज था जो केवल अंग्रेजी जानता था इसलिए जेलका सारा कामकाज सहायक जेलर गंगाराम देखता था। गंगाराम एक धूर्त व्यक्ति था। रिश्वत बटोरनेके लिए वह कैदियोंको आपसमें लड़ाता रहता था और दुराचरणके लिए उनके पास कम उम्रके लड़कोंको भेजता था।

जिस समय मैं चक्की पीस रहा था उस समय मुसलमान जेलर मेरे पास आया और बोला 'आप चक्की न पीसिये। जब अल्लाह मुझसे पूछेगा कि जिस जन्म १४०० बन्दी थे उसमें तुमने मेरे आदमीसे चक्की क्यों पिसवायी तब मैं उसको क्या जवाब दूंगा?' उसके मनको सन्ताप देनेके लिए मैंने उस समय चक्की पीसना बन्द कर दिया परन्तु ज्यों ही वह मेरे पाससे हटा मैं फिर चक्की पीसने लगा। वह कोठरीके बाहर खड़ा खड़ा दरवाजेके एक छेदमेंसे मुझे देख रहा था। वह फिर मेरी कोठरीमें घुस आया और पूछने लगा कि मैं चक्की क्यों पीस रहा हूँ? मेरे ठीक सामने एक अन्य कैदी अनाज पीस रहा था। मैंने जेलरसे कहा कि इस पर हत्याका अभियोग है और यह अपने इस जघन्य अपराधके लिए चक्की पीस रहा है फिर मेरा तो एक पवित्र मिशन है। मैं अपने पवित्र उद्देश्यके लिए काम क्यों न करूँ? जिस व्यक्तिको काम सौंपा गया था उस व्यक्तिको जेलरने आज्ञा दिया कि मुझे पीसनेके लिए गेहूँके जगह गेहूँका आटा दे दिया जाय। दूसरे दिन वह आटा मेरे लिए पीसनेका थोड़ा-सा अनाज और बाकी पिसा हुआ आटा ले आया। उसने मुझसे कहा कि पूछनेपर मैं जेलरके यहीं रख बैठ बोल जाऊँ वरना उनका नौकरीसे निराकर लिया जायगा। मैंने उससे कहा मैं नहीं चाहता कि तुम अपना नौकरीसे हाथ धोओ। तुम मुझे पीसनेके लिए अनाज ला। मैं झूठ नहीं बोल सकता।

जेलका वातावरण मिट्टी मिला रहता थी। उसको बचाया भी नहीं जा सकता

था। पकायी गयी सब्जियाँ इतनी बेस्वाद होती थी कि भूखी बिल्ली भी उनको न छुए। जेलरने मुझसे कहा कि मै उसके घरका बना हुआ खाना खाने लगूँ, लेकिन मै इसपर तैयार नही हुआ। मैने दूध लेना भी मजूर नही किया क्योकि वह मेरी जेलकी भोजन-सूचीमे शामिल नही था।

गङ्गारामने अपने सिखाये-पढाये लोगोको मेरे पास भेजा। उन्होने मुझे उस अकेली कोठरीसे बाहर आनेके लिए रिश्वत देनेपर तैयार करना चाहा। गङ्गारामके उन दलालोने मुझसे कहा, 'आपकी नजरबन्दीसे और चक्की पीसनेसे पेशावरवालोको लज्जा आती है। वे आपके लिए गङ्गारामको रिश्वत देनेको तैयार है।' मैने उन लोगोसे कह दिया कि रिश्वत देना कोई भला काम नही है। मै इसके लिए रिश्वत नही दूँगा और न वे लोग मेरी ओरसे गङ्गारामको कुछ दें। यदि मुझे रिश्वत ही देनी होगी तो जमानत ही न दे दूँगा। मै तो जमानत देकर छूट सकता हूँ। एक दिन जब मै अनाज पीस रहा था, तब जेलका अंग्रेज अधीक्षक मेरी कोठरीमे आया। एक कोनेमे रखी पकी हुई सब्जीकी ओर इशारा करके मैने उससे कहा, 'मैने इसे एक बिल्लीके आगे रखा था लेकिन उसने भी इसे नही छुआ और इसे आप एक इसानको देते है!' अधीक्षक बोला, 'यह सब्जी तो बिलकुल ठीक है।' इसके बाद मैने कहा, 'सामनेकी कोठरीमे जो कैदी है उसकी बेडियोकी ओर देखिए और मेरी बेडियोपर भी दृष्टि डालिए। वह रोज बीस सेर अनाज पीसता है और इतना ही मै भी। उसीकी तरह मुझे भी एक अलग कोठरीमे बन्दी बनाकर रखा गया है। अब आप मेरे अपराधपर भी विचार कीजिए। आप लोग अपने देशमे क्या मुझ जैसे बन्दियोके साथ ऐसा ही व्यवहार किया करते है?' वह मुझसे उत्तरमे एक शब्द भी न बोला और चुपचाप मेरी कोठरीसे चला गया। दूसरे दिन मेरे कार्यमे परिवर्तन कर दिया गया। मुझको लिफाफे बनानेके लिए 'वर्कशॉप' मे भेज दिया गया। जब अंग्रेज अधीक्षक दूसरी बार मेरे पास आया तो उसने मुझसे कहा, 'शीघ्र ही मै आपको इस अकेली कोठरीसे भी हटवा दूँगा।'

"वर्कशॉपमे सीमा-प्रान्तके तीन कैदी थे। वे लडकोको लेकर आपसमे लड़ते-झगडते रहते थे। मैने इस बातकी चेष्टा की कि वे इस प्रकारका पापपूर्ण कृत्य न करे।

"मैने सिपाहियोसे भी, जो कि सचमुच गरीब थे, यह कहा कि वे रिश्वतके पैसोसे अपने हाथोको कलुषित न करे। उनमेसे एकने अपने दोषको स्वीकार करते हुए कहा कि 'मेरे लिए रिश्वत छोड देना असम्भव है क्योकि उसके बिना मेरा

निर्वाह नही हो सकता।' मने उनसे कहा

'म तुमसे यह नही कहूँगा कि तुमको क्या करना चाहिए। परन्तु म तुमसे इतना ही कह सकता हूँ कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह अनतिक ह।" और उसने इस्तीफा दे दिया। 'मेरे कारण गङ्गारामकी आमदनी कम हो रही थी इसलिए उसने मुझे जेलसे हटानेके लिए एक षडयन्त्र रचा। अधीक्षकसे मेरी शिकायत करते हुए उसने कहा कि म कर्मचारियोंम अव्यवस्था उत्पन्न कर रहा हूं और यदि मुझको वहासे न हटाया गया तो कदियोंमें अनुशासन बनाये रखना कठिन हो जायगा। जब अधीक्षकने इस सम्बन्धमें मुझसे पूछा तो मेरी बात सुन कर वह समझ गया कि गगाराम झूठ कहता ह, परन्तु अनुशासन बनाये रखने के लिए एक अंग्रेज कुछ भी करनेको तैयार हो जाता ह इसलिए दो महीने कम जेलमें और दो महीने पेशावरकी जेलमें काटनेके बाद मेरा तबादला डेरा गाजी खांके कारागारमें कर दिया गया।

'पुलिसकी एक गाडी जिसमें सब ओर पर्दे पडे हुए थे, कारागारके द्वारपर आकर खडी हो गयी। इस गाडीसे मुझको स्टेशन ले जाया गया। उस समय मेरे पाँवोके टखनामें बेडियाँ पडी थी और मेरी कलाइयामें हथकडिया थी। मेरे गलेमें लोहेका एक छल्ला पडा हुआ था और म तग छोटे कपडे पहने हुए था। स्वय मेरे लिए यह एक विचित्र दृश्य था, फिर औराको वह कितना विचित्र लगता होगा। हमारी ट्रेन छूट गयी और हमें सारी रात स्टेशनपर ही बितानी पडी। मुझे किसीके पास जाने नही दिया गया और न किसीको मेरे निकट आनेकी आज्ञा दी गयी। जब हम गाजीघाट स्टेशनपर पहुँचे तब एक हिन्दू अधिकारीने जो गारदका प्रधान था मुझे अपनी सुपुर्दगीमें ले लिया और कहा, आप यहाँ ठहरिए। म स्टेशनपर घूमने लगा तब नासिर खाँ जो मुझे लेकर आया था उस हिन्दू अधिकारीके पास जाकर बोला यह आपने क्या कर डाला? अरे, म तो मारा गया। हिन्दू अफसरने उससे कहा अब यह मेरी हिरासतमें ह। आप जा सकते ह। फिक्र न कीजिए।

'हमने एक नावपर सवार होकर सिन्धु नदको पार किया। उसके बाद हमें एक ताँगेमें डेरा गाजीखा जेलतक ले जाया गया। जेलके भीतर जाकर मेरा बेड़ियाँ खोल दी गयी। मेरे लिए यह एक अत्यन्त सुखद अनुभव था। वह एक छोटी-सी जेल थी जिसमें केवल दो बरकें थी। उनमें पजाबके राजनीतिक कदी रखे जाते थे। मुझको वहाँ भी उन कदियोंके साथ रखा गया क्योंकि हमारे प्रान्तके मेरे राजनीतिक कदियोंके लिए केवल यह सबसे निकट

श्रेणी ही थी। जेलका अधीक्षक एक भला मुसलमान था।

'सी' श्रेणीके सब बन्दी हिन्दू अथवा सिख थे और वे सब मेरा आदर किया करते थे। मुझको रस्सी बँटनेका काम दिया गया लेकिन मै उसे कर न सका। मैंने जेलके अधीक्षकसे प्रार्थना की कि वे मुझे अन्य कोई काम दे दे और उन्होंने मुझे सूत कातनेका काम दे दिया। जब विशेष श्रेणीके बन्दियोको मेरे बारेमे ये सब बाते मालूम हुई तब उन्होंने अधीक्षकसे इस बातका आग्रह किया कि वे मेरा तबादला उनकी बैरकमे कर दें। सचमुच यह मेरे ऊपर ईश्वरकी अति कृपा हुई कि मुझको तबादला करके इस जेलमें भेज दिया गया वरना शायद मै जीवित भी न बचता। यहाँ मुझको पंजाबके लोगोके निकट सम्पर्कमे आनेका और एक दूसरे-के विचारो और विश्वासोको जानने-समझनेका अनूठा अवसर मिला।

"डेरा इस्माईल खाँकी जेलके दोषपूर्ण भोजनके कारण मेरे दाँत बुरी तरहसे खराब हो गये थे। मेरा वज़न ५५ पौंड कम हो गया था और मेरी कमरका दर्द बढ गया था। मुझको 'स्कुर्वी' नामक रक्त-रोग भी हो गया था। अधीक्षकने मुझे उपचारके लिए लाहौर भेजा। जेलके कार्यालयमे ही डॉ० प्रेमनाथने मेरे दाँतोका परीक्षण किया। उन्होंने मेरे दो दाँत निकाल दिये और शेषकी सफाई कर दी। उन्होंने मुझको बतलाया कि मै पायोरियाके पुराने स्थायी रोगसे ग्रस्त हूँ। उन्होंने मेरे लिए दवाइयाँ तथा उचित भोजन लिख दिया। मैंने उनसे कहा कि मै एक ऐसा रोगी हूँ जो फीस दे सकता है। आप मुझसे अपनी उचित फीस ले सकते है। उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। जब मैंने अधिक आग्रह किया तब वे मुझसे बोले, 'आपको देश-भक्तिके कारण कारावास-दण्ड मिला है। मै आपके त्यागकी तुलना तो नही करता लेकिन कमसे कम मुझे इतना तो कर लेने दीजिये।' यह कहकर उन्होंने अपना थैला उठा लिया और चले गये।

"इस जेलमे मुझको लाला लाजपतराय और कांग्रेस तथा खिलाफत आन्दोलनके कार्यकर्त्ताओंसे विचार-विनिमयका अवसर मिला। मलिक लाल खाँके साथ मैंने कुरान शरीफका श्रमपूर्वक अध्ययन किया। परन्तु कुछ दिनोके बाद ही उन्होंने यह क्रम भङ्ग कर दिया यानी मूलकी स्वत व्याख्याके लिए मुझे अकेला छोड़ दिया। वे परम्पराके कट्टर अनुयायी थे और स्वतन्त्र व्याख्या अथवा विवेचनके लिए जो ज्ञान अथवा बुद्धि अपेक्षित थी, वह उनमे न थी।

"कुछ दिनोके बाद मुझको लाहौरसे डेरा गाज़ी खाँ जेल वापस भेज दिया गया। मेरी बैरकमे बहुतसे हिन्दू और सिख थे और कुछ मुसलमान भी थे। गुरुदत्तमल हमारे आदरणीय शिक्षक थे। वे अपनी प्रार्थनाके अंतमे 'शान्ति,

नास्ति' कहा करते थे परन्तु वे स्वयं एक नास्तिकवादी न थे। उनको बहुत शीघ्र क्रोध आ जाता था। जब सिख लोग अपनी प्रार्थनाके लिए एकत्र होते थे तब वे सब मिलकर यह नारा लगाते थे 'सर जावे, तन जावे, मेरा सिक्ख धरम न जावे।' उनके इस नारेने मुझको बहुत प्रभावित किया। मैं इस परिणामपर पहुँचा कि सिखोंमें हिन्दुओं और मुसलमानोंकी अपेक्षा धार्मिक चेतना है। इसका कारण यह है कि उनका धर्म-ग्रन्थ जो उनकी मातृभाषामें लिखा गया है उनके हृदयको स्पर्श करता है और उनके धर्म तथा प्रार्थनाके सच्चे अर्थको उनके आगे खोलता है। हिन्दू और मुसलमान अपनी प्रार्थनाओंके मूल अर्थोंको इस प्रकार ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वे संस्कृत और अरबीमें लिखी गयी हैं और आजकी उनकी मातृभाषाएँ नहीं हैं।

'मैंने यहाँ गीताको पहली बार पढ़ा और ग्रन्थ साहब तथा बाइबिलका भी अध्ययन किया। इसके लिए मैं अपने साथियोंका जितना आभार प्रकट कर सकूँ उतना ही कम है। यदि मैंने उनके धर्म-ग्रन्थोंको न पढ़ा होता तो न तो मैं उन लोगोंको ठीक ढंगसे समझ पाता और न उनकी मित्रताका यथार्थ मूल्यांकन ही कर पाता। मुझको यह स्वीकार करना ही होगा कि कुछ भी कहिए भगवद्गीता उन दिनों मेरी पहुँचसे ऊपर थी। मेरे बौद्धिक साधन उसके लिए अक्षम थे अथवा मेरा मन उसको ग्रहण न कर पाता था। वास्तवमें अण्डमानके पण्डित जगतराम-जीने मुझको सन् १९३० में गीता पढ़ायी। उन्होंने मुझे उसकी मूल भावनासे अवगत कराया। उनके मनमें गीताके प्रति एक भावना-जन्य श्रद्धा थी।

'एक बार कारागारोंके महानिरीक्षक हमारी जेलमें आये। राजनीतिक बन्दियोंके प्रति वे अपने मनमें एक विरोध भाव रखते थे। उनका व्यवहार भी कठोर था। जब वे हमारी बैरकमें घुसे और उन्होंने हिन्दुओंके सिरपर चोटी देखी और सिखोंके सिरपर बाल साफ लगे तो उन्होंने जेलरको हिदायत दी कि इनको अपने धर्म पालनकी अनुमति क्यों दे रखी है? तब हमारे अधीक्षक जो एक अंग्रेज था बोले मैं क्या करता? मगर यह जेलरकी नहीं मेरी मर्जी है। इसपर महानिरीक्षक कमरेसे तुरन्त चले गये परन्तु वे यह आदेश देते गये कि इन लोगोंकी चोटियाँ और बाल साफ उतरवा दिये जायें। कारागारके अधीक्षकने इस आदेशको हमको आदेश-पत्र भी पढ़कर सुनाया। हम आन्दोलनकारी गरम मिजाज थे, हमने आपत्ति उठायी कि हम लोग बिना अधिकार बन्दी हैं और नियमोंके अनुसार हमको अपने धर्म पालनकी अनुमति है। इसपर अधीक्षकने कहा मैं महानिरीक्षकके आदेशका पालन करूँगा।

जब वह हम लोगोके पाससे चला गया तब हमने मिलकर यह सलाह की कि हम उसके आदेशको नही मानेगे। दूसरे दिन बन्दियोको एक-एक करके जेलके कार्यालय मे ले जाया गया और बलपूर्वक उनकी गाधी टोपियो और काले साफोको उतारा गया। इसपर हम लोगोने निश्चय किया कि हम केवल लुगी ही पहनेगे। मुझको उन लोगोने वही कपडे पहननेकी छूट दे दी जो कि साधारण रूपसे मे पहना करता था। इस झगडेसे केवल पजाबियोका ही सम्बन्ध था। सीमाप्रान्तके निवासीके लिए भावनात्मक दृष्टिसे टोपी अथवा साफेका इतना महत्त्व न था।

"कुछ दिनोके बाद उपायुक्त डेरा गाजी ख़ाँकी जेलमे आये। सरदार खड्ग सिहने अपना तर्क उनके सामने रखा। उनकी बात सुनकर उपायुक्तने कहा कि यह नियम टोपियो और साफोपर लागू नही होता। सरदार साहबका आग्रह था कि सिरको ढँकनेवाला वस्त्र वेशभूषाका ही एक भाग है। इसके बाद नारे लगाये गये। उपायुक्त घबरा गया और भागकर जेलके कार्यालयमे चला गया। उसने यह आदेश दिया कि नारे लगानेवाले कैदियोको सजा दी जाय। दूसरे दिन जेलके अधीक्षकने यह आज्ञा दी कि बन्दी अपनी पोशाक ठीकसे पहनें अन्यथा उनको दड दिया जायगा। मुसलमान कैदियोने इसे स्वीकार कर लिया परन्तु हिन्दुओ और सिखोने इस आदेशको माननेसे इनकार कर दिया। इसके बाद दण्डाधिकारीने जेलमे आकर, सबको अलग-अलग बुलाकर तीन-तीन मासका अतिरिक्त कारावास-दण्ड सुना दिया।

"डेरा गाजी खाँके बन्दियोमे मेरी सजा सबसे लम्बी थी। अधिकाश कैदी ऐसे थे जो जेलमे छ. महीने रहनेके बाद मुक्त कर दिये जानेवाले थे और यदि कपडोकी यह घटना न हुई होती तो औरोको इसके थोडे दिन बाद ही रिहा कर दिया जाता। नौ महीनेकी अवधि बीत जानेके पश्चात् अधीक्षकने उनको फिर चेतावनी दी। 'आप लोग कपडे पहन लीजिए वरना आपकी सजा और बढ जायगी।' हिन्दू और मुसलमानोने इस आदेशको मान लिया परन्तु सिख अपने निश्चयपर अडिग रहे। फलत उनकी सजा नौ मास और बढा दी गयी। उन लोगोने, जो अपनी पोशाक पहननेको तैयार हो गये थे, जेलके अधीक्षकसे प्रार्थना की कि उनका तबादला किसी अन्य कारागारमे कर दिया जाय। उनकी यह प्रार्थना तुरन्त ही स्वीकार कर ली गयी। नौ महीनेकी इस अतिरिक्त अवधिके पूर्ण हो जानेके बाद सिखोने यह अनुभव किया कि उनका कारावास-दण्ड और बढा दिया जायगा। उनका मनोबल क्षीण हो चुका था। उन्होने भी अपना तबादला दूसरे कारागारमे कर देनेकी प्रार्थना की, जो कि तत्काल स्वीकार कर ली

गयी। केवल मैं और सरदार खड्ग सिंह वहाँ रह गये। कारागारोंका महानिरीक्षक फिर हमारी बैरकमें आया। कैदियोंके मनोबलके गिर जाने और दूसरी जेलोंमें चले जानेके कारण उसके गर्वका पार न था। आते ही उसने सरदारजीसे कहा 'वेल, खड्ग सिंह!' सरदार खड्ग सिंहने भी उसी ढंगसे उत्तर दिया, 'एस, ह्वाट' (हाँ कहिए)। महानिरीक्षक यह अपेक्षा न करता था। वह क्रोधित हो गया और उसने आज्ञा दी कि सरदार खड्ग सिंहको अकेली कोठरीमें भेज दिया जाय। उनको अबतक दूध दिया जाता था, वह बन्द कर दिया गया। वे मुझसे अलग कर दिये गये और जेलके अस्पतालकी एक एकान्त कोठरीमें रख दिये गये। मैं बैरकमें अकेला छूट गया। मेरी बैरक अस्पतालके निकट पड़ती थी। अस्पतालमें दरवाजेके एक छेदमेंसे हम लोग एक दूसरेकी झलक देख लिया करते थे। खड्ग सिंह बहुत दुबले हो गये थे। मैं बहुधा उस छेदमेंसे उनको खानेकी चीजें भी पहुँचा दिया करता था। वे एक बहादुर आदमी थे। वे इतने कष्टों और यातनाओंके बाद भी प्रसन्न चित्त रहते थे।

"कुछ दिनोंके बाद मेरा स्थानान्तर मियाँवालीकी जेलमें कर दिया गया जिसमें केवल छोटी छोटी कोठरियाँ थीं बैरकें नहीं। कांग्रेस खिलाफत आन्दोलन और गुरुके बाग-आन्दोलनके बहुतसे कैदी बदलकर डेरा गाजी खाँकी जेलसे यहाँ आ गये थे। उन्होंने जेलके अधिकारियोंसे अच्छे सम्बन्ध बना लिये थे। मियाँवालीमें बेहद गर्मी पड़ रही थी। वहाँ आँधियाँ भी बहुत आती थीं। जेलके कुएँका जल काफी शीतल था। हमारे जेलरका स्वभाव बहुत विचित्र था। वह कैदियोंको नहानेके लिए कुएँपर ले जाता था। शामके समय कैदियोंकी गिनती कर चुकनेके बाद वह बहुधा घटाघरके नीचेके चबूतरेपर विश्राम करनेके लिए बैठ जाता था और राजनीतिक कैदी भी उसके साथ पाल्थी मारकर बैठ जाते थे। मैं उन लोगोंके साथ नहीं जाता था। जीवनभर बन्दियोंके साथ रहनेसे जेलके अधिकारियोंमें एक विचित्र मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। वे समझने लगते हैं कि कुछ भी हो, है तो एक कैदी, कैदी ही। एक दिन जब कि जेलर और राजनीतिक कैदी बैठे हुए थे तभी जेलका डाक्टर वहाँ आ गया। वहाँ कोई कुर्सी खाली न थी। यह देखकर जेलरने कैदियोंसे कहा कि वे कुर्सियाँ खाली कर दें और चले जायें। उनके इस अपमानसे मेरे मनपर एक गहरा धक्का लगा परन्तु उन लोगोंने इसकी कोई परवाह नहीं की। दूसरे दिन मैंने उनको जेलके कार्यालयके पास प्रतीक्षा करता हुआ पाया। वे [illegible] यह कह रहे थे कि वह जेलरसे [illegible] डाक्टरके आगे बैठनेकी सिफारिश कर दे। जब आप एक सिद्धान्त

साथ समझौता करते है तब आप सत्यसे ही समझौता नही करते वल्कि अपने आत्म-सम्मानसे भी समझौता करते है ।

"जब मेरी रिहाईके थोडे दिन शेप रह गये तब मुझको पेशावर जेलमे भेज दिया गया। वहाँ मुझको उपायुक्तके आगे उपस्थित किया गया। उसने पुलिसको यह आदेश दिया कि मुझको गाँव ले जाय और वहाँ जाकर रिहा कर दे। उन लोगोने मुझको आजाद स्कूलके निकट छोड दिया। स्कूल वन्द होनेका समय था। वालकोने जब मुझे आता हुआ देखा तव वे मेरी ओर दौडे। गाँवोके लोग यह योजना वना रहे थे कि मेरी रिहाईपर वे सव मुझको लेनेके लिए अटक के पुलतक जायँगे और एक विराट् जुलूसके साथ मुझे घोडेपर विठाकर लायेंगे। यह उत्साहपूर्ण प्रदर्शन न हो इसलिए सरकारने मुझको रिहाईकी अवधिसे पहले छोड दिया।"

खान अव्दुल गफ्फार खाँने नजरवन्दीके कष्टोको सहन किया। उनके हाथो और पाँवोमे हथकडियाँ-वेडियाँ डाली गयी। उनको अशुचिता और मलिनताके वातावरणमे रहना पडा। उनको जूँओसे तकलीफ उठानी पडी और भूखा रहने-का कष्ट भी झेलना पडा। इन सवसे वढकर यह कि उनको निचले स्तरकी घृणित मनोवृत्तिकी अंग्रेज नौकरशाहीके अपमान झेलने पडे, ठोकरे खानी पडी। फिर भी वे सदैव एक आदर्श वन्दी वने रहे। शक्तिवान् होते हुए भी वे कृपालु रहे और उन्होने शत्रुओसे भी सदैव सज्जनताका व्यवहार किया। उन्होने हर एक को, हर एक वातके लिए क्षमा किया। असीम धैर्य उनका चिरसहचर रहा। जिन लोगोने उनको जेलमे डाला, उनके प्रति यदि कभी उनके मनमे तिरस्कार की भावना भी आयी तो उसमे एक उन्नत शालीनता रही।

हजपर

१९२४-२८

सन १९२४ म जब खान अब्दुल गफ्फार खाँ जेलसे छूटे तब उनका शरीर टूट चुका था और वे बहुत दुबले हो चुके थे। परन्तु उनकी आत्मा अपराजित थी। उनकी आँखोंमें उन सतत यातनाओंके लिए गर्व झलकता था जो कि उन्होंने दृढ़ निश्चय और उदासीन वृत्तिके साथ झेली थी। उनके वृद्ध पिता बहराम खाँके उत्साहका पारावार न था। उन्होंने मिलनेके लिए आनेवाले सैकड़ों लोगोंको अपने हाथसे चाय पिलायी और अंग्रेजोंके सम्बन्धमें कई प्रशंसात्मक बातें कहीं। पठानोंने अब्दुल गफ्फार खाँको और अतिशय श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा। उन्हें उनका नेता मिल गया अंग्रेजोंका इसके लिए धन्यवाद!

तीन सालतक वे इस प्रकार नजरबन्द रहे जैसे कि किसी मकबरेमें बन्द रहे हों। तीन महीनेमें केवल एक बार वे अपने सम्बन्धियोंको पत्र भेज सकते थे और एक बार ही उनका पत्र प्राप्त कर सकते थे। वे अपने सम्बन्धियोंसे इस अवधिमें केवल एक बार मिल सकते थे। इन भेंटोंके द्वारा ही उनको बाहरी संसारकी कुछ झलकियाँ मिल पाती थीं। उन्होंने सुना कि समूचे भारतमें आन्दोलनकी चिनगारियाँ तेज होती जा रही हैं। सीमान्त प्रदेशमें सरकारने सार्वजनिक सभाओंपर रोक लगा दी थी और लोगोंको ऐसे आयोजनोंसे डर लगने लगा था। परन्तु आजाद स्कूल प्रगति कर रहा था और उनकी संस्था सक्रिय थी। उनके विद्यालयके अध्यापक और छात्र प्रत्येक पर्व और त्योहार जैसे कि मस्जिदोंमें मौलूद शरीफ आदिको बड़े उत्साहसे मनाते थे और उनमें भाषण किया करते थे। अन्य विद्यार्थियोंके साथ गनी भी जिसकी वय ९ वर्षकी थी भाषण किया करता था। वह उपस्थित जनतासे कहता सरकारसे पूछिये कि मेरे पिताको किसलिए जेलमें डाला गया? उन्होंने क्या अपराध किया था? उसका छोटा भाई वली इस प्रकारके समारोहोंमें बड़े प्रभावोत्पादक ढंगसे कुरानका पाठ किया करता था। ऐसे कार्यक्रमोंका लोगोंके हृदयोंपर प्रभाव पड़ता था और उनमें एक नवीन चेतना आती जा रही थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँका विचार है मेरी जेल-यात्रा वस्तुतः मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई। उनका इस आजाद स्कूलके प्रति अधिक सहानुभूतिपूर्ण हो गया और वे उस आन्दोलनको अधिक आर्थिक सहयोग देने लगे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी माताकी मृत्युके समाचारको उनसे एक वर्पसे भी अधिक समयतक छिपाया गया। "मेरी गिरफ्तारीसे मेरी माता वहुत अधिक उद्विग्न हो गयी। तीन मासमे जब कभी भी मुझको एक पत्र लिखनेकी अनुमति मिलती थी तब मै उसमे अपनी माताके लिए कुछ-न-कुछ अवश्य लिखा करता था। उनकी यह वडी इच्छा थी कि वे मुझसे मिलनेके लिए जेलमे आयें परन्तु वे वहुत वृद्ध थी, हमारे घरसे डेरा गाजी खाँ काफी दूर था और वीचमे सिन्धु नदा पडता था। उनको कष्ट और परेशानीसे वचानेके लिए मैंने उनसे सदैव प्रार्थना की कि वे मुझसे मुलाकात करनेके लिए न आयें। परन्तु शोक है, मैं यह नही जानता था कि सर्वशक्तिमान् ईश्वर उनको मुझसे शीघ्र ही छीन लेगा। सन् १९२३ मे वे वीमार पडी और कुछ दिनो वाद ही उनकी मृत्यु हो गयी। उनकी बीमारी ओर मृत्युकी मुझे कोई सूचना नही दी गयी। वह मुझसे छिपायी गयी। मैंने उनके विपयमे समाचारपत्रोमे पढा और मेरा मन अत्यत दु खी हो गया। अपनी रिहाईके वाद जब मै अपने गाँवमे पहुँचा तव मेरी वहिनने मुझसे कहा कि अतिम घडियोमे उनकी जिह्वापर मेरा ही नाम था। उनके आखिरी शब्द थे, "गफ्फार कहाँ है ?"

खान अब्दुल गफ्फार खाँके वडे भाई डॉ० खान साहव अपने परिवारके लोगोसे तेरह वर्पसे अलग थे। लन्दनके सेन्ट थॉमस अस्पतालसे एम० आर० सी० एस० की उपाधि प्राप्त कर चुकनेके पश्चात् उनको फ्रासके युद्ध-स्थलमे चला जाना पडा। अपने छोटे भाई और वृद्ध पिताके सम्वन्धमे वे नितान्त अनभिज्ञ थे। भारतसे भेजे जानेवाले पत्रोमेसे उन्हे एक भी नही मिला। जिस समय वे इंगलैण्डमे थे, उन्होने एक अग्रेज महिलाके साथ अपना दूसरा विवाह कर लिया जिससे कि उनके एक पुत्र जेन उत्पन्न हुआ। जेन खाँकी शिक्षा पहले वहाँके पब्लिक स्कूलमे हुई और फिर आक्सफोर्डमे। लन्दनके अपने दीर्घ प्रवासमे डॉ० खान साहव जवाहरलाल नेहरूसे मिले और फिर वे दोनो एक दूसरेके निकटतम मित्र वन गये। डॉ० खान साहवने स्वदेश लौटनेका प्रयत्न किया परन्तु उनको लन्दनमे तवतक छः मास प्रतीक्षा करनी पडी, जवतक कि उनको सन् १९२० मे जहाजपर सवार होनेका आदेश नही मिल गया। इस प्रकार जब उनके पिता, भाई और अन्य सम्वन्धी जेलमे थे तब वे फ्रासमे अंग्रेजोकी सेवा कर रहे थे और अधिकारियो द्वारा अपने घरकी घटनाओके सम्वन्धमे जान-बूझकर अनभिज्ञ रखे जा रहे थे। मार्च सन् १९२० मे भारत लौटनेपर उनकी नियुक्ति मरदानकी गाइड्स रेजीमेन्टमे की गयी। अवतक जिन तथ्योको छिपाया गया था, वे प्रकाशमे आ गये

और उनके उनका चित्त अत्यन्त खिन्न हो गया। सन् १९२१ में उन्हें यूनियनिस्ट वजारी लगाने के लिए कायदआजम के साथ आग्रह किया गया। डॉ० खान साहब वहाँ जाकर अपने स्वजातीय बन्धुओं के विलाफ काम करना अस्वीकार कर दिया। उन दिनों वे इंडियन मेडिकल सर्विस में कप्तान के पद पर काम कर रहे थे। बहुत अधिक कठिनाई के बाद उनको अपने आयोग (कमीशन) से त्यागपत्र देने की अनुमति मिली। तुरन्त ही उन्होंने पेशावरमें अपना चिकित्सालय जमा लिया और उनकी गणना वहाँके नामी डाक्टरोंमें होने लगी। जिस समय बड़े भाई पेशावरमें अपनी डॉक्टरी जमा रहे थे, उस समय छोटे भाई राजनीति और रचनात्मक कार्यक्रममें अपने-आपको अधिकाधिक निमग्न करते जा रहे थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी रिहाईकी खुशीमें आजाद स्कूलका वार्षिक अधिवेशन स्थगित कर दिया गया था। जिस समय यह समारोह मनाया गया, उस समय इलाकेके हजारों लोग वहाँ उपस्थित थे। उनमें अपने तरुण नेताके प्रति उत्साह, प्रेम और श्रद्धाकी उमंगें हिलोरें ले रही थीं। जन-समुदायकी ओरसे उनकी विशिष्ट सेवाओंके लिए उन्हें एक पदक प्रदान किया गया और उसके साथ ही उनको 'फख्रे-अफगान' (पठानोंके गर्व) की उपाधि भी दी गयी। इस सभामें उन्होंने एक छोटा-सा व्याख्यान दिया

एक बार एक गर्भिणी बाघिनने भेड़ोंके एक झुण्डपर आक्रमण किया। उसने वहीं एक बच्चेको जन्म दिया और मर गयी। वह व्याघ्र शिशु भेड़ोंके बीचमें बड़ा हुआ और उसने उन्हींकी आदतों और ढंगोंको अपना लिया। एक बार एक व्याघ्रने भेड़ोंके उस झुण्डपर हमला किया। तब उसने देखा कि भेड़ोंके दलके साथ एक व्याघ्र शिशु भी मिमियाता हुआ दौड़ता जा रहा है। व्याघ्रको उसे मिमियाते हुए देखकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ। व्याघ्रने उस बच्चेको भेड़ोंके झुण्डसे अलग कर लिया और वह उसको एक तालाबके निकट ले गया जहाँ कि वह जलमें अपनी छाया देख सके और यह समझ सके कि वह भेड़ नहीं, बल्कि एक व्याघ्र है। व्याघ्रने उस शावकसे कहा, तुम एक व्याघ्र हो, भेड़ नहीं। मिमियाओ मत, बल्कि एक बाघकी भाँति गर्जना करो।

'पख्तून बन्धुओ तुम भेड़ नहीं, बाघ हो। तुम्हारा गुलामीमें पालन-पोषण हुआ है मिमियाओ मत बाघकी भाँति गरजो।'

जनताने उनके भाषणके लिए जो उत्साह प्रदर्शित किया उससे अधिकारी लोग चिढ़ गये। प्रदेशका वातावरण उत्साहसे परिपूर्ण होता जा रहा था और खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने विस्तृत दौरेके कार्यक्रममें लग रहे थे।

वहराम खॉ, जो लगभग शतायु हो गये थे, सन् १९२६ ई० मे वीमार पडे और उनकी मृत्यु हो गयी। अपने अंतिम समयतक वे सक्रिय रहे और टहलना और घुडसवारी उनको प्रिय रही। उनके दोनो पुत्रोंने उनकी असीम उदारताके लिए उन्हे सदैव स्मरण किया।

वहराम खॉके अन्तिम संस्कारमे पर्याप्त दानकी आशासे वहुतसे मुल्ला आ जुडे। परन्तु जव उनको दान नही मिला तो वे क्रोधित हो गये। अतिम सस्कार, मृत देहको समाधिमे रखते समय उन्होने खान अव्दुल गफ्फार खॉकी निन्दा की। उन्होंने कहा कि दिवगत व्यक्तिके प्रति उनका व्यवहार अनुचित है और वह उसकी प्रतिष्ठाको हानि पहुँचानेवाला है। उनको भय हुआ कि अन्य लोग भी इसी आदर्शका पालन करने लगेगे और इससे उनकी आय शीघ्र ही कम हो जायगी। खान अव्दुल गफ्फार खॉने इस अवसरपर एकत्रित लोगोको सम्वोधित करते हुए कहा

"समय वदल चुका है और निश्चय ही हमको भी वदलना चाहिए। पहले समयमे मुल्ला लोग केवल परोपकारके लिए धार्मिक उपदेश दिया करते थे परन्तु अव वे उनके लिए पारिश्रमिक लेते है। दान देनेकी पुरानी रूढियोको भी अव परिर्वतित होना चाहिए। मै दान देनेका विरोधी नही हूँ। मै अपने दिवगत पिता-की पुण्य-स्मृतिमे २००० रुपये देना चाहता हूँ। क्या मै आप लोगोमे वॉटनेके लिए इस निधिका गुड या सावुन मॅगवा लूँ या मै पख्तून वालकोकी शिक्षाके लिए यह धन गॉवके विद्यालयको दान कर दूँ?"

उपस्थित जन-समुदाय जोरसे चिल्ला उठा, "निश्चित ही आप इसे स्कूलको दान कर दीजिए।" इससे मुल्ला लोग अत्यन्त निराश हो गये। वे लोग सदासे खान अव्दुल गफ्फार खॉंको पसन्द नही करते थे। अव उनका विरोध और भी वढ गया।

वडी वहिनने हजके लिए जाना निश्चय किया था और उनके अनुरोधपर खान अव्दुल गफ्फार खॉंने भी उनके साथ सपत्नीक चलना स्वीकार कर लिया। यात्रियोका यह दल कराचीसे जहाजपर सवार हुआ। इन लोगोको जहाजके ऊपर-के डेकका यात्री वनना पडा क्योंकि उनको भीतर जहाजमे स्थान नही मिल सका। सागर-यात्राके अधिकाश समयमे ये लोग समुद्रकी वीमारीसे ग्रस्त रहे। खान अव्दुल गफ्फार खॉंको इन्फ्लुएन्जा हो गया। एक अरव यात्रीकी इनपर कृपा हो गयी और उसने इन्हे अपनी कोठरी (केविन) मे ठहरा लिया। सचमुच उसीने इनकी जीवन-रक्षा की। जिद्दामे ये लोग जहाजसे उतर गये और फिर एक मार्गदर्शक

और एक पुत्र छोड़ गयी। खान अब्दुल गफ्फार खाँने उस दुःखको बहुत गहराईसे अनुभव किया। उन्होने फिर विवाह नही किया यद्यपि वे अभी युवा थे।

उन्होने कुछ दिन, फिलस्तीन, लेबनान, सीरिया और इराकमे व्यतीत किये और वहाँकी स्थितियोका अध्ययन किया। बगदादमे थोड़े दिन ठहरनेके बाद वे बसरा चले गये और वहाँसे एक स्टीमर द्वारा कराची वापस आ गये। कराचीसे वे अपने गाँव आये। उनके मनमे अपने देश और उसके निवासियोकी सेवा करनेकी भावना भरी थी।

देशसे बाहर जो कुछ महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हो रही थी, उन्हे अपने मुस्लिम देशोके दौरेमे उन्होने देखा। इन घटनाओने उनकी आँखें खोल दी। इस बातको उन्होने ध्यानमे देखा कि किस प्रकार 'केवल मुसलमान' का विचार दृढ राष्ट्रीयताके रूपमे परिवर्तित हो जा रहा है। उन्होने यह भी देखा कि तुर्कीमे खलीफा का शासन कैसे हट गया और उसके स्थानपर कमाल अतातुर्कके प्रगतिशील नेतृत्वमे एक शक्तिशाली गणराज्यका कैसे उदय हुआ? मिस्र, ईरान और अरबका जगलुल पाशा, रजा शाह और इब्न सऊद जैसे राष्ट्रवादी नेताओ द्वारा कैसे कायापलट हो गया? वहाँ यह अत्यन्त व्यापक रूपसे अनुभव किया जा रहा था कि भारतकी मुक्ति मध्य-पूर्व और अन्य स्थानोके निवासियोको भी ब्रिटिश आधिपत्यसे मुक्ति पानेके लिए प्रेरणा और नेतृत्व देगी।

सन् १९२४ ई० और १९२९ ई० के बीचकी अवधि स्वाधीनताके संघर्षके लिए कठिन परीक्षाकी घडी थी। साम्प्रदायिक भावना ऊपर उठती जा रही थी। अनेक लोगोने अपना संतुलन खो दिया तथा वे किंकर्त्तव्य विमूढ हो गये। खॉन अब्दुल गफ्फार खाँने संकीर्ण साम्प्रदायिक भावनाकी सभी प्रवृत्तियोकी ओर से अपने आपको बडे कठोरतापूर्वक बचाये रखा। 'मै किसी धर्मकी शक्तिको उसके अनुयायियोके सिरोकी गणना करके नही मापता।' उन्होने कहा, 'वह विश्वास क्या है जो लोगोके जीवनसे व्यक्त न हो? यह मेरी आन्तरिक धारणा है कि इस्लाम 'अमल, यकीन ओर मुहब्बत, सदाचार, विश्वास और प्रेम' है और बिना इनके अपनेको मुसलमान कहना वैसा ही निरर्थक है, जैसी कि पीतल की आवाज या झाँझकी झनकार। पवित्र कुरानमे यह स्पष्ट रूपमे लिख दिया गया है कि एक ही ईश्वरमे एकनिष्ठ विश्वास और भले कार्य किसी व्यक्तिको मुक्ति दिलानेके लिए यथेष्ट है।'

सारे देशमे साम्प्रदायिक दगोकी एक लहर दौड गयी थी। सितम्बर सन् १९२४ मे पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशके कोहाट नगरमे भयानक साम्प्रदायिक झगडे

हुए। कोहाटके सारे हिंदू उसे छोड़कर चले गये। इन दंगोंका तात्कालिक कारण पैगम्बर (मुहम्मद साहब) के जीवनके सम्बन्धमें एक आपत्तिजनक अश्लील पुस्तक 'रङ्गीला रसूल' का प्रकाशन था। उसके हिंदू लेखककी तुरन्त ही हत्या कर डाली गयी। गांधीजीने दिल्लीमें मुहम्मद अलीके निवासस्थानपर इक्कीस दिनका अनशन रखा। कोहाटके दंगे और अन्य समस्याओंपर गांधीजी और अली-बन्धुओंके बीच मूलभूत मतभेद हो गया और वे लोग एक दूसरेसे दूर हट गये। सन् १९२६ में सामान्य चुनावके अभियानके समय साम्प्रदायिक भावनाओंकी एक अपील अपने पीछे कटु स्मृतियोंके पद चिह्न छोड़ गयी। हिन्दू शुद्धि और संगठनपर बल देने लगे और मुसलमान उनसे स्पर्द्धा करने लगे। दिसम्बर सन् १९२६ में स्वामी श्रद्धानन्दजीकी, जो कि असहयोगके दिनोंमें जन-नायक समझे जाते थे, एक मुसलमानने हत्या कर डाली। मुसलमानोंमें तलवारका प्रयोग अधिक होने लगा है। गांधीजीने कहा, 'यदि इस्लामके मूल उद्देश्य—शान्तिकी रक्षा करनी है तो उनको तलवारको म्यानमें ही रखना चाहिए।' सन् १९२७ में महात्मा गांधीने कहा, 'मैं हिन्दू-मुस्लिम समस्याको छूनेका साहस नहीं कर सकता। वह मनुष्यके हाथोंसे निकल गयी है और ईश्वरके हाथोंमें पहुँच गयी है। हम आपसमें घृणा करते हैं, परस्पर अविश्वास करते हैं, एक दूसरेका जवान काटने दौड़ते हैं और यहाँतक कि हत्यारे बन जाते हैं। हम परम प्रभुसे प्रार्थना करें कि वे हमें विचार शक्ति और बुद्धि प्रदान करें।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ हिन्दू-मुस्लिम एकतापर उपदेश दे रहे थे तभी एक मुसलमान धर्मोपदेशक बोला, 'अरे यह कैसा व्यर्थका प्रयास है? हिन्दू मूर्तिपूजक हैं। भला हम उनसे कोई व्यवहार कैसे रख सकते हैं?' खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनका प्रतिवाद करते हुए कहा, 'यदि वे मूर्तिपूजक हैं तो हम क्या हैं? मक्काकी संग पत्थर क्या है? भला कोई यह कैसे कह सकता है कि वे ईश्वरके प्रति आस्थावान नहीं, जब कि मैं जानता हूँ कि वे एक ही ईश्वरपर विश्वास करते हैं? आप हिन्दू-मुस्लिम एकतासे इतने निराश क्यों हैं? कोई सच्चा प्रयत्न व्यर्थ नहीं जाता। इस खेतीपर दृष्टि डालिए। इसमें जो अनाज बोया गया है उसे कुछ समयतक धरतीमें पड़ा रहना होगा। फिर उसमेंसे अंकुर फूटेगा और अपने उचित समयमें वह अपने आप असंख्य दाने प्रदान करेगा।' एक सत् उद्देश्यके लिए किया जानेवाला प्रत्येक प्रयास ऐसा ही है।

पख्तून

१९२८

हजसे वापस आनेके तत्काल वाद पख्तूनोतक समाज-सुधार और राजनीतिक जाग्रतिका सन्देश पहुँचानेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँने लम्बे और कष्ट-साध्य पैदल दौरे शुरू कर दिये। ९८ प्रतिशत पठान पढे-लिखे न थे और उनके लिए लिखा हुआ पर्चा कोई अर्थ न रखता था। अत वे एक गाँवसे दूसरे गाँव, लोगोमे चर्चा करते हुए वढते जाते थे।

पख्तूनोमे जन-जाग्रतिके लिए वे पख्तू-भाषियोका सहयोग चाहते थे। पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश, जन-जातियोके क्षेत्र तथा अफगानिस्तानमे कुल मिलाकर एक करोडसे अधिक पख्तून निवास करते है। पठान ससारके अनेक नगरोमे फैले हुए है। वे हिन्द महासागरके अस्पष्ट, अप्रसिद्ध वन्दरगाहोमे किनारेके जहाजोमे सामान लादते है। वहुतसे पख्तून पूर्वी पाकिस्तानमे पुलिस विभागमे अधिकारी है। अनेक कलकत्ता, वम्वई, कराची और लन्दनके वन्दरगाहोमे जहाजोपर माल चढाने और उतारनेका काम करते है। वडे नगरोमे वे घरो और दूकानोमे सुरक्षाका कार्य, जमादारी करते है। अनेक पठान भारतके गाँवोमे व्याजपर रुपया वाँटनेका काम करते है। पठान लोग सारे दक्षिण-पूर्वी एशियामे विखरे हुए है। आस्ट्रेलियामे पठानोकी एक अलग वस्ती है। कैलीफोर्नियाके सवसे समृद्ध कृषकोमे पख्तून लोग भी है। समस्त ससारमे विखरे हुए पठान-समाजतक, विशेष रूपमे पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशके शिक्षितोतक अपनी आवाज पहुँचानेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँने पख्तू भाषामें एक पत्र प्रकाशित करनेका निश्चय किया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा है, "तवतक पख्तूनोमे अपनी भाषाके लिए प्रेम जाग्रत नही हुआ था। उनमे यह चेतनातक न आयी थी कि पख्तू उनकी अपनी मातृभाषा है। वे जहाँ कही भी पहुँचे, उन्होने वहीकी स्थानीय भाषाको अपना लिया और अपनी वोलीको भूल गये। उन्होने अन्य लोगोको अपनी भाषा नही सिखलायी और न स्वय पख्तूमे लिखने और पढनेपर ध्यान दिया। अनपढो-को तो छोड दीजिए, जव मैने सुशिक्षित पख्तूनोमे, पख्तूनोके लिए विशेष रूपमे निकाले गये पत्रके ग्राहक वनने और उसे पढनेका आग्रह किया तव उन्होने टीका करते हुए कहा, "पख्तूमे पढने और जाननेके योग्य है ही क्या ?" मैने अपनी

गनीकी निम्नांकित मर्मस्पर्शी पंक्तियाँ छपी रहती थी—

"यदि मैं एक दास होऊँ, जो एक चमकदार समाधि-स्थलमें एक कब्र-के नीचे लेटा है, तो मेरा सम्मान न करना और उस समाधिपर थूक देना। यदि मैं मरूँ और मेरा शरीर शहादतके रक्तसे सना हुआ न पड़ा हो, तो मेरे लिए ईश्वरसे प्रार्थनाएँ करके, अपनी जिह्वाको मलिन न करना। हे माता, तू मेरे लिए कौनसा मुँह लेकर विलाप करेगी, यदि मेरा शरीर अंग्रेजोंकी बन्दूकोंसे चिथड़े-चिथड़े न हो गया हो? या तो मैं अपनी दुरवस्था-में पड़े देशको देवलोकके उद्यानमें बदल दूँगा, या फिर पख्तूनोंके घर और गलियोंके चिह्नतक मिटा डालूँगा।"

'पख्तून पत्रका संरक्षण और उसकी सफलता पख्तूनोंके लिए प्रतिष्ठाका एक कारण बने।' एक लिघु टिप्पणीमें कहा गया था, 'इस पत्रको पख्तूनोंके लिए निकाला गया है, इसलिए हमने निश्चय किया है कि इसके प्रकाशनसे जो भी लाभ होगा, उसका उपयोग राष्ट्रीय प्रवृत्तियोंमें किया जायगा। जितनी अधिक बिक्री होगी, लाभका अंश उतना ही अधिक रहेगा। हम पख्तूनोंसे यह अपील करते हैं कि वे इस प्रकाशनको सफल बनायें।'

'पख्तून' के प्रवेशांकमें पचीससे भी अधिक रचनाएँ थी, जिनमें लेख और कविताओं आदिका समावेश था। आरम्भकी एक टिप्पणीमें कहा गया था, "यह एक मिथ्या धारणा बन गयी है कि पख्तू भाषामें किसी भी विचारकी यथावत् अभिव्यक्ति कठिन है। यहाँ दो पद्यमय उक्तियाँ प्रस्तुत हैं। इनको पढ़नेके पश्चात् पाठक स्वयं यह अनुभव करेंगे कि कोई व्यक्ति अपने विचारको प्रभावपूर्ण ढंगसे कैसे व्यक्त कर सकता है।"

सम्पादकीय लेखमें कहा गया था, 'अधिकांश पख्तू-भाषी क्षेत्रोंमें 'पख्तून' के प्रकाशनका समाचार पहुँच चुका है। पख्तून जनताकी ओरसे जिस उत्साहके साथ उसका स्वागत किया गया है, उसकी साक्षी उन लेखोंकी संख्या है, जो हमें अब-तक प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि जनता पख्तू भाषामें ऐसे प्रकाशन-के लिए बड़ी उत्सुकतासे प्रतीक्षा कर रही थी। हमको यह विश्वास हो गया है कि 'पख्तून' अति शीघ्रताके साथ प्रगति करेगा। जनताने उदारतापूर्वक हमें जो उत्तर दिया है, वह उसकी भावनाके पुनर्जीवनका एक स्पष्ट प्रमाण है। यह उसका अपना पत्र है और इसकी प्रगति और प्रतिष्ठाके प्रति उसका उत्तरदायित्व है। पत्रके अनुरूप हम प्रत्येक रचनाका स्वागत करेंगे, चाहे वह किसीकी भी हो। उसकी भाषा सरल होनी चाहिए। पत्रकी प्रतिष्ठा उसकी सामग्रीपर निर्भर होती

है। हमारे पत्रका यह प्रथम कर्तव्य होगा कि वह पख्तूनोंकी आकांक्षाओंको निर्भीक रूपमें वाणी दे और उस खतरेके प्रति, जो उनके मस्तिष्क है उनको सावधान करे। यह गूँगे बनकर बैठनेका समय नहीं है। जीवन गतिशीलताके द्वारा ही व्यक्त होता है और प्रकृति भी कर्मपर बल देती है, ... नहीं। हम मनोयोगपूर्वक कार्य करें और अपनेको व्यर्थ बचावाम न लगायें। ऐसे लेखो और भाषणोंके दिन बीत चुके हैं जिनके पीछे कोई सिद्धान्त न हो। सफलताको प्राप्त करनेके लिए हमको कठोर श्रम करना होगा।

"पख्तून अफगानिस्तानमें रहनेवाले पख्तूनोंको भी सम्मिलित करके अपने आपमें एक राष्ट्र है। यह दुर्भाग्यकी बात है कि अफगानिस्तानमें पश्तू में जो सारे पठानोंकी भाषा है कोई पत्र प्रकाशित नहीं हो रहा है। पख्तून जनताके कल्याणके लिए पख्तून का प्रकाशन किया जा रहा है। यह किसीके लिए भी सम्भव नहीं है कि वह एक एक व्यक्तिसे मिले और उसको अपनी स्थिति अवगत करे। परन्तु एक पत्रिकाके माध्यमसे हम हजारों लोगोंतक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। पत्रोंका श्रेष्ठ स्तर एक रातमें नहीं बनता। कुछ प्रख्यात पत्र तो कई शताब्दी पुराने हैं। लन्दनके टाइम्स का प्रथम प्रकाशन सन १७८५ ई० में हुआ था। पख्तूनके उत्तरदायित्वका यह भार हम सब मिलकर धैर्य और साहससे वहन करें। हमें यह लिखते हुए खेद है कि इस दिशामें हमको अपने अफगान बन्धुओंसे निराशा मिली है। भाषा परम्परा और आचारकी दृष्टिसे अफगानिस्तान एक पख्तून राष्ट्र है परन्तु उसकी भाषा 'फारसी' है। हमारा उससे यह आग्रह सर्वथा उचित है और हम चाहते हैं कि वह इसपर गम्भीरतापूर्वक विचार करें। आइए हम पख्तून जनता और उसके एक मात्र पत्र पख्तून की प्रगतिके लिए प्रभुसे प्रार्थना करें।

पख्तून में राजनीति विषयक अच्छे लेख प्रकाशित हुआ करते थे जैसे कि कबीली इलाकोंका धर्मकी सायमन कमीशनका बहिष्कार शाह अमानुल्लाका यूरोप तथा सोवियत संघकी यात्राओंका महत्त्व आदि। उसमें स्वास्थ्यरक्षा, पौधोंके रोग और उनके निदानपर भी टिप्पणियाँ प्रकाशित होती थीं। चारसद्दा की राष्ट्रीय शिक्षण-संस्थान स्थानाभावके सम्बन्धमें एक विद्यार्थीकी शिकायत भी उसमें प्रकाशित हुई थी। एक पठान महिलाने अपने एक लघु लेखमें पख्तून बहिनोंको अधिकार ... प्रश्न करते हुए अपराधकी कालिमा आनेवाला ... उपभोग लिए पुरुषोंको दोषी ठहराया था। नगीना नामकी एक पख्तून बहिनने एक व्यंग्यपूर्ण गीतमें लिखा था कि पठान अपनी स्त्रीकी स्वाधीनताका तो बहुत

प्रेम करते है परन्तु जिस समय महिलाओको स्वतन्त्रता देनेकी बात आती है, तब वे उसको किस प्रकार अस्वीकार कर देते है, 'पख्तून पुरुषोके अतिरिक्त स्त्रियोका कोई शत्रु नही है। वह चतुर होता है और वह महिलाओका बडे उत्साहके साथ दमन करता है। पख्तूनोने हमारे हाथ, पैर और मस्तिष्कको एक अस्वाभाविक दीर्घ निद्रामे सुला दिया है और हम लोगोको अपने वशमे दबा रखा है। संसारके किसी अन्य पशुके लिए भी ऐसे कठोर कानून कभी नही गढे गये। पठान! जब तुम अपनी स्वाधीनताकी माग करते हो, तब उसको अपने यहाँकी स्त्रियोके लिए क्यो स्वीकार नही करते? यदि तुम हमसे यह अपेक्षा करते हो कि हम राष्ट्रीय प्रवृत्तियोमे भाग लें तो शिक्षा द्वारा हमारे अंधेरेको दूर करो। एक पैशाचिक अत्यादेश हमपर लाद दिया गया है। हमारे साथ सहानुभूति रखना भी एक पाप बन गया है क्योकि अभी कलकी ही बात है कि हमारे हेतुको लेकर खडे होनेके कारण शाह अमानुल्ला खाँको एक काफिर घोषित कर दिया गया।'

एक लेखकने अपनी लययुक्त कवितामे लिखा था, 'अभिनेता अमानुल्लाह खाँ-ने जो भी भूमिका अभिनीत की हो, वह पठानोको वीरता और साहसका पाठ पढायेगी।' शाह अमानुल्लाह खाँकी यूरोपकी राजकीय यात्राके सम्बन्धमे लिखे गये एक लेखमे उनकी मलिकाकी वेशभूषाकी चर्चा करते हुए एक अन्य लेखकने लिखा था, 'पख्तून राष्ट्रमे, जिसकी सुन्दरी पुत्रियाँ पहाडियोमे ईंधन बीनती है और उसको अपने सिरपर ढोकर लाती है, फसलकी कटाई करती है और लडा-इयोके मैदानमे घूमती है, पर्देका कोई स्थान नही है। पुरातन युगमे यहाँ परदा नही था, आज भी उसका अस्तित्व नही है और वह वहाँ भविष्यमे भी नही होगा। ऐसे देशकी मलिका, जिसकी बेटियाँ गोलियोकी बौछारोका सामना करती है, परदेमे कैसे ले जायी जा सकती थी? सारे विश्वमे यदि ऐसे अवसरपर कोई आपत्ति उठाता है, तो वह केवल एक भारतीय मुसलमान ही। वह परदा प्रथा, जिसका भारतमे प्रचलन है, इस्लामी परदा नही कही जा सकती। इस्लाम ऐसी हानिकारक प्रथाकी कभी स्वीकृति नही दे सकता। वह तो दासताके तुल्य है। स्त्रियाँ शारीरिक श्रम करे, इसका इस्लाम निषेध नही करता, इससे उनके चलने-फिरनेकी स्वाधीनता स्वयं सिद्ध होती है।'

'इस्लाम और सीमान्तके पठान' शीर्षक लेखमे एक गुमनाम लेखकने लिखा था, 'किसीको भी यह देखकर आश्चर्य होता है कि अन्य राष्ट्रोके निवासियोकी तुलनामे पख्तून अपमान और दीनताका जीवन किसलिए जी रहे है? सीमान्तके पठान अपनेको इस्लामका अनुयायी कहनेका दावा करते है और यह समझते है

नहीं हो गयी। इस अशांति कालमें मैंने अफगानिस्तानके मामलेपर बल देनेके लिए व्यापक दौरे किये। पंजाबमें मैं इकबाल और अन्य पंजाबी नेताओंसे मिला। मेरे खिलाफत आन्दोलनके सहयोगियोंने मुझसे पूछा, 'आपने इकबालसे भेंट क्यों की? वे तो किसी भी कामके आदमी नहीं हैं। वे केवल कविताएँ लिख लेते हैं।' इकबालकी मृत्युके पश्चात् हर एक व्यक्तिने उनकी प्रशंसा की। संसारका यही प्रचलित नियम है कि जीवित राष्ट्र जीवित लोगोंको सम्मान देते हैं और पतनोन्मुख राष्ट्र मरे हुओंको। हम मुसलमान लोग सदैव मृतकोंको प्रतिष्ठा देते हैं और जीवितोंके गुणोंकी सराहना नहीं करते।

लाहौरसे मैं लखनऊ चला गया जहाँ सन् १९२९ ई० में कांग्रेस अधिवेशन होने जा रहा था। यहाँ मैं गांधीजी और जवाहरलालजीसे पहली बार मिला। मैं उनसे पहलेसे परिचित न था। परन्तु जवाहरलालजी और डा० खान साहब एक दूसरेके घनिष्ठ मित्र थे। वे दोनों इंगलैण्डमें साथ रहे थे और लन्दन विश्वविद्यालयमें साथ-साथ पढ़े थे। मेरे भाईने मेरे लिए जवाहरलालजीके नाम एक परिचयपत्र दे दिया था। मैंने अफगानिस्तानके मामलेपर जवाहरलालजीसे साथ विस्तारसे चर्चा की।

'उसके बाद मैं दिल्ली चला आया। एक शुक्रवारको मेरी महम्मद अलीसे एक मस्जिदमें भेंट हुई। वे एक शिष्ट व्यक्ति थे और मेरे ऊपर अत्यन्त कृपालु थे। उनके भाई शौकत अली अच्छे आदमी नहीं थे और उन्होंने अपने भाईको गुमराह कर दिया था विशेष रूपसे अफगानिस्तानके प्रश्नपर। उनको इस बातसे मुझको कष्ट हुआ था और मैं बहुधा उनसे मिलनेके मौकोंको टाल देता था। जब मुहम्मद अलीने मुझे देखा तब वे मेरी ओर मुस्कराते हुए बढ़ आये और बोले हम लोग पठानोंकी चिन्ता नहीं करते। मैंने भी उनको वैसा ही उत्तर दिया हम भी ऐसे नेताओंकी चिंता नहीं करते जो दूसरोंसे गुमराह हो जाते हैं। कृपया यह तो मालूम कीजिए कि अमानुल्लाह खाँके सम्बन्धमें आपने भी वे ही बातें कहीं हैं जो अंग्रेज लोग कहा करते हैं। मेरा बड़े प्रेमसे आलिंगन करते हुए उन्होंने कहा भाई मुझको सारे तथ्य बताओ। फिर वे मुझको अपने घर ले गये।

अमानुल्लाह खाँके पुनरागमनके अवसरपर मौलाना शौकत अलीने उनके लिए एक बहुत बड़े समारोहका आयोजन किया था जिसमें उन्होंने शाहको एक अभिनन्दनपत्र भी भेंट किया था। इस अवसरपर मैं भी वहाँ उपस्थित था। कहा जाता है कि शौकत अलीको अमानुल्लाह खाँसे वह धन राशि नहीं मिली

जिसकी कि वे उनसे आशा कर रहे थे, इसीलिए वे उनसे रुष्ट हो गये।

"कुछ दिनोंके बाद मुझको नादिर शाहका एक तार मिला जिसमे उनकी जीतका समाचार था। आनन्दके इस अवसरको हम लोगोने हस्तनगरके उत्तरी और दक्षिणी कोनोंसे दो प्रभावोत्पादक जुलूस निकालकर मनाया। उत्मंजईमे आकर वे दोनो जुलूस मिल गये। वहाँ हम लोगोने एक बहुत बडी सभाका आयोजन किया। मैंने उपस्थित जनसमुदायसे कहा, 'किसी भी राष्ट्रकी प्रगतिके दो मूल कारण होते है, धर्म और देशभक्ति। यद्यपि अमेरिका और यूरोपने धर्मकी उपेक्षा की है परन्तु उनमे राष्ट्रीयताकी बहुत बडी भावना है अत. वे समृद्धिको पा चुके हे। हमारे पतनका कारण यह है कि हमारे भीतर राष्ट्रीय और धार्मिक भावनाओकी कमी है। मुझको दूरपर एक बहुत बडी जन-क्रान्ति आती दिखलाई दे रही है। परन्तु आप लोग अभीतक उसके प्रति सचेततक नही है। उप महाद्वीप (भारत) की अपनी पिछली यात्रामे मैंने यह लक्ष्य किया कि भारतके स्त्री और पुरुष उसके लिए पूर्ण रूपसे तैयार है। स्त्रियोकी बात तो जाने दीजिए, हमारे पुरुष भी देश और समाजके हितके प्रति पूर्ण रूपसे सावधान नही है। क्रांति एक बाढकी भाँति होती है। उससे एक राष्ट्र उन्नति कर सकता है और उसी प्रकार नष्ट भी हो सकता है। वह राष्ट्र, जो काफी जाग्रत हो चुका है, जिसके भीतर भ्रातृत्वकी भावना पनप गयी है, जिसमे पारस्परिक मैत्री और राष्ट्रीयताकी भावनाएँ है, निश्चित ही क्रान्तिमे लाभान्वित होगा। जिस राष्ट्रमे इन गुणोकी कमी है, वह उसकी बाढमे बह जायगा। यदि हम यह समझते है कि समृद्ध राष्ट्र स्वर्गसे गिरते है, तो हम भूलमे है। वही राष्ट्र प्रगति किया करता है जिसने अपने निजके लिए आराम और सुखोपभोगको अस्वीकार कर देनेवाले नागरिकोको जन्म दिया हे—ऐसे लोगोको, जिन्होने अपने राष्ट्रको आगे बढानेके लिए अपने निजके सामाजिक स्तर और भविष्यकी आशाओको दॉवपर लगा दिया है। हम लोगोमे ऐसे आदमी नही है। यही कारण है कि हम लोग पिछडे हुए है। जो आगेकी ओर बढते जा रहे है, वे यह जानते है कि उनकी वास्तविक सफलता, उनके राष्ट्रकी प्रगतिमे ही निहित है। हम केवल अपने निजके लाभको ओर देखते है, भले ही देश रसातलमे चला जाय। हम इस बातको समझ सकनेमे असमर्थ है कि हमारी वैयक्तिक सफलता हमे अपनी राष्ट्रीय सफलताकी ओर नही ले जाती। जब एक राष्ट्र सफल होता है, तब उसका प्रत्येक नागरिक उससे लाभान्वित होता है। हम केवल अपने निजी लाभको ही देखते है। अपने अकेले अस्तित्वको बनाये रखनेका प्रयास, पशुओका तरीका है। जानवर अपने निजके

लिए रहनेका आश्रय बनाते हैं, अपना संगी चुनते हैं और अपनी सन्तानको पालते हैं। यदि हम भी यही करते हैं तो हम उनसे श्रेष्ठ प्राणी कैसे हुए? यदि आप यह चाहते हैं कि आपका देश प्रगति करे और सफल हो तो आपको व्यक्तिगत अस्तित्वकी अपेक्षा सामाजिक जीवन जीना होगा।

"मैंने यह सुना है कि अमानुल्लाह खाँ कहा करते थे 'मैं पख्तूनोंका क्रांतिकारी बादशाह हूँ।' *सचमुच, वे ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे भीतर क्रांति*कारी भावनाको भरा। और वस्तुस्थिति यह है कि स्वयं अफगानोंकी अपेक्षा हम उनसे अधिक प्रभावित हुए क्योंकि अफगान सो रहे थे और हम पूर्ण रूपसे जाग्रत थे।

"इस सभाका श्रोताओंके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। दूसरे दिन एक युवक मेरे पास आकर बोला कि पठान समुदायकी सेवा और उसके सुधारके लिए वह एक संगठन प्रारम्भ करना चाहता है। हम लोगोंने इस विषयपर चर्चा की और काफी विचार-विमर्श किया। हम लोग अंजुमन इस्लाह उल अफगानिया संस्थाकी स्थापना कर चुके थे। यह संस्था शिक्षा प्रसारकी दिशामें काम कर रही थी। हमने निश्चय किया कि वही इस महत्त्वपूर्ण कार्यको भी अपने हाथमें ले ले। अपने पिछड़े हुए समाजकी सामाजिक कमियोंको दूर करनेके लिए, हमने एक अन्य संगठन खुदाई खिदमतगार अर्थात् ईश्वरके सेवक प्रारम्भ किया था। आरम्भमें यह पूर्णतया अराजनीतिक संगठन था परन्तु ब्रिटिशोंने इसमें शान्तिसे उसको राजनीतिमें भाग लेनेको विवश कर दिया। यह एक आम विचारकी स्थिति थी कि अंग्रेज ही हमें और पराधीनताके निकट लानेके माध्यम बने।

हम लोगोंमें पारिवारिक कलह, कुटिल षड्यन्त्र, पतनशील रूढ़ियाँ और समाज रूप धरे हुए थे। पख्तून जो कुछ कमाते थे वह हानिकारक प्रथाओं, कुरीतियों और मुकदमेबाजियोंमें खर्च कर डालते थे। अशिक्षा और अज्ञानमें पख्तून एक दयनीय जीवन जी रहे थे। न हम अच्छे व्यापारी थे और न अच्छे सैनिक। काफी लम्बे विचार विनिमयके पश्चात् सितम्बर सन् १९२९ में हम खुदाई खिदमतगार संगठनपर और इसके नामपर सहमत हो गये। हमने संस्थाका यह नाम एक प्रयोजन विशेषके कारण रखा था। हम ईश्वरके नामपर पख्तूनोंमें अपने समाज और देशकी सेवाकी एक भावना और एक चेतना भरना चाहते थे। हमको इस भावनाकी आवश्यकता भी थी। पख्तूनोंका दिमाग विकृत था और वह भी अपने हितके विचारसे नहीं, बल्कि अपने निजी स्वार्थके लिए। सबके निजी और भिन्न-भिन्न ही उनके विचार थे। अनुशासनहीनता और मतभेद उनके हृदय

विदीर्ण करके उनको अलग-अलग कर दिया था। उनकी अन्य बहुत बडी कमियाँ प्रतिहिंसा अथवा बदलेकी भावना तथा उनमे चरित्र और अच्छी आदतोका अभाव थी।

जो व्यक्ति भी अपने अन्तरमे खुदाई खिदमतगार बननेकी प्रेरणाका अनुभव करता था वह इस गम्भीर और पवित्र शपथको ग्रहण करता था

"मै एक खुदाई खिदमतगार हूँ और ईश्वरको मेरी किसी सेवाकी आवश्यकता नही है अत. मै उसके प्राणियोकी नि स्वार्थभावसे सेवा किया करूँगा। मै कभी किसीसे प्रतिकार या प्रतिहिसावश बदला नही लूँगा और उसको भी क्षमा कर दूगा जिसने मेरे विरुद्ध मेरा शोषण किया है अथवा जिसने मुझपर अनुचित दवाव डाला है। मै किसी षड्यन्त्र, पारिवारिक कलह या शत्रुतामे भाग नही लूँगा और मै प्रत्येक पठानको अपना भाई और साथी समझूँगा। मै सारी कुप्रथाओ और कुरीतियोका त्याग कर दूगा। मै एक सरल जीवन अपनाऊँगा। मै दूसरोका उपकार करूँगा और अपने-आपको दुष्कर्मोसे बचाऊँगा। मै अपनेमे एक श्रेष्ठ चरित्र को विकसित करूँगा और अच्छी आदते उत्पन्न करूँगा। मै सुस्त बनकर जीवन नही विताऊँगा। मे अपनी सेवाओके लिए कोई पुरस्कार नही चाहूँगा। मै निर्भीक रहूगा और किसी भी त्यागके लिए सदैव तत्पर रहूगा।"

यह खुदाई खिदमतगार सस्थाके सस्थापकके शब्दोमे उसके जन्मकी कथा है।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ पख्तूनोसे चर्चा करते हुए एक गाँवसे दूसरे गाँवको चले जाते थे। उनके साथियोको ऐसा लगा कि हमारे सफेद कपडे बहुत शीघ्र मैले हो जाते है इसलिए उन लोगोने अपने कपडोको रग लेनेका निश्चय कर लिया। उनमेसे एक आदमी अपनी कमीज, पाजामा और साफा एक स्थानीय चमडा तैयार करनेके कारखानेमे ले गया और उन्हे चीडकी छालसे बनाये गये उस घोलमे डुबो लाया जो चमडेको रगनेके लिए तैयार किया गया था। फल यह हुआ कि उसके कपडोका रङ्ग कुछ कत्थईपन लिये हुए गहरा लाल हो गया। दूसरोने भी यही किया। जब अगले अवसरपर उन लोगोका दल बाहर निकला तब उनके वस्त्रोके असामान्य रगने दूसरोका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया। लोगोने अपने हलोको खेतमे ही छोड दिया और वे लाल रङ्गके कपडे पहने हुए इन लोगोको देखनेके लिए दौडे आये। 'वे आये, उन्होने देखा और उन्होने जीत लिया।' खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने कार्यकर्त्ताओ,—खुदाई खिदमतगारोके लिए इसी गहरे लाल रङ्गको अपना लिया, इसीलिए ये लोग 'लाल कुर्तीवाले' भी कहे जाते है। उनका ध्येय स्वतंत्रता और उनका कार्य लोक-सेवा

स्वाधीनताकी पुकार

१९२८–३१

लाहौर कांग्रेससे कुछ पूर्व कांग्रेस और अंग्रेज सरकारके मध्य समझौतेका एक आधार खोजनेका अंतिम प्रयास किया गया। २३ दिसम्बर सन् १९२९ का दिन भेंटके लिए निश्चित हुआ परन्तु उसी दिन जब कि लार्ड इरविन दिल्ली वापस आ रहे थे रेलकी पटरीके किनारे एक बम विस्फोट हुआ जिसमें वाइसराय बाल-बाल बच गये। इसके बाद महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, विट्ठलभाई पटेल, तेज बहादुर सप्रू और मिस्टर जिन्ना उनसे मिले। बम विस्फोटके विषयमें बातचीत होनेके बाद वाइसरायने पूछा, प्रारम्भ कैसे किया जाय? क्या हम सबसे पहले बन्दियोंकी रिहाईका प्रश्न उठायें? गांधीजीने सीधा प्रश्न किया, प्रस्तावित गोलमेज कान्फ्रेंस क्या पूर्ण डोमिनियनके आधारको लेकर आगे बढ़ेगी?" लार्ड इरविन उन्हें इसका कोई आश्वासन न दे सके। उनकी अनिश्चयात्मक टिप्पणीके पश्चात् चर्चा वहीं समाप्त हो गयी।

हम अब एक नवीन युगमें प्रवेश कर रहे हैं। गांधीजीने कहा, पूर्ण स्वराज्य हमारा दूरका लक्ष्य नहीं अपितु तात्कालिक ध्येय है। यदि हम अहिंसा और उसके सहवर्ती गुणोंसे लाखों लोगोंमें स्वाधीनताकी सच्ची भावनाको विकसित कर देंगे तो क्या हमारा ध्येय मूर्तिमन्त नहीं हो जायगा? गुप्त हिंसात्मक षडयन्त्रोंके द्वारा अंग्रेजोंके जीवनको जोखिममें डालना अथवा उन्हें देशसे निकाल देना ही यथेष्ट नहीं है। यह दृष्टिकोण हमको स्वाधीनताके निकट नहीं ले जायगा बल्कि एक अव्यवस्थाको जन्म देगा। हम अपनी आंतरिक एकता भावनाका विकसित करके और उसके द्वारा उनके हृदय और मस्तिष्कपर अपना प्रभाव डालकर अपने और उनके बीचके मनभेदको दूर कर सकते हैं और स्वाधीनताकी स्थापना कर सकते हैं। जिन लोगोंको हम अपनी प्रगतिके पथमें बाधक समझते हैं उनको आतंकित करके या उनकी हत्या करके नहीं बल्कि अपने धैर्य और सद्व्यवहार द्वारा उनका हृदय-परिवर्तन करके ही हम स्वाधीनता प्राप्त करेंगे। अतः हम जनताके समक्ष सविनय अवज्ञाका पथ प्रस्तुत कर रहे हैं।

सन १९२९ ई० में दिसम्बर मासमें लाहौरके निकट रावी नदीके तटपर जब कांग्रेसका अधिवेशन हुआ तब वातावरणमें एक खुमार था। ३० ००० लोगोंका

और प्रतिनिधियोमे पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके उन लोगोकी भी काफी संख्या थी जो खान अब्दुल गफ्फार खाँके नेतृत्वमे पिछले कई वर्षोसे काग्रेसके अधिवेशनोमे सम्मिलित होते आ रहे थे। अली-बन्धु सन् १९२४ ई० से काग्रेससे शनै-शनै दूर हटते जा रहे थे। यद्यपि वे काग्रेसके इस अधिवेशनमे शामिल हुए थे परन्तु केवल गाधीजीको यह चेतावनी देनेके लिए कि मुसलमान लोग उनको सविनय अवज्ञाके अभियानमे सहयोग नहीं देगे। डा० अन्सारी तथा अन्य कई मुस्लिम नेता काग्रेसके साथ थे परन्तु वे इस स्थितिके परिणामसे भय खा रहे थे और इसीलिए उनका उत्साह भंग था, परन्तु मौलाना आजादने काग्रेसके समर्थनमे अपनी सारी शक्ति लगा दी। उनको इस बातपर तनिक भी सन्देह न था कि सामान्य रूपसे मुस्लिम जनता स्वाधीनताकी पुकारका यथोचित उत्तर देगी। खान अब्दुल गफ्फार खाँने खिलाफत कमेटीसे त्याग-पत्र दे दिया क्योकि वह काग्रेस विरोधी सस्था बन चुकी थी।

प० मोतीलाल नेहरूने काग्रेसकी अध्यक्षताका कार्यभार अपने पुत्र जवाहरलालको सौप दिया जो कि घोडेकी पीठपर बैठकर पडालमे आये थे। लम्बे मार्गपर अपार जन-समूहमे लाखोकी संख्यामे लोग एकत्रित थे और वे उनके ऊपर फूलोकी वर्षा कर रहे थे। उन्होने अपने अध्यक्षीय भाषणमे अपनेको एक समाजवादी और रिपब्लिकन घोषित किया। उन्होने कहा, 'हमारे लिए स्वाधीनताका अभिप्राय ब्रिटेनकी प्रभु-सत्ता और ब्रिटेनके साम्राज्यवादसे पूर्ण रूपसे मुक्त होना है। मुझको इसमे तनिक भी सन्देह नही है कि अपनी स्वाधीनताको प्राप्त कर लेनेके पश्चात् भारत विश्व-सहयोग और विश्व-संघके सारे प्रयासोका स्वागत करेगा और अपनेसे बडे एक समूहको, जिसका वह एक सदस्य होगा, अपनी स्वत.की स्वाधीनताके एक अंगको देनेको भी तत्पर हो जायगा। सभ्यताके नामपर मुक्त सहयोग और पारस्पकि आश्रयके पथपर संकीर्ण राष्ट्रीयता और अवैरे पक्ष खडे कर दिये गये है।''

कलकत्ताके सन् १९२८ ई० के विगत काग्रेस अधिवेशनमे पूर्ण स्वराज्यकी मागको स्थगित करनेके लिए अपनेको उत्तरदायी ठहराते हुए गाधीजीने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रज्ञापित किया, जिसमे यह घोषणा की गयी कि काग्रेसके सविधानके प्रथम अनुच्छेदमे आये हुए स्वराज्य शब्दसे पूर्ण स्वराज्यका अभिप्राय लिया जाय। प्रस्तावके प्रवर्ती अंगमे कहा गया, 'वर्तमान परिस्थितियोमे प्रस्तावित गोलमेज कान्फ्रेसमे प्रतिनिधित्व करनेसे काग्रेसको कुछ भी लाभ नही होगा। स्वतन्त्रता-अभियानको सगठित करनेकी दिशामे उठाये गये प्रारम्भिक कदमके रूपमे

कि म य एशिया और भारतके इतिहासमे उन्होने कितनी उल्लेखनीय भूमिका निभायी है। वे अपने प्रदेशके लोगोसे कहते कि आप लोग निर्भीक और साहसी है तथा मृत्युसे नही डरते, फिर भी आप गुलाम है। वे उनसे उनके रक्तपातपूर्ण झगडोको त्यागने, लडके-लडकियोको पढाने, महिलाओके प्रति कृपालु होने, विवाह के खर्चेको घटाने, सारे शोषकोका विरोध करने तथा सदैव शोषित व्यक्तिका पक्ष लेनेके लिए कहते थे। वे लोगोसे ऐसी बाते कहते हुए, जो उनसे पहले कभी किसी ने न कही थी, प्रान्तके एक छोरसे दूसरे छोरतक कई बार पैदल घूमे। उनके प्रान्तमे लगभग तीन हजार गाँव थे परन्तु ऐसा कोई गाँव न बचा था, जिसमे वे स्वय न गये हो। तरुण उनके झण्डेके नीचे आकर खडे हो जाते थे, लाल पोशाक धारण कर लेते थे और अपने नेताके समस्त उचित आदेशोका पालन करनेकी शपथ लेते थे। इस संगठनका स्वरूप सैनिक पद्धतिपर था और उसमे एक उच्च स्तरका अनुशासन बनाये रखना अत्यावश्यक था। वे ईश्वर, समाज और मातृभूमिके प्रति निष्ठावान् रहनेकी पवित्र शपथ लेते थे और अहिसाको पूर्ण रूपसे पालनेकी भी प्रतिज्ञा करते थे। उन्होने अपने अति प्रिय शस्त्र राइफल, रिवाल्वर और तलवार त्याग दिये थे। इस संगठनमे किसी भी जातिका व्यक्ति भर्ती हो सकता था। पहले इन स्वयसेवकोकी प्रवृत्तियाँ समाज-सुधारके कार्योतक ही सीमित रही। लोगोको शराब पीनेसे रोकना, उनमे सचाई और एकताकी भावनाको विकसित करना, खादीको प्रोत्साहित करना, पारस्परिक झगडोको रोकना और धर्मके या अन्य किसी प्रकारके भेद-भावके बिना मानव-मात्रकी सेवा करना उनके कर्त्तव्य थे। लाहौर काग्रेसके बाद खान अब्दुल गफ्फार खॉने अपने कार्यकर्त्ताओके इस छोटेसे दलको काग्रेसके कार्यक्रमको आगे बढानेके लिए एक पूर्ण संस्थाके रूपमे बदल दिया। अप्रैल सन् १९३० तक खुदाई खिदमतगारोकी संख्या ५०० से अधिक नही थी परन्तु छ महीनोके बाद ही वह बढकर ५०,००० तक पहुच गयी। यह संगठन बडी तेजीके साथ फैलता चला गया और कबीलोके इलाकेमे भी पहुँच गया। वह इतना लोकप्रिय हो गया कि जिस गाँवमे भी खान अब्दुल गफ्फार खॉ पहुँचे, वही उन्होने पहलेसे जिरगा स्थापित देखा।

२६ जनवरी सन् १९३० ई० को प्रथम स्वाधीनता दिवसकी सध्याको गाधीजीने अपने ये विचार व्यक्त किये

"हम इस विचारसे अत्यधिक भयभीत है कि ब्रिटेनसे हमारा सम्बन्ध टूटते ही हिसात्मक उपद्रव होने लगेगे। मै अहिसाका उपासक हूं, फिर भी यदि मुझसे यह पूछा जाय कि इस चिरदासत्व और उपद्रवके विवश साक्षीकी दो स्थितियां-

मैं आप जिस पसन्द करेंगे तो मैं बिना किसी हिचक कहूँगा कि मैं भारतकी इस चिरस्थायी अशान्ति उपद्रवकी स्थितिको अधिक पसन्द करूँगा। इससे भी कहीं अधिक इस राजकी मुस्तमरार गुलामीको देखनेसे यह कहीं अच्छा है कि हिन्दू और मुसल्मान आपसमें लड़कर मर जाय। जिस समय हम अपनी स्वाधीनताकी बात कहते हैं उस समय हमारे आगे कई प्रमाद अफगान-हमलेका भ्रम खड़ा कर दिया जाता है। जब हमने इतने वर्ष अंग्रेजोंकी दासतामें काटे हैं तब हमारे लिए अफगान आक्रमणका क्या भय है? मैं एक दृढ़ आशावादी हूँ और मेरा यह अटल विश्वास है कि रक्तहीन क्रांतिके द्वारा ही भारत विजय प्राप्त कर सकता है। यदि आप अपनी शपथके प्रति सच्चे हैं तो यह बिल्कुल सम्भव है।

स्वाधीनता दिवस मनानेके लिए सारे भारतमें बड़ी बड़ी सभाएं हुई जिनमें पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश भी सम्मिलित था। इन विशाल सार्वजनिक सभाओंमें यह प्रस्ताव पढ़ा गया।

हमारा विश्वास है कि किसी भी देशकी जनताकी भांति हम भारतीयोंका यह अविच्छिन्न अधिकार है कि हम अपनी स्वाधीनताको प्राप्त करें अपने श्रमका फल पायें और मानव जीवनकी समस्त सुविधाओंको ग्रहण करें ताकि हमको अपने विकासके सारे पूर्ण अवसर प्राप्त हो सकें। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई शासन किसी जनताको उसके अधिकारोंसे वंचित करता है तो जनताको स्वतः यह अधिकार मिल जाता है कि वह उसे बदल दे या मिटा दे। अंग्रेजी सरकारने भारतमें उसके निवासियोंको न केवल स्वाधीनताके अधिकारोंसे वंचित किया है अपितु उसका आधार शोषण रहा है। उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आत्मिक सभी दृष्टियोंसे भारतको बरबाद किया है इसलिए हमारी यह मान्यता है कि भारतको निश्चित ही ब्रिटेनसे अपना सम्बन्ध विच्छेद कर देना चाहिए और पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए। हम इसे मानव और ईश्वर दोनोंके प्रति एक अपराध मानते हैं कि हम किसी ऐसे शासनके अधीन रहें जिसने हमारा चतुर्मुख विनाश किया है। फिर भी हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारी स्वाधीनताप्राप्तिका सबसे प्रभावशाली पथ हिंसाका नहीं है। हमारे लिए जितना अधिकाधिक सम्भव हो हम अपने सारे स्वैच्छिक सहयोगको ब्रिटिश सरकारसे हटा लें और अपने आपको सविनय अवज्ञा भंग आन्दोलनके लिए तयार करें जिसमें शासनको कराका न देना भी शामिल है। हम यह भली भांति समझ चुके हैं कि हमें हिंसात्मक कार्यके लिए कितना भी उत्तेजित किया जाय यदि

हम शासनसे अपने स्वेच्छिक सहयोगको हटा लेंगे और करोको नही देंगे तो इस अमानवीय शासनका अंत होकर ही रहेगा। इसलिए यह हमारा गम्भीर निश्चय है कि हम समय-समयपर प्राप्त होनेवाले काग्रेसके आदेशोका पूर्ण पालन करेंगे क्योकि वे ही हमको पूर्ण स्वराज्यके ध्येयकी ओर निरन्तर प्रेरित करेंगे।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके सहयोगी कार्यकर्त्ताओके पीछे पुलिसके गुप्तचर छायाकी भाँति लगे रहते थे। कभी-कभी सार्वजनिक सभाओमे अंग्रेज अधिकारी और हथियारबन्द सिपाहियोका दस्ता भी मौजूद रहता था। इन सब लोगोको इस बातका बडा आश्चर्य था कि क्रान्ति आयी तो कैसे आयी ? वे अपने-आपको बहुत असमर्थ अनुभव कर रहे थे। उनका खयाल था कि यह आन्दोलन तो केवल चार महीनेसे चला है—वे उसको उस अवधिका ही समझते थे जिसमे कि कडा काम हुआ था और तूफानी दौरे किये गये थे। तभी अचानक एक दिन पेशावरके उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) मि० मेटकॉफने खान अब्दुल गफ्फार खॉके पास खबर भिजवायी कि वे उनसे आकर मिल ले। खान अब्दुल गफ्फार खॉने जब जानेसे इनकार कर दिया तब उन्होने लिखित आदेश भिजवाया। उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खॉको लिखा, 'यह आप क्या कर रहे है ? इसे बन्द कीजिये।' खान अब्दुल गफ्फार खॉने उत्तर दिया, 'मूल रूपसे यह एक सामाजिक कार्य है, राजनीतिक नही। वस्तुत. यह काम सरकारको करना चाहिए। मै तो आप लोगो का ही काम कर रहा हूँ। इसमे तो आपको मुझे सहयोग और सहायता देनी चाहिए।' डिप्टी कमिश्नरने इसपर टिप्पणी की, 'मै यह स्वीकार करता हूँ कि इस समय आप सामाजिक कार्यमे लगे हुए है परन्तु इस बातका क्या भरोसा कि आप पख्तूनोको सगठित करके उनका हमारे विरुद्ध उपयोग नही करेंगे ?' खान अब्दुल गफ्फार खॉने उत्तर दिया, 'यह तो पारस्परिक विश्वासपर आधारित है। आप हमपर भरोसा कीजिए और हम आपपर करे। मै यह देख रहा हूँ कि क्रान्ति सन्निकट है। क्राति एक वेगवान् जल-प्रवाहकी भॉति होती है। हम पख्तूनोको इसलिए संगठित कर रहे है कि कही वे उस बाढके आगे बह न जायें।'

१२ मार्च सन् १९३० को गाधीजीने नमक-कानून भग करनेके लिए डाडी-की ओर प्रयाण किया। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। १४ अप्रैलको काग्रेसके अध्यक्ष प० जवाहरलाल नेहरू गिरफ्तार कर लिये गये।

आधिकारिक रूपसे खुदाई खिदमतगारोकी पहली सभा १८ और १९ अप्रैल सन् १९३० को उत्मानजईमे हुई, जिसमे लगभग २०० लाल वस्त्रधारियोने भाग लिया। २३ अप्रैलको खान अब्दुल गफ्फार खॉने उत्मानजईमे एक सार्वजनिक

व्यवहार रूपमें तथा एक समारोहके रूपमें नमक कानून भङ्ग किया जा चुका है अतः अब प्रत्येक व्यक्तिको यह छूट दी जाती है कि वह अपने चालानकी जोखिम लेकर जहाँ चाहे और जहाँ उसे सुविधाजनक प्रतीत हो नमक तयार कर सकता है। देशमें अग्नि-ज्वालासी जल उठी थी। कलकत्ता, दिल्ली मद्रास लाहौर इलाहाबाद और पेशावर आदिमें जनताने हजारोंकी सख्यामें ब्रिटिश कानूनका भग किया। बम्बईमें सविनय अवज्ञा आन्दोलनने एक आश्चर्यजनक रूप ले लिया। वहाँ लगभग दस लाख व्यक्ति नमक-कानून तोडनेके लिए सागर तटपर पहुँचे। कलकत्तामें लगभग ८० ००० लोगोंने मद्रासमें ५० ००० ने लाहौर में २० ००० ने और पेशावरमें तो प्राय समूची जन-सख्याने ही उसे तोडा।

शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हो गयी कि सरकारको एक दृढ राष्ट्रवादी विप्लव का सामना करना होगा ऐसा राष्ट्रीय विप्लव जो भारतमें इससे पहले देखा-सुना नहीं गया। पेशावर अशान्तिके सबसे प्रमुख केन्द्रोंमेंसे एक था। वहाँ कार्य स्थिति तारोंके ऊपर कडा सेन्सर रखा जा रहा था। भारतवासियों और अंग्रेजोंके बीच के वमनस्यने गम्भीर रूप धारण कर लिया था। ब्रिटिश शासन सुलेमान जाँच समिति की नियुक्तिके लिए विवश हो गया। पेशावरकी अशान्तिके एक पखवारेके भीतर ही कांग्रेसने भी श्री विट्ठलभाई पटेलकी अध्यक्षतामें एक जाँच समितिकी नियुक्ति कर दी। श्री विट्ठलभाई पटेलने अंग्रेजोंकी दमन-नीतिके कारण विधान सभाकी अध्यक्षता तथा सदस्यतासे त्याग-पत्र दे दिया था। शासन द्वारा कई अध्यादेशोंकी घोषणा की गयी जिनमें प्रेस आर्डिनेंस भी शामिल था। इसका परिणाम यह हुआ कि गाधीजीका यंग इण्डिया और खान अब्दुल गफ्फार खाका 'पख्तून' बन्द हो गया। यङ्ग इण्डिया साइक्लोस्टाइलपर छपकर निकलता था। इसके साथ ही कांग्रेस बुलेटिन भी बन्द हो गयी। सरकारने उसे गैर कानूनी करार दे दिया। उसके साथ प्रान्तीय कांग्रेस समितियों द्वारा एक परिशिष्ट भी निकलता था। पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके कांग्रेस सगठनसे भी एक परिशिष्ट निकलता था।

पेशावर जाँच समितिको जिसके अध्यक्ष श्री विट्ठलभाई पटेल थे सीमा प्रान्त में प्रवेश करनेकी अनुमति नहीं दी गयी और उसको एक सप्ताहतक रावलपिण्डी में अपनी बैठकें करनी पड़ी। ७९ गवाहोंकी जाँच हुई बहुतसे वक्तव्य लिए गये तथा उनको लेखाबद्ध कर लिया गया। इस रिकार्डमें वे अति आवश्यक विज्ञप्तियाँ भी सम्मिलित कर ली गयी जिन्हें सरकारने समय-समयपर निकाला था और पत्रोंके वे विवरण भी जिनमें कि सुलेमान समिति द्वारा लेखाबद्ध की गयी

साक्षियोका साराश प्रकाशित हुआ था। काग्रेसकी जॉच समिति द्वारा प्रकाशित विवरण पुस्तिका तत्काल ही सरकार द्वारा जब्त कर दी गयी परन्तु इससे पहले ही उसकी काफी प्रतियॉ दूर-दूरतक पहुँच चुकी थी। श्री विट्ठलभाई पटेलने ३५० पृष्ठोकी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उसका साराश यह है :

"स्थानीय काग्रेस समितिने यह निश्चय किया था कि शीघ्र ही पेशावर नगरकी शरावकी ; कानोपर धरना दिया जाय और उसने इसके लिए ५ अप्रैल सन् १९३० का दिन निर्धारित किया था। शरावके कुछ ठेकेदारोने काग्रेस समितिसे प्रार्थना की कि उनको पन्द्रह दिवसकी अवधि और दी जाय ताकि वे इस वीच अपना एकत्रित माल निकाल दे। इस आधारपर ही काग्रेस समितिने शरावके ठेकेदारोको सूचित किया कि यह कार्यवाही २३ अप्रैलको प्रारम्भ की जायगी। २२ अप्रैलको प्रात अखिल भारतीय काग्रेस समितिके उस प्रतिनिधिमडलको अटकमे ही रोक लिया गया जो 'सीमा-प्रान्त अधिनियम' (नार्थ-वेस्ट फ्रन्टियर रेगुलेशन) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहीकी जॉचके लिए पेशावर आ रहा था। उसको सीमान्त प्रदेशमे प्रवेश नही करने दिया गया। जव पेशावर शहरमे यह समाचार पहुचा तव वहॉ विराट् जुलूस निकाला गया जो नगरमे घूमनेके पश्चात् सायकाल शाही वागकी एक वहुत विशाल सार्वजनिक सभामे परिणत हो गया। इस सभामे शासनके आदेशपर असम्मति प्रकट की गयी और यह भी निश्चय किया गया कि मद्यकी दूकानोपर कल प्रात काल (२३ अप्रैल) से धरना प्रारम्भ कर दिया जाय, जैसा कि पूर्वनिश्चित था। २३ अप्रैलके सवेरे, वहुत तडके ही सरकारने काग्रेसके प्रमुख सदस्योमेसे नौको गिरफ्तार कर लिया। दिन निकलनेपर जव लोगोको इन गिरफ्तारियोका पता चला तव वे काग्रेस समितिके कार्यालयमे गये। वहॉ उनको ज्ञात हुआ कि अभी दो नेताओके नाम वारन्ट और है। शरावकी दूकानोपर धरना देनेकी व्यवस्था कार्यान्वित की गयी। सारे शहरमे दूकानदारोने अपनी इच्छासे ही पूर्ण हडताल कर दी। ९ वजेके लगभग जव लोग भीडमे खडे हुए, धरना देनेके लिए जानेवाले स्वयसेवकोका जय-जयकार कर रहे थे, तभी पुलिसका एक दरोगा अपने साथ लॉरीमे हथियारवन्द सिपाहियोकी एक टुकडीको लेकर आया। काग्रेस कार्यालयमे पहुँचकर उसने यह सूचित किया कि उसके पास दो वारन्ट और है। यह सूचना पाकर वे नेता, जिनके नाम वारन्ट थे, कार्यालयसे नीचे उतर आये और आकर लॉरीमे वैठ गये। वे अभी कुछ ही दूर पहुँच सके थे कि लॉरीके एक पहियेमे पन्चर हो गया। दरोगा दूसरी गाडी मँगवानेकी वात सोच रहा था, तभी वदी नेताओने उससे कहा कि यदि उसको कोई आपत्ति न

दी तो वे अपने आप ही पुलिस थाने चले जायँ और वहाँ पहुँचकर अपनेको हाजिर कर दें। दरोगाने उनकी यह बात मान ली और चला गया। लोगोंका एक जत्था नेताओंको अपने साथ लेकर चला और काबुली दरवाजा थानेतक पहुँच गया। उन्होंने देखा कि थानेका फाटक बन्द है। लगभग आध घण्टेतक उसको खुलवाने की कोशिश की गयी परन्तु प्रयत्न निष्फल हुए। जब भीडने नारे लगाना शुरू किया तब पुलिसका सहायक अधीक्षक (असिस्टेंट सुपरिण्टेण्डेण्ट) एक थानेपर चला हुआ आया। नारोंसे वह क्रोधित हो गया और रोषमें भरा हुआ ही चला गया। इस बीच वह दरोगा जिसने कि नेताओंको गिरफ्तार किया था लोगों को शांत हो जाने और तितर बितर हो जानेकी सलाह देता रहा। दोनों नेता पुलिस थानेके भीतर चले गये और भीड 'इन्कलाब जिन्दाबाद, महात्मा गांधी की जय' के नारे लगाकर धीरे धीरे छटने लगी। तभी अचानक हथियारबन्द सैनिकोंसे भरी हुई दो या तीन कारें पीछेसे बडी तेजीसे आयीं। उन्होंने लोगोंको सावधानतक न किया और न इसके परिणामको ही सोचा। वे भीडपर चढ गयीं। बहुतसे लोग उनके नीचे कुचल गये और कुछकी तो वहीं मृत्यु हो गयी। जुलूसके लोग बिल्कुल निहत्थे थे। किसीके पास कुछ न था न लाठी न कुल्हाडियाँ न पत्थर और ईंटें। भीडने संयमसे काम लिया। जनता आहत लोगोंको उठा उठाकर लाने लगी और मृत देहोंको इकट्ठा करने लगी। कुछ लोगोंने एक कारको आग में घेर लिया और वे उसे रोकनेके लिए प्रार्थना करने लगे। भीडके कारण वह पीछे लौटी। उसी समय एक अंग्रेज अधिकारी बडी तेजीसे मोटरसाइकिलपर आया। उसकी मोटरसाइकिलकी हथियारबन्द कारोंमेंसे एकसे टक्कर लगी। वह गिर पडा और कारके नीचे आ गया। तभी किसीने कारमेंसे एक गोली चलायी और घटना कुछ ऐसी हुई कि उससे संयोगवश दूसरी कारमें आग लग गयी। डिप्टी कमिश्नर अपनी उस हथियारबन्द कारमेंसे बाहर निकला और ज्यों ही वह थानेकी ओर बढने लगा वह अचेत होकर थानेकी सीढियोंपर गिर पडा। परन्तु क्षणभरमें उसको सुध लौट आयी और उसने गाडियोंके सैनिकोंको गोली चलाने का आदेश दे दिया। गोली चलनेके परिणामस्वरूप कितने लोग मारे गये और अनेक आहत हुए। भीडको बहुत दूरतक खदेड दिया गया। साढे ग्यारह बजेके लगभग एक या दो बाहरी व्यक्तियोंने मृतकोंको मुसलमानोंके मरसकी प्रयत्न किया। उन्होंने भीडसे हट जानेके लिए और अधिकारियोंसे गाडियाँ और सैनिक हटा लेनेके लिए जोर दिया। जनता इस शर्तपर चला जानेके लिए तैयार हो गयी कि उसे मृत देहोंको तथा घायल लोगोंको अपने साथ ले जानेकी इजाजत दी जाय।

वह यह भी चाहती थी कि सैनिक और हथियारवन्द गाडियाँ हटा ली जायें। दूसरी ओर अधिकारी इस वातपर अडे हुए थे कि वे उनको नही हटायेंगे। फल यह हुआ कि भीड तितर-वितर नही हुई और जनता अपनी छातीपर गोलियाँ खानेके लिए तथा अपने प्राण दे देनेके लिए तैयार हो गयी।

"इसके वाद दूसरी वार गोली चली और फिर थोडी-थोडी देरमे न केवल किस्साखानी वाजारमे वल्कि उसके गली-कूचोमे भी तीन घंटेसे अधिक समय तक गोली चलती रही। लोग वहुत वडी संख्यामे मारे गये और घायल हुए। खिलाफत समितिके पाँच-छ. स्वयंसेवक भी, जो अन्य लोगोके साथ घायलो तथा मृतकोके शरीरोको एकत्रित करनेमे जुटे हुए थे, मारे गये, इसीलिए वहुतसी लाशें हटायी नही जा सकी और यह निश्चयपूर्वक कहा जाता है कि वे एक लॉरीमे भर-कर किसी अज्ञात स्थानमे ले जायी गयी और नष्ट कर दी गयी। खिलाफत आन्दो-लनके स्वयसेवकोको लगभग साठ मृत शरीर मिले, जिनमेसे अधिकाश उनके कार्यालयके आस-पासके गली-कूचोमे पडे हुए थे। उस कार्यालयमे काफी वडी सख्यामे घायल लोग लाये गये और डा० खान साहव द्वारा मरहम-पट्टी की जानेके वाद उनको लेडी रीडिंग अस्पताल भेज दिया गया। सरकारने घायलोको प्राथमिक चिकित्साकी कोई सुविधा नही दी। उसने अपनी सारी शक्ति इस वातमे लगा दी कि इस निर्दय गोलीकाडसे जो विनाश हुआ है उसको छोटेसे छोटे रूपमे कैसे दिखलाया जाय। शामको लगभग छ वजे फौजने काग्रेसके कार्या-लयपर छापा मारा और वह अपने साथ काग्रेसके झण्डे तथा विल्ले आदि उठा ले गयी। रातको वह फिर आयी और खिलाफत कार्यालयमेंसे उन दो लाशोको ले गयी जो कि शामको कुछ देरमे वहाँ लायी गयी थी और उसके पासके स्कूलमे रखी गयी थी। गोरे सैनिको की क्रूरताके कारण अगले दो-तीन दिनतक पेशावर नगर अपने निवासियोके लिए रौरव नरक वन गया। २५ अप्रैलकी रातको अधि-कारियोने अचानक ही न केवल सेनाको वल्कि उस सामान्य पुलिसको भी हटा लिया जो शहरकी रक्षा कर रही थी। पेशावर नगर, सीमाके उस पारके हमला-वरो और लुटेरोकी दयापर छोड दिया गया। सेना और पुलिसके हट जानेपर काग्रेस और खिलाफत समितिके स्वयंसेवक आगे आये। उन्होने पेशावरके नगर-द्वारोकी रखवाली करके वडे वीरतापूर्वक स्थितिको संभाल लिया और किसी प्रकारकी कोई घटना नही हुई। २८ अप्रैलकी रातको पुलिस पुन प्रकट हुई और उसने स्वयंसेवकोसे चार्ज ले लिया। तत्पश्चात् ४ मईको सहसा सेनाका नगर पर अधिकार हो गया। उसी दिन सवेरे सैनिकोने काग्रेस और खिलाफत समिति

के कार्यालयोंपर छापा मारा और उनको वहाँ कागज और रुपया-पैसा जो भी मिला, उसे वे अपने साथ उठा ले गये। उस समय वहाँ बहुतसे स्वयंसेवक थे। सेनाने उनको भी बड़ी निर्ममताके साथ मारा-पीटा। सैनिकोंने कांग्रेस कार्यालयके पासकी एक दूकानको भी लूट लिया। उस दिनके बाद सारे काम-काजके लिए पेशावर शहर 'मार्शल ला' (फौजी कानून) के अधिकारमें आ गया। पेशावरमें किसी नागरिकका जीवन, उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सम्पत्ति सुरक्षित न रही। ३१ मईके दिन, जब कि 'सुलेमान जाँच समिति' पेशावरमें नागरिकोंसे पूछताछ कर रही थी, सेनाने उन निरीह लोगोंपर गोलियाँ चलायीं जो दो छोटे-छोटे बच्चोंको दफनाने जा रहे थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये निरीह बालक दुर्घटनावश किसी अंग्रेज सैनिककी बन्दूककी गोलियोंके निशाना बन गये थे। जनतापर गोली चलानेके फलस्वरूप कमसे कम दस आदमियोंके प्राण गये और लगभग बाईस व्यक्ति घायल हुए। एक लम्बे अर्सेतक पेशावरमें आतंकका अधिकार रहा। बाहरी संसारके लिए वह एक अप्रवेश्य क्षेत्र बना दिया गया। इन कुत्सित, अशोभनीय घटनाओंको जनताकी दृष्टिसे ओझल रखनेके लिए उसे शेष भारतसे अलग-सा कर दिया गया। किसी भी नेताको उसमें कदम रखनेकी अनुमति नहीं दी गयी क्योंकि सरकारको यह भय था कि कहीं वे सारी स्थितिको अपनी आँखोंसे न देख लें और शासनके इस अमानुषिक व्यवहारका भंडाफोड़ न कर दें। नगरके अलावा पेशावर जिलेके अन्य भागों तथा प्रदेशके उन जिलोंमें, जहाँ कि कांग्रेसका प्रभाव था, ऐसा रवैया अपनाया गया। ऐसे तरीके उपयोगमें लाये गये जिनको मात्र अमानवीय क्रूरताकी संज्ञा दी जा सकती है। कांग्रेसके सारे संगठन, यूथ लीग और उसकी सम्बद्ध संस्थाओंको गैर-कानूनी घोषित कर दिया गया। इतना सब होनेपर भी जनताका मनोबल नहीं टूटा और अहिंसाका बड़ी निष्ठाके साथ पालन किया जाता रहा।

जिन दिनों पेशावरमें अशान्ति और अव्यवस्था फैली थी, उन्हीं दिनों एक गौरवपूर्ण घटना हुई। गढ़वाल रायफल्सकी एक पल्टनने निहत्थी शान्त जनतापर गोली चलानेसे इनकार कर दिया। यह पल्टन अपनी राजभक्तिके लिए अति प्रसिद्ध थी। तत्काल ही उसके सिपाहियोंको बन्दी कर लिया गया और उनके शस्त्र छीन लिये गये। जिस समय फौजी अदालतमें उनको उपस्थित किया गया उस समय उन लोगोंने कहा : हम अपने निर्दोष भाइयोंपर गोली नहीं चलायेंगे क्योंकि भारतकी सेना बाहरके भारतके शत्रुओंसे युद्ध करनेके लिए है। यदि आप चाहें तो हमको तोपसे उड़वा सकते हैं। इन सब सिपाहियोंको

दिया गया—एकको आजन्म कालेपानीकी सजा, दूसरेको पन्द्रह वर्षका कठोर कारावास और शेष लोगोको तीनसे लेकर दस सालतक कठोर कारावास ।

खान अब्दुल गफ्फार खाँके गाँवकी घटनाओका किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा लेखाबद्ध कराया गया वर्णन पटेल महोदयकी रिपोर्टमे इस प्रकार दिया गया है

"१३ मई सन् १९३० के सवेरे तीन बजे, जब कि घोर अंधेरा छाया था, सरकारकी सेनाने उतमानजई गाँवको घेर लिया । भोर होनेपर डिप्टी कमिश्नर, गोरे और हिन्दुस्तानी सैनिकोके साथ गाँवमे घुसा । आठ सौ हथियारबन्द अंग्रेज सैनिक गाँवको चारो ओरसे घेरे हुए थे । उनके साथ भारतीय रिसालेकी एक रेजीमेंट भी थी, जिसमे सिख, मुसलमान और डोगरा सिपाही थे । उनके अलावा वहाँ तीन सौ हट्टे-कट्टे शिया सिपाही भी मौजूद थे, जिनकी भर्ती केवल गाँवके लोगोको पीटनेके लिए की गयी थी । वे सब सीमान्तके उस पारके निवासी थे । गाँवके बाहर चार लेविस तोपे और बहुत-सी तोपे तथा बन्दूके थी । डिप्टी कमिश्नर खुदाई खिदमतगारोके कार्यालयके पास गया और उसने अपने साथके गोरे और शिया सिपाहियोको उस दूकानके दरवाजे तोडनेको कहा जिसके ऊपर उक्त कार्यालय स्थित था । उन लोगोने दरवाजा तोडनेकी बहुतेरी कोशिश की परन्तु उनको सफलता नही मिली । कुछ सिपाही दीवारसे चढकर ऊपर पहुँच गये और उन्होने छज्जेको घेर लिया । नीचे खडे जवान दूकानके दरवाजेको तोडते रहे ।

"उसके बाद दरवाजा टूट जानेपर डिप्टी कमिश्नर छज्जेके पासतक गया और उसने उन खुदाई खिदमतगारोको, जो वहाँ अपनी ड्यूटीपर तैनात थे, नीचे उतरनेका आदेश दिया । उसने उन्हे लाल वर्दी उतारनेका भी हुक्म दिया । खुदाई खिदमतगारोने कहा कि जबतक हमको अपने अफसरका हुक्म नही मिलेगा, हम नीचे नही उतरेगे । जहाँतक कपडे और वर्दी उतारनेकी बात है, हम उसको उतारनेकी अपेक्षा मर जाना अच्छा समझते है । इसपर खुदाई खिदमतगारोके कमाण्डर रब्बनकज खाँने 'इन्कलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुए उन लोगोको नीचे उतरनेका आदेश दिया । जिस समय वे ऊपरसे उतरकर नीचे आ रहे थे उस समय डिप्टी कमिश्नरने उनको नारे लगानेसे रोका । कार्यालयमे ही डिप्टी कमिश्नरने एक खुदाई खिदमतगारकी छातीसे अपनी पिस्तौल सटाते हुए उसे कपडे उतारनेका हुक्म दिया । वह बोला, 'साहब, यह तो नामुमकिन है । किसी पठानका पाजामा तबतक नही उतारा जा सकता, जबतक कि उसके शरीरमे प्राण है ।' उसकी इस बातपर डिप्टी कमिश्नरने उसे घूसोसे मारा और गोरे सिपाही अपनी राइफलोके कुन्दोसे उसे तबतक कुचलते रहे, जबतक कि वह अचेत होकर

गिर न पड़ा। जो भी गोरा सैनिक वहां मौजूद था उसने अचेतावस्थामें उसको एक
ठोकर मारी। इसके बाद एक के बाद एक खुदाई खिदमतगारको निर्ममतासे पीटा
गया और उसके कपड़े फाड़ दिये गये। कुछ खुदाई खिदमतगार छज्जेके ऊपरसे
नीचे पक्की सड़कपर फेंक दिये गये। अब्दुल रज्जाकके परकी हड्डी टूट गयी
और अन्य लोगोंको भी काफी गहरी चोटें लगी। कुछ सैनिकोंने खुदाई खिदमत
गारोंको संगीनकी नोकोंसे घायल कर दिया। खुदाई खिदमतगारोंके कप्तान मुह
म्मद सय्यूब खाको बड़ी निर्ममतासे पीटा गया। उसकी कमीज जबरदस्ती उतार
ली गयी लेकिन जब उसको अपना पाजामा उतारनेका आदेश दिया गया तब वह
तड़पकर तेजीसे रिवाल्वर लानेके लिए अपने घरकी ओर दौड़ा। लेकिन उसके
कमांडरने उसे बीचमें ही रोककर कहा, क्या तुम्हारा धीरज इतनी जल्दी खत्म
हो गया कि हिंसासे बदला लेनेके लिए घर जा रहे हो? तुमने तो जीवनपर्यन्त
अहिंसावादी बने रहनेकी प्रतिज्ञा की थी। यह सुनकर वह नंगे सिर नंगे पाँव
लौट आया और बन्दी बना लिया गया।

इस हंगामे और मारपीटके दौरानमें चौदह बरसका एक किशोर भी वर्दी
पहने हुए खड़ा था। यह खान अब्दुल गफ्फार खाँका दूसरा पुत्र वली था। तुम
कौन हो? डिप्टी कमिश्नरने उससे पूछा। मैं खान अब्दुल गफ्फार खाँका लड़का
हूँ। वलीने बड़े ही जोरसे चिल्लाकर उत्तर दिया। डिप्टी कमिश्नरने यह अब
[illegible] एक गोरे सिपाहीने बच्चेकी ओर अपना मशाल [illegible] एक
मुसलमान सिपाहीने जो वहीं [illegible] था [illegible]
अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। तब दूसरे गोरे सिपाही [illegible]
[illegible] और [illegible]
बच्चेको अपने हाथोंमें उठा लिया और उसको लिये हुए [illegible] मस्जिद
में घुस गया। [illegible]

[illegible] खुदाई खिदमतगारोंके [illegible] आग लगा दी और [illegible]
[illegible]
[illegible] किया। [illegible]
[illegible] किया और

उन्होने पानीसे भरे डेगमे लाल रग घोल दिया और अपने सारे कपडे उतार उसीमे डुवो दिये। इसके वाद वे तथा उनके नौकर भीगे, लाल कपडे पहने हुए उसी स्थानपर आये जहॉ कि फौजी सिपाही खडे थे। डिप्टी कमिश्नरके सामने जाकर उन्होने निर्भीकतासे कहा, 'अभी ये सुर्खपोश और है।' तवतक वे खुदाई खिदमतगार नही थे। उनके इस शौर्यपूर्ण कार्यने जनतामे इतना उत्साह भर दिया कि कठोरसे कठोर दमन भी लाल वर्दीको हटा न सका।

"अंग्रेजोने अपनी सेनाके साथ गॉवोको घेर लिया और गॉववालोको अपने घरोसे वाहर निकलनेको विवश कर दिया। उन्होने गॉवोके निवासियोको चिलचिलाती धूपमे विठा दिया और इस इकरारके साथ कि हम खुदाई खिदमतगार नही है, उनको अँगूठेका निशान लगानेका आदेश दिया।

"सचमुच हम खुदाई खिदमतगार नही है।" उन्होने कहा। वास्तवमे वे थे भी नही परन्तु जव उनके ऊपर अगूठेका निशान लगानेका जोर दिया गया तो उन्होने इससे इनकार कर दिया।

अंग्रेजोका यह व्यवहार सारे स्त्री-पुरुषोको इतना अपमानास्पद लगता था कि यदि कोई उनकी वातसे सहमत होकर अंगूठेका निशान लगा देता था तो सव उसे हेय दृष्टिसे देखने लगते थे। खान अब्दुल गफ्फार खॉने इसका इन शब्दोमे वर्णन किया है, "हमारे गाँवके एक आदमीने अँगूठेका निशान लगा दिया। जव वह अपने घर पहुँचा तो उसकी स्त्री काठका एक डण्डा लेकर कपडे धो रही थी। उसने अपने पतिसे पूछा, 'तुमको घर कैसे आने दिया गया?' वह वोला कि मुझको छोड दिया गया। स्त्रीने आशका प्रकट की, 'यह कैसे सम्भव है? और लोगोको नही छोडा गया। तुम मुझे अपना अँगूठा दिखलाओ, जान पडता है कि तुम अपना निशान देकर आये हो।' उसने अपने कपडे धोनेके डण्डेको ऊपर उठा लिया और अपने पतिको वाहर खदेड दिया। वह आदमी फिर उसी जगह पहुँचा और अपने गाँववालोके साथ जा वैठा। जव उससे पूछा गया कि तुम क्यो वापस लौट आये, तव उसने कहा कि मेरी स्त्री मुझको घरमे घुसने ही नही देती। मेरे ही गॉवकी एक अन्य घटना है। हाजी शाहनवाज खॉ, जो हमारे साथ जेलखानेमे थे, जमानत देकर अपने घर पहुँचे। लोगोने इसके लिए उनको इतने ताने दिये कि शर्मसे उन्होने आत्महत्या कर ली।"

सारे पश्चिमोत्तर प्रदेशमे वडी उग्रतासे दमन-चक्र चल रहा था लेकिन लाल कुर्तीदलके स्वयसेवक काफी सख्यामे शरावकी दूकानोमे धरना देते थे और गॉवमे 'मार्च' करते थे। खुदाई खिदमतगारोके इस सगठनमे पुरुषो, स्त्रियो और वालको-

थे अलग-अलग दण्ड थे। उन सबका नारा 'इन्किलाब जिन्दाबाद' था। अंग्रेजी सरकारने यातनाके विलक्षण ढंग निकाले थे। अल्पायु बालकोंको पाठशालामें नंगा करके जल्लाद उनके शरीरपर बेंत लगाते थे। स्वयंसेवकोंको काँटोंके ऊपर बिठाया जाता था, कपड़े उतारकर चाबुकसे उनकी खाल उधेड़ दी जाती थी। अंग्रेज सिपाही उनसे अपने किसी नेता अथवा अधिकारीकी समाधिके लिए बड़े-बड़े भारी पत्थर एक पहाड़ीके ऊपरतक उठवा ले गये। वहाँ उनका ढेर लग गया। किसी खुदाई खिदमतगारने 'अल्लाहु-अकबर' का धार्मिक नारा लगाया तो उस गवाँर द्वारा यह अपशब्द सुनने पड़े 'तुम्हारा अल्लाह ओ-अकबर यह पत्थरका कब्र के नीचे सोया पड़ा है।' उसने पत्थरोंके उस ढेरकी ओर संकेत करते हुए कहा जिसे कि संगीनकी नोकपर बेगार कराकर जमा किया गया था। खुदाई खिदमतगारोंके नेताओंके घर और जिरगे जला दिये गये। बन्नू शहरका घर लिया गया और उसकी चहारदीवारीके फाटक बन्द कर दिये गये। डेरा इस्माईल खाँमें आन्दोलनकी गति अत्यन्त तेज थी। वहाँ पियारा खान और उसकी पत्नी यशोदा देवीके नेतृत्वमें पुरुषों, महिलाओं और बालकोंके कई विराट जुलूस निकले। वहाँ एक दिन एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा था, जिसमें अधिकांश महिलाएं थीं। सीमान्त पुलिसके महानिरीक्षक (इन्सपेक्टर जनरल आफ पुलिस) मि० आइस मागरने उस मार्च और शीघ्र ही बिखर जानेका आदेश दिया। जब जनताने उनकी आज्ञाको माननेसे इनकार किया तो वे क्रुद्ध हो उठे। उन्होंने अपना रिवाल्वर निकाल लिया और गोली दागनेके लिए उसे जुलूसकी महिलाओंके आगे ताना। तभी एक सिख तरुण भगवान सिंह झपटकर आगे आ गया और उसने मि० आइस मागरकी पिस्तौलवाली कलाई पकड़कर कहा, 'आपको स्त्रियोंके ऊपर गोली दागते हुए शर्म नहीं आती?' अंग्रेज अफसर असमर्थ हो गया। उसका रिवाल्वर नीचे भूमिपर गिर गया। उसे उठाकर लज्जित हो वह तुरन्त ही वहाँसे चला गया। एक सालके बाद, जब कि साम्प्रदायिक दंगे चल रहे थे, उसने भगवान सिंहको एक हत्याके मामलेमें झूठा फँसाकर इसका प्रतिशोध लिया।

इन घटनाओंके बाद ही कबाइली इलाकेमें अशान्ति फैल गयी। वहाँके उपद्रवोंसे अंग्रेज अपनेको स्थितिको सँभालनेमें असमर्थ अनुभव करने लगे। तराई जईके हाजी साहबको अंग्रेजी सत्ताके दमनसे इतना विक्षोभ हुआ कि उन्होंने अपने मामलातके बन्धुओंको एक सन्देशमें लिखा कि वे अपने संकल्पपर दृढ़ रहें और अपने मनमें किसी प्रकारका भय न करें। अंग्रेजोंको उनके कुकृत्यका दण्ड

नेके लिए हम शीघ्र ही हथियारोसे लैस एक सेना तैयार कर रहे है।' कबाइली क्षेत्रमे जगह-जगह उत्तेजना फैली हुई थी और आपात् स्थितिका सामना करनेके लिए वहाँ एक काफी बडा ब्रिटिश सैन्य-बल तैयार रखा गया था। तरगजईके हाजी साहब और उनके अनुयायियोके गुप्त स्थानोपर बम बरसाये जा रहे थे। कमसे कम एक घटना तो ऐसी निश्चित ही हुई जब कि पहाडी दर्रोकी उन गुफाओके मुँहके आगे तोपे सटा दी गयी जिनमे कि वे लोग मौजूद थे और फिर गोलोकी भीषण वर्षा की गयी। अगस्तके महीनेमे अफरीदी लोग सीमाके इस पार बढ आये। उनके लिए एक काफी विशाल सेना भेजी गयी और उनके ऊपर हवाई जहाजसे एक दिनमे सैकडो बम गिराये गये। जब गाँवोके लोग अफरीदियोको सहायता देने लगे तब संकट और भी बढ गया। कई स्थानोपर तार और टेलीफोनकी सचार-व्यवस्था भंग कर दी गयी। अधिकारियोने दमन-चक्रको अधिक गति दी परन्तु इससे आन्दोलन नही रुका।

सीमाप्रान्तके अधिकारियोने सारे प्रदेशको एक बारूदखाना समझ लिया, इसलिए उन्होने यह निश्चय कर लिया कि वहाँकी जनताको किसी प्रकारकी कोई स्वतत्रता न दी जाय और जो कोई जन-प्रिय आन्दोलन वहाँ उठे, उसका तत्काल दमन कर दिया जाय। काग्रेसके प्रभावको नष्ट करनेके लिए सीमाप्रान्तके मुख्य आयुक्त (चीफ कमिश्नर) ने १० मई सन् १९३० को पेशावर जिलेके खानो, कबाइलियोके मुखियो तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियोके नाम एक विज्ञप्ति प्रचारित की

"आप व्यक्तिगत रूपसे इस बातके साक्षी है कि काग्रेस समितियोने कानून द्वारा स्थापित शासन-पद्धतिको उलटनेकी चेष्टा की है और अब भी उनके लोग यह प्रयत्न कर रहे है। क्या काग्रेस आपके पास आपकी भूमि-सम्पत्ति, आपके 'जिरगा' और आपकी 'मुजाहिब' (वेतन, पेन्शन आदि) रहने देगी ? आप काग्रेसके उन स्वयंसेवकोको, जो लाल जाकेट पहनते है, अपने गाँवमे कभी प्रवेश न करने दीजिए। वे अपने-आपको खुदाई खिदमतगार अर्थात् ईश्वरका सेवक कहते है परन्तु वास्तवमे वे गाधीके सेवक है। वे रूसके क्रातिकारी बोल्शेविकोकी पोशाक पहनते है और वास्तवमे वे बोल्शेविकोके अतिरिक्त कुछ है भी नही। वे यहाँ भी बोल्शेविकोके देश जैसा ही वातावरण उत्पन्न कर देंगे।"

पश्चिमोत्तर सीमन्त प्रदेशमे शासनने एक विशाल सैन्य बलका प्रयोग किया था। उसके लिए अपने बचावमे उसने कहा कि "यह भी दयालुताका ही एक कार्य था क्योकि उसके द्वारा लाल वस्त्रधारियोको हिसायुक्त उपद्रवका अवसर

दिये बिना ही दबा दिया गया। फलतः पेशावर तो पंचायत लोगों द्वारा ही पारिश्रिता से शासन किया जाना चाहिए।'

भारतकी सरकारने अपने प्रकाशन इण्डिया इन १९३०-३१' में सीमाप्रान्तकी गम्भीर स्थितिका विवरण सार रूपमें इस प्रकार दिया :

सरकारको सन १९३० के अगस्त मासमें फौजी कानून (मार्शल लॉ) लगाना पड़ा और उसे अगली जनवरीतक चालू रखना पड़ा। पेशावरमें दंगोंकी जो घटनाएँ हुईं उनके तुरन्त बाद ही समस्त पश्चिमोत्तर सीमान्तमें हजारा जिलेसे लेकर डेरा इस्माईल खाँ तक अशान्तिके लक्षण प्रकट होने लगे। राजकीय वायुसेना (रॉयल एयरफोर्स) ने मई और सितम्बरके बीचकी अवधिमें कबाइलियोंके क्षेत्रमें अतिम रूपसे शान्तिकी पूर्वावस्था लानेमें बड़ा सहायता की। इस सारे कालमें, जब कि अलग अलग कबाली इलाकोंमें विद्रोह और उपद्रवकी घटनाएँ हो रही थीं प्रदेशके सारे 'बन्दोबस्ती जिलों' (सैटिल्ड डिस्ट्रिक्टस) में असैनिक अधिकारियोंके शासन स्थिर रखनेमें सहयोग देनेके लिए सेनामें भी अत्यधिक नियुक्तियाँ करनी पड़ीं। जिन गाँवों और नगरोंमें शासनके प्रति अधिक वैमनस्य था उनमें सामान्यतया फौज द्वारा रातमें भी घिराव डालना पड़ा क्योंकि दिन निकल आनेके बाद गिरफ्तारियाँ करनेपर उनका प्रभाव सिविल अधिकारियोंपर भी पड़नेकी सम्भावना थी। स्थिति और अवसर विशेषको देखते हुए यह अत्यावश्यक समझा गया कि विरोधके केन्द्रोंके आस-पास लगातार कुछ दिनोंके लिए थोड़ी-थोड़ी दूरपर सैनिकोंको तैनात कर दिया जाय। इस वर्ष सीमाप्रान्तके उपद्रवोंको शान्त करनेमें प्रशासनको अनेक असुविधाओंका सामना करना पड़ा क्योंकि उपद्रवोंके कारण प्रकट रूपमें असामान्य थे। यदि १९१९ की कुछ थोड़ी सी घटनाओं या प्रसंगोंको छोड़ दिया जाय तो यह मानना पड़ेगा कि इससे पूर्व इस क्षेत्रका कोई वर्ग शेष देशके राजनीतिक आन्दोलनों और हलचलोंसे घनिष्ठ रूपमें इतना सम्बन्धित नहीं था। अबतक सीमाप्रान्तके निवासीका ध्यान मुख्य तया अपने पड़ोसीमें या स्थानीय शासनसे लंदन-बगदादपर केन्द्रित था। उसे इस बातकी कोई चिन्ता न थी कि अन्यत्र क्या हो रहा है। यदि उसका ध्यान कभी किसी ओर जाता भी था तो वह भारतकी घटनाओंपर नहीं बल्कि पश्चिमके मुस्लिम देशोंकी गतिविधियोंकी ओर जाता था। कुछ भी हो इस बार असन्दिग्ध रूपमें यह कहा जा सकता है कि इस वर्षके प्रत्यक्ष कारण कांग्रेस दलकी प्रवृत्तियाँ रहीं। सारे विस्फोटका सबसे विचित्र बात यह रहा कि कांग्रेस-संगठनने मुख्य रूपमें मुसलमानोंपर अपना व्यापक प्रभाव सिद्ध कर दिया जब कि अबतक

मुस्लिम-समाजमे उसके अनुयायियोकी संख्या अत्यत नगण्य रही थी । इसके अतिरिक्त, सुर्खपोशोके संगठन ने, जिसको खड़ा करनेकी जिम्मेदारी मुख्य रूपसे खान अब्दुल गफ्फार खाँपर है, देहाती क्षेत्रोमे दूर-दूरतक उत्तेजनात्मक विचारोको फैलाया । यह एक ध्यान आकर्षित करनेवाला तथ्य है कि 'वन्दोवस्ती जिलो' (सेटिल्ड डिस्ट्रिक्ट्स) मे इस अवधिमे जितने भी उपद्रव हुए उनमे कवाइली लोगोने कोई लूटमार नही की जैसा कि उनका आम तौरपर ढग रहा है कि वे जिस गाँवसे गुजरते थे, उन्हे लूटते जाते थे । अफरीदी लोग जिस समय अधिकारियोसे समझौतेकी चर्चाएँ कर रहे थे उस समय वे मि० गाधीकी रिहाईकी और भारतमे कुछ विशेष अध्यादेशोको भंग करनेकी माँगे भी उनके सामने रख रहे थे । ये सव वाते स्पष्ट रूपसे वतलाती है कि सीमान्तके उस पार भी काग्रेसके एजेन्ट सक्रिय रहे है ।"

कवीलेवालोने अंग्रेजी सरकारको यह अतिम चेतावनी दी थी "वादशाह खान और मलंग वावा (नंगे फकीर, गाधीजी) को रिहा करो, खुदाई खिदमतगारोको छोड दो और पख्तूनोके ऊपर जो दमन और अत्याचार कर रहे हो, उसे वन्द कर दो । यदि तुम ऐसा नही करोगे तो हम तुम्हारे साथ युद्ध घोषित कर देगे ।" उन्होने यह समझकर कि 'इन्कलाव' भी कोई व्यक्ति है, उसकी रिहाईकी भी माग की । कवीलेवालोमे भी 'इन्किलाव जिन्दावाद' एक लोकप्रिय नारा था ।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ पजावकी गुजरात जेलमे पहली वार किसी एक स्थानपर अधिक समयतक रखे गये और उनको पजाव, दिल्ली और सीमान्तके समान विचारोवाले व्यक्तियोसे, जो उस जेलमे वन्दी थे, मिलने-जुलनेकी अनुमति दी गयी । इन्ही सज्जनोमेसे कुछ भविष्यमे उनके निकट सहयोगी वने । जान पडता है कि इस समयसे ही उनके लिए उनके प्रशंसको द्वारा स्नेहभावसे या विरोधियो द्वारा व्यंग्यसे 'सीमान्त गाधी' नामका प्रयोग शुरू हुआ । इसी जेलमे उन्होने गाधीजीकी आत्मकथाका मनोयोगपूर्वक विवेचनात्मक अध्ययन किया और उस पुस्तकके कुछ अंशको अपने जीवनमे आत्मसात् करनेका प्रयत्न भी किया । अपनी कारावासकी इस अवधिमे वे न केवल सप्ताहमे एक वार उपवास रखते थे वल्कि सप्ताहमे एक दिन मौन भी रहा करते थे । अपने जेल-जीवनके सम्वन्धमे उन्होने लिखा है "हिन्दू, मुसलमान और सिख सभीका व्यवहार सद्भावनापूर्ण था और स्वभावसे वे सव लोग गम्भीर थे । मैने उनसे धार्मिक, साहित्यिक और राजनीतिक लाभ प्राप्त किये और उनके साथ कारागारमे मुझे जो परम आनन्द

मिला वह मेरे समस्त जल-जीवनका अपने ढंगका अकेला सुखद अनुभव है। एसे ज्ञानशील पुरुषोंके सान्निध्यमें अपने दिन बितानेका सौभाग्य मुझको अन्य किसी जेलमें नही मिला। डॉ० अंसारीके भाग दोनोमे हम लोगोने अपना पाठ्यक्रम बनायी थी ताकि हम शासन करनेमें सफलताय वधानिक तरीक सीख सकें। उनका विश्वास था कि हम लोगोके ऊपर निकट भविष्यमें ही शासन भार आनेवाला है। डॉ० गोपीचंद भार्गव हम लोगोके लिए लाहौरसे पुस्तकें मगवा दिया करते थे। हंसराजकी पत्नी जब जेलमें उनसे भेंट करनेके लिए आती थी तो हम लोगों के लिए भाँति भाँतिकी खानेकी चीजें लाया करती थी। प० जगतराम जो अंडमानसे इस जेलमें आये थे गीताकी कथाएँ किया करते थे और मैं कुरानकी। मौलाना जफर अली खाँ और डॉ० सफुद्दीन किचलू इस पालमण्टमें महत्त्वपूर्ण पदोके लिए सदा झगडते रहते थे और सीमा प्रान्तके राजनीतिक बंदियोंको अपनी ओर मिलानेका प्रयत्न करते रहते थे क्योंकि हम लोग जिस पक्षमें भी जाते थे, अतमें उसीकी जीत होती थी। देवदास गांधी हम लोगोंके साथ कई मास रहे। हममेंसे कुछ लोग पकौड़े तथा अन्य स्वादिष्ट वस्तुएँ बनाया करते थे। हम सभी बड़े भाग्यशाली थे। उन दिवसोंकी सुखद स्मृतियोंको मैं अब भी अपने मनमें सजोये हूँ।

जिन दिनों हम लोग जेलमें थे उन दिनों अत्याचारी सरकार अमानवीय कृत्योंमें लगी थी। मियाँ जफर शाह और अब्दुल शाहने, जो हम लोगोंसे जेलमें मुलाकात करने आये हमें सीमान्त प्रदेशकी सारी स्थितिकी जानकारी करायी। हमने उनसे निवेदन किया कि वे मुस्लिम लीगके नेताओंको जनताकी इस दुर्दशासे अवगत करनेके लिए और उनकी सहायता लेनेके लिए लाहौर दिल्ली और शिमला जानेकी कृपा करें। कमसे कम वे बाह्य जगतको सीमाप्रान्तकी स्थितिसे परिचित तो करायें। कुछ महीनोंके बाद वे हमारे पास फिर भेंट करने आये। उन्होंने बतलाया कि मुस्लिम लीगके नेता हमारी सहायता नही करना चाहते क्योंकि हम अग्रेजोंके कायमें बाधा डाल रहे हैं। वे अग्रेजोंसे विरोध करनेको तयार नही है बल्कि हिन्दुओंसे लड़ना चाहते हैं। तबतक हम लोग काग्रेसमें शामिल नहीं हुए थे। डूबता हुआ आदमी तिनकेका सहारा पकड़ता है। मुस्लिम लीगके विरोध करनेपर हमने अपने इन दो सत्याग्रहियोंसे प्रार्थना की कि अब वे सहायताके लिए राष्ट्रीय काग्रेसके नेताओंके पास जायें। वे लोग काग्रेसके नेताओंसे भी मिले। यदि वे भारतके स्वाधीनता सग्राममें सक्रिय भाग लें तो वे हमको हर प्रकारकी सहायता देनेको तयार थे हम लोगोंने अपने साथियोंसे कहा

कि वे सीमा प्रदेशमे जाकर खुदाई खिदमतगारोके प्रान्तीय जिरगेमे काग्रेसके इस प्रस्तावको विचारार्थ प्रस्तुत करें। जिरगाने सर्वसम्मतिसे काग्रेसका साथ देनेका निश्चय किया और फिर सार्वजनिक रूपसे काग्रेसमे शामिल हो जानेकी घोषणा की।

"जव अंग्रेजोको काग्रेसके साथ पख्तूनोके संयुक्त मोर्चेका समाचार ज्ञात हुआ तव उनको होश आया। उन्होने मेरे पास मिलने और समझौता करनेका सन्देश भेजा। उन्होने कहा कि वे सारे सुधार, जो भारतमे कार्यान्वित हुए है, तुरन्त ही सीमा प्रदेशमे भी लागू कर दिये जायँगे। यदि हम काग्रेसके साथ नही जायँगे तो हमको केवल ये सुविधाएँ ही नही मिलेगी वल्कि भविष्यमे भी सुधारोके मामलेमे हमारे प्रदेशको शेप भारतसे प्राथमिकता दी जायगी। मैने जेलके सभी राजनीतिक वन्दियोको इकट्ठा किया और उनको यह सारी कथा सुनाकर उनकी सलाह माँगी। उनमेसे अधिकतर लोगोकी यह राय थी कि मै इस मौकेका लाभ उठा लूँ। उन लोगोका कथन था कि मैं कूटनीतिका मार्ग ग्रहण करूँ और अंग्रेजोके इस प्रस्तावको स्वीकार कर लूँ। उनकी यह सम्मति सुनकर मैने कहा कि मै अवसरवादी नही हूँ। न अंग्रेज ही इस योग्य है कि उनके ऊपर भरोसा किया जा सके। इसके अतिरिक्त हमे उस प्रतिज्ञासे भी च्युत नही होना है जो कि हमने काग्रेसके साथ की है और नैतिक रूपमे हम जिससे वँधे हुए है। मैने ब्रिटिश सरकारको अपना यह उत्तर लिख भेजा, "आप लोगोने हमपर विश्वास नही किया इसलिए हम लोग भी आपपर विश्वास नही करेंगे।"

प्रथम गोलमेज कान्फ्रेसने लन्दनमे अपना कार्य जनवरी सन् १९३१ तकके लिए स्थगित कर दिया। वहाँ लगभग दस सप्ताहतक साइमन-कमीशन द्वारा वतलायी गयी नीतिका आधार लेकर सविधानके सम्वन्धमे भिन्न-भिन्न समितियोकी वैठकें होती रही। काग्रेसकी शक्ति और उसके द्वारा भारतकी वहुसंख्यक जनताके प्रतिनिधित्वकी वात एकके वाद दूसरे वक्ता द्वारा दुहरायी गयी और स्वीकार की गयी। ब्रिटेनके प्रधान मंत्री रेमजे मैकडोनाल्डने कहा, 'महामहिम सम्राट्की सरकारको कान्फ्रेन्सकी प्रकृतिको देखते हुए और लन्दनमे उसे दिये जानेवाले सीमित समयको देखते हुए यही उचित प्रतीत होता है कि उसके कार्यको इसी जगह तवतकके लिए स्थगित कर दिया जाय जवतक कि अवतकके कार्यपर भारतवासियोकी सम्मति नही ले ली जाती और उन कठिनाइयोपर, जो उसके कामके वीचमे आ खडी हुई है, विजय पानेके लिए प्रयास नही किये जाते।"

२५ जनवरी सन् १९३१ को भारतके वाइसराय लार्ड इरविनने एक वक्तव्य

गांधी-इरविन समझौतेके फलस्वरूप खान अब्दुल गफ्फार खांके अलावा शेष सब राजनीतिक कैदियोंको गुजरात जेलमें रिहा कर दिया गया। जब उन्होंने जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टसे पूछा कि केवल मुझको ही क्यों नहीं छोड़ा गया तब उनको उत्तर मिला कि सर फज्ले हुसैन और नवाब सैयदजादा सर अब्दुल कय्यूम सरीखे कुछ प्रमुख मुस्लिम नेता आपसे मिलना चाहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, 'मैं उनसे नहीं मिलना चाहता। जब हम विपत्तिमें थे तब उन्होंने हमारी कोई सहायता नहीं की और अब जब कि समझौता हो चुका है उनको मेरी याद आयी है। कृपया उनसे कह दीजिए कि वे मुझसे मिलनेके लिए यहां न आयें।'

पश्चिमोत्तर प्रदेशके चीफ कमिश्नर सर स्टुअर्ट पियर्स खान अब्दुल गफ्फार खांकी रिहाईके विरोधी थे। उन्होंने वाइसरायको सूचित किया कि सीमा प्रान्तमें दो बेमेल व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते वे अथवा मैं दोनोंमेंसे एक ही आदमी इस प्रदेशमें रहेगा।'

गांधीजीने इस बातपर जोर दिया कि खान अब्दुल गफ्फार खां कांग्रेसी व्यक्ति हैं इसलिए उनको रिहा कर देना चाहिए। वाइसरायने जवाब दिया कि पठान आपको धोखा दे रहे हैं। उनका अहिंसामें विश्वास नहीं है। आप उनके प्रान्तकी स्थितियोंका अध्ययन करनेके लिए वहां जाइये। अन्तमें खान अब्दुल गफ्फार खांको छोड़ दिया गया।

अपनी रिहाईके तत्काल बाद ही ११ मार्च सन् १९३१ को खान अब्दुल गफ्फार खांने इरविन-गांधी-सन्धि-वार्ताको एक अस्थायी समझौतेका नाम दिया और आवश्यकता पड़नेपर जनताको संघर्षके लिए तैयार रहनेका सन्देश दिया। उन्होंने यह घोषणा भी की कि वे खुदाई खिदमतगारोंको सच्चा लड़ाकर एक लक्ष्यतक पहुंचा देना चाहते हैं। वे अचानक ही पेशावर पहुंचे और वहां एक विशाल जन-समुदायने अपनी अन्तःप्रेरणासे ही उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने पेशावर नगरमें कई स्थानोंपर भाषण किये जिनमें सहायक अस्थायी समझौतेकी चर्चा भी शामिल थी।

अपने गांव उतमानजई पहुंचनेपर खान अब्दुल गफ्फार खांका अत्यन्त उत्साहके साथ स्वागत किया गया। उन्होंने अपना एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोया और खुदाई खिदमतगारोंके संगठनके कामको तेज किया। उन्होंने अपने एक व्याख्यानमें कहा, 'फिरंगियोंका एक भाग तो टूट ही चुका है। जब तुम लोग उठो और उसका दूसरा भाग तोड़नेके लिए तैयार हो जाओ। यह तुम्हारा अपना देश है

जिसे ईश्वरने तुम्हे बख्शा है। लेकिन तुम्हारी आपसकी फूटके कारण फिरंगियोने इसपर अपना अधिकार जमा लिया है। तुम्हारे बच्चे भूखे और प्यासे मर रहे हैं जब कि उनके बच्चे आरामकी जिन्दगी बिता रहे है और जो कुछ वे चाहते हैं, उनको वह मिलता है।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने भाषणोमे जो बार-बार टूटे हुए सीगका उल्लेख किया था, उसके कारण अंग्रेज उनमे बहुत रुष्ट हो गये और सन्धिके होते हुए भी उनको एक बहुत बडा द्वेषी समझने लगे। अग्रेज कहने लगे कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ निर्माणके लिए नही बल्कि विध्वसके लिए कार्य कर रहे है। उन्होने सीमाप्रान्तके नेताओसे कहा, 'आप लोग सुशिक्षित व्यक्ति हैं। खान अब्दुल गफ्फार खाँ आपकी भाँति पढे-लिखे नही है। काम आप लोग करते है और उसका श्रेय उनको मिलता है। वे अपनी प्रवृत्तियोसे आप लोगोके लिए एक मुसीबत खडी कर देते हैं।' इस मिथ्या प्रचारने खान अब्दुल गफ्फार खाँके निकट सहयोगियोपर भी अपना प्रभाव डाला। उन लोगोने मरदानमे काजी अताउल्लाहके यहाँ एक बैठक की। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे आग्रह किया कि वे अपने दौरे रोक दे और अंग्रेजोके टूटे हुए सीगको बजाना बन्द कर दें। 'तब मैं उन लोगोसे क्या कहूँ ?' खान अब्दुल गफ्फार खाँने उन लोगोसे पूछा। वे बोले, 'अब हम लोगोने अग्रेजोके साथ सन्धि कर ली इसलिए अब हमे एक दूसरेकी ओर मित्रताका हाथ बढाना चाहिए।' खान अब्दुल गफ्फार खाँने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि इससे पख्तूनोमे चेतनाकी भावना जाग्रत नही होगी और इस बातपर बल दिया कि यह सन्धि स्थायी नही है। 'ईश्वरने हम लोगोको काम करनेका एक अच्छा अवसर दिया है। उसे हमे नष्ट नही करना चाहिए।'

मार्चके अतमे कराचीमे काग्रेस अधिवेशन हुआ। उसमे सन्धिको और भी स्थायित्व दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ लगभग सौ खुदाई खिदमतगारोके साथ वहाँ पहुँचे। इनकी सुर्ख वर्दियाँ लोगोपर बडा प्रभाव डाल रही थी और इनके साथ उनका बैण्ड बाजा था। इन लोगोको काग्रेसके वार्षिक अधिवेशनमे पहली बार आमंत्रित किया गया था और इनको ठहरनेके लिए काग्रेस नगरमे एक पृथक् शिविर दिया गया था।

कराचीमे राष्ट्रके जन-नायक भगत सिहकी फासीके दिन कांग्रेसका पण्डाल प्रतिनिधियोसे खचाखच भरा हुआ था। वातावरणमे एक कसाव-सा भरा हुआ था। पिछले दिनों हुए साम्प्रदायिक दंगोने, जिनमेसे एकमे श्री गणेश शंकर

कारके साथ, जिनसे कि एक पिता अपने पुत्रोको समझाता है, कहना चाहता हूँ कि हिंसाका मार्ग केवल अध पतनकी ओर ही प्रवृत्त करेगा। मै तुम्हे इस समय विस्तारसे नही समझा सकता कि ऐसा क्यो ? क्या आप ऐसा सोचते है कि ये सब महिलाएँ और बालक, जिन्होने विगत सघर्षमे देशसे गौरव प्राप्त किया, हिंसाका पथ पकडकर वह पा सकते थे ? तब क्या ये यहाँ आज होते ? यदि हममे हिंसाकी भावना रही होती तो क्या हमारी महिलाओने, जो विश्वमें सबसे अधिक नम्र समझी जाती है, ऐसा अनूठा देश-सेवाका कार्य किया होता ? हमने अहिंसाकी शपथ ली थी इसीलिए हम लाखो पुरुषो, स्त्रियो और बालकोको स्वाधीनता-संग्रामका सैनिक बना सके।

"मै युवकोसे यह विनय करता हू कि वे अपनेमे धैर्य और आत्म-संयम रखे। क्रोध हमको आगे नही ले जा सकता। मैने अग्रेजोके विरुद्ध सत्याग्रहका प्रयोग किया परन्तु मैने उनको कभी शत्रु नही समझा। हमे अंग्रेजोको अपना शत्रु समझनेकी आवश्यकता भी नही है। मै उनको बदलना चाहता हूँ और इस हृदय-परिवर्तन द्वारा जो प्रेमका एकमात्र पथ है। मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे चालीस वर्षके अहिंसाके सतत अभ्यासपर विश्वास करे।"

२९ मार्चको एक खुले हुए क्रीडागनमे अधिवेशन हुआ, जो लगभग ३२०० प्रतिनिधियो और कई हजार दर्शकोसे खचाखच भरा हुआ था। काग्रेसके अध्यक्ष सरदार वल्लभभाई पटेलने एक जुलूसके साथ प्रवेश किया जिसमे आगे दो राष्ट्रीय ध्वज लिये हुए स्वयंसेवकोकी टोली चल रही थी और उसके बाद ही खुदाई खिदमतगारोका जत्था था जो बैण्ड बजाता चल रहा था। इस जुलूसमे गाधीजी, सुभाष बोस, खान अब्दुल गफ्फार खाँ तथा कार्यकारिणीके अन्य सदस्य थे। सरदार पटेलके छोटेसे भाषणकी मूल भावना थी, 'काग्रेस राष्ट्रकी कोटि-कोटि जनताका प्रतिनिधित्व करती है और उसका अस्तित्व उस जनताके ही निमित्त है।' अधिवेशनका मुख्य प्रस्ताव सन्धिकी शर्तो और गोलमेज कान्फ्रेन्सके सम्बन्धमे था। प्रस्तावके समर्थकोमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ भी थे। 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारोके साथ वे मंचपर आये और उन्होने सक्षेपमे प्रस्तावका समर्थन किया। उन्होने कहा कि वे बीमार है परन्तु वे गाधीजीका आदेश नही टाल सकते। वे मात्र एक सैनिक है। जब कप्तानने सिपाहीसे पूछा कि वह क्या जानता है तब उसने उत्तर दिया कि वह केवल आदेश पालन करना जानता है। पठानोका गाधीजीमे गहरा विश्वास है और उन्हीके कारण वे भारत और भारतीयोंके मित्र बने है।

खान अब्दुल गफ्फार खांके तुरन्त बाद गाधीजीने भाषण किया। वे अग्रेजी

और हिंदी दोनों भाषाओंमें बोले। उन्होंने जोर देते हुए कहा, 'हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। यदि प्रतिनिधिमंडल यहाँ भारतमें अथवा इंगलैंडमें आयोजित कान्फ्रेंसमें जाता है और विचार विमर्शमें भाग लेता है तो वह डेप्यूटेशन पूर्ण स्वराज्य लेकर ही आयेगा इसका वचन कैसे दिया जा सकता है? हाँ वह तभी वापस आयेगा जब कि कांग्रेसका भारतीय जनताके प्रतिनिधित्वका पूर्ण अधिकार स्पष्ट हो जायगा, उससे क्षणभर पहले नहीं। यदि वह अपने साथ पूर्ण स्वराज्य लेकर लौटता है तो यह कांग्रेसकी सबसे महान् उपलब्धि समझी जायगी। हम अपनी ओरसे और उस प्रतिनिधि-मंडलकी ओरसे जिसको आप हमारे साथ भेजना चाहते हैं मैं केवल विश्वासपूर्वक यह वचन दे सकता हूँ कि हम किसी भी रूप अथवा प्रकारमें कांग्रेसके प्रति अविश्वासी नहीं होंगे।

सीमाप्रान्तके लोगोंने स्वाधीनता संग्राममें जो गौरवपूर्ण भूमिका निभायी थी उसका स्थान-स्थानपर उल्लेख किया गया और उसके सम्बन्धमें दो प्रस्ताव स्वीकार किये गये। एक प्रस्तावमें कहा गया कहते हैं सीमाप्रान्तमें यह प्रचार-कार्य चल रहा है कि कांग्रेस वहाँके लोगोंके हितोंकी चिन्ता नहीं करती। इसलिए यह उचित समझा जाता है कि कांग्रेस इस सन्देहके निराकरणके लिए कदम उठाये। यहाँ कांग्रेस अपना यह मत स्पष्ट करती है कि किसी भी संवैधानिक व्यवस्थामें सीमाप्रान्तमें नागरिकोंका वही स्थान होगा जो भारतके अन्य प्रान्तोंमें होगा।

अन्य प्रस्तावमें कांग्रेसने सीमाप्रान्तकी अग्रगामी नीति (फारवर्ड पॉलिसी) का उल्लेख किया। पं० जवाहरलाल नेहरूने कहा [illegible] पिछले वर्षोंमें अफगान जनताको असभ्य बर्बर लोगोंके रूपमें चित्रित किया गया है जो कि हत्याओं और लूटमारके लिए घूमते रहते हैं। यह भ्रान्त धारणा फैलायी गयी है कि जिस दिन अंग्रेज सरकार भारतसे चली जायगी उस दिन पठान आकर लूटमार मचा जायेंगे। ऐसा प्रचार भारतके बाहर भी सीमान्तमें मिथ्या धारणाएँ फैला रहा है। [illegible] जातियोंको अच्छी तरह जानता हूँ। वे हमारे [illegible] वीर और [illegible] हैं। [illegible] कि [illegible] है कि [illegible] सीमान्तकी [illegible] अत्यन्त गौरवपूर्ण [illegible]। [illegible] [illegible] उस [illegible] [illegible] [illegible] है [illegible] प्रदान किया है। [illegible] [illegible] [illegible] हुए [illegible] [illegible] है [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible]

के लिए कह रहा हूँ जिसको कि मै आपके समक्ष उपस्थित करने जा रहा हू ।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने प्रस्तावका समर्थन करते हुए कहा कि ब्रिटिश सरकार पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके तथ्योसे भारतीयोको जान-बूझकर अपरिचित रख रही है। वे दिन लद गये जव कि अग्रेज सरकार अफगान आक्रमणका भय दिखलाकर भारतीयोको विभाजित रख सकती थी। आज पख्तूनोका महात्मा गाधीपर पूर्ण विश्वास है और यदि उनको भविष्यमे सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडना पडा तो भारतको पूर्ण स्वराज्य दिलानेके प्रयत्नमे पख्तून किसीसे पीछे नही रहेंगे। 'हम यह दिखला देंगे कि वास्तवमे हम क्या है ?' खान अब्दुल गफ्फार खाँने जोरदार शब्दोमे कहा। उन्होने साम्प्रदायिक एकताकी अपील करते हुए लोगोंमे कहा कि गुलामोका कोई धर्म नही होता। हिन्दुओ और मुसलमानोको जातीय मामलोंको लेकर लडना नही चाहिए। उन्होने उपस्थित जनतासे कहा कि अग्रेज सरकार सीमाप्रान्तमे भारतके विरुद्ध प्रचार कार्य कर रही है। वह वहाँके लोगोसे यह पूछती है कि महात्मा गाधीकी रिहाईसे तुम्हे ऐसा क्या मिल जायगा जो पिछले वारह माससे तुम उनकी रिहाईकी माग कर रहे हो ? गाधीजीने तुम पख्तून लोगोके लिए क्या किया है ? अत. यदि आजका यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया तो सीमाप्रान्तकी जनताके लिए यह एक शुभ कामनाका संदेश होगा।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अफरीदी लोगोकी ओरसे गाधीजीको एक संदेश दिया जिसमे उन्होने महात्माजीसे अपने प्रदेशमे आनेकी प्रार्थना की थी। उन्होने लिखा था कि आप स्वय यहाँ आकर यहाँकी स्थितिका अध्ययन कीजिए और देखिए कि भारतको दासताके वन्धनमे जकडे रहनेके लिए किस प्रकार लाखों रुपयोका अपव्यय किया जा रहा है। अफरीदी लोगोने यह भी सुझाव दिया था कि यदि गाधीजीको उनकी मागें न्याययुक्त प्रतीत हो तो वे ही उनके वीचमे मध्यस्थका कार्य करें। वे अग्रेज सरकारपर इस वातका जोर डाले कि वह उनके देशको छोड दे और उनको स्वतन्त्र कर दे। अपने भाषणके अन्तमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि केवल गाधीजी ही पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और सरहदी इलाकेमें शान्तिकी स्थापना कर सकते है और इस प्रकार वे सेनाके एक लम्वे-चौडे खर्चको वचानेमे भी सहायता कर सकते है।

करांचीमे मूलभूत अधिकारो सम्वन्धी एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया, 'जनताके शोषणका अंत करनेके लिए राजनीतिक स्वतन्त्रतामे लाखो मरते हुए लोगोकी वास्तविक आर्थिक स्वाधीनताका भी समावेश होना चाहिए।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके निकट सहयोगी काग्रेससे अत्यधिक

प्रभावित हुए। उन्होंने वहाँ लोगोंसे विचार विनिमय किया। इस बार वे नेहरू जी तथा गांधीजीसे पूर्ण रूपसे परिचित हो गये। खुदाई खिदमतगार कर्त्तव्यपरायण और अनुशासित लोग थे और जहाँ भी कोई कठिन काम करना होता था वहाँ उनको भेजा जाता था। वे भी उस कामको सुचारु रूपसे पूरा करते थे। वे बड़े लोकप्रिय हो गये। वे जहाँ भी गये वहाँ लोगोंने उनका हार्दिक स्वागत किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अहिंसाके एक निष्ठावान् उपासकके रूपमें गांधीजीके मनपर एक छाप छोड़ दी।

पैगम्बरका कार्य

१९३१

कराचीमे ही गाधीजीको गोलमेज कान्फ्रेन्समे भारतका प्रतिनिधित्व करनेका आदेश-पत्र दे दिया गया। परन्तु लन्दनका रास्ता टेढा-मेढा था। इंगलैण्ड और भारत दोनो स्थानोमे अधिकारोके हित इस सन्धिके विरोधी थे। विन्सेन्ट चर्चिल ने कहा था, 'यह आश्चर्यजनक और अशोभनीय दृश्य है कि मिडिल टैम्पल कॉलेज पढा हुआ राजद्रोही वकील, जो अव एक फकीरका स्वाग भरे हुए है, अध-नंगा वाइसरायके राजभवनकी सीढियाँ चढता जा रहा है। ऐसे फकीर 'पूर्व' मे वहुत दिखलाई देते है। वह सम्राट् महोदयके प्रतिनिधिसे समान शर्तोको लेकर चर्चा करना चाहता है, हालाँकि वह अवतक सविनय अवज्ञाके अभियानको सग-ठित कर रहा है और उसे कार्य-रूप दे रहा है।' भारतीय सिविल सर्विसका सर्वत्र यही दृष्टिकोण था।

पहला अवरोध, जिसको गाधीजीने हटानेका प्रयत्न किया, साम्प्रदायिक उल-झन था। इस कार्यका आरम्भ गाधीजीने कराचीमे ही कर दिया जहाँ कि १ अप्रैल सन् १९३१ मे मौलाना आजादके सभापतित्वमे 'जमायत-उल-उलेमाए-हिन्द' का वार्षिक अधिवेशन हुआ। उपस्थित जन-समुदायको सम्वोधित करते हुए गाधीजीने आगरा, वनारस, कानपुर, मिर्जापुर तथा कुछ अन्य स्थानोके साम्प्र-दायिक दंगोका उल्लेख किया, जिनमे हिन्दू और मुसलमान आपसमे शत्रुओं-की भाँति लडे थे। गाधीजीने किसी एक ही जातिपर दोपारोपण नही किया। उन्होने कहा, 'इस्लामके विद्वान् अध्यात्मवादियो, मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने श्रेष्ठ पदका उपयोग करें और मुसलमानोके भीतरसे साम्प्रदायिकताके विपको समूल नष्ट कर दें एवं उनको आपसी प्रेम और सहन-शक्तिके सिद्धातकी शिक्षा दें। मै ऐसे ही हिन्दुओसे भी निवेदन करूँगा कि वे घूसेका जवाव घूसेसे न दे वल्कि मुसलमानोको उस समय भी अपना भाई समझे जव कि उनकी गलती हो।' यह वात गाधीजीके मनमे पैठ चुकी थी कि केवल हिन्दू-मुस्लिम एकता ही भारतको स्वराज्य दिलवा सकती है और जवतक आपसकी साम्प्रदायिकताकी यह उलझन नही सुलझती तवतक गोलमेज कान्फ्रेन्समे जाना भी कोई अर्थ नही रखता। अपने निजके वारेमे उनका कहना था कि जो कुछ मुसलमान चाहते है

वह देकर भी मैं उनको अंगीकार किये रहनेको तयार हूँ। उन्होने काग्रसके मूलभूत अधिकारोकी घोषणाका हवाला दिया और कहा कि वह स्वराज्य, जिसके लिए वे काय कर रहे ह, गरीबोके लिए स्वराज्य होगा। इसके पश्चात उन्होन उपस्थित जन-समुदायसे हिन्दू-मुस्लिम एकताके अपने उन प्रयासोंके लिए आशी र्वादोकी प्राथना की जिनके लिए व अगले दिन दिल्ली जा रहे थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ, उन्नीस लाल कुर्तीवालोंके एक छोटेसे दलके साथ ४ अप्रलको कराचीसे बम्बई आ गये। उतरते ही उनको फूल-मालाए पहनायी गयी। एक हजारसे भी अधिक व्यक्तियोंने बन्दरगाहपर पहुँचकर उनका स्वागत किया और वे उनको एक विशाल जुलूसमे अपने साथ ले चले। इस जुलूसके आग आगे लाल कुर्तीवाले मसक बाजे और ढाल बजाते हुए चल रहे थ। उनके पीछे मुस्लिम स्वयसेवकोकी टोलियाँ थी। सजी हुई मोटर-कारें और ट्रकें उनको तथा उनके साथियोको चढाकर ले जानेकी प्रतीक्षा कर रही थी परन्तु उन्होने जुलूस के साथ-साथ नगरमे पैदल चलना ही उचित समझा। अपने बम्बईके केवल दो दिनोके प्रवासमे उन्होने लगभग एक दजन सभाओमे भाषण किये जिनमे उन्होन हिन्दू-मुस्लिम एकताके पक्षका समथन किया मुसलमानोको काग्रेसमे शामिल हो जानेकी सलाह दी और पठानोंके सम्बन्धमे जो मिथ्या धारणाए फली हुई थी उनके निराकरणका प्रयास किया। रातको लगभग दस बजे उन्होने डोंगरी मदान में एक सभामें भाषण किया। इस बस्तीमे पठान लोग विशेष रूपसे निवास करते थे। लगभग दस हजार श्रोताओकी भीडको सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा

प्रिय भाइयो म एक साधारण व्यक्ति हूँ। आप मेरे सम्बन्धमे बहुत ऊचे विचार मत बनाइये। हम लोगोंमे यह आदत ह कि हम दूसरोका अत्यधिक मूल्याकन करते ह। हम लोग विशेष रूपसे मुसलमान लोग बहुत निराशापूर्ण स्थितिमें ह। जब भी कोई व्यक्ति मेरे लिए अत्यधिक आदर भावना प्रदर्शित करता ह तब म अपने-आपको लज्जित अनुभव करने लगता हू। म देखता हूँ कि मने कोई असामान्य काय नही किया। हम भारतीय यह नही जानते कि सेवा कसे की जाती ह और हम लोगोमसे यदि कभी कोई थोडा-सा काम भी कर लेता ह तो हम उसकी अति प्रशसा करने लगते ह। मने हमेशा यही कहा और माना ह कि जो कुछ मने किया ह उसे करना प्रत्येक मुसलमानका कत्तव्य ह।

म कोई वक्ता नही हूँ। म यह नही जानता कि बात कसे की जाती ह लेकिन म यह जानता हूँ कि काम कसे किया जाता ह। म आपको यह बतलाना चाहता हूँ कि अफगान राष्ट्र क्या ह और पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश क्या?

और हम पख्तूनोके तथा हमारे प्रान्तके विरुद्ध यह प्रचार-कार्य क्यो किया जा रहा है ? आप लोग समाचार-पत्रोमे सीमान्त प्रदेशके विरुद्ध लेख पढते होगे और अलग-अलग मचोसे उनके खिलाफ किये जानेवाले भापण सुनते होगे। यदि आप कभी किसी पत्रके सम्पादकसे पूछें अथवा किसी नेतासे प्रश्न करे कि क्या उसने कभी सीमान्त प्रदेश देखा है और क्या उसकी वहाँके लोगोके लोक-जीवन और संस्कृतिके सम्बन्धमे व्यक्तिगत जानकारी है, या क्या वह कभी अफगानोके बीचमे, उनके साथ रहा है, तो आपको इन प्रश्नोका उत्तर नकारात्मक ही मिलेगा। भारतके नेता और पत्रकार सीमान्त प्रदेशके सम्बन्धमे कोई जानकारी नही रखते फिर भी वे सदैव उस प्रान्त और वहाँके निवासियोके वारेमे लम्वे-लम्वे भापण करते है और लेख लिखते है। मै आपसे यह कहना चाहता हूँ कि यह सव अंग्रेजो-का प्रचार है। व्रिटिश लोगोने यह जान लिया है कि अफगान एक सैनिक जाति है। आरम्भमे हम अपनी स्थितिको नही समझ पाये लेकिन हमारा शत्रु हमारी स्थितिको भली भाँति पहचान गया और उसने सारे भारतवासियोमे हम अफगान लोगोको ही सवसे पहले वदनाम करनेकी कोशिश की। आप सव लोगोने सीमान्त प्रदेशमे हुई डकैतियोके समाचार अखवारोमे पढे होगे लेकिन मै आपको वत-लाता हूँ कि वे सव राजनीतिक डकैतियाँ है। वे केवल हिन्दुओके घरोमे ही नही हुई वल्कि उनमे मुसलमानोके घरोको भी लूटा गया है। फिर केवल हिन्दुओके लुटनेके समाचार ही क्यो प्रकाशित किये गये इसका कारण आप लोग भली भाँति समझ सकते है। अंग्रेजी सरकार इतने हवाई जहाजो और मशीनगनोके रहते हुए भी सरहदी लुटेरोसे हमारी रक्षा नही कर सकी और डकैतियाँ की गयी। इसका अभिप्राय यह रहा है कि हम सीमान्त प्रदेशके निवासी सदैव अंग्रेजोकी सहायताकी ओर देखते रहे और अफगानोसे डरकर अंग्रेजोके गुलाम वने रहे। मै यह दावा नही करता कि अफगानोके देशके सभी लोग भले है। दूसरे देशोमे भी जहाँ अच्छे लोग है, वहाँ वुरे लोग भी है। यही वात अफगानोके साथ है। सन् १९३० की आजादीकी लडाईमे पख्तून जनताने वहुत त्याग किया और सविनय अवज्ञा आन्दोलनकी ज्योतिको वुझने नही दिया। अंग्रेजोने हमारे प्रान्तमे आन्दोलनको कुचल देनेकी वहुतेरी कोशिश की लेकिन वे सफल नही हो सके। अंग्रेज पिछले सौ वर्षोके अनुभवसे यह जानते है कि यदि सीमा-प्रान्तकी जनताने आजादीकी लडाईमे शेप भारतवालोका साथ दिया तो इससे उनकी शक्ति दुगुनी हो जायगी। यह एक ऐसा भेद था जिसको हम और आप नही जानते थे। अंग्रेज इसे अच्छी तरहसे समझते थे और यही कारण था कि उन्होने हमको वद-

नाम करके भारतीयोंकी दृष्टिमें गिरा दिया। मैं अपने हिन्दू, सिख पारसी, ईसाई और यहूदी बन्धुओंसे यह निवेदन करूँगा कि वे इस बातपर विचार करें और अफगानोंके सम्बन्धमें जो भ्रमपूर्ण विचार उन्होंने बना रखे हैं, उनको त्याग दें।

"मैं थका हुआ हूँ और मैंने सारे दिन विश्राम नहीं किया है इसलिए मैं अधिक विस्तारमें नहीं जाऊँगा। न यह जरूरी है कि मैं कांग्रेसके मामलोंपर विस्तारसे चर्चा करूँ। मुख्य बात यह है कि हम कांग्रेससे जो निर्देश मिलें, हम उनके ऊपर चलें। यदि हम सारी रात बातें करते रहें और उनके अनुसार व्यवहार न करें तो वे बातें निरर्थक होंगी। जब मैं अपने मुस्लिम बन्धुओंके मुखसे यह सुनता हूँ कि कांग्रेस हिन्दुओंकी जमात है तब मुझको आश्चर्य होता है। वास्तविकता यह है कि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जिसमें हिन्दू मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई सभी लोग हैं और इसीलिए उसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम दिया गया है। उसका लक्ष्य भारतको स्वतन्त्र करना है, भूखे भारतवासियोंको भोजन देना और नग्न लोगोंको वस्त्र देना है। मुझे यह कहते हुए शर्म है कि वास्तवमें यह कार्य मुसलमानोंका था, जिसको कि औरोंने अपने जिम्मे ले रखा है। मैं मुसलमानोंसे पूछता हूँ कि हिन्दुस्तान उनका अपना देश है या नहीं? और यदि स्वराज्य प्राप्त होना है तो वे उसमें भागीदार होंगे या नहीं? क्या वे अपने अधिकारोंकी माँग नहीं करेंगे? यदि मुसलमान कहते हैं कि यह उनका देश नहीं है और यदि उनके प्यारे अंग्रेज लोग यहाँसे जाते हैं तो क्या भारतके मुसलमान भी उनके साथ जायेंगे? मेरा कहना है कि वे उन अंग्रेजोंसे पूछकर देख लें कि क्या वे उनको अपने साथ जहाजपर सफर करने देंगे? जहाँतक मेरा ख्याल है वे काले आदमियोंको अपने उस जहाजपर साथ रहनेकी अनुमति नहीं देंगे। जिस प्रकारसे यह देश आप लोगोंका है उसी प्रकारसे यह हिन्दुओं, पारसी, सिखों और ईसाइयोंका भी है। मैं आपसे यह पूछता हूँ कि क्या अपने देशकी सेवा करना आपका कर्तव्य नहीं है? मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूँ कि जो समाज समयके अनुसार नहीं चलते वे नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि इतिहासकी कोई शक्ति इस आन्दोलनको रोक नहीं सकती और भारत स्वतन्त्र होकर ही रहेगा। जब भारत स्वाधीन होगा और आप लोग इस मुल्कमें रहेंगे तब क्या आपको इस बातका दुःख न होगा कि आपने स्वराज्य को पानेके लिए कोई भी प्रयत्न नहीं किया? यह कहना अपमानजनक है कि कांग्रेस हिन्दुओंकी है। वास्तवमें यह सच्चे भारतका प्रतिनिधित्व करती है और इस [illegible]

ासनका अन्त करना है। मै आपसे यह कहना चाहता हू कि आप रसूल पाकके
पदेशोको भूल चुके है। मै आपसे पूछता हू कि 'जिहाद' क्या है ? महान् रसूल-
ी शिक्षाओंके अनुसार जिहाद अत्याचारी शासकके आगे सत्यको प्रकट करना
ै। यदि हम मुसलमान हैं तो हमको अपने पैगम्बर रसूलके उपदेशोके अनुसार
लना चाहिये। आप कुरान शरीफका अध्ययन कीजिए और देखिए कि जहाँतक
ुलामीका सम्बन्ध है, उसमे हमे क्या उपदेश मिलता है ? आप अपने मौलवियोसे
ूछकर देखिए कि दासता अपमानजनक वस्तु हैं या नही ? हमे इस बातको मह-
सूस करना चाहिए कि आज हम लोग गुलाम हैं, काग्रेस हम लोगोको इस गुलामी
से मुक्ति दिलाना चाहती है। क्या आप इस दासतासे मुक्त होना चाहते है ? आज
आजादीका झण्डा महात्मा गाधीके हाथोमे हैं। यह सचमुच हमारे लिए कैसी
लघुताकी बात है ? आजादीका यह झण्डा तो मुसलमानोके हाथोमे होना चाहिए
था, हमको इस आन्दोलनका नेतृत्व करना चाहिए था और संसारके देशोको हमारे
पीछे चलना चाहिए था। हमारे पैगम्बर साहबने हमको यह उपदेश दिया हैं कि
हम सताये हुए लोगोकी सहायता करें और अत्याचारियोका नाश करे। आज
हिन्दू, मुसलमान, सिख, पारसी और ईसाई सभी सताये हुए लोग है और अंग्रेज
सरकार उनपर अत्याचार कर रही हैं जिसने कि हमारे देशमे ही हम सबके
सारे अधिकारोको छीन लिया हैं। यदि मुसलमान इस ससारमे एक सम्मानपूर्ण
जीवन व्यतीत करना चाहते हैं तो उनको सताये हुए लोगोकी सहायता करनी
चाहिए। आपने कुरानमे इसराइलियो और हजरत मूसाकी कथा पढी होगी।
जब उन्होने इसराइलवालोको यह आदेश दिया कि वे आगे बढकर अत्याचारीका
सामना करे तब उन्होने उत्तर दिया कि उनमे इतनी शक्ति नही हैं और वे शत्रु-
के आगे खड़े नही हो सकेंगे। इसका फल यह हुआ कि इसराइलियोको चालीस
वर्षोतक दासताके बन्धनमे रहना पडा। इस दासताका कारण उनका आलस्य
और उनकी ईश्वरके विश्वासमे कमी थी। इस्लामने हमको सिखलाया है कि
ईश्वर ही सर्वोच्च सत्ता हैं। मुसलमानोका यह कर्त्तव्य है कि वे सारे विश्वमे ईश्वर
और मनुष्यकी अभिन्नताके सिद्धान्तका प्रसार करे। वे राष्ट्र, जो आलसी हो जाते
हैं, ससारमे अपना सब कुछ खो बैठते है। यदि आप इस संसारमे सम्मानके साथ
रहना चाहते है तो जाग्रत रहिए और अपने समाजको संगठित कीजिए। आपको
अपने बन्धुओंकी सहायता करनी चाहिए और अत्याचारी शासनको हटा देना
चाहिए जो कि हम सबके ऊपर अपना अधिकार जमाये हुए है। आप यह क्यो
कहते हैं कि हिन्दू बाईस करोड़ है और मुसलमान कुल सात करोड़। मैं कहता

है कि संसारमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यकोंका प्रश्न हो नहीं उठता। वहाँ तो योग्यताके आधारपर मूल्य आंका जाता है। भारतमें इस समय केवल तीन लाख अंग्रेज हैं लेकिन वे पैंतीस करोड़ हिन्दुस्तानियोंपर शासन कर रहे हैं। यह सब अजीब खयालात इस सरकारने मुसलमानोंके मनमें उपजाये हैं। यह वह संख्या या अल्पसंख्याका प्रश्न नहीं है। यदि आप संगठित होकर अपने भीतर भारी शक्ति पैदा कर लेते हैं तब जो कुछ भी आप चाहेंगे वह सब आपको मिलेगा। जो मार्ग आपने ग्रहण किया है वह आपको विनाशकी ओर ही ले जायगा। इस मार्गपर चलकर संसारके अनेक राष्ट्रोंका नाम निशान मिट गया। केवल वे ही राष्ट्र जो प्रयत्नशील होते हैं आजके विश्वमें जीवित रह पाते हैं। यदि आप इस संसारमें अपने अस्तित्वको कायम रखना चाहते हैं तो आप अपने को संगठित कीजिए और अपने देशको स्वतंत्र कीजिए। मुसलमान सिख पारसी और ईसाई सभी पीड़ित जन हैं। हमारा धर्म हमें यह शिक्षा देता है कि हम पीड़ितोंकी सहायता करें। हम उस नहीं करते और आपसमें लड़ते-झगड़ते हैं। मैं आपसे पूछता हूँ कि ये सब झगड़े कौन करा रहा है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये सब झगड़े अंग्रेजोंके उकसानेसे होते हैं। सन १९१५ में जब कि नित्य होती हुई डकैतियोंको रोकना बहुत आवश्यक हो गया था उस समय तो हम अंग्रेजोंके साथ थे। पेशावरके जिस भागमें हम रहते हैं उसमें शायद ही कभी कोई ऐसी रात गयी हो जिसमें पाँच-छः डकैतियाँ न हुई हों। एक बार जब मिस एलिसको अफरीदी लोग उठा ले गये तो उसको वापस लानेके लिए कोई उपाय बचाकर न रखा गया। उसके बादसे सुरक्षाका प्रबन्ध हुआ और कोई स्त्री भगायी न जा सकी। अंग्रेजी सरकारने मिस एलिसकी इस घटनापर हजारों रुपये खर्च किये और भगानेवालोंको मार डाला गया। ऐसा क्यों? इसी सरकार ने हम लोगोंके लिए तो कभी कुछ नहीं किया। उसका सम्बन्ध केवल अपनी सुरक्षासे रहा। मैं सरकारसे यह कह देना चाहता हूँ कि यदि वह शान्ति बनाये रखनेमें असमर्थ है तो अपने अधिकार हम लोगोंको सौंप दे। हम उसे यह दिखला देंगे कि शान्ति कैसे बनाये रखी जाती है। मैं आपको सचेत कर देना चाहता हूँ। यहाँ ऐसी कोशिशें की गयी हैं कि हिन्दू और मुसलमान आपसमें लड़ें-झगड़ें। जबतक गोलमेज कान्फ्रेंस बुलानेकी बात सामने नहीं आयी थी तब तक हम लोगोंको आपसमें लड़ानेके प्रयत्न किये जाते रहे। अंग्रेजोंने अब इस उद्देश्यको लेकर हमसे सन्धि कर ली है।

"मस्जिदके सामने गाना-बजाना होता है तो उसपर मुसलमानोंको आपत्ति

होती है। यदि कही वहाँ बाजा बजता है तो मुसलमानोंका इस्लाम लोप हो जानेकी आशका होती है। पीपलका एक पत्ता गिर जाता है तो हिन्दुओको आपत्ति होती है। यह सब क्या है? मै कहता हूँ कि एक गुलामका कोई धर्म नही होता। जब यहाँ फौजी कानून लागू हो जाता है तो यहाँ कोई 'अजान' भी नही लगा सकता। धर्म नष्ट तभी होता है जब कि किसी मस्जिदके आगे बाजा बजता है या पीपलका एक भी पत्ता गिरता है। जहाँतक मैने कुरान और गीताको पढा है, मैने यह पाया है कि प्रेम ही धर्म है। मै तो इससे भी आगे बढकर यह घोषित करनेको तैयार हूँ कि जिसके दिमागमे ऐसा पक्षपात भर गया है, वह तो एक इन्सानतक नही है। (इसी समय किसीने रोककर प्रश्न किया कि कानपुर और बनारसमे क्या हुआ?) मेरे मुस्लिम बन्धु यह भी नही जानते कि किसी सार्वजनिक सभामे कैसे बैठा जाता है? मै यह स्वीकार करता हूँ कि बहुतसी जगह दगे-फसाद हुए और बनारस तथा कानपुरमे भी हुए। (फिर एक बार शोर-गुल उठा।) मै आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप ऐसे लोगोसे दूर ही रहे जो इस्लामी वेशभूषा पहनकर घृणा फैलाते है। वे हम लोगोको धोखा देते है और जनताको उत्तेजित करते है। मै आपसे कहता हूँ कि जो कुछ हुआ और भविष्यमे भी जो कुछ होगा वह अंग्रेजोके कारण ही होगा। यदि यहाँ कोई मुसलमान है तो वह आगे आये और अंग्रेजोको हिन्दुस्तानसे बाहर निकालकर दिखलाये।

"मै अपनी बातको अब खत्म करूँगा। ज्यादा बोलकर मुझे दु.ख ही होता है। कभी कोई आदमी खडा होता है और हिन्दुओपर आरोप लगाता है कि वे हमे सताते है। मैने एक किताब पढी थी। उसके पढनेसे मालूम होता है कि अंग्रेजोने तुर्कीमे क्या किया? वहाँ उन्होने निर्दोष बालकोको मार डाला, स्त्रियोके शीलका अपहरण किया और लोगोको भाँति-भाँतिके कष्ट पहुँचाये। मिस्र, सीरिया, ईरान और अफगास्तिानको इस पीडादायक स्थितिका सबसे अधिक सामना करना पडा। यह सब किसने किया? मै कहता हूँ कि यह सब अंग्रेजोके द्वारा हुआ। शायद अंग्रेज हमारे सम्बन्धी है और वे हिन्दू शत्रु, जो हमारे साथ रहते है। मै आपसे कहता हूँ कि यदि आप सात करोड मुसलमान संगठित हो जायँ तो सारे इसलामी देशोकी रक्षा कर सकते है। मेरे मुस्लिम बन्धुओ, मै नेता नही हूँ और न मै यह चाहता हूँ कि आप लोग मेरी 'जय' बोलें। मै आपसे कह चुका हूँ कि मै एक सिपाही हूँ। मै किसीके ऊपर आश्रित नही हूँ। ईश्वरने मुझको धन दिया है। मै अपनी रोटी खाता हूँ और अपने मुल्कके लिए काम

करता हूँ। कुछ लोग मुसलमानो जैसे वस्त्र पहनकर आते हैं और आकर घृणा फलाते ह। वे हिन्दुओको मुसल्मानोसे लडानकी कोशिश करते ह। कुछ लोग हिन्दूकी वेशभूषामें आते ह और कहते ह कि मुसलमानान पीपलकी डाल काट ली। वे हिन्दुओ और मुसलमानोको झगडा करनेके लिए उत्तेजित करते हैं। तीसरी ताकत यह नही चाहती कि हम लोग हिल मिलकर भाई भाईकी तरह रह। यदि हमम भाई चारेका भावना रहती ह तो हमको गुलाम बनाकर नही रखा जा सकता। आपन एक शक्तिशाली सरकारके ऊपर जीत पायी ह और अब, जब कि सफलताका समय सामन आ गया ह सरकार आपको विभाजित कर देना चाहती ह और आपकी सफलताका विफलताम बदल देना चाहती ह। जा कुछ मन विचार किया वह मन आपके सामने रखा। अब लाल कुर्तीवाले जिन्हान मान भूमिको स्वाधीन करनकी शपथ ली ह सलामी दग।

५ अप्रलको स्त्रियोकी एक सभाम खान अब्दुल गफ्फार खाँन स्वाधीनताके राष्ट्रीय आन्दोलनम प्रमुख भाग लेनके लिए बम्बईकी महिलाआके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया। उन्हान कहा कि हमार यहाँकी स्त्रियाँ भी आप जसी नारियाँ ह जिन्होने पिछले सविनय अवज्ञा आन्दोलनम एक मुख्य भूमिका निभाई ह। यद्यपि मुस्लिम महिलाआम पर्देका प्रचल्न ह फिर भी व पीछे नहीं रहीं। खान अब्दुल गफ्फार खाँन पर्दा प्रथाके बारम अपन विचार व्यक्त करत हुए कहा कि पर्दा मुस्लिम महिलाओकी प्रगतिके पथम बाधक रहा ह। इस्लामके पुरान इतिहासके सदभम उन्हान कहा कि प्राचीन इतिहास यह बतलाता है कि जब भी कभी राष्ट्रीय सघर्षका अवसर आया तब महिलाओन भी अपना बहुत बडा योगदान दिया। उन्हान इस बातपर बल दिया कि वतमान सामाजिक प्रथाआमें आवश्यक सुधार होना चाहिए ताकि मुस्लिम महिलाएँ राष्ट्रके जीवनमें सक्रिय भाग ले सकें।

उन्हान इस बातपर बल दिया कि पठान लोग नारियाको अत्यन्त सम्मानकी दृष्टिस देखत ह। एक पठान किसी स्त्रीके सम्मानकी रक्षाके लिए सब कुछ करन को उद्यत हो जाता ह। यहाँतक कि जिस किसी एलिसका अनिष्ट करनेवाले पकडकर ले गये थे उसके साथ भी उन्होंन कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। यह पठानोकी नारीकी भावनाका प्रदर्शित करता ह। कैसा दयनीय बात ह कि अंग्रेज लोग पुरुषोचित शौर्य और मर्यादाकी बड़ बडकर बातें करत — परन्तु विगत स्वाधीनता सग्राममें जब उनको हमारी वीर महिला सनिकोंसे व्यवहार करनेका अवसर मिला तब उन्होंन नारी-समाजके प्रति अपनी सम्मान भावनाका

कोई परिचय नही दिया ।

अपने भाषणके निष्कर्ष रूपमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि भारतीय महिलाओने अपने बलिदानोसे भविष्यमे बननेवाले किसी भी संविधानमे अपने अधिकारोको सुरक्षित कर लिया है और सीमाप्रान्तके लोग, जो आज भारतकी स्वाधीनताके लिए सघर्ष कर रहे है, उनको अधिकार दिलानेके लिए भी लडेंगे और प्रयत्न करेगे कि उनको उनके कार्यका उचित श्रेय प्राप्त हो ।

दिल्लीके लिए रवाना होनेसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खाँने मुसलमानोकी एक विशाल सभाको सम्बोधित किया। उन्होने कहा कि पिछली सभामे उन्होने जो कुछ कहा उसको भ्रामक तथ्योके रूपमे प्रस्तुत किया गया है। उन्होने कहा, 'मैंने मस्जिदके सामने बाजा बजाने या गानेकी जो बात कही, उसका अर्थ यह निकाला गया कि स्वयं मुझको उसके ऊपर कोई आपत्ति नही है जब कि वस्तुतः मेरे कथनका अभिप्राय यह था कि हिन्दू और मुसलमानोको छोटी-छोटी महत्त्वहीन बातोको लेकर झगडा नही करना चाहिए, विशेष रूपसे उस दशामे जब कि दोनो ही परतन्त्रताके बन्धनोमे जकडे हुए है। स्वाधीनता पा लेनेके बाद इस प्रकारके साम्प्रदायिक दगोके अवसर नही आयेगे । ये दंगे केवल इसलिए होते है कि देशमे एक तीसरी शक्ति मौजूद है। यह शक्ति दोनो जातियोके बीचमे शत्रुताकी भावनाका पोषण करती रहती है ।

दिल्लीमे उन दिनो ऑल इंडिया मुस्लिम कान्फ्रेन्सका अधिवेशन चल रहा था। गाधीजीने वहाँ किसी समझौतेपर पहुँचनेके लिए उसके नेताओसे सम्पर्क स्थापित किया परन्तु उनको सफलता न मिली। कान्फ्रेन्सने स्वत पृथक् निर्वाचित सदस्योके पक्षमें घोषणा की और कांग्रेसका विरोध करते हुए अपनेको उसके अनुकूल सिद्ध नही किया। मौलाना शौकत अलीने मुसलमानोकी मागोका उल्लेख करते हुए कहा

"ये मागें पहली जनवरी सन् १९२९ को मुस्लिम कान्फ्रेन्समे सूत्र-बद्ध की गयी थी। तत्पश्चात् मुस्लिम लीगने उनको बिना किसी संशोधनके पूरा, ज्योका त्यो स्वीकार कर लिया और तबसे वे मिस्टर जिनाके चौदह मुद्दे कहलाने लगी। हम उनपर आज भी दृढ है।"

उन्ही दिनो दिल्लीसे गाधीजीका एक वक्तव्य प्रसारित हुआ, जिसमे उन्होने यह संकेत किया था कि हिन्दू-मुस्लिम समस्यापर सिख और मुसलमान सर्वसम्मतिसे अपनी जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे, उसको वे पूर्ण रूपसे स्वीकार कर लेंगे। हिन्दुओकी राय लेनेसे पहले उन्होने इस सिद्धान्तको प्रयोगमे लाना चाहा

था परन्तु यह कार्यान्वित नहीं हुआ। स्वयं उनको भी ऐसा लगा कि साम्प्रदायिकतापर आधारित समस्याके किसी भी समाधानके साथ अपनेको सम्बद्ध करना उनके लिए सम्भव नहीं होगा। खान अब्दुल गफ्फार खाँने गांधीजीका पूरा सहयोग दिया।

मौलाना शौकत अली तथा कुछ अन्य नेता अधिकारियोंके सम्पर्कमें थे। शौकत अलीने दिल्लीमें ८ अप्रैलको विदेश-सचिव मिस्टर हावेलसे भेंट की। गृह राजनीतिक विभागकी एक फाइलमें हावेलकी एक गोपनीय टिप्पणीने इस भेदको खोला है

कल प्रातःकाल मिस्टर शौकत अली मुझसे मिलने आये और मेरा उनके साथ काफी देरतक बातचीत होती रही। अन्य विषयोंपर साधारण चर्चाके बाद अन्तमें उन्होंने खान अब्दुल गफ्फारकी बात उठायी जिनसे कि मैं समझता हूँ वे दिल्लीमें भेंट करते रहे होंगे। उन्होंने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपने नामका तनिक भी मोह नहीं है और न कांग्रेससे उनका अत्यधिक लगाव ही है। वे साधारण रूपमें अधिकारी वर्गसे शान्तिपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते हैं परन्तु उसके रूखे व्यवहारके कारण यह कठिन स्थिति उत्पन्न हो गयी है। मैंने कहा कि स्वाभाविक रूपसे मैं इस घटना-तथ्यको स्वीकार न कर सकूँगा। मुझे ऐसा लगा है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके प्रमुख सहयोगियोंकी वर्तमान प्रवृत्तियाँ पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें शान्ति स्थापित करनेमें कुछ भी सहयोग नहीं देतीं। चर्चाके दौरानमें मैंने कहा, यदि आपका खान अब्दुल गफ्फार खाँके ऊपर कोई प्रभाव है तो आप उनसे यह क्यों नहीं कहते कि वे हिंसाको उत्तेजित करनेवाले कामोंका खुलकर विरोध करें और इस अनावश्यक आन्दोलनको रोकें जो यदि अनिश्चित कालतक चलता गया तो निश्चित रूपसे एक कष्टपूर्ण स्थितिको खड़ा कर देगा? उन्होंने इसका तुरन्त उत्तर दिया, आप मुझको वहाँ जाने क्यों नहीं देते? मैं अपने साथ दो या तीन लोगोंको ले जा सकता हूँ। हम लोग वहाँ (पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त) जाकर सम्बन्धित लोगोंको यह समझायेंगे कि उनका कार्य कितना मूर्खतापूर्ण है? मैंने उनसे कहा कि मैं आपके सुझाव पर निश्चय ही विचार करूँगा। मैं वहाँ शान्तिपूर्ण स्थितिकी स्थापनाके लिए ही चिन्तित नहीं था अपितु मुझको यह भी चिन्ता थी कि किसी गलतफहमीके कारण वर्तमान उपद्रव ऐसा रूप न ले ले जिसका सरकारकी स्थितिपर प्रभाव पड़े। उदाहरणके लिए मैंने पिछले दिनों ही अपना यह कर्तव्य समझा कि मिस्टर गांधीको वहाँ जानेसे रोक दिया जाय। मुझको यह चिन्ता थी कि यदि मैं स्वयं

प्रोत्साहित करके उनको वहाँ भेजा तो कही अनुचित आरोप लगाकर सरकारकी स्थितिको उघार न दिया जाय अथवा किसी अन्य दिशामे कोई हानि न हो जाय। इसका उन्होने कुछ गर्मीसे उत्तर दिया 'गाधी मुसलमानोके मित्र नही है और वे सरकारके भी मित्र नही है। इस मामलेमे हम सरकारकी सहायता करनेको तैयार है क्योकि हमारा विचार यह है कि उसके और हमारे हित एक है।' मैंने उनसे कहा कि मै इसपर सोचूँगा और आपकी यह वात लार्ड विलिगडनको भी वतलाऊँगा। उन्होने कहा कि उनके पास मेरा निर्णय शीघ्र ही पहुँच जाना चाहिए क्योकि यदि वे जाना भी चाहेगे तो इस मासके अतमे ही।

"इस प्रश्नपर मैने इन कागजोपर लिखी हुई टिप्पणीको पढा। मै भी इस वातके लिए कम उत्सुक नही हूँ कि उनको (मौलाना शौकत अलीको) वहाँ (सीमाप्रान्तमे) भेजा जाय। वास्तवमे मै उनको रोकनेका कोई कारण नही पाता। उनकी तथा मि० गाधीकी स्थितिमे अतर है जिसका प्रभाव पडता है। यदि मि० गाधी वहाँ जाते है तो समस्त पश्चिमोत्तर सीमाप्रातमे यह सामान्य धारणा वन जायगी कि हमे शासनमे काग्रेसका सहयोग लेना पडा है और उसको अधिकार देने पडे है। मि० शौकत अलीके जानेकी अपेक्षा इससे कही अधिक अनावश्यक उत्तेजना फैलेगी। यह आपत्ति मि० शौकत अलीपर लागू नही होती। मै जो इन दोनोके प्रति अपने व्यवहारमे जो भेद रख रहा हूँ, उसका औचित्य आगेतक चलता है, जिसको मुझे सोचना है। सीमाप्रान्त जानेके सम्बन्धमे जिस समय मेरी और मि० गाधीकी चर्चा हुई थी उस समय यदि उनको आपत्ति होती तव आज हिन्दू-मुस्लिम सम्बन्धोके क्षीण होनेके कारण मेरे वे सव तर्क, जो उस समय मैने उनके सामने रखे थे, निश्चय ही अधिक पुष्ट होते। इस समय मै सर फज्ले हसन और मि० एमर्सनकी रायपर निर्भर कर रहा हूँ जिनको कि मै उनको (मि० शौकत अली) भेजनेके पक्षमे लिख रहा हूँ और जिनको मै इस टिप्पणीकी एक-एक प्रति भेज रहा हूँ। "

साम्प्रदायिक प्रश्नके साथ ही उन दिनोकी आर्थिक स्थिति भी खतरेके संकेत देने लगी थी। कृषिमे उत्पन्न वस्तुओके मूल्योमे जो स्थिर रूपसे गिरावट आ गयी थी उनका प्रभाव समूची कृषि-व्यवस्थाको छिन्न-भिन्न करनेकी धमकियाँ दे रहा था। खेतीकी पिछली फसल अच्छी हुई थी और खेतोमे काफी गल्ला उत्पन्न हुआ था। इसमे एक बहुत वडी समस्या उठ खडी हुई थी। किसानके सामने दो ही रास्ते थे। या तो वटोतरीका अनाज विलकुल वेचा ही न जाय या वेचा जाय तो असाधारण अल्प मूल्यपर। काश्तकारो और असामियोके आगे नकद रुपया

पानेकी बहुत बड़ी कठिनाई आ गयी थी जिससे कि उनको लगान अथवा माल गुजारी जमा करनी थी। करांचीमें कांग्रेसका जो अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेसके बारह मूल उद्देश्योंमें भू राजस्वकी पचास प्रतिशत छूट भी शामिल थी। छोटे असामियोंके लिए लगानको बिलकुल ही माफ करनेको कहा गया था। भू राजस्वमें कटौतीके लिए कांग्रेसने भारतभरमें, विशेष रूपसे गुजरात संयुक्त प्रदेश तथा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें उत्साहपूर्ण अभियान छेड़ दिया था। सरकार पं० जवाहरलाल नेहरू और खान अब्दुल गफ्फार खाँके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनेकी बात सोच रही थी। गांधीजीने अप्रैल मासमें सरकारको तार द्वारा सूचित किया

'मैं देखता हूँ कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके विरुद्ध एक उत्तेजना फैलायी जा रही है। वे करांचीमें मेरे ऊपर यह प्रभाव छोड़कर गये थे कि अहिंसामें उनकी पूर्ण रूपेण आस्था है। यदि उनके विरुद्ध शिकायतें हों तो उनको मेरे पास भेज दिया जाय ताकि मैं उनसे इस सम्बन्धमें सम्पर्क कर सकूँ। वे विश्वस्त हैं और मेरे परामर्शको सरलतासे स्वीकार कर लेते हैं। यदि उनको अपनी सफाईका अवसर दिये बिना ही गिरफ्तार कर लिया गया तो यह एक बड़ी दुःखद बात होगी। लार्ड इरविनकी यह इच्छा कि मैं सीमाप्रान्तमें न जाऊँ मेरे लिए चिन्ताका एक अतिरिक्त विषय है। निश्चय मानिए मेरी उपस्थिति वहाँ एक गम्भीर प्रभाव डालेगी।'

पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके केन्द्रीय जिरगाकी एक विशाल बैठक मई मासके आरम्भमें खान अब्दुल गफ्फार खाँके सभापतित्वमें उत्मानजईमें हुई जिसमें निम्नांकित प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

'यह सभा गांधी इर्विन सन्धिकी पुष्टि करती है और यह घोषित करती है कि अफगान जिरगा बड़ी निष्ठाके साथ उस शान्तिपूर्ण वातावरणको बनाये रखनेका प्रयत्न कर रहा है जो दिल्लीके समझौते द्वारा बना है किन्तु उसे इस बात का खेद है कि स्थानीय शासन अपनी वास्तविक भावनासे सन्धिकी शर्तोंके पालन में असमर्थ रहा है।

यह सभा पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सभी जिरगाओंका ध्यान [illegible] आकर्षित करती है कि वे स्थानीय मामलोंके अतिरिक्त [illegible] राजनीतिक मामलेमें उत्साहसे भाग लें और हिन्दू-मुस्लिम एकताके सुधारका [illegible] करें। केवल इसीपर ही राष्ट्रकी सफलता निर्भर है।

जिरगाका यह निश्चित मत है कि [illegible] स्थानीय [illegible] जिस [illegible]

मे सुधार लागू किये गये है वे यदि जनताकी मागकी पूर्ति नही कर पाते तो वह तबतक असंतुष्ट ही बनी रहेगी, जबतक कि उसमे वे समस्त सुधार नही लागू किये जाते जो शेष भारतमे लागू है ।

"इस प्रदेशके शासनकी भावी रूपरेखाके सम्बन्धमे जिरगाकी राय है कि गोलमेज कान्फ्रेन्सकी उप-समितियो द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव इस प्रदेशकी जनताको मान्य नही है ।"

गाधीजीने भारतकी सेवासे निवृत्त होकर विदेश लौटते हुए लार्ड इरविनको १८ अप्रैलको बम्बईमे विदाई दी और तत्पश्चात् वे निकट भविष्यमे उनके उत्तराधिकारी लार्ड विलिगडनकी भेंटके आमंत्रणकी प्रतीक्षा करने लगे । भारत-सरकार के सचिवालयने पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तके चीफ कमिश्नरको यह सूचना दी

"लगभग ११ मईको सम्भवत गाधी शिमला आ रहे है । शायद उनकी ाइसरायसे भेंट होगी और प्रत्येक दशामे एमर्सनको भी गाधीके साथ चर्चा करनी ागी । गत चर्चाओमे एमर्सनने सीमाप्रान्तके मामलेमे सामयिक विषयोके अतिरिक्त हत्वपूर्ण समस्याओको जान-बूझकर टाल दिया । यदि गाधी स्थानीय सूत्रोसे ान अब्दुल गफ्फारके द्वारा स्थितिकी सूचना न पाते तो यह कभी सम्भव न था क वे सीमा-प्रान्तके प्रश्नको विशेष रूपसे उठाते । जो भी हो, इस सम्बन्धमे ारत-सरकारका रुख स्पष्ट है । वह अंतिम प्रयत्नके रूपमे खान अब्दुल गफ्फार की गतिविधियोको नियंत्रित करनेके लिए, जो पेशेकी दृष्टिसे गाधीके सहयोगी है, गाधीकी सहायता चाहेगी । इसका अपना औचित्य है । खान अब्दुल गफ्फार और उनके संगठनके विरुद्ध कोई कदम उठानेमे पहले सरकार यह उचित समझेगी कि वह इस सम्बन्धमे गाधीजीको पूर्व-सूचना दे दे । वह, तो भी, वास्तवमे यह अधिक अच्छा समझती है कि गाधीजीकी मध्यस्थताके बिना ही आप खान अब्दुल गफ्फार खांसे सीधा सम्पर्क करे । यदि सीमा-प्रान्तके मामलोके निर्णयमे गाधीजीका भाग लेना आवश्यक ही समझा जाय तो यह सुझाव दिया जाता है कि एर्मसन यह कार्य-पद्धति ग्रहण करे .

"(अ) खान अब्दुल गफ्फार खॉकी गतिविधियों, उनके व्याख्यानो तथा लाल कुर्ती दलकी भर्तीके बारेमे गाधीजीको सूचित कर देना और उनके कारण सीमाप्रान्तके क्षेत्रमे जो असामान्य खतरे उत्पन्न हो सकते है, उनको स्पष्ट रूपमे समझा देना ।

"(ब) गाधीजीको यह चेतावनी दे देना कि यदि खान अब्दुल गफ्फार खां हिंसाके लिए उत्तेजित करनेवाले प्रचारसे अपनेको अलग नही कर लेते जैसे बाग्रा-

मेल और अपने सहयोगियोंसहित खुले रूप आन्दोलनका प्रचार नहीं करें तो इन प्रवृत्तियोंसे पैदा होनेवाले भविष्यमें या कालान्तरमें बंगालमें निश्चय ही एक उपद्रव प्रारम्भ होगा और परिणामस्वरूप सरकार इस बातके लिए विवश हो जायगी कि वह क्रिमिनल लॉ अमेण्डमेण्ट एक्ट के द्वारा आवश्यक कार्यवाही करके उपद्रवको विफल कर दे या इसके अतिरिक्त खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके सहयोगियोंके विरोधमें कड़ा कदम उठाये।

(ग) इस स्थितिमें गांधीजी सम्भवत यह सुझाव देंगे कि उनको सीमा प्रान्तमें जाने दिया जाय। उनको इसके लिए निश्चित रूपमें अनुत्साहित करना चाहिए। उनसे यह कहा जाय कि वे पत्र-व्यवहार द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खाँ को सलाह दें। सबसे पहली बात यह कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ आपसे मुलाकात करें और आपसे तथा आपके अधिकारियोंसे सम्पर्क बनाये रखें। दूसरी बात यह कि वे भाषण करना बन्द कर दें और यदि बन्द न कर सकें तो कम अवश्य कर दें और उनमें आपत्तिजनक बातें न कहें।

चीफ कमिश्नरने व्यक्तिगत रूपसे तथा अपने स्थानीय अधिकारियों द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खाँसे सम्पर्क स्थापित करनेका प्रत्येक प्रयास किया लेकिन जब कभी भी चीफ कमिश्नरने उनको मिलनेके लिए बुलाया उन्होंने इनकार कर दिया।' सीमाप्रान्तके अधिकारियोंकी यह शिकायत थी आदेशके सर्वथा विपरीत उसका उल्लंघन करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने एकके बाद जनसभाओंमें व्याख्यान दिये उनके प्रत्येक भाषणमें जातिगत घृणा और विद्रोहकी तीव्र भावना व्यक्त होती है। उन्होंने यह बात खुलकर कही है कि उनका उद्देश्य अंग्रेजोंको भारतसे बाहर निकाल देना है।

लार्ड विलिंगडनसे अपनी भेंटके तुरन्त बाद ही गांधीजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँ और पं० जवाहरलाल नेहरूको विचार विमर्शके लिए बारडोली बुलाया। जिस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ रेलके थर्ड क्लासके डिब्बेसे नीचे उतरे उस समय सरदार पटेल, देवदास गांधी तथा अन्य मित्र स्टेशनपर उपस्थित थे। 'मैं आपको अपने आनेकी खबर नहीं देना चाहता था' उन्होंने कहा, लेकिन बारडोली नयी जगह होनेके कारण मुझे तार देना ही पड़ा। उनके सामानमें केवल हाथका एक थैला था जिसमें बदलनेके लिए एक जोड़ी कपड़े तथा कुछ कागज थे। उनके साथ बिस्तर नहीं था। उन्होंने सरदार पटेलसे पहली बात यह कही कि कुछ समयके लिए वे मित्रोंके साथ मुलाकात आदि नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनका सारा कार्यक्रम गांधीजीपर ही निर्भर करेगा। वे वापस भी तभी जायेंगे जब कि उनको

गाधीजीसे छुट्टी मिल जायगी। जिस घडी वे स्वराज्य आश्रममे पहुँचे उन्होने अपने चित्ताकर्षक व्यवहारसे सबको आनन्द और सन्तोप दिया। वे इस वातसे वडे प्रसन्न थे कि उनको वारडोली वुलाया गया। उनके मनमे सन् १९२८ से ही, जवसे कि वह प्रसिद्ध हुई थी, वारडोली देखनेकी इच्छा थी।

अपने आश्रममे पहुँचनेके कुछ मिनट वाद ही वे वडे आवेशके साथ उन लोगो के विरुद्ध वोलते दिखलाई दिये जिन्होने, 'इस्लामको घटाकर 'हाउरी'[1] और 'घिलमा'[2] तक ला दिया था। उन्होने जोर देकर कहा कि इस्लामका अर्थ ईश्वर की इच्छाके आगे पूर्ण समर्पण है, विना जाति मत या रङ्गको ध्यानमे लाये हुए उसके प्राणियोकी सेवाके द्वारा उसकी सेवा करना है तथा सत्य और न्यायके लिए सतत प्रयत्न करना है।

सधिके अतर्गत जो शर्ते रखी गयी थी उनके सम्वन्धमे चर्चा करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा 'गाधीजीकी आज्ञाके अनुसार हमने प्राय. अपनी समस्त प्रवृत्तियोको स्थगित कर दिया है। यद्यपि हम खुदाई खिदमतगारोकी भर्ती करते है परन्तु थोडा-वहुत धरना देनेके अतिरिक्त हमारी गतिविधियाँ प्राय शून्य है। जहाँपर कुछ हलचल है, वहाँ प्रत्येक गाँवमे केवल यही सामान्य कार्यक्रम रहता है कि सप्ताहमे एक वार जुमाकी नमाजके वाद हमारे कार्यकर्त्ता एकत्रित होते है। उस समय स्वयंसेवकोको ड्रिल सिखलायी जाती है। उन लोगोमे यह कहा जाता है कि वे कोई ऐसा कार्य न करे जो काग्रेस और सरकारके वीचके समझौतेके विरुद्ध हो। यहाँतक कि हम लोगोने समस्त नारे लगाना भी छोड दिया है क्योकि उनको समझौतेकी भावनाके विरुद्ध समझा जा सकता है। फिर भी दूसरा पक्ष हमको उत्तेजित करता और उकसाता रहता है। एक महीना हुआ, लगभग एक दर्जन विद्यार्थियोको एक आपत्तिजनक नाटक खेलनेके अपराधमे गिरफ्तार कर लिया गया। हम उनके मुकदमेमे पैरवी कर रहे है। मुझको यह कानूनी सलाह दी गयी है कि इस नाटकमे ऐसी कोई बात नही है जिसके कारण उसको आपत्तिजनक ठहराया जा सके। परन्तु जनताको उत्तेजित करनेका गिरफ्तारियाँ सवसे छोटा उपाय है। ये गिरफ्तारियाँ भी एक विशाल सैन्य-प्रदर्शनके साथ हुई। हथियारवन्द गाडियो और सेनाकी टुकडियोने गरीवोके पशुओके चारे और दैनिक उपयोगकी वस्तुओको वलपूर्वक छीनकर फेंक दिया

---

१. हूर।

२ गिलमा।

और उनको एक बहुत बड़ा परेशानीमें डाल दिया। कुछ सनिक तो घोड़ोंपर चढ़कर पतली गलियोंमें घूमे। लोगोंको इन बातोंपर क्रोध आना स्वाभाविक था। यह भी गाधीजीके अनुशासनका ही प्रभाव था जिसने उनको इस अवसरपर अपने अधीन रखा। इस सन्धिके बादसे ऐसी घटनाएँतक हुई है कि पुलिस लोगोंके घरोंमें बलात घुस आये है। घरवालोंको बिना चेतावनी दिये हुए पकड़कर बाहर कर दिया गया है। यह भी हिंसाके लिए जनताको उत्तेजित करनेका एक ढंग था, जिसके लिए सालभरके करीबके अनुभवके बावजूद हम मुश्किलसे तैयार थे।

देवदास गाधीने पूछा, "आपके प्रान्तमें आपके विचारमें अहिंसा कबतक बनी रहेगी ?" खान अब्दुल गफ्फार खानने कहा "मुझको इस बातका निश्चय है कि हम सारे भारतमें गाधीजीके सबसे अच्छे शिष्य सिद्ध होंगे। हमको चाहे कितने ही कष्ट क्यों न सहन करने पड़े हम उनके लिए तैयार है। गाधीजीके लिए जितना शीघ्र सम्भव होगा वे हमारे प्रान्तमें पहुँचेंगे और वहाँकी स्थितिका प्रत्यक्ष देखेंगे। मै चाहता हूँ कि वे सीमाप्रान्तमें जायें और वहाँके लोगोंके बीच सम्पर्कमें आयें। गाधीजी वहाँ अवश्य जायेंगे लोगोंसे बोलेंगे और उन लोगोंको भावी कार्यक्रम सम्बन्धमें आदेश देंगे।

'क्या अहिंसा मात्र एक साधन सिद्ध होगी ? एंग्लो-इंडियन पत्रों द्वारा लाल कुर्ती आन्दोलनके विरोधमें यह कहकर प्रचार किया जाता है कि इसका उद्देश्य अंग्रेजोंके खिलाफ एक उग्र वातावरण खड़ा कर देना है। इस बारेमें आपके विचार क्या हैं ?" इसके उत्तरमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा

'मेरे अहिंसा मेरे लिए प्राय एक निजकी वस्तु बन गयी है। मै बहुत पहलेसे ही गाधीजीकी अहिंसामें विश्वास कर रहा था लेकिन मेरे प्रान्तमें उसके प्रयोगको जो अनुपम सफलता मिली उसने मुझको अहिंसाका एक दृढ़ योद्धा बना दिया। मुझे आशा है यदि ईश्वरकी इच्छा रही तो मै अपने प्रान्तको हिंसाकी हीन दशासे उबार लूँगा। हमारे सदीके रक्तपूर्ण झगड़ोंने हमको बदनाम कर रखा है। वास्तवमें हिंसाके कारण परिणामोंका सबसे अधिक दुःख हमने ही भोगा है। यों तो हमारे स्वभावमें हिंसा-वृत्ति अधिक है। यदि हम अहिंसाकी शिक्षा ग्रहण करते हैं तो यह हमारे हितका ही काम है। एक बात और भी पठान क्या प्रेम और उचित तर्कके वशीभूत नहीं है वह आपके साथ प्रेमसे नरकमें भी चला जायगा लेकिन आप उसको बलपूर्वक स्वर्गमें भी नहीं ले जा सकते। पठानोंका प्रेमकी इतनी शक्ति है। मेरी इच्छा यह है कि पठान दूसरोंके साथ वैसा व्यवहार करना सीखें,

जिसकी वे अपने प्रति दूसरोसे अपेक्षा करते है। सम्भव है कि मै असफल हो जाऊँ और हिंसाकी एक लहर मेरे प्रान्तको वहा ले जाय परन्तु मै उसको अपने विरुद्ध भाग्यका एक खेल समझकर ही सन्तोप पा लूँगा। उससे मेरी अहिंसाकी वह अंतिम निष्ठा डाँवाडोल न होगी जिसकी औरोकी अपेक्षा अपने लोगोको अधिक आवश्यकता है। 2

खान अब्दुल गफ्फार खाँने देवदास गाधीके साथ ६ जूनको वारोलीके गाँवो-का दौरा किया। जिस शौर्य एवं साहससे वहाँके ग्रामीणोने यंत्रणाओंको सहा उसके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनको वधाई दी। उन्होने उन लोगोको सात्वना देते हुए कहा कि जिन कष्टोको आपने सहन किया है, वे मेरे प्रान्तके निवासियोको भी सहने पडे है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनकी उन भयानक यातनाओके लिए तनिक भी खेद व्यक्त नही किया। जो भी व्यक्ति अत्याचारी शासनके लिए उत्तरदायी होते हैं, उनके प्रति सहज रूपसे अरुचिकी एक भावना रहती है परन्तु खान अब्दुल गफ्फार खाँने ब्रिटिश शासकोको इस दृष्टिसे नही देखा। उन्होने यह अनुभव किया कि ईश्वरने तपाकर निखारनेके लिए ही उन ग्रामीणोको अग्नि-शिखाओमे डाला था।

सभी गाँवोकी अपेक्षा उनका ध्यान वेद्छी ग्रामने सवसे अधिक आकृष्ट किया। दिनभर दौरा करनेके पश्चात् उन्होने देवदास गाधीसे कहा, "मै चाहता हूँ कि श्रमिको और कृपकोंके दल वेद्छीसे आदर्श ग्रहण करे। जनताकी उन्नतिको लेकर जो लम्वे-लम्वे भापण किये जाते है और जो वृहदाकार ग्रन्थ लिखे जाते है उनकी अपेक्षा यह कार्य, जो यहाँ किया गया है, कही अधिक महत्त्वपूर्ण है। वेद्छी के निवासियोने एक श्रेष्ठ जीवनकी अपनी ख्याति ही नही वढायी, उन्होने अपने पडोसके गाँव रानीपरजके उन ग्रामीणोके जीवनको भी वदल दिया है जिन्होने परस्पर मिलकर एक मतसे खादीको धारण करने और मादक द्रव्योका वहिष्कार करनेका व्रत लिया है। यह एक ऐसा कार्य है जो मुझको वहुत प्रिय लगा है।"

आश्रमवासियोंने जव उनसे सार्वजनिक सभामे भापण करनेको कहा तव वे वोले, 'मै तो एक सिपाहीभर हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझको नेता न वनाये।' अंतमें जव सव लोगोने अधिक आग्रह किया तव उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानोकी एक संयुक्त सभामे भापण किया। इस सभाकी अध्यक्षता कस्तूर वा गाधीने की।

"मुझको यह देखकर अत्यन्त आश्चर्य होता है कि मेरे मुस्लिम वन्धुओमेसे

कुछ कांग्रेसके नामभरसे चौंकते हैं। उनका विचार है कि कांग्रेस एक हिन्दू संस्था है इसलिए उनका उससे कुछ सम्बन्ध नहीं है। किसी भी ऐसे संगठनके जो अपनी प्रकृतिमें मूल रूपेण राष्ट्रीय है, इससे अधिक मिथ्या वर्णन और कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने बन्धुओंसे यह निवेदन करूँगा कि कांग्रेसके उद्देश्यों नियमों तथा उसके संविधानको पढ़ें। संक्षेपमें कांग्रेसका उद्देश्य यह है कि जनता को दासता और शोषणसे मुक्ति मिले। दूसरे शब्दोंमें कांग्रेसका लक्ष्य यह है कि भारतके करोड़ों भूखे लोगोंको भोजन और करोड़ों नग्न लोगोंको तन ढकनेको कपड़ा मिले। मैं चाहता हूँ कि आप इस्लामके इतिहासका अध्ययन करें और इसपर विचार करें कि रसूल पाक (मुहम्मद साहब) के जीवनका उद्देश्य, मिशन क्या था? अत्याचारसे पीड़ितोंको मुक्ति दिलाना, निर्धनोंको भोजन दिलाना अथवा नंगोंको वस्त्र दिलाना ही उनका उद्देश्य था। और इसलिए कांग्रेसका काम उनके कार्यके अलावा और कुछ नहीं है। उसका इस्लामसे कहीं विरोध पैदा नहीं होता। यह सब दिनके प्रकाशकी भाँति स्पष्ट है। उसको देखते हुए मैं वास्तवमें यह नहीं समझ पाता कि भला एक मुसलमान कांग्रेससे पृथक रह ही कैसे सकता है?

"अब हम अहिंसाके सिद्धान्तको लें। यदि एक मुसलमान या मुझ जैसा पठान उसे अंगीकार करता है तो निश्चय ही इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। वस्तुतः यह कोई नयी क्रीड नहीं है। अबसे लगभग चौदह सौ वर्ष पहले इसे पैगम्बर (मुहम्मद साहब) ने उस समय अपनाया था जब कि वे मक्कामें थे और बादमें वह उन सबके द्वारा अपनायी गयी जिन्होंने अपने कंधेसे अत्याचारके जुएको उतार फेंकना चाहा। लेकिन हमने उसको इतना विस्मृत कर दिया कि जब महात्मा गांधीने उसे हमारे सम्मुख रखा तब हमने सोचा कि वे एक नवीन सिद्धान्तका उत्तरदायित्व ग्रहण कर रहे हैं अथवा हम कोई नवीन अनोखा नम्र प्रदान कर रहे हैं। उनको एक भूले हुए सिद्धान्तको पुनः स्मरण दिलानेवाले और एक राष्ट्रकी पीड़ाके समय उसका औषध रूपमें प्रस्तुत करनेवाले प्रथम व्यक्तिका श्रेय है।

मैं हिन्दुओं और मुसलमानोंसे यह कहूँगा कि स्वाधीनताका यह संग्राम दोनोंकी मुक्तिके लिए है। इस संघर्षमें भाग लेकर हिन्दू लोग किसीके ऊपर अह सान नहीं कर रहे हैं और न हिन्दुओंका साथ देकर मुसलमान ही किसीके ऊपर अहसान कर रहे हैं। एक अनेक प्रभाव है जो हम लोगोंको विभाजित कर देना चाहते हैं। और लोग जो हिन्दुस्तानमें हैं अफगान-आक्रमणका पुकारसे परिचित

चेतावनीके संकेत

१९३१

गांधीजी खान अब्दुल गफ्फार खांके साथ कांग्रेस कार्य-समितिकी ९ जूनकी बैठकमें भाग लेनेके लिए बम्बई चल दिये। जबतक भारतमें पहले हिंदू-मुस्लिम समस्या न सुलझ जाय तबतक गांधीजी लन्दन जानेके पक्षमें न थे परन्तु समितिने निर्णय किया कि अन्य समस्त स्थितियां अनुकूल हैं इसलिए गोलमेज कान्फ्रेंसमें गांधीजीको भारतका प्रतिनिधित्व करना चाहिए।

खान अब्दुल गफ्फार खां गांधीजीके साथ ठहरे। बम्बईके पठान बहुत बड़ी संख्यामें उनसे मिलनेके लिए आये। उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खांके आगे झुक कर और उनके हाथको चूमकर उनके प्रति अपना आदर दिखलाया और फिर वे उनको घेरकर बैठ गये। कुछ लोग तो उनके पास घंटों बैठे रहे। उन्होंने उन लोगोंको उत्तरदायित्वकी भावनाको विकसित करनेका और एक शांत नागरिककी भांति जीवन व्यतीत करनेका सदुपदेश दिया। खान अब्दुल गफ्फार खांके प्रति उन लोगोंने जो निष्ठा प्रदर्शित की वह मर्मको स्पर्श करती थी परन्तु ९ जूनकी रातको डोंगरीकी सार्वजनिक सभाने उनके मनको अत्यन्त बड़ा आघात पहुंचाया। यद्यपि उनकी इच्छा उस सभामें जानेकी न थी परन्तु उनको कर्तव्यवश जाना ही पड़ा। उनको बहुत पहले दिनमें ही यह पता लग गया था कि आज सभामें किसी-न-किसी प्रकारका उपद्रव होनेवाला है। यदि वे सभामें उपस्थित न होते तो लोगोंको भारी निराशाका सामना करना पड़ता। सभामें विघ्न डाला गया और एक ऐसे निरपराध हिंदूका क्रूरताके साथ वध कर दिया गया जो यह ऐलान सुनकर सभामें आया था कि वहां पं० जवाहरलाल नेहरू तथा अन्य नेताओंका भाषण होनेवाला है। यह खान अब्दुल गफ्फार खांके लिए बड़ा पीड़ादायक अनुभव था। उन्होंने अपने दर्द और दुःखको इन शब्दोंमें व्यक्त किया है :

"दुर्भाग्यसे इस प्रदर्शनको देखकर मुझको दुःख हो रहा है। क्या आप हम लोगोंका, इस संध्याके अपने अतिथियोंका अपने इस अनिष्ट आचरणसे स्वागत करना चाहते हैं? क्या स्वयं आप अनुभव नहीं करते कि इस तरहका आचरण आपको अपयशके अतिरिक्त कुछ न दे सकेगा? यह व्यवहार आपको विनाशके पथपर ही ले जायगा। मैं अत्यंत गम्भीरतासे आपसे यह प्रार्थना करूंगा कि आप

जो कुछ कर रहे हैं, उसपर विचार भी करें। इस अपराधका दोष आप किसी औरपर नहीं मढ़ सकते। यह तो इस्लामकी शिक्षाके अनुकूल आचरण नहीं है।"

बोलते समय उनके मनमें एक तीव्र अपमानकी अनुभूति सजग थी। उसी दिन उनके कानोंमें यह द्वेषपूर्ण आरोप भी पड़ा था कि कुछ मुसलमान कांग्रेससे रिश्वत खाते हैं। उन्होंने इस आरोपका तीखे शब्दोंमें खण्डन किया। इसपर चोट करते हुए उन्होंने निन्दापूर्ण शब्दोंमें कहा :

"मैं मुसलमानोंसे यह कहूँगा कि जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, उसको ध्यानमें रखकर वे गम्भीरतापूर्वक अपनी स्थितिको सोचें। यदि हम इस दोषारोपणको सत्यरूपमें स्वीकार करते हैं तो इसका अभिप्राय यह होगा कि हम मुसलमानोंमें कर्त्तव्य-ज्ञान नहीं है। हम लोगोंमें देश-भक्ति नहीं है। पैसेके लिए हम सरकारका काम करते हैं और पैसेके लिए ही हम कांग्रेसका काम करते हैं। औरोंपर हम अपना यह कैसा प्रभाव छोड़ रहे हैं! इस घृणित आरोपका अर्थ यही है। यदि आपका यह विचार है कि आपके लिए यह आरोप सही नहीं है तो आप मुझे यह बतलाइये कि देशकी स्वाधीनताके लिए आप क्या कर रहे हैं? इस जगत्में इस्लामका प्रादुर्भाव किस उद्देश्यको लेकर हुआ? पीड़ितों और दलितोंकी सहायताके लिए ही न? इसीलिए न कि भूखोंको खाना और नंगोंको कपड़ा मिले? क्या आपने इस्लामके इन उद्देश्योंके लिए कार्यरत होकर उसकी शिक्षाओंका पालन किया है? अंग्रेज हम सबके ऊपर शासन कर रहे हैं। उनको आपकी किसी सहायताकी आवश्यकता नहीं है। वे पददलित नहीं हैं फिर भी हम प्रतिपल अंग्रेजोंका साथ देनेके लिए कितने उत्सुक रहे हैं और दुःखकी बात है कि हमने अपने बन्धुओं, हिन्दुओंके प्रति अपने कर्त्तव्यकी जान-बूझकर उपेक्षा की है। स्वाधीनताके संग्रामको चलाते रहनेकी सारी जिम्मेदारी हमने अकेले उनपर डाल दी है। यह इस्लामकी शिक्षाओंको मूल रूपसे अस्वीकार करना है। वे हमको यह बतलाती हैं कि हमको सदैव दुर्बल पक्षका ही साथ देना चाहिए। मुसलमान अपने धार्मिक उपदेशों और विश्वासोंके द्वारा स्वाधीनता-प्राप्तिके लिए किये जानेवाले प्रत्येक प्रयाससे बँधे हुए हैं। और, वास्तवमें, हमें तो इस लड़ाईका नेतृत्व करना था—आगे रहकर रास्ता दिखलाना था। हमारी परम्पराओं और धार्मिक विश्वासोंके अनुसार इससे अल्प स्थान हमारे लिए इन परम्पराओं और विश्वासोंका विरोधी है। हम मुसलमान अपने-आपको इस कर्त्तव्य-भारसे मुक्त कैसे रख सकते हैं? सचमुच हमारी स्थिति बड़ी दयनीय है!"

उन्होने अपने भाषणके अन्तम निष्कष रूपमें कहा

'हमको, हम लाखा तरुण अफगानोको गुलामोस घृणा हो चुकी ह। इस अप मानको हम अधिक दिनातक नही झल सकते। हमको आजादी चाहिए। एक मुसल्मान गुलाम कभी नही हो सकता। हम अत्याचारीका विरोध करना चाहते हैं और पीडितको मुक्ति दना चाहत ह। इस्लामन हमको इसकी शिक्षा दी ह और रसूल पाकने इसके ऊपर आचरण भी किया ह। यदि कोई पारसी या सिख भाई अग्रेजोका विरोध करनेके लिए सामने आता ह तब हम पारसो अथवा सिखका पक्ष लेंगे। यदि कोई हिन्दू अग्रेजाका विरोध करता ह तब हम उसकी ओर हागे और यदि कोई मुसलमान इसी कार्यके लिए हमारी सहायता चाहता है तो और भी अच्छा ह। उसको आगे आने दीजिए। मै अब अपन भाषणको समाप्त करूँगा। आप मुझको नुक्सान नही पहुँचा सकते। ऐसा करके आप अपन आपको ही हानि पहुँचायेंगे। यदि आपको मेरी सेवाओकी आवश्यकता ह तो म तयार हूँ अन्यथा मुझे उसकी चिन्ता नही ह। आपको इस बातकी कोशिश करनी चाहिए कि इस तरहकी घटनाएँ आगे न होने पायें क्योकि ये सार मुस्लिम-समाजके लिए अपमानपूण ह।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ देवदास गाधीके साथ सत्याग्रह आश्रम देखनके लिए अहमदाबाद गये। नगरके लघु प्रवासमें वे आश्रमम ही ठहरे। १४ जूनको उन्होने एक सावजनिक सभामें कहा

'इस सत्याग्रह आश्रमको देखनेकी मेरी तीव्र अभिलाषा थी परन्तु मनुष्य सोचता कुछ और ह और ईश्वरकी अभिलाषा कुछ और होती ह। कुछ भी हो, अतमें मने यह अवसर प्राप्त कर ही लिया। आप सब लोगोंमे मिलकर मेरा चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ ह। आप सब कमशील व्यक्ति हं अत मुझे आपसे कुछ कहन की आवश्यकता नही ह। म कोई नता नही हूँ और न म बनना ही चाहता हूँ। म एक मामूली सिपाही हूं। मैं जेलमें दु ख और आनन्दकी मिश्रित भावनाओंके साथ बाहरके समाचार पढा करता था। हमारे स्त्री-समाजपर जो अत्याचार हुआ उसके वणन पढकर मरा मन व्यथासे भर जाता था। म सोचता था कि हम *पैंतीस करोड लोग मनुष्य नहीं हं बल्कि वाणीहीन निष्क्रिय व्यक्ति ह जो मुँहसे* बिना एक बात निकाले अत्याचारकी इन घटनाओंको अपनी आँखोंसे देख रहे हैं। मुझको यह विचार करके आनन्द भी होता था कि अत्याचार करनेवाली इस सरकारके अब इने गिने दिन ही शेष रह गय ह। यह शासन अब अधिक दिनो तक चलनेवाला नही ह। परन्तु भाषण करके या तालियाँ बजाकर इस सरकार

को इस देशसे नही निकाला जा सकता । इसके लिए आपको कार्यमे लगना पडेगा। यह सरकार शक्तिके आगे झुकती है। यदि वह यह देखती है कि आप सुसंगठित है तो वह आपको माँगोको सरलतासे स्वीकार कर लेती है। यदि आप अंग्रेजका चुम्बन लेंगे तो वह आपको लात मारेगा। इसलिए आप लोगोको पूरी तरहसे संगठित होना चाहिए और हिन्दुओ तथा मुसलमानोके बीच शान्ति तथा मित्रताके सम्बन्ध बनाये रखना चाहिए। हम अफगानोने दिल्लीको लूटनेमे और बगदाद तथा यरुशलमके आक्रमणमे अंग्रेजोंकी सहायता की। लेकिन आप जानते है कि इसके बदलेमे हमें क्या मिला ? 'फ्रंटियर क्राइम रेग्यूलेशन', जो कि हम लोगोंके लिए एक धीमे जहरकी भाँति है। हमको अपने विचारोके आदान-प्रदान-तकका अवसर कभी नही दिया गया। अब हमारे बच्चेतक क्रान्तिमे भाग लेनेके लिए उत्सुक हैं। अंग्रेज हमको यह धमकी दिया करते थे कि भारत अच्छी तरह-से संगठित है। यदि पठानोने अपना सिर उठाया तो वहाँके लोग हमको अपने अधीन कर लेंगे। इसी प्रकार उन्होने हिन्दुस्तानियोसे कहा कि पठान बडे शक्ति-शाली लोग है और वे भारतपर चढाई कर देंगे। लेकिन आप जानते है कि हम लोग भी इंसान है। हम गुलाम है और हम आजाद होना चाहते है। अपने लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए हमको मिलकर साथ-साथ काम करना चाहिए। सन्धिका यह समय अल्प कालके लिए है। हमको भविष्यके लिए अपने-आपको तैयार रखना चाहिए। हमारी सन्धि हो चुकी है इसलिए हमको आलस्यमे बैठे नही रहना चाहिए। यदि गोलमेज कान्फ्रेन्स असफल हो जायगी तो हमारी लड़ाई फिर छिड जायगी। इसलिए यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इस स्थितिके लिए अपनेको तैयार रखे। मैं स्वयसेवकोकी भर्ती कर रहा हूँ। स्वतन्त्रताकी लडाईमे हिन्दू, मुसलमान, पारसी और ईसाई—कोई भी क्यो न हो, मैं सबकी सहायता करूँगा। मैं हिन्दुओ और मुसलमानोको यह सलाह दूँगा कि वे आपसमे लडें-झगडें नही। इस बातका बहुत कम महत्त्व है कि हिन्दूराज होता है या मुस्लिमराज। जब हम सभी गुलाम है तो हमको अपनी गुलामीको दूर करना ही चाहिए और अंग्रेजोको इस देशसे बाहर निकालना ही चाहिए। मै आपको यह भी सलाह दूंगा कि आप कठोर अनुशासनका पालन करे। हमको इस बातपर ध्यान नही देना चाहिए कि सरकार सन्धिकी शर्तोंकी अवहेलना कर रही है। हमको अपने कर्त्तव्य-पालनसे च्युत नही होना है।"

देवदास गाधी खान अब्दुल गफ्फार खाँको बोरसद जिले और बड़ौदा राज्यके गाँवोके दौरेपर ले गये जहाँ कि उन्होने कई सार्वजनिक सभाओमें भाषण किये।

सफल होंगे।"

२३ जूनको दिल्लीमें भाषण करते हुए सबसे पहले उन्होंने पत्रकारोंसे निवेदन किया कि उनके तथ्योंको भ्रामक रूपमें प्रस्तुत न किया जाय। उन्होंने कहा "मैं अंग्रेजी समाचार-पत्रोंके और विशेष रूपमें 'टाइम्स ऑफ इण्डिया' के सम्बन्धमें कुछ शब्द कहना चाहूँगा जिसने कि मेरे अहमदाबादमें किये गये भाषणको एक अलग ही रङ्ग दिया है। इस पत्रने मोटे शीर्षक देकर यह प्रकाशित किया है कि मैं ब्रिटिश शासनका नाश चाहता हूँ परन्तु उसने यह स्पष्ट नहीं किया कि मेरी यह इच्छा क्यों है और अफगान ब्रिटिश सरकारके विरोधी क्यों हैं? हमने भी इस सरकारको अपनी महती सेवाएँ अर्पित की हैं। हमने उनकी आज्ञा स्वीकार करके दिल्ली, बगदाद, यरूशलम और यहाँतक कि मक्कापर भी हमले किये हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि यदि कभी कोई विशेष स्वादिष्ट पदार्थ हमारे पास आया है, तब हमने स्वयं उसे नहीं चखा है और न उसको अपनी पत्नियों और बालकोंको दिया है, बल्कि उसको अंग्रेजके पास ले गये हैं और कहा है कि इसे आप खाइये। परन्तु बदलेमें उन्होंने हमको 'फ्रन्टियर क्राइम रेगूलेशन (सीमा-प्रान्त अपराध-विनियम) दिया। उदाहरणके रूपमें मैं आपके आगे हबीब नूरका एक मामला रख रहा हूँ जिसने खुदाई खिदमतगारोंपर अत्याचार करनेवाले अंग्रेज असिस्टेन्ट कमिश्नर (सहायक आयुक्त) को गोलीसे मार देनेका प्रयत्न किया और जिसको बिना मुकदमेके—बिना विचारणाके तुरन्त फांसीके तख्तेपर लटका दिया गया। क्या इन दिनों आप यह कल्पना भी कर सकते हैं कि जंगलीसे जंगली लोगोंतकमें ऐसे कानून प्रचलित किये जा सकते हैं? सारे भारतमें सुधार लागू किये गये परन्तु हमको उनसे वंचित कर दिया गया। वह तो अब हम अंग्रेजोंको समझ सके हैं, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि आप भी उनको समझ सके हैं या नहीं क्योंकि उनके साथ आपकी घनिष्ठ मित्रता है।"

"अंग्रेजोंका स्वभाव अत्यंत विलक्षण है।" उन्होंने कहा, "यदि आप उनकी प्रशंसा करेंगे तो वे आपको बड़ी निर्दयतासे अपने बगलेसे ठोकर मारकर निकाल देंगे और जोरसे चिल्लाकर कहेंगे, 'निकल जाओ, काले आदमी!' परन्तु यदि आप अपनेको संगठित करेंगे और अपने अधिकारोंकी मांग करेंगे तो उनकी यह प्रकृति है कि वे आपके सामने झुक जायँगे। मैंने अपने भाषणमें कहा था कि हम अंग्रेजोंको समझ चुके हैं और हमारे नन्हे बच्चे भी उनके खिलाफ़ हो गये हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। २९ मईको हम सीमाप्रान्तके एक गाँवमें अपने

प्रचार कार्यके लिए गय। हमसे एक छोटा-सा बालक आकर मिला जो कि भर्ती के लिए अपना नाम लिखाना चाहता था। मने उस बालकसे पूछा कि म उसका नाम कहाँ लिखूँ ? उसने उत्तर दिया, 'इन्किलाब'। यह सुनकर मने पुलिस इस्पेक्टरकी ओर देखा, जो कि हमारे साथ था। मने उसस कहा कि वह यह बात अपनी डायरीम लिख ले कि एक पठान बालकतक इन्किलाब चाहता है। मने उससे केवल इतना कहा लेकिन उसने इससे एक लम्बी कहानी गढ़ ली। मैंने मुसलमानोसे यह कह दिया कि यदि आप लोग अंग्रेजोका साथ देना चाहते ह और इस आन्दोलनको कुचल देना चाहते ह तो आपको सफलता नही मिलेगी। अंग्रेज अब शिथिल हो चुका ह। वह अब अधिक समयतक यहाँ नही रह सकता। वह यहाँ रह ही कसे सकता ह जब कि पठानो जैसी विश्वस्त जाति अपनी स्त्रियो और बच्चोतकके साथ उसकी विरोधी हो चुकी हो ? अंग्रेज झुकेगा और निकट भविष्यम ही यह देख लेगा कि इन्किलाब कसा होता ह ? पृथ्वीपर कोई एसी शक्ति नही ह जो 'इन्किलाब' को रोक सके। उसके लक्षण तो आप आज भी देख रहे ह।

'मरे मुसलमान बन्धुओ म आपसे एक निवदन करना चाहता हू। म चाहता हूँ कि इसे हिन्दू लोग भी सुनें।' उन्होने अपना भाषण जारी रखते हुए कहा 'मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप प्राय यह कहा करत ह कि एशिया अध्यात्मकी भूमि ह। आपका धर्म आपको क्या सिखलाता ह ? क्या किसी धर्मने किसी राष्ट्रको यह सिखलाया कि वह दासत्वको स्वीकार कर ? म कहता ह कि प्रत्येक धर्मका मूल सिद्धात मुक्त रहना ह। यह उत्पीडितकी सहायता करनेकी शिक्षा देता ह अत्याचारीके विरुद्ध युद्ध छेडनेका आदेश देता ह। यह किसी भी मुसलमानकी इच्छापर निर्भर ह कि वह अपने धर्मके आदेशानुसार किसी अंग्रेजका गुलाम रहे या स्वाधीन। हमने—हम अफगानोने अबतक केवल अंग्रेजोका दास बनना ही सीखा ह परन्तु आज हम इस दासताम छुटकारा पानेके लिए उत्सुक ह। क्या म आपसे पूछ सकता हूँ कि यदि आपका धर्म आपको मुक्त रहनेकी सीख देता ह तो आपने इस दिशामें कौनसे कदम उठाये ह ? इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए आपने कौनसे प्रयास किये ह ? स्वतन्त्रताकी उपलब्धिके लिए आप कौनसे रचनात्मक काम कर रहे ह ? जब हम अफगानोंके पास कोई संगठन न था जब हम लोगोंमें परस्पर एकता न थी जब हमारे राजनीतिक आन्दोलनको बल देने मिलता था तब हमारा और कोई सहायक नही था। अब जब कि हम कुछ काम कर चुके हैं और जब हमने कुछ शक्ति अर्जित कर ली ह तब अंग्रेज हमसे पूछते हैं अब

क्या चाहते है ? आप लोग हमसे क्रोधित क्यो है ?' आप जो कुछ भी पाते है, शक्तिके द्वारा पाते है। कोई राष्ट्र तभी जीवित रह सकता हे, जब कि उसके पास पर्याप्त शक्ति हो। आप कुरानको पढिए। उसमे ऐसे पतनोन्मुख राष्ट्रोके अनेक उदाहरण मिलते है जिन्होने कापुरुषता, दुराचार वृत्ति और विलासका जीवन व्यतीत कर अपने अस्तित्वको नष्ट कर दिया है। आप अपने तरुणोमे राष्ट्रके प्रति एक निष्ठा और स्वाधीनताके प्रति एक लगन जाग्रत कीजिए और इन्ही युवकोके द्वारा आप शक्ति अर्जित करेगे। अंग्रेज अब थक चुका है। वह यहाँ अधिक दिनोतक नही रह सकता। उसके लिए अपनी स्वयंकी रक्षा करना ही कठिन हो रहा है, वह भला आपकी रक्षा कैसे कर सकेगा ? यह देश आपका और हिन्दुओका दोनोका है। आप लोगोको कंधेसे कंधा मिलाकर कार्य करना चाहिए और अपनी मातृभूमिको दासताके कलकसे मुक्त करना चाहिए।''

खान अब्दुल गफ्फार खाँ जूनके तीसरे सप्ताहमे सीमाप्रान्तमे लौट आये। २५ जूनको डेह बहादुरमे उनके सम्मानार्थ एक सभाका आयोजन हुआ जिसमे छ हजारसे भी अधिक लोग उपस्थित थे। उनमे तीन हजार खुदाई खिदमतगार और दो सौ महिलाएँ थी। इस सभामे उन्होने अपने दो सहयोगियोकी गिरफ्तारीका उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार सन्धिकी शर्तोको भंग कर रही है और इस प्रकार जनताको उत्तेजित करना चाहती हे ताकि आन्दोलनके दमनके लिए उसको कोई बहाना मिल सके। उन्होने जनताको हिंसात्मक कार्योसे दूर रहनेकी चेतावनी दी। उन्होने उसे सन्धिकी शर्तोका कठोरतापूर्वक पालन करनेकी सलाह भी दी। उन्होने कहा कि जनता ब्रिटिश सत्ताके भवनकी नीवको हिला चुकी है। उन्होने पुलिस विभागके सरकारी संवाददाताओसे अपने इन शब्दोको लिख लेनेके लिए कहा और यह भी कहा कि वे उनको अपने अधिकारियोतक पहुँचा दे। जनता अब जेलो और मशीनगनोसे डरती नही। जिस कार्यको उसने प्रारम्भ किया है, उसे वह पूर्ण करेगी ही। उन्होने इस बातकी वकालत की कि स्त्रियोको भी आन्दोलनमे भाग लेना चाहिए।

वे सीमा-प्रान्तकी जनतामे उत्साहकी एक लहर जाग्रत करते हुए और खुदाई खिदमतगारोका सगठन करते हुए एक जगहसे दूसरी जगह गये। उन्होने अनेक स्थानोपर सभाओमे व्याख्यान दिये—कभी आधी रातमे, कभी दोपहरमें और कभी सवेरे। उनमें उन्होने लोगोको सक्रिय होनेके लिए कहा। जनता अपने बादशाह खानको एक विलक्षण पुरुष समझकर, उनके भाषणको सुननेके लिए, बहुत बड़ी संख्यामे दूर-दूरसे आती थी। उनके दर्शन करके उसको धैर्य प्राप्त होता था।

खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रति उनका प्रेम असीम था। जनता 'फख्र-ए-अफगान' को एक संत समझने लगी। जिन कुओंका वे पानी पी लेते थे, उन्हें भीड घेर लेती थी और तत्काल रीता कर देती थी। उसका विश्वास था कि इस जलसे उसकी रोग मुक्ति हो जायगी। अनेक रोगोंके निवारणके लिए उनके दर्शन औषध के समान समझे जाने लगे थे। अपने प्रति इस विश्वासके लिए उन्होंने लोगोंको अनुत्साहित किया। एक सार्वजनिक सभामें उन्होंने कहा "मेरी दृष्टिमें आगे दो लक्ष्य हैं, एक देशको स्वतंत्र करना और दूसरा भूखोंको रोटी तथा नंगोंको वस्त्र देना। दूसरे अर्थोंमें स्वाधीनता इस्लाम है और इस्लाम स्वाधीनता है। जबतक आपको स्वाधीनताकी प्राप्ति न हो तबतक आप चैनसे न बैठिए। इसकी परवाह न कीजिए कि आपपर बम फेंके जाते हैं या तोप अथवा बन्दूकसे आपको भूना जाता है। अंग्रेजोंका जो सारे कष्टोंके मूलकारण हैं डटकर मुकाबला कीजिए। मित्र और शत्रुके बीच पहचान कीजिए। कांग्रेस एक हिंदू संगठन नहीं अपितु एक राष्ट्रीय संस्था है। यह हिंदू, मुसलमान, सिक्ख, यहूदी, ईसाई और पारसियोंका मिला जुला जिरगा है। वह ब्रिटिश सत्ताके विरोधमें अपना कार्य कर रहा है। ब्रिटेन भारतका और पठानोंका शत्रु है। इसीलिए मैं कांग्रेसमें शामिल हो गया हूँ। आपको भी मेरे साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। आप ऐसी कोशिश करें कि अंग्रेज जनतामें फूटकी भावनाको फैला न सकें।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँको पठानोंकी ओरसे पूरी तरहसे अनुकूल प्रत्युत्तर मिला। उनके परिवारके प्रायः प्रत्येक व्यक्तिने राष्ट्रीय आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया। उन लोगोंमें उनकी बहिन भी थीं जिन्होंने कि विशाल जन-सभाओंमें भाषण किये। डा० खान साहबने अपनी सारी शक्ति आन्दोलनमें लगा दी। सरकार भयसे त्रस्त हो उठी। उसने आपसी कलह बढ़ाने वालोंको शासन सुधारोंका प्रलोभन दिया। प्रतिद्वन्द्वी संगठन खड़े किये। सरकारने निम्नतम आन्दोलनके सम्बन्धमें झूठी सामग्री प्रकाशित की और उसका प्रयोग किया। यहाँतक कि खान बन्धुओंपर प्रभावशाली मस्जिदके नेताओं द्वारा कुफ्र का फतवा लगवाया गया। उद्देश्य यह था कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ कांग्रेसकी सदस्यताको स्वीकार न करें तथा अपने लोगोंको रोकें।

सीमाप्रान्तमें उन्होंने चमत्कार कर दिखाया। उनमें एक चमत्कार महिला सभाओंका आयोजन भी था। भारतवर्षकी महिलाओंकी एक सभामें अपने भाषणका उत्तर देते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा

मेरी बहनो! इस स्नेहपूर्ण मानपत्रके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

यह पहला अवसर है जब कि मुझको एक नवीन, अनूठे सुखका अनुभव हो रहा है। इसका कारण यह है कि मै जब कभी भारतमे गया तो मैने वहाँ हिन्दू और पारसी महिलाओमे राष्ट्रीय जागरण और देशभक्तिकी भावना देखी। उसे देखकर मै अपने मनमे कहा करता था कि क्या कभी ऐसा अवसर भी आयेगा जब कि हमारी पख्तून नारियाँ भी जाग्रत होगी और राष्ट्रसेवाके हेतु कमर कसकर तैयार होगी ? मै इस आकाक्षाको बहुत दिनोसे अपने मनमे सँजोये हुए था। आज ईश्वरको धन्यवाद है कि मेरी कामना पूर्ण हुई। यह उसीकी अनुकम्पा है कि हमारी अबोध और अशिक्षित महिलाएँ राष्ट्रसेवाके उद्देश्यको लेकर प्रत्येक सेवा-कार्यके लिए तैयार है।

"ईश्वरने पुरुषो और स्त्रियोमे कोई भेद नही किया। यदि कोई दूसरेसे आगे बढना चाहता है तो वह केवल अच्छे विचारो और श्रेष्ठ आचारको लेकर ही बढ सकता है। यदि आप इतिहासका अध्ययन करे तो आपको मालूम होगा कि महिलाओमे भी अनेक विदुषियाँ और कवयित्रियाँ हुई है। हमने महिलाओको हेय दृष्टि से देखा है। यह हमारी एक बहुत बडी भूल है। यदि आप अपनी तन्द्राको त्यागें, गाँवोका दौरा करे और अपनी अबोध तथा पीडित बहनोमे जागर्ति उत्पन्न करे तो इससे आपका स्तर ऊँचा उठेगा।

"खुदाई खिदमतगारोकी सेवाओके कारण आज सर्वत्र पठानोको आदरकी दृष्टिसे देखा जाने लगा है। वे आपके बालक है और आपके बन्धु है। हम उस प्रत्येक बहिन और माताको बधाई देते है जिसके भाइयो और बेटोने सुर्ख वर्दीको पहना है और जो राष्ट्रकी सेवाके लिए कमर कसकर तैयार है।

"यदि आप इस्लामके इतिहासका अध्ययन करें तो आप देखेंगी कि पुरुषो और महिलाओने इस्लामकी समान रूपसे सेवा की है। इसलिए राष्ट्रकी सेवामे आप मेरा साथ दीजिए। मै गम्भीरताके साथ आपको वचन देता हूँ कि यदि हमको सफलता मिली और मातृभूमि स्वाधीन हुई तो आपको आपके सारे अधिकार दिये जायँगे। कुरान पाकमे आपको पुरुषोका समान पद दिया गया है। आज आप पीडित है क्योकि पुरुषोने ईश्वर और पैगम्बर (मुहम्मद साहब) की आज्ञाओकी अवहेलना की है। आज हम 'रिवाज'—रीतियो और प्रथाओके अनुयायी है और हम आपको सता रहे है। लेकिन ईश्वरको धन्यवाद है कि हमने यह समझ लिया है कि हमारा और आपका लाभ और हानि, उत्थान और पतन वस्तुत एक है। आपको यह जान लेना चाहिए कि यदि आप हमारे साथ राष्ट्र-सेवाका सकल्प करती है तो निश्चित ही आपकी स्थितियोमे सुधार होगा।

९ जुलाईको चारहाटकी एक मस्जिदमें आयोजित सभामें उन्होंने कहा

'मैं आपको यह स्पष्ट समझा देना चाहता हूँ कि ये लाल कुर्तीवाले कौन हैं और वे लाल रंगके वस्त्र क्यों पहनते हैं ? कुछ मुल्लाओंने यह निश्चय किया है कि ये लोग अपनी लाल वर्दीको पहनकर मस्जिदोंमें नमाज नहीं पढ़ सकते। यह एक प्रकारसे अंग्रेजोंका पक्ष लेना है। मैं पूछता हूँ कि इसमें अनुचित क्या है ? यदि उससे हमारी आजादीकी लड़ाईमें मदद मिलती है तो मुल्ला लोग जो भी बतलायें हम वही वस्त्र पहननेको तैयार हैं। कुरानमें यह लिखा है और रसूल पाकने भी कहा है कि एक गुलाम देश धरतीपर एक शापकी तरह है। इस्लाम धर्म स्वाधीनता, शान्ति और समताको लेकर खड़ा है। ये लाल कुर्तीवाले खुदाई खिदमतगार ईश्वर और देशकी सेवा करते हैं। ये लोग वर्दी पहनते हैं इसलिए नहीं कि इनको सरकारसे कुछ भी रुपये वेतन मिलते हैं बल्कि इसलिए कि वे एक 'मुजाहिद' बनकर राष्ट्रकी सेवा करते हैं। प्रत्येक सेनाकी अपनी एक वर्दी होती है, इसी तरहसे खुदाई खिदमतगारों (ईश्वरके सेवकों) की भी अपनी यह विशेष पोशाक है।

१९ जुलाईको खान अब्दुल गफ्फार खाँने मरदके जमायत उल उलमाके अधिवेशनमें व्याख्यान दिया। उनका यह भाषण, जिसको सरकारने आपत्तिजनक और अभियोग चलाने योग्य समझा, इस प्रकार था

"मुसलमानोंके विरुद्ध यह सामान्य आरोप है कि उनमें एकताकी कमी है। जिस रास्तेपर हिन्दू, सिख, ईसाई और पारसी चल रहे हैं उसपर दृष्टि डालिए और फिर अपने कार्योंपर भी एक दृष्टि डालिये। हिन्दू, सिख और पारसी आपसमें भिन्न-भिन्न विचारोंके लोग हैं लेकिन उनमें कभी गालियोंका यह आदान-प्रदान, यह कलह-द्वेष, एक दूसरेका यह तिरस्कार और अपमानास्पद व्यवहार नहीं दिखलाई देता जैसा कि मुसलमानोंमें देखनेमें आता है। आपमें जो खराबी है, वह देखनेके लिए आपके पास आँखें तो हैं ही। उन्हें खोलिए और देखिए कि अन्य समुदाय क्या कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं ? अन्य समाजोंके सम्भ्रान्त नागरिकोंने जिन गुणों और जिन नम्रताओंको अपनाया है उनकी ओर दृष्टि डालिए और आप देखेंगे कि उनका आपसका व्यवहार कितना प्रेम और सौजन्यपूर्ण है। अब आप अपने जाति-बन्धुओं और नेताओंकी ओर भी एक दृष्टि डालिए। मैंने मुसलमानोंकी वर्तमान स्थितिपर काफी विचार किया है और मैं इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि वे एक वर्गके रूपमें परस्पर विरोधी दृष्टिकोणके लोग हैं। अन्य समुदायोंमें भी आपको विरोधी विचारधाराके लोग मिलेंगे लेकिन वे एक दूसरेके

प्रति ऐसा दुर्व्यवहार नही करते और न दुर्वचनोके शस्त्रसे लड़ते ही है। इसका कारण यह है कि उनकी दृष्टिके सम्मुख समान लक्ष्य है, जिसको उन्हे प्राप्त करना है। उनमे भी ऐसे लोग है जिनकी अपनी-अपनी राये है परन्तु लक्ष्य एक ही है। मै उस (लक्ष्य) की व्याख्या या परिभाषा नही करना चाहता परन्तु मुस्लिम समाजकी शोचनीय स्थितिके मूल कारणको दुहरा देना चाहता हूँ। मै पुन. कहता हूँ कि हम लोगोके आगे एक सामान्य लक्ष्य नही है। आप लोग अपने हृदय टटोलिए। क्या आप चाहते है कि हिन्दुस्तानकी यह गुलामी सदा बनी रहे ? क्या आपका लक्ष्य यही है ? यदि वास्तवमे ऐसा ही है तो आप किसी अन्यको हानि नही पहुँचा रहे है बल्कि अपनी ही हानि कर रहे है। मुसलमानोके आगे एक सामान्य लक्ष्यका न होना ही उनके इस कलह और विवादका कारण है। मेरे हृदयपर यह एक बहुत बडा भार है। मुसलमान पृथक् निर्वाचिक वर्गकी मांग करते है। वे अपने अधिकारोकी सुरक्षाके लिए चिल्ला रहे है। मै उनसे यह कहना चाहता हूँ कि वे जोरसे चिल्लाकर या ऐसा व्यवहार करके, जैसा कि वे कर रहे है, अपने अधिकारोको नही पा सकते। यह एक नियम है कि अधिकार केवल शक्तिसे ही प्राप्त किये जा सकते है। एक ऐसा समय था जब कि सीमाप्रान्तके लोगोके पास शक्ति न थी और परिणामस्वरूप न मुसलमानोने और न हिन्दू भाइयोने ही उनकी ओर ध्यान दिया। किसीने यह अनुभव नही किया कि उसका हमसे कोई सम्बन्ध है और न हमको कोई सहायता ही दी। आज, जब कि ईश्वरकी कृपासे हम अपने प्रान्तमे कुछ ठोस कार्य कर चुके है और जब कि हमारे पास एक लाखसे अधिक, अच्छी तरहसे अनुशासित स्वयंसेवक है तब सरकार यह जाननेको उत्सुक है कि हम क्या चाहते है ? आज सरकारतकने हमारी ओर अपनी मित्रताका हाथ बढाया है और हर एक हमारा दोस्त है। मै आपको स्पष्ट रूपसे यह बतला देना चाहता हूँ कि वह अकेली वस्तु क्या है जिसने हमारे प्रति सबका व्यवहार बदल दिया है। वह शक्ति है। भले ही आपको स्वीकृत अधिकार मिल जायँ, पर जबतक आपकी यह वर्तमान स्थिति चल रही है, तबतक आप अपने अधिकारोंकी रक्षातक न कर सकेंगे। निर्माणात्मक कार्यके द्वारा आपको शक्ति प्राप्त करनी होगी। उसको भाषणो और प्रस्तावो द्वारा प्राप्त नही किया जा सकता। आपको अपना सदेश लेकर गाँव-गाँव जाना चाहिए और जनताके बीचमे तेजीसे काम करना चाहिए। आप देशकी प्रगतिके लिए अवश्य कार्य करें।

"अब मुझे मुसलमानोके एक अन्य दोषकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना

चाहिए। वे उनकी शीघ्र पहचान चाहते हैं जो कि उनकी निःस्वार्थ भाव से सेवा किया करते हैं। आप उनसे किसी प्रकारके प्रोत्साहनकी आशा नहीं रख सकते। ऐसा समझौता इसीलिए कभी संपन्न नहीं हो सकता।

मैंने कुछ मुसलमानोंको यह कहते सुना है कि सामाप्रान्तके लोग हिन्दुओंसे प्रभावित हैं। अन्य कुछ लोग कहते हैं कि हिन्दू उनको धन देते हैं। इस प्रकारके मिथ्या आरोप देश और समाजके हितोंको क्षति पहुँचाते हैं। हम इस आन्दोलनमें इसलिए शामिल हुए हैं कि हम अंग्रेजोंको देशसे बाहर निकालकर स्वतन्त्र होना चाहते हैं। वकील पेशावर शहरमें एक नामी मुसलमान खिदमतगार हैं। बन्नू और डेरा इस्माईल खाँमें भी एस लोगोंकी संख्या अत्यधिक है जो कि इस रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। हम देशमें केवल एक यही रहेगा—या तो हम लोग या वे अंग्रेज जिन्होंने आत्मिक, नैतिक और आर्थिक रूपसे हमें बर्बाद किया है। अंग्रेज भी इस तथ्यको भली भाँति जानते हैं। हमारा उद्देश्य इस देशसे अंग्रेजोंको बाहर निकाल देना है या स्वयं नष्ट हो जाना है। मैं कांग्रेसके अतिरिक्त ऐसा कोई अन्य दल नहीं खोज सका जिसका लक्ष्य अंग्रेजोंको इस देशसे बाहर निकालना हो और पददलित लोगोंकी सहायता करना हो। हमारा लक्ष्य भी यही है।

शायद आप मुझसे यह पूछना चाहें कि मुझको यह विचार कहाँसे मिला? मैं आपको यह बतलाता हूँ कि आप इस अपने ग्रन्थ कुरान शरीफमें पायेंगे। पैगम्बर साहब सताये हुए लोगोंकी सहायता करनेके लिए और मनुष्यको दासत्वसे मुक्ति दिलानेके लिए आगे आये। क्या दासत्व एक अभिशाप नहीं है? मैं यह स्पष्ट शब्दोंमें कह रहा हूँ कि अंग्रेज अत्याचारी हैं और हिन्दू, मुसलमान, सिख तथा पारसी उनके द्वारा सताये गये लोग हैं। इन पीड़ित लोगोंका अपना कोई देश नहीं है। उनका देश बलसे और कपटसे उनसे छीन लिया गया है। पैगम्बर साहबकी जीवनीको पढ़िए, कुरानके पन्नोंको पलटिए। हम किसी एसे दलकी खोजमें हैं जो हम अपना सहयोग दें और उसके सहकारसे हम दमनकारियोंका अन्त कर सकें। यदि आप मुझको कांग्रेस जैसा ही कोई अन्य दल बतला सकते हैं तो मैं उसके साथ मिलकर काम करनेको तैयार हूँ। हम स्वतन्त्रता चाहते हैं। हम अंग्रेजोंको अपने देशसे बाहर निकाल देना चाहते हैं क्योंकि उनके व्यवहारसे हम अधीर हो उठे हैं। इसीलिए हम कोई कोई ऐसा सहयोगी दल चाहते हैं जिसका और हमारा लक्ष्य एक हो।

मुझको उनकी बात सुनकर बहुत आश्चर्य होता है जो यह कहते हैं कि

कांग्रेस एक हिन्दू संगठन है। भारतमे हिन्दुओकी संख्या अधिक है इसलिए किसी भी राष्ट्रीय संगठनमे उनका बहुमत होना स्वाभाविक है। जब हमने यह खोज लिया कि देशमे केवल एक ही ऐसी सस्था है जो पीडितोको अपनी सहायता देना चाहती है और भारतको स्वतत्र तथा समृद्ध बना देना चाहती है, तब हमने उसको अपना सहयोग दिया। इसके अलावा मै आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार हम लोगोको मिटा देना चाहती है। प्राय. हमारे खुदाई खिदमतगार मार दिये जाते है। हमारे कुछ लोग पत्थर बरसाकर मार डाले गये और कुछको गोलियोसे भून दिया गया। एक प्रतिष्ठित व्यक्तिने मुझसे कहा कि उससे पुलिसके एक अधिकारीने मुझे मार डालनेको कहा क्योकि मुझे (खुदाई खिदमतगारोके) अध्यक्षका स्थान लेनेका कोई अधिकार न था। मै एक ऐसे दल की खोजमे हूँ जो स्वाधीनताकी इच्छा रखता हो और जो इस अत्याचारी शासन-से हमारी रक्षा करनेको तैयार हो। यदि कोई ऐसा मुसलमानोका दल है जो हमको बचा सके और आजादीका झण्डा लेकर हमारे साथ कदमसे कदम मिला-कर चल सके तो हम उसके साथ मिलनेको तैयार है। परन्तु आप यदि और कुछ कहना चाहते है तो मै आपसे कहूगा कि हमने काग्रेसके साथ बने रहनेका निश्चय किया है। हममेसे हरएक स्त्री, पुरुष और बालक, सब अग्रेजोका तबतक विरोध करते रहेगे जबतक कि हमारी जाति समाप्त नही हो जाती या अंग्रेजोको भारतसे निकाल नही दिया जाता।"

अपने संगठनके प्रचारके सम्बन्धमे खान अब्दुल गफ्फार खॉ सारे सीमा-प्रात-मे दौरे कर रहे थे और निर्भीक होकर भाषण कर रहे थे। सीमा-प्रान्तकी सरकार उनके स्पष्ट व्याख्यानोसे घबरा उठी थी। कोहाट तो फौजकी भर्तीका एक बडा केन्द्र था। सीमात प्रदेशकी सरकारने लार्ड विलिगडनकी सेवामे सूचित किया कि यदि खान अब्दुल गफ्फार खॉ अपना कोहाटका दौरा नही रोकेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लेना पडेगा। वाइसरायने इस सम्बन्धमे गाधीजीको सूचना भेजी। उसपर गाधीजीने उन्हे चेतावनी दी कि ऐसी स्थितिमे सन्धिको भङ्ग हुआ समझा जायगा। गाधीजीने स्थितिका निकटसे अध्ययन करनेके लिए वाइसरायसे सीमा-प्रान्त जानेकी अनुमति मागी जो अस्वीकृत हो गयी। इसके बाद गाधीजीने सुझाव दिया कि नेहरूजीको ही वहाँ जाने दिया जाय परन्तु वाइसरायने इसकी अनुमति भी नही दी। तीसरी बार गाधीजीने अपने पुत्र देवदास गाधीके नामका सुझाव भेजा जो बडी कठिनाइयोके बाद इस शर्तपर स्वीकृत हुआ कि वे वहाँ न तो कोई भाषण कर सकेंगे और न मानपत्र ही स्वीकार कर सकेंगे। 'उनको भेजनेका मुख्य

उद्देश्य शान्तिकी वृत्तियोंको बढ़ावा देना था और यदि हो सके तो एक बहुत बड़ी विपत्तिको टालना था। गांधीजीने लिखा 'उनकी उपस्थिति खान अब्दुल गफ्फार खाँको नौफ रमिशनके आमन्त्रणके अनुकूल उत्तर देनेमें सहायक होगी।'

सीमाप्रान्तकी स्थितिका निकटसे अध्ययन करनेके लिए छः दिवसके दौरेका कार्यक्रम लेकर महात्मा गांधी जूनके अन्तिम सप्ताहमें पशावर पहुँचे। इस दौरेके सम्बन्धमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा है

हम लोग पेशावरसे एक ट्रकमें उत्मनजई रवाना हुए। जब हम शाही बागसे आगे निकल गये तब एक मिलिटरी मोटरकार हमारे पास पहुँची जिसके ऊपर राष्ट्रीय झण्डा लहरा रहा था। हम लोग ट्रकसे उतर पड़े और जाकर कारमें बैठ गये। दो खुदाई खिदमतगार जो आकर्षक लाल वर्दी पहने थे, आगेकी अगली सीटोंपर बैठ गये और मैंने, खुर्शीद बहन और देवदास गांधीने पीछेकी सीटको घेर लिया। जब हम चारसद्दा पहुँच गये तब हमें खबर मिली कि इलाकेके बदनाम स्कूल काजीने उस ट्रकपर गोलियाँ चलायी जिसको हमने छोड़ा था। काजी मरदरयावके पुलके पास एक जंगलमें बैठा हम लोगोंकी प्रतीक्षा कर रहा था। ट्रकको रोका गया और उसकी तलाशी ली गयी तो उसमें एक पायदान आदमी मिला जो कि ट्रकमें रह गया था। चारसद्दाके अस्पतालमें हम उससे जाकर मिले और उससे बातचीत की। वास्तवमें काजीको हमारे ऊपर गोली चलानेका काम सौंपा गया था और इसके लिए उसे कुछ रुपये दिये गये थे। नावकी थानेमें काजीको खबर दे दी गयी थी कि हम लोग एक ट्रकमें रवाना हो चुके हैं। इसे ईश्वरीय कृपा ही कहा जायगा कि हमने गाड़ी बदल दी और इस प्रकार बाल-बाल बच गये। मजेकी यह भी पता चला कि काजी जब अपनी इलाकेमें पहुँचा तो उसको मार डाला गया। उसका यह काम पख्तून परम्पराओंके विरुद्ध समझा गया जिसमें कि पख्तून-समाज भारतीयोंकी दृष्टिमें गिर जाता।

महात्माजीने हमारे साथ सारे क्षेत्रका दौरा किया और वे इस निर्णयपर पहुँचे कि सरकारकी हमपर नाराजीका मुख्य कारण हमारा पख्तून जनतामें काम करना है।

हमारे प्रान्तमें मुस्लिम लीगका कोई संगठन न था। हमारे आन्दोलनको पराजित करनेके लिए अंग्रेजोंको एक विरोधी संगठनकी आवश्यकता थी। उन्होंने पेशावरके स्वनामधन्य हाजी स्कूलके प्रधानाध्यापक स्नायतुल्लाह मशरिकीके द्वारा खाकसार तहरीकका प्रारम्भ कराया और उसकी सहायता दी। खुदाई खिदमतगार आन्दोलन अत्यन्त शक्तिशाली था इसलिए खाकसार लोग सीमा-प्रान्तमें अपना सिक्का

स्थान न वना सके परन्तु भारतके अन्य भागोमे फैल गये। इनायतुल्लाह मशरिकी ने सरकारकी किसी वातपर उसे लखनऊमे क्षमाका प्रार्थना-पत्र दे दिया और इस प्रकार उन्होने अपनी दुर्वलताको प्रकट करके खाकसार आन्दोलनकी मृत्युकी घटियाँ वजा दी। सीमाप्रान्तमे अनेक जाली संगठन खडे किये गये परन्तु वे खुदाई खिदमतगारोकी चुनौतीका सामना नही कर सके और शान्त पड गये। हम लोग जन-प्रवृत्तियोमे यथेष्ट समय व्यय कर रहे थे और हमारा आन्दोलन जंगलकी आगकी भाँति फैलता ही जा रहा था। केवल कोहाट जिलेमे एक लाख-के लगभग खुदाई खिदमतगार थे। अग्रेज मुझको उत्तेजित करना चाहते थे और उसके वाद मुझे गिरफ्तार कर लेना चाहते थे। उन्होने गाधीजीके मनमे यह वात वैठानेकी कोशिश की कि सारा दोप मेरा है परन्तु उनको सफलता नही मिली। मेरे वारेमे लार्ड विलिंगडन और गाधीजीमे पत्र-व्यवहार हुआ। गाधीजी-ने मुझको मिलनेके लिए वारडोली वुलाया।

"वारडोली जाते हुए, मार्गमे मुझको मुहम्मद अलीके दामाद शौयव कुरैशी भोपाल स्टेशनपर मिल गये और उनके विशेप आग्रहपर मै एक रातके लिए भोपालके नवावका अतिथि वना। उस समय मौलाना शौकत अली भी वहाँ ठहरे हुए थे। उन्होने मुझसे कहा, "यदि आप तैयार हो तो हम दोनो चलकर वाइस-रायसे मिलें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप पख्तूनोके लिए सुधारकी जो भी मागे उनके सामने रखेगे, उन सवको वे स्वीकार कर लेगे।" वाइसरायसे भेंट करनेके उनके प्रस्तावको न मानते हुए मैने कहा, "मुझे वाइसरायमे ऐसा विश्वास नही है। मै वारडोलीके लिए रवाना हो रहा हूँ।"

"मेरी वारडोलीमे गाधीजीके साथ स्पष्ट चर्चा हुई। मैने उनसे कहा कि सरकार मुझपर मिथ्या आरोप लगा रही थी। वे लोग यह चाहते है कि मै जनता-में कार्य न करूँ। कृपया आप वाइसरायको यह सूचित कर दीजिए कि वे उन सव लोगोको, जिनको मेरे विरुद्ध शिकायते है, वुलवा ले। फिर आप तथा वे हम लोगोका न्याय करें। यदि आपकी दृष्टिमे मैं दोपी समझा जाऊँगा तो आप लोग जो भी निर्णय करेंगे, वह मुझको मान्य होगा।" गाधीजीने मेरा प्रस्ताव वाइस-रायके पासतक पहुँचा दिया। उन्होने वाइसरायको यह भी लिखा कि उनको सीमा-प्रान्तमे जानेकी अनुमति दी जाय ताकि वे स्थलविशेपपर स्थितिका अध्य-यन कर सकें। वाइसराय उन दिनो शिमलामे गर्मियाँ विता रहे थे। गाधीजीने उनको यह भी लिखा कि यदि वे चाहे तो हम लोग शिमला आकर उनसे भेंट करें। वाइसरायके प्रत्युत्तरकी प्रतीक्षामे उन्होने मुझको रोका। जव वाइसराय-

ने उनके त्यागपत्रको अस्वीकार कर दिया तब वे मुझसे बोले "मैं वास्तविकता को समझ लिया। आप अपनी जगह सही हैं। आप अपने कामको लेकर आगे बढ़िए।

इसपर गांधीजीने कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिके आगे अपने दौरेका विवरण प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने लिखा

अगले कुछ दिन पहले इस दिनके दौरेमें मैं पेशावरका प्राय पूरा जिला और कोहाट तथा बन्नूके भागोंको देखा। पेशावर जिलेमें जनप्रिय आन्दोलन अपने शक्तिशाली है और बन्नू तथा कोहाटमें उसकी शक्ति अपेक्षाकृत कुछ कम है। पिछले वर्ष सरकारने आन्दोलनको दबानेके लिए जो कठोर कदम उठाये थे वे ही इस क्षेत्रकी स्थितिके—सर्वत्र व्याप्त इस बेचैनीके लिए उत्तरदायी हैं।

आज समूचा पठान प्रदेश शेष भारतकी भाँति स्वाधीनताकी उत्कंठासे प्रतीक्षा कर रहा है। लोगोंने बहुत बड़ी संख्यामें खुदाई खिदमतगारोंमें अपना नाम लिखा लिया है और वे आन्दोलनके नेताओंके—विशेष रूपसे खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँके सीधे प्रभावके अन्तर्गत आ गये हैं। उन लोगोंके बीच में खान साहबका व्यक्तित्व जादू जैसा असर करता है। उनके चरित्रकी सरलताने और पीड़ितों तथा निर्धनोंके प्रति उनकी गहरी सहानुभूतिने उनको लोगोंके हृदयोंमें प्रतिष्ठित कर दिया है। वे अपनेको बिलकुल आराम नहीं देते। आने जानेके लिए वे लारीको काममें लाते हैं। उन्होंने यह नियम-सा बना लिया है। लारी परिवहनके लिए सबसे कम खर्चका साधन है। वे पैदल काफी चलते हैं और घोड़ेपर भी सवारी करते हैं इसलिए दौरेके लगातार चलते रहनेपर भी उनका व्यय बहुत कम होता है। उनके आदर्शका अन्य लोगोंने भी अनुसरण किया है। किसी कार्यकर्त्ताोंमें निरर्थक वस्तुओं या विलासकी सामग्रीपर धन व्यय करनेका साहस नहीं है। इस प्रकार उनमें कठोरतम मितव्ययिता बरती जाती है और जो कुछ भी खर्च होता है वह स्वयं कार्यकर्त्ताकी ओरसे होता है। खान साहब और उसी प्रकार अन्य कार्यकर्ता अपनी व्यक्तिगत आयका एक बहुत बड़ा अंश आन्दोलनपर व्यय करते हैं। उन्होंने लगभग सारे दौरेमें मेरे साथ रहनेकी कृपा की।

भू राजस्वकी वसूलीके सम्बन्धमें लोगोंको निर्दयताके साथ जो यातना दी गया उसके कुछ मामले भी मेरी दृष्टिमें आये। चारसद्दा और मरदान तहसीलके निवासियोंकी यातनाएँ भू राजस्व कर न दे सकनेके कारण सर्वाधिक हैं। इस स्थितिको यदि और भी बिगड़नेसे शीघ्र बचाना है तो उस अवैध और उच्छृंखल

नीतिको तत्काल रोक देना होगा जिसे कुछ क्षेत्रोमे राजस्व विभागके अधिकारियो-ने अपनाय है। मैने ऐसी पर्दानशीन औरतें भी देखी जिनको जीवनमे पहली बार राजस्व अधिकारियोके बुलवानेपर विवश होकर अनेक लोगोके सामने जाना पड़ा। उन महिलाओके साथ सबकी उपस्थितिमे इसलिए अपमानास्पद व्यवहार किया गया कि वे कर दे सकनेमे असमर्थ थी। मुझे भय है कि इन क्षेत्रोमे इस प्रकारके बहुतसे मामले हुए है। एक-दो मामलोको तो स्वय मैने देखा। एक पर्दानशीन महिलाने, जिसकी गोदमे एक नन्ही बच्ची थी, खान साहबको रो-रोकर बतलाया कि दो-तीन दिनतक उसको सवेरेसे शामतक कडी धूपमे खडा रखा गया और उसको पानीतक नही पीने दिया गया। जान पडता है कि कारिंदे लगान वसूलीके लिए स्त्रियोके साथ यातनाके इसी तरीकेको सबसे अधिक व्यवहारमे लाते है। इससे लज्जाजनक यातना और क्या हो सकती है कि ग्रीष्मके इन महीनोमे, पेशावरकी कडी धूपमे स्त्रियोको सुबहसे शामतक खडा या बैठा रखा जाय ?

"जिन स्त्रियोको इस प्रकारसे कष्ट दिया गया था, उनके बयानोको लिख लिया गया है। इन घटनाओने सारे क्षेत्रमे एक अत्यत व्यापक रोप फैला रखा है। स्वय खान साहब इन प्रसगोसे अपने मनमे बडी व्यग्रताका अनुभव कर रहे है। लगान दे सकनेमे असमर्थ पुरुपोके तो असख्य मामले है। उनसे कर निचो-डनेके लिए उन्हे तिरस्कृत किया जाता है और उनके साथ निर्दयताका व्यवहार किया जाता है। समस्त देशमे सामान्य रूपसे जो आर्थिक सकट आया हुआ है उससे सीमाप्रान्त भी अछूता नही रहा है। यही कारण है कि अनेक लोग अपना भू-राजस्व कर चुका सकनेमे असमर्थ हो गये है।

इसी अपराधमे एक मनुष्यको एक ऐसी छोटी-सी कोठरीमे बन्द कर दिया गया, जिसमे छतपर बर्रे जैसे एक जहरीले कीडे—हड्डेका छत्ता था। उस छत्तेके नीचे आग सुलगा दी गयी और उस व्यक्तिको जानबूझकर छेडे गये हड्डोकी दयापर छोड दिया गया। उसकी सारी देह सूज गयी और उसको कई दिनोतक पीडा होती रही। जान पडता है कि इसी प्रकारसे कई मामले यहाँ हुए है। प्रमाण रूपमे इसे पक्तिबद्ध कर लिया गया है। मैने स्वयं ऐसे कुछ लोगोको देखा है और उनसे बातचीत की है जिनको इस तरहके दड दिये गये है।

"इस विशिष्ट व्यवहारके लिए खुदाई खिदमतगारोको चुन लिया गया है। जो सरकारी पक्षके लोग है अथवा जिन्होने यह स्वीकार कर लिया है कि उनका खुदाई खिदमतगारोसे कोई सम्बन्ध नही है, उनसे इस करकी मागतक नही की गयी है।

पर काम। एसे भी कई मामले आये जिनमें अनुत्तेजित, शान्त, खुदाई खिदमतगारोंपर पुलिसवालोंने हमला किया।

'सरकारकी सामान्य नीतिका यह अंग लगता है कि उन सबको जिनका खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनकी संस्थासे कुछ भी सम्बन्ध है आतंकमें रखा जाय। जिन व्यक्तियोंको इस आन्दोलनमें कुछ प्रसिद्धि मिल गयी है उनको अक्सर किसी न किसी बहाने पकड़ा गया है।

पेशावर जिलेके हर एक गाँवमें खुदाई खिदमतगारोंकी एक सेना है। उनका पोशाक बहुत कुछ फौजी वर्दीके समान है। उनको यह वर्दी पहनना, सामूहिक व्यायाम [ड्रिल] करना और फौजी पद्धतिसे 'मार्च' करना बहुत प्रिय है। इन लोगोंमें सेनाके अनेक सेना निवृत्त लोग भी हैं। वे शिक्षक-वर्गमें हैं। गाँवोंके अबोध लोगतक बड़ी आसानीसे 'ड्रिल' और फौजी परेड करना सीख लेते हैं। जिस समय सेना प्रयाण करती है उस समय सामान्यतः ढोल और बिगुल बजते चलते हैं। इस सेनामें सभी शस्त्रोंका प्रयोग वर्जित है, यहाँतक कि लाठीका भी। अधिकारीगण अपने साथ एक बेंत रखते हैं जो बचावके शस्त्रकी जगह नहीं बल्कि उसके महत्त्वविशेषके द्योतककी जगह उपयोगमें आता है। इस प्रान्तमें प्रायः सभी लोगोंके पास आग्नेय अस्त्र (बन्दूक, पिस्तौल आदि) हैं, इसलिए उनके लिए शस्त्रोंके साथ परेड करना अपेक्षाकृत सरल है परन्तु खान अब्दुल गफ्फार खाँके आदेशके अनुसार उसपर रोक है। जो कुछ भी मैंने यहाँ देखा है, उसके आधारपर मैं यह कह सकता हूँ कि इन लोगोंने अहिंसापर पूरा बल दिया है। मुझे यह बतलाया गया कि अनेक खुदाई खिदमतगारोंने सिद्धान्त रूपमें शस्त्रोंका प्रयोग त्याग दिया है। स्थिति यहाँतक है कि यदि डाकू लोग उनपर आक्रमण करते हैं तब भी वे आत्मरक्षार्थ उनपर शस्त्र उठानेकी परवाह नहीं करते। अहिंसाके सम्बन्धमें उनके विचार जाननेके लिए मैंने कई स्वयंसेवकोंसे बातचीत की। मुझे इस सम्बन्धमें उनका दृष्टिकोण स्पष्ट और सुलझा हुआ प्रतीत हुआ। उन्होंने यह वचन दिया है कि उनको भले ही मृत्युपर्यन्त यन्त्रणा दी जाय वे किसीके विरुद्ध अपनी उँगली भी न उठायेंगे। गत वर्ष जब मद्य निषेधके लिए दूकानोंपर धरने दिये गये तब उनको असह्य यातनाएँ दी गयीं और उनपर अनिष्ट हमले किये गये परन्तु उन्होंने उनको अत्यन्त शान्त भावसे सहा और इस प्रकार वे अहिंसाकी कसौटीपर खरे उतरे। जब एक पठान किसी बातका संकल्प करता है तब उसको कितना भी आत्म-पीडन क्यों न झेलना पड़े वह बिना किसी प्रति क्रियाके उसका सहन कर लेता है। इन विषयोंपर मेरी खान साहबसे तथा अन्य

नेताओसे विस्तारसे चर्चा हुई । वे अहिसाकी उस व्याख्यासे, जो काग्रेस करती है, पूर्णतया सहमत हैं । उन्होने मुझे प्रतीति दिलायी कि वे उसका दृढ़तासे पालन करनेका हमेशा प्रयास करते है ।

"काग्रेसने रचनात्मक कार्यकी जो दिशा दी है, उसमे अवतक यहॉ कोई प्रयास नही किया गया है । लेकिन मुझको ऐसा जान पडता है कि यहॉ वहुत वडे मानपर खादी उत्पादनका कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है क्योकि उसके लिए यहाँ पर्याप्त क्षेत्र है । आजकल जनमतके अत्यधिक अनुरूप होनेके कारण यदि सीमाप्रान्तमे खादी अति अल्प कालमे ही विदेशी वस्त्रोंकी जगह ले ले तो इसमे कोई आश्चर्यकी वात नही होगी । खान साहव इस ओर कार्य करनेको उत्सुक है । वे इस रचनात्मक प्रवृत्तिको तत्काल प्रारम्भ कर देना चाहते है और इसके लिए विशेषज्ञोका सहयोग प्राप्त करनेपर वल दे रहे है ।

"अपने छ. दिवसके परिभ्रमणमे मैने खान साहवके सशक्त और प्रेरणाप्रद व्यक्तित्वका जो रूप देखा वह इससे पहले कभी न देखा था । उनके साथ कार्य-कर्त्ताओका एक अत्यन्त शक्तिशाली दल है जो उनके आदेशोका तत्क्षण ही पालन करता है । खान साहवको उनके अपने प्रदेशमे लोगोका जो गहरा स्नेह और सम्मान मिला है उसे देखते हुए तथा उनकी अविचलित आस्था तथा वक्तव्योको देखते हुए मुझे यह निश्चित होता है इस आन्दोलनकी सम्भावनाएँ वहुत वडी है । मैने अलग-अलग विचार-धाराके लोगोसे वातचीत की तथा उसके मूलमे इस असंदिग्ध तथ्यको पाया कि खान अव्दुल गफ्फार खाँ सभीकी श्रद्धाके पात्र है— उनके भी जो उनके लाल कुर्ती आन्दोलनके आलोचक है ।

दूसरा समझौता

१९३१

सीमा प्रान्तके गांधी अभियानके सर हर्बर्ट एमरसन खान अब्दुल गफ्फार खाँ के साथ ३० जुलाई १९३० में दिल्ली तीन घण्टे अधिक समयतक बातचीत की इस सम्बन्धमें महत्व आयोजन उस तक शासकीय उल्लेखनीय लिखा है

इस चर्चामें मैंने कई बार यह प्रयत्न किया कि खान अब्दुल गफ्फार खाँका ध्यान भविष्यकी निर्माणात्मक प्रवृत्तियोंकी ओर जाय। मैंने बार-बार चर्चाको उसी ओर मोड़ना चाहा परन्तु मुझको सफलता न मिली। मैंने उनसे कहा 'ठीक है पठान कुछ तो पाता जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कि जिन सुधारोंकी उसने आशातक न की थी जिनकी उसने सपनेतक न देखा था वे सुधार उसे मिलने जा रहे हैं और वह भी अति शीघ्र।' 'सुधार? आपके सुधार' उन्होंने कहा, 'आपके सुधार तो कागजी हैं। उनसे क्या अन्तर आयेगा? मैं जो चीज़ चाहता हूँ वह तो हृदयका परिवर्तन है।' मैंने उनकी धर्मनिष्ठाकी गहराईको मापनेकी कोशिश नहीं की लेकिन मैंने हो मन मन यह अनुमान लगा लिया कि मुझे इनको एक धार्मिक वृत्तिका मुसलमान तो नहीं ही समझना चाहिए। एक और चीज, जिससे वे बुरी तरहसे ग्रसित हैं उनके भीतरकी हीनताकी भावना है। इस हीन-भावनाके कारण ही जब वे पठानोंकी वर्तमान स्थितिकी बात करते थे तब उसे 'गुलामीकी दशा' कहते थे। मैंने इस रातको उनसे एकसे अधिक बार कहा कि यदि आप मुझसे यह अपेक्षा करते हैं कि मैं पठानोंको अधिकाधिक हित करूँ तो जो कठिनाइयाँ हमारे सामने हैं उनको दूर करनेमें आपको हमारी सहायता करनी चाहिए बजाय इसके कि आप हमारे आगे नयी-नयी कठिनाइयाँ खड़ी कर दें। उनको छोड़नेके लिए मैं दरवाजेतक गया और मैंने उनको यह कहकर विदा किया कि मैं आपके ऊपर भरोसा कर रहा हूँ। मैं आपसे यह आशा करूँगा कि और लोगोंके झगड़से आप सीमा प्रान्तको बचानेकी कोशिश करेंगे चाहे वह झगड़ा जवाहरलालका हो या वल्लभभाई पटेलका। चलते समय जब हमने एक-दूसरेको अभिवादन किया तब मैंने खान अब्दुल गफ्फार खाँको अन्तिम चेतावनी भी दे दी। मैंने उनसे कहा कि सर ई० हाप्सन और मि० गर्लिकपर जो घातक आक्रमण हुए उन्होंने क्या सबक दिया यह आपको वर्तमानकी आवश्य

ता नही है । मै आपसे आशा करता हूँ, आप यह अनुभव करे कि इस प्रकार आतकवादी कार्योसे इङ्गलेण्डमे कितना रोप फैला है । इसके अतिरिक्त अभी लगभग एक सप्ताह या उससे कुछ पहले एक अत्यन्त गम्भीर घटना हो गयी थी । आपके प्रान्तके ही एक व्यक्तिने एक यूरोपियन महिलापर हमला किया था । आपने अपने पिछले भाषणोमे इन यूरोपियन महिलाका वार-वार जिक्र किया है । मै आपको सलाह दे रहा हूँ कि अब आप ऐसा न करे ।"

"हमारी विस्तारयुक्त चर्चाके प्रारम्भका अंश अंग्रेजीमे चला । जैसा कि मुझे वतलाया गया था, उसके विपरीत उनकी अंग्रेजी शुद्ध थी परन्तु वे असामान्य रूपसे धीरे-धीरे बोल रहे थे । ऐसा प्रतीत होता था कि वे सोच-सोचकर बोल रहे है । वार्तालापके प्राय अन्तमे वे पश्तूपर आ गये । अव वे वडी सरलतासे और सहजतासे अपने विचार व्यक्त कर रहे थे । केवल एक वार वे कुछ उत्तेजित हुए । उस समय वे अंग्रेजी वोले और फिर उर्दू । उनकी उर्दू अधिक परिष्कृत नही थी ।"

जुलाईके मध्यमे गाधीजीने गृह-सचिव मि० एमर्सनसे मिलकर उनको एक आरोप-पत्र दिया जो 'काग्रेस चार्जशीट' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । सरकार और गाधीजीके वीच पत्र-व्यवहार भी चला । जुलाईके अन्तमे जव चर्चा एक अत्यन्त नाजुक दौरसे गुजर रही थी तव कुछ हिंसात्मक घटनाएँ हो गयी । एक काण्डमे वम्वईके स्थानापन्न गवर्नर सर अर्नेस्ट हॉटसनके प्राण लेनेकी चेष्टा की गयी और उसके एक सप्ताहके भीतर ही अलीपुरके डिस्ट्रिक्ट जज मि० गलिकको उनके अदालतके कमरेमे ही मार दिया गया । गाधीजीने इन शब्दोमे क्षोभ व्यक्त किया, 'भगत सिंहकी पूजा हो चुकी और अव उससे देशकी अपार हानि हो रही है ।' इसके वावजूद उन्होने प्रतिकारकी भावना और दमनके सम्वन्धमे सरकारको चेतावनी दी, 'जो रोगका कारण समझ सकेगा वही उसका निवारण कर सकेगा । जिनकी इस कार्यकी वलवती इच्छा नही है अथवा जिनमे इसे कर सकनेका साहस नही है, उनके लिए यही अच्छा है कि वे शेषको राष्ट्रके ऊपर छोड दे ।'

वम्वईमे ६ अगस्तसे अखिल भारतीय काग्रेस समितिकी त्रिदिवसीय वैठक प्रारम्भ हुई जिसमे राजनीतिक हत्याओके विरोधमे सर्वसम्मतिसे निन्दाका एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । इस प्रस्तावमे अहिंसाके लिए एक व्यापक अभियान चलानेके लिए समस्त काग्रेस संगठनोका आह्वान किया गया था । इसका प्रालेख स्वय गाधीजीने तैयार किया था । इसे प्रस्तुत करते हुए उन्होने कहा .

"मुझसे यह पूछा गया है कि मै तरुणोके हिंसात्मक कार्योकी निन्दा तो करता

हैं लेकिन उनके साथ सरकारके वश ही कार्योंकी निन्दा भी क्या नहीं करता? ये लोग जो इस प्रकार तर्क करते हैं कांग्रेसको नहीं जानते। कांग्रेस इस शासन-प्रणालीको खत्म कर देनेके लिए यत्नबद्ध है। इस प्रणालीकी चाहे जितना निन्दा की जाय यह उसके सुधारमें सहायक नहीं होगी। कांग्रेसका अस्तित्व उसका स्थायी निषेध है। राजनीतिक हत्याओंके प्रसंगमें सरकारके गलत कामोंकी आलोचना स्थितिको उलझा देगी और हम खूनका कानूनको माफ भ्रष्ट कर देंगे। मैं इन युवकोंसे अत्यन्त स्पष्ट शब्दोंमें कहना चाहता हूँ कि उन्हें हत्याओंको बन्द कर ही देना चाहिए। इस बातकी कोई चिन्ता नहीं कि दूसरी ओरसे उनको कितना उत्तेजित किया जा रहा है।

'अगला अगला प्रश्न यह पूछा जाता है कि शासन प्रणालीको आप अहिंसासे कम समाप्त कर सकेंगे? निश्चय ही। सन १९२० से देशने जो प्रगति की है वह अहिंसाकी सफलताका पर्याप्त स्पष्ट प्रमाण है। प्रश्न यह नहीं है कि हमको सफलता मिलेगी अथवा नहीं। कांग्रेसने एक सिद्धान्त स्वीकार किया है और हम पूरी निष्ठाके साथ उसे कार्य रूप देना है।

बम्बईमें कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिने एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया और वह हिन्दुस्तानी सेवा दल, सीमाप्रान्तके कांग्रेस संगठन तथा खुदाई खिदमतगार संस्थाका पुनर्गठन था ताकि वे कांग्रेसके कार्यक्रम और नीति पर अधिक दृढ़ हो सकें। इस सम्बन्धमें निम्नांकित वक्तव्य प्रकाशित किया गया। इसमें कार्य समितिके निर्णयोंका समावेश किया गया था

सीमाप्रान्तके नेतागण इस बातपर सहमत हैं कि वर्तमान पश्चिमोत्तर प्रदेशकी कांग्रेस समिति और अफगान जिरगाका एकीकरण कर दिया जाय। इस नये प्रान्तीय संगठनका गठन जो प्रदेशमें कांग्रेसका प्रतिनिधित्व करेगा कांग्रेस संविधानके आधारपर किया जाय। यह नव निर्वाचित समिति सीमाप्रान्त कांग्रेस समिति होगी। प्रान्तकी भाषामें इसको सामान्यतः जिरगा भी कहा जा सकता है। इसी प्रकार जिला और स्थानीय समितियोंको जिरगा कहकर उल्लेख किया जा सकता है, परन्तु यह तथ्य स्पष्ट है कि वास्तवमें वे कांग्रेस समितियाँ हैं। कार्य-समितिके इस अवस्था प्रस्तावके अनुसार यह स्वीकार किया गया कि खुदाई खिदमतगारोंको कांग्रेस स्वयंसेवकोंका संगठन समझा जाय फिर भी उनका खुदाई खिदमतगार नाम बना रहने दिया जाय। समूचे संगठनका संचालन कांग्रेसके संविधान नियमों तथा कार्यक्रमके अनुसार किया जाय तथा अपने ध्वजके स्थानपर राष्ट्रीय ध्वजका प्रयोग किया जाय।

"कार्यसमितिकी प्रार्थनापर सीमा-प्रान्तके नेता खान अब्दुल गफ्फार खाँने प्रदेशमे काग्रेस आन्दोलनके नेतृत्वका भार अपने कधोपर ले लिया है।"

पेशावरके लिए रवाना होनेसे पहले ९ अगस्तको खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाधीजीके सचिव महादेव देसाईसे कहा

"मै आपसे दो-एक बातें कहनेको उत्सुक हूँ। आप अपने क्षेत्रोमे भू-राजस्व-करकी स्थितिके सम्बन्धमे बाते करते है। ठीक है, परन्तु हमारे क्षेत्रमे उसकी स्थिति अत्यधिक असह्य हो गयी है। आपके प्रान्तोमे राजस्व विभागके अधिकारी पुलिसकी सहायता लेते है परन्तु हमारे क्षेत्रमे वे स्वयं ही उसका कार्य करते है। हम लोगोने सारे दमनको सहा है और आगे भी सहेंगे लेकिन यदि उन्होने हमारी बहनोको अत्याचारका लक्ष्य बनाया तो हमारे आगे भी एक मुश्किल आ खडी होगी। वास्तवमे उनका ध्येय हमारे यहाँकी महिलाओको परेशान करना नही है बल्कि वे इस बहाने हमको उकसाना चाहते है। वे कुछ भी करें, हम उनके हाथोमे खेलेंगे नही। खुदाई खिदमतगारोके साथ जो भी व्यवहार होगा, उसके लिए हम यह भी नही चाहेंगे कि आप चिन्ता करें। जिस दिन भाई देवदास पेशावरसे चले थे, उसी दिन मैने अपने दस कार्यकर्त्ताओको कैम्बेलपुर भेजा था। उन लोगोको बहुत बुरी तरह मारा-पीटा गया और उनको अत्यत असहाय अवस्थामे अटककी सीमापर छोड दिया गया।"

१४ अगस्त सन् १९३१ को वाइसरायको भेजे गये अपने एक पत्रमे गाधीजीने लिखा "पिछले दिनो घटनाओका चक्र कुछ ऐसी तेजीसे चला कि मै आपके ३१ जुलाईके कृपापत्रका प्राप्ति-स्वीकार भेजनेतकका अवकाश न निकाल सका। कार्यकारिणीका इरादा यह नही है कि सरकारके आगे एक विषम परिस्थिति खडी कर दी जाय अत वह किसी भी सम्मानपूर्ण समझौतेपर आरूढ रहनेको तैयार है। निश्चित ही इस समझौतेकी, स्थिरता प्रान्तीय सरकारोके अपने दृष्टिकोण एवं व्यवहारपर निर्भर होगी। जैसा कि मै अपने पत्र-व्यवहारमे तथा व्यक्तिगत चर्चामे भी कई बार आपसे कह चुका हूँ, शासन और काग्रेसका पारस्परिक सम्बन्ध उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है। काग्रेस कार्यसमितिके कार्यालयमे सरकारकी गतिविधियोकी जो लगातार सूचनाएँ मिलती रहती है उनकी व्याख्या सक्षेप रूपमे यह की जा सकती है कि सरकार द्वारा काग्रेसकी प्रवृत्तियो तथा काग्रेसके कार्यकर्त्ताओको दबाया जा रहा है। यदि समझौतेको एक स्थिरता देनी है तो मै इस दिशामे सोचनेका साहस कर सकता हूँ कि उन शिकायतोके बारेमे, जो भेजी जा चुकी है, शीघ्र निबटारा किया जाय। जैसा कि मै

ा और उसको रस्सियोसे जकड दिया गया ताकि वह इधर-उधर न हिल सके। र उसका अपमान करनेके लिए उसकी गुदामे उगलियाँ और काठके टुकडे ले गये। इस तरहका अपमान पठान अपने लिए मृत्युवत् समझता है।"

"खान अब्दुल गफ्फार खाँके पश्तू पत्र 'पख्तून' की मई मासकी प्रतियाँ ाकघरके अधिकारियोने रोक ली। इस अंकमे केवल समाजसुधारके विषयोपर ामग्री थी। खान साहबको प्रतियाँ रोकनेका कोई कारण भी नही बतलाया ाया।

"खलील और मोहमन्दके इलाकेमें तथा पेशावरकी तहसीलमे किसी भी प्रकार-की सभा या जुलूसपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।"

पेशावर लौटनेपर काग्रेसके कार्यकर्त्ताओ तथा खुदाई खिदमतगारोकी एक सभाको सम्बोधित करते हुए १३ अगस्तको खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि 'अकबर गाँवमे हमारे निर्दोष बन्धुओको अत्यंन्त निर्ममतासे पीटा गया है।' इस घटनाने उनके मनको बहुत आघात पहुँचाया और इस प्रकरणका उल्लेख करते मय वे फूट पडे। उन्होने आगे कहा कि "मैने महात्मा गाधीसे अपने इच्छानुसार ार्य करनेकी अनुमति मागी थी परन्तु उन्होने वह मुझे नही दी। अन्यथा मै ग्रेजोको दिखला देता कि उनको पठानोसे काम पडा है, किसी अन्यसे नही। विश्वासघातिनी सरकार सन्धिकी शर्तोको कदम-कदमपर भग कर रही है। ंग्रेज हममे बदला ले रहे है। अग्रेज सरकारको इसका ज्ञान होना चाहिए कि से लगानमे देनेके लिए लोगोके पास कुछ भी नही है। वे भूखो मर रहे है लेकिन ंग्रेज शान-शौकतकी जिन्दगी बिता रहे है। सरकारको यह अच्छी तरहसे समझ लेना चाहिए कि पठान उसे लन्दन वापस जानेको विवश कर देंगे। फरोह जैसे अत्याचारी राजाका अंतमे विनाश हुआ। ईश्वर अत्याचारीकी कभी सहायता नही करता। लोगोने अपने वस्त्र अपने खूनसे रग लिये है और सारे विरोधोंके आगे वे यह दृढ निश्चय लेकर खडे है कि अग्रेजोको बाहर निकालकर रहेगे।"

गाधीजीकी इच्छा थी कि मध्यस्थ न्यायाधिकरणका किसी रूपमें गठन किया जाय और शासन तथा काग्रेसके मध्य समझौतेको लेकर जो भी प्रश्न उठें, उनका उसीके द्वारा निबटारा हो। गाधीजी सयुक्त प्रदेश, सीमा-प्रान्त और गुजरातकी घटनी हुई विपरीत स्थितिके सम्पर्कमे थे। उनकी रायमे उसका कारण इन प्रान्तो की स्थानीय सरकारो द्वारा समझौतेका चरम सीमातक भंग किया जाना था। अगस्तके दूसरे सप्ताहमे उन्होने वाइसरासको टेलीफोन किया कि स्थितिको देखते हुए उनका लन्दन जा सकना सम्भव नही होगा।

वाइसरायने गाधीजीको लिखा 'पिछले पाच महीनासे अनेक दिशाओंमें काग्रेसकी प्रवृत्तियाँ आपके पत्र एव दिल्लीके समझौतेकी भावना—दोनोके प्रतिकूल रही है। वे केवल समझौतेकी स्थिरताको ही नही शाति-स्थापनके प्रयत्नोंको भी लगातार धमकियाँ देती रही है—विशेषतया सयुक्त प्रदेश और सीमा प्रान्तमें। उन्होने अपने पत्रमें गाधीजीको यह स्मरण दिलाया कि गोलमेज परिषद्में यदि काग्रेसका प्रतिनिधित्व नही होता तो इसको उन मुख्य उद्देश्योकी असफलता समझा जायगा, जिनको प्राप्त करना इस समझौतेका प्रयोजन था।'

गाधीजी सरदार पटेल, जवाहरलालजी नेहरू तथा खान अब्दुल गफ्फार खाके साथ वाइसरायसे भेट करनेके लिए २५ अगस्तको शिमला पहुँचे। वाइसराय और गाधीजीके विचार विमर्शके पश्चात २८ अगस्तको एक विज्ञप्ति प्रसारित की गयी। इस विज्ञप्तिमे जिसको बहुत बार दूसरा समझौता भी कहा गया, यह निर्दिष्ट किया गया था कि लन्दनकी गोलमेज परिषदमे गाधीजी काग्रेसका प्रतिनिधित्व करेंगे। ५ मार्चका समझौता पूर्ववत क्रियान्वित होता रहेगा। काग्रेसकी इस शिकायतकी कि सरकारने बारडोलीमे दमन किया है जाँच की जायगी और भविष्य मे जो भी शिकायतें होगी उनका निबटारा प्रशासनकी अपनी सामान्य कार्य विधि तथा व्यवहारके अनुसार होगा।

गाधीजीने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा यदि प्रान्तीय सरकारें उतनी ही निर्दोष है, जितना कि वे दावा करती है तो वे निष्पक्ष जाँचसे क्या बचना चाहती हैं ? 'दूसरे समझौते' के अनुसार तो वे किसी भी प्रकार पूछ-ताछका सामना करनेको तैयार नही है। काग्रेसने उनकी इस अस्वीकृतिको मान लिया है परन्तु उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस इनकारको स्वीकार कर लेना उसमें निहित अन्यायको मजूर कर लेना नहीं है। काग्रेस जिसे राष्ट्रके हितमें नहीं मानेगी उसे स्वीकार करना उसकी दृष्टिमें एक गलत काम होगा। यद्यपि समझौतेके अनुसार सविनय अवज्ञा आन्दोलनको स्थगित कर दिया गया है फिर भी आत्म-रक्षाके उपायके रूपमे वह इस अधिकारको सुरक्षित रख रहा है। जब विचार-विमर्श पारस्परिक चर्चा और मानिकता असफल हो जायगा तब उसके आगे यही मार्ग शेष रह जायगा फिर भी हमको यह आशा करनी चाहिए कि इसके लिए भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन आवश्यक नही होगा। आखिर मनुष्यके लिए संभव है कि अन्न-धानके परिणामस्वरूप लिए उस स्थगित करना ही उचित होगा परन्तु राष्ट्रके आत्म-सम्मान या हितके लिए न तो उसका सर्वथा त्याग किया जा सकता है और न उसको त्यागना ही चाहिए।

दूसरा समझौता

जिन दिनों खान अब्दुल गफ्फार खाँ शिमलामे थे, उन्ही दिनो उनको भारत सरकारके परराष्ट्रसचिव मि० हॉवेलका पत्र मिला, जिसमे उनसे मिलनेकी प्रार्थना की गयी थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने प्रत्युत्तरमे उनसे मिलनेकी असमर्थता प्रकट कर दी। हॉवेल साहबने इसकी सूचना गाधीजीको दे दी। गाधीजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे इसका कारण पूछा। वे वोले, 'मै एक दुर्बल मनुष्य हूँ। मै यह नही चाहता कि फिसलनकी भूमिपर चलूँ और गिर पडूं।' उनकी यह वात सुनकर गाधीजी खिलखिलाकर हँस पडे। वे वोले, 'मै क्या फिरंगियोसे वात नही करता ?' 'आप महात्मा है।' खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा लेकिन गाधी-जीको राजी रखनेके लिए उन्होने २९ अगस्तको मि० हॉवेलसे भेट की। अपनी इस मुलाकातके सम्वन्धमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा है .

"मि० हॉवेल एक सज्जन पुरुष थे और वे हमारे पश्चिमोत्तर प्रदेशमें रह के थे। उनके सहयोगी, उपपरराष्ट्रसचिव मि० वेली भी मेरे प्रान्तमे अधिकारी ह चुके थे और हम लोग एक-दूसरेसे परिचित थे। मि० हॉवेलने कहा कि ंग्रेजोके पख्तूनोके साथ वहुत अच्छे सम्वन्ध थे परन्तु जोशीले भापण करके वे राव कर दिये गये। मैने कहा कि जोशीले भापणोसे सम्वन्ध तो नही विगड़ा रते। आप मि० वेलीसे पूछिये कि आप अंग्रेज लोगोने पठानोके साथ कितना दुर्व्यवहार किया है ? 'आप चुप क्यो है ?' मैने वेली साहवसे पूछा, 'आप तो सव कुछ जानते है। उन दिनो आप पेशावर जिलेके डिप्टी कमिश्नर थे। आपने हमको काग्रेसमें सम्मिलित हो जानेके लिए विवश कर दिया।' उसी समय एक टेलीफोन आ गया और हमारी वातचीत रुक गयी। हॉवेल साहवने मुझे वतलाया कि यह गृह-सचिव मि० एमर्सनका टेलीफोन है। उन्होने आपसे मिलनेके लिए सन्देश भेजा है। मि० एमर्सनने मेरे साथ मिलनेका समय निश्चित नही किया था इस-लिए मैने कहा कि मै एमर्सन साहवसे नही मिलूँगा। हॉवेल साहवके सूचित करने पर मि० एमर्सनने मुझे टेलीफोन किया और थोडी देरके लिए ही सही अपने कार्यालयमें आनेका आग्रह किया। हॉवेल साहव वोले कि वापसीमे उनका कार्यालय आपके रास्तेमे पडेगा। यदि आप उनसे मिलते जायँ तो अच्छा है। हॉवेल साहव-से वातचीत करनेके वाद मै मि० एमर्सनके कार्यालयको चल दिया।"

मि० हॉवेलने अपनी फाइलमें इस भेंटका संक्षेप इस प्रकार दिया है

"उन्होने सारा दोप सरकारपर डाल दिया और हमने उनपर। फिर हमने उनसे कहा कि आरोप तथा प्रत्यारोप स्थितिको आगे नही वढा सकते। 'आप जिन सुधारोकी वात कहते है उनमेंसे अधिकाश प्रदेशकी जनताको प्रदान

करनेका सरकार पहलेसे ही निश्चय कर चुकी है। सरकारका सहयोग लेकर आप बहुत काम कर सकते हैं और उसके अभावमें अत्यल्प। शासनने अपार सहनशीलता दिखलायी है। आप क्या अब, जब कि गोलमेज परिषद्की बैठक चलनेवाली है, कोई ऐसा काम करके नहीं दिखला सकते? खान अब्दुल गफ्फार खाँ बातकी दौरानमें अपने पुराने मार्गपर भटक गये। उन्होंने सरकारी कर्मचारियोंके बीच असमानताकी और लाल कुर्तीवालोंपर किये गये दमनकी चर्चा छेड़ दी। इसके जवाबमें मैंने उनसे कहा कि यदि लाल कुर्तीवालोंपर अत्याचार किया गया या उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वे उसके लिए न्यायालयमें जाकर मामला दायर कर सकते थे और अभियोग सिद्ध कर सकते थे। न्यायालयमें तो निष्पक्ष विचार किया जाता है। दूसरी बात यह कि यदि सरकारकी दृष्टि लाल कुर्तीवालोंके अनुकूल नहीं है तो इसमें केवल खान (अब्दुल गफ्फार खाँ) का दोष है। उन्होंने अपने अनुयायियोंमें शासन और उसके कर्मचारियोंके प्रति घृणा तथा तिरस्कारकी भावनाएँ जगानेका भरसक प्रयत्न किया है। क्या इन भावनाओंकी किसी भी सीमातक एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक नहीं है? चर्चाके अन्तमें खान से यह आग्रह किया गया कि वे चीफ कमिश्नरसे मिल लें और यह देखें कि वे उनके मध्य मार्गमें भी मिलनेको तैयार हैं।

मि० एमर्सनसे अपनी बातचीतके सम्बन्धमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ लिखते हैं 'जैसे ही मैंने भीतर कदम रखा मि० एमर्सनने तुरन्त ही मुझपर अपना मन्तव्य प्रकट कर दिया। उन्होंने कहा आपने अपने मेरठके भाषणमें कहा है कि हम अंग्रेजोंके चेहरे गोरे हैं लेकिन हृदय काले हैं। यदि मैं इस भाषणका विवरण इंगलैंडमें प्रकाशित करा दूँ तो निश्चय ही अंग्रेज उन सब सुविधाओं और सुधारों को वापस लौटा लेंगे जिनको देनेका उन्होंने वचन दिया है।'

इसका मैंने उनको यह उत्तर दिया कि उस सभामें तो मैंने बहुत कुछ कहा है और मैं आपको इस बातकी अनुमति देता हूँ कि आप इंगलैंडके समाचार-पत्रोंमें इस भाषणका पूरा ब्यौरा प्रकाशित करा दें। मैंने अपने भाषणमें यह स्पष्ट कर दिया है कि अंग्रेजोंके साथ हमारे बहुत अच्छे सम्बन्ध थे और हमारा उनके प्रति अत्यन्त अनुराग था। हमारे पास खानेकी जो भी अच्छीसे अच्छी चीज आती थी, उसे हम अपने बच्चोंको नहीं देते थे बल्कि हम उसे अंग्रेजोंको लाकर देते थे लेकिन फिर भी हम उनको प्रसन्न नहीं रख सके। भारतने जिन सुधारोंको अस्वीकार किया था, उनतकके लिए अंग्रेजोंने हमें इनकार कर दिया। इसीलिए मैंने कहा था कि मुझे जान पड़ता है, अंग्रेजोंके चेहरे गोरे हैं परन्तु उनका मस्तिष्क

कलुपित है।

"हॉवेलका व्यवहार एमर्सनकी भाँति, जिन्होने अपनी आयुका एक लम्वा अश पंजावमे विताया था, अशिष्ट नही था।"

एमर्सन साहवने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे अपनी वातचीतका सारांश इस प्रकार लिखा है

"उन्होने मुझको यह विस्तारपूर्वक वतलाया कि उनके आन्दोलनका कैसे प्रारम्भ हुआ। उन्होने मुझे उसके तीन उद्देश्य वतलाये . (१) अफगानोका एकत्रीकरण, (२) सामाजिक सुधार और (३) यदि भारतमे विद्रोह होता है, जिसकी कि प्रान्तकी सुरक्षाको धमकियाँ मिल रही है तो उस स्थितिमे अफगानोके लिए सीमाप्रान्तका सरक्षण।

"इससे पहले इस तीसरे उद्देश्यकी कोई चर्चा मैने नही सुनी थी और न उसका कोई जिक्र मेरे आगे आया था। यह आन्दोलनकी तथाकथित अहिंसाकी प्रवृत्तिकी एक टीका थी। उन्होने कहा कि उनका आन्दोलन किसी ब्रिटिश-विरोधी उद्देश्यको लेकर प्रारम्भ नही हुआ था परन्तु सन् १९३० मे जो घटनाएँ हुई उन्होने उसे निश्चित रूपसे एक सरकार विरोधी रूप दे दिया यद्यपि वे स्वयं और उनके अनुयायी अव भी हमारे मित्र वननेको तैयार है। उन्होने यह भी कहा कि अप्रैल १९३० तक उनके स्वयंसेवकोकी सख्या १०००० थी परन्तु इस समय वह २,००,००० के लगभग है। मैने वादकी इस सख्यापर अविश्वास करते हुए अतिशयोक्ति समझा।

"उन्होने आगे यह भी दावा किया कि उनके पक्षने सन्धिकी शर्तोका पूरी तरहसे पालन किया है। इसे मै स्वीकार नही करूँगा—उन्होने अपने आन्दोलनकी अहिंसाकी वृत्तिपर वल दिया और इस वातका दृढताके साथ विरोध किया कि लाल कुर्तीवालोने कभी हिंसापूर्ण अपराध भी किये है। इसके विपरीत मैने उनको कई उदाहरण दिये परन्तु हमेशाकी भाँति यही कहते रहे कि भारत सरकारको जो सूचनाएँ दी गयी है वे प्रामाणिक नही है। उनके मनमे यह एक विलकुल गलत धारणा जमकर वैठ गयी है कि उनका अपने अनुयायियोके ऊपर अत्यंत नियन्त्रण है। इसके विपरीत मैने उन्हे कई घटनाएँ वतलायी, सरवन्दका प्रकरण, उन मोटर-कारोंको रोकनेका प्रयास जिनमे कि अग्रेज अधिकारी वैठे हुए थे, सेनाके सामने ही, उसको उकसानेवाली लाल कुर्तीवालोकी परेडें, मरदानकी वह घटना जिसमे कि 'रेजीमेन्टल गार्ड्स' के सामने, उसके वाहर 'एक क्वार्टर गार्ड' खडा कर दिया गया था और सामान्यत नित्य लाल कुर्तीवालोंका पुलिसके थानोंके

सा लोगोको पीटा गया और दूसरी ओर उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। यह ब्रिटिश सभ्यताका एक नमूना है। उन्होंने सरकारको चुनौती दी कि यदि वह कर सके तो इस आरोपका प्रतिवाद करे।

गांधीजीने मि० एमर्सनको एक पत्र लिखा, जिसमे उन्होंने लिखा 'पिछले दिनो मैं इतना अवकाश न निकाल सका कि मैं खान अब्दुल गफ्फार खाँसे अकबरपुरके सम्बन्धमें और उन बन्दियोके साथ हुए व्यवहारके बारेमे एक वक्तव्य ले लेता, जिनको कि मैं अन्य किसी उपयुक्त शब्दके न मिल सकनेके कारण 'राजनीतिक बन्दी' कहूँगा। खान साहबने मुझको पशावर जेलके उन बन्दियोका मर्मस्पर्शी विवरण भेजा है जिनको एक नाटक अभिनय करनेके अपराधमे सजा हुई है। आपको स्मरण होगा, उनके बारेमे मेरी आपसे चर्चा भी हुई थी। खान साहब लिखते है कि उन बन्दियोके बेड़ियाँ डाल दी गयी है और उनसे खरास चलाने (पत्थर कूटने) का काम लिया जाता है। हट्टे कट्टे व्यक्तियोसे कड़ा काम लेनेमे मुझे कोई आपत्तिकी बात नही लगती परन्तु बलिष्ठसे बलिष्ठ मनुष्यकी भी अपनी एक सीमित कार्यक्षमता हुआ करती है और उस समय जब कि किसीके पैरमें बेड़ियाँ हो, पत्थर कूटना हँसी-खेल नही है। मैं आपको इस पत्रके साथ ही श्रीमती खुर्शेद बहिनका एक वक्तव्य भेज रहा हूँ। यह अकबरपुरके उन घायल पुरुष और स्त्रियोके सम्बन्धमे है जिनको कि स्वयं उन्होने देखा है। मैं आशा करता हूँ कि आप इन सब वक्तव्योको मिथ्या या अतिशयोक्तिपूर्ण कहकर एक ओर न रख देंगे।

शिमलामे विद्यार्थियोकी दी हुई एक दावतमे फीरोज खाँ नूनने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा 'आप पख्तून लोगोने मुसलमानोको बहुत बडी हानि पहुचायी है। लेकिन इसमें हमारा क्या दोष है?' खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा 'सबसे पहले हम आपके पास आये। जब हमने यह देख लिया कि आप हमारी सहायता नही करना चाहते तब हम कांग्रेसके पास गये। हम गुलामीसे तग आ चुके है और अब हम आजादी चाहते है। यदि आप भी स्वाधीनताके इच्छुक है तो हम अब भी आपके साथ है। हम अपने साथियोंसे परामर्श करनेके बाद आपको इसका उत्तर देंगे। फीरोज खाँ नूनने कहा और इस चर्चाके लगभग पन्द्रह वर्ष पश्चात बिहारके दगोके समयमे वे खान अब्दुल गफ्फार खाँसे पटनामे मिले।

शिमलामे सिविल एण्ड मिलिट्री गजट के एक सवाददाताने उस भेंटके बारेमें, जो ब्रिटिश अधिकारियो और खान अब्दुल गफ्फार खाँमे हुई थी, एक

ग़लतफहमी पैदा कर दी। उसने अपने पत्रमे यह भ्रामक समाचार प्रकाशित करा दिया कि पेशावरकी घटनाओकी जाँचके वारेमे काग्रेसकी कार्यकारिणीने खान अव्दुल गफ्फार खाँकी वातोको स्वीकार नही किया है इसलिए वे उससे त्याग-पत्र दे देंगे। इस समाचारसे पजाव और सीमाप्रान्तमे हलचल फैल गयी। खान अव्दुल गफ्फार खाँ जव लाहौर पहुँचे तव उनको नवाव साहव खान अव्दुल कैयूमका भेजा हुआ एक आदमी मिला। उन्होने सीमाप्रान्तसे यह सन्देश भिजवाया था कि आप काग्रेससे अलग न हो। यदि आपने काग्रेसको छोड़ दिया तो अंग्रेज सरकार सीमाप्रान्तको कोई सुधार नही देगी।

शिमलासे लौटकर खान अव्दुल गफ्फार खाँने देखा कि अंग्रेजोने उनके कुछ सहयोगियोके मनमे भय और रोपके वीज वो दिये है और वे गुप्त रूपसे उनके विरोधमे काम कर रहे है। कतिपय साथियोको यह लगा कि आपसकी इस दरार-से आन्दोलनको हानि पहुँचेगी। उन्होने मतभेदको दूर करनेके लिए मियाँ जाफर शाहके मकानपर एक वैठकका आयोजन किया। खान अव्दुल गफ्फ़ार खाँके विरोधियोका कहना था कि उनका हिन्दुओके ऊपर विश्वास नही है और उनको भय है कि गोलमेज़ परिपद्मे कही उनके अधिकारोकी उपेक्षा न कर दी जाय। उन लोगोकी राय थी कि उनको इस आशयका एक प्रस्ताव स्वीकृत कर लेना चाहिए। खान अव्दुल गफ्फार खाँने उनसे कहा कि हिन्दुओने अवतक तो हमारे साथ कोई अविश्वसनीय कार्य नही किया है और इस मौकेपर तो हमे इस प्रकारकी कोई अडचन खडी ही न करनी चाहिए। उन्होने यह गम्भीर घोपणा की, 'यदि हिन्दुओने हमारे विश्वासको भंग किया तो हम सव खुदाई खिदमतगार आपके नेतृत्वको स्वीकार कर लेगे और आपके आदेशानुसार चलेगे।'

खान अव्दुल गफ्फार खाँने इस घटनाका वर्णन करते हुए लिखा है, "रातमे जव हमारे मतभेद अतिम रूपसे दूर हुए समझ लिये गये तव हम लोगोने एक मित्रके रूपमे एक-दूसरेसे विदा ली। सवेरेके समय जव हम लोग चाय पी रहे थे तव प्रान्तीय जिरगाके जनरल सेक्रेटरी मियाँ जाफर शाहने कहा कि 'यह वात सिद्धातत गलत है कि सारे लोग एक व्यक्तिके नेतृत्वको स्वीकार करे और उसके आदेशानुसार कार्य करे।' मैने उनसे कहा, 'मियाँ साहव, एक व्यक्तिके नेतृत्वमे काम करना किसी भी देशके लिए कल्याणकारी है और विश्वभरमे इसे स्वीकार किया जाता है। यह अवश्य है कि यह इस वातपर निर्भर करता है कि वह व्यक्ति देशके हितके लिए काम कर रहा है या स्वार्थकी पूर्तिके लिए। यदि वह सारा कार्य निजी लाभके लिए कर रहा है तो वह देशकी हानि कर रहा है

और उसका विरोध स्वाभाविक है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थके लिए काम कर रहा हूँ तो आपको मेरा विरोध करना चाहिए परन्तु यदि आपका यह विचार है कि मैं राष्ट्रके हितके लिए काम कर रहा हूँ तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। विरोधी दलके लोग तो मेरे खिलाफ बराबर तुले हुए थे। मियाँ अहमदशाह और हमारे अध्यक्ष खान अब्दुल अकबर खाँ न केवल हम लोगोंसे अलग हो गए बल्कि हमारे विरोधी बनकर काम करने लगे।'

अब्दुल अकबर खाँ और मियाँ अहमदशाहने सितम्बर सन् १९३१ में एक छोटी पुस्तिकाके रूपमें अपना एक लम्बा वक्तव्य प्रकाशित किया जिसमें यूथ लीग और खुदाई खिदमतगारोंके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसमें विलयके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँको पूर्ण उत्तरदायी ठहराया। इस पुस्तिकामें खान अब्दुल गफ्फार खाँके विरुद्ध यह शिकायत की गयी थी

'९ अगस्त सन् १९३१ को खान अब्दुल गफ्फार खाँने बम्बईमें कांग्रेसके साथ एक समझौता किया। इस समझौतेके अनुसार यह निश्चय हुआ कि सीमाप्रान्त *अफगान जिरगा सीमाप्रान्तकी कांग्रेस समिति हो जायगी।* खुदाई खिदमतगार कांग्रेस स्वयंसेवक समझे जाने लगेंगे और अफगानोंके काले झण्डेकी जगह कांग्रेस का झंडा ले लेगा। एक बात अवश्य हुई, वह यह कि अपने आपको कांग्रेसकी आलोचनासे बचानेके लिए कांग्रेसकी कार्यकारिणी समितिने सीमाप्रान्तके नेताओं को यह अधिकार अवश्य दे दिया कि वे जिरगा और खुदाई खिदमतगार' शब्दों को बनाये रख सकते हैं परन्तु असलियत यह है कि यह जिरगा पुराना जिरगा नहीं होगा और न खुदाई खिदमतगार ही वे खुदाई खिदमतगार होंगे। हमने अपनी शक्तिभर इस बातकी बहुत चेष्टा की कि इस संस्थाका अस्तित्व विलय न हो क्योंकि प्रत्येक व्यक्तिकी अपने दलमें ही सम्मानपूर्ण स्थिति रहती है परन्तु हमारी बात किसीने नहीं सुनी। उन सब लोगोंने जो २३ अगस्तकी 'अफगान सेण्ट्रल जिरगा' की बैठकमें उपस्थित थे इस निर्णयको स्वीकार कर लिया। हम लोगोंने विचार किया कि इस मामलेपर खान अब्दुल गफ्फार खाँसे पुनः चर्चा कर ली जाय। वे १२ सितम्बरको वापस लौटे और हम कुछ मित्रोंके साथ इस सम्बन्धमें उनसे बातचीत करने उनके पास गये। उनके सामने बहुतसे प्रस्ताव रखे गये परन्तु उन्होंने किसीको स्वीकार न किया। अंतमें यह निश्चय किया गया कि हम लोगोंको एक वक्तव्य देना चाहिए

"यह बात राष्ट्रकी जानकारीमें होनी चाहिए कि हम लोगोंने न तो त्याग पत्र दिये हैं और न हमने अपना कार्य ही रोका है। हमारी खान अब्दुल गफ्फार

खाँके साथ कोई व्यक्तिगत शत्रुता नही है और हम उनको अवतक अपने प्रिय मित्रोमेसे एक समझते है। उनके लिए हम लोगोके मनमे आदर है। हम यह कह सकते है कि हम जमायत-उल-उलेमा अथवा सिख लीगकी भाँति काग्रेसको अपना सहयोग देते रहेगे परन्तु अपने अस्तित्वको विलीन नही करेगे। बम्बईके समझौतेने मास-मास ले लिया है और हड्डियोको हमारे लिए छोड दिया है। हम यह कहना चाहते है कि यदि राष्ट्रको हमारी सेवाओकी आवश्यकता होगी तो हम उनसे इनकार नही करेगे परन्तु हमारी यह इच्छा हे कि पुराना जिरगा वना रहे ।"

इसका उत्तर देते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने सारे तथ्योको २१ सितम्वर को इन शव्दोमे जनताके सामने रखा .

"समाचारपत्रोंमे कई वार मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले हुए और मेरे विरोध-मे अनेक आपत्तियाँ उठायी गयी। मै उन सवका तवतक उत्तर देना आवश्यक नही समझता जवतक मै यह नही समझता कि उनसे देशको हानि पहुँच सकती है। मैने इस वक्तव्यका भी कभी प्रतिवाद न किया होता परन्तु मै यह समझ रहा हूँ कि इससे राष्ट्रमे एक भ्रम उत्पन्न होगा और इस अवसरपर मेरा मौन एक अपराध समझा जायगा।

"अपने इस वक्तव्यमे मेरे मित्रोने जनताको मार्ग-भ्रष्ट करनेके लिए इधर-उधरकी वहुतसी वाते कही है परन्तु उनकी असली आपत्ति यह है कि 'फ्रण्टियर लोइ जिरगा' से विना पूर्व अनुमति लिये यूथ लीगको काग्रेससे क्यो मिला दिया गया ? तथ्य इस प्रकार हे

"हमारी यूथ लीगकी स्थापना सन् १९२९ मे हुई। उसमे हमने अपना यह उद्देश्य निश्चित किया कि हम इस संस्थाके द्वारा पठान राष्ट्ररूपी भवनका निर्माण करेंगे और हमारे समाजमे जो वडे-वडे दोप है उनको दूर करनेका प्रयत्न करेंगे। इसी भावनासे प्रेरित होकर हमने जिरगे कायम किये और सीमा-प्रान्तमे खुदाई खिदमतगारोकी भर्ती शुरू की। अप्रैल १९३० मे हम लोग गिरफ्तार कर लिये गये। इसके पश्चात् सरकारने हमारे कार्यकर्ताओ और खुदाई खिदमतगारोपर जो दमन किया, वह एक अवर्णित कथा है। जव हमारे जिरगेकी कार्यकारिणीने यह पूरी तरहसे समझ लिया कि शासन हम पख्तूनोको मिटा देनेपर तुल गया है तव उसने पख्तूनोको वचानेके लिए भारतकी भिन्न-भिन्न संस्थाओसे नैतिक सहा-यताकी खोज की। परन्तु काग्रेसको छोडकर शेष कोई उसे अपना सहयोग देनेको तैयार न हुआ। हमारे अफगान राष्ट्रके प्रति काग्रेसकी सहानुभूति वढती गयी

और जितना उसके लिए सम्भव था, उसने हमारी सहायता की अर्थात उसने समाचार-पत्रों और भाषणोंके द्वारा हमपर किये जानेवाले दमनको ससारके सामने खोलकर रख दिया। अप्रल १९३० की घटनाकी जाँचके लिए उसने एक समिति नियुक्त की और अन्य कई प्रकारसे हमारे प्रति अपनी सहानुभूति दिखलायी। हमारे जिरगाके दो जिम्मेदार सदस्य मियाँ अब्दुल शाह तथा मियाँ जाफर शाहने इन्ही कारणोंसे, मियाँ अब्दुल अकबर खाँ मियाँ अहमद शाह और मेरी रायसे अंग्रेजी में एक छोटी किन्तु तथ्यपूर्ण पुस्तिका प्रकाशित की। इसमें उन लोगोंने यह घोषित किया कि अफगान लोग काग्रेसका एक अंग है। अफगान सेन्ट्रल जिरगाने भी इसको बल देते हुए एक वक्तव्य प्रकाशित किया। इसके बाद सरकारने कई तरह से, अनेक बार यह प्रयत्न किया कि हमारा जिरगा काग्रेससे अपना सम्बन्ध तोड ले। यहाँतक कि जब हम जेल भेज दिये गये तब भी हमको वहाँ सूचना दी गयी कि यदि हम काग्रेससे अपने सम्बन्धोंको तोड लें तो हम लोगोंके साथ पृथक रूपसे एक सधि की जा सकती है। परन्तु जब मियाँ अहमद शाह अब्दुल अकबर खाँ और मैंने मिलकर इस प्रश्नपर विचार किया तब हम लोग इस परिणामपर पहुँचे कि यदि हमारा जिरगा काग्रेससे सम्बन्ध तोड लेता है तो सरकार हमें कहीका न रखेगी। अत हमने इस प्रस्तावको स्वीकार नही किया।

सधिके पश्चात हम लोग जेलसे बाहर आ गये। मियाँ अहमद शाहको यह बात अच्छी तरह स्मरण होगी कि यदि सिविल एण्ड मिलिटरी गजट के मिथ्या प्रचारका खण्डन करनेके लिए मैंने जो प्रतिवाद प्रकाशित कराया था, उसमे उनके आग्रहसे ही मैंने जिरगाको काग्रेसका एक अंग स्वीकार किया। मियाँ साहब ने उस समय स्वय जोर देकर कहा, हम लोगोको काग्रेसमे सम्मिलित हो जाना चाहिए अन्यथा सरकार हमारे जिरगेका नाम निशान मिटा देगी। वे यह अच्छी तरह समझते हैं कि एक ओर जिरगाको काग्रेसका एक अंग स्वीकार करना और दूसरी ओर यह वक्तव्य प्रकाशित करना कि काग्रेससे हमारी पृथक सधि हुई थी या उससे एक सम्बन्ध मात्र था क्या अर्थ होता है?

बादमें पेशावर काग्रेस समितिके सदस्य आपत्तियाँ उठाने लगे। हम लोगोने उनके साथ वाद विवाद किये। खान अब्दुल अकबर खाँ और मियाँ अहमद शाह यह स्वीकार करनेको तैयार थे कि पेशावरके जिरगाको तो काग्रेस समितियाँ कहा जाय परन्तु गाँवोंके जिरगोका वही नाम रहे और उनका प्रधान कार्यालय उत्मान जईमें हो। पेशावरियोंने इस प्रस्तावको नही माना। गुत्थी उलझती गयी और अन्तत दोनों दलोंको बम्बई आना पडा। अब्दुल अकबर खाँ और मियाँ अहमद

गाहने मुझसे यह प्रार्थना की कि हमे पेशावरियोसे छुटकारा दिलवाइए और मुझपर जोर डाला कि मै इस बातकी पूरी कोशिश करूँ कि काग्रेस जिरगेका वही पुराना नाम बनाये रखे। हम लोग बम्बई गये। मियाँ अहमद शाह बम्बईमे रुके नही और वापस चले आये। उनका विचार था कि देवदास गाधीका उनके प्रति व्यवहार यथेष्ट आदरपूर्ण नही था। इतनी साधारण-सी बातपर क्रोधित होकर लौट आना मियाँ अहमद शाहकी एक दुर्बलता ही कही जायगी जब कि वे एक आवश्यक प्रश्न के निबटारेके लिए बम्बई गये थे। यदि मियाँ साहबके मनमे राष्ट्रके लिए उतनी ही सहानुभूति है, जितनी कि उन्होने अपने वक्तव्यमे प्रदर्शित की है तो निश्चित ही उन्हे किसी निजी मामलेसे एक राष्ट्रीय उद्देश्यको अधिक अहमियत देनी चाहिए थी। उस स्थितिमे सब समस्याएँ उनके सामने ही सुलझ जाती। जब मियाँ साहब वापस चले आये तब मैने जो भी समझौता राष्ट्रके लिए कल्याणकारी समझा, वह कर लिया। यदि प्रान्तीय केन्द्रीय समितिने, जो नियम और व्यवस्थाके अनुसार अकेला 'लोइ जिरगा' है, उसे सर्व-सम्मतिसे स्वीकार न कर लिया तो मै अपना समझौता बादमे निष्फल भी कर देता। मियाँ साहबके इस प्रकारके गुप्त प्रचारसे और प्रत्येक सदस्यके पास अलग-अलग पहुँचकर यह कानाफूसी करनेसे कि यह समझौता गलत है, कितनी हानि हो सकती है! और फिर इस प्रकारका अनुचित वक्तव्य प्रकाशित करना कितना बडा राष्ट्रीय अपराध है! मेरे भाइयो, इस सम्बन्ध मे जो कुछ भी हुआ है वह विधिवत् नियमोके अनुसार हुआ है। मियाँ साहबने सारे प्रदेशसे जिरगाके सदस्योको बुलवाया और उन लोगोने समझौतेको सर्व-सम्मतिसे स्वीकार करके उसकी पुष्टि की। यह 'लोइ जिरगा' है। नियमोमे किसी अन्य 'लोइ जिरगा' की चर्चा नही है जिसका कि मियाँ साहबने उल्लेख किया है। यह बात अवश्य है कि वहाँ यह लिखा हुआ है कि 'लोइ जिरगा' वर्षमे एक बार हुआ करेगा परन्तु उसका अभिप्राय वार्षिक अधिवेशनसे है।

"इसके अतिरिक्त यह कहना भी गलत है कि हमारे सम्बन्ध काग्रेसके साथ वैसे ही होगे जैसे कि जमायत-उल-उलेमा-ए-हिन्द या सिख लीगके है। उन्होने तो कभी यह नही कहा कि वे काग्रेसके एक अङ्ग है, जब कि हमारा जिरगा काग्रेसका एक अङ्ग होनेकी घोषणा कर चुका है।

"अब झण्डेके बारेमे भी दो शब्द मेरा कथन है कि इस समयतक हमारे जिरगाने अपना कोई झण्डा निश्चित नही किया। प्रत्येक स्थानपर झण्डेका अनियमित व्यवहार हुआ है। प्रत्येक दलने अपने झण्डेको अपने मनचाहे रङ्गमे रंग लिया। बहुतसे दल काग्रेसके ध्वजको अपना झण्डा मान रहे है। अबसे,

यदि प्रान्तीय जिरगाने कांग्रेससे सम्बन्ध तोड़ लिया तो इसमें क्या हानि है? यह कहना बिलकुल गलत है कि जिरगा। कांग्रेसने इसको अपनी शाखाके रूपमें मान्यता दी है। यह कहना भी बिलकुल गलत है कि हमारा जिरगा कांग्रेसमें बस ही घुल जायगा जैसा कि पाकिस्तान नवाब, जैसा कि मियाँ साहब सोचते हैं।

'मेरी तुच्छ सम्मतिमें यह एक गलत समझौता नहीं है। यह स्वीकार किया जा सकता है कि जिरगा तथा कांग्रेसके उद्देश्य सिद्धान्त नीतियाँ तथा विरोध एक तथा समान हैं। हमारे बीचमें केवल यह अन्तर था कि हमारा दल जिरगा कहलाता था और हमारे स्वयंसेवक सर्व खिदमतगार जिनकी वर्दी लाल थी। इस समझौतेसे यह भी स्पष्ट था ये सब चीजें पहले जैसी ही चलती रहेंगी। मियाँ अहमद शाह और खान अब्दुल अकबर खाँकी बातका मतलब क्या है यह मैं नहीं जानता। मेरा विचार है कि वे कांग्रेसको छोड़नेके लिए कुछ बहाने खोज रहे हैं यद्यपि जिरगाके प्राय प्रत्येक सदस्यने इन लोगोंके अपने त्यागपत्र दिये हैं और वे स्वीकार नहीं किये गये हैं। यदि मात्र यही उद्देश्य है तो इसके लिए राष्ट्रमें एक फूट डालनेकी क्या आवश्यकता है? इन लोगोंको स्वेच्छासे शान्तिपूर्वक अपने कामको छोड़ देना चाहिए और उन अन्य लोगोंके कार्यमें जो राष्ट्र-सेवामें लगे हैं विघ्न नहीं डालना चाहिए।

'मैं बड़ी विनम्रताके निष्कर्षके रूपमें यह कहूँगा कि मैंने अपने जीवनका सबसे अच्छा समय लगभग इक्कीस वर्ष पठान राष्ट्रकी सेवामें अर्पण किये हैं। मैंने सारे विश्राम और सुखको स्वास्थ्य और धनकी समस्त सुविधाओंको अपने लिए 'हराम' माना है। पठान राष्ट्रकी सेवा करते हुए मैंने यह कभी नहीं देखा कि यह रात है या दिन सर्दी है या गर्मी पानी गरम रहा है अथवा क्या मैं बीमार हूँ? मैंने जेल-जीवनकी कठिनाइयोंकी भी कोई परवाह नहीं की। मेरी दृष्टिके आगे यह लक्ष्य रहा कि पठान सुखी और समृद्ध हों और विश्वके अन्य राष्ट्रोंके बीचमें सम्मानसे खड़ा हो। मेरे लिए यह बिल्कुल असम्भव है कि मैं पठानके उस सम्मान और विशिष्टताको और लोगोंके हाथों बेच दूँ जिसको कि उन्होंने संसारमें अपने त्यागोंके फलके रूपमें पाया है।

"यदि आपको मेरी निष्कपटतापर विश्वास है तो मैं आपसे कहूँगा कि आप मुझपर भरोसा कीजिए। इस समय हमारे लिए यही भला और हितकारी है कि हम लोग कांग्रेसमें सम्मिलित हो जायँ। अपनी एकता और संगठनके बलपर ही अब हम विश्वका आदर पाने लगे हैं। यदि हम दलोंमें बँट गये तो हमारा अनादर होने लगेगा। सारी दुनिया हमारे ऊपर हँसेगी। मैंने वर्षोंतक राष्ट्रकी जो

सेवा की है और पठानोके लिए जो कुछ त्याग किया है वह सब व्यर्थ हो जायगा ।

"मै आपको यह आश्वासन देता हूँ कि यदि कांग्रेसके साथ हमारा मिलाप पठानोके लिए किसी भी प्रकारसे अहितकर सिद्ध हुआ या किसी प्रकारसे उनके विश्वासको छला गया तो मैं काग्रेससे अपना सम्पर्क तोड देनेवाला पहला व्यक्ति होऊँगा। मैं आपको यह आश्वासन दे रहा हूँ कि यदि पठानोके हितोकी रक्षाके लिए मुझे संसारसे लडना पडे तो भी मै न हिचकूँगा और उसके विरुद्ध शान्तिमय युद्ध घोषित करनेवाला मैं पहला व्यक्ति होऊँगा। काग्रेस हमारे साथ जो प्रतिज्ञाएँ कर चुकी हैं, उनके अनुसार वह हमे प्रत्येक सहायता देनेको वचनबद्ध है। यदि काग्रेस अपनी प्रतिज्ञाको भङ्ग करती है तो हम अपने-आपकी वापसीके अधिकारको सुरक्षित रखते है। किसीने हमारे हाथ नही बॉध रखे है।

"बन्धुओ, आप स्वयं इस बातका निर्णय कीजिए कि क्या काग्रेसमे सम्मिलित होनेसे हमारी हानि होगी ? बल्कि इसके विपरीत, मैं तो यह कहता हूँ कि काग्रेसके मिलापसे हमारी शक्ति बढी है। काग्रेस हमारी एक शक्तिशालिनी मित्र है।"

सन्धिका उल्लघन

१९३१

२९ अगस्त १९३१ को गाधीजी गोलमेज परपदमे भाग लेने चले गये और उसके बाद यहाँ एक अल्पकालीन शान्ति छा गयी। अब राजनीतिक हलचल का केन्द्र लन्दन हो गया। सितम्बरके पिछले पखवारेम जो आर्थिक सकट आया उसने ब्रिटिश सरकारको इस बातके लिए विवश कर दिया कि वह सोनेके सम्बन्ध म अपने सिद्धान्तको त्याग दे और रुपयेका सम्बन्ध स्टर्लिंग' मे जोडनेका निणय घोपित कर दे। भारत सरकारके कायक्रमम बोझिल तथा विविध प्रकारके करोंको लगाना भी शामिल था। किसानाको अपना राजस्व कर चुकानातक कठिन हो गया और उसके भुगतानके लिए सरकारको कडी कायवाही करनी पडी। विशेष रूपसे पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रान्तमें इस दिशाम सरकारने बडे कठोर कदम उठायें। राजस्व करकी वसूलीके सन्दभमें एक बडे जमीन्दार साजुल्ला खाँका मामला विशेष रूपसे उल्लेख करने योग्य ह। वे खुदाई खिदमतगार भी थे। व अपने ऊपर बकाया राजस्व करका भुगतान नही कर सके और इसी अपराधमें उनको हवालात भेज दिया गया। उन्होने अधिकारियोको सूचित किया कि उनकी इच्छा सरकारी रुपया रोकनेकी नही ह और जितने शीघ्र भी उनके लिए सम्भव होगा वे उसे भरनेका प्रयत्न करेंगे। उनके ऊपर केवल कुछ हजार रुपये हा निकलते थे, जिनके लिए उनकी एक मोटर-कार एक ताँगा एक घोडा तथा तीन भैंसें कुर्क कर ली गयी। जब वे छोड दिये गये उनकी फसल कुर्क कर ली गयी और अन्तम उनकी भूमि भी जिसका मूल्य १५००० रुपये कूता जाता था जब्त कर ली गयी।

दूसरा उदाहरण डॉ० खान साहबके दूसरे पुत्र आमदुल्ला खाँका है। उनके नामपर जो भूमि चढी थी उसके लिए भू राजस्व करके रूपम उनको एक लम्बी रकम चुकानी पडी। उन्होने सारे करका भुगतान कर दिया और केवल ३०० रुपये बकाया रह गये जिनके लिए उनको गिरफ्तार करके नागरिक जेलमें भेज दिया गया। जेलमें उनकी रहनेकी जगह बहुत गन्दी था। वहाँ रहनेम उन्होन भोजन का पूण परित्याग ही अच्छा समझा। उनको एक साग पत्ते दिनका खाना दिया गया था। उन्होन २८ दिवसका अनशन किया तब स्थितिम सुधार किया गया। इसके कुछ दिन बाद उनको छोड दिया गया। उनके पिता डॉ० खान

साहवकी देखरेखमे उनका एक मासतक इलाज चलता रहा, तव कही जाकर वे पुन. स्वस्थ हो सके। इसके पश्चात् वे अपने गाँव चले गये जहाँ कि 'आर्डिनेन्स' के सिलसिलेमे उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया।

इन दिनो सारी राजनीतिक गतिविधियाँ सुपुप्त पडी थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रचार-दौरेने सितम्बरके आरम्भमे इस शान्तिको भंग कर दिया। काग्रेसकी कार्यसमितिने उनको सीमा-प्रान्तमे काग्रेसके पुनर्गठनका अधिकार सौंपा था। सितम्बरके अंततक धरनेके कार्यने विशेप जोर पकड लिया। पेशावर नगर-मे धरना देनेके लिए ३००० लाल कुर्तीवाले चुने गये। इनमेसे लगभग ३०० स्वयं-सेवक एक वार धरना देनेके लिए दूकानोपर खडे होते थे। उनका स्थान लेनेके लिए स्वयंसेवक पचास-पचासकी टोली वनाकर जाते थे। वे फौजी ढंगसे कूच करते हुए नगरमेसे निकलते थे और संस्थाका यह प्रदर्शन नागरिकोको प्रभावित करके उनमे उत्साह जगाता था। अक्तूवर मासमे अनेक सभाओ तथा जुलूसोका आयोजन किया गया। जनताको उसके कर्त्तव्य और अधिकारोके प्रति सचेत करनेको खान गफ्फार खॉ तूफानी दौरे कर रहे थे। कुछ स्थानोमे शासनकी ओरसे सार्वजनिक सभाओपर प्रतिवन्ध लगा दिया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खाँ इस प्रतिवन्धको अवज्ञाकी दृष्टिसे देखते थे और कभी वे उससे वचनेके लिए अपनी सभाएँ मस्जिदोमे करते थे। वे जनताको आगामी संघर्पके लिए तैयार रहनेकी सलाह देते थे। उनकी वहुतसी सभाओमे कार्यवाहीके पश्चात् लाल कुर्तीवालोने अपना झण्डा लहराते हुए और अपने ढोल वजाते हुए सैनिक पद्धतिसे 'मार्च' किया। जिस दिन खान अब्दुल गफ्फार खॉ अपने दौरेके सिलसिलेमे किसी गॉवके पाससे गुजरते थे उस दिन उस गाँवके लोग तथा स्वयसेवक सडकके किनारे आकर खडे हो जाते थे और आनेपर उनका भी वही स्वागत करते थे। वे सभाओ मे यह कहा करते थे, "आप लोग मेरी वातोको गौरसे सुनिए। शायद मुझको शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जायगा। हम वाणी और लेखनीकी वही स्वाधीनता चाहते है जो विश्वके अन्य राष्ट्रोको प्राप्त है। हम वे अधिकार चाहते है जो भारतके अन्य प्रान्तोको प्राप्त है। हम इन काले कानूनोको वापस लेनेकी माग करते है। एक वातको आप स्मरण रखिए, यदि आप अपनी शक्ति वढा लेगे तो आपको सव कुछ प्राप्त हो जायगा।"

अक्तूवरके अन्तमे दिल्लीमे काग्रेसकी कार्यसमितिकी एक वैठक हुई। इसमे सम्मिलित होनेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खॉको विशेप रूपसे आमन्त्रित किया गया। इस वैठकमे समितिने देशकी गम्भीर स्थितिपर विचार-विमर्श किया और

तत्पश्चात् खान अब्दुल गफ्फार खाँने एक मस्जिदमे अपनी सभा की। उसी समय पुलिसका एक दरोगा उनके पास एक 'नोटिस' लेकर आया जिसमे प्रतिबन्धका आदेश पालन करनेकी उनको चेतावनी दी गयी थी। इस सभामे आस-पासके इलाकेके लोग बहुत बडी संख्यामे उपस्थित थे। पुलिसने खान अब्दुल गफ्फार खाँके इस सभामे किये गये भाषणका सार निम्नलिखित दिया है .

"मृत्युसे न डरिए। धारा १४४ आपकी परीक्षाके लिए है। यदि आप इस आदेशका विरोध नही कर सकते तो भला युद्धके लिए कैसे तैयार हो सकते है? इसकी ओर ध्यान न दीजिए। आप तैयार हो जाइए और इस अहिंसात्मक युद्ध-के लिए कमर कसकर मैदानमे निकल आइए। यह अहिंसापूर्ण युद्ध उसी युद्धका एक रूप है जो आपके पूर्वजोने अबसे १४०० वर्ष पहले लडा था। संसारको यह दिखला दीजिए कि आप उनकी संतान है। अंग्रेज मुख्य आयुक्त ६००० मील दूरसे आपके ऊपर शासन करने आया है। उसे घूमनेके लिए मोटर-कार दी गयी है। वह आपपर अत्याचार करता है और इसके बदलेमे ५००० रुपया वेतन लेता है। आप खुद अपने ऊपर शासन कीजिए और किसीके अधीन न बनिए। यदि इस युद्ध-क्षेत्रमे आपकी मृत्यु भी हो जाती है तो इससे क्या होता है? आखिर तो प्रत्येक व्यक्तिको एक दिन मरना ही है। अपनी संतानोके लिए, इस 'जालिम हुकूमत' से आजाद होना आपका कर्त्तव्य है। यदि आपने अपना यह कर्त्तव्य न निभाया तो कयामतके बाद न्यायके दिन आप अल्लाह और रसूल-पाकको क्या उत्तर देगे?"

पूरे सन्धि-कालमें पुलिस विभाग उनके भाषणोको लिपिबद्ध करता रहा तथा उनके लेखोको रखता रहा। वे जहाँ कही भी गये, गुप्तचरों द्वारा उनका पीछा किया गया और उनकी प्रत्येक प्रवृत्तिको गहरी दृष्टिसे देखा गया। पुलिस द्वारा लिपिबद्ध किये गये उनके भाषण तथा 'पख्तून' मे प्रकाशित उनके लेख मिलकर एक अनूठा ऐतिहासिक प्रमाण-लेख बनाते है। यह वह युग था जब कि उनकी राजनीतिक प्रवृत्तियाँ अपनी चरम सीमापर थी और उनके कार्यकी तुलना गाधी, नेहरू और वल्लभभाई पटेलसे की जाती थी। नवम्बर १९३१ के पहले पखवारे की सीमाप्रान्त शासनकी गोपनीय टिप्पणीमे यह लिखा है .

"इस-पखवारेमे खान अब्दुल गफ्फार खाँकी कार्य-प्रवृत्तियाँ विशेष रूपसे उल्लेखनीय रही है। उन्होने पेशावर जिलेकी मरदान तहसीलमे दौरा किया जहाँ कि कुछ दिनोसे धारा १४४ लगी हुई है और धार्मिक समारोहो या उत्सवोके अतिरिक्त शेष समस्त सभाओ, प्रदर्शनो तथा जुलूसोपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया

है। इस इलाकेमें उन्होंने अपने सामान्य व्याख्यानोंकी अपेक्षा अधिक उग्र भाषण दिये। उदाहरणार्थ रुस्तमकी सभामें किया गया भाषण बड़ा आपत्तिजनक था। समस्त व्यावहारिक प्रयोजनोंके लिए उसे आज्ञाका उल्लंघनकर्त्ता तो माना ही जायगा यद्यपि नामभरके लिए उसका आयोजन एक मस्जिदमें किया गया था। इस सभामें एक बड़ा जन-समूह एकत्र हुआ था और लोग मस्जिदसे काफी दूरतक फैले हुए थे। अपने इस भाषणमें जो वस्तुतः राजनीतिक था खान अब्दुल गफ्फार खाँने उपस्थित जनतासे यह स्पष्ट शब्दोंमें कहा कि वह सरकारके इस प्रतिबन्धको भंग करें। उन्होंने सभामें उपस्थित लोगोंसे यह कहा कि वे इसको उल्लंघनको अपने लिए एक परीक्षा समझें। खान अब्दुल गफ्फार खाँने उत्तेजनाका जो वातावरण बनाया उसमें जनताने अपना सहकार नहीं दिया। उनके यहाँसे जानेके पश्चात् इस प्रतिबन्धित क्षेत्रमें कोई सभा भी नहीं हुई। लाल कुर्ती दलके स्थानिक नेता खान अब्दुल गफ्फार खाँके इस सीमातक पीछे चलनेको तैयार नहीं है। शायद वे यह सोचते हों कि यह सब खान अब्दुल गफ्फार खाँने एक आक्रोशमें कहा जिससे वे इन दिनों अधिक ग्रसित जान पड़ते हैं। यद्यपि इसके सर्वथा विपरीत ऐसे संकेत मिले हैं कि उनके दलके लोग सरकारको इस तरह देख रहे हैं। मरदान तहसीलके लाल कुर्तीवाले यह बड़ी उत्सुकतासे देख रहे हैं कि धारा १४४ के अंतर्गत सभा न करनेकी आज्ञाको भंग करने और जनताको उकसानेके अपराधमें देखें सरकार खान अब्दुल गफ्फार खाँके ऊपर क्या कार्यवाही करती है। यदि इस दिशामें शासनने कोई कदम न उठाया तो स्थानीय स्थितिका उत्तरोत्तर बिगड़ते जाना अवश्यम्भावी है। अन्य स्थानोंपर सम्भवतः इसकी प्रतिक्रिया भी होगी। और कुछ न सही तो इससे एक ऐसे क्षेत्रमें प्रतिबन्धका अभाव तो नष्ट हो ही जायगा जो कि पिछले कुछ दिनोंसे पेशावर जिलेका सबसे खराब इलाका रहा है और जहाँ सरकारके प्रति द्रोहकी ही नहीं अपितु अराजकताकी भावनाएँ फैलती जा रही हैं।

मरदानमें लौटनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँ तख्ताबाईकी एक विशाल सभामें गये। तख्ताबाद पेशावर तहसीलके दौगजई थानेकी सीमामें पड़ता है। यह क्षेत्र पिछले कुछ वर्षोंसे सरकारकी चिन्ताका एक कारण बना हुआ है। इस सभाका जिसमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने फिरंगियोंके विरुद्ध आपत्तिजनक भाषण किया यह परिणाम सामने आया कि इस इलाकेमें सरकारकी स्थिति कुछ गिर गयी और उसकी प्रतिष्ठापर ठेस लगी। इस सभाका तत्कालीन प्रभाव यह हुआ कि उन लोगोंने भी, जिन्होंने कि भू राजस्व करके भुगतानका वादा किया

उसे चुकानेसे इनकार कर दिया। खान लोगोमे भी ऐसे व्यक्तियोकी संख्या कम नही है जो इस विश्वासपर अपना कर रोके हुए है कि लाल कुर्तीवालोके अभियानके कारण सम्भव है कि सरकार उसमे कुछ छूट दे दे, या सभी मामलोमे बकाया लगान माफ कर दे। कुछ लोगोके इनकारका तरीका ऐसा रहा कि मानो उन्होने जान-बूझकर सविनय अवज्ञाका यह रूप अपनाया हो। नहरोके पानीके उपयोगके विरुद्ध, जिसके लिए सिचाई कर देना पडता है, गावोमे संगठित रूपसे प्रचार कार्य चलाया जा रहा है। इस कार्यके लिए कुछ दल देहातोमे दौरे कर रहे है। चारसद्दा, मरदान, यहाँतक कि मालाकण्ड एजेन्सीके साथ रानीजई क्षेत्रमे भी किसानोसे अंगूठा लगवाकर यह वचन लिया जा रहा है कि जबतक सिंचाईकी दरमे कमी नही की जायगी, वे रबीकी फसलके लिए नहरका पानी नही लेंगे।

"पेशावर शहरमे हालाँकि स्वयसेवक धरना दे रहे है, स्थिति शात है और काबूमे कर ली गयी है।

"५ नवम्बरको खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने हजारा जिलेके दौरेके लिए चल दिये। वहाँसे कुछ ऐसे संकेत मिले है कि सम्भवत उनको पहली ही बार असफलताका मुँह देखना पडा है। सारी मानसेहरा तहसीलमे, जहाँसे कि उन्होने अपना दौरा प्रारम्भ किया है, उन्हे एक संगठित विरोधका सामना करना पडा है। बफा, लाल कुर्तीवालोका एक गढ समझा जाता है, लेकिन वहाँ भी उनका कोई प्रभावशाली स्वागत नही हुआ। उनके भाषणको भी, जो आधा पश्तू और आधा उर्दूमे था, लोग मुश्किलसे समझ सके। उपस्थित जनसमुदायका एक बडा अंश उनके भाषणकी समाप्तिसे पहले ही धीरे-धीरे सरक गया। मानसेहराने तो दो प्रतिद्वन्द्वी परेडो और सभाओका दृश्य देखा। यहाँके विरोधके फलस्वरूप कुछ स्थानोसे सभाओका आयोजन अंतिम क्षणपर हटाना पडा और वह सभा अन्यत्र की गयी। खान अब्दुल गफ्फार खाँकी सभाओका यहाँ पूर्वनिश्चित कार्यक्रम स्थिर न हो सका। इसके दो कारण थे, एक तो विरोध और दूसरा कुशल स्थानीय सगठनका अभाव।

"वैल्स रेजीमेन्टकी दूसरी बटालियनने अपना झण्डा उडाते हुए अबोटाबाद से १ नवम्बरको कूच किया और ६ नवम्बरको वह मानसेहरा और ओघी होती बफा पहुँच गयी। बहुतसे सेवानिवृत्त सैनिक बटालियनमे मिलने आये और उनका स्वागत-सत्कार किया गया। ओघीमे बहुतसे जन-जातीय लोग भी उपस्थित थे। लगभग ४० वर्षसे किसी ब्रिटिश बटालियनने ओघीमें प्रवेश न किया था और

ऐसा जान पड़ता है कि बफाम तो इससे पहले कोई अंग्रेज पलटन आयी हो न थी।

मियाँ अहमद शाह और उनके साथियोंने एक पृथक् संगठन खड़ा किया है परन्तु इस दिशामें वे विशेष कार्य नहीं कर रहे हैं। उनके सम्बन्धमें अधिकसे अधिक यह कहा जा सकता है कि वे अपनी भूमि तैयार कर रहे हैं। दूसरी ओर खान अब्दुल गफ्फार खाँका अपना मार्ग भी सरल नहीं लगता।

सम्भवतः वे स्वयं भी इस तथ्यका अनुभव करने लगे हैं। उनके कुछ प्रमुख सहयोगियोंके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही भी की गयी है। यह देखा जा रहा है कि पिछले कुछ दिनोंसे उनका मिज़ाज कुछ बिगड़ा रहता है और वे अपने-आपको स्थिर भी नहीं पाते। ये सब बातें भी यही प्रदर्शित करती हैं। उनके आगे एक ओर मियाँ अहमद शाह आदिका विरोध है और दूसरी ओर नगर काँग्रेस समिति के नेताओंका। इसके अलावा उनपर ऊपरसे यह दबाव भी डाला जा रहा है कि वे अपनी संस्थामें काँग्रेसके नियम और व्यवस्थाका अधिक दृढ़तासे पालन करें। यह स्थिति सम्भवतः उनके अनुयायियोंमें आगे भी एक मतभेद उत्पन्न करेगी।'

नवम्बर महीनेके मध्यमें जाया गाँवमें खुदाई खिदमतगारोंकी एक सभाको सम्बोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा : 'मैं आपके गाँवमें आपको जगाने आया हूँ—उन सब लोगोंको जो मोये हुए और संसारके बारेमें उदासीन और अपरिचित हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दशाकी ओर देखें, इन फटे वस्त्रों और इन नंगे बच्चोंकी ओर देखें। आपकी इस दशाका कारण यह है कि आप अपने धर्मके सम्बन्धमें अज्ञानमें हैं। ये युवक जिन्होंने लाल कपड़े पहन रखे हैं और जो अलग-अलग जगहोंसे यहाँ आये हैं, आपकी, ईश्वरके प्राणियोंकी सेवा करना चाहते हैं। ईश्वरके प्राणियोंकी सेवा करना ईश्वरकी सेवा करना है। रसूल पाकने यह कहा है कि वह युवक सबसे धर्मात्मा और ईश्वरसे डरनेवाला है जो ईश्वरके प्राणियोंको सुख देता है।

'इस बातका भी स्मरण रखिए कि अकेले मुसलमान ही ईश्वरके प्राणी नहीं हैं। हिन्दू, मुसलमान, सिख, यहूदी, ईसाई और पारसी, तात्पर्य यह है कि जो भी इस संसारमें हैं, ईश्वरका प्राणी है। खुदाई खिदमतगारोंके लिए यह धर्मका आचरण है कि वे विश्वके समस्त प्राणियोंको सुख दें। उन्होंने इसकी दीक्षा ली है और इस कार्यके लिए शपथ ग्रहण की है। उनका उद्देश्य यह है कि वे दलित व्यक्तियोंको अत्याचारियोंके हाथोंसे मुक्त करें। वे अत्याचारीके विरुद्ध खड़े हों, भले ही

वह हिन्दू हो, मुसलमान हो अथवा अंग्रेज हो। यदि आप अंग्रेजोके खिलाफ है तो इसका कारण यह है कि वे अत्याचारी है और हमारे ऊपर दमन किया जा रहा है।

"खुदाई खिदमतगार बडा धैर्य रखते है। यदि कोई उनका अपमान करे तो भी वे बदलेमे उसका अपमान नही करेगे। वे किसीको भी किसी प्रकारका कष्ट नही देंगे। वे उत्तेजित नही होगे और न अपने मनमे किसीके प्रति प्रतिहिंसाकी भावना रखेंगे। हमारा विश्वास ईश्वरपर है, वही हमारा बदला लेगा।

"बन्धुओ, प्रत्येक व्यक्तिको एक बार मरना है, चाहे वह वीर हो या कापुरुष। वह मृत्यु, जिसे अल्लाह और रसूल पाकके नामपर गले लगाया जाता है, प्रशंसाके योग्य है।

"आप मुझसे पूछेंगे कि मैंने और सब बाते तो कही परन्तु मैंने आपको यह नही बतलाया कि अंग्रेजोको किस प्रकार निकाला जाय जो कि हम सबका शोषण कर रहे है। मै आपको वह शस्त्र दे रहा हूँ जिसका सामना पुलिस और सेना नही कर सकती। यह रसूल पाकका शस्त्र है परन्तु आप इसे पहचानते नही है। यह धैर्य और श्रेष्ठ आचारका शस्त्र है। संसारकी बडीसे बडी शक्ति भी इसके आगे टिक नही पाती।

"ईश्वरने मुसलमानोको सच्चा रास्ता दिखलाया। नास्तिकोने उनपर अत्याचार किये। उनको प्रज्वलित अग्निमे लिटाया और उनके गलेमे रस्सियाँ बाँधकर उनको गलियोमे खीचा। उन अधार्मिक लोगोने उन्हे और भी विविध प्रकारके कष्ट पहुँचाये परन्तु मुसलमानोने धीरज न छोड़ा और अत्याचारीको परास्त होना पडा।

"जब आप अपने गाँवोमे वापस जाये और अपने 'हुज्र' मे जाकर अपने बन्धुओंसे मिले तो उन्हे बतलाये कि ईश्वरकी एक सेना है, जिसका शस्त्र धैर्य है। आप अपने भाई-बन्दोसे कहिए कि वे इस सेनामे शामिल हों। यदि आप इसमे भर्ती हो जायँगे तो फिरंगियोका सेवक आपको डरानेकी चेष्टा करेगा परन्तु आपको उससे भयभीत होनेकी आवश्यकता नही है। उसने इस्लामको बर्बाद किया है। हम बन्धुत्व भावनाकी नीव डाल रहे हैं।

"ईश्वर हमारी परीक्षा लेना चाहता है। उसे उत्तीर्ण करनेके लिए सारी कठिनाइयोको सहन कीजिए। यदि आप धीरजको न छोडेंगे तो निश्चय ही आपकी विजय होगी। शैतानका दल ईश्वरके दलपर विजय नही पा सकता।"

'पख्तून'के नवम्बर मासके अंकमे प्रकाशित अपने एक लेख 'सरकारका उत्तर-

दायित्व और दण्डमें उपद्रव' में खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा था

"जब कभी म दिन दिन बढती हुई चोरी, डकती या हत्याकी घटनाको देखता हूँ या उसके बारेम पढ़ता हूँ तो म इस परिणामपर पहुँचता हूँ कि निश्चय ही इनम सरकारका कुछ हाथ है। हालत इतनी गिर गयी ह कि लोग पेशावर शहरकी चहारदीवारीके बाहर प्रधान मार्गोंपर लूट लिये जाते ह। पिछले दिनो जो घटनाए हुई ह, उनस मनम बड विचित्र विचार आने लग ह। डकैतियोंम सबसे अधिक हानि खुदाई खिदमतगारोंकी हुई ह जो कि राष्ट्रके सेवक ह। उनके कार्यालयोंपर हमले किये गय ह और उनकी चोरियाँ हुई हैं। यहाँतक कि यदि वे आटा पिसानेके लिए चक्कीपर गय हैं तो उसको भी चुरा लिया गया ह। हमने यह सब सहन कर लिया परन्तु अब तो बहुतसे स्थानोंपर खुदाई खिदमतगारोंकी हत्याएँ भी हुई ह।

'मरा सरकारसे यह कहना ह कि आप लोग भू राजस्व कर तथा अन्य कर वसूल करनेम सबसे अधिक सक्रिय हैं और आप लोग सरकारी मशीनरीको जमानेके तरीके भी जानते ह परन्तु क्या आप यह जानते ह कि प्रजाके भी कुछ अधिकार हुआ करते ह? आप दिनभर और रातभर यह सोचते ह कि अपने राज्यकोषो को किस प्रकार भरा जाय? यह सोचते ह कि इस देशको अपनी मट्ठीम जकड कर किस प्रकार रखा जाय? मेरा आपसे कहना ह कि आप देशम शान्ति स्थापित करें ताकि व लोग जो आपके अधीन ह सुरक्षाका अनुभव कर सक। यदि आप न्यायके विरुद्ध आचरण करनेवाले थोडसे लोगोंको दुरुस्त नहीं कर सकते तो आपके लिए यही अच्छा ह कि आप इस देशको छोडकर चले जाय। हम यह दिखला देंगे कि शान्ति कैसे स्थापित की जाती ह। वह युग चला गया जब हम पठान लोग अधरेम थे और अपने अधिकारोंके बारेम कुछ ज्ञान न रखते थे। अब हम सरकारके और उसके अधीन जनताके कर्तव्योंको जानते हैं। इतनी बडी सेना पुलिस-बल और सिपाहियोंके दल बल आप किसलिए रख रहे ह? क्या यह उस अन्यायी सरकारको टिकाये रखनेके लिए ह जो हमारे वैधानिक अधिकारोंको कुचल रही ह? या फिर यह अफरीदी मोहमन्द महसूद और वजीरी आदि गरीब कबाइलियोंको बर्बाद करने और उनके क्षेत्रोंपर अपना अधिकार जमानेके लिए ह? यदि ऐसा नहीं ह और आप यह दावा करते ह कि यह उस प्रजाके लिए ह जिससे आप करके रूपमें धन राशि लेते ह यह उसकी रक्षाके लिए ह देशम शान्ति स्थापित रखनेके लिए ह तो हम चाहते ह कि आप हमें अपने इस कथनका ठोस प्रमाण दें। भू राजस्व तथा अन्य करोंके बदलेमें आप

हमारे जीवन और हमारी सम्पत्तिकी रक्षा करे। आपको यह भली भाँति जान लेना चाहिए कि यदि हमारे पसीनेकी कमाईका रुपया स्वय हमारे विनाशमे और अंग्रेजोके हितमे ही लगता है तो अतमे हम इसके लिए वाध्य हो जायँगे कि भू-राजस्व तथा अन्य करोका भुगतान रोक दे।"

१८ नवम्वरको खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने हजारा जिलेके दौरेसे वापस लौट आये। उनको वुखार हो आया था इसलिए कुछ दिनोके लिए उनका अगला कार्यक्रम स्थगित हो गया। २१ तारीखको उत्मानजईमे एक सभा हुई जिसकी अध्यक्षता खान अब्दुल गफ्फार खाँने की। इस सभामे यह निश्चय किया गया कि यदि सरकारने सिचाईकी दर कम न की तो हस्तनगर और वैजई इलाकोमे रवीकी फसलके लिए सरकारी नहरोसे पानी नही लिया जायगा। यह भी निश्चय किया गया कि जो लोग इस निर्णयको माननेसे इनकार करेंगे उनकी पानीकी नालियोपर धरना दिया जायगा।

कई सार्वजनिक सभाओमे एक गीत गाया गया था, 'हे ईश्वर! फख्र-ए-अफगानको हमारा राजा वना दो!' खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनको चेतावनी देते हुए कहा, 'आपकी यह इच्छा और यह विचार आपके भीतरकी दासत्वकी वृत्तिका प्रत्यक्ष फल है। आप यह चाहते है कि आपके कंधोपरसे अंग्रेजोके दासत्वका जुआ हट जाय और उसकी जगह मेरा आ जाय। कृपा करके राजा वनानेकी यह भावना ही त्याग दीजिये। सच तो यह है कि राजाओके कारण ही हम इस दयनीय दशापर आ पहुँचे है। याद रखिये, यदि मै मर जाऊँ तो ऐसा न हो कि कोई आपको धोखा दे और आपका राजा वन वैठे। यह देश सारे पख्तूनोका है और वे ही इसके सुखदायी फलोको ग्रहण करेंगे। हम केवल तीन सालके लिए अपना 'मशीर' (नेता) चुनेंगे। यदि वह अपने कार्यके लिए उचित व्यक्ति सिद्ध हुआ तो हम उसे दुवारा चुन लेंगे अन्यथा उसे हटा दिया जायगा और उसका स्थान दूसरा व्यक्ति ले लेगा।'

दिसम्वरके प्रारम्भमे व्रिटिश समाचारपत्रोने खान अब्दुल गफ्फार खाँके विरुद्ध एक अभियान प्रारम्भ कर दिया। 'दि डेली एक्सप्रेस'ने एक संवादका शीर्षक यह दिया, "लाल कुर्तीवालोकी सहायतासे खान अब्दुल गफ्फार खाँ द्वारा भारतमे पवित्र युद्ध प्रारम्भ करनेकी धमकी।" यह संवाद 'भारतके एक प्रथम अधिकारी व्यक्ति' का भेजा हुआ था। उसमे कहा गया था

"गाधीकी यूथ लीगसे शुरू करके खान अब्दुल गफ्फार खाँने लाल कुर्तीवालो-को खुदाई खिदमतगारोमे वदल दिया है, जिनका कि वे वार-बार पवित्र युद्ध

'जिहाद' के लिए आह्वान कर रहे हैं। स्वयं उनके शब्दोंमें, 'आप लोग विश्व की अपार इस्लामिक मुक्ति दिलानेके कार्यकी आधारशिला होंगे। आप भारतको उन अत्याचारी अंग्रेजोंसे मुक्ति दिलानेवाले लोग होंगे, जिन्होंने न केवल भारत को बल्कि सारे इस्लामी संसारको बर्बाद कर डाला है। आप हृदयहीन ब्रिटिश राष्ट्रके पंजेसे इस्लाम तथा शेष विश्वको छुड़ायेंगे। और अपनी मातृभूमिको स्वतन्त्र करेंगे। उसके कंधेसे विदेशी जुएको उतारकर फेंकनेसे बड़ा और कोई धर्मयुद्ध 'जिहाद' नहीं है।'

"खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपनी बढ़ती हुई सेनाके लिए मात्र एक अधिनायक ही नहीं हैं जिसके पीछे कि शहीदका प्रभामंडल जाज्वल्यमान है, अपितु वे ईश्वर के भेजे हुए इस्लामके मुक्तिदाता भी हैं।'

इस समाचारपत्रने खान अब्दुल गफ्फार खाँको 'एक जन्मजात समाचार गढ़नेवाला पत्रकार, अनुभवी शेखीखोर और अपने ढंगका अकेला अवसरवादी' बतलाते हुए आगे लिखा : 'बिना किसी संयमके, बिना किसी मर्यादाके वह ब्रिटेनके विरुद्ध आग उगलता हुआ बढ़ता चला जाता है। वह उन कबीलोंमें जो शीघ्र ही उत्तेजित हो उठते हैं, असन्तोष फैलाता जाता है। वह सारे भले मुसलमानोंका इसलिए आह्वान करता है कि वे आक्रमणकारी अंग्रेजोंसे युद्ध करनेको तैयार रहें। पास सूचनाके आधारपर बतलाया जाता है कि उसने अपने आदमियोंसे यह कहा : आप अपनी इन बन्दूकोंका कबीलोंके झगड़ोंमें अपने पड़ोसियोंके लिए इस्तेमाल न करें बल्कि इनका प्रयोग अंग्रेजोंको हिन्दुस्तानसे बाहर निकालनेमें करें।'

इस संवादमें अन्तमें कहा गया था : खान अब्दुल गफ्फार खाँ कांग्रेससे सम्बद्ध अपने लाल कुर्ती संगठनमें सचमुच बादशाहकी स्थिति रखता है। अब इस विलक्षण व्यक्तिमें इतनी हिम्मत हो गयी है कि वह ब्रिटेनको अपनी गिरफ्तारीके लिए चुनौती दे, क्योंकि उसे इस बातकी इजाजत दे दी गयी है कि वह सीमा प्रान्तकी प्रत्येक पहाड़ीके ऊपरसे जिहाद की पुकार करे—इस विश्वासके साथ कि एक दिन उसकी पुकार नाटकीय ढंगसे सुन ली जायगी।'

'दि डेली मेल'के एक समाचारमें कहा गया था : सीमाप्रान्त सोवियत रिपब्लिककी दूरकी एक सैनिक चौकी है। वह भारतपर आक्रमण करनेका सबसे मर्मान्तिक स्थान है। खैबर दर्रेके पार रूसी सोना बरसाया जा रहा है। उनका नेता भयानक खान अब्दुल गफ्फार खाँ है जो जेलका पंछी है और अंग्रेजोंका एक हृदयहीन शत्रु है।"

इसके विपरीत ब्रिटेनके उदार दलीय संसद-सदस्य एवं 'नैकेड फकीर' नामक पुस्तकके प्रणेता मि० रॉबर्ट बर्नेजने अपनी खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ की गयी भेंटके यह संस्मरण लिखे हैं .

"उनके भाई डा० खान साहबका सहसा मुझे फोन मिला। उन्होंने कहा कि यदि मैं तुरन्त ही उनके बँगलेपर पहुँच सकूँ तो मेरी खान अब्दुल गफ्फार खाँसे भेंट हो सकती है। अंधेरा घिर आया था और बिजली तथा गडगडाहटके साथ आँधी घिरती आ रही थी। मुझे प्रथम दृष्टिमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ ऐसे लगे मानो मेरे चक्षुओके आगे महाप्रभु ईसाका परम्परागत रूप ही प्रत्यक्ष हो गया है। वे मुझसे टूटी हुई-सी अंग्रेजीमे बात करने लगे और उनके भाई डा० खान साहबको दुभाषिया बननेका कष्ट देना पडा।

उन्होने मुझसे जो कुछ कहा, उसका सार इस प्रकार है

"भारत सरकारको मेरे आन्दोलनके सम्बन्धमे भ्रम है। मै अंग्रेजोको घृणाकी दृष्टिसे नही देखता। मेरी माग केवल यह है कि सरकार हमारे सीमाप्रान्तमे भी वे सुधार लागू करे जो उसने भारतके शेष अन्य भागोमे लागू किये है। मैने कभी यह घोषित नही किया कि सरकारको भू-राजस्व करका भुगतान न किया जाय। मै स्वयं एक जमीदार हूँ और अपना लगान दे चुका हूँ। मुझे रूससे किसी प्रकारका अर्थ नही मिला है। मेरा सोवियत रूससे कोई सम्बन्ध ही नही है। यद्यपि अंग्रेजोने मुझे कारावासमे डाले रखा है फिर भी मै उनसे घृणा नही करता। मेरा आन्दोलन सामाजिक है और राजनीतिक भी। मै लाल कुर्तीवालोको यह सिखलाता हूँ कि तुम अपने पड़ोसीको प्रेम करो और सर्वदा सत्य बोलो। मुसलमान एक युद्ध-प्रिय जाति है। वह अहिंसाके सन्देशको सरलतासे ग्रहण नही कर पाती। मै उसे अहिंसाके पथपर अग्रसर करनेका पूरा प्रयत्न करता हूँ।"

उनके व्यक्तित्व और वाणीका मुझपर जो प्रभाव पडा उसे मैने इन शब्दोमे लिखा "खान अब्दुल गफ्फार खाँ एक कृपालु, भले और उससे भी अधिक एक प्रेम करने योग्य व्यक्ति है। यदि कोई वृद्ध जार्ज लैन्सबरीके सम्बन्धमे यह सोचे कि वे एक भयानक क्रान्तिकारी है, वैसे ही खान अब्दुल गफ्फार खाँके सम्बन्धमे यह कल्पना करना होगा कि वे ब्रिटिश राज्यके एक निर्दय शत्रु हैं।"

सन्धिकी अवधिमे सीमाप्रान्तमे तनावकी स्थिति स्थायी रूपसे थी और शासन विशेष कानूनो, अध्यादेशो और कठोरतम दण्डोको साथ लेकर फौजी ढंगसे चल रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस क्रूर स्थितिका विरोध करनेके लिए एक आन्दोलन चलाया और परिणामस्वरूप वे सरकारकी दृष्टिमे एक हौवा, मिथ्या

भय बन गये। वे छ फुट तीन इंचकी पठानकी पौरुषमयी काया लिये, लम्बे-लम्बे डग भरते हुए खुदाई खिद्मतगारोंके केन्द्र स्थापित करते एक गाँवसे दूसरे गाँवमें गये और उनका संगठन सारे प्रान्तमें फैल गया। उनके अनुयायी पूर्ण रूपसे शान्त थे। उनके विरुद्ध हिंसाका एक भी आरोप पूरी तरहसे सिद्ध नहीं हो सका। कलहप्रिय सीमान्तके निकट भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनसे अत्यधिक निकट इस अनुशासित आन्दोलनके इतने शीघ्र लोकप्रिय हो जानेके कारण पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारका आसन हिल उठा।

सीमाप्रान्तके चीफ कमिश्नर सर राल्फ ग्रिफिथ २२ दिसम्बरको एक दरबार का आयोजन करने जा रहे थे। उसमें सम्मिलित होनेके लिए उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास निमन्त्रणपत्र भेजा परन्तु उन्होंने चीफ कमिश्नरके पास जाना अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात चीफ कमिश्नरने एक आदेश भेजा जिसमें उन्हें मिलनेके लिए बुलाया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस आदेशकी भी अवहेलना कर दी और मुख्यायुक्तसे मिलने नहीं गये। अन्तमें उनको लानेके लिए पुलिसका एक सिपाही भेजा गया। चीफ कमिश्नरसे भेंट होनेपर खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनसे कहा "मैं एक सरल व्यक्ति हूँ और मुझको सीधी बात अच्छी लगती है। कृपया मुझसे कूटनीतिज्ञके रूपमें चर्चा न कीजियेगा।" इसपर सर राल्फने उत्तर दिया "खान साहब, राजनीति एक खेल है जिसमें चतुरजयी होते हैं।" इसपर उन्होंने कहा "ऐसी चालें चली जाती हैं। मैं आपको मात दूं और यदि आप दे सकें तो मुझको मात दें।" तब मैं आपसे बातचीत करनेके लायक आदमी नहीं हूँ। खान अब्दुल गफ्फार खाँ इतना कहकर उठ खड़े हुए। तब सर राल्फ ग्रिफिथने अपना स्वर बदला और उन्हें रोका। तत्पश्चात खान चर्चा आगे चली।

चीफ कमिश्नरने अपनी भेंटमें तीन सम्भावित मसलोंका उल्लेख किया जो कि उनकी रायमें दबाव डालने योग्य थे—पहला कबाइलियोंके द्वारा आक्रमण, दूसरा नागरिक-निर्माण और तीसरा ... । खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनसे कहा कि आप कबाइलियोंकी ओरसे चिन्तित हैं और उनमें सुधार करना चाहते हैं तो मैं आपको अपना सहयोग देनेको तैयार हूँ तथा आपकी सहायता करनेको तैयार हूँ। परन्तु इसके लिए आपको अपना वर्तमान कबाइली सम्बन्धी नीतिको त्याग करना होगा और कबाइलियोंको अपना शत्रु नहीं बल्कि मित्र समझना होगा। हमारे सहयोगसे आप उनमें ... सार्वजनिक कर सकेंगे जिससे उन लोगोंका अत्यधिक लाभ होगा।

चीफ कमिश्नरने एक ... और ... लिए और उनका ...

विस्तारसे लिखने लगे। खान अब्दुल गफ्फारने उनसे कहा 'आप कबाइलियोको मरवानेमे और विनाश करनेमे जितना खर्च करते है यदि उसका आधा भी उनके विकासके लिए व्यय करनेको तैयार हो तो इस क्षेत्रमे गृह-उद्योगोंका प्रारम्भ हो जाय। उससे वे सम्मानपूर्वक अपनी स्वतत्र जीविकाका उपार्जन कर सकेगे और उद्योग, शिल्पकला तथा व्यापारको भी सीख लेंगे। कबाइलियोके क्षेत्रमे विद्यालय खोले जायँ जो उनके बालकोको नये जीवनकी ओर ले जानेमे सहायता करें। रोगके संकटमे उन्हे मदद देनेके लिए चिकित्सालय भी खोलना चाहिए। इन सुविधाओके मिल जानेसे ये आत्मसम्मानी और वीर लोग पख्तून समाजको लाभ पहुँचानेवाले सदस्य बन जायँगे।' अफगानिस्तानसे खतरेके सम्बन्धमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने चीफ कमिश्नरसे कहा, 'आपको उस ओरसे कोई आशका नही है। सदासे अफगानिस्तानकी सरकारसे आपके इतने मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहे है कि जिस सरकारको आप नही चाहते वह वहाँ टिक नही पाती। दूसरी बात यह है कि रक्तके नाते अफगानके लोग हमारे बन्धु है और जब आपकी हमारे साथ मित्रता रहेगी तो यह स्वाभाविक है कि वे आपके मित्र बन जायँ।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने रूसके खतरेके बारेमे कहा, 'रूसी खतरेका सामना करनेका सबसे उत्तम उपाय यह है कि आप हमे हमारे अधिकार दे दे और हम अपनी भूमिके स्वामी बन जायँ। हम पख्तूनोकी जाति बहुत बडी है और आमूसे लेकर पजाबके मध्य भागतक फैली हुई है। इस जातिपर कोई आक्रमण नही कर सकता और यदि कोई हमसे युद्ध छेडना भी चाहेगा तो हम अपने देशकी सुरक्षाके लिए सब कुछ बलिदान करनेको तैयार है।'

सर राल्फ ग्रिफिथने चर्चाकी सारी विशेष बातोको लिख लिया और खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा कि मै वाइसरायसे परामर्श लेने दिल्ली जा रहा हूँ। उनकी मुद्रा और भावोसे खान अब्दुल गफ्फार खाँको यह प्रतीत हुआ कि उनको इन प्रस्तावोके प्रति सहानुभूति है।

सर राल्फ खान अब्दुल गफ्फार खाँसे बोले, 'मुझे आशा है कि आप मुझसे फिर मिलेगे।'

वे बोले, 'अवश्य, यदि आज जैसी ही परिस्थितिने मुझे यहाँ आनेको विवश कर दिया।' उनका तात्पर्य पुलिस द्वारा बुलवानेसे था। चीफ कमिश्नर सर राल्फने उनकी बात सुनकर कहा

'बाहर बैठे हुए इन खानो और खान बहादुरोको देखिए। ये लोग बराबर कई दिनोसे मुझसे भेंट करनेकी प्रतीक्षा कर रहे है लेकिन मै इन लोगोसे नही

मिलना चाहता और मेरे बार-बारके अनुनयके बाद भी आप मुझको उपकृत नहीं करना चाहते।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने हँसते हुए कहा, 'ग्रिफिथ साहब, ये लोग व्यक्तिगत स्वार्थके लिए आपके चारों ओर घूम रहे हैं जब कि मेरा इस तरहका कोई इरादा नहीं है। तब मैं इस रास्तेपर चलकर अपनेको क्यों थकाऊँ?'

उनकी इस बातपर सर राल्फ ग्रिफिथने मेजपर एक घूँसा मारकर कहा, 'यह निश्चित ही एक अभागी सरकार है, जिससे ईमानदार लोग दूर रहते हैं और जिसे बेईमान घेरे रहते हैं। उसका विनाश भला कौन रोक सकता है? ईश्वर ब्रिटिश सरकारकी रक्षा करे!'

इस भेंटके पश्चात चीफ कमिश्नर वाइसरायसे मिलनेके लिए दिल्ली चले गये। खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा है : "मुझे यह विश्वास हुआ कि ईश्वरकी इच्छा हुई तो मेरा देश और मेरा समाज कुछ तो लाभान्वित हो ही जायगा। परन्तु वाइसरायसे मिलनेके पश्चात जैसे ही सर राल्फ ग्रिफिथ वापस आये उन्होंने २८ दिसम्बर १९३१ को मुझे जेल भेज दिया। सारे देशमें सबसे पहले गिरफ्तार होनेवाले व्यक्तियोंमेंसे मैं एक था।'

सरकारने उसके दूसरे दिन बड़े दिनसे खुदाई खिदमतगारोंके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की। उसकी सेनाके छः दस्तोंने पेशावर शहर और देहाती क्षेत्रके उन स्थानोंपर जहाँसे लोग निकलकर जा सकते थे, नाकाबन्दी कर दी। २४ दिसम्बरकी रातको खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डॉ० खान साहब तथा जिलेभरके नेता गिरफ्तार कर लिये गये।

खान बन्धुओंको १८१८ की धारा ३ के अन्तर्गत बन्दी किया गया। उन्हें अटकके पुलतक ले जाया गया और वहाँ एक रेलगाड़ीमें बैठा लिया गया। डॉ० खान साहबके सबसे बड़े पुत्र सादुल्ला खाँ कुछ दिन पहले ही इंग्लैण्डसे आये थे और प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीके मंत्री चुने गये थे। उनको भी गिरफ्तार करके उनके पिता और चाचाके पास बैठा लिया गया। मिसेज खान साहब थोड़े दिन पहले गाँव आयी थीं। उनको तथा उनके सारे परिवारको आधी रातको सोतेसे जगा लिया गया और मकानको पुलिसकी तलाशीके लिए खाली करनेको कहा गया। डॉ० खान साहबके दूसरे पुत्र ओबेदुल्ला खाँ जेलसे छूटकर घरपर स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यद्यपि पिता और पुत्रोंको एक साथ ही बन्दी किया गया था परन्तु उनको एक स्थानपर नहीं रखा गया। डॉ० खान साहब एक स्पेशल ट्रेन द्वारा इलाहाबाद ले जाये गये और

ख़ाँसे यह आग्रह किया जाय कि वे स्वयं बम्बई जाकर, सविनय अवज्ञाको पुन-र्ग्रहण करनेकी योजनापर मि० गाधीके साथ विचार-विमर्श करे। नव वर्षके प्रथम दिन एक विशाल सभाके आयोजन और उसमे काग्रेसका झण्डा भी फहरानेकी बात निश्चित की गयी। यह समारोह लाल कुर्तीवालोकी शक्ति और क्षमताका एक प्रभावोत्पादक प्रदर्शन बने इसलिए उसकी तैयारियाँ शीघ्र ही प्रारम्भ कर देनेका निश्चय भी किया गया। स्पष्ट है कि एक सामान्य ढगसे चलनेवाली सरकार अपने सामान्य कानूनोकी सीमाओमे रहकर इस धमकीका सामना नही कर सकती। उसके लिए यह सम्भव नही है इसलिए २४ दिसम्बरको कुछ अध्यादेशोकी घोषणा की गयी और उनको प्रदेशमे कार्यान्वित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ-तक अन्य कुछ नेता बिना पूर्व सूचना दिये हुए २४ दिसम्बरकी रातमे गिरफ्तार कर लिये गये। पेशावर जिला सेनाके छ दलोको सौप दिया गया जिन्हे कि आवश्यकता होनेपर इधर-उधर भेजा जाता है। महीनेके अतिम सप्ताहमे पूरे पेशावर जिलेकी स्थितिपर तेजीसे नियत्रण कर लिया गया और राजस्व करकी मदमे एक लाख रुपया एकत्र कर लिया गया। इसमे अपवादस्वरूप केवल २९ दिसम्बरके उपद्रवकी घटना है जिसमे कि एक बहुत बडी, दगा करनेवाली भीड़को सेना द्वारा तितर-बितर किया गया। कोहाटमे २६ दिसम्बरको उपद्रवकी एक गम्भीर घटना हुई जब कि लोगोकी एक बहुत बडी भीड़ने जान-बूझकर, छावनीमे बल-पूर्वक प्रवेश करना चाहा। डिप्टी कमिश्नरके व्यक्तिगत अनुनय और फिर चेतावनीके बाद भी उसने वहाँसे चले जानेसे दृढताके साथ इनकार कर दिया। उसका उपद्रव बढता ही चला गया। उसने नेताओकी गिरफ्तारियोको रोकनेकी चेष्टा की और सेनाकी टुकड़ियोंपर पत्थर बरसाये। इस परिस्थितिमे भीड़को तितर-बितर करने तथा उपद्रवको रोकनेके लिए गोली चलाना अनिवार्य हो गया। स्थितिको नियंत्रणमे लाया जाय इससे पहले ही १५ आदमी मर गये और लगभग ३० घायल हो गये। दूसरे दिन स्थानीय अधिकारी उस क्षेत्रमे गये जहाँके अधिकाश व्यक्ति प्रदर्शनमे शामिल थे। उनके सामने गाँववालोने अपना दोष स्वीकार किया और यह वचन दिया कि वे लाल कुर्ती दलका परित्याग कर देंगे। उस क्षणसे स्थिति शात और काबूमे है।"

अध्यादेशका राज

१९३१-३२

गांधीजीके लन्दन प्रयासकी अवधिमें भारतकी राजनीतिक स्थितिमें ह्रास हुआ। प्रारम्भमें ही संधि एकपक्षीय थी और दमन-चक्र वेगसे घूम रहा था। बारडोली कांडकी जांच मूर्च्छित पड़ी थी और संयुक्त प्रान्तकी दशा अत्यधिक बिगड़ चुकी था। बंगाल क्रोधसे उबल रहा था। हिज्ली शिविरमें गोली चलनेमें दो बंदी मर गये थे और लगभग तीस आहत हुए थे। आतंकवादी अपना सिर ऊंचा कर रहे थे और सरकार दमनपर बल दे रही थी। पंजाब, सीमाप्रान्त और बंगालमें अध्यादेश क्रियान्वित हो गये थे। जवाहरलाल नेहरू गांधीजीसे भेंट करने बम्बई जा रहे थे। २६ दिसम्बर १९३१ को उनको रास्तेमें ही बन्दी बना लिया गया। इस घटनाके दो दिन पहले खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके प्राय सभी सहकर्मी गिरफ्तार किये जा चुके थे।

२८ दिसम्बर १९३१ को गांधीजीने बम्बईकी भूमिपर चरण रखते ही कहा कि मैं इन अध्यादेशोंको कांग्रेसके लिए एक चुनौती मानता हूं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह जो कठोर अग्नि-परीक्षाएं दी जा रही हैं इनको हटानेके लिए भी मैं कोई उपाय उठा न रखूँगा। एक दिन शामको एक सार्वजनिक सभामें उन्होंने अपनी इस बातको फिर दुहराया। इस सभामें ही उन्होंने बंगालकी आतंकवादी प्रवृत्तियोंकी निन्दा की और एक सम्पूर्ण जातिके विनाशके लिए ब्रिटिश सरकारकी भी भर्त्सना की। उस समय पाँचसे कम अध्यादेश लागू नहीं थे। गांधीजीने कहा

'मैं इनको अपने ईसाई वाइसराय लार्ड विलिंगडनके बड़े दिनपर दिये गये उपहार समझकर स्वीकार कर रहा हूँ। यदि मुझे आशाकी एक किरण भी दिखलाई दी तो मैं उसे संजोऊंगा और चर्चाका परित्याग नहीं करूंगा। लेकिन यदि मुझको अपने प्रयासमें सफलता न मिली तो मैं आपको ऐसे युद्धमें उतरनेका आमंत्रण दूंगा जो अंततक चलेगा। पिछले संघर्षमें लोगोंने लाठियाँ खायी थीं इस बार उनको गोलियाँ झेलनी पड़ेंगी। मैं भारतकी मुक्तिके हेतु लाखों जिन्दगियोंका उत्सर्ग करनेमें भी न झिझकूंगा। यह बात मैंने अंग्रेजोंसे इंगलैण्डमें कह दी है।'

'दि वेलफेयर ऑफ इंडिया लीग' की एक सभाको सम्बोधित करते हुए गाधीजीने कहा कि मैने अपने अंग्रेज मित्रोंको यह वचन दिया है कि भले ही गोलमेज परिपद्के परिणाम निराशाजनक निकले है फिर भी हम सहयोगके नये उपायोकी खोज करेंगे। परन्तु यहाँ पहुँचनेके वाद मुझे अभेद्य अन्धकार दिखलाई दे रहा है। "मेरी दृष्टिके ठीक सामने अध्यादेशका क्रूर यथार्थ खडा है। उसके जैसा कुछ भी नही है। वह विधानका एक अमानवीय अग है, यदि वास्तवमे उस विधानको विधानका नाम दिया जा सकता है तो। लगानकी अदायगीके वारेमे जो आन्दोलन चला उसमे अवज्ञाका दंड गोलियाँ थी। उन मामलोके अलावा जहाँ आज्ञा-भग विनाशकारी उग्र भावनाओको साथ लेकर चल रहा हो, यह दण्ड किसी भी प्रकारसे न्याय-संगत नही कहा जा सकता।"

गाधीजीकी सभामे उपस्थित कुछ यूरोपियनोने उनसे पूछा कि "जिन अध्यादेशोपर आपको आपत्ति है यदि उनको हटा दिया जाय तो क्या आपकी दृष्टिमे सहयोगका पथ कुछ खुल सकेगा?"

"निश्चय ही इससे मार्गका एक अवरोध दूर होगा और वातावरण अनुकूल वनेगा।" गाधीजीने इसे स्वीकार किया। उनसे दूसरा प्रश्न किया गया, "आप अध्यादेशोकी निन्दा करते है परन्तु इनसे पहले क्या आप सीमा-प्रान्त नही जा सकते थे और वहाँके अधिकारियोसे नही मिल सकते थे?" इस सवालके जवावमे गाधीजीने कहा

"मै आपको यह वात वतला देना चाहता हूँ कि गत वर्ष मैने इस दिशामे तीन वार प्रयत्न किया परन्तु मुझको सफलता नही मिली। सन्धिके पश्चात् मैने लार्ड इरविनसे पूछा कि क्या मै सीमाप्रान्त जा सकता हूँ? मै सरकारको अपना पूर्ण सहयोग देना चाहता था इसलिए मुझे उनकी मात्र अनुमतिकी ही नही अपितु उनके प्रोत्साहनकी भी आकाक्षा थी। परन्तु लार्ड इरविनने मुझे इनकार कर दिया। इसके पश्चात् मैने लार्ड विलिंगडनसे दो वार निवेदन किया परन्तु पुन असफल रहा। लार्ड इरविनका यह ख़याल था कि मेरे वहाँ जानेसे स्थितिमे एक उवाल-सा आ जायगा। यदि आप चाहते है कि मै चौथी वार प्रयत्न करूँ तो मै उसे करूँगा। आप लोगोमेसे यदि कोई मेरी वात सरकारके कानोतक पहुँचा सकता है तो मै चाहूँगा कि वह मेरा 'एटर्नी' वनकर प्रतिनिधित्व करे और मेरे लिए सीमा-प्रान्त जानेकी अनुमति ले आये। सविनय आज्ञा-भंग मै स्वय एक अच्छा परिणाम नही मानता और मै उसे तवतक ग्रहण नही करना चाहता जव तक कि कोई मुझे अपनाने या शुरू करनेको वाध्य ही न कर दे। परन्तु जव भी

मैं उसे प्रारम्भ करूँगा पूर्ण औचित्यके साथ करूँगा और तब सरकारकी स्थिति अनौचित्यपूर्ण हो जायगी।"

"परन्तु आप उन विद्रोही सगठनोंको क्या कहेंगे जो नियम और व्यवस्थाका ध्वस कर रहे है?'

"विद्रोह एक ऐसा शब्द है जिसे दूरतक खींचा जा सकता है। गाधीजीने उत्तर दिया, "ध्वसकारी सगठनोंसे यदि आपका अभिप्राय उन तत्वोंसे है जो शासनके अधिकारोंको बलात अपने हाथोंमे ले लेना चाहते हैं न्याय या अन्याय का बिना विचार किये तो मैं कहूगा कि उन लोगोंके लिए भी अध्यादेशोंको प्रयोगमे नही लाना चाहिए। इन अध्यादेशोंके कारण सरकारको सहारा देनेवाले व्यक्ति भी शीघ्रतासे उसके प्रति उदासीन होते जा रहे है। मुँहसे वे भले हा हा कहें परन्तु वास्तवमे उनका अभिप्राय 'नही' से होता है। आप मेरा ध्यान बगाल की ओर खीचना चाहते है और मुझसे यह आशा करते है कि मैं प्रत्यक्ष रूपसे उन हत्याकाण्डोको रोकनेके लिए वक्तव्य दू। कोई भी समाज हत्याओंको सहन नही करेगा परन्तु इसका अर्थ यह नही है कि जिसपर भी सन्देह हो उसके साथ हत्यारे जैसा व्यवहार किया जाय। मैं पूछता हूँ कि बगाल और अन्य प्रान्तोंमे हत्याएँ क्यो होती है? मैं इस रोगकी जडतक पहुँचना चाहता हूँ। बगालमे दो पागल लडकियोने एक निर्दोष मजिस्ट्रेटको जानसे मार डाला। उन्होंने घृणाका विष गहरा पी लिया था। उनकी प्रत्येक बात अतिरजित करके बतलायी गयी थी। परन्तु इन सबके नीचे एक सत्यका धरातल भी है जो न केवल इन भली-चगी लडकियोको बल्कि किसी प्रान्तके किसी व्यक्तिको पागल बना सकता है। हिंसाकी भर्त्सना करते समय मैं किसी अंग्रेजके आगे झुकता नही। हिंसाको निर्मूल करनेके उद्देश्यको लेकर चलनेवाले किसी भी अंग्रेजका मैं किसी भी सीमा तक साथ दे सकता हूँ परन्तु उसके तरीके मानवीय होने चाहिए जनरल डायर सरीखे नही। क्या आप यह आशा करते है कि अध्यादेशोंके वातावरणमे आप एक सविधानकी श्रमपूर्वक रचना कर सकेंगे? आपकी यह आशा आशाहीन होगी। अध्यादेशोंके सहारे शासन करनेसे अंग्रेजोंकी साख बचेगी नही और न उससे शासित होनेसे भारतीयोकी।

आधी रातके समय अपने भाषणका निष्कर्ष निकालते हुए गाधीजीने कहा "जब मैं जहाजसे उतरा तो मुझे आशा थी कि मुझे ऐसे मार्ग और साधन मिलेंगे जिनसे मैं अपना सहयोग दे सकूँगा। परन्तु मुझे अपने रास्तेपर कदम-कदमपर बडे-बडे पत्थर दिखलाई दे रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या करना

चाहिए ? मै मार्ग और साधनोके लिए व्यग्र हूँ परन्तु मुझे आशाकी एक किरण भी दिखलाई नही दे रही है। जो इस समय स्थिति चल रही है उसमे हिंसाके विश्वासी खुली क्रान्तिके लिए खडे हो जायँगे परन्तु जो लोग अहिंसाके प्रति प्रतिज्ञावद्ध है, वे क्या करें ? उनके लिए तो अकेला मार्ग बच जाता है, सविनय आज्ञा-भंग। मै चाहता हूँ कि क्रिसमसके इन दिनोमे प्रत्येक अंग्रेज पुरुष और नारी अपने हृदयको टटोलकर देखे।"

गाधीजीने अपना समय व्यर्थ नही खोया और वे काग्रेसकी कार्यसमितिके साथ विचार करने बैठ गये। उन्होने समितिको यह सम्मति दी कि उसे अपने निर्णयमे परिवर्तनकी भी गुजाइश रखनी चाहिए क्योकि सविनय अवज्ञाका संघर्ष छेडनेसे पहले वे सरकारके दृष्टिकोणसे भी परिचित हो जाना चाहते है और शासन के उस रवैयेपर ही उनका निर्णय निर्भर होगा। इस स्थितिमे यह सुझाव आया कि इस समय कार्यसमितिकी बैठक स्थगित कर दी जाय और गाधीजी शीघ्र ही वाइसरायसे मिलनेकी अनुमति प्राप्त करनेकी चेष्टा करे। यह सुझाव भी सदस्योके वहुमतसे रद हो गया और यह निश्चित हुआ कि महात्मा गाधी वाइसरायको एक तार भेजकर उनको काग्रेसके इस विचारणीय विपयकी जानकारी करायें, अत. २९ दिसम्बरको गाधीजीने वाइसरायको यह तार भेजा :

"कल मुझे सीमा-प्रान्त तथा सयुक्त-प्रान्तमे लगाये गये अध्यादेशोकी खबर मिली। यह भी पता चला कि सीमा-प्रान्तमे गोली चली है और उपर्युक्त दोनो प्रदेशोमे मेरे आदरणीय साथियोकी गिरफ्तारियाँ हुई है तथा इनसे भी बढ़कर बंगालका अध्यादेश मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसी स्थितिमे मैने सोचा कि मैं जहाजसे उतरूँ ही न। क्या मै इन सबको इस बातका सकेत समझूँ कि हमारे पारस्परिक मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध समाप्त हो गये है अथवा अब भी मुझसे आप यह अपेक्षा करते है कि मै आपसे मिलूँ तथा मार्गदर्शन लूँ। इस सम्बन्धमे काग्रेसको समुचित सलाह देनेका कार्य मुझपर ही छोड़ा गया है। प्रत्युत्तर तार द्वारा भिजवानेकी कृपा करें।"

दिनाक ३१ दिसम्बरके एक तारमे वाइसरायके निजी सचिवने लिखा

"हिज एक्सलैन्सीकी इच्छा है कि मै आपको सूचित करूँ कि वे तथा उनकी सरकार सभी राजनीतिक दलो और जनताके सभी वर्गोसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखना चाहते है, विशेष रूपसे वैधानिक सुधारोके बडे कार्यमे, जिसे वे अविलम्ब आगे बढानेका निर्णय कर चुके है। वे आप सबका पूर्ण सहयोग चाहते है। फिर भी यह सहयोग पारस्परिक होना चाहिए। हिज़ एक्सलैन्सी तथा उनकी सरकार

संयुक्त प्रदेश और सीमा प्रान्तकी कांग्रेसकी प्रवृत्तियोंके साथ सहयोगकी उस मैत्रीपूर्ण भावनाका, जो भारतकी भलाईके लिए अपेक्षित है, कोई सामंजस्य नहीं पाती।

"पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनसे नियन्त्रित संस्थाएँ शासनके विरुद्ध सतत रूपसे काम कर रही हैं। वे जातीय घृणाकी भावनाको उत्तेजित कर रहे हैं। चीफ कमिश्नरने उनका सहयोग प्राप्त करनेके लिए जो भी प्रस्ताव रखे वे सब खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके मित्रोंने हठपूर्वक अस्वीकार कर दिये। उन्होंने पूर्ण स्वराज्यके प्रथम प्रधान मन्त्रीकी घोषणाको भी अस्वीकार कर दिया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने पिछले दिनों अनेक भाषण किये जिनसे किसी निर्माणात्मक कामकी अपेक्षा विद्रोहको उत्तेजना मिली। उनके सहयोगियोंने कबाइली क्षेत्रमें भी उपद्रव फैलानेकी चेष्टा की। हिज़ एक्सेलेन्सीकी सरकारकी स्वीकृतिसे चीफ कमिश्नरने चरम सीमा तक सहनशीलता दिखलायी। प्रान्तमें वैधानिक सुधारोंको अविलम्ब क्रियान्वित करनेका हिज़ मजेस्टीकी सरकारका जो इरादा है उसके बारेमें भी चीफ कमिश्नरने अंतिम क्षण तक खान अब्दुल गफ्फार खाँका सहयोग प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न किया। सरकारने कोई भी विशेष कार्यवाही करनेसे स्वयंको तबतक रोका जबतक कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके सहयोगियोंने सरकारके विरुद्ध शीघ्र संघर्षकी खुले तौरपर व्यापक तैयारियाँ न कर लीं और वे प्रदेश तथा कबाइली क्षेत्रकी शान्तिको गम्भीर खतरा न बन गये। परन्तु अब सरकारके लिए यह सम्भव नहीं रहा है कि वह कार्यवाहीमें विलम्ब करे। हिज़ एक्सेलेन्सीको यह ज्ञात है कि गत अगस्त मासमें खान अब्दुल गफ्फार खाँको प्रदेशमें कांग्रेस आन्दोलनका नेतृत्व करनेका उत्तरदायित्व सौंपा गया था और उनको इस बातका भी पता है कि जिस स्वयंसेवक संगठनका खान अब्दुल गफ्फार खाँने नियन्त्रण किया था उसको अखिल भारतीय कांग्रेस समितिने विशेष रूपसे कांग्रेसके संगठनके रूपमें स्वीकार किया था। हिज़ एक्सेलेन्सी चाहते हैं कि मैं आपसे यह स्पष्ट कर दूँ कि उनके ऊपर शान्ति और व्यवस्था कायम रखनेका जो उत्तरदायित्व है उसके कारण उनके लिए यह असम्भव है कि वे एक व्यक्ति या संस्थाओंके समक्ष इन्हीं उपर्युक्त प्रवृत्तियोंके लिए जिम्मेदार ठहराता है। सम्भवतः परिषद्के कार्यका भार स्वयं आपपर अनुपस्थित रहे और जैसा व्यवहार आपने वहाँ पाया उसके प्रकाशमें हिज़ एक्सेलेन्सी यह स्वीकार करनेको तैयार नहीं हैं कि इन कार्योंकी जिम्मेदारीमें आपका हाथ भी है अथवा संयुक्त प्रदेश और सीमाप्रान्तीय कांग्रेस द्वारा सञ्चालित इन

कार्योको आपकी स्वीकृति भी प्राप्त है। यदि वास्तवमे ऐसी ही बात है तो हिज एक्सलैन्सी आपसे मिलनेको इच्छुक है। वे अपने विचारोको आपके सामने इसलिए रखना चाहते है कि आप सहयोगकी उस भावनाको कायम रखनेमे अपने प्रभाव-का प्रयोग करे जो गोलमेज परिषद्की कार्यवाहीको सजीव बनाये हुए थी। परन्तु हिज एक्सलैन्सी इस बातपर बल देनेके लिए बाध्य है कि वे आपसे उन उपायो-पर विचार-विमर्शके लिए तैयार नही होगे जो कि हिज मैजेस्टीकी सरकारकी पूर्ण स्वीकृतिसे बंगाल, संयुक्त प्रदेश और पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमे अनिवार्य समझे गये है। उन उपायोको तबतक सक्रिय ही रखना है जबतक कि उनको लागू करनेका प्रयोजन पूरा नही हो जाता अर्थात् नियम और व्यवस्थाका समुचित सरक्षण, जो कि किसी भी भली सरकारके लिए आवश्यक है। हिज एक्सलैन्सी-का यह प्रस्ताव है कि इस तारका उत्तर प्राप्त होनेपर विचारोके इस आदान-प्रदानको प्रकाशित कर दिया जाय।"

गांधीजीने अपने १ जनवरी १९३२ के तारमे वाइसरायको लिखा

"मेरे दिनाक २९ के तारके प्रत्युत्तरमे आपका तार मिला, तदर्थ मै हिज एक्सलैन्सीको धन्यवाद देता हूँ। आपके उत्तरसे मेरे हृदयको बहुत ठेस लगी। अतिशय मैत्रीपूण भावनाके साथ उठाये गये एक कदमको इस प्रकारसे अस्वीकार कर देना उनके उच्च पदके लिए कदाचित् ही उपयुक्त हो, मै उनके निकट एक जिज्ञासुके रूपमे जाना चाहता था। शासनने जिन अति गम्भीर और असामान्य उपायोको अपनाया है और जिनका मैने उल्लेख किया है, उनपर मै चाहता था कि वे सरकारके दृष्टिकोणसे प्रकाश डालें। मैने जो आगे बढकर यह पहल की है उसके प्रति उनको अभिरुचि दिखलानी चाहिए थी परन्तु उसके स्थान-पर हिज एक्सलैन्सीने इस भावनाको ही स्वीकार नही किया। उन्होने कहा है कि मै अपने आदरणीय साथियोका परित्याग कर दूँ। यदि मै इस असम्मानजनक आचरणका दोषी भी बन जाऊँ तो भी जैसा कि उनका कहना है, मै उनके साथ उन विषयोपर चर्चा नही कर सकूँगा जो राष्ट्रके लिए अति आवश्यक रूपसे महत्त्वपूर्ण हैं।

"मेरी सम्मतिमे अध्यादेशो और कानूनोके सम्मुख वैधानिक मामले महत्त्व-हीन होकर अपना प्रभाव खो देते है। राष्ट्रमे यदि हठीली अवरोध-शक्ति न हुई तो यह अध्यादेश उसके अति नैतिक पतनके बाद ही समाप्त होते है। मै आशा करता हूँ कि एक संदेहास्पद प्राप्तिके लिए कोई स्वाभिमानी भारतीय अपनी राष्ट्रीय भावनाको मार डालनेका खतरा न उठायेगा। जब राष्ट्रके पास आतरिक

बल ही निर्दोष हो गया तब यह सविधानका सेवक हो क्या करेगा ? अब मैं सीमाप्रान्तके विषयमें भी कुछ बतलाना चाहता हू। आपके बारेमें कुछ तम्बाकू निरूपण किया गया है उनके सम्बन्धमें मुझे यही कहना है कि वहाँ बिना वारंट बिना न्याय जनप्रिय नेताओंको गिरफ्तार किया जा रहा है। कानूनोंमें बड़ेसे अध्यादेशोंका लागू किया जा रहा है। जनताका जीवन और सम्पत्ति निकाल जर्जरित है और उन निहत्थे शान्त जनसमूहोंपर जो अपने विश्वस्त नेताओंकी गिरफ्तारीके विरोधमें प्रदर्शन करनेका साहस कर रहे हैं गोली चलायी जाती है। यदि खान अब्दुल गफ्फार खाँ पूर्ण स्वाधीनताके अपने अधिकारपर बल देते हैं तो उनका यह दावा स्वाभाविक है क्योंकि कष्ट-मुक्तिके हेतु उसे लाहौर कांग्रेसमें सन् १९२९ में स्वीकार किया गया है और मने भी लन्दनमें ब्रिटिश सरकारके आगे इस दावेपर जोर दिया है। इसके अतिरिक्त मैं वाइसराय महोदय को यह भी स्मरण करा देना चाहूँगा कि उनको सरकारी तौरपर इस बातका ज्ञान होते हुए भी कि कांग्रेसके आधिकारिक आज्ञा-पत्रमें स्वतन्त्रताका यह दावा भी सम्मिलित है मुझे कांग्रेसके प्रतिनिधिके रूपमें लन्दनकी परिषद्में सम्मिलित होनेके लिए आमन्त्रित किया गया। मैं यह भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या दरबारमें जानेसे इनकार कर देना ऐसा अपराध है जिसपर कारावास दंड अवलम्बित हो सकता है ? यदि खान साहब जातियोंके बीच घृणाकी भावनाको उत्तेजना दे रहे हैं तो यह असंदिग्ध रूपसे खेदजनक बात है। उन्होंने स्वयं मेरे समक्ष इसके विपरीत घोषणाएँ की है। यदि यह मान भी लिया जाय कि उन्होंने जातीय घृणाको उकसाया तो उनपर खुले तौरपर मुकदमा चलाना चाहिए था जहाँ कि वे अपनेको इस अभियोगके विरुद्ध निर्दोष सिद्ध कर सकते। संयुक्त प्रान्तके सबध में निश्चित ही हिज एक्सलेंसीको भ्रमपूर्ण सूचनाएँ दी गयी है। संयुक्त प्रान्तके बारेमें एक लम्बे अर्सेसे वाद विवाद चलता आ रहा है और उससे राष्ट्रका हित जुड़ा हुआ है, उन किसान लोगोंका जिनकी आर्थिक रीढ़ टूट चुकी है। कोई भी शासन, यदि वह अपनी अधीन प्रजाके कल्याणका इच्छुक होगा तो कांग्रेस जैसी सस्थाके ऐच्छिक सहयोगका स्वागत करेगा जिसके सम्बन्धमें यह स्वीकार किया जा चुका है कि उसका जनतापर अत्यधिक प्रभाव है और उसकी एकमात्र कामना जनसेवा है। मैं साथ ही इस बातको भी कहना चाहता हूँ कि मैं करबन्दीको उस जनताका पुरातन और सहज अविच्छेद्य अधिकार मानता हू जिसके आर्थिक भारसे मुक्ति पानेके अन्य समस्त उपाय समाप्त हो चुके हो। मैं इस बातको भी अस्वीकार करता हूँ कि किसी भी रूप या आकारमें अव्यवस्थाको बढ़ानेका

काग्रेसकी तनिकसी भी इच्छा है ।

"जहाँतक बंगालका प्रश्न है, काग्रेस हत्याओकी भर्त्सना करनेमे सरकारके साथ है। ऐसे अपराधोको निर्मूल करनेमे सरकार जो कदम उठायेगी उसमे काग्रेस उसे अपना हार्दिक सहयोग देगी परन्तु जहाँ काग्रेस अगणित शब्दोमे आतंकवादके तरीकोकी निन्दा करती है, वही वह सरकारके आतंकवादके साथ भी अपना किसी भी प्रकारका सम्बन्ध नही रखना चाहती। बंगालमे लागू अध्यादेश और उसके कानूनोने काग्रेसका विश्वास भंग किया है । सरकारके इस प्रकारके कानूनी आतंकवादकी प्रवृत्तियोसे अलग काग्रेस अपने निश्चित अहिंसाके सिद्धातकी मर्यादामे ही रहेगी ।

"आपके तारमे यह विचार व्यक्त किया गया है कि सहयोग दोनो ही पक्षोसे होना चाहिए। मुझे यह प्रस्ताव हृदयसे स्वीकार है परन्तु आपके तारसे जो निष्कर्ष निकलता है, वह यह है कि हिज एक्सलैन्सी विना सरकारकी ओरके किसी प्रतिकारके, काग्रेसके सहकारकी अपेक्षा करते है। उन्होने मुझसे उन विषयोपर चर्चा करना स्पष्ट रूपसे अस्वीकार कर दिया, जिनपर उनके साथ वार्तालाप करनेके लिए मैं प्रयत्नशील था । मेरे विचारमे दो पक्ष अवश्य है । उनमे एक लोक-पक्ष है जिसे मै आपके आगे रख चुका हूँ। इससे पहले कि मैं कोई निर्णय करूँ और तदनुसार काग्रेसको सम्मति दू, मैं दूसरे पक्ष अर्थात् सरकारी पक्षको समझ लेनेके लिए उत्सुक था । आपके तारके अतिम गद्याशके संदर्भमे मेरा यह कहना है कि मेरे साथियोने सीमाप्रान्त, संयुक्त प्रान्त अथवा जहाँ भी जो कार्य किये है उनके नैतिक उत्तरदायित्वसे मै अलग नही हो सकता किन्तु मै इस तथ्यको भी अङ्गीकार करता हूँ कि उन दिनो भारतसे अनुपस्थित रहनेके कारण मुझे अपने सहयोगियोके कार्यो और प्रवृत्तियोकी विस्तार रूपसे जानकारी नही थी। इस कारण, स्वयंकी ज्ञान-वृद्धिके लिए और इसलिए भी कि मुझको कांग्रेस कार्यसमितिको अपनी राय और मार्ग-दर्शन देना था मैने खुले मस्तिष्क एवं स्वेच्छापूर्ण इरादोको लेकर हिज एक्सलैन्सीसे भेट करनी चाही और मैने विचारपूर्वक उनको उनके मार्ग-दर्शनके लिए लिखा ।

"मैं हिज एक्सलैन्सीसे अपनी इस मनोभावनाको नही छिपाऊँगा कि उन्होने कृपा करके मुझे जो उत्तर दिया है, वह मेरी मैत्रीपूर्ण और सदिच्छायुक्त पहलका उत्तर तो शायद ही कहा जा सके। अब यदि बहुत विलम्ब न हुआ हो तो मैं हिज एक्सलैन्सीसे यह निवेदन करूँगा कि वे अपने निर्णयपर पुनर्विचार करे और चर्चाको किसी विशेष क्षेत्र या विषयकी सीमामे प्रतिबन्धित न करके, मुझसे एक

मित्रकी भाँति मिले काई शत न रखें। म अपना आरस उन्हे यह वचन द सकता हूँ कि म सारे तथ्योंका, जो व मेर सामन रखेंगे, पूर्वाग्रहहीन खुल मस्तिष्कस अध्ययन करूँगा। म बिना किसी हिचकके स्वच्छासे सम्बन्धित प्रदेशोंमें जाऊँगा और अधिकारियोंकी सहायता लेकर दोनों पक्षोका अध्ययन करूँगा। और यदि म अपन अध्ययनक पश्चात इस निष्कर्षपर पहुँचा कि लोग अपनी जगह गलत थे तथा मुझ सहित काग्रेस कार्यसमितिका वास्तविक स्थितिस दूर ले जाया गया ह और सरकार अपनी जगह ठीक ह तो मुझ सबके सामने इस वस्तुस्थितिको स्वीकार करनेमें तनिक भी झिझक नही होगी। फिर म इसक अनुसार ही काग्रेसको अपना पथ-दर्शन दूँगा। अपनी इस इच्छा और सानुकूल सहमतिके साथ ही म हिज एक्सलन्सीके सामन अपनी सीमाएँ भी अवश्य रखना चाहूँगा। अहिंसा मेरा पूर्ण सिद्धान्त ह। मेरा विश्वास ह कि विशेष रूपसे जिस समय जनताकी सरकारम अपनी कोई प्रभावशाली आवाज न हो उस समय सविनय आज्ञा भग मात्र उसका स्वाभाविक अधिकार ही नही ह अपितु वह विद्रोह अथवा सशस्त्र क्रान्तिका एक प्रभावोत्पादक पर्याय भी ह। अत म अपने सिद्धान्तको कभी त्यागगा नहीं। इस सिद्धान्तके अनुसरणकी दृष्टिसे तथा उन अप्रतिपादित विवरणोंके बलपर जिनको भारत-सरकारकी अद्यतन प्रवृत्तियाँ सहारा द रही ह यह समझा गया कि मुझ जनताकी माग दिखानेका कोई अवसर न मिलेगा अत काग्रेस समितिने मेरी सलाह मान ली और एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसम प्रयोग रूपम सविनय आज्ञा भङ्गकी योजनाका एक रूपरेखा प्रस्तुत की गयी ह। म इसक साथ ही मूल प्रस्ताव भी भेज रहा हूँ। यदि हिज एक्सलन्सी यह उचित समझत ह कि म उनसे आकर भेंट करूँ तो यह प्रस्ताव उस समयतकक लिए स्थगित किया जा सकता है या कार्यान्वित होनेसे इस आशासे साथ रोका जा सकता ह कि चर्चाके परिणाम स्वरूप अन्तत इसे त्याग ही दिया जायगा। मेरा अपना विचार भी यही ह कि हिज एक्सलन्सी और मेरे बीचका यह पत्र-व्यवहार गम्भीर रूपस महत्त्वपूर्ण ह और इसक प्रकाशनमें विलम्ब नहीं होना चाहिए। अत म अपना तार आपका उत्तर यह तार तथा काग्रेस समितिका प्रस्ताव प्रकाशनार्थ भज रहा हूँ।

कार्यसमितिके प्रस्तावमें कहा गया था जहाँतक पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी बात ह शासनकी अपनी सूचनाओंसे यह प्रकट होता ह कि न तो अध्यादेशोंकी घोषणाके लिए और न खान अब्दुल गफ्फार खाँ तथा उनके सहकर्मियोंकी गिरफ्तारी और बिना अभियोग चलाये उनक कारावासके लिए कोई अधिकार-पत्र (वारन्ट) था। कार्यसमिति प्रान्तमें निर्मम तथा निर्दय लोगोंपर गोली चलाना स्वच्छाचारी

अमानवीय कार्य मानती है और सीमाप्रान्तके वीर लोगोको उनके इस साहस और धैर्यपर बधाई देती है । कार्य-समितिको इसमे सन्देह नही है कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी वीर जनताने यदि अधिकसे अधिक उत्तेजित किये जानेपर भी अपनी अहिंसाकी भावनाको बनाये रखा तो उसका लहू और तकलीफे निश्चय ही भारत-की स्वतन्त्रताके लक्ष्यको आगे ले जायँगी । कार्यसमिति भारतकी सरकारसे यह माग करती है कि वह उन कारणोकी खोजके लिए एक निष्पक्ष सार्वजनिक जॉच बिठाये जिनके कारण उसे अध्यादेश तथा उसके अन्तर्गत बहुतसे कानूनोकी घोषणा करनी पडी तथा उसे कानूनके सामान्य न्यायालयो और विधानकी सारी मशी-नरीको अध्यादेशोके पीछे कर देनेकी आवश्यकता पड गयी ।''

कार्यसमितिकी रायमे, 'इन कानूनो, अन्य प्रान्तोमे लागू अपेक्षाकृत कम गम्भीर कानूनो तथा वाइसरायके तारसे अब यह सम्भव नही रहा है कि काग्रेस सरकारको आगे अपना सहयोग दे, यदि सरकार अपनी नीति ही मूल रूपसे न बदल दे ।' प्रस्तावमे आगे कहा गया था कि 'काग्रेसकी मागोको दृष्टिमे रखते हुए प्रधान मत्रीकी घोषणाएँ पूरी तरहसे असंतोपजनक और अपर्याप्त है । सरकारकी ओरसे कोई सतोषप्रद उत्तर न मिलनेके कारण कांग्रेसकी कार्यसमिति सविनय आज्ञा-भगके हेतु राष्ट्रका आह्वान करती है । वह विश्वके स्वाधीन लोगोसे यह अपील भी करती है कि वे भारतके संघर्षकी ओर ध्यानसे देखे; इस विश्वासके साथ कि काग्रेस जिस अहिंसात्मक पद्धतिको अपना रही है उसका एक विश्व-व्यापी महत्त्व है । यदि यह प्रणाली इस प्रयोगमे सफल हुई तो यह भी सम्भव है कि यह भविष्यमे एक प्रभावशाली और नैतिकतापूर्ण तरीकेके रूपमे युद्धकी जगह ले ले ।'

वाइसरायके निजी सचिवने २ जनवरी सन् १९३२ को अपने एक तारमे गाधीजीको लिखा

''हिज एक्सलैन्सी और उनकी सरकार बडी कठिनाईसे इस बातका विश्वास कर पा रही है कि आपका तथा कार्यसमितिका यह विचार है कि सविनय अवज्ञा-की धमकियोसे हिज एक्सलैन्सी आपको मुलाकातके लिए बुलायेगे और उस भेटके कुछ लाभकारी परिणाम निकलेगे । कांग्रेसने जिस मार्गको ग्रहण करनेका अपना इरादा घोपित किया है, उसके जो भी परिणाम होगे, उनके लिए तथा सरकार उसका सामना करनेके लिए जो भी आवश्यक उपाय अपनायेगी उनके लिए भी आप तथा काग्रेस उत्तरदायी होगे ।''

गाधीजीने इसका उत्तर दिया, ''यह तो समय ही बतलायेगा कि किसका पक्ष

न्यायसंगत था। मैं सरकारको यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि संघर्ष कालमें कांग्रेसकी ओरसे जो भी प्रयत्न किये जायेंगे उनमसे कोई द्वेष भावसे प्रेरित होकर नहीं किया जायगा और उनमें अहिंसाका कड़ाईके साथ पालन होगा।"

४ जनवरी १९३२ को बहुत सबेरे गांधीजीको गिरफ्तार कर लिया गया और यरवदा जेल ले जाया गया जहाँ कि उनको अनिश्चित अवधिके लिए नजर बन्द कर दिया गया, जबतक सरकारकी इच्छा हो तबतकके लिए।'

गांधीजीको यह मालूम नहीं था कि वल्लभभाई पटेलकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है अत उन्होंने सरदारके पास यह संदेश भिजवाया और उसे प्रसारित करनेको कहा ईश्वरकी दया अनन्त है। कृपया जनतासे यह कह दीजिए कि वह सत्य और अहिंसासे विचलित न हो और स्वराज्यप्राप्तिके लिए अपने जीवन तथा अपने सर्वस्वको अर्पित करनेमें तनिक भी न झिझके।

अंग्रेज लोगोंके लिए उन्होंने मि० वैरियर एल्विनके द्वारा यह सन्देश प्रसारित कराया अपने देशवासियोंसे कहिए कि मैं उन्हें उतना ही प्रेम करता हूँ जितना कि अपने देशवालोंको। मैंने घृणा और ईर्ष्यासे प्रेरित होकर उनके साथ कभी कोई व्यवहार नहीं किया और ईश्वरने चाहा तो भविष्यमें भी नहीं करूँगा। मैं उनके साथ उससे अलग व्यवहार नहीं कर रहा हूँ जो इन्हीं परिस्थितियोंमें मैंने अपने आत्मीयों और परिचितोंके साथ किया है।

गिरफ्तारीके बाद गांधीजी महादेव देसाईके लिए शीघ्रतामें कुछ आदेश छोड़ गये थे। उनमेंसे एकमें वेरियर एल्विन साहबसे यह निवेदन किया गया था कि वे स्वयं पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें जायें और यह देखें कि वास्तवमें वहाँ क्या घटनाएँ घटी हैं? खुदाई खिदमतगार आन्दोलनके कठोर दमनके सम्बन्धमें बम्बईमें जो समाचार छनकर मिल रहे थे वे भी बड़ी चिन्ता उत्पन्न कर रहे थे। किसी भी पत्रकारको वहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा था। समाचारपत्रोंमें वहाँके जो विवरण छप रहे थे उनको बड़ी कड़ाईसे छान-बीन कर सेंसर प्रकाशित होने दिया जाता था। फलस्वरूप जनता यह जाननेको बड़ा व्यग्र हो उठा था कि पठानोंके भाग्यमें क्या है? एल्विन साहब पहले मर्दानमें आता थे जिन्होंने वहाँ प्रवेश किया और वहाँकी स्थितिका विस्तार सहित विवरण लिया। उनकी यह रिपोर्ट विश्वभरमें प्रसारित हुई परन्तु भारतमें उसपर तुरन्त ही प्रतिबन्ध लगा दिया गया।

देवदास गांधीने दिनांक ७ जनवरी १९३२ को अपना एक प्रेस विज्ञप्तिमें कहा, 'मेरे पिताकी इच्छा यह थी कि मैं समग्र भारतका भ्रमण करके अहिंसक पठानों

को आदर एव सम्मान अर्पित करनेके लिए जितने शीघ्र हो सके मै सीमाप्रान्त जाऊँ। पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमे हमारे साथी शासनकी प्रतिरोधी नीतिके विरुद्ध एक वडी अहिंसक लडाईमे लगे हुए है। वे सरलतासे घवरायेंगे नही और न त्रस्त होकर घुटने टेकेंगे। जितना भी मैने उन्हे देखा है, उसके आधारपर मै यह कह सकता हूँ कि उनमे कष्ट झेलने और त्याग करनेकी अपार क्षमता है। अव उस प्रान्तमे नेता या किसी प्रभावशाली कार्यकर्त्ताको वाहर नही रखा गया है फिर भी हम समाचार-पत्रोमे नित्य चीफ कमिश्नरके जो वक्तव्य पढते है वे स्वयमे नेताविहीन खुदाई खिदमतगारोके अनुशासन और अहिसासे पूर्ण साहसकी अप्रत्यक्ष स्वीकृतियाँ होती है। मुझे आशा है कि उनके कष्टोके प्रति भारतभरके मुसलमानोकी सहानुभूति होगी। यदि मुझे सीमाप्रान्तमे जाने दिया जाय तो मेरा पहला कार्य यह होगा कि वहाँ जो गोलीकाण्ड हुए है, उनकी जाँच करूँ। लेकिन मै जानता हूँ कि मुझे रोक लिया जायगा या गिरफ्तार कर लिया जायगा।'

देवदासकी सहायतासे मि० वैरियर एल्विन पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमे गये और उन्होने अपने बीस पृष्ठके विवरणमे लिखा :

"जिस दिन महात्मा गाधीकी गिरफ्तारी हुई, उसी दिन शामको मुझे उनका सन्देशा मिला। उसमे उन्होने अपनी यह इच्छा प्रकट की थी कि कोई अंग्रेज पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमे जाय और वहाँकी घटनाओको देखकर वतलाये कि वास्तवमे वहाँ क्या हो रहा है ? हम लोगोका खयाल यह था कि मुझे उस प्रदेश-मे प्रवेश नही करने दिया जायगा। इसलिए मैने किन्ही अन्य सज्जनको खोजने-का प्रयत्न किया परन्तु मुझको सफलता नही मिली। तब मैने स्वयं ही सीमाप्रान्त जानेका निश्चय कर लिया। मैने अपने साथ भाई शामरावको ले लिया। उनसे मुझे सूचनाएँ एकत्र करनेमे वडी सहायता मिली। दौरेकी सारी व्यवस्थाको उन्होने सँभाला। मै छिपकर नही गया। मैने अपना नाम भी नही वदला। इतना अवश्य था कि सामान्यतया मै कमीज और धोती पहना करता हूँ परन्तु वहाँ मै अंग्रेजी पोशाकमे गया। पेशावर पहुँचते ही मै एक मोटर गाडी लेकर शहरमे एक दूकानदारके यहाँ चला गया। उसने सव ओर मेरा यह प्रभाव जमा दिया कि मै एक अंग्रेज व्यापारी हूँ और अपने विश्वासपात्र वावूको लेकर व्यवसायके सिलसिलेमे पेशावर आया हूँ। यह प्रभाव मेरे लिए भी लाभप्रद सिद्ध हुआ। दूकानदार अत्यधिक भयभीत था, इसलिए नही कि वह मेरे ऊपर भरोसा नही करता था वल्कि इसलिए कि महात्मा गाधीसे सम्वन्धित व्यक्तिसे वात करनेतकमे

सतरा था । मेरी उपस्थितिने एक भय उत्पन्न कर दिया जो कि उन दिनों चल रहे दमनकी शक्तिको सूचित करनेवाला एक प्रमाण-पत्र कहा जा सकता है ।

'मैंने वहाँ जाते ही सूचनाएँ एकत्र करनी प्रारम्भ कर दी । फिर मैं छावनीके एक होटलमें चला गया और होटलसे डाक-बंगलेमें जहाँ कि मैंने पुलिसकी जानकारीके लिए अपने सम्बन्धमें एक कागजकी खानापूरी की । इसमें सारे तथ्य सत्य दिये गये थे । मैंने पहले दो दिन पेशावर शहरमें ही बिताये । इन दिनोंमें मैंने दूकानदारों वकीलों विद्यार्थियों, लाल कुर्ती दलवालों तथा अन्य प्रत्यक्ष साक्षियोंसे मुलाकात की । लोगोंको विश्वास दिलाकर उनसे तथ्योंकी जानकारी प्राप्त करना वास्तवमें बहुत कठिन काम था । कुछ लोग मुझसे पीछेके दरवाजेसे चोरीसे मिलने आते थे । कुछ लोग केवल रातमें ही आते थे । कुछ घरोंके भीतरी कमरोंमें मिलते थे जहाँ प्रकाश मन्द होता था । तीसरे दिन मैं होगारा मरदान चारसद्दा और उत्मानजई गया जहाँ कि दमन अपनी चरम सीमापर है । मैं बलाह मगर दुगई आदि गावोंमें भी गया और मैंने गाँववालोंसे बहुत-सी बातें कीं । चौथे दिन हम लोग कोहाट गये और अत्यन्त कठिनाईके होते हुए भी मैंने वहाँ गोलीकाण्डका पूरा विवरण प्राप्त कर लिया । लोग इतना डर गये थे कि कस्बेका एक प्रमुख व्यक्ति देहातकी ओर दूरतक टहलता हुआ गया और सड़कपर उस जगह जहाँ बिलकुल सुनसान पड़ता था हमारी मोटर-कारके पास आया । मुझे सूचना देनेके लिए वह मुश्किलसे इतना साहस जुटा सका । पाँचवें दिन हम लोग खैबर दर्रा गये । हम वहाँ लिण्डी कोतलसे लेकर जितरातक पैदल चले । हमें रास्तेमें कई जगह गोली चलनेकी आवाज सुनाई दी । मेरे पूछनेपर मेरे मार्गदर्शकने लापरवाहीसे कहा कुछ नहीं परिवारोंके झगड़े हैं । हम अफरीदियोंके कुछ गाँवोंमें गये और उनके साथ स्थितिपर विचार किया । बादमें मुझे मालूम हुआ कि उन दिनों पुलिस मेरी खोज कर रही थी । मैं उससे कैसे बच गया यह एक रहस्य ही है । खैबर दर्रेकी ओर जानेसे पहले मैंने डिप्टी-कमिश्नरको एक महत्वपूर्ण तथा सीधा सादा पत्र लिखा जिसमें मैंने उनको बतलाया कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ । मैंने उनसे उनकी भेंट करनेकी अनुमति माँगी ताकि मैं अधिकारियोंके विचारोंको भी जान सकूँ और एक निष्पक्ष तथा सन्तुलित विवरण उपस्थित कर सकूँ । अपने उत्तरमें उन्होंने मुझसे मिलनेसे स्पष्ट इनकार कर दिया भले ही मेरा कुछ भी हेतु हो । इतना ही नहीं उन्होंने मुझे लिखा कि मुझे सबके सामने गिरफ्तार कर लिया जायगा मेरे सामानकी तलाशी ली जायगी और मुझे पुलिसके पहरेमें प्रान्तसे बाहर निकाल दिया जायगा । उन्होंने जिस ट्रेन और जिसका अपने पत्रमें उल्लेख

किया था, वे मेरे लिए सबसे अधिक असुविधाजनक थे। कुछ भी हो, पेशावरके अपने दो दिनके प्रवासमे मैने आधे दर्जन अधिकारियो और सिविलियनोसे मिलकर उनके विचारोको जाना। इसलिए मै इस बातका दावा कर सकता हूँ कि भले ही मै अति अल्प समयतक रुक पाया परन्तु मैने प्रत्येक वर्गके लोगोके विचार जान लिये—शहरवाले, गाँववाले, कांग्रेसजन, सिविलियन और अधिकारी। मै अपने विवरणके सम्बन्धमे यह दावा नही कर सकता कि इसमे भ्रान्ति नही हो सकती। इस बातको सभी लोग जानते है कि मेरी सहानुभूति कांग्रेसके प्रति है फिर भी मै एक अंग्रेज हूँ और मे यह कभी न चाहूँगा कि मेरी अपनी जातिके लोगोको तिरस्कारकी दृष्टिसे देखा जाय। मैने इस बातका पूरा प्रयत्न किया है कि अधिकारी वर्गके विचारो और तर्कोपर भी पूरी तरहसे अपना ध्यान केन्द्रित करूँ। मैने लोकप्रिय आन्दोलनके दोषोको भी छिपानेका प्रयत्न नही किया है। वस्तुस्थिति यह है कि स्थानीय अधिकारियोतकने 'दमन' के तथ्योको पूर्ण रूपसे स्वीकार किया है। उसके ऊपर उन्हे लज्जा नही है। वे कहते है, 'यह सीमाप्रान्त है। आप लोग, नीचेके प्रदेशोमे रहनेवाले लोग इन सब बातोको न समझ सकेगे।' परन्तु नीचे रहनेवाले लोग यह भली भाँति समझते है कि मनुष्यता समान है, चाहे सीमाप्रान्त हो या बम्बई।

"इस प्रदेशकी राष्ट्रीय प्रवृत्तियोके सूत्र खान अब्दुल गफ्फार खाँके नामके साथ जुडे हुए है। इस भव्यता और शौर्यसे परिपूर्ण आकृतिने पठानोके मनकी कल्पनाओको अपने वशमे किया है। खान अब्दुल गफ्फार खॉ एक महान् व्यक्ति है—शरीरसे महान्, हृदयसे महान्, समृद्धिसे महान् और अब अपने आत्मिक विचारोसे महान्—जिनके जीवनका गाधीजीके जीवनसे सादृश्य है। उनके सम्बन्धमे आपको भिन्न-भिन्न प्रकारके मत सुननेको मिलेगे। दिल्लीमे एक अफसरने उनका जिक्र आनेपर मुझसे कहा, 'वह पुराना दुष्ट!' सीमा-पारके एक छोटेसे गाँवकी गढीमे एक अफरीदीने मुझसे कहा, 'वह, वह तो किसी भी कामका नही है। वह तो गोलीतक नही चला सकता', एक अंग्रेज महिलाने, जो उनके परिवारमे आठ वर्षतक रही थी, उनके सम्बन्धमे अपना मत व्यक्त किया, 'वे तो ईसा मसीह है।' मि० बर्नेज अपनी पुस्तक 'नैकेड फकीर' मे लिखते है, 'खान अब्दुल गफ्फार खाँ एक कृपालु एव सज्जन पुरुष है, बल्कि प्रेम करने योग्य व्यक्ति है। उनका नाम सामान्य रूपसे 'महात्मा' के नामके साथ लिया जाता है लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खाँके भाषण महात्माजीकी अपेक्षा उग्र होते है। महात्माजीमे शत्रुओके हृदयको जीतनेकी शक्ति है, वह भी उनमें नही है। वे अत्यंत कुशल संगठनकर्त्ता

जाते हैं। तब सेनाके सिपाही रातके समय उस गाँवपर आक्रमण करते हैं जहाँके वे स्वयंसेवक रहनेवाले होते हैं। सामान्यतया सेनाके ये दल तडके तीन बजे गाँवमे पहुँच जाते हैं और उसे सब ओरसे घेर लेते हैं। इसके बाद गाँवके मुखिया लोगोको बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे खुदाई खिदमतगारोको उपस्थित करें। इससे इनकार करनेपर उनको पीटा जाता है। यदि गाँवमें कोई लाल कुर्तीवाले मिल गये तो उनको पकड लिया जाता है, निर्दयतासे पीटा जाता है और उनकी वर्दी उतारकर जला दी जाती है। स्थानीय (पेशावरका) काग्रेस कार्यालय जलाकर राख कर दिया गया। शायद काग्रेससे सहानुभूति होनेके अपराधमे सारे गाँवपर सामूहिक जुर्माना कर दिया गया अथवा उसके निवासियोपर भू-राजस्व कर बकाया था, इसलिए जुर्माना किया गया। इस मामलेमे पुलिसने घरोपर छापा मारा और उसे जो कुछ भी मिला, उसे उठाकर ले गयी। कई ऐसे मामलोका भी पता चला जिनमे पुलिसके लोग भीतर जनानेमे घुस गये। उन्होने स्त्रियोके साथ अभद्र व्यवहार किया और उनके गहने तथा जवाहरात उतरवाकर ले गये। सेनाकी दौड तो गाँववालोके लिए एक भयावनी वस्तु बन गयी है। उनकी नीद सुरक्षित नही रही, पता नही रातमे कब जगा दिये जायँ? कोई आदमी अपनेको सुरक्षित नही समझ रहा है, भले ही वह स्वयं निर्दोष हो किन्तु उसके किसी सम्बन्धीके अपराधके लिए उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। बहुधा जमीदारोको अपने यहाँ 'स्पेशल पुलिस' रखनेको कहा जाता है। यदि वह इस आदेशकी अवहेलना करता है तो उसे कारागार भेजा जा सकता है। एक गाँवमे लाल कुर्ती दलके एक अधिकारीके भाईसे यह कहा गया कि पचीस पुलिसवालोको अपने यहाँ ठहराये और उनका भार वहन करे। असमर्थता प्रकट करनेपर उसे जेल भेज दिया गया। अनेक सत्याग्रहियोने अपने आपको स्वयं गिरफ्तार करा दिया। उन लोगोकी संख्या इतनी बढ गयी कि सरकारके लिए उनको जेलोमे स्थान दे सकना सम्भव नही रहा है इसलिए उसने लदनकी मैट्रोपोलिटन पुलिसका तरीका अपनानेका निश्चय किया है। धरना देनेवाले सत्याग्रहियोसे कहा जाता है, 'चलते रहो।' यदि वे लोग हटनेसे इनकार करते है तो उनको पीटा जाता है। पेशावर शहरमे इस कामके लिए अधिकतर लाठीको काममें लाया जाता है। लंदनकी पुलिसकी भाँति यह 'चलते रहो' न तो कर्णप्रिय है और न मित्र भावसे दिया गया आदेश है। लोगोको बडी निर्ममतासे मारा जाता है। पुलिसके एक सिपाहीने मुझसे कहा कि लाठियोकी यह मार बरसातकी झडीकी तरह चलती है। एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी-

था यहना ह 'इतनी मार तो एक गधा भी नही सह सकता।' धरना न्हमार बहुधा इस मारसे सज्ञाहीन होकर गिर पड़ते ह और उनके मित्र उनको उठाकर ले जाते ह। इस सम्बन्धमें गाँवोंकी दशा तो और भी गम्भीर ह। पुलिसने साधारण रूपसे यह तरीका अपनाया ह कि वह किसी आदमीको मारकर गिरा देनेके बाद तालाब या नदीके ठण्डे पानीमें फेंक देती ह। मरदानमें मन एक विलक्षण घटना सुनी। नदीके किनारे बसे हुए एक छोटेसे गाँवकी बात ह जिसे हिन्दूकुशकी पर्वत-शृखलाएँ चारो ओरसे किसी मनोरम स्वप्न-सा घेरे ह। वहाँ कब्रिस्तानकी निकटवर्ती मस्जिदमे एक सार्वजनिक सभा होनेवाली थी। सिपाहियान आकर लोगोंको वहाँसे चले जानेकी आज्ञा दी। उन लोगोने उत्तर दिया कि वे वहाँसे चले जायगे लेकिन इससे पहले वे अपनी नमाज पढ लेना चाहते ह। व ज्यो ही नमाज पढनेको झुके त्यो ही पीछेसे उनके ऊपर लाठिया पड़ने लगी। फिर पुलिसने उन लोगोंको घसीटकर मस्जिदमेंसे बाहर निकाला और ले जाकर नदीमें फेंक दिया।

यहा सेनाके प्रदर्शन द्वारा गाँववालोंको भयभीत करनेका भी एक प्रयास हुआ। रायल एयर फोर्स द्वारा हवाई प्रदर्शन भी किये गये। स्थल सेनाने गाँवो और कस्बोमें होकर कूच किया। काग्रेसके विरुद्ध आग्रहपूर्वक प्रचार-कार्य चलाया गया। दूरवर्ती गावोंके ऊपरसे हवाई जहाज उडे और उन्होंने पर्चियां गिरायी जिनमे काग्रेस की निंदा की गयी थी।

'मैं पठानोंकी मनोवृत्तिके सम्बन्धमें पहलेसे ही बतला चुका हू कि वे तिरस्कार या अपमानके लिए हद दर्जेके सवेदनशील होते ह। इन्ही पठानोने अहिंसाकी सच्ची भावनासे प्रेरित होकर जो कुछ सहा उसकी बहुतसी कहानियाँ मुझको प्रत्यक्षदर्शियोंसे सुननेको मिली। स्वयसेवकोंके साफे कमीजें और जूते उतरवा लिये गये और केवल पाजामा पहने हुए उनके दलको फौजने पेशावर शहरके बीचमेंसे निकाला। उत्मानजई गाँवमें यह हुक्म दे दिया गया ह कि कोई भी अंग्रेज इधरसे होकर निकले तो उसे सलाम किया जाय। जो कोई ऐसा नही करेगा उसे पीटा जायगा। एक अन्य गाँवमें पुलिसके एक सिपाहीने मुझको बतलाया सेनावाले लोगोंसे पैसे उगाहते हैं जैसे वे कोई मुगल हो। वे हर एक गाँववालेसे एक रुपया आठ आना वसूल करते ह और जिसके पास देनेको नही होता उससे कहते ह यदि तुम्हारे पास नही ह तो अपनी स्त्रियोको कमानेको भेजो।' एक अन्य स्थानपर पुलिसने लाल कुर्तीवालोंको इस बातके लिए विवश कर दिया कि वे एक दूसरेको मारें-पीटें और इस प्रकार उन्हें सारे गाँवके ठट्ठेका

पात्र बनानेकी चेष्टा की गयी।

"विशेष रूपसे यही वे तरीके थे जिनसे कि सरकारने लाल कुर्तीवालोके आन्दोलनका दमन करनेका प्रयत्न किया। उसने उनके साथ जो उग्रतापूर्ण आचरण किया, उसके दोषसे मुक्त होनेके लिए क्या सरकारके पास कोई न्यायोचित उत्तर है? यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है, जिसकी ओर हम सबका ध्यान आकृष्ट होना चाहिए। प्रत्येक लाल कुर्तीधारी अहिंसावादी रहनेके लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। आन्दोलनके नेताओंने अहिंसाके प्रति सदैव निष्ठावान् रहनेकी शिक्षा दी है। अफरीदी इन लोगोको अहिंसावादी होनेके कारण हेय दृष्टिसे देखते हैं। प्रत्यक्षदर्शियोने मुझे बतलाया कि किस अद्‌भुत धैर्य और साहससे इन लोगोने लाठियोके वारोका ही नही, बन्दूकोकी गोलियोको भी झेला है?

"उत्तरकी भव्य पर्वत-शृखलाके नीचे बसे हुए एक छोटेसे गॉवमे मैंने ग्रामीणोके झुण्डसे बातचीत की। उन प्रतापी पुरुपोकी देह—अंग-अग साचेमे ढले से लगते थे। नेत्रोमे स्नेह-भाव था।

"अब आगे क्या होगा?" मैने पूछा।

"कह सकना कठिन है।" वे बोले, "हम लोगोसे जो कुछ भी हो सकेगा, करेंगे, यहाँतक कि अपनी जान भी देनी पडे तो उसे देगे लेकिन इस जुलमको चुपचाप सहते रहना बहुत कठिन है।"

"लेकिन हिंसा क्या आपको मदद देगी?"

"निश्चित रूपसे नही।"

"तब क्या आप अहिंसामे विश्वास करते है?"

"पूरी तरहसे।"

"सारा संसार इस बातको भली भाँति जानता है कि विगत दो वर्षमे खान अब्दुल गफ्फार खाँकी शिक्षाके फलस्वरूप इन लोगोके अहिंसात्मक युद्ध सम्बन्धी ज्ञानने कितनी अधिक प्रगति की है।

"इसकी विपरीत दिशामे इस बातके भी स्पष्ट प्रमाण प्राप्त होते है कि यह शिक्षा हिंसाकी भावनाके भूतको गॉवोमेंसे हटानेमे अभी पूर्ण रूपसे सफल नही हुई है। जैसा कि पहले हुआ करता था, पुलिसके उन अधिकारियोका, जो जिलेमे अकेले जाते है, अपमान किया जाता है। उनके प्रति अशिष्ट व्यवहार होता है। कभी-कभी उनकी मोटरोपर पत्थर और कीचड फेंका जाता है। उनकी ओर देखकर बच्चे घूरते है। बहुधा पुलिसके साथ अत्यत उग्र, दुर्व्यवहार किया जाता है। यद्यपि अफरीदियोके साथ कोई विधिवत् सन्धि नही है, परन्तु सीमाके निकट-

के कुछ गांवाके लोगाने कबाइलियाकी उस समय भोजन देकर तथा अन्य सब प्रकारसे सहायता की, जब कि वे गत वर्ष अंग्रेजासे लड रहे थे।

'कई स्थानामें वास्तवमें उपद्रव किया गया है। कोहाटमें कांग्रेसजनोंने यह स्वीकार किया कि लाठी प्रहारके पश्चात जनताकी ओरसे जो ईंटाके टुकडे और पत्थरके रोडे चलाये गये उन्होंने सेनाको गोली चलानेके लिए उत्तेजना दी। जान पडता है कि तहकाल पयानमें भी जनताके द्वारा थोडा-बहुत पथराव किया गया। यहां एक ऐसी घटना भी सुननेको मिली जिसमें स्त्रियां द्वारा पुलिसपर पत्थर बरसाये गये।

फिर भी इस प्रकारकी घटनाएं बहुत कम हुई है और उनके आधारपर शासनकी आतंक फैलानेकी उस नीतिको दोषमुक्त नहीं किया जा सकता जिसकी कि यहांके अधिकारियोंने शुरुआत की है। पठानोंके लिए अहिंसा एक सर्वथा नवीन विचार है। सब लाल कुर्तीवाले संत भी नहीं है। यदि उनमेंसे थोडेसे ऐसे लोग भी हो जिन्होंने अबतक अहिंसाके सिद्धान्तको पूर्ण रूपसे आत्मसात न कर पाया हो तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। मेरे इस कथनका अभिप्राय यह नहीं है कि हिंसाको न्यायपूर्ण ठहराया जाय। यह केवल उसी स्थितिको स्पष्ट रूपसे समझाना है।

दूसरी ओर नियम और व्यवस्थाको स्थिर रखनेके लिए जितना अनिवार्य या आवश्यक है क्या पुलिस उससे अधिक उग्र उपायोंका प्रयोग नहीं करती? इसके उत्तरमें जोरके साथ 'हां' कहा जा सकता है क्योंकि कुछ भी हो अधिकारियोंका लक्ष्य केवल नियम और व्यवस्थाको बनाये रखना ही तो नहीं है। वह पूरे आन्दोलनको कुचल देना भी है। एक अधिकारीने मुझसे कहा, लाल कुर्तीवालोंका यह धंधा अब नष्ट हो ही जाना चाहिए। हम भी इस सिलसिलेका पूरा निश्चय कर चुके है। फौजके कारण भी इतनी अधिक ज्यादतियां हो रही है। वह पुलिसको अधिक उग्र हिंसात्मक उपाय अपनानेके लिए उकसाता है। उसके सैनिक स्वयं भी अपनी राइफलोंके कुन्दोंसे स्वयंसेवकोंमात्र करते है जिससे मृत्यु भी हो सकती है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जो अत्यंत विश्वस्त सूत्रोंसे प्राप्त हुए है। चारसद्दामें कांग्रेसियोंके ऊपर घसीटनेका प्रयोग किया गया। सत्याग्रहियोंको बुरी तरहसे पीटा गया और फिर उनको पुलिस स्टेशनके सामने ले जाया गया। इसके पश्चात उनसे दस गालियां सुननेको कहा कि वे घसीटे जाना स्वीकार करें। उन्होंने इस बातको स्पष्ट रूपसे इनकार किया और उनको फिर पीटा गया। इसके बाद उन्हें यह आज्ञा दी गया कि खान अब्दुल गफ्फार खांके

लिए अपशब्द कहकर उनका अपमान करें। सत्याग्रहियोके पुन इनकार करनेपर उनको तीसरी वार पीटा गया। इसके पश्चात् उनके सिरोपर मिट्टीसे भरे तसले रख दिये और उनको घुड़सवारो द्वारा खदेडा गया। वे दौडते जाते थे और पुलिस के घुडसवार सारे रास्ते वन्दूकोके कुन्दोसे उनको मारते जाते थे।

"जेलोमे कैदो लोग वहुवा जुकामसे पीडित रहते है। गिरफ्तारीके समय अतिरिक्त पुलिस इनामके रूपमे उनसे उनके गर्म कपडे उतरवा लेती हे और उनके कम्वल भी ले लेती है। एक कारागारमे वन्दियोको चार दिनतक इसलिए कम खाने और एक कम्वलपर रखा गया कि अपनेको जेलके अनुशासनके अनुरूप ढाल लें। कई लोगोके मुँहसे यह वात सुननेमे आयी कि सामान्य रूपसे कैदियोके साथ यही व्यवहार किया जाता है। लेकिन मै समझता हूँ कि ऐसो वात नही होगी। परन्तु एक अत्यंत विश्वस्त सूत्रसे एक वडी भयानक घटना सुननेको मिली। कोहाट-के निकट लगभग १२० लाल कुर्तीवालोको जाडेकी ठिठरती रातमे, रातभर खुले स्थानमे रखा गया। उनको कुछ भी खाना नही दिया गया और उनके शरीर-परसे अधिकाश वस्त्र उतरवा लिये गये। सवेरे उनको माफी माँगनेका आदेश दिया गया और उनके इनेकारपर उनको निर्ममतासे पीटा गया। शीतसे उनके शरीर चेतनाशून्य हो चुके थे। पहाडियोकी ओरसे सवेरेकी तेज़, काटनेवाली-सी सर्द हवा आ रही थी। यह यत्रणा किसीके लिए भी असह्य है, आखिर उन्होने क्षमा माग ली। लेकिन जव आप समाचारपत्रोमे यह पढें कि लाल कुर्तीवालोकी ओरसे इतने क्षमा-पत्र भरे गये तो यह स्मरण रखे कि उन लोगोने माफी न मागने के लिए कुरानकी शपथ ली है और मात्र यंत्रणा जैसी ही किसी वस्तुने उन्हे विवश करके उनसे यह माफी खीच ली है। कई वार इन लोगोको उन नदियोके सर्द पानीमे गोते लगवाये गये जो वर्फीले पहाडोसे वहकर आती है। किसी आदमीका अगूठा पकडकर स्याहीसे गीला किया गया और उसे माफीनामापर हस्ताक्षरोके स्थानपर लगा दिया गया, ऐसी घटनाएँ भी वहुत वार हुई है।

"इन दिनो लाल कुर्तीवालोका आन्दोलन प्रच्छन्न रूपमे चल रहा है। उसकी भावना टूटी नही है, यहाँतक कि पूरा संगठन विस्मयकारी रूपमे अवतक जीवित है। केवल उसका मस्तिष्क उससे हटा दिया गया है और उसके आवागमनके साधन रोक दिये गये है। यो ऊपरसे वह विलकुल शान्त दिखलाई दे रहा है परंतु उसके भीतर रोषका एक उमड़ता हुआ ज्वार है। स्थिति शोचनीय है। सीमा-प्रान्तका सामान्य अंग्रेज कठोर और कल्पनाहीन है। वह पुराने भारतका प्रति-निधित्व कर रहा है, वह भी उसकी सवसे वुरी दशाका।

"मन यहाँ आकर जो देखा और सुना, उसका मुझपर यह प्रभाव पड़ा कि दमनके उपाय कभी सफल नहीं हो सकेंगे। केवल कुछ समयके लिए ही सरकार यहाँ मरघटकी शान्ति स्थापित करनेमें समर्थ हुई है। उसने समाजके कुछ अंगोंमें भयकी मनोवृत्ति उत्पन्न कर दी है और हमारे उत्तरके बहुसंख्यक भाइयों और बहनोंके जीवनको दुःखपूर्ण बना दिया है परन्तु वह उसकी भावनाको कुचल नहीं सकी है, कुचल सकेगी भी नहीं।

'अफरीदियोंने अबतक 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारेको नहीं त्यागा है। वे समझते हैं कि इन्किलाब नामका कोई जीता-जागता आदमी है, एक बहुत बड़ा नेता जो लोगोंको आजादीके मार्गपर लिये जा रहा है। एक अर्थमें यह सच भी है। नेताविहीन और संगठनहीन, कल्पनामें भी अधिक दमित शौर्यवान पठानोंने रक्तहीन क्रान्तिकी भावनाको ही अपना नेता मान लिया है। उसे कभी कुचला नहीं जा सकता। सत्य, धर्म, प्रेम और कष्टके द्वारा वह इन लोगोंको शीघ्र ही विजयकी ओर ले जायगा।'

राजनीतिक बन्दी

१९३२-३४

देशभरके प्रमुख कांग्रेसजन १० जनवरी १९३२ तक जेलके सीखचोंके भीतर पहुँच चुके थे। सरकार, जिसकी पतवार लन्दनमें सर सेमुअल होरके हाथोंमें थी और भारतमें लार्ड विलिंगडनके हाथोंमें, कोई अधूरा काम करनेके पक्षमें नहीं थी फलत. थोडे ही दिनोंमें अध्यादेशोंकी संख्या बढकर तेरहतक पहुँच गयी जिनको कि 'भारतके लिए राज्य सचिव (सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया) सर सेमुअलने अत्यंत तीक्ष्ण और कठोर बतलाया था। इन अध्यादेशोंने भारतीय जीवनकी प्राय प्रत्येक प्रवृत्तिको अपनी परिधिमें घेर लिया था। कांग्रेस, उसके सहयोगी तथा उससे सहानुभूति रखनेवाले सभी संगठन गैरकानूनी करार दे दिये गये। इनमें युवक संघ (यूथ लीग), विद्यार्थी मंडल, राष्ट्रीय विद्यालय तथा संस्थाएँ, कांग्रेस द्वारा संचालित चिकित्सालय, स्वदेशी दूकानें तथा पुस्तकालय सम्मिलित थे। इन सबकी सूची बहुत लम्बी थी और उसमें प्रत्येक प्रांतसे सैकडों नाम शामिल किये गये थे। प्रतिबन्धको तोड़नेके सिलसिलेमें लगभग सात हजार गिरफ्तारियाँ हुईं जिनमें दो सौ प्रमुख कांग्रेसी नेता भी थे। चर्चिल महोदयने अपने स्वाभाविक रूखेपनके साथ कहा कि 'गदरके बाद' भारतमें जिन अध्यादेशोंको लगानेकी आवश्यकता पडी है, उनमें ये सबसे शक्तिशाली हैं।

इन अध्यादेशोंमेंसे एक तो बहुत ही विचित्र था। उसकी विशेषता यह थी कि बालकोंके अपराधके लिए उनके माता-पिता और अभिभावक दंडित किये जा सकते थे। सम्पत्तिकी जब्ती, इस अवसरपर शासनकी नीतिका एक सामान्य लक्षण बन चुकी थी। इसका क्षेत्र बहुत लम्बा-चौडा था। इसमें संस्थाओं और व्यक्तियोंके घर, कार्यालय, मोटर-कारें और बैंकोंके खातोंमें एकत्रित रुपया, सभी कुछ सिमट आता था। ऐसा जान पड़ता था कि अधिकारियोंने जान-बूझकर यह नीति अपना ली थी कि राजनीतिक कैदियोंके साथ अपराधियोंसे भी बुरा व्यवहार किया जाय। जेलके समस्त अधिकारियोंके पास एक गोपनीय पत्रक भेज दिया गया था जिसमें इस बातपर बल दिया गया था कि सविनय अवज्ञाके कैदियोंके साथ कठोरता बरती जाय। कोडे लगाना एक साधारण दण्ड समझा जाता था। सर सेमुअल होरने 'हाउस ऑफ कामन्स'में स्पष्ट शब्दोंमें कह दिया कि 'इस

वारकी लडाई पीछे नही खीची जायगी।'

परन्तु कठोर दमनकारी उपाय भी भारतमें शांतिपूर्ण वातावरण बनाये रखनमें पर्याप्त सिद्ध नही हुए। बहिष्कार और सविनय आज्ञा भंग आन्दोलन चालू रहे और देशके भिन्न भिन्न भागोमें बल्वे, हडतालें और उपद्रव फूट पडे। पहले चार महीनामें लगभग ८०,००० गिरफ्तारियाँ हुई। जनता संघर्ष करती रही। परन्तु संघर्ष नेतृत्वहीन था। सविनय आज्ञा भंग करनेवालोकी सामान्य प्रवृत्तियाँ थी, सरकारके प्रतिबन्धके आदेशोको ताडकर सार्वजनिक सभाओ एवं जुलूसोका आयोजन। बहिष्कारका कार्य बहुत प्रभावशाली था और व्यापक भी—बैंक, बीमा-कम्पनियो सोने चाँदीके भावके बाजारोपर भी उसका असर था। उसके साथ ही साथ कर-बन्दीका आंदोलन भी चल रहा था।

प्रारम्भिक कालमें इस अभियानकी तीन मुख्य प्रवृत्तियाँ थी—धरना विदेशी वस्तुओ तथा संस्थाओका बहिष्कार और विशेष अवसरो तथा पर्वोंपर समारोहो का आयोजन। जनवरी और फरवरी मासमें स्वतन्त्रता दिवस गाधी दिवस और सीमान्त दिवस मुख्य रूपसे मनाये जाते थे।

गृह विभागकी एक गोपनीय फाइलमें लिखा गया पेशावर जिलेके भीतर या बाहर कांग्रेस अथवा लाल कुर्ती दलकी अन्य कोई ऐसी गतिविधि नही है जो उल्लेखनीय हो। फिर भी पेशावर जिलेकी मरदान और चारसद्दा तहसीलोमें और कुछ सीमान्त नौशेरा तहसीलमें लाल कुर्तीवालोको निर्वाचनके रूपमें एक ऐसा अवसर मिला जिसमें उन्होने अपनी दुष्टताका जो कि उनमें स्वभावत भरी है खुलकर प्रदर्शन किया। यह मौका माना उन्हीके लिए आकाशसे गिरा हो। यह आशा भी नही की जाती थी कि उनकी तैयारियाँ इतना व्यापक और इतने बडे पैमानेपर होगी। ७ अप्रैलको नौशेरा तहसीलमें मतदान हुआ। उस दिन मतदान केन्द्रोपर लाल कुर्तीवालोने धरना देनेका प्रयत्न किया। अन्त में मत प्रदान पच्चीस हुआ। इस अवसरपर दोस्तान भी महिलाए अपने सिरोपर कुरान रखे हुए नाटकीय ढंगसे प्रकट हुई। वे मतदाताओंको अपना मत न देनेको आग्रह कर रही थी। ११ अप्रैलको चारसद्दामें मतदान हुआ। वहाँ कई हजार लाल कुर्ती धारी एकत्र थे। समूचे मतदान केन्द्रमें बडी कठिनाई से कोई पहुँच पाता। दूसरे दिन मरदान तहसीलके स्थितिने अपना चरम सीमाको छू लिया। कडाईसे हो रहा मतदान बाधित हुआ और इलाकेमें विशाल प्रदर्शन हुए जिनमें अनुमानत १०,००० व्यक्तियों ने भाग लिया। १२ अप्रैलको मरदान और चारसद्दा तहसीलोमें बिल्कुल शान्ति है लेकिन यह सूचना मिली है कि स्थिति एकाएक बिगड़ सकती है क्योंकि...(illegible) आनेपर पेशावर

या उसके निकट विरोध प्रदर्शित किये जायँगे। इस दिशामे आवश्यक सावधानियाँ वरत ली गयी है।"

संशोधित सविधानके अनुसार पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तकी स्थिति वदली और वह गवर्नरका प्रान्त समझा गया। २० अप्रैल १९३२ को वाइसरायने अपने एक भाषणमे इस प्रान्तकी नवीन विधानपरिषद्का उद्घाटन किया। चीफ कमिश्नर-के स्थानपर गवर्नरकी नियुक्ति हुई और प्रदेशमे स्व-शासन घोषित किया गया। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी सर अब्दुल कैयूम, जिनका राजनीतिसे कभी कोई सम्बन्ध न था, इस प्रदेशके प्रथम मत्री वनाये गये।

सन् १९३२ मे श्री वर्ट्रेण्ड रसेलकी अध्यक्षतामे इंडिया लीगने भारतमे एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। उसने 'कण्डीशन इन इंडिया' (भारतमे स्थिति) शीर्षक अपना विवरण प्रस्तुत किया। इसमे कतिपय अध्याय पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तके सम्वन्धमे भी थे। विवरणमे कहा गया था "अधिकारी वर्गसे विस्तारसे चर्चा हुई। उनकी रायमे सन्धि एक गलती थी। इस सन्धिके कारण ही लाल कुर्ती दल काग्रेस सस्थाका एक अंग वन गया और उसने भी अहिंसाको अपनी नीतिके रूपमे स्वीकार कर लिया। यदि ऐसा न होता तो उसे पहले ही दवा दिया गया होता। सीमा-प्रान्तके अधिकारियोने प्रचार-पक्ष, स्वराज्य अथवा स्वाधीनताके विचार तथा जनताकी सगठन-शक्तिको काफी सीमातक अनदेखा किया, जव कि उसके मैदानके अन्य साथी प्रदेशोमे पिछले कई वर्षोसे ऐसी अनेक घटनाएँ हो रही थी। एक वहुत वडे सरकारी अधिकारीने मुझसे यहाँतक कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँकी वास्तविक योजना पख्तूनिस्तानका निर्माण है। वे भारतके स्वराज्यके हेतु यह कार्य नही कर रहे है।"

दूसरी ओर भारत सरकारने सव मुख्य सचिवो तथा चीफ कमिश्नरोको १६ जनवरी १९३२ को लिखा "यह विशेष महत्त्वकी वात है कि मुसलमानोसे वार्तालाप करते समय या किसी और प्रकारसे उन्हे यह वतला देना चाहिए कि लाल कुर्ती दल आन्दोलन मूल रूपसे कांग्रेसका आन्दोलन है।"

इडिया लीगकी रिपोर्टमे कहा गया था "सीमा-प्रान्तमे दमनकी कठोरताने एक युद्ध जैसा दृश्य उपस्थित कर दिया है। यद्यपि शासनकी ओरसे काफी शक्ति-प्रदर्शन हो रहा है फिर भी कोई अधिकारी यह दावा नही कर सकता कि आन्दो-लनको पूरी तरहसे दवा दिया गया है। अग्रेज अधिकारियोके आगे अहिंसाके सिद्धान्तका वडी कठोरताके साथ पालन किया जा रहा है जैसा कि इस आन्दोलन का नियम है, विशेष रूपसे इस क्षेत्रमे जहाँ कि शस्त्रास्त्र खुले ढगसे, सुलभतासे

दे देना भी आवश्यक समझा गया। जब चेतावनियोपर कोई ध्यान नही दिया गया तो कतिपय मोमन्द और शमोजई गाँवोके ऊपर बम गिराये गये। ११ और १२ मार्चको पुन. यह कार्यवाही की गयी और १२ मार्चको तरगज़ईके हाजीके मकानके ऊपर बम बरसाये गये। यह आवश्यक समझा गया कि अफरीदी तिराह-के ऊपर नित्य सैनिक-निरीक्षण जारी रहे।"

वायु निरस्त्रीकरण परिषद्के जेनेवाके पूर्ण अधिवेशनमे ब्रिटिश मंडलकी प्राय एक अस्पष्ट भूलके कारण सन् १९३३ मे पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त सहसा प्रकाशमे आ गया। जिस समय ब्रिटेनके प्रतिनिधि धारा ३४ मे एक प्रतिवाद जोड़नेके लिए खडे हुए उस समय सभी अन्य देशोके प्रतिनिधियोको आश्चर्य हुआ और शातिके प्रति निष्ठावान् व्यक्ति अत्यंत उद्विग्न हो उठे। इस धारामे हवाई जहाजसे बम बरसानेपर रोक लगानेका प्रस्ताव रखा गया था। ब्रिटिश प्रतिनिधि मि० एन्थॉनी ईडेन इस प्रस्तावके क्षेत्रसे 'सीमाके बाहरके कुछ जिलोको' निकाल देना चाहते थे। उन्होने ब्रिटेनकी ओरसे 'सीमाके बाहरके कुछ जिलोमे पुलिस कार्य; आरक्षणके लिए' एक निक्षेप वाक्यके द्वारा बम गिरानेकी छूट चाही। यद्यपि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तका नामसे उल्लेख नही किया गया फिर भी मि० एन्थोनी ईडेनने इसका समर्थन करते हुए अपने भाषणमे यह स्पष्ट कर दिया कि उस समय उनके मस्तिष्कमे पश्चिमोत्तर सीमाका चित्र था। उन्होने कहा

"संसारमे कुछ ऐसे भाग भी है जिनका आरक्षण-कार्य अपने ढंगकी एक अलग ही समस्या है। मेरा तात्पर्य उन पर्वतीय दुर्गम्य जिलोसे है जहाँ कि आबादी बहुत दूर-दूरपर है और जहाँकी जंगली सशस्त्र पहाडी जन-जातियोमे कभी-कभी अपने पडोसियोकी शातिको नष्ट करनेकी आवेशमय भूख जाग उठती है। यदि इस पद्धतिसे व्यवस्था न रखी जाय तो दूसरा रास्ता स्थलीय सेनाका उपयोग है। सामान्य रूपसे इसके लिए एक बहुत विशाल सेना चाहिए। जब कभी भी अशाति उत्पन्न होगी और व्यवस्थाको कायम करना आवश्यक होगा उस समय इन सैनिको-की सख्या अत्यधिक बढ जायगी—युद्धके कारण नही अपितु वहाँकी प्राकृतिक तथा अन्य स्थितियोके कारण। तात्पर्य यह कि इन क्षेत्रोकी समस्या स्पष्ट रूपसे पुलिसका आरक्षण कार्य है।"

जिस समय यह चौंका देनेवाला प्रस्ताव सामने आया तब उसपर पूरी तरहसे वाद-विवाद हुआ। जो लोग वहाँ उपस्थित थे उन सबके सामने यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि वस्तुत. अकेला ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल ही वायु निरस्त्रीकरण-के नियमसे छुटकारा चाहता है। पोलैण्ड, स्विट्ज़रलैण्ड, जर्मनी, नार्वे, चीन,

लिए यह खास सदमा हुआ है। इस समय स्थिति यह है कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने उनके परिवारको भत्ता देनेकी सिफारिश नहीं की है क्योंकि उनके तीन पुत्रोंमें जिनके नाम उनकी जायदाद सम्पत्ति लिख दी है, एक हजार रुपयोंसे भी अधिक मासिक आय है। जहाँतक उनकी पुत्रीका प्रश्न है, जब अपनी गिरफ्तारीसे पहले उन्होंने अपनी सम्पत्तिका उत्तराधिकार अपने पुत्रोंके नामपर कर दिया तो फिर सरकार ही इस मामलेमें क्या करे? अनुमान है कि उसके भाई उसको सहायता देते रहेंगे।'

सन् १९३४ के अन्तमें बिहार और उड़ीसा सरकारने भारत-सरकारको यह लिखा कि हजारीबाग जेलमें काफी दिनोंसे नजरबन्द रहनेके कारण उनका खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डॉ० खान साहबकी मानसिक स्थितिपर विपरीत प्रभाव पड़ा है। बिहार शासनने आगे भारत-सरकारको यह सुझाव दिया कि वह इस स्थितिपर विचार करे कि क्या इन दोनों भाइयोंकी नजरबन्दीकी जगह बदल देना ठीक होगा या उनकी रिहाई करनेके बाद उन्हें किसी ऐसे स्थानपर रखना जहाँ कि वे कोई हानि न पहुँचा सकें?

कारागारोंके महानिरीक्षक (इन्सपेक्टर जनरल आफ प्रिजन्स) ने खान बन्धुओंकी इन कठिनाइयोंको लिपिबद्ध किया :

उन्होंने कलकत्तासे बर्फमें दबाकर लायी गयी मछलियोंके लेनेपर आपत्ति की। जो फल बाहरसे यहाँ आते हैं वे बेस्वाद हो जाते हैं।

"बकरीका मांस उनको पसन्द नहीं है और भेंड़का मांस (मटन) बहुत ही खराब किस्मका आता है। गायका मांस खानेकी उनकी इच्छा नहीं होती। वास्तव में एक प्रकारसे उन्होंने मांस त्याग ही दिया है। कभी-कभी वे मुर्गी या उसके चूजोंका मांस ले लेते हैं।

'यहाँ ऐसा रसोइयाँ नहीं है जो उनको उनकी रुचिका भोजन पकाकर खिला सके। उन्होंने बिहारी नौकरोंको खाना बनाना सिखलाना चाहा लेकिन वे बुद्धिहीन सिद्ध हुए। डा० खान साहब अपने हाथसे जितना अच्छा भोजन वे बना सकते हैं बनाते हैं और यद्यपि वह बिहारके कैदी रसोइयोंसे अच्छा ही बनता है फिर भी वे स्वयं (डा० खान साहब) सीमाप्रान्तके भोजनके वे विभिन्न प्रकार नहीं पका पाते जिनका अपने घरपर खानेके वे आदी हैं।

'उन्होंने इस बातकी भी शिकायत की कि यहाँ तात्कालिक आवश्यकता पड़नेपर शल्य क्रिया और दाँतोंकी चिकित्साकी भी कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कई बार स्मरण दिलानेपर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और

इस विलम्बके कारण उनके दाँतोकी हालत वहुत विगड चुकी है ।

"डॉ० खान साहवने वतलाया कि उनके नैनी जेलके कैदी-नौकर वहुत चतुर थे । वे अपने विहारी कैदी-नौकरोकी होशियारीसे प्रभावित नही है । उनके आगे एक वहुत वडी कठिनाई यह भी है कि उनको घडी-घटेतक काटना कठिन हो रहा है । उनके दिवस वडे एकरसतामय तथा ऊव पैदा करनेवाले वन गये है । उनमे एक गहरी थकान-सी भर गयी है । वे तथा उनके भाई सोचते है और इस वातपर स्वयं आश्चर्य भी करते है कि आखिर उन्हे हो क्या गया है ? वे चाहते है कि भारत-सरकार उनके वारेमे एक नीति निर्धारित कर ले । फिर भले ही उनके भाग्यमे फासीपर चढना लिखा हो । डॉ० खान साहव फिर भी कुछ प्रसन्न-चित्त रहते है लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो वडे चिन्तित, आग्रही और किसी सीमातक चिडचिडे हो गये है । मुझे ऐसा लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नही रही है जैसी कि मैने उनकी २२ नवम्बर १९३३ को देखी थी । उन्होने अपने चित्तमे कुछ धारणाएँ जमा ली है जिनका इलाज हजारीवागमे नही है । यदि वे यहाँसे स्थानातरित कर दिये जाते है तो शायद हो सके, यद्यपि वे कहते यही है कि यदि उनकी कठिनाइयोको दूर कर दिया जाता है तो वे यहाँ भी वडी खुशीसे ठहर सकते हे । उन्होने यह कहा कि ये सव कठिनाइयाँ भारतके अन्य वहुतसे कारागारोमे नही है । इसके अतिरिक्त उन्होने एक वात और भी कही, वह यह कि उनके सम्वन्धियोके लिए रेलसे सीमाप्रान्तमे हजारीवागतक आना वहुत महँगा पडता है ।"

उन लोगोके व्यायाम तथा पुस्तक-अध्ययनके सम्वन्धमे हजारीवाग सेन्ट्रल जेलके अधीक्षकने लिखा 'इन लोगोको जेलके भीतर ही प्रात और सायकाल काफी दूरतक टहलनेकी सुविधा दी गयी है । इसके अतिरिक्त वे दोनो सब्जियाँ और फल (पपीता) उगानेमे अपना काफी समय व्यतीत करते है । लेकिन अव उनकी माग यह है कि उनके लिए टैनिसके खेलके साधन भी जुटाये जायँ । इस उद्देश्यके लिए वे चाहते है कि दो अन्य उपयुक्त साथी भी खोजे जायँ जो भीतरके तथा वाहरके मैदानके खेलो, जैसे व्रिज या टैनिसमे उनका साथ दे सके और उनको पूरी तरहसे व्यस्त रख सके । उनका सुझाव यह है कि यदि उनको कही वाहर नही भेजा जाता तो दो राजनीतिक वन्दी डॉ० खान साहवके पुत्र तथा काजी अतातुल्लाह खाँ, जो इन दिनो वनारस जेलमे है, यहीं लाकर उनके साथ रखे जायँ । इस सम्वन्धमे मै यह भी सूचित करना आवश्यक समझ रहा हूँ कि जेलके भीतर फिलहाल टैनिसका मैदान नही है ।

"उनको पुस्तकोंसे सतोष नहीं है। जेलके पुस्तकालयमें लगभग सात सौ पुस्तकें हैं जिनमें अधिकाश उपन्यास हैं। जो पुस्तकें पढ़ने योग्य है उनके लिए वे कहते है कि वे उनको पढ़ी हुई हैं। वे इतिहास, जीवन-चरित्र यात्रा विवरण, राजनीति और दर्शनकी और ऐसे ही विषयोंकी पुस्तकोंको पढ़ना पसन्द करते है। डिप्टी कमिश्नर द्वारा भी उनको समय-समयपर अच्छी पुस्तकें दी जाती है जिनमें चिकित्सा सम्बन्धी पत्र तथा अन्य मनोरजक पत्र-पत्रिकाएँ भी रहती है जैसे कि इण्टरनेशनल ज्योगरफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्र आदि। फिर भी मैं यह प्रयत्न करूँगा कि उन लोगोके लिए सेन्ट्रल लाइब्रेरी कलकत्तासे पुस्तकें मँगायी जा सकें।

"उनके विवादका यदि कोई अन्तिम विषय हो सकता है जिसपर वे सोचना चाहे तो यही कि सरकार उनके प्रति किसी प्रकारकी कठोरता नहीं बरतती सिवा इसके कि उनकी स्वतत्रताको प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उनको यह देखना चाहिए कि जिस तरह भी वे बन्दी है जेलके भीतर होते हुए भी उनको सभी प्रकारसे सतुष्ट और प्रसन्न रखा जा रहा है। दूसरी बात यह कि उनका सामान्य स्वास्थ्य न गिरे। उनकी शिकायतोंमें यत्र-तत्र थोड़ा-बहुत सार है परन्तु मुझको ऐसा लगता है कि उनमेंसे अधिकाश उनकी वर्तमान मानसिक दशासे उत्पन्न हुई है और इसलिए वे मुझको काल्पनिक ढगकी प्रतीत होती हैं। जैसा कि मैं समझा हूँ वास्तविक तथ्य यह है कि एक ही स्थानपर बहुत दिनोंतक रहनेसे उन दोनोंका मन इस जगहसे भर चुका है। इसलिए स्थान और वातावरणके परिवर्तन से उनकी वर्तमान मनोदशामें सम्भवतः सुधार होगा। मैं अभी थोड़े दिनोंसे उनकी प्रवृत्तिमें यह तबदीली देखी है कि वे बहुत आसानीसे उत्तेजित हो जाते है और तुच्छ बातोंमें भी वे उचित-अनुचितका ध्यान खो बैठते है और उनके मस्तिष्ककी धैर्यहीनता तथा बेचैनी भी धीरे-धीरे बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि जेलकी अपनी नजरबन्दीमें उनके सामने जो भी थोड़ी-बहुत कठिनाइयाँ आती हैं उनको अतिशयोक्तिके रूपमें देखनेकी उनकी मनोवृत्ति विकसित होती जा रही है।

"उनका कहना है कि उनको जेलमें रहते हुए दो वर्षसे भी अधिक अवधि बीत चुकी है लेकिन अबतक वे यह नहीं जानते कि उनका भविष्य क्या है इस लिए वे अब उनके अपने शब्दोंमें 'अपने स्वयके विषयमें उद्विग्न हो उठे हैं।' उनके स्नायु धीरे-धीरे दुर्बल होते जा रहे है। उनमें निश्चित रूपसे मानसिक ह्रासके चिह्न प्रकट होने लगे हैं इसलिए वे अपनी प्रतिष्ठा और स्वाभिमानको

ध्यान भी खोते जा रहे हैं जो कि उनमे पहले बहुत ऊँचे दर्जेके रहे हैं। जहाँतक मैं समझ सका हूँ, उनकी पारिवारिक परेशानियोने भी उनकी इस वर्तमान मनो-दशाको बढाया है।"

१ फरवरी १९३४ को डा० खान साहबके पुत्र ओवेदुल्ला खाँने मरदान जेलमें अनशनकी घोषणा कर दी। जिस स्थानपर उन्हे रखा गया था वह उनके स्वास्थ्यकी दृष्टिसे ठीक न था। सरकारसे वार-बार कहनेपर भी जब कोई ध्यान नही दिया गया, तब उन्होने यह कदम उठाया। उनका यह अनशन ७८ दिनों-तक चला। इस बीच सरकारने उनको जबरदस्ती खाना खिलाने (नलीसे दूध आदि पहुँचाने) की चेष्टा की लेकिन उसे सफलता नही मिली। ७८ दिनोंके पश्चात् उनको स्यालकोट जेलमें स्थानातरित कर दिया गया, जैसी कि उनकी माग थी और वहाँ वे अपनी रिहाईके दिन १८ अगस्ततकतक रहे।

दोनो खान बन्धु उन दिनो हजारीबागमे थे। वे समाचार-पत्रोमे यह देखते थे कि ओवेदुल्ला खाँका अनशन लम्बा खिचता जा रहा है। सरकारने उनको ओवेदुल्लाके स्वास्थ्यके सम्बन्धमे कभी कोई जानकारी नही दी। न उन्होने ही कभी सरकारको ओवेदुल्ला खाँको देखनेकी अनुमतिके लिए लिखा और न ओवेदुल्ला खाँसे यह आग्रह किया कि वे अपना अनशन बन्द कर दें। जब समा-चार-पत्रोमे यह खबर आने लगी कि अनशनकारीकी हालत गिरती जा रही है और जब एक प्रकारसे उनकी मृत्यु निश्चित समझी जाने लगी तब उनके पिता और चाचाने यह निश्चय किया कि अधिकारियोको उनकी मृत देहके सम्बन्धमे आवश्यक निर्देशन दे दिये जायँ और यह भी बतला दिया जाय कि उसे कहाँ गाडना है? उनको यह पत्र भेजे हुए अभी थोडे ही दिन हुए थे कि समाचार-पत्रोमें यह प्रकाशित हुआ कि ओवेदुल्ला खाँकी विजय हुई है और उन्होने स्याल-कोट जेलमें अपना अनशन भग कर दिया है।

१७ अगस्त १९३४ को खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाधीजीके अनशनकी सहानुभूतिमे एक सप्ताहका उपवास किया। डिप्टी कमिश्नरने शासनको उनकी स्थितिसे अवगत करते हुए लिखा . 'उन्होने उपवासको अच्छी तरहसे व्यतीत कर दिया और उनका स्वास्थ्य भी संतोषजनक रहा। गत ६ महीनेमे उनका वजन १० पौण्ड कम हुआ है और जबसे उनको सजा हुई है तबसे वे अपना २१ पाउण्ड वजन खो चुके है। डा० खान साहबका स्वास्थ्य ठीक है और वे प्रसन्न हैं।'

सीमा-प्रान्तकी सरकारने भारत-सरकारको लिखा . "इस अफवाहसे कि

महात्मा गांधी स्वेच्छासे किये गये उपवासको पूर्ण करनेके बाद अगस्त मास मेंवापस आ रहे हैं। यहांका वातावरण बदल गया है। ऐसा निष्कर्ष किया जाता है कि वे प्रतिबन्धोंके किसी आदेशको नहीं मानेंगे और उनका ध्यान विशेष रूपसे खान अब्दुल गफ्फार खांकी रिहाईपर केन्द्रित होगा। जितना भी हो सके उतना स्थितिका भार कम करनेके लिए उसे सामान्य बनानेके लिए तथा गांधीजीको पुन अनशनका एक बहाना न देनेकी दृष्टिसे भारत-सरकार खान अब्दुल गफ्फार खां और खान साहबको मुक्त करनेके प्रस्तावपर विचार कर सकती है। स्पष्ट है कि गांधीजीका अनशन भारत तथा अन्य देशोंके जनमतको अपनी ओर आकृष्ट करेगा। इन सब परिस्थितियोंमें इस सरकारको उनकी रिहाईका प्रस्ताव स्वीकृत करनेमें कोई आपत्ति नहीं होगी यदि उनमेंसे किसीको पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें प्रवेश करनेकी अनुमति न दी जाय।

जितने दिनोंतकके लिए भी उसके लिए सम्भव था भारत-सरकार खान बन्धुओंको उनके प्रान्तसे बाहर रखनेका दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। खान अब्दुल गफ्फार खांका यहांकी जनताके ऊपर एक दृढ़ प्रभाव है। वह उनके ऊपर अंध विश्वास करती है तथा उनके भाषणोंसे बड़ी सरलतासे उत्तेजित हो जाती है इस लिए वर्तमान परिस्थितिमें यह उचित नहीं समझा जा रहा है कि उनको सीमा प्रान्तमें आनेकी अनुमति दी जाय। उन दोनों भाइयोंके निजी खर्चके लिए सौ सौ रुपया मासिक भत्ता बांध दिया गया था। डा० खान साहबके परिवारके लिए जो ७०० रुपया निर्वाह भत्ता निश्चित किया गया था उसका खुलासा इस टिप्पणीमें दिया गया है इसमेंसे दो सौ रुपये उनकी अग्रज पत्नीके लिए और ढाई सौ रुपये उस पत्नीसे पुत्र और पुत्रीको। यह भत्ता तभी दिया जायगा जब कि वे इंगलैण्डमें रहेंगे। यह भत्ता काफी उदारतासे निश्चित किया गया है। चीफ कमिश्नरने सन् १९३२ में जो विवरण उपस्थित किया उससे यह ज्ञात होता है कि डा० खान साहबकी वार्षिक आय ७,१८९ रुपये थी। इस निधिमें उनकी भूमिसे प्राप्त होने वाली आमदनी सम्मिलित नहीं है। ७०० रुपये प्रतिमास भत्ता निश्चित करके हम उनको इस आयसे भी अधिक दे रहे हैं। इसके अलावा उनके पुत्र और पुत्री का भारतसे दूर इंगलैण्डमें रहनेसे कुछ अन्य लाभ भी हैं। वे किसी भी प्रकारके दूषित वातावरणसे मुक्त रहेंगे इसलिए मैं यह सोच रहा हूँ कि ये भत्ते जारी रखे जायें।

खान अब्दुल गफ्फार खांने आन्दोलनके सम्बन्धमें और अपने जेल जीवनके विषयमें लिखा है

"स्वाधीनताकी उपलब्धिके लिए हमारे प्रान्तमें दो प्रकारके आन्दोलन छेड़े गये—हिंसायुक्त और अहिंसायुक्त। सबसे पहले उग्र, हिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ हुआ और फिर उसके तीन या चार दशक पश्चात् सन् १९२९ में अहिंसात्मक आन्दोलन। अंग्रेजोंने हिंसात्मक आन्दोलनको अविलम्ब दबा दिया परन्तु अहिंसात्मक आन्दोलन कठोर दमनके होते हुए भी निरन्तर पनपता चला गया। उग्र, हिंसामय आन्दोलनने जनतामें भय और कायरताकी भावनाएँ उत्पन्न की और उसने लोगोंको दुर्बल हृदय और नैतिक दृष्टिसे कमजोर बना दिया। अहिंसात्मक आन्दोलनने पख्तूनोंके हृदयोंमेंसे भयको निर्मूल कर दिया। उसने उनको वीर बना दिया और उनका नैतिक स्तर ऊँचा उठा दिया।

"हिंसात्मक आन्दोलनने लोगोंके हृदयोंमें हिंसाके विरुद्ध एक घृणा जाग्रत की परन्तु अहिंसात्मक आन्दोलनने जनतासे प्रेम, स्नेह और सहानुभूतिको प्राप्त किया। इसने पख्तूनोंमें देशभक्ति और बन्धुत्वकी भावनाको जाग्रत किया। इससे उनके साहित्यमें, कवितामें एक महान् क्राति आयी और उनका रहन-सहनका ढंग बदला। यदि हम इसे दो शब्दोंमें कहें तो हिंसा घृणा है और अहिंसा प्रेम है। जब एक अंग्रेजको मार दिया जाता था, तब केवल अपराधीको ही दण्ड नहीं दिया जाता था बल्कि उसके कार्यके लिए सारे गाँव ओर समूचे क्षेत्रको कष्ट झेलना पड़ता था। लोगोंमें हिंसाकी भावना फैलती थी और हिंसात्मक कार्य करनेवाले दमनके लिए उत्तरदायी होते थे। अहिंसात्मक आन्दोलनमें हमने आत्म-पीड़ाके मार्गको अपनाया। इससे पूरे समाजको कष्ट नहीं हुआ बल्कि उससे वह लाभान्वित ही हुआ। इस प्रकार उसने लोगोंका प्रेम और सहानुभूति ही प्राप्त की। इस आन्दोलनकी अन्य बड़ी देन यह है कि इसने लोगोंके जीवनको एक नये साँचेमें ढाल दिया। अबतक उग्र पारिवारिक कलह हुआ करते थे ओर फिर वे कलह सर्वनाशपूर्ण युद्धोंमें बदल जाते थे। अंग्रेजोंने यह सोचा कि अहिंसावादी पठान हिंसावादी पठानसे अधिक खतरनाक है और इसीलिए सन् १९३२ में उन्होंने पठानोंके साथ ऐसे अमानुषिक कार्य किये कि वे किसी प्रकार उत्तेजित होकर हिंसापर उतारू हो जायँ लेकिन उनको सफलता नहीं मिली।

"अंग्रेजोंने पठानोंको जो भयानक यंत्रणाएँ दी हैं, उनके कुछ उदाहरणोंका मैं यहाँ उल्लेख करूँगा। अंग्रेजोंने पठानोंके पाजामे उतरवा लिये और उनको नंगा कर दिया। जिस समय चारसद्दामें धरना अपनी पूरी तेजीपर था उस समय उन्होंने स्वयंसेवकोंके पाजामे उतरवाये और उनके अंडकोषोंको रस्सीके फंदेमें डालकर उमेठा और उनको तबतक मारा जबतक कि वे अपने होश-हवास

नही गो बैठे। इसके बाद उन्होने उन घबराय हुए स्वयमसेवकोंको पेशाव और मल ग भर हुए गड्ढाम फेंक दिया। थडकडाती हुई भयानक सर्दीम स्वयंसेवकोंको पानीमें फेंक दिया गया। बन्दूक लगाकी गाली मार दी गयी।

"अकेली हरिपुर जेलमें १० ००० खुदाई खिदमतगारोको सालके सवम सत महीनोंमें गिरफ्तार किया गया था। उनमेंसे प्रत्येक कदीको एक कम्बल और एक चपाटी दी जाती थी। वह भी सब कैदियोंको नही मिल पाती थी। बड-बड प्रमुख नेताओंको भी कोडे मारनकी सजा दी गयी। उनस चक्कीम अनाज पिस वाया गया और घानी चलवायी गया। व अकेली काठरियोंमें नजरबन्द करके रखे गय। ऐसी कोई निदयता न बची ऐसा कोई अपमान शेष न रहा जिसका व्यवहार राजनीतिक बन्दियोंके साथ न किया गया हो।

हजारीबाग जेलम म एक बरकमें बन्द कर दिया गया। जेलके जेलर और सुपरिन्टेन्डेन्टके अलावा मेरे पास कोई आ नही सकता था। म एक राजनीतिक कदी था। प्रतिमास जिलाधीश [कलेक्टर] मेरे पास आता था। एकाकीपनने मेर स्वास्थ्यपर अपना कुप्रभाव छोड दिया ह। जिलाधीश एक अत्यन्त सज्जन व्यक्ति था और मने अपनी ओरसे हालाकि उससे कोई शिकायत नही का लेकिन फिर भी वह यह देख रहा था कि मेरा वज़न कम होता जा रहा ह और मेर मुँह पर पीलापन आता जा रहा ह और यह सब मरी नजरबन्दीके कारण ह। मैंने उसको यह सुझाव दिया कि काजी अतातुल्लाहको जो गया जेलमें ह और अनिद्रा रोगसे पीडित ह, मेरे पास भेज दिया जाय। जिलाधीशने सरकारसे यह सिफारिश की कि काज़ी साहबका तबादला गयासे हजारीबाग कर दिया जाय परन्तु सीमा प्रान्तकी सरकारने इसका विरोध किया क्योकि मेरी ही तरह वे भी उसकी आँखकी किरकिरी थे। उनके स्थानपर ननीतालसे डॉ० खान साहब ले आये गये।

जब डा० खान साहबने मुझे एक बैरकमें बन्द देखा तो वे बोले कि मुझको तो नैनी जेलमें बरकसे बाहर घूमने दिया जाता था। हजारीबाग जेलका अधीक्षक एक पजाबी था जो कि डॉ० खान साहबके साथ इगलण्डमे रहा था लेकिन वह एक बहुत ही डरपोक आदमी था। वह बोला यदि म आपको घूमने फिरने की आजादी दे दूगा तो मैं कहीका भी न रहूँगा।' डॉ० खान साहब अपनी जिद पर अड गये। अतमें हम लोगोको जेलसे बाहर घूमने फिरनेकी अनुमति दे दी गयी। शीघ्र ही हम लोगोको यह पता भी लग गया कि राजेन्द्रप्रसादजी, आचार्य कृपालानी तथा बिहारके अन्य राजनीतिक कार्यकर्ता भी उसी जेलमें नजरबन्द

है। कभी-कभी वैरकसे वाहर जेलमे ही हम लोगोकी अंग्रेजोसे मुलाकात हो जाती थी और उनके साथ हमारे मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध भी वन गये थे। हमारा जेलर, जिसको 'छोटा साहव' कहा जाता था, एक भला व्यक्ति था और उसके मनमे राष्ट्रीय कार्यकर्ताओके प्रति सहानुभूति थी। उसने हमारे निवेदनपर एक राजनीतिक वन्दीको, जो शीघ्र छूटनेवाले थे, कभी-कभी हमारे पास आकर चाय पी जानेकी अनुमति दे रखी थी। विहारी लोग अच्छे स्वभावके होते है और वे जाति-पाँतिके वन्वनोको वड़ी कठोरतासे मानते है। वे किसीके साथ अविक सम्पर्क नही रखते लेकिन जव हमारे साथ उनके सौहार्दपूर्ण सम्वन्ध स्थापित हो गये तो वे वडे अच्छे लोग सावित हुए। उस वन्दीको विदाके समय हमने दावत दी। मैने उसे चाय और पकौडे परोसे और मेरे वडे भाईने तली हुई 'व्रिजल'। हमारे अतिथिने खाद्य-पदार्थोको पसन्द किया और फिर वह एकदम खिलखिलाकर हँस पडा। उसने कहा कि एक वार एक मुसलमान डाकियेने उसको वडी सावधानीसे एक कोना पकड़कर एक पोस्टकार्ड दिया। उसने भी दूसरा कोना पकडकर उसे ले लिया। फिर भी उसके भाईने उससे यह कहकर कि तुम छू गये हो, उसके हाथ धुलवाये। मेरे साथ भी ऐसी ही एक विचित्र घटना हुई। मैने एक दिन एक व्राह्मण कैदीको, जो मुझे पपीता खिलाया करता था, एक पपीता दिया। उसने उसे मेरे चाकूसे नही काटा क्योकि मै मास खाया करता हूँ। जव मैने उससे पूछा कि तुमको किस अपराधमे सजा हुई तो उसने सहज भावसे कह दिया कि मै हत्याके एक मामलेमे फँस गया था।

"यद्यपि मै एक राजनीतिक कैदी था लेकिन मेरे वच्चोके लिए कोई भत्ता स्वीकृत नही हुआ था, जव कि डॉ० खान साहव और अतातुल्लाहके परिवारके लिए निर्वाह भत्ता दिया जाता था। रुपयोकी कमीके कारण मेरे पुत्र गनीको अपना कोर्स पूरा किये विना ही अमेरिकासे वापस लौट आना पडा। मेरे पास काफी भू-सम्पत्ति है लेकिन उससे कोई आय नही होती थी क्योकि मेरी गिरफ्तारीके वाद कोई उसकी देख-रेख करनेवाला न था और सरकारके उकसानेपर साझीदार मेरे भागमे भी वेईमानी किया करते थे।

"अपना तीन वर्षका कठोर कारावास समाप्त करनेके पश्चात् मै २७ अगस्त १९३४ को रिहा कर दिया गया। मेरे ऊपर पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तमे प्रवेश करनेपर प्रतिवन्ध भी लगा हुआ था। विहारके लोगोमे कई मेरे मित्र थे इसलिए मै वावू राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य लोगोसे मिलनेके लिए पहले पटना गया। मुझे महात्मा गाधी और जमनालालजी वजाजने वर्धामे रहनेके लिए आमंत्रित किया।

उस बार कांग्रेसका अधिवेशन पेशावरमें होने जा रहा था और यह भी प्रस्ताव था कि इस बार मुझे उसका अध्यक्ष बनाया जाय। राजेन्द्र बाबूका विशेष आग्रह था कि मैं इस प्रस्तावको स्वीकार कर लूं। यद्यपि मुझको इस सम्मानपूर्ण पदके लिए चुन लिया गया था फिर भी मैंने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया और राजेन्द्रप्रसादजीसे कह दिया कि मैं तो एक खुदाई खिदमतगार हूँ। मैं केवल सेवा-कार्य करूंगा।

एक ईश्वरीय उपहार

१९३४

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डॉ खान साहब २७ अगस्त १९३४ को हजारीबाग जेलसे छोड दिये गये परन्तु उनके पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाबमे प्रवेश करनेपर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। गृह-सचिव मि० एम० जी० हैलेटने अपनी एक टिप्पणीमे, जिसपर 'गुप्त' शब्द लिखा था, यह लिखा

"खान अब्दुल गफ्फार खाँके जेलसे मुक्त हो जानेके बाद उनकी आगामी गतिविधियाँ क्या होगी और प्रान्तमे उनकी रिहाईकी क्या प्रतिक्रिया होगी यह कह सकना कठिन है। यहाँ यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि उनकी एक देवताके समान मान्यता है। हिज एक्सलैंसी गवर्नरने इस प्रकारके प्रसगोका उल्लेख किया है। खान अब्दुल गफ्फार खाँके सुझावपर जो कुआँ बना उसके बारेमे जन-सामान्यमे यह विश्वास फैल गया है कि उसके जलसे अनेक प्रकारके पापोसे छुटकारा मिल जाता है अत उसे लोग अपने साथ दूर-दूरतक ले जाते है। इसकी अत्यधिक सम्भावना है कि उनके आनेसे एक सुपुप्त आन्दोलनको गति मिल जाय। यदि वे उत्मंजई सरीखी जगहोमे जाते है तो उनके स्वागतके लिए निश्चित ही एक बडी भीड इकट्ठी होगी और यह कह सकना कठिन है कि उसका फल क्या होगा? असदिग्ध रूपसे, उनके प्रान्तमे प्रवेशसे राजभक्त और बुद्धिप्रधान लोगोका, जो कि लाल कुर्तीवालोके आन्दोलनसे डरते है, उत्साह भंग हो जायगा और उसमे खिन्नताकी एक लहर दौड जायगी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ यदि किसी विध्वसकारी प्रवृत्तिमे नही भी लगते तो भी इस बातकी सम्भावना है कि वे आगामी निर्वाचनको दृष्टिमे रखकर लाल कुर्ती दलवालोकी एक प्रचार-सेना तैयार करे और इसका परिणाम यह भी हो सकता है कि वे अपनी कटाक्ष-पूर्ण उक्तियो तथा अपने समरतंत्रसे निर्वाचनमे सफलता प्राप्त कर ले।

"उनको पश्चिमोत्तर प्रदेश तथा पश्चिम पंजाबसे दूर रखनेपर भी इस बात-पर दृष्टि रखनी चाहिए कि क्या सीमा-प्रान्तकी जनता उनके स्वागतको उत्सुक है या लोगोपर उनका कोई प्रभाव शेप है?"

हजारीबाग जेलसे छूटकर खान-बन्धु बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा जेलके अपने अन्य साथियोसे मिलनेके लिए पटना चले गये। वहाँ २९ अगस्तको खान अब्दुल

गफ्फ़ार खान एक विशाल सभामें उर्दू में भाषण किया। जनता द्वारा प्रदर्शित प्रेम और स्नेहकी भावनाओंके लिए उन्होंने अपनी हार्दिक प्रसन्नता प्रकट की। अपने व्याख्यानमें उन्होंने कहा कि वे अपने बिहार प्रान्तीय बन्धुओंके साथ बिहारमें रहे। जो लोग जेलमें निरन्तर साथ रहे हैं, वे ही इस बातका अनुभव कर सकते हैं कि बन्दियोंमें आपसमें बन्धुत्व प्रेम, विश्वास और स्नेहके कैसे नाते जुड़ जाते हैं। जब वे बदलकर पहली बार हजारीबाग जेलमें आये तब वे यह न समझ सके कि उनको प्रभुने यहाँ क्यों भेजा है? सरकारने तो उन्हें इस विचारसे निर्वासित किया था कि उनके आन्दोलनसे उनके सम्बन्ध टूट जायँगे परन्तु एक 'महान् शक्ति' है, जिसकी इच्छा कुछ और थी। बादमें उनको इस बातकी अनुभूति हुई कि प्रभुने यहाँ उनको एक निश्चित प्रयोजनको पूर्ण करनेको भेजा था। जबतक वह प्रयोजन रहा तबतक उनको हजारीबाग जेलमें रखा गया और जब वह पूर्ण हो गया तब उन्हें प्रभु द्वारा तत्काल मुक्त कर दिया गया। दूसरी बात वे यह कहना चाहते हैं कि संयुक्त प्रान्त (आधुनिक उत्तर प्रदेश) मध्यप्रान्त तथा सिन्धके निवासियोंने, विशेष रूपसे मुसलमानोंने उनको तथा उनके भाईको अपने प्रान्तमें अपने साथ कार्य करनेको आमन्त्रित किया परन्तु वे बराबर यही सोचते रहे कि भारतकी स्वाधीनताकी उपलब्धिके लिए कौनसे कदम उठाये जायँ और असहाय लोगोंको अत्याचारीके पंजेसे कैसे मुक्त किया जाय? वे सीमा प्रान्तवासियोंके एक दलका गठन करना चाहते थे उसे शक्ति-सम्पन्न बनाना चाहते थे और उनका सारा ध्यान अपने उसी लक्ष्यपर केन्द्रित था। अपनी उपलब्धियोंपर दृष्टि डाले बिना वे कार्यक्षेत्रमें आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। वे अपने दलकी शक्ति इतनी बढ़ा देना चाहते थे कि वह स्वाधीनता की लड़ाई लड़ सकनेमें समर्थ हो सके और यह दल भारतके अन्य सब प्रान्तोंसे अग्रगामी हो। वे ईश्वरके सेवक थे। वे उन हिन्दुओं और मुसलमानोंका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहते थे जो कि मिथ्या धारणाओंके वशीभूत होकर कार्य कर रहे थे, जो धर्मका नाम लेकर एक-दूसरेकी शिकायतें करते थे। यद्यपि ये लोग ईश्वरके सेवक थे परन्तु इनको जनताकी सेवा करनेसे मना किया जाता था। इसपर भी दावा यह किया जाता था कि भारतमें धार्मिक स्वाधीनता है। निर्दय कानून अध्यादेश भारतमें वापस ले लिये गये थे परन्तु वे सीमा प्रान्तमें अबतक लागू थे। उन्होंने (खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँने) कहा कि आप सब लोगोंने देखा होगा कि रिहाईके पश्चात सबको अपने-अपने प्रान्तोंमें जानेकी अनुमति दे दी गयी परन्तु हम लोगोंको पंजाब और सीमा प्रान्तमें प्रवेश न करने

का आदेश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकारसे वे यह पूछना चाहते हैं कि उनका उस सरकारसे क्या सम्बन्ध है? पंजाबमे कोई अध्यादेश सन् १९३२ मे स्वीकृत किया गया था और उसीके अनुसार उनके उस प्रान्तमे प्रवेशपर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। वे यह पूछना चाहते है कि क्या वे चोर हैं, डाकू है या लुटेरे है या वे कोई हिंसात्मक काम करना चाहते है? आखिर उनका अपराध क्या है? उनका अपराध केवल यह है कि वे अपने देशसे प्रेम करते है और पीडित जनोके प्रति उनके मनमे एक ममता है। वे शासनके लोगोसे यह कहना चाहते है कि वे एक धार्मिक व्यक्ति है और वे जो कुछ कहना या करना चाहते है वह धर्मानुसार ही करना चाहते हैं। उनका हिन्दुओ और मुसलमानोसे यह आग्रह है कि आप लोग अपने-अपने धर्मके ग्रन्थोको पढ़ें। अधिकाश व्यक्ति अपने धर्मके विपरीत आचरण कर रहे है। धार्मिक ग्रन्थ इसलिए प्रकट नही हुए कि उनको अलमारियोमे रख दिया जाय। लोगोको उन्हे समझनेकी और उनके ऊपर आचरण करनेकी चेष्टा करनी चाहिए। जहाँतक उन्होने गीता और कुरानको समझा है, उनके अनुसार दासता एक शाप है। उन्होने कहा कि उन्हे यह चिन्ता नही है कि लोग उनकी इन बातोसे प्रसन्न होगे या नाराज क्योकि आम तौरसे लोग सत्यको पसन्द नही करते। उन्होने कहा कि वे तो ईश्वरके एक सेवक है और उसीका कार्य कर रहे है। वे कोई नेता नही है और न मचपर भाषण करना उनको अच्छा लगता है। यह और बात है कि मित्रोका अधिक आग्रह हो और वे इसके लिए विवश हो जायँ। वे मूलत. एक सिपाही है और उनका विश्वास सिद्धान्तोपर नही अपितु व्यावहारिक कार्यपर है। मुसलमान अपने कुरान शरीफको खोलकर देखें कि वे सच कहते है या नही। पवित्र कुरानमे यह कहा गया है, 'मुहम्मद, तुम मुसलमानोसे यह कह दो कि यदि उन्होने कुरानको त्याग दिया तो वे अल्लाहके कोपके भाजन हो जायँगे। वह उनको किसी विदेशी राष्ट्रके अधीन कर देगा।' सब लोगोको यह जानना चाहिए कि विश्वमे धर्मोका प्रादुर्भाव राष्ट्रोके उत्थानके लिए हुआ है, उनके पतनके लिए नही। हिन्दुओको अपनी गीताका अध्ययन करना चाहिए। महाभारतका कारण यह था कि एक अत्याचारीने दुर्बलके अधिकारोका अपहरण कर लिया था। अर्जुन युद्ध करनेको राजी नही थे। भगवान् कृष्णने उनसे कहा कि उनका जन्म दुर्बलोके अधिकारोकी रक्षाके लिए और उनकी सहायता करनेके लिए हुआ है अत. वे दमनकारियोका नाश करें। यह हिन्दू धर्म है और यह इस्लाम है।

आगे उन्होने कुरानकी एक और आयतका उद्धरण दिया और मुसलमानो-

को यह सदुपदेश दिया कि उनका जन्म उनके अपने सहधर्मियोंके लिए ही नहीं हुआ है अपितु सबकी सेवाके लिए हुआ है चाहे वह ईसाई हो सिख हो या हिन्दू हो। उन्होंने आगे पूछा कि धर्म क्या है और उन्होंने स्वयं ही इसका प्रत्युत्तर दिया कि धर्म प्रेम, सदाचार और ईश्वरके प्राणियोंकी सेवा करना है। धर्मका प्रादुर्भाव घृणाके प्रसारके लिए नहीं हुआ बल्कि उसे दूर करनेके लिए हुआ है। धर्मने विभाजनको जन्म नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप सब अपने धर्मकी शिक्षाओंपर मनोयोगपूर्वक चिंता करें।

उन्होंने आगे कहा कि यह देश जिस प्रकार हिन्दुओंका है उसी प्रकार मुसलमानोंका है और उनका परस्पर लड़ना नहीं चाहिए। अन्यथा वे इस शाप की अवधिको और भी लम्बा कर देंगे। हिन्दू लोग पूछते हैं कि वे मुसलमानोंके साथ कैसे काम कर सकते हैं और यही बात मुसलमान भी कहते हैं लेकिन एक दिन ऐसा आयेगा जब कि उनको मिलकर काम करनेको विवश होना पड़ेगा। एक बार जब कि वे कराचीमें थे हिन्दू मुस्लिम एकताकी चर्चाएँ चल रही थीं और एकता परिषदका विकास होता जा रहा था। तब उन्होंने इस बातपर आश्चर्य किया था कि यह आडम्बर किस लिए है क्योंकि एकता तो दोनों ही जातियोंके लिए कल्याणकारक है और वैमनस्य दोनोंके लिए ही हानिकारक। लेकिन वे तब तक एक नहीं होंगे जबतक कि वे अपने पतन और विनाशका अनुभव नहीं कर लेंगे। भारतीय अबतक सो रहे हैं। बिहारमें भूकम्प हुए और बाढ़ें आयीं। यदि लोग देशके अन्य भागोंपर दृष्टि डालें तो वे देखेंगे कि वहाँ हैजा और प्लेग फैल रहा है, लेकिन वे उसकी ओरसे नितान्त उदासीन हैं। उनका भय है कि यदि उन्होंने अपने देशकी सेवा की तो उनको कारागारमें भेज दिया जायगा। यदि कोई वहाँ अपनी स्वाभाविक मृत्युसे भी मर जायगा तो लोग यह कहेंगे कि उन्होंने अमुक व्यक्तिसे राजनीतिक आन्दोलनमें भाग न लेनेके लिए बहुत मना किया लेकिन उसने नहीं सुना और मर गया। उन्होंने (खान अब्दुल गफ्फार खाँ) लोगोंसे पूछा कि यदि वे अपने देशकी सेवा नहीं करते तो क्या इस बातका कोई जिम्मा ले सकता है कि वे मरेंगे नहीं? मनुष्यकी देह नश्वर है। फिर वह एक सम्मानजनक मृत्युका ही वरण क्यों न करे? यदि भारत हिन्दुओं और मुसलमानों दोनोंका ही है और यदि वे इस अभिशापको और लम्बा नहीं करना चाहते तो उनको कुछ काम करना चाहिए। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य भावनाको तबतक बल नहीं मिल सकता जबतक कि लोग उसकी आवश्यकताका अनुभव नहीं करते। सीमा प्रान्तके निवासियोंमें यह अनुभूति जाग्रत हुई है और वहाँकी स्त्रियाँ तथा बालक

तकने यह निश्चय कर लिया है कि वे अब दासताको सहन नही करेंगे। सीमाप्रात के नन्हे बालकोने कहा कि भारत उनका अपना देश है जिसपर उनको शासन करनेका अधिकार है। अंग्रेजोको भारतसे कुछ लेना-देना नही है। अंग्रेजोका अपना स्वत का देश है और उनको किसी औरके देशपर अपना दावा करनेका अधिकार ही क्या है ? हमारे यहाँके बच्चे नङ्गे और भूखे रहते है जब कि दूसरे देशके लोग यहाँ आकर ऐश करते है। उन्होने राँचीके निवासियोका उल्लेख करते हुए कहा कि वे लोग राँची रोडपर नग्नप्राय दिखलाई देते है। ऐसी है उनके देशकी स्थिति। परन्तु वे आपसमे एक-दूसरेकी शिकायत करते है। स्वार्थी तत्त्वोने उनको इस प्रकार धोखा दिया है कि उनको अपने लाभ और हानिका ज्ञान भी नही रहा है। कुछ लोग कहते है कि हिन्दू-मुस्लिम एकताके बिना कुछ भी नही हो सकता लेकिन वे (खान अब्दुल गफ्फार खाँ) उन लोगोसे यह कहना चाहते है कि जब-तक भारतमे विदेशी राज है तबतक यहाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता हो ही नही सकती। यदि हिन्दू और मुसलमान एक हो जाते है तो फिर अग्रेज यहाँ टिक नही सकते। अग्रेज उन हिन्दुओ और मुसलमानोपर शासन कर रहे है जो कि उनके शासनके साँचेको चला रहे है, इस तरहसे हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्यके लिए भारतीय स्वय ही उत्तरदायी है। उन्होंने कहा कि जब मै भारतीयोसे यह सुनता हूँ कि हमारी सस्कृति ऐसी है, हमारा धर्म ऐसा है अथवा इसी प्रकारकी अन्य बाते, तो उन्हे आश्चर्य होता है। 'मै फिर उन धार्मिक ग्रन्थोका उल्लेख करना चाहता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि दासका कोई धर्म नही होता। राजनीतिक शक्ति अग्रेजोके हाथमे है। उनका धर्म क्या है ? दासता स्वयंमें एक शाप है फिर भी भारतवासी यह समझते है कि वे बडे भाग्यवान् है। हिन्दुओका विश्वास है कि उनकी सस्कृति सर्वाधिक प्राचीन है। मुसलमान शहाबुद्दीन गोरी और महमूद गजनवीकी विजयो-पर गर्व करते है। मै पूछता हूँ कि मुसलमान आज क्या है और उनका यह कहना क्या अर्थ रखता है कि हमारे पिता एक बादशाह थे।' उन्होने (खान अब्दुल गफ्फार खाँने) कहा कि उन्होने बहुत-सी ऐसी बातें कही है जो कि वे कहना नही चाहते थे। वे केवल लोगोका ध्यान उनके धर्मोकी ओर आकर्षित करना चाहते थे जिनमे कि दासत्वको एक अभिशाप बतलाया गया है और स्वराज्यको एक वरदान। यदि हिन्दू और मुसलमान यह सोच लेते है कि यह देश उनका अपना है तो वे देशका हित करके एक-दूसरेपर उपकार नही करते। यदि वे अपने देशको स्वाधीन कर लेंगे तो ऐसा करके वे किसीके ऊपर अहसान नही करेंगे। विदेशी उनके देशके ऊपर राज्य कर रहे है। उनको जर्मनी, फ्रास और इटली

जैसे विदेशी राष्ट्रोंकी ओर दृष्टि डालनी चाहिए और यूरोपके उन छोटे-छोटे राष्ट्रोंकी ओर भी देखना चाहिए जो अपने देशपर शासन कर रहे हैं। एशियाका कोई राष्ट्र उनके ऊपर राज नहीं कर रहा है। उनमेंसे प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्र है परन्तु भारतके निवासी बाह्य लोगों द्वारा शासित हैं फिर भी वे बड़े प्रसन्न हैं। हिन्दू और मुसलमान विधानसभाकी कुर्सियोंके लिए आपसमें झगड़ रहे हैं। दोनोंकी संख्या मिलकर ३५ करोड़ है। क्या उनको इतनी कुर्सियाँ मिल जायेंगी? ईश्वरके सेवक होनेके नाते उनका यह कर्तव्य है कि वे मानव जातिकी सेवा करें। सुधार एक दर्जन साल पहले ही दे दिये गये हैं परन्तु उन्होंने देशकी कोई भलाई नहीं की और विचित्र बात यह है कि जिन भारतीयोंके लिए वे थे वही लोग नौकरियाँ हथियानेके लिए आपसमें लड़-झगड़े। उन्हीं व्यक्तियोंने अंग्रेजोंके तनिकसे इशारेपर आपसमें वैमनस्य उत्पन्न कराया और इस प्रकार विदेशी सत्ताके सूत्रोंको पुष्ट किया, इसलिए उनको चाहिए कि वे कुर्सियोंके इन सब मोहोंको त्याग दें। वे अपने सताये हुए बन्धुओंकी बात सोचें और अपने देशको स्वतंत्र करनेका प्रयत्न करें फिर सारी कुर्सियाँ उनके पास स्वयं चली आयेंगी। यदि लोगोंका सचमुच यह विश्वास है कि यह उनका अपना देश है तो फिर हिन्दू और मुसलमान दोनों जाग्रत क्यों नहीं होते और कायम क्यों नहीं हो जाते? खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि वे उनको सब कुछ छोड़ देनेकी सलाह देंगे और कहेंगे कि वे कांग्रेसके साथ भाईचारा स्थापित करें। उन्होंने कांग्रेसके प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए कहा कि वह समस्त भारतका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था है। न वह मुसलमान संगठन है और न हिन्दू बल्कि वह सभीका — ईसाइयों और पारसियों आदिकी भी एक मिली-जुली संस्था है। जब कांग्रेसके साथ एक बार बन्धुत्व स्थापित हो जायेगा तो अपने लक्ष्यतक पहुँचनेमें हमें देर न लगेगी। यह भाईचारा इस प्रकार स्थापित हो सकता है कि जब किसी प्रश्नपर मतभेद हो तब बहुमतका जो भी निर्णय हो उसको सभी लोग बिना असन्तोष प्रकट किये स्वीकार करें और यही अनुशासन भी है।

उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोगोंकी राय यह थी कि सविनय अवज्ञा आन्दोलनको वापस ले लेना चाहिए लेकिन वे इन सब बातोंके विरुद्ध थे क्योंकि ये बातें अनुशासनके विपरीत थीं। जब युद्धके लिए आदेश मिल जाये तब उसका पालन करना ही चाहिए और जब उसे रोक देनेका आदेश मिले तो उसे रोक देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब वे जेलमें थे तब एक समाचार-पत्रमें यह खबर प्रकाशित हुई कि वे आन्दोलनको वापस लेनेके पक्षमें हैं। यहाँतक कि एक

सरकारी व्यक्ति उनके पास इस कथनकी पुष्टिके लिए पहुँचा। तब उन्होने उससे कहा कि मै जेलमे राजनीतिविषयक चर्चा नही करूँगा। साथ ही उन्होने उससे यह भी कहा कि काग्रेसका आदेश ही मेरे लिए सर्वोपरि है।

उन्होंने अपने भाषणके निष्कर्षमे कहा कि बिहार और विशेष रूपसे छोटा नागपुरके निवासियोकी दशाने उनके हृदयको छू लिया है और उन्होने अपने मनमे यह निश्चय कर लिया है कि यदि मुसलमानोको उनकी आवश्यकता है तो वे उनकी सेवा करनेको तैयार है। हिन्दुओको इस बातसे अपने मनमे बुरा नही मानना चाहिए कि उनसे क्यो नही पूछा गया? इस सम्बन्धमे मुसलमानोकी स्थिति असामान्य है। वे उस धर्मके अनुयायी है जिसका प्रादुर्भाव ही विश्वको दासताके पाशसे मुक्त करनेको हुआ है। एक मुसलमान किसी अत्याचार और निरकुश सम्राट्के आगे सच बोलनेमें कभी नही डरा।

उन्होने कहा कि वे ईश्वरके एक सेवक है और उनका पथ बिना किसी जाति या सम्प्रदायके भेद-भावके ईश्वरके समस्त प्राणियोकी सेवा करना है। वे यहाँसे जाकर अपने मित्रोसे सम्मति लेंगे और वे सबसे पहले बिहारकी सेवा करना चाहेंगे। जनताने उनके प्रति जो प्रेम और स्नेह प्रदर्शित किया उसके लिए उन्होने उसे धन्यवाद दिया और सर्वशक्तिमान् प्रभुसे प्रार्थना की कि वह असहाय और निर्धन भारतवासियोके विलापको सुने तथा उनको अत्याचारियोके पंजेसे छुडाये।

"मैने उनके भाषणको एक बारसे अधिक ध्यान-पूर्वक पढा।" लॉ-मैम्बरने लिखा, "यह बिलकुल सच है कि वक्ता दासता या विदेशी शासनके शापसे मुक्त होनेके लिए हिंसाकी वकालत नही करता। मैने अनुभवसे यह देखा है कि सामान्यत. अभियोगके वकीलतक धारा १२४–ए के मामलोमे इस तथ्यको नही देखते कि हिंसाके लिए उत्तेजना अथवा हिंसात्मक तरीकोकी वकालत करना ही धारा १२४–ए के अन्तर्गत अपराधका एक आवश्यक अंग नही है। धारा १२४-ए के अन्तर्गत किसी अपराधके लिए इतनाभर आवश्यक है कि अभियुक्त अपने भाषणसे, लेखसे अथवा चिह्न आदिसे घृणा, तिरस्कार या उत्तेजना उत्पन्न करनेका प्रयत्न करे अथवा वह ब्रिटिश भारतमे कानूनसे स्थापित शासनके विरुद्ध असतोष जाग्रत करनेकी कोशिश करे।

"... धारा १२४-ए की व्याख्याओको ध्यानमे रखते हुए, जो कि अबसे पैंतीस वर्ष पूर्व सम्मुख रखी गयी थी और जो अबतक मान्य है, मै निम्नाकित अंशोकी ओर विशेष रूपसे ध्यान दिलानेकी चेष्टा करूँगा। यदि सरकार तिलकके मामलेमें इच्छाके विरुद्ध मूल विदेशी सत्ताके 'आवास' शब्दको धारा १२४-ए के अन्तर्गत

ले सकती है तो वर्तमान भाषण तो अति स्पष्ट रूपसे धारा १२४-ए के अन्तर्गत आ जाता है। मेरी अपनी रायमें यह मामला सीमा रेखापर नहीं है। वक्ता यहाँ सरकारके किन्हीं विशेष दोषोंका उल्लेख नहीं कर रहा है। वह उससे छुटकारा पानेकी बात केवल इसलिए कह रहा है कि वह एक विदेशी शासन है। वर्तमान शासनको बार-बार अत्याचारी कहकर भर्त्सना की जाय, उसे जनताको पीड़ा देने वाला कहा जाय और लोगोंको गुलाम बतलाया जाय,—मैं अनुमान नहीं करता कि सरकारकी ओरसे जनताका चित्त हटानेके लिए और उसकी राजभक्तिकी भावनाको दुर्बल करनेके लिए इससे अधिक और कौनसी बात कही जा सकती है? ऐसे वक्तव्य, जो किन्हीं विशेष अधिकारियोंपर नहीं अपितु शासनके ऊपर अत्याचार और दमनका दोष मढ़ते हैं, स्पष्ट रूपसे उसके खिलाफ असंतोष भड़काते हैं। वे असन्दिग्ध रूपमें तिलकके फैसलेके अन्दर आ जाते हैं। यदि चालान किया जाता है, मुद्दालेके वकील यदि यह समझते हैं कि भाषणके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह हिंसाका समर्थन करे और यदि वे तिलकके मामलेके फैसले तथा उन अधिकारी व्यक्तियोंके जिन्होंने उस मामलेमें सिद्धान्तोंको स्पष्ट करके सामने रखा, दृष्टिकोणकी कद्र करते हैं तो धारा १२४ एके अन्तर्गत एक खुला मामला कायम करनेमें कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। निस्सन्देह अभियोगी पर भाषण को पढ़ देनेकी बात कहेंगे परन्तु यहाँ तो पूरे भाषणमें ही श्रोताओंके मनपर यह प्रभाव डालनेकी कोशिश की गयी है कि वर्तमान विदेशी शासन एक शाप है तथा शासन अत्याचार और दमनका अपराधी है। हिन्दुओं तथा मुसल्मानोंको यह वक्तव्य है कि वे इस प्रकारके शासनसे छुटकारा पानेके लिए एक हों और अपनेको दासत्वसे मुक्त करें। भाषणको आद्योपान्त अच्छी तरहसे पढ़ लिया गया है। पर व्याख्यानमें एक ही प्रधान स्वर व्याप्त है कि विदेशी शासन अर्थात् वर्तमान सरकार एक शापके तुल्य है जिसने जनताको दास बना रखा है। हिन्दू और मुसल्मानोंको एकता करके उससे अपनेको मुक्त करना चाहिए।

अभी यह कह सकना सम्भव नहीं है कि अपराध सिद्ध होनेपर दोषीको क्या दण्ड दिया जायगा परन्तु जहाँ अदालतको इस तथ्यपर विचार करनेका अधिकार है कि भाषणमें हिंसाको उत्तेजना नहीं दी गयी वहीं समान रूपसे उसे इस बातपर भी विचार करना चाहिए कि शत्रुताकी ऐसी भावना फैलानेका प्रभाव भाषणकर्ताकी अपनी स्थितिपर निर्भर करता है। साथ ही वह उन परिस्थितियों पर भी अवलम्बित है जिनमें वह भाषण किया गया है।

“प्रस्तुत भाषण एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्तिके द्वारा किया गया है जिसकी

रिहाईके लिए आग्रह किया जाता रहा है और जिसके लिए लोग व्यग्र रहे है। इस सभामे वहुत वडा जनसमुदाय एकत्रित था तथा उसकी अध्यक्षता प्रान्तके एक प्रभावशाली व्यक्तिने की थी। अध्यक्षने अपने भाषणमे यह कहा कि पटनाकी जनता उनके (खान अव्दुल गफ्फार खाँके) दर्शनके लिए वडी उत्कंठित रही है। जिस समय यह भाषण हुआ उस समय एक हलचल थी और वातावरणमे एक अशान्ति फैली हुई थी।

"इस भाषणके लिए नाम मात्रका अथवा साधारण दण्ड नही दिया जाना चाहिए। तिलक और नेहरूके मुकदमोमे उनको कठोर दण्ड दिया गया था। उनके भाषणोमे भी जनताको हिसाके लिए उत्तेजित नही किया गया था और मुझे स्मरण है कि नेहरूके भाषणमे तो लोगोको अहिंसक वने रहनेके लिए कहा गया था।"

भारत-सरकारने स्थानीय सरकारोको यह गुप्त गश्ती चिट्ठी भेजी

"ज्ञात हुआ है कि हजारीवाग जेलसे अपनी रिहाईके तुरन्त वाद ही खान अव्दुल गफ्फार खाँ और डॉ० खान साहवने पटनामे एक विशाल जन-सभाको सम्वोधित किया। इस सभाकी जो सूचना हमे प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि इन वक्ताओके भाषणोका उपस्थित जन-समुदायपर एक गहरा प्रभाव पडा है। खान अव्दुल गफ्फार खाँके भाषणमे दासता, अत्याचार और विदेशी शासनके शापके उल्लेख किये गये है। खान अव्दुल गफ्फार खाँने दासत्वसे अथवा 'विदेशी शासन' के शापसे मुक्त होनेके लिए हिंसात्मक उपायोका समर्थन नही किया लेकिन हिसाकी उत्तेजना या हिसात्मक प्रणालीके पक्षका समर्थन ही धारा १२४-एके अन्तर्गत अपराधका एक आवश्यक अग नही है। खान अव्दुल गफ्फार खाँने शासन का उद्भव विदेशी होनेके कारण ही उसका विरोध करते हुए उसे अत्याचारी एव दमनकारी वतलाया है और कहा है कि वह जनताको गुलाम वनाये हुए है। उन्होने हिन्दुओ और मुसलमानोसे यह आग्रह किया है कि इस सरकारसे छुटकारा पानेके लिए एक हो। इस परिपत्रके द्वारा स्थानीय सरकारोको यह सूचित किया जाता है कि यह अपराध स्पष्ट रूपसे भारतीय दड सहिताकी धारा १२४-एके अन्तर्गत आ जाता है।

"यह तथ्य भारत-सरकारकी जानकारीमे है कि स्थानीय शासनने इस मामले-मे चालान कायम करनेकी स्वीकृति नही दी है। वह उसकी इस वातमे सहमत है कि वक्ताने जेलसे छूटनेके तुरन्त वाद यह भाषण किया है और उसमे प्रकट अथवा प्रच्छन्न रूपसे हिंसाका समर्थन नही किया गया है इसलिए इस सम्वन्धमे अभियोग

कायम करना आवश्यक नहीं समझा गया। साथ ही यह भी स्पष्ट है कि यदि इस तरहके भाषणोंकी शृंखला चलती है तो उसके परिणाम असंदिग्ध रूपसे गंभीर नाक होंगे, इसलिए भारत-सरकारने यह विचार किया है कि स्थानीय शासन इस सम्बन्धमें कदम उठाये। खान अब्दुल गफ्फार खाँ तथा डॉ० खान साहब जो भी भाषण करें उसको सावधानीके साथ पूरा लिपिबद्ध कर लेना चाहिए और यदि उनका कोई भाषण भारतीय दंड संहिताकी धारा १२४ एके अन्तर्गत आ जाता है तो शासनको चालानकी कार्यवाही तत्काल करनेमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। स्थानीय शासकोंके लिए भारत-सरकारका निर्देश अपेक्षित नहीं है और वे इस कार्यको कर सकते हैं जैसा कि जवाहरलाल नेहरूके मामलेमें हुआ। फिर भी यदि इसकी सूचना शीघ्र भारत-सरकारको मिल जाती है तो उसे इससे प्रसन्नता होगी। अभियोग चलाया जाय अथवा नहीं इन दोनों व्यक्तियोंके प्रत्येक भाषणका पूर्ण विवरण भारत-सरकारके पास पहुँच जाना चाहिए।'

३० अगस्तको पुलिसने सूचित किया 'खान अब्दुल गफ्फार खाँ आज सवेर गया चले गये जहाँ कि वे आज राय किसान सम्मेलनकी अध्यक्षता करेंगे।' बादमें उसने लिखा '२ सितम्बरको उन्होंने इलाहाबादकी एक सभामें भाषण किया जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तमदास टण्डनने की। जिस समय सभाकी कार्यवाही चल रही थी उसी समय पानी बरसने लगा लेकिन श्रोतागण खान-बन्धुओंके भाषण सुननेके लिए जमे बैठे रहे। इस भाषणमें खान अब्दुल गफ्फार खान कहा, 'सीमा प्रांतका एक बालक तक जानता है कि भारत उसका अपना देश है। एक पठान बालकने किसी अंग्रेजको देखा तो वह तुरत बोल उठा अरे तुम अभीतक यहाँ हो?' सीमा प्रान्तके लोग यह अनुभव करते हैं कि यह देश उनका है और उनको इसपर शासन करना चाहिए। यही भावना मैं यहाँ भी जाग्रत करना चाहता हूँ।

खान-बन्धु गाधीजीके सान्निध्यमें अपना समय बितानेके लिए इलाहाबादसे वर्धा चले गये। उन्होंने वहाँ जमनालालजी बजाजका आतिथ्य ग्रहण किया। ४ सितम्बरको खान अब्दुल गफ्फार खाने निम्नांकित वक्तव्य प्रसारित किया

'मैं यह देख रहा हूँ कि कांग्रेसके इस वर्षके बम्बई अधिवेशनके अध्यक्ष पदके लिए मेरा नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। इसमें मित्रोंका जो उद्देश्य निहित है उसके प्रति मेरे मनमें सम्मान है। निस्सन्देह उनकी इच्छा मुझको एक मुसलमानको संकेत रूपमें यह सम्मान देकर हिन्दू मुस्लिम एकताके कारणको आगे बढ़ानेकी है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि मेरे प्रान्तने भारतकी स्वाधीनता

की लडाईमें जो त्याग किये हैं, उनके प्रति देशकी गुणग्राहकता व्यक्त करनेकी भी उनकी इच्छा है और इसी निमित्त मुझे यह सम्मान प्रदान किया जा रहा है।

"परन्तु मुझे यह घोषित करनेकी अनुमति दीजिए कि जैसा मै वार-बार कह चुका हूँ, मै एक विनम्र सेवक मात्र हूँ और मेरी आकाक्षा यह है कि मै अपने दिवस एक जनरलकी हैसियतसे नही अपितु एक स्वयंसेवकके रूपमे पूरे करूँ।

"मेरे मनमे यह भावना तभीसे सबसे ऊपर रही है जबसे कि मुझे भारतीय स्वाधीनताके संग्राममे एक स्वयंसेवकके रूपमे भर्ती होनेका सौभाग्य मिला है। इसके अलावा एक और बात है, वह यह कि एक स्वयंसेवक अथवा सिपाहीकी हैसियतसे भी मेरी सेवाएँ इस सम्मानके लिए अति अल्पकालीन रही है।

"इन कारणोसे मैं उन लोगोसे, जिन्होने मेरा नाम प्रस्तावित करनेकी कृपा की है, पूर्ण रूपसे निवेदन करूँगा कि वे इस प्रस्तावको वापस लेकर मुझे आभारी करें। फिर भी मैं इस ओर सकेत कर देना चाहता हूँ कि मेरे प्रदेशको ठोस मदद देनेके और भी तरीके हो सकते है।"

खान-वन्धु वर्धामे गाधीजीसे तीन सालके बाद मिले थे। उनके पास गाधीजी-से चर्चा करनेकी वहुत सी वाते थी। वे उनके निकट रहते थे, साथ भोजन करते थे और नित्य उनकी प्रार्थना सभामे सम्मिलित होते थे। खान-वन्धु आश्रम-वासियोंके बीचमे रहे। उन्होने उनके भोजनालयमे, जहाँ सवका इकट्ठा खाना वनता था, भोजन किया। प्राय. शामको वे गाधीजीकी प्रार्थना-सभामे कुरानकी आयते पढते थे। कभी-कभी खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने साथ प्रार्थनाके मैदान-मे चश्मा ले जाना भूल जाते थे। तव वे गाधीजीसे उनका चश्मा मागते थे। गाधीजी अपना चश्मा उतारकर उनकी ओर वढा देते थे। खान-भाइयोकी टहलनेकी आदत थी। वे आश्रमवासियोके साथ मैदानमे घूमने निकल जाते थे। वहाँ वे खेतोमे पत्थर इकट्ठे करते थे और उनको लाकर महिला आश्रममे जमा कर देते थे ताकि वे भविष्यमे कभी इमारतमे काम आये। वापस लौटनेपर वे वहुधा गाधीजीकी उनके पैर धुलानेमे मदद करते थे। साधारण रूपसे यह काम कस्तूर वा किया करती थी। गाधीजी और खान-वंधु एक-दूसरेको अत्यधिक चाहने लगे।

गाधीजीने २४ सितम्बरको मीरा वेनको लिखा, "दोनो भाइयोकी मित्रता मुझे ईश्वरके एक उपहारसी लगती है। यूरोपमे रहते हुए आपको प्राप्त होने-वाला शायद यह मेरा अंतिम पत्र होगा। खान साहव अब्दुल गफ्फार खाँ इन दिनो मेरे पास है। उनकी पुत्री उनके भाईकी पत्नीके साथ वहाँ रह रही है।

उनकी यह इच्छा है कि उनकी लडकी वापस चली आये और अपनी शिक्षा यहाँ आश्रममें ले। वे यह चाहते हैं कि वह आपके साथ भारत चली आये। यदि आप उससे मिलें, मेरा मतलब यह कि यदि समय रहते आपको मेरा यह पत्र *मिल जाय तो आप उस बालिकाको अपने साथ ही लेती आइए।"*

इस पत्रको बीचमें ही रोक लिया गया। इस पत्रकी एक प्रतिलिपि गृह विभागके मि० एम० जी० हलेटको भेजते हुए मि० वम्फाडने लिखा "पहले असहयोग आन्दोलनमें गांधीने अजी बन्धुओको वातल्य भरा था, अब वे खान बन्धुओके साथ वही काय कर रहे ह। सौभाग्यसे इन लोगोका प्रभाव केवल स्थानीय ह। *मि० हलेटने अपनी सरकारी फाइलम यह टिप्पणी लिखी*

"मेरा विचार ह कि इस पत्रकी एक प्रतिलिपि हम पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को भेज देनी चाहिए। जिस लडकीका इस पत्रमें उल्लेख किया गया ह उसे सरकारकी ओरसे निवाह भत्ता दिया जा रहा ह। इस भत्तेका मुख्य प्रयोजन यह ह कि उसे यहाँके दूषित वातावरणसे दूर रखा जाय परन्तु एसा प्रतीत होता ह कि हमारे प्रयत्न निष्फल गये।

जब एक अधिकारीने उनका यह बतलाया कि डा० खान साहबकी पत्नी और पुत्रको तो कुटुम्ब भत्ता दिया जा रहा ह परतु खान अब्दुल गफ्फार खाँकी लडकी को नहीं तब मि० हलेटने सीमा प्रान्तकी सरकारके सचिव (सेक्रटरी) को लिखा "इस पत्रके साथ म बीचमें ही रोके गये एक पत्रकी प्रतिलिपि सलग्न कर रहा हूँ जिसम कि *आपके शासनकी कुछ दिलचस्पी हो सकता ह। यदि वह* लडकी (खान अब्दुल गफ्फार खाँकी पुत्री) वहाँसे ले आयी जाती ह ता उसके लिए यह एक दयनीय स्थिति होगी परन्तु हम लाग इस मामलम कुछ कर सकेंगे ऐसा सम्भव नहीं लगता। म समझता हूँ उसे कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है।'

पजाबके धर्मोमादसे ग्रस्त एक समाचारपत्रने खान-बन्धुओंके ऊपर न केवल हिन्दू-मुस्लिम एकताका पक्ष लेनेके लिए आक्रमण किया अपितु शिक्षाके लिए अपने बालकोंका इगलण्ड और अमेरिका भजनके लिए उनकी मस्लिम धमकी आस्था पर भी सन्देह प्रकट किया।

एक बार गाधीजी डा० खान साहबकी अग्रेज पत्नीके सम्बन्धमें या ही कुछ *बातें पूछने लगे। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने इसलाम धर्म स्वीकार कर लिया* ह?' खान अब्दुल गफ्फार खाँ बोले 'आपको यह सुनकर आश्चर्य तो होगा परन्तु मैं स्वय भी नहीं जानता कि वे मुसलमान हैं या ईसाई? मं केवल इतना

जानता हूँ कि उनका धर्म-परिवर्तन नही हुआ और उनका जो भी धर्म हो, उसे पालनेकी उनको पूरी स्वतत्रता है। मैने उनसे इस सम्बन्धमे कभी कुछ नही पूछा और भला मै पूछता भी क्यो ? क्या पति और पत्नी साथ रहते हुए अपने-अपने धर्मोका दृढताके साथ पालन नही कर सकते ? विवाहके कारण किसीके धार्मिक विश्वासोमे परिवर्तन क्यो किया जाय ? एक विनोदपूर्ण बात है। मेरे भाईके लडकेने, जिसने अभी लन्दन मैट्रीकुलेशनकी परीक्षा उत्तीर्ण की है और जो आगे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमे प्रवेश लेनेका विचार कर रहा है, अपने पिछले पत्रोमेसे एकमे मुझे लिखा है कि उसके साथी उसे ईसाई समझते है और वह स्वयं भी नही जानता कि वह उनसे क्या कहे ?"

'ठीक है' गाधीजी बोले, "आपने अपने भाईकी पत्नीके सम्बन्धमे जो कुछ बतलाया उससे मुझे आश्चर्य तो हुआ ही, प्रसन्नता भी हुई। लेकिन इस मामलेमे अन्य मुसलमान क्या सोचते है ? इस सम्बन्धमे उनके विचार आप जैसे तो नही होगे।"

"नही, मै जानता हूँ कि अधिकतर लोगोके विचार ऐसे नही है।" खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, "लेकिन उनके स्वयंके बारेमे यह कहा जा सकता है कि एक लाख व्यक्तियोमेसे एक भी इस्लामकी सच्ची भावनाको नही समझता। हमारे पारस्परिक झगडोमेसे अनेकके मूलमे यह अज्ञान है। उभय पक्षो, हिन्दू और मुसलमानोने, जिनका स्वार्थ सधा उन्होने, आवेश और पूर्वाग्रहकी लपटोको हवा दी। हम पतनके कितने गहरे गर्तमे चले गये है ! सन् १९३० मे जब मै गुजरात जेलमे था तब मैने यह निश्चय किया कि मै अपने हिन्दू-बन्धुओसे सम्पर्क बढानेमे अधिक समय दूँगा और हम लोगोने यह निश्चय किया कि एक-दूसरेको और भी अच्छी तरह समझनेके लिए गीता और कुरानकी कक्षाएँ चलायी जायँ। जिन व्यक्तियोको विषयका पर्याप्त ज्ञान हो और जिनका उनपर अधिकार हो वे ही सज्जन इन ग्रन्थोका अध्ययन कराये। कुछ समयतक तो ये कक्षाएँ चलती रही परन्तु अन्तमे अध्ययन करनेवालोके अभावमे उनका क्रम टूट गया। गीताकी कक्षा-मे मै ही अकेला विद्यार्थी रह गया और इसी प्रकार कुरानकी कक्षामे भी केवल एक शिष्य। इन मित्रका नाम इस समय मुझे स्मरण नही है। लोगोने इस प्रयास-को पसन्द नही किया और परिणाम यह हुआ कि हम दोनो उनके तानोके शिकार बन गये। वे मुझे 'हिन्दू' और उनको 'मुसलमान' कहकर व्यंग्य करने लगे।

"परन्तु मैने अपना गीताका क्रम चालू रखा। मैने उसका तीन बार अध्ययन किया। मेरे विचारमे हम यह नही समझ पाते कि सारे धर्म अपने अनुयायियोको

पर्याप्त प्रेरणा देनेमें समर्थ हैं और हमारी यह असमर्थता ही हमारे झगड़ोंका मूल कारण है। कुरान शरीफ कहता है कि ईश्वरने सारे राष्ट्रों और सारे समाजोंमें अपने पैगम्बर भेजे हैं और उन सबने भी जिन्होंने उनकी निरन्तर सावधान किया है। व उनके अपने पैगम्बर हैं। ये सब 'अहले किताब' (ग्रन्थ पुरुष) हैं। हिन्दुओंमें भी पैगम्बरों और ईसाइयोंमें कम 'अहले किताब' पैदा हुए।'

'परन्तु यह तो एक परम्परागत मुसलमानका मत नहीं है।" गांधीजीने कहा

'मैं यह जानता हूँ। मुसलमानोंको अपने कुरान शरीफमें हिन्दुओं और उनके ग्रन्थोंका उल्लेख नहीं मिलता। इसका कारण यह है कि कुरानमें बहुत विस्तार युक्त सूची नहीं बल्कि दृष्टान्त दिये गये हैं। उसमें केवल सिद्धान्त सामने रखे गये हैं। उदाहरणार्थ, जिन्होंने ग्रन्थोंकी प्रेरणा प्रदान की है वे 'अहले किताब' की श्रेणी में आते हैं। मैं इस बारेमें पूरी तरहसे निश्चित हूँ कि मूल पाठ उन सबको समाहित करता है जिन्होंने अपने विश्वास और आचारको क्रियान्वित करनेके लिए ग्रन्थोंकी प्रेरणा दी है। मैं तो इससे भी आगे बढ़कर यह कहनेको तैयार हूँ कि सारे धर्मोंका मूल सिद्धांत एक है। भिन्नता उसके ब्यौरोंमें है और इसका भी कारण है। प्रत्येक धर्मका जिस भूमिमें उद्भव होता है वह उसीके रङ्ग और स्वाद को ग्रहण करता है।

"हम इसका एक अत्यंत सरल उदाहरण लें। इस्लाम और हिन्दू धर्म दोनों में स्वच्छताके ऊपर अत्यधिक बल दिया गया है। स्वच्छताके प्रश्नपर न उनमें कोई मतभेद है और न वह सम्भव है फिर भी उनके अभ्यास अथवा आचरणमें अन्तर पड़ गया। इस्लाममें दांतोंकी स्वच्छताके लिए सूखे ब्रशको काम लानेके लिए कहा गया है और हिन्दू धर्ममें हरी ताजी दातुनको उत्तम बतलाया गया है।

'हिन्दू धर्ममें नित्य स्नान करने अथवा अधिक बार स्नान करनेकी महिमा है जब कि इस्लाममें सप्ताहमें कमसे कम एक बार पूर्ण स्नान करनेपर बल दिया गया है। यह बात क्या सूचित करती है? इससे पता लगता है कि हिन्दू धर्मका प्रारम्भ गंगाके मैदानी क्षेत्रमें हुआ जहाँ कि जलका कोई अभाव नहीं है और इस्लामका प्रादुर्भाव उस रेगिस्तानी भूमिमें जहाँ कि कभी-कभी कई दिनोंतक पानीकी एक बूँद मिलना भी कठिन हो जाता है। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस्लाम मुसलमानोंके नित्य स्नान करनेका अथवा उनके ताजी हरी दातुनके प्रयोग करनेका विरोधी है। विविध धर्मोंमें व्यक्तियोंके व्यवहारमें जो अन्तर दृष्टिगोचर होता है वह इसके अतिरिक्त और कुछ सूचित नहीं करता कि

प्रत्येक धर्म एक विशिष्ट भूमिमे जन्मा है। मै किसी ऐसे कालकी कल्पना नही कर सकता जब कि सारे विश्वमे केवल एक ही धर्म होगा। प्रत्येक समाज अपने निजके धर्मपर आश्रित होता है और इसका कोई अर्थ नही है कि एक समाज दूसरे समाजके विश्वासमे व्यवधान डालनेकी चेष्टा करे।''

उनकी रायमे फिर भी इसका अर्थ यह नही था कि समाज अपने बीचमे एक ऐसी विभाजन रेखा खीच ले कि एकका दूसरेसे कोई सम्बन्ध ही न रह जाय। उन्होने कहा, ''जब हम प्रत्येक स्टेशनपर 'हिन्दू पानी', 'मुसलिम पानी', 'हिन्दू चाय', 'मुसलिम चाय' की पुकार सुनते है तो हमारी जान आफतमे पड जाती है। एक हिन्दू अथवा एक मुसलमानको, एक-दूसरेके पात्रसे पानी लेकर पीनेमे क्यो आपत्ति होनी चाहिए, यदि वह जल स्वच्छ है?''

फिर भी इस मामलेमे या अन्य किसी मामलेमे किसीके ऊपर दबाव डालनेका कोई प्रश्न नही उठता। सन् १९२२ के दिनोकी एक घटनाका उल्लेख करते हुए, जब कि वे डेरा गाजी खॉं जेलमे थे, अब्दुल गफ्फार खॉंने महादेव देसाईसे कहा, ''मेरे साथके कैदी शाकाहारी भोजन किया करते थे। उनकी भावनाओपर किसी प्रकारकी ठेस न लगे इसलिए छ माससे भी अधिक समयतक मैने मास नही खाया, परन्तु इसका मेरे स्वास्थ्यके ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पडा। डाक्टरोने मुझसे बहुत जिद की कि मै मास खाना शुरू कर दूं। उन्होने यह सलाह दी कि यदि मै अपने सारे दातोको नही खोना चाहता तो मुझे मिला-जुला भोजन करना चाहिए। मै बडी मुश्किलसे इसपर तैयार हुआ। अब यह प्रश्न सामने आया कि मास पकाया कहॉं जाय? जेलके अधीक्षकने मुझसे कहा कि वह वही बनेगा जहॉं कि सबकी रसोई पकती है। मैने कहा कि ऐसी स्थितिमे मै मास खाना छोड दूंगा परन्तु अपने साथियोकी ग्रहण-शक्तिपर कोई आघात न पहुचाऊँगा। अधीक्षक भला आदमी था, उसने मेरी बातपर मास पकानेके लिए एक अलग रसोईघर दे दिया। परन्तु मेरे कुछ सिख और हिन्दू मित्रोको मेरा मासाहार सह्य न हुआ। हमको एक-दूसरेकी भावनाओका ख़याल रखना चाहिए। उसके बिना हम हिन्दू-मुस्लिम एकताके लक्ष्यको नही पा सकते।

''मैने लोगोको आपके हरिजन आन्दोलनके सम्बन्धमे भी शकाएँ प्रकट करते हुए सुना है महात्माजी!' खान अब्दुल गफ्फार खॉंने एक दिन अपनी चर्चामे गाधीजीसे कहा, ''यहॉंतक कि आपके यरवडा पैक्ट और आपके चौबीस दिनोके उपवासके सम्बन्धमे भी लोगोको गलतफहमी है। आपके बारेमे हमसे यह कहा गया है कि आप साम्प्रदायिक हो गये है। हमने साहसपूर्वक इस प्रकारकी आलो-

उसको पगोडा इसका अस्वीकार कर दिया। आखिर तो यह एक विशुद्ध मानवतावादी आन्दोलन था। एक धर्मके अनुयायियोंको अपने स्वयं के धर्मके व्यक्तियोंके साथ तो किसी प्रकारके छुआछूतका व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। आपको याद होगा, मैंने अपने भाईको देनेके लिए अलग तार भेजा था।

महादेव देसाईने खान अब्दुल गफ्फार खाँको एक उन्मादी साप्ताहिक पत्रकी कतरन दिखलायी जिसमें कि किसी मुसलमान द्वारा गांधीजीके उपवासकी आलोचना की गयी थी। महादेव देसाईने उनसे पूछा कि क्या जैसा यह लेखक प्रतिपादित करता है, इस्लाममें ठीक उसी प्रकारके उपवासकी स्वीकृति दी गयी है जैसा कि परम्परामें चलता आ रहा है और जिसमें दिनके समय सब प्रकारका भोजन-पान वर्जित होता है और सूर्यास्त तथा सूर्य उगनेके बीचके समयमें उपवासको तोड़ा जा सकता है? 'यह सब व्यर्थ बात है।' खान अब्दुल गफ्फार खाँने कुछ रोषमें कहा, 'पिछले अगस्तमें जब गांधीजीने उपवास किया था तब मैंने भी पूरे सात दिनोंतक पूर्ण उपवास किया था। उन दिनोंमें शामको केवल नमक मिला हुआ पानी लेता था। यह कहना इस्लामका मजाक उड़ाना है कि मुसलमानोंकी भीड़ जैसा उपवास रखा करती है वही उसका सच्चा तरीका है। स्वयं पैगम्बर [मुहम्मद साहब] को भोजनकी आवश्यकता न थी क्योंकि जैसा उन्होंने स्वयं कहा है, *अल्लाह उनको आत्मिक भोजन भेजा करता था।* उसे सामान्य मनुष्य नहीं पा सकते क्योंकि उसके लिए जिस विश्वासकी आवश्यकता है वह उनमें नहीं है। इस पत्रकी आलोचना उस व्यक्ति जैसी है जिसने कि सप्ताहमें एक दिन मौन रखने और गीता पढ़नेके कारण मुझे हिंदू करार देनेकी चेष्टा की थी। पंजाबके कुछ उर्दू समाचार-पत्र मेरे विरुद्ध सब प्रकारके आक्षेप लगाते हैं और उनको फैलाते हैं। एक पत्रने तो ऐसा कोई मौका न छोड़ा जब कि पहले मुझे इस्लामका शत्रु न बतलाया हो।

"किसी भी परम्परानिष्ठ मुसलमानकी अपेक्षा वे कहीं अधिक सच्चे मुसलमान हैं।' महादेव देसाईने लिखा है, 'जहाँतक मैं समझता हूँ उन्होंने कभी कोई नमाज नहीं छोड़ी और अनेक तथाकथित परम्परा निष्ठ मुसलमानोंकी अपेक्षा उनमें *बन्धुत्वकी भावना कहीं अधिक मौजूद है।* बड़े भाई [डॉ० खान साहब] ने अनेक वर्ष विदेशमें बिताये हैं। जैसा कि उनका दावा है उनके मित्रोंमें विभिन्न राष्ट्रों और मतोंके लोग हैं। उनमें व्यक्ति चुननेकी अद्भुत क्षमता है परन्तु जहाँ तक उनकी धार्मिकताका प्रश्न है उन्हें अपने पिताकी धार्मिक भावना मानो उत्तराधिकारमें मिली है अपने छोटे भाईसे किसी प्रकार भी कम नहीं। यो वे

वहुधा मन-वहलावके लिए कह दिया करते है, 'मेरे भाई मेरी ओरसे भी नमाज पढ लिया करते है ।' मेरी दृष्टिमे छोटे भाईकी सबसे महान वस्तु उनकी अपनी आध्यात्मिकता है अथवा उससे भी अधिक इस्लामकी सच्ची भावना, अर्थात् उनका ईश्वरके समक्ष विनत होना, समर्पण करना है । उन्होने गाधीजीके समग्र जीवन-को इसी गजसे मापा है और उनका गाधीजीकी ओर झुकाव मात्र इसी कारणसे हुआ है । वे गाधीजीके नाम या प्रसिद्धिसे आकर्पित नही हुए, न उनके राजनीतिक कार्यसे तथा न उनकी विद्रोह अथवा क्रातिकी भावनासे । गाधीजीके पवित्र, तपस्वी जीवन तथा उनकी आत्म-शुद्धिपर वल देनेकी प्रवृत्तिने खान अव्दुल गफ्फार खाँको अपनी ओर सवसे अधिक खीचा है । गाधीजीका समग्र जीवन, सन् १९१९ से आगे आत्म-शुद्धिका एक स्थायी प्रयास रहा है । मुझे ऐसे वहुतसे मुसलमानोकी मित्रताका सौभाग्य प्राप्त है जो इस्पातकी भाँति खरे है और जो हिन्दू-मुस्लिम एकताके लिए सर्वस्व निछावर करनेको तैयार है परन्तु उनमेसे एक भी ऐसा नही है जिसमे खान अव्दुल गफ्फार खाँकी स्फटिक जैसी निर्मलता तथा जीवनकी कठोर तपशीलताके साथ ही हद दर्जेकी सुकुमारता और ईश्वर की जीवंत श्रद्धाका समावेश हुआ हो । महान् हो या कमसे कम उनके समकक्ष ही हो ।"

"खान अव्दुल गफ्फार खाँ एक सिपाही है ।" महादेव देसाईने लिखा है, "ऐसे सिपाही, जिनके आदेशका पालन करनेके लिए हजारो-लाखो सिपाही तत्पर रहते है और उनकी आज्ञाओको पालते है । छल-छिद्र और आडम्बर उनको व्याकुल करता है । ऐसा नेतृत्व, जिसमे महानतम सेवाके अतिरिक्त अन्य बातोका समावेश हुआ हो, उनकी समझमे नही आता । निर्माणात्मक कार्यक्रमके लिए वे नवदीक्षित व्यक्ति नही है । वे उन सव कार्यक्रमोमे कोई रुचि नही लेते जिनमे दिखावा होता है, सर्जनात्मक कार्य नही । 'हमारे प्रदेशकी ओर वहुतसे जुलाहे लोग थे परन्तु अव वे धीरे-धीरे कम होते जा रहे है । यदि मै चरखेका सन्देश अपने जिलोमे फैला सका तो मै अपनेको अत्यन्त आभारी समझूँगा, लेकिन जब तक मै स्वय कातना न सीख लूँ और नियमित रूपसे न कातूँ तबतक मेरे लिए चरखेकी वात करनेका कोई अर्थ नही है ।' वे वोले और फिर वे कातना सीखने-के लिए वैठ गये । तीन-चार दिनमे ही वे अच्छा, ऐंठा हुआ सूत कातने लगे ।

समाजवादी सिद्धान्तको लेकर जो भी व्यक्ति उनके पास तर्क करने आता, उससे वे कहते थे, "गाधीजीसे सच्चा समाजवादी मुझे कोई और वतलाइये । हम लोग उसके पीछे चलेंगे ।" और उनकी दृष्टि पिछले दिनोकी ओर घूम जाती

थी जब कि उनके जिलाम एक नियत समयपर जोता या चकोका वितरण हुआ करता था। 'खानगीरी, जो जमीदारीका ही एक दूसरा नाम है, अग्रेजोंकी उत्पत्ति है।" जोताके पुनर्वितरणपर चर्चा करते हुए उन्होंने मुझसे कहा। उनकी इस बातको मै पूरी तरहसे न समझ सका। उन्होंने इसे अधिक स्पष्ट किया, 'इस तरहकी खानगीरी या जमीदारीको इसलिए प्रारम्भ किया गया कि वह नये स्थापित शासनको सहारा देनेके लिए खम्भेका काम करे। मेरे दादाको एक खान बनाकर सौ एकड भूमि दी गयी थी, इस बातके बावजूद मै आपसे यह कह रहा हूँ। यह सन १८४८ की, ब्रिटिश शासनकी स्थापनाके लगभग पचीस वर्ष बादकी बात है। इससे पहले हमारे यहाँ खान लोगोका एक जिरगा हुआ करता था। वह सारे गाँवोकी और उन गाँवोंमेसे प्रत्येकके भूमिक्षेत्रकी गणना करता था और फिर पर्चियाँ डालता था। प्रत्येक पचीस सालके बाद पूरी घटनाकी आवृत्ति होती थी। सब लोगोके पास जिनमे खान भी शामिल थे वस्तुत एक ही आकारके चक रहते थे और इस पुनर्वितरणकी पद्धतिके अन्तर्गत समस्त जनसख्या एक गाँवसे बदलकर दूसरे गाँवमे पहुँच जाती थी। मै इससे सच्चे समाजवादकी कल्पना नहीं कर सकता।

खान-बन्धुओकी बातचीतके दौरान बहुत बार उनके विचार उन पहाडियो उस नदी और उस छोटेसे टापूकी ओर वापस भाग जाते थे जिसके ऊपर उन्होंने अपना-आश्रय स्थान बनाया था। वे यह स्वप्न देख रहे थे कि एक दिन गाधीजी वहाँ उनके अतिथि होगे। यहाँ आपका आश्रम होगा महात्माजी उन्होंने कहा, मै इससे अधिक शान्तिमय और सुदर स्थानकी बात सोच भी नही पाता। पेशावरकी समूची घाटी सब तरहके फलोंसे भरी पूरी है। हम आपको विश्वास दिलाते है कि वहाँ आपका वजन कई पौंड बढ जायगा।' वे अपने गनेके खेतो की अपनी गायोंके बढिया, मक्खनदार दूधकी जिसका कि केवल मक्खन बनता था और अपनी भैंसोकी बातें करने लगे जिनके दूधको वे और कामम लाते थे। लेकिन अब वे खेत कहाँ है और उनका क्या हो रहा है यह हम भी नही जानते। निर्वासनकी घरसे बाहर रहनेकी एक गिनतीके साथ उन्होंने कहा।

गाधीजीके लिए यह एक तीक्ष्ण आत्मावलोकनका समय था। उनकी प्रवृत्तियो और सम्मान इस अफवाहको जन्म दिया कि वे काग्रेससे बिल्कुल छोड देनेका विचार कर चुके है। १७ सितम्बर १९३४ को गाधीजीने वर्धासे एक वक्तव्य दिया जिसमे उन्होंने इसकी पुष्टि की और कारण स्पष्ट किये

'यह अफवाह कि मैने काग्रेससे अपने नैतिक सम्बन्ध पृथक कर लेनेका

विचार किया है, सच थी । इसके आगे-पीछेकी सभी स्थितियोपर पूर्ण रूपसे विचार करनेके पश्चात् मैने एक सुरक्षित और दूरदर्शी मार्गको चुना है । मैने सोचा है कि मै काग्रेसकी अक्तूबर महीनेकी बैठकसे पहले कोई आखिरी निर्णय न करूँ । मेरे निर्णय स्थगित करनेके विचारको एक अन्य आकर्षक विचार पीछेसे वल दे रहा है । मै इससे अपनी धारणाकी सचाईका परीक्षण करना चाहता हूँ । मुझे यह लगने लगा है कि काग्रेसका एक वहुत वडा वुद्धिप्रधान वर्ग मेरी कार्य-प्रणालीसे, मेरे विचारोसे और उन विचारोपर आधारित कार्यक्रमसे एक थकानका अनुभव करने लगा है । मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा है कि मैं काग्रेसके सहज विकासके लिए एक सहायक तत्त्व नही वल्कि एक वाधा वन गया हूँ ।

"यदि मुझे यह परीक्षण करना है कि मेरी निजकी धारणा सत्य है अथवा नही तो मुझे जनताके समक्ष वे समस्त कारण प्रस्तुत करना चाहिए जिनपर मेरी धारणा एव मेरा काग्रेससे पृथक् होनेका प्रस्ताव आधारित ह ।

"काग्रेसने देशके सामने अपना जो कार्यक्रम रखा है, उसके अतिरिक्त मेरा निजका कोई कार्यक्रम नही है, और उसका वह कार्यक्रम है अस्पृश्यताका निवारण, हिन्दू-मुस्लिम एकता, पूर्ण नशावन्दी, खादीके लिए हाथसे सूत कातना, ग्रामीण उद्योगोको नवजीवन देनेके लिए स्वदेशीका प्रचार तथा सात लाख गाँवोका सामान्य रूपसे पुनर्गठन, जो कि हमारे देश-प्रेमकी भावनाको पूर्ण परितुष्टि दे सके ।

"व्यक्तिगत रूपसे मै भारतके किसी गाँवमे अपनेको समाधिस्थ कर देना चाहता हूं । उसमे भी मै सरहदका गाँव अधिक पसन्द कर रहा हूँ । यदि खुदाई खिदमतगार वास्तवमे अहिंसावादी है तो वे अहिंसाकी भावना तथा हिन्दू-मुस्लिम एकताको आगे वढानेमे सवसे अधिक योगदान देंगे क्योकि यदि वे मन, वचन और कर्मसे अहिंसामे विश्वास करते है और यदि वे हिन्दू-मुस्लिम एकताके सच्चे प्रेमी है, तो निश्चित ही हम उनके द्वारा इन वातोको पूरा होते हुए देखेंगे, जिनकी कि इस देशको सवसे अधिक आवश्यकता है । अफगानोकी धमकी, जिसका हमे इतना अधिक भय है, तव अतीतकी एक वस्तु वन जायगी । इसलिए मै अपने निजके लिए इस दावेकी सचाईको परखना चाहता हूं कि उन्होने अहिंसाकी भावनाको आत्मसात् कर लिया है और उनका हिन्दू-मुसलमान तथा अन्य लोगोकी एकतामे हृदयसे विश्वास है । मै व्यक्तिगत रूपसे यह भी चाहता हूं कि इस प्रकार या अन्य तरीकोसे मै उनतक चरखेका सन्देश पहुंचा दूँ । मै काग्रेसके भीतर रहूँ या वाहर, अपने विनम्र ढंगसे उसकी सेवा करना मुझे प्रिय लगेगा ।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ

जब खान अब्दुल गफ्फार खाँसे गांधीजीकी प्रस्तावित निवृत्ति और उनके वक्तव्यके सम्बन्धमें पूछा गया तो उन्होंने महादेव देसाईसे कहा : 'मुझे उनके इस निर्णयको जानकर आश्चर्य नहीं हुआ। उनके निर्णयोंपर प्रश्न करना मुझे कभी सरल नहीं लगा क्योंकि वे अपनी सारी समस्याएँ ईश्वरपर डाल देते हैं और हमेशा उसकी आज्ञाओंको सुनते हैं। प्रत्येक महान सुधारक ऐसा ही होता है और प्रत्येक सुधारकके जीवनमें एक ऐसी स्थिति आती है जब कि उसे अपने अनुगामियोंको छोड़ना पड़ता है। उन लोगोंकी सीमाएँ और दुर्बलताएँ उसे कुचल नहीं पातीं और वह अपने विस्तीर्ण डैनोंसे लगातार ऊँचाइयोंकी ओर उड़ता जाता है। परन्तु ऐसा करके वह अपनी सेवाओंकी पहुँच और गतिको सीमित नहीं करता बल्कि उन्हें बढ़ाता है। यह कुछ होते हुए भी मेरे पास नापनेका केवल एक ही पैमाना है और वह नाप ईश्वरके समक्ष अपनेको समर्पित करना है।'

गाँवोंमे कार्य

१९३४

वर्षामे सितम्बरमे काग्रेस कार्यसमितिकी वैठक हुई। इस अवसरपर मौलाना आजादने वंगालके मुसलमानोकी ओरसे सामान्य रूपसे और कलकत्ताके पेशावरी दूकनदारोकी ओरसे विशेप रूपसे खान अब्दुल गफ्फार खाँको आमंत्रित किया। उन्होने कहा कि वे सव यह चाहते हे कि आप निकट भविष्यमे कलकत्ता पधारे। खान अव्दुल गफ्फार खाँने अपनी स्वीकृति दे दी परन्तु गाधीजी उनको वहाँ भेजने के लिए तैयार नही हुए। उन्हे यह आशका थी कि कही सरकार खान अब्दुल गफ्फार खाँको फिर गिरफ्तार न कर ले। मौलाना आजादके आग्रहपर किसी प्रकार गाधीजीने अपनी स्वीकृति दे दी। खान अव्दुल गफ्फार खाँको गाधीजीसे विस्तारसे सारी हिदायते लेनी पडी कि वे वहाँ क्या कहेगे और कैसे कहेगे?

३० सितम्बर १९३४ को खान वन्धुओके सम्मानमे कलकत्ताके टाउनहॉलमे सार्वजनिक सभाका आयोजन किया गया जिसमे मौलाना आजाद, डॉ० विधान-चद्र राय तथा वंगालके कई प्रतिष्ठित नेता उपस्थित थे।

सभाको सम्वोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने हिन्दू-मुस्लिम एकता पर वल दिया और कहा कि उनकी रायमे राजनीतिक स्वतंत्रताकी उपलब्धिके लिए वही सवसे प्रभावकारी शस्त्र है। जवतक हिन्दुस्तानके दो वहु-सख्यक समुदायोके सार्वजनिक और राजनीतिक मत-भेद दूर नही हो जाते तवतक वे अपने लक्ष्यकी ओर वढनेमे समर्थ नही हो सकेगे। किसी समय हिन्दुस्तान 'स्वर्ण-भूमि' कहलाता था। इस समय उसकी क्या दशा है? उसके निवासी नंगे है और भूखो मर रहे है। उनकी इस दुर्दशाका कारण हे दासत्व और विदेशी प्रभुत्व। अंग्रेजोने हिन्दुस्तानको तलवारके वलपर कभी नही जीता। इतिहास यह सिद्ध करता हे कि उन्होने उसे धोखे और चालवाजियोसे लिया है। जातियोकी पारस्प-रिक फूटने उनकी इस मामलेमे सहायता की। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने श्रोतागणका इस वातके लिए आवाहन किया कि वे केवल शेक्सपियर, वेकन, लेनिन और ट्राटस्कीकी रचनाओको ही न पढे वल्कि भारतीय साहित्य और दर्शनका भी अध्ययन करे।

अपने भाषणके निष्कर्षमे उन्होने कहा कि अल्प-सख्यक समुदायोके मनमे इन

दियो यह भ्रात धारणा जम गयी ह कि जग ही ब्रिटिश राज समाप्त होगा वैसे ही इस नाम हिन्दू राजकी स्थापना हो जायगी और उनका भाग्य जसाका तसा रहेगा। यदि थोडी देरके लिए हम उनकी यह बात भी मान लें तो उस स्थितिमें स्वराजकी सम्पदा तो दोनोंमें रह जायगी और यदि अल्पसंख्यक समाजोंके लोग गुलाम भी रहेंगे तो उनका पेट तो भरा रहेगा। सफेद लोगोंकी दासतामें और काले लोगोंकी दासतामें यह तो अन्तर होगा ही। उन्होंने समस्त समुदायोंसे यह अपील की कि व अपने लक्ष्य, भारतकी स्वाधीनताको प्राप्त करनेके लिए पहलेसे शीघ्रता के साथ एक हो जाय।

इसके पश्चात डा० खान साहबने भाषण किया। उन्होंने खुदाई खिदमतगार आन्दोलनके सम्बन्धमें विस्तारसे सब बातें बतलायी और कहा कि वह शुद्ध रूपसे एक समाजसेवी संगठन था परन्तु सरकारने उसे लाल कुर्ती दल, एक उग्र संगठन का नाम दे दिया और उसे बोल्शेविकों जसा राजनीतिक रंग दे दिया। उन्होंने अपने संगठनके उद्देश्य और लक्ष्य बतलाते हुए कहा कि उसका उद्देश्य विशाल मानवताके किसी भी रूप अथवा अंगकी सेवा करना ह।

२ अक्तूबरको बंगालके विद्यार्थियोंने अलबर्ट हालमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ को एक अभिनन्दन पत्र भेंट किया। इस अवसरपर श्री ज० सी० सेन गुप्त सतीशचन्द्र दास गुप्त प्रोफेसर खान अब्दुल रहमान तथा अन्य प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाने कहा म आपसे प्रार्थना करता हू कि आप मुझको सरहदी गाधी न कह क्योंकि गाधी एक ही रहना चाहिए। यदि दो गाधी हो गये, तो उनमें झगडा होगा ही। महात्मा गाधी हमारे जनरल ह और जनरल एक ही होना चाहिए इसलिए कृपया मेरे नामके साथ गाधीजीका नाम न जोडिए। आपने मेरे ऊपर जो प्रशंसाके फूल बरसाये म उनका उपयुक्त पात्र नही हूँ। जिन सेवाओंके लिए आपने मेरी इतनी सराहना की व भी मुझमें सम्पन्न नही हो सकी ह। वास्तवमें आपकी इस प्रशंसाका श्रेय अहिंसाकी उस प्रणालीको होना चाहिए जिसने हमारे यहाके लोगोंके स्वभावको बदल दिया है। पहले पठान लोग तुच्छ बातोंको लेकर नित्य लडा झगडा करते थ परन्तु अहिंसाके सिद्धान्तको अपना लेनेके बाद अब उनका स्वभाव ही बदल गया ह। पठान किसीको मार डालना एक साधारण-सी बात समझते थे और उसपर सोचतेतक नही थे परन्तु आज व कितने आश्चर्यजनक रूपसे अहिंसक हो गये ह। खुदाई खिदमतगारोंके ऊपर गोलियाँ चलायी गयी जिनके कारण लगभग पाँच सौ व्यक्ति मारे गये और अनेक

आहत हुए। पुलिस उनके घरोंमें घुस गयी और उसने उनकी महिलाओके साथ अशोभनीय व्यवहार किया फिर भी उन्होने हिंसाके मार्गको नही अपनाया।

"लार्ड इरविनने जव मुझे जेलसे रिहा कर दिया, तव मुझसे गोलमेज परिषद-मे भाग लेनेके लिए कहा गया। लेकिन मै वहाँ नही गया क्योंकि मै उसे समयका अपव्यय मानता था। कांग्रेस विधानसभाओमे पहुँचनेका प्रयत्न कर रही है। मै कांग्रेसके विरुद्ध विद्रोह तो नही करना चाहता लेकिन मै आपसे यह कह दूँ कि इस पद्धतिसे 'कम्यूनल एवार्ड' और 'ह्वाइट पेपर' को नही पलटा जा सकता। उन्हे तो हिन्दू और मुसलमानोकी एकतासे ही पलटा जा सकेगा। अंग्रेजोने इस वातको पूरी तरहसे जानते हुए कि वे आपको आपसमे लडाते रहेगे और राज्य करते रहेंगे, आपको थोडेसे अधिकार दे दिये है। मै आपसे कहता हूँ कि आपको त्याग करने ही पडेगे, आपको संगठित होना ही पडेगा और तब कही आप अपनी इच्छित वस्तुको प्राप्त कर सकेंगे।

"सीमा-प्रान्तमे ९५ प्रतिशत मुसलमान है परन्तु खुदाई खिदमतगारोका आदर्श ईश्वरके सव प्राणियोकी सेवा करना है। ईश्वरके दलमे केवल मुसलमान ही नही है वल्कि हिन्दू, सिख, अंग्रेज तथा और लोग भी है। आप खुदाई खिद-मतगारोको लाल कुर्ती या लाल कमीजवाले न कहा कीजिए जैसी कि मुसोलिनी-की या हिटलरकी कमीजे कही जाती है। हमारा अस्तित्व मानवताकी सेवाके लिए है। हमारा आन्दोलन राष्ट्रवादी नही वल्कि धार्मिक है। दोनोके वीचमे वहुत वडा अन्तर है। एक शान्तिके सिद्धान्तपर आधारित है और दूसरा युद्धपर। आप अहिंसात्मक प्रणालीसे लडिए और जीतकर स्वराज्यको प्राप्त कीजिए। आप अत्याचारियोके खिलाफ लडिए, चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, अंग्रेज या जर्मन कोई भी क्यो न हो।

"हम सविनय आज्ञा-भंग आन्दोलनमे शामिल नही थे, फिर भी एक रातको मुझे तथा सव प्रमुख कार्यकर्त्ताओको गिरफ्तार कर लिया गया। उसके वाद मै केवल दस महीने काम कर सका और इस वीचमे मैने तीन लाख स्वयसेवक भर्ती किये। समूचा सीमा-प्रात आतंकसे काप रहा था और स्त्रियोके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इतनेपर भी हमने हिंसाको स्वीकार नही किया। स्मरण रखिए, जव कोई पठानोके सम्मानपर आक्रमण करता है या उनकी महिलाओके साथ शोभनीय व्यवहार नही करता तो वे इसका वदला लेनेमे तनिक भी नही चूकते। परन्तु यह सव होनेके वाद भी वे शान्त रहे। अहिंसात्मक आन्दोलनने हमे यथार्थमे वीर वना दिया। इसका श्रेय मुख्य रूपसे महात्मा गाधी

कभी उच्चरित शब्दो द्वारा व्यक्त नही होता बल्कि प्रेमीकी आत्मा ही प्रमकी अपनी कसौटी होती ह। जब हमारा आपसे सम्पक हुआ तब हमार हृदयकी समस्त भावनाओंने अनेक रूपोंमें विशाल आकार ग्रहण कर लिया।

"यह सच ह कि आप हमारे साथ बहुत अल्पकाल रहे परन्तु हम इस प्रसग के महत्त्वको समयके मानसे नही मापेंगे। वे लोग वास्तवमें महान् होते हैं जिनका हृदय सबके लिए मुक्त होता ह। वे विश्वके सारे देशोंके होते हैं और वे समयकी सीमाओंको पार कर एक शाश्वत जीवन जीते हैं। मेरे शब्दोंपर विश्वास कीजिए आपने बहुत थोडे समयके लिए भी आश्रममें आनेकी जो कृपा की ह उसकी स्मृति हमारे हृदयाम सदैव ताजी रहेगी।

"सत्य आपके जीवनका मूल आधार रहा है और मुझे विश्वास ह कि आप अपने चारो ओर उसके प्रभावको प्रकाश पुजकी भाँति बिखेर रहे ह। हमने यह अनुभव किया है कि सत्यकी इस निष्ठाके अभावमें हमारे निजके समस्त प्रयत्न दिन प्रतिदिन कुण्ठित होते जा रहे ह। आप इस भूमिम जिसके दुर्भाग्यशाली प्राणी खडोमें बिखर गये है परमेश्वरके एक प्रयोजनको पूण करनेके लिए आये ह। अपने निजके बन्धुओके प्रति उनके मनमें जो घृणाका विष भरा ह और जिससे वे आत्म विनाशकी ओर निरतर बढते जा रहे ह, उससे आप उनको मुक्त करने आये हैं।

'इसमें हमको तनिक भी स देह नही ह कि आप अपने चरित्रकी महान शक्तिके अश मात्रसे यहाँके लोक-मानसको उद्दीप्त करनेमें समथ रहे ह। अपनी इस आभारपूर्ण अभ्यथनाको स्वीकार करनेकी हम आपसे प्रार्थना करते ह। यह हमारी हार्दिक कामना ह कि इस देशको जो मृत्युके मुखमें शीघ्र जानेवाले रोगी के सदृश ह, आप ओजपूर्ण स्वास्थ्य तथा सत्यका बल प्रदान करनेके लिए भविष्यमें कभी अधिक समय दें।"

खान-बन्धु अपनी बम्बई यात्रामें १४ अक्तूबरको रायपुरसे गुजरे। वहाँ उनके स्वागतके लिए रेलवे स्टेशनपर तीन सौसे अधिक व्यक्ति उपस्थित थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने डब्बेके सामने खडे होकर एक छोटासा भाषण किया। उन्होने कहा

'यदि आप गाँवोमें जायँगे तो वहाँ आपको भारतकी असली हालत देखनेको मिलेगी। गाँवोंमें लोग भूखों मर रहे हं और उनके पास तन ढँकनेको वस्त्र भी नही ह। समस्त भारतकी यही स्थिति ह। यही हिन्दू और मुसल्मान जो अपने को सोनेसे तौला करते थे, आज दासताके कारण अकिंचन बन गये हं। भारत

वासी इतने कायर हो गये है कि वे एक सिपाहीतकसे डरते है। यदि पुलिसका कोई दरोगा आ जाता है तब तो उनकी सूरत भी नही दिखलाई देती और यदि कही अंग्रेज दिखलाई दे गया तो फिर क्या पूछिए! यदि हिन्दू और मुसलमान मिल जाते है तो यह स्थिति नही रहेगी और निश्चय ही वे स्वाधीनताको प्राप्त कर लेंगे।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डॉ० खान साहब काग्रेसके वम्बई अधिवेशनमे सम्मिलित होनेके लिए १९ अक्तूबरको वम्बई गये। उन्होने यह यात्रा तीसरे दर्जेमे की। इन लोगोका स्वागत करनेके लिए रेलवे स्टेशनपर स्वागत-समितिके सौ स्वयंसेवक उपस्थित थे। उनके अतिरिक्त अपने वैण्ड वाजेके साथ पाँच सौ स्वयंसेवक वहाँ मौजूद थे, जिनमे पचास महिला स्वयंसेविकाएँ भी थी। खान-वन्धुओकी अगवानीके लिए वम्वईके एक हजारसे भी अधिक नागरिक स्टेशनपर उपस्थित थे। स्वागतकारिणी समितिके अध्यक्ष श्री के० एफ० नरीमानने खान-वन्धुओको गाडीसे उतरते ही पुष्पहार पहनाये। इसके दूसरे दिन गाधीजी वम्वई पहुँच गये। खान-बन्धु उनके साथ ही काग्रेस नगरमे विशेष रूपसे तैयार की गयी एक झोपडीमे ठहरे। फिर जवतक वे वहाँ रुके तवतक यानी २९ अक्तूवर तक वे गाधीजीके साथ ही रहे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने काग्रेसकी अध्यक्षताका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। वे अखिल भारतीय स्वदेशी प्रदर्शनीका उद्घाटन करनेके लिए भी तैयार नही हुए। स्वागत-समितिके सदस्योको उनसे इस प्रस्तावको स्वीकार करानेके लिए गाधीजीके पास जाना पडा तव कही उन्होने इसके लिए स्वीकृति दी। प्रदर्शनीके समय उनका परिचय देते हुए २० अक्तूवरको श्रीमती सरोजिनी नायडूने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ सीमाप्रातके एक लम्बे सिपाही है, यहाँ जितने भी लोग है उनसे कमसे कम एक गज लम्बे। वे सरल, विनम्र और सादे सैनिक है। यदि उनको अनुमति दे दी जाय तो वे पर्देके पीछे वैठना पसन्द करेगे, इसलिए नही कि वे कायर है वल्कि इसलिए कि अपने प्रचारसे उनको वहुत लज्जा लगती है। इस अवसरपर वोलते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा

"मै आपसे केवल यह कहना चाहता हूँ कि इस प्रदर्शनीके समारोहका उद्घाटन मेरे द्वारा कराकर आपने मुझे जो सम्मान दिया है उसके लिए मै आभारी हूँ। इस कार्यने मुझे अत्यन्त प्रसन्नता दी है, इसका कारण यह है कि मै स्वदेशी वस्तुओको हृदयमे चाहता हूँ। सन् १९३१ मे हम लोगोने सीमा-प्रान्तमे स्वदेशीका कार्य प्रारम्भ किया था। उसके वाद दुर्भाग्यसे मुझे जेल चला जाना

पडा और यह क्रम यही टूट गया । फिर मेरी इस सम्बन्धमें गाधीजीसे चर्चा हुई परन्तु वे यूरोप चले गये और उनके वापस लौटनेसे पहले ही भारतमें स्वाधीनता की लडाई छिड गयी । जब मैने इस देशमें भ्रमण किया और सारी स्थितिको प्रत्यक्ष देखा तब मेरा स्वदेशीपर और भी विश्वास बन गया । अब वह उत्तरोत्तर बढता जा रहा है ।

"सन् १९३१ में म बारडोलीमें था। वहां मने गांवामें विस्तत दौरे किये और खादीके कायको देखा । परन्तु उससे म उतना प्रभावित नही हुआ जितना कि अपने बगालके कुछ ही दिनो पहलेके दौरमें हुआ । अभी कुछ दिनो पहले ही मन बगालके गांवामें चरखेको सक्रिय काय करते देखा ह । वहां हन्दुओ और मुसल मानाकी दशा वडी दयनीय ह । जिन गांवामें चरखेसे सूत काता जाता ह वहां के निवासी कुछ पैसे कमा लेते ह और उससे एक बार खाना खा लेते ह लेकिन जिन गांवोमें चरखा नही पहुँच पाया ह वहांके लोग तो भूखो मरते ह । जो कुछ मने अपनी आंखोसे देखा ह म आपको वही बतला रहा हूँ । इस स्थितिको देखनेके बाद मेरी चरखेपर और भी आस्था बढ गयी । पहले म चरखा नही चलाता था लेकिन अब मने उसे चलाना शुरू कर दिया ह । इसका कारण यह कि यदि नेता देशके आगे स्वय अपना उदाहरण प्रस्तुत न करेंगे तो जनता उनके पीछे कसे चलेगी ? यदि महात्माजी स्वय चरखा न चलाते तो चरखेका तना प्रचार न होता और न उसको इतनी लोकप्रियता मिल पाती । कुछ लोग हते ह कि चरखा चलाना समयका अपव्यय है । उनका समय निश्चित ही धीजीके समयसे अधिक मूल्यवान नही हो सकता ।

"मने बगालमें कुछ खामियां देखी । वहां लोग चरखेसे सूत कातते ह लेकिन से बेच देते है और पहननेके लिए मशीनसे तयार किया गया कपडा खरीदते । उन्होने मुझसे यह कहा, 'मिलका कपडा भी तो इस देशका उत्पादन ह । ब मैने उनको बतलाया 'यह बिलकुल ठीक ह परन्तु मिलका लाभ एक व्यक्ति पास जाता ह । हमारा उद्देश्य यह ह कि उस लाभम सब लोग साझी र हो ।

म बडे मझडाके पक्षमें नही हूँ । म यह सुझाव देनेका साहस कर रहा हूँ काग्रेस और चरखा सघको प्रत्येक गांव, थाने और तहसीलको इस दिशामें त्मनिर्भर बनानेकी कोशिश करनी चाहिए ताकि वहांके लोग स्वय कातें बुनें र अपनी आवश्यकताओंको पूरा करें। इस प्रकार वे लोग अधिक लाभान्वित

"मै आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने देशमे ही बना हुआ कपड़ा पहने। यदि आप अपने देशके लिए इतना भी नही कर सकते तो और क्या करेंगे ?"

कराची अधिवेशनके लगभग साढे तीन वर्ष पश्चात् २६ अक्तूबरको बम्बईमे कांग्रेसका अधिवेशन हुआ। कांग्रेस नगरमे, जिसका नाम खान अब्दुल गफ्फार खाँके नामपर रखा गया था, लगभग ६०,००० व्यक्ति एकत्रित थे।

सहस्रो सत्याग्रहियोने जो शौर्यपूर्ण त्याग किये थे और जो यंत्रणाएँ सहन की थी उनके लिए कांग्रेसने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रको बधाई दी और अपने विश्वासको इन शब्दोमे लिपिबद्ध किया ·

"समग्र देशकी जनतामे जो जागर्ति परिलक्षित हो रही है वह इस अहिंसात्मक असहयोग और सविनय अवज्ञाके बिना कभी उत्पन्न नही हो सकती थी। कांग्रेसने जहाँ सविनय अवज्ञाके स्थगित करनेकी इच्छा और आवश्यकताको स्वीकार किया वही गाधीजीके उल्लेखके विना अहिसात्मक असहयोग और सविनय अवज्ञामे अपने विश्वासको भी दुहराया, 'स्वराज्य प्राप्त करनेकी यह प्रणाली, हिंसात्मक प्रणालियोसे, जिनका फल पीडा देनेवाले और पीड़ित दोनोके लिए मात्र आतंकवाद होता है, उत्तम है।"

कांग्रेसके सामने एक महत्त्वपूर्ण विचार-वस्तु उसके संविधानमे एक परिवर्तन था, जिसके लिए कि स्वयं गाधीजीने सिफारिश की थी। कुछ लोग कांग्रेसके स्वीकृत ध्येयमे 'शातिमय और वैधानिक' उपायोके स्थानपर 'सत्ययुक्त और अहिंसात्मक' शब्द रखना चाहते थे परन्तु अखिल भारतीय कांग्रेस समितिने यह सुझाव दिया कि यह संशोधन पहले सम्मतिके लिए समस्त प्रान्तोमे प्रसारित किया जायगा।

खद्दरके वस्त्र निर्धारित करनेके सम्बन्धमे एक पृथक् प्रस्ताव पारित हुआ

"कोई भी सदस्य, यदि वह हाथके कते हुए और हाथके बुने हुए खद्दरको पहननेका अभ्यस्त नही है तो वह किसी भी पद या कांग्रेस समितिकी सदस्यताका पात्र नही समझा जायगा।"

श्रमकी योग्यताके सम्बन्धमे पहली वार यह आवश्यक समझा गया, "जिस व्यक्तिने पिछले छः मासोमे लगातार शारीरिक श्रम न किया हो वह कांग्रेस समितिकी सदस्यताके चुनावमे उम्मीदवारीका पात्र नही समझा जायगा।"

२८ अक्तूबरको कांग्रेसने अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग परिषद्को संगठित करनेके सम्बन्धमे अग्रलिखित प्रस्ताव पारित किया

' इस दृष्टिसे कि अपने प्रारम्भकालसे काग्रेसका उद्देश्य जनताके साथ प्रगति शील ढगसे सामीकरण रहा है, तथा गाँवोका पुनगठन एव पुनर्निर्माण काग्रेसके रचनात्मक कायक्रमोमेसे एक रहा है, इस विचारसे भी कि इस प्रकारके पुनगठन म बुनाईके केन्द्रीय उद्योगके अलावा मृत अथवा मृतप्राय ग्रामीण उद्योगोका पुन जागरण और प्रोत्साहन अनिवाय रूपम शामिल है तथा इस खयालसे कि यह काय भी बुनाईके पुनगठनकी भाँति केवल ऐसे केन्द्रित एव विशिष्ट प्रयास द्वारा ही सम्भव है जो काग्रेसकी राजनीतिक प्रवृत्तियोसे अप्रभावित तथा स्वतत्र हो, श्री जे० सी० कुमारप्पाको यह अधिकार दिया जाता है कि काग्रेसकी एक प्रवृत्तिके रूपमे वे गाधीजीकी सम्मति और मागदशनसे अखिल भारतीय ग्राम उद्योग परि षद (आल इडिया विलेज इडस्ट्रीज असोसिएशन) का गठन करें। उक्त परिषद उक्त उद्योगोके पुनर्जागरण और प्रोत्साहनके हेतु तथा गाँवोकी नतिक एव भौतिक उन्नतिके लिए काय करेगी ।"

इस प्रस्तावपर बोलते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा राजनीतिक स्वतत्रताके बिना देशकी कोई प्रगति नही हो सकती । हम उसके लिए सघष कर रहे हैं और करते रहेगे । काग्रेस एक ऐसी सस्था है जिसका उद्देश्य सारे भारत की सेवा करना है अत इस तथ्यको अनुभव करना उसका कत्तव्य है कि भारत की पूरी जनसख्याका ९८ प्रतिशत भाग गाँवोम निवास करता है । काग्रेसको गाँवोमें बसनेवाली आबादीके इस विशाल परिमाणकी ओर ध्यान देना चाहिए और उसकी चिन्ता करनी चाहिए । वास्तवमें यह हमारा कत्तव्य है कि हम गाँवो के लोगोकी कठिनाइयो और कष्टोको जाननके लिए उनके पास जाय । ग्रामीण बधु भूखो मर रहे है और नग्नप्राय हैं । बिना देखे उनकी यथाथ स्थिति समझी नही जा सकती । उनके बच्चे डरपोक है । यदि आप उनके निकट जायग तो व आपसे दूर भाग जायगे । म आपसे वही कह रहा हूँ जो मने व्यक्तिगत रूपसे बगालके देहातमें देखा है । केवल उन गावोमें जहाँ कि चरखा सघके कायकर्त्ता पहुँच गये है और जहा चरखे इकट्ठे हो गये हैं लोगोको कमसे कम दिनम एक बार तो भोजन मिल जाता है । म उनके घरोमें गया और मने उनको बहुत साफ सुथरा पाया । जिन गाँवोमें चरखा नही चलता वहाँ मने लोगोको घरोमें छिपे हुए, भूखा मरते देखा । चरखेके द्वारा व ग्रामीण अपनी रोटी ही नही पाते बल्कि उससे उनको राजनीतिक चतना भी प्राप्त होती है । उनके मनस भय निकल गया है । परन्तु जिन स्थानोमें कोई रचनात्मक काय नही चलता वहाँके निवासियोकी स्थिति बडी ही दुर्भाग्यपूण है । जबतक हम उनके बीचम जाकर नही रहने और

उनके उत्थानके लिए कार्य नही करते तबतक स्वराज्यकी प्राप्ति सम्भव नही है। गाँवोके लोगोसे जो कुछ कहा जाय वे उसे करनेको तैयार है परन्तु उनको कोई मार्ग दिखलानेवाला चाहिए। मै आपको हजारीबाग जेलकी एक घटना बतला रहा हूँ। वहाँ बहुतसे कैदी थे परन्तु मुझसे मिलनेकी किसीको आज्ञा न थी। वहाँ मैने एक-दो कठिन परिश्रमी कैदियोंकी सहायता लेकर एक छोटासा खेत तैयार किया। जेलमे कुछ काश्तकार भी थे। उन्होने मुझे खेतमे काम करते हुए और शलजम तथा पपीताके पेड उगाते हुए देखा। इससे उनके मनमे एक उत्सुकता जाग्रत हुई। उन्होने अपने मनमे सोचा कि यह तो बडी आसान चीज़ है और उसके सहारे वे बडी सरलतासे खडे हो सकते है। एक दिन जब हम सीमाप्रान्तसे मंगाये हुए तरबूज़ और सरदाके बीज बो रहे थे, तब वे हमारे पास आये और बोनेके लिए हमसे कुछ बीज ले गये। इस प्रकार हम देखते है कि यदि हम करना चाहे तो बहुतसा काम बाकी पडा हुआ है। भारत एक कृषिप्रधान देश है। यहाँ कितनी सारी गाये, बकरियाँ और भैंसें है। आप यह देख सकते है कि उनके चमडेसे, जो वस्तुत. हमारा होता है, अन्य लोग कितना लाभ कमाते है। गाँवके लोगोको निश्चित ही चमडा तैयार करनेकी विधि सिखलानी चाहिए। उनको यह भी जानना चाहिए कि हड्डी और गोबर आदिसे खाद कैसे तैयार की जाती है। इन सब दृष्टियोसे मै महात्मा गाधीका समर्थन करता हूँ और आपसे इस प्रस्तावको स्वीकार करनेकी प्रार्थना करता हूँ।''

अधिवेशनके आखिरी दिन, २८ अक्तूबरको जब गाधीजीने काग्रेससे अपने आधिकारिक सम्बन्ध अलग कर लेनेके लिए पंडालमे प्रवेश किया तब अपने उन महान नेताके प्रति सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए समस्त उपस्थित जन-समुदाय, लगभग ८०,००० श्रोता उठकर खडे हो गये।

''अबसे काग्रेस-संगठनमे मेरी केवल इतनी सीमित दिलचस्पी रहेगी कि मै दूरसे उन सिद्धान्तोको कार्यान्वित होते हुए देखूँ जिनके सहारे काग्रेस खडी है।'' गाधीजीने अपनी बातपर बल देते हुए कहा, ''यदि हम पूर्ण रूपसे सत्यनिष्ठ है तो हमे यह मानना होगा कि काग्रेसका एक प्रधान अंग प्रगतिशील ढंगसे सामाजिक, नैतिक और आर्थिक रहा है। अब वह एक शक्तिशाली कार्यक्रम बन गया है क्योकि वह अनिवार्य रूपसे राजनीतिसे भी सम्बद्ध है अर्थात् उसे देशको विदेशी जुएसे निकालकर स्वतंत्र करना है। परन्तु इसका तात्पर्य विदेशोसे मैत्री-सम्बन्ध तोड देना नही है क्योकि वे तो पूर्ण समानताके धरातलपर स्वेच्छापर आधारित होते है। मुझे एक चेतावनी भी देनेकी आज्ञा दीजिए। मुझे आशा है,

कोई यह नही सोचगा कि खद्दर सम्बन्धी वाक्य-खण्ड और अनिवार्य श्रम तत्काल लागू नही किये जायगे। परन्तु ऐसा ही होगा। इस असावधानीके लिए म अपने-आपको अपराधी अनुभव कर रहा हू कि मन अरसे पहले इन बातोपर जोर क्यो नही दिया और सविनय आज्ञा भगसे पहले इन चीजोको एक आवश्यक शर्त के रूपमे क्यो नही रख दिया ? काग्रेससे मेरी निवृत्ति इस असावधानीके लिए मेरी आत्म प्रायश्चित्त समझी जा सकती है यद्यपि यह असावधानी मुझसे पूर्ण अचेतनावस्थामे हुई ह। मेरा लक्ष्य सविनय अवज्ञाकी क्षमताका विकास है। यह अवज्ञा पूरी तरहसे सविनय होगी। इसमे कभी प्रतिकारकी भावनाको उत्तेजना नही देनी चाहिए।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी इच्छा गाँवोमे मौन भावसे काम करनेकी थी और जब गाधीजीने उनको अखिल भारतीय ग्रामोद्योग परिषदकी कार्यकारिणी समितिमे लेनेका निश्चय किया तब खान अब्दुल गफ्फार खाँको उसे स्वीकार करनेमे तनिक भी हिचक नही हुई। उन्होने काग्रेसकी कार्यसमितिकी सदस्यताको भी स्वीकार कर लिया परन्तु केवल गाधीजीके आग्रहसे।

बम्बईमे अपने दस दिनके आवासमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने लगभग छ अवसरोपर भाषण किये। इस सम्बन्धमे बम्बई सरकारने भारत-सरकारको यह सूचित किया 'उनके २७ और २८ अक्तूबरके व्याख्यान कुछ आपत्तिजनक ह। इस बातकी जाच की जा रही ह कि क्या वे भारतीय दण्ड सहिताकी धारा १२४ ए के अतर्गत आते ह ? और क्या उनके ऊपर चालानकी कारवाई की जा सकती ह ?

खान अब्दुल गफ्फार खाँको २७ अक्तूबरको इंडियन क्रिश्चियन असोसियेशनके तत्वावधानमें सयोजित एक छोटी-सी सभामे भाषण करनेके लिए 'नागपाल नवर हुड हाउस' में आमत्रित किया गया। उन्होने वहाँ अपना व्याख्यान उर्दू मे दिया। पुलिसके सवाददाताने उसे इस प्रकार लिपिबद्ध किया

'जितना थोडा-सा समय म निकाल सका हूँ, उसमे म आपको उस दुर्भाग्य शाली देशके सम्बन्धमे और उस भाग तथा पीडित समुदायके बारेमे कुछ बत लाना चाहता हूँ जिसके विरोधमे न केवल भारतमे बल्कि सारे विश्वमे प्रचार किया गया ह। आपने यह सुना होगा कि खुदाई खिदमतगार एक आन्दोलन है एक सस्था ह जिसका आरम्भ मेरे प्रातमे सन् १९२० मे हुआ। बहुतसे अग्रेजी समाचारपत्रोने जिन्हें आप लोग पढते ह हम लोगोको लाल कुर्ती दल का नाम दिया ह। हम लाल कुर्तीवाले नही बल्कि खुदाई खिदमतगार ह। जिस समय

इस संस्थाका प्रारम्भ किया गया उस समय यह केवल सामाजिक क्षेत्रमे कार्य करनेवाली सस्था थी। हमने देखा कि हमारे प्रान्तमे हमारे पठान-वन्धुओपर 'फ्रंटियर रेगूलेशन एक्ट' लागू है। अपने कपट, धूर्तता और छलसे ब्रिटिश सरकारने उसे एक प्रकारके कानूनका रूप दे दिया था। उसका परिणाम यह था कि हमारे यहांके लोग सदैव एक दूसरेसे लडते रहते थे और हमारे मुल्कमे वहुत हत्याएँ होती थी, और पुरुषोकी वात तो जाने दीजिए, हमारे यहाँकी स्त्रियोको भी न्यायालयोमे जाना पडता था। तब हमने यह अनुभव किया कि हमारे यहाँके लोग वरवाद होते जा रहे है। उनके पास इतना समय नही था कि वे एक साथ बैठकर इन विषयोपर विचार कर सकते क्योकि उनके सारे लम्बे-लम्बे दिन, सबेरेसे संध्यातक कचहरियोमे निकल जाते थे जहाँ कि वे लड़ते थे और एक-दूसरेको बर्बाद करनेकी योजनाएँ वनाते थे। सरकारने उन्हे यह नयी चीज—अदालत दी थी और हमारे यहाँकी जनताको तथा हमारे देशको दो दलोमे बाँट दिया था। उस समय हमारी दशा बडी दयनीय थी। इसलिए हमने अपने यहाँके लोगोको विनाश तथा वरबादीसे बचाना अपना कर्त्तव्य समझा। उस समय हमने यह देखा कि सरकार हमे कोई राजनीतिक कार्य करनेकी अनुमति नही दे रही है। राजनीतिक कार्य तो एक ओर, शिक्षाके प्रश्नको ही ले लीजिए। जनताकी शिक्षाकी व्यवस्था करना शासनका कर्त्तव्य है। हमारा दुर्भाग्यशाली समुदाय उसी प्रकारकी शिक्षा चाहता था जिस प्रकारकी सरकार आज आपको दे रही हैं। लेकिन वह हमको शिक्षित नही बनाना चाहती थी और हमे अज्ञानमे रखना चाहती थी। हमारा दोप क्या था ? हमारा दोष केवल यह है कि हमारा प्रान्त भारतका प्रवेश-द्वार हैं और हम वहाँ रहते हैं इसलिए सरकारकी दृष्टिमे हम लोग दरवान है। वह तो हमसे खुले शब्दोमे कहती है, 'भला हम दरवानोको सुधार क्यो देगे ? यदि हम उन्हे कुछ देगे तो हिन्दुस्तान हमारे हाथसे निकल जायगा।' उन्होने हमारे कामको खतरनाक समझा और सोचा कि यदि हम भारतीयोसे मिल जाते है तो वे इस देशपर शासन नही कर सकेंगे। हमारे आन्दोलनको अपने प्रारम्भमे ही कुचल देनेका यही सवसे बडा कारण है। हमसे कहा गया कि तुम्हारा समुदाय असभ्य है और उसमे डाकू लोग है। सब पठान फरिश्ते नही है। प्रत्येक समाजमे भले और बुरे लोग हुआ करते है लेकिन मै आपसे कहता हूँ कि हमारा समाज संख्याकी दृष्टिसे एक वड़ा समुदाय है, जो छोटे-छोटे दलोके रूपमे अलग-अलग रहता है। सीमा-प्रान्तमे हिन्दू कुल जनसंख्याके ५ प्रतिशत है लेकिन मै आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ उनकी

महिलाओंकी इज्जत उनका जीवन और उन लोगोंकी सम्पत्ति समस्त भारतके किसी भी प्रान्तकी अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। हमसे अग्रेज यह कहा करते थे इस देशमें २५ करोड़ हिन्दू हैं। यदि तुम हमसे लड़ते हो और हम यह देश छोड़कर चले जाते हैं तो यहाँ हिन्दू राज्य स्थापित हो जायगा। दूसरी ओर आप लोगोंको यह कहकर डराया जाता था 'यदि हम लोग यहाँसे चले जाते हैं तो ऊपरसे पठान उतर आयेंगे और तुम लोगोंको निगल लेंगे।' मैं आपसे यह कहता हूँ कि हमारे अभागे देश और समुदायसे आपको किसी प्रकारका कोई खतरा नहीं है। सन १९३२ ई० में एक कांग्रेसजनने मुझसे पूछा था 'क्या यह सच है कि पठान मनुष्यका रक्तपान करते हैं?' मैंने उनको जवाब दिया कि आपकी बात बिल्कुल सच है। मनुष्यका रक्त बहुत स्वादिष्ट होता है। क्या आपने उसे कभी नहीं चखा? यह बात मैं केवल इसलिए कह रहा हूँ कि एक कांग्रेसजनतककी हमारे बारेमें यह जानकारी है! आप सब, हमारे भारतीय भाई-बहिन हमारे उस छोटेसे प्रान्तके सम्बन्धमें नितान्त अनभिज्ञ हैं जो आपका दरबान है और आपका प्रवेश-द्वार भी। यह बात मैं उन कारणोंसे कह रहा हूँ जो मैंने अभी आपको बतलाये।

"सरकारी विद्यालयोंकी बात एक ओर जाने दीजिए परन्तु सरकारने बड़ी चतुरतासे किसी न किसी बहाने हमारे नन्हें बालकोंकी शिक्षण-संस्थाओंको बरबाद कर डाला। यदि इस प्रश्नको जाने भी दिया जाय कि हमारे लिए शिक्षाकी व्यवस्था करना शासनका कर्त्तव्य था—फिर भी उसने हमारी अपनी शिक्षण संस्थाओंको केवल इसलिए नष्ट कर दिया कि हम सदैव उसके नियंत्रणमें बने रहें। जब हमने यह देखा कि न तो हम राजनीतिक कार्य कर सकते हैं और न शिक्षाका प्रसार तब हमने सामाजिक कार्यको अपनानेका विचार किया इसलिए हम गाँवोंमें गये और हमने ईश्वरके प्राणियोंके प्रति लोगोंमें प्रेम जाग्रत करनेके लिए खुदाई खिदमतगार संस्थाको प्रारम्भ किया।

'इस संस्थामें खुदाई खिदमतगार बननेवाले प्रत्येक व्यक्तिको एक शपथ लेनी पड़ती है

मैं ईश्वरके समस्त प्राणियोंको चाहे वे ईसाई हिन्दू मुसलमान पारसी, सिख, जर्मन फ्रांसीसी या अंग्रेज कोई भी क्यों न हों प्रभुके प्राणी समझता हूँ और मैं उन सबका सेवक हूँ।' हमारा यह आन्दोलन सीमा प्रान्ततक सीमित नहीं है और न उसमें हिन्दू या मुसलमानका कोई प्रतिबन्ध ही है। वह विश्व बन्धुत्वकी शिक्षा देनेके लिए एक आन्दोलन है। जब हम किसी खुदाई खिदमत

गारको प्रशिक्षण देते है तब हम उससे कहते है, 'इस एक सिद्धान्तको स्मरण रखना कि तुम्हे सभी अत्याचारियोका, चाहे वह कोई व्यक्ति हो या राष्ट्र, विरोध करना है। तुम्हे समस्त पीडितोकी सहायता करनी है चाहे वे किसी भी जातिके क्यो न हो। इस प्रकार तुम्हे सदैव दमनकारीके विरुद्ध खड़ा होना होगा चाहे वह हिन्दू, मुसलमान, ईसाई या कोई क्यों न हो?' जिनके पास धन नही है, जिनको सताया जा रहा है उनको हम आततायियोके पंजोसे मुक्त करना चाहते है। मै आपसे यह पूछता हूँ कि यह सब क्या है? यह धर्म है। वास्तवमे धर्मका यही स्वरूप है। ख्रिस्तियोके धर्मसे मै थोडा-बहुत परिचित हूँ क्योकि मेरी शिक्षा एडवार्डस चर्च मिशन हाई स्कूलमे हुई है। आपके धर्मसे मै इस सीमातक प्रभावित हुआ हूँ कि आज अपने देश और समुदायकी सेवामे लगा हुआ हूं। मेरे विद्यालय-के प्रधान अध्यापक लदनके एक सुप्रसिद्ध कुलीन सज्जनके पुत्र थे। मेरे तरुण हेड मास्टरने मेरे मनपर अपनी गहरी छाप डाली। लदनके सुखोपभोग और आराम के जीवनको त्यागकर वे यहाँ उन भारतवासियोकी सेवा करने आये थे जिनकी राष्ट्रीयतातक उनसे भिन्न थी। वे इस सेवाकी कोई कीमत नही लेते थे, इस कार्यका कोई पारिश्रमिक स्वीकार नही करते थे। उनका सारा व्यय उनके पिता वहन किया करते थे। मै आपसे कहूँगा कि आप इस बातपर विचार करे कि ईसा मसीहका इस ससारमे आनेका क्या प्रयोजन था? वे निर्धनो और निरीह प्राणियोके हेतु आये थे। उस समय वहाँकी स्थिति यह थी कि तत्कालीन शासन-सत्ता निर्धनोको बहुत बुरी तरहसे कुचल रही थी। ईसा मसीह उन्हे दमनकारियो-के पाशसे मुक्त करने आये थे। हजरत मूसाके आनेका प्रयोजन भी यही था। आप 'ओल्ड टेस्टामैन्ट' को पढिए। जब वे फरोहके पास गये तब उन्होने उससे यही पहली बात कही कि जिन इसराइलियोको तुमने गुलाम बना रखा है, उन्हे तुम छोड दो।

"मै आपको यह बतला देना चाहता हूँ कि प्रारम्भमे हमारा आन्दोलन एक धार्मिक तथा सामाजिक आन्दोलन था। हम वही कार्य करना चाहते थे जो विश्व-के समस्त धर्मो—इस्लाम, हिन्दू और ईसाइयोके धर्म आदिने किया है अथवा जो इन धर्मोका उपदेश देनेवाले सुधारको द्वारा किया गया है। हमारी आकांक्षा प्राणी मात्रकी सेवा करनेकी थी। प्रारम्भमे सरकारने हमारे संगठनको एक हँसी-खेल समझा। हम गाँवोमे जाकर लोगोसे यह कहा करते कि आपसमे न लडिए, झूठ न बोलिए, चोरी न कीजिए, गुप्तचरीका कार्य न कीजिए और अपने देश-बान्धवोकी उपेक्षा करनेमे औरोका साथ मत दीजिए। जब हमारे आन्दोलनको,

सरकारको यह चुनौती दी कि वह एक भी ऐसी हिंसाकी घटना बतला दे जो कि हमारी ओरसे हुई हो। लेकिन उसने ऐसा नही किया। वह तो एक राष्ट्रकी भावनाको कुचलना चाहती थी। उन लोगोने मेरे प्रान्तम जगह-जगह गोलियाँ चलायी, लोगोके घरोको लूटा और बरबाद किया। वे लोगोके मकानोमें घुस गये और वहाँ चाय या खाना बनानेके जो भी बरतन भाडे या अन्य सामान उन्हें मिला उसे तोड-फोड डाला। सिपाहियोने आटा रखनेके पात्रोंमें फिनाइल उंडेल दी। सरकारने जितनी अधिक हिंसा दिखलायी, हमारी राष्ट्रीय भावना उतनी ही सजग हुई। अप्रैलमें जब खुदाई खिदमतगारोंकी पहली सभा हुई तब सरकारने प्रदेशभरम अपना दमन तेज कर दिया। लेकिन तीन मासके भीतर ही हमारे स्वयसेवकोकी सख्या बढ़कर चालीस हजार हो गयी।

मै आपको यह बतला रहा हूँ कि कैसे इस आन्दोलनने जो मूलत सामाजिक था एक राजनीतिक रङ्ग ले लिया। उसे यदि किसीने राजनीतिक बनाया तो शासनने। जब उसने हमारे ऊपर आतकवादी प्रयोग प्रारम्भ कर दिये तब हम निस्सहाय हो गये। पहले हम मुसलमानोकी सभा मुस्लिम लीग के पास गये। हमने लाहौर, शिमला और दिल्लीमे गण्यमान्य मुसलमानोसे भेंट की तथा हमने उनसे अपनी सहायता करनेकी प्रार्थना की परन्तु इसके लिए कोई तयार न हुआ। इसके बाद जब मैं जेलमें था तब मेरे कुछ बन्धुओने वहा (जेलमें) जाकर मुझसे यह शिकायत की कि हिन्दुस्तानके मुसलमानोने उनकी सहायता नहीं की और यह पूछा कि क्या कोई और भी ऐसा दल है जो उनको इस नाश और विध्वससे बचानेको तयार हो और क्या उन लोगोको उसकी सहायता मिल सकती है? आप जानते है कि सागरमे डूबनेवालेको तिनकेका सहारा भी बडा होता है। काग्रेसने हमसे कहा, हम आप लोगोके साथ है। हम आपकी सहायता देंगे। तब हमने भी उससे कहा, 'हम भी आप लोगोके साथ है'। उसने हमे उपकृत किया और इस प्रकार हमारी सस्थाकी स्थिति बदल गयी। वह एक राजनीतिक सस्था बन गयी। यह सब इस सरकारके कारण हुआ। इसका क्या सरकारके पास कोई उत्तर है? यदि है तो वह उसे दे। जब हमको काग्रेसका सहारा मिल गया तब एक समितिका गठन हुआ जिसे पटेल कमेटी कहा गया। श्री विट्ठलभाई पटेलको सीमा प्रान्तमें जानेकी अनुमति नही दी गयी। जब वे रावलपिण्डीमे रुक गये तब लोग गुप्त रूपसे उनसे मिलनेके लिए पहुँचे। श्री विट्ठलभाई पटेलने जो विवरण तयार किया और प्रकाशित किया उसे सरकार द्वारा तत्काल जब्त कर लिया गया। जनताको जब किस्साखानी बाजारमें मारे गये

लोगोके प्रतिकारमे एक सहायता मिली और सरकारने जब यह देखा कि एक ओर अफरीदी लोग उससे लडाई छेडनेको तैयार है और दूसरी ओर हमसे मिल जानेके कारण काग्रेस उसके विरुद्ध प्रचार-कार्य कर रही है तब उसने अपनी नीतिको बदल दिया और वह हमसे पूछने लगी कि आपको क्या चाहिए ? हमने उससे कहा, 'हमारी मांगोका समय निकल गया। हमने कहा था कि हमारा आन्दोलन सामाजिक है पर आपने न सुना। अब हम उसे नही छोड़ेंगे। आप जो कुछ करना चाहे वह कर सकते है।'

"इस सरकारकी नीति यह रही है कि वह सीमाप्रान्तको भारतका प्रवेश-द्वार समझती है और दरबानको शेष भारतसे अलग रखना चाहती है। जब हम लोग काग्रेसमे सम्मिलित हो गये तब उसको इस बातका अनुभव हुआ कि यह क्या हो गया ? वह राष्ट्रको कुचल देना चाहती थी परन्तु यह चीज अब उसको अपने लिए खतरेका एक मूल कारण बन गयी। एक धार्मिक आन्दोलन अब एक राजनीतिक आन्दोलनमे परिवर्तित हो गया।

"जब यह स्थिति उत्पन्न हो गयी तब सरकारके कुछ एजेन्ट हमारे पास आये और बोले, 'हम आपकी मागे सरकारसे स्वीकार करानेको तैयार है' परन्तु इसके साथ एक शर्त जुडी हुई थी और वह यह थी कि हमको कांग्रेस और महात्मा गाधीका साथ छोड़ देना होगा। हमने उनसे कहा, 'हम काग्रेसको नही त्यागेगे। पठान लोग कृतघ्न नही है। जो हमारे ऊपर उपकार करता है, उसे हम अकेला नही छोडते।' इसके पश्चात् सन्धि हो गयी। सीमा-प्रान्तके चीफ कमिश्नरने लार्ड इरविनको लिखा, 'इस प्रान्तमे दो आदमी नही रह सकते। यहाँ केवल एक ही व्यक्ति रहेगा, मै अथवा खान अब्दुल गफ्फार खाँ।' लार्ड इरविन एक उदार व्यक्ति थे। उनके मनमे मनुष्यताके लिए प्रेम था। महात्मा गाधीकी सलाहसे उन्होने मुझे रिहा कर दिया। हमे जेलसे तो मुक्ति मिल गयी परन्तु अपना कार्य करनेके लिए हम मुक्त नही थे। लार्ड इरविनको पुलिसकी ओरसे रोज झूठी सूचनाएँ मिला करती थी जिनको वे गाधीजीके पास भेज दिया करते थे। अंग्रेज हमे आतंकमे रखना चाहते थे। उनको यह भय था कि कही कोहाट, बन्नू और हजारा जिलो-के पठान भी सरहदी पठानोकी भाँति जाग्रत न हो जायँ। वे चाहते थे कि समूचा सीमा-प्रान्त जाग्रत न हो। इस बार फिर गाधीजी हमारी सहायताके लिए आगे आये। महात्मा गाधीने उनसे कहा, 'यदि आप इन लोगोको फिरसे गिरफ्तार कर लेते है तो इसे सन्धि-भग समझा जायगा।' सेनामे एक ऐसा अंग्रेज था जो खूब अच्छी तरहसे पश्तू जानता था। हम जहाँ कही जाते, वहाँ वह हमसे पहले

पहुँच जाता और लोगोंसे यह कहता

अमुक-अमुक नेता आये हैं। आप लोग उनके पास मत जाइएगा। आप उनसे कह दीजिए कि वे आपके गाँवसे चले जायें।' परन्तु वह यह नहीं जानता था कि इस तरह वह हमारा प्रचार-कार्य कर रहा है। वह किस प्रकार? वह इस प्रकार कि हमारा आन्दोलन एक सच्चा आन्दोलन था एक धार्मिक आन्दोलन था। मैं आज भी आपसे यह कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर खुदा, परमात्माकी दया हुई थी और उसकी कृपासे ही हम लोगोंमें जागरण हुआ था। हमारे छोटे बालकोंतकमें एक भावना भर गयी थी। जब कभी वे किसी अंग्रेजकी मोटरकार में जाते हुए देखते तब उससे कहते, 'अरे तुम अभीतक यहाँ हो?' हमारे देशकी चेतनाका बच्चोंकी इस भावनासे समझा जा सकता है। मैं आपसे कहता हूँ कि यह भावना यों ही उत्पन्न नहीं हुई। इसके पीछे ५१३ गाँवोंका त्याग है। यदि आज भी सीमा प्रान्तमें यह भावना दिखलाई देती है तो इसका कारण यही है कि सीमा प्रान्तने जितने बलिदान किये हैं उतने भारतके किसी अन्य प्रदेशने नहीं किये। सरकार हमारी प्रवृत्तियोंको रोक देना चाहती थी परन्तु किसी प्रकार हम उनको चलाते रहे। समचे सीमा प्रान्तमें ऐसा कोई गाँव न बचा जिसमें कि हम न गये हों। वहाँ जाकर हम अपने देश-बन्धुओंको सारी स्थितिका ज्ञान कराते थे और उन्हें उचित मार्गका निर्देश करते थे।

"एक खुदाई खिदमतगार किसीके प्रति कभी शत्रुताकी भावना नहीं रखता। जब सन् १९३२ ई० में हमें गिरफ्तार किया गया तब हमारे यहाँकी जन-संख्या छब्बीस लाख थी जिसमेंसे पाँच लाख खुदाई खिदमतगार थे। सन्धिके बाद भी पठानोंको यह अनुभव होता रहा कि उसके साथ किसी प्रकारकी सन्धि नहीं हुई है क्योंकि सन्धिकी अवधिमें भी उनके ऊपर आतंकका चक्र चल रहा था। प्रत्येक स्थानपर धारा १४४ लागू थी—जिलोंमें तहसीलोंमें और सड़कोंपर भी। सड़कके इस ओर या उस ओर चार-चार मीलकी दूरीतक कोई सभा नहीं की जा सकती थी। मैं आपको यह भी बतला रहा हूँ कि हमारे साथ जो भी व्यवहार हुआ उसके लिखित प्रमाण मेरे पास मौजूद थे जिनमें यह भी पता लगता था कि हिन्दुओं और मुसलमानोंको आपसमें लड़ानेके प्रयत्न किये गये। सरकारको यह ज्ञान हुआ कि महात्मा गांधी आ रहे हैं और उसको यह भी पता लगा कि मैं उनसे मिलनेके लिए जा रहा हूँ। निश्चित ही उनको यह खबर भी मिली होगी कि सारे कागजात मेरे पास हैं। उन दिनों मैं बीमार था और पेशावरमें पड़ा हुआ था। मेरा विचार दूसरे दिन सबेरे 'फ्रण्टियर मेल' से जाने

ा था परन्तु पुलिस रातमें ही आ गयी। उसने मुझे गिरफ्तार कर लिया। फिर ्क स्पेशल ट्रेनसे मुझे हजारीबाग जेल भेज दिया गया। उस रातको ही मेरे ाथ काम करनेवाले समस्त कार्यकर्त्ताओंको गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें ो प्रत्येकको तीन वर्षका कारावास दण्ड दे दिया गया।

"वहाँकी सारी घटनाओंका मुझको बादमें पता चला। मैं आपको बतला रहा ई कि मुझपर सरकारका भू-राजस्व कर बाकी नहीं था, फिर आप यह सोच सकते है कि सरकारका हमारे घरोंको लूटनेका और हमारा सामान उठाकर ले जानेका त्या उद्देश्य था। उसका उद्देश्य केवल यह था कि उसकी प्रतिष्ठा कायम रहे। इस कार्यके द्वारा वे लोग जनताको यह दिखला देना चाहते थे, 'तुम क्या हो और तुम्हारे नेता क्या है ? सरकार तुम्हारे घरोंको लूट सकती है, तुम्हारे नेताओंको गिरफ्तार कर सकती है और उनका अपमान कर सकती है।' मैं इन सब बातोंके लिए सरकारसे कोई शिकायत नहीं करना चाहता क्योंकि वह वही करेगी जिसे कि वह ठीक समझेगी।

"आज उसका सारा साम्राज्य भारतके बलपर ही चल रहा है। यदि भारत उसके हाथोंसे निकल जायगा तो फिर उसका साम्राज्य कैसे स्थिर रह सकेगा ? ऐसी स्थितिमें वे लोग भारतको दास बनाये रखनेके लिए विविध प्रकारकी चालों और दमनको उपयोगमें लायेंगे। इनके लिए मुझे उनके विरुद्ध कोई शिकायत नहीं है। वे जो कुछ भी करेंगे उसका हम स्वागत करेंगे लेकिन हमें अपने देशके लोगोंसे, अपने भाइयोंसे एक बहुत बड़ी शिकायत है जिसे कि हम दूर करना चाहते हैं। यदि हमारे बन्धुजन हमारी बातको नहीं समझ पाते तो भला हम उनसे क्या कह सकते हैं ? हम तो उनको केवल प्रेमसे समझा सकते हैं और ईश्वरसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह उनको ऐसी समझ दे।"

बम्बईमें अपने रुकनेके आखिरी दिन, २९ अक्तूबरको खान अब्दुल गफ्फार खाँने गांधी सेवा सेना तथा 'वीमैन्स यूनिटी क्लब'के लगभग सौ सदस्योंको सम्बोधित किया। देशके निमित्त महिलाओंने जो त्याग किये थे उसकी उन्होंने सराहना की। सीमा-प्रान्तके बीचमें प्रशंसनीय कार्य करनेके लिए उन्होंने खुरशीद बहन नौरोजीको बधाई दी। उन्हें दो बार जेल जाना पड़ा था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस बातपर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की कि महिलाएँ अपने कर्त्तव्यके पालनमें बड़ी सजग हैं। उन्होंने कहा कि यदि भारतकी महिलाएँ जाग्रत हो जाती हैं तो विश्वमें कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस देशको गुलाम रख सके।

विचारणा

१९३४

खान-बंधुओंको वर्धामें बिलकुल घर सरीखा लगने लगा था और वे आश्रम की प्रवृत्तियोंमें भाग लेने लगे थे। 'खान-बंधु यहीं हैं और उनके साथ मेरा समय बहुत सुंदर ढंगसे व्यतीत होता है। गांधीजीने लिखा 'उनके साथ जितना ही अधिक रहा जायगा उनमें उतना ही प्रेम बढ़ता जायगा। वे इतने भले, इतने सरल फिर भी इतने सूक्ष्मग्राही हैं। सार ग्रहण करनेमें उनको देर नहीं लगती।"

डॉ० खान साहबने स्वेच्छासे जमनालाल बजाजकी गृहस्थीके रोगियोंकी चिकित्सा और उपचर्याका काम अपने ऊपर ले लिया था एक ऐसी गृहस्थी जो गांधीजीसे मिलनेके लिए वर्धा आनेवालों और कार्यकर्ताओंके कारण हमेशा बनी रहती थी। डॉ० खान साहब चिकित्सा और स्वच्छता सम्बन्धी अपने मिशनको लेकर वर्धाके आस पासके गांवोंमें नित्य दस-पन्द्रह मील पैदल घूमते थे। सबेरे टहलनेके समय गांधीजीका साथ देनेके लिए वे बहुत तड़के आश्रममें पहुँच जाते थे। उनके साथ टहलते समय वे बिलकुल चुपचाप रहते थे और एक शब्द भी न बोलते थे। उसके बाद वे आश्रमके रोगियोंको देखते हुए वापस घर आते थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ नित्य सबेरे और शाम गांधीजीकी प्रार्थनामें सम्मिलित होते थे और उनके साथ टहलने भी जाया करते थे। जिस समय नित्य सबेरे गांधीजी तुलसीकृत रामायणका पाठ करते उस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ उनका साथ देते थे। एक दिन उन्होंने प्यारेलालसे किसी भजनके सम्बन्धमें कहा, 'इस भजनके संगीतने मेरी आत्माको तृप्त कर दिया है। इसे उर्दू लिपिमें लिख दीजिए और इसका मेरे लिए उर्दू अनुवाद कर दीजिए।' मूल रूपसे उनके स्वभावमें निवृत्तिभावकी प्रधानता थी इसलिए उनको जितना शान्तिके साथ प्रार्थना करना और मौन रहकर काम करना अच्छा लगता था उतना और कुछ नहीं। इन्हीं दो बातोंके कारण उन्होंने बंगालके गांवोंमें जानेका और वहांके काममें अपने को आकण्ठ निमग्न कर देनेका निश्चय किया था। कुछ ही मास पूर्व उन्होंने बंगाल के निर्धन मुसलमानोंकी सादी झोपड़ियोंमें खद्दरकी सामर्थ्यका प्रत्यक्ष दर्शन किया था। अब वे उन लोगोंके लिए ग्राम उद्योगोंके पुनरुज्जीवनका सन्देश लेकर जाना

बहुत बिगड चुकी है। अपने सम्बन्धमें उन्होंने कहा कि वे किसी प्रान्तविशेषके नहीं हैं बल्कि वे ईश्वरके एक सेवक हैं और उनके मनमें प्रत्येक मनुष्यकी सेवा करनेकी कामना है।

वे उसी दिन मोटर-कारसे अलीगढ पहुँचे। मार्गमें जगह-जगह उनका स्वागत होनेके कारण उन्हें निश्चित समयसे दो घंटे विलम्ब हो गया। वे एक जलूसमें ले जाये गये। यह जुलूस अलीगढकी गलियोंमें घूमता हुआ लाइन लायब्रेरी पहुँचा जहाँ कि नागरिकोंकी एक सभामें उनको भाषण करना था। लाइन लायब्रेरीके समीप पहुँचकर जुलूस कई हजार लोगोंके जन-समूहमें बदल गया। वहाँ विश्व विद्यालयके छात्रोंकी भी एक बहुत बडी भीड एकत्र थी। गगनभेदी हर्षध्वनिके बीच खान अब्दुल गफ्फार खाँ भाषण करनेके लिए खडे हुए। उन्होंने इतने उत्साह पूर्ण स्वागतके लिए अलीगढके नागरिकोंको हार्दिक धन्यवाद दिया और उनके प्रति उन्होंने जो प्रेम और स्नेह व्यक्त किया उसके लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने आगे कहा इस प्रकारके जुलूसों और सभाओंका समय बहुत पहले ही निकल चुका है। इस समय तो प्रत्येक व्यक्तिको व्यावहारिक कार्यमें लगना चाहिए जिसमें कि उसकी सच्ची प्रसन्नता निहित है। उन्होंने इस बातपर बल दिया कि भारतकी आबादीका नब्बे प्रतिशतसे भी अधिक भाग गाँवोंमें रहता है और वह एक असह्य गरीबीमें अपने दिन काट रहा है अतः नगरोंमें रहनेवाले हिन्दुओं और मुसलमानोंमेंसे प्रत्येक व्यक्तिका यह कर्त्तव्य है कि वह ग्रामीणोंकी सहायता करे। उन्होंने उपस्थित लोगोंसे यह कहा कि आज सायंकाल आपने जो प्रेम भाव प्रदर्शित किया यदि वह वास्तविक है तो आपको ग्रामोंके उत्थानके लिए कांग्रेसके कार्यक्रमको कार्यान्वित करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि देशके अधःपतनका मुख्य कारण यह है कि हम दासताको चाहते हैं। इस दशामें न तो हिन्दू और मुसलमान ही यह गर्व कर सकते हैं कि उनका कोई धर्म अथवा उनकी कोई अपनी संस्कृति है। अतः उनको दासताके विचारको पूर्ण रूपसे मिटा देनेके लिए एक हो जाना चाहिए उस विचारका जो कि उनके अन्तस्तलको खाये जा रहा है। हिन्दू और मुसलमानोंमें एक-दूसरेके विरुद्ध फैले हुए अविश्वासका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वह सब प्रचारके अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसने कि हमेशा भारतको अपने अधिकारमें रखना चाहा है। उन्होंने लोगोंसे कहा कि उन सबको ईश्वरके ऊपर पूरी सच्चाईसे विश्वास करना चाहिए। ईमानदारी, विश्वसनीयता और निर्भीकताके साथ मानवताकी सेवा करनेके लिए उनको अपने-आपको एक खुदाई खिदमतगार समझना चाहिए।

भारतकी स्वाधीनता सबका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। केवल भारतकी स्वाधीनतामे ही सबकी समृद्धि निहित है।

उन्होने मुसलमानोसे कहा कि इस्लाम स्वाधीनताके लिए आया लेकिन आज उनको यह देखकर दु ख होता है कि मुसलमान पीछे हट रहे है और वे अपने धर्मको भूलते जा रहे है। यदि हिन्दू स्वाधीनताके इस सघर्षको त्याग भी दें तो भी मुसलमानोको अपने धर्मका पालन करते हुए उससे विमुख नही होना चाहिए।

अपने प्रान्तका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा कि वहाँ केवल छब्बीस लाख लोग है फिर भी वे अपनी स्वाधीनताके लिए ही नही बल्कि समस्त भारतको स्वतंत्रता दिलानेके लिए पूर्ण निश्चय कर चुके है। उन्होने कहा, उन्हे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान आन्दोलनने उनके लोगोको शेष भारतके निकट संपर्क-मे ला दिया है। सीमाप्रान्त सदैव अहिंसावादी रहा लेकिन वहाँ अध्यादेशका शासन चलता रहा। उन्होंने श्रोताओको यह सलाह दी कि वे अपने बीचके मत-भेदोको दूर कर दे और उनका अनुगमन करे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने बारह वर्षके पुत्र अब्दुल गनीके साथ ४ दिसम्बरको वर्धा लौट आये। उनकी चौदह सालकी पुत्री मेहरताज कुछ दिनो पूर्व ही शिक्षा ग्रहण करनेके लिए मीरा बहनके साथ इगलैण्डसे लौटी थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँने सोचा, यदि एक पठान लडकी पढनेके लिए इङ्गलैण्ड जा सकती है तो 'कन्या-आश्रम' अपनानेमे भला उसे क्या कठिनाई हो सकती है? आश्रमका सरल जीवन, शात वातावरण, पवित्रता, स्वतंत्रता और शारीरिक श्रम करनेपर बल, खान अब्दुल गफ्फार खाँको इन्ही सब कारणोसे आश्रम अच्छा लगा और उनकी यह लालसा हो उठी कि उनकी पुत्री अपनी शिक्षा वही ग्रहण करे। उन्होने उसकी देखभाल मीरा बहनको सौप दी।

वर्धा अब उनके लिए दूसरे घर जैसा बन गया था। तीन वर्षकी लम्बी अवधिके बाद उनकी पुत्री मेहरताज और पुत्र गनी, वली तथा अली अपने स्नेह-शील पिताके पास, सब साथ-साथ रह रहे थे।

स्वाधीनताके ठीक सौ दिनके बाद ७ दिसम्बरको शामके पाँच बजे खान अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार कर लिये गये। वर्धाका पुलिस अधीक्षक अपने साथ बम्बईकी पुलिसके किसी अधिकारीको लेकर खान अब्दुल गफ्फार खाँको खोजता हुआ सत्याग्रह आश्रममे आया। उस समय वे ऊपरके खण्डमें गाधीजीके पास बैठे हुए थे। मीरा बहनने आगंतुकोका आगमन घोषित किया। गाधीजीने मीरा बहनसे उन लोगोको ऊपर ले आनेको कहा। वर्धाका पुलिस अधीक्षक ऊपर आ गया

और उनने गांधीजीको यह बतलाया कि वह खान अब्दुल गफ्फार खाँके लिए बम्बईके प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेटका गिरफ्तारीका वारन्ट लेकर आया है। गांधीजीने उससे वारन्ट माँगा और उसे खान अब्दुल गफ्फार खाँको पढ़कर सुनाया। उनके ऊपर धारा १२४-ए के अन्तर्गत आरोप लगाया गया था। पुलिस अधिकारीके यह पूछनेपर कि आप कबतक तैयार हो सकेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। परन्तु गांधीजीने कहा कि यदि अधिकारीको कोई आपत्ति न हो तो खान साहब जमनालाल बजाजके यहाँ जाकर अपने भाई तथा बच्चोंसे मिल लें। गांधीजी और आश्रमवासी खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ पुलिसकी गाड़ीतक आये। कुछ मिनटमें ही वे जमनालालजीके यहाँ पहुँचा दिये गये।

श्री महादेव देसाई खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गिरफ्तारीके प्रत्यक्ष साक्षी थे। खान-बन्धुओंसे अपनी चर्चाके आधारपर उन्होंने दो खुदाई खिदमतगार पुस्तकके रूपमें उनके लघु चरित्र रसात्मक प्रस्तुत किये हैं। महादेव देसाईने लिखा है

परन्तु पिताके पास बालकोंकी अश्रुधारामें मिलानेके लिए आँसू न थे। वे यह जानते थे कि उनको एक ऐसी मैत्रीका सौभाग्य मिला है जो उनकी बढ़ती हुई परख और परीक्षणमें निरन्तर विकसित होती जायगी और कभी घटेगी नहीं। गांधीजी और जमनालालजीकी मित्रता जिसे वे बिना तनिक भी चिन्ता किये हुए अपने बच्चोंको सौंप सकते थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँको तो ९ दिसम्बरको ही बंगालके लिए रवाना हो जाना था परन्तु ग्रामोद्योग परिषदके बोर्डकी पहली बैठकके लिए उनको जमनालाल बजाजने आग्रहपूर्वक रोक लिया था। इस प्रकार उनकी बंगाल यात्रा १५ दिसम्बरतकके लिए स्थगित हो गयी थी। ७ तारीखकी शामको जब पुलिस अधिकारी उनके लिए गिरफ्तारीका वारंट लेकर आया तब हम लोग वास्तवमें उनके बंगालके कार्यक्रमपर विचार और चर्चा कर रहे थे। ऐसे बुलावेके लिए सदा तैयार रहनेवाले उस महान पठानने वारंट मिलते ही कहा कि मैं चल देनेको तैयार हूँ। परन्तु उनको अपने मित्रों, भाई तथा बच्चोंसे मिलनेकी अनुमति दे दी गयी। वे जब चलनेकी तैयारी कर रहे थे तब गांधीजीने उनसे कहा अच्छा तो खान साहब, पिछले अवसरोंके विपरीत इस बार हम लोग बचाव करने जा रहे हैं। खान साहबको किंचित अचरज हुआ। वे बोले जिस मार्गको मैंने सन १९१९ में ग्रहण किया है उससे भिन्न रास्तेपर मैं नहीं जाना चाहता। 'मैं इस मामलेमें आपकी भावनाको

समझ रहा हूँ।' गाधीजीने कहा, 'लेकिन यह वैसा अवसर नही है। यदि वश चलेगा, तो हम लोग जेल नही जाना चाहेंगे।' उन्हे सीधा प्रत्युत्तर ।... 'जैसी आपकी इच्छा।'

"वडे भाईका छोटे भाईसे अलग होना वैसा हा था जैसे कि किसी वस्त्रको वीचमेसे चीर दिया जाय और उसके एक टुकडेमे ऐंठन पडकर रह जाय। तीन वर्षतक जेलमे और फिर सौ दिनकी इस प्रतिवन्धित स्वाधीनतामे दोनो भाइयों-ने आनन्द और दु.खोमे एक-दूसरेका हिस्सा वँटाया था। परन्तु छोटा भाई अपने इस व्यक्तिगत कारणको लेकर दु खी नही था। उन्होने अपने वालकोसे वीर वननेको कहा और उनको अपने पितृतुल्य गाधीजी तथा जमनालालकी कृपामय छायामे सादगी और आत्म-अनुशासनका पाठ पढनेको कहा।

"लेकिन ऐसा लगा कि एक विपाद उनके मुखपर अपनी हल्कीसी छाया डाल रहा है, 'मै वगालके गाँवोके गरीव मुसलमानोको जो वचन देकर आया था, काश, मै उसे पूरा कर पाता! मैने उनसे यह वादा किया था कि मै तुम्हारे वीचमे आकर रहूँगा और काम करूँगा। और अव मै उनकी इतनी छोटीसी सेवा भी न कर सकूँगा।' क्षणभर रुककर उन्होने एक गहरे विपादके स्वरमे कहा, 'जहाँतक सरहदी सूवेकी वात है, मै स्वयं भी नही जानता कि मैं क्या कहूँ? मेरे लोग मेरी गिरफ्तारीसे उत्तेजित न हो और कोई अविवेकपूर्ण कार्य न करें। वे इस घटनाको शात भावसे और ठडे दिमागसे साहसके साथ ग्रहण करें। वे अपने आतरिक मतभेदोका मिटानेके लिए, अपनेमे एकताकी भावना जाग्रत करनेके लिए और मौन कार्य करनेके लिए मिल वैठे। मुझे इस वातका दु ख है कि हम लोगोके ऊपर सव प्रकारके लाछन लगाये जाते है और हमको यह सिद्ध करनेका अवसर भी नही दिया जाता कि वे मिथ्या है। एक सरकारी रिपोर्टमे मेरे प्रान्तको 'खूनी प्रदेश' वतलाया गया परन्तु उन लोगोने सरल और अज्ञानमे डूवे हुए पठानोमे शिक्षा-प्रसारके अराजनीतिक कार्य और समाज-सुवार तकके लिए हमे कौनसा अवसर दिया?'

"परन्तु जैसे ही वम्वईके लिए विदा लेनेका क्षण आया, वैसे ही उनके मनसे यह विपाद भी तिरोहित हो गया। जमनालाल वजाज और उनकी भली पत्नी जानकी देवीसे विदा लेते समय उन्होने कहा, 'मुझे इस वातका पूर्ण निश्चय है कि यह सव ईश्वरकी इच्छा है। वह मुझे जिस समयतक वाहर रखना चाहता था, उस समयतक उसने मुझे वाहर रखा और अव उसकी यह इच्छा है कि मै भीतर रहकर सेवा करूँ। जिसमें वह खुश है, उसीमे मै भी खुश हूँ।"

गांधीजीने महादेव देसाईकी पुस्तककी भूमिकामें लिखा है

'खान अब्दुल गफ्फार खाँके सम्पर्कमें आनेकी अभिलाषा तो मुझे हमेशा रही है, लेकिन गत वर्षके आखिरी महीनेसे पहले मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं कुछ समयतक उनके साथ रहता। परन्तु हजारीबाग जेलसे छूटनेके बाद सौभाग्यवश शीघ्र ही न केवल खान अब्दुल गफ्फार खाँ बल्कि उनके भाई डॉ० खान साहब भी मेरे पास आ गये। भाग्यकी बात है कि २७ दिसम्बरतक सीमा प्रान्तमें उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया था और कांग्रेसके आदेशके अनुसार वे आज्ञा भंग नहीं कर सकते थे। अतः उन्होंने वर्धामें सेठ जमनालाल बजाजका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मुझे इन भाइयोंके घनिष्ठ सम्पर्कमें आनेका मौका मिल गया। जितना जितना मैं उन्हें जानता गया उतना ही अधिक मैं उनकी ओर आकर्षित होने लगा। उनकी पारदर्शी सच्चाई, स्पष्टवादिता और हद दर्जेकी सादगीका मुझपर बहुत प्रभाव पड़ा। साथ ही मैंने यह भी देखा कि सत्य और अहिंसामें केवल नीतिके तौरपर नहीं, बल्कि ध्येयके रूपमें उनका विश्वास हो गया है। छोटे भाई खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो मुझे गहरी धार्मिक भावनाओंसे ओत प्रोत प्रतीत हुए, परन्तु उनके विचार संकीर्ण नहीं हैं। मुझे तो वे विश्व प्रेमी मालूम पड़े। उनमें यदि कोई राजनीतिकता है तो उसका आधार धर्म है और डाक्टर साहबकी तो कोई राजनीति है ही नहीं। मुझे उनके सम्पर्कका जो अवसर मिला उससे मैं इस परिणामपर पहुँचा कि इन दोनों भाइयोंको बहुत गलत समझा गया है। इसलिए मैंने महादेव देसाईसे कहा कि वे उन लोगोंसे उनके जीवनकी पूरी जानकारी लेकर जनताके लिए उनका एक रेखा चित्र प्रस्तुत करें जिसमें कि उन्हें मानवके रूपमें परिचित कराया जाय।

अपने दिनांक ११ दिसम्बर १९३४ के एक सार्वजनिक वक्तव्यमें गांधीजीने शासन द्वारा तिरस्कृत अपनी सीमा प्रान्तकी यात्राका उल्लेख करते हुए कहा

'वर्तमान क्षणमें मेरी इच्छा सविनय आज्ञा भंग करनेकी नहीं है। मैं ईश्वरका एक विनम्र सेवक हूँ। मेरा वहाँ (सीमाप्रान्त) जानेका उद्देश्य यह है कि मैं उन लोगोंसे मिलूँ और उनके बारेमें जानूँ जो कि अपने आपको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। उनके वीर नेताकी गिरफ्तारीके बाद मेरे अंतरकी यह प्रेरणा और भी बलवती हो गयी है। परन्तु अधिकारियोंकी आज्ञाके उल्लंघनसे मेरा तात्कालिक उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता इसलिए मैं आवश्यक अनुमति प्राप्त करनेके लिए भी सम्भव वैधानिक उपायोंसे कोशिश करना चाहता हूँ।'

शासन द्वारा अस्वीकृत गांधीजीकी इस सीमा प्रांत यात्राके सम्बन्धमें मि०

सी० एफ० एन्ड्रूजने भारत सरकारके गृह-सचिव मि० हैलेटसे दो वार मुलाकात की। गाधीजीके सीमा-प्रान्त जानेमे जो खतरा था उसे स्पष्ट करते हुए गृह-सचिवने कहा, 'उनके प्रयोजन कुछ भी हो, उनकी इस यात्राके गलत अर्थ लगाये जा सकते है और उसका परिणाम यह हो सकता है कि आन्दोलन और हिंसाकी भावना फिर जाग जाय।'

तव मि० एन्ड्रजने उनको वतलाया कि गाधीजी खान अब्दुल गफ्फार खाँके लिए स्वयको उत्तरदायी अनुभव कर रहे है। वे नेता है और उनके जिन निष्ठावान् अनुयायियोने उनके कार्यको लेकर कष्ट उठाये है और जो जेल गये है उनके प्रति वे भी निष्ठाकी भावनासे बंधे है। मि० एन्ड्रूजने गाधीजीसे पूछा था कि उन्होने इतने शीघ्र, विना काफी पूछताछके सीमा-प्रान्तके आन्दोलनको स्वीकार क्यो कर लिया? गाधीजीने उनसे कहा कि उन्होने पूछ-ताछ कर ली है और स्वयं खान अब्दुल गफ्फार खाँ द्वारा भी उनको पूरा भरोसा दिलाया जा चुका है। फिर मि० एन्ड्रूजने अपनी निजकी स्थितिको वतलाया। कुछ मास पूर्व जव गाधीजीने उनके आगे सीमा-प्रान्त जानेका पहली वार सुझाव रखा तव एन्ड्रूज साहवने तुरंत ही इसके लिए अपनी असम्मति प्रकट कर दी। वे गाँवोकी योजनाको क्यो छोड देना चाहते है और सीमा-प्रान्त क्यो जाना चाहते है? गाधीजीने कहा कि यह विचार उनके मनमे प्रवेश कर गया है। गाधीजी अपने विचारपर स्थिर है। वे इस उद्देश्यको लेकर सीमा-प्रान्त जाना चाहते है कि वे वहाँके लोगोसे मिलेंगे और उनसे सीधा सम्पर्क स्थापित करेंगे। वे वहाँ जाकर यह देखना चाहते है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँने पठानोको जो अहिंसाकी शिक्षाएँ दी है उन्हे उन लोगोने अपने जीवन मे कितना उतारा है? गाधीजीका सीमा-प्रात जानेका एक आशय यह भी है कि वे ग्राम-उद्योगोके विकासमे वहाँके निवासियोको सहायता देना चाहते है।

मि० हैलेटने एन्ड्रूज साहवसे स्पष्ट रूपसे कह दिया कि गाधीजीका सीमा-प्रात भ्रमण 'औचित्यहीन ही नही वल्कि एक दु:खान्त घटना' होगी। इसके वाद मि० एन्ड्रूज गाधीजीके ऊपर खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रभावका उल्लेख करते रहे और वोले कि स्वयं उन्होने भी खान साहवके सम्वन्धमे वहुत अच्छा मत वना रखा है। इसपर गृह-सचिवने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके पिछले दिनोके भाषण, जिनमे एकपर उनके ऊपर अभियोग चल रहा है, जातीय घृणाकी भावनाओको उत्तेजना देते है। वे उनके सन् १९३१ के भाषणो जैसे ही है। गृह-सचिव मि० हैलेटने आगे कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ एक हठधर्मी, वल्कि एक ईमानदार हठधर्मी व्यक्ति है जिनकी हठधर्मिताने उनकी सारी अच्छी वातोको

दबा दिया है। मि० एड्रूजने अपनी राय देते हुए कहा 'यह भी सम्भव है, उन्हें यह शंका ही न हो कि वे अपनी इन गतिविधियों और भाषणों द्वारा अहिंसाके सिद्धान्तको आघात पहुँचा रहे हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी विचारणाके कुछ पहले गांधीजीने वल्लभभाई पटेलको निम्नांकित पत्र लिखा

मैं आपको खान साहबके लिए एक नया वक्तव्य भेज रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि यह करने योग्य काम है और इसे करना चाहिए। मैं उनको भी एक पत्र भेज रहा हूँ। आप उसको पूरा पढ़ लीजिएगा ताकि मुझको आपके आगे वहीं न दुहराना पड़े। मैं इस वक्तव्यमें खेदकी अभिव्यक्तिको अत्यंत महत्त्वपूर्ण समझ रहा हूँ। परन्तु इस सम्बन्धमें और पूरे वक्तव्यके सम्बन्धमें अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। मैं इतनी दूरीपर हूँ कि यहाँसे निश्चित रूपसे कुछ भी नहीं कह सकता। मैं यह भी महसूस कर रहा हूँ कि इस मामलेमें एक वकील नियुक्त कर लेना चाहिए। वही वक्तव्यको पढ़े। उसे इस सम्बन्धमें बहस नहीं करनी है कि अभियुक्त दोषी है अथवा निर्दोष। यदि आवश्यक समझा जाय तो वह भाषणका विश्लेषण करे। इसके अलावा वह केवल मामलेपर दृष्टि रखे। साक्षियोंके साथ जिरह करनेका कोई प्रश्न नहीं है। ये मेरे सुझाव मात्र हैं। इन्हें आप स्वीकार करें या नहीं—जैसा भी आप उचित समझें।'

२३ दिसम्बर १९३४ को खान अब्दुल गफ्फार खाँको बम्बईके चीफ प्रेसीडेन्सी मजिस्ट्रेट मि० एच० पी० दस्तूरके आगे उपस्थित किया गया। उन्हें पहले न्यायालयमें लाया गया। उनको देखते ही समस्त दर्शकगण उठकर खड़े हो गये और उन्होंने तालियाँ बजायीं। खान अब्दुल गफ्फार खान उठ खड़े हुए और अभिवादन किया और फिर वे अपने वकील भूलाभाई देसाईके पीछे जाकर अपनी जगह बैठ गये। लोक अभियोजक मि० जी० एल० वाल्करने अदालतको सम्बोधित करते हुए कहा कि अभी मामलेकी इस स्थितिमें वे पूरा भाषण पढ़ना आवश्यक नहीं समझ रहे हैं परन्तु वे पहले उस धाराका उल्लेख करना चाहते हैं जिसके अन्तर्गत खान अब्दुल गफ्फार खाँके ऊपर आरोप लगाया गया है। उन्होंने बहसको आगे बढ़ाते हुए कहा कि २७ तारीखको अभियुक्त द्वारा दिये गये भाषणका उद्देश्य एक वैमनस्य उत्पन्न करना था और शासनके प्रति घृणा एवं अपमानकी भावनाएं फैलाना था अतः यह अपराध आरोप १२४-एकी मुख्य धाराके अन्तर्गत आता है उसकी तीन व्याख्याओंके अन्तर्गत नहीं जिनका कि धाराके साथ उल्लेख है।

मि० भूलाभाई देसाईने उस साक्षीसे जिरह करनेसे इनकार कर दिया जिसने

यह कहा कि भाषण बम्बईके नागपद नेवर हाउसमे किया गया और उसमे लगभग २५० व्यक्ति उपस्थित थे । गवाहने कहा कि उनमे मुख्यतया भारतीय ईसाई थे ।

इसके पश्चात् मजिस्ट्रेटने अभियुक्तके विरुद्ध आरोपपत्र पढा और उससे पूछा कि वह अपनेको इस आरोपके लिए दोषी स्वीकार करता है अथवा दोषी स्वीकार नही करता ?

खान अब्दुल गफ्फार खाँ . 'मै आरोपको स्वीकार नही करता ।'

मजिस्ट्रेट 'तब क्या आप यह कहना चाहते है कि आप दोषी नही है ?'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ 'नही, मै आरोपको स्वीकार नही करता ।'

मजिस्ट्रेट . 'तब क्या आप आरोपके लिए दोषी होनेसे इनकार करते है ?'

भूलाभाई देसाई 'श्रीमन्, देखते है कि एक अभियुक्त अपनेको या तो दोषी स्वीकार करता है अथवा दोषी स्वीकार नही करता । धाराके शब्दोमे 'मै आरोप स्वीकार नही करता' अभिवचन तीसरे विकल्पमे आता है ।'

मि० वाल्कर 'यदि अभियुक्त दोषका स्वीकरण नही करता तो उसे प्रतिनिधित्वका अधिकार प्राप्त है ?'

भूलाभाई देसाई 'निश्चित ही ।'

मजिस्ट्रेटने अभियुक्त द्वारा कहे गये अभिवचनको लिख लिया । इसके पश्चात् उसने अभियुक्तसे पूछा कि 'क्या उसके भाषणका अनुवाद ठीक है ?'

'मै नही कह सकता क्योकि मै आरोपकोस्वीकार नही करता ।' खान अब्दुल गफ्फार खांने कहा । उनका यह लिखित वक्तव्य पढा गया

"मैने आरोप-पत्रको तथा उससे संलग्न अपने हिन्दुस्तानीमे किये गये भाषणके अनुवादको देख लिया है । यद्यपि अनुवादकी सामान्य प्रवृत्तिमे पर्याप्त सुधारकी आवश्यकता है फिर भी मै यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे भाषणके मुख्य कथन सही है और जैसा कि मेरे वकील मित्रोने मुझको बतलाया है, वे उस धाराके खण्डोके अन्तर्गत आ जाते है जिसके लिए मुझपर अभियोग कायम किया गया है ।

"मै एक निष्ठावान् काग्रेसजन हूँ और मै उसकी इस नीतिको स्वीकार करता हूँ कि इन दिनो गिरफ्तार होकर जेल न जाया जाय ।

"इसलिए, कुछ भी हो, मेरी इच्छा राजद्रोहात्मक शब्दोको कहनेकी नही थी, भले ही वे मेरे अज्ञानमे व्यक्त हुए हो । मुझे अपने उन कथनोपर खेद है जिनके लिए मुझपर अभियोग कायम किया जा सकता है ।

"इसके साथ ही मै यह कहना चाहता हूँ कि मेरे ईसाई मित्रोने जब मुझे

प्रकट करते हुए टिप्पणी करना इस धाराके अनुसार अपराध नही ठहरता। अपमान घृणा या वैमनस्यको उत्तेजित करनेका प्रयास किये बिना सरकारके प्रशासकीय तथा अन्य कार्यपर अपनी नापसदगीको व्यक्त करते हुए टिप्पणी करना भी इस धाराके अनुसार अपराध नही है।

"परन्तु जहाँ यह निश्चित हो जाता है कि वक्ताका आशय शासनके प्रति घृणा अपमान या वैमनस्यकी भावनाओको उत्तेजित करना है अथवा उसके लिए प्रयास करना है तब इसका कोई महत्त्व नही होता कि वक्ताके शब्द सत्य है या असत्य या उन्होने वास्तवमें घृणा अपमान या वैमनस्यकी भावनाओको उत्तेजित किया है।

'साधारण बुद्धिसे यह मान लिया जाता है कि किसी भी व्यक्तिके कार्य उसके मन्तव्यके स्वाभाविक और सामान्य परिणाम होगे। साधारणतया वह यह नही कहेगा, *यद्यपि इस भाषाका स्वाभाविक और सामान्य प्रभाव यह होगा कि* वह वैमनस्यकी भावनाको जाग्रत करेगा परन्तु जिस समय मै बोल रहा था उस समय मेरा आशय यह नही था।' किसी मनुष्यके लेखनको पढकर या भाषणको सुनकर कोई भी व्यक्ति इस बातका बहुत कुछ सही अन्दाज लगा सकता है कि वह किस ओर प्रेरित है और किधर जाना चाहता है?

परन्तु इसके साथ ही सम्पूर्ण भाषणको निष्पक्ष मुक्त और उदार भावनासे पढना चाहिए। फिर यह देखना चाहिए कि उसको पढते समय किसी आपत्तिजनक वाक्य या कठोर शब्दके लिए रुकना तो नही पडता। *यह कार्य स्वतंत्र* भावनासे करना चाहिए और उसे सकीर्ण आलोचनाकी दृष्टिसे नही देखना चाहिए।

"ये वे सिद्धान्त हैं जो अनेक अभियोगोमें उच्च न्यायालयोने मार्ग-दर्शनके लिए निर्धारित किये है। उनके सहारे इस *निर्णयपर* पहुँचा जा सकता है कि वह लेखन या भाषण जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है वस्तुत राजद्रोहात्मक है या नही।

"भाषण काफी लम्बा है और वह टाइप किये हुए तरह पृष्ठोंसे भी अधिक स्थान घेरता है। उसमे श्रोताओको यह बतलाया गया है कि आन्दोलनका आरम्भ कैसे हुआ वह किस वर्षमें शुरू किया गया और उसकी प्रवृत्तियाँ क्या रही। प्रारम्भमें वह एक सामाजिक सगठन था। जब फ्रन्टियर रेगुलेशन एक्टका प्रारूप तैयार हुआ तब इस आन्दोलनका आरम्भ हुआ। वह कहता है

अपने कपट धूर्तता और छलसे ब्रिटिश सरकारने फ्रन्टियर रेगुलेशन एक्टको एक प्रकारके कानूनका रूप दे दिया था। उसका परिणाम यह था कि हमार

यहाँके लोग सदैव एक-दूसरेसे लडते रहते थे और हमारे मुल्कमे वहुत हत्याएँ होती थी। पुरुपोकी वात तो जाने दीजिए, हमारे यहाँकी स्त्रियोको भी कानून की अदालतोमे जाना पडता था। फ्रण्टियर एक्टका प्रारूप इतनी चालाकीके साथ तैयार किया गया था कि हमारे यहाँकी सारी स्त्रियोपर उसका प्रभाव पडा और हमने यह अनुभव किया कि हमारे यहाँके लोग वरवाद होते जा रहे हैं। सरकार ने उनको एक नयी चीज, अदालत दी थी और हमारे यहाँकी जनता और हमारे देगको दो दलोमे वाँट दिया था।

"वक्ता यह स्पष्ट रूपसे कहता हैं कि फ्रण्टियर एक्ट विधानका एक कपट और धूर्ततासे भरा हुआ अंग था जिसको कि गासनने कुछ विशेष उद्देश्योसे पारित किया था और वे उद्देश्य थे, वहाँकी जनताको दो दलोमे विभाजित कर देना, मुकदमेवाजीको वढावा देना और जनताकी वर्वादीकी योजना वनाना। इतना ही नही, वह इसके आगे यह भी कहता है कि उस एक्टके कारण ही उसके मुल्कमे अधिक हत्याएँ होने लगी है।

"भापणमे थोडा-सा आगे चलकर वह श्रोताओसे कहता हे कि सरकार, जिसका कर्त्तव्य भारतकी जनताको शिक्षा प्रदान करना था, सीमाप्रान्तके निवासियोको शिक्षित नही वनाना चाहती थी। वह उनको अज्ञानमे रखना चाहती थी ताकि वे भारतीयोसे न मिल सके और भारतसे संयुक्त न हो सकें। यद्यपि वह इस प्रकार सरकारके ऊपर किसी न किसी मात्रामे कर्त्तव्यपराङ्मुखताका दोप लगाता हे और यह कहता है कि इसके पीछे सरकारके स्वार्थपूर्ण उद्देश्य थे परन्तु मेरे विचारमे यह वाक्य-खड अपने-आपमे 'राजद्रोह' के अन्तर्गत नही आता। वक्ताका शासनके प्रति दृष्टिकोण क्या है, केवल यह दिखलानेके लिए ही मैंने इसका उल्लेख किया हे और साथ ही यह दिखलानेके लिए भी कि शासनके ऊपर दोपारोपण करनेके लिए वह कितना तत्पर ह।

"यही निकृष्ट उद्देश वह शासनके ऊपर पुन. आरोपित करते हुए कहता है 'सरकारी विद्यालयोको जाने दीजिए, हमने अपने निजी विद्यालय खोले परन्तु सरकारने किसी न किसी वहाने हमारे नन्हे वालकोकी उन शिक्षण-संस्थाओको वर्वाद कर डाला। इस प्रश्नको जाने दीजिए कि हमे शिक्षित करना शासनका एक कर्त्तव्य था, उसने हमारी अपनी शिक्षा-संस्थाओको इसलिए नष्ट कर दिया कि हम उसके नियंत्रणमे वने रहे।'

"पृष्ट ६ पर वह शासन द्वारा नियुक्त पुलिसके सम्वन्धमे पूछता है, 'ब्रिटिश सरकारने पुलिसको किसलिए रखा है?' फिर वह स्वयं उसका उत्तर देता है,

'हम जानते ह और आप भी जानते ~ कि वह (पुलिस) हमारे ऊपर लाठियाँ चलानेके लिए रखी गया ह और इसलिए रखा गया ह कि वह हमें जेलमें भेजन के लिए हमारे विरुद्ध डायरियाँ लिख ।

'यह स्पष्ट रूपसे उस धाराके भीतर आ जाता ह । इसका अर्थ यह ह कि सरकारने पुलिसको शांति और व्यवस्था बनाये रखनेके लिए नही बल्कि इसलिए रखा ह कि वह लोगोको पीटे, उनके विरुद्ध मिथ्या गोपनीय रिपार्टें कर और उनका जेल भजे । यह तथ्योको जान-बूझकर दूषित करनेके अतिरिक्त और कुछ नही ह जिसका उद्देश्य केवल शासनके प्रति घृणा जाग्रत करना अथवा उसका अपमान करना ही हो सकता ह ।

इसके बाद वह खुदाई खिदमतगारो द्वारा किय जानवाले कार्यो और सरकार द्वारा किय गय कार्योके बीचकी विषमताको व्यक्त करता ह । वह कहता ह हम उसी सीमाप्रान्तके गाँवोके निवासियोको सभ्य देखना चाहते थ जिसको कि भारतका प्रवेश-द्वार कहा जाता ह जब कि सरकार यह चाहती थी कि व लोग आपसम लडते झगडते रहें और वे एक बबाद और बिगडी हुई जिन्दगी बिताते रहें ताकि सरकार बिना किसी परेशानीके उनके ऊपर शासन करती रह ।

शासनके ऊपर यह दोषारोपण करना कि वह उन लोगोको लडाते रहना चाहता था और उनकी जिन्दगीको बर्बाद कर देना चाहता था बिगाड देना चाहता था एक राजद्रोह मात्र ही नही अपितु एक ऐसा वक्तव्य ह जो कि ईमानदार नही ह ।

इसके नीचेका अश तो सबसे बुरा ह । उसमे वक्ता यह बतलाता ह कि शासन अपनी प्रतिष्ठाको बनाय रखनके लिए किस सीमातक जा सकता ह । वह कहता ह

म आपको बतला चुका हूँ कि सत्ता अपनी प्रतिष्ठाको बनाय रखना चाहती थी और इसके साथ ही वह उस भावनाको भी दबा देना चाहती था जो कि पठानो में उत्पन्न की गयी थी । फिर भी (जुलूसके लोगोके तितर बितर हो जानेके बाद भी) पेशावरके किस्साखानी बाजारमे शस्त्र भण्डार और बन्दूकें पहुँच गयी । इसके पश्चात पहले भारतीय सेनाको गोली चलानेका आदेश दिया गया । उन लोगोने यह कहकर गोली चलानेसे इनकार कर दिया इन लोगोके पास ह ही क्या ? न इनके पास लाठियाँ ह और न पत्थर । हम किसके ऊपर गोली चलायें ? इसपर भारतीय सेनाके उन लोगोको वहाँसे हटा दिया गया । बादमे उनको सनिक न्यायालयमें उपस्थित किया गया और फिर जेलमे भज दिया गया । उसके बाद

वहाँ ब्रिटिश सैनिक बुलाये गये और उन्होने आकर गोलियाँ चलायी। एक या दो मिनटमे २००-२५० व्यक्ति शहीद हो गये। क्या हमने कोई अपराध किया था जिसके लिए किस्साखानी बाजारमें हमारा खून बहाया गया ? नही, यह प्रतिष्ठाके लिए हुआ। सरकार अपनी प्रतिष्ठा कायम रखना चाहती थी।

"यह कथन शासनके विरुद्ध एक अति गम्भीर आरोप है अर्थात् वह अपनी प्रतिष्ठाके लिए उन २००-२५० निर्दोष मनुष्योकी हत्या करनेमे नही हिचकी, जिनकी अपनी कोई गलती नही थी, जिनका अपना कोई अपराध नही था। जिस भारतीय सेनाने गोली चलाना अस्वीकार कर दिया और जिसको इसके लिए दंड दिया गया, उसका उदाहरण भी यहाँ एक विशेष प्रयोजनसे दिया गया है। वक्ता भारतीय सेना और उस ब्रिटिश सेनाके बीचका वैषम्य स्पष्ट करना चाहता है जिसके द्वारा यह तथाकथित कार्य पूरा हुआ। भाषणका यह अंश शासनके प्रति घृणा और अपमानकी भावनाओको उत्तेजना देनेके लिए बाध्य है। वह असंदिग्ध रूपसे श्रोताओके मनमे उस सरकारके लिए द्वेष और वैमनस्य जाग्रत करेगा जिसने मात्र अपनी प्रतिष्ठाके लिए २५० मनुष्योकी क्रूर हत्या जैसे असभ्यतापूर्ण एव हिंसात्मक कार्यको प्रश्रय दिया।

"तत्पश्चात् अभियुक्त सीमाप्रान्तमे अपनाये गये आतङ्कवादकी ओर श्रोताओका ध्यान आकृष्ट करता है।

"हमारे स्वयसेवक अहिंसाका पूर्ण रूपसे पालन कर रहे थे। सरकार ऐसा एक भी प्रसग नही बतला सकती जिसमे उन्होने हिंसात्मक कार्य किया हो। जेलसे लौटनेके बाद मैने सरकारको जगह-जगह यह चुनौती दी कि वह हमारी ओरसे हुई हिंसाकी एक भी घटना बतला दे। परन्तु उसने ऐसा नही किया। वस्तुत वह स्वाङ्ग था। वह राष्ट्रकी एक भावनाको दबा देना चाहती थी। मै आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूँ। सरकारने देशके विभिन्न भागोमे गोलियाँ चलवायी, लोगोके घरोको लूटा और बरबाद किया। वे लोग मकानोमे घुस गये और उन्हे (सिपाहियोको) वहाँ चाय पीने या खाना बनानेके जो भी बर्तन-भाडे मिले उन्हे उन लोगोने तोड-फोड डाला। उन्होने गरीब लोगोके आटा रखनेके बर्तनोमे फिनाइल उडेल दी। घरकी काममे आनेवाली वस्तुओके उठा ले जानेपर हमे आश्चर्य नही। उन्हे पुलिसवालोको उठाकर ले जाने दो। वे उनके काममे आयेगी।

"यह एक अन्य अत्यत गम्भीर आरोप है। वह शासनपर यह दोषारोपण करता है कि उसने राष्ट्रकी एक भावनाको कुचलनेके लिए पशुता, क्रूरता और

निकृष्ट उद्देश्यको अपनाया।

"फिर अभियुक्त श्रोताओंको यह बतलाता है कि सरकारके दमन के कारण ही खुदाई खिदमतगार आंदोलनने, जो मूल रूपसे एक सामाजिक आंदोलन था राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। खुदाई खिदमतगारोंने स्वयं अपने संगठन को राजनीतिक रंग नहीं दिया परन्तु जब शासनने उसके ऊपर आतंकवादी कार्यवाही की तब वे इसके लिए विवश हो गये। वक्ताने ये शब्द शासनके विरुद्ध दमन और आतंकवादी तरीकोंको अपनानेका आरोप लगाते हुए।

अपने भाषणमें कुछ नीचे उसने कहा है ... अधिक कालमें भी उनको यानी पठानोंको आतंकित रखा गया। ... इसमें प्रयास किये गये कि हिन्दू और मुसलमान आपसमें लड़ते-झगड़ते रहें। सरकारको यह ज्ञात हुआ कि महात्मा गांधी आ रहे हैं और उसको यह भी पता चला कि मैं उनसे मिलनेके लिए जा रहा हूँ। उसी रातको पुलिसने मुझको गिरफ्तार कर लिया। उसने हमारे सब साथी कार्यकर्ताओंको गिरफ्तार कर लिया और उनमेंसे प्रत्येकको तीन वर्षका कठोर कारावास दण्ड दे दिया गया। मैं आपको अपने सम्बन्धमें बतला रहा हूँ कि सरकारका मेरे ऊपर कोई भू-राजस्व कर बकाया न था फिर आप सोच सकते हैं कि उसका मेरे घरको लूटनेका और मेरी चीजोंको उठाकर ले जानेका क्या उद्देश्य था? उन्होंने जो हमारे घरोंको लूटा उसका उद्देश्य भी यही था अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखना। इस प्रकार वे जनतासे कहना चाहते थे कि तुम क्या हो और तुम्हारे नेता क्या हैं? सरकार तुम्हारे घरोंको लूट सकती है तुम्हारे नेताओंको गिरफ्तार कर सकती है और उनका अपमान कर सकती है।

उपर्युक्त अंशमें वक्ता पुनः सरकारके उद्देश्यको हेय चित्रित करता है। उसकी रायमें वह सरकार ही है जो हिन्दुओं और मुसलमानोंको आपसमें लड़ाती है। वह यह भी कहता है कि वह केवल अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखनेके हेतु लोगोंके घरोंको लूटने और नेताओंका अपमान करनेको तैयार हो गयी।

'मेरे द्वारा उद्धृत अंश असंदिग्ध रूपसे शासनके प्रति अपमान और घृणाकी भावनाओंको उत्तेजना देता है। अभियुक्त जब यह कहता है कि उसका आशय राजद्रोहात्मक शब्द कहनेका न था अथवा यह उसके अनजानमें व्यक्त हुए कथन हैं तब मैं यह नहीं समझ पाता कि इससे उसका अभिप्राय क्या है?

जो अंश मैंने उद्धृत किये हैं उनके लिए यह नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्तने केवल कुछ छिटफुट शब्द जहाँ-तहाँ कह दिये हैं अथवा वे उससे बिना

समझे-बूझे अज्ञानमे निकल गये हैं। ये लम्बे उद्धरण हैं और वे जान-बूझकर शासनके ऊपर हेय और कुटिल उद्देश्योको आरोपित करते हैं।

"शासनके सम्बन्धमे उसका दृष्टिकोण यह है कि वह कपटी, धूर्त और छली है। वक्ताके कथनानुसार सरकार ही हिन्दुओ और मुसलमानोको आपसमे लडवाती है। राष्ट्रकी भावनाको कुचलनेके लिए वह दमन और आतंकका आश्रय लेती है और इस प्रकार वह स्वयं एक अभियुक्त है। उसने सत्तापर यह आरोप लगाया है कि उसने अपनी प्रतिष्ठाको कायम रखनेके लिए निरपराध व्यक्तियोकी हत्या की। वह सरकारके ऊपर यह अभियोग भी लगाता है कि उसने गोलियाँ चलायी, लोगोके घरोको लूटा, गरीब लोगोके आटा रखनेके पात्रोमे फिनायलको उडेला और उनके चाय तथा खाना बनानेके बर्तनोको तोड डाला। वह शासनका एक ऐसे संगठनके रूपमे चित्रण करता है जो लोगोके विरुद्ध गोपनीय रिपोर्टे लिखने, उनको जेल भिजवाने और उनको लाठियोसे पिटवानेके लिए पुलिस-बलका पोषण करता है।

"इसलिए मै धारा १२४-ए के अन्तर्गत अभियुक्तको दोषी ठहराता हूँ। उसने शासनपर जो अभियोग लगाये हैं, वे जान-बूझकर लगाये है। वे आरोप स्पष्ट, गम्भीर और धृष्टतापूर्ण है। अभियुक्त एक अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके कथन सामान्य व्यक्तिकी अपेक्षा कही अधिक प्रभावोत्पादक है, इसलिए मै उसको दो वर्षके कठोर कारावासका दण्ड देता हूँ।"

"मै राजद्रोहका किसी प्रकारसे दोषी नही हूँ।" खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, "उन ईसाइयोकी सभामे, जो उसी धर्मके अनुयायी है जिसके कि अंग्रेज, मै राजद्रोहकी चर्चा कैसे कर सकता था? मेरा वास्तविक राजद्रोह यह है कि मै बंगालके पददलित मुसलमानोकी सेवा करनेको उत्कठित हूँ। मै उनसे स्नेह और सहानुभूति रखता हूँ और उनकी उन्नतिकी कामना करता हूँ। मुख्य रूपसे मेरा अपराध यही था, जिसके लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। सरकार यह जानती थी कि मुझे लगभग ८ दिसम्बरको बंगाल पहुँच जाना है। मै बंगालमे जाकर वहाँके मुसलमानोके बीचमे कार्य करूँ, इस विचारको सरकार सहन न कर सकी।"

भूलाभाई देसाईने केन्द्रीय सभामे खान अब्दुल गफ्फार खाँकी रिहाईकी माग करते हुए यह बात कही

"अपनी गिरफ्तारीके बाद एक वकीलके नाते उन्होने मुझसे पहली बात यह कही 'यदि सत्य अपने-आपमे आरोपके सन्मुख एक सफाई हो सकता है तो मैं

विचारणाके सामने सच होनेको और अपने भाषणके प्रत्येक वाक्यको सिद्ध करने को बिल्कुल तैयार हूँ।' जब मैंने उस ईमानदार पठानको यह बतलाया कि ऐसा नहीं है तो उसे वास्तवमें आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि यदि आप नग्न सत्य भी कहेंगे तो भी सरकार उसे अपमानजनक और अपने लिए एक व्यंग्य ही समझेगी। वास्तवमें उस धाराका मूल आधार ही यह प्रतीत होता है कि सरकारको आदर्श मानना चाहिए। इसके बदले यदि आप सत्य उस आदर्शके अलावा और बतलाते हैं तो भी आप धारा १२४-ए के अपराधी ठहराये जायेंगे।"

कांग्रेसका भाईचारा

१९३४–३६

१५ दिसम्वर सन् १९३४ को खान अब्दुल गफ्फार खाँको वम्वईमे वाइ-कुलाके सुधार-गृह 'हिज मैजेस्टीज होम ऑफ करैक्शन' मे भेज दिया गया। फिर वहाँसे उनका तवादला सावरमतीकी सेण्ट्रल जेलमे कर दिया गया। उस समय उनका वजन घटकर १६८ पौण्डसे १६१ पौण्ड रह गया था। १३ जनवरी १९३५ तक वह और भी कम हो गया और १५५ पौण्ड रह गया। २७ जनवरी से लेकर ६ फरवरीतक वे एक अंतरंग रोगीके रूपमे जेलके चिकित्सालयमे भरती रहे। उनकी शिकायत यह थी कि उनकी भूख घट गयी है, उनका खाना ठीक ढगसे नही पकाया जाता और बम्बई प्रेसीडेन्सीकी जलवायु उनके स्वास्थ्यके अनुकूल सिद्ध नही हुई। २५ मार्च, १९३५ को उनका शरीर-भार और भी कम होकर केवल १४९ पौण्ड रह गया।

भारत-सरकारके गृह-सचिव मि० हैलेटने सयुक्त प्रदेश और मध्यप्रदेशके मुख्य मत्रियोको यह सूचित किया

"यद्यपि अभी खान अब्दुल गफ्फार खाँका स्वास्थ्य गम्भीर रूपसे खराव नही है परन्तु उसके क्षीण होते जानेकी सम्भावना है। विरोधी प्रचारकी दृष्टिसे उनके वजनकी इस कमी और उनके अभियोगको सामने लाकर शासनपर यह दोपारोपण किया जा सकता हे कि उसने जान-वूझकर एक राष्ट्रीय नेताको ऐसे कारागारमे रखा जहाँकी जलवायु और अन्य स्थितियाँ उसके स्वास्थ्यके लिए अनुकूल सिद्ध नही हुईं। इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि उसका स्वास्थ्य नष्ट हो गया। इस स्थितिमे यह स्पष्ट है कि यदि सम्भव हो सके तो हमे उनका तवादला किसी ऐसे प्रान्तमे करके इस स्थितिको वचा लेना चाहिए जहाँकी जलवायु उनकी प्रकृतिके अनुकूल हो और जिसकी उनके प्रान्तकी जलवायुसे समानता हो। स्वय कैदीका भी यह कहना है कि उसका स्थानान्तरण पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त या पंजावकी गुजरात जेलमे कर दिया जाय। इन सव कारणोसे यदि सपरिपद् गवर्नर महोदय भारत-सरकार तथा वम्वई सरकारकी सहायताका कोई मार्ग खोज निकालते है अर्थात् उनकी इस कठिनाईको दूर करनेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खांको संयुक्त प्रदेश या मध्यप्रान्तको किसी जेलमे रखनेको तैयार

हो जाते ह तो भारत-सरकार इसके लिए उनकी आभारी होगी।'

इसका उत्तर मध्यप्रदेशकी सरकारने यह दिया

"यद्यपि मि० गाधीका इस प्रातम कोई स्वाभाविक सम्बध नही ह फिर भी स्पष्ट रूपसे उनकी उपस्थिति इस प्रदेशपर एक अनिश्चित कालके लिए थाप दी गयी ह। वर्धामे उनका आवास स्थान एक ऐसा केन्द्र बन गया ह जहाँ कि सारे देशका प्रत्येक प्रमुख काग्रेसजन आता ह। यदि कोई राजनीतिक उपद्रव खडा हो जाता ह तो यह केन्द्र विरोधी तत्त्वोका एक गढ बन जायगा। अली बधु तथा अन्य राजनीतिक नेताओसे हमने यह अनुभव प्राप्त किया ह कि जलम रहते हुए भी ये लोग स्वय सारी राजनीतिक प्रवृत्तियोके सगम बन जाना चाहते ह। यदि बातको कुछ रूखेपनसे कहा जाय तो वस्तु स्थिति यह ह कि मि० गाधी के सीमा प्रातके इन एक ही पेशेके साथीको मि० गाधीके निवास-स्थानस जितना अधिक दूर रखा जायगा इस प्रदेशम हमारी मानसिक शातिके लिए उतना ही अच्छा होगा।

"इस प्रान्तकी सरकारने भारत सरकारका सदैव अपना प्रत्यक्ष सम्भव सहयोग दिया ह और राजनीतिक बन्दियोको स्थान दिया है परन्तु दानो गाधियोको अपने क्षेत्रमें रखना सामान्य रूपसे अनौचित्यपूर्ण ही नही होगा बल्कि यह उसकी आतिथ्य भावनापर भी एक अतिरिक्त भार हो जायगा।

सयुक्त प्रदेशकी सरकार काफी कठिनाई और अनिच्छा व्यक्त करनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँकी बरलीकी जिला जेलम रखनेपर तयार हो गयी।

दिनाक २९ मइ १९३५ क अपन एक पत्रम श्री वल्लभभाई पटेलने भारत सरकारके होम-मेम्बर सर हनरी क्रॉकको लिखा

'अपनी ६ फरवरीकी बातचीतम मने आपको खान अब्दुल गफ्फार खाँका मामला विस्तारसे बतलाया था और उस समय आपने मन यह आश्वासन देनेकी कृपा की थी कि आप उनकी मजाम कुछ टौम कमी करनेके लिए बम्बई सरकार को सुझाव देंगे। परन्तु वह तो दूर रहा पत्रोंके अनुसार पजाब और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकारोंने खान अब्दुल गफ्फार खाँके गिरते हुए स्वास्थ्यकी दृष्टि स की गयी कारागारोंके महानिरीक्षककी यह सामान्य सिफारिश भी अस्वीकृत कर दी कि उनको तत्काल उक्त प्रान्तोंसे किसी अन्यमें कर दिया जाय। मैं पिछले ६ मासमें खान साहबसे मिला था। पत्रोंमें पिछले दिनों उनके गिरते हुए स्वास्थ्यके सम्बन्धमें समाचार प्रकाशित हुए ह।

प्रत्युत्तरमें सर हनरी क्रॉकने श्री वल्लभभाई पटेलको ७ जूनको यह पत्र

लिखा

"आपसे मिलनेके थोडे दिनो वाद ही मैने उनके (खान अब्दुल गफ्फार खाँके) मामलेको फिर अत्यंत सावधानीके साथ देखा। जिस दण्डाधिकारीके यहाँ उनका अभियोग था, उसके निर्णयपर मैने विचार किया और उनकी पहली रिहाईके वादके भाषणो सहित घटनास्थलकी समस्त परिस्थितियोपर भी विचार किया। इस सम्वन्धमे मैने पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तकी सरकारके अभिप्रायको भी जाननेका सुयोग प्राप्त कर लिया और अव मै इस अंतिम निर्णयपर पहुँचा हूँ कि इस मामलेमे मेरी पहल करनेकी और वम्वई-सरकारको यह सुझाव देनेकी कि उनके दण्डमे कमी कर दी जाय, कोई तर्क-सगति नही है।"

१७ जूनको श्री वल्लभभाई पटेलने नाराज होकर सर हेनरी क्राइकको यह पत्र लिखा

"मुझे आपकी स्पष्टवादिता अच्छी लगी। खान साहव अब्दुल गफ्फार खाँके सम्बन्धमे आपके मनमे जो विचार चले है उनकी एक झलक उसके द्वारा मिली। फिर भी मै आपसे यह कहनेकी अनुमति चाहूँगा कि उस दिनकी घटना मुझे पूर्णत स्मरण है, जब कि आप दण्डकी कठोरतासे इस सीमातक प्रभावित हुए थे कि आपने स्वय दण्डमे कुछ ठोस कमी करनेके लिए वम्वई-सरकारको सुझाव देनेकी वात कही थी। मि० भूलाभाई देसाईसे इस विषयमे आपकी जो चर्चा हुई है वह इसकी पुष्टि करती है। मै आपसे यह कहनेकी अनुमति भी चाहूँगा कि जब एक वन्दी अपने विगत कार्योके लिए अपनी ओरसे ही खेद व्यक्त करता है तव उसकी पिछली घोषणाओको उसके विरोधमे लाकर खडा कर देना औचित्य-पूर्ण प्रतीत नही होता।

"किसी अन्य प्रान्तकी जेलमे खान साहवका तवादला करनेमे केन्द्रीय शासन-के समक्ष जो कठिनाइयाँ है, उनको भी मै समझ रहा हूँ, परन्तु यदि उनका स्थानान्तरण प्रेसीडेन्सीकी ही किसी अपेक्षाकृत ठडी जगह जैसे नासिक या यर-वडामे कर दिया जाता है तो मामला सरलतासे सुलझ जाता है। पिछली वार जव महात्मा गाधी और मैने ३१ मईको खान साहवसे भेट की थी तव स्वय उन्होने ही मुझको यह सुझाव दिया था। महात्माजीने वम्वईकी सरकारसे यह जाननेके लिए प्रार्थना की है कि क्या यह सुझाव स्वीकार किया जा सकता है?"

सर हेनरी क्राइकके मनमे खान अब्दुल गफ्फार खाँके सम्बन्धमे जो विचार चल रहे थे उनका एक अशभर ही श्री वल्लभभाई पटेलपर व्यक्त हुआ था। गृह-सचिवने २६ जनवरीको अपनी एक गोपनीय टिप्पणीमे लिखा

"मने खान अब्दुल गफ्फार खाँके मामलेमें दण्डकी सम्भावित कमीके प्रश्नपर सर राल्फ ग्रिफिथको एक पत्र लिखनेके लिए प्रारूप तयार किया। तत्पश्चात दूसरे दिन मैंने इस सम्बन्धमें होम मेम्बरकी भी राय ली। पत्रका प्रारूप लिखते समय, अभियोगके पूर्व इतिहासकी स्मृतिको पुन जाग्रत करनेपर मुझको दण्डकी कमी करानेमें इस सुझावमें कई गम्भीर आपत्तियाँ दिखलाई दीं। मैं यह भली भाँति समझ रहा हूँ कि उस मामलेमें, जिसमें कि खान अब्दुल गफ्फार खाँको दण्ड दिया गया है, वास्तवमें कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनके आधारपर दण्डमें कमी की जा सकती थी। दण्डकी कटौतीकी इन सम्भावित परिस्थितियोंकी दृष्टिमें यदि उन्होंने मूल न्यायालयमें या अपीलकी अदालतमें पुनर्विचारके लिए प्रार्थना की होती तो बहुत सम्भव था कि उनकी सजामें कमी कर दी जाती। परन्तु यह एक बिलकुल भिन्न बात है कि कार्यकारी शासन द्वारा दण्डकी अवधिमें कमी की जाय। मेरे ख्यालसे इस कार्यसे एक क्षोभ फैलेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि दण्ड देते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्यसे प्रभावित था जैसा कि उसने अपने फैसलेमें अन्तसे पहलेके वाक्यमें कहा है, 'अभियुक्त एक प्रभावशाली व्यक्ति है और उसके शब्द किसी सामान्य मनुष्यके शब्दोंसे कहीं अधिक प्रभाव रखते हैं।

'वे कभी भी छूटे, उनके हठधर्मी स्वभावको देखते हुए मेरे मनमें इस बातका कोई सन्देह नहीं है कि वे फिर इसी तरहके भाषण करेंगे। यदि वे अपनेको इससे रोकना भी चाहें तो यह उनके वशकी बात नहीं है। वे अपना ध्यान किन क्षेत्रोंमें विशेष रूपसे केन्द्रित करेंगे, यह कह सकना भी सम्भव नहीं है। परन्तु कुछ कारणोंके आधारपर यह विश्वास किया जा सकता है कि सम्भवत वे बंगालकी ओर अधिक आकृष्ट होंगे और मुझको इस बातमें भी कोई सन्देह नहीं है कि यदि उन्होंने अपने कुछ साल पूर्व किये गये भाषणोंको ही दुहराया तो इससे निश्चित ही स्थिति और बिगड़ेगी। फिर भी यदि इस बातको जाने दिया जाय कि वे रिहाईके बाद क्या करेंगे तो भी हमें यह विचार करना चाहिए कि यदि शासन उनके दण्डमें कमी कर देता है तो उसका सामान्यत क्या प्रभाव पड़ेगा?

मेरी राय यह है कि स्वास्थ्यके गिरावटके आधारपर उनके दण्डमें कमी यथेष्ट तर्कसंगत नहीं होगी। यह सच है कि बम्बईकी जलवायु उनके स्वास्थ्यके लिए अनुकूल सिद्ध नहीं हो रही है परन्तु बम्बईकी सरकार उनको वहाँसे हटानेके लिए कदम उठा रही है और इससे उनकी जो भी न्यायपूर्ण शिकायत है वह दूर हो जायगी। यदि स्वास्थ्यकी खराबीके कारण हम उनको मुक्त कर देते हैं तो एम० एन० रायके लिए भी यही व्यवहार करनेके लिए प्रलोभन उत्पन्न हो

सकता है, जिनकी स्वास्थ्यहीनताकी आये-दिन खबरे मिलती रहती है और शायद यह भी सोचा जा सकता है कि नेहरूकी तबीयत भी खराब चल रही है। इस प्रकार खान अब्दुल गफ्फार खाँकी रिहाई एक आपत्तिजनक मिसाल बन सकती है।

"इसके अतिरिक्त मै यह भी अनुभव कर रहा हू कि अब्दुल गफ्फार खाँकी सजामे कटौती करनेसे पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तमे यह समझा जा सकता है कि आन्दोलनकारियोके प्रति शासनका रुख ढीला पड गया है और इस भावनासे निश्चित ही लाल कुर्ती दल आन्दोलनके अन्य सगठनकर्त्ताओको प्रोत्साहन मिलेगा। मेरा ख्याल है कि यदि किसी ऐसे नेताके दण्डकी अवधि घटायी जाती है, जिसकी कि पिछली गतिविधियाँ आपत्तिजनक रही है तो इससे लोगोके मनमे यह धारणा बनेगी कि सरकार शिथिल पड गयी है, साथ ही यह आवाज भी उठने लगेगी कि जो व्यवहार खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ किया गया है, वही इस सम्बन्धमे नेहरूके साथ भी करना चाहिए। मुझको पूरी तरहसे स्मरण है कि सत्यपालके मुकदमेमे उनको इसी अपराधमे कम दण्ड दिया गया था और मै यह भी जानता हूँ कि सत्यपालका पिछले सालोमे पजाबपर भी उतना प्रभाव नही था जितना कि खान अब्दुल गफ्फार खाँका है। यह भी निश्चित है कि उनका प्रभाव खान अब्दुल गफ्फार खाँकी भाँति सारे भारतपर नही था। मुझको इस बातमे बहुत सदेह है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके दण्डके लिए मुसलमानोमे सामान्यत. एक प्रबल रोष भाव जाग्रत हुआ है अथवा उनके दण्डमे कमी हो जानेके कारण वे विशेष प्रसन्न होगे। इन सब कारणोसे मेरा विचार यह है कि इस प्रस्तावकी ओर ध्यान ही नही देना चाहिए।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने जेलके अनुभवोका वर्णन करते हुए लिखा है "साबरमती जेलका अंग्रेज अधीक्षक एक बहुत कठोर व्यक्ति था। उसने मुझे एक ऐसे वार्डमे रख दिया, जहाँ कि वार्डके नम्बरदारको भी भीतर आनेकी अनुमति नही थी। वह वार्डका दरवाजा बन्द करके ताला लगा देता था और बाहरसे चौकसी रखता था। मुझे यहाँ 'बी' श्रेणी दी गयी थी परन्तु मेरा भोजन तथा अन्य सुविधाएँ मेरे प्रदेशकी 'सी' श्रेणी जैसी थी। मै जमीनपर सोता था। मेरे साथ कोई बात करनेवाला नही होता था। वहाँ बहुतसे बन्दर आ जाया करते थे और मै उनके साथ खेला करता था। एक बार मै इन्फ्लूएंजासे बीमार पड गया लेकिन बीमारीके बाद भी मुझे चिकित्सालय नही भेजा गया और न मुझको चारपाई ही दी गयी। मुझको सीमेन्टके फर्शपर लेटना पड़ता था। जेलमे

मुझको केवल दो छोटे छोटे कम्बल दिये गये थे जो मेरे लिए सर्दीकी उस ऋतुमें पर्याप्त न थ। परन्तु ईश्वरकी कृपासे म स्वस्थ हो गया।

'मई सन् १९३५ में गाधीजा मुझसे मिलनके लिए आये। उनके प्रयत्नसे हा म ए श्रेणीमें चला लिया गया। एक बार जेलोका महानिरीक्षक वहा निरीक्षण करने आया। मन उसके सामने अपनी माग रखी। मन उससे कहा कि व मर लिए बम्बईसे किसी एसे बदीको भिजवा द जो कि मेरा खाना बना दिया कर। उन दिनो मेरे पास कोई बावरची न था। उसन कहा कि वह मेरा तबादला पजाव प्रान्तम करा देगा और मेरे लिए पेशावरसे किसी पठान बावरचीकी व्यवस्था करा देगा। मन उससे कहा कि पजाब सरकार मुझे कभी अपन प्रातम रखन को तयार नही होगी और उससे आग्रह किया कि वह मेरे लिए फिलहाल बम्बई से ही कोई बावरची भिजवा द। उसे पूरा विश्वास था कि पजाबकी कोई जेल और पख्तून बावरची ही मेरे अनुकूल पडगा। पजाब सरकारने मुझको अपन यहाँ रखना स्वीकार नही किया लेकिन पशावर जेलसे मेरे लिए एक बावरची आ गया। वह बावरची नही बल्कि तपेदिकका एक रोगी था। उसके भेजनसे उनका अभिप्राय यह था कि मुझे क्षय हो जाय। अगस्त सन १९३५ म मुझको उस बाव रचीके साथ ही बरेली डिस्ट्रिक्ट जेलमें भेज दिया गया। मुझ वहाकी सेंट्रल जेल मे नही रखा गया जिसमे कि बहुतसे राजनीतिक बदी थे। सरकार चाहती थी कि मुझे कष्ट हो और मुझ किसीका साथ न मिले। साबरमती जेलकी भाँति ही यहाँ भी मुझ एक एकान्त कोठरी दे दी गयी।

'इसी बीच डा० खान साहब केन्द्रीय सभामे निर्वाचित हो गय और उनके ऊपरसे सीमा प्रान्तमें प्रवेश करनेका प्रतिबध हट गया। वे तथा उनकी पत्नी जेलम मुझसे भेट करनेके लिए आये।

"कारागारोके महानिरीक्षक कनल सलामतुल्लाह खा बहुत अच्छ व्यक्ति थ। जब वे निरीक्षण करनके लिए आय तब मन उनसे उस रोगी बावरचीको हटा देनेका निवेदन किया। मने उनसे कहा कि म क्षयके एक रोगीसे रसोई पकानेका काम नही ले सकता। इसम उस और मुझ दानोको असुविधा होती ह। अतम उस बावरचीका तबादला कर दिया गया।

'जेलम श्री रफी अहमद किदवाई मुझसे मिलनके लिए आय और जेलोंके मन्त्री महोदय भी आये। उस समय गर्मियाँ शुरू हुई थी। उन्होने इस बातकी सिफारिश की कि मेरा स्थानान्तरण किसी शीतल स्थानपर कर दिया जाय। लेकिन उस समय मेरा तबादला नही किया गया। बरलीमें मुझ गम लू व झाके सहन

पडे जो कि वहॉ लगातार चला करते थे। मेरे सारे शरीरपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो गयी। जब गर्मीकी ऋतु बीत चली और मै उसका असह्य प्रकोप झेल चुका तब मुझे अलमोडा जेल भेजा गया। उन दिनो उस पहाडी क्षेत्रमे वर्षा प्रारम्भ हो गयी थी। वहॉ लगातार कई दिनोतक बरसात होती रहती थी और मै घूमनेके लिए भी बैरकसे बाहर नही निकल पाता था। मुझे वहॉ बगीचेका वह काम दिया गया था जिसे जवाहरलालजी अधूरा छोडकर चले गये थे। मुझसे पहले वे उसी जेलमे थे। मैने इस कार्यको सतोषजनक ढगसे किया इसलिए मुझको अपने दण्ड-मे पन्द्रह दिनोकी अतिरिक्त छूट दे दी गयी। इस प्रकार कुल मिलाकर मुझको अपनी सजामे साढे चार मासकी अतिरिक्त छूट मिल गयी। मेरे दण्डकी अवधि पूरी हो गयी और मै छोड दिया गया। परन्तु पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त और पंजाबमे मेरे प्रवेशपर प्रतिबन्ध था, इसलिए मे वापस वर्धा चला आया।''

वर्धा जाते समय खान अब्दुल गफ्फार खाँको १ अगस्त १९३६ के सवेरे मार्गमे नागपुर स्टेशन मिला। वहाँ काग्रेसके बहुत काफी लोग उनको अपनी सद्-इच्छाएँ अर्पित करनेके लिए उपस्थित थे। खान अब्दुल गफ्फार खॉ तीसरे दर्जेके एक डिब्बेमे सो रहे थे। उनकी टॉगे उनकी सीटसे बाहर निकली हुई थी। उनके सिरहाने तकियेकी जगह टाटका एक थैला रखा था। बस यही उनका सामान था, सिपाहीका एक थैला। उनका स्वास्थ्य अत्यत गिर चुका था और उनको हल्का बुखार भी था। उनको यह देखकर बडी प्रसन्नता हुई कि इतने लोग स्नेह-वश उनसे मिलने आये है। उन्होने कहा, 'यह काग्रेसका भाई-चारा है।'

वर्धामे खान अब्दुल गफ्फार खाँने पुन. जमनालालजी बजाजका आतिथ्य ग्रहण किया। वे नित्य पैदल वर्धासे पाँच मील दूरसे गाँव जाते थे। लगभग एक मास पहले गाधीजीने वहॉ अपना आश्रम स्थापित किया था। उन दिनो चुनावका अभियान चल रहा था परन्तु गाधीजीने मानो अपनेको सेवागाँवमे बन्द कर लिया था। वे रचनात्मक कार्यमे लगे रहते थे। दूर और पासके मिलनेवाले उनसे परा-मर्श लेनेके लिए वहॉ पहुँच जाया करते थे। वर्धा पहुँचनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खॉ प्राय. अपना सारा दिन महात्मा गाधीके सान्निध्यमे ही व्यतीत करते थे जिन्हे कि उन दिनो मलेरिया ज्वर हो आया करता था। सितम्बरके अंततक गाधीजी अपनी सामान्य प्रवृत्तियोमे भाग लेने लगे।

२ अक्तूबर १९३६ को सेवागाँवमे गाधीजीने अपनी सरसठवी वर्षगाँठ शाति-के साथ मनायी। इसके एक पखवारेके बाद वे खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ 'भारत माता' के मन्दिरके उद्घाटन-समारोहके लिए बनारस चल दिये। इस

मन्दिरमें भारतका एक विशाल उभरा हुआ मानचित्र संगमरमरपर खुदाई करके तैयार किया गया था। बाबू शिवप्रसाद गुप्त द्वारा निर्मित भवन 'प्रेमाश्रम' में भगवानदासजीने अतिथियोंका स्वागत किया। उन्होंने अपने स्वागत भाषणमें इस बातपर बल दिया कि समस्त धर्मोंका मुख्य सिद्धांत एक ही है और वह प्रेम, शान्ति और एकताका प्रसार है।

गांधीजीने कहा "मुझसे सबेरे उद्घाटनके लिए कहा गया। वेदमन्त्रोंका पाठ सुनते समय मुझे अपनी प्रातःकालकी प्रार्थनाका वह श्लोक स्मरण हो आया जिसको कि हम लोग पिछले बीस वर्षोंसे दुहराते आ रहे हैं—

समुद्रवसने ! देवि ! पर्वतस्तनमण्डले !
विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥

(पृथ्वी माता, तुम विष्णुकी पत्नी हो। सागर तुम्हारे वस्त्र हैं और पर्वत तुम्हारे स्तन हैं। मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। मैं अपने पैरोंसे तुम्हारा जो स्पर्श कर रहा हूँ उसे क्षमा करना।) यह वही पृथ्वी माता है जिसकी सेवा और भक्तिमें आज हम अपनेको अर्पित कर रहे हैं। जिस माताने हमें जन्म दिया है वह निश्चित ही एक न एक दिन मृत्यु गतिको प्राप्त होगी परन्तु विश्वमाताके साथ ऐसा नहीं है। वह हमारा भार धारण करती है और हमारा पोषण करती है। वह भी एक दिन मरेगी परन्तु जिस दिन वह मरेगी उस दिन अपने समस्त पुत्रोंको अपने साथ लेती जायगी। इसलिए वह हमसे समग्र जीवनके समर्पणकी माँग करती है।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस समारोहमें अपनी उपस्थितिपर अत्यन्त प्रसन्नता व्यक्त की और कहा कि पहले जमानेमें मस्जिदें बना करती थीं। उनमें सब लोग जा सकते थे और वहाँ अपनी प्रार्थना कर सकते थे। उन्होंने अपना यह मन्तव्य प्रकट किया कि यह मन्दिर भी, जिसका महात्मा गांधीने अभी उद्घाटन किया है, उपासना और प्रार्थनाकी ऐसी ही एक आम जगह बने।

३० अक्तूबरसे २ नवम्बरतक खान अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजीके साथ अहमदाबाद रहे। वहाँकी नगरपालिकाने उन्हें एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया। सार्वजनिक सभाओंमें उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकतापर बल दिया और खुदाई खिदमतगार आन्दोलनकी सार्थकता बतलायी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजीके साथ ही अहमदाबादसे वर्धा लौट आये। सीमा प्रान्तमें उनके प्रवेशपरसे प्रतिबंध हटानेके लिए वहाँकी परिषद्में एक प्रस्ताव रखा गया था और इस सम्बन्धमें सीमा प्रान्तके होम-मेम्बरने एक भाषण किया था। १९ नवम्बरको खान अब्दुल

गफ्फार खाँने इस भाषणके प्रत्युत्तरमे एक वक्तव्य निकाला .

"मुझे सूचना मिली है कि सीमा-प्रान्तके होम-मेम्बरने मेरी अहिंसाकी भावना-पर अपना अविश्वास प्रकट किया है और अपनी बातके पुष्टीकरणके लिए सदनके आगे कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये है, यदि उनको प्रमाण कहा जा सकता है तो।

"होम-मेम्बरने चारसद्दा मैदानमे विगत निर्वाचनका स्मरण दिलाते हुए कहा है कि उन दिनो हमारे क्षेत्रकी स्थिति ऐसी हो गयी थी कि धमकीके कारण केवल तीन वोटरोने मतदान केन्द्रमे जानेकी हिम्मत की थी। उन्होने यह भी कहा कि काश, उस समय प्रत्येक व्यक्तिको अपने मतदानका अधिकार होता! उन दिनो जो भी घटनाएँ घटी, जो भी दृश्य उपस्थित हुए, वे मेरे और मेरे कार्यकर्ताओकी अनुपस्थितिमे हुए, क्योकि उन दिनो हम सब विभिन्न अवधियोके लिए जेल काट रहे थे। उनकी इस बातको कि धमकीके कारण तीन मतदाता अपना मत देने गये, प्रमाणरूपमे स्वीकार नही किया जा सकता। वस्तुस्थिति यह है कि उन दिनो काग्रेसने निर्वाचनके बहिष्कारका आह्वान किया था। अत: वहाँ ही नही, भारतके अनेक स्थानोमे मतदाताओने अपने मतोको रोक लिया था।

"क्या यह सम्भव है कि धमकीके कारण हजारो मतदाताओको उनके मता-धिकारसे रोका जा सके? खुदाई खिदमतगारोकी अपेक्षा शासनके पास धमकी देनेके कही बडे साधन मौजूद थे। इसके अतिरिक्त उन खुदाई खिदमतगारोमेसे, जो जेलकी चहारदीवारीसे बाहर थे, बहुतसे मतदाता भी थे। यदि इस निर्वाचनमे मतदाता अपने मत काग्रेस प्रत्याशीको देने जाते है तो भी क्या यही कहा जायगा कि उन्होने किसीकी धमकीके कारण ऐसा किया है?

"मेरी तथाकथित हिंसाका दूसरा प्रसंग यह बतलाया गया है कि मै उस दरबारमें सम्मिलित नही हुआ जो कि तथाकथित सुधारोकी योजनाके लिए आयो-जित किया गया था और मैने उसके निमंत्रणका उत्तरतक नही दिया। मै इस सम्बन्धमे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि मुझे इस समारोहका आमंत्रण अपने एक मित्रके द्वारा मिला था और उस मित्रके द्वारा ही मैने उसका उत्तर भी भिजवा दिया था। मैने यह सोचा भी न था कि उस दरबारमे मेरा सम्मिलित न होना एक अपराधकी कोटिमे आयेगा। मै यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मेरा यह कार्य काग्रेसकी नीतिसे प्रेरित था, जिसपर कि मेरा पूर्ण रूपसे विश्वास है।

"इसके पश्चात् होम-मेम्बरने कहा है कि मैने और मेरे दलने सरकारसे सहयोग नही किया और मैने यह घोषणा की कि पूर्ण स्वाधीनताके अतिरिक्त कुछ

भी मुझे और मेरे दलको सतोष न दे सकेगा। उन्होंने कहा कि इस स्थितिमें शासन कार्यवाही करनेके लिए और राजद्रोहात्मक आदोलनको दबानेके लिए विवश हो गया। होम-मेम्बर कहते है 'मै यह सोचता भी न था कि इन लोगो का असहयोग वास्तवमे कांग्रेसका असहयोग है जिसको कांग्रेसने निश्चित रूपसे अपना एक अहिंसात्मक कार्य बतलाया है। कोई अहिंसात्मक कार्य भारतके किसी भागमे अवैध घोषित नही किया गया। न स्वाधीनताकी इच्छा और मांगको ही अवैध बतलाया गया। निश्चित ही मै स्वाधीनताकी मांगको हिंसाका एक कार्य नही समझता। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि कांग्रेसके ध्येयमे कांग्रेसका लक्ष्य काफी शब्दोमे स्पष्ट किया गया है और मै यह नही जानता कि उसके कारण कांग्रेस एक हिंसात्मक सगठन समझी जाती है अथवा उसको अवैध कार्यमें प्रवृत्त बतलाया जाता है।

तत्पश्चात सीमाप्रान्तके होम मेम्बरने मेरे उस भाषणका उल्लेख हिंसात्मक क्रिया-कलापके एक प्रसगके रूपमे किया है जिसके लिए मुझको दो वर्षका कठोर कारावास दण्ड दिया गया है। ये सब बातें अधिक शोभाजनक नही है। उनको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस भाषणके कुछ वाक्य खण्डोंके लिए मुझको अपनी ओरसे न्यायालयके आगे खेद व्यक्त करना पडा है यद्यपि मेरे भाषणमे कही हिंसाकी कोई भावना न थी। मेरे ऊपर राजद्रोहका आरोप लगाया गया था जो कि एक साविधिक अपराध है परन्तु इसीलिए वह अनिवार्य रूपमे एक हिंसात्मक कार्य नही हो जाता। मुझे इस बातका ज्ञान है कि यदि मेरे भीतर हिंसा है तो होम मेम्बरके साक्ष्योंकी कमीके कारण वह मुझमे निकल नही जायगी और यदि मुझमे वास्तवमे अहिंसा है तो होम मेम्बरके अनेक साक्ष्य मुझे हिंसक नही बना सकेगे। वह मेरे और मेरे स्रष्टाके बीचका मामला है क्योंकि वही मनुष्यके हृदय को पढ सकनेमे समर्थ है। मै केवल यह कह सकता हूँ कि मेरा अहिंसा और उसकी सामर्थ्यमे कई वर्षोंसे आस्था है। उन अनेक प्रसगोमे जो मेरे पहिले आगे आये है मैने उसे कार्य सिद्ध करते हुए देखा है। उसके प्रतिकूल कुछ भी क्यों न कहा जाय फिर भी मै यह समझता हूँ कि अहिंसाने खुदाई खिदमतगारोंके लिए क्या किया है। मै यह दावा करता हूँ कि उनके कार्य असदिग्ध रूपमे अहिंसा और उसकी क्षमताके गौरवपूर्ण उदाहरण है। इसका अर्थ यह नहीं है कि खुदाई खिदमतगार पूर्ण मानव है। वे और मै ईश्वरके और इसलिए मानवताके विनम्र सेवक बननेका प्रयास कर रहे है। हम लोग अहिंसाके गुणोंका उत्तरोत्तर अनुभव कर रहे है और उनको अपने आचरणमे ढालनेकी चेष्टा कर रहे है। हममेंसे

हैं। वल्लभभाई पटेलको सीमाप्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जाय, इसका निर्णय करते समय हमें उनके (विचारोंको) दृष्टिमें रखना चाहिए। अखिल भारतीय संसदीय समिति वास्तवमें कांग्रेसका एक वैध रूप है जो कि वैधानिक ढंगसे सक्रिय रूपमें कार्य कर रही है। यदि ऐसे निकायके अध्यक्षका सीमाप्रान्तमें प्रवेश निषिद्ध ठहराया जाता है तो निश्चय ही उसकी एक तीव्र प्रतिक्रिया होगी। परन्तु प्रत्येक दशामें पटेल अपनी सभाओंमें पठान श्रोताओंके मनको व्यक्तिगत रूपसे अपनी ओर कुछ तो आकर्षित करेंगे ही। जैसा कि सम्भवतः आप जानते होंगे, वे नेहरूके साम्यवादी विचारोंके कट्टर विरोधी समझे जाते हैं और शायद नेहरूके बढ़ते हुए प्रभावके कारण वे उनसे कुछ ईर्ष्या भी रखते हैं। हमें यह सूचना मिल चुकी है कि पिछले दिनों खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ उनका घनिष्ठ सम्पर्क रहा है और इन दोनों व्यक्तियों (वल्लभभाई पटेल और भूलाभाई देसाई) ने कुछ दिन पूर्व ही गांधी, नेहरू और राजेन्द्रप्रसादके साथ लम्बी चर्चा की है। उस बैठकमें जिन विषयोंपर विचार विमर्श किया गया उनमें एक विषय यह भी था कि आपकी सरकार निर्वाचनके कार्योंमें (उनके कथनानुसार) हस्तक्षेप करती है। ऐसा सम्भव है कि पटेल खान अब्दुल गफ्फार खाँकी ओरसे कोई सन्देश लेकर वहाँ जाय। उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे लाल कुर्ती दलके लिए कुछ ठोस आर्थिक सहायता लेकर वहाँ पहुँचें। परन्तु यदि पटेलको सीमाप्रान्तसे बाहर रखा जाता है तो भी किन्हीं अन्य रास्तोंसे यह सन्देश और यह आर्थिक सहयोग पहुँचानेमें इन लोगोंको कोई कठिनाई नहीं होगा।

वर्षके साथ ही कांग्रेसके सभापतिका कार्यकाल पूर्ण होने जा रहा था अतः उसके निर्वाचनकी एक हलचल-सी फैली हुई थी। अपने सभापतित्व कालमें नेहरूजीने समस्त देशका एक दौरा किया और कांग्रेसमें एक जीवन शक्तिका संचार कर दिया। यह अनुभव किया जाने लगा कि फैजपुर कांग्रेसके लिए नेहरूजीका पुनर्निर्वाचन होना चाहिए और नेहरूजीको फिर सभापति चुन भी लिया गया।

यह परिकल्पना कि कांग्रेस तथा प्रदर्शनीका आयोजन किसी गाँवमें करना चाहिए मूल रूपमें गांधीजीकी थी। वे इस अधिवेशनको सफल बनानेपर तुले हुए थे। महाराष्ट्रके एक गाँव फैजपुरमें जिस ढंगसे कांग्रेस अधिवेशनका आयोजन किया गया वह अत्यन्त प्रभावोत्पादक था। दूर और पासके लगभग १००,००० दर्शक वहाँ पहुँचे तथा निलकनगरमें एकत्रित हुए। २५ दिसम्बरको गांधीजीने अपने एक भाषणके साथ खादी और ग्रामोद्योग प्रदर्शनीका उद्घाटन किया।

"आपने अपने सभापतिके लिए संयोजित जुलूसकी इस भव्य सादगीको देखा, विशेष रूपसे उस रथकी सुन्दर अलकृति और सजावटको जिसे कि छ वैलों-की जोडियाँ खीच रही थी। ठीक है, लेकिन यह सब उसके हेतु सजाया गया, जो आपकी यहाँ प्रतीक्षा कर रहा है। यहाँ नगरकी सुविधाएँ और आराम नही है, लेकिन वह सब कुछ है जो ये निर्धन किसान आपको दे सकते है। यह जगह हम सबके लिए एक तीर्थ है, हमारी काशी और हमारा मक्का, जहाँ कि स्वतत्रताके आगे हम अपनेको अर्पित करने आये है और राष्ट्रकी सेवाके हेतु अपने मनको केन्द्रित करने आये है। यहाँ हम इन निर्धन किसानोके ऊपर हुक्म चलाने-के लिए नही आये है वल्कि यह सीखने आये है कि हम अपना नित्यका कार्य करके उनके कार्यमे कैसे हाथ वँटा सकते है और उनका भार कैसे हल्का कर सकते है। हम स्वयं सफाई करनेवालेका काम करे, स्वयं अपने कपडे धोये, अपने आप ही आटा पीसे आदि। कांग्रेसके इतिहासमे यहाँ आपको पिछली वार विना पालिश किये हुए चावल और हाथसे पिसे आटेकी चपातियाँ, पर्याप्त स्वच्छ वायु और आपके अगोंके विश्रामके लिए धरती माताकी साफ-सुथरी गोद दी गयी है। परन्तु आप कृपा करके अधिवेशनके संयोजकोकी जो भी कमियाँ हो उनको सहन कीजिए क्योकि खान साहवकी भाषामे हम सव खुदाई खिदमतगार, ईश्वरके सेवक है जो कि यहाँ अपनी सेवा कराने नही वल्कि अपनी सेवाएँ अर्पित करने आये है।"

नेहरूजीके अध्यक्षपदसे किये गये भाषणमे 'यूरोपमे फासिस्टवादकी विजय' पर विशेष चर्चा की गयी थी। उसे उन्होने अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रमे एक खुली दस्यु-वृत्तिका नाम दिया। साथ ही उन्होने भविष्यकी ओर एक सकेत करते हुए कहा कि यह स्थिति युद्धकी ओर ले जानेवाली है। उनके मनपर उसकी जो प्रतिक्रिया हुई थी उसे व्यक्त करते हुए उन्होने कहा "कांग्रेस आज भारतमे पूर्ण लोकतन्त्र-के सहारे खडी है और वह एक लोकतन्त्री राज्यके लिए संघर्ष कर रही है। वह साम्राज्यवादकी विरोधी है और आजके राजनीतिक और आर्थिक ढाँचेमे एक वहुत वडा परिवर्तन लानेके लिए लड़ रही है। मुझे आशा है,, घटनाओका तर्क उसे समाजवादकी ओर प्रेरित करेगा जो कि भारतकी आर्थिक वीमारियोका एक मात्र उपचार है।"

इसके वाद वे भारतकी समस्याओंकी ओर मुडे, नया सविधान, नयी सविधान सभा और कार्यकी संघीय सरचनाका विरोध करनेकी आवश्यकता। उन्होने कहा कि हमें साफ स्लेटपर फिरसे नया लिखना है।

"जो हमारे साथ लखनऊमें नही थे, वे एक लम्बी अवधिके बाद हमारे बीच मे आ गये।' नेहरूजीने अपने भाषणके प्रारम्भमे ही कहा, 'हम स्वतत्र भारतक खान अब्दुल गफ्फार खाँको उनकी निजकी वीरताके लिए और सीमा प्रान्तकी उस जनताके लिए हार्दिक स्वागत करते ह जिसका कि उन्होने भारतके स्वाधीनता सग्राममें प्रभावपूण और शौयपूण ढगसे नेतत्व किया। यद्यपि वे इस समय हमारे साथ है परन्तु वे अधिक दिनोंतक यहा नही रहेंगे। उनके सम्बन्धम भारतकी ब्रिटिश सरकारके आदश दौड रहे ह कि उनको अपने घर जाने दिया जाय या उन्हें अपने प्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी जाय या उन्ह पजाबम ही जाने दिया जाय। उनके अपने प्रान्तमें काग्रेसका सगठन अवतक अवध माना जाता ह और वहाँ अब भी अधिकाश राजनीतिक कार्योंपर प्रतिबन्ध लगा हुआ ह।

'यद्यपि प्रत्यक्ष रूपम हम दुबल जान पडते ह।' उन्होने अपने भाषणके अन्त में कहा "परन्तु वास्तवम हम कमजोर नही ह। हमारी शक्ति बढ़ती जा रही ह

भावके होते हुए भी हम इन चुनावोमे विजय प्राप्त करेगे ।

"परन्तु एक वहुत लम्बी यात्रामे यह तो एक छोटासा डग हे। हमे अपने पथपर विपत्तियो और पीडाओको साथी वनाकर आगे वढना है। वे दीर्घ कालसे हमारी सहयात्री रही हैं और उनको सहन करते हुए हमने प्रगति की है। जव हम यह सीख लेगे कि उनपर कैसे शासन किया जाता है तो हम यह भी सीख जायँगे कि सफलतापर कैसे शासन किया जाता है।"

काग्रेसने यह निश्चय किया कि यदि युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद अपने हितोकी पूर्तिके लिए भारत और उसकी जनता, उसकी जन-शक्ति और उसके साधनोका जो शोषण करेगा उसमे काग्रेस वाधा डालेगी। भारतके सीमान्तकी शान्तिके प्रश्नपर और पडोसियोके साथ अपनी मैत्री स्थापित करनेके सम्वन्धमे काग्रेसने अपना यह निश्चय प्रकट किया "काग्रेसका दृढ विश्वास है कि सीमा-प्रान्तमें भारत-सरकार द्वारा अपनायी गयी नीति, साम्राज्य-वादके स्वार्थ निहित होनेके कारण नितान्त असफल हुई है। काग्रेसका यह भी विश्वास है कि सीमान्तके पठान कवाइलियोपर कूर और आक्रमणकारी होनेका जो अरोप लगाया गया हे वह आधारहीन है और उनके साथ मैत्रीपूर्ण सम्वन्धो-को वढाकर उन्हे शक्तिका एक मूल्यवान स्रोत वनाया जा सकता है।"

फैजपुर काग्रेसमे ही खान अब्दुल गफ्फार खाँको पूर्वी खानदेशके पुलिस अधीक्षक द्वारा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त सार्वजनिक शान्ति अधिनियमकी धारा ५ के अन्तर्गत दिनाक १४ दिसम्वर १९३७ पेशावरका निम्नलिखित आदेश दे दिया गया

"मुख्य सचिवके पास उनको सतुष्ट करनेके लिए इस विश्वासके लिए पर्याप्त तर्कयुक्त आधार है कि आपने जिस ढगसे कार्य किया है वह सार्वजनिक शातिके लिए हानिकारक है और आपने आन्दोलनका जो प्रसार किया है वह भी सार्व-जनिक शान्तिके लिए हानिकारक है अत सपरिपद् गवर्नर आपको यह निदेश देते है कि आप सीमा-प्रान्तमे प्रवेश न कर सकेगे, वहाँ रुक न सकेगे और रह न सकेगे। यह आदेश २९ दिसम्वर १९३७ तक लागू रहेगा।"

सीमा-प्रान्तकी पुकार

१९३७-३८

फजपुर काग्रेसके अधिवेशनके पश्चात दलके नेता निर्वाचनके कार्यमें सलग्न हो गये। गाधीजीने पूर्ण रूपेण गांवोंके रचनात्मक कार्यको उठा लिया और खान अब्दुल गफ्फार खां उनके पास रहकर निर्माणात्मक कार्यकी मूल भावनाको ग्रहण करने लगे। श्री वल्लभभाई पटेलको चुनावका कार्यभार सौंप दिया गया था और इस मुहिमके प्रमुख अभियानकर्त्ता जवाहरलाल नेहरू थे। सीमाप्रान्तको छोडकर, जहा कि उनके प्रवेशपर प्रतिबध था नेहरूजी तरकशसे छूटे बाणकी भाँति देशभरमें सरसराते हुए निकल गये। हर एक मतदाताका मत काग्रेसको मिलना चाहिए। वे कह देकर कहते और इस प्रकार हम करोडो हाथोमें स्वाधीनताका ज्वलत सकल्प अकित करें।

फरवरी १९३७ ई० में सामान्य निर्वाचनोंके परिणाम घोषित कर दिये गये। मतदानमें काग्रेसने अत्यधिक मतोसे विजय प्राप्त की। उसे ग्यारह प्रदेशोमेसे छ प्रान्तोंमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। काग्रेस देशमें सबसे बडा विजयी दल माना गया।

सीमाप्रान्तमें, जहाँ कि मुसलमानोकी सख्या अधिक थी काग्रेसके प्रत्याशियोने मुसलमानोके लिए सुरक्षित ३६ स्थानोमेंसे १५ स्थानोपर विजय प्राप्त की जब कि मुस्लिम लीगको एक भी जगह नही मिल सकी। कुल मिलाकर खुदाई खिदमतगार दलके ५० सदस्योके सदनमें १९ स्थान प्राप्त हुए। काग्रेसकी विजयने अपना एक गहरा प्रभाव डाला। इस चुनावके ऊपर टिप्पणी करते हुए 'टाइम्स' ने लिखा

काग्रेस दलने अपनी विजयें उन लाभोके कारण प्राप्त कीं जिनमें कि ग्रामीण क्षेत्रोंके लाखो मतदाताओका हित निहित था और उन लाखो लोगोंकी गणनापर, जिनका अपना कोई मत नही था।

फरवरीके अन्तमें वर्धामें काग्रेसकी कार्यकारिणीकी बैठक हुई। राष्ट्रने काग्रेसके आवाहनका जो अनुकूल उत्तर दिया था उसके लिए इस बठकमें धन्यवादका एक प्रस्ताव पारित हुआ, "यह समिति राष्ट्र द्वारा सौंपे गये एक बडे उत्तरदायित्वका अनुभव करते हुए समस्त काग्रेस सगठनको, विशेष रूपसे विधान

मंडलके नवनिर्वाचित सदस्यगणका आह्वान करती है कि वे लोग कांग्रेसके आदर्शों और सिद्धान्तोके उत्थानके हेतु राष्ट्रके इस विश्वास और उत्तरदायित्वको सदैव स्मरण रखे। वे जनताके विश्वासके प्रति सच्चे रहे और स्वराज्यके एक सिपाहीके नाते मातृभूमिकी स्वतन्त्रताके लिए तथा करोडो लोगोको कष्ट और शोषणसे मुक्त करनेके लिए अनवरत श्रम करे।"

समितिने यह घोषणा की कि "कांग्रेस जनकी तथा इसी प्रकारसे अन्य समस्त भारतीयोकी प्रथम निष्ठा भारतकी जनताके प्रति होनी चाहिए। विधानमंडलके कार्योमे भाग लेनेके लिए सदस्यो द्वारा निष्ठाकी जो शपथ ली जायगी, उसका इस प्राथमिक निष्ठा और कर्तव्यके ऊपर कोई प्रभाव नही होगा। समितिने विधान-सभाके सदस्योको यह स्मरण दिलाया कि विधानमंडलके ऐसे समस्त कार्यो-की पृष्ठभूमिमे जनताकी स्वीकृति अनिवार्य है जिनका कि उस जनतापर प्रभाव पडना है। इस उद्देश्यसे विधानमंडलके सारे कार्योका, चाहे वे भीतर किये जायँ या बाहर, कांग्रेसकी गतिविधिसे समन्वय होना चाहिए।" विधानमंडलमे कांग्रेस की यह नीति निश्चित की गयी

"कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवादके यंत्रके साथ अपनी असहयोगकी सामान्य तथा बुनियादी नीतिपर तबतक दृढ रहेगी जबतक कि परिस्थितियोंमे ही कोई विशेष परिवर्तन नही आ जाता। कांग्रेसका लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता है और उसकी सभी प्रवृत्तियाँ उसी ओर निदेशित है। कांग्रेसका तात्कालिक लक्ष्य नये संविधान का मुकाबला करना है और एक संविधान सभाके हेतु राष्ट्रकी माँगपर बल देना है। कांग्रेसके सदस्य कांग्रेसके उस कार्यक्रमको कार्यान्वित करनेपर बल दे जिसका कि कांग्रेसके घोषणा-पत्र तथा भू-सम्पत्तिके विभाजन सम्बन्धी प्रस्तावमे उल्लेख किया गया है। वर्तमान क्रिया-कलापके अन्तर्गत, जब कि सुरक्षण और विशेष अधिकार वाइसराय या गवर्नरके हाथोंमे है और जबतक सेवाओकी संरक्षा भी उन्हींके हाथोमें है, यह गतिरोध अवश्यम्भावी है। कांग्रेसकी नीतिको कार्यान्वित करते समय जब वे बीचमें आते है तब उनका परिहार नही करना चाहिए।"

मार्चके तीसरे सप्ताहमे गांधीजी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठकमें भाग लेनेके लिए दिल्ली रवाना हो गये। पदोको स्वीकार करनेके विचारणीय विषयपर कांग्रेसका नेतृत्व दो भागोमे बँट गया, जिनकी कि राय अलग-अलग थी। दक्षिणपक्षी नेताओकी धारणा थी कि मंत्रिमंडलोकी रचना करके, नये संविधानसे लडनेके लिए कांग्रेस अपनी स्थिति अपेक्षाकृत दृढ कर सकेगी। नेहरू, सुभाष बोस तथा अन्य वामपक्षी नेता पदोको

स्वीकार करनेका विरोध कर रहे थे। काफी उग्र बहसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस समितिने गांधीजीका समझौतेका सूत्र स्वीकार कर लिया। इस सूत्रके अनुसार कांग्रेसको यह अधिकार दिया गया कि जिन प्रदेशोंके विधान मंडलोंमें कांग्रेसका बहुमत है उन प्रान्तोंमें वह पदोंको स्वीकार कर सकती है।

१९ मार्चको प्रान्तोंके विधान-मंडलोंके कांग्रेस सदस्योंका दिल्लीमें एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने यह शपथ ग्रहण की

'मैं इस अखिल भारतीय सम्मेलनका एक सदस्य अपने लिए भारतकी सेवा करनेकी शपथ लेता हूँ। मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं विधान-मंडलमें और उसके बाहर भी भारतकी स्वाधीनताके हेतु एवं उसकी जनताकी गरीबी और शोषणका अन्त करनेके हेतु कार्य करूंगा। मैं अपने लिए यह शपथ लेता हूँ कि मैं कांग्रेसके अनुशासनमें उसके आदर्शों और उद्देश्योंके प्रसारके लिए कार्य करूंगा और जबतक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता और उसकी जनताको असह्य भारसे मुक्ति नहीं मिल जाती मैं निरंतर कार्य करता रहूंगा।

दिल्लीमें अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठकमें खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपनी रिहाईके पश्चात पहली बार अपने सीमाप्रान्तके सहयोगियोंसे मिलनेका अवसर मिला। गवर्नरने सर अब्दुल कयूमको मुख्य मन्त्रित्वके लिए आमन्त्रित किया इससे अपनेको मैं निरुत्साहित अनुभव नहीं करता। उन्होंने उन लोगोंसे कहा यदि आपके प्रत्याशी एक बड़ा बहुमत न पा सके तो आपको इस शिकायतका मौका नहीं है कि मुख्य मन्त्रित्व आपके पास नहीं आ सका। आपकी जो भी सफलताएँ अथवा असफलताएँ रही हों आप रचनात्मक कार्यक्रमको लेकर फिर दूनी शक्तिसे आगे बढ़िये।

मार्चके अंतमें गवर्नरोंने उन प्रान्तोंके नेताओंको प्रीमियर पद (प्रधान मन्त्रित्व) स्वीकार करने तथा मन्त्रिमंडल बनानेके लिए आमन्त्रित किया जिनमें कि कांग्रेसको बहुमत प्राप्त हुआ था। प्रत्येक गवर्नरसे यह कहा गया कि वह अपने प्रान्तके सम्भावित प्रीमियर को एक आश्वासन दे। उसका प्रारूप गांधीजीने बड़े मतुलित शब्दोंमें तैयार किया था और उसे सार्वजनिक रूपसे घोषित भी किया जा सकता था 'हिज़ एक्सलेन्सी अपने मन्त्रियोंके संवैधानिक कार्योंमें अपने हस्तक्षेपके विशेषाधिकारका प्रयोग नहीं करेंगे और न अपने मन्त्रिमंडलकी सलाहोंकी उपेक्षा करेंगे।

गवर्नरोंने यह आश्वासन नहीं दिया और नेताओंने मन्त्रिमंडलका गठन करनेमें अपनी असमर्थता प्रकट कर दी। पहली अप्रैलको अधिनियमका प्रतिष्ठापन

हुआ। वह दिन समग्र भारतमे 'दासताके इस नये घोषणापत्र'के विरोधमे, विरोध-दिवसके रूपमे मनाया गया।

जब बहुमतवाले दलने सरकार बनानेसे इनकार कर दिया तब गवर्नरोने अपने प्रान्तोमे 'अंत.कालीन' मन्त्रिमंडलकी नियुक्ति की परन्तु उनकी स्थिति भी दिन-दिन कठिन होती गयी। वे विधान-मंडलका सामना नही कर सके और निर्वाचित सदस्यो द्वारा बार-बार माग की जानेपर भी विधान-मंडलको बुलाया नही गया। लेकिन बजटको पारित करनेके लिए पहले छ महीनेके भीतर ही सत्र प्रारम्भ करना आवश्यक था। इस सकटकी स्थितिने शासनको अपनी ओरसे आगे बढने-को विवश कर दिया। वाइसराय लार्ड लिनलिथगोने गांधीजीके इस सुझावको स्वीकार कर लिया, 'यह स्थिति तभी आयेगी जब कि कोई विचारणीय विषय गवर्नर और उसके मंत्रीके बीच एक गम्भीर मतभेद उत्पन्न कर दे और उनकी साझेदारी टूट जानेका ही प्रश्न उठ खड़ा हो।' वाइसरायके इस वक्तव्यसे गति-रोध दूर हो गया। काग्रेसकी कार्य-समितिने अपनी ८ जुलाईकी बैठकमे यह निश्चय किया कि काग्रेसजनोको पद स्वीकार करनेकी स्वीकृति दे दी जाय।

जुलाईके अततक काग्रेस दलके नेताओंने बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रान्त, बिहार, मध्यप्रदेश और उडीसामे अपने मंत्रिमंडल बना लिये। इसके तुरन्त बाद ही सीमा-प्रान्तमे आठ गैरकाग्रेसी सदस्यो द्वारा काग्रेसको सहयोग देनेके कारण काग्रेस-को वहाँ भी पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। अत. वहाँ डॉ० खान साहबके नेतृत्वमे काग्रेसका मन्त्रिमंडल बन गया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने बम्बई, पटना और लखनऊका दौरा किया और उन्होने वहाँ हिन्दू-मुस्लिम एकताका उपदेश दिया। अगस्तके अंतिम सप्ताहमे, जब कि उनके ऊपरसे सीमा-प्रान्तमे प्रवेशका प्रतिबन्ध हट गया तब उन्होने कराचीके पत्र-प्रतिनिधियोको यह बतलाया कि वे अपने प्रान्तमे पहुँच जानेके बाद ही अपना भविष्यका कार्य-क्रम निश्चित करेगे।

जब उनसे इपीके फकीरकी गतिविधियोके बारेमे प्रश्न किये गये तब उनका प्रत्युत्तर देते हुए उन्होने कहा कि वे तो एक फकीर नही है। वे अपने गाँवके एक अति सम्पन्न व्यक्ति है, एक शिक्षित जमीदार है। वे एक देशभक्त पुरुष है, जिनका प्रभाव दूर-दूरतक है। उनका ध्येय भारतकी स्वाधीनता है और उसके मिलने तक वे यह नही जानेंगे कि आराम कैसा होता है? परन्तु कुछ लोगोने, जिनके कि स्वार्थ निहित रहे है, उन्हे एक परम्परावादी व्यक्तिके रूपमे पेश किया है। वे उनके (खान साहब) तथा उनके साथियोका अपयश फैलाना चाहते है और

सरकारके लोगोंको यह बतलाना चाहते हैं कि मुसलमानोंमें एक ऐसा वर्ग भी है जिसके विचार बड़े सकीर्ण हैं और वही सब प्रकारकी परेशानियाँ पैदा करता है। कबाइली लोगोंको इन बातोंसे अत्यंत दुःख होता है।" फकीरने इस सम्बन्धमें एक जिरगा बुलाया और उन लोगोंने वर्तमान स्थितिपर पर्याप्त विचार विमर्श किया। सीमा-प्रांतमें एक शरारती तबका है जो अपहरण, लूट-मार और आगजनीकी घटनाओंके लिए जिम्मेदार है। उन लोगोंने इन शरारती तत्त्वोंकी घोर भर्त्सना की। उन्होंने हिन्दू नेताओंको वहाँ आकर सारी प्रांतकी स्थितिकी जाँच-पड़ताल करनेका आमंत्रण भी दिया। परन्तु इस तरहका कोई समाचार बाहर नहीं आने दिया गया और जो कुछ बाहर आया भी वह मिथ्या और अति रंजित था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने लोगोंको यह सलाह दी कि वे इस प्रकार की निरर्थक अफवाहोंपर विश्वास न करें। उन्होंने आगे कहा "मुझे भय है कि सुबेपरसे प्रतिबन्ध हट जानेके बाद भी मुझको कबाइली लोगोंसे मिलनेकी इजाजत नहीं दी जायगी।"

अंतमें एक दीर्घ अवधिके पश्चात् छः वर्षके निर्वासनके उपरान्त खान अब्दुल गफ्फार खाँ सन् १९३७ के अगस्त मासके अंतमें अपने पश्चिमोत्तर प्रदेशमें वापस लौटे। जनताने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। पेशावरमें भी एक स्वागत समारोह एवं सभाका आयोजन हुआ। इस विशाल सभामें अपार श्रोताओंको सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, "ईश्वरको अत्यंत धन्यवाद है कि मैं आपकी खुशियोंमें भाग बटानेके लिए फिर आपके बीचमें आ गया हूँ परन्तु वास्तविक खुशी तो अभी आनेको है। तबतक हमारी प्रसन्नता कोई अर्थ नहीं रखती जब तक कि हम अपने लक्ष्य, स्वतंत्रताको प्राप्त नहीं कर लेते। हमारी आजादीकी लड़ाई अब ऐसी स्थितिमें पहुँच गयी है कि वह हमसे अधिक बलिदानकी अपेक्षा करने लगी है। जहाँतक मेरी अपनी बात है, मैं स्वतंत्रताके लिए तबतक लड़ता रहूँगा जबतक कि हम अपने कंधेसे विदेशी सत्ताका जुआ उतारकर नहीं फेंक देते और जबतक हम इस देशमें यहाँकी जनताकी सच्ची सरकार स्थापित नहीं कर देते।"

सीमाप्रान्तमें कांग्रेसको जो सफलता मिली उससे प्रेरित होकर कांग्रेसके सभापति पं० जवाहरलाल नेहरूने अक्तूबर सन् १९३७ में उस प्रदेशकी यात्रा की यद्यपि वह बहुत थोड़े दिनोंकी थी। वे सीमाप्रान्तमें पहली बार जा रहे थे। १८ अक्तूबरको जब वे पेशावर पहुँचे तब अपार जन-समुदायने आतिशबाजी और पटाखोंकी तीखी आवाजोंके बीच उनका अति उत्साहपूर्ण स्वागत किया। खुदाई

खिदमतगार स्वयंसेवकोकी एक टुकड़ी कांग्रेस अध्यक्षके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के हेतु ('गार्ड ऑफ ऑनर' देने) रेलवेके प्लेटफॉर्मपर उपस्थित थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डा० खान साहब, अन्य अनेक प्रमुख कार्यकर्त्ता और प्रान्तीय विधानसभाके बहुतसे सदस्य उनके स्वागतार्थ वहाँ पहुँचे थे। नेहरूजी लगभग एक मील लम्बे जुलूसके साथ एक सजी हुई कारमे ले जाये गये। उनके एक ओर खान अब्दुल गफ्फार खाँ बैठे हुए थे और लगभग एक लाख दर्शनार्थी उनका जय जयकार कर रहे थे। जुलूसमे सबसे आगे दस हजार खुदाई खिदमतगार स्वय-सेवक अपनी लाल वर्दियाँ पहने चल रहे थे। खाकसार स्वयंसेवक अपनी खाकी वर्दियाँ पहने हुए थे और उनके हाथोमे फावडे थे। इस जुलूसमे अन्य अनेक राजनीतिक और सामाजिक संगठनोके सदस्य भी सम्मलित थे। सारे पेशावर नगरमे तिरगे झण्डे लहरा रहे थे। सौसे भी अधिक सजे हुए द्वारोको पार करते हुए काबुली दरवाजेतक पहुँचनेमे इस जुलूसको कई घंटे लग गये। वहाँसे नेहरू-जी और उनके साथके लोगोको डा० खान साहबके निवास-स्थानपर ले जाया गया।

पेशावरमे एक बहुत बडे जन-समुदायको सम्बोधित करते हुए नेहरूजीने चुने हुए सम्मानपूर्ण शब्दोमे खान अब्दुल गफ्फार खाँकी सराहना की और कहा कि वे केवल 'फख्र-ए-अफगान' (पठानोके गौरव) ही नही है, उनको तो 'फख्र-ए-हिन्द' (भारतका गौरव) कहना अधिक उपयुक्त होगा। महात्मा गाधीको छोड-कर कदाचित् ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका कार्यक्षेत्र इतना व्यापक हो। वास्तवमे वे भारतके शौर्य और साहसके एक मूर्तिमान प्रतीक है। उन्होने कहा "साम्प्रदायिक प्रश्नोका जन-सामान्यसे कोई सम्बन्ध नही है और जो इस व्यवस्था-को समाप्त नही करना चाहते, उन्हीके द्वारा ये प्रश्न उठाये जाते है।" उन्होने स्वराज्यके अर्थकी व्याख्या करते हुए कहा कि वह नौकरशाहीका परिवर्तन मात्र नही है। हम उस पीसनेवाली मशीनके खिलाफ खडे हुए है जो कि हमको कुचल रही है। उसका पहिया यदि किसी ब्रिटेनवालेकी अपेक्षा किसी हिन्दुस्तानीकी सहायतासे चलता है तो इससे वस्तु-स्थितिमे क्या सुधार हो जायगा? हमको तो यह देखना है कि शासनकी लगाम कुछ थोडेसे लोगोके हाथोमे नही बल्कि जन-साधारणके हाथोमे होनी चाहिए, जिनकी संख्या पैतीस करोड है। उन्होने इस तथ्यपर बल दिया कि जो संविधान-सभा देशके समस्त बालिग व्यक्तियोके मतदान के आधारपर बनेगी, केवल वही भारतके संविधानको तैयार करनेके लिए एक उपयुक्त निकाय होगी।

उन्होंने कबाइली जनतापर बम बरसानेके निर्दयतापूर्ण कार्यकी निंदा की और कहा कि यह बात कितनी बेतुकी है कि भारतके इन लोगोंका कत्ल करनेके लिए भारतीय सैनिक रखे जाते हैं। कबाइली इलाकेके निवासियोंके सम्बन्धमें उन्होंने कहा कि यदि हम उनको समझनेकी कोशिश करें और उनके विचारोंको जानें तो ऐसी बात नहीं कि उनके प्रश्न सुलझ न सकें।

१५ अक्तूबरको नेहरूजी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ उतमजईको चल दिये। उस दिन आस-पासके गाँवोंके बहुतसे लोग खिंचकर उतमजई आ गये थे और उस मानव मेदिनीमें एक अपूर्व उत्साह दिखलाई देता था। खान अब्दुल गफ्फार खाके घर उनके पुत्र वलीने नेहरूजीका स्वागत किया। इसके बाद वे आज़ाद स्कूलमें गये जिसकी स्थापना सन १९२० में ग्रामीण किशोरोंको राष्ट्र सेवाका पाठ पढ़ानेके लिए हुई थी। स्कूलके अध्यापकों और विद्यार्थियोंने कांग्रेस अध्यक्षको एक अभिनंदन-पत्र भेंट किया। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसपर सरहदी जनताके अडिग विश्वासपर बल दिया गया था।

नेहरूजीने कहा कि भारतमें शायद ही कोई ऐसा भाग होगा जो उतमजईके इस छोटेसे गाँवको न जानता हो। भारतकी स्वाधीनताके संघर्षमें इसके निवासियोंने जो गौरवपूर्ण योगदान किया है उसके लिए यह गाँव सदैव प्रेम और गर्वसे स्मरण किया जायगा। इसे कोई भूल न सकेगा। उन्होंने कहा कि उनकी हार्दिक अभिलाषा है कि अपनी इस व्यक्तिगत भेंटके द्वारा वे समस्त सीमान्त निवासियोंको अपनी स्नेहाञ्जलि अर्पित करें। सविनय आज्ञा भंग आन्दोलनमें पठानोंने जो साहस प्रदर्शित किया था उसकी नेहरूजीने अत्यन्त सराहना की और कहा कि देशके प्रहरी होनेके कारण सीमाप्रान्तके निवासियोंपर एक महान् उत्तरदायित्व है।

उन्होंने कहा, "जब आप मुझसे मेरे कष्टों और मेरे त्यागकी बात कहते हैं तो उससे मुझे बड़ी शर्म महसूस होती है। आप लोगोंमेंसे हजारों मनुष्योंने जो तकलीफें सही हैं उनकी तुलनामें मेरे कष्ट कितने महत्वहीन हैं। नेहरूजीने इस बातको स्वीकार किया कि उन्होंने सीमाप्रान्तके लोगोंसे बहुतसे सबक सीखे हैं और पठानोंके सम्पर्कने उनको एक साहसपूर्ण प्रेरणा प्रदान की है। हम यह नहीं जानते कि हम कब स्वाधीन होंगे, उन्होंने कहा "अबतक भारतमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि गुलाम बने रहनेमें ही सन्तोष अनुभव करते हैं परन्तु भारत निश्चय ही स्वतंत्र होगा और हम रहें अथवा न रहें लेकिन मुझे इसका निश्चय है कि आप लोग, भारतके बालक एक दिन अवश्य स्वाधीन देशमें सांस लेंगे।

खैबरके दर्रेको देखनेके बाद नेहरूजी १६ अक्तूबरको पेशावर लौट आये। वहाँ विद्यार्थियोने उनको इस्लामिया कॉलेजमे एक अभिनन्दन-पत्र अर्पित किया। इस अवसरपर बोलते हुए उन्होने खैबर दर्रेका उल्लेख किया जिसे देखकर वे लौटे थे। उन्होने कहा कि यह ऐतिहासिक दर्रा भारतकी प्राचीन गरिमाको मेरे निकट खीचकर ले आया और भारतीय इतिहासके हजारो साल पुराने चित्र मेरे मानस-चक्षुओके आगे साकार हो उठे।

अपने चलनेके दिन, १७ अक्तूबरको उन्होने कहा .

"सीमान्त प्रदेशमे मैने तीन दिन,—अपने तीन अल्प दिवस बिताये और अपनी आँखो भारतका वह ऐतिहासिक प्रवेश-द्वार देखा जो सुदीर्घ अतीतकी स्मृतियोको सजोकर सम्पन्न है। वह भारतकी स्वाधीनताके हेतु किये गये शौर्य-पूर्ण कार्यो और उसके कारण सही गयी असह्य यत्रणाओकी वर्तमान स्मृतियोको लेकर भी उतना ही सम्पन्न है। मैने भारतके इस उत्तरी छोरके वीर पुरुषोको देखा। उनके पौरुषेय उत्साह, अनुशासन तथा उनके निच्छल और सरल स्वभाव-ने मेरे मनको जीत लिया। भारतकी आजादीके पास इससे सुदृढ सैनिक नही है; इससे वीर रक्षक नही है और जैसे ये लोग है वैसे साथी उसे मिल जाना उसके लिए एक हर्षप्रद उपलब्धि है, एक दुर्लभ आनन्द है। भारतके प्रवेश-द्वारके ये रक्षक हमारी राष्ट्रीय स्वतत्रताके योद्धाओ और रक्षकोमे भी सबसे आगे है। ये लोग भारतके अन्य प्रान्तोके सुसस्कृत लोगोसे बहुत-सी बाते सीख सकते है परन्तु अन्य लोग भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते है। साहस, शौर्यके साथ कष्ट-सहन, शानदार अनुशासन और संकीर्ण सम्प्रदायवादसे मुक्ति, उत्तरके मेरे इन प्रिय साथियोसे यह सब सीखा जा सकता है। और इसलिए हम साथ-साथ 'मार्च' करेंगे, साथ-साथ लडेगे और साथ-साथ भारतकी स्वाधीनताके उस महान् प्रयास-मे विजय पायेगे जो हमारे करोडो देशवासियोको आगे बढनेको प्रेरित करता रहा है। मै भारतके अन्य प्रान्तोकी ओरसे इस उत्तरी प्रदेशके लिए एक मुक्त सराहना और मैत्रीपूर्ण शुभ-कामनाएँ लेकर आया हूँ। मेरे प्रति आपका स्नेह और आतिथ्य-भावना अपरिमित रही है। मै अपने दिमागमे बहुतसी जीती-जागती, धडकती तस्वीरे लेकर वापस जा रहा हूँ और लाखो आवाजे मेरे कानोमे गूँज रही है। ये आवाजे मुझे पीछेकी ओर खीच रही है। मै, यद्यपि वापस जा रहा हूँ लेकिन मै सीमान्तकी पुकार सुन रहा हूँ। मुझे आशा है कि शीघ्र ही मै अपने उत्तरके इन साथियोसे फिर अपना परिचय नया करूँगा।"

डा० राममनोहर लोहियाको उनके पत्र 'दि कांग्रेस सोशलिस्ट'के लिए सीमा-

प्रान्तके बारेमें अपनी धारणाएँ बतलाते हुए प० जवाहरलाल नेहरूने कहा

"सीमाप्रान्तके अपने इस अल्पकालीन दौरेमें मैं निजी तौरपर भारतकी एकताके सम्बन्धमें अधिक जागरूक था। उसका कारण एक व्यक्तिनिष्ठ स्थिति हो सकती है परन्तु मेरा विचार है कि उसका एक वस्तुनिष्ठ आधार भी था। मैं इस तथ्यके प्रति चेतनाशील था कि सीमाप्रान्तके लोग समग्र भारतकी एकता और स्वाधीनताकी दिशामें सोचते हैं। सम्भव है कि इस सम्बन्धमें उनके विचार पूरी तरहसे साफ न हों और वे किसी निश्चित सामाजिक टिक सकते हों तथापि उनके निकट वे एक ठोस और स्पष्ट तथ्य हैं। यहाँके लोग अपने सार्वजनिक व्याख्यानों और निजी बातचीत, दोनोंमें बराबर भारतकी स्वाधीनताकी बात कहते हैं—अपनी किसी स्थानीय स्वतन्त्रताकी नहीं शायद, भारतकी एकता और स्वतन्त्रता की यह भावना उनमें पिछले कुछ वर्षोंमें जागरूकताके साथ विकसित हुई है असहयोग आन्दोलन या उसके बादसे। लेकिन मेरा खयाल है कि उसकी पृष्ठभूमि वहाँ बहुत पहलेसे मौजूद थी।

'यह सत्य है कि सीमाकी दूसरी ओरके निवासियों तथा भारत एवं अफगानिस्तानके बीचके अर्ध-स्वाधीन क्षेत्रकी सरहदी जनजातियोंके प्रति उनके मनमें एक गहरी आत्मीयता है। यहाँतक कि वे उन लोगोंके प्रति भी जो मूल रूपसे अफगान हैं भाषाकी समानता तथा सांस्कृतिक सम्बन्धोंके कारण आत्मीयताकी यह भावना रखते हैं परन्तु जहाँतक राजनीतिक सम्बन्धोंकी बात है वे निश्चित रूपसे भारतकी ओर ही देखते हैं। स्पष्ट है कि समान बलिदानों और समान हेतुके कारण ही सीमाप्रान्त तथा शेष भारतके बीचके राजनीतिक बन्धन सुदृढ हुए हैं।

'सीमाप्रान्तमें एक चीज बहुत स्पष्ट रूपसे दिखलाई देती है वह उस वस्तुकी अनुपस्थिति है जिसको कि शेष भारतमें साम्प्रदायिक भावनाके नामसे जाना जाता है। यहाँतक कि धर्मके मामलेमें भी यद्यपि वे व्यापक दृष्टिसे असंदिग्ध रूपसे धार्मिक हैं वे कट्टरपंथियोंसे बहुत दूर हैं। वे बिलकुल बच्चों जैसे लोग हैं और उनमें बच्चोंकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं। किसीको छलना उनके लिए सरल काम नहीं है इसलिए उनके कामोंमें बहुत कुछ सादगी किन्तु निश्छलता रहती है जो कि औरोंका ध्यान आकर्षित करती है। उनकी प्रथाएँ भारतके अन्य भागोंमें प्रचलित प्रथाओंसे एक मनोरंजक विषमता रखती हैं उदाहरणके लिए वहाँ नगरोंको छोड़कर पर्देका अधिक रिवाज नहीं है। आप शहरोंसे जितना दूर जायेंगे, पर्दा उतना ही कम होता जायगा। लाल कुर्ती दलमें पठान महिलाओंका एक

स्थायी सेना है। मुझको यह बतलाया गया कि कबाइली इलाकेमे पर्देका बिलकुल ही प्रचलन नही है।

"कबाइली इलाकेके सम्बन्धमे मेरी अधिक जानकारी नही है अत उसके निवासियोके बारेमे मै विशेष नही बतला सकता परन्तु एक तथ्य प्रत्यक्ष है, वह यह कि स्वाधीनताके प्रति उनका प्रेम बहुत कुछ उग्रता लिये हुए है और अगम-नीय है। केवल ऐसी कार्यवाही, जो उन्हीका अस्तित्व समाप्त कर दे, उनके हृदय-से इस प्रेमको निर्मूल कर सकती है। उनके समीप जानेका केवल एक ही मार्ग है और वह उनको पूर्ण स्वतन्त्रता देते हुए मित्रताका है। यदि विरोधको लेकर उनके पास पहुँचा जायगा तो वे एक प्रबल अवरोध सामने रख देगे। जैसा कि वे अबतक करते आये है। परन्तु मित्रके प्रति उनके हृदयमे बडी कोमल भाव-नाएँ रहती है। जिसको वे अपना मित्र मान लेते है उसके लिए वे सब कुछ करने-को तैयार हो जाते है इसलिए यह एक निश्चित बात है कि एक मित्रतापूर्ण पहुँच-के द्वारा ही उनमे सबसे अच्छे फल प्राप्त हो सकते है। इसके अतिरिक्त एक बात अवश्य स्मरण रखनी चाहिए वह यह कि यह कबाइली क्षेत्र इलाकेकी एक संकीर्ण पट्टी है, जिसकी चौडाई पचाससे अस्सी मीलतक है और जिसमे बहुत विरल आबादी है। अत. (विरोधसे) प्रभावित सख्या भी अपेक्षाकृत कम ही रहती है। वे लोग भयानक गरीबीकी स्थितिमें है और उनकी समस्याएँ मुख्य रूपसे आर्थिक है। आर्थिक दृष्टिसे उनको सुलझाना कोई कठिन बात नही होगी परन्तु यदि उनके ऊपर बलात् राजनीतिक आधिपत्य लाद दिया जायगा तो समस्याका निदान स्वत असफल हो जायगा। वे जो कुछ भी करते है, वह वे अपनी इच्छा-के साथ ही कर पाते है।

"कुछ दिनो पहले समाचारपत्रोमे एक विवरण प्रकाशित हुआ था। उसमे वजीरी नेताने अपने एक भाषणमे वहाँ हुई अपहरणकी कुछ घटनाओकी भर्त्सना की थी और उनके लिए कुछ शरारती लोगोको दोषी ठहराया। उसने अपने भाषणमे कहा था कि जहाँतक उसकी अपनी बात है, वह इस प्रकारके अपराधोका घोर विरोध करता है क्योकि उनसे उसकी तथा उसके अनुया-यियोकी बदनामी होती है। वह दुष्कर्मियोको अपनी शक्तिभर दण्ड देगा। वस्तुत उसने राष्ट्रीय आन्दोलनके नेताओको अपने यहाँ आनेका आमत्रण दिया था और कहा था कि वे स्वय यहाँ आकर सारी घटनाओकी जाँच-पडताल करे। परि-स्थितियाँ इस योग्य न थी कि वहाँ पहुँचकर जाँच की जाती परन्तु मै समझता हूँ कि अपहरणकी घटनाओके सम्बन्धमे उसका यह वक्तव्य विश्वास करनेके योग्य

है। स्पष्ट है कि ये सारी घटनाएँ उसके हितमें नहीं हैं। वह एक बड़ी चीजका घोर विरोधी है और वह है, अंग्रेजोंकी अग्रनीति। थोड़ेसे व्यक्तियोंके अपहरणसे इसमें कोई सहायता नहीं मिलती बल्कि इस प्रकारकी घटनाएं लोगोंके मनपर उसके प्रतिकूल प्रभाव ही डालती है। हमको यह बात पूर्ण रूपसे स्मरण रखनी चाहिए कि कबाइली लोग मूर्ख नहीं हैं, यद्यपि वे सरल अवश्य हैं और उनमें पढ़े लिखे लोग भी कम हैं। उनके नेताओंने उन्हें जो मार्ग दर्शन दिया है उससे उनमें सुसंगठन और प्रतिकारकी एक शक्ति आ गयी है। निश्चय ही इस प्रकारके लोगोंमें घटनाओं और उनके परिणामोंको समझ सकनेकी क्षमता होनी चाहिए। मैं निश्चित रूपसे यह अनुभव कर रहा हूं कि इस प्रकारके लोगोंके पास यदि सही रास्तेसे और मुक्त ढंगसे पहुंचनेका प्रयत्न किया जायगा तो स्वयं उनकी यह इच्छा होगी कि वे अपनी ओरसे आगे बढ़कर मिलें। स्वयं उनके लिए कोई सुखद या सरल बात नहीं है कि वे उन भयानक कठिनाइयोंका निरंतर झेलते रहें जो कि आधुनिक युद्ध अपने हवाई जहाजों और बमोंके साथ उनको पहुंचाया करता है। वे भी इस स्थितिको दूर करनेवाले एक सम्मानपूर्ण मार्ग चाहते होंगे लेकिन जो तत्व उनके ऊपर अपना आधिपत्य लादनेकी चेष्टा करेगा उसकी ओर वे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। स्वतन्त्र भारतमें इनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। 'अग्रनीति' जिसके कारण इनके साथ समय-समयपर मामूली लड़ाइयां होती रहती हैं अंग्रेजोंकी दृष्टिसे भी एक असफल नीति रही है। यह नीति इन जन जातियोंपर अधिकार स्थापित करनेमें तो सफल हुई ही नहीं उसने भारतपर भी एक बोझ डाल दिया है। कहा गया है कि पिछले दिनों वजीरिस्तानमें जो कार्यवाही हुई उसमें प्रतिदिन एक लाख रुपया खर्च हुआ। हवाई जहाजोंसे बम बरसानेके जो अभियान किये गये उनमें यद्यपि बहुत बर्बादी और विनाश हुआ फिर भी ये कबाइली जनताका मनोबल न गिरा सके। इन लोगोंके प्रति चाहे अन्य जो भी नीति अपनायी जाय परन्तु यह तो निश्चित है कि अंग्रेजोंका इस वर्तमान नीतिको छोड़ देना उचित होगा।

'मैं यह अवश्य कहूँगा कि सीमाप्रान्तके लोगोंने मुझे बड़ी गहराईके साथ प्रभावित किया है। बड़ी-बड़ी भीड़ों और जनप्रिय उत्साहका मैं अभ्यस्त हूँ। मुझे उन लोगोंकी अनुशासनकी भावना और उनकी शान्त गरिमाने अपनी ओर आकर्षित किया है। जो शब्द भी उन्होंने कहे वे मुझे शब्दाडम्बर मात्र नहीं जान पड़े। उनमें मुझे उनके हृदयोंकी आकांक्षा दर्पणकी भांति प्रतिबिम्बित होती हुई प्रतीत हुई और ऐसा लगा कि उनके पीछे शक्ति उजागर मान है। सामान्यतः ये

लोग समस्त भारतके लिए गर्वका एक कारण है। जब भारतको स्वाधीनता मिलेगी तब इन लोगोको अनिवार्यत' वही सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त होगा जो कि इन्हे इस देशमे बहुत काल पहले प्राप्त था।

"यह भी हो सकता है कि हम सीमा-प्रान्तके इन लोगोसे बहुत-सी बाते सीखे। ये लोग केवल बाते बनानेवाले नही है। इनका प्रत्येक निश्चय कार्य रूपमे परिणत हुआ करता है। इसका उदाहरण अहिंसाकी नीति है जिसको कि हमारे विगत स्वाधीनता-सघर्षमे इन लोगोने बडी आस्थाके साथ ग्रहण किया है। अहिंसाकी इस नीतिने समस्त भारत देशको बडी गहराईके साथ प्रभावित किया है। जिन लोगोने धीरे-धीरे इसकी सामर्थ्यको पहचाना है उन्होने इसे पूरी तरहसे अपने जीवनमे उतार लिया है। बहुतसे लोगोके लिए यह नीति निष्क्रियताका एक पर्याय है और कुछ लोगोके लिए कायरताका एक बहाना। परन्तु पठानोके ऊपर कोई यह आरोप नही लगा सकता कि वे युद्धमे कापुरुष होते है। यदि उन्होने अहिंसाकी इस नीतिको ग्रहण किया है और इसपर व्यवहार किया है तो इसका श्रेय उनकी शक्तिको है, उनकी कायरताको नही। इस प्रकार उनका यह आदर्श हम सबके लिए बहुत अर्थ रखता है। वह हमारे अहिंसाके तकनीकके अधिक विकासमे सहायक होगा। इससे एक शातिपूर्ण कार्यकी क्षमता बढेगी और उसके कुछ नतीजे निकलेगे।

"अन्य देशोमे जन-प्रिय सामूहिक आन्दोलनोका विकास इस तथ्यको बतलाता है कि वहाँ सघर्षमे एक शातिमय तकनीकके सहारे ही विश्वासका निरतर विकास हुआ है। यह तकलीफ फासिस्ट देशोकी—आक्रमणकारी और क्षुब्धकारी हिंसाके सर्वथा विपरीत है। जहाँपर भी शातिपूर्ण प्रक्रियापर बल दिया गया है फ्रासका 'फ्रण्ट पोपुलाइरे' इसका एक उदाहरण है। स्पेनमे भी इस नीतिको बहुत सीमातक अपनाया गया था परन्तु वहाँ सैनिक, फासिस्ट हिंसाने एक सकटकी स्थितिको खडा कर दिया। अन्य देशोमे क्या होगा, यह कह सकना कठिन है परन्तु ऐसा जान पडता है कि कोई भी स्थिति क्यो न हो, 'जनताके अग्र आन्दोलन' (पीपुल्स फ्रण्ट मूवमेण्ट) को बल देनेके लिए शातिपूर्ण नीति ही सबसे उचित एवं श्रेयस्कर पथ है। शायद शक्तिके ऐसे शान्तिपूर्ण विकासके लिए भारतमे अन्य देशोकी अपेक्षा अधिक अवसर और अधिक अनुकूल स्थितियाँ है। जैसा कि अन्य स्थानोपर है वैसा ही यहाँ भी हिंसाका खतरा दूसरी ओरसे सम्भावित है। हमे इस बातको भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतीय संघर्षकी पृष्ठ-भूमि यद्यपि प्रधान रूपसे शातियुक्त है परन्तु वह कम शक्तिशालिनी नही है और अंतमे तो वह

स्वयम एक बल प्रयोग है। अत निष्क्रियताकी पुरानी ढगकी जातिवाली धारणा हमारी इस अहिंसापर लागू नही होती जो कि एक शक्तिमान आन्दोलन है और जो निष्क्रियतासे काफी दूर है।'

नेहरूजीने इस बातपर खेद व्यक्त किया कि उन्होने सीमा प्रान्तको देखा तो अवश्य परन्तु बहुत थोडा देखा। परन्तु यहाँ आनेकी उनकी उत्कठा इतनी तीव्र थी कि व इस अवसरको भी हाथसे जाने नही देना चाहते थे। अगले वर्षके प्रारम्भमें एक सप्ताहके लिए वे फिर सीमा प्रान्त गये। जनताके उत्साहपूर्ण स्वागत के साथ उन्होने २१ जनवरी, १९३८ के प्रात काल अपना सीमा प्रान्तका दौरा प्रारम्भ किया। बहुत सबेरे ही उन्होने तक्षशिलामे टन बदली। भोर होनेमे अभी काफी देर थी। रास्तेके सभी स्टेशनोपर उन्हे देखनेके लिए अपार भीड एकत्रित थी। लोग अपने हाथोमे जलती हुई मशालें लिये हुए 'इन्किलाब जिन्दाबाद' का नारा लगा रहे थे। उन्हें लानेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खा हवेलियन स्टेशन पर पहुच गये थे। इसके बाद वे सीमा प्रान्तके पूरे दौरेमे नेहरूजीके साथ रहे। नेहरूजीने मोटरसे टकसे और तागासे अपने इस दौरेको पूरा किया। तागेमे तो उनके मेजबान खान अब्दुल गफ्फार खाँन ही होते।

पेशावर पहुँचनेसे पहले ही उन्होने बडी तेजीके साथ अबोटाबाद मानसहरा वफा हरिपुर और मर्दान जिलेके कुछ गाँवोका दौरा किया। व कोहाट बन्नू और डेरा इस्माईल खाँ भी गये और एक सप्ताहकी अल्प अवधिमें उन्होने अलग अलग स्थानोकी लगभग तीस जन-सभाओको सम्बोधित किया। उन्होने समस्त राजनीतिक केन्द्रोंको देखा जहाँ कि खुदाई खिदमतगारोने उनके सम्मानमे सडको पर परेड की। सीमा पारकी जन जातियोने भी उनका हार्दिक स्वागत किया। अफरीदियोने कोहाट दर्रेके पासवाली पहाडियोकी चोटियोपर सारी रात आग जलायी जिसकी ज्वालाए कई मीलसे दिखलाई देती थी।

२६ जनवरीके सबेरे बन्नूमे एक प्रभावोत्पादक समारोहका आयोजन किया गया जिसमें कि काग्रेस अध्यक्ष द्वारा तिरगा झडा फहराया गया। इसके बाद उन्होने अपने एक छोटेसे भाषणमे झडेका महत्त्व बतलाते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय झडेके पीछे लाखो देशवासियोकी यातनाए और बलिदान है। यह भारतकी स्वतन्त्रता और उसके विभिन्न समुदायोकी एकताका प्रतीक है। वह भारतकी गरिमा और प्रतिष्ठाका भी प्रतीक है। जो इसका अनादर करता है वह सम्पूर्ण राष्ट्रका असम्मान करता है। इसके बाद उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खामे निवेदन किया कि वे पख्तूनमे भारतकी स्वाधीनताकी शपथको पढें। इस मनाये हजारो व्यक्तियो

ने, नेहरूजी सहित खान अब्दुल गफ्फार खाँके पीछे इस शपथको गम्भीरतापूर्वक शब्दश दुहराया।

"हमारा यह विश्वास है कि अन्य लोगोंकी भाँति भारतीय जनताका भी यह अविच्छेद्य अधिकार है कि वह स्वाधीनताको प्राप्त करे और उसके साथ अपने परिश्रमके फल और अपने जीवनकी आवश्यकताओंको प्राप्त करे ताकि उसे अपने विकासके समस्त अवसर प्राप्त हो सके। हमारा यह भी विश्वास है कि यदि कोई शासन जनताको अपने अधिकारोंसे वंचित करता है और उसका शोषण करता है तो उस जनताको स्वत. यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह उसे बदल दे या खत्म कर दे। भारतमे ब्रिटिश शासनने न केवल भारतीय जनताको उसकी स्वाधीनतासे वंचित रखा है अपितु वह स्वयं जनताके शोषणपर निर्भर रहा है और उसने भारतको आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आत्मिक दृष्टियोसे बर्बाद किया है, इसलिए हमारा यह विश्वास है कि भारतको ब्रिटेनसे अपने सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए और पूर्ण स्वराज्य या मुकम्मिल आजादीको पाना चाहिए। हम यह स्वीकार करते है कि हमारी स्वतंत्रताका मार्ग हिंसाका नही है। भारतने शान्तिपूर्ण एव वैध उपायोसे ही अपनी शक्ति और अपना आत्म-विश्वास अर्जित किया है और इन्हीके साथ वह अपने स्वाधीनताके लम्बे मार्गपर आगे बढा है तथा इनपर दृढ रहकर ही वह अपनी स्वतंत्रताको प्राप्त करेगा।

"हम पुन. भारतकी स्वाधीनताके लिए शपथ ग्रहण करते है और गम्भीरताके साथ यह निश्चय करते है कि जबतक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त नही हो जाता तबतक हम अहिंसाके साथ अपना यह संघर्ष चलाते रहेंगे।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि कांग्रेस भारतीय जनताके सभी वर्गोंका प्रतिनिधित्व करती है और लाखो भूखोकी करुण पुकारको वाणी देती है। मात्र कांग्रेस ही हिन्दू, मुसलमान और सिख सबको स्वतंत्रताका सन्देह देती है।

बीस हजार श्रोताओंकी एक अन्य सभामे, जिसमे कि वजीरी लोग भी बडी सख्यामे उपस्थित थे, नेहरूजीने इस बातपर बल देते हुए कहा कि जनता आनेवाले संघर्षके लिए तैयार रहे। स्वाधीनताकी लडाईमे पिछले दिनो सीमा-प्रान्तके लोगो ने जो शानदार भूमिका निभायी थी, उसके लिए नेहरूजीने उसकी सराहना की। खान अब्दुल गफ्फार खाँका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा

"इस प्रदेशने एक महान् पुरुष उत्पन्न किया है, जिसके ऊपर समस्त भारत देश गर्व करता है। उसने यहाँका सारा वातावरण बदलकर सीमा-प्रान्तकी जनताको दलदलसे बाहर निकाला है। खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँने खुदाई

खिदमतगारोंकी एक विशाल सेना तयार की ह और एक शस्त्रप्रिय जातिको स्वाधीनताकी एक शौर्यपूर्ण अहिंसात्मक लडाईके लिए तयार एव गतिशाल किया है। जो कुछ उन्होंने किया, वह अपन-आपमें एक चमत्कार है। अहिंसाका शस्त्र एक बलशाली शस्त्र ह जिसको केवल वीर और साहसी पुरुष ही चला सकता ह। हमने बडे साहसके साथ ब्रिटिश सत्ताको एक चुनौती दी ह। अहिंसाके द्वारा हा भारतकी मुर्झायी हुई, शिथिल भावनाने एक जीवन शक्तिको पाया ह। केवल शक्ति ही शक्तिके मुकाबलेम खडी हो सकती ह। मात्र हवाई बमबारी ही हवाई बमबारीका सामना कर सकती ह। तीर कमान यहाँतक कि बन्दूकमे भी यह सम्भव नही ह। ये हथियार अब पुराने पड चुके हैं और व्यर्थ हो गय हैं। भारत न इसीलिए एक शक्तिशाली शत्रुका सामना करनके लिए अहिंसाके नय शस्त्रको गढा हैं और ब्रिटिश साम्राज्यको समूल हिला दिया ह।'

हिन्दू तथा सिख सस्थाओं द्वारा नेहरूजीको जो अभिनन्दनपत्र भेट किय गये थे, उनमें व्यक्त की गयी कतिपय आशकाओका उल्लेख करते हुए नेहरूजीने कहा कि उन लोगोंको अति अल्पसख्यक होनेका तक उचित और टिकने वाला नही है। उनको चाहिए कि वे इस प्रान्तके निवासियोके सुख और दुखम समान साझीदार बनकर रहें और आपसी विश्वासको जाग्रत करें। जितनी सुरक्षा उन्हें य आत्मीयताके बधन द सकेंगे, उतनी अन्य कोई न दे सकेगा। स्वाधीनता के हेतु भारतीय नारियोके वीरतापूर्ण कार्योंकी याद दिलाते हुए उन्होंने सभाम उपस्थित महिलाओसे यह अपील की कि व आत्म रक्षार्थ स्वत किसी दूसरपर निर्भर न हो। उनको अपने मनमें यह विश्वास होना चाहिए कि उनम साहसकी कमी नहीं ह। अपनी पुत्री इदिराका उल्लेख करते हुए उन्होंने भाषणम साथ कहा कि उन्होंने उसे पढनेके लिए हजारों मील दूर भेजा ह यद्यपि वह अभी एक छोटी बालिका ह। जब वह सात वर्षकी थी तभीसे व उसे सब जगह अकेला भेजत हैं ताकि उसमें आत्म विश्वास बढे और आग चलकर वह भारतकी स्वाधीनताकी एक वीर सैनिक बन सके। उन्होंने कहा कि वह स्वयं पर भरोसा करना सीख गयी और अभी कि उनको आशा है वह निकट भविष्य आयगी तो वे उस वजीरिस्तानमें अकेले जाकर स्थित वहाके कबायिलियोंकी दशा देखेंगी उसका व कबाइलियोंपर और ईश्वर पर विश्वास करत हैं।

उन्होंने अग्रेजोंकी अग्र नीति (फारवर्ड पॉलिसी) की तीव्र आलोचना करते हुए श्रोताओसे प्रश्न किया क्या आप यह सोचते हैं कि एक-दो अथवा कुछ हिन्दू स्त्रियोंका अपहरण हो जाने कारण अग्रेजोंने वजीरिस्तानपर आक्रमण

किया ? ब्रिटिश सरकारका यह तौरा-तरीका नही है। उन स्त्रियोको वापस लानेके और भी वहुतसे रास्ते हो सकते थे परन्तु अंग्रेजोके हित इससे विलकुल भिन्न है। वे साम्राज्यवादी व्यवस्थाका विस्तार करनेके लिए, कवाइलियोके इलाकेकी सीमाको पीछे खदेड़ देनेके लिए और अपनी शक्तिको वढानेके लिए सीमाके उस पारके इलाकेके ऊपर हमले करते रहते है। ये मौके तो केवल एक वहाना मात्र है, आक्रमणके इन कार्योपर हमारे देशका जो लाखो रुपया व्यय होता है, उसकी कोई तर्क-संगति नही है।"

नेहरूजीने कहा कि काग्रेसकी नीति सीमा-पारके निवासियो तथा पडोसी देशोके साथ वन्धुत्व स्थापित करनेकी है। उन्होने इसे स्पष्ट करते हुए कहा, 'उन लोगोको हमपर विश्वास करना चाहिए। जो भी अवाछित तथा अनिष्टकारी घटनाएँ होगी, उन्हे हम रोकेगे।'

इपीके फकीरने उनको जो पत्र लिखा था, उसका उल्लेख करते हुए नेहरू-जीने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्त्वोने अपने हित-साधनके लिए वजीरियोके ऊपर सामूहिक रूपसे कतिपय अभियोग लगाये है, जिनका कि इपीके फकीर और प्रधान वजीरी सरदारने तीव्र प्रतिवाद किया है। नेहरूजीने वतलाया कि उनको यह पत्र फारसीमे, काग्रेस-अध्यक्षकी हैसियतसे लिखा गया है। उसमे उनको तथा काग्रेसके अन्य नेताओको इस वातके लिए आमंत्रित किया गया है कि वे उनके इलाकेमे जायँ और उनके वक्तव्यकी सचाईका परीक्षण करें। इस पत्रमे उन्होने अपना यह दृढ निश्चय भी व्यक्त किया है कि वे अपनी सत्यनिष्ठा और स्वाधीनता को पुन प्राप्त करनेके लिए अपने रक्तका अंतिम विन्दुतक वहा देगे। 'स्वतंत्रताका एक अल्प क्षण दासताके हजारो वर्पोसे कही श्रेष्ठ है।' फकीरने स्पष्ट रूपसे आक्र-मणकारियोकी भर्त्सना करते हुए कहा है

"यह कार्य इसलाम और उनके कवीलेके पवित्र नामपर एक कलक है।" नेहरूजीने कहा कि मै उनके वक्तव्यकी सच्चाई पर सन्देह नही करता। उन्होने इस वातपर वल दिया कि पडोसियोके साथ मित्रताके सम्वन्ध केवल भारतकी सुरक्षाके लिए ही नही अपितु उसके राजनीतिक उत्थानके लिए भी अनिवार्य है। उन लोगोको छोड भी दिया जाय तो काग्रेस और खान अब्दुल गफ्फार खॉ ही वजीरियोके आक्रमणकी समस्याको सुलझानेमे समर्थ है।

नेहरूजी जहाँ भी गये, वहॉ उनके प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित किया गया। एक जगह २०० कवाइली रायफलधारी उन्हे घेरकर खडे हो गये। एक मलिक-ने सम्मान प्रकट करनेके लिए उन्हे एक वकरी भेट की। एक अन्य मलिकने

अपनी पगड़ी नेहरूजीके पैरोंमें गिराकर उनका आदर किया। जिस समय नेहरूजी पेशावर गये उस समय अफरीदियोंने उनके रास्तेमें कीमती कालीन बिछाकर उनके प्रति अपनी सम्मान भावनाको प्रदर्शित किया। जहाँ भी नेहरूजी गये, हजारों लोग गाँवोंसे आकर सड़कके किनारे खड़े हो गये।

२८ अक्तूबरको पेशावरके इस्लामिया कॉलेजकी अपनी एक सभामें नेहरूजीने कहा कि उन्होंने अपने सरहदके इस दौरेमें इस युगके कुछ ऐसे दृश्य देखे हैं जो उनके लिए अविस्मरणीय रहेंगे परन्तु बहुत बार उनका मस्तिष्क अतीत युगोंमें भ्रमण करता भी चला गया है। सरहदका यह इलाका भारतके दीर्घ इतिहासकी स्मृतियोंसे सम्पन्न है। उत्तर-पश्चिमके इन दर्रोंसे होकर हजारों साल पहले एकके बाद दूसरा काफिला यहाँ आता रहा है। इस देशमें अनेक अजनबी और जरूरतमन्द जातियाँ आयी हैं और वे भारतमें समाहित हो गयी हैं। यूनान कालमें आये इस देशमें आये और उन्होंने इसके ऊपर अपनी एक बड़ी गहरी छाप छोड़ी। फिर सीथियन हूण और तुर्क भी इस देशमें आये और उनमेंसे बहुतसे यहीं बस गये। आज भी हमारी राजपूत जातियोंमें काफी सीथियन रक्त है। उन्होंने कहा कि अभी पिछले दिन उन्होंने सिन्धु नदको लगभग उसी जगह पार किया जहाँ कि उसे सिकन्दरने पार किया था। उस समय उनके मानस चक्षुओंके आगे एक चित्र खड़ा हो गया और उन्होंने मकदूनियाकी सेनाको भारतके उपजाऊ मैदानोंमें प्रवेश करते हुए देखा। कालान्तरमें सम्राट अशोकने सीमा प्रान्तके इस समूचे क्षेत्रमें अपने अमिट स्मारक स्थापित किये। कनिष्कके शासन कालमें पेशावर एक शक्तिशाली साम्राज्यकी राजधानी बना। यह साम्राज्य विंध्याचलसे लेकर मध्य एशियातक फैला हुआ था। वह एक बौद्ध साम्राज्य था। उसके पश्चात् पश्चिम और सुदूर पूर्वके देशोंसे अनेक धर्मयात्री और अध्येता ज्ञान की खोजमें पेशावर आये। पेशावर उन दिनों तीन महान संस्कृतियों—भारतीय चीनी और ग्रीको रोमन की मिलन-स्थली था। बादमें सहसा अरबोंका पुन अभ्युत्थान हुआ। विजयकी एक भयानक लहर चीनसे स्पेनतक वेगसे दौड़ गयी। इन अरब लोगोंने भारतके द्वारोंको खटखटाया अवश्य परन्तु उसके भीतर प्रवेश नहीं किया। हमें इस बातको स्मरण रखना चाहिए कि शताब्दियोंतक इस्लाम हमारा पड़ोसी रहा है, एक मित्र पड़ोसी जिससे हमारा कभी संघर्ष नहीं हुआ, जिसने हमपर कभी आक्रमण नहीं किया। मध्य-एशियाके विजेता जब भारतमें आक्रामकके रूपमें आये तब संघर्षका प्रारम्भ हुआ। यह संघर्ष राजनीतिक था धार्मिक नहीं यद्यपि शोषणके लिए उसे एक धार्मिक संघर्षका नाम दिया गया।

गाधीजीकी पहली यात्रा

१९३८

फरवरी सन् १९३८ मे दूसर सप्ताह्म श्री सुभाष बोसकी अध्यक्षतामें हरिपुरा म काग्रेसका वार्षिक अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशनमें सयुक्त-प्रान्त और बिहार के मंत्रिमण्डलोकी एक सकट स्थिति काग्रेसके सम्मुख आकस्मिक रूपसे आ खडी हुई। इन प्रान्तोंके प्रीमियरो' (प्रधान मत्रियो) ने इस बातपर बल दिया कि उनको समस्त राजनीतिक बन्दियोको सामूहिक रूपमे मुक्त करनेका अधिकार प्राप्त ह। गवनरोने गवनर-जनरलके सहारे इसपर आपत्ति की और दोनो मत्रिमडलोन त्यागपत्र दे दिया। स्वास्थ्य ठीक न होनेसे तथा अन्य कारणोंसे कई मासतक सावजनिक रूपसे मौन रहनेके पश्चात गाधीजीने मत्रिमडलोकी सकट स्थितिपर एक वक्तव्य जारी किया गवनर जनरलके कायने मुझे भ्रममें डाल दिया ह और मेरे मनम यह सन्देह जगा दिया ह कि क्या बन्दियोकी रिहाईका विवाद ग्रस्त प्रस्ताव ही अतिम सहारा शेष रह गया था अथवा ब्रिटिश अधिकारी सामान्यत काग्रेस-मत्रियोसे ऊब गये थे? मेरी बहुत इच्छा ह, यदि सरकारके लिए यह सम्भव हो सके कि वह इस मामलेमे अपने कदमोको हटा ले और एक ऐसी सकट स्थितिको टाल दे, जिसके परिणामोको कोई पहलेसे नही बतला सकता।

शासनने काग्रेसके अनुशासनके सामन सकट-स्थितिको टाल दिया। ब्रिटिश अधिकारी निर्माणकी दिशामे मत्रिमडलोकी प्रगति और उनकी बढती हुई लोकप्रियताको खतरेका एक सकेत समझकर सावधान हो गये थे। पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तमें डा० खान साहबके मत्रिमडलन प्रारम्भिक शिक्षाके लिए पश्तूको शिक्षण का अनिवाय माध्यम बना दिया था। उसने किसानोको राहते दी थी और स्थानीय निकायोमे मनोनीत करनेकी पद्धतिको समाप्त कर दिया था। उसन यह घोषणा की थी कि राजकीय कार्यालयोंमें समस्त भर्तियाँ चाहे वे मन्त्रालय सम्बन्धी हो अथवा कायकारी खुली प्रतियोगिताके द्वारा होगी। उसने राजनीतिक दलोंके ऊपरसे प्रतिबन्ध हटा दिया और सीमाप्रान्त अपराध विनियम और उसके साथ ही भारतीय दड सहिताकी धारा १२४ ए को लागू नही रखा। इस मत्रिमडलने समस्त राजनीतिक बन्दियोको रिहा कर दिया और जन-सामान्यके हितके लिए अनेक सुधार किये। इस प्रकार अब बहुत सीमातक सीमा प्रान्त राजनीतिक भारतका ही एक

अङ्ग लगने लगा।

गाधीजीका विचार अप्रैल मासमे सीमा-प्रान्त जानेका था परन्तु उडीसा और वङ्गालके पूर्वाधिकारने उनकी इस योजनाको वदल दिया। स्वयं सीमाप्रातमे न जा सकनेपर उन्होंने अपने सचिव श्री महादेव देसाईको थोडे दिनोके लिए खान वन्धुओंके पास भेजा। ३० अप्रैल १९३८ के 'हरिजन' मे महादेवभाईने यह लिखा .

"डा० खान साहव मुझको अपने घर ले गये। उस दिन उनके भाई खान अव्दुल गफ्फार वही थे लेकिन उस समय वे उत्मजईमे नही थे। किसीने हमसे कहा, 'वादशाह खान मुश्किलसे ही घरपर मिलते है। वे एक गांवसे दूसरे गाँव घूमा करते है।' थोडी-सी कठिनाईके वाद हम लोगोने उनको पडोसके एक गाँव-में खोज लिया। वे अपनी तीसरे पहरकी नमाज पढनेके लिए गये थे। उनके मस्जिदसे नमाज पढकर लौटनेतक हमसे प्रतीक्षा करनेको कहा गया। उनके घर-पर उनके वहुत मित्र और सम्वन्धी एकत्रित थे लेकिन उनमेंसे कोई नमाज पढने नही गया था लेकिन खान अव्दुल गफ्फार खाँ, जो अपनी रोजकी पाँच नमाजोमेसे एक भी नही छोडते, मस्जिद गये थे। वहांके लोगोमे सन् १९२० से ही वे 'वाद-शाह खान' के नामसे प्रसिद्ध है। वहाँकी जनता उनको वादशाह जैसा आदर भी देती है।

"मैने यह सुन लिया था कि इन दिनो उनका उपवास चल रहा है अत मैने उनसे निवेदन किया कि वे मुझे पूरी वात वतलानेकी कृपा करे।" वे वोले, "एक गाँवमें एक मौत हो गयी थी। मृतकके घरवालो तथा सम्वन्धियोका अति आग्रह था कि शवको कव्रिस्तान ले जानेमे मै भी 'जमातकी नमाज' मे शरीक होऊँ। मुझे दूसरे गाँवमे जानेकी जल्दी थी इसलिए मैने यह सुझाव दिया कि जो भी मस्जिद सवसे निकट हो उसीमे नमाज पढ ली जाय। लेकिन उस गाँवके मौल-वियोने इस वातपर वल दिया कि यह नमाज 'मकवरे' मे ही पढनी चाहिए। मकवरा उस गाँवसे कुछ दूर पडता था। मैने मौलवियोसे तर्क किया कि मै तो मक्का और मदीना हो आया हूँ। वहाँ तो यह नमाज मस्जिदमे पढ ली जाती है। मौलवी लोग इस वातपर वरावर जोर दे रहे थे कि यह रीति 'शरीयत' के विरुद्ध है और मुझको इसका ज्ञान नही है। खैर, हम लोग झुक गये। जव हम लोग नमाज पढकर गाँवमे लौट रहे थे तव मौलवी लोगोने मुझे वुरा-भला कहना शुरू कर दिया। गाँवके लोगोको इसपर रोष आ गया और उन्होने मौलवियो-को मारना शुरू कर दिया। कुछ खुदाई खिदमतगारोने, जो घटना-स्थलपर मौजूद

थे, गाँववालोंको रोका और बीचमें पड़कर मौलवियोंको उनसे छुटकारा दिलाया। यह एक सराहनीय कार्य था परन्तु इसके पश्चात उन्होंने जो कुछ किया, वह काम उनका नहीं था। मौलवियोंके पास चाकू और छुरियाँ थीं। खुदाई खिदमतगार उन लोगोंसे उनको छीन लेना चाहते थे ताकि वे गाँववालोंपर आक्रमण न कर सकें। मैं उन लोगोंसे कुछ दूर आगे चल रहा था। जैसे ही मुझे लगा कि पीछे कुछ लड़ाई-झगड़ा हो रहा है, वैसे ही मैं तेज चलकर उनके पास पहुँच गया। वहाँ जाकर मैंने देखा कि खुदाई खिदमतगार उन हथियारोंमें कुश्तियाँ लड़ रहे हैं। मैंने इस कामको अनुचित ठहराते हुए उनसे कहा कि चूँकि मैं आप लोगोंको इसकी सजा नहीं दे सकता, मैं अपने आपको इसका दण्ड अवश्य दूँगा। यह कहकर मैंने अपने तीन दिनके उपवासकी घोषणा कर दी। इसका बिजली जैसा असर हुआ। हर एकको इससे धक्का लगा। वे आँखोंमें आँसू भरे हुए मेरे पास आये और मुझसे उपवास त्याग देनेके लिए आग्रह करने लगे। उन्होंने कहा कि इस कार्यके लिए मैं उन्हें जो भी चाहूँ दण्ड दूँ। मैंने उन्हें समझाया कि अब इन सब बातोंका कोई लाभ नहीं है। वे सब एक जगह एकत्रित होकर यह निश्चय करें कि वे फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। इसके बाद मैं पेशावर चल दिया।

'उनका यह उपवास मुसलमानोंके रोजा सरीखा नहीं बल्कि पूर्ण उपवास था जिसमें केवल जल और नमक ग्रहण किया जा सकता है। पठान लोग, जो दोषोंके प्रति तक क्षमाशील होते हैं और जो किसी अतिथिको अपने घरसे बिना कुछ खाये जाने नहीं देते, खान अब्दुल गफ्फार खाके इस उपवासका सहन न कर सके। उन्होंने स्थान-स्थानपर अपनी बैठकें कीं और खान साहबको आश्वासन देनेके लिए यह निश्चय किया कि इस प्रकारकी भूल फिर कभी नहीं दुहरायी जायगी।

''मैं खान साहबके साथ उनके तांगेमें पूरबकी ओरके गाँवोंको देखने चला। हमारा रास्ता दूरतक फैले हुए उन हरियाले खेतोंसे गुजर रहा था, जिनमें गेहूँ और जौ मुस्करा रहे थे। बीच-बीचमें सुहावने बाग-बगीचे भी मिलते जा रहे थे। दस-दस मील जानेके बाद खान साहब अपना तांगा किसी गाँवमें ले जाते थे। वहाँके किसी खानसे वे मेरा परिचय कराते और उसका कुछ पूर्व इतिहास बता जाते और फिर दूसरे गाँवकी ओर चल देते। मैंने उन्हें मिट्टीकी सादी झोपड़ियोंमें रहते देखा। उनके घरोंकी दीवारें और छत दोनों मिट्टीकी थीं। उनमेंसे बहुतसे लोगोंके पास रिवाल्वर थे और उनकी पेटियोंमें कारतूस भरे हुए थे।

खान साहबने मुझको बतलाया कि कतिपय अभिजात परिवारोको छोड़कर पठान स्त्रियाँ पर्दा नही करती, लेकिन मैने किसी महिलाका चेहरा नही देखा। इन गाँवोके लोगोमे मैने प्रजातन्त्रकी एक आश्चर्यजनक भावना देखी। घरका छोटेसे-छोटा नौकर और खेतका मामूलीसे मामूली मजदूर आकर आपको सलाम करेगा, फिर आपसे हाथ मिलानेके लिए अपना हाथ आगे बढायेगा। गाँवोका प्रत्येक लड़का या लडकी खान साहबको अभिवादन किया करता है और वे भी उसे उसका उत्तर देते है। वे लोग कहते है, 'खैर अली !' और खान साहब इसका उत्तर देते है, 'मे मश, मे मश'। पहले अभिवादनका अर्थ होता है कि 'आप कैसे है ?' इसके उत्तरमे जो अभिवादन किया जाता है, 'मुझे आशा है कि आप थके हुए नही होगे।' परन्तु इसका अभिप्राय यह होता है, 'मुझे आशा है कि आप चिन्ताओ से मुक्त होगे।'

'स्वच्छता इन गाँवोकी एक विशेषता नही कही जा सकती। वास्तवमे पशु और मुर्गीखाने उनकी हालतको सुधरने नही देते। शामके समय हम लोग खेतोंमें होकर घूमने गये। हम पगडंडियो और नहरकी पटरियोके ऊपर टहलते हुए जा रहे थे। 'यह ज़मीन कैसी मुस्कराती हुई है ?' खान साहबने कहा, 'हमारे यहाँ बड़ी अच्छी फसले पैदा होती है। यहाँ फलोकी बहुतायत है। वे फल, जिनकी आप अपने यहाँ बहुत कद्र करते है, यहाँ काफी मात्रामे उत्पन्न होते है और बर्बाद जाते है। यहाँ एक प्रकारकी घास होती है। उसमे यह गुण होता है कि उसे खाकर गायोका दूध बढ जाता है। हमारे यहाँकी गायें रोज़ चौदह सेरतक दूध देती है। इतना सब होनेपर भी हमारे सूबेमें बेहद बेकारी है। लोगोंको काफी खाना नही मिलता। फिर भी यहाँके लोग अतिथि-सत्कारमें हद कर देते है। अतिथिके सत्कारमे कितना ही पैसा खर्च हो जाय, हम पठान लोग उसकी चिन्ता नही करते परन्तु यदि आप इन लोगोसे कुछ नकद मागेगे तो यह उसे नही देगे। उनका स्वभाव ही ऐसा हो गया है कि इनके लिए नकद रुपया निकालना कठिन है।'

"सब जगह मुझसे यह प्रश्न पूछा गया कि गाधीजी कब आ रहे है। एक जगह मैंने उनके रिवाल्वरपर ताना देते हुए कहा, 'इसे लेकर ही आप गाधीजी और खान साहबसे बातें करेगे ? इसके साथ ही आप उनके साथ चलेगे ?' उन्होने उत्तर दिया 'नही, जब हम बादशाह खानके साथ जाते है तब हमें यह ले जानेकी जरूरत ही नही होती।' 'लेकिन अकेलेमे यह क्यों जरूरी होता है ?' मैने पूछा। इसका उन्होने उत्तर दिया, 'यहाँ आपसके झगड़ोमें खून-खराबियाँ होती

है। कोई यह नहीं कह सकता कि उनके ऊपर कब हमला हो जायगा। लेकिन बादशाह खानको तो कोई छू भी नहीं सकता।'

"वहाँ दो गाँवोंमें मृत्युएँ हो गयी। हम लोग वहाँ गये। एक जगह जाकर हम लोग चुपचाप बैठ गये। पहले खान साहबने मरे हुए व्यक्तिके लिए थोड़ी नम्रतापूर्ण प्रार्थना की। फिर वहाँ मातमके लिए आये हुए सभी लोगोंने उस दुःखको और हमारी उस जगहकी मातमपुर्सी पूरी हो गयी। दूसरी जगह काफ़ी लोग एकत्रित थे। वहाँ प्रार्थनाके लिए दो, तीन, चार बार पुकार की गयी। प्रार्थना (नमाज़) के बाद भौंर हो गया, जिसे कि खान साहबने भंग किया। वे इस्लामके पुनः जीवन देनेके सम्बन्धमें बोले। उन्होंने कहा कि गाँवके लोगोंको उसीसे सन्तुष्ट होना चाहिए जिसको उनका गाँव उन्हें उत्पादन करके दे सके।

मैंने देखा कि वहाँ बहुतसे पठान खादीके वस्त्र पहने हैं। वे खुदाई खिदमतगार थे। जब वे अपनी ड्यूटीपर होते हैं तब वे लाल कमीज पहनते हैं। बाकी समय वे खान साहब सरीखा खादी जैसे कुछ भूरे रंगका कुरता और पाजामा पहने रहते हैं। यह फैशन खान साहबने चलाया है और यहाँ लोकप्रिय हो गया है। वहाँ आये हुए लोगोंकी भीड़ छँटनेसे पहले ही मेजबानोंमेंसे एक व्यक्तिने वहाँ आकर उन लोगोंसे भोजनके लिए रुकनेका आग्रह किया। मैंने खान साहबसे पूछा कि क्या यहाँ मृत्युके पश्चात् जाति भोज देनेका रिवाज है? उन्होंने कहा, ऐसा तो नहीं है लेकिन जिस घरमें मृत्यु होती है उसके लोगोंसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे खाना बनायेंगे अतः उस परिवारका कोई सम्बन्धी इस कार्यको अपने ऊपर ले लेता है। वही शोकाकुल परिवारके सदस्योंको तथा उन अतिथियोंको खाना खिलाता है जो दुःखी परिवारसे सहानुभूति प्रकट करने आते हैं। वे लोग परिवारवालोंके साथ भोजनका कौर तोड़ते हैं। यह रीति बहुत दिनोंसे चलती आ रही है। मैंने इसका दृढ़ विरोध किया और अब यह तेजीसे खत्म भी होती जा रही है। लेकिन मौल्वी लोगोंका हित इसीमें है कि सब तरहकी प्रथाएं और मिथ्या विश्वास बने रहें। इसलिए वे उनको सहारा देते हैं। वे मुझे कसमें देते हैं क्योंकि मैं ही इन रूढ़ियोंको समाप्त कर देनेकी दिशामें कार्य कर रहा हूँ।

खान साहबने मुझे थोड़ेसे दर्शनीय स्थल दिखलानेकी कृपा भी की। मरदानकी सीमासे सटी हुई एक पहाड़ी है जिसपर बिखरे हुए बौद्ध भग्नावशेष ऐसे लगते हैं मानो वे उसमें जड़ दिये गये हैं। पहाड़ीकी चढ़ाई लगभग सौ फुट है और बिल्कुल आसान है। वहाँके प्राचीन भवन तो प्रायः भग्न हो चुके हैं परन्तु पत्थरकी चौकोर और आयताकार पतली पट्टियोंसे बनी हुई दीवारें अबतक

दियो जैसी थी। 'ये लोग खस्सेदार ह । इनकी भर्ती कबाइलियोमें ही की जाती ह और इस मागकी सुरक्षाके लिए इन्हें कुछ द दिया जाता ह। अफरीदो भी पठानाकी भांति सादे तथा सरल लोग ह। दोषाके प्रति वे क्षमाशील ह। वे पश्तू बोलते ह। यदि रक्तपातपूण आपसी झगडाको छोड दीजिए तो वसे ये लोग सुसगठित हैं और इनके पारस्परिक सम्बन्ध घनिष्ठ ह। इन लोगोके साथ मेल रखना इतना कठिन क्यो हो गया ह? भला इन्हें क्यों रिश्वत दी जाय और यदि ये लोग सत्तासे नही दबते तो इनको बम गिराकर क्या दबाया जाय? ये हमारे मित्र बनना चाहते हैं और यदि हम इनकी रोटीकी समस्या सुलझा देत ह तो ये शातिपूवक सौहादपूर्ण ढगसे रहने लगेंगे। परन्तु हम लोगोको तो उनके पास ही नही जाने दिया जाता।'

'और यह तो देखिये कि ये लोग रहते कसे ह?' खान साहबने दूरवर्ती चट्टानोकी छोटी खोहाकी ओर सकेत करते हुए कहा 'य इनकी गुफाएँ ह। इन गुफाओके अलावा इनके पास रहनेका अन्य कोई स्थान नही ह। और आप कल्पना कर सकते ह कि यहाँ इन्हे खानेके लिए क्या मिलता होगा? मुख्य रूप से इनका आहार मक्ई और जौकी रोटी तथा मसूरकी दाल ह। इसके साथ इनको कभी-कभी मट्ठा मिल जाता ह। इनको यदा कदा मास भी मिल जाता है परन्तु इतनेपर भी ये लोग वीर और दीघजीवी ह। मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग विटामिनोकी जो इतनी सारी बातें करते ह व मेरी समझमें नही आती। आप खोजकर मुझे ऐसे और कोई लोग बतला दीजिए जिनके भोजनमें विटामिनों की इतनी अधिक कमी रहती हो, जितनी इन अधभूखे अफरीदियाके खानमें रहती ह। और ये उन अधिकाश लोगोंसे अधिक बलिष्ठ और वीर ह जिनके भोजनमें विटामिनाकी कोई कमी नही रहती। नही इसका कारण यह ह कि य एक पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं और सभ्यताने इन्हें बिगाडा नहीं ह। इनके समाजमें व्यभिचार नही ह क्योंकि उसका दण्ड मृत्यु ह।

'इन्होने अपने निवास-स्थानोंपर ये सफेद झडियाँ क्यो लगा रखी ह मने पूछा। ठीक ही उत्तर मिला कि यदि अग्रेज अपने मरे हुए लागोंकी स्मृतिमें तख्तियाँ लगा सकते ह तो अफरीदी अपने शहीदाकी स्मृतिमें सफेद झडियाँ गाड सकते हैं। 'ये उन लागोंकी यादमें हैं जो निरपराध मार गये ह अथवा जो अग्रेजोंसे लडते हुए मरे ह।' खान साहबने मुझ बतलाया। इन लोगाके विरुद्ध ही य सतत युद्ध छेड गये ह और इनको अपने अधिकारम लानेके लिए आधुनिकतम हथियार, बमोंके प्रयाग किये जाते हैं।'

श्री महादेव देसाईकी यात्राके थोड़े दिन बाद ही गांधीजी मि० जिनाकी तीन घण्टेकी मुलाकातके पश्चात् सीमा-प्रान्त चल दिये। शरीरसे दुर्बल और मन से शिथिल वे अपने बहुत दिन पहले दिये गये वचनको पूरा करनेके लिए पठानोंके आतिथ्यशील देशकी ओर रवाना हो गये।

१ मईको गांधीजी नौशेरा पहुँच गये जो कि पेशावरसे पचीस मीलकी दूरी-पर है। वहाँ खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँ और खुदाई खिदमतगारों द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कहीं कोई भीड़-भाड़ नहीं थी, कोई शोरगुल नहीं था और कोई कोलाहल नहीं था। पेशावरमें उनके जानेके मार्गके दोनों ओर मीलोंतक खड़ी भीड़का अनुशासन अपनी ओर ध्यान आकृष्ट करता था। डा० खान साहब-के यहाँ, जहाँ कि गांधीजी ठहरे हुए थे, भीड़ने उनके कार्य या उनके विश्राममें व्यवधान नहीं डाला, यद्यपि वे लोग गांधीजीकी प्रातः और सायंकालीन प्रार्थना-सभाओंमें भाग लेते थे। सैकड़ों लोग सवेरे अपने घरोंसे बाहर निकल पड़ते और बहुत तड़के डा० खान साहबके अहातेमें आकर एकत्रित हो जाते। कुछ स्त्रियाँ सवेरे तीन बजे या उससे भी जल्दी उठ बैठतीं और प्रार्थनामें आनेके लिए हाथ-पैर धोकर और स्नान करके तैयार हो जातीं। वहाँ न दर्शनोंके लिए धक्कामुक्की थी और न प्रार्थनाके समय या उसके बाद कोई शोरगुल था।

गांधीजी उन दिनों बड़ी मुश्किलसे अभिनन्दन स्वीकार करते थे और उन्होंने सम्भवतः किसी सरकारी कॉलेजसे तो कभी कोई अभिनन्दन-पत्र स्वीकार ही न किया था। यद्यपि उन दिनों उनका स्वास्थ्य बहुत गिरा हुआ था फिर भी उन्होंने पेशावरके इस्लामिया कॉलेज और सेन्ट एडवर्ड्स कॉलिजमें भाषण करनेका आमं-त्रण अस्वीकार नहीं किया। इस्लामिया कॉलिजके अभिनंदन-पत्रमें कहा गया था, 'आपने हमारे सबसे महान् व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँको प्रेरणा प्रदान की है। आपकी इस प्रेरणा और मार्ग-दर्शनसे ही खान साहब श्रेष्ठ प्रकारके अनुशासनसे युक्त अपने मानव-शरीरमें शौर्यपूर्ण भावनाएँ भर सकनेमें सफल हुए हैं। आपने स्वाधीनताके इस महान् संघर्षको उच्चतम नैतिक स्तरपर पहुँचाया है।' इस अभिनंदनपत्रमें हिन्दू-मुस्लिम एकताका उल्लेख किया गया था और गांधीजीकी सफलताकी कामना की गयी थी। उसके उत्तरमें गांधीजीने कहा :

"यह अच्छा ही हुआ कि आपने हिन्दू और मुसलमानोंकी एकताकी समस्या-का उल्लेख कर दिया। मैं आपसे इस समस्यापर विचार करनेका निवेदन करता हूँ। आप सोचें कि आप इस महान् हेतुको आगे बढ़ानेके लिए क्या कर सकते हैं ? इसमें कोई सन्देह नहीं है कि यह कार्य आपका; नयी पीढ़ीका है। हम लोग बूढ़े

होते जा रहे ह और थाड दिनामें ही अपने पुरखासे जा मिलेंगे, इसलिए इस भार को आप लोगाको ही वहा करना ह। इस महान् उद्देश्यको प्राप्त करनमें आप किस प्रकारसे सहायक हो सकते ह यह आपने अपने अभिनन्दन-पत्रमें खान साहब के काय और अहिंसाके प्रति अपनी कद्रसे स्वय ही प्रकट कर दिया ह। म नही जानता कि यह उल्लेख आपने जान-बूझकर किया है या नही और आपने जो कुछ कहा ह उसके पूण आशयको आप समझते भी ह या नही। परन्तु मुझे आशा ह कि आपने जो कुछ कहा ह उसका आशय आपने समझा ह और अपने शब्दोको पूरी तरहसे तौला ह। यदि आपने ऐसा कर लिया ह तो म आपको एक कदम आगे और ले जाना चाहूँगा। उर्दूके एक समाचारपत्रने लिखा ह कि सीमाप्रातम मेरे आनेका मिशन पठानोको पुसत्वहीन बनाना ह, जब कि खान साहबने मुझको इसलिए बुलाया ह कि पठान मेरे मुँहसे अहिंसाके सन्देशका सुन सकें और म भी खुदाई खिदमतगाराको निकटसे देखकर यह जान सकूँ कि उन्होने अहिंसाको किस सीमातक ग्रहण किया ह। इसका अथ यह ह कि खान साहबको किसी प्रकार मुझसे वह भय नही ह जो कि उस पत्रने बतलाया ह क्योकि वे यह जानत ह कि अहिंसा सबसे सशक्त हिंसासे भी अधिक शक्तिशाली ह। इसलिए यदि आप वास्तवम अहिंसाकी मूल प्रकृतिको जानते ह और आप खान साहबके काय की कद्र करते ह तो आपके लिए अहिंसाकी शपथ लेना आवश्यक हो जायगा यह जानते हुए भी कि आज सारे वातावरणम हिंसा व्याप्त हो चुकी ह और हम सब रात दिन सेनाके युद्ध चालन, हवाई कायवाही, शस्त्रीकरण और मशीनोकी शक्तिकी चर्चाएँ किया करते ह। आपको यह अनुभव करना पडगा कि शस्त्रहीन अहिंसा की शक्ति प्रत्यक समय सशस्त्र बलसे कही अधिक ह। मेरे लिए अहिंसा अन्त प्रेरणासे स्वीकार की हुई वस्तु रही ह। बचपनमे वह मर प्रशिक्षण और परिवारके प्रभावका एक अग रही ह। परन्तु उसम इतनी उच्च शक्ति निहित ह, यह अनुभव मुझे दक्षिण अफ्रीकाम उस समय हुआ जब कि मने उसे सगठित हिंसा और जातिगत पक्षपातके विरुद्ध सम्मुख रखा। दक्षिण अफ्रीकामे लोटनेके समय मेरे मनमें यह स्पष्ट धारणा बन गयी कि हिंसाकी अपक्षा अहिंसाकी प्रणाली अधिक उत्कृष्ट ह।

'यदि हिंसाकी प्रणालीके लिए पर्याप्त प्रशिक्षण लेना आवश्यक ह तो अहिंसा की प्रणालीके लिए उसस कही अधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवाय ह और यह प्रशिक्षण, हिंसाके प्रशिक्षणकी अपक्षा कही अधिक कठिन भी ह। अहिंसाके इस प्रशिक्षणके लिए पहली सारभूत अनिवायता ईश्वरपर जीवत विश्वास ह।

वह व्यक्ति, जिसका कि ईश्वरपर जीवित विश्वास है, अपने ओठोपर ईश्वरका नाम रखकर कभी दुष्कृत्य नही करेगा। वह तलवारपर नही अपितु ईश्वरपर पूरा भरोसा करेगा। लेकिन आप यह कह सकते है कि एक कायर व्यक्ति भी यह कह-कर कि वह तलवार इस्तेमाल नही करता, इस रास्तेसे ईश्वरका विश्वासी बन-कर बच सकता है। कायरता ईश्वरपर निष्ठाका चिह्न नही है। ईश्वरका सच्चा पुरुष स्वयं तलवार चलानेकी शक्ति होते हुए भी यह समझकर उसे इस्तेमाल नही करेगा कि प्रत्येक मनुष्य ईश्वरकी ही एक मूर्ति है।

"यह कहा जाता है कि इस्लाम मानवकी बन्धुत्व-भावनापर विश्वास करता है परन्तु मुझको यह कहनेकी अनुमति दीजिए कि यह केवल मुसलिम समुदाय-का बन्धुत्व नही है बल्कि एक विश्व-बन्धुत्व है और वह मेरे निकट अहिंसाके प्रशिक्षणकी दूसरी सारभूत आवश्यकता है। मुसलमानोका 'अल्लाह' वही है जो ईसाइयोका 'गॉड' और हिन्दुओका ईश्वर है। जिस प्रकार हिन्दू धर्ममे ईश्वरके अनेक नाम है उसी प्रकार इस्लाममे भी उसके कई नाम है। ये नाम व्यक्ति-सूचक नही है बल्कि वे उसके गुणोका द्योतन करते है। यद्यपि वह समस्त गुणो-से परे है फिर भी लघुकाय मानवने उस विराट्, शक्तिमान् ईश्वरपर अनेक विशे-षताएँ आरोपित करके अपने नम्र ढंगसे, अगम, अवर्णनीय और अतुल कहकर उसका वर्णन करनेका प्रयास किया है। इस ईश्वरपर जीवंत श्रद्धा रखनेका अर्थ मनुष्य मात्रके प्रति बन्धुत्व-भावको स्वीकार करना है। इसका अर्थ समस्त धर्मो-को समान आदर देना भी है। यदि इस्लाम आपको प्यारा है तो हिन्दू-धर्म मुझको प्रिय है और इसी प्रकार ईसाइयोको अपना ईसाई धर्म प्यारा है। यदि आपका यह विश्वास है कि आपका धर्म अन्य धर्मोसे ऊँचा है तो आपकी यह इच्छा भी आपकी दृष्टिमे न्यायोचित होगी कि अन्य लोग अपना धर्म त्यागकर आपका धर्म ग्रहण कर ले लेकिन मै कहूँगा कि यह हद दर्जेकी असहनशीलता है और असहन-शीलता हिंसाका ही एक प्रकार है।

"तीसरी अनिवार्यता है सत्य और पवित्रताको अपने जीवनमे उतार लेना, क्योंकि जो व्यक्ति यह दावा करता है कि उसका ईश्वरपर सक्रिय विश्वास है वह सच्चे और पवित्र होनेके अतिरिक्त और कुछ तो हो ही नही सकता।

"अब मै आपसे यह कहूँगा कि आपने खान साहबकी सेवाओ और अहिंसा-की जो कद्र की है यदि वह यथार्थ है तो यह समस्त आशय उनके साथ जुडे हुए है।

"जो नेतृत्व करनेका दावा करते है, उन्हे इन समस्त आशयोको आत्मसात्

कर लेना चाहिए और वे उनके नित्य जीवनके माध्यमसे भी व्यक्त होना चाहिए। इस स्थितिमें आपका कोई पद या श्रेणी नहीं होगी लेकिन आप अपनी जनताके नेता होंगे। यदि आप इन आदर्शोंको अपनी जिन्दगीमें उतार लेंगे तो किसीको यह कहनेका मौका न रह जायगा कि अहिंसा आपको पुंसत्वहीन बनाने जा रही है और तब आपकी अहिंसा वीरतम पुरुषकी अहिंसा होगी।'

एडवर्ड्स कॉलेजमें अपने अभिनंदनका उत्तर देते समय गांधीजी फिर उसी विषय-वस्तु पर चले गये :

'इस देशमें जन्म लेकर, जहाँ कि हजारों साल पहले अहिंसाका उपदेश दिया गया था, अब यह आपपर निर्भर है कि आप अहिंसात्मक निष्क्रिय विरोधको दुर्बल और शोषितके हाथोंमें एक दुर्निवार शस्त्रकी भाँति ग्रहण करके अपने निजके ढंगसे स्वतः उसका स्वरूप और लक्षण निश्चित करें।

'आपका अभिनंदन मेरी प्रशंसामें एक जय ध्वनिके सदृश है। इस प्रकारकी प्रशंसाका गुण दोष विवेचन मेरे लिए कभी सरल बात नहीं हुई।' उन्होंने बल देते हुए कहा : 'मैं आपको यह बतला दूँ कि मेरे जीवनमें ऐसा समय कभी नहीं आया जब मुझे इसको बर्दाश्त करनेमें उतनी कठिनाई प्रतीत हो जितनी कि आज हो रही है। इसका कारण यह है कि मुझमें वैराग्यकी एक विचित्र भावना भर गयी और मैं अभी उससे छुटकारा नहीं पा सकता हूँ। हाँ, तो मैं यहाँ भाषण करनेके लिए नहीं आया हूँ। मुझसे यह कहा गया था कि मुझे पाँच मिनट से अधिक समय देनेकी आवश्यकता नहीं है परन्तु आपके अभिनंदन पत्रके एक वाक्यने मुझे उससे कुछ अधिक मिनट ले लेनेके लिए बाध्य कर दिया जितने कि मैंने पहले आपको बतलाये थे। आपके अहिंसात्मक निष्क्रिय विरोध सम्बन्धी वाक्यसे मुझे बहुत पुरानी सन् १९०७ की दक्षिण अफ्रीकाके जर्मिस्टन नगरकी एक घटना स्मरण हो आयी। वहाँ निष्क्रिय विरोधपर, जैसा कि उन दिनों यह आन्दोलन जाना जाता था, मेरा भाषण सुननेके लिए यूरोपियन मित्रोंकी एक सभा एकत्रित हुई। सभाके सभापतिने भाषणमें बिलकुल वही बात कही जो कि आपने आज अपने इस अभिनंदन-पत्रमें कही है कि निष्क्रिय विरोध दुर्बलोंका हथियार है। वहाँ यह बात मुझे धक्का पहुँचानेके लिए मेरा निर्देश करके ही कही गयी थी और मैंने भी तत्काल ही वक्ताकी उस भूलको सुधार दिया। यदि यह आश्चर्यजनक नहीं तो एक विचित्र बात अवश्य है कि आपने भारतमें इतने वर्षोंतक सत्याग्रह करनेके बाद भी वही भूल की। हम दुर्बल और शान्त हो सकते हैं परन्तु अहिंसा दुर्बलोंका हथियार नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली और साहसी वीर पुरुषका शस्त्र

है। हिसा अवश्य दुर्वल और शोषितका एक हथियार हो सकती है। अहिंसासे मूलरूपेण अपरिचित होनेके कारण उनके लिए उसका कोई पहलू स्पष्ट नही था। फिर भी यह सच है कि निष्क्रिय विरोधको दुर्वलका एक शस्त्र समझा गया। यही कारण है कि दक्षिण अफ्रीकाके आन्दोलनकी निष्क्रिय विरोधमे अलग पहचान करनेके लिए उसके लिए 'सत्याग्रह' नाम गढा गया।

"निष्क्रिय विरोध एक नकारात्मक वस्तु है और उसमे प्रेमका कोई सक्रिय सिद्धान्त नही है। सत्याग्रह प्रेमके सक्रिय सिद्धान्तको लेकर आगे बढता है। वह यह कहता है. 'तुम उनको प्यार करो जो तुम्हे तुच्छ समझकर तुमसे काम लेते है। यह तुम्हारी अपनी बात है कि तुम अपने मित्रोको प्रेम करो लेकिन मै तुमसे कहता हूँ कि तुम अपने शत्रुओको प्रेम करो।' यदि सत्याग्रह दुर्वलका एक शस्त्र होगा तो मै खान साहबको धोखा दे रहा होऊँगा क्योकि किसी पठानने आजतक यह मंजूर नही किया हैं कि वह दुर्वल है। स्वयं खान साहबने मुझसे यह कहा कि स्वेच्छासे लाठी और राइफलका त्याग कर देनेके बाद उन्होने अपने-आपको जितना शक्तिशाली और वीर अनुभव किया है, उतना उन्होने पहले नही किया था। यदि अहिंसा एक वीर पुरुषका सबसे शक्तिशाली शस्त्र न होती तो पठानो जैसे एक वीर समाजके आगे उसे रखनेमे निश्चित ही मुझे बडा संकोच होता। इस शस्त्रको ग्रहण करके खान साहब यह स्पष्ट घोषणा कर सकते है कि उन्होने अफरीदियो तथा अन्य कबाइली लोगोको अपना मित्र बना लिया है और उनमे एक परिवर्तन ला दिया है।

"मुझे इस बातकी प्रसन्नता है कि मुझे आपको सही करनेका एक मौका मिला क्योकि जिस क्षण आप उसका (अहिंसाकी शक्तिका) अनुभव करेंगे, उसी क्षण आप उस हेतुके लिए अपना नाम कार्यकर्त्ताओमे लिखा देंगे जिसके लिए मैं और खान साहब काम कर रहे है। मै यह स्वीकार करता हूँ कि उसपर दृढ विश्वास एक बडी कठिन बात है। हालाँकि मैं पिछले पचास वर्पसे उसके प्रति सचेत रहते हुए उसका अभ्यास कर रहा हूँ परन्तु फिर भी मैं उसे एक कठिन चीज समझता हूँ। वह एक बहुत ऊँचे स्तरकी पूर्व-कल्पना चाहती है। उसके लिए असीम धैर्य अपेक्षित है—घासकी पत्तीसे सागरको रिक्त कर सकनेवाला धैर्य।"

अस्वस्थताके कारण गाधीजीको अपने मूल कार्यक्रमको बहुत संक्षिप्त कर देना पडा। खान अब्दुल गफ्फार खाँ यह नही चाहते थे कि गाधीजी सीमाप्रान्तके गाँवो की एक झलक देखे विना ही यहाँसे वापस जायँ इसलिए उन्होने जल्दीसे गाधीजी-

के नेतृत्व किनेरे दौरेकी व्यवस्था की। गांधीजी पहले उत्तरमें नवकदारा गये और बादमें पूर्वकी ओर आकर उत्मजई। यहाँसे उन्होंने मरदानका दौरा किया। पेशावरसे मरदान जानेवाला रास्ता कई गाँवोंसे होकर गुजरता था और पूरे रास्तेके लोग उस दिन या तो सड़कपर चलते हुए दिखाई दे रहे थे या गांधीजीके स्वागतके लिए सड़कके किनारे खड़े थे जो कि खान अब्दुल गफ्फार खाँकी अनुपस्थितिमें आ रहे थे। प्रतीक्षा करते हुए पठानों—वृद्ध और युवक स्त्री और पुरुष तथा बालक। भरे मनसे भावनाओंसे भरकर गांधीजीका स्वागत किया। हर एक गाँवमें लोगोंने गांधीजीको भी मक्खन मोमी-सी बकरी कुछ भेड़ और हाथकी बनी और भेंट करनेके लिए उनका इन्तजार किया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपनी जनता और स्थानों जिनमें उन्होंने शान्ति द्वारा परिवर्तन किया था जानते थे। मरदानमें यह महान गाँव है जिसमें कि सबसे अधिक दमनके दृश्य देखे थे उन्होंने कहा और यहाँ, जहाँ कि कठोरतम दमन हुए थे आप लोगोंके उत्साहमें कोई कमी न पायेंगे परन्तु इससे आप यह न सोच लीजिएगा कि पठान वीर और बलिष्ठ होता है। वह कौड़ी-दो कौड़ीके पुलिसके सिपाहीके आगे भयसे दबक जाता था। परन्तु हमारे आन्दोलनने पठानोंमेंसे यह भय निकाल दिया है और अब वे एक फौजके सामने भी निडर होकर खड़े होते हैं। यहाँ स्त्रियोंने भी आन्दोलनमें सक्रिय भाग लिया था परन्तु इनको गिरफ्तार नहीं किया गया।'

जैसे ही वे नवकदारसे उत्मजईकी ओर चले मार्गमें गांधीजीको एक छोटा सा गाँव मिला जो कि घना बसा हुआ था और जिसमें अच्छे मकान थे। 'यह तरङ्गजई है।' खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा। 'यही प्रसिद्ध हाजीजीका घर है। उन्हें तरङ्गजईके हाजी कहा जाता था। वे अब इस संसारमें नहीं हैं। वे एक वीरात्मा थे। अंग्रेजोंने उनके बारेमें तरह-तरहके किस्से फैला रखे हैं। सर माइकल ओ डायर मुझको तरंगजईके हाजीका दामाद कहा करता था।''

एक गाँवमें पिछले आन्दोलनके समय पुलिसने मकानोंको जला दिया था। उस गाँवमें एक जिरगा उस जगह गांधीजीका स्वागत करनेके लिए प्रतीक्षा कर रहा था जहाँ कि गाँववालोंने खण्डहरोंके ऊपर नया मकान बनाया था। एक बूढ़े खानने गांधीजीको हाथसे कते हुए ऊनका एक कोट भेंट किया। 'मैं इसका क्या करूँ?' गांधीजीने पूछा। 'इसे सर्दीमें पहनिएगा।' खानने उत्तर दिया। 'लेकिन मैं तो सर्दीमें यहाँ आ रहा हूँ।' गांधीजी बोले 'तबतक आप इस अपने पास ही क्यों नहीं रख लेते? इसे रखनेके लिए मेरे पास कोई चीज नहीं है।'

बूढे खानने हँसते हुए कहा, 'निश्चित ही आप गम्भीर नही है ।' 'ऐसा नही है । मैं सर्दीके मौसममे यहाँ आ रहा हूँ । मेरे आनेतक इसे आप अपने पास ही रखे रहिए ।' 'तब मै रख लूँगा ।' खानने कहा । 'ठीक है, मेरी चीज समझकर ।' गाधीजीने आगे जोड़ा और सब लोग ज़ोरसे हँस पडे ।

अपने अल्प-प्रवासमे गाधीजी सैकडो खुदाई खिदमतगारोसे मिले । एक-दो फर्लाङ्गकी दूरीपर, रास्तेभर वे दिनमे और रातमे भी प्रतीक्षा करते हुए खडे मिलते । गाधीजीके प्रत्येक स्वागत-भाषणमे एक बातका उल्लेख अवश्य किया जाता कि यदि भविष्यमे आन्दोलन छिडा तो पठान पीछे नही रहेगे । गाधीजीने प्राय अपने सारे भाषणोमे अहिंसाके आशय बतलाये । खुदाई खिदमतगारोके आगे उन्होने जो भाषण किये, वे तो उनपर ही विशेष रूपसे आधारित थे । खान अब्दुल गफ्फारने ओजपूर्ण पश्तूमे उनका भाषान्तर किया ।

पेशावरके एक राजनीतिक सम्मेलनको, जिसमे ५०,००० श्रोता एकत्रित थे, सम्बोधित करते हुए गाधीजीने कहा "आपने अपने मानपत्रोमे मुझे यह विश्वास दिलाया है कि आपने विगत सविनय आज्ञा भग आन्दोलनमे अहिंसाका एक विजयी और अद्वितीय प्रदर्शन किया है । मुझे भी इस बातका पता लगाना है कि क्या आपने अहिंसाको उसके समस्त आशयो सहित अंगीकार कर लिया है ? मेरे यहाँ आनेका मुख्य प्रयोजन यह मालूम करना है कि खुदाई खिदमतगारोके सम्बन्धमे जो कुछ मैने खान साहबसे सुना है, वह सत्य था । मुझे इस बातका खेद है कि सत्यकी इस खोजके लिए जितना समय देना आवश्यक था, उतना मै न दे सका । लेकिन मेरा यह दृढ विश्वास बन गया है कि एक सेनापतिके रूपमे खान साहबके ऊपर यहाके लोगोकी एक आश्चर्यजनक, स्नेहपूर्ण निष्ठा है । मै जहाँ भी गया, वहाँ मैने यह लक्ष्य किया कि न केवल खुदाई खिदमतगार बल्कि प्रत्येक व्यक्ति—स्त्री-पुरुष और बालक उनको जानता है और उनसे प्रेम करता है । उन्होने खान साहबका बडी आत्मीयताके साथ स्वागत किया । उनका सान्निध्य यहाँ वालोके लिए शातिदायक है । जो भी व्यक्ति खान साहबके पास पहुँचा उसके साथ उन्होने अति सज्जनताका व्यवहार किया । खुदाई खिदमतगारोके आज्ञा-पालनकी भावनाको तो संदिग्ध दृष्टिसे देखा ही नही जा सकता । इन सब बातोने मेरे मनमे असीम प्रसन्नता भर दी । एक सेनापतिके लिए ऐसा ही आज्ञा-पालन उचित है । सामान्य सेनापति भयके सहारे अपनी आज्ञाओंका पालन कराता है लेकिन खान साहब प्रेमके अधिकारसे । अब प्रश्न यह है कि खान साहबके पास यह जो अत्यधिक बल है उसका वे क्या उपयोग करेगे ? मै अभी इस प्रश्नका उत्तर नही दे

सकता और न सार साहाय्य ही दे सकते हैं। इसलिए यह निश्चित रहा कि यदि ईश्वरकी इच्छा हुई तो मैं अक्तूबरके लगभग इस अद्भुत प्रदेशमें पुनः आऊंगा। उस समय मैं यहाँ अधिक दिनोंतक रहूँगा और यहाँ अहिंसाने जो काय किया है उसका मैं यहाँ रहकर ब्योरेवार अध्ययन करूँगा।"

गांधीजीको भेंट किये गये सभी मानपत्रोंमें अहिंसापर बल दिया गया था। मरदान कांग्रेस समितिने उनको जो मानपत्र भेंट किया था उसमें यह कहा गया था, 'हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने हमारी गिरी हुई स्थितिमें जो हमारा साथ दिया है उसके लिए हम आपके ऋणी हैं और इस ऋणको हम कभी विस्मृत नहीं करेंगे। इस ऋणको तबतक स्वीकार किया जायगा जबतक कि इस प्रान्तमें एक भी पठान बालक रहेगा। हम अज्ञान हैं, हम निधन हैं परन्तु आपने हमें अहिंसाका जो उपदेश दिया है उसके कारण हम कत्तव्यच्युत नहीं होंगे और अहिंसाव्रत पूरा करेंगे, जिससे लाभ हमने प्रत्यक्ष देख लिया है।" पेशावरके एक अभिनन्दनपत्रमें कहा गया था 'सरहदके लाखों पठानोंके मनपर आपने जो प्रभाव डाला है वह किसी औरने नहीं डाला।' कुलूखानके मानपत्रमें अहिंसा का अभिप्राय प्रतिपादित किया गया था आपने हमें अहिंसाकी शिक्षा दी है। यह शिक्षा हमको एक बड़ी क्रान्तिके लिए तैयार कर सकती है। उसने हम सच्चे साहस और वीरत्वकी एक प्रेरणा दी है। उसे ग्रहण कर लेनेपर मनुष्य किसी मनुष्यसे भय नहीं करेगा। यह भावना व्यक्तिको नम्र और ईश्वरके प्रति भीरु बनाती है और सबसे अधिक यह कि यह हम अपनी समस्याओंको सुलझानेके योग्य बनाती है विशेष रूपसे साम्प्रदायिक दंगे निधनता और बेकारीकी समस्याओंको। यह प्रत्येक व्यक्तिको ईमानदारीके साथ अपनी जीविका अर्जित करनेमें सहायता देती है।"

गांधीजीका चारसद्दाका सम्बोधन पूर्णतः अहिंसापर आधारित था। इसके पश्चात् उन्होंने जिन सार्वजनिक सभाओंमें भाषण किये उनमें उन्होंने अहिंसाकी व्याख्या सहित अथ समझाया। चारसद्दाकी सभा आश्चर्यजनक ढंगसे शांत रही और दस हजारमें भी अधिक श्रोता रातके दस बजेतक बैठे भाषण सुनते रहे और सभामें पूरी तरह व्यवस्था बनी रही। इस सभामें गांधीजीने कहा 'वास्तवमें मैं उन लोगोंसे परिचित होना चाहता था जिनके सम्बन्धमें मैंने बहुत काफी सुन रखा था। मैं अपनी आँखोंसे यह देखना चाहता था कि खुदाई खिद मतगार कैसे रहते हैं उनकी गतिविधियाँ क्या रहती हैं और वे किस पद्धतिसे कार्य करते हैं। खान साहब भी इस बातके लिए उत्सुक थे कि मैं इन लोगोंको

देखूँ और यह जाँच करूँ कि इन्होने अहिसाको किस सीमातक स्वीकार किया है। मेरा यह दौरा वहुत कम समयका है और मुझे डर है कि इतने अल्प कालमे इन वातोकी परीक्षा नही ली जा सकती। फिर भी मै आपको एक वात वतला देना चाहता हूँ, वह यह कि मेरी आपके वीचमें अधिक रहनेकी इच्छा हो उठी है। यद्यपि मैं उतमजई और चारसद्दातक ही आ सका फिर भी आजकी रात मै आप सवका कृतज्ञ हूँ। मैने आपको देखा। खान साहव और डा० खान साहवको मैने निकटसे देखा है, यहाँतक कि वर्धामें भी देखा है परन्तु मेरे मनमे आप लोगो-को देखनेकी इच्छा थी। मै आप सवसे परिचित होना चाहता था। आपके और खान साहवके कंधोपर वहुत वडी जिम्मेदारी आ गयी है क्योकि आप लोगोने जान-बूझकर एक ऐसा नाम चुना है जिसका आशय वहुत शक्तिमान् है। आप अपनेको जनताका सेवक कह सकते थे, पठानोका सेवक कह सकते थे या इस्लामका सेवक कह सकते थे। लेकिन इन सवकी जगह आपने खुदाई खिदमतगारका नाम चुना है, ईश्वरके सेवक अर्थात् मानवताके सेवक, जिसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पजाव, गुजरात और भारतके अन्य भागोके अतिरिक्त विश्वके अन्य भाग भी शामिल हैं। आपका यह महत्त्वाकांक्षी नाम यह सूचित करता है कि आपने अहिसाको स्वीकृति दे दी है। कोई मनुष्य ईश्वरके नामपर तलवारके सहारे मान-वताकी सेवा कैसे कर सकता है? यह तो केवल उस वलके द्वारा ही हो सकता है जो कि ईश्वरने हमें दिया है। वह किसी भी वलसे, जिसकी वात हम सोच सकते है, अधिक वडा है। यदि आप मेरी इस वातको नही समझ सकते तो आपको यह निश्चय मान लेना चाहिए कि संसार मुझे और खान साहवको व्यर्थका ढोंगी समझेगा और हमपर हँसेगा। इसलिए जिस समय मै खुदाई खिदमतगारो-को देखकर प्रसन्न हुआ उस समय मेरे मनमे एक प्रकारकी शंका भी थी। वहुतसे लोगोने मुझे आपके विरुद्ध सचेत किया था परन्तु यदि आप अपने ध्येयके प्रति सच्चे है तो उस चेतावनीका कोई अर्थ नही है। याद रखिये, समूचे भारतमें जितने स्वयंसेवक है उनमे संख्यामें आप सवसे अधिक है और भारतके अन्य प्रातोके स्वयंसेवकोकी अपेक्षा आप अधिक अनुशासित भी है लेकिन जवतक अनु-शासनके मूलमें अहिसा नही रहती तवतक यह सम्भावना वनी रहती है कि कही यह अनुशासन एक सीमाहीन उपद्रवका मुख्य साधन न वन जाय। इस प्रकारकी शात और सुनियोचित सभाएँ मैने अपने दौरोमे कम ही देखी है। उनके लिए मै आपको वधाई देता हूँ। आपने मेरे लिए जो प्रेम प्रदर्शित किया है, उसके लिए मै आपका आभारी हूँ। मै इस प्रार्थनाके साथ अपनी वात पूरी करूँगा कि

सीमांतवा पठान भारतको स्वतत्र करें और अहिंसात्र द्वारा मुक्त किये गये उस भारतके द्वारा संसारको अहिंसाकी मूल्यवान शिक्षा दें।"

मरदानम कुछ ऐसी घटनाएं हो गयी जिन्होंने उनको एक सीधी शिक्षा ग्रहण करनेका अवसर दिया आपने मुझसे जो कुछ कहा, यदि वह आपकी दृढ़ प्रतिज्ञा है और आप उसका पालन कर सकते हैं तो इसमें कोई सन्देह शेष नहीं रहता कि आप भारतके हेतु स्वाधीनता अर्जित करेंगे। इतना ही नहीं और भी बहुत कुछ करेंगे। जब अपनी स्वाधीनताके निमित्त हम अपने बहुतसे लोगोंकी कुर्बानियाँ देनेको तैयार हो जायेंगे तब हम सुस्वर यह कहेंगे कि कोई कठिनाई न होगी कि हम युद्धके उस भयानक भूतको भगा देंगे जो इन दिनों यूरोपको थम कियाँ दे रहा है। हम यह कहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं, वह ईश्वरके नाम पर करते हैं। हम अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। हम तलवारको त्याग देनेकी प्रतिज्ञा करते हैं, फिर भी यदि हम अपने दिलोंसे तलवार और खंजर निकाल कर नहीं फेंकते तो यह निश्चित है कि हमारा अनादर होगा और खुदाई खिदमतगार एक तिरस्कृत शब्द बन जायगा।

इसके पश्चात उन्होंने मयरकी एक घटनाका उल्लेख किया जिसमें कि पठानों द्वारा तीन सिख मार डाले गये थे। आज दोपहरके बाद जो किस्सा मैंने सुना उससे मुझे एक धक्का लगा है और उस धक्केसे मैं अबतक सभल नहीं पाया हूँ। जहाँतक मुझे मालूम हुआ है उन व्यक्तियोंने जिनको मार डाला गया ऐसा कोई काम नहीं किया था जिससे हत्याकारियोंका क्रोध भड़के। उन लोगोंने यह कृत्य दिनदहाड़े किया और इससे पहले कि कोई उनके ऊपर सन्देह कर वे भाग गये। यह एक सोचनेकी बात है कि यह घटना कैसे हुई जब कि हम सब लोग अहिंसा की बातें करते हैं। उस गाँवमें खुदाई खिदमतगार थे और ऐसे अन्य लोग भी थे जो कि अहिंसाके 'ध्येय' पर विश्वास करते हैं। उनका यह कर्त्तव्य था कि वे अपराधियोंको पकड़ें। आपका भी यह कर्त्तव्य है कि आप उन शोकग्रस्त परिवारोंके प्रति दोस्तीका बर्ताव करें भयग्रस्त लोगोंको सहानुभूति दें और विपत्तिके समयमें उनको सहायता देकर आश्वस्त करें। जबतक हमारे बीचमें इस प्रकारकी चीजें चलती रहेंगी उस समयतक निश्चित ही हमारी अहिंसाको शंकाकी दृष्टिसे देखा जायगा।'

कलुमानम किये गये अपने एक भाषणमें उन्होंने सार-रूपमें अहिंसाका यह सन्देश दिया

मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैं एक अहिंसायुक्त व्यक्तिके समस्त

श्रेष्ठ लक्षणोको संगृहीत करके अभी आपके सामने न रख सकूँगा लेकिन मै यह कहूँगा कि आपने अपने अभिभाषणमे एक वस्तुका उल्लेख नही किया है और वह यह कि अहिंसाके आशय क्या है । आपने इलाहावाद और लखनऊके दंगोके समाचार सुने होंगे । यदि हम लोगोमें वास्तवमें अहिंसा होती तो उनका होना सम्भव नही था । कांग्रेसके रजिस्टरमें उसके हजारो सदस्य है । यदि उन्होने सचमुच अहिंसाको अपने जीवनमे उतारा होता तो ये दंगे नही होते । परन्तु हम उनको रोकनेमे असफल ही नही रहे वल्कि उन्हे कावूमे करनेके लिए हमने फौज और पुलिसका सहारा लिया । कांग्रेसजनोमें कुछने मुझसे तर्क किया कि हमारी अहिंसा हमारे उस व्यवहारतक ही सीमित है जो हम अंग्रेजोके साथ करते है । तब मैने कहा कि अहिंसा एक शक्तिशालीका शस्त्र है, दुर्वलका नही । वीर पुरुपकी सक्रिय अहिंसा चोर, डाकू, हत्यारोको भगा देती है । और ऐसे स्वयंसेवकोकी सेना तैयार करती है जो दंगोको अपने कावूमे करनेके लिए आत्म-वलिदान करते है, जो आगजनी और झगडोको शान्त करते है और इसी प्रकारके अन्य काम करते है । आपने यह कहा है कि अहिंसासे वेकारीकी समस्या अपने आप ही सुलझ जायगी । आपका कहना ठीक है क्योकि वह शोपणको रोकेगी । अहिंसाको आत्मसात् करनेवाला व्यक्ति स्वत ही ईश्वरका एक सेवक वन जाता है । वह अपने समयके प्रत्येक क्षणका हिसाव ईश्वरको देनेको तैयार रहता है । आप सव ईश्वरके सच्चे सेवक और अहिंसाके सच्चे अभ्यासी वनें ।"

८ मईको सीमान्तका दौरा समाप्त हो गया और गाधीजी जुहूमे जाकर विश्राम करनेके लिए वम्बई रवाना हो गये ।

दूसरी यात्रा

१९३८

मईके तीसरे सप्ताहमें बम्बईमें कांग्रेसकी कार्य-समितीकी बैठक हुई। जिन प्रदेशोंमें कांग्रेसके मन्त्रिमंडल बने थे उनके मुख्य मन्त्रियोंको इस बैठकमें विशेष आमन्त्रण देकर बुलाया गया था। इसमें नागरिक स्वतन्त्रता, भू-सम्पत्ति सम्बन्धी नीति, श्रम, गाँवोंका उत्थान और शिक्षाके सम्बन्धमें विचार किया गया। कार्य समितिकी इस बैठकमें कांग्रेसी मन्त्रियोंके विरुद्ध की गयी शिकायतोंकी छान-बीन भी की गयी। इन दिनों गांधीजी जुहूमें विश्राम कर रहे थे और कार्यसमितिके सदस्य प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मामलेमें उनकी सलाह लेते थे। कांग्रेसके सभापति श्री सुभाष बोस गांधीजीके साथ मि० जिनाके साथ चर्चामें लग गये। बातचीतमें मि० जिनाने यह आग्रह किया कि इस तथ्यको प्रारम्भमें ही स्पष्टतः स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा कि कांग्रेस हिन्दुओंकी ओरसे मुसलमानोंकी प्रतिनिधि संस्था मुस्लिम लीगके साथ समझौता कर रही है। जूनके महीनेमें मुस्लिम लीगने अपनी ग्यारह मांगें पेश कीं। उनमें एक मांग यह भी थी कि मुस्लिम लीगको भारतके मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करनेकी एकमात्र अधिकारिणी संस्था समझा जाय। वार्तालापमें गतिरोध आ गया।

गांधीजी जुहूसे वापस वर्धा चले आये। उनका स्वास्थ्य इन दिनों ठीक नहीं चल रहा था। *खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ काफी विचार विमर्शके बाद* दिसम्बर १९३८ के अंतमें गांधीजी एक मासकी यात्रापर सेवाग्राममे सीमा प्रान्त चल दिये। कार्यसमितिकी बैठकमें भाग लेनेके लिए वे मार्गमें दिल्लीमें रुके। यह बैठक युद्धके उन मेघोंकी छायामें मिल रही थी जो चेकोस्लोवाकियाके प्रश्नको लेकर यूरोपपर बरस पड़नेकी धमकी दे रहे थे। यद्यपि उन दिनों गांधीजीका मौन चल रहा था फिर भी उन्होंने कांग्रेसके विचार विमर्शमें सक्रिय रूपसे भाग लिया। बैठककी कार्यवाही ग्यारह दिनतक चली। इस बीचमें युद्धके बादल छंट गये और १० सितम्बरको म्युनिखकी सन्धि-वार्तापर हस्ताक्षर हो गये। गांधीजीको अपने युद्ध सम्बन्धी विचारोंको दुहरानेका एक मौका और मिला। उन्होंने लिखा : 'यदि कांग्रेस अहिंसाके अपने पूर्ण मतको कार्य रूपमें परिणत कर सके तो भारतका नाम अमर हो जाय।' उन्होंने अपना यह दृढ़ निश्चय व्यक्त किया

"यदि मै नितान्त एकाकी रह जाऊँ और ब्रिटिश सत्ता कांग्रेसको सारा नियंत्रण सौप दे तो भी मै इस युद्धमे यूरोपका भागीदार नही बनूँगा।"

४ अक्तूबरको गाधीजी दिल्लीसे सीमा-प्रान्त चल दिये। पेशावर पहुँचकर उन्होने सरदार वल्लभभाई पटेलको एक पत्रमे लिखा

"मेरा समय बहुत अच्छा बीत रहा है। आप भी मुझे ऐसा पूर्ण विश्राम नही दे सके। मौसम बडा सुहावना है। इन दिनो खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ मेरे निकट रहकर मेरी सँभाल कर रहे है।"

गाधीजीने उत्मजईसे मीरा बहनको एक पत्रमे लिखा .

"आपको मै पहले ही सब कुछ बतला चुका हूँ। इन दिनो मै यूरोपके सागरोमे डुबकियाँ लगा रहा हूँ। कृपया यह सूचित कीजिए कि मेरे लेखोके सम्बन्धमे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योकि मै कुछ अन्य लेख भी लिख रहा हूँ।"

६ अक्तूबरको उन्होने पेशावरमे एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था, "यदि मै एक चेक होता।" उन्होने अपने इस लेखमे हिटलरके साथ हुए 'एंग्लो-फ्रेन्च समझौते'की आलोचना की और उसको एक 'सम्मानहीन सन्धि' बतलाया। इस लेखमे गाधीजीने लिखा .

"मै चेक जनतासे, और उसके द्वारा उन समस्त राष्ट्रोसे, जो 'छोटे' अथवा 'दुर्बल' कहे जाते हैं, कुछ कहना चाहता हूँ। इन छोटे राष्ट्रोको अधिनायकोको संरक्षामे जाना ही पडेगा या जानेके लिए तैयार रहना होगा अन्यथा वे यूरोपकी शातिके लिए एक खतरा बने रहेगे। भले ही सारा विश्व उनके साथ सद्भावना रखे, इंगलैण्ड और फ्रास उनको बचा न सकेंगे। यदि मै एक चेक होता तो अपने देशको इन दोनो राष्ट्रोके अहसानसे अवश्य ही मुक्त रखता। इसके बाद भी मै किसी राष्ट्र या सगठनकी अधीनता स्वीकार न करता। यह तो कोई शेखीकी बात होगी कि मै तलवारके बलपर अपनी आजादीकी रक्षा करता। मै ऐसा नही करता। मै उस सत्ताकी शक्तिको कभी स्वीकार ही न करता, जो मेरे देशको उसकी स्वाधीनतासे वञ्चित करना चाहती। मै उसकी इच्छा पूरी न करता और इस प्रयत्नमे नि शस्त्र रहते हुए अपनेको मिटा देता। इस प्रकार यद्यपि मै अपने शरीरको खो देता परन्तु आत्माको, अपने सम्मानको बचा लेता।"

"लेकिन हिटलरके मनमे दया नही है। आपके आत्मिक प्रयास उसके आगे निष्फल हो जायँगे।" उनकी शुश्रूषा करनेवाले एक सज्जनने कहा।

"मेरा उत्तर यह है कि आपकी बात ठीक हो सकती है। 'यदि मेरी तक-

लोगोंपर हिटलरका कोई प्रभाव नही होगा तो इससे क्या हुआ ? म कुछ खोऊँगा तो नही। मेरे पास मेरा सम्मान ही अकेली वस्तु ह जिसकी कि मुझको रक्षा करनी चाहिए और मेरा यह सम्मान हिटलरकी दयापर आश्रित नही ह। लेकिन म अहिंसाका सिपाही होनेके कारण उसकी सम्भावनाओंको सीमित नही करूँगा। अबतक हिटलर और उस सरीखे अन्य लोगोंका एक ही प्रकारका अनुभव ह और वह यह कि मनुष्य ताकतके आगे झुकता ह। शस्त्रविहीन पुरुष स्त्रियाँ और बालक अपने सामने बिना किसी प्रकारकी कटुता लाये हुए उनकी अहिंसाका सामना करें, यह उनके लिए एक बिल्कुल अनूठा अनुभव होगा। इसके अतिरिक्त हिटलर और उस सरीखे लोगोंके स्वभावके सम्बन्धम भी यह निश्चित होकर नही कहा जा सकता कि वह उच्च और उत्कृष्ट प्रवृत्तियोंके प्रति अनुकूल होगा ही नही। उनम भी तो आखिर वही आत्मा ह जो मुझमें ह ?

उनकी शुश्रूषा करनेवाले एक अन्य सज्जनने कहा परन्तु आप जो कुछ कह रहे ह वह आपके लिए तो ठीक ह परन्तु आप औरोंसे तो यह अपेक्षा नही कर सकते कि वे आपके इस अनूठे आह्वानका अनुकूल ही उत्तर देंगे। उनको तो लडना सिखलाया गया ह।

'आपकी बात ठीक हो सकती ह परन्तु मुझको तो एक आह्वानका उत्तर देना ह। जब मने दक्षिण अफ्रीकामें सत्याग्रह प्रारम्भ किया था तब मेरा कोई साथी न था। परन्तु एक राष्ट्रके सम्मानकी रक्षा हो गयी। इससे भी बडा उदाहरण खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँका ह। वे अपनेको ईश्वरका एक सेवक कहते ह और उनके पठान लोग बडी प्रसन्नताके साथ उनको 'फख्रे अफगान' (पठानोंका गौरव) कहा करते ह। इस समय भी जब म ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ, वे मेरे सामने बैठे हुए ह। उन्होंने अपने यहाँके लोगोंमें इतना परिवर्तन ला दिया ह कि उन्होंने अपने शस्त्रोंको त्याग दिया ह। खान साहबका खयाल ह कि उन्होंने अहिंसाके व्रतको ग्रहण कर लिया ह। अन्य लोगोंके विषयमें वे इतने निश्चित नही ह।

'म सीमाप्रान्तमे आया हूँ या यो कहिये कि खान साहब द्वारा यहाँ लाया गया हू ताकि म खुदाई खिदमतगारोंके कार्यको प्रत्यक्ष रूपसे देख सकू। मने अभी तक इनका कार्य नही देखा ह फिर भी म इतना कह सकता हू कि अहिंसाके बारे म इनकी जानकारी बहुत कम ह। अपने नेताके ऊपर दृढ विश्वास इनकी विश्वमे सबसे बडी निधि ह। शांतिके इन सैनिकोंको म एक पूर्ण तयार चित्रके रूपमें प्रस्तुत नही कर सकता। म इतना कह सकता हूँ कि यह एक सनिकका अपने

साथी सैनिकोको शातिके पथपर ले जानेका प्रयास है जिसके लिए उसने इन्हे वदला है। यह प्रयास अन्तमे सफल होगा या नही यह नही कहा जा सकता, फिर भी यह निश्चित है कि वह भविष्यके सत्याग्रहियोके लिए एक आदर्श रूप होगा। मेरा यहाँ आनेका उद्देश्य तभी पूर्ण होगा जव कि मै इन लोगोके हृदयोतक पहुँच जानेमें सफल होऊँगा। मै इनको यह वतलाना चाहता हूँ कि यदि अहिंसाको ग्रहण करके आप अपनेको उससे अधिक वीर अनुभव नही करते जितने कि आप सशस्त्र रहकर किया करते थे अथवा अहिंसाके लिए आप स्वत को योग्य व्यक्ति नही समझते तो आपको अपनी इस अहिंसाको छोड देना चाहिए क्योकि ऐसी अहिंसा कायरताका ही एक रूप है। आपकी निजकी इच्छा भले ही आपको रोके, इस कार्यके लिए और कोई नही रोकेगा। इससे वडी और कोई वीरता नही है कि मनुष्य किसी भौतिक वलके आगे, चाहे वह कितना ही महान् क्यो न हो, मनमे विना कटुता लाये इस विश्वासके साथ घुटने टेकनेसे इनकार कर दे कि केवल आत्मा ही जीवित रहती है, अन्य कुछ नही है।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डा० खान साहवने गाधीजीके स्वास्थ्यकी जो निरंतर संभाल की उसके कारण सीमाप्रान्तकी स्वास्थ्य-वर्धक जलवायुमे उनके स्वास्थ्यमें पर्याप्त सुधार हुआ। वे प्राय मौन रहे। विश्रामकी इस निश्चित अवधि मे उन्हे सभी प्रकारके कार्यक्रमोसे मुक्त कर दिया गया था; कही कोई सार्वजनिक समारोह नही, किसीसे भेट-मुलाकात नही, वातचीत नही, यहाँतक कि कागजकी वे पर्चियाँ भी नही जो उनके मौन कालमे चला करती थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उन्हे ९ अक्तूवरको पेशावरसे अपने घर उत्मंजई ले आये।

उत्मंजई स्वात नदीके किनारे वसा हुआ एक गाँव है। उसके चारो ओर चरागाह हैं। उसके रमणीक प्राकृतिक दृश्य देखते ही वनते है। जिधर भी दृष्टि डालिए मीलोतक मकई, विविध प्रकारकी फलियो और कपासके गहरे हरे रंगके खेत फैले हुए दिखलाई देते है। उनके वीच-वीचमे फलोके वाग है जिनमे कि वढिया किस्मकी नारंगी, आडू, वेर, अंगूर, खूवानी और नासपाती उत्पन्न होती है। यहाँकी भूमि उर्वर है और जलकी भी प्रचुरता है। गाँवके एक किनारे एक पनचक्की है, जैसे किसी सुन्दर चित्रमें आँकी गयी हो। उत्मंजईके प्राय. सभी मकान कच्ची मिट्टीके है, यहाँतक कि अभिजात वर्गके भी। इन घरोकी दीवारे धूपमे सुखायी हुई कच्ची ईंटोसे तैयार की गयी है। उनकी छतोकी पटाई लकडी की भारी शहतीरोसे की गयी है, जो कि इन मकानोको गर्मीमे ठंडा और शीत ऋतुमे गर्म रखा करती है। इन मकानोमेसे बहुतसे पुराने ढंगसे वने हुए है,

प्रतीत होता है कि यह घटना गाधीजीके निकट एक बडी विचारणीय समस्याका प्रतीक थी—उस समस्याका जो कि देशके सामने उपस्थित थी। "जिस प्रकार एक सत्याग्रहीके लिए यह आवश्यक है कि वह आत्मरक्षाके लिए शस्त्रोका प्रयोग त्याग दे, उसी प्रकार यदि भारतको अहिंसापूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है तो उसे स्वयंको इस योग्य बनना चाहिए कि वह पुलिस और फौजकी सहायताके बिना सीमाके उस पारके हमलोंसे अपनी रक्षा कर सके। यहाँ इस पश्चिमोत्तर प्रदेशमे एक लाखसे भी अधिक खुदाई खिदमतगार बतलाये जाते है, जिन्होने कि अहिंसाके मतकी शपथ ग्रहण की है। यदि उनकी अहिंसा कोई प्रयोजन-विशेष साधनेकी या केवल नामकी अहिंसा नही है बल्कि एक वीर पुरुषकी सच्ची अहिंसा है तो उन्हे अपनेको इस योग्य बनाना चाहिए कि वे अपनी प्रेमपूर्ण सेवाओं-से सीमाके उस पारके आक्रमणकारियोको अपना मित्र बना सके और उनकी हमला करनेकी इस आदतको छुडवा सकें। यदि वे ऐसा कर पाते है तो वे भारतकी स्वाधीनताको तो प्राप्त करेंगे ही, सारे विश्वके आगे एक आदर्श प्रस्तुत कर देंगे।"

अपनी बातचीतमे उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा, "मेरे मनमे यह दृढ विश्वास होता जा रहा है कि यदि हम पुलिस या सेनाकी सहायताके बिना, अपनी शक्तिका विकास करके सरहदके इन आक्रमणोको नही रोक पाते तो इस प्रांतमे कांग्रेसकी सत्ता बनाये रखनेका कोई अर्थ नही है। जो स्थिति चल रही है, उसमे हमारी शक्ति उत्तरोत्तर क्षीण होती जायगी और अतमे हमको निश्चित ही पराजित होना पड़ेगा। एक चतुर सेनापति पराजित होनेकी घडीतक किसी मोर्चेपर रुका नही रहता। वह किसी ऐसे स्थानपर लौट आता है जहाँपर, उसे विश्वास होता है कि वह डटा रहेगा।"

गाधीजीने आगे कहा, "कई सालोसे, तभीसे जबसे कि हम लोग एक दूसरेसे मिले है, मेरा एक प्रिय सपना रहा है। वह यह कि मै कबाइलियोके इलाकेमे जाऊँ, सीधा काबुलतक बढता जाऊँ और सीमाके उस पारकी जन-जातियोमे घुल-मिलकर उनके मनोविज्ञानको समझनेकी कोशिश करूँ। हम लोग वहाँ साथ-साथ ही क्यो न चलें? हम उनके सामने अपना दृष्टिकोण रखे और उन कबाइली लोगोके साथ मित्रता और सहानुभूतिका सम्बन्ध स्थापित करे। मुझको इस बातका पूर्ण निश्चय हो चुका है कि सरहदकी समस्याके समाधानका केवल एक ही मार्ग है और वह मार्ग पूर्ण शातिका है, उनको समझाकर सही रास्तेपर लानेका है। यदि हमारी खुदाई खिदमतगार संस्था वास्तवमे वैसी ही है, जैसा कि उसका

गाग ह ौर जसा उन्हें मालुम होना भी चाहिए तो मुझे निश्चय है कि इस काय को हम आज ही आरम्भ कर सकते हैं। इसीलिए मैं यह जाननेको उत्सुक हूँ कि खुदाई खिदमतगारोने अहिंसाको किस सीमातक समझा और ग्रहण किया ह ? वे लोग यहाँ खडे ह और भविष्यमें मेरे तथा आपके कार्यकी रूपरेखा क्या होगी ?

' दक्षिण अफ्रीकाम १३ ००० ग्रामीण सत्याग्रहियोंकी एक छोटी-सी पट्टीने वहाँकी यूनियन सरकारकी गर बहुत बडी शक्तिका मुकाबला किया और वे उसके विरोधमें दृढताके साथ जमे रहे। जनरल स्मट्स उन लोगोको वहाँसे हटा न सके, जिस तरह कि उन्होने ५० ००० चीनियोको बिना किसी मआवजाके सामान सहित वहाँसे निकाल दिया था। यदि हम अपने अहिंसाके मार्गसे भटक गये होते तो हमें कुचल देनेमें भी उनको कोई हिचक नही होती। फिर भला अहिंसात्मक ढगसे प्रशिक्षित एक लाख खुदाई खिदमतगारोकी सेना क्या नही कर सकती ? '

इसके पश्चात उन्होंने खुदाई खिदमतगारोके अधिकारियोको सम्बोधित करते हुए कहा

हम लोगोके लिए यह बडे सौभाग्यकी बात ह कि हमारे बीचम बादशाह खान जसे सच्चे ईमानदार और ईश्वरसे डरनेवाले पुरुष मौजूद ह। उनके कहनेसे हजारो पठानोने अपने शस्त्रोको त्याग दिया ह। इसे एक चमत्कार ही कहा जा सकता ह। भविष्यम क्या होगा यह कोई नही कह सकता। यह भी सम्भव ह कि सब खुदाई खिदमतगार अपने नामके अनुरूप ईश्वरके सच्चे सेवक सिद्ध न हो। यदि उतनी छूट भी रखी जाय तो भी जो कुछ हुआ ह, वह अपने आपमें एक विलक्षण काय ह। म आपसे यह अपेक्षा करता हूँ कि यदि कोई अपने अधीन करनेके लिए आपको अति यत्रणाएँ भी दे तो भी आप प्रसन्न मुखसे यह अग्नि परीक्षा दें। आप ईश्वरका नाम स्मरण करते हुए यह उच्चतम त्याग करे और उस त्यागके समय आपके मनम भय क्रोध अथवा प्रतिकारका चिह्नतक न हो। यह बहुत ऊँचे दर्जेकी वीरता होगी। तलवार लेकर युद्ध करना वीरता नही कही जा सकती। किसीको मारनेकी अपेक्षा स्वय मरनेमें कही अधिक वीरता ह। केवल वही सच्चा वीर ह मान वही सच्चे अर्थमें शहीद ह जो निभय होकर मृत्युका वरण करता ह और जो अपने शत्रुको तनिक सी भी चोट पहुँचानेकी बात अपने मनम नही लाता वह नही जो कि दूसरोको मारता और मरता ह।

'हमारा देश यदि अपनी इस अधोगतिमें भी ऐसी वीरताका प्रदर्शित करता ह तो यूरोपके सार अनुशासन विज्ञान और सगठनके बावजूद यह उसके लिए एक प्रकाश-पुञ्जके सदश होगा। मुट्ठीभर लोगोका अपनमे वडी शक्तिका सगस्त्र

मुकाबला करना यदि एक वीरतापूर्ण कार्य है तो शस्त्रहीन लोगोका बहुसख्यक सशस्त्र लोगोके विरोधमे खडा होना निश्चय ही अधिक वीरतापूर्ण कार्य है। यूरोप यदि केवल इतना ही समझ लेता है तो वह अपनेको बचा लेगा और विश्व-के सामने एक ज्वलत आदर्श प्रस्तुत करेगा।''

गाधीजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा कि वे अधिकसे अधिक खुदाई खिदमतगारोसे मुक्त रूपसे बातचीत करना चाहते है ताकि गाधीजी उनको पूरी तरह समझ सके और वे लोग गाधीजीको। तदनुसार गाधीजीने उत्मजईमे चार-सद्दा तहसीलके खुदाई खिदमतगारोके चार अधिकारियोके साथ लगातार दो दिन-तक बातचीत की। उन्होने पेशावरमे खुदाई खिदमतगारोके दूसरे दलके साथ चर्चा की। गाधीजीके प्रश्नोका उत्तर देते हुए दोनो स्थानोपर अधिकारियोने उनको यह विश्वास दिलाया कि उनकी अहिसापर पूर्ण निष्ठा है। उन्होने यह घोपणा-तक की कि यदि असम्भव बाते सम्भव हो जायँ, खान अब्दुल गफ्फार खाँतक अहिंसाके पथको त्याग दे तो भी वे गाधीजी द्वारा सिद्ध किये गये अहिंसाके सिद्धान्तको नही छोडेगे।

गाधीजीने उनसे कहा कि यद्यपि उन लोगोका यह कथन सुननेमे अति साहसपूर्ण जान पडता है और उन्होने जो कुछ कहा वह कभी सम्भव नही होगा तो भी वे उनके इस कथनको एक वचनके रूपमे स्वीकार कर रहे है।

गाधीजीने उनको अहिसाके आशय और उसके गुण-धर्मके सम्बन्धमे अपनी संकल्पना विस्तारसे बतलायी। उन्होने कहा ''जिस समय विरोधी शक्तिशाली और पूर्ण रूपसे शस्त्रसज्जित है, उस समय अहिसाके निष्क्रिय रूपका पालन अपेक्षाकृत सरल है परन्तु जिस समय आप आपसमे व्यवहार करेंगे अथवा अपने देशवासियोके साथ व्यवहार करेगे और आपका दमनकारी अथवा प्रतिरोधकारी कोई बाह्य बल नही होगा, उस समय भी क्या आप अहिंसाका पालन करेगे? दूसरे शब्दोमे आपकी अहिसा एक शक्तिशालीकी होगी अथवा एक दुर्बलकी? यदि आपकी अहिंसा एक शक्तिमान्‌की अहिंसा है तो शस्त्र-त्यागके बाद आप अपनेको अपेक्षाकृत अधिक सशक्त अनुभव करेगे। यदि ऐसा नही है तो आपके लिए यही उचित है कि आप उन शस्त्रोको पुन. धारण कर ले जिनको कि आपने स्वेच्छासे त्याग दिया था। एक शस्त्रहीन कायर होनेकी अपेक्षा यह कही अच्छा है कि आप एक शस्त्रधारी वीर योद्धा बने।''

उन्होने कहा, ''मेरे और बादशाह खानके विरुद्ध बहुधा यह आरोप लगाया जाता है कि हम लोगो सीमान्तके वीर और युद्धप्रिय लोगको अहिंसाका सन्देश

देकर भारत और इस्लामकी एक अपकार कर रहे है। इन लोगोंका कहना है कि मै आपकी शक्तिको समूल नष्ट करनेके लिए यहाँ आया हूँ। सीमाप्रान्त भारत मे इस्लामके किलेका एक बुर्ज है, पठान लोग तलवार और राइफलके पुराने धनी है। मै उनसे शस्त्रोंका त्याग कराकर उनको पुंसत्वहीन बनानेकी चेष्टा कर रहा हूँ और इस प्रकार इस्लामकी शक्ति और सुरक्षाके किलेको नष्ट कर रहा हूँ। मै इन आरोपोंका पूरी तरहसे प्रतिवाद करता हूँ। मेरा विश्वास यह है कि अहिंसा के सिद्धान्तको सम्पूर्ण रूपसे स्वीकार करके आप वास्तवमें भारत और इस्लामकी अधिक सेवा कर सकते है, जो कि अभी मुझको खतरेमें पड़े हुए मालूम होते है। यदि आपने अहिंसाको वस्तुतः समझ लिया है तो शस्त्रोंके परित्यागके फलस्वरूप आपको स्वयको अधिक शक्तिशाली अनुभव करना चाहिए। उस स्थितिमें आपकी शक्ति एक आत्मिक शक्ति होगी जिसके द्वारा आप न केवल इस्लामकी बल्कि ससारके सारे धर्मोंकी रक्षा कर सकेगे। फिर भी यदि आप इस शक्तिके रहस्य को नही समझ सकते और शस्त्रोंके परित्यागके कारण अपनेको शक्तिशाली अनुभव करनेकी अपेक्षा पहलेसे दुर्बल अनुभव करते है तो आपके लिए यही अच्छा है कि आप अपनी अहिंसाकी प्रतिज्ञाको छोड दे। मै यह कभी सहन नही कर सकता कि मेरे प्रभावके कारण एक भी पठान कायर अथवा दुर्बल मनोवृत्तिका व्यक्ति बने। इसकी अपेक्षा मै यह कही अच्छा समझता हूँ कि आप आवेशमें भरकर अपने शस्त्रोंके पास लौट जायँ।

'आज सिख कहते है कि यदि वे कृपाण छोड देते है तो उनका सब कुछ छूट जाता है। जान पडता है कि उन्होने कृपाणको अपना धर्म बना लिया है। उनका विचार है कि उसका परित्याग करनेके पश्चात उनमें एक दुर्बलता और कायरता आ जायगी। मैने उनसे कहा कि यह आपका व्यर्थका भय है और यही बात मै आपसे भी कहता हूँ। मै कुरानको उसी मनोयोग और श्रद्धाके साथ पढता हूँ जिससे कि मै गीता पढता हूँ। कुरानके अलावा मैने इस्लामके अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थोंको भी पढा है। मेरा यह दावा है कि मै अपने मनमें इस्लाम तथा अन्य धर्मोंको वैसा ही आदर देता हूँ जैसा कि मै अपने धर्मको देता हूँ। मै साहसपूर्वक अपने इस दृढ मतको व्यक्त कर रहा हूँ कि यद्यपि तलवारको इस्लामके इतिहास *में जोड दिया गया और वह भी धर्मके नामपर*—तथापि इस्लामकी स्थापना तलवारके द्वारा नही हुई और न तलवारके नामपर उसका प्रसार ही हुआ। इसी प्रकार ईसाई धर्ममें भी तलवारका खुलकर प्रयोग किया गया परन्तु ईसाई धर्म उसके द्वारा नही फला। यूरोपमें लाखो लोग धर्म दीक्षा बप्तिस्मा लेते है लेकिन

आज वे अपने ही धर्मके भाइयोंका रक्त बहाकर और उनकी हत्या करके उत्सव मना रहे हैं। यह ईसामसीहके उपदेशोके सर्वथा विपरीत है और यह ईसाई धर्मको अस्वीकार करना है। यदि आप मेरी इन बातोको ग्रहण कर लेगे तो आपका प्रभाव आपकी इन सीमाओके उस पार दूर-दूरतक फैल जायगा और आप यूरोपको एक मार्ग दिखलायेगे।

"आज १७,००० अंग्रेज सैनिक हम लोगोके ऊपर राज्य करनेकी सामर्थ्य रखते है क्योकि उनके पीछे ब्रिटिश साम्राज्यका एक बल है। यदि खुदाई खिदमतगार यह अनुभव करते है कि शस्त्र-त्यागके फलस्वरूप उनके अंत करणमे आत्मिक बलका एक ज्वार आ गया है तो मेरा कहना है कि भारतको अपनी स्वाधीनता पानेके लिए १७,००० मनुष्योकी भी आवश्यकता नही होगी क्योकि तब उनके पीछे एक ईश्वरीय शक्ति होगी। परन्तु इसके विपरीत यदि एक लाख मनुष्य बाहरी रूपमे तो अहिसाको स्वीकार कर लेते है परन्तु उनके हृदयमे हिंसा छिपी रहती है तो उनकी यह संख्या शून्यके समान है। आपको तलवारका त्याग कर देना चाहिए क्योकि आपने यह अनुभव कर लिया है कि वह आपकी शक्ति की नही अपितु आपकी दुर्बलताकी प्रतीक है, वह आपको सच्ची वीरता देसकने मे असमर्थ है। यदि आप अपनी तलवार फेक देते है परन्तु आपके हृदयमे तलवार बनी रहती है तो आप गलत रास्तेपर चले जायँगे और आपका शस्त्र-त्याग आपकी किसी योग्यताको नही बढायेगा बल्कि वह खतरनाक ही सिद्ध हो सकता है।'

'किसीके हृदयसे हिसाके उन्मूलनका क्या अभिप्राय है?' गाधीजीने पूछा और स्वय ही उसे समझाते हुए कहा कि 'वह केवल किसी व्यक्तिकी अपने क्रोधके ऊपर नियंत्रण करनेकी योग्यता नही है बल्कि हृदयसे क्रोधका मूलोच्छेद है। यदि एक डाकू मेरे हृदयमे क्रोध या भयकी भावनाको प्रेरित करता है तो इसका अभिप्राय यह है कि मै अपनेको अभीतक हिंसासे मुक्त नही कर पाया हूँ। अहिंसाके अनुभवका तात्पर्य यह है कि आपको अपने भीतर उसकी शक्ति अनुभव होने लगे; दूसरे शब्दोमे वह आत्म-बल है, ईश्वरको जानना है। जिस व्यक्तिने ईश्वरको जान लिया है, उसके भीतर क्रोध या भयकी भावना प्रवेश नही कर सकती और न टिक ही सकती है, भले ही भय या क्रोधका निमित्त कितना ही बलशाली क्यो न हो?'

उन्होने कहा कि किसी भी खुदाई खिदमतगारको सबसे पहले एक ईश्वरका पुरुष; मानवताका एक सेवक बनना पडेगा। उसके लिए उसको मन, वचन और

कर्मसे पवित्र होना पड़ेगा और एक ईमानदार उद्योगमें सतत रूपसे लगा रहना होगा क्योंकि मनकी पवित्रता और आलस्यका आपसमें कोई मेल नही ह। अत उनको किसी ऐसे हस्त शिल्पको सीख लेना चाहिए जिसका कि वे अपने घरपर अभ्यास कर सकें। इसके लिए रुई ओटना, सूत कातना और बुनना सबसे अच्छा ह क्योंकि लाखा आदमियोको केवल यही काम दिया जा सकता ह और वे उसको अपने घरपर भी कर सकते हैं। जिस व्यक्तिने तलवारका परित्याग कर दिया हैं उसको क्षणभरके लिए भी बेकार नही बैठना चाहिए। जसी कि एक प्रसिद्ध कहावत हैं, 'बेकारका दिमाग, शतानका कारखाना होता ह।' आलस्य आत्मा और बुद्धिका धीरे धीरे क्षय कर देता ह। जिस व्यक्तिने हिंसाको त्याग दिया ह उसे हर सासके साथ प्रभुका नाम स्मरण करना चाहिए और अपने कायमें चौबीसों घंटे लगा रहना चाहिए।

"इसके अतिरिक्त प्रत्येक खुदाई खिदमतगारके पास अपनी आजीविकाका एक स्वतत्र साधन अवश्य होना चाहिए। आप लोगोमसे बहुतोके पास भूमि ह। आपकी भूमि आपसे छीना जा सकती ह लेकिन आपकी दस्तकारी या आपकी हाथकी कुशलता नही। यह सत्य ह कि ईश्वर अपने सेवकोको उनका नियत भोजन देता ह परन्तु तभी जब कि वह मनुष्य उस भोजनके लिए श्रम करता ह। प्रकृति का यह नियम ह कि यदि आप काम नही करेंगे तो आपको भोजना नही मिलेगा और यही नियम आपका भी होना चाहिए। आपने लाल कमीजको अपनी वर्दी बनाया ह। मुझको यह आशा थी कि आपने खादीको भी अपनाया होगा जो कि स्वाधीनताकी वर्दी ह। परन्तु मैंने आपमेंसे बहुत कम लोगोको खादी पहने हुए देखा। शायद इसका कारण यह ह कि आप लोगोको अपनी वर्दी खुद ही बन वानी पड़ती ह और खादी महँगी मिलती ह। यदि आप लोग अपने हाथसे सूत काता करते तो ऐसा नही होता।

गाधीजीने उन लोगोंसे कहा कि उनको आगे हिन्दुस्तानी भी सीखनी चाहिए। इससे उनका मस्तिष्क विकसित होगा और उनका ज्ञान बढ़ेगा। उस सीमावर व बाहरी दुनियाके सम्पर्कम आ सकेंगे। यदि वे लोग चाहें तो स्वास्थ्य विज्ञान और प्राथमिक उपचारके सामान्य तत्त्वोंकी भी जानकारी प्राप्त कर सकते ह और सबसे अतमें—यद्यपि यह छोटी बात नही है कि वे लोग सब धर्मोंके प्रति समान आदर और श्रद्धा रखनेकी वृत्तिको विकसित करें। उन्होंने अन्तमें कहा, लाल कमीज पहन लेनेसे कोई खुदाई खिदमतगार नहीं हो जाता और न अपने पन्थके अनुसार पवित्रद्ध दाढ़ होनेसे। खुदाई खिदमतगार बननेके लिए यह आवश्यक है कि आप

अपने अंत.करणमे एक ईश्वरीय शक्तिका अनुभव करे जो कि शस्त्र-वलके सर्वथा विपरीत है। वास्तवमे आप लोग अभी अहिंसाके द्वारतक आये है, फिर भी आपने इतना अधिक पा लिया है। उस समय आपकी कितनी वडी उपलब्धि होगी जव कि आप उसके पवित्र भवनके भीतर प्रवेश करेगे ? परन्तु जैसा कि मै आपको पहले वतला चुका हूँ, इन सवके लिए एक पूर्व-तैयारी और प्रशिक्षणकी आवश्यकता है और हममे इन दोनोकी कमी है।"

एक दिन खान अब्दुल गफ्फार खाँ और गाधीजीमे निम्नाकित वार्तालाप हुआ

खान अब्दुल गफ्फार खाँ "यहाँ गाँवोमे कुछ ऐसे पठान है जो खुदाई खिदमतगारोको असह्य कष्ट पहुँचाते रहते है। वे उनको मारते है, उनकी जमीनें छीन लेते है और इसी तरहके और भी काम करते रहते है। हम उनके विरुद्ध क्या करे ?"

गाधीजी "हमे उनके अहंकारका धैर्य और सहनशीलताके साथ सामना करना चाहिए। हमे उनकी क्रूरताका उसी ढंगसे सामना करना चाहिए जिस ढंगसे कि हम अग्रेजोका सामना किया करते है। हमको हिंसाका उत्तर हिंसासे और तिरस्कारका वदला तिरस्कारसे नही देना चाहिए और न अपने मनमे क्रोधको आश्रय देना चाहिए। यदि हम ऐसा करेगे तो निश्चय ही उनके हृदय पिघल जायँगे। इस उपायके असफल हो जानेपर हम उनके साथ असहयोग करेगे। अगर वे खुदाई खिदमतगारोकी जमीने छीनेगे तो हमारे लोग उनके यहाँ कोई काम नही करेगे; भले ही हमारे आदमियोको भूखसे मर जाना पडे। हम उनके क्रोधका साहसके साथ सामना करेगे लेकिन उनके अधीन होना स्वीकार नही करेगे। हम अपने अत.करणके विरुद्ध कार्य नही करेगे।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ "क्या हमे इस वातकी अनुमति है कि हम उनके विरुद्ध पुलिससे शिकायत लिखाये और उनको दण्ड दिलाये ?"

गाधीजी "एक सच्चा खुदाई खिदमतगार कभी कानूनकी अदालतमे नही जायगा। अदालतकी लडाई शारीरिक लडाई जैसी ही है। अन्तर यह है कि वहाँ दूसरा व्यक्ति आपके लिए वल-प्रयोग करता है। झगडा शुरू करनेवालेको पुलिससे दण्ड दिलवाना प्रतिकारका ही एक स्वरूप है जिसे एक खुदाई खिदमतगारको कभी स्वीकार नही करना चाहिए। उदाहरणके लिए मै आपको अपना एक व्यक्तिगत प्रसंग वतलाऊँ। सेवाग्राममे कुछ हरिजन मेरे पास आकर वोले कि मै मध्यप्रान्तके मन्त्रिमंडलमे एक हरिजन मन्त्री शामिल करा दूँ अन्यथा वे अनशनके

जरिये गरमागरम करेंगे। म आशा था कि यह सब एक उत्साही व्यक्तिका काम है। पुलिस सुपरिटेण्डेण्टको यह डर था कि उत्साही लोग कुछ नागवार कर सकते हैं इसलिए वह वहाँ कुछ पुलिसके सिपाही नियुक्त कर देना चाहता था परन्तु मैंने उसे मना कर दिया। म। हरिजनोंसे कहा कि आपको भूख सहनेकी जरूरत नहीं है। आपमें जो भी कमरा आपको पसन्द आवे उसे आप ले सकते हैं। उन्होंने मेरे पासका कमरा पसन्द किया। म। उनको वही कमरा घेर लेने दिया। हम सामान उनकी सारी जरूरतोंका ध्यान रखा और उनमेंसे एक व्यक्ति जब बीमार पड़ गया तब हमने उसकी परिचर्या की। इसका फल यह निकला कि वे लोग हमारे मित्र बन गये।

१५ अक्तूबरको विश्रामका समय समाप्त हो गया और गांधीजी मरदान और नौशेराके भीतरी इलाकोंका दौरा करने चल दिये। यह दौरा अधिक दूरीका न था और इस आयोजनमें इस बातका ध्यान रखा गया था कि गांधीजीपर इस बारकी श्रम न प । यह भ्रमण प्रार्थनाओं बस स किया गया। इस समयको नेहरूजीने खुदाई खिदमतगारोंकी विशाल मांगपर उनके प्रचार कार्यके लिए दान दिया था। गांधीजी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ इसी मोटरगाड़ीमें अलकनराकी सड़कपर बड़ी तेजीसे यात्रा कर रहे थे इसलिए सड़कके इधर उधरके गाँवोंके सारे निवासी अपने घरोंके द्वार बन्द करके इन लोगोंको एक झलक देखनेके लिए मार्गके किनारे आकर खड़े हो जाते थे। वे अपने अनुशासनके अनुसार शान्त खड़े रहते थे। अत्यंत उदारता व्यवहारकी गरिमा और निस्पृह भावसे अलग रहनेकी प्रवृत्ति पठानोंकी अपनी विशेषताएँ ह जो कि उनको प्रिय ह। उनमें एक दुर्बलता भी ह वह ह अतिथि-सत्कारमें उनका अति उत्साह। गांधीजी इस आतिथ्यसे घबड़ा गये होते परन्तु खान अब्दुल गफ्फार खाँको धन्यवाद ह कि उन्होंने पहलेसे सावधानी बरती और समयपर अपील निकाल दी जिसके कारण इस आतिथ्यपर एक अंकुश बना रहा। केवल एक ही घटना इसका अपवाद कही जा सकती ह। एक दिन जब गांधीजीको आकस्मिक रूपसे बाहर जाना पड़ा तब मुनत खान किसी गाँवके निवासियोंने उनको फल गन्ने और सब्जियाँ भेंट कीं। वह उनकी आतिथ्य भावनाका एक संकेत मात्र था। उसे स्वीकार करनेके लिए गांधीजीको मोटरसे नीचे उतरना पड़ा। उन लोगोंने गांधीजीसे कहा

'हमारी बड़ी इच्छा ह कि आप हम लोगोंके बीचमें रहें और इस प्रान्तको अपना घर बना लें। गाँवके प्रधान खानने कहा 'आपने हमारे बादशाहको देशके अपनी ओरके प्रान्तोंमें छ वर्षतक बन्दी बनाकर रखा। हम आपको छ

मासतक तो अपने प्रेमका वन्दी वनाकर रख ही सकते है।" छोटे वच्चोने आगे वढकर 'त्रेमश' (आशा है कि आप थके नही होगे) कहते हुए गाधीजीसे हाथ मिलाया।

१५ अक्तूवरको गाधीजीने नौशहरामे खुदाई खिदमतगारोके अधिकारियोकी एक बैठक वुलायी। उन्होने गाधीजीसे कहा

"आपने हमको अहिसाका ऐसा शस्त्र प्रदान किया है जो इस्पात और पीतल के हथियारोसे कही अधिक वढिया है। उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते है।" उन्होने गाधीजीको यह विश्वास दिलाया कि उनकी अहिसापर पूरी निष्ठा है, जैसा कि उन्होने सविनय अवज्ञाके आन्दोलनमे अपने व्यवहार द्वारा सिद्ध कर दिया है। उन्होने गाधीजीको आश्वासन दिया कि उनका यह विश्वास कभी विचलित नही होगा। इसके उत्तरमे गाधीजीने कहा

"आपने मुझको यह विश्वास दिलाया है कि आपने अहिसाके सिद्धातको पूरी तरहसे समझ लिया है और आप उसके ऊपर सदैव दृढ रहेगे। मै आपके कहनेपर विश्वास करता हूँ और इसके लिए आपको वधाई देता हूँ। मै आपसे इसके आगे भी कुछ कहना चाहता हूँ। यदि आप इस सम्पूर्ण सिद्धान्तको कार्यरूपमे वदल सकते है तो आप एक इतिहासका निर्माण करेगे। आपका दावा है कि सदस्य-सूचीके अनुसार खुदाई खिदमतगारोकी सख्या एक लाखसे अधिक है। आज देश-भरमे काग्रेसके जितने भी स्वयसेवक है उनकी सम्मिलित संख्यासे भी यह संख्या अधिक है। आपने नि स्वार्थ भावसे सेवा करनेकी शपथ ली है। आपको कोई भत्ता नही मिलता और आपको अपनी वर्दी भी स्वय ही वनवानी पडती है। आपकी सस्था एक ही समुदायके अनुशासित लोगोका एक संगठन है। खान साहवके शव्द आपके लिए कानून है। आपने यह सिद्ध कर दिया है कि आपमे विना प्रति-कारके आघात सहनेकी सामर्थ्य है परन्तु यह आपकी परीक्षाकी पहली सीढी है, आखिरी नही। भारतकी स्वाधीनताके हेतु कष्ट-सहनकी क्षमता और अनवरत रूपसे कार्य करनेकी सामर्थ्यको साथ-साथ मिलकर काम करना होगा। स्वाधी-नताके एक सिपाहीके लिए जन-कल्याणके कार्य करना आवश्यक है।

"आपकी तथा एक साधारण फौजी सिपाहीकी समानता वर्दीके काटसे शुरू होती है और वही खत्म भी हो जाती है, या शायद उन पदोतक जो आपने ग्रहण किये है। सेनाकी भाँति आपके यहाँ भी कर्नल और जी० ओ० सी० (जनरल ऑफिसर कमाण्डिग) है परन्तु उनके विपरीत आपके सारे क्रिया-कलाप हिसापर नही वल्कि अहिसापर आधारित है इसलिए आपका प्रशिक्षण, आपकी पूर्व-वार-

णाएँ, आपकी कार्य-पद्धति, यहाँतक कि आपके विचार तथा प्रेरणाएँ भी उनसे भिन्न होनी चाहिए। शस्त्र ग्रहण करनेवाले सैनिकको मारनेका प्रशिक्षण दिया जाता है। यदि वह स्वप्न भी देखता है तो संहारके। वह अपने शस्त्रोंको लेकर युद्ध करने, सैनिक सम्मान प्राप्त करने और युद्धक्षेत्रमें आगे बढ़नेके सपने देखता है। उसके लिए संहार एक कला बन गया है। जिस समय वह युद्ध नहीं कर रहा होता उस समय वह खाने-पीने, क्समें खाने या अपनी इच्छाके अनुकूल आमोद प्रमोदमें समय व्यतीत करता है। परन्तु इसके विपरीत एक सत्याग्रही, एक खुदाई खिदमतगार सदैव किसी मौन सेवाके अवसरकी प्रतीक्षा करेगा और अपना सारा समय प्रेमके साथ श्रम करनेमें लगायेगा। उसके सपने संहारके नहीं होंगे बल्कि दूसरोंकी सेवा करते हुए अपने प्राण अर्पित करनेके होंगे। वह निष्कपट भावसे अपने साथके लोगोंके हितके लिए मृत्युतकको अङ्गीकार करेगा और यह स्वार्पण ही उसके लिए एक कला बन जायगा।

"लेकिन किस प्रकारका प्रशिक्षण आपको इस कार्यके योग्य बनायगा?" उन्होंने प्रश्न किया और स्वयं ही इसका उत्तर भी दिया। उन्होंने कहा कि खुदाई खिदमतगारोंके लिए रचनात्मक कार्यकी विविध शाखाओंका प्रशिक्षण ही सबसे अधिक उपयुक्त कार्य होगा। रचनात्मक अहिंसाके विज्ञानमें प्रशिक्षित एक लाख खुदाई खिदमतगारोंको लेकर सीमा प्रान्तके आक्रमण एक बीते हुए युगकी वस्तु बन जायगे। यदि आपके बीचमें चोरी या डकैतीकी एक भी घटना हो जाती है तो इसे आपको अपने लिए एक अत्यन्त लज्जाकी बात समझनी चाहिए। चोर और सीमाके उस पारके हमलावर भी मनुष्य ही हैं। वे इसलिए अपराध नहीं करते कि अपराध करना उनको प्रिय है बल्कि उनके जीवनकी आवश्यकताओं और अभावोंने ही उनको इस ओर ढकेल दिया है। इससे अच्छा और वे कुछ जानते ही नहीं। अबतक उनके साथ एक ही प्रकारका यानी बलका व्यवहार किया गया है। किसीने उनको शत्रु समझकर शरण नहीं दी और उन्होंने भी किसीको नहीं दी। उनके विरुद्ध डा० खान साहब निरुपाय हैं क्योंकि शासनके पास भी उन लोगोंके लिए केवल यही व्यवहार शेष है। परन्तु अहिंसाके रास्तेसे समस्याको सुलझाया जा सकता है। मेरा विश्वास है कि जहाँ सरकार असफल हुई है वहाँ आप सफल होंगे। आप उनको कुदार उधारमें लेकर अपना मीति इमानदारीके साथ जाना सिखला सकते हैं। आप उनके बीचमें जा सकते हैं और उनके घर जाकर उनकी सेवा कार्य कर सकते हैं। आप प्रेम तथा सहानुभूतिके साथ उनको सारी बातें समझा सकते हैं। जिस समय आप अपने इस प्रमाण

ढङ्गसे उनके सामने रखेंगे तो उन तर्कोंके प्रति उनका व्यवहार अमैत्रीपूर्ण नही होगा। इस समय आपके सामने दो मार्ग खुले हुए है—एक पशुवलका रास्ता जिसका प्रयोग किया जा चुका है और जिस तरीकेमे कमियाँ पायी गयी है और दूसरा शातिका मार्ग। मै समझ रहा हूँ कि आपने अपना मार्ग चुन लिया है। मेरी इच्छा है कि आप उसके लिए अपनेको योग्य सिद्ध करे।"

गांधीजी नौशहरामे कुछ घंटे रुके। वहाँसे वे शामको होती मरदान पहुँचे जो कि मरदान जिलेका प्रधान केन्द्र है। नौशहराकी भाँति होती मरदान भी एक छावनीका शहर है। स्वात, बुनेर, बाजोड और दीरके आस-पासके क्षेत्रोमे निवास करनेवाली जन-जातियोके यातायातका केन्द्र होनेके अतिरिक्त उसका एक सामयिक महत्त्व भी है।

गाधीजीके एक सामान्य प्रश्नके उत्तरमे एक खुदाई खिदमतगारने कहा कि हम लोग सब प्रकारकी उत्तेजना सह लेते है परन्तु यह नही सह पाते कि कोई उनके पूजनीय नेताओका अपमान करे। गाधीजीने कहा कि अहिसा कोई ऐसी चीज नही है जिसको टुकडोमे स्वीकार अथवा अस्वीकार किया जा सके। उसका केवल तभी मूल्य है जव कि उसका अपने सम्पूर्ण रूपमे अभ्यास किया जाय। उन्होने कहा, "जब सूर्य उगता है तब सम्पूर्ण विश्वमे उसकी इतनी उष्णता भर जाती है कि एक अन्धा आदमी भी सूर्यकी उपस्थितिको अनुभव करने लगता है। इसी प्रकार जब एक लाख खुदाई खिदमतगार अहिसाकी भावनाको पूर्ण रूपसे ग्रहण कर लेगे तब वह स्वय ही अपनेको घोषित करेगी और प्रत्येक मनुष्य उसकी जीवनदायी सासका अनुभव करेगा।"

गाधीजीने उन लोगोसे दक्षिण अफ्रीकामे अपने और पठानोके निकट सम्बन्धोकी चर्चा की और टिप्पणी की, "मै जानता हूँ, यह कठिन है। किसी भी पठानके लिए अपने सम्मानको नत करना हँसी-खेल नही है।" उन्होने कहा कि "उनके पास अपनी एक परख है, जिसके सहारे वे लक्षण देखकर यह समझ लेगे कि क्या वास्तवमे खुदाई खिदमतगारोने अहिसाकी भावनाको ग्रहण कर लिया है? क्या उन लोगोने अपनी प्रेमपूर्ण नि.स्वार्थ सेवाओमे सबके, जिनमे सबसे नीचेके और सबसे नि.सहाय लोग भी शामिल है, हृदयोको जीत लिया है और क्या वे भयसे नही बल्कि प्रेमसे सब लोगोका सहयोग प्राप्त कर सकते है और उनसे अपनी बातें मनवा सकते है? मै पठानोको तभीसे जानता हूँ जब कि मै दक्षिण अफ्रीकामे था। मुझको उनके निकट सम्पर्कमे आनेका अवसर भी मिला है। कुछ पठान मेरे मुवक्किल थे। वे मुझको अपना 'मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक' समझते थे,

जिसके ऊपर व मुक्त रूपसे भरोसा करते थे। वे प्राय मेरे पास आया करते थे और मेरे सामने अपने गुप्त अपराधोंको स्वीकार करते थे। वे कुछ करने, हर समय तैयार रहनेवाले थे। लाठी चलानेकी कलामें म बड कुशल थ। वे बडी सरलता से उत्तेजित हो जाते थे और दगोंमें आग बढकर भाग लेते थे। किसी मनुष्यके प्राण ले लेना उनके लिए साधारण बात थी। उसपर वे सोचते भी नही थे जसे कि कोई भेड या मुर्गी मार डाली। मुझको यह सुननेमें एक परी-कथा सी लगती है कि इस प्रकारके लोगोंने एक व्यक्तिके आदेशपर अपने शस्त्रोंका त्याग दिया है और उनसे उत्कृष्ट अहिंसाके शस्त्रको ग्रहण कर लिया है। एक लाख खुदाई खिदमतगार मन और वचनसे सच्चे अहिंसाव्रती बन जाय और अपने हिंसापूर्ण अतीत को वैसे ही फेंक दें जसे कि एक साप अपनी केंचुली उतार फेंकता है तो यह एक चमत्कारसे कम नही है। इसीलिए म आपके इस आश्वासनपर कि आपका अहिंसामें विश्वास है सचेत रहनेको विवश हूँ। इस कारणसे ही मुझे अपने कथन के प्रारम्भमें 'यदि' जोडना पडता है। मेरा यह सशय केवल कार्यकी कठिनताके कारण है परन्तु वीर पुरुषके लिए कोई भी कठिनाई बहुत वडी नही होती और म जानता हूँ कि पठान लोग वीर है।'

इसके पश्चात वे उन लक्षणोंकी व्याख्या करने लगे जिनके सहारे उनको खुदाई खिदमतगारोंकी अहिंसाको परखना था

क्या आपने अपने क्षेत्रके सब लोगोंको अपना मित्र बना लिया है और प्रत्येक व्यक्तिके मनमें अपने प्रति विश्वास उत्पन्न कर लिया है? वे लोग आपका प्रेमसे आदर करते है या भयसे? जबतक एक भी व्यक्ति आपसे डरता है तबतक आप एक सच्चे खुदाई खिदमतगार नही है। एक खुदाई खिदमतगार अपनी वाणी और व्यवहारमें सज्जन होगा। उसके नेत्रोंमें पवित्रताकी एक एसी ज्योति चमकने लगेगी कि उसे देखकर एक अजनबी एव स्त्री और एक बच्चातक अपने अन्तर की प्रेरणासे यह समझ लेगा कि यह व्यक्ति एक मित्र है एक ईश्वरका पुरुष है जिसके ऊपर बिना मनमें शका लाये हुए विश्वास किया जा सकता है। एक खुदाई खिदमतगार समुदायके समस्त वर्गोंका सहयोग प्राप्त करेगा अपने प्रेमके बलपर लोगोको आज्ञाएँ देगा और उसके इन आदेशोंका लोग अपनी इच्छा और अन्तर्प्रेरणासे पालन करेंगे बस नही जसे कि क्रूरताकी असीम शक्तिसे हिटलर या मुसोलिनीकी आज्ञा मनवायी जा सकते है। जब म समझ लूंगा कि आपके प्रभाव के कारण लोग धीरे धीरे अपनी अस्वच्छताकी आदतोंको छोडते जा रहे हैं शराबी मद्यका त्याग कर रहे है और अपराधी अपराधोंका तथा जनता खुदाई

खिदमतगारोको अपना सहज रक्षक और विपत्तिका मित्र समझकर सब जगह स्वागत करने लगी है तब मै यह जान लूँगा कि कमसे कम हम लोगोके बीचमे ऐसे मनुष्योकी एक सस्था तो है जिन्होने वास्तवमे अहिंसाकी भावनाको ग्रहण कर लिया है। उस समय मै समझूँगा कि भारतकी मुक्तिमे अब अधिक विलम्ब नही है।"

सवाबी तहसील खुदाई खिदमतगार आन्दोलनके प्रधान केन्द्रोमे एक थी गांधीजीने वहाँ जो भाषण किया उसमे उन्होने जेल जानेके लिए न्यायालयमे हाजिर होनेवालोको चेतावनी देते हुए कहा कि जो खुदाई खिदमतगार अपने हृदयमे क्रोधकी भावना लाये बिना जेलके अपमान और उपेक्षाओको न सह सके उनके लिए यह बहुत अच्छा होगा कि वे खुदाई खिदमतगारोकी वर्दीको त्याग दे। आप लोगोने सैकडो और हजारोकी सख्यामे जेलकी ओर कूच करके अपने उत्साहको सिद्ध कर दिया है। लेकिन इतना ही काफी नही है। केवल जेलोंको भर देनेसे भारतकी आजादी नही आ जायगी। "चोर और अपराधी भी जेल जाते है परन्तु उनका जेल जाना उनकी कोई योग्यता नही है। वे पवित्र और निर्दोष व्यक्तियोकी यातनाएँ ही है जिनमे कुछ अभिप्राय निहित होता है। यह अभिप्राय तब पूर्ण होता है जब अधिकारी यह समझने लगे कि केवल जेल ही वह स्थान है जहाँ कि वे सबसे पवित्र और सबसे निर्दोष नागरिकोको रख सकते है और उनको ऐसा लगे कि कोई उनका हृदय-परिवर्तन करता जा रहा है। एक सत्याग्रही इसलिए जेलमे नही जाता कि वह अधिकारियोको परेशान करेगा बल्कि इसलिए जाता है कि वह अपने निर्दोष आचरणके अनुभवोसे उन लोगोको बदल देगा। आप सब लोगोको यह सिद्ध कर देना चाहिए कि जबतक जेल जानेके लिए आप अपनी नीतिक योग्यताका विकास नही कर लेते, जो कि सत्याग्रहका एक आवश्यक नियम है, तबतक आपका जेल जाना कोई अर्थ नही रखता। अतमे वह आपको एक निराशा ही देगा। अहिंसाके उपासकमे यह क्षमता होनी चाहिए कि वह न केवल बिना प्रतिहिंसा और क्रोधके जेल-जीवनके तिरस्कार और शारीरिक क्लेशोको झेले बल्कि उसके मनमे क्लेश देनेवालोके लिए एक दया हो। इसलिए आज मै यह चाहता हूँ कि मेरे मन्तव्योको दृष्टिमे रखते हुए आप अपना परीक्षण करे। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप इनका पूर्ण रूपसे पालन नही कर सकते या नही करना चाहते तो मै आपसे कहूँगा कि आप अहिंसाके इस बिल्लेको उतारकर रख दें और बादशाह खानसे प्रार्थना करे कि वे आपको आपकी शपथसे मुक्त कर दें। यह भी एक तरहकी वीरता होगी। परन्तु यदि

आपको अहिंसाके सिद्धान्तपर वैसी ही पूर्ण आस्था है जैसी कि मैंने अभी आपको बतलायी तो मैं आपको बतला दूँ कि परमात्मा परीक्षाकी घडीमें आपको सहारा देगा और आपको अपेक्षित शक्ति प्रदान करेगा।"

भाषणके अंतमें खान अब्दुल गफ्फार खाँके एक प्रश्नके उत्तरमें खुदाई खिदमतगारोंने कहा : हम यह स्वीकार करते हैं कि हम महात्माजीके अहिंसाके मानदण्डपर पूरे नहीं उतरते। *अभीतक हम अपने हृदयोंसे क्रोधको मिटा देनेमें* समर्थ नहीं हुए हैं। हम केवल यह कह सकते हैं कि हम अपनी कमियोंको अनुभव करते हैं। इन कमियोंको दूर करनेका हम पूरी ईमानदारीके साथ प्रयत्न करेंगे और उस आदर्शको प्राप्त करेंगे जो कि हमारे सम्मुख रखा गया है।

इन सब चर्चाओंमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने दुभाषियेका काम किया। उन्होंने सरल और ओजपूर्ण पश्तूमें उनका भाषान्तर किया। फिर उन्होंने अपनी ओरसे कहा : 'मैं यह समझता हूँ कि अपने मनसे क्रोधको निर्मूल कर देना कठिन है परन्तु आपने ईश्वरको साक्षी देकर शपथ ली है। मानव प्रकृतिसे ही दुर्बल है परन्तु ईश्वर सर्वशक्तिमान है। यदि आप अपनी शक्तिसे पूर्ण अहिंसाव्रती बननेके प्रयास करें तो आपके वे प्रयास असफल भी हो सकते हैं परन्तु यदि ईश्वर आपकी सहायता करेगा तो निश्चय ही आप सफल होंगे। यह हो सकता है कि *आपको एकबारगी सफलता न* मिले परन्तु आपका प्रत्येक प्रयत्न आपको अपने पथपर एक कदम ऊपर ले जायगा। आप साहसको न त्यागियें।

तीन दिनके दौरेके पश्चात् गांधीजी विश्राम करनेके लिए तथा 'हरिजन'की टिप्पणियाँ लिखनेके लिए उत्मजई लौट आये। अपने शान्त आवासमें वे दो *दिनतक दौरेके सम्बन्धमें खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ चर्चा करते रहे और* यह देखते रहे कि दोनोंकी धारणाओंमें कितना साम्य है? खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, "मेरी धारणा यह है कि जैसा उन्होंने स्वयं हमारे आगे स्वीकार किया है ये लोग अभी कच्चे रंगरूट हैं और अहिंसाके मानदण्डपर पूरे नहीं उतरते। ये हिंसाको अपने हृदयोंसे अभी बिल्कुल निर्मूल नहीं कर सके हैं। इनमें अभी कुछ चारित्रगत दोष भी शेष हैं। फिर भी इनकी सच्चाईमें सन्देह नहीं किया जा सकता। यदि इनको एक मौका दिया जाय तो ये परिश्रमसे एक आकारमें ढाले जा सकते हैं और मेरा विचार है कि यह प्रयास करने योग्य है।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने मनमें अत्यधिक उत्साह अनुभव कर रहे थे। उन्होंने कहा : महात्माजी, यह देश जो फल और अन्नकी दृष्टिसे इतना सम्पन्न है, इस धरतीपर मुस्कराता हुआ एक छोटा-सा अदन बन सकता था लेकिन

आज इसे चित्ती खाये डाल रही है। मेरी यह धारणा दिन-प्रतिदिन पक्की होती जा रही है कि किसी और चीजकी अपेक्षा हिंसाने ही हम पठानोका सबसे अधिक विनाश किया है। हम लोगोमे जो एक ठोसपन था, इसने उसे विखेर दिया है और तुच्छ आतरिक कलहोके रूपमे इसे चीर डाला है। आज एक पठानकी सारी शक्ति यह सोचनेमें ही लग जाती है कि वह अपने भाईको कैसे हानि पहुँचा सकता है? यदि हम केवल इस अभिशापसे मुक्त हो जायँ तो यह शक्ति कितने लाभकारी कार्योमे लगायी जा सकती है। यह बात मेरे मनमे बैठ गयी है कि अहिंसात्मक आन्दोलन हमारे लिए एक ईश्वरीय वरदान है। अहिंसाके मार्गके अतिरिक्त हम पठानोके लिए अन्य कोई मुक्ति-मार्ग नही ह। मुझे इसके अद्भुत रूपान्तरणका जो अनुभव हुआ है उसीके आधारपर मै आपसे यह कह रहा हूँ कि हमने अभी अहिंसाको एक लघु मात्रामे ग्रहण किया है लेकिन फिर भी उसने हमारे बीच कितना काम किया है। हम लोग पहले भीरु और आलसी थे। किसी अंग्रेजको देखते ही हम डर जाते थे। अपना समय व्यर्थ नष्ट करनेका हमारे निकट कोई मूल्य न था। आपके आन्दोलनने हम लोगोमे एक नवजीवनका संचार किया है और हमे इतना उद्योगशील बना दिया है कि भूमिके जिस टुकडेमे पहले दस रुपयेकी पैदावार हुआ करती थी उसीमे अब उसके दुगुने मूल्यकी उपज हुआ करती है। हमने अपने मनसे भयको निकाल दिया है और अब हम किसी भी अग्रेजसे अथवा उस कारणसे किसी मनुष्यसे नही डरते।"

उन्होने इसकी एक घटना सुनायी, "सविनय आज्ञा-भंगके दिनोमे एक अंग्रेज अधिकारी अपने सैनिक दलके साथ आया और उसने खुदाई खिदमतगारोके जुलूस को भंग करनेका आदेश दिया। वह अपनी जेबमे धारा १४४ के अन्तर्गत निषेध-का एक आज्ञा-पत्र रखे हुए था परन्तु उसने किसीको वह नही दिखलाया क्योकि वह हमपर दमन करना चाहता था। प्रदर्शनमे एक खुदाई खिदमतगार आगे-आगे राष्ट्रीय झडा लिये चल रहा था। अंग्रेज अधिकारीने उसके हाथसे वह राष्ट्रीय झंडा छीनना चाहा परन्तु खुदाई खिदमतगारने उसके आगे आत्म-समर्पण नही किया। इसपर अंग्रेज अधिकारी क्रोधावेगमे आ गया और उसने सिपाहियो-को आदेश दिया, 'गोली चलाओ।' लाल कुर्तीवाले गोलियोको झेलनेके लिए अपही जगहपर अविचलित खडे रहे। उनकी इस शान्तिपूर्ण दृढताको देखकर वह आश्चर्यसे स्तब्ध रह गया। उसकी आगे बढनेकी हिम्मत न हुई। महात्माजी, यदि आपने उसकी उस समयकी हालत देखी होती! उसके मुँहसे आवाजतक न निकल रही थी। मैने उसको यह कहकर ढाढस दिया कि हम लोग तो नि शस्त्र

हृ और उसे हम लोगोंसे डरनेकी कोई बात नहीं ह । मने उससे यह भी कहा कि यदि उसने अपने अहंकार और बुद्धिहीनतासे गाली चलानेका आदेश देकर हमें नीचा दिखानेकी कोशिश न की होती और प्रारम्भमें ही हमें आदेश-पत्र दिखा दिया होता तो हम बडी खुशीसे जुलूसको भंग कर देते क्योंकि हमारा इरादा आदेश भंग करनेका न था। उसका अभिमान टूट चुका था और वह अपने आपको बहुत लज्जित अनुभव कर रहा था। अंग्रेज लोग हमारी अहिंसासे डरते ह। वे कहते ह कि एक अहिंसाव्रती पठान हिंसा करनेवाले पठानसे अधिक खतरनाक होता ह।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ कहते जा रहे थे 'आपने अहिंसाके सिद्धान्तकी जिस प्रकारसे व्याख्या की ह उसी प्रकारसे यदि हम उसे अंगीकार कर लें तो हम कितने अधिक शक्तिशाली हो जायें और हमारी दशामें कितना सुधार हो जाय? हम विनाशके कगारपर खडे हुए थे परन्तु ईश्वरने कृपालु होकर हमें इस अंतसे बचानेके लिए अहिंसात्मक आन्दोलन भेज दिया। मैं अपने यहाके लोगोंसे कहता हूँ आपके स्वराज्यके खाली नारे लगानेका क्या अर्थ ह? महात्माजीके दिखलाये हुए रास्तेसे यदि आपने सब प्रकारके भयोंसे मुक्त होना सीख लिया और यदि आप शारीरिक श्रमके द्वारा सच्चाईसे अपनी स्वतंत्र जीविका कमाने लगे तो आपको तो आपका स्वराज्य मिल गया।

गांधीजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँको सुझाव दिया कि यदि आपको अहिंसाके संतोषजनक परिणाम प्राप्त करने ह तो आपको खुदाई खिदमतगारोंमें रचनात्मक अहिंसाके प्रशिक्षणके कठिन पाठ्यक्रमको पूरा कराना ही होगा। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उत्मानजईके पासके गाँव मर्दानमें खुदाई खिदमतगारोंका एक प्रशिक्षण-केन्द्र और आवास गृह स्थापित करनेका पहलेसे निश्चय कर चुके थे। अब यह निश्चय हुआ कि इन प्रवृत्तियोंके अलावा उत्मानजईमें भी कताई और बुनाईका एक केन्द्र शुरू किया जाय। गाँवके वे लोग जिनके पास समय है समग्र विधियोंके सहित कताई और बुनाईकी सभी कलाओंको सीखें। ये शिक्षार्थी खुदाई खिदमतगार ही हों यह आवश्यक नहीं ह। महात्माजी मेरा विचार उत्मानजईको एक आदर्श ग्राम बना देनेका ह। उन्होंने गांधीजीको अपनी बात समझाते हुए कहा कताई-बुनाई केन्द्र ग्रामीण जनताके लिए एक प्रकारकी स्थायी प्रदर्शनी होगा। खुदाई खिदमतगारोंके आश्रममें हम उनके आगे आत्म निर्भरताका एक आदर्श रखेंगे। हम केवल वही वस्त्र पहनेंगे जिसका कि हम स्वयं उत्पादन करेंगे हम केवल वही फल और सब्जियाँ खायेंगे जिनको हम स्वयं अपने यहाँ उगायेंगे।

यहाँ हम दूधके लिए एक छोटीसी डेरी खोलेंगे। जिस वस्तुका हम स्वयं उत्पादन नही कर सकेंगे, उसका हम प्रयोग नही करेंगे।"

गाधीजीने उनकी बातपर टिप्पणी की . "मै आपको इसके अलावा एक सुझाव और दूँगा। खुदाई खिदमतगारोके लिए आप जो झोपडियाँ बनवाये, उनको तैयार करनेमे स्वयं हिस्सा ले, स्वयं श्रम करे।" "मेरा भी यही विचार है।" खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा।

कार्यकर्त्ताओके पहले दलको समुचित रूपसे प्रशिक्षित करनेके लिए गाधीजीने यह सुझाव दिया कि "कुछ खुदाई खिदमतगारोको वर्धा भेजा जा सकता है, जहाँ कि वे खादीके विज्ञानमे निपुण होनेके अतिरिक्त प्राथमिक उपचार और स्वास्थ्य-विज्ञान, सफाई, गाँवोके उत्थानका कार्य और हिन्दुस्तानीकी प्रारम्भिक शिक्षा भी ग्रहण कर सकते है। वहाँ वे बुनियादी तालीमकी शिक्षा भी प्राप्त कर सकते है ताकि वे यहाँ वापस आकर सामूहिक शिक्षाका कार्य अपने हाथोमे ले सके। परन्तु यह कार्य तबतक प्रगति नही कर सकेगा जबतक आप इस दिशामें स्वयं उनका नेतृत्व न करेगे और आप स्वयं इन सब बातोमे कुशलता प्राप्त नही कर लेगे।"

'और सबसे अतमे', गाधीजीने कहा, "यदि आप अपने आश्रममे समयकी पाबन्दीका नियम लागू नही करेंगे तो आपका कोई कार्य नही हो सकेगा। वहाँकी एक नियमित दिनचर्या होनी चाहिए और जागनेका, सोनेका, खाना खानेका, काम करनेका और आराम करनेका एक निश्चित समय होना चाहिए। इन नियमोका कठोरताके साथ पालन होना चाहिए। मैं समयकी नियमितताको सबसे अधिक महत्त्व देता हूँ। वास्तवमें वह अहिंसाका ही एक उप-सिद्धान्त है।"

इसके बाद वे लोग सीमाके उस पारके हमलोकी समस्यापर चर्चा करने लगे। प्रश्न यह था कि खुदाई खिदमतगार उनको रोकनेके मिशनको किस प्रकार कार्यान्वित करें। खान अब्दुल गफ्फार खाँका विचार यह था किवहाँ पुलिस और फौज रहनेके कारण यह काम बहुत कठिन हो गया है। वे पूरी तरहसे लोकप्रिय सरकारके नियंत्रणमे नही है और उनकी उपस्थितिने वहाँ दुहरे शासनकी सारी बुराइयाँ पैदा कर दी है। "अधिकारी हमारे साथ पूरे हृदयसे सहयोग करे और यदि वे ऐसा न करें तो किसी एक जिलेसे पुलिस और सेनाकी शक्तिको खीच लें। उस जिलेमें हमारे खुदाई खिदमतगार शान्ति-व्यवस्था अपने हाथोमे ले लेगे।"

परन्तु गाधीजी इससे सहमत नही थे। "मै यह स्पष्ट रूपसे स्वीकार करता

हूँ कि मैं अधिकारियोंसे किसी हार्दिक सहयोगकी अपेक्षा नहीं करता। हमारे उद्देश्यपर न सही, वे हमारी योग्यतापर भरोसा नहीं करेंगे। उनसे यह अपेक्षा करना कि वे हमारे विश्वासपर अपनी पुलिसको हटा लेंगे उनसे अत्यधिक आशा करना है। अहिंसा एक विश्वव्यापी सिद्धान्त है और उसकी प्रभावशीलता प्रतिकूल वातावरणके द्वारा सकुचित नहीं होती। हमारी अहिंसा यदि अधिकारियोंकी कृपापर निर्भर होगी तो वह वस्तुतः एक पोली, निःसार वस्तु होगी जिसका कुछ भी मूल्य नहीं होगा। हम जनताके ऊपर पूरा नियन्त्रण रख सकते हैं और उस स्थितिमें पुलिस और फौज हमें कोई हानि नहीं पहुँचा सकती। इसके पश्चात् उन्होंने प्रिंस आफ वेल्सके आगमनके समयमें हुए बम्बईके दंगेका उल्लेख करते हुए कहा कि जब कांग्रेसने तत्काल स्थितिको अपने काबूमें कर लिया तब पुलिस और सेनाने समझ लिया कि यहाँ अब हमारा कोई काम नहीं रहा।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने उन्हें बीचमें टोककर कहा लेकिन कठिनाई तो यह है कि हमलावरोंमेंसे अधिकांश दुश्चरित्र हैं जिनको कि ब्रिटिश भारतसे निष्कासित कर दिया गया है। इन लोगोंके साथ हम सम्पर्क भी कायम नहीं कर सकते क्योंकि अधिकारी मुझे या हमारे कार्यकर्त्ताओंको उस कबाइली क्षेत्रमें जाने की अनुमति नहीं देंगे।

गांधीजीने अपनी बातको स्पष्ट किया वे अनुमति देंगे और मैं कहता हूँ कि उनको अनुमति देनी ही होगी परन्तु इसके लिए हमको खुदाई खिदमतगारों की संस्थाको वास्तवमें सच्चे ईश्वरके सेवकोंका दल बनानेकी आवश्यकता है ऐसे लोग जिनके लिए अहिंसा एक जीवन-श्रद्धा हो। अहिंसा एक बहुत ऊँचे दर्जे का सक्रिय सिद्धान्त है। वह आत्मिक बल है अथवा वह हममें विद्यमान परमात्मा की शक्ति है। अपूर्ण मानव उस दिव्य सारको उसकी समग्ररूपमें ग्रहण कर सकने में समर्थ नहीं है। वह उसकी पूर्ण ज्योतिको सहन भी नहीं कर सकता। लेकिन जब उसका एक अति लघु अंश भी हमारे भीतर सक्रिय हो जाता है तब वह आश्चर्यजनक कार्य करके दिखलाता है। आकाशमें स्थित सूर्य अपनी जीवनदायी ऊष्मासे ब्रह्माण्डको भर देता है लेकिन यदि कोई उसके बहुत निकट चला जायगा तो वह उसको जलाकर भस्म कर देगा। यही बात परमात्माके साथ भी है। जिस सीमातक हम अहिंसाका अनुभव करते हैं उस सीमातक हम ईश्वर-तुल्य हो जाते हैं परन्तु हम पूर्ण ईश्वर कभी नहीं हो सकते। अहिंसा क्रियाशील रेडियमके समान है। उसका एक अति लघु अंश जिसमें तन्मय वृद्धि छिपी है निरन्तर,

मौन, अदृश्य रूपमे तबतक अपना कार्य करता रहता है जबतक कि वह समस्त रोगयुक्त तन्तु-समूहको स्वस्थ नही बना देता। इसी प्रकार अहिंसाका एक लघु अन्त.कण भी अदृश्य, अनवरत रूपसे अपना सूक्ष्म कार्य करता रहता है और पूरे समाजमे खमीर उठा देता है।

"वह अपने कार्यमे आत्म-निर्भर है। आत्मा मृत्युके बाद भी टिकी रहती है। उसका अस्तित्व भौतिक देहपर निर्भर नही है। ठीक इसी प्रकार अहिंसा या आत्मिक बलको भी अपने प्रसार या प्रभावके हेतु भौतिक साधनोकी आवश्यकता प्रतीत नही होती। वह उनसे स्वतंत्र, अपना कार्य करता रहता है। वह देश और कालका अतिक्रमण कर जाता है।

"और इसलिए इसका परिणाम यह होता है कि अहिंसा यदि किसी एक स्थानपर सफलताके साथ प्रतिष्ठित हो जाती है तो उसका प्रभाव सर्वत्र फैल जाता है। जबतक उत्मंजईमे डकैतीकी एक भी घटना होती है तबतक मै यह कहूँगा कि हमारी अहिंसा सच्ची नही है।

"अहिंसाका आचरण इस मूल सिद्धान्तपर आधारित है कि जो तुम्हारे अपने लिए भला है वह समस्त विश्वके लिए समान रूपसे भला होगा। समस्त मानव-जाति सार-रूपमे समान है। जो कुछ मेरे लिए सम्भव है, वह प्रत्येक व्यक्तिके लिए सम्भव है। तर्ककी इसी रेखापर आगे बढनेसे मै इस निष्कर्षपर पहुँचा हूँ कि यदि मैं किसी ग्राम-विशेषकी विभिन्न समस्याओका अहिंसात्मक ढंगसे हल खोज लेता हूँ तो उससे मुझे जो सीख मिलेगी, वह मुझे भारतकी उसी प्रकार की समस्त समस्याओको अहिंसात्मक ढंगसे सुलझानेके योग्य बनायेगी।

"और इसलिए मैने सेवाग्राममे स्थायी रूपसे रहनेका निश्चय कर लिया है। सेवाग्राममे मेरा प्रवास मेरे लिए एक शिक्षा रहा है। वहाँ हरिजनोसे मुझे जो अनुभव मिला है उसने मुझे हिन्दू-मुस्लिम समस्याका एक आदर्श समाधान दिया है। इस समाधानको समझौतोकी जरूरत नही है। और इसलिए यदि आप उत्मंजईमे सब कुछ ठीक कर लेते हैं तो आपकी सारी समस्या सुलझ जायगी। यहाँतक कि आपके और अंग्रेजोके इन सम्बन्धोका रूप भी बदल जायगा। वे निर्मल, निष्कपट हो जायँगे, यदि हम उनको यह बतला सके कि हमे वास्तवमे उनकी उस सुरक्षाकी आवश्यकता नही है जिसके लिए उन्होने पुलिस और सेनाका इतना दिखावा खड़ा कर रखा है।"

परन्तु खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँके मनमे एक सन्देह था। प्रत्येक गाँवमे कुछ ऐसे स्वार्थी और शोषक तत्त्व है जो अपने स्वार्थोको पूरा करनेके लिए किसी भी

सीमातक जानेके लिए तैयार ह । क्या उनकी बिल्कुल उपेक्षा करके आगे बढ़ा जाय या उनको भी गुमराहको दिमाग प्रयत्न किये जायें ?

उनमग बुछको अतम छोडा जा सकता ह ।" गाधीजीने कहा, 'लेकिन हम किमीको सबयार लिए त्याज्य नही समझना होगा । हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि बुरे काम करनेवाले व्यक्तिके मनोविज्ञानका भी अध्ययन करें । बहुत बार वह परिस्थितियोका शिकार भी होता ह । धम और सहानुभूतिके रास्तेसे हम उन लोगोमेसे कुछको तो न्यायके पक्षमें ला ही सकते ह । इसके अतिरिक्त हम यह बात भी न भूलनी चाहिए कि भला ही स्वच्छासे या किसी दबावसे बुरे को प्रश्रय दता ह । केवल सत्य ही आत्म-पोषित ह । अतिम प्रयोगके रूपमें हम दुष्कर्मी व्यक्तिसे अपना सारा सहयोग हटाकर और उसको बिलकुल अकेला छोड कर उसकी बुराईकी शक्तिका अवरोध कर सकते ह ।

'यह सार रूपमें अहिंसात्मक असहयोगका सिद्धात ह । इसके लिए यह अति आवश्यक ह कि यह मूल रूपसे प्रेमकी भावनासे प्रेरित होकर किया जाय । इसका उद्देश्य विपक्षीको दण्ड देना नही ह और न उसको किसी प्रकारका आघात पहुचाना ही ह । यहाँतक कि जब हम उससे असहयोग करें तब भी उसे हम यह अनुभव कराते रहे कि हमम उसके प्रति मित्रताकी भावना ह । जब भी हमारे लिए सम्भव हो या जब भी हम अवसर मिले हम मानवीयताके साथ उसकी सेवा करके उसके हृदयतक पहुँचनेका प्रयत्न करते रहे । वास्तवमें अहिंसाका वैज्ञानिक परी क्षण यही ह कि अहिंसाका द्वन्द्व अपने पीछे कोई द्वेषभाव न छोडे और अन्तमें शत्रु मित्रमें बदल जाय । दक्षिण अफ्रीकामे जनरल स्मटसके साथ मेरा यही अनु भव रहा । प्रारम्भमें वे मेरे घोर विरोधी और आलोचक थ । आज व मेरे स्नेही मित्रोमेसे एक ह । लगातार आठ वर्षतक हम एक दूसरेके विपक्षी रहे । लेकिन वे ही थे जो दूसरी बार गोलमेज परिषदमे व्यक्तिगत और सार्वजनिक रूपमें मेरे पक्षमें रहे और जिन्होने मुझे पूरा सहारा दिया । ऐसी ही अनेक घटनाएं ह । म तो केवल एक ही आपको बतला रहा हूँ ।

समय परिवर्तित होता ह और प्रणालियाँ नष्ट हो जाती ह परन्तु मेरा विश्वास ह कि केवल अहिंसा और उसपर आधारित समस्त वस्तुए अन्ततक टिकी रहेंगी । उन्नीस सौ वर्ष बीत जब कि ईसाई धर्म जन्मा था । ईसामसीहका प्रचार काल तो केवल तीन अल्प वर्षोंका रहा । उनके अपने समयमें भी उनकी शिक्षाओंका गलत ढङ्गसे समझा जाता रहा । उनकी शिक्षाका मूल ह अपने शत्रु को प्यार करो । लेकिन आजकी ईसाइयत उसे स्वीकार नही कर रही ह,

लेकिन एक व्यक्तिकी शिक्षाके मूल सिद्धांतके प्रसारके लिए १९०० वर्ष होते ही कितने है ?

"इसके बाद छ. शताब्दियोने करवट ली और मञ्चपर इस्लाम प्रकट हुआ। बहुतसे मुसलमान मुझे यह कहनेकी इजाजत भी न देंगे कि इस्लाम, जैसा कि उसका शब्दार्थ है, पवित्र शान्ति है। कुरानका अध्ययन करनेसे मुझे यह पूरा विश्वास हो गया कि इस्लामका मूलाधार हिसा नही है। लेकिन यहाँ भी वही बात है। समयके चक्रमे तेरह सौ वर्ष एक लघु बिन्दुके समान है। मुझे इस बातकी पूरी प्रतीति हो चुकी है कि जिस हदतक इन दोनो महान् धर्मोके अनुयायी अहिंसाकी मूल शिक्षाको ग्रहण करेगे, उसी सीमातक ये दोनो सजीव रहेगे परन्तु यह केवल बुद्धिसे पकडनेकी बात नही है। इसे मनमे गहरा पैठना चाहिए।"

सुनहला पुल

१९३८

अगले सप्ताहमें कोहाट, बन्नू और डेरा इस्माईल खांके श्रमपूर्ण दौरेका व्यस्त कार्यक्रम रहा। नित्य पिछले दिनसे सफरकी दूरी बढ जाती थी। मोटरकी यात्रा अब अधिक थकान पैदा करने लगी थी। गांधीजी पेशावर और मरदानके शुद्ध पश्तू भाषी जिलोंसे जिनको 'लाल कुर्तीवालोंके जिले' कहा जाता था ज्यों ज्यों दक्षिणकी ओर बढते जा रहे थे त्यों-त्यों उनको कोलाहलपूर्ण और कम अनुशासित भीडें मिलती जा रही थी। इस शोर-गुलके कारण सार्वजनिक सभाओंमें उनके ऊपर और भी जोर पड रहा था। गांधीजीने केवल खुदाई खिदमतगारोंकी सभाओंमें चर्चा करना अधिक पसन्द किया होता लेकिन उनको खान अब्दुल गफ्फार खांके अनुनय और अनुरोधके आगे झुकना पडा जो रमजानके व्रतके बावजूद स्वयं भी विश्राम नही ले रहे थे।

कोहाटसे चलनेसे पहले खान अब्दुल गफ्फार खांने यह निश्चय किया कि उनके साथ खुदाई खिदमतगारोंकी एक टोली भी रहेगी। वह शेष दौरेमें गांधीजीके साथ चलेगी। कोहाट जिला सीमा प्रान्तके हृदय भागमें पडता है। कोहाटका शहर और छावनी, जो तहसीलके पश्चिमके भागमें है पेशावरसे चालीस मीलकी दूरीपर उस सडकपर है जो कोहाट दर्रेके अफरीदियोंके इलाकेमेंसे होकर गुजरती है। कोहाटका दर्रा खैबरके दर्रे जितना लम्बा नही है परन्तु उसका धरातल खैबरसे विषम है और उसका प्राकृत सौन्दर्य खैबरकी अपेक्षा चित्तको अपनी ओर अधिक आकर्षित करता है।

खान अब्दुल गफ्फार खां इस भू-खण्डके प्राकृतिक दृश्योंकी रमणीयताको मुग्ध होकर देखते जा रहे थे। सहसा नीचे घाटीमें एक छोटी-सी मानो स्वच्छ झोपडीकी ओर इशारा करके व बोल उठे देखिए यह रहा अजब खांका मकान। गांधीजीके निजी सचिव श्री प्यारेलालने पूछा 'कौन अजब खां? मानी एलिसका अपहरण करनेवाला? वह कुख्यात व्यक्ति जिसे कानूनने अपनी रक्षासे वंचित कर दिया और जिसने सीमाप्रान्तमें फांसीकी तख्तीपर अपने अपराधका दण्ड पाया?' खान अब्दुल गफ्फार खांने हंसे 'मर गया? फांसी चढ गया? नही तो वह तो अभीतक जीवित है और तुर्किस्तानकी सीमापर जाकर वहीं बस गया है। वह

कोई दुष्ट व्यक्ति भी नही था।' इसके वाद उन्होने अजव खाँकी सारी घटना सुनायी। यह कहानी उनको किसी ऐसे प्रत्यक्षदर्शीने सुनायी थी जो दोनो सम्वन्धित पक्षोको अच्छी तरहसे जानता था। खान अब्दुल गफ्फार खाँकी दृष्टिमे अजव खाँ एक निरपराध व्यक्ति था। अजव खाँ एक तोप खीचनेवाला था। उसके घरपर अंग्रेजी फौजके एक मेजरने छापा मारा। "तुम और जो चाहो करो लेकिन अगर तुम जनानखानेकी ओर गये और तुमने किसी स्त्रीको स्पर्श किया तो आज मैं तुम्हारा हिसाव साफ कर दूँगा।' अजव खाँने मेजरको चेतावनी देते हुए कहा। मेजर हँसा और वह जनानखानेकी स्त्रियोको वेपर्द करनेके लिए धृष्टतापूर्वक उस ओर वढा। अजव खाँ अपने वचनका धनी निकला। पठानोको हिसाव साफ करनेका जो एक ही तरीका आता है, उसीसे मेजरका भी हिसाव तय कर दिया गया। पूरा वृत्तात सुनाकर अतमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने टिप्पणी की ' "और मिस एलिस जवतक अजव खाँकी अभिरक्षामे रही तवतक उसने उनके साथ कैसा व्यवहार किया यह आप किसीसे भी पूछ सकते है। स्वय मिस एलिसने इसकी साक्षी दी है। अजव खाँकी जगह कोई भी गोरा होता तो वह मोली एलिसको इससे अधिक इज्जतके साथ नही रख सकता था।"

उस दिन कोहाटमे कई प्रतिनिधिमडलोने आकर गाधीजीसे भेंट की। गाधीजीने उनके प्रति सहानुभूति दिखलाते हुए उन्हे आश्वासन दिया और कहा कि वे सम्वन्धित विपयोपर पेशावरमे उनके मुख्य मंत्रीसे वातचीत करेंगे। २२ अक्तूवरको कोहाटके नागरिकोकी ओरसे कोहाट जिला काग्रेस समितिने गाधीजीको एक मान-पत्र भेंट किया। इस अवसरपर संध्याके समय नगरके वाहर एक रमणीक स्थानपर कई संस्थाओकी ओरसे एक सार्वजनिक सभाका आयोजन किया गया था। अपनी मुलाकातोंमे विभिन्न प्रतिनिधिमंडलोने गाधीजीके आगे अपनी जो कठिनाइयाँ उपस्थित की थी, उनका उल्लेख करते हुए उन्होने कहा, "आपकी कठिनाइयो और आपके कष्टोसे परिचित होनेके लिए मैने आपको एक घंटेसे अधिक समय दिया परन्तु आपके आगे मै यह स्वीकार कर रहा हूँ कि मै अव इन मामलोको अपने हाथोमे लेनेके योग्य नही रह गया हूँ। एक ओर मेरे ऊपर धीरे-धीरे वुढापा घिरता आ रहा है और दूसरी ओर मेरे ऊपर तरह-तरहकी जिम्मेदारियाँ भी आती जा रही है। मुझे इस वातका भय है कि यदि मैंने एक साथ ही वहुतसे मामलोको अपने हाथोमें ले लिया तो मै अपनी अपेक्षाकृत महत्त्वपूर्ण जिम्मेदारियोको न्यायोचित रूपसे पूरा नही कर पाऊँगा। इन सवमें भी मै खुदाई खिदमतगारोकी जिम्मेदारीको अपनी सवसे वडी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। यदि

बादशाह खानके सहयोगसे म उसे पूरी तरहसे निबाह लेता हूँ तो म यह अनुभव करूँगा कि मेरे जीवनके अंतिम वष व्यथ नही हुए।

'मुझे पूरी आशा ह कि खुदाई खिदमतगार स्वराज्यके संग्रामके पूण अहिंसा व्रती सनिक बन जायँगे। लेकिन यह बात सुनकर लोग मुझपर हँसते ह। उनके उपहासका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नही ह। अहिंसा शरीरका नही बल्कि आत्माका एक गुण ह। जब इसका केन्द्रीय अभिप्राय आपके अस्तित्वमें समाहित हो जायगा तो शेष समस्त स्वत ही उसके पीछे चला आयेगा। खुदाई खिदमतगारोंकी मनुष्य प्रकृति मेरी प्रकृतिसे अलग नही ह। जब म किसी सीमातक अहिंसाका अभ्यास कर सकता हूँ तो मुझको विश्वास ह कि खुदाई खिदमतगार भी इसका अभ्यास कर सकते ह या कोई भी इसका अभ्यास कर सकता ह। इसलिए हम सब मिलकर सवशक्तिमान् प्रभुसे प्राथना करें कि खुदाई खिदमतगारोंको लेकर मने जो सपना देखा ह, वे उसको सच्चा बनायें।'

गाधीजीने खुदाई खिदमतगारोंके अधिकारियोंसे काफी देरतक बातचीत की। इस चर्चामें गांधीजीने उनके मनम यह बात बठानकी कोशिश की कि जिस माग को उन्होंने अपनाया ह, वह बहुत कठिन ह। वे बहुधा जो बात कहा करते थ उसीको उन्होंने फिर दुहराया कि अपनी सशस्त्र वीरताके लिए प्रख्यात पठान जिस दिन शस्त्रोंका परित्याग करके वास्तवमें अहिंसाको ग्रहण कर लेगा वह दिन भारत और विश्वके इतिहासमें एक अत्यन्त महत्त्वपूण दिवस सिद्ध होगा। 'आप जो कुछ भी कहिए सारे भारतम आज जन साधारणकी दष्टिम पठान एक डर उत्पन्न करनेवाला व्यक्ति समझा जाता ह। गुजरात और काठियावाडके बच्चे पठानका नाम सुनते ही भयसे पीले पड जाते हैं। साबरमती आश्रममें हम लोग बालकोंको निडर बनानेकी शिक्षा दिया करते हैं लेकिन यह स्वीकार करनेमें मुझको लज्जा आती ह कि अपने सारे प्रयत्नोंके बाद भी हम उन बालकोंके हृदय से पठानका भय दूर करनेमें सफल नही हुए। बहुत चेष्टा करनेपर भी म आश्रम की कन्याओंके मनम यह बात न बठा सका कि उनको पठानसे नहीं डरना चाहिए। उन्होंने अपनी निडरता दिखलानेकी कोशिश भी की परन्तु वह एक दिखावेकी बाहरी वस्तु थी। अन्तरका विश्वास नही। साम्प्रदायिक दगोंके दिनो में यदि उनको यह खबर लग जाती कि मुहल्लेमें अकस्मात् कोई पठान आ गया ह तो वे घरसे बाहर निकलनेका साहस भी नहीं करती थी। उनके मनमें यह भय घर कर गया था कि कही कोई उनका अपहरण न कर ले।"

"मैंने लडकियोंसे कहा कि उनको अपहरण हो जानेपर भी भयकी आवश्य

कता नही है। उस अवस्थामे उनको अपहरण करनेवाले व्यक्तिके आत्माभिमा और विवेकको जाग्रत करना चाहिए और उससे कहना चाहिए कि अपनी बहिन· के समान लडकीसे अभद्र व्यवहार करना पुरुषोचित शौर्य नही है। उनकी इस प्रार्थनाके बाद भी यदि अपहरणकर्त्ता अपने कुत्सित इरादेको नही बदलता तो जैसा कि एक दिन सबको मरना ही है, वे भी अपनी जिह्वाको काटकर अपने जीवन का अंत कर सकती हैं। लेकिन यह निश्चित है कि किसी भी स्थितिमे उनको समर्पण नही करना है। लडकियाँ बोली, 'आपका कहना सच है लेकिन ये सब हमारे लिए नयी बातें हैं। हमे अपने ऊपर इतना विश्वास नही है कि ऐसा अव-सर आ जानेपर हम यह कर भी सकेगी।' जब आश्रमकी लडकियोके मनमे इतना भय है तो औरोकी बात मै क्या कहूँ? इसलिए जब मै यह सुनता हूँ कि पठानोमे खुदाई खिदमतगारोकी एक ऐसी संस्था खडी हुई है जिसने कि हिंसाका पूर्ण रूपसे त्याग कर दिया है तब मै यह नही समझ पाता कि इस बातके ऊपर विश्वास भी किया जाय या नही ?"

इसके बाद गाधीजीने श्रोताओसे प्रश्न किया कि हिसाके त्यागका अर्थ क्या है और जिस पुरुषने हिंसाको अपने हृदयसे निकाल दिया है उसके लक्षण क्या है ? फिर स्वय उन्होने कहा कि "नाम रख लेने या वर्दी पहन लेनेसे कोई खुदाई खिदमतगार नही हो जाता। उसके लिए अहिंसाके एक नियमित प्रशिक्षणकी आवश्यकता होती है। यूरोपमें, जहाँ कि लोगोने मानव-हत्याके कार्यको एक उच्च पेशे जैसा गौरव दिया है, विनाशके विज्ञानको पूर्ण करनेके लिए करोडो रुपये व्यय किये जा रहे है। वहाँके सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकोको इस क्षेत्रमे आकर काम करने-को विवश किया जा रहा है। यहाँतक कि उनकी शिक्षा-पद्धति भी इसी विन्दु पर केन्द्रित होती जा रही है। वे अपने विलास और शारीरिक सुखके साधनोपर अपार धन-राशि व्यय किया करते है। ये वस्तुएँ उनके आदर्शका एक अग बन गयी है। इसके विपरीत एक ईश्वरके पुरुष या खुदाई खिदमतगारका यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वह पवित्र रहे, उद्योगशील रहे और प्राणीमात्रकी सेवामे कठोर श्रम करे। आप अपने निकटके ईश्वरके प्राणियोकी सेवा करते हुए यह भाँप सकते है कि आपने अहिसामे कितनी प्रगति की है और अहिसामे स्वय कितनी शक्ति है ? इस शक्तिको धारण करके एक अकेला व्यक्ति सारे संसारके मुकाबलेमे खडा हो सकता है। तलवारके बलपर यह सम्भव नही है।"

अबतक अहिसा सविनय आज्ञा भंगकी एक पर्यायवाची रही है और अपने अहिंसात्मक तरीकेसे उसने इसका जुर्माना भी चुकाया है। गाधीजीने लोगोसे कहा

कि मैं आप लोगोंसे यह कहना चाहता हूँ और यही बात मैं स्वयंसेवकोंसे भी कह चुका हूँ कि यद्यपि अहिंसा सविनय आज्ञा भंगके कार्यक्रममें सम्मिलित थी तथापि उसका मूल प्रयोजन एक नैतिक अधिकार अथवा एक योग्यता प्राप्त करना था जिसकी कि एक सत्याग्रहीसे पूर्व-आशा की जाती है। यह योग्यता अहिंसाका प्रशिक्षण लेनेवाले व्यक्तिमें साथ प्रारम्भ ही मिलती है। सत्याग्रहकी लड़ाईमें सविनय आज्ञा भंग अन्त है, प्रारम्भ नहीं। यह आखिरी कदम है पहला नहीं। उस समय जनताके मनमें सरकारके प्रति एक कायरतापूर्ण भय भरा हुआ था। उसको दूर करनेके लिए उन्होंने सत्याग्रह या सविनय आज्ञा भंगका मार्ग अपनाया था। लेकिन यह एक तुरन्त असर डालनेवाली दवा थी। गांधीजीने कहा 'एक चिकित्सक, जो शक्तिशाली दवाओंसे काम लेता है यह भली भाँति जानता है कि ऐसी दवाको ठीक किस स्थितिमें रोक देना चाहिए। जो ऐसा नहीं जानता वह धब्बा सो बैठता है। एक चिकित्सककी भाँति मैंने अप्रैल सन् १९३४ में सविनय आज्ञा भंगको तत्काल वापस ले लिया और उपयुक्त समयके लिए उसे केवल अपने लिए सीमित कर लिया। यह सब समय रहते हो गया। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि आप सविनय आज्ञा भंगको कुछ समयके लिए भूल ही जायँ।' गांधीजीने बल देकर कहा। इसके बाद उन्होंने विस्तारके साथ यह बतलाया कि ईश्वरकी सेवा कैसे की जा सकती है। उन्होंने कहा कि हम ईश्वरके प्राणियोंकी सेवा करके ही उसकी सेवा कर सकते हैं। गांधीजीने कहा कि लोग इसे उनका एक अंधविश्वास कह सकते हैं परन्तु उन्होंने प्रत्येक कार्यके पीछे ईश्वरीय प्रेरणा खोजनेकी एक आदत बना ली है। उन्होंने कहा इसीलिए मैंने बादशाह खानके दिये गये नाम खुदाई खिदमतगार में भी एक ईश्वरीय प्रेरणा देखी। उन्होंने आपको सत्याग्रही नहीं बल्कि ईश्वरका एक सेवक कहा।

'लेकिन ईश्वरकी सेवा कैसे की जाय? वह तो अव्यक्त है निराकार है और उसको किसी व्यक्तिगत सेवाकी आवश्यकता नहीं है। हम उसके रचे हुए प्राणियोंकी सेवाके द्वारा ही उसकी सेवा कर सकते हैं। उर्दूमें एक कविता है जिसका भाव यह है मनुष्य कभी ईश्वर नहीं बन सकता लेकिन वह अपने मूलमें उसकी ईश्वरीयतासे अलग भी नहीं है। हम अपने गाँवको ही अपना संसार बना लें। हम उसके निवासियोंकी जो सेवा करेंगे वही ईश्वरकी सेवा होगी। खुदाई खिदमतगारोंका कार्य होना चाहिए, बेकारोंको काम देकर उन्हें उनकी बेकारीसे छुटकारा दिलाना, रोगियोंकी सेवा-शुश्रूषा करना, उनकी गन्दी आदतोंको छुड़ाना और उनको स्वच्छताके साथ सादा स्वस्थ जीवन बितानेकी शिक्षा देना। एक

खुदाई खिदमतगार इन सब कार्योंको करते समय यह सोचेगा कि वह ईश्वरकी ही सेवा कर रहा है अत उसकी सेवा किसी वेतनभोगी कर्मचारीकी अपेक्षा अधिक श्रम और अधिक चिन्ताके साथ होगी।"

अन्तमे गाधीजीने कुछ व्यावहारिक सुझाव दिये। उन्होने कहा, "एक खुदाई खिदमतगार अपने समयको ईश्वरकी एक अमानत समझे और अपने प्रत्येक मिनट-का कड़ाईके साथ हिसाव रखे। आलसीपन या निरर्थक कार्योंमे एक भी क्षण खोना ईश्वरके निकट एक पाप है। यह वैसा ही है जैसा कि चोरी करना। यदि किसी खुदाई खिदमतगारको भूमिका टुकडा भी मिल जायगा तो वह अपने लिए नही वल्कि निराश्रितो और जरूरतमन्दोके लिए उसमे फल अथवा सब्जी उगा लेगा और इस प्रकार उसका उपयोग कर लेगा। यदि वह आलस्यमे घर-पर वैठा रहना चाहेगा और कुछ काम न करना चाहेगा क्योकि उसके मा-बापके पास काफी पैसा है और वह इस योग्य है कि वाजारसे खाने-पीनेकी सामग्री और सब्जियाँ खरीद सकता है तो उस समय वह अपने मनमे यह तर्क करेगा कि वाजारसे सामान लाना रोककर मैने किसी गरीवको उसकी आयसे वंचित कर दिया और उस वस्तुको चुरा लिया जो कि ईश्वरकी है। एक खुदाई खिदमतगार किसी वस्तुको खरीदनेसे पहले अपने आपसे पूछेगा कि इसकी किसी अन्य मनुष्यको मुझसे अधिक तो आवश्यकता नही है? मान लीजिए कोई उसके आगे अनेक व्यंजनोसे भरी हुई थाली लाकर रख देता है और संयोगवश उसी समय वहाँ कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो भूखसे मर रहा है तो वह पहले उस व्यक्तिकी भूखकी ओर ध्यान देगा। वह पहले उसे खाना खिलायेगा और वादमें उस थालीमेसे अपना भाग लेगा।"

कोहाटसे पश्चिममे छब्बीस मीलकी दूरीपर एक कस्वा हंगू है। वही तह-सीलका मुख्यालय भी है। गाधीजी दूसरे दिन वहाँ गये। वहाँ उनको एक मान-पत्र भेट किया गया जिसमे यह कहा गया था कि भारतकी स्वाधीनताकी चावी सीमाप्रान्तके पास है। गाधीजीने इस कथनसे सहमत होते हुए उसमे इतना और जोड दिया कि सीमाप्रान्तमे भी यह चावी खुदाई खिदमतगारोके पास है। उन्होने कहा, 'जिस प्रकार गुलाव अपनी सुगन्धसे सारे वायुमडलको भर देता है उसी प्रकार जब एक लाख खुदाई खिदमतगार वास्तवमे अहिंसाका व्रत ले लेगे तो उसकी सुगन्ध समस्त भारतमे उत्तरसे दक्षिणतक और पूर्वसे पश्चिमतक फैल जायगी। वह दासताके उस रोगको नष्ट कर देगी जिससे यह सारा देश पीडित है।'

इसके गांधीजीने खुदाई खिदमतगारोंकी एक सभामें भाषण किया। सभामें उनको मसरत जेलमें एक अभिनन्दन-पत्र भेंट किया गया था, जिसमें हिन्द स्वाधीनता संग्रामका उल्लेख किया गया था। गांधीजीने उसका जिक्र करते हुए कहा 'मैं आप लोगोंसे यह कह देना चाहता हूँ कि सविनय आज्ञा भंग आज भी चलता है और जारी भी रहता है परन्तु हमारी स्वाधीनताका अहिंसात्मक आन्दोलन तबतक लगातार चलता रहेगा जबतक कि इस देशको स्वतन्त्रता नहीं मिल जाती। इस समय केवल उसका लक्ष्य बदल गया है। उस अभिनन्दन-पत्रमें यह भी कहा गया था कि खुदाई खिदमतगार दमनके सामने नहीं झुके और न आगे झुकेंगे। गांधीजीने अपने भाषणमें उसका उल्लेख करते हुए कहा

'मैं यह जानता हूँ कि नब्बे प्रतिशत भारतीय अहिंसाका केवल यही अर्थ समझते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अपनी जगह यह ठीक है। इसमें एक वीरता है परन्तु आप लोगोंको और विशेष रूपसे खुदाई खिदमतगारोंके अधिकारियोंको यह स्पष्ट रूपमें समझ लेना चाहिए कि केवल यही पूर्ण अहिंसा नहीं है। यदि आपने वास्तवमें अहिंसाका अर्थ समझ लिया है तो आपके निकट यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि अहिंसा कोई ऐसा सिद्धांत या गुण नहीं है जो कि किसी विशेष अवसर पर उपयोगमें लाये जानेके लिए हो अथवा जो किसी विशेष दल अथवा वर्गके लिए व्यवहारमें लाये जानेके लिए हो। उसे तो हमारे अस्तित्वका एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। *हम अपने हृदयोंसे क्रोधकी भावनाको बिलकुल निर्मूल कर दें। यदि हम ऐसा नहीं करते तो फिर हममें और हमारे ऊपर अत्याचार करनेवालों में अंतर ही क्या रहेगा?* क्रोधके कारण एक मनुष्य गोली चलानेका आदेश देता है, दूसरा किसीके लिए अपमानजनक भाषाका प्रयोग करता है और तीसरा लाठी चलाता है। मूलमें तीनों एक ही हैं। आपके भीतर क्रोध उपजे ही न, या वह आपके हृदयमें टिके ही न, तभी आप वास्तवमें यह दावा कर सकते हैं कि आपने हिंसाको निकाल फेंका है और तभी आप अपनसे यह आशा रख सकते हैं कि आप अंततक अहिंसक बने रह सकेंगे।"

इसके पश्चात गांधीजीने सविनय आज्ञा भंग और सत्याग्रहके बीचके अन्तर को स्पष्ट किया 'हमारा सविनय आज्ञा भंग या असहयोग अपनी प्रकृतिसे ही ऐसा न था कि उसका हमेशा व्यवहार किया जाता। लेकिन यह लड़ाई, जो कि आज हम अपनी रचनात्मक अहिंसाके द्वारा छेड़ने जा रहे हैं, प्रत्येक समयके लिए मान्यता रखती है यही असली चीज़ है। मान लीजिए सरकार सविनय अवज्ञा कारियोंको गिरफ्तार करना रोक देती है। ऐसी स्थितिमें हमारा जेल जाना

भी रुक जायगा लेकिन इसका अर्थ यह नही होगा कि हमारी लडाई समाप्त हो गयी। एक सविनय आज्ञा-भगकारी जेलके नियमोका उल्लंघन करके वहाँके अधिकारियोको तंग करनेके लिए जेल नही जाता। यह ठीक है कि जेलके भीतर भी सविनय आज्ञा-भंग किया जा सकता है परन्तु उसके लिए वहाँ कुछ निश्चित नियम है। मेरे कहनेका अभीष्ट यह है कि सविनय अवज्ञाकारीकी लडाई जेल जानेके साथ खत्म नही हो जाती। जब हम एक बार जेल चले जाते है तब जहाँ-तक बाहरी विश्वका सम्बन्ध है, उसके लिए हम नागरिक रूपसे मृत हो जाते है। उस समय सरकारकी दासताके बंधनमे बँधे हुए लोगो अर्थात् जेलके कर्मचारियो-के हृदय-परिवर्तनके लिए हमारी लडाई जेलके भीतर ही शुरू हो जाती है। यह लडाई हमें उनके आगे यह प्रदर्शित करनेका एक अवसर देती है कि हम लोग चोर और डकैतों जैसे नही है। हमारी इच्छा आपका अनिष्ट करनेकी नही है। हम अपने विपक्षीको नष्ट नही करना चाहते बल्कि उसे अपने एक मित्रके रूपमे बदल देना चाहते है। इसका अर्थ यह नही होता कि हम उनके सभी न्यायपूर्ण आदेशोका दासकी तरह पालन करे। इस ढंगसे सच्ची मित्रता नही जुड़ती। उसके लिए हमे उनको यह प्रतीति करानी चाहिए कि हमारे मनमे उनके प्रति द्वेषकी कोई भावना नही है बल्कि हम उनके हितैषी है और हृदयसे यह प्रार्थना करते है कि उनपर प्रभु-कृपा हो। जब मै जेलके सीखचोके भीतर था तब भी मेरी यह लडाई चल रही थी। मै कई बार जेल गया हूँ लेकिन जब-जब मै वहाँ-से आया हूँ तब-तब मैने जेलके अधिकारियो और अपने सम्पर्कमे आनेवाले अन्य व्यक्तियोके रूपमे अपने मित्र ही छोडे है।

"अहिसाकी एक विशेषता है। उसकी क्रिया कभी रुकती नही। बन्दूककी गोली या तलवारके बारेमे यह बात नही कही जा सकती। गोली शत्रुको केवल नष्ट कर सकती है जब कि अहिसा शत्रुको एक मित्र बना सकती है, और इस प्रकार वह सविनय अवज्ञाकारीको इस योग्य बनाती है कि वह विपक्षीकी शक्ति-को आत्मसात् कर ले।"

गाधीजीने आगे कहा कि आप लोगोने अपने सविनय आज्ञा-भंगके द्वारा संसारके आगे अपना यह दृढ निश्चय प्रकट किया कि आप अंग्रेजोका शासन नही चाहते। परन्तु अब आप लोगोको इससे ऊँचे प्रकारके एक अन्य पराक्रमका प्रमाण देना है। उन्होने कहा कि खिलाफतके दिनोमे लम्बे-तडगे बलिष्ठ पठान सैनिक मुझसे और अली-बन्धुओसे छिपकर मिलने आया करते थे। उनको इसका अत्यंत भय बना रहता था कि कही उनके उच्चाधिकारी उनको हम लोगोके पास

आता हुआ न प्रेम में और इसके लिए उनको नौकरीसे न निकाल दिया जाय। उनका शरीर लम्बा चौड़ा था और उनके शरीरमें उस व्यक्तिसे अधिक शक्ति थी जिसके साथ वे दानवत व्यवहार किया करते थे। गांधीजीने कहा "मैं अपने भीतर एक ऐसी शक्ति चाहता हूँ जो सिवा ईश्वरके जो कि मेरा एकमात्र स्वामी और प्रभु है किसीको अर्पित न हो। लेकिन यह तभी हो सकता है जब कि मैं यह दावा कर सकूँ कि मैंने अहिंसाकी अनुभूति प्राप्त कर ली है।

उन्होंने कहा, अहिंसाका प्रयोग सीखनेके लिए किसी व्यक्तिका विद्यालयमें या शिक्षकके पास जानेकी आवश्यकता नहीं है अहिंसाकी शक्ति उसकी सरलतामें ही निहित है। यदि आप लोगोंने यह अनुभव कर लिया कि वह एक ऐसा सर्वाधिक सक्रिय सिद्धान्त है जो बिना किसी विश्राम या रोक-टोकके चौबीसों घंटे निरंतर चलता रहता है तो आप अपने घरोंमें मार्गोंमें और मित्रोंके साथ ही नहीं बल्कि शत्रुओंके साथ भी उसके प्रयोगके अवसर खोजने लगेंगे। आप चाहें तो अपने घरोंपर आजसे ही उसका अभ्यास कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि शत्रुओंके ऊपर क्रोध न करनेके लिए उन्होंने अपनेको काफी नियन्त्रित कर लिया था। साथ ही उन्होंने यह स्वीकार किया कि वे कभी कभी अपने आत्मीयों और मित्रोंपर क्रोधित हो उठते थे। लेकिन अहिंसाका यह अनुशासन उन्होंने अपने घरपर अपनी पत्नीसे सीखा है। गांधीजीने कहा कि मैं अपने घरपर एक अत्याचारी व्यक्ति जैसा व्यवहार किया करता था हालाँकि वह अत्याचार प्रेमके कारण ही होता था। 'मैं कस्तूरबाके ऊपर क्रोधित हो उठता था लेकिन वे मेरे क्रोधको बड़ी नम्रताके साथ बिना किसी शिकायतके सह लिया करती थीं। उनकी विरोधहीन नम्रताके इस गुणने मेरी आँख खोल दी। धीरे धीरे मुझको ऐसा लगने लगा कि मुझको उन्हें ऐसे आदेश देनेका कोई अधिकार न था। यदि मुझे उनके द्वारा अपने आदेशोंका पालन कराना था तो मुझे यह चाहिए था कि मैं उनको अपनी सारी बातें समझाऊँ और अपने विश्वासमें लूँ। इस तरह वे मेरी अहिंसाकी शिक्षिका बन गयीं। मेरा विश्वास है कि मुझको अपने जीवनमें उनसे बढ़कर कोई निष्ठावान और विश्वासपात्र साथी नहीं मिला। मैंने उनके लिए सचमुच जीवन एक नरक बना दिया था। आये दिन मैं अपनी रहनेकी जगह बदल दिया करता था। मैं इस बातका कि आज उन्हें कौनसा वस्त्र पहनना है उनको आदेश देता था। मेरे घरपर प्रायः नित्य मुसलमान और अछूत लोग आया करते थे। कस्तूरबाका पालन-पोषण एक परम्परा निष्ठ परिवारमें हुआ था जिसमें छुआछूत मानी जाती थी। मैं उनकी स्वाभाविक अनिच्छाका कोई खयाल न करके उनसे उन लोगोंके

सेवा-कार्य कराता था। लेकिन इसके लिए उन्होने मुझे कभी इनकार नही किया। उनको एक शिक्षिता स्त्री नही कहा जा सकता था। वे अत्यंत सीधी-सादी थी और उनके ऊपर आधुनिक सस्कारोकी छाप न थी। उनकी इस निर्दोष सरलता-ने ही मुझको जीत लिया।'

"आपके घरपर आपकी माताएँ, बहने और पत्नियाँ है।" गाधीजीने आगे कहा, "आप उनसे अहिंसाका यह पाठ सीख सकते है। आपको सत्यका व्रत भी पालन करना चाहिए। आपको अपने-आपसे यह प्रश्न करना चाहिए कि मुझे सत्य कितना प्रिय है और मन, वचन और कर्मसे मै उसका कितना पालन कर सकता हूँ? जिस व्यक्तिने सत्यका व्रत नही लिया वह अहिसासे बहुत दूर है। असत्य स्वयं ही हिंसा है।"

रमजानके महीनेका प्रारम्भ था। गाधीजीने उन लोगोको यह बतलाया कि अहिंसा-व्रतको शुरू करनेके लिए इस मासका किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। उन्होने कहा, "मुझे ऐसा लगता है, हमारी यह धारणा बन गयी है कि खान-पानको छोड देनेसे ही रमजानका व्रत शुरू होता है और उसीसे वह पूर्ण होता है। लेकिन हम इस बातको कभी सोचनेतक नही कि रमजानके पवित्र मासमे हम क्षुद्र बातोको लेकर क्रोधमे भर जाते है और एक-दूसरेका अपमान करने लगते है। रोजा तोडनेके समय यदि पत्नीको हमे भोजन परोसनेमे थोडी-सी भी देर हो जाती है तो हम उसपर अपशब्दोके जलते कोयले उडेल देते है। मै इसे रमजानका व्रत नही बल्कि उसकी एक मजाक उड़ाना कहूँगा। यदि आप वास्तवमे अपने भीतर अहिंसाकी भावनाको जाग्रत करना चाहते है तो आपको इस बातकी शपथ लेनी चाहिए कि स्थिति कैसी भी क्यों न हो, आप अपने परि-वारके किसी सदस्यपर क्रोधित नही होगे और न अपना मानसिक संतुलन बिगा-डेगे। आप उन लोगोको लेकर क्रोधके वशीभूत नही होगे। इस प्रकार आप अपने भीतर अहिंसाकी भावनाको उत्पन्न करनेके लिए अपने दैनिक जीवनके मामूली छोटे-छोटे मौकोको भी इस्तेमाल कर सकते है और उसे अपने बालकोको भी सिखला सकते है।"

उन्होने एक अन्य उदाहरण दिया। मान लीजिए कि कोई अन्य बालक उनके बालकको एक पत्थर मारता है। सामान्य रूपसे पठान अपने बच्चेसे यह कहते है कि वह कराहता हुआ अपने घर न लौटे बल्कि पत्थरका जवाब और भी बडे पत्थरसे दे। परन्तु अहिंसाका एक उपासक अपने बच्चेसे यह कहेगा कि वह पत्थर का जवाब पत्थरसे न दे बल्कि पत्थर मारनेवाले बालकको प्रेमसे अपने गले लगा

ले और उसे अपना मित्र बना ले। क्रोधको अपने हृदयसे पूर्ण रूपसे निकाल देने का और हर एकको अपना मित्र बना लेनेका यह सूत्र वास्तवमें भारतको उसकी स्वाधीनताके लिए काफी है। यह सबसे शीघ्रताका और सबसे निश्चित मार्ग है। मेरा तो यह दावा है कि भारतकी गरीब जनताके लिए अपनी स्वाधीनता प्राप्त करनेका यही एकमात्र मार्ग है।

अस्सी मीलकी यात्रा करके २४ अक्तूबरको गांधीजी बन्नू पहुँच गये। मार्गके बड़े-बड़े गांवोंमें ग्रामवासियोंने केलेके खम्भों और हरे पत्तोंसे मेहराबदार द्वार खड़े किये थे। जिस ओरसे गांधीजी आ रहे थे उस ओर बन्नू शहरसे आठ मीलकी दूरीतक समान अंतरपर लाल कुरतीधारी स्वयंसेवक खड़े किये गये थे। उनके बीचमें वजीरिया भिनान्नियों और आरकजइयोंके झुण्ड खड़े हुए थे जो किसी डोरीमें गाँठ सरीखे लगते थे। उनकी हवामें लहराती हुई पोशाकें, ढीली-ढाली, फूली हुई-सी शल्वारें उनके ऊँट और उनके कंधेपर रखी हुई पुराने ढङ्गकी बन्दूकें—एक अद्भुत दृश्य खड़ा कर रही थीं। सुरनई के ग्राम्य-वाद्य और ढोल की आवाजोंने जनतामें एक स्फूर्ति और उत्साह भर दिया था।

बन्नू शहरपर जो एक चहारदीवारीसे घिरा था अभी कुछ दिनों पहले ही छापा पड़ा था। उसका प्रभाव नगरपर अबतक बना था। एक दिन शामको लगभग दो सौ छापामारोंने चहारदीवारीके एक द्वारको बलपूर्वक खोल लिया या किसी तरह वहांपर नियुक्त संतरियोंसे खुलवा लिया। उस समय शहरके लोग जाग रहे थे। सीमा पारके इन हमलावरोंने शहरमें घुसते ही बन्दूकोंसे फायर किये और फिर कुछ दूकानोंमें आग लगा दी। उन्होंने नगरकी बहुत-सी दूकानोंको लूट लिया। फिर भी पुलिसने उनके काममें कोई रुकावट नहीं डाली और न उनका सामना किया। चहारदीवारीका वह द्वार खुला ही पड़ा रहा। छापामार लगभग तीन लाखका मूल्यका सामान लेकर जैसे आये थे वैसे ही खुले रास्तेसे चले गये। छापेमें शहरके बहुतसे लोग मारे गये। इस छापेसे पहले बन्नू शहर और अन्य स्थानोंपर तीन सालके भीतर बाईस छापे पड़ चुके थे जिनमें तेरह हिन्दू और मुसलमान मारे गये थे। इस छापेमें बदमाश छापामार लगभग एक दर्जन हिन्दुओं को अपने साथ पकड़कर ले गये। कांग्रेसकी कार्य-समितिने अपने एक सदस्य मि० आसफ अलीको पिछले छापोंकी जांचका कार्य सौंपा। मि० आसफ अलीने सीमा प्रान्तमें गांधीजीके साथ कुछ देरतक बातचीत की और फिर बन्नूके छापेके बारे में अपना विस्तारयुक्त वर्णन प्रस्तुत किया।

बन्नूमें नागरिक सुरक्षा समिति और 'पीड़ित सहायता समिति' के प्रति

निधि-मंडलोंने आकर गांधीजीसे मुलाकात की। उनके अलावा वजीरी कवाइलियो-का एक दल और अपहृत व्यक्तियोके कुछ दु खी सम्बन्धी भी गांधीजीसे आकर मिले। २५ अक्तूबरको गाधीजीने एक अविस्मरणीय भापण किया

"सम्भवत. आप लोग यह जानते होगे कि पिछले दो माससे मैने पूर्ण मौन ग्रहण किया है। मुझे इससे लाभ हुआ है और मुझे विश्वास है कि देशको भी इससे लाभ हुआ है। मेरे इस मौनका मूल कारण मेरी घोर मानसिक अशाति थी। परन्तु इसके पश्चात् इसके अपने गुणोके कारण मैने इमे एक अनिश्चित अवधिके लिए वढा लिया। मेरे लिए इसने सुरक्षाकी एक दीवारका काम दिया है और इसके कारण मै पहलेसे अच्छा कार्य कर सका हूँ। जव मै यहाँ आया तव केवल खुदाई खिदमतगारोसे वातचीत करनेके लिए मैने इसे कुछ शिथिल कर दिया। वादमें खान साहव खान अब्दुल गफ्फार खाँके दवावके आगे मुझको झुक जाना पडा।

"मैने आज प्रतिनिधि-मण्डलोसे मिलने और उनके दिये हुए कागजोका अध्ययन करनेमे कई घण्टे विताये। वन्नूमें पिछले दिनो जो हमला हुआ और उसके साथ जो घटनाएँ हुई, उन्होने मेरे मनको अत्यधिक स्पर्श किया हे। चूंकि यह प्रदेश एक ओरसे ऐसी सीमासे घिरा है जिसके उस पार वहुत-सी सरहदी जन-जातियाँ वसती है और उनमे वहुतसे लोगोका पेशा ही छापा मारना है इसलिए इस प्रान्तकी स्थिति कुछ विचित्र है और अन्य प्रान्तोसे भिन्न है। जहाँतक मै जान सका हूँ ये छापे किसी साम्प्रदायिक उत्तेजनाके कारण नही डाले जाते है। हमला-वरोका उद्देश्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओकी संतुष्टि जान पडता है। हिन्दू लोग इन छापोके अधिक शिकार हुए है। शायद इसका कारण यह है कि सामा-न्यतया ये अधिक पैसेवाले है। मुझको अपहरणका भी यही उद्देश्य जान पडता है। मेरी दृष्टिमे इस तरहके लगातार छापे भारतके इस भागमे अंग्रेजोकी असफ-लताके प्रमाण है। सीमाप्रान्त सम्वन्धी नीतिपर इस देशके करोडो रुपये व्यय हुए है और हजारो जीवनोका वलिदान चढा है। फिर भी वहादुर कवाइली लोगो को अवतक अपने अधिकारमे नही लिया जा सका है। जो वृत्तात मैने आज सुने यदि वे विलकुल सही है और मेरा विश्वास है कि वे सही है तो इस प्रदेशमे किसीका भी जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित नही है।

"आज मै ऐसे अनेक व्यक्तियोसे मिला, जिनके सम्वन्धी या प्रियजन इस छापे में मारे गये है या उनका अपहरण किया गया है अथवा उन्होने छापेमारोको कुछ धन देकर उनसे मुक्ति पायी है। जव मैने उनके दु.खोकी भयानक कथाएँ सुनी तो

मेरा मन उनके प्रति सहानुभूतिसे भर गया। परन्तु आपके आगे मैं यह स्वीकार करता हूँ कि अपने मनमें पूरी इच्छा रखते हुए भी मेरे पास ऐसा कोई जादू नहीं है जिससे कि मैं उन लोगोंको उनके परिवारोंके पास ला सकूँ। आपको सरकारसे या कांग्रेस मन्त्रिमण्डलसे भी इसकी अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यह किसी भी सरकारके वशकी बात नहीं है। फिर भी वर्तमान ब्रिटिश सरकार तो यह इच्छा तक नहीं रखती कि अपने किसी प्रजा-जनका अपहरण हो जानेपर वह अपने सैनिक साधनोंको प्रत्येक समय गतिशील करे जबतक कि अपहरण किया गया व्यक्ति शासकोंकी जातिका ही न हो।

'सारे तथ्योंका अध्ययन करनेके पश्चात मेरी यह धारणा बन गयी है कि जबसे इस प्रदेशमें कांग्रेस सरकारकी स्थापना हुई है तबसे इन हमलोंकी हालत और भी बिगड़ी है। पुलिसके ऊपर यहाँके कांग्रेस मन्त्रिमण्डलका कोई प्रभावपूर्ण नियन्त्रण नहीं है और सेनापर नियन्त्रणका तो प्रश्न ही नहीं है। अन्य प्रान्तोंमें कांग्रेसके मन्त्रिमण्डलोंकी अपेक्षा यहाँ और कम नियन्त्रण है। इसलिए मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि यदि डा० खान साहब छापोंसे सम्बन्धित इस प्रश्नको नहीं सुलझा पाते तो उनके लिए त्यागपत्र दे देना ही अच्छा है। यदि छापोंकी संख्या इसी प्रकार बढ़ती गयी तो मुझको भय है कि इस प्रदेशमें कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा खो बैठेगी। मेरी रायको छोड़कर आपको अपने-आपसे यह प्रश्न करना है कि मेरी बतलायी हुई इन सब कठिनाइयोंके बावजूद आप कांग्रेस मन्त्रिमण्डल रखना चाहेंगे या कोई अन्य। कुछ भी कहिए मुख्य मन्त्री आपका सेवक है। उसको तिहरी अनुमतिसे अपने पदपर काम करना पड़ता है। उसे अपने निर्वाचन क्षेत्र प्रान्तीय कांग्रेस समिति और अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणीकी अनुमतिसे अपना काम चलाना पड़ता है।

'जो लोग आज मुझसे मिले उनमेंसे कुछने मुझसे प्रश्न किया कि क्या वे सुरक्षाकी खोजमें सीमाप्रान्तको छोड़कर जा सकते हैं। मैंने उनसे कह दिया कि जब सम्मान और सुरक्षाके साथ रहनेका कोई रास्ता न हो तो प्रदेशका त्याग किया जा सकता है। यह पूरा प्रश्न एक वर्ष पुराना है। मेरे पास एक शिकायत और आयी। वह यह है कि छापोंसे प्रभावित क्षेत्रोंमें अब मुसलमान दुकानदारोंने हिन्दुओंका बहिष्कार करना शुरू किया है जितना कि अभी...[illegible] एक ही दुकानदारोंसे हमारे ...[illegible] पहले किया करते थे। इन लोगोंकी शिकायत है कि मुस्लिम जन-समुदाय अब छापामारोंका समर्थन करती है। उनका यह कथन सत्य भी हो तो भी इस मामलेमें मैं आपको सावधान कर

देना चाहता हूँ। यदि आप अपनी रक्षाके लिए अन्य लोगोके सशस्त्र सहयोगपर निर्भर करते हैं तो आपको अभी या बादमें इन रक्षा करनेवाले लोगोका आधिपत्य स्वीकार करनेके लिए तैयार रहना होगा। आपको यह अधिकार अवश्य प्राप्त है कि आप शस्त्रके द्वारा आत्मरक्षा करनेकी कलाको सीखे। इस स्थितिमे भी आपको सहयोगकी भावनाको विकसित करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप किसी भी स्थितिमे कायरताके दोषके अपराधी न बनें। आत्मरक्षा प्रत्येक व्यक्तिका एक जन्मजात अधिकार है। मैं भारतमे एक भी कायर व्यक्ति नही देखना चाहता।

"चौथा पर्याय यह है कि आप इस प्रश्नको अहिंसात्मक ढंगसे सुलझाये जैसा कि मेरा सुझाव है। आत्मरक्षाका यह सबसे निश्चित और सबसे अचूक उपाय है। यदि मुझको अपनी इच्छाके अनुकूल कार्य करने दिया जाय तो मैं यह चाहूँगा कि मैं कवाइली क्षेत्रोमे जाऊँ और वहाँके लोगोसे मिलकर उनके आगे अपने तर्कोको रखूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे प्रेम और न्यायपूर्ण तर्कोके लिए उनके हृदय-द्वार बन्द न रहेगे। लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा द्वार बन्द है। सरकार मुझको उनके प्रदेशमे जानेकी अनुमति नही देगी।

"कबाइलीको जैसा चित्रित किया जाता है, वह वैसी भयानक प्रकृतिका मनुष्य नही हो सकता। वह भी मेरे और आपके जैसा एक आदमी है। मानवीय भावनाओका एक अनुकूल उत्तर देनेकी योग्यता वह भी रखता है। उसके साथ अबतक जो व्यवहार किया गया है, उसमे मानवीय भावनाएँ प्रत्यक्ष रूपसे अनुपस्थित रही हैं। आज दोपहरको मुझसे कुछ वजीरी लोगोने भेट की। मैंने उनकी प्रकृतिमे और किसी दूसरी जगहके मनुष्यकी प्रकृतिमे कोई मूल भिन्नता नही पायी। मानव-प्रकृति अनिवार्यत बुरी नही होती। पाशविक प्रकृति भी प्रेमके प्रभावके सामने झुकती हुई देखी गयी है। मानव-प्रकृतिमे आपकी आस्था होनी चाहिए। आप तो व्यापारी समुदायके लोग हैं। आपके पास सबसे उत्कृष्ट और सबसे मूल्यवान् वस्तु प्रेम है। अपने मालका यातायात करते समय उसे मत छोडिए। आप कबाइलियोको अधिक-से-अधिक जितना प्रेम दे सकते हैं उतना उनको दीजिए। निश्चय ही उनसे बदलेमे आपको प्रेम मिलेगा।

"छापेसे अपनी रक्षा करनेके प्रयोजनसे यदि आप छापामारोपर धनका दबाव डालते हैं, उनको बिना छापा मारे लौट जानेके लिए घूस देते हैं या अपहरण होनेपर अपने छुटकारेके लिए उनको धन देते हैं तो उनके लिए बार-बार लूट करनेके लिए यह एक आमंत्रण होगा। वह आपको और कबाइली छापामार—

दोनोंका आचार भ्रष्ट करेगा। युक्ति-सगत माग यह है कि आप उनको धन न दें बल्कि उनको उद्योग धधे सिखलायें और उनको इस दुर्दशासे उबार लें। इस प्रकार आप उस मूल उद्देश्यको ही पूरे कर दें जिसके कारण उनको छापा मारनेकी आदत पड गयी है।

'इस बारेमें मेरी खुदाई खिदमतगारोंके साथ बातचीत चल रही है और मैं बादशाह खानके सहयोगसे एक योजना बना रहा हूँ। यदि यह योजना फलदायी होती है और वास्तवमें खुदाई खिदमतगार अपने नामके अनुकूल गुणोंको अपना लेते हैं तो उनके आदर्शका प्रभाव गुलाबकी मीठी महककी तरह कबाइलियोंके इलाकेमें भी फैलेगा और सम्भव है कि इससे सीमाकी समस्याका एक स्थायी हल निकल आये।

गाधीजीने खुदाई खिदमतगारोंके अधिकारियोंको शक्तिशाली अहिंसा और दुर्बलकी अहिंसाके बीचका अन्तर समझाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि यदि रचनात्मक कार्य एक राजनीतिक अभियानके रूपमें अपनाया जाता है अथवा वह रचनात्मक कार्य अहिंसासे जुड़ा होता है अथवा एक लोकोपकारी क्रिया-कलापके रूपमें उठाया जाता है तो तीनों स्थितियोंमें क्या अन्तर होता है? गाधीजीने उनको वे दिन स्मरण दिलाये जब कि भारतमें अहिंसात्मक आन्दोलन प्रारम्भ किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय लाखों मनुष्योंने यह अनुभव किया कि वे तलवारके बलपर ब्रिटिश सरकारसे नहीं लड़ सकते क्योंकि सरकारके पास उनसे अधिक शस्त्र हैं। उस समय उन्होंने (गाधीजीने) उन लोगोंसे कहा कि यदि आपके पास अधिक शस्त्र हो और आप तलवार लेकर लड़ने जायें तो भी आपको मृत्युका सामना करनेके लिए तैयार रहना होगा। लड़ते समय यदि आपके हाथकी तलवार टूट जाती है तो आपकी मृत्यु निश्चित है। फिर आप किसीको मारनेकी नहीं बल्कि स्वय मरनेकी कलाको क्यों नहीं अपनाते? और अपना आत्मिक शक्तिसे शत्रुको क्यों नहीं पछाड़ते? सरकार आपको कारागृहमें डाल सकती है, आपकी सम्पत्तिको जब्त कर सकती है, यहाँतक कि आपके प्राण भी ले सकती है, लेकिन इससे क्या हुआ? गाधीजीने कहा कि उनके इस कथनने लाखों के हृदयमें घर कर लिया लेकिन उनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो मन ही मन यह सोचते रहे कि यदि उनके पास पर्याप्त शस्त्रोंकी शक्ति होती तो वे सशस्त्र लड़ाई का मार्ग ही पसन्द करते। उन लोगोंके पास अहिंसाके अलावा और कोई मार्ग न था इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार किया। दूसरे शब्दोंमें उनके हृदयमें हिंसा मौजूद थी केवल वह व्यवहारमें नहीं लायी जा रही थी। उनकी यह अहिंसा एक वीर

हाथिकारा पैसा और औषधियोंका पूर्ण बहिष्कार शामिल थी हुई और हाथका बुनी हुई खादीका प्रचार और गृह उद्योगोंका प्रोत्साहन इस रचनात्मक कार्यक्रममें शामिल थे। उनको केवल राजनीतिक उद्देश्य-पूर्तिके लिए नहीं बल्कि अहिंसाके एक अभिन्न अंगके रूपमें अंगीकार कर लिया गया था। दोनोंमें एक मूल अन्तर है। उदाहरणार्थ हिन्दू-मुस्लिम एकताको कार्य-साधनके रूपमें अपनाना एक बात है और उसे अहिंसाके एक अभिन्न अंगके रूपमें अंगीकार करना दूसरी बात। पहली वस्तु अपनी मूल प्रकृतिमें ऐसी नहीं है कि वह एक स्थायी वस्तु हो। ज्यों ही यह अनुभव किया जायगा कि राजनीतिक ध्येय सिद्धिके लिए अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गयी त्यों ही उसको परे कर दिया जायगा। वह प्रतिपक्षीके लिए एक चाल या एक बहानामात्र हो सकती है। लेकिन जब वह अहिंसाके कार्यक्रमका एक अंग होगी तो उसकी जड़ें केवल प्रेममें होंगी। उस तरह हृदय रक्तसे सोचा जायगा।

इसी तरहसे चरखेको भी अहिंसासे जोड़ना पड़ा। आज भारतमें लाखों लोग बेकार और निराश्रित हैं। जैसा कि दक्षिण अफ्रीकामें होता है उनके साथ एक व्यवहार तो यह किया जा सकता है कि उनको भूखा मरनेके लिए छोड़ दिया जाय ताकि शेष व्यक्तियोंमेंसे प्रत्येकको भूमिका अधिक भाग मिल सके। यह एक हिंसात्मक मार्ग है। दूसरा रास्ता अहिंसाका है। यह प्रत्येक प्राणीको उसकी अंतिम घड़ीतक बचानेके सिद्धान्तको स्वीकार करता है। यह सिद्धान्त हमसे यह अपेक्षा करता है कि हम ईश्वरके रचे हुए प्रत्येक प्राणीको छोटेसे छोटे व्यक्तिको आदर और स्नेह दें। इस मार्गका पथिक उस वस्तुको ग्रहण करना अस्वीकार कर देगा जिसमें सब व्यक्ति समान रूपसे अपना भाग न बटायें। यह सिद्धान्त हाथसे काम करनेवाले श्रमजीवियोंपर भी लागू होता है। उनमें जो लोग अधिक सुखी और सम्पन्न हैं उनको अपनेसे कम सुखी और सम्पन्न लोगोंको समान आदर देना चाहिए और उनको अपनेमें ही एक समझना चाहिए। इस विचार धाराने गांधीजीको चरखेकी खोजके लिए प्रेरित किया। उन्होंने लिखा है: जब मुझे चरखेके प्रयोगका पता लगा तब मैंने चरखा देखा भी न था। वस्तुतः हिन्द स्वराज्य में मैंने इसे 'हथकरघा' कहा था क्योंकि उस समय मैं सूत कातनेवाले चरखे और हथकरघेके अन्तरको नहीं जानता था। उस समय मेरे मानस चक्षुओंके आगे गरीबीके बोझसे दबे हुए वे भूमिहीन श्रमिक थे जिनके पास न कोई नौकरी थी और न जीवन निर्वाहका अन्य कोई साधन। मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूँ?—मेरे आगे यह समस्या थी। यद्यपि इस समय मैं आपके साथ इन आरामदेह मकानोंमें हूँ लेकिन

मेरा हृदय दु खी और पीडित जनोके साथ उनकी कुटियोमे है । उन लोगोके बीच-मे मै अधिक आनन्द अनुभव करूँगा । यदि मैने अपनेको आराम और सुखके वशी-भूत हो जाने दिया होता तो एक अहिंसाके उपासकके नाते यह मेरा एक अनुचित कार्य होता । वह क्या चीज है जो मुझे और एक गरीबको एक सजीव कडीके रूपमे जोडे रख सकती है ? मेरा उत्तर है कि वह वस्तु चरखा है । किसीने अपने जीवनमे कोई भी पेशा क्यो न अपनाया हो और उसका पद कोई भी क्यो न हो चरखा अपनी समस्त प्रकट विशेषताओके साथ, उसे एक गरीबके साथ सुनहले पुलकी भाँति जोडे रखेगा। उदाहरणके लिए, मान लीजिए कि मै एक डाक्टर हूँ। जिस समय मैं चरखेसे, पर-हितके लिए, यज्ञका पवित्र धागा खीचूगा तब चरखा मेरे मनमे यह विचार जाग्रत करेगा, 'मै मोटी-मोटी फीसोके लालचसे सम्पन्न महलोके राजघरानोमे जाता हूँ परन्तु इसकी वजाय मै असहाय जनोकी पीडाओ-को कैसे शान्त कर सकता हूँ ?' चरखा मेरा आविष्कार नही है, वह इस देशमे वहुत पहलेसे है । मेरी खोज यह है कि मैने उसे अहिंसा और स्वतंत्रतासे सम्वद्ध कर दिया । प्रभुने मेरे हृदयमे यह प्रेरणा दी—'यदि तुम अहिंसाके द्वारा कार्य करना चाहते हो तो तुम छोटी-छोटी चीजोको लेकर आगे बढो, वडीको नही ।' जैसा कि मैने इस सम्वन्धमे विचार व्यक्त किया था, पिछले वारह वर्षोमे यदि हमने चतुर्मुखी कार्यक्रमको पूर्ण रूपसे कार्यान्वित किया होता तो आज हम अपने स्वामी होते । तव किसी भी विदेशी शक्तिका हमारे ऊपर कुदृष्टि डालनेका साहस न होता । यदि हमारे भीतर हमारा कोई शत्रु न होता तो कोई बाहरसे यहाँ आनेकी और हमे हानि पहुँचानेकी हिम्मत नही कर सकता था । यदि कभी कोई आता भी तो हम उसे अपनेमे आत्मसात् कर लेते और वह हमारा शोषण न कर पाता ।"

गाधीजीने अपने भाषणके निष्कर्ष रूपमे कहा, 'मै चाहता हूँ कि आप इस प्रकारकी अहिंसाको प्राप्त करें । मैं आपसे २४ कैरेटके सोने वननेकी अपेक्षा करता हूँ, इससे कमके नही । यह ठीक है कि आप मुझको धोखा दे सकते है । यदि आप ऐसा करेगे तो इसके लिए मै अपनेको ही दोष दूँगा । यदि आप सच्चे है तो आपको इसे अपने कार्य द्वारा सिद्ध करना होगा । किसी भी मनुष्यको किसी लाल कुरतीवालेसे भयभीत होनेकी आवश्यकता न हो या जवतक लाल कुर्तीवाले जीवित है तवतक कोई किसीसे भयभीत न हो ।"

वन्नूसे चलनेसे पहले गाधीजी उस मौकेको देखने गये जहाँ कि कुछ दिनो पहले छापा पडा था । इसके वाद वे लक्कीके लिए रवाना हुए । वहाँ खान अब्दुल

गफ्फार खाँने उनके लिए खटक दलने एक 'नृत्य स्पर्धा' का विशेष रूपसे आयो जन कराया था। यह नृत्य तलवारके खेलकी गतियोपर आधारित था और खटक लोगोमे अत्यत लोकप्रिय था। इसमें नर्तक हाथीकी भाँति भूमिपर दृढ़तासे अपना पैर जमाता है और फिर किसी छोटेसे सुन्दर मृग-छौनेकी भाँति उछाल लेता है। यह नृत्य भी अन्य लोक-कलाओकी भाति शनै शनै लोप होता जा रहा था परन्तु खुदाई खिदमतगारोका आन्दोलन पुरातन स्थानीय पख्तून सस्कृतिके सभी श्रेष्ठ पहलुओको नया जीवन देनेकी चेष्टा कर रहा था इसलिए ये कलाएँ फिर उभर रही थी। नर्तककी तालबद्ध गतियाकी ओजपूर्णता और साज़िन्दोने ढोल और ग्राम्य वाद्य 'सुरनई' की ध्वनियाके साथ मिलकर दर्शकोको मत्रमुग्ध-सा कर दिया।

रात्रिके समय सभा हुई। उसमें गाधीजीके भाषणका विषय था 'नि शस्त्री करणकी शक्ति'। मचके पीछे एकत्रित पुराने ढगकी देशी बन्दूकोकी और चालू राइ फलोका एक जगल दर्शकोको रोमाचित कर रहा था और गाधीजीके भाषणकी विषयवस्तुको एक पृष्ठ भूमि प्रदान कर रहा था। उन्होने कहा

"एक सशस्त्र सैनिक अपनी शक्तिके लिए अपने हथियारोपर निर्भर होता है। उससे उसके हथियार उसकी बन्दूक या उसकी तलवारको ले लीजिए तो वह सामान्यत अपनेको असहाय अनुभव करने लगेगा। उसकी प्रतिरोध शक्ति मूर्छित हो जायगी और उसके आगे आत्म-समर्पणके अलावा अन्य कोई चारा न रहेगा। परन्तु जिसने वास्तवमें अहिंसाका अनुभव किया है, उसका हथियार ईश्वरीय शक्ति होगी एक ऐसी शक्ति जिसमे उसे कोई वचित नही कर सकता और जिसका ससारमे किसी हथियारसे मुकाबला नही किया जा सकता। आदमी अपनी असाव धानीके क्षणोमे ईश्वरको भूल जाते है परन्तु वह हमारे ऊपर दृष्टि रखता है और सदैव हमारी रक्षा करता है। यदि खुदाई खिदमतगारोने इस रहस्यको समझ लिया है और यह अनुभव कर लिया है कि इस ससारमें अहिंसा सबसे बडी शक्ति है तो यह बहुत अच्छी बात है। अन्यथा बादशाह खानके लिए जिनका आदर्श सामने रखकर खुदाई खिदमतगारोने शस्त्रत्याग किया है यह अच्छा होगा कि वे उनके लिए फिर शस्त्र जुटा दें। ऐसी स्थितिमें खुदाई खिदमतगार उस ससार की दृष्टिमें तो वीर बने रहेंगे जिसने कि पशुबलकी उपासनाको आज अपना धर्म बना लिया है। लेकिन यदि उन्होने अपने शस्त्र त्याग दिये परन्तु इसके साथ ही वे अहिंसाकी शक्तिके लिए भी अजनबी बने रहे तो यह एक दु खान्त घटना होगी, जिसके लिए कमसे कम मैं, और जहाँतक मैं जान सका हूँ बादशाह खान भी तैयार नही होंगे।"

अहिंसात्मक संगठनके सम्बन्धमे खुदाई खिदमतगारोको सम्बोधित करते हुए उन्होने कहा . "वे सिद्धान्त, जिनके ऊपर अहिंसात्मक संगठन निर्भर है, उन सिद्धांतोसे भिन्न तथा विपरीत है जो कि किसी हिंसात्मक संगठनमे अपनाये जाते हैं। उदाहरणके लिए, सेनाके एक अधिकारी और एक साधारण सिपाहीके बीच एक भेदभाव चलता आ रहा है। सिपाही अफसरके अधीन होता है और दर्जेमे उससे छोटा समझा जाता है जब कि अहिंसात्मक सेनामे एक अफसर केवल एक प्रधान सेवक होता है। जहाँ सब लोग समान समझे जाते है वहाँ वह केवल एक पहला व्यक्ति होता है। किसीके ऊपर वह अपने पद, श्रेणी या श्रेष्ठताका दावा नही करता। आप लोगोने खान अब्दुल गफ्फार खाँको 'बादशाह खान'की उपाधि दी है। परन्तु यदि अपने मनमे वे सचमुच यह समझने लगे कि उनको एक साधारण जनरल जैसा व्यवहार करना चाहिए तो यह विचार उनको पतनकी ओर ले जायगा और उनकी सारी शक्तिको नष्ट कर देगा। वे इस अर्थमे सचमुच बादशाह है कि वे सबसे सच्चे और सबसे प्रधान खुदाई खिदमतगार है और वे सेवाके गुण और परिमाणमे शेष समस्त खुदाई खिदमतगारोमे श्रेष्ठ है।

"एक सैनिक सगठन और एक शान्ति-संगठनमे दूसरा अन्तर यह होता है कि सैनिक सगठनमे अपने जनरल या अन्य अधिकारियोके चुनावमे एक सामान्य सिपाहीका कोई हाथ नही रहता। वे लोग उसके ऊपर थोप दिये जाते है और उसपर मनमाना हुक्म चलाते है। अहिंसक सेनामे जनरल और अधिकारियोको चुना जाता है और वे निर्वाचित लोगोकी भाँति व्यवहार किया करते है। उनका अधिकार केवल नैतिक होता है और वह मुख्य रूपसे सैनिकोकी स्वेच्छिक आज्ञा-कारितापर निर्भर होता है।

"यह तो अहिंसक सेनाके जनरल और उसके सिपाहियोके आन्तरिक सम्बन्धो की बात रही। यदि उनके बाह्य विश्वके सम्पर्कोको देखें तो वहाँ भी हमको ऐसे सम्बन्ध दिखलाई देगे। अभी-अभी हमको एक बहुत बडी भीडसे निबटना पडा, जो कि इस कमरेके आगे इकट्ठी है। आपने बल-प्रयोगसे नही बल्कि अनुनय-विनय और अपने प्रेमपूर्ण तर्कोसे उसे यहाँसे हटाना चाहा और आप जब अपने इस प्रयास-मे असफल हुए तो अन्तमे वापस आ गये और इस कमरेके दरवाज़ोको बन्द करके बैठ गये। फौजी अनुशासन नैतिक दबावको नही जानता।

"अब मै इससे भी एक कदम आगे जाता हूँ। ये सब लोग जो बाहर भीड लगाये है, यद्यपि खुदाई खिदमतगार नही है, फिर भी हमारे मित्र है। ये लोग हमारी बातोको उत्सुकताके साथ सुनना चाहते है। इनके अलावा अन्यत्र कुछ

ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनका हमारे प्रति अच्छा व्यवहार न हो अथवा वे हमारे विरुद्ध हों। सैनिक संगठनमें इस प्रकारके लोगोंके लिए एक ही निर्धारित मार्ग है, वह यह कि उनको बलपूर्वक खदेड़ दिया जाय। परन्तु इस क्षेत्रमें यह सोचनातक कि यह हमारा विरोधी है, या किसी कारणवश हमारा शत्रु है अहिंसा अथवा प्रेमकी भाषामें एक पाप होगा। अहिंसाके उपासकके लिए बदला लेनेकी बात तो बहुत दूर रही, वह अपने प्रतिपक्षीके हृदय-परिवर्तनके लिए प्रभुसे प्रार्थना करेगा। यदि ऐसा नहीं होता तो वह अपने विरोधी द्वारा पहुँचाये गये प्रत्येक सम्भावित आघातको किसी गिरी हुई या कायरताकी भावनाके साथ नहीं बल्कि प्रसन्न मुखसे झेलनेके लिए तैयार रहेगा। उस समय उसके हृदयमें एक वीरताका भाव होगा। मैं बिना किसी संशयके इस प्राचीन कथनपर विश्वास करता हूँ कि अहिंसा कठोर पाषाण हृदयोंको भी निश्चय ही पिघला सकती है।"

उन्होंने अपने कथनको उदाहरण देकर समझाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीकाके पठान मीर आलमकी बातें बतलायी जिसने कि उनके ऊपर घातक आक्रमण किया था। उन्होंने यह बतलाया कि अन्तमें उसे कैसा पश्चात्ताप हुआ और वह कैसे उनका मित्र बन गया। उन्होंने कहा "यदि मैं बदला ले लेता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता था। मेरा यह कार्य पूरी तरहसे हृदय-परिवर्तनकी प्रक्रिया कहा जा सकता है। यदि आप अपने अन्तरमें इस प्रेरणाको अनुभव नहीं करते कि आपको प्रेमसे अपने शत्रुका हृदय-परिवर्तन करना चाहिए तो आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप भिन्न वर्गकी खोज करें। अहिंसा आपके लिए नहीं है।

'अब आप मुझसे पूछेंगे कि हमें चोर-डाकुओं और रक्षाहीन महिलाओंको भ्रष्ट करनेवाले व्यक्तियोंके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या एक खुदाई खिदमतगारके लिए इनके प्रति भी अहिंसा बनाये रखना आवश्यक है? इसके उत्तरमें मैं निश्चित रूपमें 'हाँ' कहूँगा। दण्ड देनेका अधिकारी केवल वह ईश्वर है जिसके निर्णयोंमें भ्रान्तिकी सम्भावना नहीं है। यह आदमीकी चीज नहीं है जिसके फैसले कमजोर हुआ करते हैं। दुष्कर्मोंका सामना करते समय यदि हम हिंसाका त्याग देते हैं तो इसका अभिप्राय यह नहीं होना चाहिए कि हम उनकी ओरसे उदासीन हैं या हम अपनेको असहाय अनुभव कर रहे हैं। यदि आपकी अहिंसा सच्ची है और उसकी जड़ें प्रेममें हैं तो वह दुष्कर्मोंके सुधारके लिए निश्चय ही पशुबलके प्रयोगसे अधिक प्रभावकारी होगी। मैं आपसे यह दृढ़ आशा करता हूँ कि आप डाकुओंकी खोज करेंगे और उनको उनके रास्तेकी भूलें समझायेंगे। इस कार्यके करनेमें जीवनके अंतिम क्षणतक आप वीरताका परित्याग

नही करेंगे।"

२७ अक्तूवरकी शामको गाधीजी डेरा इस्माईल खाँ पहुँच गये। सन् १९३० का हिन्दू-मुसलिम दगा अपने पीछे लूट-मार और घरोमे आग लगानेकी दु खद स्मृतियोको छोड गया था लेकिन डेरा इस्माईल खाँमे अब भी अशातिकी एक लहर चल रही थी और वह उसके दौरमेसे गुजर रहा था। स्थानीय काग्रेस कमेटी नाम मात्रके लिए अपना अस्तित्व वनाये हुए थी। उसके स्वयसेवक खुदाई खिदमतगारोको अपना ऐच्छिक सहयोग नही देना चाहते थे। परिणाम यह हुआ कि जहाँ गाधीजी ठहरे थे, वहाँ भीड़के नियंत्रणकी सारी व्यवस्था भग हो गयी और एक उपद्रव फैल गया। उसने प्रार्थना-सभाओका होना भी असम्भव कर दिया। गाधीजीने भीडसे वचनेके लिए द्वारोको वन्द करवा दिया लेकिन वह भी एक निष्फल प्रयास सिद्ध हुआ। भीडने फिर भी उनको शाति नही लेने दी। दो दिनके पश्चात् डेरा इस्माईल खाके नवावने गाधीजीको उनके हिन्दू मेजवानकी अनुमतिसे वहाँसे हटा लिया और वे उनको अपेक्षाकृत अधिक शातिपूर्ण स्थानमे ले गये।

खुदाई खिदमतगारो और स्थानीय स्वयसेवकोके बीचके तनावपूर्ण सम्बन्ध गांधीजीकी दृष्टिमे भी आये। उनका उल्लेख करते हुए उन्होने अपनी प्रार्थना-सभामें कहा· "यह मतभेद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर भी खुदाई खिदमतगार यदि अपनी अहिंसाकी आस्थाको, जैसा कि अवतक वे उसे समझ सके है, कार्य रूपमे परिवर्तित कर सकते हे तो ये सारे मतभेद और झगडे एक वीते हुए युगकी वाते हो जायँगे। यह खुदाई खिदमतगारोकी अग्नि-परीक्षा है। यदि वे उसमे तपकर, विजयी होकर निकलते है तो वे साम्प्रदायिक एकताको लानेके एक साधन वनेगे और स्वराज्यकी स्थापनाके भी। मै यह जानता हूँ कि क्रोधको अपने हृदयसे विलकुल निकाल देना एक दुष्कर कार्य है। यह मनुष्यके व्यक्तिगत प्रयत्न से सम्भव नही है। यह केवल प्रभुकी कृपासे हो सकता है। आइए, हम सव मिलकर उससे यह प्रार्थना करें कि वह खुदाई खिदममगारोको उनके अतरमे छिपे क्रोध और हिसाके अंतिम अवशेषको जीतनेके योग्य वनाये।"

३१ अक्तूवरकी टंककी एक सार्वजनिक सभामे गाधीजीने टकके हिन्दुओकी शोकाभिव्यक्तिका उल्लेख किया। उन्होने गाधीजीके निकट जाकर अपना हृदय खोला था, "इस क्षेत्रमे मुसलमान मुख्य रूपसे वहुसंख्यक है और हिन्दू वहुत ही कम, अति अल्प संख्यामे है। वे लोग यह अनुभव करते है कि इस इलाकेमे उनका अस्तित्व तभी सम्भव है, जव कि मुसलमान उनको अपना सच्चा 'हमसाया',

पडोसी समझें।' उन्होंने मुझसे आग्रह किया है कि मैं उनके लिए खुदाई खिद-मतगारोंसे यह कहूँ कि वे इस दिशामें उनकी मदद करके स्वाभाविक भूमिकाको निभायें। मैं उन लोगोंकी भावनाका और उनकी इस हार्दिक प्रार्थनाका पूर्ण रूपसे समर्थन कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आपने मुझमें जो आशाएं जगायी हैं उनको आप पूरा कर लेते हैं तो आप उनके मनको शान्ति और सान्त्वना दे सकते हैं। मैंने पिछले मौकेपर भी यह कहा था कि यह हिन्दू, मुसलमान और अंग्रेजोंका परीक्षा-काल है। अंग्रेजोंके कामोंके बारेमें इतिहास अपना फैसला करेगा। परन्तु हिन्दुओं और मुसलमानोंको अपने पारस्परिक व्यवहारोंको सुधार कर अपना इतिहास स्वयं लिखना है। खुदाई खिदमतगारोंके लिए उनका कार्य-पथ निर्धारित किया जा चुका है। उनको पड़ोसियोंकी रक्षाके लिए एक जिन्दा दीवार बनना है। दृढ़ विश्वासी आत्माओंकी एक छोटीसी टोली जिसकी अपने जीवन-ध्येयमें अशमनीय निष्ठा हो, इतिहासकी धाराको मोड़ सकती है। यदि खुदाई खिदमतगारोंकी अहिंसा चमक-दमकवाला सलमा सितारा नहीं बल्कि बिना मिलावटका सोना है तो ऐसा पहले हुआ है और भविष्यमें भी होगा।

खुदाई खिदमतगारोंकी चर्चा करते हुए गांधीजीने अपने भाषणमें अपने किसी प्रख्यात मुसलमान मित्रके इस कथनका भी समावेश किया। उन्होंने कहा, 'इस मित्रका मन्तव्य यह था—यदि आपको अपने मनमें तनिक-सा भी यह लगे कि अहिंसा केवल ऊपरसे ओढ़नेका एक लबादा, या एक बहाना मात्र है या यह अपेक्षाकृत बड़ी हिंसातक पहुँचनेके लिए पैर जमाकर आगे बढ़नेका एक पत्थर है, केवल इतना ही नहीं, यदि आप अहिंसाको उसके तर्कसंगत चरम निष्कर्षपर ले जानेको तैयार न हों—किसी सिखपंथी या बालकके हत्यारेतकके लिए क्षमाकी प्रार्थना करनेको तैयार न हों तो आप खुदाई खिदमतगारोंके अहिंसाके प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर न करें। यदि आप इस मानसिक तैयारीके बिना इस प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करते हैं तो आपका यह कार्य आपके और आपके संगठनके लिए एक बदनामीका कारण तो होगा ही, वह उनको भी एक ठेस पहुँचायेगा जिसको वही प्रसन्नताके साथ और गर्वसे अफगान—(पठानोंका गौरव) कहते हैं।

लेकिन यदि कोई आततायी पाशवी उद्देश्यसे किसी अरक्षित बहन या माँ-के साथ छेड़छाड़ करता है तो ऐसी दशामें पास रहनेवाले पड़ोसियोंमें हम क्या करना चाहिए? अगर मुझसे पूछा जाये कि क्या उन आततायियोंको अपनी इच्छानुसार कार्य करनेको छोड़ दिया जाये, अथवा क्या ऐसे मामलेमें हिंसाको कायम रखनेकी छूट दी जा सकती है, इतना ही स्पष्टतया फिर मेरा उत्तर है, नहीं। पहले आप

उस आततायीको विनयके साथ समझायेंगे। असंगत बात यह होगी कि अपने मदमे वह आपकी बात नही सुनेगा। उस समय आपको उसके तथा उसके द्वारा सतायी जानेवाली महिलाके बीचमे आना होगा। बहुत सम्भव है कि वह आपको मार डाले। लेकिन तव आप अपना कर्त्तव्य पूर्ण कर चुकेगे। यह प्राय निश्चित है कि आपको अर्थात् एक नि शस्त्र तथा अनवरोधकारी व्यक्तिको मारकर आक्रमणकारीकी कुत्सित लालसाका शमन हो जायगा और वह उत्पीडित महिलाको छोडकर चला जायगा। लेकिन मै आपको बतला चुका हूँ कि अत्याचारी प्राय. वैसा नही करते जैसी कि हम उनसे आशा या अपेक्षा करते है। यह देखकर कि आप उसका (हिंसात्मक ढगसे) अवरोध नही कर रहे है, वह आपको किसी खम्भेसे बाध भी सकता है और इस प्रकार वह आपको बलात्कारका एक प्रत्यक्ष साक्षी बननेके लिए विवश भी कर सकता है। यदि आपमे दृढ इच्छा-शक्ति होगी तो आप इतना जोर लगायेगे कि इस चेष्टामे आप या तो बधनको तोड देगे या स्वय समाप्त हो जायँगे। दोनो ही स्थितियोंमे आप दुष्कर्मीकी आँखे खोल देगे। आपका सशस्त्र विरोध भी इसके आगे कुछ न कर सकेगा। यदि आप उसमे हार जाते है तो स्थितिके इससे भी बुरे हो जानेकी सम्भावना है जितनी कि बिना अवरोध डाले हुए आपके मर जानेपर होती। इससे एक अवसर और मिल जाता है। दुर्भाग्यकी शिकार महिला आपके शान्तिपूर्ण साहसका अनुकरण कर सकती है और बेइज्जत होनेकी अपेक्षा अपनेको बलिदान कर सकती है।"

३१ अक्तूबरको दोपहरके समय गाधीजी डेरा इस्माईल खाँसे चल दिये। अब उनके दौरेका अंतिम चरण प्रारम्भ हुआ था। उनकी यह बिलकुल इच्छा न थी कि बिना विशेष आवश्यकताके दौरेको एक भी दिनके लिए बढाया जाय। सडकके पासके एक गाँवमे दोपहरको भोजन करनेके समय उन्होने अपनी इस भावनाको खुदाई खिदमतगारोपर व्यक्त किया। उन्होने कहा, "इस सारे गाँवमे मुसलमानोके घर है। रमजानके रोजेके कारण इन घरोमे रसोईका चूल्हातक नही जला है। फिर भी इन लोगोको हमारे लिए भोजन तैयार करना पडा है। इस बातने मेरे हृदयको छू लिया है और इनके प्रति मै एक नम्रताका, एक आभारका भाव अनुभव कर रहा हूँ। अब मेरी वह उम्र नही रही कि मै इनके साथ रमजानका व्रत रख सकूँ, जैसा कि मैने दक्षिण अफ्रीकामे रखा था। वहाँ कुछ मुसलमान बालक मेरी देखरेखमे थे। उनको यह बतलानेके लिए कि रोजे कैसे रखे जाते है, स्वय मैने भी यह व्रत किये थे। आयुके अतिरिक्त मुझको बादशाह खानकी भावनाओका भी खयाल है, जिन्होने कि रात-दिन लगकर मेरे

शारीरिक स्वास्थ्यकी देखभाल की है। मेरे उपवास रखनेसे वे अपने भीतर एक व्यग्रताका अनुभव करते।''

मोटर बड़े वेगके साथ शेष यात्राको पूरा कर रही थी। पहले दिन दलने एक सौ पचास मीलकी दूरी तय की। उसमें भी वे लोग सड़कसे दस मील दूर देहाती क्षेत्रमें पनियाला गाँवतक गये। जिस समय वे मीरा खल पहुँचे उस समय शाम हो रही थी और अंधेरा घिरने लगा था। इस क्षेत्रके रास्तोंपर रोक लगी हुई थी और सड़कके इस टुकड़ेपर यात्रा करना निरापद न समझा जाता था। शामके चार बजेके बाद इस मार्गपर आने-जानेकी अनुमति न थी, लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खाँकी उपस्थितिसे सारी कठिनाई सुलझ गयी। खान अब्दुल गफ्फार खाँके छोटे पुत्र वली मोटर चला रहे थे। दल जैसे ही पहली रोकके पास पहुँचा वैसे ही खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनको हिदायत दी "इन लोगोंसे कह दो कि हम अपनी जोखिमपर सफर कर रहे हैं। और देखो अगर तुम किसीकी 'रोको' आवाज सुनो तो तत्काल अपनी गाड़ीमें ब्रेक लगा देना। यह मालूम हो जानेपर कि हम लोग कौन हैं, हमें कोई नहीं रोकेगा। अगर तुमने तेजीसे मोटर भगा ले जानी चाही तो पीछेसे गोलियोंकी बौछार होने लगेगी।'

पार्टीने उस गाँवमें रातको आराम किया। दूसरे दिन सवेरेसे मोटरने फिर वही तेज चाल पकड़ ली। वे कुछ घंटोंके लिए बन्नू शहरके निकटवर्ती अहमदी बन्दा गाँवमें रुके। फिर वे नमकके क्षेत्रकी भूरी मटियाली पहाड़ियोंके समूहको तेजीसे पार करते हुए आगे बढ़े और कोहाट कस्बा होते हुए कोहाटके दर्रेपर पहुँच गये। कार तेजीसे बढ़ी जा रही थी और खान अब्दुल गफ्फार खाँ उन रास्तोंके विभिन्न स्थानोंके बारेमें जानकारी देते जा रहे थे एवं आँखों देखा हाल सुनाते जा रहे थे। वे एक सैनिक चौकीसे होकर गुजरे। बन्नू-कोहाट मार्गपर इतनी चौकियाँ थीं कि वह उनसे जड़ा हुआ सा लगता था। उस सैनिक चौकीको देखकर खान अब्दुल गफ्फार खाँ बोल उठे "व्यर्थके साधनोंका दिखावा महामाजा! झंडा, हथियारबन्द मोटरों और टैंकोंके इस व्यय प्रदर्शनकी ओर दृष्टि डालिए! ये अबतक डाकुओंके एक छोटेसे गिरोहको भी नहीं पकड़ सके हैं जो इतने दिनोंसे इस भागमें उत्पात मचाये हुए हैं। इस साल तो सचमुच डाकुओंके सरदार ने सेनाके सामनेके उस पहाड़पर अपना झंडा गाड़ दिया और अपनी गिरफ्तारी के लिए फौजको एक चुनौती दी। लेकिन वह अबतक आजाद घूम रहा है। यह रवैया या तो सेनाकी निराशाजनक अक्षमताको व्यक्त करता है या जान बूझकर अपनायी गयी एक उदासीनताको, जो कि अपराधके कोटिमें था

जाती है।"

इसके बाद उन्होने १२५ मीलकी यात्रा की और अंतमे पेशावर पहुच गये। रास्तेमे पनियाला और अहमदी वन्दा दोनो स्थानोपर सभाएँ हुई। गाधीजीने खुदाई खिदमतगारोंसे कहा कि वे उनसे उसके अलावा कुछ कहनेके लिए या उसका विस्तार करनेके लिए नही आये है जिसको वे जानते हैं और जिसका उन्होने अभ्यास किया है लेकिन कई प्रकारसे उसके विपरीत कार्य भी हुआ है। "अब मैने स्वयं आपके मुखसे वह आश्वासन पा लिया है जो कि मै खान अब्दुल गफ्फार खाँसे पा चुका था।" गाधीजीने पनियालामे कहा, "आपने अहिंसाको मात्र एक अस्थायी अभियानके रूपमे नही अपितु एक आस्थाके रूपमे अगीकार किया है, इसलिए यदि आप तलवारका त्याग करते है और अपने हृदयमे तलवार बनाये रखते है तो यह तलवारका त्याग आपको बहुत आगे नही ले जायगा। जबतक यह आपके हृदयमे एक ऐसा बल उत्पन्न नही कर देता जो कि तलवारके बलके विपरीत है और उससे कही बढकर है तबतक आपका तलवारका त्याग सच्चा नही कहा जा सकेगा। अबतक आप लोग बदले या प्रतिकारको अपना एक पवित्र कर्त्तव्य समझते हैं। यदि आपका किसीके साथ झगडा हो गया तो वह मनुष्य सदैवके लिए आपका शत्रु बन गया। पिता अपना झगडा अपने पुत्रको सौंपता है और इस प्रकार यह झगडा कई पीढियोतक चलता है। परन्तु अहिंसा-मे यदि कोई आपको अपना शत्रु समझता है तो भी बदलेमे आप उसको अपना शत्रु नही समझेगे। निश्चित ही फिर प्रतिहिंसाका कोई प्रश्न नही उठता।"

"मृत जनरल डायरसे अधिक क्रूर तथा रक्त-पिपासु और कौन हो सकता है?" गाधीजीने उन लोगोसे पूछा, 'फिर भी मेरी सलाहपर जलियाँवाला बाग कांग्रेस जाँच समितिने उसपर अभियोग चलानेकी माँग नही की। मेरे हृदयमे उसके लिए दुर्भावनाका एक चिह्नतक नही है। मै व्यक्तिगत रूपसे उससे मिलता और उसके हृदयतक पहुँचता लेकिन यह मेरी केवल एक अभिलाषा रह गयी।"

गाधीजीकी वार्ताके अन्तमे एक खुदाई खिदमतगारने उनसे एक कठिन प्रश्न किया, "आप हम लोगोसे यह अपेक्षा करते है कि हम आक्रमणकारियोसे हिन्दुओ की रक्षा करे, फिर भी आप यह कहते है कि हम लोग चोरो और डाकुओके लिए भी शस्त्रोंको प्रयोगमे न लायें।"

"यह परस्पर विरोध केवल प्रकट देखनेका है।" गाधीजीने अपना मन्तव्य प्रकट किया, "यदि आपने वास्तवमे अहिंसाकी भावनाको आत्मसात् कर लिया है तो आप छापामारोके यहाँ आकर छापा मारनेकी प्रतीक्षा नही करेंगे बल्कि

र्शनीमें महिलाओंकी विशेष रूपसे बहुत बडी उपस्थिति रही।

गाधीजीने अपने हिन्दुस्तानीमे लिखे गये सन्देशमे, जो प्रदर्शनीमे वितरित किया गया था, यह कहा था

"नामोके कारण भ्रममे मत पडिए। जापानी वस्त्रपर स्वदेशीकी छाप लगा देनेसे वह स्वदेशी नही हो जाता। केवल वही वस्तु, जिसको भारतके गाँवोमे निवास करनेवाले लाखो श्रमिकोने भारतमे उत्पन्न किये गये कच्चे मालसे पूर्णत. तैयार किया हो, स्वदेशी कहला सकती है।

"जैसा कि हम देखेगे, इस परीक्षणमे केवल खादी ही खरी उतरती है। जिस प्रकार बिना सूर्यके प्रभात नही हो सकता, उसी प्रकार बिना खादीके कोई वस्त्र पूर्ण रूपसे स्वदेशी नही हो सकता।

"इस दृष्टिसे देखनेपर ज्ञात होता है कि अभी स्वदेशीकी दौडमे पेशावर बहुत पीछे है। यहाँ केवल एक खादी भडार है और वह भी घाटेमे चला करता है। मै यह आशा करता हूं कि इस प्रदर्शनीके फलस्वरूप खादी भडारकी स्थिति दृढ हो जायगी तथा उसके बन्द हो जानेकी सम्भावना नही रहेगी।"

खादी प्रदर्शनीका उद्घाटन करते हुए गांधीजीने कहा

"खादी-कार्यमे सहायता देनेके लिए डा० गोपीचन्दने मन्त्रियोको धन्यवाद दिया है लेकिन मै देखता हूँ कि यहाँ न तो सब मन्त्री और न विधानसभाके सदस्य ही अपने नित्य अभ्यासमे खादी पहनते है। कुछ सदस्य केवल विधान-सभामे खद्दर के वस्त्र पहनकर जाते है। कुछ लोग वहाँ भी खादी पहनकर नही जाते। उनका यह काम राष्ट्रीय भावना और काग्रेसके संविधान दोनोके प्रतिकूल है। यहॉतक कि अभी लाल कुरतीवालोको भी खादीधारी होना है। यदि ये सब, एक लाख खुदाई खिदमतगार खद्दर पहनने लगे तो इस पूरे प्रान्तको खादीधारी हो जानेमे देर न लगे। खादीके उत्पादनके साधनोकी दृष्टिसे यह देश अति सम्पन्न है लेकिन खादीके कार्यमे वास्तवमे यह प्रदेश सबसे पीछे है।

"मै आपसे यह आशा करता हूँ कि आप इस प्रदर्शनीको देखते समय आवश्यक बातोको पूछेगे और इसे अध्ययनकी भावनासे देखेगे। जैसी कि कपडेकी मिलके उद्योगमे लाखो रुपयेकी पूँजीकी आवश्यकता होती है वैसी खादी उत्पादन के संगठनमे नही होती और न इसके लिए अति उच्च तकनीकी कुशलता ही आवश्यक है। एक मामूली आदमी भी इस कामको उठा सकता है। मैं यह आशा भी करता हूँ कि इस प्रथम प्रदर्शनीके बाद निकट भविष्यमे ऐसी ही अन्य खादी प्रदर्शनियोका आयोजन भी होगा।"

पेशावरमें गांधीजीसे दक्षिण भारतके एक उत्तराधिकारी मिला। उसने उनसे एक कठिन प्रश्न किया : दक्षिणसे उत्तर भारत आनेपर मुझे जान पड़ता है कि मैं एक नितांत भिन्न मानव-समुदायके सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। मुझे दोनोंके बीचमें मिलनका कोई आधार नहीं दिखलाई देता। क्या उत्तर और दक्षिणका यह जोड़ा कभी मिल सकेगा? गांधीजीने उत्तर दिया कि 'यद्यपि बाह्य रूपमें यह भिन्नता दृष्टिगोचर होती है परन्तु वास्तवमें है नहीं। अहिंसाके सुनहले पुलने भयानक युद्ध प्रेमी पठानोंको नम्र, बुद्धिवादी दक्षिण भारतीयोंसे जोड़ रखा है। खुदाई खिदमतगार जिन्होंने अहिंसाको एक आस्थाके रूपमें स्वीकार किया है, शेष भारतके किसी भी प्रांतके निवासियोंसे भिन्न नहीं है, सिवा इसके कि इनमें अहिंसात्मक शौर्यकी मात्रा अधिक है। अनेक रूपोंमें एकरूपताके इस प्रश्न और इसी प्रकार अन्य जटिल प्रश्नोंको जिस क्षण हम अहिंसाके रास्तेसे सुलझाते हैं उसी क्षण हमारी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाती हैं।

अपने दौरेके कार्यक्रमके अनुसार गांधीजी सिंधकी ओरके जिले हजारामें सबसे अंतमें जानेवाले थे। हजारा सीमाप्रांतका सबसे उत्तरी जिला था और प्रदेशका एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जो कि सिन्धु नदके पूर्वमें पड़ता था। उसमें प्रवेश करनेसे पहले गांधीजी चच इलाकेके विभूति नामक स्थानमें गये। यद्यपि यह इलाका राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टिसे पंजाबका एक अंग था फिर भी वहाँकी भाषा, रीति रिवाज, लोगोंकी प्रकृति और उनकी जीवन पद्धति सीमाप्रांतके निवासियोंके अधिक निकट थी। उन्होंने यह प्रार्थना की थी कि उनके इलाकेके पश्तूभाषी लोगोंको खुदाई खिदमतगार आन्दोलनमें सम्मिलित होनेकी अनुमति दी जाय। इसपर गांधीजीने कहा कि ऐसा करनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो पश्तू भाषा जानता है और खुदाई खिदमतगारोंके प्रतिज्ञापत्रपर हस्ताक्षर करता है, एक खुदाई खिदमतगार बन सकता है। इसमें केवल एक शर्त है कि वह इसके साथ-साथ किसी अन्य संगठनमें अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता।

जिस समय गांधीजी विभूति जा रहे थे, उस समय उनकी मोटरसे एक मामूली दुर्घटना हो गयी जिसके फलस्वरूप एक बछड़ा उनकी कारके नीचे आ गया और उसके शरीरका कुछ भाग कुचल भी गया। जो कांग्रेसजन गांधीजीके साथ चल रहे थे उन्होंने इस दुर्घटनाके लिए कांग्रेस मंत्रिमंडलके विरोधियोंको दोषी ठहराया। गांधीजीने इसपर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा : खुदाई खिदमतगारोंने संगठनके लिए अपनी असंदिग्ध योग्यता सिद्ध कर दी है। किसी

भी सार्वजनिक सभामे खुदाई खिदमतगारोकी एक चुनी हुई टुकडी व्यवस्था और अव्यवस्थाके सारे अन्तरको स्पष्ट कर देती है। अहिसाका सिद्धान्त खुदाई खिदमतगारोसे यह अपेक्षा करता है कि वे लोगोसे वही बात प्रेमके बलपर करा ले जिसे कि पुलिस लाठी और गोलीके जोरपर कराती है। जब हमारे हृदयोसे प्रेमके अकुर फूटने लगेंगे तब हमारे सामान्य विवाद और कलह एक बीते हुए युगकी वस्तु बन जायँगे। आजकी दुर्घटनाको ही ले लीजिए, जब कि एक बछडा संयोगवश हमारी मोटरके नीचे आ गया। यदि हममे प्रेम होता तो उसने मोटर चलानेवालेको यह प्रेरणा दी होती कि वह मोटरको तत्काल रोक दे ताकि घायल पशुके उपचार और चिकित्साकी समुचित व्यवस्था की जा सके। हमारे दलके एक सज्जनने शीघ्रतामे, जो मुझे भद्दी लगी, इस दुर्घटनाके लिए तथाकथित विरोधियोंको दोषी ठहराया और कहा कि यह कार्य जान-बूझकर किया गया है। अहिसामे विपक्षीपर दोषारोपण करनेमे हमको शीघ्रता नही करनी चाहिए और न उसे तबतक शकाकी दृष्टिसे देखना चाहिए जबतक कि हमारे पास इसके लिए निश्चित प्रमाण न हो। जब खुदाई खिदमतगारोके हृदय प्रेमसे परिपूर्ण हो जायँगे तब हमको अपनी स्वतत्रता मिल जायगी। लेकिन जबतक हमारे छोटे-छोटे कार्यो द्वारा प्रेम प्रकट नही होता तबतक स्वतन्त्रता हमारे पास नही आ जायगी।"

उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कहा, "जहाँ यह दुर्घटना हुई है, वहाँ हमे किसी आदमीको भेज देना चाहिए। वह वहाँ जाकर पशुके मालिकको हर्जाना दे और उस बछडेको मरहम-पट्टीके लिए पशु-चिकित्सालय ले जाय।" खान अब्दुल गफ्फार खाने तत्काल इसकी व्यवस्था कर दी।

६ नवम्बरको सध्याके समय गाधीजी हरिपुर पहुँच गये। रास्तेमे वे पंजा साहब भी गये जहाँ कि सिख गुरुद्वारेके प्रबन्धकोने उनको तथा खान अब्दुल गफ्फार खाँको सम्मानसूचक वस्त्र 'सरोपा' भेट किया। हरिपुरमे अव्यवस्थाके वे ही पुराने दृश्य दुहराये गये। शामके समय एक सार्वजनिक सभामे गाधीजीने श्रोताओसे कहा कि "सौजन्यका पालन और नियमित रूपसे सही व्यवहार अहिंसाके वैसे ही अंग है जैसी कि अन्य बडी-बडी चीजे जिनको मैंने आपको बतलाया। वैज्ञानिकोका कथन है कि हम लोग वनमानुषके वशज है। यह हो सकता है लेकिन मनुष्यके लिए यह उचित नही है कि वह पशु जैसा जीवन बिताये और उसी तरह एक दिन मर जाय। जिस अंशमे हम अपनेमें अहिंसा और ऐच्छिक अनुशासनकी भावनाको विकसित करते है उतने ही अशमे हम पशु-प्रकृतिसे दूर हो जाते है और अपने भाग्यकी रचना करते है। अहिसा हमसे एक कर्त्तव्यकी

समाजके लिए भी सच हो सकता है क्योंकि समाज भी एक बड़ा परिवार ही है। यह मनुष्यकी अपनी कल्पना है जिसने विश्वको युद्धमें लगे हुए शत्रुओं और मित्रोंके दलोंमें विभाजित कर दिया है। लेकिन वह भी प्रेमका बल ही है जो आखिरी उपायके रूपमें विरोधमें भी अपना काम करता जा रहा है। और जो इस विश्वको जीवित रखे है।

'मुझसे यह कहा गया कि लाल कुर्तीधारी नाम मात्रके लाल कुर्तीधारी हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह आरोप निराधार है। बादशाह खान यह अनुभव करते हैं कि कुछ अनिश्चित और स्वार्थी तत्त्वोंके घुस आनेके कारण खुदाई खिदमतगार आंदोलनका अंतःसरण होने लगा है। मैं जानता हूँ कि वे इसके लिए अपने मनमें एक बड़ी अशांतिका अनुभव कर रहे हैं। इस बारेमें मेरा विचार उनसे मिल रहा है कि खुदाई खिदमतगारकी संख्यामें मात्र अनुवृद्धि यदि वे लोग ग्रहण किये हुए मतके सच्चे प्रतिपादक न हुए तो आन्दोलनको केवल कमजोर ही करेगी।

आज लाल कुर्तीधारियोंके आन्दोलनने केवल सकल भारत ही नहीं बल्कि बाह्य देशोंका ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित कर रखा है हालाँकि उसने अबतक जो प्राप्त किया है वह उस सम्पूर्णका एक अंशभर ही है जिसे उनको प्राप्त करना है। मैं बिना किसी संशयके खुदाई खिदमतगारों द्वारा दिये गये आश्वासनको स्वीकार करता हूँ कि वे अहिंसाके सिद्धान्तको समग्र रूपमें समझनेके लिए और उसका अभ्यास करनेके लिए उत्सुक हैं। उनके आगे बहुत बड़े-बड़े काम हैं जो उनको पूरे करने हैं। रचनात्मक अहिंसाका कार्यक्रम जिसे मैंने उनके सामने रखा है यदि एक बार ठीकसे प्रारम्भ कर दिया गया तो स्वतः अपना काम करता रहेगा। उसका प्रवर्तन खुदाई खिदमतगारोंकी निष्ठा और उनके उत्साहका भी एक निश्चित परीक्षण होगा।

दोपहरके बाद अबोटाबाद लौटते समय गांधीजी वहाँके एक स्थानीय हरिजन मन्दिरमें गये। वहाँ उनको यह जानकर प्रसन्नता हुई कि अबोटाबादमें हरिजनोंको अपने बालकोंको विद्यालयोंमें भेजनेमें कुओंका उपयोग करनेमें और अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ प्राप्त करनेमें कोई कठिनाई नहीं है।

दोपहरके बाद गांधीजीसे अल्पसंख्यकोंका एक प्रतिनिधिमण्डल मिला। वे लोग इस बातसे बड़े क्षुब्ध थे कि जबसे एक पृथक प्रान्तके रूपमें सीमाप्रान्त बनाया गया है तबसे यहाँ हिंसापूर्ण अपराधोंमें बड़ी तेजीसे वृद्धि होती जा रही है। उन्होंने यह सुझाव रखा कि अरक्षित बसे हुए लोगोंको आत्मरक्षाकी सुविधा

प्रदान करनेके लिए विना मूल्य लिये हुए आग्नेय अस्त्र दिये जायँ और उनके नि.-शुल्क प्रशिक्षणकी भी व्यवस्था की जाय। फिर भी उन्होने इस वातको स्वीकार किया कि वहुसख्यक समुदायमे अल्पसख्यकोकी रक्षाके लिए एक कर्त्तव्य-भावना जाग्रत करनेपर ही सीमाके उस पारके छापोकी समस्या समुचित ढंगसे अन्तिम रूपमे सुलझ सकती है।

गाधीजीने कहा कि मै आप लोगोकी इस मागका समर्थन करूँगा कि लोगोको उनके प्रार्थना-पत्रोपर नि शुल्क लाइसेस दिये जायँ लेकिन सरकारसे यह अपेक्षा करना कि वह विना मूल्य लिये सीमान्तकी समस्त जन-सख्यामे आग्नेय अस्त्रोका वितरण करे उससे अत्यधिक अपेक्षा करना होगा। यदि आप लोग चाहते है कि आग्नेय अस्त्र दिये जायँ तो उनके लिए आप एक 'फंड' खोल सकते है। इसके उपरान्त भी मेरे मनमे सन्देह रह जाता है कि क्या आग्नेय अस्त्रोके वितरित हो जाने और उनके प्रयोगमे प्रशिक्षित हो जानेसे सीमाकी रक्षाहीनताका प्रश्न सुलझ जायगा ? यदि वन्नूके पिछले छापेके अनुभवके आधारपर देखा जाय तो यह एक खर्चीला शौक ही साबित होगा। जिस समय वहाँ छापा पडा उस समय नागरिकोकी ओरसे केवल एक बन्दूक काममे लायी गयी हालाँकि वन्नू शहरमे बन्दूकोकी कोई कमी न थी और उस बन्दूकसे भी छापामारोकी अपेक्षा नागरिक ही अधिक आहत हुए। हाँ, आप लोगोने वहुसंख्यकोके कर्त्तव्यके वारेमे जो वात कही, उसे मै स्वीकार कर रहा हूँ। वादशाह खान इस कोशिशमे लगे हुए है कि खुदाई खिदमतगार छापोसे नागरिकोकी रक्षा करनेका अपना कर्त्तव्य पूरा करे।

एक जगह यह शिकायत की गयी कि हिन्दू और सिख यह समझते है कि मुसलमानोके ससर्गसे वे धर्म-भ्रष्ट हो जायँगे। गाधीजीने कहा कि यदि यह बात सच है तो यह किसी भी सच्चे धर्मकी एक खिल्ली उडानेवाली है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्त्तव्य है कि वह हर एक स्थान और हर समय अपने धर्मके अतिरिक्त शेप धर्मोको समान आदर और सम्मान दे। परन्तु जहाँ अल्पसंख्यक खुर्दवीनसे देखने लायक, वहुत ही कम है और वे भिन्न धर्मवाले अत्यधिक वहुसख्यकोके वीचमे वसे हुए है वहाँ तो यह उनके अस्तित्वके लिए एक प्राथमिक शर्त है। अल्पसंख्यकोके लिए भले ही यह एक परिस्थितिजन्य आवश्यकता हो, तो भी उन्हे स्वेच्छापूर्वक वहुसंख्यकोके धर्म और भावनाओको उचित आदर देना चाहिए और वहुसख्यकोको भी अल्पसंख्यकोके धर्म और भावनाओके प्रति वडी सावधानीके साथ आदर प्रदर्शित करना चाहिए। इसे उनको अपना एक विशेष अधिकार और कर्त्तव्य समझना चाहिए।

नेताओकी अतिशयोक्तिपूर्ण सराहना एक गलत चीज है। इससे न उस नेताको कोई मदद मिलती है और न उसके कामको। मै आपसे यह चाहता हूँ कि आप ऐसे प्रशसापूर्ण मानपत्र देनेका अभ्यास हमेशाके लिए छोड दे। मै सत्तर वर्षका हो चुका। ईश्वरको अभी मुझे थोडासा समय और देना है। अब मेरी यह बिलकुल इच्छा नही है कि मै उस समयको निरथक अत्युक्तिपूर्ण बाते सुननेमे खो दूँ। यदि आपको अभिनन्दपत्र देना ही है तो आप उसमे उस व्यक्तिके दोपो और उसकी कमियोका वर्णन करे। इससे उसे 'सर्चलाइट' का रुख अपनी ओर मोडकर अपने भीतरकी कमजोरियोको देखनेमे मदद मिलेगी और वह उनको निकाल सकेगा।

"जबसे मै इस प्रदेशमे आया हूँ तभीसे मै खुदाई खिदमतगारोके लिए अहिसाके दृढ एव पूर्ण सिद्धान्तकी व्याख्या करनेमे लगा हूँ। न मै रुका हूँ और न मैने उसे कुछ कम ही किया है। मै यह दावा नही करता कि मैने अहिसाके अर्थको उसकी समग्रताके साथ समझ लिया है। जो कुछ मैने अनुभव किया है, वह उस महान् पूर्णताका एक अति लघु अशभर है। अपूर्ण मानवको यह सामर्थ्य नही मिली कि वह अहिसाके पूर्ण अर्थको पकड सके या उसका समग्र रूपमे अभ्यास कर सके। यह ईश्वरका ही सहज गुण है जो सर्वोच्च शासक है और जिसकी समानता कोई नही कर सकता लेकिन मै आधी शताब्दीसे भी अधिक समयसे अहिसाको समझनेका और उसे अपने निजके जीवनमे उतारनेका एक अनवरत, अविश्रांत प्रयत्न कर रहा हूँ। इसमे कोई सन्देह नही है कि खुदाई खिदमतगारोने, जहाँतक वे उसे समझ सके, अहिसाका अभ्यास करके एक जाज्वल्यमान आदर्श उपस्थित किया है। इससे उनको विश्वभरसे सराहना प्राप्त हुई है। लेकिन अभी उनको अपने मार्गपर एक कदम और बढना है। यदि खुदाई खिदमतगारोको अपनी अंतिम अग्निपरीक्षामेसे सफल होकर निकलना है तो उनको अपनी अहिसाकी संकल्पनाको और विस्तृत करना होगा और अपने अभ्यासको, विशेप रूपसे उसके निश्चित पक्षोको अधिक पूर्णता और गहराई देनी होगी। अहिसा नि.शस्त्रीकरण मात्र नही हे। न वह दुर्बलो और क्लीबोका एक हथियार ही है। जो लडका लाठीका प्रयोग करनेकी शक्ति भी नही रखता, अहिसाका अभ्यास नही कर सकता। अहिसा शस्त्रीकरणसे अधिक शक्तिशाली एक अनन्य बल है जो इस विश्वमे आया है। जिसने यह महसूस करना नही सीखा कि अहिसा निश्चित रूपसे पशुबलसे अधिक बलशाली है, वह अहिसाकी यथार्थ प्रकृतिको समझ नही सका। यह अहिसा मौखिक शब्दो द्वारा सिखलायी नही जा सकती। यदि हम उसके निमित्त हृदयसे प्रार्थना

सिखलाकर इस्लामकी भावनाको ठेस पहुँचायी है और उसे ढा देनेके लिए सुरग लगायी है। मैने उससे कहा कि वह स्वय भी नही जानता कि वह क्या कह रहा है ? अहिंसाके सन्देशने पठानोके विचारोमे एक आश्चर्यजनक रूपान्तरण ला दिया है। उसने उनको राष्ट्रीय एकताकी एक नवीन दृष्टि प्रदान की है। यदि उसने यह सब अपनी आँखोसे देख लिया होता तो वह इस तरहकी बाते कभी न कहता। मैने उसको दिखलानेके लिए कि इस्लाममे शान्तिकी भावनाको कितना अधिक महत्त्व दिया गया है, उसके आगे कुरानशरीफके अध्यायो और आयतो-का प्रमाण रखा और उससे कहा कि शान्ति इस्लामके मुडेरका पत्थर है। मैने उसे यह भी बतलाया कि इस्लामके इतिहासके महान् पुरुष अपनी उग्रताकी अपेक्षा अपनी सहनशीलता और आत्म-निग्रहके लिए अधिक जाने जाते है। मेरा उत्तर सुनकर वह चुप हो गया।''

इसके बाद उन्होने वह प्रसंग बतलाया जिसमे उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होने मुसलमानोको हरानेमे हिन्दुओकी सहायता करनेके लिए एक लाख खुदाई खिदमतगारोका लश्कर खडा किया है। मेरे कई मित्रोने मुझको यह सलाह दी कि मै इस सामूहिक अपमानके विरोधमे प्रतिवाद प्रकाशित कराऊँ लेकिन मैने इनकार कर दिया। मैने उन लोगोसे कहा, ''सीमा-प्रान्तकी जनताके मनको मै अभी पर्याप्त रूपसे समझ नही सका हूँ। हम लोगोकी स्वार्थहीन सेवाओ-के कारण उसकी दृष्टिमे हमारी बात उतना मूल्य तो रखेगी ही जितनी कि दूसरो-की बात, कमसे कम तबतक, जबतक कि वह सोने और मुलम्मेके बीचका अंतर नही पहचान पाती। लेकिन मै पहचानकी घडीकी प्रतीक्षा करूँगा।''

''महात्माजी, मै राजनीतिसे घृणा करता हूँ।'' वे बहुधा दौरेमे गाधीजीसे कहा करते, ''राजनीति एक रिक्त और सूनी भूल-भुलैया है। मै इससे दूर भाग जाना चाहता हूँ और सबसे गरीब लोगोके घरोमे जाकर मानवताकी सेवामे लग जाना चाहता हूँ।''

वर्धा आनेके लिए तक्षशिलाके रेलवे स्टेशनपर गाडीमे बैठनेसे पहले गाधीजी तक्षशिलाके ऐतिहासिक खण्डहरोको देखनेके लिए गये और इसके साथ ही उनका सीमा-प्रान्तका दौरा पूरा हुआ। देशके इस भू-भागमे बौद्ध धर्म एक हजार वर्षसे भी अधिक समयतक पूर्ण विकसित अवस्थामे रहा था। सारे क्षेत्रमे स्तूपो, विहारो-के ध्वंस तथा स्तम्भोके टुकडे बिखरे थे। एरिमनने तक्षशिला नगरका उल्लेख करते हुए लिखा है कि यहां एक महान एवं उन्नत विश्वविद्यालय था। सारे नगरोमे निश्चित ही सबसे बडा नगर वह था जो सिन्ध और झेलमके बीचमे बसा

हुआ था। उन दिनो और परवर्ती शताब्दियोमें वह तत्कालीन कला और विज्ञान के लिए प्रख्यात था। आजके युगमें जब खुदाई खिदमतगार मन, वचन और कर्ममें अहिंसाका पालन करनेके लिए प्रतिज्ञा-पत्रपर हस्ताक्षर करता है तब वह केवल अपने उस सहनशील अग्रगामीके पद चिह्नोपर ही अनुगमन करता है, जिसने कि यह धम्म-पद गाया था, 'क्रोधको अक्रोधसे जीता।'

गाधीजीने अवशेषोको गहरी दिलचस्पीके साथ देखा। वहाँके संग्रहाल्याध्यक्षने जब उनको चादीकी भारी पायलका एक जोडा दिखलाया तब वे बोल उठे 'ऐसे ही मेरी मा भी पहना करती थी।' गाधीजीने भारतके गौरवमय अतीतके उन भव्य स्मारकोसे, जो उनके सामने बिखरे पडे थे, अनिच्छापूर्वक विदा ली। चार सप्ताहतक अहिंसाकी समान खोजमे वे खान अब्दुल गफ्फार खाके निकटतम भागीदार रहे। उसने उनको खान अब्दुल गफ्फार खाके और भी पास ला दिया। एक दर्दके साथ वे अलग हुए। उस समय गाधीजीकी आँखोसे आँसू बह रहे थे।

११ नवम्बर १९३८ को गाधीजीने रेलगाडीमें 'हरिजन' के लिए एक लेख लिखा— 'खुदाई खिदमतगार और बादशाह खान।'

'खुदाई खिदमतगार चाहे जैसे हो और अन्तमें वे कैसे भी सिद्ध हो परन्तु उनके नेताके बारेमें जिनको वे बडी प्रसन्नतासे बादशाह खान कहा करते है कोई सन्देह नही हो सकता। इसमें कोई सन्देह नही कि वे ईश्वरके एक पक्के भक्त है। वे यह विश्वास करते है कि वह प्रत्येक क्षण उपस्थित है और उनको यह अच्छी तरहसे मालूम है कि उनके आन्दोलनकी प्रगति ईश्वरकी इच्छापर निर्भर है। अपने उद्देश्यमें अपनी समग्र आत्माको समाहित करके भी वे इसकी चिन्ता नही करते कि आगे क्या होगा? उनके लिए यह अनुभव कर लेना काफी रहा है कि अहिंसाको पूर्ण रूपसे स्वीकार किये बिना पठानोकी मुक्ति नही है। वे इस बातका गर्व अनुभव नही करते कि पठान एक अच्छा लडाका है। वे उसकी योग्यताकी कद्र करते हैं परन्तु उनका विश्वास है कि अति प्रशसासे उसे बिगाड दिया गया है। वे समाजमें पठानको गुण्डेके रूपमे नही देखना चाहते। उनका विश्वास है कि पठानका शोषण किया गया है और उसे अधेरेमें रखा गया है। वे चाहते है कि वह और भी अधिक वीर बने और अपनी वीरतामें सच्चे ज्ञानको समावेश कर जो कि उनके सामने केवल अहिंसा द्वारा प्राप्त हो सकता है।

और खान साहब मेरी अहिंसामें विश्वास करते है इसलिए उन्होने यह चाहा कि मैं अधिकसे अधिक जितने समयतक हो सके खुदाई खिदमतगारोके

बीचमे रहूँ। मुझे तो यहाँ आनेके लिए किसी प्रलोभनकी आवश्यकता नही थी क्योकि मै तो स्वय ही उनका परिचय पानेको उत्सुक था। मै उनके हृदयोतक पहुँचना चाहता था। मै यह जानना चाहता था कि अबतक मै ऐसा कर सका या नही। कुछ भी हो, मैने प्रयत्न किया।

"परन्तु यह बतलानेमे पहले कि मैने यह कार्य किस प्रकार किया और कितना किया, मै अपने मेजबान खान साहबके सम्बन्धमे एक शब्द अवश्य कहूँगा। इस सम्पूर्ण दौरेमे उन्हे इस बातकी बडी फिक्र रही कि परिस्थितियोके अनुसार मुझे अधिक-से-अधिक आराम पहुँचाया जाय। मुझे किसी प्रकारकी कठिनाई या कोई कमी न हो, इसके लिए कोई उपाय उठा नही रखा। मेरी सारी आवश्यकताओका वे पहलेसे ही अनुमान कर लेते थे। उन्होने जो कुछ किया उसमे कोई दिखावा नही था। वह सब उनके लिए बिलकुल स्वाभाविक था। वह एक हृदयसे किया गया था। उनके साथ छल-पाखण्डकी तो बात ही नही है। दिखावटसे वे बहुत दूर है। इसलिए उनकी देखभाल कभी अखरती नही और न कभी किसी काममे रुकावट ही डालती है, इसीलिए जब तक्षशिलामे हम एक-दूसरेसे अलग हुए तो हमारी आँखें आसुँओसे गीली हो गयी। विदा लेना कठिन हो गया और हम इस आशासे अलग हुए कि शायद अगले मार्चमे हम फिर एक-दूसरेसे मिलेंगे। सीमाप्रान्तको मेरे लिए एक ऐसा तीर्थ-स्थान बना रहना चाहिए जहाँ कि मै आ-जा सकूँ क्योकि शेप भारत सच्ची अहिंसा दिखलानेमे भले ही असफल हो जाय लेकिन यहाँ इस आशाकी बहुत गुन्जाइश है कि सीमा-प्रान्त इस अग्नि-परीक्षामे खरा उतरेगा। इसका कारण अत्यन्त स्पष्ट है। बादशाह खानके अनुयायी, जिनकी संख्या एक लाखसे ऊपर बतलायी जाती है, स्वेच्छासे उनके आदेशोका पालन करते है। वे उनके वचनोको मानते है। जैसे ही उन्होने कुछ कहा वैसे ही उसपर अमल किया जाता है। परन्तु खुदाई खिदमतगारोकी उनके प्रति जो श्रद्धा है, उसके होते हुए भी खुदाई खिदमतगार रचनात्मक अहिंसाकी परीक्षामे उत्तीर्ण होगे या नही यह तो आगे देखा जायगा

"प्रारम्भमे ही हम दोनो, खान साहब और मै, यह निर्णय कर चुके थे कि विभिन्न केन्द्रोमे समस्त खुदाई खिदमतगारोके आगे भाषण करनेकी अपेक्षा मुझे अपनी चर्चामे उनके नेताओतक ही सीमित रहना चाहिए। इससे मेरी शक्ति बचेगी और उसका अधिक बडा उपयोग होगा। और यही हुआ भी। पाँच सप्ताह की अवधिमे हम लोग समस्त केन्द्रोमे गये और प्रत्येक केन्द्रमे हमने एक घण्टा या उससे कुछ अधिक समयतक बातचीत की। मैने खान साहबको एक अत्यन्त

योग्य और विश्वस्त दुभाषिया पाया। और चूँकि जो कुछ मैंने कहा उसमें उनका विश्वास था, इसलिए मेरा भाषान्तर करनेमें अपनी सारी शक्ति लगा दी। वे एक जन्मजात वक्ता हैं। वे बडी गरिमाके साथ भाषण करते हैं और उनका काफी प्रभाव भी पडता है।

मैंने प्रत्येक सभामें इस चेतावनीको दुहराया कि यदि वे यह अनुभव नहीं करते कि उन्होंने अहिंसाके रूपमें एक ऐसा शस्त्र पा लिया है जो कि उनके उस शस्त्रसे जिसका उन्होंने अबतक प्रयोग किया है, निश्चित ही श्रेष्ठ है तो उनको अहिंसासे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वे अपने पहलेके शस्त्रोंको पुनः ग्रहण कर सकते हैं। खुदाई खिदमतगारोंके सम्बन्धमें, जो इतने वीर रहे हैं कभी यह नहीं सुना जाना चाहिए कि वे बादशाह खानके प्रभावमें आकर कायर हो गये या कायर बना दिये गये। उनकी वीरता उनके अच्छे निशानेबाज होनेमें ही निहित नहीं है बल्कि मृत्युको चुनौती देने और अपने नंगे वक्षपर गोलियाँ झेलनेके लिए सदैव तैयार रहनेमें भी है। उनको अपनी यह वीरता अखण्ड रखनी चाहिए और जब कभी भी अवसर आये तब उसको दिखलानेके लिए तैयार रहना चाहिए और सच्चे वीरोंको इस प्रकारके अवसर बहुधा बिना खोजे हुए ही मिल जाते हैं।

'यह अहिंसा एक निष्क्रिय गुण मात्र नहीं है। यह सबसे शक्तिशाली शस्त्र है जिससे ईश्वरने मनुष्यको सम्पन्न किया है। वास्तवमें अहिंसा ही मनुष्य और पशु-सृष्टिके बीचमें पहचान करती है। प्रत्येक व्यक्तिमें अहिंसा स्वाभाविक रूपमें रहती है परन्तु अधिकांशमें वह निद्रित अवस्थामें रहती है। सम्भवतः अंग्रेजीका 'नॉन वाइलेंस' शब्द अहिंसाको पूरी तरहसे अर्थ नहीं दे पाता। जितने शब्द उसके भावको प्रतिपादित करते हैं उनमें भी यह एक अपूर्व अभिप्राय है। इसके अर्थके निकट पहुँचनेके कारण 'लव' या 'गुड विल' शब्द इसके कहीं अच्छे अनुवाद हो सकते हैं। 'वाइलेंस' (हिंसा) का 'गुड विल' (सद्भावना) से सामना करना चाहिए। सद्भावनाका कार्य तभी प्रारम्भ होता है जब कि उसके मुकाबलेमें कोई दुर्भावना रहती है। भलेके साथ भला होना तो एक बराबरका विनिमय है।

'इस नॉन वाइलेंस या गुड विल का प्रयोग केवल अंग्रेजोंके मुकाबलेमें ही नहीं करना चाहिए बल्कि हम लोगोंके बीचमें भी इसको अपना पूरा काम करने देना चाहिए। किसी अंग्रेजके विरुद्ध अहिंसा अवसर विशेष या आवश्यकताके कारण अपनाया गया एक गुण हो सकता है और जिसमें अपनी कायरता या साधारण दुर्बलता कभी आसानीके साथ छिपायी जा सकती है। वहाँ यह केवल एक समयानुकूल औचित्य हो सकती है जैसा कि वह अक्सर होता भी है।

परन्तु उस समय, जब कि हमारे सामने हिंसा और अहिंसाके दोनों मार्ग समान रूपसे खुले हो और हमे उनमेसे एक पसन्द कर लेना हो, वह एक 'समयानुकूल औचित्य' नही हो सकती। इस प्रकारके मौके अक्सर हमारे पारिवारिक जीवनमे और सामाजिक तथा राजनीतिक सम्बन्धोमे आते रहते हैं। केवल एक धर्मके प्रतिस्पर्धी सम्प्रदायोमे ही नही वल्कि विभिन्न धर्मोके अनुयायियोके वीच भी ऐसे अवसर आया करते है। यदि हम अपने पडोसी या वरावरकी स्थितिके व्यक्तिके साथ सहनशील नही है तो हम अंग्रेजोके साथ कभी सच्चे सहनशील नही हो सकते। इस प्रकार हमारी सद्भावनाका, यदि वह किसी मात्रामे हममे है, तो प्राय. प्रतिदिन परीक्षण होता रहता है। यदि हम इस सद्भावनाको सक्रियताके साथ काममे लाते रहेगे तो हमे अपेक्षाकृत वडे क्षेत्रमे इसका प्रयोग करनेकी आदत पड जायगी और अन्तमे यह हमारे स्वभावका एक अङ्ग वन जायगी।

''इसलिए खुदाई खिदमतगारोकी अहिंसा उनके दैनिक कार्यो द्वारा व्यक्त होनी चाहिए और वह तभी प्रकट हो सकती है जव कि वे मन, वचन और कर्मसे अहिंसाव्रती हो।

''उस व्यक्तिको भी, जो अपने नित्यके व्यवहारमे शस्त्रोके प्रयोगपर निर्भर करता है, एक नियमित सैनिक प्रशिक्षण लेना पडता है। इसी प्रकार ईश्वरके एक सेवकके लिए भी एक निश्चित परीक्षण अनिवार्य है। सन् १९२० की काग्रेसके विशेष अधिवेशनके मूल प्रस्तावमे ही इसकी व्यवस्था की गयी थी। समय-समयपर उसपर वल दिया जाता रहा है और उसका विस्तार किया गया है। जहाँतक मेरी जानकारी है, इसका रग कभी हल्का नही पडा। साम्प्रदायिक एकता, हिन्दुओ द्वारा छुआछूतका निवारण, घरोपर हाथसे तैयार की गयी खादी का इस्तेमाल, जो कि भारतके लाखो लोगोके साथ हमारी एकताका एक निश्चित प्रतीक है और मादक पेयो तथा औषधियोका पूर्ण निषेध सक्रिय सद्भावनाकी परखकी कसौटी है। इस चतुर्मुखी कार्यक्रमको आत्मशुद्धिकी एक प्रक्रिया कहा जा सकता है। वह भारतके लिए संगठनयुक्त स्वाधीनता प्राप्त करनेकी एक निश्चित प्रणाली है। लगभग आधी शताब्दीतक काग्रेसजन और देशने इस कार्यक्रमका पालन किया लेकिन यह पालन अधूरे मनसे किया गया, इसलिए उसने अहिंसाके एक जीवित विश्वासको, या उस प्रणालीको, जो उसके अभ्यासके लिए वतलायी गयी थी या दोनोको एक धोखा दिया। लेकिन खुदाई खिदमतगारोसे यह अपेक्षा की जाती है और उनपर इस वातके लिए भरोसा किया जाता है कि अहिंसामे उनका एक जीवित विश्वास है इसलिए उनसे यह भी आशा की जाती है कि वे

कांग्रेसके आत्मशुद्धिके सारे कार्यक्रमको पूरा करेंगे। मैंने इसमें कुछ चीजें और जोड़ दी हैं—गाँवकी सफाई, स्वास्थ्य रक्षा और मामूली डाक्टरी इलाज द्वारा गाँवोंको सहायता। एक खुदाई खिदमतगार अपने कामोंके आधारपर जाना जायगा। गाँवको पहलेसे अधिक स्वच्छ रखे बिना और गाँववालोंकी उनकी साधारण बीमारियोंमें मदद दिये बिना कोई खुदाई खिदमतगार किसी गाँवमें नहीं रहेगा। चिकित्सालय या ऐसी ही चीजें आज धनिकोंके हाथके खिलौने हैं और ज्यादातर शहरोंमें रहनेवाले लोगोंको ही प्राप्त हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि देशमें अनेक औषधालय खोलनेके भी प्रयत्न किये गये परन्तु खर्चके कारण यह काम आगे नहीं बढ़ सका जब कि खुदाई खिदमतगार एक छोटा-सा किन्तु सारयुक्त प्रशिक्षण प्राप्त करके गाँवोंमें फैलनेवाली बीमारियोंके अधिकांश मामलोंमें बड़ी आसानीसे सहायता पहुँचा सकते हैं।

मैंने खुदाई खिदमतगारोंसे कहा कि सविनय आज्ञा भंग अहिंसाका अन्त है उसका प्रारम्भ नहीं। फिर भी सन् १९१८ में एक अनुपयुक्त समयमें मैंने उसे शुरू किया। मैं उसकी अत्यधिक आवश्यकता समझ रहा था। लेकिन देशको इससे कोई हानि न हुई। मैं अपनेको अहिंसात्मक प्रक्रियाका एक विशेषज्ञ समझता था। मैं यह दावा भी करता था क्योंकि मैं यह अच्छी तरहसे जानता था कि अपने बढ़े हुए कदमको कब और किस प्रकार वापस लौटाना चाहिए। पटना में सविनय आज्ञा भंगको स्थगित कर देना भी इसी प्रक्रियाका एक अंग था। सन १९२० के रचनात्मक कार्यक्रमपर मेरा उस समय जितना विश्वास था उतना ही आज भी है। जहाँतक पूर्ण स्वराज्यकी बात थी मैं उस कार्यक्रमको समुचित रूपसे पूर्ण किये बिना सविनय आज्ञा भंगके अभियानका नेतृत्व न कर सका। सविनय आज्ञा भंगका अधिकार केवल उन्हींके लिए लाभकारक होता है जो स्वेच्छापूर्वक आज्ञा-पालन करनेके कर्तव्य और नियमोंको जानते हैं और उनका अभ्यास करते रहते हैं भले ही यह नियम उनके बनाये हुए हों या दूसरेके। आज्ञा-भंग करनेसे या आज्ञाका पालन न करनेसे एक भय भी उपजता है। आज्ञा पालन इस भयसे प्रेरित होकर नहीं होना चाहिए बल्कि यह समझकर होना चाहिए कि यह मेरा एक कर्तव्य है। आज्ञा-पालन केवल बाहरी नहीं बल्कि पूरे हृदयसे होना चाहिए। इस प्रारम्भिक शर्तको पूरा किये बिना सविनय आज्ञा भंग नाम-मात्रका 'सविनय' होता है। उस समय वह एक अहिंसात्मक नहीं बल्कि एक दुबस्ता सविनय अवज्ञा होता है। यदि वह सविनय आज्ञा भंग सद्भावनाके द्वारा वस्तुतः प्रेरित है तो वह अहिंसा है। सविनय अवज्ञाके दिनोंमें सुधार

खिदमतगारोने यत्रणाओको सहन करके असदिग्ध रूपसे अपनी वीरता प्रदर्शित की है, जैसी कि अन्य प्रान्तोके हजारो लोगोने की। लेकिन यह हृदयकी सद्-भावनाका एक निश्चित प्रमाण नही मानी जा सकती। किसी पठानका केवल देखनेमे अहिंसक होना उसकी एक कमी ही कही जा सकती है। उसको इस दुर्बलताका दोषी नही होना चाहिए।

"मैने जो कुछ कहा, वह सब खुदाई खिदमतगारोने बडे ध्यानसे सुना। उनका अहिंसापर विश्वास अवतक खान साहबके प्रभावसे मुक्त नही है। बल्कि वह उन्हीसे प्राप्त किया गया है। उनका खुदाई खिदमतगारोके हृदयपर एकछत्र राज्य है। जबतक खुदाई खिदमतगारोकी अपने नेतापर अविचल श्रद्धा है तबतक उनके विश्वासको किसी प्रकारसे कम प्राणवान् नही कहा जा सकता। और खान साहबका विश्वास कहनेभरका नही है। उसमे उन्होने अपना सारा हृदय उडेला है। जिनको इसपर सन्देह हो, वह उनके साथ रहकर देख ले जैसे कि मै पिछले पाच सप्ताहसे उनके साथ हूँ। उनका सन्देह उसी प्रकार नष्ट हो जायगा, जिस प्रकार कि प्रभातके सूर्यके आगे कुहरा गल जाता है।

'मेरे इस सारे दौरेने एक प्रख्यात पठान सज्जनके मनपर अपना यह प्रभाव डाला। मै उनसे अपने दौरेके आखिरी दिनोमे मिला था, 'आप जो कुछ कर रहे है, वह मुझको पसन्द है। आप बहुत चतुर है। मै यह नही जानता कि चालाक शब्द सही है या नही। मेरे यहाँके लोग जितने वीर है, आप उनको उससे अधिक वीर बना रहे है। आप उनको अपनी शक्तिका मितव्यय करना सिखला रहे है। वास्तवमे, एक सीमातक अहिंसक होना भला है। और यह भी कि उनका प्रशिक्षण आपके द्वारा होगा। हिटलरने हिंसाके व्यावहारिक प्रयोग किये और उनके द्वारा हिंसाके तकनीकको अपनी चरम सीमापर पहुँचा दिया। लेकिन आप हिटलरसे भी आगे बढ गये। आप हमारे यहाँके लोगोको अहिंसाका प्रशिक्षण दे रहे है और उनको बिना किसीको मारे हुए स्वय मरना सिखला रहे है, ताकि यदि कभी बलके प्रयोगका अवसर आये तो वे एक बिलकुल नये ढंगसे उसका इस्तेमाल करें और किन्ही भी अन्य लोगोकी अपेक्षा उसका प्रभावशाली ढगसे इस्तेमाल करे। मै आपको इसके लिए बधाई देता हूँ।'

"मै चुप हो गया और मेरी यह इच्छा न हुई कि इस भ्रमके कुहासेसे मुक्त करनेके लिए मै उनको कोई उत्तर दूँ। मै मुस्कराया और फिर विचारमग्न हो गया। मुझे अपनी यह प्रशसा अच्छी लगी कि पठान मेरी शिक्षाओके कारण (उनके फलस्वरूप) और भी अधिक वीर बन जायँगे। मेरे निकट ऐसा एक

भी उदाहरण नहीं है कि कभी कोई व्यक्ति मेरे प्रभावमें आकर कायर बना हो। परन्तु मेरे मित्रका यह निष्कर्ष कुछ चुटीला था। खुदाई खिदमतगारोंने अहिंसा की जिस 'क्रीड'की शपथ ग्रहण की है उसकी अंतिम परीक्षामें यदि वे खरे न उतरे तो यह निश्चय हो जायगा कि वस्तुतः उनके हृदयोंमें अहिंसा नहीं थी। उसका प्रमाण भी शीघ्र ही सामने आ जायगा। यदि वे एक लगन और आस्थाके साथ कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको पूरा करते हैं तो आलोचकोंकी भविष्य वाणी पूरी होनेका कोई भय न रहेगा और जब कभी परीक्षाका समय आयेगा तब वे संसारके वीरतम पुरुषोंमें गिने जायेंगे।

प्रकार स्वराज्य नही मिल सकेगा। किसी भी व्यक्तिको यह कल्पना नही करनी चाहिए कि हिन्दुओका समुदाय बहुसख्यक ह इसलिए वह अन्य समुदायोके आधार और सहायताके बिना, सविनय आज्ञा भग आयोजित करके भारतके लिए या अपने लिए स्वाधीनता अर्जित कर सकता ह। जसा कि मैंने बहुधा आपसे कहा ह कि एक शुद्ध प्रकारका सविनय आज्ञा भग, यदि थोडेसे व्यक्तियोतक सीमित हो तो भी उसका एक प्रभाव होगा। परन्तु उस स्थितिमें उन थोडसे लोगोके लिए यह अनिवार्य होगा कि वे स्वयमें समग्र राष्ट्रकी इच्छा शक्ति और ताकतका प्रतिनिधित्व करें। क्या सशस्त्र युद्धमें भी ऐसा ही नही होता? युद्धम लडते हुए सेना बलको पूरे देशके नागरिकोके आधार और सहायताकी अपेक्षा होती ह। बिना उसके उसकी स्थिति एक पगु जैसी होगी। म स्वराज्यके लिए अधीर हूँ इसलिए मुझे हिन्दू-मुस्लिम ऐक्यके लिए अधीर होना ही चाहिए। मेरा यह पूर्ण विश्वास ह कि हिन्दू और मुसलमानोके बीचमें एक सच्ची और स्थायी हार्दिक एकता जो मात्र एक राजनीतिक गठबधन नही होगी, आज या कल स्थापित होगी ही। और शायद जल्दी होगी। अपनी बाल्यावस्थासे ही म एक स्वप्न देखता आ रहा हू और वह स्वप्न अब मेरे अस्तित्वमें समाहित हो गया ह। मुझको अपने पिताके समयके वे अत्यत सजीव प्रसग याद ह जब कि राजकोटम हिन्दू और मुसलमान प्रेम भावसे रहा करते थे आपसके घरेलू काय भार और समारोहोमें रक्त-सम्बन्धके भाइयोकी भाँति सम्मिलित हुआ करते थे। मेरा विश्वास ह कि इस ढगके दिन एक बार फिर वापस लाये जा सकते ह। हिन्दू और मुसलमानोके बीचका यह कलह और आपसमें एक दूसरपर दोषारोपण मात्र एक भ्रम ह जो कि स्वाभाविक भी नही ह। यह भ्रम सदा नही बना रहेगा।

'इस ससारमें महानतम काय सहायताविहीन मानव प्रयाससे पूर्ण नही होते। वे अपने सुनिश्चित समयपर आकर ही पूरे होते हैं। ईश्वर अपने निजके तरीकेसे कार्यके उपकरण चुनता है। यह भी हो सकता ह कि निर्धारी मन हार्दिक प्रार्थनाओके बाद भी मुझको इस महान् कार्यके लिए योग्य व्यक्ति न समझा जाय। हम सबको अपनी कमर कसकर और (मार्गके लिए) अपने दीपकोंको सवारकर तयार रहना चाहिए। यह नही कहा जा सकता कि ईश्वर कब और किस मनुष्यके द्वारा किसी महत् कायको सम्पूर्ण कराना चाहेंगे? आप अपनी सारी जिम्मेदारी मुझपर ढकेलकर उससे बच नही सकते। मेरे लिए प्रभुसे यह प्रार्थना कीजिए कि मेरा स्वप्न मेरे इस जीवनमें ही साकार हो जाय। हमको अपने मनमें उत्साहहीनता और निराशावादको स्थान नही देना चाहिए।

मनुष्य हिसाब लगाकर अपना अंक रखता है परन्तु ईश्वरके (सहायता देनेके) मार्ग उससे कही अधिक है।

"मुझे यह जानकर दु ख हुआ है कि इस प्रान्तमे भी काग्रेसके पदाधिकारियो के बीच आतरिक झगडे चल रहे है। कल मै एक घण्टेसे भी अधिक समयतक आपकी प्रान्तीय काग्रेस समितिके सदस्योसे घिरा रहा। उन लोगोने मुझसे उसे दूर करनेका उपाय पूछा। मैने कहा कि समस्याका समाधान तो आपके हाथमे है। आपने खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँको अपना बिना मुकुटका राजा चुना है। आपने उनको 'बादशाह खान' और 'फखे-अफगान'की गर्वपूर्ण उपाधियां दी है। उनका आदेश आपके लिए एक कानून होना चाहिए। उनका तर्क-वितर्कोके ऊपर विश्वास नही है, वे जो कुछ भी कहते है, हृदयसे कहते है। आपने उनको जो उपाधियाँ प्रदान की है उनको यदि आप सार्थक करना चाहते है और उन्हे केवल मौखिक सराहना नही रहने देना चाहते तो आपको अपने निजी मत-भेदोको भूल जाना चाहिए और हिल-मिलकर एक टोलीकी भाँति उनके नीचे काम करना सीखना चाहिए।

"अगला प्रश्न सीमा-प्रान्तकी जनताकी गरीबीका है। मुझको यह बतलाया गया कि उसमेसे बहुतसे लोग मुश्किलसे पेट भरने योग्य भोजन जुटा पाते है। पठानो जैसी तगडी जातिके लिए यह दुर्दशा कोई शोभनीय वस्तु नही है बल्कि वह अपमानजनक है। लेकिन पहले प्रश्नकी भाँति इस प्रश्नका हल भी मुख्य रूपसे आपके हाथोमे है। आपको लोगोको अपने हाथोसे काम करना सिखलाना चाहिए और स्वय भी श्रमकी गरिमाका अनुभव करना चाहिए। इसमे कोई सन्देह नही है कि मंत्रिमडल उनको सुविधाएँ दे सकता है और वह उनको देगा भी परन्तु कठिन परिश्रम स्वयसेवकोको ही करना पडेगा।

"ईश्वर उन्हे सत्पथ दिखलाये। मै यह जानता हूँ कि जब हम आपसमे झग-डते है तब आजादीको शीघ्र लानेके बारेमे ही झगडते है। हमे यह आशा है कि हमारी स्वाधीनता ही हमारी सारी बीमारियोको, सारी बुराइयोको दूर कर देगी। हमारा स्वाधीनता प्राप्त करनेका उत्साह, हमे एकतामे बाधकर रखनेवाला सूत्र, हमको विभाजित करनेवाले समस्त मतभेदोसे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हो।"

गाधीजीके वर्धा पहुँच जानेके तुरन्त बाद कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय लेनेके लिए ९ अगस्तसे काग्रेस कार्यकारिणी समितिका त्रिदिवसीय अधिवेशन प्रारम्भ हुआ। समितिने नाजुक अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिपर विचार-विमर्श किया। उसने एक साम्राज्यवादी युद्धके प्रति अपना विरोध घोषित किया और अपने इस दृढ निश्चय

पर बल दिया कि भारतके ऊपर युद्ध थोपनेके जो भी प्रयत्न किये जायेंगे, उन सबका समिति विरोध करेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति बड़ी तेज़ीसे बिगड़ती जा रही थी। हिटलर द्वारा पोलैण्डको अन्तिम चेतावनी दे देने और नाज़ी जर्मनी और सोवियत संघके बीच एक अनाक्रमण समझौतेपर हस्ताक्षर हो जानेसे स्थिति और भी गम्भीर हो गयी। पोलैण्डपर जर्मनी द्वारा आक्रमण कर देनेके कारण ३ सितम्बर सन १९३९ को ब्रिटेनने जर्मनीके विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। वाइसरायने भारतके नेताओं तथा विधान-सभाओंसे बिना राय लिये ही उसी दिन युद्धकी घोषणा कर दी। इसके बाद देशमें कई अध्यादेश लागू कर दिये गये। बादमें वाइसरायने मशविरेके लिए जिन लोगोंको आमन्त्रित किया, उनमें गांधीजी भी थे। ५ सितम्बरको वे शिमला पहुँचे। अपने वक्तव्यमें गांधीजीने कहा

"कांग्रेसके सामने अपनी स्थिति बिलकुल स्पष्ट कर देनेके बाद मैंने हिज एक्सलेन्सीको यह बतला दिया कि मेरी निजकी सहानुभूति ब्रिटेन और फ्रांसके साथ है। अबतक दुर्जेय समझे जानेवाले लन्दनके विनाशके विचार मात्रसे मेरा अंतर तम उद्वेलित हो उठा है। मैं अपनेको अत्यंत दुःखी अनुभव कर रहा हूँ। मेरे और ईश्वरके बीच इस बातपर लगातार झगड़ा चल रहा है कि वह ऐसी चीजोंको चलते रहनेकी अनुमति क्या दे रहा है? मुझे अपनी अहिंसा प्रायः प्रभावहीन लगने लगी है। परन्तु नित्यके झगड़के इस अंतमें मुझे यह जवाब मिलता है कि न ईश्वर और न अहिंसा ही प्रभावहीन है। मुझे आशाका त्याग किये बिना प्रयत्न करते रहना चाहिए, भले ही मैं इस प्रयासमें टूट जाऊँ।

"और इसलिए, हालाँकि एक घोर पीड़ा मेरी पहलेसे ही प्रतीक्षा कर रही थी मैंने २३ जुलाईको अबोटाबादसे हिटलरको एक पत्र भेजा

'यह नितान्त स्पष्ट है कि आप आज इस विश्वमें एक व्यक्ति हैं जो युद्धको रोक सकते हैं उस युद्धको जो मानवताको अपनी पिछली वहशी अवस्थामें पहुँचा देगा। क्या आप इस उद्देश्यके लिए, चाहे वह आपको कितना ही मूल्यवान क्यों न प्रतीत होता हो यह कीमत चुकाना चाहेंगे? क्या आप किसी ऐसे व्यक्तिके निवेदनको सुनना चाहेंगे जिसने कि जान-बूझकर युद्धकी प्रणालीको, अपने तरीकेमें एक महत्त्वपूर्ण सफलता पाकर एक ओर हटा दिया?

'और अब भी कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे हर हिटलर ईश्वरको नहीं बल्कि पशुबलको ही पहचानता है। इस महानाशके बीचमें जिसकी किसीसे तुलना नहीं की जा सकती, कांग्रेसजन और अन्य समस्त भारतवासियोंको व्यक्ति-

गत रूपसे और सामूहिक रूपसे यह निश्चय करना पड़ेगा कि इस भयानक नाटक-मे भारतको कौन-सी भूमिका निभानी है ?"

हिन्दू महासभा, दि क्रिश्चियन कान्फ्रेन्स, लिवरल फेडरेशन और भारतीय नरेश सरकारको अपना पूर्ण सहयोग देनेके लिए तैयार थे। मुस्लिम लीगने ब्रिटिश सरकारको यह चेतावनी दी कि वह मुसलमानोके सहयोगपर तभी निर्भर कर सकती है जब कि काग्रेस मंत्रिमंडलो द्वारा शासित प्रदेशोमे मुसलमानोके साथ 'न्यायपूर्ण, समान व्यवहार' किया जाय। सविधान सम्बन्धी वृद्धि या नये संविधानकी रचनाके समय मुस्लिम लीगकी, जो कि मुसलमानोकी एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है, सलाह और स्वीकृतिके विना किसीको कोई आश्वासन नही दिया जाना चाहिए। अन्य लोगोकी विचार-अभिव्यक्तिके रूपमे ८ सितम्वरको एक वक्तव्य प्रकाशित किया गया जिसके ऊपर श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर तथा अन्य लोगोके हस्ताक्षर थे। इस वक्तव्यमे ग्रेट ब्रिटेनका साथ देनेके लिए भारतका आह्वान किया गया था और वलके द्वारा किसी भी देशपर अपना प्रभुत्व स्थापित करनेकी अभागी नीतिका विरोध किया गया था।

वर्धामे एक सप्ताहतक काग्रेसकी कार्यसमितिकी वैठक हुई और उसमे लडाई छिड जानेके कारण उत्पन्न हुई परिस्थितिपर एक सप्ताहतक विचार-विमर्श हुआ। इस चर्चामे भाग लेनेके लिए मि० जिनाको आमन्त्रित किया गया परन्तु अपने 'पूर्व नियोजित कार्यक्रमो' के कारण वे उसमे उपस्थित नही हो सके। इस वैठकमे श्री सुभाषचन्द्र वोसको विशेष आमन्त्रण देकर वुलाया गया था। गाधीजीने इस वैठकमे पूरी तरहसे भाग लिया। वर्धाकी इस वैठकमे एक लम्वा प्रस्ताव पारित हुआ जिसमे कि काग्रेसका दृष्टिकोण स्पष्ट रूपसे व्यक्त किया गया था। इस ऐतिहासिक प्रस्तावमे यह कहा गया था, "समान लोगोमे आपसकी रजामन्दीसे, ऐसे हेतुके लिए, जिसे कि दोनो इस योग्य समझे, सहयोग होना चाहिए। अभी कुछ समय पूर्व ही भारतकी जनताने एक वहुत वडे खतरेका सामना किया और अपनी निजकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिए और भारतमे एक मुक्त लोकतंत्रीय राज्यकी स्थापना करनेके लिए स्वेच्छापूर्वक महान् त्याग किये। उसकी सहानुभूति पूर्ण रूपसे लोकतन्त्र और स्वाधीनताके साथ है। लेकिन भारत किसी ऐसे युद्धमे शामिल नही होना चाहता जिसे लोकतन्त्रीय स्वाधीनताके लिए लडा जानेवाला वतलाया जाता है जब कि उसी स्वाधीनताको उसके स्वय के लिए अस्वीकार किया जा रहा है। इसलिए कार्यसमिति ब्रिटिश सरकार-को इस वातके लिए आमंत्रण देती है कि वह स्पष्ट शब्दोमे लोकतन्त्र और साम्रा-

कारणसे छोड देता हूँ कि वे अहिंसाके एक वढे हुए प्रयोगमे मेरे साथ नही चल सके तो मै अहिंसाके हेतुकी सेवा नही कर सकूँगा । और इसलिए मै इस विश्वासके साथ उनके वीचमे रहूँगा कि उनका अहिंसाकी प्रणालीसे यह दूर हट जाना एक संकीर्ण क्षेत्रतक ही सीमित रहेगा और स्थायी नही होगा ।

"मेरे पास कोई पूर्ण रूपसे तैयार साकार योजना नही है । मेरे लिए भी यह एक नया क्षेत्र है लेकिन जहाँतक सावनोकी वात है, मेरे आगे उनको चुननेका सवाल नही है । चाहे मै कार्य-समितिके सदस्योके वीचमे रहूँ या वाइसरायके साथ रहूँ, मेरे साधन पूर्ण रूपसे अहिंसक होगे, इसलिए मै जो कुछ कह रहा हूँ वह एक साकार योजनाका अश है । जिस प्रकार मेरी अन्य योजनाएँ धीरे-धीरे मेरे सामने खुलती गयी है उसी प्रकार इस योजनाका स्वरूप भी मेरे आगे दिन-प्रतिदिन स्पष्ट होता जायगा । मै अंग्रेजोसे तुरत यह कहूँगा कि वे अपने शस्त्र फेक दें । वे अपनी सारी परतंत्र जनताको मुक्त कर दे, अपनेको 'लिटिल इंगलैण्डियर्स' कहलानेमे गर्व अनुभव करे और विश्वके समस्त एकदलवादियोकी स्थितिको वदतर न वनाने दे । इस प्रकार विना अवरोध किये हुए अंग्रेज मृत्युका वरण करे और अहिंसाके वीर नायकोके रूपमे इतिहासके पुरुप वनें । इससे भी आगे मै भारतवासियोको यह आमंत्रण दूँगा कि वे दिव्य वलिदानमे अंग्रेजोका साथ दे । यह एक ऐसी भागीदारी होगी जिसकी कहानी उनके अपने शरीरके रक्तके अक्षरोसे लिखी जायगी । तव वे उनके तथाकथित शत्रु नही रह जायँगे । लेकिन मेरे पास ऐसी कोई शक्ति नही है । अहिंसा एक धीरे-धीरे वढनेवाला पौदा है । वह अत्यंत सूक्ष्मताके साथ वढता है लेकिन वढता निश्चित रूपसे है । अपने लिए यह खतरा होते हुए भी कि कही मुझको गलत न समझ लिया जाय मै अपनी अंतरात्माके क्षीण स्वरके आदेशके अनुसार ही कार्य करूँगा ।"

उन्होने लिखा है "मेरे कुछ मित्र मुझसे यह कहते है कि मुसलमान विना मिलावटकी अहिंसाको स्वीकार नही करेंगे । उन लोगोका कहना है कि मुसलमानोके लिए हिंसा उतनी ही धर्मसम्मत है जितनी कि अहिंसा । इन दोनोका प्रयोग परिस्थितियोपर निर्भर करता है । यह निश्चित करनेके लिए कि दोनो ही धर्म-सम्मत है, मै कुरानका प्रमाण देनेकी आवश्यकता नही समझता । अहिंसा एक जाना-पहचाना पथ है जिसके ऊपर विश्व युगोसे चलता आ रहा है । संसार मे अमिश्रित हिंसा जैसी कोई वस्तु नही है । मेरे अनेक मुसलमान मित्रोने मुझको यह भी वतलाया कि कुरान शरीफ हमे अहिंसाका प्रयोग सिखलाता है । वह वदला लेनेसे सहनशीलताको उत्कृष्ट वतलाता है । इस्लामका शाब्दिक अर्थ शान्ति

है जो वस्तुतः अहिंसा ही है। बादशाह खान एक विश्वासी मुसलमान हैं। उन्होंने पूर्ण अहिंसाको अपनी आस्थाके रूपमें स्वीकार किया है।'

दिनांक ७ अक्तूबरके 'हरिजन सेवक'में गांधीजीने लिखा

'अपनी यात्रामें एक पठानने मुझसे हिंसक कार्योंके विषयमें चर्चा करते हुए कहा 'यह तो आप जानते ही हैं कि सरकार इतनी शक्तिशाली है कि अपने देशमें वह हिंसाको तुरन्त दबा देती है, चाहे वह कितनी ही संगठित क्यों न हो। लेकिन आपकी अहिंसा बड़ी चतुर है। आपने हमारे देशको एक आश्चर्यजनक अस्त्र दिया है। संसारकी कोई भी सरकार अहिंसाको दबा नहीं सकती।' मेरे मुलाकातीने मुझे जो अद्भुत विचार दिया उसके लिए मैंने उसको बधाई दी। *उसने अहिंसाके अनुपम सौंदर्यको एक वाक्यमें व्यक्त कर दिया। यदि भारत* केवल उस पठानकी इस स्वाभाविक, इस सहज उक्तिके पूर्ण आशयोंको समझ लेता है तो कितने ही आक्रमणकारियोंकी मिली जुली टोली उसपर हमला क्यों न करे, वह सदैव अजेय रहेगा। यह निश्चित है कि जिन लोगोंने अहिंसाका प्रशिक्षण लिया है उनके ऊपर छापा नहीं मारा जायगा। वास्तवमें दुबलसे दुबल राज्य भी, यदि अहिंसाकी कलाको सीख लेता है तो वह अपनेको आक्रमणसे मुक्त रख सकता है। लेकिन एक छोटा राज्य, अपनेको चाहे कितने ही शस्त्रोंसे क्यों न सजा ले शक्तिशाली शस्त्रसज्जित राज्योंके समूहके बीचमें अपने अस्तित्वकी रक्षा नहीं कर सकता। उसका उनमेंसे किसीमें विलय हो जायगा या उसे उन राज्योंमेंसे किसीके संरक्षणमें रहना पड़ेगा। बादशाह खानने ठीक ही कहा है, यदि हमने अहिंसाके पाठको न सीखा होता तो हममें बुराइयाँ बनी रहतीं। हमने उसे स्वार्थके कारण स्वीकार किया। हम लोग जन्मजात लड़ाके हैं और अब हम अपनी परम्परागत एक-दूसरेसे लड़कर ही रक्षा कर रहे हैं। एक बार किसी परिवारमें या किसी खलमें कोई हत्या हो जाय तो वह प्रतिकारके लिए एक सम्मानका प्रश्न बन जाता है। सामान्य रूपसे हम लोगोंमें क्षमा जैसी कोई चीज नहीं होती। और इसलिए हममें बदला, फिर उस बदलेका बदला चलता रहता है और इस प्रकार दूषित चक्र चलता ही जाता है और वह कभी खतम नहीं होता। यह अहिंसा हम लोगोंमें निःसन्देह एक मुक्ति एक छुटकारा बनकर आयी है। जो कुछ सीमाप्रान्तके लिए सच है वह हम सब लोगोंके लिए सच है। उससे अपरिचित रहकर हम हिंसाके दूषित घेरेमें चक्कर काटते रहते हैं। एक छोटा-सा विचार और उसके अनुरूप अभ्यास ही हमको इस योग्य बनायेगा कि हम उस घेरेसे बाहर निकल सकें।

युद्ध और अहिंसा

१७ अक्तूबर १९३९ को लार्ड लिनलिथगोने एक घोषणा की जिसमे मुस्लिम लीगके इस दावेको कि वह भारतके मुसलमानोकी ओरसे बोल सकती है, असंदिग्ध रूपमे स्वीकार किया गया था। उसमे उन्होने इस वचनको दुहराया था ५ कि भारतमे ब्रिटिश नीतिका उद्देश्य इस देशको डोमिनियन पद देनेका है। इसके लिए युद्धके पश्चात् सन् १९३५ के अधिनियमपर पुन. विचार किया जायगा और उस समय सभी अल्पसंख्यकोकी रायको उचित आदर दिया जायगा। तात्कालिक कार्यवाहीके रूपमे वाइसरायने यह प्रस्ताव किया कि युद्ध-चालनके सम्बन्धमे भारतीय लोक-मतसे सम्पर्क रखनेके लिए एक सलाहकार परिषद्का गठन किया जाय जिसमे कि सारे भारतका प्रतिनिधित्व हो।

"वाइसरायकी यह घोषणा पूर्ण रूपसे निराशाजनक है।" गांधीजीने कहा। काग्रेसकी कार्यसमितिने भारतका विरोध व्यक्त करनेके लिए काग्रेसके मन्त्रिमण्डलोसे त्यागपत्र दे देनेको कहा क्योकि भारतको विना उसकी स्वीकृतिके ही एक युद्ध-संलग्न देश घोषित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकारने उसको यह वतलानेसे भी वरावर इनकार किया था कि यह युद्ध किन सिद्धांतोकी रक्षाके लिए लडा जा रहा है और वे भारतके मामलेमे किस प्रकार लागू होते है। कार्य- २ समितिके आह्वानपर, उसका आदेश पालन करनेके लिए सीमाप्रान्तके मंत्रिमंडलने नवम्बरके महीनेमे त्याग-पत्र दे दिया। उसके त्यागपत्रके पश्चात् वहाँ कोई दूसरा मंत्रिमडल न बन सकता था इसलिए उस प्रान्तपर गवर्नरका शासन थोप दिया गया।

काग्रेसकी कार्यसमितिकी बैठक समाप्त हो जानेपर गाधीजीने उसके सदस्योसे अहिंसाके प्रश्नपर उसके सारे ब्यौरोके साथ विचार करनेको कहा। यह प्रश्न ही उनका सारा समय खीच रहा था, यहाँतक कि गाधीजीने पूर्ण मौन ग्रहण कर लिया। वे केवल उन्ही लोगोंसे मिलते जो उनसे पहले मुलाकातका समय निश्चित कर लेते। वे प्राय. वहुत सवेरे उठ वैठते और इस प्रश्नपर ही विचार करने लगते। मौलाना आजादने लिखा है, "गाधीजीके लिए यह एक कठिन समय था। वे यह देख रहे थे कि युद्धकी नाशकी लपटे तेज होती जा रही है और वे उसे रोकनेके लिए कुछ भी नही कर पा रहे है। वे इतने दु.खी हो गये कि कभी-कभी वे आत्महत्या कर डालनेकी वाततक कहने लगे। उन्होने मुझसे ३ कहा कि यदि वे युद्धजनित कष्टोको रोक नही सकते तो इतना तो कर ही सकते हैं कि वे स्वय अपने जीवनका अन्त करके उनके प्रत्यक्ष साक्षी न वनें।"

२४ अक्तूबरको गाधीजीने संपादकीयमे लिखा कि काग्रेस कार्यकारिणी

बटवारे या भारतकी राष्ट्रीयताको विघटित करनेकी कोशिशोंको नाकामयाब करनेकी कोशिश करेगी। कांग्रेसने हमेशासे एक ऐसे संविधानको अपना लक्ष्य बनाया है जिसके अंतर्गत सबको पूरी-पूरी आजादी होगी, विकासके समान अवसर उपलब्ध होंगे और व्यक्तिगत तथा सामाजिक अन्यायके स्थानपर एक न्याय संमत सामाजिक व्यवस्थाकी स्थापना हो सकेगी।

हिंदुस्तानकी आजादीकी राहमें भारतीय राज्योंके शासकों या विदेशी निहितस्वार्थी तत्त्वोंके हस्तक्षेप करनेके अधिकारको कांग्रेस अमान्य करती है। हिंदुस्तानकी प्रभुसत्ता जनताके हाथोंमें ही होनी चाहिए

कांग्रेस, सभी वर्गों और संप्रदायोंका प्रतिनिधित्व बगैर जाति या धर्मका *प्रश्न उठाये, करनेका प्रयास करती है और हिंदुस्तानकी आजादीकी लड़ाई, पूरे* मुल्ककी आजादीकी लड़ाई है। इसलिए कांग्रेस आशा करती है कि इसमें सभी जातियों और वर्गोंके लोग सहयोग करेंगे। सविनय आज्ञा भंगका उद्देश्य सारे देशमें आत्मोत्सर्गकी भावना उत्पन्न करना है।

रामगढ़में गांधीजीने कार्यकारिणी समितिके सदस्योंसे अपने तीन प्रश्नोंपर प्रकाश डालनेके लिए कहा। पहला प्रश्न यह कि यदि कांग्रेसके सामने हिंदू भारत और मुस्लिम भारतके रूपमें भारतके विभाजनकी मांग पेश की जाय तो कांग्रेस क्या रुख अख्तियार करेगी? दूसरा सवाल यह कि क्या देश सविनय आज्ञाभंगके लिए तैयार है? और अंतिम प्रश्न यह कि संविधान सभाके बारेमें आपकी स्पष्ट कल्पना क्या है?

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा। अगर सविनय आज्ञा भंगका दायरा जेल जानेतक है तो सीमाप्रांतमें इसके लिए बहुतसे लोग तैयार हैं। मगर सविनय आज्ञाभंगका अर्थ सिर्फ जेल जाना नहीं है। जो जेल जाते हैं वे जानेका मतलब नहीं समझते। मुझे संदेह होता है कि शायद हम उस चीजके काबिल ही नहीं हैं जिसके लिए हम जूझ रहे हैं। हमारे हाथोंमें जो थोड़ीसी सत्ता आयी उसीमें उन लोगोंकी कलई खुल गयी जिन्हें हम फरिश्ता समझ रहे थे। थोड़ी सत्ताके आते ही मेरे अपने इर्द गिर्द जितना भ्रष्टाचार देखा वह आश्चर्यजनक था। भावी *आजादीके योग्य इन्सानोंको अगर तैयार नहीं किया गया तो सविनय अवज्ञा एक खतरनाक हथियार सिद्ध होगी। हमें अपनेको औरोंको और पाक बनाना होगा।*

सरदार पटेलने कहा। संविधान सभाकी हम कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है। अगर यह विधयक क्रांतिकारी है तो युद्ध और शांतिके उद्देश्योंकी घोषणाकी मांग मुनासिब थी। हमने अंग्रेजोंके साथ सहयोग किया वरना हम उनसे लड़ते। युद्ध

कारण साम्प्रदायिक प्रश्न तीखा हुआ। अगर मुसलमान भारतका बँटवारा चाहते हे तो शायद हम 'हाँ' कह दें। केवल हिन्दू इसे नही मानेगे।

"हिंसा और अनुशासनहीनताकी शक्ति बढती जा रही है। परन्तु यह कब-तक चलेगा? हमारी तैयारियोके पूर्ण होनेकी आशा मुझे तो नही दिखती। मुस्लिम लीगसे खतरा अलग है। राजा लोग भी खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इन दोनोमे गुप्त समझौता हो चुका है। अत. हमे अपनेको निष्क्रिय प्रतिरोधकी सीमाओमे कुचलने नही देना है।"

श्री जवाहरलाल नेहरू बोले "भारतके बँटवारेके सवालका अंदाज गलत है। इस प्रश्नपर इस समय बहस करना खतरनाक होगा। इससे सभी विघटन-कारी ताकतोको बल मिलेगा।

"प्रश्न यह है, क्या हम अंग्रेजोकी सत्तासे मुस्लिम सत्ताको अच्छा मानेगे? मै मुसलमानोके दमनके लिए अंग्रेजोकी मदद लेनेसे इनकार करूँगा। मगर हमे गतिरोध उत्पन्न करनेवाली साम्प्रदायिक हरकतोका कोई इलाज खोजना ही पडेगा।

"जबतक ब्रिटिश सत्ता पूरे तौरसे हट नही जाती तबतक संविधान सभाका कोई सवाल नही उठता। इस संविधान सभामे या तो साम्प्रदायिकताका मसला हल होगा या गृहयुद्धका जन्म होगा। अगर इसे अंग्रेजोका किसी रूपमे संरक्षण प्राप्त होगा तो वे साम्प्रदायिकताके सवालसे फायदा उठानेकी भरसक कोशिश करेगे। ब्रिटिश सेनाकी वापसी, संविधान सभाकी पहली मांग होनी चाहिए। ब्रिटिश व्य-वस्थाके स्थानपर एक नयी और शक्तिशाली सत्ता स्थापित होगी। अगर सचमुच संविधान सभा जैसी कोई चीज होगी तो श्री जिना जैसे लोग पुरअसर ढंगसे काम नही कर पायेंगे। वे लोग इससे और वयस्क मताधिकारसे घबराते है। अगर हम सही पग नही उठा सकते, तो हम प्रतीक्षा करे।"

श्री राजेन्द्रप्रसाद बोले, "संविधान सभाकी बात लखनऊमे पहले-पहल उठी। इस प्रश्नके उत्तरमे कि हमे किस बातसे तसल्ली मिलेगी, गोलमेज समेलनकी बजाय, आत्मनिर्णय हो और आत्मनिर्णयकी बातसे संविधान सभाका खयाल आया। युद्धसे उत्पन्न संकटसे इस विचारको महत्त्व मिला। ब्रिटिश सरकारके प्रत्येक प्रस्तावके जवाबमे हम यह माग पेश करने लगे। पटना प्रस्तावमे संविधान सभाकी सीमा संकुचित कर दी गयी है। इसका संगठन कैसे होगा? बाहरी दुनियाके दबाव और हमारी आंतरिक शक्तिसे ब्रिटिश सरकारको हमसे ऐसा कोई समझौता करना पड सकता है, जो दोनो पक्षोको मान्य हो। मौजूदा हालतोको

देखते हुए हम ब्रिटिश सत्ताके लोप हो जानेकी कल्पना नहीं कर सकते। संविधान सभा इसकी तफ़सीलमें जायगी और समझौतेका ढाँचा तैयार करेगी।

'संविधान सभामें राजनीतिक या साम्प्रदायिक खिंच उत्पन्न होनेपर क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता। ब्रिटिश सरकार इसमें निर्णायक पार्ट अदा करेगी। अगर मतभेद बुनियादी सवालोंपर हुए तो उसका अंजाम गृहयुद्ध होगा।"

श्री राजगोपालाचारीने कहा 'मैं तो संविधान सभाका कोई क्रांतिकारी आधार नहीं देख पाता। व्यवस्थित सभा तभी स्थापित हो सकेगी जब उसकी बुनियादमें सशक्त और व्यवस्थित सरकार होगी। संविधान सभाके आह्वानके लिए यह शर्त लगाना कि पहले ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाय, उलझन और विप्लवको निमंत्रण देना होगा। हम कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे नहीं पायेंगे। ब्रिटिश सरकारसे हम पूर्ण आत्मसमर्पणकी आशा नहीं कर सकते। यह मानव स्वभावके विपरीत बात है।

सविनय आज्ञाभंगके छेड़े जानेपर हम कुचल दिये जायेंगे। यह वक्तको पीछे लौटानेका काम होगा। सविनय आज्ञाभंगसे बचावकी तकनीक विकसित कर ली गयी है। हमें एक साल या इससे ज्यादा अर्सेतक उपयुक्त वातावरणकी प्रतीक्षा करनी होगी। जल्दबाजी करनेपर सबके हौसले पस्त हो जायगे। श्रमिक आंदोलनोंमें हिंसा उत्पन्न होगी और साम्प्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न होगा।'

मौलाना आजादने कहा असलमें संविधान सभा हिंदुस्तानकी आजादीकी मांगका एक तेवर थी। इसके अंतर्गत वर्तमान व्यवस्थामें क्रांतिकारी बदलावकी कल्पना है मगर यह ब्रिटिश सरकारसे समझौतेकी राह बंद नहीं करती। इसके अंतर्गत ब्रिटिश सत्ताकी वापसी उतनी जरूरी नहीं जितनी कि ब्रिटिश निजामम एक क्रांतिकारी परिवर्तन जरूरी है। यही हमारा मकसद है। हम चाहते हैं कि अंग्रेज हमारी मांगें मान लें और अपना विरोध खत्म करें।'

अहिंसा हमें बहुत दूरतक ले जा सकती है। अगर अहिंसाके हथियारमें कोई दोष नहीं है तो हमें उसपर कोई रोक नहीं लगानी चाहिए। हमारी ताकत में हथियारका असर साबित होगा। युद्ध चल रहा है हमारा शत्रु परेशानीमें है। अगर हममें आंतरिक शक्ति है तो हम आत्मनिर्णय जैसी कोई चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मेरा ख्याल है अगर कोई बहुत ही असाधारण उथल-पुथल न मच जाय तो हम उन्हें अपनी सारी मांगोंको मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हमारी मौजूदा ताकत सीमित है। १९३० में हमारे सामने अपने लड़नेके तरीकेका एक साफ नक्शा था। आज हमारे सामने

कोई नक्शा नही है। पटना प्रस्तावोका स्वाभाविक परिणाम सिविल नाफरमानी या उसके लिए तैयारी है। हम अपने फैसलेसे पीछे नही हट सकते। सरकारने जवाब दे दिया है। हमे केवल यह निश्चय करना है कि हमारी लडाईका स्वरूप क्या होगा।"

गाधीजीने कहा "मै सविधान सभाका जो मतलव समझता हूँ वह आप लोगोको वतलाना चाहता हूँ। संक्रमण कालमे, हम ब्रिटिश सरकारके आगे कोई शर्त नही रखेंगे। सेना रहेगी और उसकी प्रशासकीय व्यवस्था भी रहेगी। सविधान सभाके पहले और वाद ब्रिटिश सरकारके साथ समझौते होगे। अगर हम अल्पमतमे हुए तो भी संविधान सभाके निर्णयोको मानेंगे—और कुछ न सही तो अनुशासनकी दृष्टिसे। अगर वे चाहे कि सेना वनी रहे तो हम प्रतिरोध नही करेंगे। अगर अल्पसंख्यक लोग सेनाको हटाना नही चाहते तो मै भी सेना-को हटानेकी जिद नही कर सकता। अगर असंभव मागें उठायी जाती है तो भी हमे उन्हे मानना होगा। भ्रष्ट लोग आकर खेल विगाड दे तो भी हम कुछ नही कर सकते। सविधान सभाके लिए मताधिकार जितना ही व्यापक होगा उतना ही भला होगा। सविधान सभाके संगठन और प्रभावशाली ढगसे कार्यक्षम होनेके लिए पारस्परिक सद्भाव आवश्यक है। इसके वगैर, ब्रिटिश सरकार राजाओ और मुस्लिमोको हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है।

"आप लोगोसे मैने जो कुछ सुना उससे मेरी यह धारणा और पक्की हुई है कि देश अभी सविनय अवज्ञाके लिए तैयार नही है। मुझे आशा नही है कि हम अपनी तैयारियाँ वहुत वेहतर कभी कर भी पायेंगे। सयुक्त प्रातमे काम अच्छा हुआ है। मगर जवाहरलालजीने जो चेतना उत्पन्न की है उसमे मै अहिंसाका विकास नही कर सकता। खादीसे जनतामे अहिंसक शक्ति उत्पन्न होगी। मुझे इसमे कोई सन्देह नही है कि हम अहिंसासे पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सकते है। थोडेसे अनुशासित छोटे काग्रेसियोको लेकर मै सारी दुनियासे लड सकता हूँ, वडे काग्रेसी दु साध्य है। सविनय अवज्ञाके छेडनेपर अवज्ञा तो होगी परन्तु 'सविनय' न होगी। ऐसी स्थितिमे मै सविनय अवज्ञा छेड नही सकता। अगर काग्रेससे मेरा मौजूदा नाता टूट जाय तो शायद मैं कोई नयी राह निकाल सकूँ। मैं अपना कार्यक्रम छोड नही सकता। मै जिद्दी नही हूँ। मगर मेरे पास कोई दूसरा कार्यक्रम नही है। प्रचारके ज़रिये आदोलन खडा करके, मै अहिसक सेना नही तैयार कर सकता। जनताको श्रम द्वारा अनुशासित करना होगा। फिर वह सेना गुमराह नही होगी। जनतामे अहिंसा आसानीसे उत्पन्न की जा सकती है।"

गाधीजीने आगे कहा

"गर मारिस ग्वायरने बातचीतके दौरान श्री भूलाभाई देसाईसे कहा है कि गाधी अपने मकसदके बारेमे बहुत कच्चे पड गये है। बात सच है। मुझे दूसरी ओरसे कोई ईमानदार जवाब नही मिलता। दलके अन्दर मेरी अपनी परेशानियाँ है। मेरे पास लडाईके सही साधनोका अभाव है। अपनी शर्तें पूरी होनेतक मै लडाई छेड नही सकता। मै जनताको कुचला जाना भी नही चाहता। बगर तयारीके लडाई छेड देनेपर हमारे देशका निधन वर्ग मारा जायगा। मुझे राजकोटसे वापस लौटना पडा क्योकि वहाँ आतरिक शक्ति नही थी। जो भी शक्ति थी, वह वास्तविक कम दिखावटी अधिक थी। मेरी वापसी राजकोटकी जनताकी बहुत बडी सेवा थी क्योकि अगर मै ऐसा न करता तो वहाँ प्रतिक्रिया और दु ख दद होते। म ऐसा कोई काम करना नही चाहता जिससे जनताका हौसला टटे। अगर हममे अनुशासनकी कमी है जो शख्स या वग जो चाहता है सो करता है और ऐसी हालतमे हमने लडाई छेड दी तो हमपर आफत आ जायगी और हमारा उद्देश्य विफल होगा। हर कोई कह रहा है कि काग्रेस अनुशासनहीन है और फिर भी उसमें सब भाग ले रहे है। अगर जनताका हौसला इतजार करते करते पस्त हो जाय, तो मुझे कोई परवाह नही होगी।

"एक दूसरा रास्ता भी मुझे सूझ रहा है। मुझे अपने नातेके बोझसे आजाद कर दो और आगे बढ जाओ। म सयत रहूँगा। जरूरी हुआ तो म पीछे शामिल हो जाऊगा। सभव है, म अविश्वसनीय व्यक्ति होऊ और आप लागोको मुसीबत मे डाल दूँ। हो सकता है म अनिश्चित कालतक आदोलन न करूँ। छेडकर म एक-ब-एक आदोलन बद भी कर सकता हू। आप लोग मुझसे चाहे जितना सहमत हो ले, पर आप लोगोंकी अहिंसा मेरी अहिंसाके साथ बहुत दूरतक चलती नही। और बीस वर्षोंतक अहिंसाके अभ्यासके बाद भी अगर म मुसलमानो का प्यार और विश्वास नही जीत पाया तो मेरी अहिंसा सचमुच निस्सार है। ऐसी स्थितिमें आप लोग मुझे छोड क्यो नही देते ताकि म अहिसापर आगे शोध करता रहूँ ?'

मौलाना आजादकी ओर मुडकर उन्होने कहा मुझे इस बातमे तनिक भी सदेह नही है कि इस पगमे काग्रेस और मुल्ककी हानि कुछ भी नही होगी उल्टे लाभ ही होगा। मेरे मनमें आपके प्रति कायकारिणी समितिके दूसरे सदस्योके प्रति या देशके प्रति कोई अविश्वासकी भावना तो हो ही नही सकती। अपने ही प्रति अविश्वासका सवाल मेरे मनमें उत्पन्न हो गया है। मुझे विश्वास है कि

अगर मुझे आप मुक्त कर देंगे तो मै सविनय आज्ञाभंगको और भी पवित्र, और भी गरिमामय स्वरूप दे सकूँगा ।"

लेकिन मौलाना गम्भीर हो गये । वे इस प्रस्तावसे किसी भी तरह सहमत नही हो पा रहे थे । उन्होने कहा, "आपको यह नही भूलना चाहिए कि आपके ही आदेशसे मैने इस साल सेवा करना स्वीकार किया था । आपके बगैर सविनय आज्ञाभंगकी वात सोची भी नही जा सकती ।"

श्री राजगोपालाचार्यने पूछा "क्या सविनय-आज्ञाभंग अकेली ही राह रह गयी है ? क्या हम किसी दूसरे उपायका प्रयोग नही कर सकते ? मै सोचता हूँ कि जब हमारी शक्ति सीमित है तो हमे अपनी शक्तिके अनुसार ही माग पेश करनी चाहिए ।"

गाधीजीने कहा "मैने प्रतिरोध करनेका विचार त्याग नही दिया है लेकिन मै उसके लिए उपयुक्त वातावरण नही पा रहा हूँ । जिस व्यक्तिने जीवनभर यह प्रयोग किया है वह इस प्रयोगको एक वार और अवश्य आजमाकर देखेगा । मगर मुझे अपने कंधोपर काग्रेस सगठनका वोझ ढोना पडता है । अगर आप मुझे छोड दें तो मै इस सगठनको दृष्टिमे रखकर सोचना वन्द कर दूगा । मै जिस वक्त आदमियोको तैयार कर पाऊँगा, लडाई छेड सकूँगा । हो सकता है मै कभी ऐसा महसूस करूँ और अकेले ही लडाई छेड दू । चंपारनमे मैने यही किया । तव मेरे पीछे काग्रेसका नाम और प्रभाव नही था । मै अपने हृदयकी वात स्पष्ट करके कह रहा हूँ ताकि आप लोग मेरे पसोपेशको समझ सके । अभीतक प्रस्ताव पारित नही हुआ है ।"

मौलाना आजाद "जनतासे आपका सदा यह कहना कि वह लडाईके लिए तैयार नही है, उसका मनोवल झुकाता है ।"

गाधीजी "अगर ऐसा है, तो मै लाचार हूँ । मै मॉगमे कमी नही कर सकता । मै अव स्वायत्त शासनकी हैसियतके वारेमे वात नही करता । और काग्रेसकी स्थिति यह नही है । ब्रिटिश सरकार स्वायत्त शासन प्रदान करनेके लिए भी राजी नही है । मगर मै अव उस पैतरेको त्याग रहा हूँ ।"

श्री जवाहरलाल "मेरा दृष्टिकोण दूसरा है । हम लोग हमलेको पीछे हटा रहे है । इसलिए, तैयारीका सवाल नही उठता । हमे लड़ना होगा और हमला झेलना होगा । सवाल यह है कि इसका सवसे वढिया तरीका क्या हो सकता है । केवल लडनेकी घोषणा कर देना काफी नही होगा । इसके साथ ही हमे कुछ कदम उठाने होगे जिससे हम लडाईमे वेसाख्ता उलझ जायँगे ।"

१७ मार्च को रामगढ़में श्री राजेन्द्रप्रसादने 'भारत और युद्धका सङ्कट' पर प्रस्ताव पेश किया। यह प्रस्ताव वही था जिसे पटनामें कार्यकारिणीने पारित किया था। इस प्रस्तावके पक्षमें २५०० वोट पड़े और विपक्षमें १५।

कांग्रेससे अलग होनेके छ साल बाद पहली बार यहाँ गांधीजीने डेलीगेटोंके समक्ष बोलनेकी इच्छा प्रगट की। उन्होंने कहा जबतक मैं यह नहीं महसूस करता कि आप तैयार हो गये हैं तबतक सविनय अवज्ञा नहीं होगी। सार्वजनिक सविनय अवज्ञाका विचार मेरे दिमागको चौबीसों घण्टे व्यस्त रखता है। प्रत्येक कांग्रेस कमेटीको शुद्ध बनाना होगा और उसे सत्याग्रहकी एक इकाईका रूप देना होगा। यहाँ प्रजातन्त्र नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ मेरी बात कानून होगी। यदि कांग्रेस कमेटी ऐसी इकाई नहीं बनती तो हमारे लाखों मूक भारतवासियोंको नतीजा भुगतना पड़ेगा। मेरे किसी भी अभियानमें जनता दलित या विनष्ट नहीं हुई है। मेरे अभियानोंसे उसका कद बढ़ा है और इस कदको और ऊँचा करनेके लिए ही मैं जिन्दा हूँ। पिछले अभियानोंमें विचार और वाणीकी हिंसा काफी हुई मगर क्रियामें अहिंसा बनी रही इसलिए जनताकी रक्षा हो सकी। अब मैं फिर उसी तरह लाखों लोगोंको खतरेमें नहीं डाल सकता और इसीलिए मैं कठिनतम अहिंसा और अपनी सब शर्तोंकी पूर्ति चाहता हूँ। यही वह सूत्र है जिसमें वह मुझसे जुड़ी है। अगर मैं आपका सेनापति हूँ तो आपकी नब्ज मेरे हाथोंमें होनी चाहिए। वरना मैं आप लोगोंको लेकर लड़ नहीं सकता। मैं अकेला लड़ सकता हूँ मगर उसके लिए मुझे आपके पास आने और बहस करनेकी ज़रूरत नहीं।

अध्यक्ष मौलाना आजादने हिन्दू मुस्लिम एकता और अल्पसंख्यकोंके प्रश्नपर बल दिया। उन्होंने इस विचारकी भर्त्सना की कि मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं अतः उनके लिए प्रजातन्त्र घातक होगा क्योंकि इससे उनके हितों और अस्तित्वको खतरा होगा। उन्होंने कहा यदि देशमें दो मुख्य वर्ग हैं और एक वर्गके लोग १० लाख हैं और दूसरे वर्गके लोग २० लाख हैं तो यह जरूरी नहीं कि चूँकि एक वर्गकी संख्या दूसरे वर्गकी आधी है, अतः वह वर्ग अपनेको अल्पसंख्यक कहे और कमजोर महसूस करे। इस्लामने भी भारतकी धरतीमें जड़ें जमा ली हैं जैसे कि हिन्दुत्वने। उन्होंने कहा यदि हिन्दुस्तानमें हिन्दुत्व सहस्रों वर्षोंसे जनताका धर्म रहा है तो इस्लाम भी एक हजार वर्षोंसे उनका धर्म रहता आया है। जिस प्रकार एक हिन्दू गर्वसे कहता है कि वह भारतीय है और उसका धर्म हिन्दुत्व है उसी प्रकार मुसलमान भी गर्वसे कह सकता है कि वह भारतीय है और उसका मजहब इस्लाम है। ठीक इसी प्रकार ईसाई भी अपनेको गर्वसे भारतीय कह

सकता है और अपना धर्म भी एक भारतीय धर्म बता सकता है जिसका नाम है, ईसाई धर्म।"

मौलाना आजादने पूछा, "हम हिन्दुस्तानी मुसलमान भारतकी भावी स्वाधीनताको सदेह और अविश्वासकी दृष्टिसे देखते है या साहस और आत्मविश्वासकी दृष्टिसे ? यदि हम इसे सन्देह और अविश्वासकी दृष्टिसे देखते है तो हमे नि संदेह दूसरा रास्ता स्वीकार करना होगा। डर और सन्देहको आज ऐलानोसे, आश्वासनोसे और संवैधानिक सुरक्षाओसे दूर नही किया जा सकता। फिर हमे एक तीसरी शक्तिका अस्तित्व सहन करना होगा। वह ताकत आज यही निहित है और पीछे हटनेका उसका कोई इरादा नही है। अगर हम डरकी राह पकडते है तो हमे यह भी समझ लेना होगा कि यह राह कभी खत्म होनेवाली नही है। अगर हम यह अच्छी तरह समझ लेते है कि हमे डर और शुबहेमे नही रहना है और भविष्यकी ओर साहस और आत्मविश्वासके साथ चलना है तब हमे अपनी सही राह खोज लेनेमे कोई कठिनाई नही होगी। आज हम अपनेको एक नयी दुनियामे पा रहे है जहाँ सन्देह और अनिश्चयकी काली छायाका कही कोई पता नही है और जहाँसे अहद और अकीदतकी रोशनी कभी गुम नही होती। सामयिक उलझने, हमारी राहमे आनेवाले उत्थान-पतन और हमारी काँटोभरी राहकी दिक्कतें, हमे गुमराह नही कर सकती। यह हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य की ओर, हिन्दुस्तानकी आजादीकी ओर, मजबूत कदमोके साथ चल पडें।"

१९४० में मुस्लिम लीगने लाहौरमें पाकिस्तानका प्रस्ताव पारित किया "यह तय किया जाता है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीगके इस अधिवेशनका यह सुनिश्चित मत है कि इस देशमे कोई सवैधानिक योजना चल नही सकती या मुसलमानोके लिए स्वीकार्य नही हो सकती, यदि उसका रूप निम्नलिखित उसूलके आधारपर नही बनता, यानी, जिन क्षेत्रोमे मुसलमान संख्याकी दृष्टिसे बहुतायतमे है जैसे भारतके उत्तर-पश्चिम और पूर्वी हिस्सोमे, उन्हे इस प्रकार संघटित किया जाय, कि वे 'आजाद राज्य' हो, जिनकी संवैधानिक इकाइयाँ स्वशासित और पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न हो ।"

अध्यक्षीय भाषणमे श्री जिनाने अपने 'द्विराष्ट्र सिद्धान्त' का ही राग अलापा। भारतकी वर्तमान आजादी नकली है। यह ब्रिटिश सल्तनतके ज़मानेसे चली आ रही है और ब्रिटिश संगीनोकी नोकपर टिकी हुई है। श्री जिनाने यह भी घोषणा की कि भारतके लिए प्रजातंत्र उपयुक्त नही है और मुसलमानोकी राष्ट्रीयता जुदा है और उन्हे "अपनी धरती, अपना क्षेत्र और अपना राज्य" मिलना ही चाहिए।

अप्रैलमें दिल्लीमें विभिन्न मुस्लिम पार्टियोंके प्रतिनिधि एकत्र हुए। इनमें कांग्रेसी मुसलमान, अहरार, जमायते उलमा ए हिंद, शीया सियासी सम्मेलन आदि लगभग सभी दलोंके प्रतिनिधि जुटे केवल मुस्लिम लीगने उनका बहिष्कार किया। सिंधके प्रधान मंत्री अल्लाह बख्श आजाद मुस्लिम कान्फरेंसकी अध्यक्षता की। प्रतिनिधिगण पाकिस्तानके निर्माणके विचारोंकी भर्त्सना करने और ब्रिटिश सरकार तथा दूसरे लोगों द्वारा मुसलमानोंकी राजनीतिक निष्क्रियताका गर्हित लाभ उठानेकी निन्दा करनेके उद्देश्यसे जुटे थे। उन्होंने संविधान सभाकी कांग्रेसी मांग का समर्थन किया और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें मुस्लिम लीगकी भारत विभाजनकी मांगकी स्पष्ट शब्दोंमें निंदा की गयी। भारत अपनी राजनीतिक और भौगोलिक सीमाओंके अंतर्गत अविभाज्य है और एक है। भारतके कोने कोनेमें मुसलमानोंके घर बार और उनके धर्म और संस्कृतिके ऐतिहासिक महत्वके अमिट चिह्न बिखरे पड़े हैं जो उन्हें अपने प्राणोंसे भी ज्यादा प्रिय हैं। कौमी नज़रिएसे हर मुस्लिम भारतीय है। प्रस्तावमें घोषणा की गयी कि मुसलमान लोग अपने देशवासियोंके साथ कंधे से कंधा भिड़ाकर पूर्ण स्वतंत्रताके लिए जूझेंगे।

६ अप्रैल १९४० को पाकिस्तान प्रस्तावपर टीका टिप्पणी करते हुए गांधीजीने 'हरिजन' में लिखा

'मैं मानता हूँ कि लाहौरमें मुस्लिम लीग द्वारा पारित प्रस्ताव हमारे लिए उलझनकी स्थिति पैदा करता है। मगर मैं इसे इतनी बड़ी उलझन माननेको तैयार नहीं कि यह हमारे सविनय आज्ञाभंगको असंभव कर देगी। यह भी अगर मान लिया जाय कि कांग्रेसको निराशाजनक अल्पसंख्यक वर्गमें बदल दिया जायगा तो भी कांग्रेसके लिए सविनय अवज्ञा छेड़नेका रास्ता खुला रहेगा और सचमुच यही उसका फर्ज तब भी होगा कि वह सविनय आज्ञाभंग छेड़े। उसका संघर्ष बहुसंख्यक वर्गके विरुद्ध नहीं होगा बल्कि विदेशी अधिकारियोंके विरुद्ध होगा। संघर्षमें यदि कांग्रेसको सफलता मिली तो उसका उपयोग वह उतना ही कर पायगी जितना कि उसके विरोधी लोग कर पायेंगे। मैं यहांपर यह और बता देना चाहता हूँ कि जबतक कि सविनय आज्ञाभंगके लिए मेरी शर्तें पूरी नहीं होती तबतक सविनय अवज्ञा हरगिज नहीं छेड़ी जायगी। मौजूदा परिस्थितिमें सरकारी अधिकारियोंको अपना इस इच्छाको व्यक्त करनेसे रोका नहीं जा सकता कि भविष्यमें हिन्दुस्तान अपना शासन अपनी मर्जीके अनुसार चलायेगा न कि जैसा कि अबतक होता आया है अधिकारियोंकी मर्जीके अनुसार। ऐसी घोषणा

का विरोध न तो मुस्लिम लीग ही कर पायेगी और न कोई दूसरी पार्टी ही कर पायेगी, क्योकि मुसलमान अपनी शर्तें पेश करनेके लिए विल्कुल आजाद होगे। अगर मुसलमान अपनी शर्तें पेश करनेपर तुल ही जायें तो यदि भारतके शेष लोगोकी गृहयुद्धमे दिलचस्पी न हुई, तो उन्हे मुसलमानोकी शर्तें माननी पड़ेगी। भारतके ८ करोड मुसलमानोको, शेप भारतकी इच्छाके वशीभूत करनेका कोई भी अहिंसक मार्ग मुझे ज्ञात नही है, शेप लोग भले ही कितने ही शक्तिशाली क्यो न हो। मुसलमानोको भी आत्मनिर्णयका वही अधिकार होना चाहिए जो शेप लोगो को है। हम लोग एक संयुक्त परिवारके सदस्य है। कोई भी सदस्य बँटवारेका दावा कर सकता है।

"इसलिए जहाँतक मेरा प्रश्न है, मेरी यह स्थापना कि साम्प्रदायिक एकताके वगैर स्वराज्यका कोई अर्थ नही है, आज भी उतनी ही सच है जितनी कि वह १९१९ मे थी, जब कि मैने इसे पहले-पहल कहा था।

"लेकिन सविनय अवज्ञाका आधार दूसरा है। यदि कोई व्यक्ति इस वातकी आवश्यकता महसूस करे तो वह अकेले ही सविनय अवज्ञा कर सकता है। इसे केवल काग्रेस नही छेडेगी। इससे किसी एक वर्गका लाभ नही होगा। इससे जो भी लाभ उत्पन्न होगे वे संपूर्ण भारतको उपलब्ध होगे। कोई हानि होगी तो वह सविनय आज्ञाभंग करनेवाली पार्टीकी होगी।

"मगर मै नही मानता कि जव मुसलमानोके सामने सचमुच फैसला करनेका समय आयेगा तो वे बँटवारा चाहेगे। उनकी भलमनसाहत उन्हे रोकेगी, उनका धर्म उन्हे आत्महत्यासे रोकेगा, जो कि बँटवारेका मतलव होगा। भारतकी विशाल मुस्लिम आवादी उन लोगोकी है जिन्होने धर्मपरिवर्तन किया है या धर्मपरिवर्तन किये हुओकी संतान है। द्विराष्ट्र सिद्धात झूठा है। जिस वक्त उन्होने धर्मपरिवर्तन किया उस समय उनकी राष्ट्रीयता नही वदली। वगाली मुसलमान वगाली हिंदूकी तरह वगला वोलता है, उसीकी तरह खाना खाता है और उसीकी तरह उसके मनोरंजनके साधन भी होते है। उनकी पोशाक समान है। मुझे अक्सर वाहरी चिह्नोसे वंगाली हिंदू और वंगाली मुसलमानमे फर्क करना मुश्किल जान पडा है। यही वात दक्षिणमे, गरीव जनताके बीच पायी जाती है जिसकी सख्या हिन्दुस्तानमे वहुत अधिक है। जव मै पहले-पहल स्वर्गीय सर अली इमामसे मिला, तो मैने उन्हे हिन्दू ही समझा था। उनकी वात, उनका रंग-ढंग, आहार सव वही था जो अधिकांश हिन्दुओका होता है। केवल उनका नाम ही उन्हे मुस्लिम वताता था। कायदे आजम जिनाके साथ तो यह वात भी नही है।

हिंदुओमें भी ऐसे नाम पाये जाते हैं। मैं जब उनसे मिला तब मुझे नहीं मालूम था कि वे मुसलमान हैं। जब मुझे उनका पूरा नाम बताया गया तब मैं उनका धर्म समझ पाया। उनकी सूरत और तौर-तरीकोंसे उनकी राष्ट्रीयता स्पष्ट मालूम होती थी। पाठकोंको जानकर आश्चर्य होगा कि अगर महीनों नहीं, तो कई दिनोंतक मैं श्री विट्ठलभाई पटेलको मुसलमान समझता रहा क्योंकि वे दाढ़ी रखते थे और तुर्की टोपी पहनते थे। वसीयतके हिंदू कानूनके अंतर्गत बहुतसे मुसलमान शासित हो रहे हैं। सर मुहम्मद इकबाल बड़े फख्रके साथ अपनेको ब्राह्मणोंके वंशका बतलाते थे। इकबाल और किचलू नाम हिन्दू और मुसलमान दोनोंमें पाये जाते हैं। भारतके हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र नहीं हैं। जिन्हें ईश्वरने एक बनाया है उन्हें इनसान कभी जुदा नहीं कर सकता।

'और क्या इस्लाम वैसा ही अनोखा मजहब है जैसा कि कायदे आजम उसे कहते फिरते हैं? क्या इस्लाम और हिन्दू धर्ममें या इस्लाम और दूसरे किसी धर्ममें कोई समानता नहीं है? क्या इस्लाम केवल हिन्दुत्वका शत्रुभर है? क्या यह अली बंधुओंकी भूल थी कि उन्होंने हिंदुओंको सगे भाइयोंकी तरह गले लगाया और हिंदू-मुसलमानोंमें समानताके लक्षण देखे? मैं इस वक्त उन हिंदुओंकी बात नहीं सोच रहा हूँ जिन्होंने मुसलमानोंके भ्रम दूर किये हैं। कायदे आजमने एक बुनियादी सवाल खड़ा किया है। उनकी दलील यह है: "हमारे हिंदू दोस्त इस्लाम और हिन्दूधर्मकी असली फितरतको समझनेमें क्यों नाकामयाब रहते हैं, यह समझना बड़ा दुश्वार लगता है। अगर सचमुच देखा जाय तो सही मानेमें ये दोनों ही मजहब नहीं हैं। असलमें ये दो जुदा सामाजिक व्यवस्थाएँ हैं और यह एक महज सपना है कि हिन्दू और मुस्लिम कभी मिलकर कोई सम्मिलित राष्ट्रीयताका निर्माण कर सकेंगे। एक भारतीय राष्ट्रीयताकी यह कल्पना सीमाओंके बाहर चली गई है। हमारी बहुतसी मुश्किलोंकी यही वजह है और वक्त रहते अगर हम अपनी धारणाओंको सुधार न लेंगे तो हिन्दुस्तान बरबाद हो जायगा। हिन्दुओं और मुसलमानोंके मजहबी फलसफे, रस्मो-रिवाज और अदब बिल्कुल जुदा हैं। वे न तो आपसमें बैठकर भोजन कर सकते हैं, न आपसमें वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। दोनोंकी सभ्यताएँ अलग हैं और वे परस्पर विरोधी विचारों और धारणाओंपर टिकी हैं। जीवनके प्रति दोनोंका दृष्टिकोण भिन्न है और दोनोंका जीवन-दर्शन भी भिन्न है। यह भी साफ है कि हिंदू और मुसलमान इतिहासके जुदा जुदा सोतोंसे इल्हाम पाते हैं। उनकी पौराणिक गाथाएँ भिन्न हैं। अक्सर एक जो वीर पुरुष है वह दूसरेके लिए दुश्मन है और इसी तरह

दोनोकी विजय-पराजय आपसमे टकराती है। ऐसे दो राष्ट्रोको, जिनमेसे एक अल्पसख्यक और दूसरा बहुसंख्यक हैं, एक ही राज्यके कधोपर जोतनेका अंजाम होगा, असंतोषकी दिन-ब-दिन वृद्धि, और अतमे वह ढाँचा साराका सारा चर मराकर बैठ जायगा जो ऐसे राज्यकी हुकूमतके लिए बनाया जायगा।'

"वे यह नही कहते कि कुछ हिन्दू बुरे है, उनका कहना है, हिन्दू जैसे भी है उनका मुसलमानोसे कही कोई मेल नही है। मै यह कहनेका साहस करता हूँ कि जिना और उनकी तरह सोचनेवाले लोग इस्लामकी कोई खिदमत नही कर रहे है। मै यह इसलिए कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीगके नामपर जो कुछ आज चल रहा है उससे मुझे बड़ी चोट पहुँच रही है। अगर मै भारतके मुसलमानोको उस झूठसे आगाह न कर दू, जो उनके बीच आज फैलाया जा रहा है तो मै अपने फर्जसे चूक जाऊँगा। यह चेतावनी मेरे लिए फर्ज है क्योकि मैने जरूरतके वक्त उनकी सेवा की है और हिन्दू-मुस्लिम एकता मेरी जिन्दगीका मकसद रहा है और रहेगा।"

लियाकत अली खाँको जवाब देते हुए गाधीजीने लिखा . "अगर भारतके मुसलमान सचमुच बँटवारेकी ज़िद पकड लेंगे तो अहिंसाका पुजारी होनेके नाते मै उन्हें ज़ोर-दबावसे रोक नही सकूगा। मगर मै कभी भी अपनी मर्जीसे बँटवारे का साझीदार नही बनूगा। मै इसे रोकनेके लिए हमेशा अहिंसक तरीके अपनाता रहूँगा। क्योकि बँटवारेका मतलब होगा, असख्य हिन्दुओ और मुसलमानोने एक-राष्ट्रके रूपमे साथ रहनेका जो कई सदियोमे काम किया है उसपर पानी फेरना। बँटवारा बहुत बडा झूठ होगा। मेरी सपूर्ण आत्मा इस बातपर विद्रोह करती है कि हिन्दुत्व और इस्लाम दो विरोधी संस्कृतियां और सिद्धात है। ऐसे सिद्धांतसे सहमत होनेका मतलब है ईश्वरके अस्तित्वसे इनकार करना। क्योकि मै अपनी सपूर्ण आत्मिक शक्तिके साथ विश्वास करता हूँ कि कुरानका भगवान ही गीताका भी भगवान है और हम सभी, उस ईश्वरको चाहे जिस नामसे क्यो न पुकारें मगर उसी एक परमपिताकी सतान हैं। मुझे इस विचारसे विद्रोह करना ही होगा कि जो लोग अभी हालतक हिन्दू थे और अब मुसलमान हो गये हैं, मजहबके साथ ही उनकी राष्ट्रीयता भी बदल गयी है।

"मगर यह मेरा अपना विश्वास है। मै इसे जबरन उन लोगोके गलेके नीचे नही उतार सकता जो अपनेको अलग राष्ट्र सोचते है। लेकिन यह नही मान सकता कि ८ करोड मुसलमान यह घोषणा करेंगे कि उनमे और उनके हिन्दू तथा दूसरे भाइयोमे कोई समता नही है। इसी सवालपर मत-विभाजन करवा लिया

जाय तभी बात स्पष्ट रूपसे सामने आ सकती है। जिस संविधान सभाके बारेमें हम कल्पना कर रहे हैं वह इसका फैसला आसानीसे कर सकता है यद्यपि ऐसे किसी सवालपर मध्यस्थतासे काम नहीं चलेगा। यह आत्मनिर्णयका मामला है। मैं ८ करोड़ मुसलमानोंका दिमाग जाननेका और कोई रास्ता जानता नहीं।

रामगढ़ कांग्रेसके बाद देशमें उत्पन्न स्थितिपर विचार करनेके लिए १८ अप्रैलको कार्यकारिणी समितिकी बैठक हुई। वर्तमान राजनीतिक स्थितिकी विवेचना करते हुए गांधीजीने कहा कि उन्हें देशके कोने कोनेसे इस आशयके पत्र मिल रहे हैं कि फिलहाल संघर्ष आरम्भ करनेका अवसर नहीं है। बंगाल और पंजाबमें संघर्ष अंग्रेजोंके खिलाफ न होकर अपने अपने प्रान्तके मन्त्रिमंडलोंके खिलाफ होगा। लोग पूछते हैं इसके बाद क्या होगा? कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वे सरकारी नौकरी त्यागकर तैयारीमें लग जायँ? वे सबसे कह रहे हैं, तैयार रहो। जल्दबाजी करनेकी जरूरत नहीं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वे मुस्लिम लीग और खाकसारोंके रुखको देखते हुए भी संघर्ष शुरू कर सकेंगे?

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेसके लोग उनसे कह रहे हैं कि कांग्रेसमें न तो ईमानदारी है, न अनुशासन और न रचनात्मक कार्योंमें विश्वास ही है। इन सब बातोंसे उन्हें संघर्षके लिए आदेश देनेका उत्साह नहीं मिलता। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियोंपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनसे मुझपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि मेरी दृष्टि देशकी अदरूनी परिस्थितियोंपर है और वे आशाजनक नहीं हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या मैं चुपचाप बैठकर यह मौका गवा दूँगा? मैंने सबको उत्तर दे दिया है कि जबतक शर्तें पूरी नहीं की जातीं तबतक मैं लाचार हूँ।

जवाहरलालजीने कहा कि ये सारी बातें रामगढ़ प्रस्तावके समयमें ही मालूम थीं। तबसे इस बीच कोई नयी बात नहीं पैदा हुई है। प्रस्तावमें कहा गया था कि अगर सरकार उकसायेगी तो संघर्ष होगा। उन्होंने कहा कि मेरे ख्यालमें सरकार निश्चित रूपसे, मगर धीरे धीरे बढ़ावा दे रही है। सरकारके दमनको बरदाश्त करते हुए चुप रहना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा है। यह सही है कि प्रथम श्रेणीके नेताओंको छुआ नहीं गया मगर गिरफ्तारियाँ बहुत हुई हैं खास तौरसे संयुक्त प्रान्तमें द्वितीय श्रेणीके नेताओंकी। उन्होंने पूछा कि क्या गांधीजी जन-विहीन संघर्ष करनेकी बात सोच रहे हैं? मान लीजिए ५० ००० स्वयंसेवक तैयार हो जायँ और संघर्ष छेड़ दिया जाय तो क्या यह जन-आन्दोलन होगा?

गांधीजीने उत्तरमें कहा कि वे यह नहीं समझते कि सरकार उकसा रही है।

अगर वे महसूस करेंगे तो सख्याका इतजार नही करेगे। फिर वे मुट्ठीभर लोगो-से ही काम शुरू कर देगे। ५०,००० सत्याग्रहियोके भाग लेनेसे आन्दोलन जनता का आन्दोलन नही कहलायेगा। जनका अर्थ है, बेशुमार तायदाद। बेशक, ५०,००० सत्याग्रहियोके जुट जानेका यह मतलब होगा कि जन सविनय अवज्ञा-का दरवाजा खुल गया।

श्री जवाहरलालने कहा कि फिलहाल शायद उकसावा काफी नही है, मगर यह बढता जायगा। क्या देश इसका सामना करनेके लिए तैयार नही होगा? उन्होने कहा कि मै यह कहनेको तैयार नही हूँ कि फौरन मोर्चा खोल दिया जाय। सरकार यह जानना चाहती है कि वह जनताको आन्दोलनके लिए भडकाये बगैर किस सीमातक जा सकती है। मेरे खयालमे जनता तैयार है मगर सपर्क-सूत्र कमजोर है। उन्होने पूछा कि ५०,००० सत्याग्रहियोके मिलनेपर गाधीजी क्या करेगे?

गाधीजीने जवाब दिया कि ऐसी स्थितिमे भी साम्प्रदायिक और अन्य कारणो-से कुछ करना मुश्किल हो सकता है। उन्होने सदस्योसे कहा कि वे मुस्लिम लीग और खाकसारोकी आतकवादी गतिविधियोकी रोशनीमें इस सवालपर सोचें।

डॉ० सैयद महमूदने कहा कि "काग्रेसके प्रति मुस्लिम विरोधका विश्लेषण करनेकी जरूरत है। राष्ट्रीय मुसलमानोने अपना फर्ज ठीक ढगसे अदा नही किया। फिर भी मौजूदा तनावका यही अकेला कारण नही है। राष्ट्रीय मुसल-मानोको अपने साधनोके साथ ही काम करना है। मौजूदा हालातके लिए काग्रेसी लोग या काग्रेस संगठन बहुत ज्यादा ज़िम्मेदार है। इस मसलेको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यमें देखना-समझना होगा। हिन्दू संस्कृतिमें मुस्लिम संस्कृतिके विलयकी प्रक्रिया सदियोसे चली आ रही है और चलती जा रही है। हिन्दुस्तानमे आज खालिस मुस्लिम नामकी कोई चीज नही है। भारतमे हर सुधारके साथ यह विलय बढता गया। गाधीजीके सुधारोंका मतलब हिन्दू उत्थानके अतिरिक्त और कुछ नही है। उनकी सुधार-योजनामे मुसलमानोके लिए स्थान नही है। काग्रेस भी हिन्दू उत्थानकी भावनासे संचालित हो रही है। उन्होने कहा कि यह मेरा अनुभव है कि जब भी मुसलमानोके लिए कोई प्रयास किया जाता है तो उसे हिन्दू काग्रेसियोके विरोधका सामना करना पडता है।"

श्री आसफ अलीने कहा कि "बहुतसे मुसलमान ऐसे सवाल करते है जिनका माकूल जवाब देना मुश्किल हो जाता है। मसलन, मुसलमान पूछते है कि क्या वजह है कि जो बडे लोग पहले काग्रेसी थे, अब काग्रेसी न रहे? क्या वजह है

कि कांग्रेसकी सभाओंमें अब पहलेकी तरह इकबालका गीत 'हिंदोस्तां हमारा' नही गाया जाता, केवल 'वंदे मातरम्' गाया जाता है ? वे यह भी पूछते है कि पिछले बीस बरसोंमें कांग्रेसने मुसलमानोंके लिए क्या किया ? कांग्रेसने अछूतोंके लिए बहुत कुछ किया है। आखिरकार हरिजन उद्धारका मतलब हिंदू एकता है। फिर हिंदी और उर्दूका सवाल भी है।

मौलाना आज़ादके ख्यालमें कांग्रेसपर यह इलजाम लगता ही नही था कि कांग्रेसने साम्प्रदायिक मसलोंपर पक्षपात किया है। उन्होंने कहा कि मैं संसदीय उपसमितिमें निजी तजुर्बेकी बुनियादपर कह सकता हूँ कि कांग्रेस मंत्रिमंडलने मुसलमानोंके साथ कोई नाइंसाफी नही की है। जाती तौरपर किसी मुसलमानके साथ नाइंसाफी हुई होगी मगर वह साम्प्रदायिक वजहोंसे नही बल्कि यों हुई होगी कि इनसान फितरतन कमजोर है और ऐसी नाइंसाफियां बेहतरसे बेहतर परिस्थितियोंमें भी होती रहेंगी।

गांधीजीने फिर सदस्योंसे कहा कि वे सविनय आज्ञाभंग छेड़नेके बारेमें डा० सयद महमूद और आसफ अलीके विचारों और मुस्लिम लीग तथा खाकसारोंके रुखको ध्यानमें रखते हुए अपनी राय दें। खाकसार हिंदुओंको आतंकित करना चाहते है। हिंदुओंको उन्होंने राय दी कि वे इस संकटका मुकाबला अहिंसासे करें। मौजूदा परिस्थितियोंमें यह काम कांग्रेस मंचसे करनेमें उन्होंने अपनेको असमर्थ बताया।

श्री जवाहरलाल नेहरूकी राय थी कि इन कठिनाइयोंके कारण कांग्रेसको संघर्ष छेड़नेमें पीछे नही हटना चाहिए।

श्री राजेंद्रप्रसादने दृढतापूर्वक कहा कि कांग्रेसकी मुसलमानोंसे कोई टक्कर नही है। मगर मुस्लिम लीगके हालके प्रस्तावका अर्थ गृहयुद्ध है। कांग्रेसके प्रति लीगका दृष्टिकोण यह है कि अगर फिलहाल कांग्रेस कोई आन्दोलन करेगी तो उसके परिणामस्वरूप कांग्रेसकी ताकत बढ़ेगी। कांग्रेसकी ताकत बढ़नेसे लीगका प्रभाव घटेगा। अतः ब्रिटिश सरकारसे संघर्षका परोक्ष रूपसे मतलब होगा लीगसे झगड़ा और लीग उसका अवश्य विरोध करेगी। ऐसी परिस्थितियोंमें जन सविनय अवज्ञाका अर्थ गृह-युद्ध होगा।

सरदार पटेलकी राय थी कि अगर कोई ठोस काम नही शुरू किया गया तो कांग्रेसके लोगोंका मनोबल निश्चित रूपसे दुष्प्रभावित होगा।

श्री राजगोपालाचार्यका निश्चित मत था कि यह मौसम लड़ाईका नहीं है। कांग्रेसको इस सवालपर निर्णय लेते समय इसे सम्मानका प्रश्न नहीं बनाना

बिगाडनेका मौका देगी। और मुझे डर है कि ऐसा होनेपर जनताको दबा दिया जा सकेगा। और अगर जनता दबेगी नही तो हिंसक हो उठेगी। यदि समय हो तो आदोलन छेडकर मुसलमानोको चिढाना भी मैं नही चाहूँगा। मौलाना साहब और जवाहरलालजीसे मैं सहमत नही। मेरे विचारमे जन सविनय अवज्ञा हो नही सकती। इस वक्त समवेत अहिंसा नही हो सकती, जिसका मतलब है सभी नियमो और आदेशोका कडाईसे निर्वाह। और यदि आदेशोका उल्लंघन और विघ्न हुआ तो फिर जन आदोलन नही हो सकेगा। जनता आदोलनसे जुडी तो है मगर वह रिश्ता परोक्ष है। अगर अनुशासन है तो मै इस बातका कोई कारण नही देखता कि व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा लाजिमी तौरपर क्या जन आदोलनके रूपमे परिवर्तित हो जायगी।

हो सकता है कि आदोलन छिडनेसे काग्रेसको सफलता मिल जाय यानी सरकार काग्रेसकी मागें स्वीकार कर ले। परन्तु इस समय इसका मतलब मुसलमानोकी उपेक्षा होगा। मै ऐसा समझौता या ऐसा स्वराज नही पसन्द करता। मैं मुस्लिम धर्मके प्रति आदर है। मै यह माननेको तैयार नही कि मुस्लिम लीग मुसलमानोके मतका प्रतिनिधित्व नही करती। अगर मुसलमान बटवारा चाहेंगे तो मैं विरोध नही करूँगा। मगर जब बटवारा होगा तो मै उसका विरोध अहिंसक तरीकेसे करूँगा। मै जानता हू कि इस मामलेमे दल मेरी नही सुनेगा और गृह युद्ध होगा। मुझे उम्मीद है कि ऐसे वक्तमें काग्रेस मेरे साथ होगी और वह न तो मुसलमानोपर बल प्रयोग करेगी और न अग्रेजोकी मददकी कामना ही करेगी।

७ जूनको फ्रासका पतन हुआ। उसी रोज वर्धामें काग्रेस कार्यकारिणी समितिकी बैठक हुई जिसमें गम्भीर विचार हुआ। २१ जूनको समितिने घोषणा की कि राष्ट्रीय सुरक्षाके मामलेमें अहिंसाके प्रयोगमें हम असमर्थ है।

जो समस्याएँ अभी दूर मालूम पडती थी अब नजदीक आ गयी है और किसी भी वक्त समाधान पानेके लिए सचेत हो सकती है। राष्ट्रीय आजादी हासिल करनेकी समस्याके साथ ही आजादीकी रक्षा और बाहरी तथा आन्तरिक मसलोसे उसकी प्रतिरक्षाके सवालपर भी विचार कर लिया जाना चाहिए।

वर्धा निर्णयके बाद कार्यकारिणी समिति हिंसा और अहिंसाके सवालसे अलग रहकर राजनीतिक निर्णय लेनेके लिए आजाद हो गया। प्रस्तावमे कहा गया था 'महात्मा गाधी चाहते है कि काग्रेस अहिंसाके प्रति आस्थावान रहे और भारतकी आजादीको बाहरी हमलो और आन्तरिक विप्लवोसे बचानेके लिए सशस्त्र सेना रखनेमें अनिच्छाकी घोषणा करे। समिति गाधीजीके साथ इतना दूर नही जा

सकती। लेकिन समितिका विचार है कि 'गांधीजीको महान आदर्शोंका पालन करनेकी सुविधा और स्वतंत्रता होनी चाहिए, अतः समिति उन्हें कांग्रेसकी योजना और गतिविधियोंकी जिम्मेदारीसे मुक्त करती है।' कांग्रेसकी योजना और गति-विधि होगी, देशभरमें आत्मरक्षा और जन सुरक्षाकी व्यवस्थाके लिए समानांतर संगठन तैयार करना जिसमें सहयोग करनेवाले वर्गोंका पूरा-पूरा समर्थन लिया जायगा। समितिने आगे कहा कि भारतकी आज़ादीकी लड़ाई अवश्यमेव अहिंसाकी राहपर चलनी चाहिए। युद्ध समितियाँ, युद्धके प्रयासोंको बढ़ावा दे रही हैं अत उन्हें सहायता नहीं दी जानी चाहिए। कांग्रेसके लोग युद्ध-कोषोंमें सहयोग न दें और सरकारी नियंत्रणमें होनेवाले नागरिक सुरक्षा दलोंमें भी असहयोग करें।

गांधीजीने कार्यकारिणी समितिसे कहा · "भविष्यमें आप लोग मेरे बगैर काम चलाइए और अपनी बैठकें वर्धामें नहीं बल्कि और कहीं रखा कीजिए।'

नक्कारखानेमें तूतीकी बोली

१९४०

वाइसरायने गाधीजीको फिर बुलवाया और २९ जून १९४० को शिमलामें उनसे वार्ता की। पहली जुलाईको दिल्लीमें गाधीजीने लिखा

सबसे पहली बात जो प्रत्येक व्यक्तिको साच लेनी ह वह यह ह कि भारतक लिए वेस्टमिन्स्टर जैसा डोमिनियन राज्य स्वीकाय होगा या नही। युद्ध के समाप्त होनेपर यह बात अवश्य उठेगी अगर अभी वह उठ नही रही ह। युद्धके बाद ब्रिटेन बदलेगा। वह विजयी हो या पराजित दानो स्थितियोम वह पिछली शताब्दियोवाले ब्रिटेनस भिन्न होगा। इतना निश्चित ह कि यदि ब्रिटेन की पराजय हुई तो वह शानदार होगी। विजयके सबधम म एसा नही कह सकता। यह उन्ही प्रगतिशील साधनोके द्वारा खरीदा हुआ होगा जिन्हें अधिनायकवादी राज्य इस्तेमाल करते आये ह। म बड गहर दर्दके साथ यह कहना चाहता हू कि ब्रिटिश राजनीतिज्ञाने उस एकमात्र नतिक प्रभावका इस्तमाल नही किया जिसे वे आसानीसे काग्रेससे प्राप्त कर सकत थे और जिसके द्वारा ब्रिटेन का पल्डा भारी हो सकता था। उन्हें इसकी जरूरत हो नही महसूस हुई। यह भी सभव ह कि उन्होने उस नतिक प्रभावको समझा ही न हो जिसका दावा म काग्रेसके नामपर करता रहा। बात चाहे जो हो म इस विषयम स्पष्ट हू कि भारतका लक्ष्य शुद्ध आजादी ह। यह समय शब्दोका जजाल खडा करके विचारो को छिपानेका नही ह। म ऐसे इनसानकी कल्पना भी नही कर सकता जो यदि उसकी प्राप्ति सभव हो तो देशके लिए इसस कमकी बात सोच भी सकता हो। किसी भी देशको आजतक यह उपलब्धि तबतक नही हासिल हुई जबतक उस देशकी जनता जूझी नही। वहरहाल काग्रेसने बहुत पहले ही यह तय कर दिया ह। असरदार सहायता भी ब्रिटेनको मिलनी होगी तो वह आजाद भारतस हो मिल सकेगी ।

दूसरा विचारणीय प्रश्न अन्यवस्था और बाहरी आक्रमणास सुरक्षाक प्रबध का ह। प्राइवेट सेनाएँ अगर सगठित की जायगी तो व अनुपयोगी होनस भी बदतर होंगी। कोई भी सत्ता चाहे वह देशी हो या विदेशी, प्राइवेट सनाओको बरदाश्त नही कर सकती। अत जो लोग भारतके लिए सशस्त्र सनाका होना आव

श्यक मानते है, उन्हे देर-सवेर कभी-न-कभी ब्रिटिश झंडेके नीचे एकत्र होना ही पडेगा। यह इस विश्वासका तर्कसंगत नतीजा है। कार्यकारिणी समितिने इस सवालपर फैसला कर लिया है। अगर वह अपने फैसलेपर अमल करेगी तो उसे शीघ्र ही काग्रेसके लोगोको पूर्ववत् भरती हो जानेकी राय देनी होगी। इसका मतलब असली अहिंसाका अंत भी होगा। मै अंतिम दमतक आशा करूँगा कि स्वयके हितमे, भारतके हितमे, खुद ब्रिटेनके हितमे और मानवताके हितमे, काग्रेस-के लोग, दोनोमेसे किसी एक भी उद्देश्यके लिए शस्त्रोके उपयोगसे पूर्ण असहयोग करेंगे। मै पूरी गहराईसे यह महसूस कर रहा हूँ कि मानवताका भविष्य काग्रेस-के हाथोमे है। ईश्वर काग्रेसके लोगोको सही कदम उठानेकी सद्‌बुद्धि और साहस प्रदान करे।"

३ जुलाईको *गाधीजीने 'प्रत्येक अग्रेजके नाम' शीर्षकसे प्रसिद्ध अपील प्रका-शित की*

"प्रत्येक अग्रेजसे, वह इस वक्त चाहे कही भी रह रहा हो, मै यह अपील करता हूँ कि वह राष्ट्रोके बीच आपसी संबधोके समायोजनमे और दूसरे मामलो-मे युद्धके बजाय अहिंसाकी पद्धतिको स्वीकार करे। मै हर प्रकारकी आक्रा-मकताकी समाप्तिकी अपील करता हूँ, इसलिए नही कि आप युद्धसे थक गये है बल्कि इसलिए कि युद्ध तत्त्वत बुरी चीज है। मै आपके समक्ष लड़ाईकी एक अधिक उदात्त और अधिक साहसी पद्धति पेश करना चाहता हूँ, जो वास्तवमे एक अत्यधिक साहसी सैनिकके योग्य पद्धति है। मै चाहता हूँ कि आप नाजीवादसे बगैर हथियारके लडे, या सैनिक शास्त्रकी भाषामे अहिंसक हथियारोसे लडें। मै चाहता हूँ कि आप लोग हथियारोको यह मानकर रख दे कि वे आपकी या मान-वताकी रक्षामे अनुपयोगी है। आप हिटलर और मुसोलिनीका स्वागत करें कि वे आपके देशसे, उन चीजोमेसे, जिन्हे आप अपनी वस्तु कहते है, जो भी चीज लेना चाहे ले ले। वे आपके मनोहर द्वीपोपर, जिनपर बहुतसी खूबसूरत इमारतें है, कब्जा कर ले। इन चीजोको आप मुहैया कर देगे, मगर अपना दिल और दिमाग नही देगे। अगर ये भले आदमी आपके घरोमे रहना चाहेगे, तो आप घर खाली कर देंगे। अगर वे आपको अपनी मर्जीसे जाने नही देते, तो आप अपनेको, मर्द, औरत और बच्चे सबको कटवा देना कबूल करेंगे, लेकिन आप उनके प्रति वफादार होनेसे इनकार करेगे।"

३ जुलाईको दिल्लीमे कार्यकारिणी समितिकी सकटकालीन बैठक हुई। मौलाना आजादने कहा, "हम लोग दुनियाको हिला डालनेवाली अन्तरराष्ट्रीय

घटनाओंसे प्रभावित हुए परन्तु इससे भी ज्यादा अपने आपसी मतभेदोंसे विच लित हुए। मैं कांग्रेस अध्यक्ष था और हिन्दुस्तानको आजाद होनेपर प्रजातान्त्रिक देशोंके गुटमें ले जानेके लिए प्रयत्नशील था। हमारी राहमें हिंदुस्तानकी गुलामी ही एकमात्र बाधा थी। प्रजातन्त्रके हितका सवाल ऐसा है जिसके प्रति हिन्दुस्तानियोंकी गहरी हमदर्दी है। बहरहाल, गांधीजीके लिए यह बात नहीं थी। उनके सामने सवाल शांतिका था, हिंदुस्तानकी आजादीका नहीं। मैंने खुले आम ऐलान किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कोई शांतिवादी संगठन नहीं है बल्कि देशकी आजादीके लिए बनी संस्था है। इसलिए मेरी नजरमें गांधीजीने जो मुद्दा उठाया है बेवक्त उठाया है। बहरहाल गांधीजी अपना नजरिया नहीं बदलेंगे। उनका निश्चित विचार है कि किसी भी हालतमें भारतको युद्धमें भाग नहीं लेना चाहिए। मेरे लिए अहिंसा एक नीति है धर्म पथ नहीं। मेरा दृष्टिकोण यह रहा है कि अगर कोई दूसरी राह न हो तो हिंदुस्तान तलवार उठा ले। बेशक अहिंसाके जरिये आजादी हासिल करना बेहतर होगा और भारतमें जैसी परिस्थितियाँ हैं उनमें गांधीजीकी पद्धति सही है।

कांग्रेस कार्यकारिणी समिति इस बुनियादी सवालपर विभाजित थी। शुरुआतमें श्री जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य और खान अब्दुल गफ्फार खाँ मेरे साथ थे। श्री राजेन्द्रप्रसाद, आचार्य कृपालानी और श्री शंकरराव देव पूरे दिलसे गांधीजीके साथ थे। वे गांधीजीसे इस बातमें सहमत थे कि यदि यह मान लिया जाय कि आजाद भारत युद्धमें शरीक हो सकता है तो आजादीके लिए अहिंसक लड़ाईका आधार ही लुप्त हो जाता है। मैं यह महसूस करता हूँ कि आजादीके लिए लड़ना एक जुदा बात है और वतनके आजाद होनेके बाद लड़ना दूसरी जुदा बात है। मैं मानता हूँ कि इन दो अलग बातोंको एकमें मिलाकर उलझन नहीं पैदा करनी चाहिए।

कार्यकारिणी समितिने राजनीतिक परिस्थितिपर खुलकर विस्तारमें बहस की।

गांधीजीने कहा: "मैं यह महसूस करके अत्यन्त कष्टमें हूँ कि मैं कार्यकारिणी समितिकी बिल्कुल दूसरी प्रवृत्तिका प्रतिनिधित्व करने लगा हूँ। मेरे अलग होनेकी जो धारणा थी वह किसी औपचारिकताके कारण नहीं। 'हरिजन'में प्रकाशित मेरा लेख मेरे दिमागकी सही तस्वीर है। मैंने यही बात बारम्बार समझा दी। मैंने उनसे कह दिया कि यह भी उनसे अन्तिम भेंट होना है। अगर उन्हें वाकई कुछ कहना है तो उन्हें कार्यसमिति अध्यक्षको बुलाना चाहिए। मेरा सुझाव है शुरू हो निर्णय वे अध्यक्षको आमन्त्रित करेंगे। एक मतभेदकर खाँ

निश्चित मत देना मेरे लिए बडा मुश्किल है। मै चाहूँगा कि आप मुझे अकेला छोड दे।

"पिछले प्रस्तावसे निकलनेवाली वातोको मान लिया जाय तो आप उनके तर्कसगत परिणामोसे इनकार नही कर सकते। आप सत्तापर कब्जा करना चाहेगे। इसके लिए आपको कुछ वातोंका त्याग करना होगा। आपको दूसरी पार्टियोकी तरह वन जाना होगा। आप उनकी राह अख्तियार करनेपर वाध्य होंगे। हो सकता है आप प्रगतिशील पार्टी वन जाये। यह तस्वीर मुझे आकर्पक नही लगती। 'सत्तापर कब्जा' इस व्यजनापर ही मुझे विश्वास नही है। 'सत्तापर कब्जा' जैसी कोई वात होती ही नही। मै ऐसी किसी सत्ताकी स्थितिमे विश्वास नही करता जो जनतामे निहित न हो। मै तो केवल जनतामे निहित सत्ताका प्रतिनिधि हूँ। जव राजाजी अपनी व्याख्या प्रस्तुत कर रहे थे, तभी मुझे लगा कि उनके और मेरे वीच एक चौडी खाई है। उनका विचार है कि देशकी उत्तम प्रकारसे सेवा करनेके लिए हर मौकेसे लाभ उठाना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोणसे सत्तापर उनकी नजर है। मेरा उनसे वुनियादी मतभेद है। वे अपनेको इस वहममे रखकर खुश रह सकते है कि वे अहिंसाकी सेवा कर रहे है। मुझे सत्ताका भय नही है। किसी न किसी दिन हमे उसे लेना ही है। वाइसराय यहाँ अपने देशकी सेवा करने और अपने देशके हितका ध्यान रखनेके लिए नियुक्त है अत उसके लिए भारतके सारे स्रोतोका निर्ममतापूर्वक उपयोग करना लाजिमी है। अगर हम युद्धमे साझीदार वनते है तो हिंसाकी सीख लेते है, भले ही ब्रिटेन उसमे हार जाय। इससे हमे कुछ अनुभव मिलेगा, एक सैनिक जैसी शक्ति भी मिलेगी, मगर यह सव अपनी आजादीकी कीमतपर मिलेगी। आपके प्रस्तावका यही तर्कसगत नतीजा मुझे जान पडता है। यह मुझे पसन्द नही आता। एक अहिंसकके रूपमे मुझे इस परिस्थितिसे निवटनेका रास्ता मालूम है। भारतकी विशाल जनताके अन्दर वहुत वडे पैमानेपर हिंसा थी। उसे अहिंसाकी ताकत वतायी गयी। अव आप उसे हिंसाकी शक्ति दिखायेगे। जनतामे अव अस्पष्टता उत्पन्न हो गयी है। यह स्थिति मेरी व्याख्यासे नही उत्पन्न हुई है वल्कि आपके प्रस्तावसे उत्पन्न हुई है। मै इस वातावरणमे आपका मार्गदर्शन नही कर सकता। मै जो भी कहूँगा उससे आपमे भ्राति उत्पन्न होगी।

"मैने वाइसरायसे कहा कि विजयी अंग्रेज मुसोलिनी या हिटलरसे वेहतर नही हो सकेगे। अगर हिटलरके साथ शाति हो जायगी तो सारी शक्तियाँ मिलकर भारतका शोषण करेगी। लेकिन अगर हम अहिंसक है और जापान विजयी

होता है तो वह हमारी मर्जीके बगैर हमसे कुछ नही प्राप्त कर सकेगा, यह हम देख लेंगे। अहिंसाने २० वर्षके अन्दर जादू कर दिया है। हम हिंसासे ऐसा कोई चमत्कार नही कर सकते।"

मौलाना आजादने कहा 'मेरे दिमागमे जो प्रस्ताव था उसमें आतरिक अव्यवस्थाओसे निबटनेके लिए हिंसाको स्थान नही था। मेरे दिमागमें सवाल यह था कि राज्यमे हिंसाका क्या कोई स्थान हो सकता है? हमें इस सवालपर दो टूक निर्णय लेना था। हम सेनाविहीन भावी भारतकी कल्पना करनेको तयार नही थे।

श्री जवाहरलाल गाधीजीने यह सवाल अतरराष्ट्रीय सदर्भमे उठाया था। वे अहिंसाका पैगाम सारी दुनियाको देना चाहते थे।

गाधीजीने कहा ठीक अन्तरराष्ट्रीय सदर्भ तो नही। मने उपस्थित सवाल पर सोचा था। मेरे सामने दुनियाकी तस्वीर नही थी भारतकी थी और केवल भारतकी थी। कार्यकारिणीने जो मुद्रा अख्तियार की है उसमे वह सेना सगठित करने और सहायता करनेके लिए स्वतन्त्र है। वह सत्तापर आनेके लिए स्वतन्त्र है। वाइसरायका खयाल था कि प्रस्ताव उनके पक्षमे है। उन्होने कहा, आप भारतकी रक्षा करना चाहते है। आपको हवाई जहाज जगी बेड़ा टैंक आदिकी जरूरत है। यह सब हम आपको देंगे। इससे आपका भी उद्देश्य पूरा होगा और हमारा भी। यह सुनहरा मौका है। आप आगे आइए और तयार होइए।

'मुझे अफसोस है कि काग्रेसने वह पग उठाया है जिसे मै प्रतिगामी पग मानता हूँ। मगर यह पग पूर्णतया सम्मानजनक है। यही एकमात्र पग इसके सामने था भी। मै फिर भी काग्रेसको इस गलतीसे अलग करनेकी कोशिश करूँगा। आतरिक अराजकताका बहत्तर सवाल मौजूद था। अगर हम अराजकता से ग्रस्त हुए तो क्या करेंगे? क्या जनता अहिंसक प्रयासोंमें सहयोग करेगी? मै जनताकी परीक्षा करूँगा और अगर मैने पाया कि जनता मेरे साथ नही है तो मै अपनी नीति तदनुकूल बदल डालूँगा मगर जनताके टूटनेसे पहले मै नही टूटूगा। यूरोपमें जो भयकर बातें हो रही है वे मुझे गहरे ददमें डाल रही है। मै नही जानता कि मै उसमें क्या कर सकता हूँ। मैं महसूस करता हूँ कि मै कुछ कर सकूँगा और इसलिए मैंने वह वक्तव्य दिया था।

'प्राइवेट सेवाओंके प्रति मेरा कभी कोई रुझान नही रहा। जनता हमारे द्वारा शोषित होगी। हम उनके पास जायेंगे और कहेंगे कि आप अपने घर-बार की रक्षाके लिए अपना सर्वस्व हमें दीजिए। मुझसे यह नही होगा। यह काम

मेरा नही है। मै तो यह घोपणा करना चाहता हूँ कि जहाँतक कांग्रेसका सवाल है, भारत अपनी रक्षा अहिंसासे करेगा।"

श्री राजगोपालाचार्य "राज्यके संबंधमे गाधीजीकी जो धारणा है उससे मैं सहमत नही। हमारा यह सगठन राजनीतिक है। हम राजनीतिक आदर्शके लिए सघर्ष कर रहे है, अहिंसाके लिए नही। हम अन्य राजनीतिक दलोंसे होड ले रहे है।

श्री जवाहरलाल. "राजाजीकी हिंसा और अहिंसाकी व्याख्यासे मै सहमत हूँ। वरना हम राजनीतिक धरातलपर काम ही नही कर सकेगे।"

गाधीजीने कहा "वहसके दर्म्यान वडे मुश्किल सवाल पैदा हो गये है। राजाजीने इस वातको एक दम रद्द कर दिया है कि हम अहिंसासे हासिल की हुई आजादीकी रक्षा अहिंसासे कर सकते है। जव काग्रेस सत्तापर थी, तभी इसका प्रमाण मिल गया था। काग्रेस मत्रिमडल वहाँतक असफल रहा, जहाँतक उसने हिंसा की। उसके कार्योसे अहिंसाका दिवालियापन उजागर हुआ। शायद हमारे सामने दूसरी राह नही थी। मैने सत्ता त्यागनेकी राय दी। राजाजी मेरी यह वात माननेको हरगिज़ तैयार नही है कि पुलिस-हिंसासे ज्यादा हिंसाके वगैर सत्तापर रहा जा सकता है।

"मै एक वार और दो वातोपर जोर देना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि आजादीका ऐलान जरूरी है। वैध घोपणा वादमे भी की जा सकती है। अगर सरकार हमारी सहायता चाहती है तो उसे नैतिक सहायता ही मिल सकेगी। यह सहायता तिकडम, मनोवल या दवावसे प्राप्त सहायतासे कही वेहतर होगी। मै यह भी महसूस करता हूँ कि अगर उन्हे सही काम करनेका साहस है, तो पलडा उनके पक्षमे भारी होगा। काम करनेकी आजादीकी घोपणा होनी चाहिए। कुछ सदस्योने धीमी आवाज़मे कहा कि हमे अपने दिमागसे सविनय विरोधकी वात निकाल देनी चाहिए। मै ऐसा कभी नही कर सकता। ऐसा वक्त आ सकता है जव हमे सिविल नाफरमानी करनी पडे। मै इस वातको सोच भी नही सकता कि हमारी जनताको दवावके अन्तर्गत सहयोग करना पडे और हम चुप वैठे रहे। यह प्रक्रिया चल रही है। फ्रांसके पतन होनेतक यह प्रक्रिया नरमी से चल रही थी और महसूस नही की जा रही थी। मै यह नही सोच सकता कि जोर-जवरकी यह प्रक्रिया निर्विरोध चलती रहे और मै शात वैठा रहूँ। लेकिन क्या हमारी जनता भी अन्ततक अहिंसावादी वनी रह सकती है? कमज़ोरकी अहिंसासे हमे राहत मिल सकती है लेकिन वास्तविक आनन्द और शक्ति नही।

आगे हम पर आयेंगे। अगर हम कमजोरोंकी अहिंसा प्रारम्भ करें और उसी में समाप्त भी करें तो बरबाद हो जायेंगे। अब जब कि इन्सानका मौका है आप कहिए कि यह सम्भव नहीं है। मैं आप सबकी आस्था और जीवनकी इज्जत करता हूँ। मगर मैं यह महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि हमारी अहिंसा ... आपन्न हो गयी। मैं यह बात आस्था और अनुभवके साथ कह सकता हूँ कि अहिंसाके सहारे ... किया जा सकता है मगर शायद उसे लिया नहीं जा सकता। ... अहिंसावादी सत्ता शायद ... नहीं ... अपनी हर बात ... अगर हम अपनी जनतापर अहिंसक नियन्त्रण नहीं ... तो हम ... सत्ता ... । अहिंसाका ... करनेवालोंके साथ जवाहरलालने न्याय नहीं किया। उनका विचार है कि हम बड़े आदमी बनें और हिंसाका सब काम दूसरोंको करने दें। दूसरी ओर मैं मानता हूँ कि हम सत्ता में हों नहीं। सत्ताका मतलब है बड़ा नाम वगैरह ऐसी ही चीजें जिन्हें लोग महत्त्व देते हैं। सत्ताधारी लोग समझते हैं कि वे दूसरोंसे श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग उनके मातहत हैं। जब कोई अहिंसावादी शख्स सत्ता स्वीकार करता है तो उसका मतलब होता है कि मैं सत्ताको लेकर चौपट हो जाऊँगा। मेरा स्वभाव दूसरा है। श्रेय दूसरे लोग लें। मैंने यह कभी नहीं महसूस किया कि सत्ता लेनेवालोंसे मैं श्रेष्ठ हूँ और न कभी उन्होंने यह महसूस किया कि उन्हें कोई गंदा काम करना पड़ रहा है। अब मान लीजिए कि इस सरहदी सूबेमें जब कि दूसरी पार्टियाँ हिंसाके नामपर उसमें आ रही हैं, आप अहिंसाका दामन नहीं छोड़ते, आप अल्पसंख्यक हो जाते हैं। क्या एक अहिंसक समूह दूसरोंमें बदलाव लानेसे पहले सत्ता हथियाना चाहे? सत्तापर दूसरे ही आयें। एक अहिंसक जनसमूह, जो सारे देशको अहिंसक बनाना चाहता है, सत्ताके लिए व्याकुल नहीं होगा। एक पथके प्रति वफादार रहकर आप बहुसंख्यक जनताको बदल सकते हैं। जिस व्यक्तिमें आत्मविश्वास है वह देशको बदल सकता है। लेकिन आप कहते हैं कि करोड़ों लोग कभी उस अवस्थातक नहीं पहुँचेंगे। मैं महसूस करता हूँ कि वे पहुँच सकेंगे। मैं बहुत परिश्रमी प्रक्रियाओंसे गुजरकर अहिंसक हो पाया। पहलेसे ही किसी निर्णयपर मत पहुँच जाइए। यह अहिंसाकी तासीर है कि हम अपनेमें जो गुण देखते हैं वे ही गुण हमें सारी मानवतामें दिखाई पड़ने लगते हैं। मैंने ऐसा तो कभी नहीं सोचा कि मैं अकेला ही अहिंसाका पालन कर सकूँगा। मेरा विचार ठीक इसके विपरीत है। मैं अपनेको प्रतिभाहीन समझता हूँ। या तो मैं प्रथम श्रेणीके नेताओंकी कोटिमें हूँ लेकिन मैं अपनको सामान्य जनताकी

कोटिका आदमी समझता हूँ। मै गुजरातके अपढ लोगोमेसे वीर पुरुषोको उत्पन्न कर सकता हूँ। एक समय था जव ये अपढ कहा करते थे, 'हमसे क्या होगा ?' आज सत्ता उन्हीके हाथोमे है। अगर हम कुछ हजार लोगोको वदल सकते है, तो लाखो-करोडोको भी वदल सकते है। १९२० मे हिन्दू और मुसलमान दोनो जनताने अहिंसक तरीकेसे काम किया। अगर हमने जनमत यानी सत्ताधारी लोगोपर इतना प्रभाव स्थापित कर लिया है कि हमे दवावसे विधेयता नही उत्पन्न करनी पडती, तो क्या यह हमारे लिए वडी वात नही है ? अहिंसा एकाएक सत्तापर नही आरूढ हो सकती। मै कुछ लोगोके स्वराजमे संतुष्ट नही हूं। यह करोडोका होना चाहिए। उन्हे स्वराजका अहसास होना चाहिए। यह मौका हमारे हाथ लगा है। हिंसक तरीकोसे वे इसका अहसास नही कर सकते। हमे फैसला करना है। मै अपने अहिंसक कार्यक्रमसे कोढियोको भी अलग नही रखता। मै यह वात सतही तौरपर नही कर रहा हूँ। मेरे आश्रममे एक कोढी है। वह हथियार नही चला सकता, लेकिन वह समझने लगा है कि वह भी अपना रोल अदा कर सकता है। दूसरे शव्दोमे, मैने तर्कसंगत रूपसे यह समझानेकी कोशिश की है कि यदि कुछ शर्ते पूरी हो जायँ, तो आपको सत्ता प्राप्त करनेसे कोई रोक नही सकता।

"भारतके वहुतसे गाँव और संस्थाएँ अहिंसाकी राहपर चल रही है। हम देशमे एकरूपता लानेके प्रयासमे है। इसमे वक्त लगेगा। हिंसासे दुनियाको क्या उपलब्धि मिली है ? मेरा ख्याल है, हमे आतुरताने ग्रस लिया है। अगर हम कुर्सीपर नही जायँगे, तो दूसरे चले जायँगे। अगर आप समझते है कि आप दूसरोसे होड करके जनताकी सेवा कर सकेंगे तो यह आपकी भूल है। हम प्रजातन्त्रवादी है। हम जनताकी इच्छाके अनुकूल हुकूमत करनेमे विश्वास करते है। अगर जनता विद्रोह कर दे, तो हमे पदत्याग करना ही होगा। हमने अहिंसाको उतना मौका नही दिया, जितना कि हम दे सकते थे। हम सवने पूरी कोशिश की। हम और वेहतर कोशिश करे। हममे अगर आवश्यक साहस हुआ और अगर हम कामयाव हुए, तो हम अपने पीछे ऐसी चीज छोड जायँगे जिसपर सारा हिन्दुस्तान गर्व कर सकेगा। मै चाहता हूँ कि आप भी मेरी तरह यह महसूस करनेकी कोशिश करें कि सेनाके वगैर भी राज्यकी रक्षा करना अच्छी तरह संभव है। अगर कोई आक्रमण करेगा, तो हम उससे अहिंसा द्वारा निवट लेगे। हम इस खौफमे क्यो रहे कि हमारा शत्रु हमे निगल जायगा ! हिंसक लोग हिंसक लोगोसे लडते है। अहिंसक लोगोको वे छूते नही। हम किसी दूर-

स्वराज भविष्यमें होनेवाले हमलेका प्रतिकार करनेके लिए भारी भरकम अस्त्र शस्त्र चाहते हैं। हमें अहिंसक बने रहनेके लिए क्या साधन मौजूद बनाए भी कारण हो सकती है। हम सारी दुनियाके खिलाफ अपनी जनताको शांतिपूर्वक प्रस्तुत कर सकते हैं।

"हमारी अहिंसा कमजोरकी अहिंसा है। यह हिम्मतवरकी अहिंसा नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसियोंसे महब्बत होगी तो हिन्दू मुस्लिम दंगे हो ही नहीं सकेंगे। इन दंगोंको रोका जा सकता है। और अगर ये रोके जा सकते हैं तो अराजकताएँ भी रोकी जा सकती हैं।

श्री जवाहरलाल 'आप अहिंसाके बारेमें जो कुछ कह गये उसकी हम तारीफ करते हैं। लेकिन हमें बहुत सी मुश्किलोंका सामना करना पड़ सकता है। हम ऐसे सिरफिरोंसे कम पड़ जायें जो नपोलियन बनना चाहते हैं ? वे सारी स्थापित व्यवस्थाओंको अस्त-व्यस्त कर देंगे। नापायेदारीकी स्थिति कभी खत्म नहीं होगी।'

मौलाना आजाद यह सही है कि अहिंसाको पूरा-पूरा मौका नहीं दिया गया। फिर भी, मेरा खयाल है हिन्दुस्तानमें अहिंसाने चमत्कारी परिवर्तन किये हैं। यह हथियार एक कमजोर और बेकस दशको दिया गया। इस देशने उस हथियारका इस्तेमाल सही ढंगसे किया लेकिन कमजोरीके माहौलमें।

श्री राजगोपालाचार्य आप तो बहसका मुद्दा ही खो बैठे। सवाल यह है कि किस प्रकार सरकार चलायी जाय और किस प्रकार सत्ता प्राप्त की जाय। आपने जो कहा उसका मतलब यह है हम तो ब्राह्मण हैं क्षत्रियोंका राज करने दो।

गांधीजीने समितिके समक्ष एक मसविदा रखा जिसमें उन्होंने अपने विचारोंको रखा था।

गांधीजीके मसविदेमें जवाहरलालजी प्रायः सहमत थे मगर उन्हें मसविदेके कुछ अंशोंपर सख्त एतराज़ था। उन्होंने कहा कि सैनिक प्रवृत्तिपर गैरवाजिब और गलत ढंगसे जोर दिया गया है भारतीय जनताको सैनिक प्रवृत्तिसे निवृत्त करनेके पक्षमें मैं नहीं हूँ। देशमें सैनिक शिक्षणकी माँग है। दो सौ सालसे उसे यह प्राप्त नहीं हुआ। अपने जीवनकालमें ही इस अभावको दूर करनेकी बेचैनी स्वाभाविक है। सैनिक प्रवृत्तिकी निन्दा करके हम उसे और भड़कायेंगे। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मैं चाहूँगा कि मेरे देशके लोग तनकर खड़े होना कदम मिलाकर चलना और हथियारोंका इस्तेमाल करना भी सीखें, बादमें भले ही उन्हें अलग रख दें। जिसने राइफल कभी उठायी नहीं वह उसके बारेमें उत्सुक हो

सकता है। हम उसकी निदा करके उसकी उत्सुकताको खत्म नही कर सकते।"

नेहरूजीने कहा "यह हास्यास्पद लगता है कि गाधीजीकी इस अपीलसे कार्यकारिणी समिति कोई वास्ता रखे। मै यह समझ सकता हूँ कि गाधीजीने ऐसी अपील क्यो की है। मगर मुझे इसमे कोई शक नही कि यह अपील अग्रेजोके लिए बिलकुल बेअसर साबित होगी। वे इसे समझ ही नही सकेगे। उनकी नजर मे यह अपील हिटलरको बल देनेवाली है। जिन पैराग्राफोमे आजादीके बारेमे और मन्त्रिमडलोमे फिरसे शामिल होनेके बारेमे हमारा नजरिया स्पष्ट किया गया है उनसे मै सहमत हूँ।"

श्री राजगोपालाचार्य "यह मसविदा सभी समस्याओपर एकागी दृष्टिकोणसे व्यक्त किये गये विचारोकी शृखला है। मसविदेमे मुझे वास्तविकता कही नजर नही आती। हम स्वप्नलोगमे विचर रहे है। गाधीजीका मसविदा उस धारणापर आधारित है, जिसे हम स्वीकार नही करते। हमे गाधीजीके नेतृत्वकी समस्या-से उलझन है। अगर हम गाधीजीको अपना नेता मानते है तो हमे उनका प्रोग्राम और पंथ भी मानना होगा। इस मसविदेको स्वीकार करके हम अपनेको एक निष्फल और निष्क्रिय अवस्थामे कैद कर लेगे। मेरे दिमागमे एक संघर्ष चल रहा है।"

श्री भूलाभाई देसाई . "यह मसविदा हमारे उस प्रस्तावको मिटा देता है, जिसे हमने वर्धामे पारित किया था। प्रतिरक्षाके सवालपर खुले दिमागसे विचार ही नही किया गया है। ११,००० अधिकारी आज सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। क्या हम उन्हे प्रशिक्षण लेनेसे इनकार करनेकी राय दे ? हम एक अरसेसे सेनाके भारतीयकरणके लिए आदोलन कर रहे है। क्या हम अब इस आन्दोलनको त्याग दे ?'

सरदार पटेल "अग्रेजोके नाम गाधीजीकी अपीलसे कार्यकारिणी समिति कोई वास्ता रख ही नही सकती। मै इस बातसे सहमत हूँ कि यह प्रस्ताव पुराने प्रस्तावके ठीक विपरीत है। मगर पिछले प्रस्तावसे उत्पन्न उलझनको मिटानेके लिए यह आवश्यक है। हर कही पूछा जा रहा है कि गाधीजीके नेतृत्वको क्यो त्याग दिया ? मेरी रायमे, गाधीजीके मसविदेसे अपीलवाला अंश छाँटकर और इधर-उधर छोटी-मोटी तब्दीलियाँ करके मसविदेको स्वीकार कर लेना चाहिए।"

मौलाना आजाद "गाधीजीकी दलीले बेहद आकर्षक है। हम हथियार उठाते है प्रतिरक्षाके लिए, मगर आखिरकार हमलेके लिए उसका इस्तेमाल करने लगते है। यही इस्लामके साथ हुआ। मुहम्मद साहबने महज आत्मरक्षाके लिए

हथियार उठाया लेकिन उनके अनुयायियोंने उसका इस्तेमाल हमलोंके लिए और कब्जेके लिए किया। मगर हम यह महसूस करते हैं कि हम गांधीजीके साथ-साथ बहुत दूरतक नहीं चल सकते। बाहरी आक्रमण, अंदरूनी गड़बड़ियोंसे निबटनेके लिए और आजादीकी लड़ाईके लिए अहिंसाका इस्तेमाल होना ही चाहिए। आत्मरक्षाके लिए भी हम भरसक अहिंसाका ही प्रयोग करेंगे। मैं चाहता हूँ कि गांधीजी हमारा नेतृत्व करें और हम मझधारमें न छोड़ें। हमें वर्धा प्रस्तावोंसे पीछे हटनेका कोई अधिकार नहीं है।'

गांधीजीने कहा : "मैंने यह मसविदा आप लोगोंकी प्रतिक्रिया जाननेके उद्देश्यसे पेश किया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपने वर्धामें अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया था। आजकी बहसमें मेरी राय और भी पक्की हो गयी है। मैंने मसविदा तैयार करनेमें जो श्रम लगाया उसे मेरी कल्पनासे अधिक सफलता मिली। मैंने अपने विचारोंको लिपिबद्ध केवल इसलिए किया कि आप लोगोंकी प्रतिक्रियाको जानूँ। मैंने बहसका एक एक लफ्ज सुना है। मैंने जान लिया कि हम लोगोंके बीच बहुत चौड़ी खाई है और उसे पाटा नहीं जा सकता। ऐसा करनेकी कोशिश करना देशके अहितमें होगा। मुझमें कोई बेसब्री नहीं है कोई खीझ नहीं है। अगर मैंने यह जान लिया है कि मेरी पकड़ ढीली हो गयी है तो मुझे कांग्रेसकी भलाईका खयाल करते हुए हट जाना चाहिए।

मैंने अपनी राजनीति हमेशा नीतिशास्त्र या धर्मशास्त्रसे विकसित की है। मेरी संघर्ष पद्धति भी नीतिशास्त्रसे राजनीतिक विकासका परिणाम है। मैं अपनेको राजनीतिमें इसीलिए पाता हूँ कि मैंने नीति और धर्मके नामपर कसमें खायी हैं। जो व्यक्ति अपने देशसे प्यार करता है उसे राजनीतिमें जीवन्त रुचि लेनी ही पड़ेगी वरना वह शांतिपूर्वक कोई काम नहीं कर पायेगा। मैं कांग्रेसमें अपने धर्मके साथ आया। वक्त आ गया है कि मैं देखूँ कि क्या मैं आप लोगोंको उस मंजिलतक ले चल सकता हूँ जो मेरी नजरमें है?

मुझे पहले राजाजीको अपने साथ ले चलनेमें जरा भी दिक्कत नहीं होती थी। उनका दिल और दिमाग दोनों मेरे साथ चल लेता था। मगर जबसे यह कुर्सियोंका सवाल उठ खड़ा हुआ है मैं देख रहा हूँ हम दोनोंके विचार भिन्न भिन्न दिशाओंमें दौड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि मैं अब उन्हें अपने साथ नहीं ले चल सकता। इसलिए मुक्त किये जानेकी मेरी माँग निहायत ही जरूरी है। आंतरिक मतभेद तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बाहरी हमलेके बारेमें किसी नतीजेपर नहीं पहुँच पाते तो आप अंदरूनी मतभेदोंका भी कोई हल नहीं खोज

सकते। मैंने प्रस्तावमे 'खुला दिमाग' यह व्यंजना जान-बूझकर रखी है। आपने कहा कि आप लोग अहिंसक तरीकोसे सत्तापर आरूढ हो सकते है लेकिन बगैर सेनाके सत्ताको बरकरार रखने और पुष्ट करनेके बारेमे आपको सन्देह है। अगर हम अहिंसाको राजनीतिमे इस्तेमाल नही करते यानी एक राष्ट्रके रूपमे हममे पर्याप्त अहिंसा नही है, तो मेरे दिमागमे जो थोडी-सी पुलिस-शक्तिकी कल्पना है, उससे बडी अव्यवस्थाओंसे नही निबटा जा सकता। अहिंसाकी तकनीक हिंसाकी तकनीकसे जुदा है। हम इस तथ्यसे आँख बन्द कर लेते है कि जनतापर हमारा नियत्रण, यहाँतक कि काग्रेसके लोगोपर ही हमारा नियत्रण बेअसर है। निष्क्रिय असर तो है, मगर सक्रिय असर नही है। यह हमारे ही दोषसे है, ऐसा मै नही मानता। लाखो लोगोका सवाल है। २० सालमे कोई सैनिक प्रोग्राम भी पूरा नही हो सकता था। अत हमे सब्र करना चाहिए। अगर जनता अहिंसा द्वारा आज़ादी हासिल कर सकती है तो उसे अहिंसा द्वारा सलामत भी रख सकती है।

"देशके लिए २० सालका अर्सा कुछ भी नही है। हमारी अहिंसा सत्ता प्राप्त करनेतक ही सीमित रह गयी। हम अग्रेजोके खिलाफ तो सफल रहे, मगर अपनोसे ही हार गये। कई स्थानोपर काग्रेसके लोगोने और काग्रेस समितियोने हिंसक प्रदर्शन किये। इसीसे हमारी दिक्कते पैदा हुई और मै इसीलिए कहता हूँ कि हमे अहिंसाका विकास करना चाहिए। यही ठीक वक्त है, वरना बादमे पछताना होगा। राजाजी ठीक कहते है कि अगर मै यह मानूँ कि काग्रेस मेरे साथ है, तो मै स्वप्नलोकमे हूँ। मै आँखें खुली रखकर संघर्षमे कूदा हूँ। मै जब मुसलमानोका साझीदार बना तो मै आगसे खेल रहा था। हिंदुओने कहा कि मुसलमान अपनेको संगठित कर लेगे। मुसलमानोने यही किया। मेर पास सम्पूर्ण मानवताके लिए एक ही मानदण्ड है।

"मै काग्रेसमे उत्पन्न कमजोरियोके बारेमे गम्भीरतासे सोचता रहा हूँ लेकिन मैने यह उम्मीद कभी नही छोडी कि वक्त आनेपर मै आप लोगोको आगे ले चल सकूँगा। जब भूलाभाईने कहा कि हम अपनेको बाँध रहे है तो वे ठीक भी थे, नही भी। मसविदेको विरामो और अर्धविरामोके साथ पढना होता है। हमे दो हथियारोमेसे एकका चुनाव कर लेना है। एक है विनाशका हथियार और दूसरा है बाहरी और घरेलू मामलोमे अहिंसाका हथियार। हमे चुनाव करना ही है। अगर यह अनिवार्य है, तो हम अहिंसाको राम-राम करे। आज अहिंसा और कल हिंसा यह हमारा दृष्टिकोण नही है। हमे यह नही पता कि हम भविष्यमे क्या

करेंगे। कलकी बात छोडिए क्या हम अभी इसी वक्त राइफल उठाना चाहिए? भूलाभाईने १,१०० अधिकारियोंकी बात की थी। इस बातमें मेरी एक भी पैसी फडक्ती नहीं। मेरा क्षितिज अज्ञात कराडो लागा तक भी फला हुआ है। उस समुद्रमें १ १०० व्यक्ति गायब है। गलत पग उठाकर मैं अपनेको कभी क्षमा नहीं कर सकूंगा। आप लोग आज नहीं तो कल राजाजीकी स्थितिमें पहुँच जायगे। अगर आपने अहिंसाको आत्मसात कर लिया है, तो बहुत अच्छा है। मैं तो अहिंसाको अपनी जेबमें लिये फिरता हूँ। अहिंसा मेरे दिमागमें है। मैं अपनी जनताको बदलनेका प्रयास करूँगा और देखूँगा कि मेरा क्या हश्र होता है। दूसरा रास्ता यह है कि हम अपनी जनताको सैनिक शिक्षण दें, साम्राज्यके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। साम्राज्य तो लडखडा रहा है। उसका सूरज बडी तजीसे डूब रहा है। अगर अहिंसामें हमारी आस्था शिथिल है तो हम अपनी हिंसाको ही सगठित करें। मैं मौलाना साहबसे सहमत हूँ कि जो हिंसाको आत्मरक्षाके लिए कबूल करते है, वे अन्तमें उसे हमलेका साधन बना लेते है। उन्होंने अपने ही सहधर्मियोंका उदाहरण पेश किया है। मैं इसी जनमाल वस्तुकी रक्षाके लिए जिंदा रहना चाहता हूँ। मैं जनताके सैनिकीकरणका साधन नहीं बनना चाहता। अहिंसक सिपाहीका कोई तिरस्कार नहीं करेगा। यह संभव है तोपेदिकका मरीज हो। लेकिन वह एक लम्बेसे लम्बे पठानमें बहतर नजार पेश करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग राजाजीकी बातोंपर गम्भीरतासे गौर कर और देखें कि क्या आपको उनकी बातें स्वीकार हो सकती है। वरना उन्हें निरस्त जाने दीजिए। अहिंसाकी व्याख्या हम अलग अलग फिलहाल कर रहे है। वे अपना हथियार खुद चुना लें। राजाजी

सकते है। जवाहरलालजीको नेतृत्व करने दीजिए। वे अपनेको पुरजोर तरीकेसे व्यक्त कर सकते है। मै उनकी मुट्ठीमे रहूँगा।"

विवादके वाद गाधीजीने अपना मसविदा वापस ले लिया और राजगोपालाचारीजीने अपना मसविदा पेश किया।

गाधीजीने कहा "यदि राजाजीका मसविदा काग्रेसके दिमागका प्रतिविम्व है, तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नही है और यह कुछ सदस्योकी निजी राय है, तो यह जानना आवश्यक है कि काग्रेसका दिमाग किधर है, यह जाननेके लिए इस वक्त कोई प्रस्ताव पारित न किया जाय। आपको साहसके साथ हालतोका सामना करना होगा। आपको यह मानना ही होगा कि जिस अहिंसाको हम पेश कर रहे है वह सच्ची अहिसासे भिन्न है। काग्रेसकी अहिसा केवल कमजोरकी अहिंसाको प्रतिनिधित्व देती है। दक्षिण अफ्रीकामे मुझपर निष्क्रिय प्रतिरोधकी व्यंजना फेंकी गयी और इसका मैने विरोध किया। इससे मुझे सतोष नही होता मगर देश शीघ्र ही संदेहके भयावह दु स्वप्नसे मुक्त हो जायगा। हमने जव-जव वलवानकी अहिंसाके लिए कोशिश की, हम बुरी तरह असफल रहे।

"कार्यकारिणी समितिके सदस्योका यह कर्तव्य है कि वे पता लगाये कि काग्रेसका दिमाग किधर है। उन्हे राज्योमे जाकर चुपचाप लोगोकी राय जाननी चाहिए। इससे हमे काग्रेसके लोगोकी सामान्य विचारधाराका पता लग सकेगा। तव हमारी जानकारी वेहतर और ज्यादा सही होगी। एक सीमातक हर व्यक्ति सदस्योको अपने विचारोके अनुरूप ढालनेकी कोशिश भी कर सकता है। अगर पता चले कि राजाजीके विचारोमे वहुमत प्रतिविम्वित हुआ है, तो हमे उसे क्रियान्वित होने देना चाहिए। लेकिन मै तो अहिंसाके दृष्टिकोणसे ही फैसला करूँगा।

"मै महसूस करता हूँ कि सरकारको यह मसविदा मान्य होगा। अगर ऐसा हुआ, तो आजादी भी निगल ली जा सकती है। आजादीका सवाल दवी जवानसे नही उठाया जाना चाहिए। यह नैतिक दृष्टिसे गलत होगा। अगर हम मसविदेकी वाते ईमानदारीसे कह रहे है तो हमे पूरी शक्तिके साथ युद्धमे सहयोग देना चाहिए। मगर इसका अर्थ यह होगा कि हमने अहिंसाको आखिरी सलाम कर दिया। सरकार काग्रेसका सहयोग प्राप्त करनेके लिए उत्सुक है। उसके पास इतने साधन हैं कि वह अगर काग्रेसका उपयोग न कर सके तो दूसरोको अपना साधन वना लेगी। फिलहाल, उसे यह सदेह है कि क्या वह काग्रेसको सत्ता

सौंपकर भी कांग्रेससे पूरा-पूरा सहयोग प्राप्त कर सकेगी ? मैंने उसे कभी यह सोचनेका मौका नहीं दिया कि वह कांग्रेससे एक भी सैनिक प्राप्त कर सकेगी। वह कांग्रेससे केवल नैतिक सहयोग ही प्राप्त कर सकती है। वह इस बातको भली भाँति समझती है। वह दो बातोंको तौल रही है—दूसरी पार्टियोंकी स्वयंप्रेरित सहायता और कांग्रेसका नैतिक समर्थन। लेकिन अगर हम उससे जाकर यह कहें कि भारतके साधन अंग्रेजोंकी सेवामें हाजिर हैं तो वह कांग्रेसकी माँगें मान लेगी। सवाल यह है कि क्या आप लोग इस पहलूका सामना कर सकेंगे ? मुझे तो एक हजार आपत्तियाँ हैं और वे सब अहिंसाकी बुनियादपर हैं।

कांग्रेसका नैतिक समर्थन अंग्रेजोंका सहायक किस प्रकार हो सकता है ? इस प्रश्नके उत्तरमें गांधीजीने कहा

सारी दुनियाकी नजरमें ब्रिटेन ऊपर उठ जायगा। इसका अर्थ यह होगा कि जिस संस्थाने २० वर्षोंतक अहिंसक पद्धतिसे कार्य किया है उसका सहयोग पानेके लिए ब्रिटिश सरकार व्यग्र है। वह कहेगी कि हम दूसरी पार्टियोंके सहयोग की अपेक्षा आपका सहयोग पसंद करेंगे। वह अहिंसक भारतसे अपील करेगी। मैं नैतिक सहयोगका बड़ा व्यापक दृश्य चित्रित कर रहा हूँ। उसे दो भारतोंके बीच चुनाव करना है। एकके पास सैनिक शक्ति है और दूसरेके पास अहिंसाकी अकूत शक्ति है। ये दो भिन्न प्रकारकी शक्तियाँ हैं। अगर अंग्रेज कहें कि हम नैतिक समर्थन ज्यादा पसंद है तो यह बहुत बड़ी बात होगी। यह प्रक्रिया यांत्रिक हरगिज नहीं है। यह तो जीवंत प्रक्रिया है।

'अगर आप कांग्रेसके लोगोंके साथ न्याय करना चाहते हैं तो चुपचाप जाकर उनकी रायका पता लगाना होगा। अगर आप देखें कि उनमें सच्ची अहिंसा नहीं है तो पूरी ईमानदारीके साथ ऐलान कर दीजिए। हमारा फर्ज तो पूरा हो जायगा। हम फिर नम्रधारण करना पड़ेगा। अगर हम ऐसा सच्चे तौरपर और ईमानदारीसे करेंगे तो दूसरी संस्थाएँ पीछे छूट जायगी। मैं हिंसाकी कार्यपद्धति जानता हूँ। मैंने हिंसाको हमेशा अहिंसाके समानान्तर रखकर सोचा है। मैं एक क्षणके लिए भी ऐसा नहीं महसूस करता कि मैं जिस उग्र मतका प्रतिनिधित्व करता हूँ वह केवल मेरा अपना है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं वर्तमान भारतके हिंसाग्रका प्रतिनिधित्व करता हूँ। अगर मेरे शरीरमें शक्ति होती और मैं जनताके पास पहुँच पाता तो मुझे विश्वास है कि वह मेरी बातोंपर अमल करती। मैं जानता हूँ कि जनताके सामने उसकी भाषामें बातको किस तरह रखना चाहिए।

सरदार पटेल — जहाँतक कांग्रेसके लोगोंके हिंसाके मनोभावका निर्द

को टालना अनावश्यक है। जब हमने सितम्बरमे पहला प्रस्ताव पारित किया था, उस समय काग्रेसके सभी लोग कुछ इस तरह सोच रहे थे 'अगर घोषणा इस-इस प्रकारकी हुई तो हम अपना सहयोग प्रदान करेगे'। यह हमारी प्रवृत्ति-की कुजी है। गाधीजीने इसे नैतिक समर्थन कहा है। हम लोगोने इसे दूसरे रूप-मे व्यक्त किया है। अगर घोषणा होगी तो हम पूरा समर्थन करेगे, नैतिक भी और इससे भिन्न भी।"

जवाहरलाल "सितम्बर घोषणासे पूरा समर्थन प्राप्त नही हो जायगा। इसका फैसला आजाद भारत करेगा। मौजूदा हालतोमे काफी लोग सैनिक शिक्षण-की बात सोच रहे है, लेकिन अगर हम अपनी घोषणासे मुकर जायँगे तो यह बहुमतके लिए नागवार होगा। जब ब्रिटिश सत्ता लडखडा रही है तब उसे मदद पहुँचाना भूल होगी।"

गाधीजीने कहा "इस स्थितिमे दी गयी मदद भारतके हितमे होगी। इसका अर्थ होगा कि हमने डूबते हुए जहाजको उबारनेकी भरसक कोशिश की। वे पुकार रहे है 'हम डूब रहे है, हमे बचाओ'। हम कह सकते है 'हमने मुसीबतोके मदरसेमे शिक्षा पायी है। हमने भलमनसाहतसे अहिसासे लडना सीखा है। आप चूकि डूब रहे हो हम आपको यह मदद पहुँचा रहे है।' ऐसी मनोवृत्ति अनुचित नही है।"

बहसकी रोशनीमे राजाजीने अपना मसविदा सुधारकर पेश किया। चूंकि प्रस्तावपर मतैक्य नही था, अत सोचा गया कि इसपर मतदान द्वारा निर्णय लेना ही ठीक होगा। बहुमतने, जिसमे सरदार पटेल, राजगोपालाचार्य, भूला-भाई देसाई, जमनालाल बजाज, डा० सैयद महमूद और आसफ अली शामिल थे, सशोधित प्रस्तावके पक्षमे मतदान किया। अहिंसाकी बुनियादपर खान अब्दुल गफ्फार खॉने प्रस्तावके विरोधमे मतदान किया। अहिंसाके ही आधारपर राजेन्द्र-प्रसाद, शकरराव देव, प्रफुल्लचन्द्र घोष और कृपालानी तटस्थ हो गये। सरोजिनी नायडू भी तटस्थ रही।

आमन्त्रित लोगोमेसे पट्टाभि सीतारामैयाने पक्षमे और आचार्य नरेन्द्रदेव तथा अच्युत पटवर्धनने विपक्षमे मतदान किया।

खान अब्दुल गफ्फार खॉने कार्यकारिणी समितिसे त्यागपत्र देनेकी इच्छा व्यक्त की। गाधीजीने उनकी इस बातका समर्थन किया। उन्होने कहा कि अपने प्रान्तमे खान साहबकी स्थिति आश्चर्यजनक है। हजारो खुदाई खिदमतगार उन्हे अपना असदिग्ध नेता मानते है। अगर उन्हे शक हुआ कि खान साहब हिंसाके

पक्षमें हो गये हैं, तो वे भी हिंसापर उतर आयेंगे और फिर पुराने पारिवारिक झगड़ोंके मुर्दे कब्रसे निकाले जायँगे। इसलिए खान साहबको अपनी स्थिति खुदाई खिदमतगारोंके सामने बिल्कुल साफ रखनी होगी। उन्हें इस्तीफा देनेकी इजाजत मिलनी ही चाहिए।

कार्यकारिणी समितिने दूसरा प्रस्ताव वजीरिस्तानपर पारित किया। सीमांत राज्यमें गांधीजीकी गहरी रुचि थी, क्योंकि वह उन्हें बलवानकी अहिंसाका योग्य क्षेत्र मालूम देता था। ट्रेन द्वारा वर्धा जाते हुए उन्हें वजीरियोंपर एक लेख लिखनेकी प्रेरणा हुई:

उत्तर पश्चिम सीमांत राज्यके कई इलाकोंमेंसे एक वजीरिस्तान भी है। सभी जानते हैं कि उत्तर पश्चिम सीमांत राज्यमें कई कबीलोंके लोग रहते हैं। लोगोंकी धारणा यह है कि इनका जन्म ही डाका डालने, लूटपाट करने और ब्रिटिश सरकारको तंग करनेके लिए हुआ है। ये धारणाएं असलियतसे दूर हैं। ये सीमा पारके कबीलेके लोग अजहद गरीबीमें पैदा होते और बढ़ते हैं। पहाड़ी क्षेत्रोंमें इनका जीवन हमेशा मुसीबतों और पारिवारिक संघर्षोंका होता है। अपनी आर्थिक कठिनाइयोंको दूर करनेके लिए भारत उनके नजदीक पड़ता है जिसपर वे धावे किया करते हैं। इसके अलावा ऐसे लोगोंकी कमी नहीं है जो अपने राजनीतिक उद्देश्योंकी सिद्धिके लिए इन्हें गुमराह करनेको तैयार रहते हैं। अतः इन कबीलोंके सम्बन्धमें हमारी जानकारी उनकी छापामारी हरकतों तक ही लगभग सीमित है। खान साहबने मुझे बताया है कि ये लोग स्वभावसे बड़े ही सीधे-सादे और मासूम होते हैं। जब-जब मुझे सीमांत राज्यमें जानेका मौका मिलता है मैं इन कबीलेके लोगोंसे परिचय पानेकी कोशिश करता हूँ। मैंने इस दिशामें पहला प्रयास इरविन-गांधी समझौतेके वक्त किया था। मुझे यह प्रयास त्याग देना पड़ा क्योंकि इरविन साहबने कहा कि इससे सरकार उलझनमें पड़ जायगी। इसके बाद मैंने पत्राचार द्वारा इजाजत लेनी चाही, मगर उसमें भी सफल नहीं हुआ। मैं जब पहली बार सीमांत प्रान्तमें गया उस वक्त मैंने नये सिरेसे प्रयास किया। गवर्नरसे भेंट की, मगर न वे इजाजत दिला सके, न खुद दे सके। हालमें ही पश्चिमोत्तर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटीने वजीरियोंके पास एक शिष्टमण्डल भेजना चाहा, जिसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, केवल समाज-कल्याणका उद्देश्य था, मगर इजाजत नहीं मिली। अब कार्यकारिणी समितिने शिष्टमण्डल भेजनेका फैसला लिया है, जिसमें [illegible] होंगे—खान [illegible] और जनाब आसफ [illegible]। हम आशा करते हैं कि शिष्टमण्डलको

आवश्यक अनुमति मिल जायगी ।

"कार्यकारिणी समितिके प्रस्तावका उद्देश्य राजनीतिक नही है । इसका उद्देश्य सिर्फ यह जानना है कि किस प्रकार इन सीमान्तवासी कबीलोकी मदद की जा सकती है और उनसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित किये जा सकते है । यह हमारी प्रतिष्ठाके प्रतिकूल बात है कि हम उनसे हमेशा आतंककी स्थितिमे रहें । हमारे ज्यादातर भय अज्ञानके कारण बने रहते है । अगर मै अपने पडोसीपर शक करूँगा तो मै उससे डरता रहूँगा । लेकिन अगर मै अपना शक त्याग दू तो डर अपने आप गायब हो जायगा । बरसोसे हम यह मानते आ रहे है कि अधिकारी लोग यह नही पसद करेगे कि हम सीमान्तके कबीलेके लोगोसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करें । दूसरी ओर सरकारने, कबीलोके इलाकेमे रक्षा-पंक्तियोके निर्माणमे और सैनिक अभियानमे, करोडो रुपये खर्च कर डाले है । यह काग्रेसका कर्त्तव्य है कि इन सीधे-सादे और ईमानदार लोगोसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करे । अत कार्यकारिणी समितिका प्रस्ताव स्वागतके योग्य है । हम आशा करते है कि जब काग्रेसने सही पग उठाया है तो उसे अततक निभायेगी ।"

"खान साहबकी अहिसा" शीर्षकसे गाधीजीने लिखा

"जिस तूफानने कार्यकारिणी समितिके अधिकाश सदस्योको झकझोर दिया उसमे खान साहब खान अब्दुल गफ्फार खाँ चट्टानकी तरह अडिग रहे । उन्हे अपनी स्थितिके सम्बन्धमे कभी भ्रम नही हुआ और उनका वह बयान मै प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो हमारी राहोको रोशन करता रहेगा .

"कार्यकारिणी समितिके हालके कुछ प्रस्तावोसे यह सकेत मिलता है कि वह अहिसाका प्रयोग स्थापित सत्तासे भारतको आजाद करनेतकके संघर्षके लिए सीमित करना चाहती है । मै यह नही कह सकता कि इसका प्रयोग भविष्यमे किस सीमातक और किस प्रकार किया जाना चाहिए । निकट भविष्यमे संभवत इस बातपर ज्यादा प्रकाश पड सकेगा । इस बीच मेरे लिए काग्रेस कार्यकारिणी समितिमे बने रहना मुश्किल हो गया है और मै इससे इस्तीफा दे रहा हूँ । मै यह स्पष्ट कर देना चाहता हू कि मै जिस अहिसापर विश्वास करता हूँ और जिसका उपदेश मैने भाई खुदाई खिदमतगारोको दिया है, वह बहुत व्यापक है । यह हमारे संपूर्ण जीवनको प्रभावित करती है और इसीमे इसकी सार्थकता है । अगर हमने अहिसाका पाठ अधूरा ही पढकर छोड़ दिया, तो सीमातके लोग उन जानलेवा लडाइयोसे कभी मुक्त नही हो सकेंगे, जो उनके जीवनका अभिशाप है । जबसे हम लोगोने अहिसाका दामन पकडा है और खुदाई खिदमतगारोने

इसके लिए अपना जीवन उत्सर्ग कर दिया है, तबसे इन झगडोंको भूलनेमें सफ हो सके है। अहिंसासे पठानोंके साहसमें अत्यधिक वृद्धि हुई है। चूंकि पठा औरोंकी अपेक्षा हिंसामें अधिक अभ्यस्त थे अत उन लोगोंने अहिंसासे औरोंके अपेक्षा बहुत अधिक लाभ उठाया है। खुदाई खिदमतगारोंको सही मापनेमें खुदा खिदमतगार ही बनना चाहिए। वे हमेशा अपनी जान देनेको तयार रहकर औ किसीकी जान लेनेमें शरीक न होकर खुदा और इनसानके सेवक बनें।

यह वक्तव्य खान साहबके व्यक्तित्वके योग्य है और पिछले बीस वर्षोंसे जि मूल्योंके लिए वे संघर्ष करते आ रहे हैं उनके भी योग्य है। वे पठान हैं औ पठानके बारेमें कहा जा सकता है कि राइफल या तलवार हाथमें लेकर पद होता है। मगर खान साहबने रौलट ऐक्टके खिलाफ सत्याग्रह करनेके लिए खुदा खिदमतगारोंका आवाहन करते समय उनसे सारे हथियारोंका त्याग करनेक कहा। खान साहबने देखा कि उनके स्वच्छासे हिंसाके हथियारोंको त्यागनेक जादुई असर हुआ। यह उन पारिवारिक खूनी झगडोंका एकमात्र उपचार था जं एक पठानको अपने पितासे वसीअतके रूपमें प्राप्त होते हैं और जो पठानोंके जीवन के एक सामान्य अंग बन गये हैं। इनसे बेशुमार परिवार उजड चुके हैं और खान साहबकी दृष्टिमें अहिंसा चिरकांक्षित मुक्ति-द्वार थी। वरना इन खूनी लडाइयोंक खात्मा कभी न होगा और पठान एक दिन समाप्त हो जायेंगे। उन्हें यह बात दिनकी रोशनीकी तरह साफ नज़र आयी कि यदि पठानोंको प्रतिशोध लेनेसे विरत किया जा सके तो वे अपनी बहादुरीका बेहतर उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे। खान साहबका पैगाम पठानोंने कबूल कर लिया और उनकी अहिंसा बलवानकी अहिंसा सिद्ध हुई।

"अपनी और खुदाई खिदमतगारोंकी आस्थाके बारेमें स्पष्ट होनेके कारण खान साहब कांग्रेस कार्यकारिणी समितिसे त्यागपत्र देनेसे बच नहीं सकते थे। अगर समितिमें वे बने रहते तो उनकी स्थिति अस्पष्ट और विवादास्पद हो जाती और उनका अबतकका करा-धरा सब चौपट हो जाता। वे अपनी जनतासे य दो बातें एक साथ नहीं कह सकते थे कि अपने कबीलेके झगडोंको भूल जाइए और सेनामें रंगरूट बनकर भरती हो जाइए। सीधा-सादा पठान उनसे बहस कर बैठता और उनको इस दलीलका कोई माकूल जवाब नहीं हो सकता कि यह युद्ध बदला लेनेके लिए लडा जा रहा है और इस युद्ध और उनके पारिवारिक झगडोंमें कोई फ़र्क नहीं है।

'मैं नहीं जानता कि खान साहब अपनी जनतातक अपना पैगाम पहुँचानेमें

कहाँतक सफल हो पाये है। इतना मैं जानता हूँ कि अहिंसा उनके लिए कोई बौद्धिक आस्था नही है बल्कि प्रेरणामूलक श्रद्धा है। अत यह श्रद्धा कभी डिगायी नही जा सकेगी। उनके अनुयायियोंके बारेमें यह नही कहा जा सकता कि वे किस हदतक अहिंसापर दृढ रह सकेंगे। मगर इस बातसे वे परेशान नही है। उन्हें तो अपनी जनताके प्रति अपना फर्ज पूरा करना है। परिणाम वे ईश्वरपर छोडते है। वे अपनी अहिंसा पवित्र कुरानसे प्राप्त करते हैं। वे एक आस्थावान मुसलमान है। मेरे साथ वे एक सालसे कुछ ज्यादा ही अर्सेमे रह रहे हैं और इतने दिनोंके बीच मैंने उन्हें कभी, अगर वे बीमार न हुए तो, नमाज छोडते या रमजानका उपवास छोडते नही देखा। मगर इस्लामके प्रति उनकी आस्था उन्हे दूसरी आस्थाओंका अनादर करनेके लिए नही प्रेरित करती। उन्होने गीता पढी है। वे कम पढते है, लेकिन चयन करके पढते है और उसमेंसे उन्हे जो बात जँच जाती है उसे वे अपनी जिन्दगीमे उतारते है। उन्हे क्वी बहसोंसे चिढ और ऊब है और उन्हे निर्णय लेनेमें ज्यादा वक्त नही लगता। अगर वे अपने मिशनमें सफल होते है तो बहुतसी समस्याओंका समाधान हो जायगा। मगर परिणामकी भविष्यवाणी कोई नही कर सकता। अपनेको भाग्यके भरोसे छोड दिया गया है। और अब सारा मामला ईश्वरके हाथोंमें है।"

व्यक्तिगत सत्याग्रह

१९४०-४

१९४० में जुलाईके अंतिम सप्ताहमें पूनामें कार्यसमिति और अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठक हुई जिसमें बहुतसे मामले पेश किये गये। इस बार अपनी सलाह देनेतकके लिए गांधीजी पूनामें मौजूद न थे।

ब्रिटिश सरकार एक नया कदम उठानेपर विचार कर रही थी। वाइसरायने ८ अगस्त १९४० को अपना एक वक्तव्य घोषित किया, जिसको आम तौरपर 'अगस्त ऑफर' कहा जाता है। इस घोषणामें नये संविधानकी जिम्मेदारी प्राथमिक रूपसे भारतीयोंकी रखी गयी थी परन्तु इसके लिए दो शर्तें थी। एक यह कि भारतको ब्रिटिश शासनके प्रति अपने दायित्वोंका पूर्ण रूपसे पालन करना चाहिए और अल्पसंख्यकोंकी रायको कुचला नहीं जाना चाहिए। इस वक्तव्यमें यह बात जोर देकर कही गयी थी कि इस समय जब कि राष्ट्रमण्डल अपनी अस्तित्व रक्षाके संघर्षमें लगा हुआ है संवैधानिक मामलोंको तय नहीं किया जा सकता है लेकिन युद्धके पश्चात संविधानकी रचनाके लिए भारतीयोंके एक उत्तरदायी निकायका गठन किया जायगा। उसके स्वरूप और उसके कार्योंके सम्बन्धमें भारतके लोगोंकी ओरसे समय-समयपर जो भी सुझाव आयेंगे उनका स्वागत किया जायगा। तबतकके लिए यह निर्णय किया गया कि केन्द्रीय कार्यकारी परिषद (सेन्ट्रल एक्जीक्यूटिव कौंसिल) का विस्तार किया जाय और एक युद्ध सलाहकार परिषद (ऐडवाइजरी वार कौंसिल) को स्थापित करनेकी कार्यवाही की जाय।

कांग्रेसके सरकारमें शरीक होनेके प्रश्नपर विचार विमर्शके लिए वाइसरायने कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादको आमंत्रित किया। कांग्रेसकी स्वाधीनताकी मांग और वाइसरायके प्रस्तावके बीच बातचीतका कोई आधार न था इसलिए कांग्रेस अध्यक्षने वाइसरायसे मिलनेसे इनकार कर दिया। गांधीजीने मौलाना आजादको लिखे गये एक पत्रमें कहा कि ईश्वरकी इच्छा यह नहीं है कि भारत युद्धमें भाग ले। इस सम्बन्धमें मौलाना आजादने लिखा है 'गांधीजीकी दृष्टिमें, ईश्वरीय इच्छाके कारण ही मैंने वाइसरायसे मिलनेमें इनकार किया था। दूसरी ओर मेरे मिलनेसे गांधीजीके मनमें यह आशंका थी कि कहीं मैं और वाइस

रायके बीच कोई समझौता न हो जाय और कही भारतको युद्धमे न खीच लिया जाय।"

कांग्रेस इस बातको बहुत बुरी तरहसे महसूस कर रही थी कि वह नीचे उतर गयी है। उसने खुलकर गाधीजीसे अपनी असहमति प्रकट की थी और ऐसी शर्ते रख दी थी जिनके कारण उसको अपनी पूर्ण शक्ति युद्धके प्रयासमे लगानी पड सकती थी। वर्धामे १८ अगस्तको कार्यसमितिकी बैठक हुई जिसमे निम्नाकित शब्द लेखाबद्ध किये गये · "ब्रिटिश सरकारके द्वारा कांग्रेसके प्रस्तावोको अस्वीकार कर देना इस बातका प्रमाण है कि वह तलवारके बलपर भारतपर शासन करना चाहती है।"

१५ सितम्बरको बम्बईमे अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठक हुई। उसमे यह बिलकुल स्पष्ट हो गया कि शत्रु पक्षसे थोडासा मिल जानेके बाद कांग्रेस-के नेताओने गाधीको अपनी पूर्ववत् निष्ठा अर्पित कर दी है। मौलाना आजादने अपने प्रारम्भिक भाषणमे कहा "वाइसरायके द्वारा ग्रेट ब्रिटेनने जो प्रस्ताव रखा है, वह दृष्टि डालने योग्य भी नही है। विगत घटनाओने हमे इस निर्णयकी ओर प्रेरित किया कि कांग्रेसका सक्रिय नेतृत्व करनेके लिए हम पुन गाधीजीसे प्रार्थना करे। उन्होने इसे स्वीकार कर लिया है।"

निम्नाकित प्रस्तावको, जिसका कि प्रारूप गाधीजीने तैयार किया था, प्रस्तुत करनेकी औपचारिकता नेहरूजीने निभायी और सरदार पटेलने इस प्रस्तावका समथन किया

"अखिल भारतीय कांग्रेस समिति किसी ऐसी नीतिको स्वीकार नही करेगी जो कि भारतके अपने एक स्वाभाविक अधिकार स्वाधीनताको अस्वीकार करती हो, जो जन-मनकी स्वतंत्र अभिव्यक्तिको दबा देती हो, जो उसकी जनताको निरन्तर अधोगति और चिरदासताकी ओर ले जाती हो। इस नीतिपर चलकर ब्रिटिश शासनने एक असह्य स्थिति उत्पन्न कर दी है। वह स्थिति कांग्रेसके ऊपर एक संघर्ष थोप रही है ताकि कांग्रेस भारतीय जनताके सम्मान और उसके मूल-भूत अधिकारोका परिरक्षण कर सके। कांग्रेसने भारतकी स्वाधीनताके हेतु गाधी-जीके नेतृत्वमे अहिंसाकी शपथ ग्रहण की है इसलिए राष्ट्रीय स्वाधीनताके आन्दो-लनके इस गम्भीर सकट-कालमे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति उनसे यह निवेदन करती है कि वे अगले कार्यके लिए कांग्रेसका मार्ग-दर्शन करे। दिल्लीका वह प्रस्ताव, जिसकी कि पूनामे अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा पुष्टि हुई थी और जिसने कि उन्हे इस कार्यसे रोका था, अब आगे लागू नही होगा।

उसकी समाप्ति हो गयी।

अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ब्रिटेनकी जनताके प्रति और उन सब राष्ट्रोंकी जनताके प्रति जो उनकी लपेटमें आ गया है अपनी सहानुभूति व्यक्त करती है। ब्रिटिश जनताने खतरा और विपत्तिके आगे जो वीरता और सहनशीलता प्रदर्शित की है उसकी काग्रेसजन सराहना किये बिना नहीं रह सकते। वे अपने मनमें उन लोगोंके प्रति कोई दुर्भावना नहीं रखते और न कांग्रेस अपनी सत्याग्रहकी भावनासे उनके विरुद्ध कोई ऐसा कदम उठाना चाहती है जो कि उनमें एक व्यग्रता उत्पन्न करे। लेकिन अपने ऊपर स्वतः लादे गये इस संयमको आत्म विनाशका एक विस्तार नहीं समझना चाहिए। कांग्रेसकी नीति अहिंसापर आधारित है। उस नीतिके अनुसरणके साथ कांग्रेस अपनी पूर्ण स्वाधीनताका आग्रह करेगी। परन्तु जबतक जनताकी स्वाधीनताओंके परिरक्षणकी सीमा हो न लाँघी जाय और जबतक वह आवश्यक ही न हो जाय तबतक कांग्रेसकी इच्छा इन क्षणोंमें अहिंसात्मक विरोध छेड़नेकी नहीं है।

कांग्रेसकी अहिंसाकी नीतिको लेकर कतिपय भ्रम उठ खड़े हुए हैं। पिछले प्रस्तावोंकी किन्हीं बातोंके कारण भी सम्भव है कि भ्रम फैले हों। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति उनका निराकरण करती है और इस बातको पूरी तरहसे स्पष्ट कर देना चाहती है कि उसकी अहिंसापर आधारित नीति यथावत चल रही है। यह समिति अहिंसाकी नीति और उसके आचरणपर दृढ़ आस्था रखती है न केवल स्वराज्यके इस संघर्षमें बल्कि स्वतंत्र भारतमें अधिकसे अधिक दूरीतक वहाँतक जहाँतक कि उसके लागू होनेकी सम्भावना हो सकती है।

गाधीजीने प्रतिनिधियोंको सम्बोधित करते हुए कहा

इस प्रस्तावकी भाषा मुख्य रूपसे मेरी है। परन्तु कार्यसमितिने इसके आशयोंको भली भाँति समझकर और जान बूझकर इन वाक्य-खण्डोंको स्वीकार किया है। इसका परिणाम यह है कि यदि ब्रिटिश शासनकी ओरसे हमें यह सूचित किया जाता है कि कांग्रेस अपना युद्ध विरोधी प्रचार कर सकती है और जब सरकारके युद्धके प्रयास चल रहे हों तब अपनी असहयोगकी शिक्षा भी दे सकती है तो हम सविनय आज्ञा भङ्ग नहीं करेंगे।

'मैं जो कुछ भी चाहता हूँ उसे समझनेमें भूल नहीं होनी चाहिए। मैं यह चाहता हूँ कि मेरा व्यक्तित्व अक्षुण्ण रहे। यदि मैं उसको खो देता हूँ तो मैं भारतकी किसी सेवाके योग्य न रह जाऊँगा। तब मैं ब्रिटिश जनताके लिए उससे भी कम और मानवताके लिए सबसे कम उपयोगका होऊँगा। मेरी स्वाधीनता

वैसी है जैसी कि राष्ट्रकी स्वाधीनता। वह राष्ट्रीय स्वाधीनतासे वदलनेके योग्य है। मै अपने लिए अपेक्षाकृत वड़ी स्वाधीनताका दावा नही करता इसलिए मेरी स्वाधीनता आप लोगोकी स्वाधीनताके वरावर है और उससे किसी प्रकार भी वडी नही है। मै यह अनुभव करता हूँ कि यदि मेरी स्वाधीनता दाँवपर लगी हुई है तो आपकी भी खतरेमे है। मै यह दावा करता हूँ कि मुझको वम्वईकी सड़कोपर घूमनेकी आजादी है और यह कहनेकी भी कि मुझको इस युद्धसे कोई प्रयोजन नही है, और इस भ्रातृवधसे भी जो कि इस समय यूरोपमे चल रहा है। मै वीरताकी प्रशंसा करता हूँ लेकिन इस वीरतासे लाभ क्या है? मुझे इस जडता और घोर अज्ञानको देखकर दुःख होता है। ये लोग यह भी नही जानते कि ये लोग लड किस लिए रहे है? सागरोके उस पार जो लड़ाई चल रही है, उसे मै इस दृष्टिसे देख रहा हूँ। मेरे लिए इस युद्धमे भाग लेना सम्भव नही है। मै यह भी नही चाहता कि काग्रेस इसमे भाग ले।

"मै इस युद्धमे केवल एक शान्ति-स्थापककी भूमिका निभाना चाहता हूँ। यदि अंग्रेजोने स्वाधीनता दे देनेकी वुद्धिमानी की होती, केवल काग्रेसको नही वल्कि सारे भारतको और यदि भारतके अन्य दलोने हम लोगोके साथ सहयोग किया होता तो आज हमने एक सुलहकारका सम्मानपूर्ण स्थान पाया होता। यह मेरी एक महत्त्वाकाक्षा है। लेकिन मै यह जानता हूँ कि आज यह एक दिवा-स्वप्न है लेकिन कभी-कभी मनुष्य अपने दिवा-स्वप्नोके सहारे भी जीता है। मै भी अपने दिवा-स्वप्नोके सहारे जीवित हूँ। मै यह स्वप्न देखता हूँ कि ससार भले लोगोसे भरा हुआ है। एक समाजवादीकी भाषामे समाजकी एक नयी रचना होगी और सारी चीजोका एक नया क्रम होगा। मै भी इस नयी व्यवस्थाका इच्छुक हूँ जो कि विश्वको आश्चर्यचकित कर दे।

"अपनी स्थितिको पूरी तरहसे स्पष्ट करनेके लिए मै वाइसरायसे भेट करनेकी वात सोच रहा हूँ। हम लोग ऐसी कोई हालत पैदा नही करना चाहते जिसमे कि आप घवडा उठे और हम आपको आपके युद्ध-प्रयत्नोसे भी दूर नही करना चाहते। अहिंसाको समान रूपसे दृष्टिमे रखकर विना किसी रुकावटके आप अपने रास्तेपर जाइए और हम अपने रास्तेपर चलते जायँ। यदि जनताको हम अपने साथ ले जाते है तो हमारे यहाके लोगोकी ओरसे युद्धके प्रयासमें सहयोग देनेका प्रश्न नही उठता लेकिन इसके प्रतिकूल नैतिक दवावके अतिरिक्त अन्य किसी दवावको प्रयोगमे न लाकर यदि आप यह देखते है कि जनता युद्धके प्रयासमे आपको सहयोग दे रही है तो हमे शिकायत करनेका कोई मौका नही होगा।

लेकिन हमारी आवाज़ भी सुनी जानी चाहिए, युद्धके प्रयत्नमें सहायता देनसे मना करनेके लिए लोगोको अपनी तर्क-शक्ति और अपनी बुद्धिका उपयोग करने दना चाहिए। शत यह ह कि वे सब अहिंसाको स्वीकार करते हो। और यह भी कि व लोग जो कुछ कहें वह खुलकर कहें गुप्त रूपसे नही। प्रत्येक व्यक्तिको यह स्वत त्रता होनी चाहिए कि वह अपनी कलम या कापोके माध्यमसे अपने विचार व्यक्त कर सके। 'हम साम्राज्यवादकी सहायता नही कर सकते। हम किसी (सत्वके) अपहरणम सहायता नही कर सकते।' वाणी और लेखनका स्वातत्र्य स्वरा यका मूल आधार ह। यदि मूल आधार हा खतरमें ह तो आपको एक पत्थरकी रक्षाके लिए अपनी सारी शक्ति लगा देनो होगी। ईश्वर आपकी रक्षा करे।'

दूसरे दिन उन्होंने पुन प्रतिनिधियोको सम्बोधित किया। हिन्दू-मुस्लिम समस्याका उल्लेख करते हुए गाधीजीने कहा "यदि हमने कलह और वमनस्य ही इकट्ठा कर रखा ह तो झगडाको कौन रोक सकता ह? उस स्थितिम ता हमें अराजकता और विप्लवतकके लिए तयार रहना होगा। लेकिन हमको इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अहिंसाका परिणाम विप्लवके रूपमें कभी नही निकल सकता लेकिन यदि किसी प्रकारसे अव्यवस्था फल जाती ह तो वे क्षण हमारी अहिंसाकी परीक्षाके होंगे। जिस हिंसासे अहिंसाका मुकाबला होता ह वह जसे-जसे बढती जाती ह वैसे वसे अहिंसाका बल भी जोर पकडता जाता ह। अहिंसाका बल इसी प्रकारका ह। मुझे विश्वास ह कि मेरी मृत्युसे पहले आप अहिंसाके इस बलको प्राप्त कर लेंगे। म एक सन्देश देना चाहता हू और यह चाहता हूँ कि वह प्रत्येक मुसलमानके कानोतक पहुँच जाय। यदि आठ करोड या इससे अधिक मुसलमान भारतकी आजादीका विरोध करत ह तो वह उसे कभी प्राप्त नही हो सकती लेकिन म तबतक यह विश्वास करनेको तयार नही हूँ कि प्रत्येक मुसलमान आजादीका विरोधी ह जबतक कि बालिग मुसलमानों का मत इस बातको सिद्ध नही कर दता। उनको यह घोषित करने दीजिए कि उनकी इच्छित राजनीतिक मुक्ति हिन्दुओंसे अलग ह। भारत एक निधन देश ह जिसमें हर एक स्थानपर हिन्दू मुसलमान और अ य जातियाँ साथ-साथ रहती ह। उन्हें दो भागोंमें बाँट देना अराजकतासे भी बुरी स्थिति होगी। यह एक जीवित शरीरकी चीड-फाड होगी जिसे कि सहन नही किया जा सकता इसलिए नही कि म एक हिन्दू हूँ। मैं ता एक एस मचसे बोल रहा हूँ जो कि हिन्दू मुसलमान पारसी और शेष सबका प्रतिनिधित्व करता ह। लेकिन मैं उनसे यह कहूँगा,

'आप लोग हिन्दुस्तानके शरीरको चीरनेसे पहले मेरे शरीरको चीर दीजिए। जो दो सौ साल राज्य करनेवाले मुगलोने भी नही किया, उसे आप नही करेंगे।' जो कुछ मैने मुसलमानोके विषयमे कहा वह सिखोपर भी समान रूपसे लागू होता है। यदि तीस लाख सिख भारतकी स्वाधीनताको रोकते है तो हम अहिंसात्मक ढंगसे उनको रास्तेपर ले आयेगे। अहिंसाके बिना अहिसात्मक स्वराज्य प्राप्त नही किया जा सकता। विदेशी सत्ताके अस्तित्वके कारण हमारे मार्गमे और भी बहुत-सी बाधाएँ खडी हो गयी है। लेकिन सम्प्रदायोके बीच शान्ति बनाये रखने के लिए हमे अपनी सारी शक्ति लगा देनी होगी। इस्लामका अर्थ शान्ति है। यह शान्ति मुसलमानोके लिए सीमित नही हो सकती। यह शान्ति सारे विश्वके लिए होगी।"

गाधीजीके पुन नेतृत्व स्वीकार कर लेनेके लिए अखिल भारतीय काग्रेस समितिने एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव ७ के विरुद्ध १९२ मतोसे पारित किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कार्यसमितिसे अपने त्यागपत्रको वापस ले लिया ताकि वे काग्रेसकी प्रवृत्तियोमे पूर्ववत् भाग ले सके। उनकी गाधीजीके साथ बातचीत हो चुकी थी। पेशावर पहुँचकर उनको गाधीजीका निम्नलिखित पत्र मिला .

"मुझे आशा है कि वम्बईमे हम लोगोंके बीच जो बातचीत हुई थी, उसके सारको आपने ग्रहण कर लिया होगा। यदि ऐसा हो गया है तो जिन मूल बातो को मैने आपके सामने रखनेकी कोशिश की थी उनके संदभसे हर एक समस्या सुलझायी जा सकती है। हमे अपनी अहिसा अपने बच्चो, बडो और पडोसियोसे शुरू करनी होगी, हमे अपने मित्रो और पडोसियोके तथाकथित दोषोको देखा-अनदेखा करना होगा, लेकिन अपने दोषोके लिए हम अपनेको कभी क्षमा नही करेंगे, तभी हम अपने-आपको सही मार्गपर ले जा सकेगे और जैसे ही हम कुछ ऊपर उठे, हमको अपने राजनीतिक सहयोगियोके बीच अहिसाका अभ्यास करना होगा। जिन लोगोका हमसे मतभेद है उनके दृष्टिकोणको हमे देखना और समझना होगा। हमे उनके साथ अत्यंत धैर्यके साथ व्यवहार करना होगा। हमे उनको उनकी भूलें समझानी होगी और हम अपने दोषोको भी मानेंगे। इसके बाद आगे चलकर हमको बडे धीरज और बडी मुलायमियतके साथ उन राजनीतिक पार्टियो मे व्यवहार करना होगा जिनकी नीतियाँ और सिद्धान्त हमसे भिन्न है। हमे उनकी आलोचनाको उनके सिद्धान्तोकी दृष्टिसे देखना होगा और हमेशा यह याद रखना होगा कि हमारे और दूसरे लोगोके बीचमे जितनी अधिक दूरी होगी, अहिंसाको अपना काम करनेके लिए उतना ही बडा क्षेत्र मिलेगा। इन क्षेत्रोमे अपनी इस

जाँच या परीक्षामें जब हम उत्तीर्ण हो जायँगे केवल तभी हम उनके साथ व्यवहार करेंगे, जिनसे कि हम लड रहे हैं और जिन्होंने हमारे प्रति गम्भीर अन्याय किये है।

'यही वह बात थी जो मेरे और आपके बीच हुई थी। दूसरी बात मैंने आपसे यह कही थी कि एक अहिंसाव्रती सोनेके घण्टोंको छोडकर शेष समयमें अपनेको किसी-न-किसी उपयोगी कायमें व्यस्त रखेगा। रचनात्मक कार्यका उसके निकट वही महत्त्व होगा जो कि एक हिंसक व्यक्तिके लिए अपने शस्त्रोंका होता है।'

सितम्बरके अंतमें गाधीजीने शिमलामें वाइसरायसे भेंट की। लार्ड लिनलिथगोने गाधीजीको बतलाया कि ग्रेट ब्रिटेनमें शान्तिवादियोंके साथ किस प्रकारका व्यवहार किया जाता है। उन्होंने आगे कहा 'मैं यह स्पष्ट रूपमें कह देना चाहता हूँ कि स्वय भारतके हितोंकी दृष्टिसे यह सम्भव नहीं हो सकेगा विशेष रूपसे युद्धकी इन अति सकटकी घडियोंमें कि युद्ध प्रयासोंमें हस्तक्षेप करनेकी बातसे सहमत हुआ जा सके। आपने जितनी अधिक वाणीकी स्वाधीनता चाही है इसमें वह भी शामिल है।''

इसके उत्तरमें गाधीजीने कहा यदि कांग्रेसको मरना ही पडेगा तो वह अपने विश्वासकी घोषणा करती हुई मरेगी। यह बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोग योद्धाओंकी आजादीके एक भी मुद्देपर समझौता न कर सके।'

११ अक्तूबरको वर्धामें कार्य-समितिकी बैठक हुई। उसमें गाधीजीने अपनी सविनय आज्ञाभंगकी योजनाको खोला और उन लोगोंने स्थितिपर तीन दिनतक विचार विमर्श किया। गाधीजीने सेवाग्रामसे एक वक्तव्य प्रसारित किया जिसमें उन्होंने कहा

मेरी योजना केवल यह है कि विनोबा भावे द्वारा अमली कारवाई की जायगी और कुछ समयतक यह केवल उन्हींतक सीमित रखी जायगी। और चूँकि इसकी मर्यादा व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा है और उसमें भी वह केवल उन्हींतक सीमित है इसलिए केवल उनके द्वारा इस कार्यको सम्पन्न किया जायगा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उसमें कोई अन्य व्यक्ति भाग न लेगा। इसकी सम्बन्ध बोलनेकी स्वतन्त्रतासे है इसलिए कुछ अंशमें जनता स्वयमेव सम्मिलित हो जायगी लेकिन यह उसकी इच्छापर निर्भर है कि वह विनोबा भावेको सुने या न सुने।

परन्तु इसमें बहुत कुछ इस बातपर भी निर्भर होगा कि सरकार क्या

करना चाहती है। सविनय आज्ञा-भगको व्यक्तियोतक सीमित रखनेकी सारी कोशिशके बाद भी, और इस समय उसे केवल एक व्यक्तितक सीमित रखनेके बाद भी वह विनोवा भावेके भापणको सुनना अथवा उनके द्वारा लिखी गयी किसी चीजको पढना अपराव करार दे सकती है और इस प्रकार तत्काल एक संकटकी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। विनोवा भावेके साथ मैंने अनेक प्रकारकी योजनाओपर वातचीत की है। और हम अनावश्यक मतभेद और जोखिमको टालना चाहते है। मेरा विचार यह है कि सारी काररवाई इतने कडे अहिंसात्मक ढगसे की जाय जितनी कि मनुष्यसे सम्भव हो सकती है। एक व्यक्तिकी हिंसा, चाहे वह प्रच्छन्न हो या प्रकट, एक निश्चित सीमासे वाहर नही जा सकती परन्तु उस सीमामे वह प्रभावपूर्ण हागी। जिनका अहिंसामे विश्वास नही है उनके द्वारा एक व्यक्तिकी अहिंसात्मक कार्यवाहीका तिरस्कार हो सकता है या उसका उपहास हो सकता है। वास्तवमे जहाँ एक निश्चित हिंसात्मक कार्यका प्रभाव अंकगणित की नियम संख्याकी भाँति कम किया जा सकता है वहाँ एक अहिंसात्मक क्रियाका प्रभाव सारी गणनाको एक चुनौती देता है। यह देखा गया है कि उसने वहुतोको गलत सावित कर दिया है और उसे ठीकसे न समझ सकनेके कारण वे लोग संकटमे पड गये है। मै विना मिलावटकी अहिंसाका उदाहरण कवतक पेश कर सकूँगा, यह देखना है।

१७ अक्तूवर १९४० को श्री विनोवा भावेने वर्धाके निकटवर्ती गाँव पौनार-मे एक युद्ध-विरोधी भापणके द्वारा, पवित्रता और गाम्भीर्यके साथ व्यक्तिगत सत्याग्रहका उद्घाटन किया। इसके वाद वे तीन दिनतक एक गाँवमे दूसरे गाँव-तक घूमते रहे और भापण करते रहे। २१ अगस्तको उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको तीन मासका कारावास दंड सुना दिया गया।

सरकारने समाचार-पत्रोको कडी हिदायत दी कि वे विनोवा भावेकी गति-विधियोके सम्वन्धमे कोई प्रचार-कार्य न करे। १८ अक्तूवरको 'हरिजन' के सम्पादकको एक नोटिस मिली जिसमे उसको यह सलाह दी गयी थी कि वह मुख्य प्रेस सलाहकार (चीफ प्रेस एडवाइजर) की पूर्व अनुमतिके विना सत्याग्रह या उसकी परवर्ती वढी हुई स्थिति सम्वन्वी किसी घटनाका विवरण प्रकाशित न करे।

७ सितम्वरके 'हरिजन' मे मोटे अक्षरोमे पाठकोसे विदा मागी गयी और उनसे 'नमस्कार' कर लिया गया। गाधीजीने लिखा "प्रति सप्ताह मै आपके साथ जो वातचीत कर लिया करता था, वह अव न कर सकूँगा। आप भी मेरी

वार्ताओंसे चूक जायगे। मेरी वार्ताएँ मेरे गहनतम विचारोंका एक विश्वस्त लेखा है और उसीमें उनका मूल्य निहित है। एक दबे हुए वातावरणमें इस प्रकारकी अभिव्यक्ति सम्भव नहीं है। मेरी इच्छा सविनय आज्ञा भंग छेड़नेकी नहीं है। अब मैं मुक्त रूपसे नहीं लिख सकूँगा। सत्याग्रहके एक कर्त्ताके रूपमें केवल अनुमति मिलने योग्य विषय जैसे रचनात्मक कार्यक्रमपर विचार लिख सकनेके लिए मैं अपनी भावनाओंके साथ अपनी अंतरात्माको नहीं दबा सकता। यह तो वैसी ही बात होगी कि सिरको छोड़कर पूछको पकड़ लिया जाय। मेरे निकट सम्पूर्ण कार्यक्रम अहिंसाकी एक अभिव्यक्ति है। यदि मैं अहिंसाकी व्याख्या न कर सकूँ तो मेरे लिए यह स्वयको अस्वीकार करना होगा क्योंकि इसका अर्थ यह होगा कि मैंने अध्यादेशोंके आगे अपनेको समर्पित कर दिया। इसलिए जबतक यह चुनौती चल रही है तबतक पत्रोंका प्रकाशन स्थगित हो रहेगा। उसमें उस चुनौतीके आगे एक सत्याग्रहीका सम्मानपूर्ण विरोध निहित है।

श्री विनोबा भावेके सत्याग्रहके समाचारको देनेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँके पख्तून का प्रकाशन भी स्थगित कर दिया गया।

विनोबाजीके बाद पं० जवाहरलाल नेहरूने अपनेको दूसरे स्वयसेवकके रूपमें पेश किया। नियमके अनुसार उनका अधिकारियोंको सूचना देनेके पश्चात ७ नवम्बरको अपना सत्याग्रह प्रारम्भ करना था लेकिन वे ३१ अक्तूबरको उस समय एक रेलवे स्टेशनपर गिरफ्तार कर लिये गये जब कि गांधीजीसे मिलनेके बाद वे वर्धासे लौट रहे थे। गांधीजीने अपने एक पत्रमें सरदार पटेलको लिखा ... इस समय केवल उन्हीं लोगोंको जेल जाना है जिन्हें मैंने चुना है। यदि सरकार मुझको गिरफ्तार नहीं करना चाहती तो मैं शेष सबको सरकार उनमेंसे अधिकसे अधिक जितने लोग चाहती हो भेज दूँगा। यदि मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो ईश्वर इस आन्दोलनका निर्देशन करेगा।

नवम्बरके मध्यमें एक अभियान शुरू हुआ जिसको कि गांधीजीने 'प्रतिनिधियों का सत्याग्रह' कहा। इसमें कांग्रेस कार्यसमिति अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और केन्द्रीय तथा विधान-मण्डलोंमेंसे स्वयसेवक चुने गये। बहुतसे कांग्रेसजन जिनमें कार्य मुक्त मंत्री भी शामिल थे सड़कोंपर निकल आये। उन्होंने नारे लगाये। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनको एक वर्ष या इससे अधिक अवधिका कारावास दण्ड दिया गया। सरदार पटेलने सरकारको अपने सत्याग्रहकी सूचना भेज दी थी। उनको १७ नवम्बरको गिरफ्तार कर लिया गया और भारत सुरक्षा कानूनके अन्तर्गत उनके ऊपर रोक लगा दी गयी। कांग्रेसके

अध्यक्ष मौलाना आजादको नववर्ष दिवसके सायंकाल वन्दी कर लिया गया। उनको अठारह महीने कैदकी सजा दी गयी। एक-एक करके कांग्रेसके सारे प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये।

सैकडो सत्याग्रहियोने इन शब्दोको साथ-साथ दुहराया, "जन या धनसे ब्रिटिश युद्ध-प्रयासमे सहायता देना एक गलत चीज है। सही चीज यह है कि सविनय आज्ञा-भंगके जरिये सारे युद्धोका विरोध किया जाय।" सन् १९४१ के जनवरी मासतक चालानोकी संख्या वढकर लगभग २,२५० हो गयी। इनमे ऐसे भी काफी मामले थे जिनमे कारावास दण्डकी जगह जुर्मानेकी सजा दी गयी थी। हर एक प्रदेश, दूसरे प्रदेशसे दो वातोमे भिन्न था—आन्दोलनका विस्तार और उसको सचालित करनेका ढंग। सयुक्त प्रदेशमे आन्दोलनका सबसे अधिक जोर था और कुल संख्याकी लगभग आधी गिरफ्तारियाँ वही हुई थी। इस आन्दोलन मे पश्चिमोत्तर सीमा-प्रदेश सवसे कम प्रभावित हुआ था यद्यपि खान अब्दुल गफ्फार खाँ वहाँ काफी सक्रिय थे। डा० खान साहबको पुलिस द्वारा पकड लिया गया और उनको अपने घर ले जाया गया। बङ्गालमे अधिकाश सत्याग्रहियोको खुला घूमने दिया गया। २७ जनवरी १९४१ को यह सनसनीखेज खवर प्रसारित हुई कि श्री सुभाषचन्द्र वोस, अपने घरसे, जहाँ कि पुलिस उनकी वरावर निगरानी रख रही थी, सहसा गायव हो गये है।

सन् १९४१ के अप्रैल महीनेमे कांग्रेसके साधारण सदस्योकी भी स्वयंसेवको मे भर्ती कर ली गयी। इसका फल यह हुआ कि सत्याग्रहियोकी सख्या एकदम वढ गयी। गर्मीके वीचतक २०,००० से भी अधिक चालान किये जा चुके थे। एक समय १४,००० से भी अधिक सत्याग्रही जेलमे थे।

भारतके सभी दलोने इस राजनीतिक गतिरोधका प्रवल विरोध किया। सर तेजवहादुर सप्रूने इस वातकी भरसक चेष्टा की कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगके वीच एक समझौता हो जाय लेकिन मि० जिनाका रुख वहुत कडा था। मि० जिनाने सत्याग्रहके इस अभियानको कांग्रेसकी मागे स्वीकार करनेके लिए ब्रिटिश सरकारपर डाले गये एक दवावकी सज्ञा दी। गाधीजीने श्री सप्रूसे शिकायत करते हुए कहा : "मेरा अपना खयाल यह है कि मि० जिना तवतक कोई समझौता नही करना चाहते जवतक कि वे मुस्लिम लीगकी स्थितिको इतना ठोस नही वना लेते कि वे शासकोके सहित सभी सम्वन्धित राजनीतिक दलोसे अपनी शर्ते मनवा सके।"

जून महीनेके मध्यमे, जब कि जर्मनीने सोवियत रूसपर आक्रमण किया,

अन्तर्राष्ट्रीय स्थितिमें एक और भी परिवर्तन आ गया। जुलाईमें वाइसरायकी कार्यकारी परिषदका विस्तार और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषदकी स्थापनाकी घोषणा कर दी गयी।

दिसम्बर १९४१ में यह अत्यन्त स्पष्ट हो गया कि भारतकी राजनीतिक स्थितिको सुधारनेके लिए अविलम्ब कुछ निश्चित कदम उठाना आवश्यक है। जर्मनी सोवियत रूसमें बड़ी दृढ़ताके साथ बढ़ता जा रहा था और जापानने हिन्द-चीनमें अपने शिविरोंको काफी मजबूत बना लिया था। यह युद्ध महासागरमें अंतिम गोता लगानेकी तैयारियाँ कर रहा था। भारतके विशाल साधनों और जन-शक्तिको युद्धके कार्यमें प्रवृत्त करना एक तात्कालिक सैनिक आवश्यकता बन गया था। ३ दिसम्बरको ब्रिटिश सरकारने समझौतेका और एक इशारा किया।

भारत सरकार इस उत्तरदायी और दृढ़ संकल्पपर विश्वास करती है कि जब तक विजय नहीं मिल जाती तबतक उसे युद्ध प्रयासमें निरन्तर सहायता दी जायगी। वह इस निष्कर्षपर पहुँची है कि सविनय आज्ञाभंगकारियोंको, जिनका अपराध औपचारिक या प्रतीकात्मक रहा है, रिहा किया जा सकता है। इनमें पण्डित नेहरू और मौलाना आजाद भी शामिल हैं।

महात्मा गांधीने लिखा : 'जहाँतक मेरा सम्बन्ध है, यह मेरे मनकी वीणाके एक भी तारको झंकृत न कर सका और न मेरे निकट कोई बढ़ ही पा सका। भारत जिस स्वाधीनताकी माँग रहा है वह एक गुलामकी आजादी है, एक बरा बरीके आदमीकी नहीं जिसे कि दूसरे शब्दोंमें पूर्ण स्वतंत्रता कहा जाता है। यदि भारत सरकार इस उत्तरदायी दृढ़ संकल्पपर विश्वास करती है कि जबतक उसे विजय नहीं मिल जाती तबतक उसे युद्ध प्रयासमें निरंतर सहायता दी जायगी तो इसका तर्कयुक्त निष्कर्ष यह है कि शासनको सविनय अवज्ञाके बंदियोंको, जो कि उसके रास्तेमें एक बाधा खड़ी करते हैं, अपनी निगरानीमें ही रखना चाहिए। ऐसी स्थितिमें मैं इस रिहाईका यह अर्थ निकाल सकता हूँ कि सरकार स्वयं अपनाये गये जेलके एकान्तमें कैदियोंके मनके परिवर्तनकी आशा कर रही है। मैं यह आशा करता हूँ कि सरकारका यह भ्रमजाल शीघ्र ही टूट जायगा।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँके रचनात्मक कार्यकी सराहना करते हुए गांधीजीने निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया :

इस अमानुषिक अग्निकाण्डमें, जो कि शस्त्रोंमें विश्वास रखनेवाली विश्व शक्तियोंको अपनेमें लपेटे है, यह विचार मात्र मनको स्वस्थ करता है और उसे ऊँचा उठाता है कि यहाँ बादशाह खान जैसे लोग मौजूद हैं। ये विश्व शक्तियाँ

तो यह भी नही जानती कि वे किस लिए लड रही है ? बादशाह खान, जो कि खुदाई खिदमतगारोमे पहले व्यक्ति है, शातिके हेतुको लेकर कार्य कर रहे है और स्वाधीनताके आन्दोलनमे भाग लेनेके लिए अपनेको अहिसात्मक साधनो द्वारा सज्जित कर रहे है, ताकि वे अपना अधिकसे अधिक प्रभाव डाल सकें।

"उनका अहिसापर अडिग विश्वास है, हालाँकि उसकी सभी मशा उनके आगे अभी स्पष्ट नही है। खुदाई खिदमतगारोको अहिसात्मक प्रशिक्षण देनेके लिए वे पिछले कुछ मासोसे छोटे-छोटे शिविर चला रहे है, लेकिन नवम्बरके तीसरे सप्ताहमे उन्होने एक बडे शिविरका आयोजन किया जिसमे उन्होने पंजाव, कश्मीर और बलूचिस्तानसे अपने पडोसी कार्यकर्त्ताओको आमन्त्रित किया। चरखा एक आवश्यक क्रिया-कलाप था। वहाँ नित्य ३०० से भी अधिक चक्र घूम-घूमकर अपना कार्य करते थे। उन लोगोको धनुष-तकलीसे भी परिचित कराया गया। वह सब लोगोको वेहद पसन्द आयी। इसके दो कारण है, एक तो वह सस्ती पडती है और दूसरे किसी भी गाँवमे उसे वडी आसानीके साथ तैयार किया जा सकता है। स्वयंसेवकोने आस-पासके गाँवोमे सफाईका काम किया। उन लोगोके लिए व्याख्यानोका भी आयोजन किया गया था। इन भाषणोमे अहिसाका अर्थ स्पष्ट किया गया था और युद्धमे भाग न लेनेकी आवश्यकता बतलायी गयी थी।

"शिविरमे पारित एक प्रस्तावमे कबाइली लोगोसे यह अपील की गयी थी कि वे अहिसक बनकर शान्तिपूर्ण जीवन बिताये। इस प्रस्तावकी प्रतियाँ उन कबाइली लोगोमे बांटनेके लिए छापी गयी थी जो कि ब्रिटिश इलाकेमे आ गये थे।

"गाँवोमे स्वच्छताका कार्य पूर्ण व्यवस्थित ढंगसे किया गया। स्वयसेवक अपनी-अपनी झाड़ू लेकर कई टोलियोमे बँट गये। उन्होने पुलिस थानोको भी सफाई करनेसे नही छोडा। वहाँके अधिकारियोने स्वयसेवकोकी सेवाको आभार सहित स्वीकार किया।

"इस प्रकार सात दिनतक, १६ नवम्बरसे २२ नवम्बरतक यह शिविर चलता रहा। उनमे बीस हिन्दू और दो महिलाएँ भी थी। बादशाह खानने मुझे लिखा था कि यदि मै आवश्यक समझूँ तो किसीको शिविरमे भेज दूँ। उनका मतलब शिक्षकोसे था। जिनको मै उन्हे पूर्ण सन्तोष दे सकने योग्य व्यक्ति समझता था, ऐसे दो आदमी मैने उनके पास भेज दिये। यद्यपि बादशाह खान बीमार थे फिर भी उन्होने प्रत्येक क्रिया-कलापमे भाग लिया। शिविर बहुत सादे ढंगसे आयोजित किया गया था। वहाँ नौकर नही थे। एक डाक्टरने अपनी

इच्छासे शिविरको अपनी सेवाएँ अर्पित की जो कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। बहुतसे लोग मलेरियासे बीमार पड गये थे। सरकारकी ओरसे भी कुछ दवाइयो के साथ एक डाक्टर भेजा गया था।

शिविरमें भोजनकी व्यवस्था इस प्रकार रखी गयी थी प्रात ७ ४५ परी चाय और नान दोपहरको बारह बजे दाल और सब्जीके साथ गेहू और मक्का की रोटी और शामको ७ बजे भी वही।

शिविरमे पूरे सीमाप्रातसे लगभग ५०० प्रतिनिधि और अतिथि एकत्रित हुए थे। उनको छोटे छोटे तम्बुओंमे ठहराया गया था जिनमे जनानेके पर्दे नही थे। इस शिविरको चलानेमें लगभग १५०० रुपये खर्च हुए। काग्रेसजन और अन्य लोग इस शिविरकी सादगी मितव्ययिता और व्यवस्थाका लाभदायक अनुकरण कर सकते है।'

चौदह मासकी अवधिमे २५ ००० से भी अधिक सत्याग्रहियोने जल-यात्रा की। ४ दिसम्बर १९४१ को भारतभरमे समस्त सत्याग्रहियोको रिहा कर दिया गया।

गाधीजीने कहा सबको यह जान लेना चाहिए कि किन्ही बाह्य आधारो पर मुल्की सविनय आज्ञा भग स्थगित करनेका कोई अधिकार नही है। यह काम केवल काग्रेस कर सकती है। व्यक्तिगत रूपसे मेरे आगे पसन्दगीका कोई प्रश्न नही है। मने सकटके इस क्षणमे शान्तिकी शपथ ग्रहण की है और इस नाते अपने युद्ध विरोधी कार्यक्रम स्थगित करना स्वयका अस्वीकार करना होगा। भले ही हमें गलत समझा जाय या हमारे ऊपर बडेसे बडा सकट आये उन सब लोगोके लिए जो मेरे ढगसे सोचते है यही उचित होगा कि हम अपने विश्वासको अपने कार्यके द्वारा व्यक्त करें। हम यह आशा करें कि जिस रक्तस्नानने मानवको उसके सबसे निचले स्तरतक उतार दिया है उससे बचनेके लिए युद्ध करनेवाली सारी शक्तियोको अन्तमे हमारे ही रास्तेपर आना होगा।

भारत छोड़ो

१९४१-४५

२३ दिसम्बर १९४३ को वारडोलीमे, जहाँ कि गाधीजी विश्राम कर रहे थे, कार्यसमितिकी वैठक हुई। पिछली वैठकको हुए एक वर्पसे भी अधिक समय बीत चुका था। इस अवधिमे स्थितिने बढकर जो रूप ले लिया था, उसपर विचार-विनिमय करनेके लिए इस वैठकको वुलाया गया था। जापानके युद्धके सागरमे उतर आनेसे एक संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हो गयी थी और कार्य-समितिके लिए इस आपत्कालीन स्थितिको एक यथार्थवादी दृष्टिकोणसे देखना जरूरी हो गया था। एक सप्ताहके विचार-विनिमयके पश्चात् कार्यसमितिके सदस्य इस निर्णयपर पहुँचे

"ब्रिटिश शासनके प्रति भारतमे एक विरोध और अविश्वासकी पृष्ठभूमि बन चुकी है और भविष्यके दूरगामी आश्वासन भी इस पृष्ठ-भूमिको वदल सकनेमें समर्थ नही है। भारतीय जनता अपनी अन्त प्रेरणासे या स्वेच्छासे उस अहंकारी साम्राज्यवादको सहायता नही दे सकती है जो कि फासिस्ट प्राधिकारवादसे भिन्न नही है। इसलिए समितिकी यह राय है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका वह प्रस्ताव अपनी जगह स्थिर है जो कि १६ सितम्बर १९४० को बम्बईमे पारित हुआ था। वह अब भी काग्रेसकी नीतिको यथावत् प्रकट करता है।"

कार्यसमितिने रचनात्मक कार्यक्रमके महत्त्वपर वल दिया और गाधीके नेतृत्व के प्रति एक आदरपूर्ण आस्था प्रकट की। देशने रचनात्मक कार्यक्रमकी जिस ढंगसे कद्रदानी की थी, उसपर उसने एक संतोप व्यक्त किया। लेकिन गाधीजी अब नेता नही रह गये थे। उन्होने राष्ट्रपति मौलाना आजादको अपने एक पत्रमे लिखा

"विचार-विनिमयके वीच मैने यह पाया कि वम्बईके प्रस्तावकी व्याख्या करते हुए मुझसे एक गम्भीर भूल हो गयी है। मैने उसकी इस अर्थमे व्याख्या की थी कि काग्रेस अहिंसाके आधारपर इस युद्धमे या और युद्धमे शामिल होनेसे इनकार कर रही है। मुझे यह देखकर अत्यत आश्चर्य हुआ कि अधिकाश सदस्य मेरी इस व्याख्यासे सहमत नही है। उनकी राय यह है कि यह विरोध अहिंसाके आधारपर नही होना चाहिए। वम्बईके प्रस्तावको पुन. पढनेके पश्चात् मैने यह

देखा कि युद्धसे भिन्न राय रखनेवाले सदस्य सही है और मैने उस प्रस्तावमें जो आशय देखा, वह वास्तवमें उसमें नही है। इस भूलको जान लेनेके बाद मेरे लिए यह असम्भव हो गया है कि मैं युद्धके सन्दर्भमें कांग्रेसके विरोधके इस संघर्षका नेतृत्व कर सकूँ, उस आधारपर जिसके लिए अहिंसा आवश्यक नही है।[1] उदाहरणके लिए मैं स्वयं किसी दुर्भावनाके आधारपर युद्धमें ग्रेट ब्रिटेनका विरोध नही कर सकता। प्रस्तावके अनुसार ग्रेट ब्रिटेनको युद्धके प्रयासमें साधनोका सहयोग दिया जा सकता है लेकिन इस मूल्यपर कि वह भारतको स्वाधीनता देनेका एक निश्चित आश्वासन दे। यदि मेरा यही दृष्टिकोण होता तो मैं स्वतंत्रता पानेके लिए हिंसाके प्रयोगपर विश्वास करता और इतनेपर भी, स्वाधीनताकी कीमत पानेपर भी यदि मैं युद्धके प्रयासमें भाग लेनेसे इनकार कर देता तो यह मेरा एक देशभक्तिहीन आचरण होता और मैं उसके लिए अपनेको अपराधी समझता। मेरा यह एक निश्चित विश्वास है कि केवल अहिंसा ही भारत और विश्वको इस आत्म विनाशसे बचा सकती है। मैं अकेला रह जाता या कोई संस्था या व्यक्ति मुझको सहायता देता, मैं अपने मिशनको अवश्य ही चालू रखता। इसलिए कृपया मुझे जिम्मेदारीसे मुक्त कीजिए जो कि बम्बईके प्रस्ताव द्वारा मुझपर डाली गयी है। मैं सारे युद्धोंके खिलाफ वाणीकी स्वतंत्रताके लिए अवश्य ही सविनय आज्ञा भंग करूँगा। मेरे साथ अन्य कांग्रेसजन और अन्य व्यक्ति होंगे जिनको कि मैं चुनूँगा। वे अहिंसापर आस्था रखनेवाले व्यक्ति होंगे और उसकी सारी निर्धारित शर्तोंको स्वीकार करनेको स्वेच्छापूर्वक तैयार होंगे।"

बारडोलीके प्रस्तावपर टिप्पणी करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, "मुझको यह मान लेना चाहिए कि मैं एक राजनीतिज्ञ नहीं हूँ। मैं कानूनी बातोंको भी नहीं समझता। कूटनीतिके बारेमें मैं कुछ भी नही जानता। मैं कार्यसमितिमें हूँ क्योंकि मेरे दोस्त मुझे इसमें चाहते है। मैं भारतकी स्वाधीनता चाहता हूँ और मेरे निकट अहिंसा एक नीति नही बल्कि एक शाश्वत धर्म है। मेरे विचारसे यह एक अकेला धर्म है जो पठानोंको गुलामी और आत्म विनाशसे रक्षा करेगा। मेरे निकट सक्रिय अहिंसा भारतकी मुक्तिकी कुंजी है इसलिए मेरे लिए इस युद्धमें या किसी भी युद्धमें भाग लेनेका कोई प्रश्न नहीं है।

बम्बईकी एक सार्वजनिक सभाको सम्बोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने बारडोलीके प्रस्तावका उल्लेख किया और सक्रिय अहिंसाके मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि अहिंसाका आप लोगोंको तभी भान हो सकता है जब कि आप यह समझ लें कि हिंसाके बलके लिए जितने उपकरण जितने

अनुशासन और जितना प्रशिक्षण आवश्यक है उतना ही अहिंसात्मक बलके लिए भी अनिवार्य है। अहिंसाका मार्ग मानवताका मार्ग और मानवकी स्वतंत्रताका मार्ग है। खान अब्दुल गफ्फार खॉने लोगोसे यह अपेक्षा की कि वे इस दृष्टिसे अहिंसाके सम्बन्धमे विचार करेगे और इस हिंसायुक्त विश्वमे अपना ध्यान इस विषयपर केन्द्रित करेगे। कोई भी अपने विचारोमे हिंसा रखते हुए अहिंसाको कार्यरूपमे ग्रहण नही कर सकता। यह सोचना ही गलत होगा कि हम हिंसात्मक साधनोका आश्रय लेकर एक ऐसे समाजकी स्थापना कर सकेगे जो कि अहिंसापर आधारित होगा। क्योकि हिंसा, हिंसाको ही जन्म देती है।"

'बॉम्बे क्रॉनिकल'के पत्र-प्रतिनिधिने जब उनसे भेंट की तब उन्होने कहा "पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तके देहाती क्षेत्रोंमे, जहाँ कि बलिष्ठ पठान बसते है, कांग्रेस-ने अहिंसा और चरखेके सन्देशको प्रसारित किया है। इसके कारण उन लोगोमे बडी तेजीके साथ एक परिवर्तन आ रहा है। खुदाई खिदमतगार और विशेषतया जिरगा समितियोके प्रशिक्षित कार्यकर्ता दूरवर्ती गाँवोमे भी इस सन्देशको प्रसारित कर रहे है। जिरगा समितियाँ वास्तवमे कांग्रेस समितियाँ ही है जो केवल नामकी दृष्टिसे अलग है। चरखेका उन देहाती क्षेत्रोके किसानो द्वारा विशेष रूपसे स्वागत हुआ है जिसमे नहरोके अभावमे सालमे नौ महीनेतक खेतीका काम ठप-सा पडा रहता है। उन क्षेत्रोमे भी, जहाँ कि नहरके जलकी पर्याप्त सुविधाएँ है और जहाँ किसान खेतीके कार्यमे सालके अधिकाश समय व्यस्त रहता है, अतिरिक्त आयके एक साधनके रूपमे चरखेका स्वागत हुआ है।"

खुदाई खिदमतगार और अन्य कार्यकर्त्ता ग्रामीणोको केवल चरखेका उपयोग ही नही बतलाते थे बल्कि उनको स्वच्छ रहनेकी शिक्षा भी देते थे। वे उन्हे विश्वकी घटनाएँ बतलाते थे ताकि उनमे एक जागति आ जाय।

कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रमको लोकप्रिय बनानेके लिए, यह महान् आन्दो-लन सीमा-प्रान्तमे कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ किया गया था परन्तु अबसे लगभग तीन वर्ष पहले, जबसे विशेष रूपसे चुने हुए कांग्रेसजनोके ग्रामोत्थानके प्रशिक्षण-की योजना प्रारम्भ हुई, इसे विशेष महत्त्व प्राप्त हुआ। कांग्रेस सस्थाके सैकडो कार्यकर्ता शिविरोमे प्रशिक्षण प्राप्त करनेके पश्चात् गाँवोमे गये और वे प्रदेशभरमे फैल गये।

इन शिविरोका उद्देश्य कार्यकर्ताओको उस कार्यका एक स्पष्ट और व्यावहारिक ज्ञान कराना था जिसकी कि उनसे गाँववालोके बीचमे अपेक्षा की जाती थी। गाँवोमें सैकडो प्रशिक्षण-केन्द्र खुल गये। शिविरोकी तीन श्रेणियाँ थी—तालुका

शिविर, जिला शिविर और प्रदेश शिविर। प्रत्येक तालुका शिविरमें ७०, प्रत्यक जिला शिविरमें लगभग २०० और प्रत्येक प्रदेश शिविरमें लगभग ५०० कार्यकर्त्ताओंको प्रवेश दिया गया था। प्रशिक्षणका यह काम एक सप्ताहतक चलता था। इसके पश्चात कार्यकर्त्ताओंको अलग-अलग शिविरोंमें भेज दिया जाता था जहाँ कि वे अवैतनिक रूपमें सेवा-कार्य करते थे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँसे प्रश्न किया गया कि इतने विशाल संगठनका क्या कोई कोष भी रहता था? उन्होंने उत्तर दिया कि वास्तवमें उनके यहाँ कोष या फण्ड जैसी कोई चीज न थी। प्रत्येक शिविरका खर्च खुदाई खिदमतगार और शिविरके अन्य कार्यकर्त्ता बर्दाश्त करते थे। प्रान्तके धनी वर्गके व्यक्ति चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान यहाँतक कि बौद्धिक वर्गके लोग भी देश हितकी इन प्रवृत्तियोंमें कोई दिलचस्पी नहीं रखते थे।

प्रशिक्षणके लिए स्वयंसेवकोंका चुनाव बड़ी सावधानीके साथ किया जाता था। उनके लिए नियमित रूपसे चर्खा कातना आवश्यक था। जिस आन्दोलनमें वे भाग लेने जा रहे थे उसके सिद्धान्तोंको समझनेके लिए उनके लिए अहिंसा पर सच्चा विश्वास होना आवश्यक था। एक स्वयंसेवकके नाते उनसे यह अपेक्षा भी की जाती थी कि वे गाँवोंमें सफाईका कार्य करेंगे, गाँववालोंको स्वच्छताके तरीके बतलायेंगे, घर घर जाकर कताईकी शिक्षा देंगे, अपने दैनिक जीवनमें अहिंसाका अभ्यास करेंगे और गाँववालोंको भी अहिंसाके सिद्धांत समझायेंगे।

बहुत तड़के ही स्नानादिके पश्चात, प्रार्थनाके साथ शिविरका दैनिक जीवन प्रारम्भ हो जाता था। सबसे पहले हाजिरी ली जाती थी। जो स्वयंसेवक हाजिरी के समय अनुपस्थित होता था उसको इसके लिए दण्ड दिया जाता था। यह दण्ड अतिरिक्त कताईके रूपमें या चक्कीपर अन्न पिसवानेके रूपमें दिया जाता था। शिविरका कमाण्डर कभी उनका दूरतक जाकर लौटनेकी या अपने सोनेके सामान का गोफन कंधेपर लादकर आने-जानेकी सजा भी देता था।

शिविर-कालमें स्वयंसेवकोंको लगभग बीस मिनटतक शारीरिक व्यायाम भी कराया जाता था। इसके बाद स्वयंसेवक पाँच या छः व्यक्तियोंके एक जत्थे के रूपमें पासके गाँवोंमें भेजे जाते थे। प्रत्येक दलके साथ उनका एक नेता होता था जो गाँववालोंको चर्खा कातकर दिखलाता था। गाँवोंकी स्त्रियोंको भी सफाईके तरीके बतलाये जाते थे।

गाँवोंमें दो घंटे बिताकर स्वयंसेवक खुदाई खिदमतगार आन्दोलनके सिद्धान्तोंपर भाषण सुननेके लिए शिविरोंमें लौट आते थे। इसके बाद उनको तीन

घंटेका अवकाश दिया जाता था, जिसमे कि वे भोजन तथा विश्राम करते थे और नमाज पढते थे। इस मध्यान्तरके पश्चात् प्रत्येक स्वयंसेवक कुछ समयतक कताई करता था। संध्याके समय इन शिविरोमे गाँवोंके लोगोको भी आमंत्रित किया जाता था। इस आयोजनमें स्वयंसेवक दर्शकोके आगे भाषण करते थे। यह उनके शिक्षात्मक प्रचारका एक ढंग था।

"शिविरमे सबसे अंतमें ध्वज-वन्दनका कार्यक्रम रहता था। खुदाई खिदमतगार इसमे अपनी वर्दी पहनकर सम्मिलित होते थे। रातके समय शिविरवासियोके लिए भाषणोका कार्यक्रम चलता था। उसमे स्वयसेवकोंको यह भी बतलाया जाता था कि सच्चा धर्म क्या है? शिविरके स्वयंसेवक रातको दस बजे सोनेके लिए चले जाते थे। इससे पहले उनकी हाजिरी ली जाती थी।"

शिविरके भोजनके बारेमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने बतलाया कि वह बहुत सादा किस्मका होता था। सवेरेके समय केवल चाय दी जाती थी और नान (रोटी) के साथ सब्जी या दाल या मक्खन दिया जाता था। कार्यकर्त्ताओके आरामके लिए शिविरोमे खाटोकी कोई व्यवस्था नही की जाती थी। वे सब भूमिपर ही सोते थे।

प्रशिक्षणके लिए भेजे जानेवाले स्वयंसेवकोका चुनाव खुदाई खिदमतगारोके कमाण्डर किया करते थे और अन्य काग्रेसजनोके लिए यह काम जिरगाके सुपुर्द रहता था।

खान अब्दुल गफ्फार खाँसे यह प्रश्न किया गया कि क्या पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्तमे काग्रेस मंत्रिमंडलने जो योजनाएँ हाथमे ली थी उनमे कुछ प्रगति हुई? खान अब्दुल गफ्फार खाँने इस प्रश्नके उत्तरमे कहा कि काग्रेस मंत्रिमंडलने जिन योजनाओको अपने हाथमें लिया था, उनमेसे अधिकाशको वर्तमान सरकारने बन्द कर दिया। शिक्षा-प्रसारकी काग्रेस मंत्रिमडल द्वारा प्रारम्भ की गयी योजना इसका एक सजीव उदाहरण है। उन्होने कहा कि शिक्षाकी दृष्टिसे पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त बहुत पिछडा हुआ है। काग्रेसके पद-ग्रहण करनेसे पहले उन बडे-बडे कस्बोमे भी, जिनकी आबादी दस हजारसे अधिक थी, कोई कन्या पाठशाला या कन्या विद्यालय न था। काग्रेस मंत्रिमंडलने एक योजना प्रारम्भ की थी जिसके अनुसार प्रत्येक गाँवमे प्रत्येक वर्ष जिलेमे लडकियोके लिए दो प्राथमिक पाठशालाएँ और लडकोंके लिए नौ खुलनेको थी। मन्त्रिमडलकी शिक्षा-प्रसारकी इस योजनाने लोगोमे एक उत्साह जाग्रत किया लेकिन वर्तमान शासनने इस योजनाको स्थगित कर दिया। इसका फल यह हुआ कि कांग्रेसके अपने पदसे हट जानेके बाद वहाँ

कोई प्राथमिक विद्यालय नहीं खुला।

सन १९४२ में जनवरी महीनेके बीचमें नयी स्थितिपर विचार करनेके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी एक बैठक हुई। बारडोलीके प्रस्तावपर चर्चा करते हुए कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादने कहा कि वे तथा कार्यसमितिके अन्य बहुतसे सदस्य गांधीजीके इस निर्णयके पक्षमें नहीं हैं कि वे आधिकारिक रूपमें कांग्रेसके नेतृत्वका त्याग कर दें। गांधीजी अहिंसाके एक सैद्धांतिक आधारके रूपमें किसी भी युद्धमें भाग लेनेका विरोध कर रहे थे, जब कि और लोग राजनीतिक आधारपर उसके विरोधी थे। बारडोली प्रस्ताव कांग्रेसके पुनः स्पष्टीकरणके अतिरिक्त और कुछ न था। कांग्रेस और गांधीजीका बंधन अटूट था। केवल मृत्यु ही इसे तोड़ सकती थी।

कांग्रेस कार्यकारिणीको सम्बोधित करते हुए गांधीजीने कहा

मैं आप जैसा ही एक साधारण प्राणी हूँ। यदि ऐसा न होता तो मैं आपके साथ इस पिछले बीस वर्षोंसे काम न कर सकता। अहिंसा मेरे लिए एक धर्म, मेरे जीवनका एक श्वास है। अपनी साधारण नित्यकी बातचीतके अलावा मैंने कभी उसे इस रूपमें देशके सामने नहीं रखा अथवा इस उद्देश्यसे उसे किसीके भी सामने नहीं रखा। मैंने उसे कांग्रेसके आगे एक राजनीतिक पद्धतिके रूपमें रखा, जिसको कि राजनीतिक प्रश्नोंको सुलझानेमें काममें लाया जा सकता था। वह एक नयी एवं असाधारण प्रणाली हो सकती है परन्तु इस कारण ही यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी राजनीतिक दृष्टिसे उपादेयता नहीं है। एक राजनीतिक प्रणालीके रूपमें यह बदली जा सकती है, संशोधित की जा सकती है, इसमें तब्दीलियाँ की जा सकती हैं और इतना ही नहीं दूसरी प्रणालियोंको इससे प्राथमिकता भी दी जा सकती है। इसलिए यदि मैं आज आपसे यह कहता हूँ कि हमें अपनी नीतिको परिवर्तित नहीं करना चाहिए तो मैं यह एक राजनीतिक बुद्धिमत्ताकी दृष्टिसे कहता हूँ। यह एक राजनीतिक सूक्ष्मदृष्टि है। हमारे पिछले दिनोंमें यह हमारे लिए उपयोगी रहा है। इसने हमको स्वाधीनताकी ओर कदम बढ़ानेकी सामर्थ्य दी है। एक राजनीतिक व्यक्तिके रूपमें मैं आपको यह सुझाव दूँगा कि इसे त्याग देनेका विचार एक गलती होगी। यदि मैं इन पिछले दिनोंमें कांग्रेसको अपने साथ लेकर चल पाया तो केवल अपनी एक राजनीतिक प्रणाली होनेकी क्षमताके कारण। मेरी प्रणालीको धार्मिक कहना शायद ही उचित होगा क्योंकि यह नया है

अहिंसाने आज हमें स्वराज्यके इतने निकट ला दिया है जितने कि पहले

हम न थे। यदि हमे अहिंसाको स्वराज्यसे बदलना पड़े तो भी हम ऐसा करनेका साहस नही करेंगे क्योकि बिना अहिंसाके हमे जो स्वराज्य मिलेगा वह सच्चा स्वराज्य नही होगा। प्रश्न यह नही है कि हम स्वराज्यके बाद क्या करेंगे। सवाल यह है कि क्या हम इन स्थितियोंमे स्वराज्यको प्राप्त करनेके लिए अहिंसा-को त्याग सकते है? स्वाधीनताका कार्य मेरे लिए यह है कि वह सबसे दलित और निर्धन वर्गकी स्वाधीनता हो। युद्धमे सम्मिलित होनेसे वह हमको नही मिल सकती। पूर्ण स्वराज्यकी उपलब्धिसे पहले काग्रेसके लिए किसी भी युद्धमें सम्मि-लित होना अपने विगत बीस वर्षके कामपर पानी फेर देना होगा।

"फिर भी मै आपके आगे इस प्रस्तावको स्वीकार करनेका समर्थन करनेको क्यो खड़ा हूँ? मै यहाँतक नही चाहता कि इस प्रस्तावपर सदनमे दो रायें हो। इसका कारण यह है कि यह प्रस्ताव काग्रेसके सोचनेकी दिशा व्यक्त करता है। निश्चित रूपसे यह कदम पीछे लौटना होगा। हमारे पास लिखनेके लिए कोई नयी तख्ती नही है। हमारे बुजुर्गोने एक कदम आगे रखा है। उसकी एक विश्व-व्यापी प्रतिक्रिया हुई है। प्रस्तावके स्वरूपको बदल देना उसकी उपेक्षा करना होगा। कार्यसमितिने जिस नीतिको अपनाया है, उसे बदल देना बुद्धिमत्ता नही होगी। ससारको यह सोचनेका अधिकार होगा कि कार्यकारिणीकी नीति आपके द्वारा समर्थित होगी। किसी समय मै अखिल भारतीय काग्रेस समितिमे इस विषय में मतभेद खडा करनेकी बात सोचता था लेकिन मैने यह देखा कि यह एक भूल होगी। यह एक हद दर्जेकी हिंसा होगी। अहिंसा इस तरहके साधारण ढंगसे अपना काम नही करती।

"कभी-कभी एक कदम पीछे लौटनेका अर्थ भी एक कदम आगे बढ जाना होता है। बहुत सम्भव है कि हमारा यह कदम भी इसी प्रकारका हो।

"काग्रेसने अब जो भी करनेका निश्चय किया है वह यह है कि वह विश्वको अपने आगे वे शर्तें रखने देगी जिन्हे कि विश्व ठीक समझता है। यदि कांग्रेसको वे शर्तें पसन्द आयेगी तो वह उनको स्वीकार कर लेगी। लेकिन यह बात निश्चित है कि काग्रेस आसानीसे माननेवाली नही है। जबतक उसको वास्तवमे वही वस्तु नही मिल जायगी जिसको वह चाहती है तबतक वह बार-बार 'यह नही, यह नही' को रटन लगाये रहेगी। इसलिए आप ठीकसे यह बतलाइए कि आप क्या चाहते है? और मै भी आपको यह बतलाऊँगा कि मै क्या चाहता हूँ। यह बतलानेके लिए ही कि मै क्या चाहता हूँ, मैने तीन साप्ताहिक पत्र प्रारम्भ किये है और तबतक मै पूरी आज़ादीके साथ अपने विचार व्यक्त ही करता रहूगा

जबतक कि मुझे उसकी इजाजत रहेगी। इस बीच यदि आपको अपनी मनोवांछित वस्तु मिल जाती है तो आप अपना सोंटा पटा सकते हैं। निश्चय मानिए मैं इस पर एक बूंद आंसू भी नहीं गिराऊंगा। मैं बिलकुल यह नहीं चाहूँगा कि इस प्रस्तावपर दुनियाको प्रसन्न करके उसे एक धोखा दिया जाय और न मैं यह चाहूँगा कि संसारकी दृष्टिमें भारतकी स्थिति उपहासास्पद हो जाय। मैं यह भी नहीं कहलाना चाहता कि मैंने नतृत्वको सुरक्षित रखनेके लिए आपने अपनी धारणाओंको तिलांजलि दे दी।

'कांग्रेसजनोंके लिए रचनात्मक कार्यक्रमके सम्बन्धमें कुछ निर्देश हैं। वे उसके एक सक्रिय अंशको पूरा करते हैं। आप उनको सविनय आज्ञा भंग या संसदीय कार्यक्रमकी जगह लेनेवाली एक चीज़, एक पर्याय समझ सकते हैं। सविनय अवज्ञाका एक विशेषज्ञ होनेके नाते मैंने उसे अपने लिए रोक लेना मुनासिब समझा है और यह अच्छा है। जबतक मैं जीवित हूँ या जबतक मैं मानसिक रूपमें उसे सुरक्षित रख सकता हूँ तबतक उसे मेरे लिए सुरक्षित रहना ही अच्छा है। मुझे यह सोचना अच्छा लगता है कि भारत अपनी अहिंसाके द्वारा सारे विश्वके लिए शान्तिका एक सन्देशवाहक बनेगा। राजनीतिक अहिंसातकमें इतनी सामर्थ्य है कि जिसकी हमें कल्पना नहीं है। हरिजन प्रति सप्ताह शांतिका सन्देश देता रहेगा। लेकिन यदि उसको इसकी अनुमति नहीं मिलेगी तो एक चिह्नके रूपमें वह सविनय आज्ञा भंग छेड़नेका समय होगा। मैं यह चाहता हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता रचनात्मक कार्यके लिए बाहर निकल पड़े। और यदि मेरे हाथसे मेरी कलम छीन ली जाती है तो मैं अकेला प्रतिरोध करनेवाला भी बन सकता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई निश्चित योजना नहीं है। घटनाओंका क्रम मुझे मेरा रास्ता दिखलायगा।

खान अब्दुल गफ्फार खान कार्य-समितिसे और आल इंडिया कांग्रेस कमेटीसे भी त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेसके अध्यक्ष मौलाना आजादने लिखा "कांग्रेसके रचनात्मक कार्यको आगे बढ़ानेके सम्बन्धमें मेरी खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँके साथ विस्तारसे चर्चा हुई। मुझे ऐसा लगा कि यदि खान साहबको कार्यसमितिकी सदस्यतासे मुक्त कर दिया जाता है तो वे इस उद्देश्यको अधिक अच्छे ढंगसे पूरा कर सकेंगे। उन्होंने इस बातपर बल दिया कि वे जीवनके सारे क्षेत्रोंमें अहिंसाके पूर्ण रूपमें विश्वासी हैं और इस मामलेमें गांधीजीके साथ उनका मतैक्य है।' अपने वक्तव्यमें अब्दुल गफ्फ़ार खाँने कहा यदि मैं उस कांग्रेसके पदसे अपनेको अलग कर लेता हूँ जिसकी नीति समय-समयपर आ खड़ी होनेवाली स्थितियोंके

कारण वदल सकती है तो मै अहिंसाके सन्देशको पठानोके मनतक पहुँचानेमे अधिक समर्थ होऊँगा। काग्रेसके साथ अवतक मेरे जो सम्वन्ध रहे हैं वे इससे और भी दृढ हो जायँगे।"

घटना-चक्र विजलीकी तेजोसे घूमता जा रहा था। एशिया और यूरोपमे प्रतिकूल स्थितिसे मित्र-राष्ट्रोको धक्का लगा। ७ मार्च १९४२ को रगूनका पतन हो गया। गाधीजीने लिखा "जापान हमारा द्वार खटखटा रहा है। हमे अपनी अहिंसात्मक पद्धतिसे इस समय क्या करना चाहिए ? यदि हमारा देश स्वतन्त्र होता तो अहिंसात्मक तरीकोसे जापानियोको इस देशमे प्रवेश करनेसे रोका जा सकता था। फिर भी, जैसी कि स्थिति है, उनके हवाई जहाजसे भूमिपर पैर रखने के क्षणसे ही अहिंसात्मक अवरोध प्रारम्भ किया जा सकता है।....

"अहिसाके लिए सवसे अच्छी तैयारी यह है कि एक दृढ संकल्पको लेकर रचनात्मक कार्यमे लग जाया जाय। अहिसाकी अभिव्यक्तिका भी यही सवसे अच्छा तरीका है।"'जिस व्यक्तिके मनमे रचनात्मक कार्यक्रमके प्रति आस्था नही है, मेरी रायमे, उसके मनमे लाखो भूखे मरते हुए लोगोके प्रति सहानुभूतिकी कोई ठोस भावना नही है और जो इस भावनासे वचित है, वह अहिंसात्मक तरीकेसे नही लड सकता।' मुझमे अहिंसाका जितना विकास हुआ है, उसने अपने और भूखी मानवताके वीचमे एक वरावर दूरी बनाये रखी है। मैं अभीतक अपनी अहिसाकी परिकल्पनासे वहुत दूर हूँ क्योकि क्या अभीतक मेरे और भूखी मानवताके बीचमे एक अतराल नही है ? क्या मैंने अपनेको उसके साथ एकात्म कर लिया है ?...

"जव रंगूनका पतन हो गया, तव ऐसा लगने लगा कि जापानकी जीतका ज्वार-भाटा शीघ्र ही वगाल और मद्रासको भी अपनेमे समेट ले जायगा। ११ मार्च सन् १९४२ को इंगलैण्डके प्रधान मत्री श्री विन्सेन्ट चर्चिलने यह घोपणा की की कि व्रिटिश वार कैविनेट भारतके लिए एक योजनापर सहमत हो गया है और सर स्टैफर्ड क्रिप्सको यह निश्चय करनेके लिए कि क्या इस योजनाको भारतकी उचित और व्यावहारिक आधारोपर स्वीकृति मिल सकेगी, भारत भेजा जायगा। इस प्रकार जापानके विरुद्ध सुरक्षाके लिए समस्त भारतीय विचार और शक्तियोको एकाग्र करनेकी अधिकसे अधिक कोशिश की जायगी।"

सर स्टैफर्ड क्रिप्स २२ मार्चको दिल्ली आ गये और उन्होने सभी वडी पार्टियोके नेताओसे वातचीत की। उन्होने एक पखवारेसे भी अधिक समयतक उन लोगोसे चर्चा की। नये प्रस्तावोमे विद्वेपपूर्ण रुकावट थी। इसके अनन्तर वे

मूल रूपमे भविष्यके ऊपर आधारित थे हालाँकि एक अतिम मद्दतावयमें वतमान को भी छुआ गया था और एक सन्देहके साथ वतमानमे सहयोगका आमत्रण दिया गया था। गाधीजीने सर स्टैफड क्रिप्ससे कहा 'यदि आपको यही देना था तो आपने यहाँ आनेका कष्ट ही क्यो किया ? म आपको यह सलाह दूगा कि आप सबसे पहले हवाई जहाजसे अपने घर जायें।' गाधीजीने अपना अभिमत व्यक्त करते हुए कहा सर स्टैफड क्रिप्सको यह मालूम होना चाहिए था कि कमसे कम काग्रेस डोमिनियन पदको ओर आँख उठाकर भी नही देखगी, हालाँकि वह उस जिस क्षण स्वीकार करगी उसी क्षण उसको ब्रिटेनसे अलग होनेका एक अधिकार प्राप्त हो जायगा। वे यह भी जानते थे कि इस प्रस्तावमें भारतका तीन खडोमें विभक्त करनेका विचार भी प्रकट हुआ है। इन खण्डोमेंसे प्रत्येकका शासन करने का अपना अलग-अलग तरीका होगा। इस प्रस्तावमे पाकिस्तानकी परिकल्पना का भी समावेश है यद्यपि वह मुस्लिम लीगकी परिकल्पनाका पाकिस्तान नही है और सबसे अतमे यह प्रस्ताव उत्तरदायी मत्रियोको सुरक्षापर वास्तविक नियत्रणका अधिकार भी नही देता।

२६ अप्रलके हरिजन में गाधीजीने भारतसे अग्रेजोके चले जानेपर जोर दिया। उन्होने कहा भारतकी इन तथाकथित सुरक्षाकी तयारियोंके पीछे मैं भारतकी स्वाधीनताकी एक झलक भी नही देखता। यह सब तो ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षाकी सीधी-सादी तयारियाँ है, भले ही इसके विपरीत कहा कुछ भी जाय। यदि अग्रेज भारतको उसके भाग्यपर छोडकर चले जाते है जसे कि उन्होने सिंगापुरको छोड दिया तो भारत इससे कुछ खोयगा नही। शायद जापानी भारत को अकेला छोड देंगे। यदि भारतके मुख्य राजनीतिक दलोने आपसके मतभेदो को दूर कर लिया और जसा कि वे शायद कर भी लेंगे तो भारत एक प्रभावशाली ढगसे शान्तिके पथपर चीनको अपना सहयोग देगा और भी सम्भव है कि वह विश्व शान्तिके प्रसारमे आगे चलकर एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाये। यदि अग्रेज भारतको उस समय छोडते हैं जब कि उनके आगे इसके अतिरिक्त और कोई चारा नही रह जाता तब यह भी सम्भव है कि ये सब आनन्ददायक बातें न हो। ब्रिटेनके लिए यह कितना श्रेयस्कर होगा और साथ ही कितना वीरतापूर्ण भी कि वह पश्चिममे निश्चिन्त होकर युद्धका सामना करे और पूर्वको उसकी अपनी स्थिति ठीक करनेको छोड दे।

अप्रलके अतिम सप्ताहमें श्री राजगोपालाचारीने मद्रास विधानसभाके काग्रेस समथक सदस्योंकी एक छोटीसी सभाको सम्बोधित किया। उस सभामें अखिल

भारतीय काग्रेस कमेटीके समक्ष रखनेके लिए दो प्रस्ताव पारित किये गये। उनमेसे एकमे काग्रेस और लीगके बीच हुए समझौतेके आधारपर पाकिस्तानको सिद्धात रूपमे स्वीकार करनेकी सिफारिश की गयी थी और दूसरे प्रस्तावमे यह कहा गया था कि मद्रासमे एक उत्तरदायी शासनकी पुन स्थापना की जाय।

२९ अप्रैलसे लेकर २ मईतक अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी बैठक हुई। उसमे मद्रासके प्रस्तावपर इतना रोप छा गया कि श्री राजगोपालाचार्यको कार्य-समितिकी अपनी सदस्यतासे त्यागपत्र दे देना पडा। इस प्रकार अपनेको मुक्त कर लेनेके पश्चात् मद्रास प्रस्तावको राजाजीने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीकी मीटिंगमे रखा। उसके पक्षमे मात्र १५ मत थे और विपक्षमे १२०। इस प्रकार यह प्रस्ताव गिर गया।

गाधीजीने वर्धासे कार्यसमितिके विचारार्थ एक प्रस्तावका प्रारूप भेजा। इस मुख्य प्रस्तावका, जो लगभग बिना विरोधके पारित हुआ, सार इस प्रकार है

"अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीको इस बातका विश्वास हो चुका है कि भारत अपनी निजकी शक्तिसे अपने बलको बनाये रख सकेगा और उसीके द्वारा वह उस बलको प्राप्त करेगा। वर्तमान सकट-स्थितिने और स्टैफर्ड क्रिप्ससे की गयी बातचीतने काग्रेसके लिए किसी भी ऐसी योजना या प्रस्तावपर विचार करना असम्भव कर दिया है जो कि ब्रिटेनके नियंत्रण या सत्ताको आशिक रूपमे ही बनाये रख सके। न केवल भारतके लिए बल्कि ब्रिटेनकी सुरक्षा और विश्वकी शाति और सुरक्षाके लिए भी यह आवश्यक है कि वह भारतके ऊपरसे अपनी पकड हटा ले। भारत ब्रिटेन या अन्य राष्ट्रोसे केवल एक स्वाधीन राष्ट्रकी हैसियतसे सम्बन्ध रखेगा। यह समिति इस बातको स्वीकार नही करती कि किसी बाह्य राष्ट्रके हस्तक्षेप या आक्रमणसे भारतको अपनी स्वाधीनता मिल सकती है। भले ही वह बाहरी राष्ट्र कोई भी दावा क्यो न करे। यदि कोई बाहरी आक्रमण होता है तो उसका निश्चित रूपसे विरोध किया जायगा। यह विरोध केवल सविनय आज्ञा-भगके रूपमे किया जा सकता है क्योकि ब्रिटिश सरकारने भारत-की जनताके लिए उसके राष्ट्रकी सुरक्षाका अन्य कोई मार्ग नही छोडा है। इस-लिए यह समिति भारतकी जनतासे यह आशा करती है कि यदि आक्रमण होगा तो वह आक्रमण करनेवाली शक्तिके आगे पूर्ण अहिंसात्मक असहयोग करेगी। वह उसे किसी प्रकारकी कोई मदद नही देगी। हम आक्रमणकारीके सामने आत्म-समर्पण नही करेगे और न उसकी किसी आज्ञाका पालन ही करेंगे। हम उसका अनुग्रह पानेके लिए उसकी ओर नही ताकेंगे और न उसके रिश्वतके प्रलोभनसे ही

डिगेंगे । यदि वह हमारे घरों और हमारे खेतोंपर कब्जा जमाना चाहेगा तो हम उसे यह न करने देंगे और शरीरमें प्राण रहनेतक उसका विरोध करेंगे। आक्रमण कारीके सम्मुख असहयोग और सविनय अवज्ञाकी इस तरहकी सफलता कांग्रेसके रचनात्मक कार्यके प्रभावोत्पादक क्षमतापर निर्भर करेगी विशेष रूपसे भारतके सारे भागोंमें अपनाये जानेवाले आत्म निर्भरता और आत्मरक्षाके कार्यक्रमपर ।"

एक संवाददातासे जब खान अब्दुल गफ्फार खाँसे श्री राजगोपालाचार्य द्वारा रखे गये प्रस्तावपर टीका करनेकी प्रार्थना की तब उन्होंने उससे कहा "आप जानते हैं कि मैंने कांग्रेससे त्यागपत्र दे दिया है । मैं एक सिपाही हूँ । मेरा दृष्टि अपने कार्यपर है । मैं अपनेको हमेशा विवादोंसे दूर रखनेकी कोशिश करता हूँ क्योंकि मेरे विचारमें मौजूदा परिस्थितियोंमें विवाद व्यर्थ है ।' उन्होंने कहा कि पाकिस्तानके विषयको इतना महत्त्व देनेके लिए समाचारपत्र ही उत्तरदायी है । 'हम लोग सरहदमें एक लम्बे अर्सेसे आत्म निश्चयके अधिकारका उपभोग कर रहे हैं ।' उन्होंने आगे कहा 'और मेरा खयाल है कि यदि दूसरे लोग भी उसका उपभोग करते हैं तो इसमें कोई हानि नहीं है फिर भी यह कल्पना करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आत्म निश्चयके अधिकारकी मान्यताको मेरे सहारेका अर्थ हमारे रुखमें कोई आकस्मिक परिवर्तन होगा ।'

गांधीजीने अपने 'हरिजन' के लेखोंमें और पत्रकारों द्वारा पूछे गये प्रश्नोंके उत्तरमें 'भारत छोडो' की मांगके कारण स्पष्ट किये और उसे विस्तारपूर्वक समझाया । उनकी वाणी और कलममें एक नयी तेज़ी और एक आवेश भर गया था । गांधीजीने मई १९४२ को एक अपील जारी की । उसमें 'प्रत्येक ब्रिटेन वासीको' सम्बोधित करते हुए उन्होंने लिखा

मैं प्रत्येक ब्रिटेनवासीसे अपनी अपीलका समर्थन करनेके लिए कहूँगा । मेरी प्रार्थना यह है कि वह तत्क्षण ही एशिया और अफ्रीकासे कम-से-कम हिन्दुस्तानसे अपने अधिकारको छोडकर चला जाय । यदि आपके निकट मेरी यह अपील स्वीकृत हो जाती है तो समस्त धुरी शक्तियोंकी समस्त सैनिक योजनाएँ हो नहीं बल्कि ग्रेट ब्रिटेनके सैनिक सलाहकारतक हतबुद्धि रह जायगे ।

मेरे लोगोको सम्भव है कि यह तीव्र विचार पसन्द आये यह भी हो सकता है कि वे इसका अनुमोदन न करें । जब अमरिकामें गुलामीका उन्मूलन किया गया था तब बहुतसे दासोंने उसके लिए अपना असम्मति प्रकट की थी यहाँतक कि कुछ दास रोये भी थे । लेकिन उनके असम्मति प्रगट करने और रोने-कलपने के बाद भी कानूनमें दासताका अंत हो गया । लेकिन यह अंत उत्तर और दक्षिण-

के बीचके एक रक्तपातपूर्ण युद्धका परिणाम था। और इस कारणसे नीग्रो, जिसका भाग्य यद्यपि पहलेसे अच्छा हो गया, एक उच्च समाजमे अवतक जाति-बहिष्कृत है। मै इससे एक बहुत ऊँची चीजकी बात कह रहा हूँ। मै एक अस्वाभाविक प्रभुत्वके रक्तहीन अत और एक नये युगके प्रारम्भके लिए कह रहा हूँ, भले ही कुछ लोग उससे अपनी असम्मति प्रगट करे या रोयें-चिल्लाये।"

उन्होने कहा, "अवतक शासक हमसे कहते आये है . 'हम यह नही जानते कि हमे सत्ताका सूत्र किसके हाथोमे सौंपना है। यदि हमे यह मालूम हो जाय तो हम बडी खुशीसे इस देशको छोडकर जा सकते है।" अब मै उनको उत्तर देना चाहता हूँ, "आप हमको ईश्वरके हवाले छोडकर चले जाइए। यदि आप यह भी न कर सकें तो हमें अराजकताको ही सौपकर चले जाइए।"

"मेरे मस्तिष्कमे कोई कल्पना नही है।" गाधीजीने कहा, "लेकिन मेरा खयाल है कि जब मै खरे, बिना किसी मिलावटके अहिंसात्मक असहयोगकी बात कहता हूँ तो इसके बाद फिर कुछ कहनेको नही रह जाता। यदि सारे भारतसे मुझे अनुकूल जवाब मिलता है और वह मेरी बातको एक मतसे स्वीकार कर लेता है तो मै यह दिखला दूँगा कि रक्तकी एक भी बूँद गिराये बिना हम जापानके शस्त्रोको या किन्ही भी शस्त्रोको निष्फल कर सकते है। परन्तु इसके लिए भारतका यह दृढ निश्चय अपेक्षित है कि वह आक्रमणकारीको किसी भी प्रकारका सहयोग न देगा और कई लाख जिन्दगियाको अर्पण करनेकी जोखिम उठानेको तैयार रहेगा। मेरी दृष्टिमे यह मूल्य भी एक सस्ती कीमत होगी जिसे चुकाकर यदि हमे विजय मिल जाती है तो उसे मै एक प्रतिष्ठाकी वस्तु समझूँगा। यह भी सम्भव है कि भारत यह कीमत चुकानेको तैयार न हो। लेकिन मेरा खयाल नही है कि यह हो सकता है लेकिन जो भी देश अपनी स्वाधीनताकी रक्षा करना चाहेगा उसे यह मूल्य चुकाना ही होगा। कुछ भी कहिए, रूस और चीनवालोने बहुत बडे बलिदान किये है और वे अपनी स्वाधीनताकी रक्षाके लिए सारे सकट झेलनेको तैयार है। यही बात अन्य देशोके लिए भी कही जा सकती है। चाहे वे आक्रमण करनेवाले हो या दूसरोके आक्रमणसे अपनी रक्षा करनेवाले। यह एक बहुत बडी कीमत है। इसलिए मै भारतसे यह चाहता हूँ कि वह अहिंसात्मक तकनीकसे काम लेकर उतनी जोखिम न उठाये जितनी कि अन्य देश उठा रहे है। यो यदि वह सशस्त्र विरोध करता है तो उसे यह जोखिम तो उठानी ही पडेगी।"

जुलाईके आरम्भमे प० जवाहरलाल नेहरूने सीमा-प्रान्तकी घटनाओके संबंध

में निम्नलिखित वक्तव्य जारी किया

सरकारी सूत्रोंसे सीमा प्रान्तकी जो खबरें मिलती हैं, उनके अलावा यहाँके समाचार प्राप्त होना दुर्लभ है। सरकारी या अर्ध-सरकारी समाचार प्रायः दोषपूर्ण होते हैं और उनमें मिथ्या आरोप भी रहते हैं।

मेरा अपना तजुर्बा है। जब कभी मैं सरहदी सूबेमें गया हूँ तब मुझे सामान्य समाचार एजेन्सियोंके द्वारा या अन्य प्रकारसे सही समाचार भेजनेमें एक कठिनाईका अनुभव हुआ है। ऐसा जान पड़ता है कि भारतके अन्य स्थानोंकी अपेक्षा सीमा प्रान्तमें समाचारोंको बाहर भेजनेपर अधिक कड़ा प्रतिबन्ध है। इसका नतीजा यह है कि शेष भारतके लोग इस बातकी बहुत कम जानकारी रखते हैं कि देशके इस महत्वपूर्ण भागमें क्या हो रहा है? यह बात होना कई दृष्टियोंसे आवश्यक है। यहाँ जो नयी स्थिति विकसित हो रही है उसको देखते हुए यह विशेष रूपमें आवश्यक है।

पिछले छः महीनेसे खान अब्दुल गफ्फार खाँ मौन भावसे जो महान कार्य चला रहे हैं उसके बारेमें बहुत कम लोग जानते हैं। उनका दिखावेमें विश्वास नहीं है। लेकिन वे अपने यहाँके लोगोंसे मिलनेके लिए गये और उन्हें कई प्रकारसे संगठित और प्रोत्साहित किया। इस तरह उन्होंने सारा प्रान्त घूमा।

विगत छः मास या उससे भी कुछ अधिक समयसे बादशाह खान और उनके भाई डा० खान साहबके विरुद्ध और इसी प्रकार अन्य कांग्रेसजनों तथा खुदाई खिदमतगारोंके विरुद्ध एक द्वेषपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है। जब विरोधी लोगोंको उनपर हमला करनेके लिए कोई राजनीतिक कारण नहीं मिल पाया तो उन्होंने अपने उद्देश्यकी पूर्तिके लिए घरेलू और निजी मामलोंको उपयोगमें लाया और सब प्रकारके झूठे वक्तव्य प्रसारित किये। सीमा प्रान्तकी कांग्रेस समितिने इस सम्बन्धमें समाचार पत्रोंके लिए एक विज्ञप्ति जारी की लेकिन ऐसा लगता है कि पत्रोंने उसका कोई प्रचार नहीं किया। सीमा प्रान्तकी कांग्रेस समिति द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति निम्नांकित है:

हम जनताको उस मिथ्या प्रचारके विरुद्ध सावधान कर देना चाहते हैं जो कि पठानोंके निर्विवाद नेता खान अब्दुल गफ्फार खाँ तथा खुदाई खिदमतगार आन्दोलनको लेकर समाचार-पत्रोंके कुछ स्तम्भोंमें चलाया जा रहा है। उसमें यह संकेत किया गया है कि खुदाई खिदमतगार आन्दोलनके कार्यकर्त्ताओंके बीचमें मतभेद खड़ा हुआ है और मस्यामें दलगत राजनीति बुरी तरहसे अपना सिर उठा रही है। अबतक किसी खुदाई खिदमतगारने अपने पदसे त्यागपत्र नहीं दिया

है। वे सब खान अब्दुल गफ्फार खाँके नेतृत्वमे एक है और पूर्ण रूपसे संगठित है। उनके बीच कई दल बनजाने की बात नितान्त निराधार है। यह तथाकथित मतभेद थोडेसे स्वार्थी लोगोंकी कल्पनाकी उपज है। वे पदोकी लालसा रखते है और यह समझते है कि ऐसी बाते फैलाकर वे अपनी इष्ट-सिद्धि कर सकते है। इस मिथ्या प्रचारके पीछे सरकारका हाथ है लेकिन सीमा-प्रातकी जनता इसके पीछे चलनेवाली नही है। सीमा-प्रातका प्रत्येक राष्ट्रवादी यह स्पष्ट रूपसे अनुभव करता है कि हमे भारतके ब्रिटिश शासनसे कोई प्रयोजन नही है और उसके पदोसे तो हमारा और भी कम सम्बन्ध है। भारतमे अन्यत्र संसदीय कार्यक्रमके प्रति कुछ आकर्षण हो सकता है किन्तु सीमा-प्रान्तमे निश्चय ही उसका कोई स्थान नही है।

"खान साहब खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाँवोमे आतरिक सुरक्षाके लिए तथा भोजन और वस्त्रकी दृष्टिसे उनको आत्म-निर्भर बनानेके लिए शात भावसे जो मानवतापूर्ण रचनात्मक कार्य किया है उसने उन्हे जनताका अत्यधिक प्रिय बना दिया है, विशेष रूपसे गरीब जनताका। वे यह आशा करते है कि वे शीघ्र ही पड़ोसके कबायली इलाकोमे भी शान्ति और सद्‌भावनाका सन्देश लेकर जायँगे। वे अपनी सारी शक्ति एक शातिपूर्ण, अहिंसाको लेकर चलनेवाली एक सेना खडी करनेमे लगा रहे है जो कि संकटके अगले दिनोमे जनताकी सच्ची सेवा कर सके। लाखो रुपये व्यय करके भी सरकार जिस लक्ष्यको प्राप्त कर सकनेमे असफल रही है उसे वे विशुद्ध स्वेच्छिक सहायताके सहारे पानेका प्रयत्न कर रहे है। उनके इस श्रेष्ठ कार्यके प्रति सीमा-प्रान्तके प्रत्येक स्त्री, पुरुष और बालकके मनमे एक सहानुभूति और सहयोगको भावना होनी चाहिए। हम यह आशा करते है कि सीमा-प्रान्तकी जनता उनके आह्वानपर ध्यान देगी और भारतके पत्र और पत्रकार, जिनके मनमे राष्ट्र-हितकी सच्ची कामना है, अत्यत शान्त तथा स्थिर चित्तसे उनके काममे एक गहरी दिलचस्पी लेगे।"

गाधीजीने इसके ऊपर टिप्पणी करते हुए कहा

"बादशाह खानकी कीर्तिका आधार सीमा-प्रान्तकी काग्रेस समितिके प्रस्ताव से कही अधिक ठोस है। वह उनकी लगभग एक चौथाई शताब्दीकी नि स्वार्थ सेवाओपर आधारित है। अपने ऊपर कलक लगानेवालोके होते हुए भी वे प्रत्येक अग्नि-परीक्षामेसे विजयी होकर निकले है और मुझको इसमे कोई सन्देह नही है कि जब उनके आगे कोई अगली परीक्षा आयेगी तब भी वे अपनी वैसी ही लोकप्रियता प्रदर्शित करेगे जैसी कि उन्होने अबतक दिखलायी है।"

जब जापानी सेना बर्मा पहुँच गयी तब खान अब्दुल गफ्फार खाँको आशंका हुई कि यह खतरा भारतमें भी आ सकती है,' हम इस बातको लेकर परेशान थे कि कबायलियोंपर इसकी न जाने क्या प्रतिक्रिया होगी। हमने सोचा कि हम मिलजुलकर दोस्तोंकी भाँति जापानके हमलेका सामना करेंगे और हमने कबायली क्षेत्रोंमें अपना प्रतिनिधि-मण्डल भेजनेका निश्चय किया। इस सम्बन्धमें मैं सोचा प्रान्तके गवर्नर सर जार्ज कनिंघमको लिखा कि वे हमारे प्रतिनिधि मण्डलको वहाँ जानेकी अनुमति दें ताकि वह राष्ट्रीय खतरेके सम्बन्धमें चर्चा करनेके लिए कबायली लोगोंसे सम्पर्क स्थापित कर सके। हमारे शिक्षा सम्बन्धी और समाज-सुधारके कार्योंके लिए भी कबायली इलाकेमें जानेकी अनुमति नहीं मिलती थी। गवर्नरने भी इसी परम्परागत नीतिका अनुसरण किया और हमारी प्रार्थनाको अस्वीकार कर दिया। हमने उसके इस निर्णयको दरकिनार किया और राष्ट्रीय सुरक्षाको सर्वोपरि महत्व देकर अपने प्रतिनिधि मण्डलको कबायली क्षेत्रोंमें भेजनेका निश्चय किया। पोलिटिकल एजेन्टोंको ये निर्देश दे दिये गये थे कि हमारे प्रतिनिधि मण्डलसे तभी सम्पर्क किया जाये जब कि वह उन क्षेत्रोंमें पहुँच जाये। हमारे प्रतिनिधि बिना किसी कठिनाईके अफरीदियोंके पास तक पहुँच गये। लेकिन वजीरिस्तानमें उनको कठिनाईका सामना करना पड़ा। परन्तु वहाँ भी अन्तमें हमारे प्रतिनिधिमण्डलको अपने कार्यमें एक अच्छी सफलता मिली।

शासनके सत्ताधारियोंके विरोधी रवैयेकी ओर इशारा करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि उनकी रचनात्मक प्रवृत्तियाँ किसी प्रकारसे बाधा रूप रही हैं

हमारा कोई कार्य गोपनीय नहीं है। हम जो कुछ भी करते हैं वह खुल कर करते हैं। युद्धके प्रारम्भ होनेके समयसे हम गाँवोंमें एक नाजिमय मानवता वादी काममें लगे हुए हैं। परन्तु अब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हमें यह कार्य नहीं करने देगी। हमारे कुछ कार्यकर्त्ताओंको जेलमें डाल दिया गया है। सङ्कटके ऐसे क्षणोंमें धरतीकी कोई ताकत हमें जनताकी सेवा करनेसे रोक नहीं सकती। मैं यह घोषणा करता हूँ कि हम अपने कार्यको बिना रुके निर्भयताके साथ चलाते रहनेका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। किन्हीं भी परिस्थितियोंमें हम *अपने नीतिपूर्ण अहिंसात्मक सदुद्देश्यका परित्याग* नहीं कर सकते। यदि हमें शासन विरोधी कोई कदम उठाना पड़ा तो स्पष्ट है कि हम उसके लिए विवश होंगे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने सरदरयाबमें जो पेशावरसे १४ मीलकी दूरी पर पड़ता है, अपने कार्यके लिए एक केन्द्र स्थापित किया। वे वहाँ एक खास

लोगोके मनमें एक सतोष होने लगा ह। कायसमिति इस बढती हुई स्थितिको अत्यन्त शकाकी दष्टिसे देखती ह क्योकि यदि उसका अवरोध न किया गया तो वह स्थिति हमें अनिवाय रूपसे हमलेकी निष्क्रिय स्वीकृतिकी ओर ले जायगी। समितिकी राय ह कि समस्त आक्रमणका निश्चय ही विरोध होना चाहिए। यदि ६ भारत उसका विरोध नही करता तो इसका अथ यह ह कि भारतीय जनताका अघ पतन हो गया ह और उसकी पराधीनता निरन्तर चलती रहेगी। काग्रेस इस बातके लिए अत्यन्त चिंतित ह कि मलाया, सिंगापुर और बर्माके अनुभवोकी यहाँ पुनरावत्ति न हो। वह जापान या किसी बाह्य शक्तिके आक्रमण या भारत-पर चढाईका पूरी तरहसे विरोध करना चाहेगी।

'काग्रेस ब्रिटेनके प्रति अपनी दुर्भावनाको एक सद्भावनामें बदल देना चाहती ह और भारतको ससारके लोगो और राष्ट्रोकी स्वाधीनता अर्जित करनेके प्रयास म, तथा उनकी विचारणाओ और पीडाओम उसकी अपनी इच्छासे एक भागीदार बना देना चाहती ह। यह तभी सम्भव ह जब कि भारत स्वाधीनताके एक प्रकाश-को प्राप्त कर ले।

'केवल विदेशी और व्यवधानको समाप्त करके ही आजकी अवास्तविकताकी जगह वास्तविकता ले सकती ह और भारतके लोग, जिनमें सभी वर्गों तथा दलों के लोग होगे, भारतकी समस्याओका सामना कर सकते ह और मिलजुलकर एक सवसम्मत आधारपर उनको सुलझा सकते ह। वतमान राजनीतिक पार्टियाँ, जो मुख्य रूपसे ब्रिटिश सत्ताका ध्यान और प्रभाव अपनी ओर आकृष्ट करनेको सग-ठित हुई हैं, तब सम्भवत काय करना बद कर देंगी। उस समय भारतके इतिहासमें यह प्रथम बार अनुभव किया जायगा कि राजे-महाराजे, जागीरदार, जमींदार, जायदादवाले और धनी वर्गके लोग अपना धन और सम्पत्ति खेतो, फक्टरियो तथा अन्य स्थानोपर काय करनवाले श्रमिकोंसे प्राप्त करते हैं, जिनके पास कि अनिवाय रूपसे शक्ति और अधिकार होना चाहिए। काग्रेसकी यह तीव्र इच्छा ह कि वह आक्रमणका एक प्रभावशाली ढगसे सामना करे और उसके पीछे जनताकी सामूहिक इच्छा और शक्ति हो।

'भारतसे ब्रिटिश सत्ताको खीच लेनेका प्रस्ताव रखते समय काग्रेसकी यह बिल्कुल इच्छा नही ह कि वह ग्रेट ब्रिटेन या मित्र राष्ट्रोंके आगे एक सकटकी स्थिति खडी कर द या उनके युद्धक प्रयासोंमें कोई बाधा डाले किसी तरहसे भारतके ऊपर आक्रमणको प्रोत्साहित कर या जापान या धुरी शक्तियोंमें सम्मिलित किसी दल द्वारा चीनपर दबाव बढ़े। काग्रेसका यह इरादा भी नही ह कि वह

मित्र-राष्ट्रोकी सुरक्षा-शान्तिको विपत्तिमे डाल दे। इसलिए कांग्रेस इस वातके लिए राजी है कि यदि मित्र-राष्ट्र उचित समझें तो भारतकी सुरक्षा और जापानी या अन्य किसी शक्तिके आक्रमणका विरोध करनेके लिए अथवा चीनको वचाने या उसकी सहायता करनेके लिए भारतमे अपनी सशस्त्र सेनाओको रख सकते है।

"भारतसे ब्रिटिश शक्तिके चले जानेका अभिप्राय यह कभी नही रहा कि यहाँसे सारे अग्रेज अपने देश वापस चले जायँ, और उन लोगोके लिए तो निश्चित ही नही रहा जिन्होने भारतको अपना घर वना लिया है और जो एक नागरिकके रूपमे यहाँ औरोकी तरहसे रहते है।

"यदि यह अपील असफल हो जाती है तो भी कांग्रेस वर्तमान स्थितिपर गभीर विचार किये विना न रहेगी और उसे ज्योका-त्यों नही चलने देगी। इस मौजूदा स्थितिमे हालातका तेजीके साथ गिरना, और भारतकी इच्छा-शक्ति तथा आक्रमणका विरोध करनेके वलका ह्रास भी शामिल है। उस समय कांग्रेस इच्छा न होते हुए भी इस वातके लिए वाध्य हो जायगी कि वह सन् १९२० से संचित अपनी समस्त अहिसात्मक शक्तिको उपयोगमे लाये, जव कि उसने अहिसा को राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने और स्वाधीनताकी मागको दृढ करनेके लिए अपनी नीतिके एक अङ्गके रूपमें स्वीकार किया था।"

जव कार्यसमितिका यह प्रस्ताव प्रकाशित हुआ तव उससे देशभरमें एक हलचल फैल गयी। खान अब्दुल गफ्फार खांने सीमाप्रातकी कांग्रेस कमेटीको सम्वोधित करते हुए राष्ट्रकी जनतासे यह कहा कि वह भारतकी स्वाधीनताके आगामी संघर्षके लिए तैयार रहे। "आप लोग गाधीजीके आह्वानके लिए तैयार रहे। कार्यसमिति द्वारा प्रस्तावकी पुष्टि कर देनेके पश्चात् किसी भी क्षण उसकी आशा की जाती है। मै आशा करता हूं कि हमेशाकी भांति इस सघर्षमे सीमा-प्रात सवसे आगे रहेगा।"

५ अगस्तको वम्वईमे कार्यसमितिकी वैठक हुई और उसमें एक प्रस्तावका प्रारूप रखा गया। उसकी भाषा वही थी जो वर्धामें पहले पारित किये गये प्रस्तावकी। अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके आगे ७ अगस्तको यह प्रस्ताव रखा गया।

महात्माजीने प्रतिनिधियोको सम्वोधित करते हुए कहा :

"जो अवसर इस समय हमारे आगे है, ऐसे मौके प्रत्येक मनुष्यके जीवनमें नही आते और जिनके जीवनमे आते भी है, उनमें दुर्लभ होते है। आज मै और मेरी अहिंसा कसौटीपर है। आजके इस संकटकालमें, जव कि धरती हिंसाकी

ज्वालाआमे झुलस रही हैं और चारो ओर मुक्तिके लिए पुकारें उठ रही है, यदि मैं ईश्वरप्रदत्त बुद्धिका उपयोग नहीं करता तो ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा और मैं उस एक बहुत बड़े उपहारके लिए अयोग्य सिद्ध होऊँगा। मुझे अब काम करना ही चाहिए।

गांधीजीने आगे टिप्पणी की "मेरा विश्वास है कि विश्वके इतिहासमें हमारे स्वाधीनता संघर्षसे कहीं अधिक सच्चे प्रजातान्त्रिक संघर्ष हुए हैं। उस प्रजातन्त्रमें जो मेरी दृष्टिके आगे है और जो अहिंसासे स्थापित किया जायगा सब लोगोंको समान स्वतन्त्रता रहेगी। प्रत्येक मनुष्य स्वयं अपना स्वामी होगा। आज मैं इसी प्रकारकी लड़ाईमें भाग लेनेके लिए आपको आमन्त्रित कर रहा हूँ। यदि आपने एक बार यह अनुभव कर लिया कि आप आजादीके एक ही समान संघर्षमें रत लोग हैं तो आप अपने बीचके हिन्दू और मुसलमानके अन्तरको भूल जायेंगे और अपनेको एक भारतीय मात्र समझेंगे।"

मुट्ठीभर साम्यवादी सदस्योंको छोड़कर, जिन्होंने कि प्रस्तावका विरोध किया अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके समस्त सदस्योंने इस प्रस्तावका स्वागत किया और दो दिनके वाद विवादके बाद "भारत छोड़ो" प्रस्ताव पारित हो गया।

गांधीजीने अखिल भारतीय कांग्रेस समितिको दो घण्टेतक अंग्रेजी और हिन्दीमें सम्बोधित किया। साम्यवादियोंको उनके साहसके लिए बधाई देनेके बाद उन्होंने कहा कि उन लोगोंने अपने सद्भावनाको स्वीकार करनेके लिए समितिमें जो कुछ कहा, उसमें स्थितिका सही रूपमें प्रतिनिधित्व नहीं होता। उन्होंने कहा "ऐसा समय था जब कि प्रत्येक मुसलमान भारतको अपनी जन्मभूमि होनेका दावा किया करता था। उन दिनों सज्जनता, गरिमामयता और उदारताकी एक

और न उनके हितोके साथ कभी धोखा किया।"

गाधीजीने आगे कहा, "मैं उन लोगोसे, जो कि आज गाली-गलौज और एक दूसरेपर कलक लगानेके अभियानमे लगे हुए है, यह कहूँगा कि इसलाम तो एक शत्रुतकको गालियाँ देनेकी इजाजत नही देता। पैगम्बर [मुहम्मद साहब] ने शत्रुओतकके प्रति कृपालुताका व्यवहार किया और उन्होने अपनी भलाई और उदारतासे उनको जीत लिया। आप उसी इस्लामके अनुयायी है या किसी अन्य-के ? यदि आप सच्चे इस्लामके अनुयायी है तो क्या वह आपकी इस बातमे सहा-यता करता है कि आप उस व्यक्तिके ऊपर अविश्वास करे जो कि अपने विश्वास-को सार्वजनिक रूपमे घोषित करता है ? आज आप मुझसे यह सुन लीजिए कि आप एक दिन इस बातपर अफसोस करेगे कि आपने उस व्यक्तिके ऊपर भरोसा नही किया और उसे मार डाला जो कि आपका एक सच्चा और आपके लिए सदा तत्पर रहनेवाला मित्र था। यह देखकर मुझको मर्मान्तिक पीडा होती है कि जितनी ही मैं अपील करता हूँ, जितनी ही मौलाना आजाद आग्रहपूर्वक प्रार्थना करते है, गाली-गलौजका अभियान उतना ही तेज होता जाता है। मेरे लिए ये गालियाँ बन्दूककी गोलियाँ जैसी है। ये मुझको उसी तरहसे मार सकती है जैसे कि बन्दूककी एक गोली मेरी जीवन-लीलाको समाप्त कर सकती है। आप मुझको मार डाल सकते है। मुझे इससे चोट नही पहुँचेगी। उन लोगोसे क्या कहा जाय जो कि गाली-गलौजमे लगे हुए है ? यह इस्लामके लिए एक अप्रतिष्ठा-की बात है। इस्लामके भले नामपर मैं आपसे यह अपील करता हूँ कि आप गाली देनेके और एक दूसरेपर कलंक लगानेके इस लगातार चलनेवाले अभियान-को रोक दे।"

"मौलाना साहब उसमे भी सबसे भद्दी गालियोके लक्ष्य बनाये गये है।" गाधीजीने टिप्पणी करते हुए कहा, "क्योकि वे अपनी दोस्तीका दबाब डालनेसे इनकार करते है। वे इसको मित्रताका एक दुरुपयोग मानते है कि अपने मित्रसे उस बातको सच मनवा लिया जाय जिसे कि वह स्वय एक असत्य समझता है। कायदे आजमसे मेरा कहना यह है 'पाकिस्तानके दावेमे जितना कुछ सच्चा और वैध है, वह तो आपके हाथमे ही है और जो असत्य और अरक्षणके योग्य है उसे आपको कोई भेट नही कर सकता। यदि किसीको दूसरोपर अपना असत्य लादनेमे सफलता मिल भी जाय तो भी वह उसके फलोका अधिक लम्बे समयतक उपभोग नही कर सकेगा। ईश्वरको सह्य नही है कि किसीपर जबरदस्ती झूठका बोझ लादा जाय।' मैं इस्लामके नामपर आपसे अपील करता हूँ कि जो कुछ मैं

कह रहा हूँ, उसपर आप विचार करें। न तो यह बात उचित ही कही जा सकती है और न न्यायपूर्ण कि कांग्रेसमें किसी ऐसी वस्तुको स्वीकार कराया जाय जिसपर उसे विश्वास न हो अथवा जो उसके प्रिय सिद्धान्तोंके विरुद्ध पड़ती हो। यदि मैं किसी मांगको न्यायोचित समझूँगा तो मैं उसे आगे ही अंगीकार कर लूँगा। मैं केवल मि० जिनाको राजी करनेके लिए उसपर तैयार नहीं होऊँगा। यह मेरा तरीका नहीं है।

अपने भाषणके निष्कर्षमें उन्होंने कहा, 'असली लड़ाई अभी शुरू नहीं। आपने अभी केवल सारी शक्तियाँ मेरे हाथोंमें दी हैं। मैं वाइसरायकी प्रतीक्षा करूँगा और उनसे कांग्रेसकी मांगोंको स्वीकार करनेके लिए कहूँगा। आप लोगोंमेंसे प्रत्येक स्त्री-पुरुष इस क्षणके बाद अपनेको स्वतंत्र समझे और एक स्वतंत्र व्यक्तिकी भाँति व्यवहार करे। गुलामीका बन्धन तो उसी क्षण चटककर टूट जाता है जिस क्षण व्यक्ति यह समझ लेता है कि अब वह एक स्वतंत्र प्राणी है। आप लोग मुझसे यह बात जान लीजिए कि मैं वाइसरायसे अल्पसंख्यकोंके बारेमें या बस ही औरोंके बारेमें कोई सौदा पटाने नहीं जा रहा हूँ। स्वाधीनताके अलावा और किसी चीजसे मैं संतुष्ट होनेवाला नहीं हूँ। यह एक छोटा सा मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ। इसे आप अपने हृदयोंपर अंकित कर सकते हैं। आपका प्रत्येक श्वास उसे व्यक्त करे। वह मंत्र है 'करो या मरो'। आप ईश्वर और अपनी अंतरात्माको साक्षी करके यह शपथ लें कि जबतक स्वाधीनता नहीं मिल जाती तबतक आप चैनसे न बैठेंगे और उसे पानेके प्रयासमें आप अपने जीवनकी बाजी लगा देंगे। जो अपनी जिन्दगीको खो देगा वह उसे फिर प्राप्त कर लेगा। लेकिन वह जो उसे बचानेकी कोशिश करेगा उसे खो देगा। स्वाधीनता कायरोंके लिए या निरुत्साहियोंके लिए नहीं है।"

९ अक्तूबरको गांधीजी और कार्यसमिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके सभी सदस्य गिरफ्तार हो गये और स्पेशल गाड़ियों द्वारा नजरबंदीके लिए विभिन्न स्थानोंपर ले जाये गये। जैसे ही इन गिरफ्तारियोंका समाचार मिला, वैसे ही सारे भारतमें गम्भीर उपद्रवकी घटनाएँ होने लगीं। समस्त भारतमें कांग्रेसके सैकड़ों नेता गिरफ्तार कर लिये गये।

सीमाप्रांतमें प्रारम्भमें स्थिति अत्यन्त शांतिपूर्ण रही। स्थानीय स्थितियोंके कारण खान अब्दुल गफ्फार खाँ अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके अधिवेशनमें भाग न ले सके। सीमाप्रांतीय कांग्रेस समितिने आन्दोलनको संचालित करनेका सारा अधिकार, अपना सारा प्रतिनिधित्व खान अब्दुल गफ्फार खाँको सौंप दिया

था। जिस समय वे अपने कार्यकर्ताओसे विचार-विनिमय कर रहे थे, उसी समय उन्हे वम्वईमें काग्रेसके नेताओकी गिरफ्तारीका समाचार मिला। १० अगस्तको पेशावरकी एक सभाको सम्वोधित करते हुए 'भारत छोड़ो' प्रस्तावके पूर्ण समर्थनमे शपथ ग्रहण की। उन्होने जनताको यह सलाह दी कि वह प्रतीक्षा करे और अधीर न हो। उन्होने इस वातपर वल दिया कि खुदाई खिदमतगार अपना रचनात्मक कार्य चलाते रहे और उस सारे प्रचारसे प्रभावित न हो जो कि प्रान्तमे एक भय फैला सकता है। उन्होने कहा, "समय अभी नही आया है। हमे इस समय आन्दोलन छेडनेकी कोई शीघ्रता नही है। हमने विभिन्न स्थानोकी शराबकी दूकानोपर धरना देना प्रारम्भ कर दिया है और इसे हम कुछ समयतक और चलायेंगे।"

उनके कुछ सहयोगियोने राय दी कि वे लोग टेलीफोनके तार काटने, रेलवेकी पटरियोको उखाडने और इसी तरहकी अन्य तोड-फोड करे। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उसके लिए तैयार थे परन्तु उनकी शर्त यह थी कि ऐसी स्थितिमे तोड-फोड करनेवालेको अपनेको पुलिसके हवाले कर देनेके लिए तैयार रहना चाहिए और उसे स्पष्ट शब्दोमे यह स्वीकार करना चाहिए कि मैने तोड़-फोडका यह काम किया है। उन्होने कहा, "इससे कार्यकर्ताकी नैतिक शक्ति वढेगी और वह जनताके आगे अपनी दृढता और वीरताका एक आदर्श प्रस्तुत करनेमे समर्थ होगा। इससे दूसरोके ऊपर कोई सन्देह नही किया जा सकेगा और वे व्यर्थ तंग किये जानेसे वच जायँगे।"

१० सितम्वर १९४२ को, प्रातके मुख्य मन्त्री पदसे मुक्त होनेके तीन साल वाद डा० खान साहवने ६० वर्षकी उम्रमें पुन. लाल वर्दीको पहना और उन्होने पेशावरके सचिवालयके सामने सरकारी कर्मचारियोके लिए, एक खुदाई ख़िदमतगारके रूपमे छोटा-सा भाषण किया। उनके साथ तीन स्वयंसेवक थे। उनमेसे एकने उसी प्रभावोत्पादकताके साथ एक कविता पढी। डा० खान साहव सेशन जज और जुडीशियल कमिश्नरकी अदालतमे भी गये। वहाँ भी यही कार्यक्रम चला। भूतपूर्व मन्त्री काज़ी अतातुल्लाहके नेतृत्वमे दूसरी टुकडी स्थानीय विद्यालयोमे गयी। तीसरी टुकडी पेशावर नगरके चार थानोमेंसे प्रत्येकमे गयी और वहाँ 'भारत छोडो' का सदेश सुनाया।

सितम्वरके अन्तमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने आन्दोलनमें तेजी ला दी। खुदाई ख़िदमतगारकी वडी-वडी टोलियोने सरकारी दफ्तरो और अदालतोपर धावा वोल दिया। ४ अक्तूवरको विभिन्न ज़िलोमे खुदाई खिदमतगार वहुत वड़ी

सत्यामें अपने शिविरोंसे निकल पड़े और 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाते हुए अपने निश्चित स्थानोंकी ओर चल दिये। उनके साथ सरकारी भवनोंपर फहरानेके लिए झंडे थे। कार्यालयों और अदालतोंकी सुरक्षा पुलिसके जिम्मे थी। खुदाई खिदमतगारोंने सिपाहियोंकी पंक्ति तोड़कर भीतर प्रवेश करनेकी कोशिश की। इसपर पुलिस उन्हें पीटने लगी। पुलिस उन्हें तबतक पीटती रहती थी जब तक कि वे संज्ञाहीन होकर गिर न पड़ें। अधिकांश खुदाई खिदमतगारोंके गम्भीर चोट आयी। उनको कांग्रेस द्वारा संचालित सहायता-केन्द्रोंमें भेज दिया गया। जिन खुदाई खिदमतगारोंके मामूली चोट आयी थी उनको पुलिस अपनी मोटर गाड़ीसे शहरसे बहुत दूर ले गयी। वहाँ उनको छोड़ दिया गया और वहाँसे उन सबको पैदल अपने घर लौटना पड़ा। सारी अदालतोंको एक पखवाड़ेके लिए बन्द कर दिया गया। जब वे खुलीं तब उन्हीं घटनाओंकी पुनरावृत्ति हुई वैसे ही घरने और वैसी ही मार। सैकड़ों खुदाई खिदमतगारोंको गिरफ्तार कर लिया गया।

एक दिन यह घोषणा हुई कि पेशावरमें खुदाई खिदमतगार मार्च करते हुए अपना प्रदर्शन करेंगे। प्रदर्शनके समय सरकारने उन लोगोंको गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उनके साथ एक बड़ी कुटिल चाल खेली। सर रशब्रुक विलियम्सने मजा लेते हुए इस घटनाका इन शब्दोंमें वर्णन किया है

"खुदाई खिदमतगारोंका एक बहुप्रचारित प्रदर्शन एक साधारण-सी चाल से मात खा गया। इस घटनाको सुनाते हुए अब भी सारे सीमाप्रान्तके लोग मुँह दबा दबाकर हँसते हैं। उन दिनों 'पालिटिकल अफसरों' मेंसे इस्कन्दर मिर्जा वहाँ ठहरे हुए थे। उन्होंने अन्दाज लगा लिया कि खुदाई खिदमतगार अपना जुलूस बहुत सबेरे न निकाल सकेंगे। अन्य पठानोंकी तरह जबतक वे ढेर सी रोटियाँ तीन पाव चायमें डुबा डुबाकर न खा लेंगे तबतक वे बाहर न निकलेंगे। इस्कन्दर मिर्जाने खुदाई खिदमतगारोंके शिविरके रसोइयोंको अपनी ओर मिला लिया और उनके द्वारा भोजन सामग्रीमें एक बहुत तेज जुलाब मिलवा दिया। जुलूस बहुत अच्छी तरहसे उठा। वह नारे लगाते हुए आगे बढ़ा लेकिन थोड़ी दूर चलकर एकके बाद एक स्वयंसेवक चुप होता गया और फिर वे लोग शीघ्रतासे अपनी पंक्तिको तोड़कर साथियोंकी दृष्टिसे दूर मैदानमें खिसकने लगे। इस तरह अधिकांश खुदाई खिदमतगार धीरे धीरे उस जुलूसमेंसे निकल गये और अन्तमें वह दुर्बल लगनेवाले, निरुत्साहित लोगोंकी छितरी हुई-सी एक टोली रह गयी जिसने कि पेशावरमें चक्कर लगाया।"

सीमाप्रान्तकी सरकारने अन्य प्रदेशोंकी सरकारोंकी भाँति आन्दोलनकारियों-

के खिलाफ कोई कष्टदायक कदम नही उठाया वल्कि उनके आन्दोलनकी शक्तिको क्षीण करनेके लिए विविध प्रकारकी कुटिल चालोको अपनाया। उसने जनताकी धार्मिक भावनाओको भडकानेके लिए मुल्ला लोगोको किरायेपर रख लिया और काफी सख्यामे शरारतसे भरे हुए इश्तिहार और पर्चे बाटे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने साथियोको सावधान करते हुए कहा कि यद्यपि सरकार अभी निष्क्रिय जान पडती है लेकिन यह एक अस्थायी स्थिति है। अभी तो विपत्तियोका एक वडा समूह उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। व्रिटिश सरकार विश्वके सामने इस तथ्यको प्रदर्शित करना चाहती है कि भारतके स्वाधीनता आन्दोलनसे मुसलमानो-का सम्बन्ध नही है। सरकार यह भली भाति जानती है कि खुदाई खिदमतगारोके राष्ट्रीय आन्दोलनमे सम्मिलित होने और उनके ऊपर दमन होनेके समाचार उसके उस प्रचारको, जिसे कि वह विदेशोमे चला रही है, झूठा सिद्ध कर देगे। इसी-लिए उसने सीमाप्रातके समाचारोके वाहर जानेपर कठोर प्रतिवन्ध लगा दिया। खान अव्दुल गफ्फार खाँने सीमाप्रान्तके आन्दोलनका यथार्थ वर्णन इन शब्दोमे किया है,

"हमारे प्रान्तीय जिरगाने अपने प्रतिनिधिके रूपमे सामूहिक आज्ञा-भग आन्दोलनके सचालनके सारे अधिकार मुझको सौंप दिये थे और उसने मुझे 'डिक्टेटर' नियुक्त कर दिया था। 'डिक्टेटर' शब्दसे ही मुझे घृणा थी क्योकि मै एकाधिपत्य और अधिनायकवाद दोनोको वेहद नापसन्द करता हूँ। 'डिक्टेटर' की ओरसे कोई आदेश भेजनेसे पहले मै हमेशा अपने साथियोकी राय ले लिया करता था।"

मेरे निर्देशसे ही सामूहिक आन्दोलनको शुरू किया गया था। वन्नू, कोहाट, टंक, मरदान और पेशावरकी अदालतो और कार्यालयोके ऊपर धरना दिया गया। सरकारने इस आन्दोलनको कुचलनेकी वेहद कोशिश की। एक मुसलमान उपा-युक्त जनाव इस्कदर मिर्जा अग्रेजोके प्रति अपनी परम्परागत निष्ठाके पालनमे अपने स्वामियोसे भी आगे वढ गया। उसने सैयद अकवर नामक एक खुदाई खिदमतगारकी पिटवाते-पिटवाते जान ले ली। वह इतना गिर गया कि उसने खुदाई खिदमतगारोके शिविरमे उनकी सब्जीमे विष मिलवा दिया। जिसने भी उस सब्जीको खाया, वही गम्भीर रूपसे वीमार पड गया। मै उसके अन्य जघन्य कार्योको यहां खोलना नही चाहता। उनके लिए मै उसे, उस सर्वशक्तिमान् ईश्वरके आगे उपस्थित करना चाहता हूँ, जिसके आगे कि 'अंतिम न्यायके दिन' हम सबको उपस्थित होना है।

" 'भारत छोडो' आदोलनकी गतिविधियाके निरीक्षणके लिए मुझको अपने प्रातका दौरा करना पडता था। एक दिन, जब कि म कोहाट जा रहा था, मुझको कोहाट दर्रेके पास गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुझे पेशावर लाकर छोड दिया गया। मै जहाँ भी जाता वही गिरफ्तारी और रिहाईका यह क्रम चलता।

'२७ अक्तूबर सन १९४२ को म पचास खुदाई खिदमतगारोंके एक दलके साथ चारसद्दासे पैदल चला। हम लोगोका इरादा मरदानकी कचहरीपर धरना देनेका था। रास्तेमें कई गावामें रुककर हमने सावजनिक सभाआमें भाषण किये। मीरवस डेरी नामक स्थानपर पुलिस हम लागाकी प्रतीक्षा कर रही थी। हम लोग एक-दूसरेके हाथोको पकडे हुए पक्तिबद्ध 'माच करते जा रहे थे। पुलिस-ने हम लोगोको अलग कर दिया। हमने पुन अपने हाथाको पकडकर पक्ति बना ली। इसपर पुलिसने हम लोगोको बडी निदयताके साथ लाठियासे पीटना शुरू कर दिया। खुशदिल खानने, जो कि एक मामूली अधिकारी था, मुझपर वार किये जिससे मेरी पसलीकी दो हड्डियाँ टूट गयी। मेरे कपडे खूनमें लथपथ हो गये। वह हम सब लागोको गिरफ्तार करके मरदान जेल ले गया। दूसरे दिन हमको रिसालपुर और फिर वहाँसे हरिपुर जेल भेज दिया गया। हमार बहुतसे कायकर्ता हरिपुर जेलमें बन्दी थे। वे अक्सर 'इन्किलाब जिन्दाबाद' के नारे लगाया करते थे। मेर वहाँ पहुँचनेके बाद जेलके अधिकारी उनकी उपेक्षा करने लगे लेकिन मुझको शीघ्र ही अबोटाबाद जेलमें भेज दिया गया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गिरफ्तारीके सम्बन्धमें मुख्य सचिवकी एक गोप नीय टिप्पणीमें यह कहा गया

'दरगईमें रात बितानेके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँ मरदानकी ओर चल दिय। नमाज पढने और भाषण करनेके लिए वे कई स्थानोपर रुके। इस प्रकार वे मरदानसे एक मील दूर एक पुलिस चौकीके पास पहुँच गये। खान अब्दुल गफ्फार खाँको उनके खुदाई खिदमतगार बीचमें घेरे हुए चल रहे थे जिनकी सख्या लगभग १५० थी। उनमेंस ५० लाल कुर्तीवालाकी वर्दी पहन हुए थे। खान अब्दुल गफ्फार खाँने रुकनेम या अधिकारियोंसे सभाषण करनेम इनकार कर दिया। अत पुलिस उनको गिरफ्तार करने और उनके साथियोंको तितर बितर कर दनेके लिए बाध्य हो गयी। अतमें काफी परेशानीके बाद उनका रोककर गिरफ्तार कर लिया गया। उनका पुलिसकी मोटर-कारतक ले जाया गया और वहाँस वे 'लाइस' में भेज दिये गये। जिस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ कार-

तक ले जाये जा रहे थे उस समय वे हिंसापर उतर आये और उन्होने हर प्रकार से विरोध किया। मामूली चोटोके अलावा उनके कोई गम्भीर चोट या घाव नही था इसलिए उनकी 'एक्स रे' परीक्षा आवश्यक नही समझी गयी।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने जेलके अनुभवोको इन शब्दोमे वर्णन किया है

"आन्दोलनके शुरूके दिनोको छोडकर ब्रिटिश सरकारने, जिसका कि मै विरोधी था, मेरा अपमान नही किया और न उसने मुझको कोई शारीरिक आघात ही पहुँचाया। एक बार कारागारोके महानिरीक्षक कर्नल स्मिथ अबोटाबाद जेलका मुआयना करते हुए मेरी छोटीसी कोठरीमे आये। वे कुछ देरतक मुझसे बातचीत करते रहे। इसके बाद वे बाहर निकल आये और उन्होने क्रोधमे जेलके अधीक्षकसे कहा, 'आपने इनको कबूतरके इस दरबेमे क्यो बन्द कर रखा है? आप इनको अस्पतालके किसी कमरेमे क्यो नही रख देते?' जेलके अधीक्षकने आदरपूर्वक कहा कि उसको सरकारसे यही आदेश मिला है। इसके बाद कर्नल स्मिथने प्रान्तके गवर्नर सर जार्ज कनिंघमसे टेलीफोनपर सम्पर्क स्थापित किया और कहा, "योर एक्सलैन्सी, क्या हमारे लिए यह उचित है कि हम अपने एक वीर विपक्षीके साथ वैसा व्यवहार करें जैसा कि हम बादशाह खानके साथ कर रहे है?" सर जार्जको भी यह अखरा और उन्होने अपना आदेश वापस ले लिया। कर्नल स्मिथ मुझे किसी ऐसी जेलमें भेज देनेका आदेश पहलेसे ही दे चुके थे, जो कि मेरे उपयुक्त हो। उन्होने मुझे उस जेलमे भेज दिया जहाँ कि मेरा पुत्र वली बन्दी था। मेरे साथके लिए उन्होने वहाँ तीन अन्य कैदियोको भी तबादला करके भेज दिया।

"सन् १९४३ के अक्तूबर महीनेमे मेरा तबादला फिर हरिपुर कर दिया गया। उस समय अधिकाश राजनीतिक बन्दी रिहा किये जा चुके थे। इस जेलका घेरा बहुत दूरतक फैला हुआ था और उसमे लम्बी-लम्बी बैरकें बनी हुई थी। उसके गलियारे काफी विस्तीर्ण थे। जेलमे बहुत चौडी-चौडी सडके थी और एक बडा उद्यान था। यह जेल विशेष रूपसे सीमाप्रान्त और उसके आस-पासके इलाकोके गम्भीर अपराधोके कैदियो और डाकुओके लिए थी। यहाँके अस्पतालका फर्श संगमर्मरका था और इस जेलमे कैदियोको हॉकी, फुटबाल तथा अन्य खेल खेलनेकी अनुमति थी, फिर भी वहाँकी व्यवस्था बहुत कठोर थी। कैदियोके साथ पशु-तुल्य व्यवहार किया जाता था। वहाँ काफी बडी संख्यामे राजनीतिक बन्दी रखे गये थे। उनको एक शिविरमे अलग रखा गया था, जिसको

एक ऊँची दीवार घेरे हुए थी। हरिपुर जेलमें खुदाई खिदमतगार तिरस्कारके पात्र समझे जाते थे और उनके साथ पशु जैसा व्यवहार किया जाता था। उनको जबरदस्ती एक छोटीसी कोठरीके भीतर ढकेल दिया जाता था और फिर उनको पीटा जाता था। सर्दीकी भयानक रातोंमें अक्सर उनके कपडे उतरवा लिये जाते थे और उनको बेंतोंसे मारा जाता था। इन यन्त्रणाओंके कारण कुछ राजनीतिक कैदी जेलमें ही मर गये। इस जेलमें मेरी निजकी तलाशी ली गयी।

'हम लोगोंमेंसे अधिकांश नजरबन्द थे और हमको जेलका कोई काम नहीं दिया गया था। हमने जेलरसे कहा कि वे हम लोगोंको निवाड़ बुननेका काम दें क्योंकि सौ फुट निवाड़ बुन लेनेपर दो रुपये मजदूरी मिल जाती थी। हम लोगोंने इस तरहसे काफी रुपये इकट्ठे कर लिये और फिर उनको अपने सरदर याब केन्द्रमें भेज दिया। खुदाई खिदमतगारोंमेंसे बहुतोंको अक्षर ज्ञान न था। उन्हें साक्षर बनानेके लिए हम लोग जेलमें कक्षाएँ चलाने लगे। थोड़े ही दिनोंमें वे लिखना पढ़ना सीख गये।

'हम लोग कुरान और गीता पढ़ा करते थे। अमीर मुहम्मद खाँ जो कि एक शायर थे और पण्डित शम्भुनाथ जो संस्कृतके अच्छे विद्वान थे हम लोगोंको इन धर्म ग्रन्थोंको समझाते थे। इन कक्षाओंमें विभिन्न धर्मोंके अनुयायी सम्मिलित होते थे। एक दिन जिस समय अमीर मुहम्मद खाँ कुरानके ऊपर भाषण कर रहे थे एक हिन्दू तरुणने उनके समक्ष अपनी कोई शंका व्यक्त की। अमीर मुहम्मद खाँ इसपर नाराज हो गये और बोले कि कुरानके किसी अंशकी आलोचना नहीं की जा सकती। इसपर मैंने उन्हें रोका और कहा कि उनका उस युवकपर नाराज होना ठीक नहीं है। यदि वह कुरानके किसी अंशको समझ सकनेमें असमर्थ रहा है तो वह उसको समझा देना चाहिए। पण्डित शम्भुनाथ गीताकी कक्षाएँ लिया करते थे।

'प्रत्येक रविवारको सब राजनीतिक बन्दी एक जगह इकट्ठे होते थे और मिलजुलकर कवि इकबालका 'सारे जहाँसे अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गीत गाया करते थे। इसके बाद वार्ताओं और कहानियोंका क्रम चलता था और चर्चाएँ होती थीं। इकबालकी कृतियोंमेंसे, जो कि मुझे प्रिय थीं, कविता-पाठ भी हुआ करता था। कार्यक्रमके अन्तमें मैं एकत्रित लोगोंमें मिठाइयाँ बाँटा करता था।

'हम लोग विविध विषयोंपर विचार विनिमय किया करते। मैं उन लोगोंको इस्लामके स्वर्ण युगकी कथाएँ सुनाया करता था जिनमें खलीफाओंकी परंपरा तथा अबूबकर और उमरके जीवनकी घटनाएँ भी शामिल रहती थीं। अबूबकरने

खलीफाके पदको स्वीकार करनेसे इनकार कर दिया। वादमे वहुत आग्रह करनेपर वे उसके लिए तैयार हुए। वे दारपर कते सूतका एक मोटा-सा अगरखा पहना करते थे और ताडके पत्तोकी चटाईपर सोया करते थे। ईदका त्योहार निकट था। उस अवसरपर वच्चाकी मिठाईके लिए उनकी पत्नीने उनसे कुछ मुद्राएँ मागी। उन्होने अपनी पत्नीको जवाव दिया कि खलीफासे आत्म-त्यागके एक उच्चस्तरकी अपेक्षा की जाती है। उस दृष्टिसे यह ठीक नही होगा। पत्नीने परिवारके खर्चमें कठोर मितव्ययिता करके कुछ वचा लिया। अवूवकरने इसे इस वातका एक सकेत समझा कि वे वैत-उल-मलसे जो भत्ता पाते है, वह उनकी कठोर आवश्यकताओसे अधिक है। उन्होने उसे और भी कम कर दिया।

"जव देशमे गल्लेकी कमी थी तव उमर कभी नियमित रूपसे दो वार भोजन नही किया करते थे। जव मिस्रसे गल्ला आ गया, अन्नकी पूर्ति हो गयी और उसे गरीवोमे वाट दिया गया तव कही उन्होने दो वारके 'भोजन-विलास'को स्वीकार किया। वे केवल आदेश जारी करके ही सन्तुष्ट नही हो जाते थे वल्कि वे वेश वदलकर गुप्त रूपसे यह भी देखने निकलते थे कि निर्धन जनता किसी अभावसे ग्रस्त तो नही है? इसी प्रकार एक वार रातमे गश्त लगाते हुए वे एक गरीव औरतके झोपडेके सामनेसे होकर निकले। वह फर्शपर वीमार लेटी थी। चूल्हेपर एक हाडी चढी थी और वच्चे भूखसे रो रहे थे। उमरने कोठरीमे प्रवेश करके उससे पूछा, 'तुम इनको कुछ खानेको क्यो नही देती?' वह वोली, 'मै इनको क्या दे दूँ?' उमरने हाडीके ढक्कनको उठाकर देखा तो उसमे केवल पानी उवल रहा था। वह इसलिए रखा गया था कि वच्चे वहले रहे और चुप रहे। उमरने उससे पूछा, 'जव तुम्हारे पास अपने वच्चोको खिलानेके लिए भोजन नही है तव तुम खलीफाके पास क्यो नही जाती?'

'मै क्यो जाऊँ? क्या यह देखना खलीफाका काम नही है?' स्त्रीने उत्तरमे कहा।

'लेकिन खलीफाके पास तो वहुतसे काम है। भला वह हर एक वातको और हर एक आदमीको कैसे देख सकता है?' उमरने क्षमा-याचना-सी करते हुए कहा।

"जव खलीफाने मेरे पति और पुत्रको अपनी लडाईमे भेज दिया तो क्या वादमे उसे उनके परिवारको नही देखना चाहिए?' स्त्री वोली। उमरके पास अव कुछ कहनेको न वचा था। उन्होने 'वैत-उल-मल' से शीघ्र सामग्री लानेको विशेष रूपसे अपना एक हरकारा भेजा। जव उन्होने अपने सामने भोजन पकवा

लिया और भूखे परिवारको खिला लिया तब कहीं उनको संतोष हुआ। यह वह परम्परा थी जो कि हमारे शुरूके खलीफा लोगोंने अपनायी थी।"

खान अब्दुल गफ्फार खाने अपनी टिप्पणीमें आगे लिखा है "खुदाई खिदमतगारोंके लिए कर्नल स्मिथको विशेष रूपमें सीमाप्रान्तके कारागारोंका महानिरीक्षक बनाकर भेजा गया था। वह एक पक्का साहब था और बहुत ही तेजमिजाज था। खुदाई खिदमतगारोंके लिए उसके मनमें एक गहरा द्वेष भाव था। यहाँतक कि एक बार चक्कीघरकी बन्द कोठरीमें उसने एक खुदाई खिदमतगारको गोली से मार दिया था। एक दिन वह जेलोंका निरीक्षण करते हुए हरिपुर जेलमें आया। मैंने अपनी कोठरीके आगेकी खुली जगहमें मुर्गियाँ आदि कुछ पक्षी पाल लिये थे। वे चिड़ियाँ मेरे पास आकर मेरी गोदमें बैठ जाती थीं। कभी कभी वे मेरी पीठ सिर और कंधोंको भी अपना अड्डा बना लेती थीं। कर्नल स्मिथ मुझसे छिपकर चुपचाप खड़ा यह दृश्य देखता रहा। कुछ देर बाद वह मेरे सामने आकर बोला, 'गुड मॉर्निंग खान साहब, यह सब क्या है?' 'वही जो कुछ आप देख रहे हैं।' मैंने उत्तर दिया। इसके साथ मैंने यह भी जोड़ दिया कि अंग्रेज लोगों का यह दृश्य वास्तवमें एक बहुत बड़ी नसीहत दे रहा है। वह उलझनमें पड़ गया। तब मैंने उसको समझाया कि उसने जो कुछ देखा वह प्रेमकी शक्तिका एक छोटा-सा उदाहरण है। 'मेरे ये पंखोंवाले मित्र यह भली भाँति जानते हैं कि वे खानेके लिए हैं और उनको काट डाला जायगा इसलिए नियमके अनुसार उनको मनुष्यसे डरना चाहिए लेकिन देखिए, मेरे तनिकसे स्नेहका वे कैसा जवाब दे रहे हैं?' मेरी बात सुनकर वह एक गहरे विचारमें डूब गया। कुछ देरतक वह बिना एक शब्द भी बोले हुए ज्योंका-त्यों खड़ा रहा। यद्यपि हमारा आन्दोलन चलता रहा परन्तु मानो वह एक भिन्न मनुष्य बन गया। अंग्रेज देशभक्त और वीर हैं और जब वे अन्य लोगोंमें इन गुणोंको देखते हैं तब इनका आदर करते हैं। वह मेरे लिए अपने मनमें कुछ स्नेह भाव रखने लगा था। यद्यपि वह अभिमानी था फिर भी वह एक चरित्रवान् पुरुष था। वह कहा करता था कि यदि पाकिस्तान एक यथार्थ बन गया तो फिर वह इस देशमें एक दिन भी न रहेगा। वह अपनी बातका धनी निकला। पाकिस्तान बनते ही शीघ्र उसने अपनी नौकरी से निवृत्ति ले ली और अपने घर चला गया।"

सारे देशमें बड़ी तेजी और क्रूरताके साथ दमन किया जा रहा था। सन् १९४२ के अन्ततक ६०,००० से भी अधिक व्यक्ति गिरफ्तार कर लिये गये थे। जेलोंमें बेहद भीड़ हो गयी थी। केवल सीमाप्रान्तमें ही लगभग छः हजार स्वयं

सेवक जेल गये थे। अक्सर दमनके खिलाफ विरोध प्रकट किया जाता था। जनता अपनी निजकी प्रेरणासे सार्वजनिक प्रदर्शन किया करती थी। जुलूस भंग कर दिये जाते थे, उनपर गोलियाँ चलायी जाती थी और आसू गैसके बम छोडे जाते थे। वे सब रास्ते, जिनसे कि जनताके विचार व्यक्त हो सकते थे, रुँध गये थे। ये समस्त दमित भावनाएँ एक साथ फूट पडी। शहरो और ग्रामीण क्षेत्रोमे जनता इकट्ठी होकर पुलिस और सेनासे टक्कर लेने लगी। भीड, जिसे भी ब्रिटिश सत्ता और बलका प्रतीक समझ लेती थी, उसीपर हमला करती थी, पुलिस थाने, डाकघर और रेलवेके स्टेशन। वह टेलीफोन और टेलीग्राफके तारोको काट डालती थी। रेलकी पटरियोको उखाड देती थी और पुलोको हानि पहुँचाती थी। भारतके एक बहुत बडे भागमे संचार-व्यवस्थाको गम्भीर रूपसे एक धक्का लगा था। देशके कुछ भागोमे एक या दो महीनेतक गम्भीर उपद्रवकी घटनाएँ होती रही। बादमें यदा-कदा ऐसी कोई घटना हो जाती रही।

प्रधान मंत्री चर्चिलने संसदमे कहा, "अब कांग्रेस पार्टीने अहिंसाकी नीति त्याग दी है, जिसकी सिद्धांतके तौरपर गाधी बहुत दिनोसे वकालत करते चले आ रहे थे, अब वह क्रातिकारी आन्दोलनके रूपमे खुलकर सामने आ गयी है। अपना सारा जोर लगाकर सरकारने उपद्रवकारियोंको कुचल दिया है। भारतको अधिकाधिक फौजी टुकड़ियाँ भेजी जा रही है और जबसे भारत और ब्रिटेनका सम्बन्ध स्थापित हुआ है तबसे लेकर अबतक वहाँ गोरी सेना इतनी संख्यामे कभी नही थी।"

१९४३ मे अपने ऐतिहासिक उपवासके अवसरपर गाधीजीने कहा . "सरकार ने जनताको उकसा-उकसाकर पागल कर दिया। गिरफ्तारियोके रूपमे उसने निर्मम हिंसा शुरू कर दी। हिंसा यदि प्रबल रूपसे संगठित होकर हजरत मूसाके 'एक जानके बदले एक जान' के स्थानपर 'एक जानके बदले हजार जान' का नियम चरितार्थ कर दे, तो भी उसे हिंसा ही कहा जायगा। मूसाके नियमके जवाबी नियमकी, अर्थात् ईसामसीहकी अहिसाकी, तो यहाँ चर्चा ही व्यर्थ है। भारतकी सर्वशक्तिमान सरकारके दमन कार्योकी मै किसी दूसरे रूपमे व्याख्या ही नही कर सकता।"

इस बातकी कोई सम्भावना नही थी कि गाधीजी और उनके साथी लम्बे चलनेवाले विश्वयुद्धके समाप्त होनेसे पहले मुक्त होगे। नजरबन्द होनेके कुछ ही समय बाद गाधीजीके अनन्य भक्त और निजी सचिव महादेव देसाई चल बसे। फरवरी १९४४ मे गाधीजीकी बासठ वर्षोकी सहधर्मिणी कस्तूर बा कैंपमे दिवंगत

हो गये। इस दुर्घटनाके कुछ सप्ताह बाद अस्वस्थताके कारण गांधीजी रिहा कर दिये गये।

१९४५ में गुल्के महीनोंमें भारतकी राजनीति तेजीसे करवटें लेने लगी। यद्यपि अब भी अधिकांश नेता नजरबन्द थे पर काग्रेस रचनात्मक क्षेत्र और संसदीय गतिविधि दोनोंमें अधिकाधिक सक्रिय हो रही थी। सेन्ट्रल असेंबलीके बहिष्कारकी नीति जब उसने त्याग दी थी और उसने दूसरी पार्टियोंके साथ गठबंधन करके चार या पाँच मौकोंपर सरकारको शिकस्त भी दी थी।

सीमा प्रान्तमें भी परिस्थितियाँ बदल चली थीं। औरंगजेब खाँकी वजारत, जो १९४३ में गवर्नर द्वारा काग्रेसी मन्त्रिमंडल भंग करके स्थापित की गयी थी और विधान-सभाके विरोधी सदस्योंकी गिरफ्तारी और नजरबन्दीके सहारे चल रही थी अपने भ्रष्टाचार, अनाचार और अकुशल प्रशासनके कारण बुरी तरह बदनाम हो चली थी। मार्च १९४५ में अविश्वासके प्रस्तावपर औरंगजेब खाँकी सरकार भंग हो गयी और डा० खान साहबके नेतृत्वमें काग्रेस फिरसे सत्तारूढ हुई। इस सरकारने सबसे पहले यह काम किया कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ और खुदाई खिदमतगार मजदूरोंको मुक्त कर दिया।

१९४५ में जर्मनीने मित्रराष्ट्रोंके समक्ष घुटने टेक दिये। जापानको शीघ्र परास्त करनेके लिए भारतका सहयोग जरूरी था। जून १९४५ में काग्रेस कार्यकारिणी समितिके लोग आजाद कर दिये गये और इसके बाद दूसरे राजनीतिक बंदी रिहा किये गये। स्थितिकी विवेचना करते हुए गांधीजीने कहा

समूचा भारत एक विशाल जेल है। वाइसराय इस जेलका एक गैरजिम्मेदार सुपरिटेंडेंट है और इसके अधीन असंख्य जेलर और वार्डर काम करते हैं। भारतके ४० करोड लोग ही बंदी नहीं हैं धरतीके दूसरे भागोंमें, दूसरे सुपरिटेण्डेंटोंके अधीन भी बहुतसे बंदी रह रहे हैं।

जेलर भी बंदी है। वह उतना ही बंदी है जितना कि कोई बंदी हो सकता है। निश्चय ही इस कैदमें एक अंतर है। मेरे विचारमें जेलरकी हालत और भी बुरी है। अगर कहीं कोई अदृश्य न्यायाधीश है जिसे हम नहीं देख पा रहे हैं परन्तु हमारे क्षणिक अस्तित्वसे जिसका अस्तित्व ज्यादा पुख्ता है और कभी न कभी वह न्याय करेगा तो उसका निर्णय जेलरके खिलाफ और हमारे पक्षमें होगा।

'मैं जानता हूँ कि मुझे अहिंसक भारतकी वकालत करनेकी आवश्यकता नहीं। अगर भारतके सिक्केका एक पहलू सत्य और दूसरा अहिंसा है तो स्पष्ट

वह सिक्का अनमोल है। सत्य और अहिंसाको हर पगपर विनयका प्रदर्शन करना ही चाहिए। सत्य और अहिंसाको सच्ची मददसे घृणा नहीं, चाहे वह कहींसे क्यों न मिले, और यदि जिनके लिए और जिनके नामपर शोषण किया जाता है उन्हींसे सहायता मिले तो क्या बात है। यदि अंग्रेज और उनके मित्र हमारी सहायता करते हैं तो यह और अच्छा है। ऐसी स्थितिमें आजादी और शीघ्र मिलेगी। यदि वे नहीं भी मदद करते तो भी आजादी तो निश्चित ही है। अंतर इतना ही है कि समय ज्यादा लगेगा और हमारी कठिनाइयाँ बढ़ जायँगी। लेकिन आजादीके लानेमें लगे हुए समय और संकटोंकी क्या चिन्ता है, विशेष रूपसे तब, जब कि हम आजादीको सत्य और अहिंसा द्वारा अर्जित कर रहे हैं?

कैबिनेट मिशन योजना

१९४५-४६

तीन बरस पृथक रहनेके बाद २१ जून १९४५ को बम्बईमें गांधीजी कार्य कारिणी समितिके सदस्योंसे मिले। समितिने तय किया कि आमन्त्रित कांग्रेस सदस्य शिमला सम्मेलनमें सम्मिलित हों।

२५ जूनको शिमलामें वाइसराय भवनमें आमंत्रित सदस्य एकत्र हुए। आगतोंमें कांग्रेस और मुस्लिम लीगके अध्यक्ष और परिगणित जातियों और सिखोंके प्रतिनिधि भी थे। सेंट्रल असेंबलीमें कांग्रेसके नेता, मुस्लिम लीगके उपनेता नेशनलिस्ट पार्टीके नेता और असेंबलीके यूरोपियन सदस्य भी बुलाये गये थे। इनके अलावा प्रान्तीय सरकारोंके मुख्य मंत्री और निकट अतीतमें रह चुके मुख्य मंत्रीगण भी आहूत किये गये थे। हिन्दू महासभाको निमंत्रण नहीं भेजा गया था।

वाइसराय चाहते थे कि शिमला सम्मेलनमें गांधी जरूर भाग लें। गांधीजीकी दलील यह थी कि प्रतिनिधियोंकी बैठकमें कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही विख्यात क्यों न हो यदि वह डेलीगेट नहीं है तो शरीक नहीं हो सकता। वाइसरायने कहा कि शिमला सम्मेलनके समय गांधीजी शिमलामें रहें। गांधीजी इसपर राजी हो गये।

लॉर्ड वेवलने अपने सम्मेलनके उद्घाटन भाषणमें आशा व्यक्त की कि सम्मेलनमें

हिन्दू हूँ या मुस्लिम ?

वाइसराय . इसे यही छोडिये। काग्रेस अपने सदस्योका प्रतिनिधित्व तो करती ही है।

प्रारम्भमे वातावरण आशाजनक था। प्रश्न यह नही था कि भारतीयोको कितनी सत्ता प्रदान की जाय, जैसा कि क्रिप्स मिशनके दिनोमे था, वल्कि सत्ताको भारतीयोमे बाँटनेका प्रश्न था। यह निश्चित हो चुका था कि प्रबन्ध समितिके नये पद हरिजन, सिख और दूसरे अल्पसंख्यकोको दिये जायँ और इस वातपर वहस नही हुई कि मुसलमानोको सवर्ण हिन्दुओके वरावर स्थान मिले। झगडेका मुद्दआ यह था कि वे मुसलमान कौन होगे ? मि० जिना अल्पसख्यकोको समिति-मे उदार प्रतिनिधित्व देनेपर सख्त एतराज कर रहे थे क्योकि उन्हे विश्वास था कि वे काग्रेसका साथ देगे।

२९ जूनको यह मामला वुलन्दीपर आया जव मौलाना आजाद और मि० जिनाने, जो अपनी-अपनी कार्यकारिणी समितियोके निकट सम्पर्कमे थे, सूचना दी कि वे प्रवन्ध समितिकी सदस्य संख्या और संगठनके विपयमे सहमत नही हो पा रहे हैं। अनौपचारिक परामर्शकी सुविधाके लिए सम्मेलन १४ जुलाईतक स्थगित कर दिया गया और लार्ड वैवेलने नेताओसे सूचियाँ माँगी, जिनसे वे नयी प्रवध समितिके लोगोका चयन कर सके।

७ जुलाईतक काग्रेस और अन्य सभी छोटी पार्टियोने अपनी सूचियाँ पेश कर दी। केवल मुस्लिम लीगने इससे इनकार किया यद्यपि वह वार्ताभग होनेसे वचनेकी कोशिश वरावर करती रही। ज्ञात हुआ कि काग्रेसकी सूची, प्रवन्ध समितिके समग्र सगठनकी रूपरेखा है और उसमे सभी वडी पार्टियोके प्रतिनिधि सम्मलित कर लिये गये है और उसमे मि० जिना और मुस्लिम लीगके दो और लोग भी शामिल कर लिये गये है जव कि काग्रेसकी ओरसे केवल पाँच नाम है, जिनमेसे दो हे, मौलाना आजाद और श्री आसफ अली। मौलाना आजादने यह वात स्पष्ट कर दी कि काग्रेसकी नामावलीमे इन दो मुसलमानोको सिद्धान्तके कारण रखा गया है। "काग्रेस एक राष्ट्रीय सस्था है और इसलिए स्पष्ट है कि वह ऐसे किसी षड्यंत्रमे शामिल नही हो सकती जो उसके राष्ट्रीय स्वरूपमे विकार उत्पन्न करे और उसकी राष्ट्रीयताके विकासमे वाधा डाले और आखिरकार काग्रेस एक दलकी सस्था वनकर रह जाय।"

मि० जिनाने इस आश्वासनके विना कि समितिके सभी मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम लीगके सदस्य माने जायँगे, लीगकी ओरसे सूची देनेसे इनकार कर दिया।

फरवरी १४ तारीखको जब मन्त्रिमण्डल [illegible] हुए तो लीगने बदलेमें [illegible] की घोषणा कर दी।

मौलाना आज़ादने अपना प्रतिक्रिया व्यक्त की। यदि जिनाकी ज़िदके कारण सम्मेलन भंग न हुआ होता तो हिन्दुस्तानके सबसे आबादीवाले सात प्रान्तोंमें मुसलमानोंको १४ सदस्योंकी समितिमें ७ स्थान मिले होते। यह कांग्रेसकी उदारताका उदाहरण है और इससे मुस्लिम लीगके विरोधपर एक प्रकाश पड़ता है। हमने जिना साहबकी इच्छा पूरी करनेका भरसक प्रयत्न किया लेकिन हम यह नहीं मान सकते थे कि मुस्लिम लीग ही अकेली ऐसी संस्था है, जो हिन्दुस्तानके सभी मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है। उन सूबोंमें जहाँ मुसलमानोंका बहुमत था लीगका मन्त्रिमण्डल नहीं था। सरहदी सूबेमें कांग्रेसका मन्त्रिमण्डल था। इस कारण यह दावा असत्य है कि मुस्लिम लीग सभी मुसलमानोंका प्रतिनिधित्व करती है। वास्तवमें मुसलमानोंका एक बहुत बड़ा दल ऐसा है जिसे लीगसे कोई मतलब नहीं है।

गांधीजीने वाइसरायको लिखा — मुझे यह सोचकर दुःख होता है कि जो सम्मेलन आशा और प्रसन्नताके वातावरणमें आरम्भ हुआ उसका अन्त असफलतामें हुआ। मुझे अपने इस सन्देहको नहीं छिपाना चाहिए कि इसकी तहमें शायद यह बात है कि सत्ताधारी वर्गको सत्तासे अलग होना नागवार लगता है और हालमें ही कदम रहे चुके लोगोंके हाथमें असली नियन्त्रण सौंपनेका मतलब यही होता।

यह अनिश्चयका दौर था। २५ जुलाईको अटक पुलपर खान अब्दुल गफ्फार खाँको सूचना दी गयी कि वे अटक जिलेमें प्रवेश नहीं कर सकते हालाँकि वे अटक जिलेसे गुज़रते हुए एबटाबाद जा सकते हैं। उन्होंने चच क्षेत्रमें अपने मित्रोंसे मिलनेका आग्रह किया। जिलाधिकारी उन्हें एबटाबाद ले गये और वहाँ उन्हें छोड़ दिया गया।

पंजाब सरकारने अटक जिलेमें खान अब्दुल गफ्फार खाँपर लगी रोकपर सफाई देते हुए कहा

अटकके जिलाधिकारियोंको सूचना मिली कि २५ जुलाईको खान अब्दुल गफ्फार खाँ जिलेमें आनेवाले हैं और चचमें कई सार्वजनिक सभाओंमें भाषण करनेवाले हैं। उन्हें यह सूचना भी मिली थी कि उनके खिलाफ प्रदर्शनोंका आयोजन भी किया जा रहा है और मुस्लिम लीगके कुछ अनुयायी उन्हें काले झंडे दिखायेंगे। इन सब आयोजनोंके चलते देनेपर शान्ति भंग होगी यह जानकर

जिला मजिस्ट्रेटने अटक जिलेमे खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रवेशपर रोक लगा दी और अटक जिलेमे उन्हे भाषण करनेकी मनाही कर दी। पेशावर छोडनेसे पहले ही उन्हे सरकारी हुक्म मिल चुका है।

"बताया गया है कि अटक जिलेमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ भाषण करनेके इरादेसे नही आये, मगर जिला मजिस्ट्रेटको इस बातकी सूचना उस दिन शाम-तक नही मिली जिस दिन वे अटक पुलपर आये और उन्हे वही रोक लिया गया। इस बीच शाति भगकी आशंका उत्पन्न करनेवाला एक नया कारण अवश्य पैदा हो गया।

"२५ जुलाईको ११ बजे दिनमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ अटक पुलपर आये और उन्हे बताया गया कि वे जिलेमे प्रवेश नही कर सकते, यद्यपि यदि वे चाहे तो जिलेमे होकर अबोटाबाद जा सकते है। उन्होने जिलेसे होकर जानेसे इन-कार कर दिया और चच जानेकी जिद की। उन्हे आगे बढनेकी आज्ञा नही दी गयी और वे अटक पुलकी सडकके किनारे बैठ गये हालाँकि उन्हे बताया गया कि वे नागरिक पूर्ति विभागके अधिकारियोके तम्बूमे इतजार कर सकते है।

"खान अब्दुल गफ्फार खाँ गिरफ्तार नही किये गये, पर वे पुलपर डटे रहे। उसी रोज शामको जिला मजिस्ट्रेटने भारत रक्षा नियमकी धारा २६ (४) के अनुसार उन्हे अटक जिलेसे दूर करनेका फैसला लिया।

"दूसरे रोज खान अब्दुल गफ्फार खाँ ट्रेनसे कैम्पबेलपुर पहुँच गये। अटक जिलेमे उनके प्रवेशपर रोक जारी थी और उन्होने आगे जानेके लिए कोई व्यवस्था नही की थी। अत. जिला अधिकारियोने उनके अबोटाबाद जानेकी व्यवस्था कर दी। उन्हे सैनिक लॉरीमे एक पुलिस सब-इंसपेक्टरके साथ अबोटा-बाद पहुँचाया गया।

"खान अब्दुल गफ्फार खाँके इस बयानकी पजाब सरकार कोई विवेचना नही करना चाहती कि अटक जिलेमे भाषण करनेका उनका इरादा नही था। इसके बावजूद चचके इलाकेमे सार्वजनिक सभाकी तैयारी हो चुकी थी और जिला मजिस्ट्रेटको विश्वस्त सूत्रोसे सूचना मिली थी कि विरोधी प्रदर्शनोका भी इंतजाम हो चुका है। एक पडोसी राज्यमे हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओसे स्पष्ट है कि एक राजनीतिक पार्टीके प्रदर्शनोका निरोध जब दूसरी राजनीतिक पार्टी करनेपर उतारू हो जाती है तो कितना बडा खतरा पैदा हो जाता है।"

अगस्तमे जम्मू और कश्मीर राज्यमे, शिवपुरमे नेशनल कान्फरेसकी बैठकके खिलाफ, जिसमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ और नेहरू शामिल हो रहे थे, प्रदर्शन

ऐसी हालते पैदा करनेकी कोशिश की जानी चाहिए जिनमे सभी इकाइयोंमे समान और सहयोगात्मक राष्ट्रीय जीवनका विकास किया जा सके। "इस सिद्धातकी स्वीकृतिके साथ ही यह भी तय है कि ऐसे परिवर्तन न किये जायँ जिनके फलस्वरूप नयी समस्याएँ उत्पन्न हो और किसी क्षेत्रविशेषके लिए महत्त्वपूर्ण जनसमूहपर दवाव डाला जाय। एक सशक्त राष्ट्रीय संघीय सरकारके अन्तर्गत प्रत्येक प्रादेशिक इकाईको पूर्णतम सभव स्वशासनका अधिकार मिलना चाहिए।"

अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीका अधिवेशन वम्वईमे २१ सितम्वरसे शुरू हुआ। वाइसरायके भाषणपर प्रस्ताव पेश करते हुए सरदार पटेलने सरकारी सुझावोको 'अस्पष्ट, अपर्याप्त और असतोषजनक' वताया। प्रस्तावमे केन्द्रीय असेम्वलीके लिए सकीर्ण मताधिकार और अशुद्धियोसे भरी मतदाताओकी सूचीकी आलोचना की गयी। राजनीतिक पार्टियो और सगठनोपरसे हर प्रकारकी पावन्दियो, अयोग्यताओ और वन्धनोको हटा लेनेकी माग की गयी, कहा गया कि राजनीतिक गतिविधियोके लिए गिरफ्तार किया गया प्रत्येक व्यक्ति रिहा किया जाय। लार्ड वैवेलके प्रस्तावोकी निंदा की गयी क्योकि उनके अनुसार एक भ्रष्ट और अयोग्य प्रशासनके हाथोमे सत्ता वनी रह गयी और इसे सत्तामे वने रहनेकी इच्छाका एक प्रमाण माना गया। इसके वावजूद यह घोषित किया गया कि सत्ता हस्तातरणके मसलेपर जनताकी आकाक्षाओको मुखर करनेके लिए काग्रेस चुनावोमे भाग लेगी।

कार्यकारिणी समितिकी अधिकाश वैठकोमे गाधीजी मौजूद थे पर उन्होने अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे भाग नही लिया। उनका स्वास्थ्य अच्छा नही चल रहा था। खान अब्दुल गफ्फार खॉ ज्यादातर गाधीके साथ रहा करते थे। अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीमे उपस्थित कर्नाटकके प्रतिनिधियोको सम्वोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खॉंने कहा कि मानवताकी सेवा, ईश्वरकी सेवा है और यह अहिंसाके तरीकोसे ही हो सकती है। अहिंसा वहुत वडा फलसफा है और अहिंसाके द्वारा ही हिंसासे प्रभावकारी ढंगसे लडा जा सकता है। सीमाप्रान्तको दोनो तरीकोका अनुभव है। अपने अनुभवसे हमने यही नसीहत पायी कि जहॉं हिंसा असफल हो गयी, वही अहिंसासे वडी-वडी सफलताएँ प्राप्त हुई। जव कि हिंसासे अपने ही साथियोकी हानि हुई और हिंसाको आसानीसे कुचल भी दिया गया, मगर अहिंसाको दवानेका हर उपाय न केवल असफल हुआ वल्कि उसने अहिंसाके हाथोको और मजवूत कर दिया।

१९४२ के आन्दोलनका उल्लेख करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाने कहा:

"इस जनविप्लवमे सिद्ध हो गया कि गनिक प्रवृत्ति केवल सीमातके निवासियोमें ही नही है बल्कि भारतीयोके प्रत्येक वर्गमें भी है। लेकिन थोडा अतर भी है। सीमातके लोग केवल सनिक प्रवृत्तिके नही है बल्कि उनके साथ हिंसाके साधन भी है और इसलिए वे ज्यादा हिंसा करतम समय है। लेकिन हिंसक घटनाएँ सीमान्त राज्यकी अपेक्षा दूसरे स्थानोपर अधिक होता है। जब मेरे प्रान्तके लोगोने मुझसे पूछा कि हम लोग क्या हिंसा न करें तो मने उनसे कहा कि हिंसाका सहारा लेकर आप लोग अपने ही साथियोके जीवनको खतरमें डालेंगे। यही नही, मुझे विश्वास है कि हिंसासे कोई उपलब्धि नही हो सकेगी और हिंसा निश्चय ही कुचल दी जायगी। अंग्रेजोके हाथसे आजादीको अहिंसाके द्वारा ही छीना जा सकता है।

अत्यत उग्र हिंसाको भी अहिंसाकी अमित शक्ति द्वारा जीता जा सकता है। अंग्रेज हिंसाको क्रूरतापूर्वक दबा सकते है लेकिन अहिंसासे वे इतने हतप्रभ है कि जनताकी चेतनाको कुचलनेका उनका हर प्रयास विफल हो रहा है। उन्होने जर्मनी और जापानका दृष्टान्त दिया जो शस्त्रबलके द्वारा भी कोई सफलता नही प्राप्त कर सके। हिंसाकी यह सभ्यता चलती रही तो एक दिन ससारका अत हो जायगा। हम हर मूल्यपर मानवताकी रक्षा करनी होगी। इसके लिए एक नयी शक्ति है और उसका नाम है अहिंसा।

हिंदू मुस्लिम सवालपर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमान हिन्दुओंके भाईबद है। हिंदू और मुसलमानोको एकमत होकर अंग्रेजोको भगानेकी कोशिश करनी चाहिए जो चालाकीसे फूटके बीजोको इस प्रकार बो रहे है कि बच्चेतक हिंदू और मुस्लिम भावनाओसे ग्रस्त है।

उन्होंने इस बातपर बडा हर्ष व्यक्त किया कि देशके इस भागमे युवक और युवनियोतक देशके काममे बहुत उत्साहसे सलग्न है। सचमुच स्त्रियोको इस दिशामे बहुत बडा योगदान करना है। सीमान्त प्रदेशमे हम स्त्रियोको सम्मान तो देते है लेकिन उन्हें बराबर मौका नही देते। लेकिन हमारे यहाँ स्त्रियाँ अब धीरे धीरे आगे आ रही है और वे मर्दोके साथ कधेसे कधा भिडाकर सघर्ष करेंगी।

गाधीजीकी बगाल यात्राके अवसरपर कलकत्तामे दिसम्बरके पहले सप्ताहमें कार्यकारिणी समितिकी बैठक निधारित कर दी गयी। बैठकका प्रधान विषय चुनावका घोषणापत्र रखा गया। गाधीजीने कहा कि चुनावकी उत्तम तयारी यह है कि काग्रेसके आतरिक मतभेदोका अत कर दिया जाय। काग्रेसने देशमें अहिंसा-

की नीति द्वारा अपना अद्वितीय स्थान बनाया है। यह हैसियत इसी नीति
विकसित करते जानेसे बढायी जा सकती है। इस दृष्टिसे काग्रेस आगे बढने
बजाय पीछे हट रही है। १९४२ में काग्रेसके नेताओकी गिरफ्तारीके बाद जनत
ने जो कुछ भी किया उसके संबधमे मैने ऐसा एक भी शब्द नही कहा जिसे निं
के अर्थमे लिया जा सके। लेकिन मै समझता हूँ, काग्रेस इस विषयमे मौन न
रह सकती। इसके अतिरिक्त चुनावके खर्चका प्रश्न है। उन्होने कहा कि काग्रे
की वास्तविक विजय तो तब मानी जायगी जब वह खर्च किये बगैर चुनाव जी
ले। इस उसूलपर दृढ रहनेसे पराजय हो जाय, तो भी चिंताकी बात नही है
कार्यकारिणी समितिने उनके सुझावोको स्वीकार किया।

कलकत्तामे खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाधीजीसे सीमात प्रदेशके बारेमे बा
की और चुनावमे कार्य करनेमे अपनी अनिच्छा व्यक्त की, जिसका गाधीजी
समर्थन किया। काग्रेस ससदीय समिति, अपनी पूरी कोशिश करके भी उन
चुनाव अभियानमे भाग लेनेको विवश नही कर सकी। वे अपने निश्चयपर अडि
रहे और संगठनके कामसे अपने प्रदेशके दौरेपर चले गये। उन्होने सरकारी संग
ठनका भी निकटसे अध्ययन किया। उन्होने पाया कि वह खुदाई खिदमतगारोवे
हितके विरोधमे कार्यरत है। पेशावरके इस्लामिया कालेजके छात्र, सीमात प्रदेशवे
स्कूलो और कालेजोके छात्र और पजाब, अलीगढ आदि कई स्थानोके छात्र
सीमातमे मुस्लिम लीगके चुनाव-प्रचारार्थ बुलाये गये। ब्रिटिश अधिकारियोकी
प्रेरणासे सीमान्त प्रदेशमे कुछ स्कूल-कालेज बद कर दिये गये ताकि छात्र चुनाव-
प्रचारोमे भाग ले सके। अनेक लडकियोने भी चुनाव-प्रचारमे भाग लिया। कुछ
अग्रेज महिलाएँ पठानोके रसिक स्वभावसे लाभ उठानेके लिए पठानोके बीच लीगका
प्रचार करनेमे सलग्न हो गयी। पजाब और सीमातकी अराजनीतिक मुस्लिम
संस्थाओको भी लीगके प्रचारमे नियुक्त किया गया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ कहते है, "जब मैने अग्रेज महिलाओ और पुरुषोको
चुनाव-प्रचार करते देखा तो मेरा विचार बदल गया और मै भी चुनाव अभियान
मे कूद पडा। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान, हिन्दू-मुसलमान, इस्लाम-काफिर इन बुनि-
यादोपर चुनाव लडा जा रहा था।" लीगके लोग मतदाताओसे पूछते थे, "आपको
मदिर पसद है या मस्जिद ?" पख्तून हिन्दुस्तानके मुसलमानोकी तरह नही है।
उनमें राजनीतिक चेतना है और उन्हे कोरे नारोसे नही बरगलाया जा सकता।
'इस्लाम खतरेमे है' कह देनेसे वे उबल नही पडते। उन्हे मालूम है कि इस्लाम-
का मतलब क्या है ? राष्ट्रीय आन्दोलनमे सक्रिय सहयोग और जनसेवाके कार्यो-

से उनकी राजनीतिक चेतना जाग्रत है।

"मतदानके समय ब्रिटिश अधिकारियों और उनके पिट्ठुओंने अपना सारा जोर मुस्लिम लीगके पक्षमें लगा दिया और ये खुदाई खिदमतगारोंके खिलाफ काम करते रहे। लेकिन ईश्वरकी कृपासे, मुस्लिम लीग हारी और हमारी पार्टी जीत गयी।

चुनाव प्रचारमें अंग्रेज अधिकारियों और उनके नौकरशाहीने मुस्लिम लीगके कार्यकर्ताओंको कहीं पीछे छोड़ दिया था। यह हमारे लिए इतना नागवार गुजरा कि हमने मंत्रिमंडलका गठन करनेसे इनकार कर दिया। हमने तय किया कि नौकरीके नियमकी उपेक्षा करते हुए जिन अधिकारियोंने चुनावमें भाग लिया है उनकी जांच करने और उन्हें दंडित करनेका अधिकार हमें नहीं मिलता तो हम मंत्रिमंडल गठित नहीं करेंगे। जब डा० खान साहबको हमारे निर्णयकी जानकारी हुई तो उन्होंने इसकी सूचना सरदार पटेलको दी। सरदार पटेलने मौलाना आजादको मामला तय करनेके लिए नियुक्त किया। मौलाना साहब दिल्लीसे वाइसरायका एक पत्र ले आये जिसमें उन्होंने अस्पष्ट शब्दोंमें हमारी शर्तें मंजूर की थी। हमने इस शर्तपर मंत्रिमंडल गठित करना स्वीकार किया कि सारी सत्ता केन्द्रीय समितिमें निहित होगी और मंत्रीगण उसके परामर्शसे काम करेंगे।

कांग्रेसको बंगाल, पंजाब और सिंधको छोड़कर सभी प्रांतोंमें पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। बंगालमें मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी और उसने लगभग आधी सीटोंपर कब्जा कर लिया। पंजाबमें संघवादी पार्टी और मुस्लिम लीगमें लगभग बराबर बराबरका संतुलन था। सिंधमें मुस्लिम लीगने मतपत्र सर्वाधिक प्राप्त किये लेकिन उसे बहुमत नहीं प्राप्त हुआ। सिंधका शासन लीग गवर्नरकी सहायतासे करने लगी। इन तीन प्रांतोंमें मुस्लिम आबादीका बहुमत था और मुस्लिम लीगने धार्मिक भावनाओं और साम्प्रदायिक भावनाओंको भड़कानेवाले प्रचार किये थे। इन प्रचारोंसे वातावरण इतना विषाक्त हो उठा था कि कांग्रेस या किसी दूसरी पार्टीके टिकटसे खड़े मुसलमान उम्मीदवारोंकी कोई सुननेतकको तैयार नहीं होता था। सीमांत प्रदेशमें जहां कि मुसलमानोंकी भी संख्या सर्वाधिक थी, मुस्लिम लीगके सारे प्रयत्न व्यर्थ हुए और कांग्रेस मंत्रिमंडल गठित करनेमें समर्थ हुई। सीमांत प्रदेशको छोड़कर अन्य सभी प्रांतोंमें मुस्लिम लीगने प्रांतीय धारासभाओं और सेंट्रल असेंबलीमें सभी मुस्लिम सीटोंपर जीत हासिल की परन्तु सीमांत प्रदेशमें कांग्रेसने केवल बहुमत ही नहीं प्राप्त किया बल्कि

मुस्लिम सीटोमेसे भी ज्यादा सीटे उसीको मिली।

इस प्रकार वाइसरायकी प्रबन्ध समितिके पुनर्गठन और संविधान-निर्माण-कारिणी संस्थाके गठनकी भूमिका तैयार हुई जिसमे सभी बडी पार्टियोका सहयोग अपेक्षित था। दिसम्बर १९४५ मे वाइसरायने ब्रिटेनकी सरकारको एक पत्र लिखा था जिसमे भारतकी बदलती हुई हालतोमे, चुनावकी प्रगतिका और भारतके सभी वर्गोमे ब्रिटिश सरकारकी बढती हुई अलोकप्रियताका जिक्र था। उन्होने उसमे ब्रिटेनके मंत्रिमडलको सूचित किया था कि उसे भविष्यमे कभी न कभी काग्रेससे समझौता करना ही पडेगा। उसमे यह भी लिखा था कि चुनावके बाद काग्रेस अपनी मागोको और भी उग्रताके साथ पेश करनेमे समर्थ होगी और इस बीच यदि खिचको समाप्त करनेके लिए प्रयत्न नही किये गये तो बादमे उनकी मागोका विरोध करना कठिनतर हो जायगा। काग्रेस तब 'सीधी काररवाई' पर भी उतारू हो सकती है और ऐसी स्थितिमे सरकारका समर्थक कोई नही रह जायगा—भारतके राजा लोग भी सरकारका समर्थन नही कर सकेगे। उसमे सेनातक प्रभावित है। अंग्रेजोकी भारतीय नौसेनाके गदरका भी एक असर हुआ है। नेताजी सुभाष बोसके नेतृत्वमे भारतीय राष्ट्रीय सेनाके जिन सैनिकोने बर्मामे अग्रेजोसे युद्ध किया है, उनके विरुद्ध मुकदमे कायम किये गये है परन्तु भारतकी जनता उनकी पूजा कर रही है। भारतमे व्याप्त भावनाओको समझते हुए, ब्रिटिश सरकारने भारतके मामलेमे समझौता करनेके काममे अकेले वाइसरायको व्यस्त रखना उचित नही समझा। १९ फरवरी १९४६ को ब्रिटेनकी पार्लमेंटमे घोषणा की गयी कि शीघ्र ही एक शिष्टमंडल भारत भेजा जायगा, जिसमे कैबिनेट स्तरके तीन मत्री होगे। यह शिष्टमडल वाइसराय द्वारा सितम्बर १९४५ मे की गयी घोषणामे निहित योजनाको क्रियान्वित करेगा। इसके बाद ही, प्रधान मन्त्री एटली ने हाउस ऑव कामन्समे बहसके बीच एक सारगर्भित भाषण किया। उन्होने कहा : "भारतको यह तय कर लेना है कि उसके भावी सविधानका स्वरूप क्या होगा। अगर भारत आज़ाद होना पसंद करता है तो उने ऐसा चाहनेका अधिकार है।.... हम लोग अल्पसंख्यकोके अधिकारोके बारेमे बहुत जागरूक है लेकिन हम बहुमतकी प्रगतिके खिलाफ अल्पमतको विशेषाधिकारका प्रयोग करनेकी इजाजत नही दे सकते।" उन्होने आगे कहा कि हम भारतीयोमे मौजूद मतभेद और विरोधपर बल नही दे सकते, क्योकि तमाम मतभेदो और विरोधोके बावजूद सभी भारतीय आजादीके बारेमे एकमत है। उन्होने यह खुलकर स्वीकार किया कि भारतीयोकी राष्ट्रीयताकी भावना दिन-प्रतिदिन बलवती होती जा रही है और

करना होगा। नेहरूजीने कहा, 'भारत मुसलमानोंको दीजिए लेकिन आप भारत छोड़िए।' जिना साहब नेहरूजीकी ईमानदारीसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि हम मतभेदोंको आपसमें तय कर लेंगे। सम्मेलन स्थगित कर दिया गया। नेहरूजी और जिना साहब बात करनेके लिए दूसरे कमरेमें चले गये। एक दो घंटे बाद वे दोनों एक प्रस्तावके साथ बाहर आये कि कांग्रेस और मुस्लिम लीगके मतभेदोंको मिटानेके लिए एक तीनसदस्यीय समिति गठित की जाय। तीसरे दिन जब लार्ड पथिक लारेन्सने जिनासे बातचीतके परिणामकी तहकीकात की तो मि० जिनाने सारी बातोंसे इनकार कर दिया। मैंने अब्दुल रब निश्तर को अलग बुलाया और उनसे यह प्रार्थना की कि आप जिना साहबको समझाइए कि वे निर्णयसे पीछे न हटें क्योंकि गांधीजीने मेरी मौजूदगीमें कांग्रेस शिष्ट मंडलसे कहा है कि मुसलमान लोग जो भी मांगें एकमत होकर करें वे सब मान ली जाय। मि० निश्तर गये और जिना साहबके पीछे काफी देरतक खड़े रहे कि उनसे बात करें, परन्तु मि० जिनाने उनकी ओर देखातक नहीं। बातचीत असफल रही। असलमें अंग्रेज यह नहीं चाहते कि हिन्दू और मुसलमान एक हों और वे भारतको विभाजित करनेके पक्षमें हैं।'

कैबिनेट मिशन वाइसराय और आमंत्रित लोग दिल्ली आये। हरिजनोंकी बस्तीमें वापस पहुँचकर गांधीजीको आनन्द हुआ। आनेके पहले ही दिनसे उनकी सार्वजनिक प्रार्थना सभा शुरू हो गयी। खान अब्दुल गफ्फार खाने कुरानसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि प्रार्थना चाहे जिस धर्म भाषा या जिस किसी रूपमें भी हो एक ही ईश्वरतक पहुँचता है और मानवको यह शिक्षा देती है कि सारा मानवसमाज एक परिवार है और प्रत्येक मनुष्यको हर दूसरे मनुष्यसे प्रेम करना चाहिए।

बादशाह खानकी ही बातोंको मानो अनुगूंजके रूपमें गांधीजीने कहा कि यह एक सच्चे धर्मका अपमान है कि आदमी अपने धर्मको दूसरोंके धर्मसे श्रेष्ठ समझे। ईश्वर सर्वव्यापी है और सभी धर्म उसी एकमात्र ईश्वरकी आराधना करते हैं। और जो लोग मूर्तियोंकी पूजा करते हैं वे वस्तुतः उस पत्थरको नहीं पूजते जिससे इश्वरकी प्रतिमा बनी होती है वरन उस ईश्वरको पूजते हैं जो उस पत्थरमें रहता है। सभी धर्म एक ही पेड़के पत्ते हैं। किसी भी पेड़के दो पत्ते एक जैसे नहीं होते परन्तु उन पत्तोंमें कोई विरोध नहीं होता और उन शाखाओंमें भी कोई विरोध नहीं होता जिनपर पत्ते बढ़ते हैं। इसी प्रकार सृष्टिमें विविधताके होते हुए भी एक अन्तर्व्याप्त एकता है।

सभा इस व्यवस्थामें हेर फेर करने, सुधार करने या इसे अस्वीकार करनेके लिए स्वतन्त्र होगी। इन सिफारिशोंमें 'हम ले या छोड़ दो' जैसा कोई बात नहीं है। अगर इनमें किसी प्रकारके प्रतिबन्ध होंगे, तो इसका अर्थ यह होगा कि संविधान सभा पूर्ण प्रभुसत्तासम्पन्न संस्था नहीं है, जो आजाद भारतके लिए संविधान बनानेके लिए स्वतन्त्र है। इस प्रकार मिशनने केन्द्रके लिए, कुछ विषयोंके सुझाव दिये हैं। मुस्लिम मतोंके बहुमतसे और गैर मुस्लिम मतोंके बहुमतसे संविधान सभा इनमें कुछ जोड़ने या घटानेके लिए बिलकुल स्वतन्त्र है। मिशनने जो भेद उत्पन्न करना आवश्यक समझा है उसे भी संविधान सभा रद्द कर सकती है। समूह बनानेके बारेमें भी यही बात है। प्रान्त अगर चाहें तो समूह बनानेके विचारको ही अमान्य कर सकते हैं। किसी भी प्रान्तको उसकी इच्छाके विरुद्ध किसी भी समूहमें शामिल नहीं किया जा सकेगा—समूह बनानेके विचारको स्वीकार कर लिया जाय तो भी। उन्होंने कहा कि अभी मेरे एतराजों और सुझावोंकी फेहरिस्त खतम नहीं हुई है।

गांधीजीने कहा कि उपर्युक्त व्याख्याके आधारपर, जिसे कि मैं ठीक समझता हूँ, कैबिनेट मिशनने एक ऐसी चीज पेश की है जिसपर उसे गर्व होना चाहिए। ब्रिटिश राजसे भारतका चाहे जो भी अहित हुआ हो, परन्तु यदि मिशनका वक्तव्य ईमानदार है जैसा कि मैं विश्वास करता हूँ कि वह है, तो यह वक्तव्य भारतके प्रति ब्रिटेनके उस कर्तव्यके निर्वाहके लिए है जिसका कि ब्रिटेनने ऐलान किया है—भारतकी धरतीसे ब्रिटेनकी सत्ताका अन्त। इस वक्तव्यमें, इस देशको दुःखकी धरतीसे एक ऐसी धरतीमें बदल देनेके बीज छिपे हैं जहाँ दुःख और कष्टका अभाव है।

१९ मई रविवारको प्रार्थना-सभामें खान अब्दुल गफ्फार खाँने भाषण किया। उनके प्रवचनका विषय प्रार्थनाका अर्थ और महत्त्व था। प्रार्थना या नमाजका उद्देश्य एक है—अपने हृदयसे सारी बुराइयों और गलाजतको निकाल देना जिससे हम सम्पूर्ण मानव परिवारमें एकताका अनुभव कर सकें। दुर्भाग्यसे आज मानवता अपनी मौलिक एकताको खो बैठी है और परस्पर विरोधी वर्गोंमें बँट गया है। यह सब एक ददनाक भ्रान्तिके कारण है। 'प्रार्थनामें हम एक खास समूह या खास सम्प्रदायके लोगोंकी नहीं बल्कि ईश्वरकी समूची सृष्टिकी सेवाके योग्य बनना चाहिए जिसके लिए उसे ईश्वरने हमें इस दुनियामें भेजा है।

२३ मईको खान अब्दुल गफ्फार खाँने एक अपील प्रसारित करते हुए इस बातपर जोर दिया कि लोगोंको अपने संकीर्ण दृष्टिकोण त्यागकर सम्पूर्ण भारतकी

आज़ादीकी तस्वीरपर गौर करना चाहिए। "मै एक खुदाई खिदमतगार हूँ। मेरे लिए मानवताकी सेवा ईश्वरकी सेवा है। यही इस्लामकी शिक्षा है और मैंने इस शिक्षाका पालन करनेका प्रयास सबकी सेवा करके किया है। धर्म, या कोई भी दूसरी अच्छी चीज गुलामीमे नही पनप सकती। अत. भारतकी आजादी मेरे लिए अहम सवाल है और आजादीका अर्थ है, इस देशमे रहनेवालोके लिए स्वतन्त्रता और खुशहाली। सभी सम्प्रदायोके बीच सौहार्द और सहयोगके आधार-पर ही भारतमे आजादी पनप सकती है। मैने आजतक इसी उद्देश्यसे काम किया है और आगे भी जीवनभर करता रहूँगा। नफरत और दुर्भावना द्वारा भारत या भारतका कोई सम्प्रदाय कभी खुशहाल नही हो सकेगा।"

अतरिम सरकार

१९४६

गाधीजीने कैबिनेट मिशनसे पत्राचार और साक्षात्कार द्वारा मसलेके वधानिक और नतिक पहलूपर स्पष्टीकरण प्राप्त करनेका प्रयास किया। उन्होंने यह दृष्टिकोण उपस्थित किया कि यदि मसविदेकी बाते आस्थापूवक कही गयी ह, तो चकि, कैबिनेट मिशनने वक्तव्य यह दिया था कि १६ मईकी उसकी सारी योजना आत्मप्रेरित ह अत वक्तव्यकी शब्दावली और अभिप्रेत अथम मौजूद असगतिको वधानिक व्याख्या द्वारा हटाना सम्भव होना चाहिए।

प्रातके विधानका स्वरूप निर्धारित करने और विधाकका अतिम चयन करने का अधिकार प्रातसे छीनकर, विभागके बहुमतको सौंप दिया गया जो प्रातको उस प्रातके प्रतिनिधियोंकी इच्छाके प्रतिकूल भी किसी प्रातमें विलीन या किसी समूहम शामिल होनके लिए बाध्य कर सकता ह। काग्रेसने जिरह की कि इस व्यवस्थामे योजनाम दबावका तत्त्व आ गया ह। अत २४ मई १९४६ की काग्रेस कायकारिणी समितिकी बैठकम १६ मईकी योजनापर अपना अतिम मत न घोषित करते हुए पारित किया गया कि कबिनेट मिशनके १६ मईके वक्तव्यकी धाराआम निहित असगतियाको दूर करनेके लिए और धाराआम सगति स्थापित करनके लिए समिति वक्तव्यके १५ व वाक्य खण्डका इस रूपम व्याख्या करती ह 'प्रथमत प्रात यह निश्चित करेंगे कि उन्हें जिस विभागमें रखा गया ह उसमें व रहना चाहगे या नहीं। साथ ही समितिने कबिनट मिशन योजनाके कुछ दूसरे पहलुआपर भी विचार विमश किया ताकि सविधान निर्माणकारिणी सस्थाके निर्माणकी पूरी तस्वीर प्रस्तुत हो सके।

कायकारिणी समितिके २४ मईके प्रस्तावके बाद कुछ दिनोतक मुस्लिम लीग के निणयकी प्रतीक्षामें अनिश्चितताकी स्थिति रही। ६ जूनको मुस्लिम लीगने कबिनट मिशन योजनाको मान्यता दे दी क्योंकि उसमे ६ मुस्लिम बहुमत प्रान्तोंको विभाग ग और ख में स्वतन्त्री तौरपर रखकर पाकिस्तानका बीज बो दिया गया था।

इस बीच केन्द्रम अन्तरिम सरकार बनानेका दिशाम कोई प्रगति नहीं हो पायी थी। मुस्लिम लीगको इस अन्तरिम सरकारमें कोई दिलचस्पी नहीं थी

जिससे कि पाकिस्तानके बननेमें किसी प्रकारकी बाधा उत्पन्न हो। अविभाजित भारतके आदर्शके प्रति प्रतिबद्ध कांग्रेसकी दलील थी कि भारतके संविधानके स्वरूपका निर्णय करना संविधान निर्माणकारिणी संस्थाका काम है। संविधान निर्माणकी अवधिमें प्रभावशाली ढंगसे प्रशासन चलाना अन्तरिम सरकारका काम है। अतः यह समानचेता लोगोंसे बनी होनी चाहिए जो समवेत रूपसे काम कर सके। गांधीजीका अभिमत था कि इसका उत्तम तरीका यह है कि ब्रिटिश सरकार कांग्रेस या मुस्लिम लीगको, जिसपर भी विश्वास हो, सरकार गठित करने दे। दोनों दलोंको खुश करनेका परिणाम होगा, कभी खत्म न होनेवाली देर और सरकारके रूपमें परस्परविरोधी तत्त्वोंका आगलगाऊ मिश्रण। अतः ब्रिटिश सरकार दोनोंमेंसे किसी एकको चुननेका खतरा उठाये। लेकिन कैबिनेट मिशनको इस दृष्टिकोणसे सहमत करना संभव नहीं हुआ। अतः केंद्रमें किसी न किसी समानताके आधारपर अन्तरिम सरकार गठित करनेका प्रयास चलता रहा। यह प्रयास विफल हुआ और १६ जूनको वाइसरायने एक बयान द्वारा इस विषयमें और बातचीत समाप्त करके अन्तरिम सरकारके गठनके लिए अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया : "यदि देशकी दोनों बड़ी पार्टियाँ या दोनोंमेंसे कोई एक पार्टी अन्तरिम सरकारमें शामिल होनेमें अनिच्छुक हैं, तो वाइसराय अन्तरिम सरकारके गठनकी दिशामें पहल करनेको इच्छुक हैं और वह १६ मईके बयानको स्वीकार करनेवालोंके यथासंभव प्रतिनिधित्वसे अन्तरिम सरकार गठित करेगा।"

कई संशोधनोंके बाद १४ सदस्योंके आधारपर अन्तरिम सरकारका गठन निश्चित हुआ जिसमें ६ कांग्रेस सदस्य होंगे और छ मेंसे एक हरिजन होगा, मुस्लिम लीगके ५ सदस्य होंगे और एक सिख और एक पारसी सदस्य होगा। १८ जूनको कांग्रेस कार्यकारिणी समितिने १६ मईकी दीर्घकालीन योजना और १६ जूनकी अंतरिम सरकार गठनकी अल्पकालीन योजनाको मान्य करते हुए प्रस्ताव स्वीकार किया, परंतु कैबिनेट मिशनको इसकी सूचना खान अब्दुल गफ्फार खाँकी सहमति प्राप्त करनेतकके लिए स्थगित रखी गयी।

इसी बीच १९ जूनको बात खुल गयी कि जिना साहबने वाइसरायसे कुछ आश्वासन मांगे थे जो कि उन्हें मिल गये। इनमेंसे एक यह भी था कि बगैर मुस्लिम लीगकी इजाजतके अंतरिम सरकारमें कोई भी राष्ट्रीय मुस्लिम नहीं लिया जायगा, कांग्रेस कोटासे भी नहीं। इस विषयपर विचार करनेके लिए कार्यकारिणी समितिकी बैठक त्वरामें बुलायी गयी। २५ जूनको समितिने अंतरिम सरकारकी अल्पकालीन योजनाको अस्वीकृत करनेका और संविधान निर्माण-

कारिणी समिति संबंधी दीर्घकालीन योजनाको स्वीकृत करनेका फैसला लिया इस शर्तपर कि प्रांतोंके समूहन संबंधी विवादास्पद धाराओंपर समिति अपनी व्याख्यापर अडिग रहेगी जिसे सुलझानेके लिए समिति यह मामला संघीय न्याया-लयमें ले जानेके लिए तैयार है जिसका निर्णय दोनों पक्षोंके लिए अनिवार्य रूपसे मान्य होगा।

उसी रोज मुस्लिम लीगकी समितिने अंतरिम सरकारके गठनसे सम्बन्धित अल्पकालीन योजनाको स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीगकी उम्मीद यह थी कि चूंकि कांग्रेसने अंतरिम सरकार सम्बन्धी अल्पकालीन योजनाको अस्वीकार किया है अतः उसे अकेले ही अंतरिम सरकारके गठनका मौका मिलेगा। लेकिन कैबि-नेट मिशनने व्यवस्था यह दी कि कांग्रेस कार्यकारिणी समितिने १६ मईकी योजनाके दीर्घकालीन अंशको स्वीकार करके अंतरिम सरकारमें शामिल होनेकी योग्यता अर्जित कर ली है और यद्यपि कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही अंत-रिम सरकारमें शामिल हो सकती है परन्तु चूंकि एक बड़ा पार्टीने अंतरिम सरकारमें शामिल होनेसे इनकार किया है अतः संयुक्त सरकारके निर्माणकी योजना रद्द हो गयी क्योंकि ऐसी स्थितिमें बनी सरकार संयुक्त सरकार न होगी अतः हम १६ मईकी योजनाको स्वीकार करनेवालोंकी अंतरिम सरकार किसी दूसरे रूपमें गठित करनी होगी।' जिनाने कैबिनेट मिशनके निर्णयको वादाखिलाफी करार दिया।

जूनके अंतमें कैबिनेट मिशन इंगलैंड वापस चला गया और जाते समय अंत-रिम सरकारके गठनके प्रयासका भार लार्ड वेवलके सिपुर्द कर गया। जुलाईमें अखिल भारतीय कांग्रेस समितिकी बैठक बम्बईमें हुई और उसमें गांधीजीकी अपीलपर कार्यकारिणी समितिने कैबिनेट मिशनकी १६ मईकी योजना स्वीकार कर ली। सात वर्षोंके कार्यकालके बाद आज़ाद अध्यक्षपदसे निवृत्त हुए और अध्यक्षपद नेहरूजीको मिला।

गांधीजीने प्रतिनिधियोंको सम्बोधित करते हुए बड़ा भावुकताके साथ कहा "समाचारपत्रोंके कारण लोगोंमें यह गलत धारणा उत्पन्न हो गयी है कि मैंने दिल्लीमें जो कुछ कहा है उसमें भिन्न बात यहाँ कह रहा हूँ। यह मैंने दिल्लीमें अपने एक भाषणमें कैबिनेट मिशनके प्रस्तावोंके सम्बन्धमें अवश्य कहा था कि जहाँ मैं पहले रोशनी देख रहा था वहाँ अब मुझे अंधेरा दिख रहा है। वह अंधकार अभीतक दूर नहीं हुआ है। संभवतः वह और भी घना हो गया है। अगर मुझे अपना राह साफ नज़र आ रहा होती तो मैं कांग्रेस कार्यकारिणी समितिसे

वे दिन नेहरूजी जिनासे उनके घरपर मिले मगर बातोंका कोई परिणाम नहीं निकला और हालत बदतर होती चला गया।

मौलाना आजादने लिखा है "१९४६ की १७ अगस्त हिन्दुस्तानके इतिहासका काला दिन है। कलकत्तामें आशंका व्याप्त हो गयी थी जो और ज्यादा और भी बढ़ती हो गयी कि सरकार मुस्लिम लीगके नियंत्रणमें थी और श्री एच एस सुहरावर्दी मुख्य मंत्री थे। कलकत्ता नगर अभूतपूर्व हिंसा रक्तपात और आतंकके चपेटमें आ गया। सकड़ों जानें चली गयीं। हजारों घायल हुए और करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति नष्ट हुई। लीगने जुलूस निकाले और उन्होंने हिंसा और लूट छेड़ दी। शीघ्र ही सारा शहर दोनों सम्प्रदायोंके गुण्डोंकी गिरफ्तमें आ गया। पुलिस और सेना निष्क्रिय तमाशा देखती रहीं और मासूम जनताकी लाशें बिछती रहीं।"

कलकत्तेके हादसेके बाद और अंतरिम सरकारके गठन होनेके पहले ही वाइसराय मन ही मन प्रकारण मुस्लिम लीगको अंतरिम सरकारमें शामिल कर लेनेकी जिद करने लगे। कांग्रेसी नेताओंके साथ बातचीतके दौरान वाइसरायने कहा कि वे मुस्लिम लीगको सरकारमें शामिल करनेके लिए कैबिनेट मिशनकी १६ मईकी योजनाकी प्रांतोंके समूहन सबंधी व्यवस्थाको बिना शर्त स्वीकार कर लें और धमकी यह दी कि ऐसा न होनेपर संविधान सभाकी बैठक ही मैं नहीं बुलाऊंगा। इसपर गांधीजीने ब्रिटिश मंत्रिमंडलको सन्देशा भेजा कि वाइसराय परिस्थितियोंसे पूर्णतया हतप्रभ जान पड़ते हैं और उन्हें एक योग्यतर विधिवेत्ताकी सहायताकी दरकार है। ब्रिटिश मंत्रिमंडलने हस्तक्षेप किया और उनके निर्देशानुसार २ सितम्बर १९४६ को आधिकारिक रूपसे केन्द्रमें जवाहरलाल नेहरूके नेतृत्वमें अंतरिम सरकारकी स्थापना हुई।

यह दिन गांधीजीके लिए बड़े महत्वका था। गांधीजीने तड़के सवेरेके कुछ घंटे नेहरूजीके लिए एक मसविदा तैयार करनेमें बिताये जिसमें उन्होंने मौजूदा नाजुक वक्तमें नयी सरकारके कर्त्तव्य बताये थे। शामकी प्रार्थना सभाके भाषणमें गांधीजीने इसी विषयपर भाषण किया। इस मंगल दिवसको भारतीय इतिहासका सुनहरा दिन बताते हुए उन्होंने कहा यह मुकम्मिल आजादीकी ओर एक पग मात्र है वह मंजिल तो अभी हासिल नहीं हो पायी है। यह दिन आनन्द मनानेका नहीं है। अंतरिम सरकारकी जिम्मेदारी मुस्लिम लीगके बगैर मंत्रियोंने अनिच्छासे ली है जो कि मिली शक्ल मुसलमानोंका जबर्दस्त संगठन है। मुस्लिम लीगने सरकारमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया। मुसलमान और हिंदू दोनों

सके तो उसको पचनिर्णयके सिपुर्द करना है।"

उन्होंने प्रश्न उठाया कि मन्त्रियोंका कर्त्तव्य क्या है और कहा, "उनका कर्त्तव्य है कि वे नमक सत्याग्रहको न भूलें और नमक कर रद्द करें। मेहनतकश जनताको आज़ादी दिलानेके कांग्रेसके निर्णयका यह एक प्रतीक है। अब उस निर्णयको क्रियान्वित करनेका अवसर आया है और गरीब आदमीको नमक हवा और पानीकी तरह मुफ्त मिलना चाहिए। प्रश्न करकी मात्राका नहीं है। गरीबोंको नमक मुफ्त मिलता है या नहीं, यह प्रश्न है। नमक करकी समाप्तिसे आज़ादी गरीबसे गरीबतककी झोंपडीतक पहुँच जायगी।

'मन्त्रियोंके समक्ष दूसरा काम है शीघ्रातिशीघ्र साम्प्रदायिक एकताकी स्थापित करना। अगर मेरी बात सुनी जाय तो मैं यह घोषणा करूँगा कि भविष्यमें कभी आतरिक शांतिकी स्थापनाके लिए सेना न बुलायी जायगी। इस कामके लिए पुलिसका उपयोग भी निषिद्ध हो यह देखना मैं पसंद करूँगा। एक सम्प्रदायके लोग दूसरे सम्प्रदायके लोगोंकी जान लेनेपर जो उतारू हो जाते हैं उसका कोई दूसरा इलाज जनता खोजे। और अगर कोई बुरीसे बुरी बात बन पड़ती है तो जनतामें इतना हौसला होना चाहिए कि वह बगैर बाहरी मददके आपसमें लड़ कर निबट ले। मैं तो कहूँगा कि जबतक उन्हें अंग्रेजोंके हथियारोंकी आवश्यकता का अनुभव होता रहेगा तबतक उनकी गुलामी बराबर बनी रहेगी।

तीसरा काम अस्पृश्यताके पूर्ण उन्मूलनका है और अन्तिम काम है गाँवके गरीब लोगोंके लिए खादीका प्रसार और प्रचार। मैं आशा करता हूँ कि अंतरिम सरकार सही पग उठायेगी और भारतको सत्य, पवित्रता और सच्चे स्वराज्यके पथपर लगायेगी।'

१४ सितम्बरको सीमान्त प्रदेशमें खुदाई खिदमतगारोंको संबोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने दाउदजईमें कहा

ईश्वरकी कृपासे हम लोगोंके बीच ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो हमारी योजनासे परिचित न हो लेकिन उसके व्यावहारिक पहलूको हम उपेक्षा कर बैठते हैं। जिरगाके सदस्य हों या खुदाई खिदमतगार हों, सभी काममें भागते हैं। आप पैसेको दांतोंसे पकड़ते हैं लेकिन रुपया खर्च करते समय लापरवाह हो जाते हैं। फसल पककर तैयार है। अगर आप छोटे-छोटे कामोंमें व्यस्त रहेंगे तो फसल नहीं काट पायेंगे। हमने इस प्रांतके हर जिले और हर गांवका निरीक्षण किया। मुझे बताया गया कि काई बल्ला खान कुछ मोटरगाड़ियोंके साथ आया और गमाऍं हुईं। मुझे पता चलता है कि खुदाई खिदमतगार रानकी दूकानोंपर और खिदि-

केंद्रोंमें काम करनेमें व्यस्त हैं। मैं जिरगेके लोगों या खुदाई खिदमतगारोंको हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ ईमानदार कार्यकर्ताओंकी सख्त जरूरत है जो पहले जैसे उत्साहसे काम कर सकें। मैं चाहूँगा कि वे खुदाके नामपर सबकी सेवा करें और अपनी सेवाओंके बदले कुछ भी न लें, जनताके बीच काम करें।

"हमारा आंदोलन आध्यात्मिक है। इसका पोषण वे ही कर सकते हैं जिनमें धैर्य और सहनशीलता हो। एक चरित्रवान ईमानदार कार्यकर्त्ता पार्टीको बल देता है लेकिन असंख्य चरित्रहीन सदस्य उसे हानि पहुँचाते हैं। बहुतसे लोग मेरे पास क्रुद्ध कर देनेवाली प्रार्थनाएँ लेकर आते हैं। जो व्यक्ति कभी किसीको चोट न पहुँचानेकी कसम खाता है, बेशक उसे तलवार या बंदूककी आवश्यकता नहीं। सच्चा मुसलमान कौन है इस सवालपर पैगम्बरने कहा था, 'जो दूसरे मुसलमानको वाणी या क्रियासे चोट नहीं पहुचाता'। हमें अपनेसे यह सवाल पूछना होगा कि हमने अपनी जुबान और हाथोंका इस्तेमाल किस तरह किया है? हम लोगोंमेंसे ऐसे बहुतसे लोग हैं जो नमाज और कुरान पढते हैं लेकिन जुबानसे और काममें दूसरेको चोट पहुँचाते हैं। फिर हम मुसलमान होनेका दावा कैसे कर सकते हैं? सच्चा मुसलमान बनना सरल नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगोंको तैयार होनेके लिए समय दे रहा हूँ। मैंने देखा है कि अधिकतर लोग अपनी जिम्मेदारीको समझते नहीं। मैं ऐसे कार्यकर्ता चाहता हूँ जो नियमित रूपसे ईमानदारीके साथ उन्हें जो भी काम दिया जाय, करें। उन्हें प्रशिक्षण दिया जायगा, पश्तो भाषा पढना और लिखना सिखाया जायगा और पैगम्बर साहबकी जीवनी और शिक्षाओंसे उन्हें परिचित कराया जायगा और साथ ही उन्हें दुनियाकी घटनाओं और इतिहासकी जानकारी करायी जायगी।

"आज हम जो भी परेशानियाँ उठा रहे हैं उसका कारण है शासन तत्रकी गलत प्रणाली। बहुतसे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकर मुस्लिम लीगके साथ हैं, मगर मैं निश्चित रूपसे कहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है। उन्हें इस्लाममें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्हें लीगसे कोई मतलब नहीं है। वे तो खुदगर्ज हैं। बगैर मुस्लिम लीगके साथ सबंध स्थापित किये वे आप लोगोंको आकर्षित कैसे कर सकते हैं?

"आप लोग शायद यह बात जानते होंगे कि पुलिस, खान और सामती रजवाड़ोंका जो रुतबा पहले हुआ करता था, अब नहीं रहा। अब धर्मोपदेशकोंके प्रति वह आस्था और श्रद्धा भी नहीं रही। उन्हें मालूम है कि खुदाई खिदमतगार

आन्दोलनका लक्ष्य क्या है। वे जान चुके हैं कि अब उनके इने गिने दिन रह गये हैं इसलिए उन्हें अपने अस्तित्वकी चिंता है। अगर हम थोडसे ईमानदार कार्यकर्ताओंका एक समूह बना सकें, तो ईश्वरकी इच्छा होगी तो हम लोग बहुत शीघ्र अपने उद्देश्यमें सफल हो जायेंगे।

'एक आदमी अपने बूतेपर कोई काम नहीं कर सकता यदि दूसरे चरित्रवान और नि स्वार्थ लोग उसका हाथ न बटाये। मैं केवल सीमांत प्रांतके पख्तूनोंके बीच ही काम नहीं करना चाहता बल्कि कबायली भाइयोंके बीच भी काम करना चाहता हूँ। हमारे विरोधी लोग यह प्रचार करके कि हिंदूराजकी स्थापना हो गयी है लोगोंके दिमागमें जहर भर रहे हैं। मैं केवल भाषण करके इस दुर्भावनापूर्ण प्रचारका निराकरण नहीं कर सकता। मैं पख्तूनोंसे प्रार्थना करूँगा। मैं हर घर, हर गाँव और खुदाई खिदमतगारोंसे कहूँगा कि वे इस बातको लोगोंतक पहुँचायें। यह कहना गलत है कि हिंदूराजकी स्थापना हुई है। यह राज हिंदुओंका नहीं है बल्कि भारतकी जनताका है। जिस वक्त सरकारका गठन हो रहा था पाँच सीटें मुसलमानोंके लिए निर्धारित की गयी थी और बादमें ये सभी सीटें मुस्लिम लीगके लिए आरक्षित कर दी गयी। कांग्रेसने दलील दी कि जो करोडों मुसलमान मुस्लिम लीगमें शामिल नहीं हैं उनका प्रतिनिधित्व भी सरकारमें होना चाहिए पर ब्रिटिश सरकारने इस बातपर कोई ध्यान नहीं दिया और इसीलिए कांग्रेसका अंतरिम सरकार बनानेसे इनकार हुआ। मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार बनाकर इस मौकेका फायदा उठाना चाहती थी लेकिन वाइसराय बाधक बन गये। लीग यदि सरकार बनाती तो उसमें भी वे ही लोग होते जो आज पदोंपर हैं। क्या तब उसे हिंदूराज कहा जाता? जब कांग्रेस सरकार गठित करती है तो उसपर हिंदूराजका लेबुल लगा दिया जाता है। असलमें यह सब अंग्रेजोंका प्रचार है। मुस्लिम लीगी भाई इसी धरतीसे पैदा हुए हैं और अंग्रेज उनके खैरख्वाह नहीं हैं। सरकारमें प्रवेश करनेके लिए मुस्लिम लीगके लिए दरवाजा खुला हुआ है। वे आगे आयें और मुस्लिमराज स्थापित करें।

मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिथ्या प्रचारसे गुमराह न हों। दोस्त और दुश्मनमें फर्क करना सीखिए। वक्त बहुत नाजुक है। सत्ता हस्तांतरणके इस मौकेपर खुदगर्ज लोग दिक्कतें खडी करेंगे। आप लोग अगर इन खुदगर्जोंके जालमें फँस जायेंगे तो समूची कौमको तबाह कर डालेंगे।

एक हफ्ते बाद आम सभामें बोलते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने जनताको सावधान किया 'मुस्लिम लीगके प्रचारकोंसे सावधान रहिए और उनके शरारत-

भरे नारोंसे धोखा न खाइए।" लीगी लोग गाँव-गाँव घूमकर प्रचार कर रहे थे कि नेहरूजीकी बनायी हुई अंतरिम सरकार, खालिस हिंदुओंकी सरकार है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि जिस उसूलकी बुनियादपर अंतरिम सरकार बनी है उस उसूलमे मुस्लिम लीग भी बँधी हुई है। उन्होने कहा "सीमान्त मुस्लिम लीगका ताजा प्रचार यह है कि वजीरिस्तानमे बमबारी नेहरूकी सरकार के हुक्मसे हुई है। सच्चाई यह है कि बमबारी अगस्तमे हुई थी जब कि अंतरिम सरकार बनी ही नही थी। मुझे जब इनकी खबर मिली तो मैने फौरन यह सवाल उठा लिया, सार्वजनिक विरोध किया और तब यह कार्यवाही खतम हुई। इस्लाम-के उन तथाकथित मशालबरदारोंने, जो आज कबायली लोगोंमे बडी हमदर्दी जता रहे है, उस वक्त उँगली भी नही उठायी जब कि बमबारी जारी थी।"

उन्होने बताया कि केन्द्रमे लोकप्रिय सरकारके निर्माणके प्रतिकूल वातावरण बनानेके लिए ही वजीरिस्तानमे बमबारी की गयी थी। जबानी प्रचारके अलावा भोले-भाले कबायली लोगोंमे पर्चे बाँटे गये और उन्हे गुमराह करनेकी भरसक कोशिश की गयी कि बमबारी, सत्ताधारी काग्रेसकी करनी है। लीगियोंको कबा-यली इलाकेमे घुसकर सभाएँ आयोजित करनेकी अनुमति देकर सरकार मुस्लिम लीगका खुला समर्थन कर रही है जब कि खुदाई खिदमतगार उस इलाकेमें अपनी जमीन जोतनेके लिए भी प्रवेश कर नही सकते। उन्होने माग उठायी कि अतीत की तरह अब भी कबायली लोगोंसे संपर्क स्थापित करनेमे कोई प्रतिबन्ध नही होना चाहिए। इस बातका संकेत देते हुए कि नेहरूजीके मेरे नाम सीलबद पत्रमे सभवत कबायलियोंके प्रति भावी नीतिकी चर्चा भी की गयी है, उन्होने कहा कि यह बात स्पष्ट है कि काग्रेस किसी भी हालतमे पुराने दृष्टिकोणसे विदेश मत्रा-लय नही चला सकती। "कबायली इलाकोमे बडी तेजीसे एक भयावह स्थिति उत्पन्न हो रही है जो स्वतत्र भारतके हमारे उस स्वप्नको विफल कर सकती है, जो सफलताकी राहपर है।"

कबायली इलाकेमें सितम्बरके अंतमे प्रतिनिधियोंका जिरगा आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता ईपीके फकीरने की। ईपीके फकीरने वजीरिस्तान और कबायली इलाकोमें हवाई छापा समाप्त करनेके आदेशके लिए नेहरूजीकी प्रशंसा की। उन्होने कहा "हम अपनी आजादी और एकताकी रक्षाके लिए एक अरसे से जेहाद कर रहे है। हमे हिंदुओ और सिखोसे कोई वैर नही है। हमारी लडाई अग्रेजोसे है। हमे उम्मीद है कि केन्द्रमे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस नेहरूके नेतृत्वमे प्रशासकीय उत्तरदायित्वोंके निर्वाहकालमे पडोसी कबीलोके साथ भाईचारा

स्थापित करनेका इमानदार कोशिश करेगी। मुझे विश्वास ह कि उनकी आर्थिक स्थितिका सुधारनकी कोशिश की जायगी और उनके पिछड़ेपनका दूर करनके लिए उन्हे शिक्षाकी सुविधाएँ मुहया की जायेंगा।' क्बायली नेताओके नामपर मस्लिम लीगके विरोधी प्रचारकी चर्चा करते हुए उन्होने कहा "कोई भी खुद दार और देशभक्त व्यक्ति जिसे कबायली इलाकेसे प्यार ह और जो इस्लामका वास्तविक महत्त्व समझता ह, ब्रिटिश सरकार द्वारा समर्थित मुस्लिम लीगमे कोई रब्त जब्त रख ही नहा सक्ता।'

७ अक्तूबरको गाधीजीने नेहरू जिना वार्ताकी चचा की और यह आशा व्यक्त की कि मुस्लिम लीग अतरिम सरकारम शामिल होगी। उन्होने जनतासे कहा कि वह ईश्वरसे प्रार्थना करे कि अबकी बार कांग्रेस और मुस्लिम लीगका सबध खिलाफतके दिनाकी अपेक्षा भी अधिक घना और स्थायी हो और भविष्यम भाइ अपने भाइको न अपशब्द कहे, न जानसे मारनेकी कोशिश कर और सभी लोग शातिपूर्वक रह। लेकिन मनुष्यकी क्रियाए उसकी मानसिक अवस्थाओपर निभर करती ह। उपस्थित श्रोतागण भारतीय जनसमुद्रकी एक बूदभर ह लेकिन अगर भाई अपने भाईके साथ शातिपूर्वक रहनेको उत्सुक ह तो कांग्रस और मुस्लिम लीगको नजदीक आना होगा। यह सही ह कि वाइसरायको इगलडके ब्रिटिश मन्त्रिमडलसे आदेश प्राप्त करने होते ह परतु इसके बावजूद वह स्वच्छाचारी शासक ह। लेकिन आपके तपे नपाये नेता जनताके आदमी ह और उन्हे जनताकी इच्छा पूरी करनी होगी। जिस वक्त जनता आपसम झगड़ना और हत्या करना बद कर देगी उसी वक्त वह आजाद हो जायगी और आजाद भारतम करनको बहुत काम ह। आज भुखमरी ह, गरीबी ह घूसखोरी ह, भ्रष्टाचार और काला बाजार ह। यह सब समाप्त करना ह। यदि कांग्रस और लीग एक हो जाय तो वे भारतम जसी नयी व्यवस्था चाहते ह उत्पन्न कर सकेंगे।

अक्तूबरके प्रारम्भम भोपालके नवाबने गाधीजीसे मुलाकात की और उनस समस्याके एक प्रस्तावित हलको लेकर बातचीत की। साराशम हल यह था कि चूकि हालके चुनावम मुस्लिम लीगने मुस्लिम सीटोपर भारी बहुमतसे जीत हासिल की ह अत कांग्रेस मुस्लिम लीगको यह मान्यता द कि उस ही भारतके मुसलमानाका प्रतिनिधित्व, सामान्यतया करनेका अधिकार ह। इस मान्यताकी शत यह होगी कि मुस्लिम लीग भी कांग्रेसको भारतके शेष सभी वर्गोंके प्रति निधित्वकी मान्यता द जिनम वे मसलमान भी शामिल होगे जिहोन अपने भाग्य कांग्रेसके साथ जोड रखे ह। साथ ही मुस्लिम लीग यह भी मान ले कि कांग्रेस

जिन लोगोका प्रतिनिधित्व करती है, उनमेसे अपने विवेकसे जिन लोगोको भी गरकारमे शामिल करना चाहे, कर सकती है। इस हलका अतिम प्रारूप तैयार किया गया और गाधीजीने उसपर हस्ताक्षर किये। प्रारूपके उत्तरार्धमे कहा गया था . "यह मान लिया जाता है कि अतरिम सरकारके सभी मत्रिगण एकताकी भावनाके साथ सपूर्ण भारतकी भलाईके लिए काम करेगे और किसी भी हालतमे गवर्नर जनरलको हस्तक्षेप करनेका मौका नही देगे।"

जिना साहबने इस हलके पूर्वार्धसे सहमत होते हुए भी टीका की कि जहाँ-तक मेरा सवाल है, इस मसविदेके उत्तरार्धपर बहसकी जरूरत है। गाधीजीने भोपालके नवाबसे कहा कि पूर्वार्धपर मेरी स्वीकृति इस शर्तपर है कि जिना साहब इस पूरे हलको मान लें।

५ और ७ अक्तूबरको भोपालके नवाबके निवासस्थानपर नेहरूजीकी जिना साहबसे विस्तारसे बातचीत हुई। परन्तु ७ ता० को नेहरूजी जिनाका एक पत्र पाकर चकित रह गये। इस पत्रमे लिखी बातें वार्ताकी भावना और प्रवाहसे तो बेमेल थी ही, साथ ही जिनाने उसमे अपनी नव-सूत्री मागोकी उस सूचीकी एक प्रतिलिपि भी नत्थी कर दी थी जिसे उन्होने वाइसरायको भेजा था और जिसे वाइसरायने ४ अक्तूबरके पत्रमे अशत स्वीकार भी कर लिया था। परतु, काग्रेस जहाँ उन बातोको सारत इस शर्तपर माननेको तैयार थी कि गाधी फार्मूलाके उत्तरार्धपर मुस्लिम लीग स्वीकृति देकर काग्रेससे समझौता कर ले, वही वाइसरायने बगैर शर्तके बाते मान ली थी। जिनाने काग्रेससे समझौता न करते हुए सीधे वाइसरायसे काम निकाल लेना ठीक समझा। १५ अक्तूबरको घोषणा हुई कि मुस्लिम लीग अतरिम सरकारमे शामिल होनेके लिए रजामद है। नेहरूजीने वाइसरायको लिखा . "हमारे लिए यह जानकारी आवश्यक है कि जिना किस प्रकार शामिल होना चाहते है मंत्रिमंडलमे शामिल होनेका आधार निश्चित रूपसे यह मानकर होना चाहिए कि कैबिनेट मिशनका १६ मईका वक्तव्य स्वीकार कर लिया गया है।" जिनाका वह पत्र, जिसमे उन्होने वाइसराय द्वारा अन्तरिम सरकारमे प्रदत्त पाँच सीटोंको कबूल किया था, 'अतरिम सरकारके गठनकी योजना और आधार'से सामान्यतया असहमत और 'लिये जा चुके निर्णयो' का विरोधी था। चार दिनो बाद, अतरिम सरकारके लिए मुस्लिम लीग द्वारा नामाकित गजनफर अली खानने लाहौरमे छात्रोकी सभामें बोलते हुए कहा . "हम अपने अभिलषित लक्ष्य पाकिस्तानकी उपलब्धिके लिए, अतरिम सरकारमे, उसे सघर्षका अखाडा समझकर शामिल हो रहे है।"

१६ अक्तूबरको नेहरूजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँकी प्रार्थनापर सीमान्त प्रान्तके दौरेके लिए दिल्ली छोड़ी। वाइसरायने नेहरूजीको कबायली इलाकेमें जानेसे विरत करनेकी चेष्टा की पर जब उन्होंने देखा कि नेहरूजी अपने इरादेपर अडिग हैं तो उन्होंने गवर्नरको आवश्यक कार्यवाही करनेके लिए स्वतन्त्र कर दिया। सीमान्तके गवर्नर सर ओल्फ करोने दिल्लीमें तीन दिन नेहरूजीको कबायली इलाकेमें जानेसे रोकनेकी कोशिशमें विताये।

१६ अक्तूबरके दोपहरको नेहरूजी विमान द्वारा पेशावर पहुँचे। मुख्य मन्त्री निवासमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनका स्वागत किया। हवाई अड्डेके प्रवेश मार्गपर ५ हजार लीगी स्वयंसेवक हरे गणवेशमें लाठी, बल्लम और भालोंसे लैस, अब्दुल कयूमके नेतृत्वमें थे जिसने हालमें ही कांग्रेससे त्यागपत्र दिया था, और वे नारे लगा रहे थे। ज्यों ही नेहरूजी निकले उनके खिलाफ नारे लगाये गये और उनकी कारपर हमला करनेकी कोशिश की गयी। डा० खान साहब इतने परेशान हुए कि उन्होंने रिवाल्वर निकाल ली और गोली मार देनेकी धमकी दी। भीड़ने गाड़ीको राह दी। जब अब्दुल कयूमसे यह पूछा गया कि अब, जब कि मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकारमें शामिल हो चुकी है इस प्रदर्शनकी क्या आवश्यकता है? तो उसने जवाब दिया 'यदि दूसरी जगहोंपर शान्ति हो तो भी सीमान्तमें शान्ति नहीं हो सकती।'

सीमान्तका यह प्रश्न दुनियाका एक रहस्य है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने पत्रकार सम्मेलनमें नेहरूविरोधी प्रदर्शनके लिए राजनीतिक विभागको दोषी ठहराते हुए कहा 'पंडित नेहरू भी ऐसी स्थितिमें अच्छी तरह देख नहीं सकेंगे। आज आपने जो कुछ देखा और आगे नेहरूजीके कबायली इलाकेमें जानेपर जो कुछ देखे जानेकी सम्भावना है और जो बातें आप लोग पिछले कुछ दिनोंमें सुनते चले आ रहे हैं वे सब राजनीतिक विभाग द्वारा कल्पित और परिचालित हैं। मैं सीधा-सादा पठान हूँ और जो महसूस करता हूँ उसे खुलकर कहता हूँ। राजनीतिक विभागने नेहरूजीको कबायली इलाकेमें दौरेपर जानेसे रोकनेकी भरसक कोशिश की। वह नहीं चाहता कि नेहरूजी उधर जायें। राजनीतिक विभागके अतिरिक्त दूसरे लोग भी हैं जिनका नाम लेना मैं नहीं चाहता, जिन्हें नेहरूजीका कबायली इलाकेका [illegible] दौरा नागवार लगता है। चूँकि नेहरूजीने उनकी इच्छाओंको ठुकरानेकी हिमाकत है, अतः वे उन्हें सबक सिखाना चाहते हैं।

एक पत्रकारके पूछनेपर कि क्या सरकार यह जानती है कि जब कि सरकार

नेहरूजीकी यात्रा योजनाको गुप्त रखे हुए है, मुस्लिम लीगको सारी योजना ब्यौरेके साथ मालूम है, मन्त्री मेहरचंद खन्नाने यह कहते हुए हस्तक्षेप किया · "मुझे, सूचना-मन्त्रीको इस यात्रा-योजनाकी कोई जानकारी नही थी। कवायली इलाकेसे प्रान्तीय सरकारका कोई संबंध नही है।"

यह पूछनेपर कि खुदाई खिदमतगारोकी रैलीकी व्यवस्था क्यो नही की गयी, खान अब्दुल गफ्फार खॉने कहा कि नेहरूजी विदेश-मन्त्रीकी हैसियतसे सरकारी दौरेपर है अत. उनके स्वागतकी सारी जिम्मेदारी गवर्नर जनरलके एजेटकी है। मैने सरकारी अधिकारियोको छूट दे रखी थी कि वे जैसा स्वागत चाहे, आयोजित करे। आगे उन्होने कहा . "२१ अक्तूबरके उनके प्रोग्रामका जिम्मेवार मै हूँ, जब मै उन्हें पेशावरसे सरदरयाव ले जाऊँगा। मै आप सबको निमन्त्रित करता हूँ कि आइए, देखिए कि हम पठान उनका स्वागत कैसे करते है।"

सरकारकी दुहरी कार्यप्रणालीकी आलोचना करते हुए कि सीमान्तमे कवायली इलाकोके प्रशासनमे गवर्नर भी गवर्नर जनरलके प्रतिनिधिके रूपमे काम करता है और राजनीतिक विभागके मातहत प्रत्येक डिप्टी कमिश्नर भी काम करता है, जिनपर जनताके प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डलका कोई दवाव नही चलता, खान अब्दुल गफ्फार खॉने कहा . "जबतक यह कुचक्र चलता रहेगा तबतक कवायली इलाकोमे ही नही, बल्कि जिन जिलोका बदोबस्त हो चुका है उनमे भी शातिकी स्थापना होना दुस्साध्य है। बगैर राजनीतिक विभागकी अनुमतिके सीमात प्रांतके मुख्य मन्त्री डा० खान साहब भी कवायली इलाकेमे प्रवेश नही कर सकते।"

खान अब्दुल गफ्फार खॉसे पूछा गया कि क्या वे कवायली इलाकेको भारतीय सरकारके अतर्गत शामिल कराना चाहेगे? उन्होने जवाब दिया, "मै अहिंसावादी हूँ। मै यह हर्गिज नही चाहता कि कवायली लोगोको जवरन हमारे साथ कर दिया जाय। मै यह मामला पूरे तौरसे कवायली लोगोपर छोड देना चाहूँगा। अगर वे हमारे साथ शामिल होना चाहेगे तो हमे उनका स्वागत करनेमे बडी प्रसन्नता होगी, लेकिन अगर वे अलग रहना चाहेगे तो हम इसमे भी उनकी मदद करेंगे। कवायली लोग सीमातके लोगोके भाई-बन्द है और उन्हे प्यारसे ही जीतना होगा, ताकतसे नही। उनके साथ नया व्यवहार होना चाहिए। हम अपनी आजादीके लिए लडते रहे है। एक काग्रेसी अपने भाइयोकी आजादीके दायरेको संकुचित करनेकी बात सोच भी कैसे सकता है?"

यह पूछनेपर कि आप सीमात प्रदेशपर अहिंसाकी नीतिको किस प्रकार चरितार्थ करेंगे, खान अब्दुल गफ्फार खॉने कहा. "हम भारत सरकारकी सीमात

नीतिके प्रति आक्रोश न लानेका प्रयत्न करेंगे।" मैं इस बातसे सहमत नहीं हूँ कि ब्रिटिश अधिकारियों और कबायली लोगोंके पिछले सबधोंको देखते हुए कबायली लोगोंको भारतसे शांतिपूर्ण सहयोग करनेके लिए तैयार करनेमें लम्बा समय लगेगा। उन्होंने आगे कहा : 'मैं कबायली इलाकेमें, पहले पगके रूपमें प्राइमरी स्कूलों, नागरिक अस्पतालों और कुटीर उद्योगके प्रशिक्षण केन्द्रोंका संगठन करना चाहूँगा। जब कबायली इलाकेका प्रशासन पूरे तौरसे भारतीयोंके हाथमें आ जायगा तब ऐसी गतिविधियोंको बढ़ाकर व्यापक बनाया जा सकेगा। अगर राजनीतिक विभाग ईमानदारीके साथ मुझसे इस मानवतावादी कार्यक्रममें सहयोग करे और राजनीतिक एजेंट परिवर्तित हृदयसे काम करें तो मैं पाँच वर्षोंके अंदर परिणाम उत्पन्न करनेका वायदा कर सकता हूँ। जहाँ बम बेकार हो जाते हैं, वहाँ प्यार कारगर हो सकता है। मैं मानता हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा किये गये घावोंको ठीक करनेमें वक्त लगेगा और हम दिलोंसे शुबहा, आतंक और गलतफहमियोंको दूर करनेमें वक्त लगेगा; किन्तु मुझे अपनी अहिंसावादी दृष्टि पर आस्था है। पाशविक बलसे उनका मनोबल तोड़नेकी अपेक्षा मैं उनकी आर्थिक उन्नति करके उन्हें भाई जैसी सेवा अर्पित करना चाहता हूँ।

यह पूछनेपर कि क्या संक्रमणकी अवस्थामें बमबारी जैसे हिंसक उपायोंकी आवश्यकता न होगी, उन्होंने कहा : "अंग्रेजोंने कबायली लोगोंके सबधमें अति रंजनापूर्ण भ्रामक धारणाएँ फैला रखी हैं। आप जब उनके सम्पर्कमें आयेंगे तो आपको यह जानते देर न लगेगी कि वे कितने प्यारे लोग हैं। फिर आप बमबारी जैसी पाशविक बातें सोच भी नहीं सकेंगे।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा : अन्तरिम सरकारके मसलेपर जिन्ना साहब ने नेहरूजीसे समझौता न करके वाइसरायसे क्यों समझौता किया ? मैंने हालमें ही जो बात शबकादरमें कही थी वह अब सही साबित हो चुकी है कि कांग्रेस सरकार जिस प्रकार सहमति और सहयोगके साथ चल रही है उससे वाइसरायको परेशानी है। वाइसरायने सोचा होगा, 'अब मुझे कौन बचायेगा ?' और अपने पुराने यारोंकी ओर मुस्लिम लीगियोंकी ओर, मुखातिब हुए। यह कैसी दर्दनाक विडम्बना है कि जिन्ना साहब अपने भाइयोंके साथ समझौता न कर सके और वाइसरायसे समझौता करते उन्हें कोई दिक्कत न हुई ! अगर जिन्ना साहब कांग्रेससे समझौता करके अन्तरिम सरकारमें शामिल हुए होते और अपनेको वाइसराय का औजार बनाते तो पण्डित नेहरू उनके अहसानमंद होते। उन्होंने इस बात पर शोक प्रकट किया कि अन्तरिम सरकारमें कार्यकाल एक साल के लिए देनेका वाले

कोनेमे जान-मालका नुकसान किया गया ।

१७ अक्तूबरको पंडित नेहरू, डा० खान साहब अब्दुल गफ्फार खाँ और विदेश मंत्रालयके सचिव क्राइटन महोदयके साथ उत्तर वजीरिस्तान स्थित मीरनशाहको विमान द्वारा रवाना हुए । खान अब्दुल गफ्फार खांके लिए वजीरिस्तानकी यात्राका यह पहला अवसर था और उन्होने कहा कि मैं इसे अपने जीवनका अत्यन्त सुखद क्षण मानता हूँ ।

कवायली इलाकेकी यात्रा के पहले दौरेमें नेहरूजीने डा० खान साहब और खान अब्दुल गफ्फार खांके साथ कवायली लोगोसे भेट की । जब डा० खान साहब कवायली लोगोको नेहरूजीका परिचय दे चुके तब उनके प्रतिनिधियोने नेहरूजीसे उनके वजीरिस्तानके दौरेका मकसद पूछा । कुछ लोग चिल्लाये, "हम हिंदूराज नही चाहते ।" उन लोगोने यह स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी आजादीमें किसी प्रकारका और किसीका हस्तक्षेप सहन न कर सकेंगे । उन्होने कहा कि न हम काग्रेसको मानते है और न मुस्लिम लीगको ही और अपनी जिंदगीको अपने इच्छानुसार बितानेके लिए आजाद रहना पसन्द करते है ।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने उन्हे बताया कि वे सच्ची आजादीका उपभोग कर नही पा रहे है । "हम आप लोगोको मुकम्मिल आजादी पानेमें मदद पहुँचाना चाहते है । हम आप लोगोसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करनेके लिए बेचैन हैं । हम आप लोगोको आपकी मुसीबतोमें मदद पहुँचाकर आपके दोस्त बनना चाहते है ।"

एक ही रोजमे दो उग्र प्रदर्शन हुए । एक प्रदर्शन कवायली जिरगाके लोगोंने मीरनशाहमें और दूसरा रजमकमे किया । इन प्रदर्शनोंको देखकर नेहरूजीके मुँह से उद्गार निकला कि ये सीमांतवासी गरीब जनताके प्रतिनिधि हैं । डा० खान साहबने जोर देकर कहा कि इन्हे राजनीतिक विभागने बरगलाया है । लगभग १०० कवायली प्रतिनिधियोको गरमागरम बहसके बाद विदा देनेके पश्चात् नेहरूजी राजनीतिक विभागके प्रतिनिधियोकी ओर मुडे और बोले . "ये ही वे पेंशनयाफ्ता लोग है, जिनसे आप घबराते हैं ? मै कुछ समझ नही पा रहा हूँ ।" जिरगा से उन्होने कहा "मैं मुहब्बतका पैगाम लेकर आया हूँ, मुझे आप लोगोपर हुकूमत करनेकी कोई इच्छा नही है । कबाइली लोगों द्वारा यह कहते हुए टोकनेपर कि "हम आजाद लोग है और अपनी प्रभुसत्ताको खोना नही चाहते" नेहरूजीने टीका की "मुझे ताज्जुब होता है कि आप लोग, जो सरकारसे पैसा पाते है और उसीकी मर्जीपर चलते है, कैसे आजादीकी बात करते है । हम लोग हिंदु-

स्तानकी आज़ादीके लिए लड रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप भी विदेशी हुकूमत से पूरे तौरसे निजात पायें।"

नेहरूजीकी यात्रा बाधाओंसे भरी थी। ये सारी बाधाएँ राजनीतिक एजेंसी द्वारा उत्पन्न की गयी थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार दिया है

"हम लोग पहले वज़ीरिस्तान गये जहाँ राजनीतिक एजेंसीके सभी अधिकारीगण अंग्रेज थे, जो विनीत किन्तु कुटिल थे। मीरनशाहमें पंडित नेहरूने राजनीतिक एजेंट और रेजिडेंटसे पूछा कि कबायली इलाकेमें करोडों रुपयोंके खर्चका *क्या ठोस नतीजा निकला? उन लोगोंने कोई उत्तर ही नहीं दिया।* मैंने टोककर कहा कि इन लोगोंने पख्तूनोंके लिए बहुत कुछ किया है। इससे अधिकारीगण खुश हो गये।

"मैंने कहा इन लोगोंने कबायली लोगोंको इस हदतक बेईमान और रिश्वतका आदती बना दिया है कि वे लोग रुपयोंके लिए बडी खुशीसे अपनी जाति, वतन और इस्लामतकको बेच सकते हैं।' इस बातसे अधिकारीगण बेहद नाराज हुए। जब हम लोग खाना खाने बैठे तो खानाके एक नौजवान राजनीतिक एजेंटने पूछा, क्या हमने इस इलाकेके लिए कुछ भी नहीं किया? मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं किया, बताइए, आपने क्या किया है?

"वहाँसे विमान द्वारा पहले टांक गये और फिर लंडोला पहुँचे जहाँका राजनीतिक एजेंट हिंदू था। वहाँके कबाइली लोग हमसे बडे प्रेमसे मिले और हमें भेंट करनेके लिए भेडें लाये। जितनी देर उनसे बातचीत हुई, वे बराबर हमारा समर्थन और सहयोग करते रहे। वहाँसे हम पेशावर लौटे और दूसरे रोज खैबर गये, जहाँका राजनीतिक एजेंट मुसलमान था। जब हम जमरूद गये तब वहाँ हमें सडकसे कुछ परे बैठे अफरीदियोंने जूते दिखाये। तोरखानमें चाय पीकर जब हम लांडी कोटल पहुँचे तो वहाँ सडकपर बैठे लोगोंने हमपर पत्थर फेंके। राजनीतिक एजेंटकी कार हमारे आगे थी वह रुक गयी और उसके रक्षकोंने भीडपर गोलियाँ चलायीं। भीड छँट गयी। हमारी कारके शीशे फूट गये लेकिन चोट सिर्फ हमारे एक अंग्रेज साथीको आयी, जो उतरकर फोटो ले रहे थे।

"दूसरे रोज हम मालाकंदके इलाकेमें दौरा करनेवाले थे। हमें मालूम हुआ *कि राजनीतिक एजेंट शेख महबूब अली जो सिद्धान्तहीन और खतरनाक आदमी* हैं, गवर्नरसे बातकरने पेशावर गया था। इस बातको ध्यानमें रखकर मैंने पंडित नेहरूसे पूछा कि क्या वे इसपर भी मालाकंद जाना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि मैं

तो अपने प्रोग्रामपर अमल करूँगा। वजीरिस्तानमे हमारे साथ सैनिक थे, लेकिन खैबर एजेंसीमे हमारे साथ पुलिस थी। मैंने डा० खान साहबसे कहा कि मालाकदमे हमारे साथ सैनिक रहने चाहिए। अगर आपसे यह नही हो सकता तो मै खुदाई खिदमतगारोका प्रबन्ध कर दूँगा। मैंने उनसे कहा कि किसी भी हालतमे महज पुलिसके साथ जाना मंजूर नही किया जाना चाहिए। डा० खान साहबने मुझे एतबार दिलाया कि वहाँपर वे सैनिकोका प्रबन्ध कर सकेगे। जब हम रिसालपुर पहुँचे, तो मैने देखा कि केवल सिपाही मौजूद है। मैं बेहद नाराज हुआ और मैने सोचा कि मुझे इन लोगोके साथ मालाकंद नही जाना चाहिए। फिर मैने सोचा कि पंडित नेहरू मेरी वजहसे यहाँ आये है और मुझे उनके साथ रहना ही चाहिए। हम मालाकंद ठीक वक्तसे पहले ही पहुँच गये और वहाँ हमारे स्वागतके लिए कोई भी मौजूद न था। जब हम किलेमे चाय पी रहे थे हमने बाहरका शोर सुना और पता चला कि शेखके आदमी पहुँच गये है, हालांकि उन्हें पहुँच पानेमे जरा देर हुई, क्योकि हम वक्तसे पहले ही पहुँच गये थे। एजेंसीमे खुदाई खिदमतगार भी थे और उनके नेता राहद खानने हमें सावधान किया कि शेखने बहुत सारे गुण्डोको जुटा लिया है और हमे उसके लिए आवश्यक व्यवस्था कर लेनी चाहिए। हमने रात मालाकंदमे गुजारी। शेख, डाक्टर खान साहबको खुश करनेकी कोशिशमे बराबर लगा हुआ था और वे चापलूसीके शिकार हुए जा रहे थे। दूसरे रोज सवेरे ज्यो ही हम चलनेके लिए तैयार हुए एक खुदाई खिदमतगारने आकर मुझसे कहा कि बाहर सड़कपर हमे रोकनेके लिए भारी भीड तैनात है, और हमे चौकस रहना होगा। मै खान साहबको परे ले गया और उन्हे यह जानकारी दी। शेख हम लोगोको दूरसे ताड रहा था। वह खान साहबके पास आया तो खान साहबने उससे सारी बातें कह दी। शेखने कहा "क्या आप मेरे लिए बापके बराबर नही हैं ? मै पठान नही हूँ ? क्या मे इतना गलीज हूँ कि आपको धोखा दूँगा ?" डा० खान साहब शेखकी बातोपर भरोसा करते हुए, पुलिस रक्षकोतकका इंतजार न करते हुए, शेखको आगे करके बढ चले। हम सब पीछे थे। किलेके फाटकपर जवाहरलालजीको विदा करनेके लिए कुछ अंग्रेज जुटे थे। शेख खिसक गया। ज्यो ही हम किलेके बाहर हुए और अंग्रेजोसे कुछ दूर हुए, इंतजार करती भीडने हमपर पत्थर फेकना शुरू किया। भीडने सडकके बीचोबीच हमे बाधा देनेके लिए एक ट्रक खडी कर दी थी। एक पत्थर मेरी पीठपर गिरा और मुझे झाई आ गयी। कारकी अगली सीटपर बैठा हुआ जमादार नीचे झुक गया। डा० खान साहबने जमादारकी रिवाल्वर

छीन ली और उसे भीडकी ओर रुख करते हुए कड़की हुई आवाज दी, "हट जाओ, वरना गोली मार दूँगा।" भीड फौरन भाग खडी हुई। इसी प्रकार खान साहबने ट्रक ड्राइवरसे सडक खाली करनेको कहा और वह भी गाडी लेकर खिसक गया। इस तरह हमारी रक्षा हो पायी। अंग्रेजोकी आँखोंके सामने फाटकपर हमपर हमला हुआ और उन लोगोने हमें बचानेकी कोई कोशिश नही की। हमारे दलमे प्रातके मुख्य मत्री और विदेश मत्रालयके अध्यक्ष थे, जिनके जिम्मे समूचा कबायली इलाका था। हम सब घायल हुए और कारके काँचके परदे फूट गये।

'दोबारा सफर शुरू करनेसे पहले मैंने डा० खान साहबसे कहा कि हमारी कार दो ट्रकोके बीच चलनी चाहिए। अगर राहमें कही भीड नजर आये तो पाइलट ट्रक रुक जाय रक्षक उतर जायें और भीडको हट जानेका आदेश दें। अगर लोग हटनेसे इनकार करें तो भीडपर लाठीचाज किया जा सकता है। और यदि लाठीचाज बेअसर साबित हो तो पीछेवाली ट्रकके रक्षक गोली चलायें। जब हम मालाकदस दरगाई पहुचे तो वहाँ उपस्थित भारी भीडने हमपर पत्थर बरसाना आरम्भ किया। जवाहरलालजीपर निशाना साधकर चलाये हुए एक पत्थरको रोकनेके लिए मैंने अपना हाथ आगे कर दिया। एक आदमीने कीचडभरा मिट्टीका एक पात्र हमपर फेंक दिया जो मुझे और जवाहरलालजीको न लगकर डा० खान साहबको लगा, जिससे उनका सारा बदन गदा हो गया। हम लोग बडी-बडी दिक्कतोका झेलते हुए पेशावर पहुँचे और यह सब डा० खान साहबकी असावधानीके कारण हुआ। अगर हमें इजाजत दी गयी होती तो हम अपने लिए उचित व्यवस्था स्वय कर सकते थे।

"दूसरे रोज सरदरयावमें हमारे अपने केंद्रपर सभाका आयोजन किया गया था। हम लोगोने एहतियातन ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि सरकारी प्रोत्साहनके बावजूद किसीने सभाकी गतिविधिमें विघ्न उत्पन्न करनेका साहस नही दिखाया। हमने डॉ० खान साहबसे कह दिया था कि हम अपना इतजाम खुद कर लेंगे और उन्हें या उनकी सरकारको हमारी रक्षाके लिए कष्ट करनेकी जरूरत नही है। जब हमारा इतजाम पूरा हो गया और मैं जवाहरलालजीके साथ बैठा हुआ था तब मुझे पता चला कि कुछ अंग्रेज अधिकारी डा० खान साहबके निवास स्थानपर गये और उन्होने हमारी रक्षाके लिए सैनिक टुकडी भेजनेकी जिद की। डॉ० खान साहबने कहा *'ठीक है, उन्हें भी आने दीजिए।'* मैं अपनी बातपर अडिग रहा। मैंने अंग्रेज अधिकारियोंसे कहा 'जब हमें आपकी मददकी जरूरत

और पख्तूनोंके प्रति विशेष अनुराग सूरजकी धूपकी तरह उजागर है। आपने अप
यह अनुराग तभी प्रकट कर दिया था जब कि सत्ता और शक्ति आपके हाथ
नहीं थी। अब जब कि आप सत्ता और शक्तिसे सम्पन्न हैं हम पख्तून यह आ
करते हैं कि हमें आपकी गंभीरतर और दृढ़तर अनुराग रश्मियोंका स्निग्ध आल
प्राप्त होगा। प्रारम्भसे ही पख्तून लोग भारतीय राजनीतिमें अत्यंत गंभीर भूमि
अदा करते आ रहे हैं। पख्तूनोंकी भौगोलिक स्थितिने उन्हें भारतके चौकीदा
और रक्षकोंकी हैसियत प्रदान की है। आज आप एक सत्तारूढ़ व्यक्तिकी स्थि
से हमारे इलाकेमें पधारे हैं और हम आपसे यह उम्मीद रखते हैं कि आप भौ
लिक दृष्टिसे सामरिक महत्वकी हमारी स्थितिपर विचार करेंगे। इस बातका श्रे
आपको प्राप्त है कि पख्तूनोंकी आवाज भारतीयोंकी आवाजमें घुल मिल गयी ह
सन १९३० के शानदार वर्षमें आपने कांग्रेस अध्यक्षकी हैसियतसे काँटोंका ता
अपने सिरपर धारण किया और उसी समय हमने भी बादशाह खाँके नेतृत्व
अंग्रेजोंके खिलाफ बगावतकी आवाज बुलंद की। अतीतकी ही भाँति आज भी ह
भारतके कष्टों और संकटोंमें साझीदार हैं। आज आपके और हमारे त्याग सफ
हुए हैं। देशमें कुछ परिवर्तन उत्पन्न हुआ है और भारतीयोंके साथ ही हम पख्
भी उसमें साझीदार हैं। लेकिन हमारे प्रांतकी कुछ खास समस्याएँ हैं। हमा
लाखों पख्तून भाई हमारे प्रांतके इर्द गिर्द रहते हैं। अगर हमारे और उन
संबंध बिगड़ गये तो उससे भारतपर बुरा असर पड़ेगा। भारतमें शांति बना
रखनेके लिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उनसे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापि
करें। लेकिन अबतक केंद्रीय सरकारने उनके साथ जैसा बर्ताव किया है उस
उनके मनमें हमारे इरादोंके प्रति सन्देह पैदा हो गया है। अतः इन सन्देहोंको दू
करना आवश्यक है। केंद्रीय सरकारको चाहिए कि हमारे माध्यमसे वह इन कबा
यली लोगोंसे सम्पर्क बनाये रखे और इन्हें राजनीतिक विभागके निरंकुश शासन
मुक्त करे क्योंकि उक्त विभागने शांति और सुधारके नामपर भारतकी गरीब
जनतासे पैसा व्यय उगाहकर इस इलाकेमें बरबाद किये हैं। आपको मालूम
है कि हमारा प्रांत कितना गरीब है। हमारे यहाँ पीनेके पानीका भी आवश्यक
प्रबंध नहीं है। कबायली लोगोंकी स्थिति हमसे भी बदतर है। आप भी इन सब
बातोंसे वाकिफ होंगे और आप यहाँ अपने यत्नसे उन्हें काम दिलाकर ही आ
पाये होंगे। इस मौकेका फायदा उठाकर हम आपसे अर्ज करना चाहते हैं कि
यहाँसे वापस लौटनेसे पहले आप हमारे नये उन्नति-अनुष्ठानको तय कर दें, कि यदि
केंद्रीय सरकार हमारी बेहतरीके लिए कोई योजना बनाती है तो हमारे कबायली

भाइयोकी भलाई करनेके संवधमे भी उपेक्षा न करे और जीवनके नये आयामो-का द्वार खोलनेके लिए केंद्रीय सरकार उन्हे मदद पहुँचाये।

"अन्तमे हम फिर आपका हार्दिक स्वागत करते है। आजादीकी लडाईमे हम सब आपके साथी है।"

जवावमे, जवाहरलाल नेहरूने कहा

"केंद्रीय सरकारके उपाध्यक्षकी हैसियतसे मुझे दिये गये अभिनन्दन-पत्रके लिए मै आप लोगोको धन्यवाद देता हूँ। मै यहाँ आज एक पुराने मित्र और साथीकी हैसियतसे आया हूँ, सरकारके प्रतिनिधिके रूपमे नही। यह हैसियत तो आने-जानेवाली है मगर हमारी मैत्रीका वन्वन क्षणिक नही है। मै यहां छ वर्षो के वाद आया हूँ और इन छ वर्षोमे एक वहुत वड़ी क्राति हो गयी है। युद्ध तो खत्म हो गया लेकिन इस दुनियाकी मुसीवते खत्म नही हुई। हम सोचते है कि पचास सालसे चली आ रही हमारी लडाई खत्म हुई, राष्ट्रीय सरकारकी स्थापना हो गयी, लेकिन इसके साथ ही हज़ारों कठिनाइयाँ और समस्याएँ हमारे समक्ष उपस्थित हो गयी। फिर भी हमे साहस नही खो वैठना चाहिए। हमारा देश एक शानदार देश है। वरसोकी मुसीवतो, कुर्वानियो और सघर्पके वाद हम अपनी धरतीके खुद मुख्तार हो पाये है। आज हम शक्तिशाली है और स्वाभिमानपूर्वक सिर ऊँचा करके चल सकते है, लेकिन हम लोगोंमे गलतफहमियाँ पैदा करनेकी हरचन्द कोशिशे की जा रही है। हमारे अज्ञानका लाभ उठाकर कुछ लोग हमारे घरोंको वरवाद करनेकी कोशिश कर रहे है। जैसा कि मै पहले भी कह चुका हूँ, मै यह वात जोर देकर कहना चाहता हूँ कि जव हमे पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होगी तो उससे भारतके सभी नरनारियोका मंगल होगा, किसी समूह या दल-विशेषका नही। आपने अपनी ओरसे आजाद कवायली लोगोका ज़िक्र किया और मै यह वता देना चाहता हूँ कि मेरी यह यात्रा खास तौरसे उन्हे ध्यानमे रखकर आयोजित की गयी है। इन इलाकोमे आज मेरा पाँचवाँ दिन है। इस वीच मैने काफी तजुर्वे कर लिये है, कुछ अच्छे और कुछ बुरे भी।

"वहुतसे लोगोने मेरे यहाँ आनेपर एतराज किया। मगर मुझे इस वातकी खुशी है कि मै यहाँ आया। मै यहाँ प्यार और भाईचारेका पैगाम लेकर आया हूँ। कुछ लोगोने उपद्रव और उत्पात खड़े किये, जिन्हे आप और हम रोक नही पाये। हम लोगोको इस वातकी इजाजत नही दी गयी कि हम अपना इन्तज़ाम खुद कर लें और जो इन्तज़ाम किया गया था वह इतना नाकाफी था कि हर कही कुछ न कुछ गड़वड़ी पैदा हो गयी। इन सब वातोके पीछे हकीकत यह है कि

इस देशमें ऐसे लोगोके कुछ गिरोह हैं जो हम लोगोमें फूट और नफरत पैदा करनेकी चालें रचते रहते हैं। भारतकी आज़ादीकी लडाईमें हम और आप साथ-साथ कदमसे कदम मिलाकर चले और इस देशमें प्यार और मुहब्बतकी एक ऐसी फिज़ा तयार की, कि हमे यह उम्मीद हो चली कि हमारे देशकी प्रगति और समृद्धिकी दीवारपर प्यारका पलस्तर होगा। हम लोग सरकारसे लडे लेकिन अंग्रेजो की निजी सुरक्षा कभी खतरमे नही पडी। वे गलियो, सडको और बाज़ारोमे आज़ादीसे और बेफिक्रीसे घूमा किये। हमारे नेताओने हमें एक सच्चे भारतीयकी शान और बहादुरीसे लडना सिखाया। मेहरबानी करके एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी पार्टी या गिरोह ऐसी अनुशासनहीन हरकतोसे, जिनसे महज़ बदइंत जामी फलती है, कोई लाभ नही उठा सकता। इन गैरजिम्मेदाराना हरकतोंका दूसरा मशा शायद हमे डरा देना था। लेकिन यह ज़ाहिर है कि जिन लोगोने अत्याचारी और दमनकारी ब्रिटिश हुकूमतको चुनौती दी है वे ऐसी टुच्ची हरकतो से डराये नही जा सकते। इन घटनाओसे आपकी आँखें खुल जानी चाहिए और आपकी नींद टूटनी चाहिए। आपने सोचा कि देश आज़ाद हो गया है इसलिए हमारी जिम्मेदारियाँ खत्म हो गयी लेकिन ये वारदात कुछ और ही इशारा करती है और हमें चेतावनी देती हैं कि अभी हमारी लडाई खत्म नही हुई है और विरोध और नफरतके जो बीज आज बोये जा रहे हैं वे हम तबाह और बरबाद कर देनेवाले साबित होगे। तलवार और राइफलके घाव जल्दी भर जाते हैं लेकिन इस घाव जल्दी नही भरते। इसीलिए सभी बडे-बडे पैगम्बरोने इस बातपर जोर दिया है कि लोगोको आपसमे प्यार और भाईचारेकी भावनाके साथ रहना चाहिए। आज हमारे देशमें ऐसे लोग बहुत हैं, जो खुलकर नफरत और कटुताकी बात फैला रहे हैं। हम यह ऐलान करते हैं कि यह देश हम सभीका है और हम सब मिलकर इसका उपभोग करेंगे और कोई भी दल या गिरोह दूसरोकी पीठपर सवारी नही करेगा।

आप भारतके इतिहाससे वाकिफ हैं। अंग्रेजोने भारतको जीता नहीं, बल्कि हमारे मतभेदो और कमजोरियोसे फायदा उठाया। आज भी यही हालत है। वे हमारे अनाज फूट और मतभेदोसे लाभ उठा रहे हैं।

'जो कुछ भी हुआ वह आपके और हमारे लिए अच्छा ही हुआ। आपकी इस पाक धरतीपर मेरे और बादशाह खानके जो चन्द खूनके कतरे बिखर गये हैं वे बेशक रंग लायेंगे। आप लोगोंको अपने दिमागमे संकीर्णता निकाल देनी चाहिए क्योंकि आप लोग अपनेको खुदाई खिदमतगार कहते हैं। आप लोग जिस

प्रकार शरीरसे लंबे और तगडे है, उसी प्रकार आपका दिल और दिमाग भी मजबूत होना चाहिए। मै आप लोगोके जरिए कवायली लोगोतक यह पैगाम पहुँचा देना चाहता हूँ कि इधर कुछ दिनोमे जो कुछ भी हुआ उसके लिए मेरे मनमें उनके खिलाफ कोई मलाल नही है। खुदाई खिदमतगारोंको कवायली इलाकेमे जानेकी कभी इजाजत नही दी गयी, लेकिन शरारत करनेवालोको छूट थी कि वे वहाँ जाकर प्रचार करें कि हिंदूराजकी स्थापना हो रही है। लेकिन जिस किसीने भी यह अफवाह फैलायी है, उसने सच नही कहा। मै वहाँ हालातका जायजा लेने गया था। वजीरिस्तानपर वमवारीकी जिम्मेदारी हमपर भी थोपी गयी थी जब कि सच्चाई यह है कि वमवारी हम लोगोके पदासीन होनेके एक माह पहले हुई थी। जव हमे वादशाह खाँसे वमवारीका पता चला तो हमने उसे रोक दिया। मगर कवायली लोगोके बीच ऐसी झूठी अफवाहे फैला दी गयी है। इन अपढ लोगोको गलत जानकारियाँ देकर गुमराह किया गया। वे दिलेर लोग हैं और मै उनके इस गुणकी सचमुच कद्र करता हूँ।

"यह मेरी पहली यात्रा है और मै यहाँ वार-बार तवतक आता रहूँगा जब-तक कि झगडा तय न हो जाय। मै कल चला जाऊँगा और इन वारदातोकी याद ताजा रखूँगा। मै आप लोगोसे एक मुश्किल काम करनेकी अर्ज करूँगा—आप इन वारदातोपर गुस्सा न करे। गुस्सा अपनेमे कोई अच्छी वात नही लेकिन अगर उसे ताकतमे बदल दिया जाय तो उससे वडे-वडे नतीजे हासिल हो सकते है। वादशाह खाँ पर, जो कि उसूलके पक्के है, हुए हमलेपर आप लोगोका रंज होना जायज है और आप लोगोको रंज होना भी चाहिए, लेकिन सच्चे क्रोधसे हमे ताकत पैदा करनी चाहिए और अपने देशको आगे ले जाना चाहिए और नादिरशाही हुकूमतको खत्म करना चाहिए।

"मै अब विदा हो रहा हूँ लेकिन इस यात्राकी याद वनी रहेगी। मै स्वागत-भाषणके लिए आप लोगोको एक वार और धन्यवाद देता हूँ।"

अन्तमे वोलते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा

"मै इस मौकेपर वोलना नही चाहता था, लेकिन मै आप लोगोको होशियार कर देना चाहता हूँ। मै एक पख्तून हूँ और मुझे सीधी बात कहनेकी आदत है। मै आप लोगोसे यह साफ कह देना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू अपना दिल खोलकर आपके सामने पेश नही कर पाये, क्योकि वे सरकारके एक जिम्मेदार आदमी है और इसलिए सरकारके खिलाफ नही वोल सकते।

"१९३१ ई० मे गाधीजी भी सीमात प्रातमे आना चाहते थे, लेकिन तत्का-

लीन वाइसराय लार्ड विलिंगडनने उन्हें इस बातकी इजाजत नही दी। तब गाधीजीने जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेलके नाम सुझाये थे लेकिन वाइसरायने सुझाव नामजूर कर दिया। आखिरकार गाधीजीने वाइसरायको सूचना दी कि इसका परिणाम चाहे जो भी हो, देवदास सीमात प्रातकी यात्रा करेंगे। वाइसरायकी मर्जीके खिलाफ देवदास यहाँ आये। सरदरयावके इसी पुलपर 'सभ्य' सरकारने डाकुओका एक गिरोह हमें मार डालनेके लिए भेजा था। खुदाकी मेहरबानीसे हम सब बच गये। ईश्वर जिसकी रक्षा करता है उसे कोई नही मिटा सकता।

'जवाहरलालजीने आप लोगोको बताया कि उनके यहाँ आनेपर कुछ लोगोने विरोध प्रकट किया। वाइसरायकी तरह हमारे गवर्नर साहबने भी उनके दौरेकी खिलाफत की। चूकि नेहरूजीने उनकी परवाह नही की इसलिए उन लोगोने इन्हे सबक सिखानेकी गदी तदबीर की। जिन लोगोंके फायदे और तरक्कीके लिए नेहरूजीने दौरा करना कबूल किया था उन्ही लोगोको भडकाकर पत्थर फेकवाया गया। इस बातपर उन लोगोपर उत्तेजित हो उठना अच्छी बात नही है। पख्तूनोमे फूटके बीज बोकर अग्रेज हमें बरबाद करना चाहते है। मालाकद एजेंसीमें जो कुछ भी हुआ वह हमारी असावधानी और गफलतसे हुआ है। हमारी जानें बच गयी क्योकि हम जिंदा रहना था। उन लोगोने हमें मार डालनेकी पूरी कोशिश की लेकिन ईश्वर कुछ और चाहता था और इसलिए आप लोगोकी खिदमत करनेके लिए हम बच निकले। अग्रेजोने हमारे लिए एक जाल फैला रखा है लेकिन हम बच्चे नही है कि उनकी चालें समझ न सकें। वे हम लोगोके बीच आपसी झगडा पैदा करना चाहते है। हम उनके जालमें फँसना नही चाहिए। वे हमसे कहते है कि आइए हम एक-दूसरेपर भरोसा करें। क्या भरोसा पैदा करनेका यही तरीका है? हमारे दौरेके मौकेपर मालाकदके राजनीतिक एजेंट शेख महबूब अली अधिकारियोसे मुलाकात करने पेशावर गये थे, और बादमें जो कुछ भी हुआ वह सब षडयन्त्रकारी अग्रेजोकी पूर्ण सहमतिसे हुआ। अबतक हमने उनपर भरोसा किया था। अब हमें भविष्यके लिए एक दृढ नीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। जब सरदरयावमें हमने अपना इतजाम पूरा कर लिया तब पुलिस और सेनाके लोग हमारे पास यह कहने आये कि वे हमारी सुरक्षाका प्रबंध करना चाहते हैं। मैंने बिना मुरव्वतके उनसे कह दिया कि हमें आपकी मदद नही चाहिए। हमें छोटे बच्चोंकी तरह बहकाया नही जा सकता। जब हम उनकी मदद चाहिए थी तब तो वे हमें छोड गये। जब हमें उनका सरक्षण चाहिए था तब तो वे गायब

हो गये। जब हमपर हमला हो चुका, तब वे नज़र आये। हम उनका खेल समझ सकते हैं और हम उनकी रणनीति समझते हैं।

"मै आपको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि अंग्रेज सिंहासनसे च्युत होना नही चाहते और इसके लिए वे चाहते हैं कि हम आपसमे लडते-लडते चुक जायँ। हम अपने दुश्मनोको जानते और पहचानते हैं और समझते हैं कि वक्त बडा नाजुक है। जो दुश्मन हमारे धर्म, हमारे देश और हमारी जातिको तबाह करना चाहता है, वह हमें कही नीदमे गाफिल न पा जाय, बल्कि हमे लडनेके लिए पूरे तौरसे तैयार पाये, यही मै चाहता हूँ।"

काले बादल

१९४६-४७

सीमाप्रान्तके दौरेसे वापस आनेके बाद जवाहरलाल नेहरूने २३ अक्तूबर १९४६ को लार्ड वेवलको एक पत्र लिखकर याद दिलाया कि किस आधारपर कांग्रेसने अन्तरिम सरकारमें मुस्लिम लीगका शामिल होना स्वीकार किया है। उन्होंने जवाब दिया कि "मैंने श्री जिनाको साफ-साफ बता दिया है कि १६ वीं मईकी योजना मंजूर कर लेनेकी शर्तपर ही मुस्लिम लीग अन्तरिम सरकारमें शामिल हो सकती है और आपको जल्द-से-जल्द इस योजनाको मंजूर करनेके लिए अपनी परिषदकी बैठक बुलानी चाहिए। श्री जिनाने मुझे यकीन दिलाया है कि मुस्लिम लीग सहकारके इरादेसे ही अन्तरिम सरकार और संविधान सभा में शामिल होगी।" नेहरूने उन्हें फिर लिखा "यद्यपि आपने श्री जिनाको यह बात साफ-साफ बता दी है फिर भी यह स्पष्ट नहीं होता कि इस संबंधमें मुस्लिम लीगका क्या दृष्टिकोण है। इसका साफ हो जाना इसलिए और भी आवश्यक हो जाता है कि मुस्लिम लीगने सरकारमें शामिल होनेके पहले कांग्रेससे कोई सम-झौता नहीं किया है।

कलकत्तामें एकाएक मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कारवाई दिवसके रूपमें उपद्रव शुरू कर दिये जानेके बाद वहाँकी हिंदू जनता भी संघटित हो गयी और ईटका जवाब पत्थरसे देने लगी। इसके बाद यह आवाज आने लगी कि कलकत्तेका बदला लेना चाहिए और किसी ऐसे क्षेत्रके हिन्दुओंपर जोरदार हमला किया जाना चाहिए जहाँ मुसलमानोंकी तादाद ज्यादा हो। इसके लिए विशेष सहूलियत पूर्वी बंगालके नोआखाली जिलेमें दिखाई पड़ी जहाँकी आबादीमें सकड़े पीछे ८५ मुसल-मान थे। जिस दिन अन्तरिम सरकारमें मुस्लिम लीगके शामिल होनेकी घोषणा हुई ठीक उसी दिन नोआखालीमें मुसलमानोंने हत्या, बलात् अपहरण, बलात्कार, अग्निकाण्ड, लूटपाट, बलात् विवाह और धर्म-परिवर्तनका खूँखार दौर-दौरा शुरू कर दिया। वहाँ नागरिक प्रशासन जैसी कोई चीज रह नहीं रह गयी और बहुत जगहोंपर तो प्रशासनने गुण्डोंकी खुले आम मदद भी की। बंगाल और बिहारके सीमावर्ती जिलोंमें हजारोंकी संख्यामें शरणार्थियोंकी भीड़ आने लगी। उनकी जबानीपर जुल्म और अत्याचारकी भयानक कहानियाँ थीं। इन्हें सुनकर सारे

हिन्दुस्तानमे रोपकी लहर दौड गयी और विहारमे इसके प्रतिक्रियास्वरूप हिन्दू जनता उवल पडी। विहारका बदला सीमाप्रान्तके हजारा क्षेत्रमे लिया गया और वहांके हिन्दू और सिख मुसलिम धर्मोन्मादके विशेष शिकार हुए। देखते-देखते संयुक्त प्रान्त, पंजाव और सिंधमे भी साम्प्रदायिक दंगोका वोलवाला हो गया।

२३ अक्तूवरको दिल्लीमे कांग्रेस कार्य समितिकी वैठक हुई जिसमे पूर्वी वंगालकी घटनाओपर निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया गया .

" इस समितिकी रायमे वर्वरताका यह विस्फोट मुस्लिम लीग द्वारा पिछले कई सालोसे नफरत और गृहयुद्धकी सियासतको अमलमे लाये जानेका सीधा नतीजा है और है हिंसाकी उन धमकियोका परिणाम जो पिछले कई महीनोसे वह देती रही है। प्रान्तकी जनतापर जैसी भयानक विपत्ति आयी उसकी असली जिम्मेदारी प्रान्तीय सरकारपर है

"इसीके साथ-साथ समिति वदलेकी भावनासे की जानेवाली साम्प्रदायिक हिंसा और उपद्रवोके खिलाफ चेतावनी देना भी आवश्यक मानती है। इस समय राष्ट्रवाद और सम्प्रदायवादमे अन्तिम दुर्दान्त सघर्ष छिडा हुआ है। पूर्वी वंगाल मे हुए दगे साफ तौरसे उस राजनीतिक कुचक्रके अङ्ग है जो भारतीय राष्ट्रवाद-को तहस-नहस करने और लोकतान्त्रिक आजादीकी ओर देशके वढते हुए कदम-को रोक देनेपर आमादा है। इसलिए समिति इस चेतावनीपर वहुत जोर देना अनावश्यक समझती है कि साम्प्रदायिकताके खिलाफ सिर्फ राष्ट्रीयतासे ही लडा जा सकता है, जवावी साम्प्रदायिकतासे नही, जिसका नतीजा आखिरमे विदेशी हुकूमतको स्थायी वनाना ही हो सकता है।"

गाधीजीने जवसे नोआखालीकी घटनाओके वारेमे सुना था वे यह सोच-सोच-कर बेहद परेशान थे कि आखिर इस स्थितिमे उनका क्या कर्तव्य होता है और अपनी प्रार्थना-सभाओके भाषणमे वे अपने दिलके दर्दका वार-वार इजहार कर रहे थे। आखिरमे उन्होने अपनेको अन्य सभी कामोसे मुक्त कर नोआखाली जाने और वहाँ जवतक जरूरी हो ठहरनेका निश्चय कर लिया। इसके पीछे उनकी "करो या मरो" की भावना थी। उन्होने यह दृढ निश्चय कर लिया कि वे वहाँ से तभी वापस आयेंगे जव उपद्रवोमे पीडित लोगोमे साहसका संचार हो जायगा और जुल्म करनेवाले दंगाइयोमे पछतावेकी भावना पैदा हो जायगी और दोनो सम्प्रदायके लोगोका एक साथ रहना सम्भव हो जायगा। २७ अक्तूवरकी प्रार्थना-सभामे भाषण करते हुए उन्होने कहा कि मै कल सवेरे ही कलकत्ता रवाना हो रहा हूँ। मै किसीके वारेमें अपना कोई फैसला सुनाने वगाल नही जा रहा हूँ।

मैं यहाँ तक [illegible] आ गया हूँ और यहाँके हिन्दू और मुसलमानोंसे सम्पर्क करके मिलूँगा। आज कुछ मुसलमान मुझे अपना दुश्मन मानने लगे हैं। किन्तु मुझे उनके गुस्सेकी परवाह नहीं है। कभी-कभी मेरे सहकर्मी भी मुझसे नाराज नहीं हुए हैं? [illegible] उससे ही मैंने यह तय किया है कि सारी दुनियाके लोग, फिर उनकी राष्ट्रीयता, रंग और देश जो भी हो सब मेरे सम्बन्धी हैं। यदि हमें ईश्वरका [illegible] होता है तो हमें उसकी सारी सृष्टिका सेवक बनना पड़ेगा।

जिस समय गांधी कलकत्तामें [illegible] भाग गया—[illegible] पटेल, लियाकत अली खाँ और अब्दुर्रब निश्तर शान्ति स्थापनाको मजबूत बनानेके लिए वहाँ तुरन्त पहुँच गये। देखते-देखते बिहारमें साम्प्रदायिक दंगे शान्त हो गये और वे लोग कलकत्तासे पटना पहुँचे। ६ नवम्बरको गांधीने बिहारको [illegible] दी : 'यदि बिहारकी पशुता जारी रही तो हिन्दुस्तानके बाहर हिन्दुओंकी दुनिया निन्दा करेगी। बिहारी हिन्दुओंके गलत कामोंसे कायदे आजम जिन्ना द्वारा कांग्रेसके खिलाफ किया गया यह व्यंग्य सही साबित हो सकता है कि आखिर कांग्रेस एक हिन्दू संगठन है, फिर चाहे वह इस बातकी कितनी भी डींग क्यों न हाँके कि उसमें कुछ सिख, मुसलमान, ईसाई, पारसी और दूसरे लोग भी हैं। बिहारी हिन्दुओंका यह कर्तव्य हो जाता है कि अपने यहाँके अल्पसंख्यक मुसलमानोंको अपना भाई समझें और उन्हें वही संरक्षण प्रदान करें जो वहाँके बहुसंख्यक हिन्दुओंको प्राप्त है। यह बिहार कांग्रेसका पहला कर्तव्य है कि वह ऐसा बन जाय जिससे कांग्रेसकी प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिए इतना कुछ किया है।'

५ नवम्बरको राजेन्द्रप्रसादने घोषणा की कि यदि चौबीस घण्टेके भीतर बिहारमें साम्प्रदायिक दंगे बन्द न हो गये तो गांधीजी आमरण अनशन शुरू कर देंगे। शीघ्र ही वहाँ शान्ति हो गयी।

२० नवम्बरको गांधीने अज्ञात और भीषण भविष्यका सामना करनेके लिए नोआखालीमें काजिरखिल स्थित अपना शिविर भंग कर दिया। श्रीरामपुरकी प्रार्थना-सभामें भाषण करते हुए उन्होंने बताया कि मैं यहाँ अपने केवल दो साथियोंके साथ आया हूँ। दूसरे साथी काजिरखिलमें ही छोड़ दिये गये हैं जिनमेंसे हर एक अपने कार्यके लिए एक-एक गाँव चुन लेगा। उनका ख्याल था कि हिन्दू कार्यकर्ताके साथ एक मुस्लिम कार्यकर्ता भी रहे और दोनों एक साथ स्थानीय जनताके साथ घुल मिलकर धीरे-धीरे ऐसा माहौल तैयार करें जिसमें शरणार्थियोंका भय दूर हो जाय और वे अपने गाँवोंमें वापस आकर फिरसे अमन

चैन और दोस्तीके साथ रहने लगे। मुझे भयसे नफरत है। हम किसी दूसरे आदमीसे क्यों डरें? आदमीको सिर्फ ईश्वरसे डरना चाहिए। वैसी सूरतमे उसका दूसरा हर तरहका डर भाग जाता है।

सीमाप्रान्तमे शान्ति कायम रखनेकी कोशिशोमे अब्दुल गफ्फारने गाधीका अनुकरण किया। अब्दुल कयूमने, जो हालमे ही कांग्रेस छोडकर मुस्लिम लीगमे शामिल हो गये थे, कहा "नवंबर १९४६ मे काग्रेसके मेरठ अधिवेशनसे वापस आनेके वादसे ही खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपनी मुस्लिम-विरोधी कारगुजारियाँ दुगुनी कर दी हैं। कवायली क्षेत्रमे शान्ति-स्थापनाके लिए जो प्रतिनिधिमण्डल भेजनेका उन्होने निश्चय किया है वह मुस्लिम भारतके लिए खतरेकी चेतावनी है। इसका उद्देश्य भोले-भाले कवायलियोको वहकाकर जरूरतके वक्त हिन्दुस्तानी मुसलमानोकी सहायतामे विरत करना है। नेहरूके खिलाफ जिस तरहके उग्र प्रदर्शन हुए है उनसे उनको इस वातका यकीन हो जाना चाहिए था कि पठान पूरी तरहसे जग गया है और अखण्ड हिन्दुस्तानसे वह कोई सरोकार न रखेगा। सीमाप्रान्तकी मुस्लिम लीग उनकी इन शरारतभरी कारगुजारियोको नाकामयाव करनेके लिए हर तरहके जरूरी कदम उठायेगी।"

जिनाने यह फरमान जारी कर दिया कि 'मुस्लिम लीगका कोई भी नुमाइदा संविधान सभामे शामिल नही होगा।' सभाकी कुल २९६ सीटोमें काग्रेसने २११ सीटोपर कब्जा कर लिया था। संविधान सभाके लिए सीमाप्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाने खान अब्दुल गफ्फार खाँ और मौलाना आजादको चुना था। ९ दिसम्बर, १९४६ को दिल्लीमे सविधान सभाकी वैठक हुई और वावू राजेन्द्रप्रसाद उसके अध्यक्ष चुने गये। सीमाप्रान्तकी ओरसे राजेन्द्रप्रसादको वधाई देते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा .

"जिन लोगोंको जेलो और इसी तरहकी तकलीफदेह दूसरी जगहोमे साथ रहनेका मौका मिलता है वे एक-दूसरेको वहुत करीवसे जान लेते है। मुझे इस वातका फख्र है कि मै वहुत अरसेतक वावू राजेन्द्रप्रसादके साथ जेलमे रहा हूँ। मै उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ और कह सकता हूँ कि उनका सवसे वडा गुण यह है जो हर एक हिन्दुस्तानीमे होना चाहिए कि उनका दिल और दिमाग फिरका-दाराना खयालातसे विलकुल साफ है। यह एक वदनसीवी है कि हिन्दुस्तान-के लोगोमे तरह-तरहके गलत खयालात वने हुए है। आप सभी लोग हिन्दू खाना और मुस्लिम खानाके वारेमें जानते है। किन्तु वावू राजेन्द्रप्रसाद ऐसे सभी खयालातसे पूरी तरह आजाद है।

"इस सभामें अपने मुस्लिम लोगी भाइयोंकी गरहाजिरीसे मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मुझे इस बातका अफसोस है कि मेरे मुस्लिम भाई उत्तर पच्छिमी सरहदी सूबेके अवाम और खासकर मुझसे नाराज हैं। वे कहते हैं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। ट्रेनमें सफर करते हुए मुझे अक्सर ऐसी बातें सुननेको मिलती हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मैं बराबर उनके साथ हूँ मैं एक लमहेके लिए भी अपनेको उनसे जुदा नहीं रख सकता। यह ठीक है कि मैं मुस्लिम लीगके साथ नहीं हूँ। यह एक सियासी पार्टी है और यह जरूरी नहीं है कि हर आदमी इसमें शामिल हो। हर आदमी अपनी रायके मताबिक काम करनेको आजाद है। हर आदमी ईमानदारीसे अपनी जनता और अपने वतनकी भलाईके लिए जो कुछ करना जरूरी समझता है उसे करनेका उसे हक है। किसीको भी मुझसे यह पूछनेका हक नहीं है कि मैं कांग्रेसके साथ क्या हूँ। मैं इस बातकी ताईद करता हूँ कि उत्तर पच्छिमी सरहदी सूबेकी जनता धन दौलत और तालीमके मामलेमें आपसे बहुत पीछे है। हमारा सूबा छोटा है जब कि आपके सूबे बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं यह कह सकता हूँ कि दूसरी बहुतसी बातोंमें सरहदी सूबेकी जनता आपसे किसी भी हालतमें पीछे नहीं है।

"जब हम अंग्रेजोंके आनेके पहलेके हिन्दुस्तानकी तवारीख पढ़ते हैं और आजकी हालतासे उसका मुकाबला करते हैं तब मुझे पता चलता है कि एक समय हिन्दुस्तानकी देहाती जनता बड़ी खुशहाल थी और अब उसकी हालत खस्ता हो गयी है। वह मुफलिसी और गरीबीकी जिंदगीमें गर्क है। मुझे इस बातसे बड़ी तकलीफ होती है कि हम जब भी अपनी कौमकी भलाईके लिए कुछ करना चाहते हैं हमारे रास्तेमें रोड़े अटका दिये जाते हैं। इसीसे उत्तर-पच्छिमी सूबेकी जनतामें मायूसी छा गयी है और उसे ऐसा लगता है कि वह पूरी तरह लाचार और बेबस हो गयी है। हम बदकिस्मतीसे यह सोचना पड़ता है कि हम अपने इस अभागे वतनके लिए तबतक कुछ नहीं कर सकते जबतक हम इसे आजाद न बना लें। मैं अपने हिन्दुस्तानी भाइयोंसे यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग महात्मा गांधीके साथ क्यों हैं। हमारा यह विश्वास है कि कांग्रेस देशको आजाद करने और यहाँके अवामकी जिंदगी सुधारनेकी कोशिश कर रही है। हम गुलामीसे ऊब चुके हैं इसीलिए कांग्रेसके साथ हैं। यह सच है कि तालीमके मामलेमें हम आपसे पीछे हैं लेकिन १९४२ के अहिंसक आन्दोलनमें सिर्फ हमारा ही सूबा अहिंसक तरीकेसे लड़ा था। हमारे पास हिन्दुस्तानके दूसरे हिस्सोंके मुकाबलेमें ज्यादा हथियार थे ज्यादा तादादमें थे फिर भी हमने अहिंसाका तरीका

ही अख्तियार किया। क्यो ? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, हम जनताको अहिंसासे ही जीत सकते है क्योंकि हिंसासे नफरत और अहिंसासे प्यार पैदा होता है। आप दुनियामे हिंसाके जरिये अमन नही ला सकते। मुझे इस बातकी बड़ी खुशी है कि बाबू राजेन्द्रप्रसाद भी अहिंसामे विश्वास करते है और मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्होंने इस सभाको अहिंसा पर चलनेका रास्ता दिखाया तो वे इसे कामयाबीकी मंजिलतक ले जा सकेंगे।"

पूर्वी बंगालके श्रीरामपुर गाँवका माहौल, जहाँ मौतकी-सी शांति छायी हुई थी और जो करीब-करीब वीरान हो गया था, रातो-रात बदल गया जब दिसम्बरके अन्तिम सप्ताहमे नेहरू कृपालानीके साथ वहाँ पहुँचे। आसपासके गाँवोके हिन्दू और मुसलमान दोनो उस स्थानपर आ बसे। गाधीको दिल्ली छोडे हुए दो महीने हो गये थे। उनके दिल्लीसे जानेके बाद केन्द्रकी हालत बहुत अच्छी नही थी। शीघ्र ही संकट उपस्थित होनेके आसार पैदा हो गये थे। मुस्लिम लीगको शामिल करनेकी गरजसे "उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव" पर आम बहस करनेके बाद संविधान सभाकी बैठक स्थगित हो गयी थी किन्तु मुस्लिम लीगने सभाका बहिष्कार करनेका अपना पुराना निश्चय वापस नही लिया और लार्ड वेवल, जिन्होंने इस बातका मौखिक आश्वासन दिया था कि वे लीगको आन्तरिम सरकारमे इस आधारपर ले आये है कि वह सहयोगकी भावनासे कार्य करेगी, उस समय रहस्यपूर्ण ढंगसे मौन बने रहे जब जिनाने इसका खण्डन किया कि मैंने वाइसरायको ऐसा कोई आश्वासन दिया है। कैबिनेट मिशन और कांग्रेसमे प्रान्तोंके पुनर्विभाजनसे सम्बद्ध अनुच्छेदोकी व्याख्याके प्रश्नपर गतिरोध कायम था। इस मसलेका कोई समाधान अबतक नही खोजा जा सका था। ६ दिसम्बर के ब्रिटिश सरकारके निर्णयसे आसाम और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तकी गंभीर समस्या उठ खडी हुई।

नेहरूने गाधीको बताया कि उनके दिल्लीसे जानेके बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीगके बीचकी खाई किस प्रकार चौडी होती गयी है और किस प्रकार उसके अन्तरिम सरकारमे आनेके पूर्व नमक करको रद किये जानेके निर्णयकी घोषणाको वह बजट अधिवेशनतक टालती रही है और किस तरह लीगके इन हथकण्डोके कारण कैबिनेटमे संकट पैदा हो गया है और कांग्रेसी सदस्योको लार्ड वेवलको अपने इस्तीफेकी सूचना देनेके लिए बाध्य होना पडा है। नेहरूने गाधीको यह भी बताया कि लार्ड वेवल वर्तमान संकटका फायदा उठाकर किस तरह मुस्लिम लीगको अधिकसे अधिक सुविधाएँ दिलाते जानेका प्रयास कर रहे है और कांग्रेस-

पर दबाव डाल रहे ह कि वह प्रान्तोंमें भी मुस्लिम लीगके साथ सयुक्त मत्रिमडल बनाये।

गाधीने कहा "यह नही भूलना चाहिए कि काग्रेस चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यो न हो गयी हो, आज जिस रूपमें सविधान सभाकी परिकल्पना की गयी है उसकी बठक तभी हो सकती है जब इसके लिए ब्रिटिश सरकार कदम उठाये।" गाधीने यह भी कहा कि 'यदि मुस्लिम लीगके बहिष्कारके बावजूद ब्रिटिश सरकारके पूण सहयोगसे भी सविधान सभाकी बठक हो तो भी यह बठक ब्रिटिश फौजोंके 'दृश्य या अदृश्य' सरक्षणमें ही होगी फिर चाहे वे फौजें हिन्दुस्तानी हो या यूरोपीय। मेरी रायमें इन परिस्थितियोंमे हम कभी सतोषजनक सविधानका निर्माण नही कर सकते।" उन्होने काग्रेस कायसमितिके मागनिर्देश के लिए निम्नलिखित सुझाव दिये

'१ सभवत अब सविधान सभाको बहिष्कृत कर देनेका समय काफ़ी गुजर चुका है फिर भी मेरी रायम काग्रेसकी स्थितिको सुस्पष्ट करनेका अब भी यही सर्वोत्तम तरीका है।

'२ दूसरा सर्वोत्तम माग यह ह कि जिनाके साथ परामर्श कर सयुक्त व्याख्या प्रस्तुत करते हुए कैबिनेट मिशनके वक्तव्यको स्वीकार कर लिया जाय।

"३ इसे स्पष्ट रूपमे समझ लेना चाहिए कि कोई भी काग्रेसी व्यक्ति या इकाई अपने समुदाय या प्रान्तको काग्रेसके दृष्टिकोणसे अलग करनेम स्वतत्र होगी जिसे स्वीकार करनेकी स्वतत्रता काग्रेसकी भी बनी रहेगी और इस हालतमें भी वह अलग होनेवाली इन इकाइयोका खुले रूपमें मागदशन कर सकेगी। यह व्यवस्था कैबिनेटकी स्थितिके अनुकूल होगी क्योकि उसने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी समुदाय या प्रान्तको किसी प्रकारसे बाध्य न करेगा। इसका यह परिणाम होगा कि वग 'अ के सदस्य कैबिनेट मिशनके वक्तव्यम निहित शर्तोंके अनुरूप एक पूण सविधान प्रस्तुत कर लेंगे और ब तथा 'स' वगको अपना ऐसा सविधान बनाना होगा जैसा वे पूवमे आसाम पश्चिममें सीमाप्रान्त, पजाबमें सिख और बलूचिस्तानके, जिनके अलग हो जानेकी कल्पना इस समय की जा रही है, बावजूद बना सकेंगे।

'हो सकता ह ब्रिटिश सरकार शायद किसी दूसरी सविधान सभाका निर्माण करे या उसे मान्यता प्रदान करे। यदि वह ऐसा करती ह तो सदाके लिए अपने को निंदित बना लेगी। कबिनेट मिशनकी शर्तोंके अनुरूप सविधान बन जानेके बाद वह बाकी सारी बातोको भाग्यपर छोड देने, देशमें ब्रिटिश सत्ताके आखिरी

चिह्नको भी समाप्त कर देने और ब्रिटिश सिपाहियोंको सदाके लिए हिन्दुस्तानसे वापस हटा लेनेके लिए बाध्य हैं।

"कांग्रेसकी इस स्थितिके सम्बन्धमे कभी यह नही सोचना चाहिए कि वह पूरी तरह जिनाके हाथोमे खेल रही है। यदि जिना अपने विचारोके प्रति ईमानदार है तो संसार कांग्रेसको इस बातके लिए धन्यवाद देगा कि उसने कायदे आजम जिनाको उनके पाकिस्तानके लिए एक पूर्णत. स्वीकार्य और निर्दोप सूत्र दे दिया है। कांग्रेसको कभी सही वातसे मुँह नही मोडना चाहिए क्योकि वह मेरे सिद्धान्तोके साथ पूर्णत. एकाकार है।

"सविधान समूचे भारतके लिए होगा। उसमे एक विशिष्ट अनुच्छेद इस प्रकारका रखा जायगा जिससे वहिष्कार करनेवाले संविधानका लाभ उठा सकेंगे।"

कांग्रेस नेताओंके साथ हुई वार्ताके बाद गाधीने जो समाधान प्रस्तुत किया सक्षेपमे यही उसका स्वरूप है। वादमे ६ जनवरी १९४७ के अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके प्रस्तावमे इसे शामिल कर लिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इसका पूर्ण समर्थन किया था।

नेहरूने गाधीको दिल्ली वापस आनेके लिए वहुत कहा किन्तु उन्हे इसमे सफलता न मिली। उन्होने नेहरूसे कहा "आप जब चाहे यहाँ चले आयें। जब भी आपको सलाह-मशविरा करना जरूरी लगे आप यहाँ आ सकते हैं। मेरा दावा है कि मै आपके पिताकी तरह हूँ। आपके प्रति मेरा प्रेम मोतीलालजीसे किसी भी तरह कम नही है। आपने मुझे कल जो प्रारूप दिखाया था उसकी भावनासे विरत न हो। किसी-न-किसी रूपमे मै अनुभव करता हूँ कि साम्प्रदायिक समस्याओ और राजनीतिक स्थितिके सम्बन्धमे मेरा निर्णय ठीक है। मेरी बुद्धि मेरी भावनाका पूरी तरहसे समर्थन करती है। मुझे प्रतिदिन इसकी सत्यताके प्रमाण मिलते जा रहे है। इसलिए मै सुझाव देता हूँ कि राष्ट्रके इस पुराने और परीक्षित सेवकसे समय-समयपर परामर्श लेते चलना चाहिए।"

इस बीच कुछ ऐसी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ घटी जिनका सारे देशपर प्रभाव पडा। मुस्लिम लीगके कराची अधिवेशनमे पारित प्रस्तावसे उसके सावधान सभामे शामिल होनेकी रही-सही आशा भी समाप्त हो गयी। १० फरवरी १९४७ को नेहरूने गाधीको लिखा "हमने वाइसरायको सूचित कर दिया है कि कराचीमे पारित प्रस्तावको देखते हुए लीगी सदस्य सरकारमे बने नही रह सकते। वे लंदन से निर्देश मिलनेकी प्रतीक्षा कर रहे है।"

२० फरवरी १९४७ को श्री एटलीने पार्लमेण्टमें एक वक्तव्य दिया जिस कहा गया था कि हिज मेजेस्टीकी सरकारका यह पक्का इरादा है कि जून १९४ से पहले ही किसी तारीखको जिम्मेदार हिन्दुस्तानी हाथोंमें सत्ता सौंप देनेके लि आवश्यक कदम उठाये जायें। १६ मई, १९४६ के राजकीय पत्रके अन्तग उसने यह निश्चय किया है कि संविधान सभा द्वारा प्रस्तुत संविधान संस्तुति साथ पार्लमेण्टके समक्ष उपस्थित कर दिया जायगा। श्री एटलीने यह भी कहा वि यदि 'उस समयके पहलेतक पूर्ण प्रतिनिधि संविधान सभा द्वारा' कैबिनेट मिश योजनाकी शर्तोंके अनुरूप कोई संविधान प्रस्तुत नहीं किया जा सका तो हि मेजेस्टीकी सरकारको इसपर विचार करना होगा कि नियत तिथिपर ब्रिटि भारतकी केन्द्रीय सरकारके अधिकार किन्हें हस्तान्तरित किये जायें। क्या इसक सम्पूर्ण सत्ता ब्रिटिश भारतके लिए निहित किसी प्रकारकी केन्द्रीय सरकारको हं हस्तान्तरित कर दी जाय या कुछ क्षेत्रोंमें वर्तमान प्रान्तीय सरकारोंको या कि और किसीको किसी भी ऐसे ढंगसे जो भारतीय जनताके सर्वोत्तम हितमें हो और सर्वाधिक तर्कसंगत हो?

इसके साथ ही श्री एटलीने युद्धकालीन वाइसरायके रूपमें वेवलकी नियुक्ति की समाप्ति और उनके स्थानपर लार्ड माउण्टबैटनकी उनके उत्तराधिकारीके रूपमें नियुक्तिकी घोषणा की जिन्हें ब्रिटिश भारतकी सरकारका दायित्व भारतीय हाथोंमें सौंपनेका कर्तव्य निर्दिष्ट किया गया था। एटलीके वक्तव्यपर अपनी प्रति क्रिया व्यक्त करते हुए गांधीने नेहरूको लिखा

मैंने इस पूरे वक्तव्यकी कल्पना स्पष्ट रूपमें पहलेसे ही कर ली थी। श्री एटलीके भाषणकी मेरी व्याख्या यह है

"१ उन भागोंके लिए स्वतन्त्रताको मान्यता दी जायगी जिन्हें इसकी इच्छा हो और जो ब्रिटिश संरक्षणके बिना रहनेको प्रस्तुत हों,

"२ अंग्रेज वहाँ बने रहेंगे जहाँके लोग ऐसा चाहते हों

"३ इससे उन प्रान्तों या देशके उन भागोंमें पाकिस्तानकी स्थापना हो जायगी जो इसे चाहते हों। किसीको भी किसी बातके लिए बाध्य नहीं किया जायगा। कांग्रेसी प्रांतोंको, यदि उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य किया, वह चीज मिल जायगी जो वे चाहते हैं

"४ संविधान सभा क्या करती है और अन्तरिम सरकारके रूपमें आप लोग क्या कर पाते हैं बहुत कुछ इस बातपर निर्भर करेगा

"५ यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदार है और ईमानदार बनी रहती है तो

यह घोषणा अच्छी है। अन्यथा यह खतरनाक है।

नेहरूने गाधीको लिखा : "श्री एटलीके वक्तव्यमे ऐसी वहुतसी वाते है जो अनिश्चित है। इनसे संकट पैदा हो सकता है। किन्तु मुझे इसका पूरा विश्वास है कि हमने भारत छोड़नेकी जिस माँगको वराबर दुहराया है उससे उसकी पूर्ति हो जाती है। १५ वी मार्चको कार्यसमितिकी वैठक हो रही है। इस निर्णायक क्षणमे आपकी सलाहसे हमे वडी सहायता मिलेगी।"

गाधीने ३ मार्चको पटेलको लिखा : "मै आज विहार जा रहा हूँ। आप सभी तपे-तपाये लोग वहाँ मौजूद है और काम कर रहे है। दूसरोकी अनुपस्थितिमे मै देशके इन भागोमे एक नेता जैसा वन गया हूँ। मै आपको भले ही यह सावित न कर सकूँ किन्तु मेरा दृढ विश्वास है कि यहाँ मै जो कार्य कर रहा हूँ वह वडे ही महत्त्वका है।"

गाधी ५ मार्चको प्रात काल पटना पहुँच गये। वे ज्यो ही वहाँ पहुँचे वावू राजेन्द्रप्रसाद विहार मन्त्रिमण्डलके सदस्योके साथ उनसे डाक्टर सैयद महमूदके वासस्यानपर मिले। गांधी अपने कुछ सवसे पुराने सहकर्मियोसे घिरे हुए सिर झुकाये वैठे हुए थे। उन्होने अपनी सामर्थ्यभर सव कुछ किया था और वे सव गाधीके आदेशानुसार आगे भी सव कुछ करनेको तैयार थे। वे इसके लिए क्षमाप्रार्थी थे कि उनके सारे प्रयत्नोके वावजूद विहारकी स्थिति पूरी तरह अच्छी नही वन पायी है। राजेन्द्रप्रसादने उन्हे वताया कि पश्चात्तापकी सच्ची भावना का अभी उदय नही हुआ है। विहार, वंगाल और शेष पूरे भारतमे यह भावना घर कर गयी है कि विहारने वंगालको 'वचा लिया'। वैठक एकाएक समाप्त हो गयी क्योकि गांधीको विश्रामकी आवश्यकता थी।

तीसरे पहर सवसे पहले उन दो कार्यकर्ताओको गाधीके सामने लाया गया जिन्हें खान अब्दुल गफ्फार खाँने पटनामे छोड़ दिया था। उन्होने वहुत ही निराशाजनक रिपोर्ट दी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ स्वयं विहारके सर्वाधिक उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोका दौरा कर रहे थे और उन्होने गाधीको रिपोर्ट दी थी कि विहार सरकार मेरी इच्छाके अनुसार सव कुछ करनेको तैयार है किन्तु अधिकारी लोग इस समस्याका सामना न कर सकेंगे। 'केवल जनता ही यह कर सकती है।' उन्होने यह सुझाव दिया कि इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिए एक समिति वनायी जानी चाहिए किन्तु यह समिति गैरराजनीतिक हो। गाधीका भी ऐसा ही विचार था। उन्होने खान अब्दुल गफ्फार खाँको तार भेजकर पटना आने और मिलनेके लिए कहा।

पटनामें अपनी प्रार्थना-सभाके प्रथम भाषणमें गांधीने बताया कि डाक्टर सयद महमूदके निजी सचिव द्वारा भेजे गये उनके एक पत्रके कारण ही मुझे यहाँ आना पड़ा है। मैं इस विश्वासमें पूर्णतः आश्वस्त था कि मुझे उस बिहारमें जानेकी आवश्यकता न होगी जिसे मैं अपना गर्वसे अधिकारसे बरा बर प्यारसे 'अपना बिहार' कहता रहा हूँ किन्तु डाक्टर महमूदके पत्रसे मैं यह सोचनेके लिए विवश हो गया कि बिहारकी स्थिति वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। बीती बातोंपर अफसोस करनेसे अब कोई फायदा नहीं है। मुझे आशा है कि यहाँके लोगोंने नपन्यग्रस्त लोगोंकी क्षतिपूर्ति करने तथा उजड़े हुए लोगों को फिरसे बसानेका काय बहुत कुछ कर लिया होगा और आगे भी करेंगे। यह काय निःसन्देह उतने ही बड़े पैमानेपर करना होगा जिस पैमानेपर अपराध किये गये हैं। इसीसे उनके वास्तविक पश्चात्तापका प्रमाण मिलेगा। यदि यहाँके कांग्रेसजन इन सारे उपद्रवोंका भार 'गुण्डा' तत्त्वोंपर छोड़कर अपनेको पाक-साफ़ बताते रहे और यह कहते रहे कि इसके लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता तो इससे वे कांग्रेसको एक दयनीय राजनीतिक दलका रूप दे देंगे और जैसा कि अपनी सेवाओंके आधारपर उसका हमेशासे दावा रहा है वह एक ऐसा राष्ट्रीय संघटन नहीं रह जायगी जो समूचे भारतका प्रतिनिधित्व करती है और जिसमें न केवल कांग्रेसजन और उससे सहानुभूति रखनेवाले लोग बल्कि उसके विरोधी भी शामिल हैं। इस दावेको सिद्ध करनेके लिए कांग्रेसको देशके सभी समुदायों और वर्गोंके गलत कामोंके लिए अपनेको जिम्मेदार समझना होगा। यह कहना सच न होगा कि इस साम्प्रदायिक उन्मादमें कोई भी कांग्रेसजन शामिल नहीं हुआ था। अनेक कांग्रेसजनोंने अपने मुस्लिम भाइयोंकी रक्षाके लिए अपने प्राणोंकी बाजी लगा दी है किन्तु यह तथ्य क्रुद्ध और क्षतिग्रस्त मुसलमानों द्वारा बिहारके हिन्दुओंपर किये गये इस आरोपका उत्तर नहीं बन सकता कि बिहारमें हुआ अत्याचार 'इतिहासमें अपना सानी नहीं रखता।' यह समझनेकी बात है कि उन्होंने यह आरोप किस कटुताकी भावनासे किया होगा।

गांधीने कहा कि इस वक्तव्यकी चुनौती दी जा सकती है किन्तु मैं अपराधों की आपेक्षिक जघन्यताको बारीकीसे तौलनेका दोषी नहीं बनना चाहता। मुझे इस बातका बड़ा दुःख है कि भारतके सभी भागोंमें ऐसे विवेकहीन हिन्दू मौजूद हैं जो इस झूठे विश्वासमें चिपके हुए हैं कि बंगालके मुसलमानोंने जो कुकृत्य किये हैं उन्हें बिहारने 'रोक दिया' है। सोचने और राय करनेका यह तरीका विनाश और गुलामीका तरीका है। यह विश्वास करना कायरता है कि एक अरसेसे

भारतमें जो वर्वरता की जा रही है उससे किसी जनताकी संस्कृति, धर्म और स्वतन्त्रताकी रक्षा की जा सकती है। गांधीने दृढ़तापूर्वक कहा कि जहाँ भी एक अरसेसे कोई ऐसी क्रूरता चली आ रही है उसका जन्म कायरतामें ही हुआ है और कायरतासे कभी भी किसी भी व्यक्ति या राष्ट्रका उद्धार नहीं हो सकता। अतएव वदला लेनेका सही तरीका यह है कि नोआखालीमें जैसे वर्वर कार्य हुए है उनका अनुकरण न करके वर्वरताका मुकावला वहादुरी और मानवतासे किया जाय। इसमें प्रतिहिंसाकी भावनाकी कोई गुंजाइश नहीं है और अपनी प्रतिष्ठाके साथ किसी भी तरहका समझौता करनेका सवाल नहीं उठता।

गांधीजी पूर्ण सत्यकी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। वे मन्त्रियों, मुस्लिम लीगके नेताओं और स्थानीय प्रभावशाली मुसलमानों और हिन्दुओंसे मिले। उत्पीडित मुसलमान अपनी शिकायतें लेकर उनके पास आये। उन्होंने उनमेंसे कुछसे कहा कि आप लोग नोआखाली जाकर उसी तरहका कार्य करें जैसा मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपके नोआखालीमें काम करते समय यदि यहाँ कोई अप्रिय घटना होगी तो मैं उसका मूल्य अपने प्राणोंसे चुकाऊँगा।

जिस समय गांधी पटना पहुँचे खान अब्दुल गफ्फार खाँ देहाती क्षेत्रोंमें थे। उन्होंने गांधीको लिखा . "आप ठीक कहते हैं। हमारी अहिंसा आज कसौटीपर चढी हुई है। जब मैं अपने चारों ओर घिरे राजनीतिज्ञोंको घृणाका प्रचार करनेके उद्देश्यसे परमात्मा और धर्मका नाम लेते हुए देखता हूँ तो मैं राजनीतिसे घृणा करने लगता हूँ।" पागलपनके उस माहौलके बीच खान अब्दुल गफ्फार खाँने बिहारकी जनतासे कहा . "हिन्दुस्तान इस समय दोजख बना हुआ है। जब मैं यह देखता हूँ कि हम लोग अपने ही हाथोंसे अपने घरोंमें आग लगा रहे हैं तो मेरा दिल रो उठता है। मुझे ऐसा लगता है कि हिन्दुस्तानपर अंधेरा छाया हुआ है। चारों ओर रोशनीकी तलाशमें जब मेरी नजर जाती है मैं सिर्फ मायूस होकर रह जाता हूँ।" एक दूसरी सभामें उन्होंने कहा . "हिन्दुस्तानमें हिन्दू और मुसलमान रहते हैं लेकिन उनकी कौम एक है। कुछ सूबे हैं जहाँ हिन्दू वहुत अकलियतमें हैं। इसी तरह कुछ सूबोंमें मुसलमान अकलियतमें हैं। अगर नोआखाली और बिहारमें जो कुछ हुआ है वही दूसरी जगहोंमें दुहराया जाय तो इस कौमका मुकद्दर हमेशा-हमेशाके लिए बिगड जायगा इसमें कोई शक नहीं है। जनताके नुमाइन्दा मंत्रियोंके अधीन काम करनेवाली सूबाई सरकारें बड़े फिरकादाराना दंगोंको रोकनेमें नाकामयाब रही हैं। मैं मुस्लिम लीगको यह याद दिलाना चाहता हूँ कि इस्लाम दुनियाका सबसे अधिक उदार मजहब है। यदि हम सच्चे

मुसलमान हूं तो हमें अपने भाइयोंमें सहिष्णुताकी भावना फैलानेका पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। आज दूसरे फिरके कहीं ज्यादा सहिष्णु हैं। हमें सच्चा मुसलमान बननेके लिए यह दोष दूर करना चाहिए।'

१२ मार्चको गांधीने खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ देहातोंका दौरा शुरू किया। वे हर रोज शामको दौरेसे पटना वापस आ जाते थे। मोटरमें यात्रा करते हुए व कुमारी मनु गांधीकी गोदमें सिर रखकर झपकियाँ ले लिया करते थे। उस समय उनके थके हुए पैर खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गोदमें होते थे जिन्हें वे धीरे धीरे सहलाया करते थे। एक सायंकालीन प्रार्थना-सभामें भाषण करते हुए उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत छोड़नेका निर्णय किये जानेकी चर्चा की। उन्होंने जनतासे पूछा कि यदि अंग्रेज इस देशसे जा रहे हैं, जैसा कि निश्चय है, तो आपका क्या कर्तव्य होता है? बंगाल और बिहारमें जो कुछ हुआ है या पंजाब और सीमाप्रान्तमें जो कुछ हो रहा है उससे बढ़कर पागलपन और क्या हो सकता है। क्या हमें अपनी मानवता भूल जानी चाहिए और अपनेमें ही मारपीट शुरू कर देनी चाहिए? इससे हमारी दासता ही दृढ़ होगी और अन्तमें मातृभूमिके हिन्दुस्तान पाकिस्तान आदि अनेक नामोंसे टुकड़े हो जायेंगे। गांधीने प्रत्येक हिन्दू और मुसलमानको यह सलाह दी कि यदि कहीं किसी प्रकारकी बाध्यता हो तो उन्हें नम्रतापूर्वक किन्तु दृढ़तासे उसके सामने झुकनेसे इनकार कर देना चाहिए। हिंसक प्रतिरोधकी अपेक्षा इसमें कहीं अधिक साहस अपेक्षित होता है। इसके बाद उन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँके अहिंसक बन जानेकी कहानी सुनायी। उन्होंने कहा कि बादशाह खाँ एक ऐसे कबीलेमें पैदा हुए हैं जिसकी परम्परा ही ईंटका जवाब पत्थरसे देनेकी रही है। उसमें ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिनमें बदलेकी भावना पितासे पुत्रतक पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही हो। बादशाह खाँने यह अनुभव किया कि इस तरहकी बदलेकी काररवाइयाँ यदि हमेशा चलती रहें तो इससे केवल पठानोंकी दासता ही स्थायी बनती है। जब उन्होंने अहिंसा अपना ली तो उन्होंने देखा कि पठान कबायलियोंमें एक प्रकारका व्यापक परिवर्तन आता जा रहा है। इसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक पठानमें परिवर्तन हो गया या स्वयं बादशाह खाँने अहिंसाके सर्वोच्च लक्ष्यको प्राप्त कर लिया किन्तु वे प्रतिदिन लक्ष्यके निकट आने लगे क्योंकि उन्होंने इसके सत्यका अनुभव कर लिया था। मैं चाहता हूँ कि मेरे श्रोतागण इसी प्रकारकी अहिंसाका अनुकरण करें।

१६ मार्चको गांधीका साप्ताहिक मौन शुरू हो गया इसलिए उन्होंने प्रार्थना

सभामें खान अब्दुल गफ्फार खाँसे भाषण करनेका अनुरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने भाषणमे कहा कि मुझे इस वातका सख्त अफसोस है कि आज मै अपनेको चारो ओर अंधेरेसे घिरा हुआ पाता हूँ और मै जितना ही हिन्दुस्तान के भविष्यके वारेमे सोचता हूँ यह अँधेरा उतना ही घना होता जाता है। अपनी वडीसे वडी पुरजोर कोशिशोके वावजूद मुझे कही रोशनी नजर नही आती। आज हिन्दुस्तानमे आग लगी हुई है। सभी हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाइयोको सोचना है कि अगर हिन्दुस्तान जल जायगा तो उसमे सभीका नुकसान होगा। मै एक खुदाई खिदमतगार हूँ। ऐसा होनेके नाते और एक सच्चा मुसलमान होनेके सववसे मै उस वक्त पीछे नही रह सकता जिस वक्त मुझे जनताकी खिदमत करनेका कोई मौका मिलता हो। इसीलिए इस वक्त मै आपके वीच हूँ। अंग्रेजोकी इस घोषणाके वाद कि वे अवसे पन्द्रह महीनोमे हिन्दुस्तान छोडकर चले जायँगे आपकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा वढ गयी है। आपको याद रखना चाहिए कि जो चीज प्यारसे हासिल की जा सकती है वह नफ़रत या ताकत से हासिल नही की जा सकती। यूरोपका नमूना हमारे सामने एक खौफनाक चुनौतीके रूपमे मौजूद है। मुस्लिम लीगियोको सामान्य रूपसे संवोधित करते हुए उन्होने कहा कि मै आपसे जो कुछ कह रहा हूँ वह आपकी भलाईके लिए ही कह रहा हूँ। आप पाकिस्तान चाहते है, आप इसे प्यार और दूसरोकी रजामंदगी से ही हासिल कर सकते है। अगर पाकिस्तान ताकतसे हासिल किया गया तो इसे एक ऐसी नियामत ही समझना चाहिए जिसके वारेमे वरावर शक वना रहेगा। उन्होने अन्तमे सभी सम्प्रदायोसे अपील की कि वे उस आगको बुझानेमे जी-जानसे जुट जायँ जिसकी लपटें आज वंगालसे विहार और फिर विहारसे पंजाव और सीमाप्रान्ततक फैल चुकी है। आप सव लोगोको समूचे देश और उसके सभी वाशिन्दोकी भलाईकी नजरसे विचार करना चाहिए।

उस समयकी अनेक समस्याओपर गाधी और खान अब्दुल गफ्फार खाँके विचार एक तरहके थे और उनका एक दूसरेके प्रति वड़ा आकर्षण था। गाधीके वहुतसे पुराने सहकर्मी उनसे इस संवधमे काफी वहस-मुवाहिसा किया करते थे कि उनको क्या करना चाहिए क्या नही लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खाँने कभी ऐसा नही किया। एक अवसरपर गाधीके सहकर्मियोकी चर्चा करते हुए उन्होने कहा "महात्माजी, मुझे यह सोचकर ताज्जुव होता है कि कभी-कभी वहुत पढे-लिखे लोग भी कैसी गवाँरो जैसी वाते करते है। उनमे मुनासिव-गैरमुनासिव मे फरक कर पानेतककी जहनियत नही रह जाती। वे यह क्यो नहीं समझ पाते

कि मनु आपके लिए छ महीनेकी बच्चीके बराबर ह । मुझे आपकी पवित्रतामे पूरी श्रद्धा ह । यह ठीक ह कि शायद म आपकी जगहपर होऊँ तो जैसा आप करते ह वैसा न कर पाऊँ क्योकि मुझमे अपने ऊपर उतना भरोसा नही ह किन्तु ये भले लोग आपको जिस तरह बेइन्तहा बहस मुबाहिसेमें उलझा डालते ह वह हमें बडा वाहियात लगता ह और इससे सिफ वक्तकी बरबादी होती ह । क्या वे यह नही देख सकते ह कि आपने अनेक क्षेत्रोमें नामुमकिनको मुमकिन बना डाला ह ? आपने ऐसे अनेक क्षेत्रोमें नयी राह दिखायी ह जो बात उनकी समझ और कल्पनाके परे थी ? अगर कोई यह कहे कि चूकि किसी कामको कर सकने की उसमे ताकत नही ह इसलिए उसकी कोशिश कोई भी न करे तो म उसको नासमझ ही कहूँ फिर वह चाहे कितना भी पढा लिखा शख्स क्यो न हो ।"

बगाल और बिहारकी विनाशलीलाके सबधमें खान अब्दुल गफ्फार खाँके विचार और उसे शात करनेके लिए उनके द्वारा किये गये कार्योंका लेखा-जोखा निम्नलिखित ह

'कलकत्तामें सीधी कारवाईकी घोषणाका ही यह नतीजा हुआ कि सारे हिन्दुस्तानमें साम्प्रदायिक दगे शुरू हो गये । कलकत्तेके दगेमें कुछ हिदू मारे गये किन्तु जब हिदुओ और सिखोने बदला लेनेकी गरजसे लीगके कारनामे अख्तियार कर लिये तो मुसलमानोंके जान-मालका जो नुकसान हुआ उसका बयान नही किया जा सकता—उस नुकसानको किसी भी तरहसे पूरा नही किया जा सकता था । इस आगको भडकानेके लिए मुस्लिम लीगने कलकत्ताका बदला लेनेके बहाने नोआखालीमें दोजखका नजारा पैदा कर दिया । यहाँ जिस तरहके वहशियाना जुल्म हुए उससे शर्मके मारे इसानियतका सिर झुक गया । हिन्दू भी ब्रिटेनकी 'फूट डालो और हुकूमत करो' की पालिसीके जालमें फँस गये और उन्होंने नोआखालीका बदला लेनेके बहाने बिहारके मासूम मुसलमानोपर बेशुमार जुल्म ढाये । मुस्लिम लीग उस दिनका इन्तजार कर रही थी और उसके लिए खुदासे इस्तदुआ मना रही थी जब वह गलत और नाजायज तरीकोंसे हुकूमत अपने हाथमें ले लेगी और मुल्कका बँटवारा हो जायगा । उसकी यह मुराद पूरी हो गयी । उन्होने मुल्कके एक कोनेसे दूसरे कोनेतक आग लगा दी और अपने हाथ खून और लूटपाटसे रग लिये । लीगकी इन खूखार हरकतोंसे ब्रिटिश नौकरशाही की बन आयी । वह दुनियाके सामने हिन्दुस्तानियोंको जानवरोंके रूपमें पेश करना चाहती थी जो एक-दूसरेके खूनके प्यासे ह और इसानोंकी तरह व्यवहार नहीं कर सकते । वह मजदूर सरकारको यह यकीन दिलाना चाहती थी कि अगर

अंग्रेज यहाँसे चले गये तो हिन्दुस्तानी आपसमे ही लड-झगडकर और एक-दूसरे-को कत्ल करके बरबाद हो जायँगे। मुस्लिम लीगकी पीठपर इन अंग्रेजोका हाथ था। उसने मौकेका फायदा उठाकर मुल्कमे अराजकताकी हालत पैदा कर दी।

"मै पटना जिलेमे हुए मुसलमानोकी बरबादीका चश्मदीद गवाह हूँ। बिहारके कई हिस्सोमे मुसलमानोके घर लूटे, जलाये और बरबाद किये गये। कितनी जानें गयी, ५० हजार एक सौ आदमी बेघर-बार हो गये, गाँवके गाँव बरबाद और वीरान हो गये। जो थोडेसे गाँववाले मुसलमान विपत्तिके मारे गाँवोंमे बच रहे थे उन्हे शिविरोमे शरण दिया गया। मुस्लिम लीगियोको अभी भी संतोष नही मिला था। वे इस विपत्तिका भी फायदा उठाना चाहते थे। उन्होंने इन मुसलमानोको बगाल जानेकी सलाह दी। मै उन्हे उनके अपने पुराने घरोमे फिरसे बसाना चाहता था। मै बैरिस्टर यूनुसके शाही महलमे इन मुस्लिम लीगी नेताओसे मिला। वे वहाँ सारे वक्त मौजसे सोने या खाने-पीनेमे मशगूल थे। मैने उनसे कहा कि मै यहाँके मुसीबतजदा मुसलमानोकी हिफाजतके लिए आपकी मदद चाहता हूँ क्योकि वे अबतक काफी दु:ख भोग चुके है। मैने उनसे कहा कि 'अगर आप ईमानदारीसे उन्हे बंगालमे बसाना चाहते है तो मै आपके रास्तेका रोडा न बनूँगा लेकिन अगर आप उनसे अपनी सियासतका फायदा उठाना चाहते है तो यह बिलकुल गलत और गैरमुनासिब है। उनपर तो खुद ही दु:खका पहाड टूट पडा है। खुदाके वास्ते आप उसमे और इजाफा न करे।' उनमे किसी तरहकी हमदर्दी न थी। उन्होने उन्हे बंगाल भेज दिया। बारिशके पहले उनके उजडे घरोको फिरसे बनाकर उन्हे उनके गाँवोमे फिरसे बसा देनेके लिए मै जो भी कोशिश कर रहा था उसमे वे बराबर अडगे डालते रहे। मुस्लिम लीगी इसका विरोध इसलिए करते थे कि वे तामीरकी बनिस्बत बरबादी-पर उतारू थे। जो लोग अपने घरोको वापस न जाकर दूसरी जगहोंमे गये उनकी जिन्दगी ज्यादा मुसीबतमे थी। कुछ तो रास्तेमे ही और कुछ बंगाल पहुँचकर मर गये। इसके बाद वे होशमे आये और पटना लौट आये। उन्होने यह महसूस किया कि लीगियोमे कोई भी भलाई कर पानेकी न तो ताकत है और न कोई इरादा है। वे सिर्फ उन्हे अपना मोहरा बना रहे है।

"मुसीबतजदा मुसलमान चाहते थे कि कोई उनके साथ उनके गाँवकी झोपडियोतक चले ताकि उनमे छिपाकर रखी गयी अपनी कीमती चीजें वे वापस ला सके किन्तु मुस्लिम लीगी इतने डरे हुए थे कि उनमेसे कोई भी यह खतरा मोल लेनेको तैयार न हुआ। सिर्फ मै ही उनके साथ जाया करता था और मेरे

रहते किसीके साथ कोई छेड़छाड़ न हुई। तरह-तरहकी मुसीबतें उठा लेनेके बाद पीड़ित मुसलमान मेरे पास आये और उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं बिहार सरकारसे कहकर उनके पुराने घरोंको फिरसे बनवा दूँ ताकि वे अपने गाँवोंमें वापस जाकर फिरसे आबाद हो जायँ। चूँकि जल्द ही बारिश शुरू होनेवाली थी इसीलिए मैंने सोचा कि बिहारमें गांधीजीकी मौजूदगीसे इस काममें जल्दी होगी। मेरा खत मिलनेपर वे आ गये और उन्होंने उपद्रवग्रस्त क्षेत्रोंका दौरा शुरू कर दिया। उन्होंने उन्हें ढाढ़स बँधाया और उनमें हिम्मत और ताकत पैदा की।

'अब पंजाब और उत्तर-पश्चिमी सरहदी सूबेकी बारी आयी। उस वक्त मैं बिहारमें मुसलमानोंको मदद पहुँचानेका काम कर रहा था। सरहदी सूबेकी सभाकी बैठक चल रही थी। मुलतान, लाहौर, अमृतसर, अम्बाला, रावलपिण्डी गुजरानवाला और पंजाबकी दूसरी जगहोंमें साम्प्रदायिक दंगे शुरू कर दिये गये। ये धीरे धीरे पेशावरतक पहुँच गये। मुस्लिम लीगियोंने डाक्टर खान साहबपर हमले किये, उन्हें गालियाँ दीं और उनके इस्तीफेके लिए आन्दोलन चलाया। पेशावर शहरकी गलियों और बाजारोंमें मासूम और निर्दोष लोग कत्ल किये जाते थे। डाक्टर खान साहबके मन्त्रिमण्डलको गिरानेके लिए मुस्लिम लीगियोंने हिंसक आन्दोलन छेड़ दिया। इन उपद्रवोंके दौरान खुदाई खिदमतगारोंने वैसा ही काम किया जैसा कि मैं उनसे उम्मीद रखता था। वे दस हजारकी तादाद में अपने संकल्पके प्रति ईमानदारीके साथ अपने मुसीबतके मारे हिन्दू और सिख भाइयोंकी मददके लिए दौड़ पड़े और उन्होंने उनके जान-मालकी हिफाजतमें कुछ भी न उठा रखा। इससे नाराज होकर मुस्लिम लीगने सूबेमें गवर्नरकी हुकूमत की माँग उठायी।

मुझे उम्मीद और यकीन है कि खुदा हमारे इस पवित्र काममें हमारी मदद करेगा और जनता यह महसूस करेगी कि प्यार, सत्य और अहिंसा ही हर एक अच्छे आजाद और खुशहाल समाजकी निशानी है।

लन्दनमें प्रकाशित होनेवाले 'डेली टेलीग्राफ' पत्रके एक संवाददाताने उस पेशावरसे यह खबर भेजा था : 'दंगा करानेवाले एजेन्ट दूसरे प्रान्तोंसे आकर यहाँ एक अरसेसे बिहारसे लाये गये फटे कुरानके पन्नों और कत्ल किये गये मुसल-मानोंकी खोपड़ियोंके चित्रोंका प्रदर्शन करके मुस्लिम भावनाएँ उभार रहे थे।' सरदार पटेलने गांधीको यह रिपोर्ट भेजी : "हजारा जिलेमें ॰ लाख मुसलमान रहते हैं। यहाँ हिन्दुओं और सिक्खोंकी सम्मिलित संख्या ३१ हजार है। इनमेंसे २० हजार भाग गये हैं। करीब ४० से ५० व्यक्ति मार डाले गये हैं। अग्नि

काण्ड और लूटकी घटनाएँ बडे पैमानेपर हो रही हैं। सीमाप्रान्तमें विहारका वदला लिया जा रहा है ... बादशाह खान विहार गये हुए हैं, जहाँ कुछ भी नही हो रहा है। लेकिन वे वही करेंगे जिसे ठीक समझेंगे। डॉक्टर खान साहब, जो एक बडे ही सज्जन व्यक्ति हैं, वडी मुसीवतमें फँसे हुए हैं। मुस्लिम लीग जहरीला प्रचार कर रही है।"

सीमा-प्रान्तमे उपद्रवोकी दूसरी लहर फरवरीमें आयी। जनवरी महीनेमें एक सिख स्त्रीका, जिसके पतिको दंगाइयोंने मार डाला था, वलात् अपहरण कर लिया गया और जवर्दस्ती उसकी शादी एक मुसलमानसे कर दी गयी। डाक्टर खान साहवने यह आदेश जारी किया कि उस स्त्रीको उसके संबंधियोको वापस कर दिया जाय। इसपर मुस्लिम लीगियोंने एक जुलूस निकालकर यह माग की कि वह स्त्री फिरसे उसी मुसलमानको सौंप दी जाय जिससे उसकी जवर्दस्ती शादी हुई है। केन्द्रीय विधानमण्डलमे काग्रेसके भूतपूर्व उपनेता अब्दुल कयूमने, जो हालमें ही काग्रेस छोडकर मुस्लिम लीग पार्टीमें शामिल हो गये थे, निषेधात्मक आदेशका उल्लंघन किया और वे गिरफ्तार कर लिये गये। इसके वाद डॉक्टर खान साहवके मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध 'सिविल नाफरमानी' का आन्दोलन 'नागरिक अधिकारोके समर्थन' के रूपमें छेड दिया गया। कानूनके उल्लंघन और साम्प्रदायिक हिंसाको उत्तेजित करनेके अभियोगमें वहुतसे मुस्लिम लीगी गिरफ्तार किये गये और उन्हे जेल भेज दिया गया। इसके बाद लीगने प्रशासनको ठपकर देनेका आन्दोलन चलाया। अदालतोमें पिकेटिंग करायी गयी और रेलकी पटरियोपर उपद्रवी भीडने धरने दिये जिससे ट्रेनोके यातायातमे वाधा उपस्थित हुई। उपद्रवियोने रेलकी पटरियाँ उखाड दी और उन्हे तितर-वितर करनेके लिए आयी फौजोपर पथराव किये।

रावलपिंडीमें मार्चमें ही उपद्रव शुरू हो गये। चारो ओर हत्या, आगजनी और लूटपाटका वोलवाला हो गया। कुछ समय बाद तक्षशिलाके पास एक ट्रेन रोक दी गयी और मुसाफिरोपर हमला किया गया। करीब-करीब उसी समय पेशावर शहर और छावनीके क्षेत्रोमे भी उपद्रव शुरू हो गया। लीगी लोग आसपासके देहातोमें हिन्दुओ और सिखोको जवर्दस्ती मुसलमान वनाने लगे।

सरहदी सूवेमे ऐसी वदगुमानी शुरू हो जानेके बाद पेशावरकी गैरमुस्लिम जनतामें आतंक छा गया। दस दिनोतक उन्होंने अपने घरोके दरवाजे वंद कर लिये और अन्दर ही पडे रहे। उस समय सरहदी असेंवलीमें वजट अधिवेशन चल रहा था। सरहदी मन्त्रिमण्डल इस भयके कारण कि यदि उसने उत्पन्न स्थिति-

का मुकाबला करनेके लिए कोई कडी कारखाई की तो शायद गवनर इसी बहानेसे असेंबली विघटित न कर द, तुरत कोई कारखाई न कर सका। बजट ज्यो ही पास हो गया मन्त्रिमण्डलकी बठक हुई और खुदाई खिदमतगारोको बुलानेका निश्चय किया गया। दूसर ही दिन दस हजार खुदाई खिदमतगार पेशावर आ गये। उनकी उपस्थितिसे शान्ति कायम करनेमें सहायता मिली।

इसके बाद डेरा इस्माईल खाकी बारी आयी। मुसलमानोकी एक बडी भीडने जिस नगरपर हमला किया था एक हजारसे भी अधिक गैरमुसलमानोकी दूकानें बरबाद कर दी। उपद्रव देखते-देखते गाँवोमें भी फैल गया। कही-कही तो सारीकी सारी गैरमुस्लिम आबादी मौतके घाट उतार दी गयी या उस जबदस्ती मुसलमान बना लिया गया। सरहदी घुडसवारोंका जो दस्ता शहरमें मौजूद था उसने इसमें कुछ नही किया और उसकी नाकके नीचे उपद्रवी भीड गैरकानूनी कामोमें लगी हुई थी। उसे हर तरहका जुल्म करनेकी खुली छूट मिली हुई थी किन्तु पजाबसे उलटे सरहदी सूबेम साम्प्रदायिक हिंसा डॉक्टर खान साहबके मन्त्रिमण्डलको विघटित करनेमे सफल न हो सकी।

अन्तरिम सरकारके काग्रेसी सदस्य अग्रेज अफसरोके षडयन्त्र और मुस्लिम लीगकी अडगेबाजीसे बडे परेशान थे। नेहरूने फरवरीम गाधीको लिखा "हम इधर-उधर सभी तरफ लुढक रहे हैं। कभी-कभी तो मुझे सदेह हो जाता ह कि क्या हम कोई भी सही दिशा पकड पा रहे ह ? हमार सामन निरतर सकटकी स्थिति बनी हुई ह और स्थितिपर हमारी कोई खास पकड कायम नही रह गयी है।"

गाधी बिहारमें हिन्दुओ और मुसलमानोके बीच मेल मिलाप करानकी कोशिश कर रहे थे उसी समय उन्हें भाग्यकी विडम्बनामे पत्राम काग्रेसका वह प्रस्ताव पढनेको मिला जिसम काग्रेसने पजाबके विभाजनकी माग की थी। इस सबधमें न तो उनसे कोई परामश किया गया था न उन्हें कोई पूव सूचना ही दी गयी थी। प्रस्तावमें कहा गया था 'हालकी दुखनाक घटनाओमे यह स्पष्ट हो चुका है कि पजाबम हिंसा और जोर-जबदस्तीम समस्याका कोई समाधान नही हो सकता और जोर-जबदस्तीपर आधृत कोई भी व्यवस्था वहाँ स्थायित्व नही पा सकती। ऐसी सूरतमें ऐसा कोई रास्ता निकाल लेना आवश्यक हो गया ह जिसम कमस कम बाध्यता हो। इसके लिए पजाबका विभाजन आवश्यक होगा जिसम उसका मुस्लिमबहुल भाग गरमुस्लिमबहुल भागम अलग कर दिया जाय।'

नेहरूने गाधीको लिखा मेरा और कायसमितिके अधिकाश सदस्योका

यह विश्वास हो गया है कि हमे विभाजनके लिए दवाव डालना चाहिए जिससे वास्तविकता सामने आ जाय। वस्तुत जिनाने वँटवारेकी जो माग की है यही उसका एक मात्र उत्तर है।"

सरदार पटेलने गाधीको लिखा, "पजावके वारेमे प्रस्तुत प्रस्तावकी आपके सामने व्याख्या कर पाना कठिन है। पजावकी हालत विहारसे कही ज्यादा खराव है। यहाँ सेनाने नियन्त्रण प्राप्त कर लिया है। इसके फलस्वरूप सतही तौरपर स्थिति कुछ शान्त मालूम होती है किन्तु कोई नही कह सकता कि कव फिरसे उपद्रव भडक उठे। यदि ऐसा हुआ तो इससे दिल्ली भी प्रभावित हुए विना नही रह पायेगी।"

विभाजन

१९४७

२२ मार्चको लार्ड वेवलके स्थानपर लार्ड माउण्टबैटन भारतके वाइसराय बनकर आ गये। उन्होंने सबसे पहले गांधीको दिल्ली बुलाया। गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खां ३१ मार्चको राजधानी पहुँच गये। १ अप्रैलको एशियाई सबंध सम्मेलनमें प्रश्नोंका उत्तर देते हुए गांधीने कहा यह एक महान घटना है कि हमारे इतिहासमें पहली बार एक ऐसे सम्मेलनका आयोजन हमारे देशकी धरती पर हो रहा है। यह बड़े दुःखकी बात होगी यदि हम इस सम्मेलनसे बिना इस दृढ़ संकल्पके विदा हुए कि एशिया जीवित रहेगा और किसी भी पश्चिमी राष्ट्की तरह स्वतंत्र रहेगा।

इसके बाद उन्होंने सम्मेलनके सम्भ्रान्त प्रतिनिधियोंसे बड़े ही हार्दिक एवं स्पष्ट रूपमें कहा "हम नहीं जानते कि हम आपसमें किस तरहसे शांति कायम रख सकते हैं। हमारा विचार है कि इस प्रकार हम जंगली कानूनकी ओर लौट जायेंगे। मैं यह नहीं चाहता कि आप इस अनुभवके साथ अपने अपने देशोंको लौटें। मैं चाहूँगा कि आप इसे यहीं गाड़ दें। भारत स्वतंत्रताके युगमें प्रवेश कर रहा है। हम अपने स्वामी स्वयं होना चाहते हैं। किन्तु हम अपने मालिक खुद कैसे हो सकेंगे? मैं यह नहीं जानता मेरा विश्वास है कि पण्डित नेहरूको भी यह नहीं मालूम है मैं समझता हूँ बादशाह खानको भी इसकी जानकारी नहीं है। हम केवल यही जानते हैं कि हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए और बाकी सारी बातें भगवान्‌पर छोड़ देनी चाहिए। मनुष्यको अपने भाग्यका विधाता समझा जाता है किन्तु यह मात्र आंशिक सत्य है। वह अपने भाग्यका निर्माण उसी हद तक कर सकता है जिस हदतक वह महान शक्ति उसके लिए उसे अनुमति देती है। वह महान् शक्ति हमारी सभी इच्छाओं हमारी सभी योजनाओंके ऊपर है और वह स्वयं अपनी योजनाएं कार्यान्वित करती है। मैं उस शक्तिको अल्लाह खुदा या ईश्वरके नाममें न पुकारकर सत्यके नाममें पुकारता हूँ। सारा सत्य उसी महान् शक्तिके हृदयमें निहित है। एशियाके विभिन्न भागोंसे आये हुए आप सब महानुभाव इस सम्मेलनकी मधुर स्मृतियाँ अपने साथ ले जायें और सत्यके उसी महान् प्रासादके निर्माणका प्रयत्न करें।"

यह अपने ढंगका निराला सम्मेलन था। इसमें एशियाके प्राय सभी देशों—अरब देश, तिब्बत, मंगोलिया और दक्षिण-पूर्वी एशियाके देश तथा सोवियत संघके एशियाई गणतन्त्रोंको प्रतिनिधित्व मिला था। केवल मुस्लिम लीग संघटन इसमें शामिल नही हुआ था। उसने इस सम्मेलनकी निन्दा करते हुए कहा था : "यह एशियाई जनताके भावी नेताके रूपमे अपनेको राजनीतिक दृष्टिसे बढा-चढाकर प्रदर्शित करनेके लिए हिन्दू काग्रेस द्वारा किया गया एक छद्म प्रयास है।" उसने इसपर खेद भी प्रकट किया था कि, "मुस्लिम देशोके कई संघटन धोखेमे आकर इस एशियाई संबंध सम्मेलनमे शामिल हो रहे है।"

२ अप्रैलको सम्मेलनके अन्तिम अधिवेशनमे भाषण करते हुए गाधीने कहा कि पश्चिमको ज्ञानका प्रकाश पूर्वसे ही मिला है। जरथुस्त्र प्रथम एशियाई सन्त और ज्ञानी थे। उनके बाद बुद्ध आये, उनके बाद मूसा, ईसा और मुहम्मद आये जो सभी पूर्वके थे। उन्होने कहा "मै चाहता हूँ कि आप एशियाका सन्देश ग्रहण करें। इसे पश्चिमी चश्मोसे अथवा परमाणु बमके अनुकरणसे नही सीखा जा सकता। यदि आप पश्चिमको कोई सन्देश देना चाहते है तो वह प्रेम और सत्यका ही सन्देश हो सकता है। आज पश्चिम विवेक प्राप्त करनेके लिए छटपटा रहा है। वह परमाणु बमोकी वृद्धिके कारण निराश हो चुका है क्योंकि परमाणु बमोकी वृद्धिका अर्थ होता है न केवल पश्चिमका बल्कि समस्त ससारका सम्पूर्ण विनाश। आपका यह कर्तव्य होता है कि आप ससारको उसकी कुटिलता और पापका ज्ञान कराये। आपके और हमारे महान् उपदेष्टाओ और शिक्षकोने हमारे लिए यही विरासत छोडी है।"

गाधीका यह विश्वास था कि 'यदि भारतका पतन होता है तो एशियाका पतन हो जायगा।' साम्प्रदायिक हिन्दू उनकी प्रार्थना-सभाओमे उपद्रव किया करते थे। उन्हे उनकी प्रार्थनाओमे कुरानका पाठ किये जानेपर आपत्ति थी। वे पूछते थे, "आप किसी मस्जिदमे जाकर गीताके श्लोकोका पाठ क्यो नही करते?" वे इसके जवाबमे कहते थे, "आप अपनी अविवेकपूर्ण धर्मान्धतासे हिन्दू धर्मका कोई हित नही कर रहे है बल्कि उसके विनाशकी ही तैयारी कर रहे है। यहाँ हमारे सामने बादशाह खान मौजूद है। वे पूरी तरहसे ईश्वरभक्त है। यदि आप किसी खुदाके बन्देको हाड-मासके रूपमें मूर्तिमान् देखना चाहते है तो इन्हे देखिए। क्या आपको इनके प्रति भी सम्मान नही है?"

गांधीकी लार्ड माउण्टबैटनसे कई मुलाकाते हुईं। पहली मुलाकात ३१ मार्चको हुई। १ अप्रैलको अपनी दूसरी मुलाकातमें, जिसमें खान अब्दुल गफ्फार

खाँ भी उनके साथ थे उन्होंने वाइसरायसे कहा कि आप प्रशासनका भार स्वीकार करनेके लिए जिनाको निमन्त्रित कीजिए। माउण्टबटनने पूछा, "इसपर जिनाकी क्या प्रतिक्रिया होगी ?" गांधीने जवाब दिया, 'जिना कहेंगे कि, फिर वही नटखट गांधी आ गया !' माउण्टबैटनने मुस्कराते हुए पूछा, "क्या उनका यह कहना ठीक न होगा ? गांधीने कहा, "नही। क्योंकि मैं पूरी तरह निष्ठावान् हूँ।' उन्होंने माउण्टबटनको आगाह किया कि उन्हें दृढतासे काम लेना होगा और अपने पूर्ववर्तियों द्वारा किये गये सभी पापोंके परिणामोंका सामना करनेके लिए तयार रहना होगा। 'फूट डालो और शासन करो' की ब्रिटिश प्रणालीके फलस्वरूप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिसमें केवल एक ही विकल्प रह गया है कि या तो शान्ति और कानून बनाये रखनेके लिए ब्रिटेनकी हुकूमत चलती रहे या सारा देश रक्त-स्नान करने लगे। रक्त-स्नानका सामना करना होगा और उसे स्वीकार करना होगा।

गांधीने लार्ड माउण्टबैटनके समक्ष समझौतेका जो प्रारूप प्रस्तुत किया था उसका निचोड़ यह था कि केन्द्रमें सरकार बनानेका विकल्प जिनापर छोड़ दिया जाय, सरकारके लिए सदस्योंके चुनावकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह उन्हींपर छोड़ दी जाय—फिर चाहे वे उसमें केवल मुसलमानोंको लें या केवल गैरमुसलमानोंको या फिर सभी वर्गों और मतवालोंके प्रतिनिधियोंको चुन लें। जहाँतक कांग्रेसका सवाल है वह सारे भारतके हितमें किये गये किसी भी कायम उनकी सरकारका पूर्ण समर्थन करेगी। इसके एकमात्र निर्णायक लार्ड माउण्टबटन अपने व्यक्तिगत रूपमें होंगे। ऐसा हो जानेके बाद जिना सत्ता हस्तान्तरणके पूर्व ही संविधान सभामें पाकिस्तानकी माँग प्रस्तुत करनेके लिए पूर्णतः स्वतन्त्र होंगे बशर्ते वे इसके लिए समर्थन प्राप्त करनेके उद्देश्यसे तर्क और विचारकी अपील करें, न कि बल-प्रयोग और धमकियोंका सहारा लें। इस तरह किसी भी प्रान्त या उसके किसी हिस्साको उसकी इच्छाके विरुद्ध पाकिस्तानमें शामिल होनेके लिए बाध्य न किया जाय। यदि जिना इस प्रस्तावको ठुकरा दें तो यही प्रस्ताव अविकल रूपमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसको किया जाय।

वाइसरायने गांधीसे कहा कि आपके प्रस्तावमें मेरे लिए बड़ा आकर्षण है। यह जानकर कि लार्ड माउण्टबटन उनके साथ हैं गांधीको यह विश्वास हो गया कि उन्हें नेहरू और कांग्रेसकी कार्यसमितिसे अपना प्रस्ताव स्वीकृत करा लेनेमें कोई कठिनाई न होगी। किन्तु सरदार पटेल गांधीके साथ किसी भी प्रकारका औपचारिक समझौता करनेके विरुद्ध थे। वाइसरायने भी जब दूसरी

वार विचार किया तो उन्हे ऐसा लगने लगा कि इस प्रस्तावपर दूसरी पार्टियोकी प्रतिक्रिया जान लेनेके पूर्व इसपर अपनी व्यक्तिगत सहमति प्रदान कर देना वुद्धिमत्ता न होगी। उन सवने मिलकर यह निश्चय किया कि इसके पूर्व कि गाधी अपना विचार मनवानेके लिए काग्रेसपर अपना पूरा जोर डालना शुरू कर दें, नेहरूको यह सूचना दे दी जाय कि माउण्टवैटन गाधीकी योजनाके प्रति वचन-वद्धताकी स्थितिसे वहुत दूर हैं।

गाधीने वाइसरायके समक्ष अपनी जिस योजनाकी रूप-रेखा प्रस्तुत की थी उसे मान लेनेके लिए वे काग्रेस कार्यसमितिके सदस्योपर पूरे जोरशोरसे दवाव डालने लगे। इस संवंधमे काफी गरम वहस उठ खडी हुई। व्रिटेनकी छत्रछाया-मे देशका किसी भी प्रकारका विभाजन हो—गाधी और अव्दुल गफ्फार इसके तीव्र विरोधी थे। गाधीके विचारसे अंग्रेजो द्वारा पंजाव और वंगालका विभाजन करवानेका कोई भी प्रस्ताव यदि काग्रेस करती है तो वहुत ही खेदजनक होगा। वे विभाजनके समूचे सिद्धान्तके ही विरोधी थे। उनके खयालसे विभाजन द्वारा कोई भी कठिनाई हल न हो सकेगी। इसके विपरीत इससे मौजूदा कठिना-इयाँ और गम्भीर हो जायँगी और नयी कठिनाइयाँ भी पैदा हो जायँगी किन्तु उन्होने यह देखा कि खान अव्दुल गफ्फार खाँको छोडकर वे कार्यसमितिके किसी भी सदस्यको अपने साथ न कर सके और वे सदस्य भी गाधीसे अपने दृष्टिकोणके लिए समर्थन प्राप्त न कर सके। दूसरे दिन गाधीने वाइसरायको पत्र लिखकर सूचित कर दिया कि आगामी वार्ताओमे वे उन्हें शामिल न करें। १२ अप्रैलको वे अपने काग्रेसी सहकर्मियोसे विदा होकर विहार वापस आ गये। नेताओका व्यवहार उनके प्रति रूखा हो गया था। उन्होने कहा है . "सरदारसे मेरी मुलाकात केवल कुछ मिनटोकी हुई है। कभी-कभी मै ऐसा अनुभव करता हूँ कि इस पूरे समूहमे मैं ही एक ऐसा आदमी रह गया हूँ जिसके पास फालतू वक्त है।"

वाइसरायसे हुई वार्ताका एक छोटासा परिणाम यह हुआ कि वाइसरायकी छत्रछायामे साम्प्रदायिक शान्तिके लिए एक अपील निकली जिसपर जिना और गाधीके हस्ताक्षर थे। गाधीने कहा कि जहाँतक मेरे हस्ताक्षरका सवाल है उसका कोई मूल्य नही है क्योकि मेरा हिंसामे कभी विश्वास नही रहा है किन्तु यह जरूर महत्त्वपूर्ण है कि जिनाने इसपर हस्ताक्षर किये है। यदि इसके हस्ता-क्षरकर्ताओने अपीलकी भावनाका पूरी तरह पालन किया तो यह उम्मीद की जा सकती है कि देशमे साम्प्रदायिक उपद्रव और रक्तपात वन्द हो जायगा।

ने कुछ विक्षोभकी अवस्थामे आकर हम लोगोसे कहा कि मुस्लिम लीगका एक वडा जुलूस यहाँसे एक मीलकी दूरीपर रह गया है। वह वाइसरायके सामने अपनी शिकायत पेश करेगा। यह प्रदर्शन काफी उग्र है और सम्भवत जुलूसके लोग गवर्नमेण्ट हाउसकी ओर वढते हुए कानूनका भी उल्लंघन कर सकते है। कैरोके अनुसार वाइसरायके सामने इस योजनाको पहले ही खतम कर देनेका एकमात्र यही विकल्प है कि वे स्वय जुलूसके सामने उपस्थित हो जायँ और भीडको अपना दर्शन दे दे। प्रदर्शनकारियोकी तादाद ७० हजारसे भी अधिक है। वे प्रान्तके सुदूर हिस्सोसे आ रहे है। उनमेसे अधिकाश तो प्रदर्शनमे शामिल होनेके लिए कई दिनोंसे यात्रा कर रहे हैं। माउण्टवैंटनने कैरो और मुख्य मन्त्री डाक्टर खान साहवके साथ 'संक्षिप्त मन्त्रणा' की और यह तय पाया गया कि वाइसराय अविलम्व प्रदर्शनकारियोसे जाकर रास्तेमे ही मिल लें। इसपर माउण्टवैटन, मोटरसे प्रदर्शनकारियोके पास चले गये। लेडी माउण्टवैटनने भी वड़ी हिम्मतके साथ उनके साथ जानेका अनुरोध किया। हमारे सामने जो भीड थी वह निश्चय ही भयानक थी। लोग तरह-तरहके सकेत कर रहे थे। पाकिस्तानके चिह्न सफेद चाँदके साथ असंख्य गैरकानूनी हरे झण्डे फहरा रहे थे और वीच-वीचमे प्रदर्शनकारी 'पाकिस्तान जिन्दावाद' के नारे लगाते जा रहे थे। हमारे पहुँचनेसे कुछ ही मिनटो वाद तनाव गायब हो गया और 'माउण्टवैटन जिदाबाद' के नारे लगने लगे।"

भोजनके वाद लार्ड माउण्टवैंटनने कई मुलाकातें की। उनकी कुछ मुलाकाते तो डाक्टर खान साहव और उनके मन्त्रिमण्डलके ४ मन्त्रियोके साथ हुई और दूसरी स्थानीय हिन्दुओ और उन मुस्लिम लीगके नेताओसे जिन्हे उनसे मिलनेके लिए जेलसे वाहर लानेकी विशेप व्यवस्था कर दी गयी थी।

लार्ड माउण्टवैटन डाक्टर खान साहव और उनके साथियोसे गवर्नरकी उपस्थितिमे मिले। वाइसरायने आरम्भमे यही कहा कि मै डाक्टर खान साहव के इस जनभावनोचित परामर्शकी सराहना करता हूँ कि मुझे स्वयं प्रदर्शनकारियोसे मिलने जाना चाहिए। मैने केवल यही किया कि वहाँ जाकर प्रदर्शनकारियोके सामने एक ऊँचे स्थानपर खडा हो गया। मैंने जिनाको पहले गवर्नमेंट हाउसके पासतक जुलूस निकालनेकी अनुमति देनेसे इनकार कर दिया था। डाक्टर खान साहवने अपनी ओरसे कहा कि मैंने प्रयत्नपूर्वक लाल कुर्तीवालोका जुलूस रोकवा दिया था।

वाइसरायने कहा कि यहाँ भारतको भारतीयोको सौपने आया हूँ। मै

जनताकी इच्छाके अनुसार सत्ता हस्तान्तरित करने आया हूँ। म पजाब और बगालके लिए व्यवस्था कर रहा हूँ किन्तु मुझ सीमाप्रान्तकी स्थितिस विशेष कठिनाई हो रही ह। म मुस्लिम लीगसे यह कहनेवाला हूँ कि म हिसाके सामन नही झुकूगा। मैं निजी रूपसे आपको यह बता रहा हूँ कि मेरी दृष्टिमें चुनाव आवश्यक ह किन्तु मैं मुसलमानाको इसकी कोई पक्की गारण्टी नही दे सकता। जिनाका यह वादा ह कि यदि कोई चुनाव होगा तो उसमें किसी तरहकी हिसा न होगी। आपको मेरी ईमानदारीपर विश्वास करना चाहिए। जिना इस स्थितिको स्वीकार करते ह और वे अपने अनुयायियाका सिविल नाफरमानी वापस लेनेको कह रहे ह। माउण्टबटनने मुस्लिम लीग हाई कमाण्ड द्वारा स्थापित सामान्य नियत्रणके सम्बन्धम पूछताछ की। इसके जवाबम उन्हें बताया गया कि स्थानीय मुस्लिम लीग पागल हो उठी थी और खुदमुख्तार बन बैठी थी। अन्तिम चुनावम पाकिस्तानके सवालपर मुस्लिम लीग निश्चित रूपसे हार चुकी ह और मुस्लिम लीगी नेता अब्दुरब निश्तरतक जीत न सके।

जब डाक्टर खान साहब पठानिस्तानके सवालपर बोलने लग तो विचार-विमशम विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी। कहा गया कि इससे पाकिस्तानकी साम्प्रदायिक और राजनीतिक अखण्डताको आघात पहुँचेगा और उसके अन्दर एक नया सीमावर्ती प्रदेश कायम हो जायगा। डाक्टर खान साहबने चेतावनी दी कि यदि आप 'पठान जातिको बरबाद कर देते ह तो इसके भयकर परिणाम होगे।'

माउण्टबैटनन पूछा कि उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रान्तमे सयुक्त सरकार क्यो नही ह? डाक्टर खान साहबने उत्तेजित स्वरमें इसका उत्तर दिया कि 'यदि कांग्रेस सयुक्त मन्त्रिमण्डल बनाना चाहती ह ता म उसम नही रहूँगा। हमारी जनता बडी गरीब ह। यहाँ मुस्लिम लीग केवल अपने और विशेष सुविधाप्राप्त खानोकी जातिक हितोका प्रतिनिधित्व करती ह।' उन्होने कहा कि कांग्रेस समथकोमें भी कुछ बहुत ही सम्पन्न हैं।

माउण्टबटनने प्रान्तम साम्प्रदायिक भावनाकी स्थितिक सबधमें पूछताछ की। उन्होने बताया कि 'मुस्लिम जनता हिन्दुआ और सिखाकी रक्षा कर रही ह। केवल हजारामें यह स्थिति नही ह। मुसलमानोके दिल और दिमाग स्वस्थ ह।" डाक्टर खान साहबने कहा कि अधिकारियाने मुसलमानाको कानूनका उल्लघन करनेकी छूट द दी ह। कैरोने कहा कि मुझे किसी एक भी ऐस उदाहरणका पता नही ह जिसमें अधिकारी अपना कतव्य पूरा करनेकी कोशिश न कर रहे हो

किन्तु उन्हींको बराबर दोषी ठहराया जाता है।

संवैधानिक पद्धतिपर विचार-विमर्शके सिलसिलेमे गवर्नरने शिकायत की कि मुख्य मन्त्रीकी ओरसे मुझपर प्रशासनिक दवाव डाला जाता है और मुख्य मन्त्रीने शिकायत की कि गवर्नर उनके कामोमे हस्तक्षेप करते हैं। इस वहसके बीच माउण्टवैटनने कहा . "मै यहाँ नि स्वार्थ भावसे काम करने आया हूँ। मैं जनताकी इच्छाके अनुसार सत्ता हस्तान्तरित करना चाहता हूँ। आदर्श रूपमे मै यहाँ जन-मत सग्रह करना चाहूँगा किन्तु समय नही है।" इसके वाद उन्होने विभाजनमे निहित वातोपर सामान्यत विचार-विमर्श किया। इसमे खासकर उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके संदर्भमे वाते हुई। उन्होने कहा कि "मेरी समस्या यह है कि हमारे जानेके वाद चुनाव कराया जाय या पहले तथा कानून और शान्ति-व्यवस्था सरकारको कायम रखनेके लिए पर्याप्त है या नही।" उन्होने चुनावोके सवंधमे सलाह देनेके लिए हाई कमानोकी एक संयुक्त समिति वनानेका सुझाव दिया और कहा कि मेरा निर्देश निष्पक्षताकी ओर है।

इस बैठकके समाप्त होनेपर स्थानीय हिन्दू प्रतिनिधियोका एक अधिवेशन हुआ।

माउण्टवैटनने कहा "मैं तथ्योकी जानकारी प्राप्त करनेकी कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप सरकारका समर्थन करते है ?"

प्रतिनिधिमण्डलने उत्तर दिया . "हम किसी भी सरकारके अधीन शान्ति-पूर्वक रहनेको तैयार है।"

माउण्टवैटनने कहा "मै आपके इस स्वस्थ दृष्टिकोणसे प्रसन्न हूँ। मै सवै-धानिक ढंगसे कार्य करनेकी कोशिश कर रहा हूँ।"

पुलिसकी कमीकी शिकायतें की गयी। कहा यह गया कि जो थोडीसी पुलिस है उसपर भी कार्यभार वहुत अधिक है। पुलिसकी चार टुकडियाँ नगरमे मौजूद है किन्तु पेशावरमे कई हत्याएँ हुई हैं और पुलिस प्रभावकारी ढंगसे कोई कारर-वाई न कर सकी। माउण्टवैटनने पुलिसके स्थानपर सैनिकोंके प्रयोगसे होनेवाले खतरेपर जोर दिया। दोनोके दो भिन्न कार्य होते है। उन्होने कहा कि इस समय सरहदी सूवेमे अन्य स्थानोकी अपेक्षा कही अधिक फौजे है। कैरोने कहा कि मेरे २५ वर्षोके अनुभवमें, जिसमे १९३०-३१ का वर्ष भी शामिल है, कभी भी फौजोका इतना उपयोग नही किया गया जितना इस समय यहाँ हो रहा है। माउण्टवैटनने कहा कि मै व्यापकतर समाधानके लिए प्रयत्नशील हूँ और चाहता हूँ कि शीघ्रातिशीघ्र अनिश्चयकी स्थिति खत्म हो जाय किन्तु मुझे ऐसा समाधान

खोज निकालना है जो सबको स्वीकार हो।

तीसरी बैठक उन मुस्लिम लीगियोंके साथ हुई जिन्हें इस अवसरके लिए जेलोंसे रिहा कर दिया गया था। इनके प्रतिनिधिमण्डलमें नौजवान धर्मोमादा मकी शरीफके पीर और अब्दुल कयूम थे। वे बहुत देरतक बोले। उनके स्वरमें अत्यधिक उग्रता थी। माउण्टबैटनने यह निर्देश दिया कि इन सब लोगोंको एक ही जेलमें रखा जाय जिससे ये एक-दूसरेसे मिलकर सलाह-मशविरा कर सकें। उन्होंने इस बातसे भी सहमति प्रकट की कि उन्हें पैरोलपर रिहा किया जाय जिससे वे दिल्ली जाकर जिन्नासे सलाह कर सकें।

गवनरने वायसरायको यह समझानेका प्रयास किया कि वे अनुच्छेद ९३ के अन्तर्गत सरहदी सूबेमें गवनरका शासन लागू करें और उसके बाद नये चुनावों का आदेश दें। उन्हें मन्त्रिमण्डलकी वह रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जो वाइसरायकी यात्राके दौरान हुई उसकी एक बैठकके सबधमें थी। वाइसरायने अपने मुख्य मन्त्रीकी उस टिप्पणीको अग्रसारित करनेसे इनकार कर दिया जिसमें इसका सशोधित रूप प्रस्तुत किया गया था। इसे गवनरकी उपेक्षा करके सीधे दिल्लीके अधिकारियोंके पास भेजा गया था।

१ मईको कांग्रेसी नेताओंके अनुरोधपर गांधी फिर नयी दिल्लीसे पटना आ गये। उस समय लार्ड माउण्टबैटन अपनी योजना तैयार कर चुके थे। इसपर वे गवनरोंसे विचार विमर्श भी कर चुके थे। माउण्टबैटन योजनापर विचार करनेके लिए कायसमितिकी बैठक बुलायी गयी।

गांधीने १ मईको भगी कोलोनीमें नेहरूसे इस योजनापर एक घंटे विचार विमर्श किया। उनका यह दृढ मत था कि लीगके मुकाबले लाभजनक स्थिति प्राप्त करनेके लिए कांग्रेसको अंग्रेजोंके साथ कूटनीतिका खेल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी हालतमें कांग्रेसी नेताओंको अंग्रेजोंके साथ भारतकी एकताका सौदा नहीं करना चाहिए। इसके स्थानपर उन्हें यही माँग करनी चाहिए कि ब्रिटेन सीधे और साफ़ ढगसे काम करे और सत्ता हस्तान्तरणके पूव कड़ाईसे कानून और शान्तिकी व्यवस्था सारे देशमें लागू करे और किसी भी ऐसी पार्टीसे बात करनेसे इनकार कर दे जो कानूनी व्यवस्थाका सम्मान न करती हो और सहयोगके लिए तैयार न हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज इसके लिए तैयार न हों तो वे इस खेलसे अलग हो जायँ और उनके भारत छोड़नेतक समय बिता लें और इसके सबधमें समझौता करनेका काय भारतीय पार्टियोंपर छोड़ दें।

किन्तु कांग्रेस हाई कमानको यह भय था कि यदि मामलेको यो ही छोड़ दिया गया तो इस बीच तैयार होनेवाली अराजकता और विघटनकी ताकतें उसे धर दबायेगी। कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, कानपुर, अमृतसर, बन्नू और डेरा इस्माईल खाँसे साम्प्रदायिक उपद्रवोमे कत्ल होनेकी घटनाओके समाचार आ रहे थे। अन्तरिम सरकारमे मुस्लिम लीगकी बराबर बनी रहनेवाली अडंगे-बाजी और सरकारी नौकरियोमे बढती हुई साम्प्रदायिकता और अराजकताकी वृद्धिसे निराश होकर कांग्रेसी नेता विभाजनकी माउण्टबैटन-योजनाको स्वीकार कर लेनेके लिए तैयार थे। गाधीको कांग्रेस हाई कमान द्वारा प्रस्तुत 'छोटी बुराई' का तर्क कभी मान्य न हुआ। गाधीने उन्हे बताया कि पाकिस्तानमे अल्पसंख्यको की रक्षाकी जो घोषणा जिनाने की है उसका सम्मान उसके पालनकी अपेक्षा उसके उल्लंघनके रूपमे ही हो रहा है। ब्रिटिश सत्ता दोषी पार्टीकी निन्दा करने-के लिए कर्तव्यत. बाध्य है किन्तु इसके लिए वह तैयार नही दिखाई देती। इससे मेरी दृष्टिमे उसकी ईमानदारी संदिग्ध हो जाती है। यदि कांग्रेसने विभाजनका तर्क स्वीकार कर लिया तो इससे अन्तत भारतका विघटन हो जायगा और व्यापक संघर्षको बढावा मिलेगा।

१ मईकी शामको कार्यसमितिकी बैठक हुई। गांधीजीने इस बैठकमे कोई खास रुचि नही ली। उन्होने यह अनुभव किया कि उनके तथा कार्यसमितिके सदस्योके विचारोमे इतनी विभिन्नता है कि कार्यसमितिके विचार-विमर्शमे उनके शामिल होनेसे किसी उपयोगी प्रयोजनकी सिद्धि नही हो सकेगी किन्तु फिर भी सदस्योने उनसे उपस्थित रहनेका आग्रह किया और वे सहमत हो गये।

कार्यसमिति द्वारा विभाजनके सिद्धातको स्वीकार करनेके निर्णयका क्रिया-त्मक भाग नेहरू द्वारा वाइसरायको लिखे गये इस पत्रमे शामिल है "उन प्रस्तावोके सबंधमे, जिन्हे मै समझता हूँ, लार्ड इस्मे अपने साथ लंदन ले जा रहे है, हमारी समिति सुस्पष्ट रूपमें निर्धारित क्षेत्रोपर लागू आत्मनिर्णयपर आधृत विभाजनका सिद्धान्त स्वीकार करनेको तैयार है। इसमे बंगाल और पंजाबका विभाजन निहित है। जैसा कि आप जानते है हम भारतकी एकतासे भावनात्मक दृष्टिसे पूर्णत. आबद्ध है किन्तु हमने संघर्ष और ज़ोर-जबर्दस्तीको दूर करनेके लिए ही भारतका विभाजन स्वीकार कर लिया है। विभाजनको लागू करनेके लिए यह आवश्यक है कि इससे प्रभावित क्षेत्रोकी जनताकी इच्छाओ और हितोको पूरा करनेके लिए हर तरहका प्रयत्न किया जाय। विभाजनसे अलग और उससे पहले ही हालकी घटनाओने बंगाल और पंजाबके प्रशासनिक विभाजनको सुस्पष्ट कर

खोज निकालना है जो सबको स्वीकार हो।

तीसरी बैठक उन मुस्लिम लीगियोंके साथ हुई जिन्हें इस अवसरके लिए जेलोंसे रिहा कर दिया गया था। इनके प्रतिनिधिमण्डलमें नौजवान धर्मोन्मादी मंकी शरीफके पीर और अब्दुल कयूम थे। वे बहुत दरतक बोले। उनके स्वरमें अत्यधिक उग्रता थी। माउण्टबैटनने यह निर्देश दिया कि इन सब लोगोंको एक ही जेलमें रखा जाय जिससे वे एक-दूसरेसे मिलकर सलाह-मशविरा कर सकें। उन्होंने इस बातसे भी सहमति प्रकट की कि उन्हें पैरोलपर रिहा किया जाय जिससे वे दिल्ली जाकर जिनासे सलाह कर सकें।

गवनरने वायसरायको यह समझानेका प्रयास किया कि वे अनुच्छेद ९३ के अन्तर्गत सरहदी सूबेमें गवनरका शासन लागू करें और उसके बाद नये चुनावों का आदेश दें। उन्हें मन्त्रिमण्डलकी वह रिपोर्ट भी प्राप्त हुई जो वाइसरायकी यात्राके दौरान हुई उसकी एक बैठकके सबधमें थी। वाइसरायने अपने मुख्य मन्त्रीकी उस टिप्पणीको अग्रसारित करनेसे इनकार कर दिया जिसमें इसका सशोधित रूप प्रस्तुत किया गया था। इसे गवनरकी उपेक्षा करके सीधे दिल्लीके अधिकारियोंके पास भेजा गया था।

१ मईको काग्रेसी नेताओंके अनुरोधपर गाधी फिर नयी दिल्लीसे पटना आ गये। उस समय लार्ड माउण्टबैटन अपनी योजना तयार कर चुके थे। इसपर वे गवनरोंसे विचार विमर्श भी कर चुके थे। माउण्टबैटन योजनापर विचार करनेके लिए कार्यसमितिकी बैठक बुलायी गयी।

गाधीने १ मईको भगी कोलोनीमें नेहरूसे इस योजनापर एक घंटे विचार विमर्श किया। उनका यह दृढ़ मत था कि लीगके मुकाबले लाभजनक स्थिति प्राप्त करनेके लिए काग्रेसको अंग्रेजोंके साथ कूटनीतिका खेल नहीं खेलना चाहिए। किसी भी हालतमें काग्रेसी नेताओंको अंग्रेजोंके साथ भारतकी एकताका सौदा नहीं करना चाहिए। इसके स्थानपर उन्हें यही माँग करनी चाहिए कि ब्रिटेन सीधे और साफ ढगसे काम करे और सत्ता हस्तान्तरणके पूर्व कड़ाईसे कानून और शान्तिकी व्यवस्था सारे देशमें लागू करे और किसी भी ऐसी पार्टीसे बात करनेसे इनकार कर दे जो कानूनी व्यवस्थाका सम्मान न करती हो और सहयोगके लिए तैयार न हो। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अंग्रेज इसके लिए तैयार न हों तो वे इस खेलसे अलग हो जायँ और उनके भारत छोड़नेतक समय बिता लें और इसके सबधमें समझौता करनेका कार्य भारतीय पार्टियोंपर छोड़ दें।

किन्तु काग्रेस हाई कमानको यह भय था कि यदि मामलेको यो ही छोड़ दिया गया तो इस बीच तैयार होनेवाली अराजकता और विघटनकी ताकतें उसे धर दबायेंगी। कलकत्ता, दिल्ली, लाहौर, कानपुर, अमृतसर, बन्नू और डेरा इस्माईल खांसे साम्प्रदायिक उपद्रवोमे कत्ल होनेकी घटनाओके समाचार आ रहे थे। अन्तरिम सरकारमे मुस्लिम लीगकी बराबर बनी रहनेवाली अडंगेबाजी और सरकारी नौकरियोमे बढती हुई साम्प्रदायिकता और अराजकताकी वृद्धिसे निराश होकर काग्रेसी नेता विभाजनकी माउण्टबैटन-योजनाको स्वीकार कर लेनेके लिए तैयार थे। गाधीको काग्रेस हाई कमान द्वारा प्रस्तुत 'छोटी बुराई' का तर्क कभी मान्य न हुआ। गाधीने उन्हे बताया कि पाकिस्तानमे अल्पसंख्यको की रक्षाकी जो घोषणा जिनाने की है उसका सम्मान उसके पालनकी अपेक्षा उसके उल्लंघनके रूपमे ही हो रहा है। ब्रिटिश सत्ता दोषी पार्टीकी निन्दा करनेके लिए कर्तव्यत. बाध्य है किन्तु इसके लिए वह तैयार नही दिखाई देती। इससे मेरी दृष्टिमे उसकी ईमानदारी संदिग्ध हो जाती है। यदि काग्रेसने विभाजनका तर्क स्वीकार कर लिया तो इससे अन्तत भारतका विघटन हो जायगा और व्यापक संघर्षको बढावा मिलेगा।

१ मईकी शामको कार्यसमितिकी बैठक हुई। गाधीजीने इस बैठकमे कोई खास रुचि नही ली। उन्होने यह अनुभव किया कि उनके तथा कार्यसमितिके सदस्योके विचारोमे इतनी विभिन्नता है कि कार्यसमितिके विचार-विमर्शमे उनके शामिल होनेसे किसी उपयोगी प्रयोजनकी सिद्धि नही हो सकेगी किन्तु फिर भी सदस्योने उनसे उपस्थित रहनेका आग्रह किया और वे सहमत हो गये।

कार्यसमिति द्वारा विभाजनके सिद्धातको स्वीकार करनेके निर्णयका क्रियात्मक भाग नेहरू द्वारा वाइसरायको लिखे गये इस पत्रमे शामिल है "उन प्रस्तावोके संबंधमे, जिन्हे मै समझता हूं, लार्ड इसमे अपने साथ लंदन ले जा रहे है, हमारी समिति सुस्पष्ट रूपमे निर्धारित क्षेत्रोपर लागू आत्मनिर्णयपर आधृत विभाजनका सिद्धान्त स्वीकार करनेको तैयार है। इसमे बंगाल और पंजाबका विभाजन निहित है। जैसा कि आप जानते है हम भारतकी एकतासे भावनात्मक दृष्टिसे पूर्णत. आबद्ध है किन्तु हमने सघर्ष और जोर-जबर्दस्तीको दूर करनेके लिए ही भारतका विभाजन स्वीकार कर लिया है। विभाजनको लागू करनेके लिए यह आवश्यक है कि इससे प्रभावित क्षेत्रोकी जनताकी इच्छाओ और हितोंको पूरा करनेके लिए हर तरहका प्रयत्न किया जाय। विभाजनसे अलग और उससे पहले ही हालकी घटनाओने बंगाल और पंजाबके प्रशासनिक विभाजनको सुस्पष्ट कर

दिया ह और उसे तात्कालिक आवश्यकताका रूप दे दिया ह।'

नेहरूने आगे कहा 'किसी सावैधानिक ढगसे निर्मित ऐसी प्रान्तीय सरकारको समाप्त कर देनेके प्रस्तावपर विचार नही होना चाहिए और उसका विरोध किया जाना चाहिए जिसमें अल्पसख्यक अच्छी तादादमें हों।" स्पष्ट इसम योजनाके सीमाप्रान्त सम्बन्धी भागको ओर सकेत किया गया था। योजना पर काग्रेसी नेताओके साथ सामान्य ढगसे ही विचार हुआ था, उन्हें इसकी मूल प्रति नही दिखायी गयी थी।

५ मईको लार्ड माउण्टबटनने एकके बाद दूसरी कई मुलाकातोंके लिए गाधी और जिनाको आमन्त्रित किया। कभी-कभी इन मुलाकातोम वे दोनो एक साथ *उपस्थित पाये जाते थे। इसका लाभ उठाकर माउण्टबेटनने उन दोनोकी बठक* की व्यवस्था कर दी। इसके सिलसिलेम दूसर दिन शामको गाधी जिनासे उनके वासस्थानपर मिले और तीन घटेतक उनकी वार्ता हुई। इस वार्ताके सबधमें गाधीनें वाइसरायको लिखा

हमने अहिंसाके सम्बन्धमें सयुक्त वक्तव्य निकालनेपर वार्ता की। उन्होने अहिंसाम अपनी दढ आस्था व्यक्त की। उन्होने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रेस वक्तव्यमे भी इस आस्थाको दुहराया है।

हमने पाकिस्तानके साथ-साथ विभाजनपर भी बातचीत की। मने उनसे कहा कि पाकिस्तानके विरुद्ध मेरा दष्टिकोण पूववत बना हुआ ह और उन्हें यह सुझाव दिया कि अहिंसामें आस्थाकी अपनी घोषणाको देखते हुए उन्हें अपने विरोधियोका मत-परिवतन तक द्वारा करना चाहिए न कि शक्ति-प्रदशन द्वारा। उनका यह दढ मत था कि पाकिस्तानके प्रश्नपर किसी तरहका विचार विमश नही हो सकता। तकसगत बात तो यह ह कि अहिंसाम विश्वास रखनेवालेके लिए कोई भी चीज, यहाँतक कि परमात्माका अस्तित्व भी इसके क्षेत्रके बाहर नही हो सकता।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ बडे दुखी और उदास थे। उन्होंने और उनके खुदाई खिदमतगारोंने अपना भाग्य काग्रेसके साथ जोड रखा था और अब ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वे भारतके साथ न रह सकेंगे। मुस्लिम लीगके साथ *अपने सद्धान्तिक मतभेदोंके कारण उनका पाकिस्तानम भी कोई स्थान न होगा।* उन्होंने दुखपूवक कहा, हम दानोकी दष्टिमें बहिष्कृत हो जायेंगे।" फिर भी *उनका कहना था कि "जबतक महात्माजी मौजूद हैं म चिन्ता नही करता।'* वे अस्वस्थ थे किन्तु फिर भी कोई दवा नही लेना चाहते थे। नयी दिल्लीम गाधी

जीके निवासके अन्तिम दिन उन्हे बुखार था फिर भी वे रातमे पहलेकी ही तरह गाधीके हाथ-पाँव दवाते रहे। गाधीने उन्हें रोका किन्तु उन्होने यही जवाव दिया "यह आखिरी दिन हं इसलिए मुझे न रोकिए। इससे मै स्वस्थ हो जाऊँगा।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ १०॥ बजेतक जागते रहे। जब उनसे कहा गया कि अपनेको वहुत ज्यादा न थकायें तो उन्होने कहा "जल्दी ही हम लोग हिन्दुस्तानमे गैरमुल्की हो जायँगे। हमारी लम्बी लडाईका यह आखिरी नतीजा होगा कि हम वापूसे दूर, हिन्दुस्तानसे दूर, आप सब लोगोसे दूर पाकिस्तानकी हुकूमतमे चले जायँगे। कौन जानता है भविष्यमें हम लोगोका क्या होनेवाला है?" जब गाधीने मनुसे ये वाते सुनी तो उन्होने कहा "निश्चय ही वादशाह खान एक फकीर है। स्वतंत्रता आयेगी किन्तु वहादुर पठान अपनी आजादी खो देगा। उनके सामने एक खौफनाक भविष्य है। लेकिन वादशाह खाँ खुदाई बन्दे है।"

७ मईको गाधी कलकत्ता चले गये। खान अब्दुल गफ्फार खाँने उन्हें रेलवे स्टेशनपर विदा किया। विदाईके अवसरपर काँपती हुई भारी आवाज़में उन्होने कहा, "महात्माजी, मै आपका सिपाही हूँ। आपका शब्द मेरे लिए कानून है। मेरा आपमे पूर्ण विश्वास है। मेरा और कोई सहारा नही है।" गाधी अक्सर उनकी याद किया करते थे। उन्होने उन्हे उतमनजईमें एक स्कूल वनवानेके लिए कलकत्तासे ३६ हजार रुपये भेजे।

गाधी इन सब बातोंपर जितना ही विचार करते थे उन्हे उतनी ही तीव्रता से अनुभव होता था कि एक वहुत ही गलत कदम उठाया जा रहा है। अन्तमें सभी पार्टियोको इसकी भारी कीमत चुकानी पडेगी। उन्होने विनाशको यथा-संभव रोकनेका दूसरा प्रयास करनेका निश्चय किया। उन्होने लार्ड माउण्टवैटन-को ट्रेनसे पटना जाते समय सफरमे ही ८ मईको यह निजी पत्र लिखा.

"इसके विपरीत चाहे जो भी कहा जाय अंग्रेजोके लिए यह एक सबसे भयं-कर भूल होगी यदि वे किसी भी रूपमे भारतके विभाजनके भागीदार वनते है। यदि इसे होना ही है तो इसे अंग्रेजोके यहाँसे चले जानेके वाद होने देना चाहिए; तब चाहे यह विभिन्न पार्टियोके वीच समझौतेसे हो या सशस्त्र संघर्षसे जो कायदे आजमके अनुसार निषिद्ध है। अल्पसंख्यकोंकी रक्षाकी गारण्टी एक पंच अदालत-की स्थापनासे की जाती है। प्रतिस्पर्धी पार्टियोमे मतभेद होनेकी सूरतमे यह अदालत विचार करेगी ...

"इस स्थितिमें सीमाप्रान्त अथवा अन्य किसी प्रान्तमे जनमत सग्रह कराना

करते हुए उन्होंने कहा 'हम एक बार हो सबको यहीन गुजर रहे हैं। अंग्रेज और उनके दलाल अपने हाथमें शासन-सत्ता रखनेकी सम्भावनाके लिए व्यग्र हैं। कुछ लोग आपको इस्लामका नाम लेकर बहकाते हैं। मैं आपको भविष्यकी खतरोंसे आगाह करता अपना फर्ज समझता हूँ जिससे मैं इन्सानके सामने और कयामतके दिन खुदाके सामने अपनको सही साबित कर सकूँ।

गवर्नर सर ओल्फ करोकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा "मैं दिल्ली गया हूँ और मुझे नजदीकसे इस बातकी जानकारी है कि यहां ग्रुप, जो आप लोगोंके जिरगामें मिलता है और आपका दोस्त होनेका दावा करता है आपके खिलाफ रिपोर्ट देता रहा है और दिल्लीके हुक्मरानोंपर इसके लिए दबाव डालता रहा है कि वे आपके ऊपर मौत और बरबादी बरपा करनेके लिए बमवाजोंके बड़े दस्ते तैयार रखें। जब वह फिर जिरगामें आये तो आप उससे पूछें कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह सच है या नहीं? अगर वह इससे इनकार करे तो आप उससे कहें कि वह मेरे सामने आये। मैं उसपर जो अभियोग लगा रहा हूँ उसे साबित करनेके लिए एकके बाद एक बहुत सारे नजीर पेश कर दूँगा।

उन्होंने यह भी बताया कि हालमें ही करोने अपने मन्त्रियोंसे कहा था कि आप हमेशा यह याद रखें कि आपमें और भारतमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक-दूसरेसे मेल खाती हो और यदि आप कांग्रेस छोड़नेके लिए राजी हो जायें तो मैं आपकी हर तरहकी सहायता दूँगा।

उन्होंने पूछा कि, आखिर सर ओल्फ करो सरहदी सूबेमें नये सिरेसे चुनाव क्यों कराना चाहते हैं? १९४६ के चुनावोंमें जो पाकिस्तानके ही खास मसले पर लड़े गये थे ५० सीटोंमें कांग्रेसको ३२ सीटें मिली थीं जिनमें कुल ३८ मुस्लिम सीटोंमें उसे मिली हुई १९ सीटें भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त उस सभी हिन्दू सीटें और ३ सिख सीटोंमें २ सीटें भी मिली थीं। जिन १७ मुस्लिम सीटोंपर उसके विरोधियोंने कब्जा किया था उनमें ११ हजाराकी थीं जो एक गैरपश्तोभाषी जिला है। "सर ओल्फका इरादा बिल्कुल साफ है। वे अपने उन पिट्ठुओं और गुर्गोंको—उन खानों, नवाबों और कुछ अफसरोंके हाथमें हुकूमतकी बागडोर देना चाहते हैं जिन्होंने अंग्रेजोंकी मदद और खुशामदी खिदमत गारोंकी खिलाफत की थी। सत्ता हस्तान्तरणके समय गवर्नर करो अंग्रेजोंके दोस्तों को सत्ता हस्तान्तरित करनेके लिए अत्यन्त व्यग्र हैं। इसके अलावा नये चुनाव का और कोई मतलब नहीं हो सकता। क्योंकि सिर्फ एक साल पहले ही पठानों ने पाकिस्तानके सवालपर अपना फैसला दे दिया है। उस मुस्लिम लीगके साम्प्र

दायिक आन्दोलनको सियासतका दर्जा देना बेईमानी है जिसके अनुयायी अपराध करते रहे है।"

गवर्नरका यह तर्क था कि "सरहदी सूबेमे जो उग्र और हिंसात्मक प्रदर्शन हुए है उनसे पता चलता है कि लोगोका मन्त्रिमण्डलमे विश्वास नही रह गया है।" खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि यदि गवर्नरने अपना फर्ज पूरा किया होता तो वे रक्तपात रोकनेमे मदद कर सकते थे। १९३० मे एक सिरफिरे पठान ने एक अग्रेज अफसरको गोली मार दी थी। उसे तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया और उसपर मुकदमा चलाकर ४८ घटोके भीतर उसे फाँसी दे दी गयी। जब मिस मोली एलिसका अपहरण हुआ था तो उनका उद्धार जिस मुस्तैदी और जल्दीसे किया गया उसके संबंधमे एक प्रमुख टोरी अखबारने लिखा था कि यह इस बातका उदाहरण है कि एक अग्रेज महिलाकी प्रतिष्ठा बचानेके लिए किस तरह पूरे ब्रिटिश साम्राज्यके साधनोको सचालित किया जा सकता है। लडाईके छ. सालोंमे जिस समय खुद अंग्रेज विपत्तिमे फँसे हुए थे पूरे कबायली क्षेत्रमे किसी भी तरहका उपद्रव नही होने पाया। उस समय ब्रिटेनको शान्तिकी जरूरत थी इसलिए शान्ति कायम रही। इस समय सैकडो व्यक्तियोका कत्ल हो गया, हजारो लोग अनाथ, असहाय और बेघरबार हो गये फिर भी सीमाप्रान्तकी ब्रिटिश हुकूमत हाथपर हाथ रखे बैठी रही। उसके मन्त्रियोने कडी काररवाई करनेके लिए उससे बार-बार कहा किन्तु वह मौन दर्शक बनी रही। इतना ही नही, उसने इस अराजकताके बहाने उन मन्त्रियोको हटानेका भी इरादा जाहिर किया जो अत्यधिक बहुमतसे चुने गये थे और जिनका अब भी विधानमण्डलोमे बहुमत है। "कैरोको इसके लिए लज्जित होना चाहिए कि प्रान्तमे चार सौ निरपराध लोगो-को मार डाला गया किन्तु आजतक एक भी अपराधी गिरफ्तार नही हुआ। यह कैसा प्रशासन है?"

उन्होने मुस्लिम लीगियोसे हार्दिक अपील की कि भारतसे अंग्रेजोके चले जाने-के बाद उत्पन्न होनेवाली विभिन्न समस्याओसे कैसे निबटा जाय इसपर वे सयुक्त जिरगामे बैठकर खुदाई खिदमतगारोसे सलाह-मशविरा करे। "हम आज ही उनसे अपने सारे मतभेद मिटा सकते है अगर वे हमसे भाइयोकी तरह मिलें और अपने हिंसात्मक तरीके छोड दें। यदि ईमानदारीसे कोशिश की जाय तो हम आपसमें सम्मानजनक समझौता कर सकते है।" उन्होने कहा कि, "लीगियोको हिन्दुओके प्रभुत्वका डर है जब कि हमे अंग्रेजोके प्रभुत्वका डर है। हम आपसमे मिलें और एक-दूसरेको अपने विचार समझायें। हम उनका डर दूर करनेको

तयार ह। लेकिन म पूछता हू कि क्या वे हमारा डर भी दूर करेंगे ?'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने आगे कहा "लाड माउण्टबटनने नयी दिल्लीमें मुझसे हुई एक मुलाकातमें जोर देकर यह बात कही थी कि म हिन्दुस्तानका आखिरी वाइसराय हू। अंग्रेज जल्द ही हिदुस्तान छोडन जा रहे ह। वे निर्धारित तारीखके पहले ही सत्ता हस्तातरित कर देना चाहत हैं ताकि भारत और ब्रिटेनके बीच दोस्तीके सबधपर मुहर लग जाय। मने उनसे पूछा कि, 'जब म सरहदी सूबेमें आपके कुटिल व्यवहारको देखता हूँ तो आपपर कस भरोसा किया जाय ?' उन्होने इसके लिए मुस्लिम लीगको जिम्मेदार बताया। मैंने पूछा, 'आखिर मुस्लिम लीग क्या ह ? यह सब तो करोकी माया ह। बच्चा स्त्रियो और बुड्ढो के कत्ले आम और इन दगोसे इस्लाम और मुसलमानोका क्या फायदा होनेवाला ह ? और पख्तूनोको इससे किस तरह कोई लाभ हो सकता ह ? ये सारी वार दातें पाक कुरानके उपदेशो और पैगम्बरके सदेशोके विरुद्ध ह। निर्दोप गरीब आदमीपर हाथ छोडना पख्तून परम्पराके विरुद्ध ह। अभी उस दिन एक सिख फेरीवालेको सडकपर हा कत्ल कर दिया गया जब कि उसने इस्लाम कबूल कर लेनेका इरादा भी जाहिर कर दिया था। क्या यह सब इस्लामके लिए किया जा रहा ह ? म लीगी भाइयाको चेतावनी देता हूँ कि वे जो तरीके अख्तियार कर रहे हैं उनसे उनका और मुसलिम समुदायका विनाश हो जायगा। वे जो आग जला रहे हैं वह धू धू कर चारो ओर फल जायगी और उसके रास्ते जो कुछ भी आयेगा उसे वह जलाकर खाक कर देगी।

उन्होने कहा यह अंग्रेजोकी चाल ह जिसस वे हिंदू और मुसलमानो को उनका सरक्षण पाने और इस प्रकार उन्हें यहाँ बनाये रखनेके लिए विवश कर देना चाहते ह। पजाबके शिविरो और दूसरी जगहामें शरण लेनवाले उप द्रवपीडित लोग यही माँग कर रहे ह।

उन्होने लाड माउण्टबटनसे एक ईमानदार व्यक्तिकी तरह काय करनेकी अपील की। उन्होने कहा कि आपका यहाँ भलाई करनेके लिए भेजा गया ह इसलिए आप अपनेको दलगत राजनीतिसे ऊपर रखें।

लाड माउण्टबटनने सभी सम्बद्ध राजनीतिक दलो द्वारा उनकी योजनापर विचार किये जानेकी तिथि १७ मई १९४७ निश्चित की थी किन्तु इसी बीच ब्रिटिश सरकारने वाइसराय द्वारा लाड इस्मेके हाथ मईके प्रथम सप्ताहमें भेजे गये योजना प्रारूपमें कुछ महत्त्वपूण परिवतन कर दिये। सीमाप्रातमें फिरसे चुनाव करानेके पूर्व डाक्टर खाँ साहबके मन्त्रिमण्डलको बरखास्त कर देनेका

प्रस्ताव भी इन परिवर्तनोंमे शामिल था जिसका पहले ही पता चल गया। इसकी कांग्रेसी नेताओमे वडी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। उन्होने यह चेतावनी दी कि यदि सीमाप्रान्तीय मन्त्रिमण्डलमें किसी प्रकारकी दस्तंदाजी की गयी तो ब्रिटिश सरकारके प्रस्तावके प्रति कांग्रेसका समूचा दृष्टिकोण वदल सकता है। लंदनमे कुछ और ऐसे संशोधन किये गये जो कांग्रेसको वडे नागवार लगे। इन परिवर्तनोके प्रति नेहरूकी प्रतिक्रिया इतनी उग्र हुई कि लार्ड माउण्टवैटनको प्रस्तावित वैठककी तिथि वदलकर २ जून कर देनी पडी और योजनाका प्रारूप फिरसे तैयार किया गया। एक संशोधन यह था कि जहाँ योजनाके पहले प्रारूपमे सामान्यत. सभी प्रान्तोको अपना भविष्य निर्धारित करनेका अधिकार दिया गया था वहाँ संशोधित प्रारूपमे उसे छीन लिया गया। उदाहरणके लिए पहले सरहदी सूवा यदि चाहता तो भारत और पाकिस्तानके वाहर अपने लिए स्वतत्र अस्तित्वका विकल्प चुन सकता था। संशोधित प्रारूपमे पाकिस्तानके वाहर सीमाप्रान्तका कोई अस्तित्व नही रह गया। इसी तरह वगालके हिन्दुओ और मुसलमानो दोनोकी इच्छा रहते हुए भी कांग्रेस और लीगमे समझौता हुए विना 'प्रभुतासम्पन्न संयुक्त बंगाल' का भविष्य सदाके लिए खत्म हो गया।

वाइसरायको आगे विचार-विमर्शके लिए लंदन वुलाया गया। उनकी अनुपस्थितिमे जिनाने दिल्लीमे आयोजित एक प्रेस सम्मेलनमे भाषण करते हुए कहा कि लीग वंगाल और पंजावके विभाजनका आखिरी दमतक विरोध करेगी। उनका मतलव यह था कि इन दोनो प्रान्तोको पूरी तरह पाकिस्तानमे शामिल किया जाय। इसके वाद उन्होने नये राज्यके दोनो अगोको मिलानेके लिए वीचमे उनको जोडनेवाले एक गलियारेकी भी माँग की।

लार्ड माउण्टवैटन अपनी अन्तिम योजनाके साथ ३१ मईको दिल्ली लौट आये। कांग्रेसी नेताओके अनुरोधपर गाधी कुछ दिनो पहले ही दिल्ली पहुँच गये थे। जिनाकी नयी माँगोके फलस्वरूप विभाजन-योजनाके विरुद्ध कांग्रेसी दृष्टिकोणमे जो कठोरता आ गयी थी उससे गाधीको कांग्रेस हाई कमान और ब्रिटिश सरकार दोनोपर एक वार फिर इस वातके लिए जोर डालनेका दूसरा मौका मिल गया कि वे लार्ड माउण्टवैटनकी विभाजन-योजनाके विपरीत कैविनेट मिशनकी योजनापर ही विचार ही करे। गाधीने पुन. 'विभाजनके पूर्व शान्तिस्थापन' का नारा दिया। उन्होने कहा कि जवतक वाइसराय पूरी तरह शान्तिकी उस अपीलको कार्यान्वित नही कर लेते जिसपर उनके साथ ही जिनाने भी हस्ताक्षर किये है उन्हे मुस्लिम लीगके साथ किसी प्रकारकी वार्ता करनेसे

इनकार कर देना चाहिए। इसके लिए साहसगाय भी यगावद हैं और वे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यदि कांग्रेस दुर्बलता नहीं दिखाती तो मुस्लिम लीगको तलवारकी नोकपर अपनी मांगोंको बढ़ाते जानेकी जगह जैसा कि वह अबतक करती रही है कांग्रेसके पास आकर समझदारीकी बात करनी होगी।

३१ मईको सवेरे गांधीके प्रातःकालीन भ्रमणमें राजेन्द्रप्रसादने उसी दिन तीसरे पहर होनेवाली कार्यसमितिकी बैठकके सदर्भमें कुछ वार्ता की। कांग्रेसी नेताओंने यह विश्वास पाल रखा था कि यदि विभाजन स्वीकार कर लिया जाय तो देशमें शान्ति पुनः कायम हो जायगी। गांधीका यह दृढ़ मत था कि शान्ति विभाजनके पहले स्थापित होनी चाहिए शान्ति-स्थापनाके पहले विभाजन स्वीकार करना घातक होगा। जिस तरहकी घटनाएं हो रही हैं उन्हें देखते हुए यह तय है कि विभाजनके बाद अल्पसख्यक पाकिस्तानमें नहीं रह सकेंगे। शरणार्थियोंका तांता लग जायगा और चारों ओर अराजकता फैल जायगी।

अभी वार्ता समाप्त नहीं हुई थी। बीचमें ही गांधीका भ्रमण समाप्त हो गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ गांधीजीकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्हें देखते ही वे बोले महात्माजी अब तो आप हम पाकिस्तानी मानेंगे। सरहदी सूबा और बलूचिस्तानके सामने भयानक स्थिति उत्पन्न हो गयी है। हम नहीं जानते कि हमें क्या करना है।'

गांधीने कहा 'अहिंसामें निराशाकी कोई गुंजाइश नहीं है। यह आपकी और खुदाई खिदमतगारोंकी परीक्षाकी घड़ी है। आप यह घोषणा कर सकते हैं कि पाकिस्तान आपको मंजूर नहीं है और इसके लिए बुरेसे बुरे परिणामका बहादुरीसे सामना कर सकते हैं। उन लोगोंके लिए क्या डर हो सकता है जो करने या मर जानेका सङ्कल्प ले चुके हैं? ज्यों ही परिस्थितियाँ अनुकूल हुई मैंने सीमाप्रान्त जानेका इरादा कर लिया है। मैं इसके लिए कोई पासपोर्ट नहीं लूँगा क्योंकि मैं विभाजनमें विश्वास नहीं करता। और यदि इसके फलस्वरूप कोई मुझे मार डालता है तो मैं इससे खुश होऊँगा। यदि पाकिस्तान बनता ही है तो मेरा स्थान पाकिस्तानमें ही होगा।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा "मैं समझ रहा हूँ। मैं आपका और ज्यादा वक्त नहीं लूँगा।" खान अब्दुल गफ्फार खाँ ज्यों ही कमरेसे बाहर हुए गांधीने उनसे कहलाया कि वे अपने ही कमरेमें शांतिपूर्वक विश्राम करें। वे इतने सतर्क रहते थे। उन्होंने सोचा कि यदि वे अपने कमरेमें आये और मेरे साथ ठहरे तो इससे मेरे आराममें खलल पहुँचेगा।

दूसरे दिन सुबह १ जूनको गाधी रोजसे पहले ही जग गये। अभी प्रार्थना शुरू होनेमे आध घंटेकी देर थी इसलिए वे अपने विस्तरेमे ही पडे-पडे धीमी आवाजमे सोचने लगे · "आज मै अपनेको बिलकुल अकेला पाता हूँ। यहाँतक कि सरदार और जवाहरलाल भी मेरी धारणाको गलत समझते है और यह मानते है कि यदि विभाजन मान लिया जाय तो शान्ति निश्चित रूपसे कायम हो जायगी। मेरा वाइसरायसे यह कहना भी कि यदि विभाजन होना ही है तो इसे ब्रिटिश हस्तक्षेप या ब्रिटिश शासनके अन्तर्गत नही होना चाहिए, पसंद नही आया। उन्हे यह आशंका होती है कि कही वृद्धावस्थाके कारण मेरा दिमाग तो खराब नही हो गया है ? फिर भी जैसा कि मै दावा करता हूँ यदि मुझे काग्रेस और ब्रिटिश जनताके प्रति अपनेको निष्ठावान मित्र साबित करना है तो मै जो अनुभव करता हूँ उसे मुझे कहना ही होगा। मै साफ-साफ देख रहा हूँ कि हम लोग सारा काम गलत ढंगसे कर रहे है। हम इसके पूरे परिणामका इस समय भले ही अदाज न लगा पाते हो लेकिन मुझे तो साफ दिखाई दे रहा है कि इस कीमतपर मिली आजादी अंधकारपूर्ण होगी। मै बादशाह खाँको तकलीफ बर्दाश्त नही कर सकता। उनकी आन्तरिक व्यथासे मेरा हृदय मथा जा रहा है। किन्तु यदि मै आँसू बहाने लगता हूँ तो यह कायरता होगी और वह बहादुर पठान टूट जायगा। इसीलिए मै अपना काम अविचलित ढंगसे किये जा रहा हूँ। यह कोई साधारण बात नही है।"

वे आगे कहने लगे, "हो सकता है वे सभी लोग सही हो और अकेला मै ही अँधेरेमे भटक रहा होऊँ। सभवत. मै इसे देखनेके लिए जिंदा न रहूँगा किन्तु आज मै जिस अशुभका आशंका कर रहा हूँ यदि वह भारतपर छा गया और उसकी स्वतन्त्रता खतरेमे पड गयी तो भावी संततिको यह मालूम रहे कि इसके बारेमे सोचते हुए इस बुड्ढे आदमीको कैसो पीडाका अनुभव हुआ था। कभी यह न कहा जाय कि गाधी राष्ट्रके अंग-भगमे भागीदार हुआ था। किन्तु आज तो सभी लोग आजादीके लिए अधीर हो रहे है। इसलिए लाचारी है।" उन्होने विभाजन के साथ आजादीकी उपमा उस 'काठकी रोटी' से दी थी जिसे 'यदि काग्रेसी नेताओने खाया तो वे उदर-शूलसे मर जायँगे और नही खाया तो भूखो मर जायँगे।"

तीसरे पहर काग्रेस कायसमितिकी बैठक हुई। बैठकके अन्तमे यह स्पष्ट दिखाई देने लगा कि भारतका विभाजन अपरिहार्य है। शामको यह खयाल कर कि गाधीजी की प्राथना-सभाओमे इधर कई दिनोसे कुरानकी आयतोके पाठके वक्त प्रदर्शन

होते रहे हैं खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनकी सभामें शामिल न होनेका इरादा जाहिर किया ताकि किसीको उनकी उपस्थिति नागवार न लगे किन्तु गांधीने उनके आनेपर जोर दिया अतः उन्हें भी गांधीका साथ देना पड़ा। सभामें गांधीने बड़ी व्यथाके साथ इस बातका जिक्र किया। अपनी बगलमें बैठे बादशाह खाँकी ओर संकेत करते हुए उन्होंने कहा : "देखिए, वे यहाँ कितनी बेचैनी और उलझनका अनुभव कर रहे हैं। आपको इससे सबक लेना चाहिए। हम दूसरोंकी भावनाओंके प्रति कोमल सम्मानकी भावना रखनी चाहिए।

२ जूनको लार्ड माउण्टबेटनने नेताओंको बुलाकर उन्हें वह योजना दे दी जिसमें दो राज्योंके निर्माण और भारत विभाजनपर मुहर लगा दी गयी थी। ३ जूनको वाइसरायने रेडियोसे इस योजनाको प्रसारित कर दिया।

'तीसरी जूनके प्रस्ताव' या ब्रिटेनके सम्राटकी सरकारके प्रस्तावमें यह व्यवस्था की गयी थी कि यदि मुस्लिमबहुल प्रान्तोंके मुस्लिम प्रतिनिधियोंकी माँग हो तो पाकिस्तानका निर्माण किया जा सकता है। उसमें यह व्यवस्था भी थी कि बंगाल और पंजाबका भी विभाजन किया जा सकता है यदि इन प्रान्तोंकी विधानसभाओंमें पार्टियोंके लोग बहुमतसे इसकी माँग करें। इस उद्देश्यसे इन दोनों प्रान्तोंकी विधानसभाओंकी बैठक दो पृथक् भागोंमें होगी जिनमें क्रमशः मुस्लिमबहुल तथा मुस्लिम अल्पसंख्यक जिलोंके प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें यह भी प्रस्तावित था कि सिलहट जिलेमें यह जाननेके लिए जनमत संग्रह कराया जायगा कि वह आसामके साथ रहेगा या पूर्वी बंगालमें शामिल होगा। उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमें भी इसी तरहका जनमत संग्रह यह जाननेके लिए कराया जायगा कि वह पाकिस्तानमें शामिल होगा या नहीं। ब्रिटेनकी प्रभुसत्ता समाप्त हो जानेके बाद देशी राज्य यह निर्णय करनेके लिए स्वतन्त्र होंगे कि वे संविधान सभामें शामिल होंगे या उसके बाहर अकेले बने रहेंगे। ब्रिटिश सरकार किसी भी भारतीय राज्यको पृथक् उपनिवेशकी मान्यता नहीं दे सकती। प्रस्तावमें यह कहा गया था कि नये संविधान या संविधानोंके बन जानेतक इसका आधार डोमिनियन स्टेटस होगा और भारतीय जनताको भविष्यमें अपने इच्छानुसार व्यवस्था कर लेनेकी स्वतन्त्रता होगी। प्रस्तावमें यह भी कहा गया था कि 'इस योजनामें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे भारतके विभिन्न सम्प्रदाय संयुक्त भारतके निर्माणके लिए कोई वार्ता न कर सकें।

३ जूनको कांग्रेस कार्यसमितिकी बैठक हुई। इसमें पहले-पहल जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ उनमें उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके भविष्यका प्रश्न सब-

प्रमुख था। नयी योजनाने इस प्रान्तके लिए एक विचित्र स्थिति पैदा कर दी थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके दलने सदा कांग्रेसका समर्थन और मुस्लिम लीगका विरोध किया था। लीग खान बन्धुओको अपना घोर शत्रु मानती थी। विभाजन खान बन्धुओ और खुदाई खिदमतगारोंको बडी ही खराब स्थितिमे रख देता था। यह उन्हे मुस्लिम लीगकी दयापर छोड देता था।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो इससे बिलकुल स्तब्ध रह गये। कुछ मिनटो-तक तो उनके मुँहसे कोई बोल नही फूटा। उसके बाद उन्होने समितिको याद दिलाया कि मै बराबर कांग्रेसका समर्थन करता रहा हूँ। अगर कांग्रेसने हमे छोड दिया तो सरहदी सूबेकी जनतापर इसकी बडी भयानक प्रतिक्रिया होगी। दुश्मन उनपर हँसेंगे। उनके दोस्त भी यही कहेगे कि जबतक कांग्रेसको सरहदी सूबेकी जरूरत थी उसने खुदाई खिदमतगारोंका समर्थन किया और जब उसे मुस्लिम लीगसे समझौता करनेकी इच्छा हुई तो उसने सीमाप्रान्त और उसके नेताओसे सलाहतक न की और विभाजनका विरोध करना छोड दिया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने बार-बार कहा कि अगर कांग्रेसने अब खुदाई खिदमतगारोको भेडियोके सामने फेक दिया तो मै इसे बहुत बड़ी धोखाधडीका काम समझूँगा। सरदार पटेल और राजगोपालाचारी दोनो सरहदी सूबेमे जनमत संग्रह करानेका दृढतासे समर्थन करते थे। अन्तत जब कार्यसमितिने विभाजन और सीमाप्रान्तमे जनमत संग्रह कराना स्वीकार कर लिया तो खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाधी और कार्य-समितिसे कहा "हम पख्तून बराबर आपके साथ रहे और आजादी हासिल करनेके लिए हमने बडीसे बडी कुर्बानी की किन्तु अब आपने हमे छोड दिया और भेडियोके सामने फेंक दिया। हम कभी जनमत संग्रह कराना स्वीकार नही कर सकते क्योकि हमने हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके सवालपर निर्णायक रूपसे चुनाव जीते है और दुनियाके सामने इस सवालपर पख्तूनोके नुक्ते नजरको साफ-साफ जाहिर कर दिया हैं। अब चूंकि हिन्दुस्तानने हमे छोड दिया है हम हिन्दुस्तान और पाकिस्तानपर जनमत संग्रह क्यों करायें? अब यदि इसे होना ही है तो यह पख्तूनिस्तान या पाकिस्तानके सवालपर होगा।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ समितिकी बैठकसे लौटते वक्त बडे ही मायूस और किंकर्तव्यविमूढ थे। यह तो पख्तूनोके लिए मौतका परवाना ही था। वे सीढियो-पर 'तोबा तोबा' करके बैठे रहे। उन्होंने लिखा है "विभाजन और सीमाप्रान्तमे जनमत सग्रहके संबंधमे हाई कमानने जो सलाह ली उसमे उसने हमारी कोई सलाह-तक न ली। सिर्फ गाधीजी और मैंने इसका विरोध किया। सरदार पटेल और

राजगोपालाचारी विभाजन और हमारे सूबेमें जनमत संग्रह करानेके पक्षमें थे। सरदार कहते थे कि मुझे इसके बारेमें कुछ परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। मौलाना आजादने, जो मेरी बगलमें बैठे हुए थे, मुझे उदास देखकर कहा कि, 'अब आपको मुस्लिम लीगमें शामिल हो जाना चाहिए।' मुझे यह जानकर बड़ा दुःख हुआ कि हमारे ये साथी हमें क्या समझते हैं। जिन उद्देश्योंके लिए हम वर्षोंसे लड़ते रहे हैं उनके प्रति इनका कैसा दृष्टिकोण है। क्या वे यह कल्पना करते थे कि हम सत्ता प्राप्त करनेके लिए अपने सिद्धान्तोंको छोड़ सकते हैं? कार्यसमितिके निर्णयके बाद मैंने महात्माजीसे बड़े ही अफसोसके साथ शिकायत की कि 'आपने हमें भेड़ियोंके सामने फेंक दिया है।' गांधीजीने बड़े ही व्यथित हृदयसे उत्तर दिया कि मेरा पूर्ण विश्वास है कि यदि सीमाप्रान्तके साथ न्याय नहीं किया गया और खुदाई खिदमतगारोंपर अत्याचार किया गया तो भारत उनकी मदद करनेके लिए वचनबद्ध है और जहाँतक मेरा सवाल है मैं भारत सरकारको इस मामलेको अपने निजी मामलेके रूपमें ग्रहण करनेकी सलाह देनेमें न हिचकूँगा। गांधीजीने आगे मेरे पुत्रसे भी अपना यही वक्तव्य दुहराया था। जब गनीने उनसे पूछा कि वैसी सूरतमें आपकी अहिंसाका क्या होगा तो गांधीजी-ने उससे कहा था कि इस मामलेमें हमारी अहिंसाके बारेमें परेशान होनेकी जरूरत नहीं है। 'मैं अहिंसक हूँ सरकार नहीं।

कांग्रेस कार्यसमितिका फैसला कांग्रेस प्रेसिडेण्टने वाइसरायको एक पत्रमें भेजा। इसमें यह वक्तव्य भी निहित था "हमारा सदाकी भाँति आज भी अखण्ड हिन्दुस्तानमें विश्वास है। हम तहे दिलसे यह विश्वास करते हैं कि जब मौजूदा भावनात्मक उत्तेजनाएँ समाप्त हो जायेंगी और हमारी समस्याओंपर समुचित परिप्रेक्ष्यमें विचार किया जायगा तो उसमें भारतके सभी हिस्सोंका स्वेच्छिक एकीकरण हो जायगा।'

नेहरू और पटेलने विभाजनको यह सोचकर स्वीकार किया था कि पाकिस्तान मान लेनेपर जिनासे उनका पिण्ड छूट जायगा और फिर उनका नाम सुनने को न मिलेगा। नेहरूने निजी रूपसे इस सबंधमें कहा था कि, 'सिर काटकर हम सिरदर्दसे छुटकारा पा लेंगे।'

जिनाकी अध्यक्षतामें मुस्लिम लीग कौंसिलने ब्रिटिश सरकारके प्रस्तावको अमनचैन और शान्तिके हितमें एक समझौते के रूपमें स्वीकार किया और बंगाल तथा पंजाबके विभाजनपर खेद प्रकट किया।

३ जूनकी शामको लार्ड माउण्टबेटन और उनके बाद नेहरू तथा जिनाने

रेडियोपर जनताके नाम भाषण किये। नेहरूने कहा कि सभीको भारतका अंग-भंग करना. बिलकुल पसंद न था किन्तु वे यह नही देख सकते थे कि वरावर भारतका खून वहता रहे। इन परिस्थितियोमे इसका शल्य उपचार अनिवार्य हो गया।

जिस समय नेतागण रेडियोपर भापण करनेवाले थे उसके ठीक पहले गाधीने अपनी प्रार्थना-सभाके भापणमे कहा कि नेतागण आलोचनासे परे नही है। उन्होंने नेहरूको 'अपने राजा' के रूपमे चर्चा करते हुए कहा कि "हमे उन सभी वातोसे प्रभावित नही होना चाहिए जो राजा करता या न करता हो। यदि वह किसी अच्छी वातकी सलाह देता है तो हमे उसकी तारीफ करनी चाहिए। यदि वह ऐसा नही करता तो उसे स्वयं उसे कहना पडेगा।"

ब्रिटेनके सम्राट्की सरकारकी घोपणामे निरूपित योजनापर भापण करते हुए गाधीने ४ जूनको कहा कि मैंने वार-वार इस बातपर जोर दिया है कि शक्ति-प्रदर्शनके सामने जरा भी झुकना विलकुल गलत है। काग्रेस कार्यसमिति-का कहना है कि वह शस्त्रोके शक्ति-प्रदर्शनके सामने नही झुकी है, उसे परिस्थि-तियोके दवावके सामने झुकना पडा है। वहुसंख्यक काग्रेसजन यह नही चाहते थे कि वे अनिच्छुक भागीदारोके साथ कार्य करे। उनका आदर्श अहिंसा है अतएव वे जोर-जवर्दस्तीकी नीतिपर नही चल सकते। अतएव वे वर्तमान महत्त्वपूर्ण समस्याके उलटे-सीधे सभी पहलुओपर सावधानीसे विचार कर भारतीय संघके उन भागोको उससे अलग करनेके लिए अनिच्छापूर्वक तैयार हो गये जिन्होने संविधान-सभाका वहिष्कार कर रखा था। इसके वाद उन्होने मुस्लिम लीगकी गलत नीतिपर दु.ख प्रकट करते हुए कहा कि उसे हिन्दू प्रभुत्वका डर था और वह गलतीसे यह कहती है कि वह अपने देशमे अपनी हुकूमत चलायेगी। अस-लियत तो यह है कि भारत उन सभी लोगोकी मातृभूमि है जो यहाँ जन्मे और बड़े हुए हैं। क्या मुसलमान उससे अलग होकर रहेगे ? क्या पजाव वहाँके हिन्दुओ, सिखो, ईसाइयो, यहूदियो और पारसियोकी भी मातृभूमि नही है ?

गाधीजीने कहा कि जो कुछ हुआ है उसके लिए मै लार्ड माउण्टवैटनको दोष नही दे सकता। वाइसरायने तो साफ-साफ कहा था कि वे अखण्ड भारत चाहते है किन्तु चाहे कितनी भी अनिच्छासे ही क्यो न हो जव काग्रेसने मुसलमानो की स्वतन्त्र स्थिति कवूल कर ली तो वे लाचार हो गये।

गाधीने कहा कि वाइसरायने यह कोशिश करनेमे कुछ भी न उठा रखा कि जनता १६ मईके कैविनेट मिशनके वक्तव्यको कार्यान्वित करे किन्तु वे इसमे

असफल हो गये। किन्तु इस स्वीकृत तथ्यके सामने मेरा और आप लोगोंका क्या कर्तव्य होता है? मैं इसलिए कांग्रेसका सेवक हूँ कि मैं देशका सेवक हूँ। अत मैं कभी उसके प्रति अनिष्ठा नहीं रख सकता। जवाहरलाल और वाइसरायने कहा है कि किसीपर कोई चीज़ जबदस्ती नहीं लादी गयी है। घोषणामें जिस समझौतेका उल्लेख हुआ है वह सभी पार्टियों द्वारा स्वेच्छापूर्वक किया गया है। उसे आगे चलकर कभी भी पारस्परिक सहमतिसे बदला जा सकता है। आपने मुस्लिम लीगसे अपील की कि चूँकि अब उसकी इच्छा पूरी हो गयी है अत अब वह विभिन्न पार्टियोंमें बीच बचाव करानेके भारी कार्यसे वाइसरायको मुक्त कर दे। अब हर तरहकी हिंसा बंद हो जानी चाहिए और कायदे आजम जिनाको कांग्रेसी नेताओंको बुलाकर आगामी कार्योंको सर्वोत्तम ढंगसे करनेके लिए उनके साथ विचार विमर्श करना चाहिए।

जनमत-संग्रह

१९४७

तीसरी जूनकी योजनाकी घोषणाके तत्काल वाद खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा "यह मुस्लिम लीगके लिए विजय हो सकती है किन्तु इससे इस्लामकी विजय नही होती। इससे दो हिन्दुस्तान होनेवाले है जिनमे हर एकको तबतकके लिए डोमिनियन स्टेट्स प्राप्त होगा जवतक उनकी संविधान सभाएँ अपना फैसला नही दे देती। पठान एक दिनके लिए भी डोमिनियन स्टेट्स नही चाहते। वे अपना स्वतन्त्र सविधान वनाना पसन्द करेंगे और भारतके उस भागके साथ रहेंगे जो मुकम्मल आजादी हासिल करेगा। पठान सारी दुनियाके दोस्त होगे और किसीके दुश्मन न होंगे। जनमत-संग्रहका कोई सवाल नही उठता। लेकिन मै इसका किसी भी दिन स्वागत करनेको तैयार हूँ बशर्ते इसे डरा-धमकाकर या बाहरी दबावसे न कराया जाय। सारा हिन्दुस्तान जानता है कि सरहदी सूबेको हालमे कैसी तकलीफें झेलनी पड़ी है और अब आगे भी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए मेरी सलाह यह है कि जवतक सियासी माहौल साफ नही हो जाता सरहदी सूबेको अकेला छोड़ दिया जाय। जब हिन्दुस्तानके दोनो हिस्से अन्तिम आजादी या ब्रिटिश राष्ट्रमण्डलकी सदस्यताके सम्बन्धमे अपना फैसला कर लें तब उससे अपने विकल्पकी घोषणा करनेके लिए कहा जा सकता है।"

गाधी खान बन्धुओकी बातोको पूरी तरह मानते थे। उनके खयालसे इस समय जो घटनाएँ घट रही है धर्मोन्मादी लोग प्रस्तावित जनमतसंग्रहका नाजायज फायदा उठायेंगे। मौजूदा स्थितिमे पठानोसे पूछा जायगा कि वे हिन्दुओके साथ रहेंगे या मुसलमानोके साथ? काग्रेस हिन्दू संघटन नही है किन्तु भोलाभाला पठान मौजूदा उलझन और अस्पष्टतामे इस फरकको नही समझ पायेगा। ब्रिटिश अफसरोकी मददसे मुस्लिम लीगका प्रचार बरावर बढता जा रहा है। लार्ड माउण्टवैटनके निजी कर्मचारियोके प्रधान लार्ड इस्मेके अनुसार उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तकी स्थिति वर्णसंकर जैसी है। वह मुस्लिमवहुल प्रान्त है फिर भी वहाँ काग्रेस मन्त्रिमण्डल पदारूढ है। गवर्नर सर ओलफ कैरो मुस्लिम लीगकी तरफदारी कर रहे हैं। सोमवार, २ जून १९४७ को गांधी एकाएक वाइसराय-से मिलने चले गये। वे खासकर उन्हे गवर्नरको हटानेके लिए खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार

खाँ द्वारा दिया गया सन्देश देने गये थे। कांग्रेसी नेता और वाइसराय इसके लिए व्यग्र थे कि कहीं गांधी भारतका अङ्गभङ्ग रोकनेके लिए अपने अन्तिम प्रयासमें कोई बड़ा कदम न उठा लें। एलन कैम्पबेल जान्सनने लिखा है "इस मुलाकातमें माउण्टबेटन बड़े भयभीत थे। आप इस बातकी कल्पना कर सकते हैं कि जब महात्मा गांधीने प्रयोगमें आ चुके अनेक लिफाफोंकी पीठपर लिखकर यह बताया कि मैं आज मौन रहता हूँ तो यह जानकर माउण्टबेटनको कैसा आश्चर्य हुआ होगा और कितनी राहत मिली होगी।' महात्मा गांधीने उन लिफाफों पर लिखा था मुझे आपसे दो विषयोंपर जरूरी बातें करनी हैं किन्तु मैं आज वार्ता नहीं करूँगा। किन्तु यदि हमारी फिर मुलाकात हुई तो मैं इनकी जरूर चर्चा करूँगा। *श्री कैम्पबेलने इस महत्त्वपूर्ण सन्देशका उल्लेख नहीं किया* है जिसे महात्मा गांधीने उन लिफाफोंपर लिखा था बादशाह खाँ मेरे साथ भंगी कोलोनीमें ठहरे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा है कि 'आप वाइसरायसे कहें कि वे गवर्नरको हटा दें। जबतक वे विदा नहीं हो जाते हमें शान्ति नहीं मिलेगी।' मुझे नहीं मालूम कि उनका यह कहना सही है या गलत किन्तु वे सत्यवादी व्यक्ति हैं। यदि इसे किया जा सकता है तो इसे सरकारको या आपको कर देना चाहिए।'

तीसरी जूनकी योजनाके अन्तर्गत जनमतसंग्रहकी शर्तोंमें जबतक लीगकी सहमति न हो कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था और कांग्रेस उस समय इस कोई समस्या बनानेको तैयार नहीं थी। खान अब्दुल गफ्फार खाँकी यह दृढ भावना थी कि मौजूदा परिस्थितियोंमें जनमतसंग्रहमें भाग लेना न केवल निरर्थक है बल्कि खतरनाक भी है। फिर भी अपने कांग्रेसी सहयोगियोंका अनुरोध स्वीकार कर उन्होंने इस समस्याको जिरगाके सामने रखना मान लिया।

कांग्रेस हाई कमानकी रायमें पठानोंकी स्वायत्तताकी रक्षाके लिए उनके सामने केवल यही रास्ता है कि वे जनमतसंग्रहमें अपनी पूरी शक्तिसे भाग लें और उसमें विजय प्राप्त करें। अन्यथा भारतसे अलग रूपमें सीमाप्रान्तके सदैव के लिए उनकी पराजय हो जायगी। किन्तु सीमाप्रान्तको भारतका अंग बनाकर रखना गांधीजीका कभी उद्देश्य न था। वे उसकी रक्षा स्वयं पठानोंके लिए करना चाहते थे। वे उसकी रक्षा अहिंसाके उस आदर्शके लिए करना चाहते थे जो खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनके बीच मैत्रीका एकमात्र आधार था। उनके खयालसे सीमाप्रान्त बहादुरोंकी अहिंसाका एक उदाहरण प्रस्तुत कर एक दिन भारत और पाकिस्तान दोनोंके लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है और

दोनोके बीच एक सुनहले सेतुका कार्य कर सकता है। उन्होंने अपनी निजी हैसियतसे इस उद्देश्यकी सिद्धिमे लार्ड माउण्टबैटनकी सेवाओका उपयोग करनेकी कोशिश की। ६ जूनको लार्ड माउण्टबैटनसे हुई एक मुलाकातमे गाधीने उन्हे सुझाव दिया कि वे जिनासे निम्नलिखित विचारोके आधारपर बातचीत करे .

"मुझे इसकी बडी चिन्ता है कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमे जनमतसंग्रह करानेसे व्यापक रक्तपात और पठान भाइयोमे परस्पर रक्तरंजित संघर्ष होगे और मै चाहता हूँ कि किसी प्रकार इसका टाला जाना संभव हो जाय। अब चूंकि आपको अपना पाकिस्तान मिल गया है क्या आपके लिए यह विवेकपूर्ण कार्य न होगा कि आप स्वयं सीमाप्रान्त चले जायें और वहाँकी जनतासे, चाहे वह किसी भी पार्टीकी हो, और वर्तमान मन्त्रिमण्डल तथा उसके समर्थकोसे सीधे वार्ता करे? आप उन्हे समझा सकते है कि पाकिस्तान, जो अभीतक एक खामखयालीकी चीज थी, वस्तुत क्या है और इस प्रकार आप यह आशा कर सकते है कि सीमा-प्रान्त पाकिस्तानका एक प्रान्त बनना स्वीकार कर ले और उसे अपना प्रान्तीय संविधान बनानेकी पूर्ण स्वाधीनता रहे।

"यदि आप अपने इस समझाने-बुझानेके प्रयासमे सफल हो जाते है तो प्रस्तावित जनमत संग्रह और उससे होनेवाली सारी उलझनें टाली जा सकती है। यदि आप इस सुझावको मानना पसंद करते हो तो मै आपको इसका पूर्ण विश्वास दिला सकता हूँ कि खान बन्धु और उनके अनुयायी आपसे दोस्तोकी तरह मिलेगे और आपकी बाते ध्यानपूर्वक सुनेगे।"

गाधीने यह अनुरोध किया कि यदि वे जिनाको मेरी यह अपील मनवानेमे सफल न हो सके तो कमसे कम उन्हे इस तथ्यकी जानकारी तो अवश्य करा दी जाय ताकि वे सारी स्थितिपर फिरसे विचार करे। उन्होंने कहा कि जनमत संग्रहके फलस्वरूप होनेवाले रक्तरंजित संघर्षोकी संभावनासे खान अब्दुल गफ्फार खाँ इतने चिन्तित है कि इसे समाप्त करनेके लिए अपनी प्रतिष्ठाके अनुरूप किसी हदतक जा सकते हैं। अन्तमे वे अपने भाई और मन्त्रिमण्डलके उनके साथियोसे इस्तीफा देने तथा वाइसरायसे सीमाप्रान्तको अनुच्छेद ९३ के अन्तर्गत रखनेके लिए भी कह सकते है।

सीमाप्रान्तकी समस्याको लेकर गाधी और कांग्रेस हाई कमानके बीच उपस्थित मतभेद चरम सीमापर पहुँच गया। ६ जूनकी रातको वल्लभभाई पटेलने उनसे एक घण्टेतक बातचीत की। दूसरे दिन गाधीने नेहरूको लिखा "हम जितनी बार मिलते हमारी यह धारणा उतनी ही दृढ होती जाती है कि हमारे

बीच विचारोंकी खाई आशकास भी अधिक गहरी ह । सरदार कहते ह कि वत मान स्थितिके अधिकाशत आप ही जिम्मेदार हैं । उनकी रायमें बादशाह खाँ का प्रभाव घट रहा ह । बादशाह खाँसे मिलनेपर मुझे ऐसी कोई बात नही दिखाई देती। वे आज जिस भी रूपमें ह उस रूपम वे गुरूसे है। निस्सन्देह आज उनमें पहलेकी अपेक्षा अधिक दृढता ह । मैं यह भी अनुभव करता हूँ कि बादशाह खाँके बिना डाक्टर खान साहब और उनके सहयोगी कहींके न रह जायगे । जहाँ-तक काग्रेसके प्रभावका सबध है उन्हीका महत्त्व ह ।" लाड माउण्टबटनके साथ हुई अपनी वार्ताका उल्लेख करते हुए उन्होन आगे लिखा "यदि कायदे आजम सीमाप्रान्त नही जाते और बादशाह खाँ, उनके भाई तथा उनके अन्य सहयोगियोको राजी करनेका प्रयास नही करते तो सीमा-प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल तथा ससदके बहुसख्यक सदस्योका इसी आधारपर इस्तीफा दे देना चाहिए कि इस समय जनमत सग्रह करानेसे व्यापक रक्तपात होगा और सभव ह कि इससे वहाँ रक्तरजित पारस्परिक सघर्षोंका स्थायी सिलसिला आरभ हो जाय इसलिए इसे दूर करनेके लिए मानवीय दृष्टिसे जो भी सभव हो उसे करना चाहिए। राजकुमारी अमृतकौरका कहना ह कि आपका विचार इससे भिन्न ह। आपके विचारसे इसी समय जनमत सग्रह होना चाहिए । इससे रक्तपात नही होगा बल्कि मेरे विचारोंके कार्यान्वयनसे ही रक्तपातकी सभावना अधिक ह । म इस विचारसे सहमत नही हो सकता। मने बादशाह खाँसे कह दिया ह कि यदि इस सबधमे मैं आपको अपने विचारोसे सहमत नही कर पाऊँगा तो मैं सीमा प्रान्तीय सलाह मशविरेसे दूर हो जाऊँगा और आगे इस सबधम आप ही उनका मागदशन करेंगे । म अपनेको उनके और आपके बीचमे नही डालूगा और न डाल सकता हूँ। आखिर आप ही तो उन्हें मेरे पास लाये हं ? अब आप ही फैसला करेंगे और मुझे सूचित करेंग ।'

नेहरूने उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तकी स्थितिके सबधम अपने विचार विस्तार पूवक गाधीके पास लिखकर भेजे थे । उसका निचोड यह था कि मुख्यत मुस्लिम लीगके आन्दोलन और अशात गवनरके आग्रहसे दो महीने पहले नये सिरसे चुनाव करने और अनुच्छेद ९३ के अन्तगत शासन लागू करनेका सवाल उठा । काग्रेस हाई कमानने इसपर तीव्र आपत्ति की थी जिससे यह प्रस्ताव छोड दिया गया । सीमाप्रान्तमें मुस्लिम लीग आन्दोलनको अनेक तरीकोसे अग्रेज और भारतीय अफसरोंका प्रोत्साहन मिलता रहा ह । यदि यह सहायता न मिलती होती तो इससे आसानीसे निबटा जा सकता था । 'इसमें कोई सन्देह नही ह कि सीमा प्रान्तीय अधिकारी प्रान्तीय सरकारको सहयोग देना तो दूर रहा कभी-कभी उसके

काममें अडंगा भी डालते रहे है। सीमाप्रान्तमे उनकी सहानुभूति मुस्लिम लीग-के नेताओके साथ है। उनमेसे कई तो ब्रिटिश सरकारके पुराने निष्ठावान् सेवक रहे है और उनका उससे घनिष्ठ संवंध रहा है। पिछले कुछ महीनोमे इन अधिकारियोके संवधमें एक कठिनाई उत्पन्न हो गयी है। यह अच्छी तरह मालूम है कि ये लोग अव विदा हो रहे है किन्तु अभीतक उनकी विदाईकी कोई तारीख निर्धारित नही हुई है। उनके वारेमे जनताकी इतनी शिकायत है कि अव मामला एक-दाको हटा देनेका नही रह गया है वल्कि यह सभी अधिकारियोका वन गया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि जो थोड़ेसे अविकारी हटा भी दिये जाते फिल-हाल वे भी वने हुए है। किसी भी हालतमे प्राय वे सभी अधिकारी सीमाप्रान्त-से शीघ्र ही विदा होनेवाले है अतएव हमे अपने आगेका कार्यक्रम इसी आधार-पर वनाना चाहिए। इस सवालको इस समय उठानेमे कोई तुक नही है।"

नेहरूने आगे लिखा कि जनमत संग्रहका सवाल 'ठीक-ठीक पाकिस्तानके मसले' पर नही उठा है वल्कि हालमे हुए कुछ परिवर्तनो और अखिल भारतीय स्थितिमे हुए नये विकासके कारण ही यह प्रश्न उपस्थित हुआ है। फिर भी काग्रेस हाई कमानका दृष्टिकोण इस सवंधमे यही रहा है कि, "दूसरी वातोके अलावा जवतक मुस्लिम लीगका आन्दोलन पूरी तरह वंद नही होता और प्रान्तीय सरकारकी राय नही ले ली जाती सीमाप्रान्तमे किसी तरहका वास्तविक चुनाव नही हो सकता है।" इसके वाद भारतमे परिवर्तन किये जानेकी मुख्य योजनाका विकास होता है। इसका परिणाम संभवत. यह होनेवाला है कि पश्चिमी पजाव भारत संघसे अलग हो जायगा जिसका मतलव यह होगा कि सीमाप्रान्त भारत संघसे व्यावहारिक दृष्टिसे कट जायगा। "इससे एक नयी स्थिति पैदा हो गयी और फिर यह कहा गया कि इस नयी स्थितिको देखते हुए सीमाप्रान्तमे यह जाननेके लिए जनमत संग्रह कराना जरूरी हो जाता है कि वह किस सविधान सभामें शामिल होना चाहता है। अतएव यह प्रस्ताव केवल सीमाप्रान्तके लिए न होकर एक वृहत्तर योजनाका अंग वन जाता है जिसके अनुसार सीमाप्रान्त, वलूचिस्तान और सिलहटमे जनमत संग्रह करानेकी व्यवस्था की गयी है। मौजूदा विशिष्ट परिस्थितियोके वावजूद यह एक तर्कसगत एव विवेकसगत प्रस्ताव प्रतीत होता है।"

"इस तरह सीमाप्रान्तमें जनमत सग्रह करानेका प्रश्न पंजाव और वंगालके संवंधमें किये गये 'कुछ पूर्वकालीन निर्णयोपर निर्भर है।' किन्तु इसकी पूरी संभावना है कि वगाल और पंजावके कुछ भाग भारत संघसे अलग हो जानेका

ही फैसला करेंगे अत हमें यह मानकर चलना चाहिए कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रातका फसला जाननका मशाल अवश्य उठेगा। वतमान स्थिति यह ह वि ब्रिटिश सरकार और वाइसराय इस जनमत सग्रहक लिए निश्चित रूपसे वचनबद्ध हैं और हममेंसे भी कुछ लोग क्मा-वेग इसी रूपमें वचनवद्ध ह । अत जनमत सग्रहका सवाल बिलकुल तय जसा लगता ह और यह साफ नही ह वि आखिर हम इसके बाहर कसे जा सकते ह । वाइसरायके लिए तो यह और भी कठिन ह । इस योजनामें काई परिवतन करनेसे बडे पमानेपर सघप हो सकता ह । अतएव हमें यह मान लेना चाहिए कि जनमत सग्रह होकर रहेगा ।"

जनमत सग्रहके दौरान शातिपूण परिस्थितियाँ कायम रखनेके लिए नेहरूने वहा कि इस बाहरमे बुलाये गये अग्रेज सनिक अधिकारियोंके तत्त्वावधानम कराया जाना चाहिए । प्रातीय सरकार इस जनमत सग्रहकी व्यवस्थाके साथ घनिष्ठ रूपसे सम्बद्ध रहेगी। सामायत मैं ऐसा नही सोचता हूँ कि किसी बडे हिंसात्मक सघप' की सम्भावना ह । म यह भी निश्चयपूवक नही वह सकता कि इस जनमत सग्रहका क्या परिणाम होगा किन्तु सीमाप्रान्तसे लौटनेके बाद काम्सरायने मुझसे कहा था कि गवनरसे लेकर नीचक सभी अग्रेज अधिकारियाने, जो काग्रेसके विरोधी ह अपनी यह राय जाहिर की ह कि काग्रेस और लीग दोनाको करीब करीब बराबर-बराबर मत मिलनेकी सम्भावना ह । ऐसी सूरतम हो सकता ह कि काग्रेस ही विजयी हो जाय किन्तु मुझ ऐसा प्रतीत होता ह कि इस सम्बधमें कुछ निश्चित रूपमे नही कहा जा सकता ।

'सीमाप्रान्तके लोगोसे पूण प्रभुतासम्पन्न स्वतत्रताके लिए मतदान करनेकी अनुमति देनेके सम्बधम यदि काई प्रस्ताव रखा जाय तो इमस कुछ कठिनाइयाँ पदा हो जाती हैं ।' वाइसरायन कहा कि इमस म तभी सहमत हो सकता हूँ जब दोना पार्टियाँ सहमत हो जाय । जब वाटरके सामने तीन तरहके सवाल रख दिये जायँगे ता इससे वह कुछ उलझनम पड जायगा । इसम मत भी विभाजित हो सकते हैं ।

जहाँतक इस मुकावका सम्बध ह कि सीमाप्रातीय काग्रेस जनमत सग्रह का बहिष्कार कर द नेहरूजीने यह तक उपस्थित किया कि "इमका सीधा अथ होगा उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तम मुस्लिम लीगका प्रभुत्व स्वीकार कर लेना अर्थात व्यवहारत मुस्लिम लीग आन्दोलनके सामने आत्म-समपण कर देना ।" उन्होंने आगे कहा यह कहना ता कठिन ह कि इसम शान्तिपूण परिस्थितियो का निर्माण हो सकेगा या नहीं किन्तु म ऐसा समझता हूँ कि इस तरहका बहिष्कार

या आत्मसमर्पणसे संघर्ष और रक्तपातकी सम्भावना अधिक बढ जायगी क्योकि मुस्लिम लीग इस आत्मसमर्पणको लीगकी एक भारी विजय मानकर जश्न मनायेगी। तव उसके इस दावेका औचित्य प्रमाणित हो जायगा कि वर्तमान मन्त्रिमण्डल प्रान्तकी अधिकाश जनताका प्रतिनिधित्व नही करता। यदि जनमतसंग्रह अथवा उसके वहिष्कार द्वारा प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलके विरुद्ध फैसला सामने आ जाता है तो उसका कायम रह पाना कठिन प्रतीत हो रहा है। सम्भवत, प्रातीय विधानमण्डलके लिए तुरन्त ही चुनाव करानेका प्रश्न उठ खडा होगा। जनमत संग्रहकी उपेक्षा करके हम संकट और कठिनाईकी उपेक्षा नही कर सकते और इससे प्रान्तीय मन्त्रिमण्डल भी कायम नही रह सकता। चुनाव तो अपने सभी सम्भाव्य अशुभ परिणामोके साथ ही सम्पन्न होता है। इसे छोडकर दूसरा एकमात्र विकल्प यही रह जाता है कि शान्तिपूर्ण ढगसे पाकिस्तानकी कल्पनाके सामने आत्मसमर्पण कर दिया जाय किन्तु मुझे इसमे वडा सन्देह है कि अधिकाश पठानो को यह कवूल हो सकता है।''

नेहरूने यह वात जोर देकर कही ''सीमाप्रान्तका भविष्य लम्बे अरसे के लिए निश्चित होने जा रहा है। ऐसी हालतमे जनमत सग्रहसे अलग रहनेका निश्चय वहुत ही गलत होगा। उसपर भी इस निर्णयको लोकतान्त्रिक ढंगसे न कर लेना तो और भी गलत है।'' नेहरूकी टिप्पणीमे आगे कहा गया, ''मुझे तो हिंसाको दूर करने और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमे स्वय अपने भविष्यके सम्वन्धमे यह कार्य-पद्धति वहुत ही खतरनाक दिखाई देती है। लोकतान्त्रिक ढंग से लडाई लडने और उसमे हार जानेसे हम बहुत समयके लिए कमजोर नही होगे और हम आगे चलकर अपना संघर्ष दूसरे तरीकोसे चला सकते है। लेकिन परिणामोके डरसे संघर्ष ही छोड देना हमारी दृढताके अभावका द्योतक होगा और इससे उस संघटनका अन्त हो जायगा जो इस मसलेका सामना करनेमे असमर्थ होगा। इन सारी परिस्थितियोपर विचार करते हुए मुझे यही प्रतीत होता है कि अब जनमत संग्रहको स्वीकार कर लेना और अपनी पूरी ताकतसे उसके लिए तैयारी करना ही हमारे लिए एकमात्र सही रास्ता रह जाता है। हमे इसमे विजय प्राप्त करनेकी पूरी सम्भावना है। हमे इस नारेके साथ जनमत संग्रहमे शामिल होना चाहिए कि हम सीमाप्रान्तमे व्यापकतम स्वाधीनता और स्वतन्त्रता चाहते है। यद्यपि यह पूर्ण प्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्रताका सीधा सवाल नही है फिर भी यह उसीका एक वदला हुआ रूप है जिससे हमे आगे चलकर वडी सहायता मिलेगी। व्यावहारिक बात तो यह है कि पश्चिमी पंजावमे पाकिस्तान वन जाने

के बाद और भारतका सीमाप्रान्तसे पूर्णत सम्बद्ध विच्छेद हो जानेके बाद उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तम इस सम्बन्ध विच्छेद तथा अन्य कारणोसे उसे पर्याप्त मात्रामें स्वायत्तता और स्वतन्त्रता मिल जायगी।

इस तरह नहरूके अनुसार काग्रेसके सामने जनमत सग्रहको स्वीकार कर उसमें शामिल होनेके बावजूद और कोई रास्ता नही था। "यदि इस रास्तेको स्वीकार करनेमे रक्तपातका खतरा ह तो अन्य रास्तोके अख्तियार करनेपर यह खतरा और बढ जाता ह। जिस रास्तेका म सुझाव दे रहा हूँ वह लडाईको बहादुरी और स्पष्ट रूपमें शान्तिपूवक स्वीकार करनेका रास्ता ह। जिस समय अन्तिम निणय किये जा रहे हो उस समय सघर्षसे दूर रहनेका नतीजा हमारी जनताके *लिए गम्भीर मनोवज्ञानिक क्षतिके रूपमें हमारे सामने आयेगा।"*

काग्रेसी नेताओके निणयको प्रभावित करनेमें उस समय उपस्थित कठिन स्थितिकी वाध्यता और उस स्थितिमें लाड माउण्टबटन द्वारा अदा की गयी *भूमिका नजर आती ह। नेहरूकी टिप्पणीमें आगे कहा गया था* 'कुछ हदतक लाड माउण्टबटन स्वभावत अतीत और वतमानकी व्यवस्थासे आबद्ध थे किन्तु वे सही दिशामें आगे बढनेके लिए यथासम्भव पूरा प्रयत्न कर रहे है। वे सीमाप्रान्तकी समस्याकी कठिनाइयाँ अच्छी तरह समझते हैं और अपनी शक्तिके अनुरूप उनके समाधानके लिए सब कुछ करना चाहते ह। उनका दढ विश्वास ह कि भारतके कुछ भागोके उससे अलग हो जानेके कारणउत्पन्न परिस्थितियोमें सीमाप्रान्तकी जनताको जनमत सग्रह द्वारा फैसला करनेका एक मौका अवश्य मिलना चाहिए। वे स्वय इसमे वचनवद्ध ह और अपनी प्रतिष्ठा और निष्पक्षताको क्षति पहुँचाये बिना वे इससे मुकर नही सकते। वसी हालतमें वे इस्तीफा दे देना ही पसद करेंगे।

गाधीने ९ जूनको बडे दुखके साथ नेहरूको लिखा 'यदि म आपके सिद्धातोको स्वीकार करता होता तो मने सम्पूण रूपसे आपके साथ सहमति प्रकट की होती। मैं एक दूतके मारफत आपका सन्देश बादशाह खाँके पास भेज रहा हूँ। म अपने और कायसमितिके अन्य सदस्योके बीच उपस्थित दृष्टिकोण और विचारोकी विभिन्नतापर जितना ही विचार करता हूँ उतना ही यह अनुभव करता हूँ कि *मेरी उपस्थिति अनावश्यक ह क्या म दो या तीन दिनोमें बिहार वापस नही जा सकता?* सम्मेलनके मूलको आर सकेत करते हुए उन्होंने नेहरूसे पूछा *'क्या आपके लिए पाकिस्तानका तस्वीरको जनताके सामने रखे बिना जनमत-सग्रह कराये जानेपर जोर देना ग़लत न होगा'*

गांधीने लार्ड माउण्टबैटनको यह लम्बा पत्र लिखा .

"यद्यपि आपने कृपापूर्वक मुझे लिखा है कि मै जब चाहूँ आपसे मिल सकता हूँ किन्तु मै आपकी इस कृपाका लाभ उठानेमे असमर्थ हूँ। मै कुछ ऐसी बातोको लिखित रूपमे आपके सामने रख देना चाहता हूँ जिन्हे मै योजनाके समुचित और त्वरित कार्यान्वयनके लिए आवश्यक समझता हूँ

"१ जहाँतक सीमाप्रान्तमे जनमत-संग्रहका प्रश्न है मै यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे विचार पण्डित नेहरू और उनके साथियोंसे मेल नही खाते। जैसा कि मैने आपसे बताया था कि चूँकि मेरा प्रस्ताव उन्हें स्वीकार्य नही है अत इसके साथ आगे बढनेका मेरा उत्साह नही रह गया है।

"२ फिर भी इसका मेरे इस दूसरे प्रस्तावपर कोई प्रभाव नही पडता कि जनमत-संग्रह करानेके पहले आपको कायदे आजम जिनासे कहना चाहिए कि वे सीमाप्रान्त जायँ और वहाँ बादशाह खाँ और उनके खुदाई खिदमतगारोंको, जिन्होने प्रान्तको जैसा भी वह अच्छा या बुरा बन पाया है उसके बनानेमे हाथ बँटाया है, अपने पक्षमे करनेके लिए राजी करे। यह ठीक है कि वहाँ जानेके पहले उन्हे इस बातका आश्वासन मिलना चाहिए कि वहाँ लोग उनकी बातोको हृदयसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे।

"३ चाहे उन्हे यह विचार पसन्द हो या नही कायदे आजमसे यह कहा जाना चाहिए कि सीधे और सरल पठानोंसे यह कहनेके पहले कि वे हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके बीच अपना चुनाव कर लें, वे अपनी पाकिस्तानकी योजनाका सही तस्वीर उनके सामने रखे। यदि श्री जिना इसके लिए तैयार नही होते तो इस समय वहाँ जो कांग्रेस और संविधान सभा कार्य कर रही है उसे ही भविष्यकी पूरी तस्वीर वहाँकी जनताके सामने रखनेके लिए कहा जाना चाहिए। मेरी यह आशका है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके सम्बन्धमे बिना यह जाने हुए कि वे वस्तुत क्या है उनके बीच चुनाव करनेकी बात कहना अनुचित है। वहाँके निर्वाचकोको कमसे कम इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसका स्वरूप कहाँ पूरी तरहसे रक्षित रहेगा।

"४ अभी सीमाप्रान्तमे कोई शान्ति नही है। जबतक वहाँ उपद्रव और कलहकी स्थिति नही समाप्त हो जाती क्या सच्चा जनमतसग्रह हो सकता है? इस समय लोगोके दिल-दिमाग इतने उत्तेजित है कि वे समग्र दृष्टिसे किसी बात-पर विचार नही कर सकते। अपने अनुयायियो द्वारा किये गये उपद्रवोके लिए कांग्रेस या लीग कोई भी जिम्मेदारीसे मुक्त नही हो सकती। यदि इस प्रदेशमे

शान्ति स्थापित नहीं हो जाती तो सारी इमारत धराशायी हो जायगी और विभाजनके बावजूद आप एक एसी विरासत छोड़ जायेंगे जिसपर आप गर्व न कर सकेंगे।"

गांधीने सरहदी सूबेके सम्बन्धमें नेहरू द्वारा की गयी टिप्पणी अपने इस मन्तव्यके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास भेज दी "यह मेरे और उनके बीच उपस्थित मतभेदका परिणाम है। इन परिस्थितियोंमें मैं अब आपका मार्ग-दर्शन नहीं कर सकता। अब आप जैसा सर्वोत्तम समझें करें।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने इसी पत्रके साथ ही लिखे पेशावरसे ८ जूनको गांधीको यह पत्र लिखा था "मैंने अपने सभी प्रमुख कार्यकर्त्ताओंसे परामर्श किया है। हम सबका यह सुविचारित मत है कि हम तीसरी जूनकी योजनाके अनुच्छेद ४ में उल्लिखित समस्याओंपर जनमत-संग्रह करनेपर सहमत नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त इस प्रांतमें जैसी परिस्थितियाँ हैं उनके कारण जनमत-संग्रह करानेसे गम्भीर हिंसात्मक घटनाएं होंगी। हम लोग पाकिस्तानके भी विरुद्ध हैं और हम हिंदुस्तानके अंतर्गत एक स्वतंत्र पठान राज्यकी स्थापना करना चाहते हैं।

नेहरूकी टिप्पणी मिलनेपर उन्होंने गांधीको फिर ११ जूनको लिखा "आज शामको प्रांतीय कांग्रेस कमेटी कांग्रेस संसदीय दल और खुदाई खिदमतगारोंके सालारोंकी एक संयुक्त बैठक ४ घंटेतक हुई। प्रांतके सभी हिस्सोंके प्रतिनिधि इस मीटिंगमें शामिल थे। सबकी सम्मिलित राय यह है कि हमें जनमत संग्रहमें भाग नहीं लेना चाहिए। सबकी यही इच्छा है कि इस मसलेको पाकिस्तान या स्वतंत्र पठान राज्यके आधारपर बदल दिया जाय।'

१२ जूनको लार्ड माउण्टबैटनने गांधीजीको लिखा

"मैंने आपके द्वारा सुझाये आधारपर श्री जिनासे वार्ता की। उन्होंने मुझे आपको निम्नलिखित उत्तर भेजनेका अधिकार दिया है

श्री जिना आपके इस सुझावको सहर्ष स्वीकार कर लेंगे कि वे सीमाप्रांत जाकर पाकिस्तानका प्रश्न वहाँके नेताओं और जनताके समक्ष प्रस्तुत करें बशर्ते आप कांग्रेससे यह आश्वासन प्राप्त कर लें कि कांग्रेसी इसमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप न करेंगे।

"उन्हें यह भी स्वीकार है कि इस तरीक़ेसे जनमत-संग्रहका विचार त्यागा जा सकता है और उसके फलस्वरूप होनेवाले रक्तपातका खतरा रोका जा सकता है।'

गांधीने माउण्टबैटनको लिखा "मैने कायदे आजम जिनाको एक पत्र भेजा है कायदे आजमने मेरा सुझाव स्वीकार करनेके पूर्व जो शर्त रखी है उसके अभिप्राय बडे खतरनाक है अतएव यदि जिनाको यात्रा करनी ही है तो इसका उद्देश्य मन्त्रियो, बादशाह खॉ और उनके खुदाई खिदमतगारोको समझा-बुझाकर पाकिस्तानके सम्बन्धमे उनका मत-परिवर्तन करना होना चाहिए। किसी भी हालतमे इसे प्रचार-यात्राका रूप नही लेना चाहिए।"

गाधीने जिनाको जो चिट्ठी लिखी उसमे कहा गया था कि "हिज एक्सेलेंसी वाइसराय महोदयने मुझे लिखा है कि आप सीमाप्रात जाकर पाकिस्तान संबंधी अपने विचार वहांके नेताओ और जनताके सामने रखेगे। किन्तु इसके लिए आपने यह शर्त लगा दी है कि मैं पहले काग्रेससे यह आश्वासन प्राप्त कर लूँ कि वह कोई हस्तक्षेप न करेगी। मैं यह समझ नही पा रहा हूँ कि काग्रेससे यह आश्वासन कि वह हस्तक्षेप नही करेगी, प्राप्त करनेका क्या अर्थ है?"

जिनाने इसका बहुत ही संक्षिप्त उत्तर यो भेजा

"मै सोचता था कि आपके लिए मेरा यह अभिप्राय सुस्पष्ट होगा कि काग्रेस-को यह वचन देना होगा कि वह सीमाप्रातकी जनतामे किसी भी प्रकारकी दस्तन्दाजी न करेगी।"

गाधीने १४ जूनको जिनाको लिखा "मै सोचता था कि हिज एक्सेलेंसीने आपका अभिप्राय साफ तौरपर नही समझा है किन्तु अब मैं समझ रहा हूँ कि ऐसा सोचना मेरी गलती थी। मै काग्रेसको हाराकीरी (आत्महत्या) करनेके लिए नही कह सकता।"

एक संवाददाताने गांधीको लिखा कि आपने एक समय घोषणा की थी कि यदि भारतका अग-भग हुआ तो मै इसे अपने शरीरका विच्छेद मानूँगा। क्या अब आप दुर्बल हो गये है? सवाददाताने गाधीको प्रस्तावित विभाजनके विरुद्ध आन्दोलनका नेतृत्व करनेके लिए भी आमन्त्रित किया था। गाधीने उसे लिखा कि मै आपके इस व्यंग्यके लिए अपनेको दोषी नही मान सकता। जिस समय मैंने यह वक्तव्य दिया था मै जनमतकी आवाज ही बुलन्द कर रहा था। किन्तु जब जनमत ही मेरे विरुद्ध हो गया तो क्या मै उसके साथ जबर्दस्ती कर सकता हूँ? उक्त संवाददाताने आगे चलकर यह भी लिखा था कि आप अक्सर यह कहा करते थे कि असत्य और बुराईसे समझौता नही हो सकता। आपका यह कथन सत्य ही था। किन्तु इसके साथ ही साथ इसका प्रयोग भी निश्चित रूपसे सही होना चाहिए। इसके जवाबमे बडी ही बहादुरीसे गाधीने कहा था कि यदि गैर-

मुस्लिम जनता ही मेरे साथ हो तो मैं वह रास्ता दिखा सकता हूँ जिसपर चल कर प्रस्तावित विभाजन-योजनाको व्यर्थ किया जा सकता है। फिर भी म यह स्वीकार करता हूँ कि अब मैं पिछड गया हूँ या कमसे कम लोग मुझे ऐसा समझने लगे हैं। हमने पिछले तीस सालोसे जो सबक सीखा था हम उसे भूल गये हैं। हम यह भूल गये ह कि असत्यपर सत्यसे हिंसापर अहिंसासे, अधर्मपर धर्यसे और उत्तेजनापर शान्तिसे ही विजय पायी जा सकती ह। हम स्वय अपनी छायाओसे डरने लगे हं। कुछ लोगोने हमें विरोधका नेतत्व करनेको आमन्त्रित किया ह। किन्तु केवल विरोध करनेकी भावनाको छोडकर मुझे इसके लिए आमन्त्रित करनेवालोम और मुझमें दूसरी और कोई समानता नही ह। म जिस आधारपर विरोध करना चाहता हूँ वह मुझे आमन्त्रित करनेवालोके आधार से मवथा भिन्न है। क्या घृणा और प्रेमम कोई मेल बठ सकता ह?

जूनके मध्यमे अखिल भारतीय काग्रेस कायसमितिकी बठक दिल्लीमें हुई। कायसमितिके प्रस्तावके विरोधमें बडी उग्र भावनाएँ व्यक्त की गयी थी। अत गाधीके लिए इस विवादमें हस्तक्षेप करना आवश्यक हो गया। प्रतिनिधियोके समक्ष चालीस मिनटतक भाषण करते हुए गाधीजीने तीसरी जूनकी योजनाको स्वीकार करनेवाले प्रस्तावका जोरदार समथन किया। जो लोग देशमें तत्काल क्रान्ति या उथल-पुथल कर देनेकी बातें कर रहे ह वे इस प्रस्तावको ठुकराकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हं किन्तु प्रश्न यह है कि क्या उनमे काग्रेस और सरकारका सूत्र सभाल लेनेकी ताकत ह? उन्होंने कहा, 'जो भी हो मुझमें तो यह ताकत नही ह, अन्यथा मैं आज विद्रोहकी घोषणा कर देता।"

उन्होंने कहा कि योजनाके सबधमें मेरे जो विचार ह उन्हें सभी लोग जानते हैं। योजनाको स्वीकार करनेकी जिम्मेदारी केवल कायसमितिपर नही ह और भी दो पार्टियाँ हैं—ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लीग। यदि इस समय अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीने कायसमितिके फसलेको ठुकरा दिया तो दुनिया उसके बारेमें क्या सोचेगी? सभी पार्टियोने उसे स्वीकार कर लिया ह और निश्चय ही काग्रेसके लिए अपने दिये गये वचनसे मुकर जाना ठीक न होगा। यदि अखिल भारतीय काग्रेस कमटीकी इसके विरुद्ध बडी ही तीव्र भावना ह और वह यह समझती ह कि इससे देशका बहुत नुकसान होगा तो वह इस योजनाको ठुकरा सकती ह। इसका परिणाम यह होगा कि उस स्थितिमें ऐसे नये नेताओंकी श्रेणी खोज निकालनी होगी जो न केवल कायसमितिका निर्माण करेंगे बल्कि सरकारका सूत्र भी सँभालेंगे। यदि प्रस्तावका विरोध करनेवाले लोग ऐसे नये नेताओंका

पता लगा सकते हो तभी अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी यदि चाहे तो इसे अस्वीकार कर सकती है। इसके साथ ही आप लोगोंको यह भी न भूलना चाहिए कि इस समय देशमे शान्ति-स्थापना सबसे महत्त्वपूर्ण है।

काग्रेस निश्चित रूपसे पाकिस्तानके विरुद्ध थी और स्वयं मैने भारतके विभाजनका डटकर विरोध किया था फिर भी आज मै अखिल भारतीय काग्रेस कमेटीके समक्ष उसपर यह दबाव डालनेके लिए उपस्थित हुआ हूँ कि भारतके बँटवारेका प्रस्ताव स्वीकार कर ले। कभी-कभी ऐसे निर्णय करने पड़ जाते है जो पूर्णत. अस्वीकार्य होते है। कार्यसमितिके सदस्य देशके तपे-तपाये परीक्षित नेता है। काग्रेसकी आजतककी सारी उपलब्धियोके लिए वे जिम्मेदार है। स्वयं काग्रेसकी वे रीढ है। अतएव वर्तमान समयमे उन्हे हटाकर उनकी जगहपर दूसरोंको बैठा देना भले ही असभव न हो पर यह बुद्धिमानी न होगी। काग्रेसजनोको स्वयं अपने कर्त्तव्यका ज्ञान करना चाहिए और उसे शातिपूर्वक सम्पन्न करना चाहिए। कभी-कभी गलतियोसे भी शुभ हो जाता है। रामको उनके पिताकी गलतीसे वनवास मिला था किन्तु इसका शुभ परिणाम यह हुआ है कि रावण, जो अशुभ था, पराजित हुआ। गाधीने कहा "मै यह मानता हूँ कि जो कुछ स्वीकार किया जा रहा है वह अच्छा नही है किन्तु इसमेसे अच्छाई निश्चित रूपसे प्रकट होगी।" मुझे आशा है कि अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी इस दोपपूर्ण योजनामेसे भी उसी प्रकार अच्छाई निकाल लेगी जैसे गंदी वस्तुओसे सोना निकाल लिया जाता है। इस योजनासे उन्हे जिना साहबके इस सिद्धान्तको असत्य सिद्ध करनेका एक अवसर मिलता है कि मुसलमान एक पृथक् राष्ट्र है और वे हिन्दुओसे अलग है। अब हिन्दुस्तानमे छोटे-छोटे अल्पसंख्यकोको भी अपनेको सुरक्षित और खुशहाल अनुभव करना चाहिए। मै यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इस अपूर्ण योजनाको भी स्वीकार करके इससे अच्छाई निकाल सकते है और भारतको एक ऐसा राष्ट्र बना सकते है जहाँ किसी प्रकार का भेदभाव और असमानताएँ नही है।

बहस समाप्त होनेपर प्रस्ताव १५ के विरुद्ध १५७ मतोसे स्वीकृत हो गया। कुछ लोगोने मतदानमे भाग नही लिया।

१६ जूनको प्रार्थना-सभामें भापण करते हुए गाधीजीने कहा .

"आज मुझे बताया गया है कि इस समय देशमे प्रेमका नियम निष्क्रिय हो गया है। मै आपसे पूछता हूँ कि आप प्रतिदिन किस प्रेरणासे इन प्रार्थना-सभाओमें आते है ? इसके लिए कोई बाध्यता तो है नही, फिर भी आप प्रेमसे आकर्षित

होकर आते है और मैं जो भी कहता हूँ उसे धैर्यपूर्वक सुनते हैं। यदि सभी हिन्दू मेरे विचारोंको सुनने और मानने लगें तो हम एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकते है जिसका अनुसरण करनेके लिए संसार बाध्य हो जायगा।

आप कहेंगे कि मैं यही बात मुसलमानोंसे क्यों नहीं कहता? मेरा उत्तर यह है कि इस समय वे मुझे अपना शत्रु समझते है। हिन्दू हमें अपना शत्रु नहीं समझते। इसीलिए मैं उनसे कहता हूँ कि वे अपने हथियारोंको समुद्रमें फेंक दें और वीरोंकी अहिंसाकी वह शक्ति प्राप्त करें जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।

"क्या मुझमें वह वीरोंकी अहिंसा है? केवल मेरी मृत्यु ही इसे प्रमाणित कर सकती है। यदि कोई मुझे मार दे और मैं हत्यारेके लिए प्रार्थना, और भगवान्का स्मरण करता हुआ अपने हृदयमें उसकी प्राणमय अवस्थितिकी अनुभूति के साथ मर सकूँ तभी यह कहा जा सकेगा कि मुझमें वीरोंकी अहिंसा थी। यदि हिन्दू या केवल सिख लोग भी अपनेमें वह सामर्थ्य पैदा कर लें तो वे भारतकी समस्या हल कर लेंगे।

लेकिन आज तो बादशाह खाँ जैसे वीर और बहादुर पठानमें भी यह सामर्थ्य पूरी तरहसे नहीं रह गया है। उन्हें इसकी आशंका है कि यदि किसीने उत्तर पश्चिमी सीमाप्रान्तको भारत संघमें शामिल होनेके लिए कहा तो वहाँ इतना बड़ा पारस्परिक संघर्ष छिड़ जायगा जितना वहाँ कभी नहीं हुआ था। ऐसी हालतमें वे क्या कर सकते है? वीरोंकी अहिंसा कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे हुक्म देकर तैयार कर लिया जाय।

१८ जूनको गांधीजी खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ वाइसराय भवनमें जिनासे मिले। बादमें वे जिनासे उनके वासस्थानपर भी मिले। अब चूँकि कांग्रेसने भारतका विभाजन स्वीकार कर लिया था इसलिए खान अब्दुल गफ्फार खाँने जिनासे कहा कि पठान पाकिस्तानमें शामिल होनेके लिए पूरी तरह तैयार है बशर्ते (१) यह सम्मानपूर्ण आधारपर हो (२) स्वतन्त्रताके बाद यदि पाकिस्तान ब्रिटिश डोमिनियनमें रहनेका निर्णय करे तो निश्चित जिलों अथवा कबायली क्षेत्रोंके पठानोंको ऐसे किसी डोमिनियनसे अलग होकर अपना स्वतन्त्र राज्य बनानेकी स्वतन्त्रता हो और (३) कबायली जनतासे सम्बद्ध सभी मामलों को निपटानेका अधिकार स्वयं पठानोंको हो और उसमें गैरपठान लोग दस्तंदाजी न करें और न उनपर अपना प्रभुत्व जमायें—यह उनका एक ऐसा अधिकार है जिसे वर्तमान संविधान सभा भी स्वीकार करती है। वार्ता मैत्रीपूर्ण वातावरणमें

एक घंटेसे भी अधिक समयतक चलती रही यद्यपि समझौतेका प्रयास विफल हो गया। जिना अब्दुल गफ्फारको बाहर प्रतीक्षा करती हुई मोटरतक पहुँचाने और उन्हे विदा करने उनके साथ बाहरतक आये।

१८ जूनको एक प्रार्थना-सभामे भाषण करते हुए गांधीजीने कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ इस बातके लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह सीमाप्रान्तमें रक्तपात न हो। उन्होने सभामे एकत्र लोगोसे बादशाह खाँके उद्देश्यकी सफलताके लिए प्रार्थना करनेको कहा। पठानिस्तानके रूपमे एक स्वतंत्र सीमाप्रान्तकी स्थापनाके लिए किये जानेवाले आन्दोलनकी चर्चा करते हुए उन्होने कहा कि यह आन्दोलन अब स्थायी होगा क्योकि यह एक सुदृढ आन्दोलन है। यदि यह भारतविरोधी आन्दोलन होता है तो यह एक बुरी बात होगी। यदि इसका उद्देश्य, जैसा कि मैं समझता हूँ, पठानोके जीवन और सस्कृतिको सुरक्षित और विकसित करना है तो इसे हर तरहका प्रोत्साहन मिलना चाहिए। भौगोलिक दृष्टिसे भी यह भारतका एक टुकडा मात्र है और भारतके करोडो देशवासियोके मुकाबले पठानोकी संख्या भी अत्यल्प है। किन्तु युद्धोचित शौर्यपूर्ण गुणो और भारतके नक्शेपर उनकी विशिष्ट स्थितिके कारण उनका अपना निजी महत्त्व हो जाता है। सीमाप्रान्त एक कांग्रेसी प्रान्त है। जिस समय कांग्रेसकी स्थिति डावाँ-डोल थी उस समय भी यह एक कांग्रेसी प्रान्त था और आज भी वह एक कांग्रेसी प्रान्त है जब वह सत्तारूढ है। संविधान सभामे भी इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है किन्तु इस समय इसके सामने एक नाजुक स्थिति पैदा हो गयी है। वहाँ शीघ्र ही जनमतसग्रह होनेवाला है। कांग्रेस और लीग दोनो इसके लिए वचनबद्ध है। किसीको यह शर्त बदलनेकी आजादी नही है। सवाल पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के बीच चुनाव करनेका है। उनके सामने जो कुछ हुआ है उसके सन्दर्भमे इसके पीछे एक बडा ही शरारतभरा अभिप्राय है। पूछा यह जायगा कि वे हिन्दुओके साथ रहेंगे या मुसलमानोके साथ? कांग्रेस हिन्दू संघटन नही है। वह कभी भी हिन्दू संघटन नही रही है और मैं आशा करता हूँ कि भविष्यमे भी वह हिन्दू संघटन नही बनेगी। किन्तु पठानोका दिमाग उस उलझनमे, जो दिनपर दिन और जटिल होती जा रही है, इस फरकको कैसे समझ पायेगा? मै कांग्रेसको सलाह दूंगा कि वह अपनी स्थिति साफ कर दे। इसी तरह मैं मुस्लिम लीगको भी अपनी स्थिति साफ करनेको कहूंगा। दोनोको पठानोकी भावनाका सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने आन्तरिक प्रशासन और मामलोके सम्बन्धमें अपना संविधान बनाने की स्वतन्त्रता देनी चाहिए। इससे पठानोंकी एकता मजबूत होगी, आन्तरिक संघर्ष

दूर हो सकेगा और पख्तून संस्कृति एवं पश्तो भाषाका विकास होगा । यदि वे यह कर सके तो वे पाकिस्तान या भारत संघ किसीसे भी संघबद्ध हो जानेके लिए संयुक्त रूपसे कहीं अधिक समर्थ हो जायँगे । चाहे जनमतसंग्रह हो या न हो मैं यह सलाह हर हालतमें दूंगा । समयसे पहले जनमतसंग्रह करना अंधेरेमें कूदना' होगा ।

गांधीका, जिन्होंने खान अब्दुल गफ्फार खाँसे अपनी उक्त प्रार्थनाके साथ जिनासे मिलनेका अनुरोध किया था, जिनासे मुलाकातके बाद उसकी असफलताके कारण बड़ी बेचैनीका अनुभव हुआ । वे उस रातके साढे बारह बजेतक जागते रह गये । वे रोज प्रातःकाल ३ बजे उठ जाया करते थे किन्तु उस दिन उनकी नींद पहले ही टूट गयी और वे सोचने लगे "यद्यपि मैंने १२५ वर्षोंतक जीनेकी इच्छा छोड़ दी है फिर भी मैं बादशाह खाँके बारेमें सोचे बिना नहीं रह सकता । बादशाह खाँ एक अद्भुत व्यक्ति हैं । मुझे दिनपर दिन उनकी गंभीर आध्यात्मिक प्रकृतिका भान होता आ रहा है । उनमें धैर्य, निष्ठा और अहिंसाका विनयके साथ सम्मिलन हुआ है । असंख्य पठानोंने उन्हें अपना बिना ताजका बादशाह माना है । ऐसे व्यक्तिके लिए पराजय जैसी कोई चीज नहीं हो सकती । मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनके लिए बड़ासे बड़ा बलिदान भी साधारण बात होगी । वे अंतिम श्वासतक पठानोंकी सेवा करते हुए प्राणत्याग करेंगे । वे इसीलिए जीवित हैं । वे व्रतधारी पुरुष हैं । उनमें विवेकका प्रकाश है । उनके हृदयमें मानवमात्रके प्रति प्रेम भरा हुआ है । वे किसीसे घृणा नहीं करते ।

इसके बाद गांधी लेट गये और उन्होंने सोनेकी कोशिश की किन्तु थोड़ी ही देर बाद उनकी आँखें फिर खुल गयीं और वे कहने लगे 'नहीं मैं सो नहीं सकता । उनके विचारने मेरी नींद हर ली है ।

त्रिवांकुरके दीवान सर सी० पी० रामस्वामी एयरने गांधी और कांग्रेसकी इसके लिए निंदा की थी कि उन्होंने सीमाप्रांतके लिए स्वतंत्र पठानिस्तानकी मांग स्वीकार कर ली है । उनका कहना था कि ऐसी हालतमें वे स्वतंत्र त्रिवांकुरके प्रति कम आपत्ति कर सकते हैं ।

गांधीने कहा कि त्रिवांकुर और पठानिस्तानकी तुलना नहीं की जा सकती । पठान स्वतंत्र नहीं होना चाहते । वे केवल यह चाहते हैं कि पाकिस्तान और भारत सघकी पूरी तस्वीर सामने आ जानेपर उसे देखकर वे स्वयं अपना संविधान तैयार कर सकें । वे अपना स्वतंत्र तीसरा राज्य नहीं बनाना चाहते । वे केवल अन्य प्रान्तोंकी तरह स्वायत्तता चाहते हैं जिसमें वे केन्द्रके साथ निष्ठाबद्ध रहते

हुए अपने आन्तरिक मामलोमे हस्तक्षेप पसंद न करेंगे। यदि बादशाह खाँका इरादा इससे कुछ भिन्न है तो मुझे उनसे सबंध-विच्छेद कर लेनेमे कोई संकोच न होगा यद्यपि वे मेरे पुराने मित्र है। सर सी पी दोनो डोमिनियनोसे अलग एक स्वतन्त्र राज्य बनाना चाहते है। यदि इसकी अनुमति दे दी गयी और दूसरों ने भी इसीका अनुसरण किया तो इसका यह परिणाम होगा कि भारत कई राज्योमे विभक्त हो जायगा। इन छोटे-छोटे राज्योको एक सम्राट्‌की जरूरत होगी। अत जो सम्राट् इस समय विदा हो रहा है वह दूनी ताकतसे फिर वापस आ सकता है। यह एक ऐसी विनाशकारी घटना होगी जिसकी कल्पना भी नही की जा सकती। तिरुवाकुर और सीमाप्रान्तमे इसलिए भी तुलना करना भ्रामक होगा कि सर सी० पी० महाराजाकी ओरसे बोल रहे है जब कि सीमाप्रान्तीय नेता अपनी जनता—जिरगा की ओरसे बोल रहे है। एक विशुद्ध निरंकुश तन्त्र है तो दूसरा पूर्ण लोकतन्त्र।

जिनासे हुई वार्ताकी विफलताके बाद मुस्लिम लीगी अखबारो और खासकर 'डान'ने खान अब्दुल गफ्फार खाँपर बडे गंदे प्रहार किये। १९ जूनको खान अब्दुल गफ्फार खाँने जिनाको लिखा

"मुझे 'डान'की रिपोर्ट पढकर बडा दु ख हुआ है। उसमे कुछ ऐसे वक्तव्य दिये गये है जो पूरी तरह झूठ हैं जैसे यह कहना कि कांग्रेसने मुझे तथा मेरे 'पिट्ठुओ' को आर्थिक सहायता देना अस्वीकार कर दिया है। आर्थिक सहायता माँगने या पानेका कोई सवाल ही नही उठा है। इसकी कही चर्चातक भी नही हुई है।

"मै आपसे इसलिए मिला था कि शायद सभी सम्बद्ध लोगोके लिए कोई शान्ति एवं सम्मानपूर्ण रास्ता निकल आये। दुर्भाग्यवश हम लोगोमे सहमति न हो सकी। किन्तु किसी भी हालतमे 'डान'की शब्दावली और स्वर ऐसे नही है जिनसे किसी तरहके दोस्ताना व्यवहार या समझौतेका रास्ता बनता हो।"

सीमाप्रान्तके अपने सभी सहकर्मियोसे परामर्श कर खान अब्दुल गफ्फार खाँने जिनाको निम्नलिखित प्रस्तावकी सूचना दी "सरहदी सूबा काग्रेस कमेटी, काग्रेस ससदीय दल, खुदाई खिदमतगार और जल्मे पख्तूनके सदस्योकी बन्नूमे २१ जून, १९४७ को सरहदी कमेटीके सदर खान अमीर मुहम्मद खाँकी सदारतमे हुई बैठक एक रायसे यह तय करती है कि सभी पख्तूनोका एक आजाद पठान राज्य बनाया जाय। इस राज्यका संविधान लोकतन्त्र, समानता और सामाजिक न्यायकी इस्लामी धारणाके आधारपर तैयार किया जायगा। यह

बैठक सभी पठानोको अपने इस चिर-अभिलषित लक्ष्यकी प्रगतिके लिए और गैर पख्तून प्रभुत्वके सामने आत्मसमपण न करनेके लिए ऐक्यबद्ध हानेकी अपील करती है।'

२४ जूनको पेशावरसे दिये गये एक वक्तव्यम खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँने कहा

'ब्रिटिश प्रभुत्वकी समाप्तिके फलस्वरूप भारतमे जो महान् परिवतन हो रहे है उनसे सारा भारत ही नही बल्कि सीमाप्रान्त भी प्रभावित हागा। मने इन परिवतनोंपर पर्याप्त विचार किया ह और मने अपने सहकर्मियोंसे भी सलाह ली ह।

हम एक पोढीसे भी अधिक समयसे सीमाप्रान्तकी आज़ादीके लिए सघष कर रहे ह। इस सघषमें हम पठानोंने बडी-बडी कठिनाइयाँ सही हैं किन्तु हमने कभी अपना सघष नही छोडा। हमारा सघष ब्रिटेनके शासन और प्रभुत्वके विरुद्ध था। इस सघषमें हमने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेससे दोस्ती की जो ब्रिटेनसे हमारी ही तरह लडनेवाली महान सस्था थी।

'स्वभावत इन परिस्थितियोंमें हमारा काग्रेसके साथ बहुत ही निकटका भाईचारा और साहचय पदा हो गया। स्वातन्त्र्य सघषके दौरान जिस समय हम सीमाप्रान्तके लोग बडे सकटमें फँसे हुए थे काग्रेस ही हमारी सहायताके लिए आगे बढी। हमने लीगसे मददके लिए बार बार अनुरोध किया किन्तु हमें उससे निराशा ही मिली। वास्तविकता तो यह ह कि सीमाप्रान्तकी वतमान मुस्लिम लीगके अनेक नताओने हमारे सगे-सबधियो एव भाइयोके खिलाफ अग्रेजोकी मदद की।

'हम हमेशासे हिन्दुस्तान और खासकर पठानोकी आज़ादीके लिए सघष करते रहे ह। हम मुकम्मल आज़ादी चाहते ह। अब भी हमारा यही आदश बना हुआ ह और हम इसके लिए काम करते रहेंगे।

"दुर्भाग्यवश हालकी घटनाओने हमारे रास्तेम बडी अडचनें पदा कर दी ह। ३ जूनकी घोषणामें कहा गया ह कि उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तमें जनमत सग्रह कराया जायगा और उसम वतमान विधानसभाके मतदाताओंके समक्ष सिफ यह विकल्प रखा जायगा कि वे चाहें तो भारतीय सघकी सविधान सभाम शामिल हो जायें या पाकिस्तानी सविधान सभामें। इसस हमारा विकल्प सीमित हो जाता ह। हम इनमेंसे कोई विकल्प माननेको तयार नही ह। हम अपने इच्छानुसार स्वतन्त्र पठान राज्यके लिए वोट नही दे सकेंगे।

"सीमाप्रान्तमे पिछले कुछ महीनोमें जो कुछ हुआ है हमे उसपर विचार करना होगा। लीगियोने सघटित रूपसे आतंकवादी आन्दोलन चला रखा है जिसमें सैकड़ो निर्दोष पुरुष, स्त्री और बच्चोकी हत्या की गयी है। लूटपाट और आगजनीसे करोडोंकी सम्पत्ति बर्बाद कर दी गयी है। इस तरह सारा वातावरण साम्प्रदायिक उन्माद और भावोत्तेजनासे भरा हुआ है।

"इस समय भी मुस्लिम लीगके प्रमुख सदस्य जनताको इसलिए डराने-धमकानेका भीषण आन्दोलन चला रहे है कि वह जनमत-सग्रहमे लीगके खिलाफ वोट न दे।

"साफ है कि वे न सिर्फ प्रान्तसे बाहर गये हज़ारो-लाखो शरणार्थियोको ही जनमत-सग्रहमें वोट देनेसे रोक रहे है बल्कि दूसरोको भी धमकी दे रहे है कि अगर वे वोट देने गये तो इसका खतरा भी उठानेको तैयार रहें। वे जनताको उन भीषण उपद्रवोंकी याद दिला रहे है जिन्होने पिछले महीनोमें प्रान्तका चेहरा ही बिगाड़ दिया है। मौजूदा मसलेको काफिरो और इस्लामके बीच चुनावके मसलेके रूपमें पेश कर वे सीधे-सादे पठानोकी मजहबी भावनाओको भी उभाड़ रहे है।

"इसलिए मौजूदा सवालोपर, जो मुख्यत साम्प्रदायिक ढंगके है, आजकी हालतमे जनमत-सग्रह कराना बहुत ही गहरे षड्यन्त्रका परिणाम है। कुछ उच्च पदस्थ अधिकारी और राजनीतिज्ञ लीगी आन्दोलनको शान्तिपूर्ण बता रहे है। हमने ऊपर अभी जो निष्कर्ष निकाला है उसकी इससे पुष्टि हो जाती है।

"यह आवश्यक है कि जनमत-संग्रहमे हमे स्वतन्त्र पठान राज्यके लिए वोट देनेका अवसर दिया जाय।

"वाइसरायने कहा है कि सम्बद्ध पार्टियोकी सहमतिके बिना वे निर्धारित कार्य-पद्धतिमे किसी तरहका फेर-बदल करनेमे असमर्थ है। मैंने कांग्रेसके नेताओ से परामर्श किया तो उन्होने मुझे इस बातका आश्वासन दिया कि वे पूरी तरह चाहते है कि हमे इसका अवसर प्रदान किया जाय। मुस्लिम लीगकी ओरसे श्री जिनाने स्वतन्त्र पठान राज्यकी कल्पनाको पूरी तरह ठुकरा दिया और कहा कि मै इस प्रश्नपर पठानोको वोट प्रदान करनेका अवसर दिया जाना कभी मान नही सकता। इससे साफ जाहिर होता है कि लीग साम्प्रदायिक मसलोका पूरा लाभ उठाना चाहती है।

"मैंने इस मामलेमें अपने और अपने सहकर्मियोकी इच्छाके कारण सम्बद्ध विभिन्न पक्षोसे समझौता करनेके उद्देश्यसे यथाशक्ति पूरा प्रयत्न किया। मुझे इसका खेद है कि श्री जिनाके सहमत न होनेके कारण समझौता संभव न हो

सका। शायद उन्होंने सोचा कि मैं उनसे अपनी दुर्बलताके कारण मिल रहा हूँ मैं उनसे मुसलमानोमें एकता कायम रखनेके लिए एक मुसलमानके रूपमें मिल रहा हूँ। किन्तु मैं उनसे अपनी दुर्बलता नहीं बल्कि अपने उद्देश्योंमें निहित शक्तिके कारण और सीमाप्रान्तमें शान्ति तथा स्वतन्त्रताकी रक्षाके लिए मिला था।

मेरा दृढ मत है कि बहुसंख्यक पख्तून स्वतन्त्र पठान राज्यकी स्थापनाके पक्षमें हैं। इस सबधमें जनताकी इच्छा जाननेके लिए मैं जनमत संग्रह या चुनाव करानेके लिए तैयार हूँ।

'इन परिस्थितियोंमें हम क्या करना है ? मेरा दृढ विश्वास है हम उपयुक्त कठिनाइयोंके कारण जनमत-संग्रहमें शामिल नहीं हो सकते। मैं इन सभी खुदाई खिदमतगारों और अन्य लोगोंसे जो स्वतन्त्र पठान राज्यमें विश्वास करते हैं, जनमत-संग्रह में शामिल न होने और शान्तिपूर्ण ढंगसे उसका बहिष्कार करने की अपील करता हूँ।

लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम हाथपर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ब्रिटिश दासताके विरुद्ध अपने १८ वर्षोंके लंबे स्वातन्त्र्य-संघर्षको सफलतातक पहुँचा देनेके बाद हमारे सामने आज एक नया खतरा पैदा हो गया है। पख्तूनोंकी आजादी ही नहीं उनकी हस्तीतक दाँवपर लग गयी है। अतएव मैं उन सभी पठानोंका, जिन्हें अपनी मातृ भूमिसे प्रेम है एकता स्थापित करने और अपने चिरअभिलषित लक्ष्यकी प्राप्तिके लिए संघर्ष करनेका आह्वान करता हूँ।

मेरी अब भी कितनी इच्छा है कि इस अन्तिम घडीमें भी श्री जिना हमारी स्थितिके साथ न्याय कर पाते और एक पठानको दूसरे पठानसे अलग करनेकी हरकतोंसे बाज आते।'

२७ जूनको एक बैठकमें भाषण करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा 'हमने पठानिस्तानकी स्थापनाका निश्चय किया है जो सभी पठानोंका एक स्वतन्त्र राज्य होगा। इसका कोई राजा न होगा। उसपर सारी पठान जाति संयुक्त रूपसे शासन करेगी। पठानोंने इस आजादीके लिए कांग्रेसका साथ दिया और हम संयुक्त रूपसे अपने समान शत्रुसे लडे। उस समय हम हिन्दू और हिन्दुओंका दलाल कहा जाता था किन्तु अब, जब हमने हिन्दुस्तानमें शामिल होना अस्वीकार कर दिया है, तो हम पाकिस्तान बनाम हिन्दुस्तानके सवालपर जनमत संग्रहमें शामिल होनेके लिए बाध्य किया जा रहा है।''

उन्होंने कहा "हम किसी भी प्रकारकी दासतासे मुक्त होनेके लिए संघटित होना चाहिए। इसके बाद हम पारस्परिक हितोंमें अन्य मुस्लिम देशोंके साथ

भाईचारेका सबंध रख सकते है। क्या अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अरब और मिस्रकी अपनी स्वतन्त्र सरकारें नही है ? क्या वे सभी मुसलमान नही है ? किन्तु इस्लामके ही सिद्धान्तोके अनुसार कोई उदारताका कार्य अपने घरसे ही शुरू होता है। क्या मेरे लिए अपने पठान भाइयोको अज्ञात भविष्यके अन्धकारमें फेंक देना बेईमानी नही होगी ? केवल हमारे ही नही, सारे संसारके सामने भीषण भविष्यकी संभावना है। तीसरे विश्व-युद्धके बीज बो दिये गये है। हर एक देश उस लडाईको अपनी सीमाओसे दूर रखनेकी कोशिश कर रहा है। उस संकटकालके लिए अंग्रेज सीमाप्रान्तको रूसके विरुद्ध सैनिक अड्डा बनाना चाहता है। इस सिलसिलेमें जनरल माउण्ट गोमरीका भारत पहुँचना और श्री जिनाके साथ हुई उनकी बैठकें निस्सन्देह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।"

खान बंधुओका अन्तिम निर्णय कांग्रेस अध्यक्षके मार्फत २८ जूनको वाइसरायको भेज दिया गया .

"जब कभी सीमाप्रान्तका प्रश्न उठा है हमने आपसे कहा है कि हमारी ओरसे इस संबंधमे कोई उत्तर दिये जानेके पूर्व यह आवश्यक है कि सीमाप्रान्तके मन्त्रियो और नेताओसे परामर्श कर लिया जाय। इस मामलेका उनसे घनिष्ठ संबंध है और स्थितिके सबंधमे वे योग्यतम निर्णायक है। वे इस बातके सख्त विरोधी है कि प्रान्तमे ऐसा कोई सवाल उठाया जाय जिसका विशुद्ध रूपसे साम्प्रदायिक या हिन्दू-मुसलमानके सवालके रूपमे लाभ उठाया जा सके। इस साम्प्रदायिक मसलेको दूर करनेका सबसे अच्छा तरीका यह था कि जनताके सामने असली सवाल रखा जाय। यह सवाल स्वतन्त्र पठान राज्यकी स्थापना था जो आगे चलकर भारत संघ या पाकिस्तानसे अपने संबंध स्थिर करता। इसी तीव्र भावनाके अनुरूप मैंने आपको २ जूनको लिखा था कि प्रस्तावित जनमत-संग्रहमे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जनता अपनी स्वाधीनता और बादमें शेप भारतके साथ अपने सबधोके बाबत फैसला देनेके लिए वोट दे। मै यह समझता हूँ कि जबतक मुस्लिम लीगको यह प्रस्ताव मान्य न हो आप इसे माननेमे असमर्थ है। इससे हमारी कठिनाइयाँ बढ गयी है और हम इस मामलेमे बडे चिन्तित है।

"हमने योजना स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही हम उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तपर ऐसी कोई कार्यपद्धति नही लाद सकते जिसका वहाँकी जनता और नेता विरोध करते हो। हमने फिरसे खान अब्दुल गफ्फार खाँसे बातचीत की है। उन्होने हमें बताया है कि सीमाप्रान्तकी जनतामे इस संबंधमें बडी ही तीव्र भावना है कि उसे उसकी स्वतन्त्रताके प्रश्नपर फैसला देनेका अवसर प्रदान किया

जाय। वह किसी भी ऐसे जनमत-सग्रहमे शामिल होनेके विरुद्ध है जिसमे मसला पूरी तरह साम्प्रदायिक रूप ग्रहण कर ले। बादशाह खाँका कहना है कि यदि मसला पठानिस्तान और पाकिस्तानके बीच चुनाव करनेका नही होगा तो वे अपने अनुयायियोको जनमत-सग्रहसे दूर रहनेकी सलाह देंगे। उनका कहना है कि इससे स्थितिका तनाव कुछ कम होगा यद्यपि चाहे कुछ समयके लिए ही हो प्रान्तमें काग्रेसका अस्तित्व समाप्त हो जायगा।"

२९ जूनको गाधीने वाइसरायको लिखा

'बादशाह खान मुझे लिखा है कि वे उसे योजनाको कार्यान्वित कर रहे है जिसपर मने आपसे और उन्होने कायदे आजम जिनासे विचार विमर्श किया था। योजना यह थी कि स्वतत्र पठानिस्तान अपना स्थानीय सविधान स्वय तयार करे और पाकिस्तान तथा भारत सघका सविधान बन जानेपर यह तय करे कि वह इनमसे किसके साथ रहेगा। इस योजनाको स्वीकृत करानेमें वे विफल हो चुके है। अतएव जनमत-सग्रहमें उनके अनुयायी किसी प्रकारका हस्तक्षेप नही करेंगे और वे मतदानमे शामिल न होंगे। वे यह पूरी तरह अनुभव कर रहे है कि इस सूरतमें सीमाप्रात सभवत पाकिस्तानको मिल जायगा।

'वे यह भी चाहते है कि मै, आपका ध्यान इस तथ्यकी ओर आकर्षित कर दू कि जनमत-सग्रहको प्रभावित करनेके लिए बहुतसे मुसलमान स्त्री पुरुष सीमा प्रातमें भेजे जा रहे है और बहुतसे प्रमुख मुसल्मान भी वहाँ इसी उद्देश्यसे भेजे जा रहे है। इससे रक्तपातकी सभावना और बढ गयी है तथा स्थिति और भी खराब हो सकती है।

"उनका यह भी कहना है कि जहाँतक उन्हें मालूम है कई हजार गरमुसलमान शरणार्थियोको जनमत-सग्रहमे भाग लेनेका कोई अवसर नही मिलेगा। उन्हें धमकाया जा रहा है कि यदि उन्होने अपने मतदानके अधिकारका प्रयोग किया तो इसके लिए उन्हे बडीसे बडी यातनाएँ भोगनी पडेगी।

'आज अखबारोमें मने कायदे आजम जिनाका यह बयान पढा है कि यदि पठान वोट देनेसे विरत रहते है तो इससे जनमत-सग्रहकी शर्तोका उल्लघन होगा। मुझे इस दलीलमें कोई सार नही दिखाई देता।'

जिनाने काग्रेसपर यह आरोप किया कि काग्रेस द्वारा 'पठानिस्तान' के समर्थनसे उसके द्वारा स्वीकृत तीसरी जूनकी योजनाका उल्लघन होता है। उन्होंने गाधी और खान अब्दुल गफ्फार खाँकी इसके लिए तीव्र निन्दा की कि वे लोग इस धारणाको बराबर बल प्रदान करते जा रहे है। उन्होने दावा किया

कि सीमाप्रान्त पाकिस्तानकी एक स्वायत्तशासी इकाई होगा। मुस्लिम लीगियो-ने यह विषैला प्रचार भी चला दिया कि खान वन्धुओने अफगान सरकारको भारत और अफगानिस्तानकी मध्यवर्तिनी रेखा डूरण्ड रेखाके संशोधनकी माँग करनेके उद्देश्यसे उभाडनेके लिए उसके पास दूत भेजा है।

डाक्टर खान साहवने नेहरूको लिखे गये एक पत्रमे लिखा . "हम आपको विश्वास दिलाते है कि हमने कभी अफगानिस्तानमे शामिल होनेका विचार नही किया है। हमे पहली वार यह मालूम हुआ है कि अफगान सरकारने आधिकारिक तौरपर भारत सरकारसे सम्पर्क स्थापित किया है। हम लोग एक सकटकी स्थितिमे डाल दिये गये है, स्वभावत अफगान सरकार इस स्थितिका लाभ उठा रही है और उसका शोषण कर रही है। हमे किसी ऐसे काग्रेसी दूतके वारेमे कोई जानकारी नही है जिसे अफगान सरकारके पास भेजा गया हो।"

गाधीजीने ३० जूनको एक प्रार्थना-सभामे भाषण करते हुए कहा

"जनमत-संग्रहका प्रश्न सीमाप्रान्तकी जनताके सामने वडे ही महत्त्व रूपमे टिका हुआ है क्योकि सीमाप्रात पहलेसे ही काग्रेसी प्रान्त रहा है और अव भी सरकारी रूपमे कांग्रेसी प्रांत है। वादशाह खाँ और उनके सहकर्मी यह पसद नही करते कि उन्हे हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमे चुनाव करनेके लिए कहा जाय। इसका सीधा अर्थ हिन्दुओ या मुसलमानोमे चुनाव करना होगा। वादशाह खाँ इस कठिनाईपर कैसे विजय पा सकते है। काग्रेसने यह वचन दिया है कि जन-मत-संग्रह डाक्टर खान साहवसे परामर्श करके ही होना चाहिए किन्तु इसका निरीक्षण प्रत्यक्ष रूपसे वाइसराय करेंगे। जनमत-संग्रह इसी रूपमे निर्धारित तिथिपर होगा। खुदाई खिदमतगार अपने मताधिकारका प्रयोग नही करेंगे जिससे मुस्लिम लीगको मैदान मार लेनेकी पूरी सुविधा मिल जायगी। किन्तु इससे वे अन्तरात्माके विरुद्ध आचरण करनेसे वच जायँगे। इस कार्यपद्धतिसे जनमत-संग्रहकी शर्तोका क्या कोई भी उल्लघन होता है? जिन खुदाई खिदमतगारोने अग्रेजोके खिलाफ वहादुरीसे लडाई लडी है उन्हे जनमत-संग्रहमे हार जानेका कोई अफसोस नही हो सकता। पार्टियोके लिए हमेशा चुनावमे शामिल होना ही होता है, कभी-कभी हारकी निश्चित सभावनापर भी। वहिष्कार करनेवाली पार्टी के लिए पराजय कुछ कम निश्चित नही होती।

"वादशाह खाँपर पठानिस्तानको नयी आवाज उठानेका आरोप किया जा रहा है। जहाँतक मुझे मालूम है, काग्रेस मन्त्रिमण्डलके अस्तित्वमे आनेके पहले ही वादशाह खाँके मस्तिष्कमें अपने आन्तरिक मामलोमे पठानोकी स्वतन्त्रताका

विचार वर्तमान था। वे कोई नया राज्य कायम नहीं करना चाहते। यदि उन्हें अपना स्थानीय संविधान बनानेकी छूट दे दी जाय तो वे सहर्ष हिन्दुस्तान या पाकिस्तानमें किसी एकके साथ शामिल होनेका निश्चय कर सकते हैं। यदि पठानोंको नीचा दिखाने और उन्हें गुलाम बनानेकी नीयत न हो तो उनकी स्वायत्तताकी इच्छापर आपत्ति करनेकी बात सोच पाना मेरे लिए और कठिन है।

"अधिक गंभीर आरोप यह किया गया है कि बादशाह खाँ अफगानिस्तानके हाथमें खेल रहे हैं। मेरे विचारसे वे पर्देकी आडमें कोई काम नहीं कर सकते। वे कभी यह गवारा नहीं कर सकते कि सीमाप्रान्तको अफगानिस्तान हड़प ले।

उनका दोस्त होनेके नाते क्योंकि मैं उनका दोस्त हूँ, उनमें मुझे केवल एक कमी दिखाई देती है। उन्हें अंग्रेजोंके वचनों और इरादोंपर एतबार नहीं होता। वे उनके प्रति बहुत शंकालु हैं। मैं सबसे यह कहना चाहूँगा कि वे उनकी इस त्रुटिपर जो औरोंमें भी पायी जाती है ध्यान न दें। बात केवल यह है कि उनके जैसे नेतामें यह *कमी कुछ खटकती है। किन्तु मेरा यह तर्क है कि मैंने जिस* चीजको उनकी कमी बताया है जो एक मानवीय है भी उसे दूसरी मानवीय गुण भी कहा जा सकता है क्योंकि वे कोशिश करके भी अपने विचारोंको छिपा नहीं सकते। वे इतने ईमानदार हैं।

४ जुलाईको वाइसरायने गांधीको लिखा सीमाप्रान्तसे मुझे रिपोर्ट मिली है कि *लाल कुर्तीवाले जनतापर दबाव डाल रहे हैं कि वह मतदानमें भाग न ले।* मेरी समझमें आप इससे सहमत होंगे कि इस तरहके किसी कायमें उसी हिंसाको प्रोत्साहन मिलनेकी संभावना है जिससे बचनेके लिए मैं और आप इतने चिन्तित हैं। मेरा विश्वास है कि यदि यह रिपोर्ट सच है तो आपने अपने पत्रमें जिस नीतिकी व्याख्या की है उसकी दृष्टिसे आप खान अब्दुल गफ्फार खाँको उसी *नीतिको कार्यान्वित करनेको कहेंगे।*

५ जुलाईको गांधीने जवाब दिया यह ठीक है कि बादशाह खाँ और उनके सहकर्मियों द्वारा इस समय यह आंदोलन चलाया जा रहा है कि वोटर मतदानमें भाग न लें। किन्तु मतदानके दिनोंमें किसी तरहका प्रदर्शन नहीं होगा और मतदानके समय ये लोग वोटरोंके पास नहीं जायेंगे। यदि आपका यही अभि*प्राय है तो मैं आज शामकी प्रार्थनामें इसकी सहर्ष चर्चा करूँगा। यदि आप कहें* तो मैं बादशाह खाँके पास पहुँचनेके लिए और द्रुतगामी तरीका अख्तियार करनेको तैयार हूँ। यदि आपके दिमागमें और कोई बात हो तो कृपया उसे मुझे सूचित करें।'

वाइसरायने गाधीसे अपील की . "यदि आप थोडा और आगे वढकर मतदानके दिनोके पूर्व किसी भी ऐसे आन्दोलनको रोकवानेकी चेष्टा करे जिससे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपसे उपद्रव होनेकी संभावना हो तो स्वभावत मै इसके लिए आपका कृतज्ञ होऊँगा। मेरी समझमें यह बड़ा जरूरी है कि यथासंभव शीघ्रसे शीघ्र खान अब्दुल गफ्फार खाँको आपकी सलाह मिल जाय। यदि आप उन्हे कोई पत्र भेजना चाहे तो मै उसे एक विशेष दूत द्वारा पेशावर भेजवा दूँ और गवर्नरसे कहला दूँ कि वे इसे आग वढा दे। मै आपकी सहायताके लिए वडा आभारी हूँ।"

५ जुलाईके अपने दूसरे पत्रमे गाधीने वाइसरायको लिखा "ज्यो ही अपनी प्रार्थना-सभाका भाषण समाप्त कर टहलनेके लिए जा रहा था आपका कृपापत्र प्राप्त हुआ। सौभाग्यवश दोपहरको मेरी एक पठानसे मुलाकात हुई जिसे मै खुदाई खिदमतगारके रूपमे जानता हूँ। वह पेशावर जा रहा था। इस-लिए मैने उसे एक सन्देश दे दिया। उस सन्देशकी प्रतिलिपि मै इस पत्रके साथ भेज रहा हूँ। आप यह पत्र पढ लें। यदि आप सोचते हो कि जो नया मुद्दा आपने उठाया है वह इसमे शामिल हो चुका है तो जैसा आपने कहा है इसी पत्रको अपने विशेष दूतसे भेज दे। मै आशा करता हूँ कि वादशाह खाँ और उनके अनुयायियोकी ओरसे कोई उपद्रव नही होगा। पठान खुदाई खिदमतगारके मार्फत जो सदेश मैने भेजा है उसमे वादशाह खाँको लिखे गये मेरे पत्रकी अपेक्षा कही अधिक वातोका समावेश कर दिया गया है।"

'प्रिय वादशाह खाँको' संवोधित गाधीके ५ जुलाईके पत्रमे लिखा गया था

"खुदाई खिदमतगार आलम खाँने मुझसे १२ वजे भेट की थी। उसने मुझसे कहा था कि वह आज रातको ही पेशावर जा रहा है। मैने उसके मार्फत कोई पत्र नही भेजा किन्तु मैने उससे यह अवश्य कह दिया कि मुस्लिम लीगके खिलाफ कोई प्रदर्शन नही होना चाहिए। वर्तमान तनाव और गलतफहमीकी स्थितिमे यह पर्याप्त है कि खुदाई खिदमतगार किसी ओर वोट न दे। जहाँतक अपने आन्तरिक मामलोका प्रश्न है वे पाकिस्तान और भारत संघके हस्तक्षेपके विना पूर्ण स्वायत्तताके अधिकारी हैं। पाकिस्तान और भारत सघके संविधान जव तैयार होकर प्रकाशित हो जायँ और जव सीमाप्रान्त स्वयं अपना स्वायत्तशासी संविधान वना ले तव वे यह फैसला कर सकते है कि वे उक्त दोनो देशोमें किसके साथ रहेंगे। हर हालतमे मुस्लिम लीगके सदस्योसे सघर्ष वचाना चाहिए। पठानोकी वास्तविक वहादुरीकी उस समय परीक्षा हो रही है। विरोधियोके प्रहारका सामना

मुस्कराहटसे करके अथवा बिना किसी प्रकारकी बदलेकी काररवाई किये उनके प्रहारसे मरकर भी इसे प्रकट करना है। बहिष्कारसे निश्चय ही पाकिस्तानियों की कानूनी विजय हो जायगी किन्तु यदि हिंसासे जरा भी डरे बगर अधिकाश पठान गरिमापूण ढगसे जनमत सग्रहसे तटस्थ रह गये तो यह उनकी एक नतिक पराजय होगी। अधिकारियोंके किसी आदेशका कोई विरोध नही होना चाहिए और उनकी खिलाफतमें किसी तरहका कोई जुलूस नही निकाला जाना चाहिए।

"मने आपकी चिट्ठी पानेपर तुरत उसके अनुसार कार्य किया। मैंने हिज एक्सेलेंसीके पास एक लम्बा पत्र लिखा जिसपर उन्होंने कारखाई की। आपने यह भी देखा होगा कि मैंने अपनी प्रार्थना-सभाके एक भाषणमें सीमाप्रान्तके प्रश्न पर कसे विचार प्रकट किये है। म आपको यह पत्र भी वाइसरायके उस पत्रके फलस्वरूप लिख रहा हू जिसमें उन्होने शिकायत की ह कि खुदाई खिदमतगारो द्वारा उपद्रव किये जानेकी आशका ह।

'म आशा करता हूँ कि आप जिस तनावकी स्थितिमें काय कर रहे है उसका आपके स्वास्थ्यपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड रहा होगा।'

दो दिनो बाद गाधीने उन्हें पुन लिखा 'अबतक आपका कोई समाचार नही मिला। मुझे आशा है कि आपको मेरा लबा पत्र मिल गया होगा और आपने उसके अनुसार काय भी किया होगा। मनसा, वाचा और कमणा अहिंसासे पूणत प्रतिबद्ध रहनेम हो मेरी आपकी प्रतिष्ठा ह। अबतक (९-३०) अखबारो में कोई समाचार देखनेको नही मिला। बापूके प्यार।"

१२ जुलाईको लिखे गये खान अब्दुल गफ्फार खाँके पत्रमें चिन्ताजनक समाचार थे

"मैं और मेरे कायकर्ता जनतासे यह कहते हुए गाँव-गाँव घूम रहे हैं कि मुस्लिम लीगियो द्वारा उत्तेजित किये जानेके बावजूद वह अहिंसक बनी रहे। मुस्लिम लीगी लोग रोज-ब रोज जुलूस निकाल रहे ह और अत्यत आपत्तिजनक नारे लगा रहे ह। वे हम काफिर कहते हैं और गालियाँ बकते हैं। व्यक्तिगत रूपमे मेरा अपमान किया गया ह और गालियाँ दी गयी ह। म अनुभव करता हू कि मुस्लिम लीगिया अधिकारियो और जनमत-सग्रहका संचालन करनेवाले अफसरोंमें सघटित षड्यन्त्रकी योजना बनी हुई है। प्रेसाईडिंग अफसरोने सैकडो हजारों जाली वोटे डलवा दिये हैं। कुछ जगहोम ता ८० से ९० फीसदी वोट पडे ह। ऐसा तो किसी भी चुनावमें नही सुना गया ह। फिर ध्यान देनेकी बात यह ह कि इतने वोट उस मतदाता सूचीके आधारपर पड हैं जो दो साल पहले

तैयार की गयी थी।

"हम लोग वहुत ही कठिन परिस्थितियोसे गुजर रहे है फिर भी हमने मन, वचन और कर्मसे अहिंसाका पालन किया है। मेरे लिए यह कहना आसान नही है कि इस तरहकी हालत कवतक वनी रह सकती है। थोडेमे कहना यह है कि अफसरोकी शह पाकर मुस्लिम लीगी उपद्रव करनेपर उतारू हो गये है। हमने एक इन्सानके लिए जहाँतक मुमकिन हो सकता है उनसे झगडा बचानेकी हर कोशिश की है।

"दूसरी चीज, जिससे हमको सवसे अधिक चिन्ता हो गयी है, यह है कि इस समय हमारे प्रान्तमे वहुत वडी तादादमे पंजावी आ गये है जो जनताको हिंसाके लिए उभार रहे है। इतना ही नही, वे सार्वजनिक सभाओमे यहाँतक कह रहे है कि लाल कुर्तीवालोके शीर्पस्थ नेताओका काम तमाम कर देना चाहिए। वे साफ-साफ यह घोपणा कर रहे है कि पाकिस्तान वन जानेके वाद नूरेम्वर्गके समान लाल कुर्तीवालोपर मुकदमा चलाया जायगा और इन गद्दारोको फाँसीपर चढा दिया जायगा। श्री जलालुद्दीन एम० एल० ए० (हजारा) ने एक सार्वजनिक सभामे कहा है कि यदि किसी मुस्लिम मन्त्रीने हजाराका दौरा किया तो उसे मार डाला जायगा।"

जुलाईमे हाउस आव कामंसमे भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और उसे तीन दिनोंमे ही शाही स्वीकृति प्राप्त हो गयी। इस वीच पंजाव और वंगालकी विधानसभाओके सदस्योने अपने प्रान्तोके विभाजनकी पुष्टि कर दी।

सीमाप्रान्तका जनमत-संग्रह ६ जुलाईको शुरू हुआ। जिस समय जनमत-संग्रह हो रहा था सर ओलफ कैरोको अवकाशग्रहणके लिए छुट्टी दे दी गयी थी। प्रान्तकी गवर्नरी और जनमत-सग्रहके संचालनका अधिकार सर राव लाकहार्टको सौंप दिया गया था जो उस समयतक भारतीय सेनाकी दक्षिणी कमानके प्रधान थे। १८ जुलाईको जनमत-संग्रह समाप्त हो गया और उसके परिणामकी घोपणा २० जुलाईको कर दी गयी। पाकिस्तानके लिए २ लाख ८९ हजार २४४ वोट पडे और भारतके लिए २ हजार ८७४ वोट। इसका मतलव यह हुआ कि प्रान्त के सम्पूर्ण मतदाताओंमें केवल पचास प्रतिशतने पाकिस्तानमे शामिल होनेकी इच्छा व्यक्त की थी। खुदाई खिदमतगार मतदानसे अलग रहे और उनका वहिष्कार सभी क्षेत्रोमे व्यवस्थित और शान्तिपूर्ण ढंगसे चलता रहा। उनका यह कार्य चाहे जितना भी तुच्छ रहा हो उसने खुदाई खिदमतगारोकी इच्छाका वडे ही जोरदार ढगसे प्रदर्शन कर दिया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ लिखते हैं "हमारे प्रान्तमें जनमत-संग्रह सर्वाधिक प्रतिकूल परिस्थितियोंमें हुआ था। खुदाई खिदमतगार क्रुद्ध और मायूस थे उन्होंने जनमतसंग्रहका बहिष्कार किया। पुलिस और सेना बहुतसे लोगोंको मतदान केन्द्रोंपर जबर्दस्ती ले गयी और मुस्लिम लीगके पक्षमें जाली नामोंके वोट डलवाये गये। कर्नल बशीरने मुझे बताया कि उनकी अपनी बन्नूके पास थी। उसे पाकिस्तानके पक्षमें वोट देनेके लिए तीन बार ले जाया गया। जालसाजीका एक ठोस प्रमाण यह है कि सीमाप्रान्तकी कांग्रेस कमेटीके अध्यक्षतकके नामसे भी जाली वोट पड गया था।'

वे लिखते हैं 'यह प्रश्न अनुचित था कि हम हिन्दुस्तानमें शामिल होना चाहते हैं या पाकिस्तानमें। हिन्दुस्तानने हमें छोड दिया था और दुश्मनोंके हवाले कर दिया था अतः जबर्दस्ती हिन्दुस्तानमें शामिल होना पख्तूनोंके आत्मसम्मान और चरित्रके विरुद्ध था। पाकिस्तानके सवालपर हम पहले ही अपना यह मजबूत फैसला दे चुके थे कि हम पाकिस्तानमें शामिल नहीं होना चाहते। इसीलिए हमने यह माँग की थी कि जनमतसंग्रह करना ही है तो इसे पख्तूनिस्तान या पाकिस्तानके सवालपर होना चाहिए। हमारी माग ठुकरा दी गयी और हिन्दुस्तान या पाकिस्तानके सवालपर जनमतसंग्रह करानेका निश्चय हमपर लाद दिया गया।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने जोर देकर कहा है कि "१९४६ के चुनावके नतीजेने साफ फैसला दे दिया था किन्तु अंग्रेज हमपर जनमतसंग्रह लादकर हमें सजा देना चाहते थे। और जगहोंमें तो प्रान्तीय असेंबलियोंको हिन्दुस्तान या पाकिस्तानके बीच चुनाव करनेको कहा गया था किन्तु हमारे प्रान्तको अपवाद रूपमें माना गया। सीमाप्रान्तकी असेंबलीके जनप्रतिनिधिक रूपकी उपेक्षा कर दी गयी। क्रोध और मायूसीमें हमने दुनियाके सामने अपनी आपत्ति पेश करनेका फैसला किया और जनमतसंग्रहका बहिष्कार कर हमने अपना प्रतिवाद जाहिर कर दिया। जिस बातकी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ हुई वह यह थी कि कांग्रेसने हमारा साथ नहीं दिया और पख्तूनोंको बेबसीकी हालतमें दुश्मनोंको सौंप दिया। आसामके मामलेमें, जब कि वहाँके मुख्य मन्त्री बारदोलाईने कबिनेट मिशन योजनाके प्रान्तोंके समूहीकरण अनुच्छेदका विरोध किया तो कांग्रेस कार्यसमितिने इसके प्रति उदासीनता नहीं दिखायी और उस अनुच्छेदको रद करवाया। मैं समूहीकरण अनुच्छेदके विरुद्ध नहीं था। जब गाधीजीने मुझसे इसका कारण पूछा तो मैंने कहा कि मैं भारतका विभाजन छोडकर किसी भी योजनाका समर्थन कर

सकता हूँ ।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँ लिखते हैं "कांग्रेसने जो कमजोरी दिखायी थी उससे हमारी जनताको बहुत बडी निराशा हुई थी । मुझे यह कहते खेद हो रहा है कि हमने कांग्रेस नही छोड़ी किन्तु कांग्रेसने हमे छोड दिया । यदि हम कांग्रेस छोडनेपर तैयार हो जाते तो अंग्रेजोने हमारी सभी माँगे मान ली होती । मेरा दृढ विश्वास है कि यदि कांग्रेसने हमारी माँगका उसी ढंगसे समर्थन किया होता जैसा कि उसने गुरदासपुरके मामलेमे किया था तो जिना हमारे पख्तूनिस्तान या पाकिस्तान सम्बन्धी प्रस्तावको माननेके लिए बाध्य हो जाते । जिनाने हमारे पास कई बार सन्देश भेजे थे कि हम उनके साथ हो जायँ तो वे हमारी सभी मागे स्वीकार लेगे । इसी तरहका एक संदेश मेरे पास उस समय आया था जब कांग्रेस कार्यसमिति विभाजनपर विचार कर रही थी । सन्देशमे यह कहा गया था कि जब भारतका विभाजन होने ही जा रहा है तो मैं मुस्लिम लीगमे क्यो नही शामिल हो जाता । इसके बाद मैं जो भी चाहूँ मुझे प्राप्त हो सकता है किन्तु हमने कभी अपने उसूलोके साथ समझौता नही किया ।"

अन्तमे वे लिखते है . "चूँकि हम जनमत-संग्रहमे शामिल नही हुए, मुस्लिम लीगको किसी भी अडचनका सामना नही करना पडा । हिंसा, धोखाबडी, दंगा-बाजी और ब्रिटिश षड्यन्त्रके बावजूद लीगको मुश्किलसे ५० फीसदी वोट ही मिल सके और पख्तूनोका भाग्य हमेशाके लिए तय कर दिया गया ।"

सरदार पटेल और मौलाना आजादका विश्वास था कि जनमतसग्रहके नतीजोसे यह साफ हो गया है कि सीमाप्रान्तमे खान बन्धुओका प्रभाव घट रहा है । मौलाना आजादने कहा कि खान बन्धुओकी 'अलोकप्रियता' का एक कारण यह है कि वे अपनेसे मिलने आनेवाले पठानोको बिस्कुटतक नही देते और उन्होने कांग्रेस द्वारा दी गयी निधिको खर्च करनेमे बड़ी कंजूसी दिखायी है । खान अब्दुल गफ्फार खाँ पहले वक्तव्यको पख्तून परम्परापर कलकके समान मानते हैं । यह हर तरहसे गलत है । पठान अपनी रोटीके आखिरी टुकडेको भी अपने मेहमानके साथ बाँटकर खाता है । जहाँतक निधिकी शाहखर्चीका सवाल हे वे सिद्धान्त और व्यवहार दोनो आधारोपर इसका बराबर विरोध करते रहे है । खुदाई खिदमतगार संघटनकी सदस्य संख्या लाखोमें थी । कांग्रेस जो भी निधि देती वह समुद्रमे बूँदके समान ही होती । इसके अतिरिक्त कांग्रेसी सहायतापर निर्भर करनेसे वे चरित्रभ्रष्ट और कमजोर हो जाते । अपने संघटनको मजबूत बनानेके लिए उन्हे रुपयेकी नही, चरित्रकी आवश्यकता थी । निधियाँ तो शीघ्र ही समाप्त

हो जायँगी किंतु यदि उन्होने चरित्रकी निधि स्थापित कर ली तो यह उनके जीवन-स्रोतकी अभय निधि बन जायगी । 'खुदाई खिदमतगार विशुद्ध रूपसे मात्र राजनीतिक सघटन नही है । यह एक साथ ही राजनीतिक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक सघटन है । खुदाई खिदमतगारोने कभी भी बाहरी आर्थिक सहायताकी माँग नही की है । हमें कभी काग्रेससे कोई आर्थिक सहायता नही मिली है और यदि कभी उसने कोई ऐसी मदद दी भी है तो वह सीमाप्रातक काग्रेस ससदीय बोर्डका मिली है । हम सावजनिक धनका अनावश्यक रूपसे खर्च करना खुदाके सामने एक अपराध मानते हैं । हमारा आदोलन कभी मुरझाया नहीं है, न कभी मुरझायेगा ।'

गाधीसे सलाह-मशविरा करनेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँ २७ जुलाई को दिल्ली पहुँचे । उनकी बडी लबी वार्ता हुई । गाधीजी ३० जुलाईको कश्मीर चले गये और खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने प्रात लौट आये । गाधीजीने उनसे कहा कि, 'आपका कर्तव्य पाकिस्तानको सचमुच पाक बनाना है ।'' इसके बाद उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई ।

जनमत-सग्रह और विभाजनके बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँने हिन्दुस्तानके अपने किसी भी सहकर्मी और सहयोगीसे किसी तरहकी कोई खत किताबत नही की । पाकिस्तानमें वे बराबर जुल्म और हर तरहके अपमानके शिकार बने रहे । नवबरमे गाधीको जो रिपोर्ट मिली वह बचैन कर देनेवाली थी । इससे वे खान बधुओकी जीवन रक्षाके लिए अत्यन्त चिन्तित हो उठे । खान अब्दुल गफ्फार खाँको लिखे गये एक पत्रमें गाधीने उन्हें स्पष्ट रूपसे सुझाव दिया कि वे सीमा प्रान्त छोडकर भारत चले आयें और यहाँसे अपने अहिंसात्मक टेकनीकका विकास करें । गाधीने लिखा कि यह काम आप मेरे साथ यहाँ रहकर कर सकते हैं अन्यथा क्या होगा मैं कुछ नही जानता । दूसरा एक मात्र विकल्प यही हो सकता है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ पाकिस्तानमे ही बने रहें और पाक अधिकारी उनपर जो भी बदतर बडा जुल्म करना चाहें करें और वे उसका सामना करें । गाधीने कहा कि मैं ऐसा नही मानता जैसा कि कुछ लोग कहते है, अहिंसा का प्रयोग केवल सभ्य या अर्धसभ्य समाजमें ही किया जा सकता है । अहिंसाके लिए ऐसी कोई सीमा निर्धारित नही की जा सकती । इसके उत्तरमें खान अब्दुल गफ्फार खाँने गाधीको लिखा था कि आप चिन्ता न करें । केवल मुझ और मेरे साथियोंके लिए अपने आशीर्वाद और प्रार्थनायें भेजते रहें ।

३० जनवरी १९४८ को गाधी एक उन्मादी हिन्दूके हाथों एकाएक उग

महान् उद्देश्यके लिए शहीद हो गये जिसके लिए वे जीवनभर प्रयास करते रहे। वे हिंसा और घृणाके विरुद्ध लड़ते हुए मरे। जिस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने पुत्रके साथ शाही बाग नामक गाँवमे भोजन कर रहे थे उन्होने गाधी-जीके निधनका स्तब्धकारी समाचार रेडियोसे सुना। यह सुनकर उनका खाना रुक गया और वे स्तब्ध रह गये। खुदाई खिदमतगारोने अपने महान् मददगार और दोस्त गांधीजीके निधनपर शोक प्रकट करनेके लिए सभाका आयोजन किया जिसमे उन्होने कहा कि इससे उनकी महान् क्षति हुई है। उनके सबसे महान् और निष्ठा-वान् अनुयायी खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, "इन घोर अन्धकारपूर्ण दिनोमे हमारी सहायता करनेवाले वे ही एक मात्र आशाकी किरण थे।"

तीसरी और चौथी सितम्बरको सरदरयावमे प्रान्तीय जिर्गा, संसदीय दल, जल्मे पख्तून, खुदाई खिदमतगार और कवायली क्षेत्रोके प्रतिनिधियोंकी एक वडी सभामे निम्नलिखित प्रस्ताव स्वाकृत हुए .

"(क) खुदाई खिदमतगार पाकिस्तानको अपना मुल्क मानते है और यह संकल्प लेते है कि वे इसके हितोकी रक्षा करने तथा इसे सुदृढ वनानेके लिए यथा-संभव कोई प्रयत्न न उठा रखेगे और इस उद्देश्यकी पूर्तिके लिए हर तरहकी कुर्वानी देनेको तैयार रहेगे।

"(ख) डाक्टर खान साहबके मन्त्रिमण्डलका वर्खास्त किया जाना और उसकी जगह अव्दुल कयूम मन्त्रिमण्डलकी स्थापना अलोकतान्त्रिक है किन्तु चूंकि हमारा देश एक सकटकी घडीसे गुजर रहा है अतएव खुदाई खिदमतगार ऐसा कोई काम न करेंगे जिससे प्रान्तीय या केन्द्रीय सरकारके रास्तेमे किसी तरहकी कठिनाई पैदा हो।

"(ग) देशके विभाजनके वाद खुदाई खिदमतगार अखिल भारतीय कांग्रेस संघटनसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद करते है और तिरंगा झण्डाकी जगह अपनी पार्टीके प्रतीक रूपमे लाल झण्डा स्वीकार करते हैं।"

इस सभामे खान अव्दुल गफ्फार खाँने पुन पख्तूनिस्तानकी अपनी माँगकी व्याख्या करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान राष्ट्रके अन्दर पख्तूनोको अपने आन्तरिक मामलोकी व्यवस्था करनेकी पूरी आजादी देनेके लिए उनकी एक स्वतन्त्र इकाई वना दी जाय। एक दूसरे प्रस्तावमे कहा गया, "इस नये राज्यमे उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्तके छहो निर्धारित जिले तथा आसपासके ऐसे क्षेत्र होगे जहाँ पठानोकी आवादी हो और जो अपनी स्वतन्त्र इच्छासे इसमे शामिल होना चाहते हो। यह राज्य प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामलो और संचार साधनो-के संवंधमे पाकिस्तानसे समझौता करेगा।"

"उन्होने कहा कि मै अपने सारे जीवन पख्तूनिस्तानकी स्थापनाके लिए कार्य करता रहा हूँ। पख्तूनोमे एकताकी स्थापनाके उद्देश्यसे ही १९२९ में खुदाई खिदमतगार सघटनकी शुरुआत की गयी। मै आज भी उन्ही सिद्धान्तोको मानता हूँ। अत मेरा रास्ता विलकुल साफ है। मै इसे कभी नही छोड़ूंगा, भले ही मै दुनियामे अकेला रह जाऊँ।"

इन सारी वातोके वावजूद खान अव्दुल गफ्फार खाँ और खुदाई खिदमतगार को अपमानित करनेका आन्दोलन चलता रहा किन्तु कोई भी जुल्म अव्दुल गफ्फारको आतकित न कर सका और वे अपने आदर्शकी प्राप्तिके लिए जनमतके

शिक्षण और संघटनका कार्य अथक रूपमें चलाते रहे। फरवरी १९४८ में उन्होंने पाकिस्तान संविधान सभामें शामिल होनेके लिए कराची जानेका निश्चय किया। इसमें उनका उद्देश्य यह था कि बाकायदा प्रचार द्वारा पाकिस्तानके मुसलमानोंमें उनके और खुदाई खिदमतगारोंके बारेमें जो गलतफहमी पैदा कर दी गयी है उसे दूर कर दिया जाय। अखबारोंको दिये गये अपने कई वक्तव्योंमें उन्होंने पख्तूनिस्तानके सबंधमें अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया "पख्तूनिस्तान पाकिस्तानका एक स्वायत्तशासी इकाई होगा। यह उसी तरह पठानोंका राज्य होगा जैसे सिंध सिंधियोंका पंजाब पंजाबियोंका और बंगाल बंगालियोंका है। उत्तर पश्चिमी सरहदी सूबाका नाम अंग्रेजोंका दिया हुआ है। यह नाम कायम नहीं रखा जा सकता।' उन्होंने साफ-साफ शब्दोंमें इस आरोपको निराधार बताया कि मैं पख्तूनिस्तानका एक प्रभुतासम्पन्न राज्य कायम कर पाकिस्तानके दो टुकड़े कर देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानके संविधानके प्रति निष्ठाकी शपथ लेने जा रहा हूँ केवल इसी एक तथ्यसे ही यह आरोप झूठा सिद्ध हो जाता है। अपनी माँगकी पृष्ठभूमिपर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सीमा प्रातके लोग पिछड़े हुए हैं। वहाँकी अधिकांश जनता गरीब और मध्यम वर्गकी है। उनमें कोई पूँजीवादी वर्ग नहीं है जब कि पाकिस्तानपर बहुत धनी जमींदारों, पूँजीपतियों और ऊँचे तबकेके लोगोंका प्रभुत्व है। अंग्रेज शासक पठानोंकी नैतिकता गिरानेमें उतने सफल नहीं हो सके जितने कि पाकिस्तानी अधिकारी हुए हैं।

जब उनसे पूछा गया कि क्या उनके संघटनका इपीके फकीरसे कोई संबंध है तो उन्होंने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए इस तरहके समाचारोंको बिलकुल मनगढ़न्त और झूठा बताया।

उन्होंने इस बातसे भी इनकार किया कि पख्तूनिस्तानके प्रश्नपर उनके संघटन और अफगानिस्तानके बीच किसी प्रकारका संपर्क है। उन्होंने कहा कि हम लोगों और अफगानिस्तानके बीच रक्त-संबंधको छोड़कर और कोई संबंध नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि अफगानिस्तान सरकारने हाल्में पठानोंके आत्मनिर्णयके अधिकार प्रश्न करनेकी *दिशामें कोई पहल की है अथवा अफगानिस्तान और पाकिस्तानके बीच अब* कोई मसले उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पूरा तरहसे दोनों सरकारोंका है इससे मेरा या मेरे संघटनका कोई सरोकार नहीं है।

इस आरोपका कि उनकी पख्तूनिस्तानकी माँगसे प्रान्तवादको बढ़ावा मिलता

है अतएव यह इस्लामके भाईचारेकी भावनाके विपरीत है, जोरदार खण्डन करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि, "इस्लामका सार तत्त्व समानतामे निहित है, न कि इस सिद्धान्तमे कि एक व्यक्ति दूसरेपर अपना प्रभुत्व जमाये। हम पठान दूसरेके अधिकार नही छीनना चाहते और न यह चाहते है कि दूसरे लोग हमारे अधिकारोको हडप लें। पाकिस्तानमे चार तरहके लोग बसते है—पठान, बगाली, पंजाबी और सिंधी। हम सब भाई-भाई है। हम चाहते है कि इनमे कोई भी एक-दूसरेके मामलेमे दस्तन्दाजी न करे और प्रत्येकको पूर्ण स्वायत्त शासन सुलभ हो। यदि किसीको दूसरेकी मददकी जरूरत हो और वह इसकी माँग करे तो उसे वह दी जाय।"

यह पूछे जानेपर कि क्या इससे पाकिस्तान कमजोर न हो जायगा उन्होने कहा कि इससे पाकिस्तान कमजोर होनेके बजाय और मजबूत होगा क्योकि इससे पाकिस्तानकी विभिन्न इकाइयोमे परस्पर ऐच्छिक सहकारकी भावना पैदा होगी। उन्होने कहा कि, "मैने कायदे आजम जिनासे कहा था कि आप स्वय अपनी प्रतिरक्षाके लिए और पाकिस्तानके मुसलमानोकी प्रतिरक्षा तथा इन्सानियतकी भलाईके लिए ही पठानोको एक सुदृढ जातिके रूपमे तैयार करें। मै मानवताका विनम्र सेवक हूँ।"

यह पूछे जानेपर कि क्या वे अब पख्तूनिस्तानके सवालपर मतसंग्रहकी माँग करेंगे और उन्होने जनमत-संग्रहका विरोध क्यो किया था तो खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि जनमत-संग्रहके विरोधके कई कारण थे। उसमे गलत सवाल तो उठाये ही गये थे, वह तरीका भी गलत था। अब इसपर नये सिरेसे मतसंग्रह करानेकी जरूरत नही है। इसे पाकिस्तानसे प्रत्यक्ष वार्ता करके निपटाया जा सकता है।

जब उनसे पूछा गया कि गाधीकी मृत्युके बाद क्या भारतमे मुसलमानोकी स्थिति नही बिगड जायगी, खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा "जबतक भारतमे जवाहरलाल नेहरू, राजेन्द्रप्रसाद तथा अन्य कई लोगो जैसे शीर्षस्थ नेता जीवित है, जिनका गाधीजीके सिद्धान्तोमे अटूट विश्वास है, भारतके मुसलमानोके लिए कोई भय नही है।"

पठानोपर कहाँतक अत्याचार किया जा रहा है इसका उदाहरण देते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि जनवरी १९४८ मे एक खुदाई खिदमतगार नौजवान मेरे पास आकर रहने लगा था। उन दिनो प्रान्तमे उपद्रव हो रहे थे इसलिए उसने अपने साथ एक पिस्तौल रख ली थी कि कही यदि उसकी जानपर

नीतिके आन्दोलनमें बदलनेके लिए कौन जिम्मेदार थे ? किसने हम कांग्रेसके साथ कर दिया ? अंग्रेजोंने। मैं इसको खुला कह रहा हूँ मैंने इसका जिक्र ऊँचेसे ऊँचे अंग्रेज अधिकारियोंके सामने भी किया है क्योंकि खुदाने मुझमें ऐसी हिम्मत दी है।

"हमपर यह इल्जाम लगाया जाता है कि खुदाई खिदमतगार सरकारको रचनात्मक काम नहीं करने देते क्योंकि ऐसा कोई काम शान्तिके माहौलमें ही हो सकता है। किन्तु हम यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि पाकिस्तान सरकार हमारी जनता और हमारे वतनके लिए कोई भी काम करेगी तो हम उसका साथ देंगे। मैं यह फिर कह देना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तानकी बरबादी नहीं चाहता। बरबादीमें हिन्दू, मुसलमान, सीमाप्रान्त पंजाब बंगाल या सिंध किसीकी भलाई नहीं है। सिर्फ निर्माणसे ही भलाई हो सकती है। मैं आपको यह साफ-साफ बता देना चाहता हूँ कि मैं बरबादी करनेमें किसी आदमीकी मदद नहीं कर सकता। मैं इस सदनके सामने यह घोषणा करता हूँ कि अगर आपके सामने कोई रचनात्मक योजना है अगर आप सिद्धान्तमें नहीं व्यावहारिक ढंगसे हमारी जनताके लिए कोई रचनात्मक काम करना चाहते हैं तो मेरी जनता और मेरी अपनी सेवाएँ आपको समर्पित हैं।

"मैं पिछले सात महीनोंसे पाकिस्तानी प्रशासनको देख रहा हूँ किन्तु मुझे इस प्रशासन और ब्रिटिश प्रशासनमें कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन आम लोगोंकी यही राय है। अगर आप किसी गरीबके पास जाकर उससे पूछें तो मेरे विचारकी पुष्टि हो जायगी। आप उनकी आवाजको ताकतसे दबा सकते हैं। लेकिन याद रखिये ताकत या बलप्रयोग बहुत दिनोंतक नहीं चल सकता ताकतसे सिर्फ कुछ दिनोंतक काम चलाया जा सकता है। अगर आप ताकतका प्रयोग करेंगे तो जनता आपको नफरत करने लगेगी। इसे छोड़िए मैं आपसे कहता हूँ अंग्रेजोंके वक्तसे भी आज अधिक भ्रष्टाचार है ब्रिटिश हुकूमतमें जितनी बेचैनी थी आज उससे भी ज्यादा है।

"मैं यहाँ दोस्तकी हैसियतसे आया हूँ। मैं आपके सामने जो तथ्य पेश कर रहा हूँ आप कृपया उसपर गौर करें। अगर आप उन्हें पाकिस्तानके लिए उपयोगी समझें तो बहुत अच्छा नहीं तो उनकी उपेक्षा कर दें। हम लोग अंग्रेजोंके खिलाफ क्या लड़ते थे ? हम उन्हें मुल्कसे निकाल बाहर करनेके लिए लड़ रहे थे ताकि यह मुल्क हमारा हो जाय और हम इसपर हुकूमत कर सकें। हम आज पुरानी हुकूमतके वक्तसे भी ज्यादा अंग्रेजोंको पाते हैं। इतना ही नहीं, ज्यादा-से

ज्यादा अंग्रेज हुकूमतके लिए बाहरसे बुलाये जा रहे है। हमारी बदकिस्मती है कि आज भी वही पुरानी नीति चल रही है—हर जगह वही पुराना तरीका अख्तियार किया जा रहा है फिर चाहे वह सरहदी सूबा हो या कबायली इलाका। हमे इसमें कोई तबदीली नही दिखाई देती। हमारे हिन्दू भाइयोने अपने सूबोमे हिन्दुस्तानी गवर्नरोकी नियुक्ति की है, न सिर्फ मर्द बल्कि एक औरत भी गवर्नर हो गयी है। क्या बंगाल या पंजाबमे ऐसे मुसलमान नही है जो हमारे गवर्नर हो सकते हो? जिन अंग्रेजोको हमने बाहर निकाल दिया था उन्हे फिरसे बुला लिया गया है और हमारे सिरपर बैठा दिया गया है। क्या यही इस्लामी भाईचारा है? प्रशासनमे सिर्फ यही बुराई नही है, और भी बुराइयाँ है। सरकारने कुछ अध्यादेश जारी किये है। मुझे यह देखकर सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि जब कभी सरहदी सरकार कोई विज्ञप्ति जारी करती है तो उसकी भाषा और भावना वही होती है जैसी पुराने वक्तमे हुआ करती थी। अगर कोई झूठ बोलता था तो वह गैरमुल्की था। वह यहाँ हमारी तरक्कीके लिए नही आया था। वह हमारे शोषणके लिए और स्वार्थ सिद्ध करने आया था। लेकिन हमे अग्रेजोके खिलाफ कोई शिकायत नही करनी है। हमे पाकिस्तानके खिलाफ शिकायत करनी है क्योकि वे हमारे भाई है और यह सरकार हमारी सरकार है।

"अब हमे पुराने अंग्रेजी हथकण्डे छोड देने चाहिए। अगर हमने पुराने तरीके जारी रखे तो जिस पाकिस्तानको हमने अनेक कठिनाइयोसे पाया है उसे खो देंगे।

"मै आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ। मुझपर प्राय यह इल्जाम लगाया जाता है कि मै पठानोमे पृथक् राष्ट्रीयताकी भावना पैदा करता हूँ और प्रान्तीयताको बढावा देता हूँ। दरअसल इस प्रान्तीयताको आप पैदा कर रहे है। हम पठान ये सारी बाते नही जानते। हमे यह मालूम ही नही है कि प्रान्तीयता किस चिडियाका नाम है। पठानोमे ऐसी कोई चीज है ही नही। आप सिंधका उदाहरण लें। क्या हमने सिंधमे प्रान्तीयता पैदा की है? सवाल यह है कि प्रान्तीयता पैदा कैसे होती है?

बीचमे गजनफर अली खाँने रोकते हुए पूछा, "हमारा विश्वास पाकिस्तानमे है, प्रान्तीयतामे नही।"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने पूछा, "पंजाबियोको छोडकर प्रान्तीयता और किसने सिखायी? हो सकता है कि आप इस्लामके नामपर जनताको कुछ दिनोतक गुमराह करते रहे लेकिन यह बहुत दिनोतक नही चल सकता। यह एक

अस्थायी चीज होगी। म पूछना चाहता हू कि आखिर ये परिस्थितियाँ किसने पैदा की और क्या ? यह प्रकृतिका नियम ह कि कोई भी चीज बिना कारणके नही होती और इसीसे कहता हूँ कि ये हालात बिना किसी कारणके नही पैदा हुए ह।

प्रधान मन्त्री लियाकत अली खाँने कहा 'ये हालात पैदा किये गये ह।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ 'म आपको बताना चाहता हूँ कि आप जितना ही इन बातोपर जोर देंगे कटुता उतनी ही बढेगी। म कटुता पैदा नही करना चाहता। आप मेरी प्रकृतिसे वाकिफ ह। मुझे तकरीर करना पसद नही ह। मै ऐसा पहली बार कर रहा हूँ और यह भी सिर्फ इसलिए कि म आपको अपने विचारोसे अवगत कराना चाहता हूँ।''

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा 'प्रधान मन्त्रीके पेशावरके दौरेके वक्त हमारे मुस्लिम लीगी भाइयोने भी उनके सामने पख्तूनिस्तानकी माँग पेश की थी। लेकिन उन्होने कहा था कि म खैबरसे लेकर चटगावतक सभी मुसलमानो का एक करना चाहता हूँ। लेकिन वैसी सूरतमें एक पट्टीम बसे हुए उन पठानो म एका कायम करनेपर आपको क्या एतराज हो सकता ह जिन्ह अग्रेजोने एक दूसरेसे अलग कर दिया था और यह काम कसे इस्लामके खिलाफ ह ? हम चाहते हैं कि आप सभी पठानोको एक करनेम हमारी मदद करें।'

फीरोज खाँ नूनने कहा ''और तब आप अफगानिस्तानम शामिल हो जायें!

खान अब्दुल गफ्फार खाँने जवाब दिया 'हम सिर्फ आपके ही साथ रह सकते ह अफगानिस्तानके साथ नही। हमपर आपका दावा अफगानिस्तानसे ज्यादा ह।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँने सवाल किया 'जब हमारे बगाली भाई खैबरसे दो हजार मीलकी दूरीपर रहते हुए भी पाकिस्तानम शामिल हो सकते ह और हमारे भाई हो सकते ह तो हमारे ही अपने पठान भाई जो हमारे इतने करीब हैं और जिन्हें अग्रेजोने इसलिए टुकडे-टुकडे कर रखा था कि उनकी एकतासे उनके लिए खतरा था, क्या नही पाकिस्तानके साथ रह सकते ? आप हमारे भाई ह तो हमसे डरते क्या ह ?'

लियाकत अली खाँने कहा मेहरबानी करके आप अपनी बातका और खुलासा कीजिए।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ 'मैं आपको अभी बताता हूँ कि हमारे पठा

निस्तानका मतलब क्या है। इस सूबेमे रहनेवाले लोग सिंधी कहे जाते है और उनका मुल्क सिंध है। इसी तरहसे पंजाब और बंगाल पंजाबियो और बंगालियो का मुल्क है। इसी तरह उत्तर-पश्चिमी सरहदी सूबा है। हम वहाँके रहनेवाले लोग एक है और हमारा मुल्क पाकिस्तानके अन्दर है, हम भी यही चाहते है कि हमारे मुल्कके नामसे ही यह पता चल सके कि यह हम पठानोका मुल्क है। क्या यह इस्लामके सिद्धातोके अनुसार कोई गुनाह है ?"

लियाकत अली "क्या पठान किसी मुल्कका नाम है या यह एक बिरादरी है ?"

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा . "पठान एक बिरादरीका नाम है और हम उस मुल्कका नाम पठानोके नामपर रखेंगे। मै यह समझाना चाहता हूँ कि भारतके लोग हमे पठान कहते थे और ईरानी लोग हमे अफगान कहते थे। हमारा असली नाम पख्तून है। हम पख्तूनिस्तान चाहते है और चाहते है कि डूरण्ड लाइनके इस ओर रहनेवाले सभी पठान एक होकर पख्तूनिस्तानमें रहने लगे। आप इसमे हमारी मदद करें। यदि आपकी यह दलील है कि इससे पाकिस्तान कमजोर होगा तो मै कहूँगा कि एक पृथक् राजनीतिक इकाई बना देनेसे पाकिस्तान कभी कमजोर नही हो सकता। इससे वह और भी मजबूत हो जायगा। बहुत-सी दिक्कते विश्वासकी कमीके कारण पैदा होती है। जब विश्वास पैदा हो जाता है तो सभी कठिनाइयाँ दूर हो जाती है। सरकार विश्वासके आधारपर चलायी जाती है, अविश्वासके आधारपर नही।

"दूसरी बात यह है कि हमसे मुस्लिम लीगमे शामिल हो जानेके लिए कहा जाता है। मेरे विचारमे मुस्लिम लीग अपना काम पूरा कर चुकी है। पाकिस्तान बन जानेके बाद उसका काम खत्म हो गया है। अब हमारे देशमे आर्थिक आधारपर ऐसी सघटित पार्टियाँ होनी चाहिए जो मौजूदा असमानताओको खत्म कर सके। अगर हममे कोई मतभेद हो तो हमे उसे विचार-विमर्शसे दूर करना चाहिए। इस्लाम सहिष्णुताकी शिक्षा देता है।

"पाकिस्तान गरीब देश है। उसकी सरकार सरमायादारो जैसी नही होनी चाहिए। हमे यह पता लगाना है कि पाकिस्तानका राज कैसे चलाया जाय।

"हमारे सामने अपने पुराने पुरखोकी महान् परपरा है। हमारे जिन पैगम्बरोने इस्लामी सल्तनतका निर्माण किया वे तीन ही है। जबतक हम अपने इन नेताओकी कुर्बानी और सहानुभूतिकी भावनाका अनुकरण नही करेंगे हम अपने राज्यका निर्माण ठोस बुनियादपर नही कर सकेगे। आप सब हजरत अलीके नाम

से परिचित ह । उन्होने जो कुछ भी किया इस्लाम और जनताके लिए किया । कहा जाता है कि एक बार उनके विरोधीने उनके मुँहपर तमाचा मार दिया । हजरत अलीने उसे छोड दिया क्योकि उस वक्त उसकी जान ले लेनेसे निजी ईर्ष्या-द्वेपकी भावना प्रकट होती । यही भावना हमारी भी होनी चाहिए । अब हम हजरत अबू बकरकी जिंदगीपर विचार करें । खलीफाके रूपमें उनको बहुत थोडी रकम भत्तेमें मिलती थी । उन्होने वही रकम सभी दूसरे मुसलमानोके लिए निश्चित कर दी । उनका यह कहना था कि हर आदमीके जीवनकी आवश्यकताएँ समान ह । ऐसा नही जैसा आप रहते ह कि आपकी आवश्यकता ज्यादा है, दूसरोकी कम । यही बात हजरत उमरके बारेमें भी है । जो मुस्लिम साम्राज्य इतने दिनातक चला उसका निर्माण अबू बकर और उमरने किया था । आपको मालूम होगा कि अगर कोई मामूली आदमी भी हजरत उमरकी आलोचना करने का साहस करता था तो हजरत उमर उसे कभी डराते या धमकाते नही थे और न तो उससे गुस्सा होते थे । हजरत उसके सामने सच्चे तथ्य रखकर उसे सतुष्ट करनेकी कोशिश करते थे । ऐसे लोगोक नेतत्व और मार्गदशनम मुसलमान कभी गुमराह नही हो सकते । अगर आप वही भावना पैदा करते ह तो आपका राज्य भी उसी तरह दढ हो सकता ह । जब उ हे खलीफा चुना गया और उनके भत्ते का सवाल उठा तो उन्होने कहा म मुसलमानोका सेवक हूँ और मुझे मदीनाके किसी भी मजदूरको मिलनेवाला भत्ता ही मिलना चाहिए । इसीलिए म कहता हूँ कि अगर पाकिस्तान गरीब ह तो हमे इसी सिद्धातपर उसका शासन चलाना चाहिए । अपने मौजूदा रवयेमे पाकिस्तानकी तरक्की नही हो सकती । अगर पाकिस्तानकी सरकार इस्लामी सिद्धातपर चलायी जाय तो म निश्चय ही उसका समथन करूँगा ।

'पाकिस्तानके बारेमें मेरा खयाल ह कि उसे आजाद पाकिस्तान होना चाहिए । उस किसी विशेष बिरादरी या व्यक्तिके प्रभावमें नही रहना चाहिए । पाकिस्तान को उसकी सारी जनताके लिए होना चाहिए । सभीको समान रूपसे लाभ होना चाहिए और मुट्ठीभर लोगो द्वारा सबका शोषण नही होना चाहिए । हम चाहते ह कि पाकिस्तानकी सरकार उसकी जनताके हाथोम हो । जहाँतक प्राविधिक विशेषज्ञोका सवाल ह पाकिस्तान उन्हें अमेरिका और इगलण्ड जसे देशोसे बुला सकता ह लेकिन जहाँतक प्रशासनका सवाल ह म इस बातसे सहमत नही हो सकता कि पाकिस्तानमें योग्य आदमियोकी कमी ह और यहाँके सारेके सारे लोग निकम्मे ह । जब हिन्दू अपने राजकाजका काम खुद चला सकते ह तो हम क्या

नही चला सकते ? बहुत सारे अंग्रेजोकी जगह यहाँकी सरकारी नौकरियोंमे बर-करार है और नये अंग्रेज चलते आ रहे है । मै यह जोर देकर कहना चाहता हूँ कि इससे पाकिस्तानकी भलाई नही हो सकती ।"

अखबारोको दिये गये एक वक्तव्यमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने और खुदाई खिदमतगारोपर किये गये जुल्मोकी एक लंबी सूची दी । उन्होने कहा कि पाकिस्तानकी सरकारने इस तथ्यसे इनकार कर दिया है कि उसने 'पख्तून' पत्र-का प्रकाशन बंद कर दिया है । उसका कहना है कि सिर्फ जिलेके अधिकारियोने प्रकाशकके त्यागपत्र दे देनेके बाद उसका प्रकाशन जारी रखनेको घोषणा स्वीकार नही की है। "अगर किसी पत्रके प्रकाशनके घोषणापत्रको अस्वीकार कर दिया जाय और इसके फलस्वरूप उसका प्रकाशन बंद हो जाय तो इसे यदि उस अखबारका दम घोटना नही कहेगे तो किसे कहेगे ?"

"जहाँतक नागरिक स्वतन्त्रताका सवाल है मुझे मरदान जिलेमे सामाजिक सपर्क स्थापित करनेतकको अनुमति नही दी गयी । जब मुझे अदालतमे उपस्थित होना था उस समय फौजदारी कानूनकी दफा १४४ पूरे क्षेत्रपर लागू कर दी गयी । धार्मिक समारोहोके अवसरपर वही दफा पूरे मरदान और पेशावर जिलो-पर लागू कर दी गयी । सच तो यह है कि उस दफाका उद्देश्य उन लोगोका दमन करना था जो अधिक खाद्यके लिए आन्दोलन कर रहे थे । किन्तु चूंकि इसका प्रभाव मुस्लिम लीगपर भी पडता है इसलिए यह नही कहा जा सकता नागरिक स्वतन्त्रता सुरक्षित है। इसके विपरीत इससे इसी आरोपको बल मिलता है कि सरकारी दलके लोगोके लिए भी बुनियादी आजादी खत्म हो गयी है। हजारो लोगोको बिना किसी कानूनी काररवाईके जेलोमे डाल दिया गया है । यह सब जन सुरक्षा अध्यादेशकी ४० वी दफाके अन्तर्गत किया गया है । क्या इस सबधमे सरकार अपने आँकडे प्रस्तुत कर सकेगी ?"

इसके अतिरिक्त खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि मै उस व्यवस्थाके स्वरूप से ठीक-ठीक परिचित नही हूँ जिसके द्वारा विरोधी दलोके समाचारोका दमन किया जाता है । किन्तु यह तथ्य तो साफ ही है कि खुदाई खिदमतगारोकी दो महत्त्वपूर्ण सभाओको काररवाई कही भी किसी अखबारमे नही छपी जब कि अखबारोके प्रतिनिधि उनमे मौजूद थे । निश्चय ही अखबारोके प्रतिनिधियोने यह सारे कष्ट बिना किसी उद्देश्यके नही उठाया है ।

"जिस समय मुल्कपर विदेशी हुकूमत थी ये सारा बाते समझमे आ सकती थी । किन्तु आज, जब कि पाकिस्तान आजाद हो गया है और यह कहा जाता है

कि वहाँ एक लोकप्रिय इस्लामी सरकारकी स्थापना हो गयी है, यह बात मेरी कल्पनासे बाहर है कि प्रान्तीय सरकार विदेशी साम्राज्यवादियोंकी नौकरशाहीके वे ही पुराने हथकण्डे क्यों अपना रही है।

अखबारोंमें एक हृदयस्पर्शी घटनाका विवरण इस प्रकार छपा था "तीस खुदाई खिदमतगार, जो खुद गरीब हैं अपने खर्चेसे आये हैं और उन्होंने अपनेको बादशाह खाँके अंगरक्षकोंमें शामिल कर लिया है। वे जहाँ कहीं भी जाते हैं बारी बारीसे उनपर पहरा देते रहते हैं ताकि कहीं कोई उनपर हमला कर उनकी जान न ले ले।"

कराचीमें बादशाह खाके सम्मानमें सिंधके अल्पसंख्यक समुदायकी ओरसे एक दावत दी गयी। इसमें उस समुदायके एक प्रतिनिधिने कहा कि महात्मा गांधीके जीवित रहते हम लोग अपनी कठिनाइयोंको हल करनेके लिए उनके पास जाया करते थे किन्तु उनके देहान्तके बाद हम बादशाह खाके पास जाना होगा क्योंकि हम सबके लिए 'महात्माजीके बाद वे ही दूसरे आदरणीय व्यक्ति' हैं। इसीलिए उन्होंने बादशाह खाँसे अनुरोध किया कि हमारे सामने आगे जो कठिन समय आनेवाला है उसमें आप हमारा मार्ग दर्शन करें। इसके उत्तरमें बादशाह खाँने उनसे कहा कि यह सबके लिए परीक्षाकी घडी है। सरहदी सूबेमें खुदाई खिद मतगारोंका मन्त्रिमण्डल बन गया था लेकिन कुछ साल बाद वह इसलिए खत्म हो गया कि वह जनताकी उतनी सेवा न कर सका जितनी उसे करनी चाहिए थी। उसने पूरी तरह अपने सकल्प पूरे नहीं किये। मैंने कांग्रेस कार्य समितिको सरहदी मन्त्रिमण्डलकी इस कमजोरीसे आगाह किया था लेकिन कांग्रेस कार्य-समिति या खुद मन्त्रिमण्डलने इस ओर ध्यान नहीं दिया और परिस्थितिमें कोई सुधार नहीं किया। "दुनियामें आखिरमें सच्चाई और धार्मिकताकी ही विजय होगी सिर्फ निस्वार्थ और ईमानदार नेता ही देशकी तरक्की कर सकते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों देशोंके नेताओंमें जब ये गुण दिखाई देने लगेंगे तभी इन देशोंकी खुशहालीका रास्ता खुल सकेगा।" खुदा इन्सानका बराबर इम्तहान लेता रहता है लेकिन इन इम्तहानोंमें वे मुल्क, सघटन और व्यक्ति ही अन्तमें कामयाब होते हैं जो विपत्तियोंका मुकाबला धैर्य और हिम्मतके साथ कर सकते हैं। इम्तहान-की घडीमें आप लोगोंको गुस्सेपर काबू पाना चाहिए और नैतिकता और आदर्शों की ठोस संहिता बनाकर समस्त हर कठिनाईके दौरान कड़ाईसे पालन करना चाहिए।

पठानोंकी एक सभामें, जिसमें अधिकांश मजदूर थे, उन्होंने कहा कि पिछले

पचीस सालोसे अंग्रेजोके खिलाफ लडी जानेवाली आजादीकी लडाईमे उन्होने सबसे आगे रहकर मोर्चा सँभाला है और उन्हीके कारण पाकिस्तानका निर्माण हो सका है। पाकिस्तानी प्रशासनके सिरपर बैठे सरमायादार लोग पठानोसे इस-लिए डरते है कि वे नि स्वार्थ है और वरावर मुल्कके लिए हर तरहकी तकलीफ उठानेके लिए तैयार रहते है। पाकिस्तान वननेके वादसे ही सरहदी सूवेमे अध्या-देशका शासन चल रहा है। पठानोको अपने भविष्यके संवंधमे आशंका है और वे यह जानना चाहते है कि आखिर पाकिस्तानमे उनका क्या स्थान है। यदि उनके साथ समानताका व्यवहार करनेका इरादा है तो उनसे इसकी सलाह ली जानी चाहिए कि पाकिस्तानमे प्रशासनका कौन-सा तरीका हो और इसके अलावा दूसरे मामलोमे भी उनके विचार जानने चाहिए। भारतमे प्रातोमे गवर्नरोकी नियुक्तिके समय प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलोसे सलाह ली जाती है जव कि सीमाप्रातमे एक ऐसे नौकरशाहको पख्तूनोपर लाद दिया गया है जिससे वे नफरत करते है।

कराचीमें अपने तीन महीनेके घटनावहुल प्रवासका वर्णन करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँ लिखते है

"वँटवारेके वाद अयूव खाँके भाईने, जो संविधान सभाके सदस्य थे, मेरे सामने यह प्रस्ताव रखा कि हम दोनो पार्लमेण्टकी वैठकमे शामिल हों और यह देखें कि हम वहाँ क्या कर सकते है। वादमे मुझे पता चल गया कि उनका इरादा उस समयकी अशान्त परिस्थितिमे अपना उल्लू सीधा करना था। आगे चलकर उन्होने हम लोगोके खिलाफ काम करनेके लिए ह्विप नियुक्त कर दिया और उनकी इस सेवाका उन्हे यह इनाम मिला कि वे उपमन्त्री वना दिये गये।

"मार्च १९४८ मे हमने सिंधके श्री सैयदके साथ अवामी पार्टीकी स्थापना की। लियाकत अलीने पार्लमेण्टमे किये गये अपने एक भाषणमे हमारी निन्दा करते हुए 'हिन्दू' और 'गद्दार' कहा। उन्होने इस सिलसिलेमे उर्दूका एक शेर भी पढा जिसका यह मतलव होता है कि उन्होने यह सोच रखा था कि आखिरमे हम लोग उनके साथ एक हो गये है किन्तु वादमे यह देखकर निराशा हुई कि हम अव भी अजनवी हैं। इसके जवावमे मैंने फिरसे यह वात दुहरायी कि हम मुसल-मान है और उन्हीके भाई है वशर्ते वे हमे इसी रूपमे कवूल करें। मैंने कहा कि हम पाकिस्तानी है, हमने पाकिस्तानी झण्डेके प्रति निष्ठाकी शपथ ली है। मैंने लियाकत अलीसे पूछा कि क्या यह ताज्जुवकी वात नहीं है कि जिन्हे नमाज पढने-की भी तमीज न हो और जो लोग शरणार्थियोके रूपमे पाकिस्तान आये हो वे लोग भी हमारे मुसलमान और पाकिस्तानी होनेके अधिकारपर एतराज करें?

लियाकत अलीने यह कहकर कि यह इनकिलाब है अपनी बातकी लीपा-पोती कर दी।

"डाक्टर एम० ए अंसारी मेरे और गुलाम मुहम्मद दोनोंके दोस्त थे। इसीलिए उनके मार्फत गुलाम मुहम्मद हमें भी जानते थे। उन्होंने हमसे कहा कि यदि हम उनके दलमें शामिल हो जायें तो वे हमारे नामजद उम्मीदवारोंको केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलमें पहुँचा देंगे और हमें अम्बेसडरोंकी नियुक्तिमें भी उचित भाग देंगे। हमने उद्देश्योंके बुनियादी तफरकेके आधारपर उनके दलमें शामिल होनेसे इनकार कर दिया।

'कराचीमें जिनाने मुझे अपने साथ खाना खानेकी दावत दी। खानेके बाद उन्होंने मुझे रोक रखा और अलग कोठरीमें ले गये। उन्होंने पूछा कि 'आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते ? मैंने उनसे कहा कि हमारा काम मुख्यतः सामाजिक है। स्वयं आपने केन्द्रीय सभामें एक वक्त जब कि अंग्रेज सरकारने हमारे आन्दोलनको राजनीतिक करार दिया था तो हमारे पक्षका समर्थन किया था। आपने कहा था कि ब्रिटिश सरकारने ही ऐसी हालत पैदा कर दी जिससे हमारा सामाजिक काम करना असंभव हो गया और हम जबरदस्ती लाचार होकर राजनीतिमें आना पड़ा। मैंने पूछा कि इस सूरतमें जब कि अभी उस दिन *लियाकतने हमें 'हिंदू और गद्दार' कहा है एक साथ काम करनेकी गुंजाइश ही* कहाँ रह जाती है। जिनाने क्षमा याचनाके स्वरमें कहा कि लियाकतकी फब्तियाँ बड़ी बेजा और गैरमुनासिब हैं जिसके लिए मुझे अफसोस है।

हमने अपने सामाजिक कायमें मुस्लिम लीगसे सहकार करनेकी प्रार्थना की थी। इससे निराश होनेपर ही हम कांग्रेसके पास गये। मैंने उनसे कहा कि मेरा यह विश्वास है कि किसी भी पिछड़ी जनतामें स्वस्थ राजनीतिक भावनाका उदय नहीं हो सकता और बिना स्वस्थ राजनीतिक भावनाके किसी तरहके लोकतन्त्र की स्थापना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने अपनेको सामाजिक कायमें लगा रखा है। इससे जिना बहुत प्रभावित हुए। वे अपनी कुर्सीपरसे उठकर खड़े हो गये और मुझे गलेसे लगा लिया। उन्होंने मुझे यथाशक्ति हर तरहकी मदद देनेका वादा किया। मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी मदद नहीं चाहता मैं आपका विश्वास और सहकार चाहता हूँ।

उन्होंने कहा कि मैंने अभी दो लाख चरखोंका आर्डर कर दिया है। मैं सरहदी सूबेकी अपनी आगामी यात्रामें खुदाई खिदमतगारोंसे मिलूँगा। आपको चाहिए कि आप इन चरखोंसे अपना काम आगे बढ़ा दें। मैंने उनसे कहा कि

चरखे बना लेना आसान है लेकिन उन्हे चला पाना उतना आसान नही है।

"जिस समय मै सरहदी सूबेके लिए रवाना हुआ अभी सविधान सभाकी बैठक चल ही रही थी। मैने कार्यकर्ताओसे जिनाके साथ हुई अपनी मुलाकातके बारेमे बताते हुए उन्हे रचनात्मक कार्यका एक जोरदार आन्दोलन चलानेको कहा।"

अप्रैल १९४८ के मध्य गवर्नर जनरलके रूपमे जिनाने सरहदी सूबेका अपना पहला सरकारी दौरा किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उनसे मिले और उन्होने उनसे भावी कार्यक्रमके बारेमे पूछा। १८ अप्रैलको खुदाई खिदमतगारोकी एक बैठक हुई जिसमे एक प्रस्ताव पास हुआ। इस प्रस्तावको निम्नलिखित पत्रके रूपमे जिनाके पास भेज दिया गया.

"मेरी आपके साथ जो बातें हुई थी उन्हे मैने खुदाई खिदमतगार सगठनके प्रतिनिधियो सामने पेश कर दिया है। उन्होने एकमतसे यह निश्चय किया है कि वे पाकिस्तानको मजबूत बनाने और उसकी हिफाजत करनेमे किसी तरहकी कोशिश न उठा रखेगे। उन्होने यह भी तय किया है कि वे ऐसा कोई भी काम न करेगे जिससे सरकारी काममे किसी भी तरहकी अडचन पैदा हो लेकिन वे सरकारकी वैध आलोचना करते रहेगे।"

पेशावरमे जिनासे हुई अपनी मुलाकातके बारेमे खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँ लिखते है

"गवर्नर जनरलके बलूचिस्तान स्थित भूतपूर्व एजेन्ट सर अम्ब्रोज हुण्डासकी नियुक्ति सर जार्ज कनिघमके स्थानपर हुई थी। चीफ सेक्रेटरी, चीफ इजीनियर, रेवेन्यू कमिश्नर तथा खुफिया विभागके डाइरेक्टर आदि सभी महत्त्वपूर्ण पदोपर अंग्रेज तथा उनके गुर्गे नियुक्त थे। जब उन्हे यह मालूम हुआ कि हमारा जिनासे समझौता हो गया तो उन्हे इससे भय हो गया। मुख्य मंत्री खान अब्दुल कयूम खाँ और उनके अंग्रेज मददगारोके गुटको ऐसा लगने लगा कि उनके पैरोंके नीचेकी जमीन खसकने लगी है। उन्होने सोचा कि अगर अब भी समय रहते उन्होने कुछ नही किया तो हमारे दिन लद गये है। वे सब एक हो गये और उन्होने हमारे बीच दरार डालनेका षड्यन्त्र शुरू कर दिया।

"जब जिना सरहदी सूबेमे आये और खुदाई खिदमतगारोसे उनकी वार्ताका सवाल सामने आया तो उन लोगोने उन्हे समझाया कि इस तरहका कोई मौका देना बडा गलत होगा। अग्रेज अफसरोने कहा कि हमने खुदाई खिदमतगारोके आन्दोलनको सिर्फ चार महीनेकी मोहलत दी, उसका यह नतीजा हुआ कि अब

उसपर काबू पाना मुश्किल हो गया है। उन्हें निर्दोष और निरीह बना देनेका सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें मुस्लिम लीगमें हजम कर लिया जाय। उन्होंने जिनाको यह भी समझाया कि खुदाई खिदमतगार बड़े ही खतरनाक लोग हैं। अगर आप उनके किसी जलसेमें शरीक हुए तो उसका नाजायज फायदा उठायेंगे और यह भी मुमकिन है कि वे आपको कत्ल कर दें।

जब हम लोग जिनासे मुलाकातके लिए समय निर्धारित करने गये तो उन्होंने यह बहाना करके हमारा निमन्त्रण अस्वीकार कर दिया कि किसी गैर सरकारी सभामें उनके जानेसे दूसरे लोगोंको बुरा लग सकता है इसलिए वे ऐसा कोई भी निमन्त्रण संभवतः स्वीकार न कर सकेंगे। यह उनका कोरा बहाना ही था क्योंकि इसके बाद वे कई गैरसरकारी सभाओंमें शामिल हुए थे।

'अपने खिलाफ इस तरहके झूठे प्रचारको देखते हुए हम जिनाके दौरेसे संबद्ध किसी कार्यक्रममें शामिल नहीं हुए। गवर्नमेंट हाउसमें आमन्त्रित होनेके कारण सिर्फ मैं उनसे वहाँपर जाकर मिला। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या बात है जिससे आप मेरे स्वागतमें आयोजित किसी भी जलसेमें नहीं दिखाई पड़े। उनका मतलब यह था कि शायद हम लोगोंने उनके दौरेका बहिष्कार कर रखा है और इस तरह उनका अपमान किया है। मैंने उन्हें जवाब दिया कि मैं स्वभावतः फकीर हूँ। मुझे अमीरोंकी दावतों और स्वागत-सभाओंमें जानेमें संकोच होता है। इसके बाद जिनाने कहा कि मुल्ककी भलाईके लिए हम लोगोंके लिए सही रास्ता यही होगा कि हम मुस्लिम लीगमें पूरी तरहसे मिल जायें। मैंने उनसे पूछा कि आप हमारी सेवाओंका लाभ उठाना चाहते हैं या यह चाहते हैं कि हम किसी तरहकी सेवा करनेके लिए अयोग्य और निकम्मे हो जायँ?'

'जिनाने कहा, 'बेशक मैं आपकी सेवाओंका भी फायदा उठाना चाहता हूँ।

मैंने उन्हें जवाब दिया तो आप अपनी अध्यक्षतामें खुदाई खिदमतगार संगठनकी स्थापना होने दीजिए। मैं सिर्फ इसी तरहके संगठनके मार्फत काम कर सकता हूँ।

जिनाने कहा लेकिन मैं तो आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी कहेंगे मैं उससे सहमत रहूँगा। तब आप कोई काम करनेके योग्य क्या नहीं रहेंगे?'

मैंने उत्तर दिया 'मैं इन मुस्लिम लीगियोंके साथ काम नहीं कर सकता।'

'क्यों नहीं?' जिनाने पूछा।

मैंने कहा वे लोग ईमानदार नहीं हैं वे सबके सब खुदगर्ज लोग हैं और

जनताको लूटनेका इरादा रखते हैं।'

"जिनाने पूछा, 'इसका क्या सबूत है ?'

"मैने कहा . 'हिन्दुओकी करोडो रुपयेकी जायदादपर उन्होने कब्जा कर रखा है। शरैयतमे जैसा कहा गया है क्या इनमेसे किसीने इस माल-ए-गनीमतमे से अपना हिस्सा जनताके कोषमे दिया है ?'

"जिनाने कहा 'लेकिन निश्चय ही सबके सब लोग उसी श्रेणीमे नही आते। कुछ-न-कुछ अपवाद तो होगे ही।'

"मैने कहा 'जरूर अपवादस्वरूप वे लोग है जिन्हे लूटका माल पानेका मौका नही मिला है।'

"इसके बाद अब्दुल कयूम और उनके गुटके लोगोने बाकायदा ऐसे कई आदमियो और गुटोको नियुक्त कर दिया जो हमारे खिलाफ जिनाका कान भरने लगे। जिना उनकी बातोमे आ गये।

"इस खेलकी आखिरी चाल पहले सिरेकी मक्कारीके साथ चली गयी थी। जिना एक सार्वजनिक सभामे भाषण करनेवाले थे। अब्दुल कयूमने अपने दलालो को सभास्थलकी खास-खास जगहोपर यह निर्देश देकर तैनात कर दिया था कि जिनाके भाषणके समय वे रह-रहकर उठ खडे हो और अशान्ति पैदा कर वहाँसे चलते बनें। जब कभी ऐसा कोई आदमी उठता और अशान्ति पैदा करता तो कयूम चिल्ला पडते 'अरे, खुदाई खिदमतगारोका बदमाश, तू चुप क्यो नही रहता ?' उनकी यह चाल काम कर गयी। जिनाको यह यकीन हो गया कि खुदाई खिदमतगार बदमाश लोग है और वे उन्हे मार डालनेपर आमादा है। सरहदी सूबेसे विदा होनेके पहले ही उन्होने यह निर्देश दे दिया कि जैसे भी हो खुदाई खिदमतगारोको कुचल दिया जाय। इस काममे लियाकत अलीको खुली छूट दे दी गयी। उन्हे यह अधिकार भी दे दिया गया कि वे अपनी इच्छासे किसी भी डिप्टी कमिश्नर या गजटेड अधिकारीको मुअत्तल या बरखास्त कर सकते है।

"जिनाकी विदाईके बाद गनीने डाक्टर खान साहबको सूचित किया कि खुदाई खिदमतगारोके दमनके लिए सर जी कनिंघमको फिरसे गवर्नरके रूपमे वापस बुलाया जा रहा है। कनिंघमने सरकारी अधिकारियोको सलाह दी कि वे ऐसा कोई काम न करें जिससे खुदाई खिदमतगार नाराज हो जायँ। उन्होने गनीको बुलाकर यह समझाया कि खुदाई खिदमतगारोको सरहदी मुस्लिम लीगके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैने गनीसे कहा कि वह कनिंघमको साफ-साफ

बता दे कि हमारे लिए ऐसा कर पाना शायद ही सम्भव हो। हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक है और उनका विध्वंसात्मक। ऐसी सूरतमें हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ शीघ्र ही पाकिस्तानी संविधान सभामें शामिल होनेके लिए कराची वापस आये। मईके शुरूमें ही उन्होंने संवाददाताओंसे हुई एक मुलाकातमें यह घोषित कर दिया था कि 'उनकी पार्टी मुस्लिम लीगमें नहीं शामिल होगी क्योंकि उसमें वैयक्तिक स्वतन्त्रताके अधिकारको कोई मान्यता प्राप्त नहीं। मुस्लिम लीग और खुदाई खिदमतगार संगठनके दृष्टिकोण और कार्यपद्धति में जमीन आसमानका अन्तर है यह तो एक बात हुई, दूसरे मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि मुस्लिम लीग उन लोगोंके खिलाफ बड़ी ही बेसब्री और गुण्डागर्दीका व्यवहार करती है जिनके विचार उनसे मेल नहीं खाते और जो गलत कामका सही करना चाहते हैं। अनेक प्रमुख लीगी कार्यकर्ताओंको भी सिर्फ इसीलिए पचमागी कह दिया जाता है कि वे सरहदी मन्त्रिमण्डलके अनेक गलत कामोंकी खुली आलोचना करनेकी हिम्मत दिखाते हैं। जब उन नेताओंके प्रति ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तानकी स्थापनाके लिए सरहदी जनमत संग्रहमें काम किया था तो आज उन खुदाई खिदमतगारोंके मुस्लिम लीग में शामिल होनेका क्या फायदा है जो पख्तून जातिकी सेवामें हर तरहके विरोधों का बहादुरीसे सामना करते रहे हैं और जिन्हें आज शामिल होनेके बाद कल ही निकाल बाहर किया जायगा।'

१३ मईको खान अब्दुल गफ्फार खाँने घोषित किया कि उन्होंने खुदाई खिदमतगार आन्दोलनको पाकिस्तानके सभी प्रान्तोंमें फैला देनेका निश्चय किया है। खुदाई खिदमतगारोंका उनका संगठन हालमें बनी उस पाकिस्तानकी अवामी पार्टीके साथ स्वयंसेवक दलके रूपमें कार्य करेगा जिसने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि यह एक गैरसाम्प्रदायिक संगठन है। इसमें पाकिस्तानके सभी प्रगतिशील वर्ग शामिल हैं। इसके सामने उदार लोकतान्त्रिक आदर्श है। इसके उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं 'पाकिस्तानको एक ऐसे समाजवादी गणतन्त्रोंके संघ' के रूपमें मानकर उसकी सुरक्षा और उन्नतिके लिए काम करना जो जनताकी ऐच्छिक सहमतिसे सत्ता और अधिकार प्राप्त करता है, सबके लिए पूर्ण स्वायत्तताकी व्यवस्था करना और सभी पड़ोसी राज्यों तथा खासकर भारत से सम्मानपूर्ण सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाना।

इस नये दलकी स्थापनापर सरकारी अधिकारी सख्त नाराज हो गये। खान

अब्दुल गफ्फार खाँको पहले सिरेका विघटनवादी कहा गया। उन्होने संवाद-दाताओंसे हुई एक भेंटमे कहा कि, "मै इस बातपर जितना सोचता हूँ उतना ही मेरी समझमे यह नही आता कि आखिर सत्ताधारी लोग क्या करनेपर तुले हुए है। वे एक ओर तो इस्लामके नामपर मुल्ककी एकता और ताकत वढाने की अपील करते हैं लेकिन दूसरी ओर वे उन लोगोके प्रति संकीर्ण दृष्टि और तुच्छ बुद्धिकी नीति वरतते है जो पाकिस्तानकी एकता और खुशहालीके बुनियादी सिद्धान्तपर तो उनके साथ एकमत है किन्तु इस लक्ष्यको हासिल करनेके लिए वे जो तरीका और दृष्टिकोण अपनाना चाहते है वे सत्ताधारियोसे मेल नही खाते। वगलके भारत डोमिनियनमे हिन्दू महासभा और डाक्टर अम्वेडकरका परिगणित जाति सघ काग्रेसके घोर विरोधी थे किन्तु ज्यों ही भारतने आजादी हासिल की सभी प्रतिद्वन्द्वी दल एक दूसरेसे सहयोग करने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और डाक्टर अम्वेडकर इस समय पण्डित नेहरू और सरदार पटेलके सहयोगी है यद्यपि उन्होने अपने सघटनोको सत्तारूढ काग्रेस पार्टीमे विलीन नही कर दिया है। इसके विपरीत पाकिस्तानमे जो कुछ हो रहा है वह वहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुस्लिम लीगी नेताओंको नही वल्कि सारे मुल्कको तकलीफ उठानी होगी। मैं कितनी वार पाकिस्तानके प्रति निष्ठा व्यक्त कर चुका हूँ फिर भी मेरी पार्टीके प्रति उनका जैसा शत्रुतापूर्ण रवैया है उससे वे मुसलमानोमे फूट डाल रहे है। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया है कि, "हम आपके प्रशासनके रास्तेमे किसी तरह-की अडचन नही पैदा करना चाहते, हम सत्ता नही चाहते, मन्त्रिमण्डलोपर आपका ही एकाधिकार वना रहे, आप सिर्फ हमे अपनी जनताकी सेवा अपने तरीकेसे करनेकी छूट दे दे।' फिर भी वे हमें शान्तिसे नही रहने देना चाहते। उनके अनुसार राज्यके प्रति निष्ठाका केवल यही मानदण्ड है कि एकदलीय शासनके सामने विना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया।"

मई, १९४८ के तीसरे सप्ताहमे सविधान सभाकी बैठक समाप्त होनेपर खान अब्दुल गफ्फार खाँ सरहदी सूवा वापस आ गये। उन्होने जनताके सामने जमैयत-उल-अवाम (जनता पार्टी) का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होने इस सिलसिलेमे काजी अताउल्ला खाँके साथ पेशावर और मरदान जिलोके गाँवोसे अपना दौरा शुरू किया।

मरदानकी एक वहुत वडी सभामे भाषण करते हुए उन्होने कहा कि, "मैंने पाकिस्तान संविधान सभाका नाटक देखा है। पाकिस्तानी नेताओ और पुराने

बता दे कि हमारे लिए ऐसा कर पाना शायद ही सम्भव हो। हमारा दृष्टिकोण रचनात्मक है और उनका विध्वंसात्मक। ऐसी सूरतमें हम उनके साथ कैसे काम कर सकते हैं।'

खान अब्दुल गफ्फार खाँ शीघ्र ही पाकिस्तानी संविधान सभामें शामिल होनेके लिए कराची वापस आये। मईके शुरूमें ही उन्होंने संवाददाताओंसे हुई एक मुलाकातमें यह घोषित कर दिया था कि 'उनकी पार्टी मुस्लिम लीगमें नहीं शामिल होगी क्योंकि उसमें वैयक्तिक स्वतन्त्रताके अधिकारको कोई मान्यता प्राप्त नहीं। मुस्लिम लीग और खुदाई खिदमतगार संगठनके दृष्टिकोण और कार्यपद्धति में जमीन आसमानका अन्तर है यह तो एक बात हुई दूसरे मुझे यह देखकर बड़ा दुःख होता है कि मुस्लिम लीग उन लोगोंके खिलाफ बड़ी ही बेसब्री और गुण्डागर्दीका व्यवहार करती है जिनके विचार उनसे मेल नहीं खाते और जो गलत कामको सही करना चाहते हैं। अनेक प्रमुख लीगी कार्यकर्ताओंको भी सिर्फ इसीलिए पंचमांगी कह दिया जाता है कि वे सरहदी मन्त्रिमण्डलके अनेक गलत कामोंकी खुली आलोचना करनेकी हिम्मत दिखाते हैं। जब उन नेताओंके प्रति ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जिन्होंने पाकिस्तानकी स्थापनाके लिए सरहदी जनमत संग्रहमें काम किया था तो आज उन खुदाई खिदमतगारोंके मुस्लिम लीग में शामिल होनेका क्या फायदा है जो पख्तून जातिकी सेवामें हर तरहके विरोधोंका बहादुरीसे सामना करते रहे हैं और जिन्हें आज शामिल होनेके बाद कल ही निकाल बाहर किया जायगा।'

१३ मईको खान अब्दुल गफ्फार खाँने घोषित किया कि उन्होंने खुदाई खिदमतगार आन्दोलनको पाकिस्तानके सभी प्रान्तोंमें फैला देनेका निश्चय किया है। खुदाई खिदमतगारोंका उनका संगठन हालमें बनी उस पाकिस्तानकी अवामी पार्टीके साथ स्वयंसेवक दलके रूपमें कार्य करेगा जिसने उन्हें अपना अध्यक्ष चुना है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि यह एक गैरसाम्प्रदायिक संगठन है। इसमें पाकिस्तानके सभी प्रगतिशील वर्ग शामिल हैं। इसके सामने उदार लोकतान्त्रिक आदर्श है। इसके उद्देश्य और लक्ष्य इस प्रकार हैं 'पाकिस्तानको एक ऐसे समाजवादी गणतन्त्रके संघके रूपमें मानकर उसकी सुरक्षा और दृढ़ताके लिए काम करना जो जनताकी ऐच्छिक सहमतिसे सत्ता और अधिकार प्राप्त करता है सबके लिए पूर्ण स्वायत्तताकी व्यवस्था करना और सभी पड़ोसी राज्यों तथा खासकर भारतसे घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाना।

इस नये दलकी स्थापनापर सरकारी अधिकारी सख्त नाराज हो गये। खान

अब्दुल गफ्फार खाँको पहले सिरेका विघटनवादी कहा गया। उन्होंने संवाद-दाताओंसे हुई एक भेंटमे कहा कि, "मैं इस बातपर जितना सोचता हूँ उतना ही मेरी समझमे यह नही आता कि आखिर सत्ताधारी लोग क्या करनेपर तुले हुए है। वे एक ओर तो इस्लामके नामपर मुल्ककी एकता और ताकत बढाने की अपील करते है लेकिन दूसरी ओर वे उन लोगोंके प्रति संकीर्ण दृष्टि और तुच्छ बुद्धिकी नीति बरतते है जो पाकिस्तानकी एकता और खुशहालीके बुनियादी सिद्धान्तपर तो उनके साथ एकमत है किन्तु इस लक्ष्यको हासिल करनेके लिए वे जो तरीका और दृष्टिकोण अपनाना चाहते है वे सत्ताधारियोंसे मेल नही खाते। बगलके भारत डोमिनियनमे हिन्दू महासभा और डाक्टर अम्बेडकरका परिगणित जाति संघ कांग्रेसके घोर विरोधी थे किन्तु ज्यो ही भारतने आजादी हासिल की सभी प्रतिद्वन्द्वी दल एक दूसरेसे सहयोग करने लगे जिसका परिणाम यह हुआ कि डाक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी और डाक्टर अम्बेडकर उस समय पण्डित नेहरू और सरदार पटेलके सहयोगी है यद्यपि उन्होंने अपने संघटनोको सत्तारूढ कांग्रेस पार्टीमे विलीन नही कर दिया है। इसके विपरीत पाकिस्तानमे जो कुछ हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो मुस्लिम लीगी नेताओंको नही बल्कि सारे मुल्कको तकलीफ उठानी होगी। मैं कितनी बार पाकिस्तानके प्रति निष्ठा व्यक्त कर चुका हूँ फिर भी मेरी पार्टीके प्रति उनका जैसा शत्रुतापूर्ण रवैया है उससे वे मुसलमानोमें फूट डाल रहे है। मैंने उनसे साफ-साफ कह दिया है कि, "हम आपके प्रशासनके रास्तेमें किसी तरह-की अडचन नही पैदा करना चाहते; हम सत्ता नही चाहते, मन्त्रिमण्डलोपर आपका ही एकाधिकार बना रहे, आप सिर्फ हमे अपनी जनताकी सेवा अपने तरीकेसे करनेकी छूट दे दे।' फिर भी वे हमे शान्तिसे नही रहने देना चाहते। उनके अनुसार राज्यके प्रति निष्ठाका केवल यही मानदण्ड है कि एकदलीय शासनके सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया।"

मई, १९४८ के तीसरे सप्ताहमे संविधान सभाकी बैठक समाप्त होनेपर खान अब्दुल गफ्फार खाँ सरहदी सूबा वापस आ गये। उन्होंने जनताके सामने जमैयत-उल-अवाम (जनता पार्टी) का कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उन्होंने इस सिलसिलेमे काजी अताउल्ला खाँके साथ पेशावर और मरदान जिलोके गाँवोसे अपना दौरा शुरू किया।

मरदानकी एक बहुत बडी सभामे भाषण करते हुए उन्होने कहा कि, "मैंने पाकिस्तान संविधान सभाका नाटक देखा है। पाकिस्तानी नेताओ और पुराने

अग्रेज नौकरशाहोमे कतई कोई फरक नही ह। सबसे आसान दलील यह दी जाती ह कि पाकिस्तान अभी अपने बचपनके दिनोमे गुजर रहा है। मैं उन्हें हिंदुस्तानकी ओर देखनेके लिए आमन्त्रित करता हूँ। वहाँके नेताओने तूफानी मौसम के बावजूद राज्यके जहाजको सुरक्षित ढगसे किनार लगा लिया ह। उन्होने सविधानका प्रारूप तैयार कर लिया है जब कि पाकिस्तानमें अभीतक ऐसी कोई चीज नही हो सकी है। इससे केवल यही निष्कष निकाला जा सकता ह कि पाकिस्तानके नेता लोकतान्त्रिक व्यवस्थासे डरते हैं। नेता केवल स्वाथ सिद्ध करनेमें लगे हुए ह और पाकिस्तानका अपनी निजी जागीर समझते ह। यह बडे खेद की बात ह कि ये सभी शरणार्थी हैं इनका मूलत पाकिस्तानसे कोई सबध नही है।'

उन्होने अपने भाषणम जिनाको भी नही छोडा। "पाकिस्तानके गवर्नर जनरलके रूपमें कायद आजम जिना मुस्लिम राष्ट्रके प्रतिनिधि नही ह। उन्हें ब्रिटेन के बादशाहने नियुक्त किया था और इस रूपमें वे उनके प्रति जिम्मेदार हैं, न कि राष्ट्रके प्रति। म इस अवसरपर आपसे साफ कह देना चाहता हूँ कि जिस इस्लामी कानून या कुरानके कानूनको लागू करनेके लिए आप इतने दिनोंसे चिल्लाते रहे हैं और जिसके लिए आपके सगे सबधियोने अपनी जानें कुर्बान कर दी वह पाकिस्तानमे कभी भी लागू न होगा।'

अन्तमें उन्होने कहा "मेरे पठान भाइयो म आपको आगाह करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान राज्यके साझेदार ह। आप इस राज्यके चौथाई भागके हकदार ह। अब यह आपके ऊपर ह कि आप जग जाय और एक होकर आपका जो कुछ ह उसे पानेका सकल्प लें। आप दृढताके साथ एक होकर काय करें और पाकिस्तानी नेताओने आपके चारों ओर जो बालूकी दीवार उठा रखी ह उसे ढहा दें। हम मौजूदा हालतको अब बिलकुल गवारा नही कर सकत। आप कमर कसकर तैयार हो जाय और पख्तूनोंकी उस आजादीकी ओर उनम आगे बढें जिसके लिए अबतक न जाने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं और मुसीबतें सही ह। हम तब तक चैन न लेंगे जबतक हम पख्तूनिस्तान—अर्थात ऐसा शासन जो पख्तूनोंका हो, पख्तूनोंके लिए हो और पख्तूनों द्वारा हो, बनानेमें कामयाब न हो जायँ।

असन्तुष्ट जनता बहुत बडी तादादमें उनके झण्डेके नीचे एकत्र होने लगी। सरहदी सरकार आतकित हो गयी और उसने उन्हें गिरफ्तार करनेका निश्चय किया। उत्तरी जिलोंका दौरा समाप्त करनेके बाद व दक्षिणी जिलोंके लिए रवाना हुए। १५ जून, १९४८ को प्रात काल वे कोहाटमें बहादुर खेलके निकट

पाकिस्तानके कैदी

१९४८–५४

पश्चिमोत्तर सीमाप्रांतकी सरकारको ८ जुलाई सन १९४८ को एक असामान्य अधिकार मिल गया कि वह जिन सगठनाको शान्ति और सुरक्षाके लिए आपत्तिजनक समझे उनको अध्यादेशके द्वारा अवध घोषित कर दे। खान अब्दुल गफ्फार खाँके गिरफ्तार कर लिये जानेके बाद उन्हींके मार्गपर चलते हुए साधारण खुदाई खिदमतगारोंतकने अपनेको एक क्रूर प्रतिशोधके हवाले कर दिया। बादशाह खाँके इस निर्देशके बावजूद कि वे लोग जेलमे न जाय एक हजारसे भी अधिक खुदाई खिदमतगार कारागारोंमें भर गये। उनमेंसे कुछ पुलिस थानोंके आगे प्रदर्शन करते हुए भावनाजन्य उत्तेजनाकी स्थितिमें गिरफ्तार किये गये। उनसे बडा प्रतिशोध १२ अगस्त १९४८ को लिया गया जिसकी तुलना केवल अमृतसरके (जलियाँवाले बागके) हत्याकाण्डसे की जा सकती है। उस दिन पुलिसने चारसद्दाके निकट बाबा गाँवमें प्रदर्शनके लिए एकत्रित खुदाई खिदमतगारोंकी भीडपर गोली वर्षा की और गाँवके सामनेके मैदानको एक खूनी बूचडखाना बना दिया। सरकारी तौरपर हताहतोंकी सख्यामे पन्द्रह व्यक्ति मृत और पचास घायल बतलाये गये परन्तु बादमे प्राप्त सूचनाओंके आधारपर यह सख्या बढकर कई सौतक पहुँच गयी। एक प्रत्यक्षदर्शीने कुरानकी शपथ लेकर कहा कि वहाँ लगभग दो हजार लोग मरे। आज भी इस इलाकेका सबसे बडा कब्रिस्तान बाबा गाँवके पडोसमें ही बना हुआ है।

एक प्रत्यक्षदर्शीके कथनानुसार इस गोलीकाण्डमे पुलिसका एक ताकतवर जत्था अप्रत्याशित रूपसे १२ अगस्तको वहाँ पहुँच गया। गाँवके लोग नमाज पढनेके लिए मस्जिदमें एकत्र थे और कुछ बाहर भी थे। पुलिसने बाहर खडी भीडपर आपत्ति की और भीडको बिना कोई चेतावनी दिये हुए उसपर गोली चला दी। उसमे लगभग ५० व्यक्ति मारे गये और ४०० घायल हुए। दूसरी बार उस समय गोली चली जब कि चालीसके लगभग महिलाएँ जो मस्जिदमें थी, उससे बाहर निकली। उनमेंसे बहुतसी अपने सिरपर कुरानकी छोटी प्रतियाँ रखे थी। गोलियोंने उस पवित्र ग्रन्थको भी जिसे वे महिलाएँ लिये जा रही थी छेद दिया। गोली चला चुकनेके बाद पुलिसने गाँवका घेरा शुरू कर दिया। उन

लोगोकी एक चारपाईतकको न छोड़ा गया। गाँवको लूटते समय पुलिसने विना देखे-भाले अन्धाधुन्ध गोली चलायी जिससे कई वालक मारे गये। गाँववाले आतंकित होकर खेतो और खाड्योकी ओर भागे लेकिन वे वहाँ भी न बच सके। समाचारपत्र चुप थे। उनको तथ्योका सही वर्णन प्रकाशित करनेसे रोक दिया गया था।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने बाब्राकी घटनाओका वर्णन इन शब्दोमे किया है

"इन लोगोकी गिरफ्तारीके लगभग डेढ महीने वाद, जब कि डा० खान साहव वाहर थे, खुदाई खिदमतगार जुमाकी नमाजके लिए चारसद्दा इकट्ठे हुए। वे अपने जेल गये हुए साथियोके लिए भी प्रार्थना करना चाहते थे और उनकी रिहाईकी माग करना चाहते थे। वह मस्जिद, जिसमे ये सब लोग एकत्र हुए थे, एक ऊँचे स्थानपर बनी हुई थी। वे सब एक व्यवस्थित ढगसे जुलूसके रूपमे आगे वढते जा रहे थे। एक वृद्ध पुरुष उनका नेतृत्व कर रहे थे। स्त्रियाँ अपने सिरोपर कुरानकी प्रतियाँ रखे हुए थी। अब्दुल कयूमने अपनी पुलिसकी टुकडियाँ मस्जिदपर तैनात कर दी थी। जैसे ही वह जुलूस मस्जिदकी ऊँचाईके नीचे पहुँचा उसके ऊपर मशीनगनसे गोलियाँ वरसने लगी। गोलियोकी इस वरसातमे कुरानकी प्रतियोकी धज्जियाँ उड गयी और स्त्रियोके मस्तक भी उड गये। खुदाई खिदमतगारोके कमाण्डरने उनको लेट जानेका आदेश दिया। जो लोग झुके हुए थे उनके शरीर गोलियोकी मारसे चलनी हो गये। जो लोग वच गये थे उनको नमाज पढते समय मारा गया। उनसे कहा गया कि 'हिन्दू' होनेके कारण उनको नमाज पढ़नेका कोई हक नही है। उस मस्जिदको, जिसमे कि वे अब एकत्र हुए थे, 'हिन्दू मस्जिद' का नाम दे दिया गया। उनके कपडे उतार दिये गये। फिर उनको तालावोमे फेक दिया गया। उनके आधे सिर और एक ओर की मूँछें मूड दी गयी और गधोपर वैठाकर गाँवमे उनकी सवारी निकाली गयी। उनकी स्त्रियोके आगे उनको अभद्र और अमानवीय यातनाएँ तो दी ही गयी, उनका जो अपमान किया गया उसे शब्दो द्वारा कहा नही जा सकता। डा० खान साहव और गनीको भी गिरफ्तार कर लिया गया।"

इस मानव-संहारके पश्चात् खुदाई खिदमतगारोकी शिकारकी तरह खोज की गयी, जिसमे कि सेनाने भाग लिया। खुदाई खिदमतगार शान्त रहे और वे तनिक भी उत्तेजित नही हुए। सितम्वरके मध्यमे खुदाई खिदमतगारोका संगठन अवैध घोषित कर दिया गया और खान अब्दुल गफ्फार खाँके सरदरयावके केन्द्रकी

कुर्की कर ली गयी।

अब्दुल कयूमने अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए उस मुस्लिम लीगके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया जिसने कि उनको मुख्य मंत्रित्व दिलाया था। अपने हाथमें अधिकार लेते ही उन्होंने दमन, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्तीको प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया। पेशावरकी एक सार्वजनिक सभाको सम्बोधित करते हुए मि० जिनाने कड़ी चेतावनी दी 'हमारी 'सर्च लाइट' अपने मंत्रियोंके ऊपर पड़ रही है। हम उनके कार्योंका 'एक्स रे' करेंगे।" सितम्बर १९४८ में मि० जिनाकी मृत्यु हो गयी। इससे अब्दुल कयूमकी हिम्मत और भी बढ़ गयी। उन्होंने खुदाई खिदमतगारोंकी गिरफ्तारीका कारण बतलाते हुए भारतके विरुद्ध कुछ अत्यंत गम्भीर आरोप लगाये। १९ मार्च सन १९४९ को प्रधान मंत्री पं० नेहरूने संविधान सभामें यह कहा

सरकारका ध्यान पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी एक विज्ञप्तिकी ओर आकर्षित किया गया है। उसमें एक षड्यन्त्रके सम्बन्धमें जिसमें कि हजारा जिलेके लाल कुर्तीवाले शामिल बतलाये गये हैं कई तरहके आरोप किये गये हैं। सरकारने इस विज्ञप्तिको आश्चर्य और अत्यंत खेदके साथ देखा है। यद्यपि उसमें भारतका विशेष रूपमें उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी उसके सारे शब्द अप्रत्यक्ष रूपसे यह अभियोग लगाते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकार और पाकिस्तानकी सरकारके बीच भारतीय संघ एक पक्ष है। उसमें यह भी कहा गया है कि लाल कुर्तीवालोंको भारतकी ओरसे धन भेजा जाता है। जहाँतक इसका सम्बन्ध है भारत-सरकार इन आरोपोंका खण्डन करती है।

'सीमा प्रान्त और इसी तरह पश्चिमोत्तरके कबायली इलाकोंकी अत्यंत गम्भीर घटनाओंके बारेमें अबतक सरकारने कोई मत व्यक्त नहीं किया है क्योंकि वह अन्य सरकारोंके आन्तरिक मामलोंमें किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती फिर भी वहाँ जो स्थितियाँ उभर रही हैं उनपर एक बढ़ती हुई चिन्ताके साथ उसकी दृष्टि रही है। जाहिर है कि खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्तीवालोंने जैसा कि वे अक्सर कहलाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डॉ० खान साहबके नेतृत्वमें ब्रिटिश सत्तासे आजादीकी लड़ाई लड़नेमें एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी ऊँचे दर्जेकी सच्चाई, स्वार्थ-त्याग और देशभक्तिकी न केवल सारे भारतमें बल्कि विश्वके अन्य भागोंमें भी सराहना की गयी है। यद्यपि उनको अत्यधिक उत्तेजित किया जाता रहा फिर भी उन्होंने

शातिपूर्वक कार्य करनेका एक उल्लेखनीय आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होने एक ऐसा स्तर कायम कर दिया है, जिसको निभाते हुए काम करना भारतके अन्य प्रान्तोके लोगोके लिए भी सरल नही है। खान अब्दुल गफ्फार खॉने अहिंसात्मक कार्यके सिद्धातको वीर तथा युद्ध-प्रिय पठानोतक पहुँचाया और उनकी महान् शक्तिको शान्तिमय स्रोतोमे बदल दिया। भारतके विभाजनसे उद्विग्न होते हुए भी उन्होने उसे पूरी ईमानदारीके साथ स्वीकार किया और नयी व्यवस्थाके प्रति अपने लगावसे सार्वजनिक रूपमे घोषित किया। लेकिन इसके साथ उन्होने यह दावा भी किया कि पठान आतरिक मामलोमें स्वायत्त शासनके अधिकारी है। उन्होने एक नीतिके रूपमे पाकिस्तानको स्वीकार किया लेकिन इसके साथ ही पठानोकी आतरिक स्वतन्त्रताके लिए वे शान्तिपूर्ण ढंगसे प्रयत्न करते रहे। किसी भी ऐसे आदमीके लिए, जो कि स्वाधीनताके इस शानदार लडाकेसे परिचित रहा है, यह विश्वास कर लेना असम्भव है कि उसका किसी गुप्त गतिविधिसे भी कोई सम्बन्ध हो सकता है। स्पष्टवादिता, सच्चाई, साहस और अपनी जनताके प्रति उनकी निष्ठा उनके विशिष्ट गुण है।

"भारतकी सरकार और जनताने विभाजन और उसके परिणामोको स्वीकार कर लिया, इन परिवर्तनोको निष्ठापूर्वक सहन कर लिया और पाकिस्तानके भीतरकी किसी स्थानीय घटनाको लेकर हस्तक्षेप नही किया लेकिन उसके लिए यह असम्भव है कि वह उन वीरतम और उत्कृष्टतम सेनानियोके भाग्यके प्रति गहरी दिलचस्पी न रखे जिन्हे कि हिन्दुस्तानने ही पेश किया है। अत वे उन अनेक घटनाओसे दुःखी है जिनमें कि शांत खुदाई खिदमतगारो और उनके नेताओपर घोर दमन किया गया है। उनके साथ खास तौरपर ऐसा व्यवहार किया गया है जिसकी किसी भी सरकारसे अपेक्षा नही की जा सकती।

"खान अब्दुल गफ्फार खाँको, जो भारतकी पिछली पीढीके सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरुषोमेसे एक है, एक वर्षसे भी अधिक समयतक नजरबन्दीकी हालतमे रखा गया और इस अवधिमे उनका स्वास्थ्य बहुत बिगड गया। पिछले साल या उससे भी पहले सीमाप्रान्तमे कौनसी घटनाएँ हुई यह मैं नही गिनाना चाहता। लेकिन जो कुछ हुआ उसकी कहानी समाचार-पत्रोमे समय-समयपर आती रही है। वह अत्यंत खेदजनक है। हम बिलकुल मौन रहे और विभाजनके पश्चात् खुदाई खिदमतगारो और उनके नेताओसे हमारा कोई सम्बन्ध नही रहा लेकिन उन पुराने साथियोकी तकलीफें, जो भारतकी आजादीकी लडाईमे हमारे साथ कधेसे कधा मिलाकर लडे थे, हमे मर्मान्तिक पीड़ा पहुँचा रही है।

कुर्की कर ली गयी।

अब्दुल कयूमने अपना प्रभुत्व बनाये रखनेके लिए उस मुस्लिम लीगके ऊपर भी हमला करना शुरू कर दिया जिसने कि उनको मुख्य मंत्रित्व दिलाया था। अपने हाथमें अधिकार लेते ही उन्होंने दमन, भ्रष्टाचार और कुनबापरस्तीको प्रोत्साहन देना प्रारम्भ कर दिया। पेशावरकी एक सार्वजनिक सभाको सम्बोधित करते हुए मि० जिनाने कड़ी चेतावनी दी "हमारी 'सर्च लाइट' अपने मंत्रियोंके ऊपर पड़ रही है। हम उनके कार्योंका 'एक्स रे' करेंगे।" सितम्बर १९४८ में मि० जिनाकी मृत्यु हो गयी। इससे अब्दुल कयूमकी हिम्मत और भी बढ़ गयी। उन्होंने खुदाई खिदमतगारोंकी गिरफ्तारीका कारण बतलाते हुए भारतके विरुद्ध कुछ अत्यंत गम्भीर आरोप लगाये। १९ मार्च सन १९४९ को प्रधान मंत्री पं० नेहरूने संविधान सभामें यह कहा

सरकारका ध्यान पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी एक विज्ञप्तिकी ओर आकर्षित किया गया है। उसमें एक षड्यंत्रके सम्बन्धमें, जिसमें कि हजारा जिलेके लाल कुर्तीवाले शामिल बतलाये गये हैं कई तरहके आरोप किये गये हैं। सरकारने इस विज्ञप्तिको आश्चर्य और अत्यंत खेदके साथ देखा है। यद्यपि उसमें भारतका विशेष रूपमें उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी उसके सारे शब्द अप्रत्यक्ष रूपमें यह अभियोग लगाते हैं कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तकी सरकार और पाकिस्तानकी सरकारके बीच भारतीय संघ एक पक्ष है। उसमें यह भी कहा गया है कि लाल कुर्तीवालोंको भारतकी ओरसे धन भेजा जाता है। जहाँतक उसका सम्बन्ध है, भारत-सरकार इन आरोपोंका खण्डन करती है।

'सीमा प्रान्त और इसी तरहसे पश्चिमोत्तरके कबायली इलाकोंकी अत्यंत गम्भीर घटनाओंके बारेमें अबतक सरकारने कोई मत व्यक्त नहीं किया है क्योंकि वह अन्य सरकारोंके आन्तरिक मामलोंमें किसी प्रकारका कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहती फिर भी वहाँ जो स्थितियाँ उभर रही हैं उनपर एक बढ़ती हुई चिन्ताके साथ उसकी दृष्टि रही है। जाहिर है कि खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्तीवालोंने, जैसा कि वे अक्सर कहलाते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खाँ और डॉ० खान साहबके नेतृत्वमें विदेशी सत्तासे आजादीकी लड़ाई लड़नेमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनकी ऊँचे दर्जेकी सच्चाई, स्वार्थ-त्याग और देशभक्तिकी न केवल सारे भारतमें बल्कि विश्वके अन्य भागोंमें भी सराहना की गयी है। यद्यपि उनको अत्यधिक उत्तेजित किया जाता रहा फिर भी उन्होंने

"पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तिमें शेख अब्दुल्ला और कश्मीरका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बात स्मरण रखनी होगी कि अक्तूबर सन् १९४७ और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने और खास तौरसे उसके प्रीमियर' (मुख्य मन्त्री) ने छापामारोंको सगठित करनेमें और उनको कश्मीरमें प्रवेश करानेमें अत्यत सक्रिय रूपसे भाग लिया था। यह बात विशेष रूपसे सबको मालूम ह कि कश्मीरके बारेमें उनकी गतिविधियाँ अत्यत आपत्तिजनक रही हं।

"निष्कर्ष रूपमें, मै इस बातको फिर दुहराना चाहूँगा कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तके बारेमे जारी की गयी इस विज्ञप्तिको हम अप्रामाणिक और दुर्भाग्यजनक समझते ह। उसका भारत और पाकिस्तानके सम्बन्धोंपर, जिन्हें कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे ह, अच्छा प्रभाव नही पडेगा।"

खान बन्धुओंके साथ पाकिस्तानकी सरकारने जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसके विरोधमें सारे भारतमें सभाएँ की गयी, और उनमें उन लोगोंके लिए एक गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।

मई मासमें पश्चिमी पजाबकी सरकारने निम्नांकित प्रेस-नोट जारी किया

'पश्चिमी पजाबकी सरकारने खेदपूर्वक यह नोट किया ह कि खान अब्दुल गफ्फार खांके, जो इन दिनो मान्टगोमरी जेलमे रोके गये ह, कुछ मित्रोंने उनकी ओरसे काल्पनिक शिकायतें प्रकाशित करायी ह।

"इसमें सबसे हालका प्रयास वह विवरण ह जिसमें यह कहा गया ह कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ एकान्त कारावासमें हैं और अधिकारियों द्वारा उनके स्वास्थ्यकी उचित देखभाल नहीं की जा रही ह। ये शिकायतें पूर्णतया असत्य हं।

'खान अब्दुल गफ्फार खाँको एक काफ़ी बडी बैरकमें रखा गया ह, जिससे एक स्नान-गृह जुड़ा हुआ ह। वहाँ उनको बिजलीके पखे और पानीके नलकी सुविधाएँ दी गयी ह और उनका खाना बनानेके लिए तथा बरक एव आँगन साफ करनेके लिए अलग नौकरोंकी व्यवस्था की गयी ह। बैरकमें सब्जियाँ और फूल उगानेके लिए एक काफ़ी बडा आँगन है। वे अपनी रुचिके अनुसार बगीचेकी देखभाल करते रहते हैं। खोदनेमें और बीज बोनेमें वे विशेष दिलचस्पी लेते हैं। उनका एक विशेष प्रार्थनापर सीमाप्रान्तकी हरिपुर जेलके 'बी' श्रेणीके दो कैदियोंको तबादला करके माण्टगोमरी जेलमें ले आया गया है और उनको उनकी बैरकसे जुडी हुई एक अलग बरकमें रख दिया गया है। खानको अकेले या अपने

साथियोंके साथ कसरत करनेकी इजाजत है। उनके लिए वैडमिण्टनकी व्यवस्था कर दी गयी है और उनको सप्ताहमे चार पत्र लिखनेकी अनुमति दी गयी है। उनको समाचारपत्र भी दिये जाते है" ।"

२७ मार्च सन् १९५० को परराष्ट्र मंत्रालयके लिए बजटकी माग पेश करते हुए पं० नेहरूने संसदमे कहा :

"अवतक मै सीमाप्रान्तकी घटनाओके वारेमे वहुतसी वाते कहनेमें हिचकता रहा हूँ क्योंकि हमारी नीति पाकिस्तानके आंतरिक मामलोकी आलोचना करने-की नही रही है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियाँ मुझको मेरे उन साथियों और मित्रोके सम्वन्धमें थोड़ा-वहुत कहनेको विवश कर देती है जिन्होंने कि भारतके स्वाधीनता-संग्राममे हममेंसे वहुतोसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है इसलिए मेरे लिए या किसीके लिए यह कहना या कल्पना करना ही एक झूठ होगा या वहुत कुछ अमानवीय होगा कि हम उन लोगोको कभी भूल सकते है जिन्होने जिन्दगीभर हमारे कंधेसे कंधा भिडाकर आजादीकी लडाई लडी है। इसलिए हम लोग एक-दूसरेमे घनिष्ठताके साथ दिलचस्पी रखते है। अपनी इस विवशतापर हमे खेद है कि हम केवल दूरसे ही एक-दूसरेमे दिलचस्पी रख सकते है और इस समस्याको हल करनेमे उनकी कोई मदद नही कर सकते।"

समूचे सीमाप्रान्त और कवायली इलाकेमे एक तीव्र असंतोप व्याप्त था। पाकिस्तानकी वायुसेनाने १७ मार्चसे लेकर २८ मार्च १९५० तक अनेक वार कुछ पख्तून गाँवोके ऊपर वमवारी की। कराचीसे जारी की गयी एक विज्ञप्तिमे कहा गया. "अफगानिस्तानके छापामारोके एक वहुत वडे गिरोहने, जिसमें वहाँकी सेनाके लोग भी थे, ३० सितम्वरको पाकिस्तानकी सीमाको पार किया लेकिन जव पाकिस्तानके सैनिकोने उनका सामना किया तव वे शीघ्रतासे पीछे हट गये।"

अफगानिस्तानके शाहने प्रतिनिधियोके सदनका उद्‌घाटन करते हुए कहा .

"यद्यपि अफगानिस्तानने पाकिस्तानकी मैत्रीके आभारको स्वीकार किया है और उसे सहकार देनेकी अपनी इच्छा भी व्यक्त की है फिर भी डूरण्ड रेखाके उस पार वसनेवाले पठानोकी स्वाधीनताकी उत्कृष्ट आकांक्षा और उनके लगातार विरोधकी ओर ध्यान देते हुए तथा न्यायके सिद्धात और उनकी स्वाधीनताके अधिकारको आदर देते हुए, उनकी वहुइच्छित स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए वह (अफगानिस्तान) स्वयंपर एक उत्तरदायित्वका अनुभव करता है। अफगान सरकारने वडे धैर्य और सहनशीलताके साथ इस वातकी प्रतीक्षा की कि ये

"पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तिमें शेख अब्दुल्ला और कश्मीरका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बात स्मरण रखनी होगी कि अक्तूबर सन् १९४७ और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने और खास तौरसे उसके 'प्रीमियर' (मुख्य मन्त्री) ने छापामारोंको सगठित करनेमें और उनको कश्मीरमें प्रवेश करानेमे अत्यत सक्रिय रूपसे भाग लिया था। यह बात विशेष रूपसे सबको मालूम है कि कश्मीरके बारेमें उनकी गतिविधियाँ अत्यत आपत्तिजनक रही हैं।

"निष्कर्ष रूपमें, मैं इस बातको फिर दुहराना चाहूँगा कि पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्तके बारेमें जारी की गयी इस विज्ञप्तिको हम अप्रामाणिक और दुर्भाग्यजनक समझते हैं। उसका भारत और पाकिस्तानके सम्बन्धोपर, जिन्हें कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव नही पडेगा।"

खान बन्धुओंके साथ पाकिस्तानकी सरकारने जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसके विरोधमें सारे भारतमे सभाएँ की गयी, और उनमें उन लोगोंके लिए एक गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।

मई मासमें पश्चिमी पजाबकी सरकारने निम्नाकित प्रेस-नोट जारी किया

"पश्चिमी पजाबकी सरकारने खेदपूर्वक यह नोट किया है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके, जो इन दिनो माटगोमरी जेलमे रोके गये हैं, कुछ मित्रोंने उनकी ओरसे काल्पनिक शिकायतें प्रकाशित करायी हैं।

' इसमें सबसे हालका प्रयास वह विवरण है जिसमें यह कहा गया है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ एकान्त कारावासमें है और अधिकारियो द्वारा उनके स्वास्थ्यकी उचित देख भाल नही की जा रही है। ये शिकायतें पूर्णतया असत्य हैं।

"खान अब्दुल गफ्फार खाँको एक काफी बडी बैरकमें रखा गया है, जिससे एक स्नान-गृह जुडा हुआ है। वहाँ उनको बिजलीके पखे और पानीके नलकी सुविधाएँ दी गयी है और उनका खाना बनानेके लिए तथा बरक एव आँगन साफ करनेके लिए कुदी नौकरोंकी व्यवस्था की गयी है। बरकमें सब्जियाँ और फूल उगानेके लिए एक काफी बडा आँगन है। वे अपनी रुचिके अनुसार बगीचेकी देख भाल करते रहते हैं। खोदनेमें और बीज बोनेमें वे विशेष दिलचस्पी लेते हैं। उनकी एक विशेष प्रार्थनापर सीमाप्रान्तकी हरिपुर जेलके 'बी' श्रेणीके दो कैदियोंको तबादला करके माण्टगोमरी जेलमें ले आया गया है और उनको उनकी बैरकसे जुडी हुई एक अलग बरकमें रख दिया गया है। खानको अकेले या अपने

साथियोके साथ कसरत करनेकी इजाजत है। उनके लिए वैडमिण्टनकी व्यवस्था कर दी गयी है और उनको सप्ताहमे चार पत्र लिखनेकी अनुमति दी गयी है। उनको समाचारपत्र भी दिये जाते है ।"

२७ मार्च सन् १९५० को परराष्ट्र मंत्रालयके लिए वजटकी माग पेश करते हुए पं० नेहरूने संसदमे कहा :

"अवतक मै सीमाप्रान्तकी घटनाओके वारेमे वहुतसी वाते कहनेमें हिचकता रहा हूँ क्योकि हमारी नीति पाकिस्तानके आंतरिक मामलोंकी आलोचना करनेकी नही रही है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां मुझको मेरे उन साथियो और मित्रोके सम्वन्धमे थोडा-वहुत कहनेको विवश कर देती है जिन्होने कि भारतके स्वाधीनता-संग्राममे हममेंसे वहुतोसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है इसलिए मेरे लिए या किसीके लिए यह कहना या कल्पना करना ही एक झूठ होगा या वहुत कुछ अमानवीय होगा कि हम उन लोगोको कभी भूल सकते है जिन्होने जिन्दगीभर हमारे कधेसे कंधा भिड़ाकर आज़ादीकी लड़ाई लड़ी है। इसलिए हम लोग एक-दूसरेमे घनिष्टताके साथ दिलचस्पी रखते है। अपनी इस विवशतापर हमे खेद है कि हम केवल दूरसे ही एक-दूसरेमे दिलचस्पी रख सकते है और इस समस्याको हल करनेमे उनकी कोई मदद नही कर सकते।"

समूचे सीमाप्रान्त और कवायली इलाकेमे एक तीव्र असंतोष व्याप्त था। पाकिस्तानकी वायुसेनाने १७ मार्चसे लेकर २८ मार्च १९५० तक अनेक वार कुछ पख्तून गांवोके ऊपर वमवारी की। कराचीसे जारी की गयी एक विज्ञप्तिमे कहा गया. "अफगानिस्तानके छापामारोके एक वहुत वडे गिरोहने, जिसमें वहाँकी सेनाके लोग भी थे, ३० सितम्वरको पाकिस्तानकी सीमाको पार किया लेकिन जव पाकिस्तानके सैनिकोने उनका सामना किया तव वे शीघ्रतासे पीछे हट गये।"

अफगानिस्तानके शाहने प्रतिनिधियोके सदनका उद्घाटन करते हुए कहा .

"यद्यपि अफगानिस्तानने पाकिस्तानकी मैत्रीके आभारको स्वीकार किया है और उसे सहकार देनेकी अपनी इच्छा भी व्यक्त की है फिर भी डूरण्ड रेखाके उस पार वसनेवाले पठानोकी स्वाधीनताकी उत्कृष्ट आकाक्षा और उनके लगातार विरोवकी ओर ध्यान देते हुए तथा न्यायके सिद्धात और उनकी स्वाधीनताके अधिकारको आदर देते हुए, उनकी वहुइच्छित स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए वह (अफगानिस्तान) स्वयंपर एक उत्तरदायित्वका अनुभव करता है। अफगान सरकारने वडे धैर्य और सहनशीलताके साथ इस वातकी प्रतीक्षा की कि ये

"पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तिमें शेख अब्दुल्ला और कश्मीरका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बात स्मरण रखनी होगी कि अक्तूबर सन् १९४७ और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने और खास तौरसे उसके प्रीमियर (मुख्य मंत्री) ने छापामारोंको संगठित करनेमें और उनको कश्मीरमें प्रवेश करानेमें अत्यंत सक्रिय रूपसे भाग लिया था। यह बात विशेष रूपसे सबको मालूम है कि कश्मीरके बारेमें उनकी गतिविधियाँ अत्यंत आपत्तिजनक रही हैं।

"निष्कर्ष रूपमें, मैं इस बातको फिर दुहराना चाहूँगा कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके बारेमें जारी की गयी इस विज्ञप्तिको हम अप्रामाणिक और दुर्भाग्यजनक समझते हैं। उसका भारत और पाकिस्तानके सम्बन्धोंपर, जिन्हें कि हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

खान बन्धुओंके साथ पाकिस्तानकी सरकारने जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसके विरोधमें सारे भारतमें सभाएँ की गयीं, और उनमें उन लोगोंके लिए एक गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।

मई मासमें पश्चिमी पंजाबकी सरकारने निम्नांकित प्रेस-नोट जारी किया:

"पश्चिमी पंजाबकी सरकारने खेदपूर्वक यह नोट किया है कि खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँके, जो इन दिनों मान्टगामरी जेलमें रोके गये हैं, कुछ मित्रोंने उनकी ओरसे काल्पनिक शिकायतें प्रकाशित करायी हैं।

"इसमें सबसे हालका प्रयास वह विवरण है जिसमें यह कहा गया है कि खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ एकान्त कारावासमें हैं और अधिकारियों द्वारा उनके स्वास्थ्यकी उचित देख भाल नहीं की जा रही है। ये शिकायतें पूर्णतया असत्य हैं।

"खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँको एक काफ़ी बड़ी बैरकमें रखा गया है, जिससे एक स्नान-गृह जुड़ा हुआ है। वहाँ उनको बिजलीके पंखे और पानीके नलकी सुविधाएँ दी गयी हैं और उनका खाना बनानेके लिए तथा बैरक एवं आँगन साफ़ करनेके लिए कैदी नौकरोंकी व्यवस्था की गयी है। बैरकमें सब्जियाँ और फूल उगानेके लिए एक काफ़ी बड़ा आँगन है। वे अपनी रुचिके अनुसार बग़ीचेकी देख भाल करते रहते हैं। खोदनेमें और बीज बोनेमें वे विशेष दिलचस्पी लेते हैं। उनका एक विशेष प्रार्थनापर सीमाप्रान्तकी हरिपुर जेलके 'बी' श्रेणीके दो कैदियोंको तबादला करके मान्टगोमरी जेलमें ले आया गया है और उनको उनकी बैरकसे जुड़ी हुई एक अलग बैरकमें रख दिया गया है। खानको अकेले या अपने

साथियोके साथ कसरत करनेकी इजाजत है। उनके लिए वैडमिण्टनकी व्यवस्था कर दी गयी है और उनको सप्ताहमे चार पत्र लिखनेकी अनुमति दी गयी है। उनको समाचारपत्र भी दिये जाते है ।"

२७ मार्च सन् १९५० को परराष्ट्र मंत्रालयके लिए वजटकी मांग पेश करते हुए पं० नेहरूने संसदमें कहा :

"अवतक मै सीमाप्रान्तकी घटनाओके वारेमे वहुतसी वाते कहनेमे हिचकता रहा हूँ क्योकि हमारी नीति पाकिस्तानके आंतरिक मामलोकी आलोचना करनेकी नही रही है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां मुझको मेरे उन साथियों और मित्रोके सम्वन्धमे थोड़ा-वहुत कहनेको विवश कर देती है जिन्होंने कि भारतके स्वाधीनता-संग्राममें हममेसे वहुतोसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है इसलिए मेरे लिए या किसीके लिए यह कहना या कल्पना करना ही एक झूठ होगा या वहुत कुछ अमानवीय होगा कि हम उन लोगोको कभी भूल सकते है जिन्होने जिन्दगीभर हमारे कधेसे कंधा भिडाकर आज़ादीकी लडाई लडी है। इसलिए हम लोग एक-दूसरेमे घनिष्टताके साथ दिलचस्पी रखते हैं। अपनी इस विवशतापर हमे खेद है कि हम केवल दूरसे ही एक-दूसरेमे दिलचस्पी रख सकते है और इस समस्याको हल करनेमे उनकी कोई मदद नही कर सकते।"

समूचे सीमाप्रान्त और कवायली इलाकेमे एक तीव्र असंतोप व्याप्त था। पाकिस्तानकी वायुसेनाने १७ मार्चसे लेकर २८ मार्च १९५० तक अनेक वार कुछ पख्तून गांवोके ऊपर वमवारी की। कराचीसे जारी की गयी एक विज्ञप्तिमे कहा गया. "अफगानिस्तानके छापामारोके एक वहुत वडे गिरोहने, जिसमे वहाँकी सेनाके लोग भी थे, ३० सितम्वरको पाकिस्तानकी सीमाको पार किया लेकिन जव पाकिस्तानके सैनिकोने उनका सामना किया तव वे शीघ्रतासे पीछे हट गये।"

अफगानिस्तानके शाहने प्रतिनिधियोके सदनका उद्घाटन करते हुए कहा :

"यद्यपि अफगानिस्तानने पाकिस्तानकी मैत्रीके आभारको स्वीकार किया है और उसे सहकार देनेकी अपनी इच्छा भी व्यक्त की है फिर भी डूरण्ड रेखाके उस पार वसनेवाले पठानोकी स्वाधीनताकी उत्कृष्ट आकाक्षा और उनके लगातार विरोधकी ओर ध्यान देते हुए तथा न्यायके सिद्धात और उनकी स्वाधीनताके अधिकारको आदर देते हुए, उनकी वहुइच्छित स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए वह (अफगानिस्तान) स्वयंपर एक उत्तरदायित्वका अनुभव करता है। अफगान सरकारने वडे धैर्य और सहनशीलताके साथ इस वातकी प्रतीक्षा की कि ये

"पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकार द्वारा जारी की गयी विज्ञप्तिमें शेख अब्दुल्ला और कश्मीरका भी उल्लेख किया गया है। यहाँ यह बात स्मरण रखनी होगी कि अक्तूबर सन् १९४७ और उसके बाद पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी सरकारने और खास तौरसे उसके 'प्रीमियर' (मुख्य मंत्री) ने छापामारोंको संगठित करनेमें और उनको कश्मीरमें प्रवेश करानेमें अत्यंत सक्रिय रूपसे भाग लिया था। यह बात विशेष रूपसे सबको मालूम है कि कश्मीरके बारेमें उनकी गतिविधियाँ अत्यंत आपत्तिजनक रही हैं।

"निष्कर्ष रूपमें, मैं इस बातको फिर दुहराना चाहूँगा कि पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तके बारेमें जारी की गयी इस विज्ञप्तिको हम अप्रामाणिक और दुर्भाग्यजनक समझते हैं। उसका भारत और पाकिस्तानके सम्बन्धोंपर, जिन्हें कि हम सुधारनेकी कोशिश कर रहे हैं, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

खान बन्धुओंके साथ पाकिस्तानकी सरकारने जो अमानवीय व्यवहार किया था, उसके विरोधमें सारे भारतमें सभाएँ की गयीं, और उनमें उन लोगोंके लिए एक गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी।

मई मासमें पश्चिमी पंजाबकी सरकारने निम्नांकित प्रेस-नोट जारी किया

'पश्चिमी पंजाबकी सरकारने खेदपूर्वक यह नोट किया है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँके, जो इन दिनों मान्टगोमरी जेलमें रोके गये हैं, कुछ मित्रोंने उनकी ओरसे काल्पनिक शिकायतें प्रकाशित करायी हैं।

'इसमें सबसे हालका प्रयास वह विवरण है जिसमें यह कहा गया है कि खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँ एकान्त कारावासमें हैं और अधिकारियों द्वारा उनके स्वास्थ्यकी उचित देखभाल नहीं की जा रही है। ये शिकायतें पूर्णतया असत्य हैं।

"खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँको एक काफी बड़ी बैरकमें रखा गया है, जिससे एक स्नान-गृह जुड़ा हुआ है। वहाँ उनको बिजलीके पंखे और पानीके नलकी सुविधाएँ दी गयी हैं और उनका खाना बनानेके लिए तथा बैरक एवं आँगन साफ करनेके लिए कैदी नौकरोंकी व्यवस्था की गयी है। बैरकमें सब्जियाँ और फूल उगानेके लिए एक काफ़ी बड़ा आँगन है। वे अपनी रुचिके अनुसार बग़ीचेकी देखभाल करते रहते हैं। खोदनेमें और बीज बोनेमें वे विशेष दिलचस्पी लेते हैं। उनकी एक विशेष प्रार्थनापर सीमाप्रान्तकी हरिपुर जेलके 'बी' श्रेणीके दो कैदियोंको तबादला करके माण्टगोमरी जेलमें ले आया गया है और उनको उनकी बैरकसे जुड़ी हुई एक अलग बैरकमें रख दिया गया है। खानको अकेले या अपने

साथियोके साथ कसरत करनेकी इजाजत है। उनके लिए बैडमिण्टनकी व्यवस्था कर दी गयी है और उनको सप्ताहमे चार पत्र लिखनेकी अनुमति दी गयी है। उनको समाचारपत्र भी दिये जाते है ।"

२७ मार्च सन् १९५० को परराष्ट्र मंत्रालयके लिए बजटकी माग पेश करते हुए पं० नेहरूने संसदमे कहा :

"अबतक मै सीमाप्रान्तकी घटनाओके बारेमे बहुतसी बाते कहनेमे हिचकता रहा हूँ क्योकि हमारी नीति पाकिस्तानके आंतरिक मामलोकी आलोचना करनेकी नही रही है। लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां मुझको मेरे उन साथियों और मित्रोके सम्बन्धमे थोड़ा-बहुत कहनेको विवश कर देती है जिन्होंने कि भारतके स्वाधीनता-संग्राममे हममेसे बहुतोसे अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी है इसलिए मेरे लिए या किसीके लिए यह कहना या कल्पना करना ही एक झूठ होगा या बहुत कुछ अमानवीय होगा कि हम उन लोगोको कभी भूल सकते है जिन्होने जिन्दगीभर हमारे कधेसे कंधा भिड़ाकर आजादीकी लडाई लडी है। इसलिए हम लोग एक-दूसरेमे घनिष्ठताके साथ दिलचस्पी रखते है। अपनी इस विवशतापर हमे खेद है कि हम केवल दूरसे ही एक-दूसरेमे दिलचस्पी रख सकते है और इस समस्याको हल करनेमे उनकी कोई मदद नही कर सकते।"

समूचे सीमाप्रान्त और कबायली इलाकेमे एक तीव्र असंतोप व्याप्त था। पाकिस्तानकी वायुसेनाने १७ मार्चसे लेकर २८ मार्च १९५० तक अनेक बार कुछ पख्तून गांवोके ऊपर बमबारी की। कराचीसे जारी की गयी एक विज्ञप्तिमे कहा गया. "अफगानिस्तानके छापामारोके एक बहुत बडे गिरोहने, जिसमें वहाँकी सेनाके लोग भी थे, ३० सितम्बरको पाकिस्तानकी सीमाको पार किया लेकिन जब पाकिस्तानके सैनिकोने उनका सामना किया तब वे शीघ्रतासे पीछे हट गये।"

अफगानिस्तानके शाहने प्रतिनिधियोके सदनका उद्घाटन करते हुए कहा .

"यद्यपि अफगानिस्तानने पाकिस्तानकी मैत्रीके आभारको स्वीकार किया है और उसे सहकार देनेकी अपनी इच्छा भी व्यक्त की है फिर भी डूरण्ड रेखाके उस पार बसनेवाले पठानोंकी स्वाधीनताकी उत्कृष्ट आकाक्षा और उनके लगातार विरोधकी ओर ध्यान देते हुए तथा न्यायके सिद्धांत और उनकी स्वाधीनताके अधिकारको आदर देते हुए, उनकी बहुइच्छित स्वतन्त्रताकी प्राप्तिके लिए वह (अफगानिस्तान) स्वयंपर एक उत्तरदायित्वका अनुभव करता है। अफगान सरकारने बडे धैर्य और सहनशीलताके साथ इस बातकी प्रतीक्षा की कि ये

समस्याएँ शान्तिपूर्ण ढगसे हल हो जायँगी लेकिन पाकिस्तानकी ओरसे अबतक कोई सतोषजनक उत्तर प्राप्त नही हुआ ।

कुछ पख्तून कबीले पहली 'पख्तून प्राविंशियल पार्लियामेंट' के लिए अपने प्रतिनिधियोका निर्वाचन कर चुके थे । इपीके फकीर इसके अध्यक्ष थे । अफ़रीदी कबीलेके नेतृत्वमे इसकी एक शाखा तिरहमें खोली गयी थी और दूसरी शाखा वजीरिस्तानमें, जिसके प्रति कुछ पख्तून कबीलोकी सामान्य सभाने अपनी निष्ठा घोषित की थी । पख्तूनिस्तान आन्दोलनके नेता अपने कबीलामें अत्यत प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे । स्वाधीन पख्तूनिस्तानका ध्वजारोहण हुआ और 'पख्तून नेशनल असेम्बली' द्वारा सारे पख्तूनो समस्त मुस्लिम जगत और सयुक्त राष्ट्र सघको सम्बोधित करते हुए एक घोषणा प्रकाशित की गयी । इस उद्घोषणाको अफगानिस्तानकी सरकारकी एक रिपोर्टके साथ रेडियो काबुलसे प्रसारित किया गया ।

इन्ही दिनो खान अब्दुल गफ्फार खाँकी मृत्युकी अफवाहें उडी जिनका कि पाकिस्तान सरकारने दिसम्बर १९५० में एक प्रेस नोट जारी करके खडन किया । बादशाह खाँको १९५१ के अप्रल महीनेमे एक्स रेके लिए लाहौर ले जाया गया । वे 'प्लूरिसी', फेफडेकी झिल्लीके सूख जानेकी बीमारासे ग्रस्त थे । माण्टगोमरी जेलकी उष्ण जलवायुमें एकान्त कारावासने उनके शरीरपर बहुत बुरा प्रभाव डाला था और उनका स्वास्थ्य टूट चुका था । वे अत्यत दुबल हो गये थे । सरकारकी ओरसे यह जाननेकी कोशिशें की गयी कि क्या वे शासनमें सम्मिलित होनेको तयार हैं ? उनकी प्रतिक्रिया क्या है ? 'जब मैं जेलमें तीन सालतक रह चुका था तब जेलके अधीक्षकने मुझसे पूछा कि क्या आप मुस्लिम लीगमें शामिल होना चाहते है ? उसने लियाकत अली खाँका निर्देश प्राप्त होनेपर ही मुझसे यह प्रश्न किया था । हम लोगोंसे यह भी पूछा गया कि हम लोगो के विभाजनके सम्बन्धमें क्या विचार है । इसे चलाया या खत्म कर दिया जाय ? अतिम सवालके जवाबमें मने उत्तर दिया कि एक कैदी होनेके कारण म यह नहीं चाहता कि मुझको किसी राजनीतिक बहसमें खीचा जाय । जहाँतक सरकार में शामिल होनेकी बात थी मैंने उनसे कहा कि उनके लिए सरकार व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करनेकी एक साधन है और हम लोग उसे केवल सेवाका एक उपकरण मानते हैं । फिर हम लोग मिल ही कहाँ सकते है ? इससे मुझे नजरबन्दी में चार साल और रखा गया ।"

सजाकी तीन सालकी अवधि बीत जानेपर सन् १८१८के बगाल अधिनियमके

अन्तर्गत उन्हें पुन. एकान्त कारावास दंड भुगतना पडा जिसकी अवधि प्रत्येक छ. सालके पश्चात् वढा दी जाती थी ।

३ जून सन् १९५१ को जव नेहरूजीसे फरीदावादमे सरहदके शरणार्थियोके लिए वनाये गये चिकित्सालयका नामकरण-समारोह सम्पन्न करनेको कहा गया तव उन्होने एक गहरी वेदनाके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँका जिक्र किया। उन्होने कहा कि उन्होने जव कभी 'अपने पुराने मित्र और साथी वादशाह खाँ' का, जो जेलमे है, स्मरण किया है तव सदैव एक दर्दका अनुभव किया है। उन्होने भारतकी स्वाधीनताके लिए अपना सर्वस्व वलिदान कर दिया । अंग्रेजोंके शासनकालमे उनको लम्वी अवधियोतक जेलोमें रहना पड़ा । अव भी, जव कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान स्वतन्त्र है, वे जेलमे है । ब्रिटिश सरकारने महात्मा गाधीको जेलमे डालकर एक गलत काम किया था । वादशाह खाँ जैसे व्यक्तिको जेलमे रखकर पाकिस्तान दूसरोंकी दृष्टिमे ऊँचा नही चढता । "हम इस मामलेमें अपनेको असहाय अनुभव करते है कि हम चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नही कर सकते । कोई भी सरकार, जो उन जैसे व्यक्तिको जेलमे रखती है, एक गलती करती है । उन जैसी योग्यताके पुरुषको जेलमे रखकर पाकिस्तानकी सरकार अपनी प्रतिष्ठामे अभिवृद्धि नही करती । जिन लोगोको वादशाह खाँके सम्पर्कमे आनेका सुयोग मिला है वे उनकी महानता और भद्रताको अनुभव करते है । मुझे पूरा विश्वास है कि वे जहाँ भी होगे वहाँ उनको अपने देशकी सेवाका सबसे अधिक ध्यान होगा । यहाँतक कि जेलकी कोठरीमे भी उनके जीवनके क्षण व्यर्थ नही जायँगे । इस समय, जव कि हम उनका स्मरण कर रहे है, हम उनकी शिक्षाओंको अपनी दृष्टिके आगे रखे और उनके ऊपर चलनेका प्रयास करें । इस चिकित्सालयका नाम वादशाह खाँके नामपर रखना ही उचित और उपयुक्त होगा ।"

जुलाईमे वंगलोरके अखिल भारतीय काग्रेस समितिके अधिवेशनमे नेहरूजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा . "भारतके श्रेष्ठतम पुरुषोमेसे अनन्य, उस व्यक्तिकी ओर हमारा ध्यान चला जाना स्वाभाविक है जो हमारे स्वाधीनता-संग्रामका एक महान् नेता रहा है और जिसने अपना समस्त जीवन जन-सामान्यकी सेवा और संघर्पको ही अर्पित कर दिया है। वे व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खाँ । स्वयं वे तथा उनके वहादुर साथी पाकिस्तानकी जेलोमे एकके वाद एक वर्ष निकालते जा रहे है, फिर भी यह कहा जाता है कि उनके देशमे स्वतंत्रता आ गयी है । यह केवल एक अर्थको ही व्यक्त

समस्याएँ शान्तिपूर्ण ढंगसे हल हो जायेंगी लेकिन पाकिस्तानकी ओरसे अबतक कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

कुछ पख्तून कबीले पहली 'पख्तून प्राविंशियल पार्लियामेंट' के लिए अपने प्रतिनिधियोंका निर्वाचन कर चुके थे। इपीके फकीर इसके अध्यक्ष थे। अफरीदी दलके नेतृत्वमें इसकी एक शाखा तिरहमें खोली गयी थी और दूसरी शाखा वजीरिस्तानमें, जिसके प्रति कुछ पख्तून कबीलोंको सामान्य सभाने अपनी निष्ठा घोषित की थी। पख्तूनिस्तान आन्दोलनके नेता अपने कबीलोंमें अत्यंत प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते थे। स्वाधीन पख्तूनिस्तानका ध्वजारोहण हुआ और 'पख्तून नेशनल असेम्बली' द्वारा सारे पख्तूनों समस्त मुस्लिम जगत और संयुक्त राष्ट्र संघको सम्बोधित करते हुए एक घोषणा प्रकाशित की गयी। इस उद्घोषणाको अफगानिस्तानकी सरकारकी एक रिपोर्टके साथ रेडियो काबुलसे प्रसारित किया गया।

इन्हीं दिनों खान अब्दुल गफ्फार खाँकी मृत्युकी अफवाहें उड़ी जिनका कि पाकिस्तान सरकारने दिसम्बर १९५० में एक प्रेस नोट जारी करके खंडन किया। बादशाह खाँको १९५१ के अप्रैल महीनेमें एक्स रेके लिए लाहौर ले जाया गया। वे 'प्लूरिसी', फेफड़ेकी झिल्लीके सूख जानेकी बीमारीसे ग्रस्त थे। माण्टगोमरी जेलकी उष्ण जलवायुमें एकान्त कारावासने उनके शरीरपर बहुत बुरा प्रभाव डाला था और उनका स्वास्थ्य टूट चुका था। वे अत्यंत दुर्बल हो गये थे। सरकारकी ओरसे यह जाननेकी कोशिश की गयी कि क्या वे शासनमें सम्मिलित होनेको तैयार हैं? उनकी प्रतिक्रिया क्या है? 'जब मैं जेलमें तीन सालतक रह चुका था तब जेलके अधीक्षकने मुझसे पूछा कि क्या आप मुस्लिम लीगमें शामिल होना चाहते हैं? उसने लियाकत अली खाँसे निर्देश प्राप्त होने-पर ही मुझसे यह प्रश्न किया था। हम लोगोंसे यह भी पूछा गया कि हम लोगोंके विभाजनके सम्बन्धमें क्या विचार हैं। इसे चलाया या खत्म कर दिया जाय? अंतिम सवालके जवाबमें मैंने उत्तर दिया कि एक कैदी होनेके कारण मैं यह नहीं चाहता कि मुझको किसी राजनीतिक बहसमें खींचा जाय। जहाँतक सरकारमें शामिल होनेकी बात थी मैंने उनसे कहा कि उनके लिए सरकार व्यक्तिगत शक्ति प्राप्त करनेका एक साधन है और हम लोग उसे केवल सेवाका एक उपकरण मानते हैं। फिर हम लोग मिल ही कैसे सकते हैं? इससे मुझे नजरबन्दीमें चार मास और रखा गया।

सरकारी शर्त मानकर अवधि बीत जानेपर सन् १८१८ के बंगाल अधिनियमके

अन्तर्गत उन्हें पुन एकान्त कारावास दंड भुगतना पडा जिसकी अवधि प्रत्येक छ. सालके पश्चात् बढा दी जाती थी ।

३ जून सन् १९५१ को जब नेहरूजीसे फरीदाबादमे सरहदके शरणार्थियोके लिए बनाये गये चिकित्सालयका नामकरण-समारोह सम्पन्न करनेको कहा गया तब उन्होने एक गहरी वेदनाके साथ खान अब्दुल गफ्फार खाँका जिक्र किया। उन्होने कहा कि उन्होने जब कभी 'अपने पुराने मित्र और साथी बादशाह खाँ' का, जो जेलमे है, स्मरण किया है तब सदैव एक दर्दका अनुभव किया है। उन्होने भारतकी स्वाधीनताके लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। अंग्रेजोके शासनकालमे उनको लम्बी अवधियोतक जेलोमें रहना पड़ा। अब भी, जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान स्वतन्त्र है, वे जेलमे है। ब्रिटिश सरकारने महात्मा गाधीको जेलमे डालकर एक गलत काम किया था। बादशाह खाँ जैसे व्यक्तिको जेलमे रखकर पाकिस्तान दूसरोकी दृष्टिमे ऊँचा नही चढता। "हम इस मामलेमें अपनेको असहाय अनुभव करते है कि हम चाहते हुए भी उनके लिए कुछ नही कर सकते। कोई भी सरकार, जो उन जैसे व्यक्तिको जेलमे रखती है, एक गलती करती है। उन जैसी योग्यताके पुरुषको जेलमे रखकर पाकिस्तानकी सरकार अपनी प्रतिष्ठामे अभिवृद्धि नही करती। जिन लोगोको बादशाह खाँके सम्पर्कमे आनेका सुयोग मिला है वे उनकी महानता और भद्रताको अनुभव करते है। मुझे पूरा विश्वास है कि वे जहाँ भी होगे वहाँ उनको अपने देशकी सेवाका सबसे अधिक ध्यान होगा। यहाँतक कि जेलकी कोठरीमे भी उनके जीवनके क्षण व्यर्थ नही जायँगे। इस समय, जब कि हम उनका स्मरण कर रहे है, हम उनकी शिक्षाओको अपनी दृष्टिके आगे रखें और उनके ऊपर चलनेका प्रयास करें। इस चिकित्सालयका नाम बादशाह खाँके नामपर रखना ही उचित और उपयुक्त होगा।"

जुलाईमे बंगलोरके अखिल भारतीय कांग्रेस समितिके अधिवेशनमे नेहरूजीने खान अब्दुल गफ्फार खाँके प्रति अपना सम्मान व्यक्त करते हुए कहा "भारतके श्रेष्ठतम पुरुषोमेसे अनन्य, उस व्यक्तिकी ओर हमारा ध्यान चला जाना स्वाभाविक है जो हमारे स्वाधीनता-संग्रामका एक महान् नेता रहा है और जिसने अपना समस्त जीवन जन-सामान्यकी सेवा और संघर्षको ही अर्पित कर दिया है। वे व्यक्ति है खान अब्दुल गफ्फार खाँ। स्वयं वे तथा उनके बहादुर साथी पाकिस्तानकी जेलोमे एकके बाद एक वर्ष निकालते जा रहे है, फिर भी यह कहा जाता है कि उनके देशमे स्वतंत्रता आ गयी है। यह केवल एक अर्थको ही व्यक्त

ही करता बल्कि यह आजादीके उस ढगकी भी एक प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति ह जो कि पाकिस्तानकी वीर और स्वतन्त्रता प्रिय आत्माओकी प्रतीक्षा कर रहा ह।"

प० जवाहरलाल नेहरूने अपने व्याख्यानोंमें खान अब्दुल ग़फ्फार ख़ाँके जो उल्लेख किये थे, उनका पाकिस्तानकी सरकारने उग्र विरोध किया और उनको पाकिस्तानके आतरिक मामलोमे एक हस्तक्षेप' का नाम दिया।

भारत सरकारने इसके उत्तरमें २३ अगस्त १९५१ को पाकिस्तान सरकार को यह कडा पत्र लिखा

"परराष्ट्र मन्त्रालय इस प्रकारके विरोधकी न्याय-सगति समझ सकनेमें अपने को असफल पा रहा ह। पाकिस्तानके शासक और उसके भारत स्थित हाई कमिश्नर यह भली भाँति जानते ह कि खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ उस सघर्षके, जिसने भारत और पाकिस्तानको स्वाधीनता दिलायी, एक नायक रहे ह और उनके साथी खुदाई खिदमतगार भी उस सघर्षसे सक्रिय रूपमे दीर्घ कालतक सम्बन्धित रहे हैं। निश्चित ही बादशाह ख़ाँने अविभाजित भारतमे जन-सेवा और स्वतन्त्रताके हेतुके लिए त्यागका एक ऐसा मानदड स्थापित किया ह जो कि अबतक शायद सबसे ऊँचा ह। इसीलिए वे समग्र अविभाजित भारतमें सर्वप्रिय व्यक्ति समझे जाते थे। अपने निजके सीमा प्रान्तमें भी व एक ऐसे सर्वसम्मत, अद्वितीय नेता समझे जाते थे जिसने कि अपने यहाँके वीर लोगोको एक शान्तिमय और प्रभावोत्पादक कार्य प्रणाली सिखलायी थी। उनके भाई डा० खान साहब भी सीमा प्रान्तके एक प्रख्यात लोकप्रिय नेता रहे ह। विभाजनसे कुछ दिनो पहलेतक वे मुख्य मन्त्री पदपर थे। भारतीय जनता इन महान पुरुषोको बडी श्रद्धाके साथ स्मरण करती ह। इस मन्त्रालयको इस बातमें कोई सन्देह नही ह कि पाकिस्तान में भी ऐसे लोगोकी एक बहुत बडी सख्या ह जो उनके प्रति स्नेह रखती ह और उनके आभारको स्वीकार करती ह। उन सबके लिए, जो स्वाधीनताको प्यार करते ह और महानताको आदरकी दृष्टिसे देखते ह यह बड खेदका विषय ह कि जिन्होने अपने देशको साम्राज्यवादी नियन्त्रणसे मुक्त करनेके लिए सघर्ष किये उन्हीको स्वतन्त्रता मिल जानेपर उससे वचित कर दिया गया। यह दावा, कि यह वीर पुरुष, जो जेलोंमें एकके बाद एक साल निकालते जा रहे ह, भारतके अपने पूर्व-सहभागियो और प्रशसकोंसे सहानुभूतिकी खुली अभिव्यक्ति पानेके अधिकारी नही ह, अनुभव करनेकी क्षमता और अभिव्यक्तिकी स्वाधीनता दोनो ही प्रकार से मानव प्रकृतिके विरुद्ध ह। भारत एक स्वतन्त्र देश ह और उसके सविधानमें उसके प्रत्येक नागरिकको अपने विचारोको प्रकट करनेकी स्वाधीनता दी गयी है।

निश्चय ही खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँ और उनके साथियोंके बराबर लम्बे होते हुए इस वन्दी-जीवनसे यह निष्कर्ष निकालना असंगत न होगा कि यदि स्वाधीनताके हेतु सेवाका इतना बडा रिकार्ड रखनेवाले व्यक्तिको एकके बाद एक करके अनेक वर्षोतक जेलमे रखा जा सकता है तो पाकिस्तानमे स्वाधीनता केवल उन व्यक्तियोका विशेषाधिकार है जो किन्ही भी कारणोंसे शासक-वर्गके मतों और उनके कार्योंके प्रति अपनी पूर्ण सहमति प्रकट करनेके लिए सदैव तैयार रहते हैं। यह भी हो सकता है कि जो लोग इस संघर्षसे किसी प्रकारसे स्वयं सम्बन्धित न रहे हो या जिन्होंने उसका विरोध किया हो, वे खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँके प्रति वैसी भावनाएँ न रखते हों जैसी कि आज़ादीकी लडाईमे भाग लेनेवाले हिन्दुस्तान और पाकिस्तानके लाखो लोग रखते है। आधुनिक इतिहासमे ऐसे अनेक उदाहरण है जब कि प्रमुख राजनीतिज्ञोने अपने मित्रके उस व्यवहारपर, जो कि उसने अपने राजनीतिक विरोधियोके साथ किया है, जोरदार ढंगसे अपने मुक्त विचार व्यक्त किये है।

"भारत सरकारको इस वातका संतोष है कि खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँके बारेमे अपनी सम्मानजनक भावनाएँ प्रकट करते हुए भारतके प्रधान मत्रीने ऐसा कुछ नही कहा जिसको कि नियमानुसार अपवाद रूपमे भी पाकिस्तानके मामलेमे हस्तक्षेप करना कहा जा सके या जिसे अन्तर्राष्ट्रीय कानूनका उल्लघन करना समझा जा सके। वल्कि उन्होने अदम्य, गहराईके साथ अनुभव किये गये भारतकी जनताके मतको सच्चाईके साथ प्रतिबिम्बित कर दिया।"

पाकिस्तानके धर्मोन्माद, घृणा और कुचक्रोंके वातावरणमें सन् १९५१ के अक्तूबर मासमें रावलपिंडीमे प्रधान मंत्री लियाकत अली ख़ाँकी हत्या कर दी गयी। गवर्नर जनरल ख्वाजा निजामुद्दीनने प्रधान मंत्रीका कार्यभार सँभाल लिया और वित्तमंत्री मि० गुलाम मुहम्मद गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिये गये।

काजी अतातुल्लाह ख़ाँ, जो खान साहबके मंत्रिमंडलमे शिक्षा-मत्री रह चुके थे तथा जो खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँके एक निकटतम सहयोगी थे, तीन साल सात महीनेका एकान्त कारावास दण्ड भुगतकर फरवरी १९५२ मे लाहौरके एक अस्पतालमे मर गये। 'पख्तून टाइम्स' मे १ मार्चको मि० मुहम्मद याहिया का निम्नांकित वर्णन प्रकाशित हुआ·

"२७ फरवरी सन् १९५२ को मान्टगोमरी जेलमे जेलके अधीक्षक, उप-अधीक्षक और खुफिया पुलिसके सब-इंस्पेक्टरकी उपस्थितिमें मैने खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँसे भेंट की। पश्तो भाषा जाननेवाले सब-इंस्पेक्टरके न मिलनेके कारण

हम लोगोंसे उद्धृत बातचीत करनेको कहा गया

'खान अब्दुल गफ्फार खाँ वस्तुतः लगभग पिछले तीन महीनेसे वहाँ नजरबन्द हैं। उनके साथ दो कैदी साथी रख दिये गये थे। उनमेंसे एक माण्टगोमरी जेलसे रिहा कर दिया गया लेकिन उसे पेशावरमें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वहीं जेलमें रख दिया गया। दूसरा साथी सैयद आशिक शाह उनके द्वारा स्वर्गीय काजी अतातुल्लाह खाँके साथ रावलपिण्डी ले जाया गया। खान अब्दुल गफ्फार खाँको वापस अकेले माण्टगोमरी जेल ले आया गया और सैयद आशिक शाहको स्वर्गीय काजी साहबके साथके लिए रावलपिण्डी जेलमें ही छोड़ दिया गया। इस तरह खान अब्दुल गफ्फार खाँ लगभग तीन माससे माण्टगोमरी जेलमें अकेले ही रह रहे हैं। इस अर्सेमें वे अपने हाथसे ही खाना बनाते रहे हैं। अब सैयद आशिक शाहको बड़ी गम्भीर हालतमें माण्टगोमरी जेल वापस ले आया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खाँ उसकी देखभाल करते हैं, उसकी उपचर्या करते हैं और उसके लिए खाना बनाते हैं।

'लगभग आठ महीने पहले खान अब्दुल गफ्फार खाँको दाँतोंके इलाजके लिए लाहौर ले जाया गया था। वहाँ उनके दाँतोंका नया सेट तैयार किया गया। लेकिन यह देखनेसे पहले ही कि नये दाँत उनके ठीक बैठते हैं या नहीं, उनको लाहौरसे वापस ले आया गया। उन दाँतोंने उनका मसूड़ा घायल कर दिया और वे उनको निकाल देने पड़े। तबसे बिना दाँतोंके ही खाना खाते हैं।

जिस डाक्टरने उनका रावलपिण्डीमें परीक्षण किया था और जिन्होंने उन्हें कुछ दिन पहले माण्टगोमरी जेलमें देखा है, उन्होंने यह बतलाया है कि दाँत निकाल देनेके बादसे उनकी तन्दुरुस्ती बहुत गिर गयी है।

"खान अब्दुल गफ्फार खाँसे मिलनेसे पहले मैंने पंजाबके मुख्य मंत्री मियाँ मुहम्मद मुमताज खाँ दौल्तानासे मुलाकात की। प्रीमियरने मुझे यह आश्वासन दिया कि वे खान अब्दुल गफ्फार खाँके जेल-जीवनको जितना भी आरामदेह बनाना सम्भव होगा, उतना बनायेंगे।

अप्रैल सन् १९५२ में लाहौरके मेयो अस्पतालमें खान अब्दुल गफ्फार खाँका ऑपरेशन हुआ। प्रधान मंत्री नेहरूने उनको स्नेहपूर्ण शुभ सन्देश भेजा। उनको अफगान प्रधान मंत्रीसे भी एक सन्देश मिला जिसमें उनके लिए गहरी चिन्ता व्यक्त की गयी थी। मक्कामें हजारों तीर्थ-यात्रियोंने बादशाह खाँके आरोग्य लाभके लिए और उनकी कारा-मुक्तिके लिए प्रार्थनाएँ कीं।

सन् १९५३ के जनवरी मासमें हैदराबादमें अखिल भारतीय कांग्रेस समिति

के वार्षिक अधिवेशनमे निम्नाकित प्रस्ताव पारित हुआ

"कांग्रेस खान अब्दुल गफ्फार खाँकी लम्बी बीमारीके समाचारसे अत्यधिक चिंताका अनुभव करती है जिन्हे कि गत पाँच सालोसे जेलमे रखा जा रहा है। खान साहबको भारत और पाकिस्तान दोनोमे सत्य-निष्ठ तथा शातिप्रिय पुरुषके रूपमे तथा स्वाधीनताके एक वीर सेनानीके रूपमे स्मरण किया जाता है। उनका जीवन सेवा और त्यागका एक ज्वलंत आदर्श रहा है और उन्होने एक न्याय-संगत उद्देश्यके लिए वीर पठानोको अहिंसात्मक और शातिपूर्ण संघर्षका मार्ग दिखलाया है। यह एक दु खपूर्ण घटना है कि वह व्यक्ति, जिसने भारत और पाकिस्तानके लिए स्वतंत्रता लानेमे अत्यधिक योगदान किया और जिसे सम्मानित करनेमे किसी भी राष्ट्रको प्रसन्नता होती, उसी स्वाधीनताका शिकार बन जाय जिसे लानेमे उसका श्रम लगा था। जिन दिनो भारत विदेशी सत्ताके अधीन था, उन्होने अपने जीवनके श्रेष्ठतम वर्ष पश्चिमोत्तम सीमा-प्रान्तकी जेलोमे काट दिये। उन्ही जेलोने स्वाधीनताके बाद भी उनपर अपना दावा किया और उनकी लम्बी तथा गम्भीर बीमारी भी आज उनको इस अन्तहीन एकान्त कारावाससे मुक्ति दिलानेमे असमर्थ हैं। यह काग्रेस खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपनी आदरपूर्ण शुभ कामनाएँ और श्रद्धाजलि भेजती है।"

इस प्रस्तावपर बोलते हुए काग्रेसके अध्यक्ष प० नेहरूने यह स्पष्ट किया कि काग्रेसने अबतक खान अब्दुल गफ्फार खाँके बारेमे कोई प्रस्ताव पारित क्यो नही किया और अब वह इस प्रस्तावको क्यो स्वीकार कर रही है। उन्होने कहा कि प्रश्न खान साहबको याद न करनेका नही है। हम लोग उनकी दीर्घ बीमारी और एकान्त कारावासके सम्बन्धमे बार-बार सोचते रहे हैं लेकिन हमने अनुभव किया कि यदि उनके बारेमे हम कोई प्रस्ताव स्वीकृत करते है तो उससे उसका मूल उद्देश्य ही हल न होगा। हमारे पाकिस्तानके मित्र कभी-कभी चीजोको एक असामान्य और गलत ढगसे देखते हैं। उन्होने बादशाह खाँ जैसे व्यक्ति पर यह आरोप लगानेका साहस किया है कि वे भारतसे मिलकर सब तरहके षड्यंत्र रच रहे हैं। मै आपको यह बतला रहा हूँ कि पिछले पाँच वर्षोमे हमारा एक-दूसरेसे कोई सम्बन्ध नही रहा है और हम लोगोने सम्पर्क रखनेकी चेष्टा भी नही की है क्योकि हमने यह अनुभव किया कि हमारा कोई भी प्रयत्न पाकिस्तान सरकारको उसके सन्देहको पुष्ट करनेमे सहायता दे सकता है। पिछले दिनो हमने यह निश्चय किया था कि हम कोई प्रस्ताव सामने नही लायेगे। हमने सोचा था कि किसी भी स्थितिमे उनके प्रति हमारा प्रेम, स्नेह और आदरभाव तो है ही

और वह सर्वविदित भी है लेकिन अब मैं अनुभव करता हूँ कि वह समय आ गया है जब कि हमको खुले रूपमें अपने पूर्व विचार प्रकट करना चाहिए।

इसके पश्चात् नेहरूजीने कहा कि यद्यपि उन्हें बहुत ही दुःखान्त घटनाएँ सहनी पड़ी हैं फिर भी उन्हें सन्देह है कि शायद कोई बात हो जाय जो उनके लिए और भी बड़ी चिन्ताका कारण बन जाय या कुछ हल्का अन्तराघात एवं चोट मार दे, क्योंकि वस्तुस्थिति यह है कि स्वाधीनताकी उपलब्धिके पश्चात् जब कि हम लोग अधिकारपूर्ण पदोंपर बैठे हुए हैं, जो हमारे सबसे वीर और सबसे श्रेष्ठ नेताओंमेंसे एक हैं उस स्वाधीनतासे कोसों दूर हैं। बल्कि वे उससे भी कहीं अधिक कष्ट भुगत रहे हैं।

अपने अध्यक्षीय भाषणमें खान अब्दुल गफ्फार खाँका उल्लेख करते हुए नेहरूजीने कहा, हम जानते हैं कि पाकिस्तान साम्प्रदायिकताकी सन्तान है और पजाब संविधान सभाकी बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटीके पिछले विवरणने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तानके वर्तमान नेता उसमें मध्ययुगका धर्मतन्त्र लाना चाहते हैं जहाँ कि गैर मुस्लिमको सहन तो किया जा सकता है परन्तु उसे समान अधिकार या सम्मानित पद नहीं दिया जा सकता। इस संकीर्ण साम्प्रदायिक दृष्टिकोणके पीछे एक विस्तृत नीति है। हम लोग अपने देशमें जिस नीतिको लेकर चल रहे हैं उससे यह नीति नितान्त भिन्न है। यह बात कई तरीक़ोंसे साफ़ हो जाती है। सबसे अधिक तो वह इस तथ्यसे ध्यानमें आती है कि स्वतन्त्रता, शांति और सामंजस्यके वीरतम सेनानियोंमेंसे एक लगभग पाँच वर्षोंसे जेलमें पड़े हुए हैं। खान अब्दुल गफ्फार खाँ केवल हमारे ही नेता नहीं हैं बल्कि उनके भी नेता हैं जो अब पाकिस्तानमें रह रहे हैं। उनका यह सतत बन्दी जीवन एक दुःखान्त घटना है और एक बहुत बड़ी चेतावनी है। उनकी बात सोचकर मेरा दिल बैठने लगता है।

सन् १९५३ में पाकिस्तानके संचार मन्त्री सरदार बहादुर खान जेलमें खान अब्दुल गफ्फार खाँसे भेंट की। उन्होंने उनसे कहा कि सरकार उनको इस तरह से हमेशा जेलमें नहीं रखना चाहती बल्कि उनको मुक्त करना चहती है लेकिन वह यह सोचकर डर रही है कि उनके प्रति या उनके साथियोंके प्रति जो गम्भीर गलतियाँ हुई हैं उन्हें न वे लोग क्षमा कर सकते हैं और न भूल सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि एक खुदाई खिदमतगार होनेके नाते और अहिंसा का एक उपासक होनेके कारण वे किसीके विरुद्ध प्रतिशोध अथवा प्रतिकारकी भावना नहीं रखते। परन्तु अधिकारियोंको चिन्तित होनेकी कोई आवश्यकता

नही है जबतक कि उनको अपनी निर्दोषताका पूरा भरोसा नही हो जाता या जबतक वे इस बातसे निश्चित नही हो जाते कि उन्हे उनसे (बादशाह खाँसे) डरनेका कोई कारण नही ।

५ जनवरी १९५४को रेडियो पाकिस्तानने यह घोषणा की कि पाकिस्तानकी सरकारने खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपनी निगरानीसे मुक्त कर देनेका निर्णय कर लिया हैं। कराचीसे जारी किये गये एक प्रेस-नोटमे कहा गया "अपनी रिहाईके पश्चात् खान अब्दुल गफ्फार खाँ पंजाबमे रहेगे। समस्त राजनीतिक नज़रबन्द कैदी, जिनकी कुल संख्या ४५ है, मुक्त किये जा रहे हैं और उनकी सम्पत्ति उनको लौटायी जा रही है। ऐसे आदेश आज जारी कर दिये गये है।"

जिस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ पाकिस्तानके संचार-मंत्री सरदार बहादुर खाँके साथ रावलपिण्डी जेलसे बाहर आये उस समय "बादशाह खाँ जिन्दाबाद" के गगनभेदी नारोसे जेलके बाहरका वायुमंडल गूँज उठा। इसके तुरन्त बाद उनको डाक्टरी परीक्षणसे लिए रावलपिण्डीके मिलिटरी अस्पताल मे रोक लिया गया। जब खान अब्दुल गफ्फार खाँसे यह प्रश्न किया गया कि क्या वे पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी राजनीतिमे भाग लेंगे, तो उन्होने कहा, "मै एक राजनीतिज्ञ नही हूँ। मै एक सिपाही हूँ। मेरा काम मानवताकी सेवा करना है जिसे कि मै करता रहूँगा।"

सीमाप्रान्तके मुख्य मंत्रीके आदेशसे 'प्राविंशियल सेफटी एक्ट' और 'फ्रंटियर प्राविन्स रेगूलेशन' के अन्तर्गत कुछ व्यक्तियोंपर सीमाप्रान्तमे आनेसे रोक लगा दी गयी, प्रतिबन्ध लगाया गया या उन्हे बाहर रोक लिया गया। इनमे खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डा० खान साहब और कुछ प्रमुख खुदाई खिदमतगार कार्य-कर्त्ता भी सम्मिलित थे। मुख्य मत्रीने यह स्पष्ट कर दिया था कि उन्होने यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय इस बातको ध्यानमे रखकर किया है कि सीमाप्रान्तमे जो स्वस्थ वातावरण चल रहा है, वह बना रहे और सभी वर्गोंके लोगोमे एक सद्भावना कायम रहे।

कांग्रेसने जनवरी १९५४ मे अपने कल्याणीके अधिवेशनसे खान अब्दुल गफ्फार खाँ, डा० खान साहब, और अब्दुस्समद खाँके लिए वर्षोके बाद की गयी उनकी आशिक रिहाईपर अपनी शुभ कामनाएँ और आदर भावनाएँ भेजी। इस अवसरपर बोलते हुए पं० नेहरूने कहा

"मै अपने पुराने साथी और नेता खान अब्दुल गफ्फार खाँ, उस ईश्वरीय पुरुषकी एक लम्बे बंदी जीवनके छुटकारेपर, जो एक पीढीसे भी अधिक काल-

व्यवहार किया गया है, उसे मैं आपसे कहना भी नहीं चाहता। मुझे इस बातने सबसे अधिक पीडा पहुँचायी है कि मैंने विदेशी राष्ट्रोंमें जो सहनशीलता और सौजन्य पाया उसका हमारे अपने भाइयोंमें और मेरे अपने पाकिस्तानके लोगोंमें नितान्त अभाव है।

'छ वर्ष पहले मैंने आपसे इसी सदनमें कहा था कि पाकिस्तान मेरा अपना देश है और इसकी सुरक्षा करना तथा इसमें एकता बनाये रखना हमारा कर्त्तव्य है। मैंने यह भी कहा था कि यदि कोई दल पाकिस्तानकी प्रगति और निर्माणके हेतु कोई कार्यक्रम बनाता है तो उसे मेरा पूरा सहयोग मिलेगा। मैं अपने उन्हीं शब्दोंको एक बार पुनः दुहरा रहा हूँ। लेकिन फिर भी यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी निष्ठाको सन्देहकी दृष्टिसे देखते हैं। इस सम्बन्धमें मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन उस संघर्षमें बीता है जिसके कारण आज एक स्वाधीन देशके रूपमें पाकिस्तान खडा दिखलाई देता है। यदि हम लोगोंने अंग्रेजोंको न निकाल दिया होता या उनको भारत छोडनेको विवश न कर दिया होता तो पाकिस्तानका वजूद कहाँ होता? इसलिए जिस देशकी स्वतन्त्रताके लिए हम लोगोंने इतने कष्ट सहन किये हैं और जिसके लिए हमने अपनी जानकी बाजी लगायी है उसके साथ क्या हम कभी गद्दारी करेंगे? इसलिए मैं यह सलाह देना उचित समझता हूँ कि न केवल मेरी राजनिष्ठा अथवा देशद्रोहकी जाँचके लिए एक न्यायाधिकरण बैठाया जाय बल्कि चारसद्दाके कत्ले आम, आगजनी और लूटकी घटनाओंके लिए भी स्त्रियो, बालकों और बूढोंके साथ जो अपमानजनक व्यवहार किया गया उसके लिए भी और हम लोगोंका जो जेलोंमें दमन किया गया उसके लिए भी उसकी स्थापना की जाय।

"मेरा विश्वास है कि पाकिस्तानकी एकताके लिए यह आवश्यक है कि जनताके विभिन्न वर्ग आपसमें एक-दूसरेपर विश्वास करें और पारस्परिक अधिकारो, हितो और विशिष्ट गुणोंको आदरकी दृष्टिसे देखें। शायद आपको स्मरण होगा कि छ वर्ष पहले मैंने इस सम्बन्धमें कहा था कि पाकिस्तानकी स्थापनाके पश्चात् देशको मुस्लिम लीगकी आवश्यकता नहीं है। बंगालके पिछले निर्वाचनोंने मेरी इस मान्यताको सिद्ध कर दिया। आपको यह भी स्मरण होगा कि मैंने इस देशमें आर्थिक और सामाजिक आधारपर नये दल गठित करनेकी बात कही थी। इस बातका दुःख है कि उस समय लोगोंने मेरी सलाहको सन्देहकी दृष्टिसे देखा और मेरे शब्द अपराध समझे गये। मैं इस समय भी उसी बातको दुहराना चाहता हूँ। मेरा आपसे यह कहना है कि आप इसपर ठंडे दिमागसे सोचें।

"मेरा सदैवसे यह विश्वास रहा है कि अंग्रेजोने हम पख्तूनोकी एकताको नष्ट किया है और हमे दुर्बल वनानेके लिए नये टुकडोमे वाँट दिया है। पख्तूनो के समन्वयके लिए और उनके विभिन्न घटकोमे पारस्परिक विश्वास जाग्रत करनेके लिए यह आवश्यक है कि पख्तूनिस्तानकी एक इकाई वना दी जाय जिसके निवासी प्रजाति और संस्कृतिके आधारपर एक ही प्रकारके हो। इसी प्रकार पश्चिमी पाकिस्तानकी छोटी-छोटी इकाइयोका विलयन करके तीन या चार वडी इकाइयाँ वना दी जानी चाहिए।

"लोग मुझसे यह अपेक्षा करते है कि मै देशके आतरिक और वाहरी मामलोपर अपने विचार प्रकट कर सकूं लेकिन छ. वर्ष लगातार जेलमे रह चुकनेके वाद अव मै अपनेको इस स्थितिमे नही पाता कि मै इन विषयोपर आपसे निश्चित रूपसे कुछ कह सकूँ। वास्तवमे पंजावको छोड़कर मै अभीतक एक कैदी हूँ। मुझको पाकिस्तानके किसी भी हिस्सेमे जानेकी इजाजत नही है। मेरे खुदाई खिदमतगारोके दलपर, जिसका एक उद्देश्य मानव-मात्रकी सेवा करना भी है, प्रतिवन्ध लगा हुआ है। हमारे राष्ट्रीय पत्र 'पख्तून' का प्रकाशन पाकिस्तान वनने के दिनसे ही रोक दिया गया है और हमारा दो मंजिलका प्रशिक्षण-केन्द्र, जिसके वननेमें हमारे हजारो रुपये लगे थे और जिसमे खुदाई खिदमतगारोको समाज-सेवाका प्रशिक्षण दिया गया था, जमीनसे खोदकर फेंक दिया गया।

"फिर भी कुछ सिद्धात है जिनके वारेमे मै आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते है कि मै सदैव अहिंसाका एक उपासक रहा हूँ। मै अहिंसाको प्रेम और हिंसाको घृणाकी दृष्टिसे देखता हूँ। मै कानूनके मुताविक चलनेवाला एक नागरिक हूँ और इसी वातकी मै अपने यहांके लोगोसे भी अपेक्षा करता हूँ। पाकिस्तानको भी एक शान्तिप्रिय देश होना चाहिए। उसे अन्तर्राष्ट्रीय मामलोमे भी एक शातिपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मै चाहता हूँ कि आप विश्वके समस्त देशोंके प्रति मैत्रीपूर्ण सम्वन्ध रखे चाहे वे किसी भी 'व्लॉक' के क्यो न हो, या वे पूर्वके हो अथवा पश्चिमके। उसमे भी विशेष रूपसे हमे अपने पडोसियोसे मैत्री-पूर्ण सम्वन्ध रखना चाहिए। यदि उनके साथ हमारा कोई झगड़ा उठ खडा होता है तो हमे उस झगडेको मित्रताके ढंगसे, आपसमे वातचीत या समझौतेके ढंगसे हल कर लेना चाहिए।

"अंतमें मुझे आपसे केवल यही कहना है कि मैंने यह आशा की थी कि पाकिस्तानकी जनताका जीवन-स्तर उठानेके लिए प्रयत्न किया जायगा लेकिन जो तथ्य सामने हैं, उन्होने मेरी आशाओपर तुषारापात कर दिया है। जो धनी थे, वे

और भी गरीब होते जा रहे हैं और जो गरीब थे वे और भी गरीब। शरणार्थियों की स्थिति दयनीय है। इसमें नागरिक स्वतन्त्रता अभी बाकी वस्तु नहीं है। सेफ्टी एक्ट और मामलों के अन्तर्गत लोग अब भी जेलोंमें पड़े हुए हैं। सारा परिणाम यह हुआ है कि सरकार और जनताके बीचकी खाई और भी चौड़ी हो गयी है। यदि समय रहते हुए इसपर ध्यान न दिया गया तो निश्चित है कि इसके परिणाम भयंकर होंगे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ संविधान सभामें नियमित रूपसे उपस्थित होते थे और उसकी कार्रवाईमें गहरी दिलचस्पी लेते थे। ८ अप्रैलको उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी की 'रिपोर्ट' पर विचार स्थगनका प्रस्ताव रखा लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया। मुस्लिम लीगके सदस्योंका छोड़कर केवल वे ही अधिवेशनमें उपस्थित थे। इस अवसरपर बोलते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा:

'हमारे माननीय प्रधान मन्त्री मौलवी फजलुल हकने मन्त्रिमण्डलसे पदच्युत हो जानेके अवसरपर जो भाषण किया उसपर मुझको कोई टिप्पणी नहीं करनी है और न उन आरोपोंको लेकर ही कोई बहस करनी है जो कि उन्होंने पूर्व पाकिस्तानके मुख्य मन्त्रीके ऊपर लगाये हैं। फिर भी यह स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि इससे पहले भी शासन द्वारा अन्य लोगोंपर इसी प्रकारके अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाये जा चुके हैं। हमारे सामने पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तका मामला है जहाँ कि बहुतसे व्यक्तियोंपर इसी प्रकारके अत्यन्त गम्भीर आरोप लगाये गये थे और उनको कई सालतक जेलमें रहना पड़ा था लेकिन अन्तमें हमारे शासकोंको यह पता चला कि वे आरोप सारहीन थे। उन्हें निरपराधियोंको दण्ड देनेपर खेद हुआ और उनको व आरोप आधारहीन भी स्वीकार करने पड़े।

"अब मैं पूर्वी पाकिस्तानके दंगोंके जटिल प्रश्नको लेता हूँ। इस विषयको लेते समय किसीके लिए भी अपने उद्गार घोषित करना स्वयं उसे आकुल कर देनेवाली बात है। मैं अहिंसाका विश्वासी हूँ और मेरी मान्यता है कि हिंसासे कभी कोई लाभ नहीं होता। वह केवल घृणा जगाती है और व्यक्तिकी उलझन को बढ़ाकर उसे हतबुद्धि कर देती है। तो भी मैं यह बिना कहे न रहूँगा कि पूर्वी पाकिस्तानकी कथित घटनाएँ उस नीतिके प्रत्यक्ष फल हैं जिसका कि आप विगत सात वर्षोंसे अनुसरण कर रहे हैं। आपने जनमतकी वाणीको अवरुद्ध कर दिया और बिना विचारणाके ही लोगोंको जेल भिजवा दिया। आपने प्रान्तीय विधान मण्डलोंके रिक्त स्थानोंको भरनेकी चिन्ता नहीं की और जनताकी आकांक्षाओंकी ओर बिना ध्यान दिये हुए एक स्वेच्छाचारीकी भाँति आप प्रान्तके

शासनको लेकर आगे बढ गये जब कि वहाँकी जनताकी सद्भावनाएँ आपके साथ होनी ही चाहिए थी। वहाँ लोगोको क्रूरतापूर्वक उत्पीड़ित किया गया और उसकी आवश्यकताओको अनसुना किया गया। उनको हृद दर्जेकी कठिनाइयाँ और अत्याचार सहन करने पडे। इन सब कारणोका धीरे-धीरे यह प्रभाव पड़ता गया कि मुस्लिम लीगको प्रान्तीय निर्वाचनमे नौ प्रतिशतसे अधिक स्थान प्राप्त न हो सके। पूर्वी पाकिस्तानकी जनताने अविश्वासके रूपमे मुस्लिम लीग और सरकार को अपना निर्णायक फैसला सुना दिया। लेकिन जान पड़ता है कि इस पाठका भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नही पड़ा है और आप लोग ऐसी राजनीतिमे फँसे है जो जनताकी भावनाओको आपके प्रति और भी कडुवा बना देगी और ऐसी स्थितियाँ पैदा कर देगी जिनमे लोगोको एक दूसरेपर विश्वास न रह जायगा और वे आपसमे सन्देहकी दृष्टिसे देखने लगेगे। इन विभिन्न वर्गोके बीच झगडे उठ खडे होगे। आप लोग जन-साधारणकी वैध इच्छाओका दमन करते है और एक वर्गको दूसरे वर्गके खिलाफ उठाते-गिराते है। जब मामला तूल पकड लेता है तो तत्काल एक बलिका बकरा पकड लिया जाता है और उसको सारे उपद्रवोके लिए दोषी ठहरा दिया जाता है। मुझको भय है कि पश्चिमी पाकिस्तानमे घटनाओका प्रवाह जिस जोर बहता जा रहा है, वह इस ओर संकेत करता है कि इसके परिणाम भी उनसे सुखद नही होगे जिनका कि हमने पिछले दिनो अपने देशके पूर्वी भागमें अनुभव किया है।

"माननीय प्रधान मंत्रीने मौलवी फजलुल हकके खिलाफ जो कुछ कहा, उसे मैंने सुना है और उसका आशय ग्रहण किया है। इस सम्बन्धमे सरकार द्वारा जो विभिन्न वक्तव्य प्रकाशित हुए है, वे भी मेरी दृष्टिके नीचेसे गुज़रे है। अपनी पिछली कराची यात्राके समय मौलवी फजलुल हक और उनके मंत्रियोने मुझे जो आश्वासन दिया था वह इनका खण्डन करता है। उन्होने मुझसे कहा था कि पृथक् हो जानेकी बात तो वे कभी सोच भी नही सकते है। वे यह भी नही समझते कि उनको केन्द्रसे क्यो अलग होना चाहिए और उसमे पूर्वी पाकिस्तानका क्या लाभ है? उनके अलावा मौलाना भसानी, शहीद सुहरावर्दी और अन्य नेताओके वक्तव्य भी समय-समयपर समाचार-पत्रोमे प्रकाशित होते रहे है। लेकिन यह विचित्र स्थिति है। इसके सर्वथा विपरीत मैंने पश्चिमी पाकिस्तानके प्रभावशाली क्षेत्रोमे फूट और विरोधकी एक भीतरी आवाज पायी है जो पृथक् होनेके प्रस्तावपर एक तुष्टि अनुभव करती है और उसका उद्देश्य पाकिस्तानकी दोनो भुजाओको अलग-अलग कर देना है। कराचीमे हुए प्रदर्शन, उनमें लगाये

गये मारे, कराचीके समाचार-पत्रोंमें लगातार चलाया गया दुर्भावनापूर्ण प्रचार अभियान और सार्वजनिक सभाओंमें किये गये भाषण स्थितिके इस अध्ययनकी पुष्टि करते हैं। इन उपायोंसे बंगाली और गैर-बंगालियोंके बीच क्रोध और प्रति हिंसाकी भावनाएँ जगायी जाती हैं। इस सम्बन्धमें मुझको और भी बहुतसी सूचनाएँ मिली हैं जिनको मैं यहाँ प्रकट नहीं करना चाहता।

"अन्तमें मैं शासकोंसे यह निवेदन करूँगा कि वे इन प्रश्नोंपर स्थिर और शान्त मनसे विचार करें और देशकी वर्तमान नीतिमें निहित सकटोंसे रक्षा करें।"

अमरिकी लेखक मि० जेम्स डब्ल्यू० स्पेन जिन्होंने सन् १९५४ में कराचीमें खान अब्दुल गफ्फार खाँसे भेंट की थी अपनी पुस्तक 'दि ग्रेट वेज ऑफ पठान' में लिखा है

"खान अब्दुल गफ्फार खाँके एक सम्बन्धी और सहयोगी मेरे लिए होटलके अहातेमें प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने होटलकी तीसरी मंजिलपर एक कमरा ले रखा था। उन्होंने यह कहकर अपनी सेवाओंको एक दुभाषियेके रूपमें प्रस्तुत किया कि बादशाह खाँ अंग्रेजी नहीं बोलते। कमरेके दरवाजेके बाहर दो पठान मामूली कपडे पहने हुए पल्थी मार बैठे थे। उन्होंने मुझको एक सूनी, उदासीन सी दृष्टिसे देखा और पठानोंके लक्षणोंके प्रतिकूल मेरे अभिवादनका उत्तर नहीं दिया।

"हमने लम्बे और दुबले-पतले खान अब्दुल गफ्फार खाँको एक शिकन पडी हुई चारपाईपर लेटे देखा। मानो इसराइलके बादशाहके फाटकपर रोगी यरमियाह (नबी) लेटा हो। वे एक घरका बुना (खादीका) सादा लम्बा कुर्ता पहने हुए थे जो बहुत कुछ सोनेके समय पहननेवाली कमीज़ जैसा जान पडता था। उनका भूरे बालोंवाला सिर खुला था। पठानोंकी विशेषता लम्बी नाकके ऊपर काली आँखें चमक उठी और उन्होंने उस अल्प प्रकाशके धुँधलेसे कमरेको तात्कालिक आवश्यकता—एक रोशनीसे भर दिया। वे उठे नहीं लेकिन उन्होंने अपना हाथ मेरी ओर बढा दिया। उन्होंने मेरा हाथ इतना कसकर पकड लिया कि मैं उसको वापस न खीच सका और मैंने अपनेको उस कुर्सीपर ढीला छोड दिया जिसे उनके सहयोगीने धीरेसे मेरे घुटनोंके पास सरका दिया था।

'मेरा हाथ पकडे हुए ही उन्होंने कुछ क्षण मेरी आँखोंकी ओर टकटकी लगाकर देखा और फिर पश्तोमें पूछा

'आप हमारे यहाँके गरीब लोगोंके बारेमें क्या जानना चाहते हैं ?

'मैंने उनसे कहा, कि मुझको पठानोंकी हर एक चीजमें दिलचस्पी है लेकिन

इस समय मै आपमे और आपके राजनीतिक विचारोमे दिलचस्पी रख रहा हूँ। मैने उनसे यह भी कहा कि मै वहुतसे पठानोसे मिला हूँ। यद्यपि आर्थिक दृष्टिसे वे निर्धन थे परन्तु मुझे वे गर्वीले और भावना-सम्पन्न जान पडे।"

"आप ठीक कहते है।" उन्होने मेरी वातसे सहमत होते हुए कहा, "हम पठान स्वाभिमानी लोग है, हालाँकि हमको सव तरहके अत्याचार सहने पडे हैं, पहले अंग्रेजोसे और अव इन वावुओसे जो अपनेको पाकिस्तानी कहते है। हम केवल यह चाहते है कि हम लोग एक आजादीकी जिन्दगी जी सकें। इतनेपर भी वे हम लोगोको गद्दार कहते हैं और मुझे देशके प्रति द्रोही। मै अपनी जनताके प्रति निष्ठावान् हूँ और उसीके प्रति मै सदैव निष्ठावान् रहूँगा। कराचीके उन लोगोकी वात सुननेकी वजाय आप अमेरिकावालोको हमारी सहायता करनी चाहिए।" उन्होने फिर कहा . "रूसवालोको भी हमे मदद देनी चाहिए। हम आप सवका स्वागत करते है।'

"क्या आप यह स्वतंत्रता पाकिस्तानके वाहर चाहते है ? क्या पाकिस्तानके भीतर स्वतत्र नही हो सकते ?" मैने पूछा।

"यह कोई महत्त्वकी वात नही हैं।" खान अव्दुल गफ्फार ख़ाँने जोर देते हुए कहा, "असली वात यह है कि हम अपना विकास करनेकी आजादी चाहते है। हमारे अपने यहाँके खान लोगोको, जिन्होने हमारे ऊपर अत्याचार किये है, हम एक झटका देना चाहते है, हम अपने कानून स्वयं वनाना चाहते है और अपनी निजकी भाषा वोलना चाहते हैं। इसके लिए वे कहते है कि मै अफगानिस्तानका एजेन्ट हूँ। इसके लिए वे मुझको गद्दार कहते है। यह झूठ है।'

"मुझको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि थोडी देर वातचीत करनेके वाद उन्होने अग्रेजी वोलना शुरू कर दिया। मुझको ऐसा लगा कि उनका शव्द-ज्ञान कुछ सौ शव्दोसे अधिक न होते हुए भी उन्होने एक मंजे हुए वक्ताकी कुशलताके साथ, एक असाधारण जोर देते हुए उनका प्रयोग किया है। जिस समय वे अपनी स्वाधीनताकी वात कह रहे थे उस समय उन्होंने आवेशमे अपने हाथोको फैलाया जिससे मेरा हाथ उनके हाथसे छूट गया। लेकिन अपने अफगानिस्तानके एजेन्ट होनेके आरोपका खंडन करते समय अपनी सच्चाईकी वात कहते हुए उन्होने मेरा हाथ फिर अपने हाथमे ले लिया। यह कल्पना करना सरल था कि पश्तो वोलते समय उनका अपने पठान श्रोताओपर कैसा प्रभाव पडता होगा—उन पठानोपर जिनके लिए वोले गये शव्दोका मूल्य है और जो उनके प्रशंसक है।

धर्मयुद्धकर्ता

१९५४-५७

अपने पड़ोसी देश भारतके विपरीत, जहाँ कि स्वतन्त्र गणराज्यका संविधान सन् १९५० में लागू हो गया, पाकिस्तान १९५६ तक पराधीनताकालमें पारित विधानोंसे प्रशासित होता रहा। पाकिस्तानके संविधानके मर्मविदोंकी चर्चा, बहुत पीछे सन् १९५० में शुरू हुई। संविधान निर्माणके दरम्यान बड़े ही तल्ख राजनयिक संघर्ष उठ खड़े हो गये। भावी संवधानिक व्यवस्थाके सबंधमें स्वयं मुस्लिम लीगके अन्दर मतभेद उत्पन्न हो गये। सितम्बर सन् १९५० में जब संविधान सभामें वह अन्तरिम रिपोर्ट पेश की गयी जिसमें मूल प्रस्ताव दर्ज थे तो सत्ताधारी वर्गके परस्परविरोधी स्वार्थवाले गुटोंका संघर्ष प्रकट हुआ। इन प्रस्तावों में घोषित बुनियादी सिद्धांत लियाकत अली खाँके उन प्रस्तावोंपर आधारित थे जिनमें उन्होंने पाकिस्तान राज्यके स्वरूप और बुनियादी नागरिक अधिकारोंपर प्रकाश डाला था। एक ऐसे प्रजातान्त्रिक गणराज्यकी व्यवस्था की गयी थी जो स्वरूपमें संघात्मक हो और हर घटक प्रशासकीय इकाईको पूर्ण स्वायत्त शासनका अधिकार प्रदान करे और प्रत्येक मुसलमानको अपनी धार्मिक आस्थाके अनुसार जीवनयापन करनेका मौक़ा मुहया करे। अधिकांश बुनियादी सिद्धान्तोंमें धर्मका पुट दिया गया था और एक ऐसे राज्यकी परिकल्पना की गयी थी जो पवित्र कुरानकी धर्माज्ञाओं द्वारा संचालित हो। मुल्ला लोगोंने यह फ़तवा दिया कि चूँकि पाकिस्तानके निर्माणमें मज़हबी उसूलोंने हथियारका काम किया है इस लिए पाकिस्तानकी राजनयिक व्यवस्था भी वाजिबी तौरपर धर्मादेशोंके अनुसार ही चलायी जानी चाहिए। मुल्लाओंका जनसाधारणपर अतुल प्रभाव था।

जब संविधानके निर्माणकर्ता इन परिभाषित सिद्धांतोंको एक ठोस संवैधानिक योजनाके रूपमें ढालने लगे तो वे अपने असली उद्देश्योंको छिपा न सके। लीगके संसदीय गुटमें प्रांतोंकी विधानसभाओंमें सीटोंके बँटवारे और केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारोंके पारस्परिक संबंध तथा राजभाषाके सवालपर उग्रतम मतभेद उठ खड़े हुए। बुनियादी सिद्धांत समितिकी रिपोटपर पंजाबी जमींदारों, उद्योगपतियों और अफ़सरोंके दबदबेसे असंतुष्ट पूर्व पाकिस्तानके प्रतिनिधियोंने तीव्र प्रतिवाद किया क्योंकि प्रस्तावित मसविदेके अनुसार, देशकी आधेसे ज्यादा

आबादीवाले पूर्व पाकिस्तानको केन्द्रीय धारासभाओमे तदनुरूप संख्यामे सीटें न मिलती और संविधान सभाके संसदीय दलमे भी उसकी हैसियत एक अल्पसंख्यक वर्गसे बेहतर न होती। उर्दू, जो कि बंगालियोके लिए विदेशी भाषा जैसी थी, पाकिस्तानकी एकमात्र राजभाषा होती। सन् १९५१ की मर्दुमशुमारीके अनुसार उर्दू मात्र २४ लाख लोगोकी मातृभाषा थी और यह संख्या पाकिस्तानकी कुल आबादीका केवल चार प्रतिशत थी। बंगला भाषाके साथ यह सौतेला व्यवहार पाकिस्तानके उन बहुसंख्यक लोगोको, जिनकी मातृभाषा बगला थी बुरी तरह अखर गया।

राष्ट्रभाषाके रूपमे उर्दूको थोपकर सत्ताधारी गुटको आशा थी कि इससे पूर्व और पश्चिम पाकिस्तानमे एकता स्थापित होगी, पूर्व और पश्चिम बंगालके रागात्मक संबंध स्थापित होंगे और बंगालियों, पख्तूनो, सिन्धियो और बलूचियो-के राष्ट्रीय आदोलनोपर आघात होगा। राजभाषाके प्रश्नको लेकर पाकिस्तानमे तीव्र संघर्ष उठ खडे हुए। पाकिस्तानके संस्थापको—जिना और लियाकत अली-ने घोषण की थी. "पाकिस्तान एक मुस्लिम राज्य है और इसकी राष्ट्रभाषा एक मुस्लिम राष्ट्रकी भाषा होनी चाहिए और वह भाषा उर्दू ही हो सकती है, कोई दूसरी भाषा नही।"

जब सितम्बर ९५४ में संविधान सभामें बुनियादी सिद्धान्त समितिकी रिपोर्ट पर विचार हुआ, तो पश्चिम पाकिस्तानके प्रशासकीय विभागके पुनर्गठनकी योजना, जो 'एक इकाई' प्रस्तावसे भिन्न थी, मुख्यतया पूर्व पाकिस्तान और सिंधके प्रति-निधियोके मतसे पारित हुई। इसमे पश्चिम पाकिस्तानमे छ. प्रातोंके निर्माणकी परिकल्पना की गयी थी· पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिंध, बहावलपुर, खैरपुर और बलूचिस्तान। परंतु मुस्लिम लीगके पजाबी नेताओने संविधान सभा-के इस निर्णयका उग्र विरोध किया क्योकि इससे उन्हे अपने प्रभुत्वपर आँच आनेकी आशंका थी। मियाँ मुहम्मद मुमताज खाँ दौलताना, मुश्ताक अहमद गुरमानी आदिने ऐलान किया कि पश्चिम पाकिस्तानके प्रस्तावित प्रशासकीय विभाजनसे पाकिस्तानका विघटन होगा अत एक इकाई योजनाको ही क्रियान्वित किया जाय। पंजाबके जमीदारो और अन्य निहित स्वार्थवालोके प्रतिनिधियोको लगा कि यदि प्रस्तावित प्रशासकीय विभाजन चरितार्थ हुआ, तो उनकी हुकूमत खतम हो जायगी। प्रधान मंत्री मुहम्मद अलीने एक इकाईके समर्थनमे जोरदार अभियान चलाया और प्रातवादके खतरेका हौवा खड़ा किया। सरकारने डॉ० खान साहब जैसे प्रभावशाली लोगोको अपनी ओर मिलाकर विरोधी आवाजो

को गठित करनेका प्रयास किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँ और मौलाना भगानी तथा कई अन्य लोगोंने एक इकाई योजनाका विरोध किया और एक महासमर छिड़ गया।

२४ अक्तूबर १९५४ को गवर्नर जनरलने एक फरमान निकाला कि सब धानिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गयी है और सारे पाकिस्तानमें संकटकालीन स्थितिका ऐलान किया जाता है। आठ सदस्योंका मन्त्रिमंडल गठित किया गया जिसमें मुहम्मद अली प्रधान मन्त्री अयूब खाँ रक्षामन्त्री और डॉ० खान साहब कैबिनेट मन्त्री बनाये गये।

२२ नवम्बरको प्रधान मन्त्री मुहम्मद अलीने सम्पूर्ण पश्चिम पाकिस्तानको एक प्रशासकीय इकाईके रूपमें एकीकृत करनेका सरकारी निर्णयको रेडियो द्वारा प्रसारित किया। एक सप्ताहके अन्दर पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, पंजाब और सिन्धकी विधानसभाओंने पश्चिम पाकिस्तानके प्रशासकीय एकीकरणका मतदान द्वारा समर्थित कर दिया। मुश्ताक अहमद गुरमानीने पंजाबके गवर्नर पदकी शपथ ली। शहीद सुहरावर्दीको कानून मन्त्रालय मिला। दिसम्बरमें गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मदने केन्द्रीय मन्त्रियों, गवर्नरों और मुख्य मन्त्रियोंके एक इकाई सम्मेलनका उद्घाटन किया। सम्मेलनने तय किया कि एकीकृत पश्चिम पाकिस्तानका प्रशासकीय स्वरूप हर प्रकारसे सामान्य प्रान्तीय कैबिनेट जैसा होगा एक गवर्नर एक मन्त्रिमंडल और एक विधानसभा। अप्रैल १९५५ में डाक्टर खान साहब और गुरमानी पश्चिम पाकिस्तान प्रान्तके क्रमशः मुख्य मन्त्री और गवर्नर नियुक्त हुए।

मार्च १९५५ में खान अब्दुल गफ्फार खाँने रावलपिंडीमें एक बयान प्रसारित किया कि अबतक उन्हें अपने प्रान्तमें जानेके प्रतिबंधको सरकारने उठाया नहीं है। पिछले साल जनवरीमें जेलसे छूटते वक्त उन्होंने सरकारको जता दिया था कि वे अपनी गतिविधिपर पाबन्दी लगाये जानेकी अपेक्षा जेलमें बंद रहना पसंद करेंगे। 'या तो सरकार मुझपर विश्वास करे और मुझे देशसेवा करनेका मौका दे वरना मैं जेलमें ही रहना पसंद करूंगा। लेकिन उस वक्त सरकारी प्रवक्ताने कहा था कि अविश्वासका तो कोई सवाल ही नहीं है, सरकार केवल कर्तव्यवश मेरी गतिविधियोंको प्रतिबंधित करना चाहती है और ये सारेके सारे प्रतिबंध दो या तीन माह बाद उठा लिये जायेंगे। मैंने इसपर खूब सोचा है और इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मेरा दोष यह है कि मुझे प्रजातन्त्रपर अटूट आस्था है। जब मैंने मौजूदा सरकार और पिछली सरकारके मन्त्रियोंसे एक इकाई प्रस्तावपर वार्ताकी थी तो जनताके फैसलेके संबंधमें ही मेरा उनसे मतभेद रहा। मैंने कहा

कि इस मसलेका निर्णय जनताकी इच्छाको जान लेनेके वाद ही किया जाना चाहिए और पश्चिम पाकिस्तानमे इस सवालको लेकर चुनाव कराया जाना चाहिए।"

उन्होने आगे कहा कि पिछले पन्द्रह माहमे, जबसे कि वे जेलसे छूटे है, उनके खयालसे सरकारका रुख उनके और उनकी पार्टीके प्रति परिवर्तित नही हुआ है। "खुदाई खिदमतगार संगठन, जिसने देशके लिए त्याग किये है, आज भी प्रतिवंधमे है और हमारा राष्ट्रीय पत्र पख्तून, हमारी लगातार कोशिशोंके वाव-जूद, प्रकाशित करने नही दिया जा रहा है और मै पूर्ववत् नजरवंद हूँ। मै पाकिस्तानमे पंजावके वाहर कही जा नही सकता और पंजावमे भी, अगर चाहूँ कि गरीवो और वेसहारा लोगोंकी मदद करके कोई सामाजिक कार्य करूँ, तो कर नही सकता। मुझपर शककी नजरसे देखा जा रहा है। मै जहाँ भी जाता हूँ, पुलिस मेरा पीछा करती है और जहाँ कही मै ठहर जाता हूँ वही पुलिस चौकीदार वनकर लोगोको मुझसे मिलनेसे रोक देती है। असलमे मै जो काम करना चाहता हूँ वह किसी भी अच्छी सरकारका कर्तव्य माना जाता है और हमारी सरकारको चाहिए कि हमें इसमे मदद पहुँचाये। उल्टे वह मेरे मार्गमे वाधाएँ खडी कर रही है। पन्द्रह माहतक इंतजार कर चुकनेके वाद अव मै सरकारको उसके उस वायदेकी याद दिलाना चाहता हूँ जो उसने मुझसे रावल-पिंडी सेन्ट्रल जेलसे मुक्त होते वक्त किया था।"

२५ मार्चको लाहौरमे पत्रकारोसे मुलाकातके दरम्यान खान अब्दुल गफ्फार खाँने पश्चिम पाकिस्तानके प्रशासकीय एकीकरणको कठोर समीक्षा की। अपने भाई डॉ० खान साहवसे अपना मतभेद व्यक्त करते हुए उन्होने कहा "मेरा यह विश्वास है कि सास्कृतिक और भाषावाद क्षेत्रोकी मौजूदगी और उनके उन्न-यनसे राष्ट्रीय एकताके माहौलकी कोई क्षति नही हो सकती। इस राष्ट्रीय मसले-पर जनताको अपना मत व्यक्त करनेका मौका मिलना ही चाहिए। हमे अपने पडोसी देश भारतके अनुभवसे सवक लेना चाहिए, जहाँ तेलुगु भाषी जनताकी भावनाओका सम्मान करते हुए मद्रास राज्यकी सीमाएँ निर्धारित कर दी गयी।" उन्होने कहा कि यदि एक इकाई योजनाको जनतापर थोप दिया गया तो इससे प्रातीयताकी भावना घटनेके वजाय वढेगी और इससे पाकिस्तान कमजोर होगा। उन्होने वताया कि मैने केन्द्रीय सरकारके कुछ मंत्रियोसे कह रखा है कि योजना को जनतापर वरजोरी थोपा न जाय और यदि जनताकी राय ईमानदारीसे नही ली गयी तो मैं सदैव इसका विरोध करता रहूँगा।

यह पूछनेपर कि क्या सीमात विधानसभा द्वारा एक इकाई योजनाका स्वागत जनसमथनका सूचक नही ह, खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि यदि मुझे सीमाप्रातम जानेकी इजाजत दी जाय, तो मै सारी दुनियाको दिखा दूँगा कि एक इकाई योजनाको सचमुच ही कितने लाग पसद करते ह।

एक सप्ताह बाद उन्होने अपने आलोचकोसे अज की कि वे तुच्छ, व्यक्तिगत और राजनीतिक महत्वाकाक्षाआकी साधनेके लिए इस्लामका नारा देना बद करें 'कुछ अखबारा और चद राजनीतिनो द्वारा योजनाबद्ध रूपसे, एक इकाई योजना द्वारा पश्चिम पाकिस्तानक एकीकरणक सबधमे मेरे विचारोको लेकर जनताको भुलावेमें डालनेकी कोशिश की जा रही ह। मन यह स्पष्ट घोषणा कर दी है कि भाषावार और सास्कृतिक इकाइयाँ राष्ट्रीय एकताके विरोधम नही खडी हो सकती। पाकिस्तानक बननेके पहलेसे ही मेरा यह विचार बन चुका ह। मने दलीलाके आधारपर हमेशा यही कहा ह कि क्षेत्रीय स्वायत्तता ही प्रातीयता और सकीणताको समाप्त करनेकी एकमात्र राह ह और इसीकी बुनियादपर एक प्रजातान्त्रिक और प्रगतिशील राष्ट्र उभारा जा सकता ह। मुस्लिम लीगके लाहौर अधिवेशनम ही स्वशासित प्रातीय इकाइयोकी परिकल्पना की गयी थी। मेरा दृष्टिकोण मेरे अतीतसे सगत ह और मै उसपर अटल हूँ।

उन्होने आगे कहा 'यह मेरा निजी दृष्टिकोण ह। लेकिन मने यह हमेशा कहा ह कि सभी मसलोपर अतिम निर्णय करना जनताका काम ह। एक इकाई वाला मसला भी उन्ही तय करना ह। अगर वह एक इकाई चाहती है तो कोई बाहरी ताकत उसपर अपना भिन्न निर्णय थोपनेकी कोशिश न कर। यदि, जसा कि दावा किया जा रहा ह जनता निस्सदिग्ध रूपसे एक इकाईके पक्षमें ह तो शासक लोग इस मसलेको तय करनेके लिए जनताके सामने पेश करनेसे घबराते क्यो ह? म किसी भी स्थितिमें जनताकी उपेक्षा किया जाना पसद नही करूँगा।

पाकिस्तानी अधिकारीगण एक इकाई योजनाको चलानेपर तुले हुए थे। इससे पठानोभाषी लोगोकी पृथक् क्षेत्रीय इकाईकी मांगकी जडपर कुठाराघात होता था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने इसका विरोध करके अधिकारियोंसे मोर्चा लेनेका माल था।

जुलाई १९५५ म जब गवर्नर पाकिस्तानने पता प्रमाणित करके खान अब्दुल गफ्फार खाँ पर से सीमाप्रातम जानेपर लगी रोक हटानेकी घोषणा की तो लोग वहाँ स्थान-स्थानपर सभा मिलन और स्वागत लग। इस अप्रत्याशित घोषणापर

खान अब्दुल गफ्फार खाँने लिखा है

"उन लोगोंकी मंशा मुझे सात साल वाद भी आजाद छोडनेकी नही थी। उन लोगोंने मुझे वंगाल रेगुलेशन्सके अन्तर्गत लगी रोकसे उवारकर पंजावमे सुरक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत नजरवन्द किया। मै पहले वाहमे रहा और फिर चचमे। एक रोज मुझसे पत्रकारोने वताया कि इस्कदर मिर्जाने यह वात जाहिर कर दी है कि सरकार मुझे गिरफ़्तार करना चाहती है। हमपर आरोप लगाया गया कि हम हिंदू है और भारतीय पंचमागी है। वह आरोप निर्मूल सिद्ध हो गया। अव मुझपर यह आरोप लगाया जानेवाला था कि मै अफ़गानिस्तानके साथ साँठ-गाँठ कर रहा हूँ।

"इसी वीच, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमे अब्दुल कयूमके स्थानपर अब्दुल रशीद मुख्य मंत्री बने। १२ जुलाई १९५५ को मरीमे एक इकाई योजनापर वोलते हुए उन्होने दावा किया कि एक भी शख्स न तो वंगाल रेगुलेशनके अन्तर्गत और न सुरक्षा अध्यादेशके अन्तर्गत नजरवंद है। एक वगाली पत्रकारने मेरा नाम लेकर उनके कथनको चुनौती दी। इसपर अब्दुल रशीदने जवाव दिया कि मेरी नजरवंदीके लिए केन्द्रीय सरकार जिम्मेदार हैं। जहाँतक उनका सवाल है, वे सीमाप्रान्तमें मेरी वापसीका स्वागत करेगे।

"कार्यकारी गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जाको महसूस हुआ कि अब्दुल रशीद के इस वयानसे वे एक वेहूदी परिस्थितिमे डाल दिये गये है और उनकी काररवाईका कोई औचित्य न रहा और तव केन्द्रीय सरकारने मुझे प्रतिवंधित करनेवाले सारे आदेश मंसूख कर दिये और अब्दुल रशीद इसके वाद ज्यादा दिन मुख्य मंत्री पदपर रह नही सके।"

अटक पुलसे लेकर जहाँगीरातक, खान अब्दुल गफ्फार खाँ अवामी लीगके नेता मंकी शरीफके पीर साहवके साथ मोटरकारोंके हुजूमके साथ ले जाये गये और रास्तेमे हर कही ग्रामीणोंने उनका शानदार स्वागत किया। 'वादशाह खाँ जिंदावाद' के गगनभेदी नारे लगे और उन्हे ढेरो मालाएँ पहनायी गयी। १७ जुलाई १९५५ को जहाँगीरामे सन् १९४८ मे नजरवंदीके वाद पहली वार भाषण करते हुए उन्होने कहा "पिछले सात वर्षोके अंदर आप लोगोने वहुत सारे उथल-पुथल देखे है। एक राष्ट्रके निर्माणमे ऐसा होना अवश्यम्भावी है। मुझे इस वातकी प्रसन्नता है कि आप लोग हर इम्तहानमे कामयाव सावित हुए। आप लोगोमे राजनीतिक जागर्ति आ गयी है। आपके दिल मजवूत है। आपके साथ दिक्कत यह है कि आप लोग अपनी उपलब्धियोको अपने पास संजोकर रख नही पा रहे

ह । आप लोगोने अग्रेजोको खदेडकर आज़ादी हासिल कर ली । लेकिन स्वार्थके वशीभूत होकर आप आज़ादीको पुख्ता नही कर सके और फलत आपका वतन हर प्रकारकी मुसीबतोसे घिरा हुआ ह भुखमरी, अज्ञान, कपडो और अय बुनियादी जरूरतकी चीज़ोकी कहत । मने आप लोगोको नसीहत दी थी कि आप अपना घर खुद खडा करें सेवाकी भावना विकसित करें स्वाथ छोडें और सच्चे इनसान बने । यह बड ददकी बात ह कि आप लोगोने मेरी बातोपर ध्यान नही दिया और अपनी आत्माको कौडियोंके मोल बेच डाला ।'

उन्होने नौशेरा और पब्बीमें सावजनिक भाषण किये, जहाँ कि उन्हें मानपत्र दिये गये और हर मसलेपर उन्हें सहयोग देनेका वचन दिया गया । पेशावरमें उन्होने पत्रकारोसे कहा कि पश्चिम पाकिस्तान सबधी एक इकाई योजनापर मेर विचारोमें कोई बदलाव नही आया ह । उन्होने आगे कहा 'म इस वक्त इस मसलेपर ज़ोर देकर कुछ भी नही कहना चाहता क्योकि सरकारसे मेरी बातचीत चल रही ह और वार्ताका अन्तिम निणय शीघ्र ही घोषित किये जानेकी सभावना ह ।"

यह पूछे जानेपर कि क्या अब भी पख्तूनिस्ताकी उनकी माग बदस्तूर जारी ह और पख्तूनिस्तानकी उनकी निजी और अफगानिस्तानकी मागोंमें क्या अतर ह उन्होन जवाब दिया कि अफगानोकी मागसे मेरा कोई सबध नही और पख्तूनिस्तान प्रातकी मेरी कल्पना पाकिस्तानके अविभाज्य अगके रूपमें ह ।

पेशावरम बोलते हुए उन्होने कहा "जनताकी सेवा मेरी जिंदगीका सबसे बडा ध्येय ह । मेर राजनीतिक उद्देश्योक सबधम स्वार्थी राजनीतिज्ञोने वहम खड कर दिये हैं । एक खास तबक़ेके समाचारपत्रोने इन वहमोपर विश्वास करनेम और उन्हें अधिकाधिक प्रचारित करनेम कुछ भी उठा नही रखा ह । मुझे किसीसे कोई शिकायत नही ह और म अपने देशकी जनताम यह अज करता हूँ कि वह मेर जीवनके उद्देश्योंके बारेम गुमराह न हो और मेरे सावजनिक बयानोकी गलत व्याख्या न कर और मेर साथ एसी बातें न जोडी जायें जिन्हें मैने कभी कहा या किया नही । मेरा जन्म पाकिस्तानकी धरतीपर हुआ ह और उसकी अखण्डता और प्रगति मेरी राजनीतिक आस्थाकी जान ह । सवधानिक मसलोपर मेरी राय कुछ भी हो सकती ह लेकिन केवल इतनेसे ही कोई भी नेता चाह वह कितना ही महान् क्यों न हो मरा वतनपरस्तीपर शक करनेका हक़दार नही हो जाता ।'

पेशावरसे खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खाँ अपने सहकर्मियोंसे मिलने हरदरयाब

चले। २० जुलाईको डा० खान साहबने उनसे मुलाकात की और उन्हे एक इकाई योजनाके विरोधमे अभियान चलानेसे रोकनेकी नाकामयाब कोशिश की। एक रोज सबेरे वे बवरा गाँव गये और वहाँ उन्होने उन मृत खुदाई खिदमतगारोंकी आत्माकी शातिके लिए प्रार्थना की, जो सन् १९४८ मे गोलियोकी बौछारोमे मारे गये थे। वहाँ जनताने उनका भव्य स्वागत किया। उस अवसरपर ववरा हत्याकांडपर विख्यात पख्तून कवि अब्दुल मलिक फिदाकी एक मार्मिक रचना पढी गयी

"काँखमे दाबे कफन, मैदाने-जंगको मै चला,
अरी मौत, जरा ठहर, मै गले लगने आ रहा हूँ,
सिर हथेलीपर लिये, खुदाकी अदालतको मै चल पडा हूँ
मैदाने-जगमे गूँजी आवाज, 'फख्रे-अफगान'
तुम्हारी कामयावीके वास्ते हम जाँ निसार करते है
ये जमघट हमारा तुम्हारे दीदारके वास्ते है।"

इस मौकेपर खान अब्दुल गफ्फार खाँ और वहुतोकी आँखें छलछला आयी।

खान अब्दुल गफ्फार खाँका समर्थन प्राप्त करनेके लिए मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जाकी हफ्तो लंबी कोशिशे, गृहमंत्री और डाक्टर खान साहवकी कोशिशें २६ जुलाईको पेशावरमे नाकामयाबोमे समाप्त हुई। गृहमंत्रीने पत्रकार समेलनमे खान अब्दुल गफ्फार खाँपर यह दोषारोपण किया कि वे एक स्थायी और ताकतवर पाकिस्तानके वनानेमे वाधक बन रहे है और ऐलान किया कि सरकार खुदाई खिदमतगार आदोलनका पुनरुत्थान होने नही देगी। उन्होने जोर देकर कहा कि इस आदोलनने "राज्यके जन्मकालमे शाति और व्यवस्थाको खतरा पहुँचाया था और आगे भी यह ऐसा कर सकता है।" सरकारने खान अब्दुल गफ्फार खाँपर से प्रतिवंध हटाकर उन्हे मौका दिया है कि वे अपनेको देशभक्त सिद्ध करे। लेकिन मुझे अफसोस है कि उनकी हरकतोसे सरकारकी प्रत्याशाओको आघात लगा है। मुझे इस वातकी आशंका है कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ और उनका संगठन इस वातकी पूरी कोशिश करेगे कि सरकार और उनके गुमराह साथियोमे टक्कर हो जाय। "सरकारके खिलाफ चलाया जानेवाला आदोलन, चाहे वह अहिंसात्मक ही क्यो न हो, एक ऐसी चीजके खिलाफ है, जो जनताकी अपनी है।" उन्होने आगे कहा कि खान अब्दुल गफ्फार खाँकी गतिविधिको देखते हुए ऐसा सोचनेपर मजबूर होना पडता है कि वे देशमे एक स्थायी और शक्तिशाली व्यवस्थाकी स्थापनाके खिलाफ है और उनके दिमागकी वनावट रचनात्मक कार्यक्रमोंके विरोध

म ह, क्योंकि उन्होंने ग्राम सहायता योजनामें मदद देनेके सरकारी प्रस्तावको ठुकरा दिया ह। उन्होंने कहा कि, 'कोई भी नमकहलाल सरकार खुदाई खिदमतगार आदोलनको बरदाश्त नही कर सकती" और सरकार एक इकाई योजना को लागू करनेके लिए कमर कसकर तयार ह।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने पाकिस्तान सरकारको चुनौती दी कि वह पश्चिम पाकिस्तानके एकीकरणके प्रश्नपर अविलम्ब चुनाव कराय। मैं जनताका फैसला शिरोधार्य करूँगा। उन्होंने कहा कि वतमान सविधान सभा प्रतिनिधि सस्था ह ही नही और मैं एक इकाई योजनाके समथनमें दिया गया उसका निणय कभी भी नही मानूँगा। उन्होंने माग की कि नयी सविधान सभा ईमानदारी और निष्पक्षता पूवक गठित की जाय। सत्ताधारी लोग जनतापर एक इकाई योजनाको थोपनेमे निहित खतराको महसूस नही कर रहे हं। उन्होंने कहा, "यह एक अजीब बात ह कि जो लोग पीढियोसे अग्रेजोके गुर्गे रहते आये है वे अग्रेजोको खदेडनेवालाको गद्दार कह रहे ह।' उन्होंने इस बातको मिथ्या कहा कि सरकारने उनपरसे प्रतिबधोको हटाकर उनपर विशेष रियायत की ह। करना ४८ घण्टे पहले गृहमत्री मुझे कडी कारवाईकी धमकी देनेकी हिमाकत कसे करते? उन्होंने इस्कदर मिर्जाके इस आरोपका प्रतिवाद किया कि वे अपने अनुयायियों और सरकारके बीच सघष कराना चाहत ह और इस बातपर जोर दिया कि खुदाई खिदमतगार अहिंसाके लिए कृतसकल्प ह।

उन्होंने इस बातपर जोर दिया कि उनके सप्रदायमें प्रातवादको कतई जगह नही ह और वे पजाबियोको अपना भाई समझत ह। उन्होंने समझाया कि प्रातवाद एक इकाई योजनाके फलस्वरूप जन्मा ह और इसे पजाबके कुछ पत्र बढावा दे रहे ह। उन्होंने जनतासे अज की कि वह ऐसे जहर भरे अखबाराको न पढे। उन्होंने कहा कि मुझ शक ह कि ये पत्र सत्ताधारी लोगा और अन्य स्वार्थी गुटोके इशारोपर ही ऐसा अभियान चला रहे ह। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पश्चिम पाकिस्तानके एकीकरणके पूव ही प्रान्तवाद भडककर गभीर रूप धारण कर लेता है तो यह कहना बडा ही कठिन होगा कि भविष्यमें घटनाओका रुख कसा होगा।

उन्होंने गृहमत्रीकी इस टिप्पणीका मजाक उडाया कि सरकारकी नीति कभी पाकिस्तानके किसी नागरिकको रोजकर रखनेकी नही रही। पाकिस्तानके आठ वर्षके अस्तित्वमें सात वषमे अधिक समयतक या तो वे जेलमे रखे गये या प्रान्तसे बाहर। सरकार उनके साथ इससे अधिक क्या व्यवहार करना चाहती? उन्होंने पूछा।

जिन लोगोंके हाथमे सत्ता है वे दिन-रात लोकतन्त्रकी कसमे खाते है फिर भी वे अपनी ताकतसे, वलसे स्वार्थ पूरे करनेपर तुले हुए है। यदि लोकतन्त्रका अर्थ जनतासे है, तो कोई भी वडा निर्णय लेनेसे पहले जनताकी अवश्य ही राय ली जानी चाहिए। ताकतके जरिये की गयी चीज कभी स्थायी नही होती। उन्होने आगे पूछा कि क्या सरकारसे मतभेद रखना कोई पाप है? लोकतन्त्र विचारके अन्तरकी तो पूर्व कल्पना कर लेता है। यहाँतक कि पैगम्बर (मुहम्मद साहव) ने भी इसको स्वीकार किया है। लेकिन दुर्भाग्यवश पाकिस्तानमे मतभेदका तात्पर्य गद्दारी माना जाता है।

खान अव्दुल गफ्फार खाँने यह घोषणा की कि वे इस वातको भली भाँति समझ चुके है कि पठानोको एक राष्ट्रके रूपमे एक इकाई योजनासे हानि पहुँचेगी। यहाँकी जनतामे राजनीतिक दृष्टिसे भारतके किसी भी भागकी जनताकी अपेक्षा अधिक चेतना है। सीमाप्रात ही अकेला ऐसा प्रान्त है जहाँ कि वे सचमुच जनताकी एक सरकार वना सकते है, यदि निर्वाचनमे कोई गडवडी नही होती। पाकिस्तानके शेष प्रातोके साथ ऐसी वात नही है। उदाहरणके लिए पंजावमे हमेशा गुरमानी, नून, तिवाना और दौलताना लोगोका शासन वना रहेगा। उन्होने जोर देकर कहा कि राजनीतिक चेतनाकी दृष्टिसे पंजाव इतना पिछडा हुआ है कि वहाँ वे १९ महीनेके कठोर कार्यके वाद भी एक राजनीतिक कार्यकर्त्तातक तैयार न कर सके। इसी प्रकारसे सिंधमे मुट्ठीभर जागीरदार जनताके ऊपर शासन करते रहेगे। उन्होने यह घोषणा की कि जवतक पंजाव और पश्चिमी पाकिस्तानके अन्य भागोमे वैसी ही राजनीतिक चेतना नही आ जाती जैसी कि पठानोमें है तवतक सीमाप्रान्तको पश्चिमी पाकिस्तानमे विलीन कर देना उसके साथ न्याय करना नही होगा। उन थोडेसे लोगोके लिए, जिनके उसमे स्वार्थ निहित है, पठान लोग क्यो तकलीफ झेले? उन्होने कहा कि विलीनीकरणकी योजनासे उन मुट्ठीभर व्यक्तियोको छोडकर, जिनका कि उसमे स्वार्थ निहित है, किसीको कोई लाभ नही होगा। पजावकी जनता भी उससे किसी प्रकारसे लाभान्वित नही होगी। उन्होने सत्ताधारी लोगोको यह चेतावनी दी कि वे कुछ स्वार्थोकी पूर्तिके लिए राष्ट्रके हितोका वलिदान न करें।

उन्होने इस वातका आश्वासन दिया कि यदि जनताके ऊपर वलपूर्वक एक इकाई योजना नही लादी जाती तो वे देशकी कही भी, पूरी क्षमताके साथ सेवा करनेको तैयार है। उन्होने "जिसकी लाठी उसकी भैस" की नीतिको खतरनाक वतलाते हुए उसके लिए सरकारको सचेत किया।

२९ जुलाईको फ्रंटियर अवामी लीग और खुदाई खिदमतगारोंका मर्दी शरीफमें एक संयुक्त सम्मेलन हुआ। उसमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ और मर्दी शरीफके पीर साहबको ये अधिकार दिये गये कि वे एक इकाई योजनाको लागू करनेके विरोधमें उपयुक्त कदम उठायें। सम्मेलनने सात घंटेके विचारके पश्चात् छः प्रस्ताव पारित किये। उनमेंसे एक प्रस्तावमें यह कहा गया था

"एक इकाई योजनाका प्रस्ताव यथार्थ रूपमें एक प्रशासन सम्बन्धी मामला नहीं बल्कि आधार रूपसे एक संवैधानिक प्रश्न है जिसके लिए जनताको ही फैसला करना चाहिए। और यदि पश्चिमी पाकिस्तानका विलीनीकरण बिना जनमत-संग्रहके किया गया तो वह स्वीकार नहीं किया जायगा।" इस बातपर जोर दिया गया कि पाकिस्तानकी परिकल्पना ही राजनीतिक स्वातन्त्र्यको लेकर की गयी है और एक इकाई योजना उस वचनके बिलकुल विपरीत है। "इसके अतिरिक्त प्रस्तावित विलीनीकरणसे राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियोंसे सीमाप्रान्तकी हानि है। बलपूर्वक लागू किया गया विलीनीकरण छोटे प्रांतों के मनमें एक संदेह उत्पन्न करेगा और एक घृणा जगायेगा।" सम्मेलनने सीमा प्रान्तकी जनतासे यह अपील की कि वह अपने दलगत मतभेदको भूलकर आपसमें संगठित हो और कागजी कारवाईके लिए अपनेको तैयार रखे।

खान अब्दुल गफ्फार खाँ जहाँ भी गये वहाँ जनताकी ओरसे उनको उत्साहपूर्ण समर्थन मिला। सरदरयावके केन्द्रके पुनर्निर्माणके फंडमें स्त्रियोंने मुक्त भावसे अपने गहने तथा मूल्यवान वस्तुएँ भेंट कीं। एक इकाई योजनाके विरोधमें जेल जानेके लिए लगभग २०,००० स्वयंसेवकोंने अपने-आपको अर्पित किया। पेशावरकी बादशाह खाँ स्वागत समितिने उनको आमन्त्रण दिया उनसे यथासम्भव शीघ्र जिलेका दौरा करनेकी प्रार्थना की। उन्होंने लिखा 'यदि उनकी यह प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाती तो इन ८०० गाँवोंके सारे बालिग लोग अपने राजनीतिक और आध्यात्मिक नेताके प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित करनेके लिए सरदरयावतक पैदल यात्रा करेंगे।'

१६ सितम्बरको अपने सीमाप्रांतके दौरेका पूरा करके खान अब्दुल गफ्फार खाँने पेशावरमें अपना यह इरादा घोषित किया कि वे बलूचिस्तानमें एक इकाई योजनाके विरोधमें एक अभियान आरम्भ करने जा रहे हैं। उनको वहाँ 'पख्तून भ्रातृत्व' संस्थाके संस्थापक, बलूची गांधी खान अब्दुस्समद खाँ द्वारा आमन्त्रित किया गया था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा, उन्होंने यह सुना है कि बलूचिस्तानमें उनके प्रवेशपर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। लेकिन वे उसे तोड़ेंगे। दूसरे

दिन खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने दो साथियोके साथ बलूचिस्तानकी सीमा मे प्रवेश किया। वहाँ उनको वेलूरून गाँवमे गिरफ्तार कर लिया गया। तीनो व्यक्तियोको माचकी सेन्ट्रल जेलमे ले जाया गया और वहाँ २६ सितम्बरको उनको रिहा कर दिया गया।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने कराची, पजाव, वंगाल और सीमाप्रांतकी एक इकाई योजनाके विरुद्ध अभियान छेड दिया। नवम्बरमे उन्होने एक सार्वजनिक सभामे कहा "मुझे अपने लिए कुछ नही चाहिए। मेरे पास सव कुछ है। मेरे वडे भाई पश्चिमी पाकिस्तानमे मुख्य मत्री है और पख्तून समाजमे वडे भाईको पिताके समान आदर दिया जाता है। लेकिन इसके वावजूद मैने एक इकाई योजनाके विवादास्पद प्रश्नपर अपनी असहमति प्रकट करनेका साहस किया क्योकि मै उसमे अपनी जनताकी एक वहुत वड़ी हानि देख रहा हूँ।" वादमे उन्होने कहा, "डा० खान साहव पजावियोको रिश्वत देकर पठानोको वरवाद कर रहे है। मै ऐसे लोगोको राष्ट्रका प्रतिनिधि स्वीकार करनेको तैयार नही हूँ जो सत्ता और स्वार्थोके लिए लोगोको ईमानदार और वेईमान ठहराते है।"

१६ जून सन् १९५६ को उतमजईसे आठ मील दूर शाही वागमे वे गिरफ्तार कर लिये गये। उनपर यह आरोप लगाया गया कि वे जनतापर ऐसा प्रभाव डाल रहे है जो पाकिस्तानकी सुरक्षा और क्षेत्रीय समैक्यकी दृष्टिसे आपत्तिजनक है और वे कानून द्वारा स्थापित सरकारके प्रति एक घृणा और तिरस्कारकी भावना जाग्रत कर रहे है। उनपर यह दोप भी लगाया गया कि उन्होने जनताके विभिन्न वर्गोके बीच वैमनस्य, घृणा और शत्रुताकी भावनाएँ फैलायी है। इसके साथ ही पब्लिक सेफ्टी एक्टके अन्तर्गत खान अब्दुस्समदको भी क्वेटामे गिरफ्तार कर लिया गया।

खान अब्दुल गफ्फार ख़ाँको पेशावर ले जाया गया और फिर उनको हरिपुर जेलमे रख दिया गया। उनकी गिरफ्तारीके तत्काल वाद पेशावरमे एक इकाई योजनाका विरोध करनेवाले प्रमुख कार्यकर्त्ताओके घरोकी तलाशी ली गयी।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी विचारणा कई वार स्थगित करनेके पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तानके लाहौर स्थित उच्च न्यायालयमें ३ सितम्वर १९५७ को जस्टिस शवीर अहमदके आगे प्रारम्भ हुई। अदालतका कमरा भरा हुआ था—विशेप रूपसे सरहदके लोगोसे। कई सार्वजनिक भापणोका उद्धरण देते हुए सरकारी वकीलने यह सिद्ध करनेकी कोशिश की कि खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने भापणोंमें वहुत ज़ोरदार ढंगसे पाकिस्तानमे पठानोके साथ दुर्व्यवहार होने-

राजनीतिक होनेके बाद भी हमारा आदोलन धार्मिक और आत्मिक ढगका थ जिसमें सामाजिक और आर्थिक सुधारके लक्ष्य प्रतिबिम्बित होते थे ।

"मैने यहाँ वे परिस्थितियाँ बतलायी जिनम हम काग्रेसम शामिल हुए आज भी पजाबके समाचार-पत्रोका एक वग हमको काग्रेसी कहता ह, इतना ह नही, वह हमार बारेम गलतफहमिया फलाकर हमें बदनाम करनेम लगा हुअ ह । इस बातका निणय करनेके लिए कि दोप हमारा था या मुस्लिम लीगका इन तथ्योपर दृष्टि डालना आवश्यक ह । अकेले रहकर सीमाप्रातमें हम अग्रेजो दमनका सामना न कर सके और इन परिस्थितियामे, जब कि मुस्लिम ली और अन्य मुसल्मान नेताओने हमें सहायता देनेसे इनकार कर दिया, हमारे आ काग्रेससे मित्रता स्थापित करनेके अलावा और कोई चारा न रहा ।

"सन् १९३१ में, जब कि गाधी-इरविन समझौता क्रियान्वित हुआ, मुझे औ मेरे अय साथियोको जेलमे रिहा कर दिया गया । उसी सालके अतमे शिमला काग्रेस कायसमितिका एक अधिवेशन हुआ, जिसम मने भी भाग लिया । शिमला में किसी कालेजके एक विद्यार्थीने हम लोगोंको सिसिल होटलमें दोपहरके भोज के लिए आमत्रित किया । तत्कालीन पजाब मत्रिमडलके सदस्य सर फीरो खाँ नून भी उस दावतमें शरीक थे । सर नूनने मुझसे कहा कि काग्रेसमें सम्मि लित होकर हमने उनके साथ एक विश्वासघात किया ह । मैंने उनसे कह दिय कि अग्रेज सरकार हमारा, हम सीमाप्रान्तके लोगोका दमन करना चाहती ह औ हम अकेले उसका सामना करनेमें असमर्थ थे इसलिए काग्रेसमें सम्मिलित होने अतिरिक्त हमारे आगे और कोई चारा न था । मैंने उनसे यह भी कह दिया वि कि सहायता लेनेके लिए हम लोग सबसे पहले मुस्लिम लीगके पास पहुँचे । हम मुस्लिम लीगके नेताओको अपना मुसलमान भाई समझा और उनसे यह आशा क वे हमें इस स्थितिसे छुटकारा दिलानेके लिए आयेंगे लेकिन जब उन्होने हमार सहायता करनेसे इनकार कर दिया तब हम सहयोगके लिए काग्रेसकी ओर मुडे मैंने सर फीरोज खाँ नून तथा अय नताओसे कह दिया कि यदि व मुसलमानोक सहायता करना चाहते तो अब भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ ह । पजाबके नता हमसे अब भी एक समान उद्देश्य लेकर मिल सकते ह । लेकिन यह सच कि हम अग्रेजोंसे तग आ चुके हैं और हम आजादी चाहते हैं—और हम अपने आजादी चाहते हैं । यदि मुस्लिम लीगके नेता आजादीकी लड़ाई छोडनेको तयार हैं तो हम भी महात्मा गाधीसे सम्बन्ध तोडनेको और काग्रेससे इस्तीफा देनेको

तैयार हूँ। मैंने सर फीरोजसे यह कह दिया कि इसके लिए आपको अपने सरकारी पदसे त्याग-पत्र दे देना पडेगा। उन्होने कहा कि अपने सहयोगियोसे वातचीत करनेके वाद वे मुझको इसका उत्तर दे सकते है। आज भी मै उस उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ।

"सन् १९४६ के हिन्दू-मुस्लिम दंगोंके वाद संयोगवश सर फीरोज मुझको पटनामे मिल गये। उन्होने मुझसे पूछा कि विहारके दंगोके वाद अव आपके क्या विचार है ? मैने उनको वतला दिया कि उनमे कोई परिवर्तन नही हुआ है।

"मै कभी पाकिस्तानके विचारका विरोधी नही रहा लेकिन पाकिस्तानके सम्वन्धमे मेरे विचार कुछ भिन्न अवश्य रहे है। मेरी कल्पनाके अनुसार मुसलमानोकी अपनी मातृभूमिके लिए पंजाव और वगालका विभाजन आवश्यक न था। इसके अलावा, जैसा कि वहुतसे लोगोका दावा था, मैने कभी इस वातपर विश्वास नही किया कि लीगके नेताओकी माँगे वास्तवमे मुस्लिम जनताके हितोपर आधारित है। उनमेसे अधिकाश मेरी दृष्टिमे अंग्रेजोके समर्थक थे। उन्होने अपने जीवनभर मुस्लिम जनताकी या इस्लामके हेतुकी सेवा नही की और न इन उद्देश्योकी उपलव्धिके लिए कभी कोई प्रयत्न ही किया। मै जानता था कि वे मुस्लिम जनताको पाकिस्तान और इस्लामके नामपर गुमराह करना चाहते है। ये नेता अपने निजके लाभके लिए पाकिस्तान चाहते थे और वे अपने प्रयोजनमे सफल भी हुए। मेरी रायमे हिन्दुओ और मुसलमानोके वीचका झगडा धर्मके कारण न था वल्कि उसके कुछ आर्थिक कारण थे। मै यह भी जानता था कि अग्रेज सरकारने इस स्थितिका शोषण किया है और इन झगडोको वढाया है। मुझे इस वातका विश्वास था कि व्रिटिश सरकारको उलट देनेके पश्चात् जव देश स्वतन्त्र हो जायगा और जव स्थितिपर कावू हो जानेके वाद इसकी अपनी जनताकी, अपनी राष्ट्रीय सरकार वनेगी तव सारा वातावरण वदल जायगा और हमारे सम्वन्ध सुधर जायँगे। लेकिन यदि इसके वाद भी धीरे-धीरे हिन्दू-मुसलमानोके सम्वन्धोका तनाव न हुआ तो हिन्दुओका साथ छोड देगे और इसके लिए हमको कोई नही रोक सकेगा। काग्रेसने प्रातोके स्वायत्त शासनके सिद्धान्तको मान्यता दी है और प्रातोके इस अधिकारको स्वीकार किया है कि यदि किसी भी प्रातकी जनता अपने वहुमतसे केन्द्रसे सम्वन्ध तोडनेका निश्चय कर लेती है तो वह ऐसा कर सकती है और वह एक स्वायत्त शासित राज्य वन सकता है।

"पश्चिमोत्तर प्रदेशकी जनता अधिकाश मुस्लिम थी। वहाँ हमारा हिंदुओके साथ कोई झगडा नही था। हम लोगोने जो कुछ भी कहा उसे काग्रेसने स्वी-

कार किया और उसके साथ हमारा किसी बातपर विरोध नही हुआ। कांग्रेसके नेताओने यह स्वीकार किया कि देशकी स्वाधीनताके लिए हम लोगोने प्रत्येक सम्भव त्याग किया है। शिमला कान्फ्रेंसमें कुछ बुनियादी सिद्धान्तोंपर हमारे मतभेद हुए तो मैं सरदार अब्दुल रब निश्तरसे मिला। मैंने उनसे यह कहा कि यदि मि० जिना कांग्रेसका विरोध करना छोड दें तो गाधीजी मुसल्मानोको उनके वध अधिकारोंसे भी अधिक अधिकार दिलानेको तैयार है। मैं स्वय भी मुसलमानोकी मागोंको पूरा करनेका आश्वासन देनेको तैयार था और उनको इसका पूरा भरोसा देनेको भी तयार था। मेरी इस बातको सुनकर सरदार साहब मि० जिनाके पास गये और उन्होने उन्हें यह समझाने-बुझानेकी कोशिश की लेकिन वे अपने इस प्रयासमें सफल नही हुए। उनकी इस मुलाकातका कोई परिणाम न निकला।

"सयुक्त भारतमें मुसलमाना सख्या लगभग दस करोड थी और म सोचता था कि इतनी बडी जनसख्याको सरलतासे दबाया नही जा सकता। मेरा विचार यह था कि कोई शक्ति हमको नष्ट नही कर सकती। और यदि हमको कोई गुलाम बनानेकी कोशिश करेगा तो हम स्वायत्त शासित राज्य सघसे अपना सम्बन्ध तोड लेंगे। मैं शासनके सघीय स्वरूपका इस विचारसे समर्थन कर रहा था कि यदि कांग्रेस हमारी शर्तोंको स्वीकार करनेको तैयार है और वह हम लोगोको यह आश्वासन देती है कि भविष्यमें जो भी शासन होगा वह एक समाजवादी गणतत्र होगा तो मुसलमानोको प्रस्तावित भारतीय स्वायत्त शासन सघमें सम्मिलित होना चाहिए और इसीमें उनका सच्चा हित निहित है। मेरी दृष्टिमें शासनके समाजवादी गणतत्रीय रूपमें मुसल्मानोंके लिए सबसे बडा आकर्षण यह था कि हिन्दुओंकी स्थितिके विपरीत वे एक समुदायके रूपमे अपेक्षाकृत एक निर्धन वर्गके लोग हैं। यदि कांग्रेस इन शर्तोंको स्वीकार करनेको तैयार न होती तो उन सूबोमें, जिनमें कि मुसलमानोंकी जन-सख्या अधिक थी, काफी विचार करनेके बाद हम लोग स्वायत्त शासन सघसे बाहर निकल जाते। आज भी मेरा यह विश्वास है कि इस रास्तेपर चलनेसे हम अधिक लाभान्वित होते क्योंकि इस योजनामें पजाब और बगालके विभाजनका प्रश्न ही न उठता। लेकिन भारतके मुस्लिम लीगके नेताओंने मेरे प्रस्तावको विचारके योग्य भी नही समझा और उनके द्वारा मुझे हिन्दू कहा गया।

"भारत और पाकिस्तानके बननेके समय एक भयानक दुखान्त घटना हुई। लाखों आदमी अपने घरबार त्याग करके दूसरे देशमें गये और हजारों निर्दोष

प्राणी मौतके घाट उतर गये। लोगोने इतनी बडी संख्यामे देशका परित्याग किया कि उससे उत्पन्न समस्याओंको सुलझाना सरकारके लिए कोई आसान काम न रहा। बहुतसे व्यक्तियोको कोई आश्रय न मिला और अनेक लोगोको भ्रष्ट प्रशासनके कारण शरणार्थी शिविरोमे कष्ट झेलना पड़ा। उनको चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा न मिली और बहुत कम भले लोगोने बीमार और घायल व्यक्तियोकी देख-रेखके लिए अपनी सेवाएँ अर्पित की। उन्ही दिनो मुहम्मद हुसेन अत्ता नामके एक सज्जन हमारे सरदरयावके केन्द्रीय मुख्यालयमें पहुँचे। वे सन् १९४२ मे मेरे साथ जेलमे रहे थे। उन्होंने मुझे कोसना शुरू कर दिया और मुझसे बोले कि यदि हम खुदाई खिदमतगार होनेका दावा करते है तो हमको लाहौर जाना चाहिए और वहाँके शरणार्थियोके दु.ख और कष्टोंमे अपनेको एक हिस्सेदार बनाना चाहिए। मैने उनसे कहा कि मै तो शरणार्थियोकी सेवा करनेको तैयार हूँ लेकिन अधिकारी हमे इस बातकी अनुमति नही देगे। मैंने उनसे कहा कि वे लाहौर जायँ और शरणार्थियोकी सेवाके हेतु खुदाई खिदमतगारोके लिए अनुमति प्राप्त करें। मैने उनसे यह भी कहा कि यदि अधिकारी हमे शरणार्थियोकी सेवाके लिए अनुमति दे देते है और हम अपने कर्त्तव्यको पूरा नही करते तो आपको हमारे ऊपर इस तरहसे नाराज होनेका पूरा हक है। वे लाहौर गये लेकिन एक मासके बाद असफल होकर लौट आये। उन्होने इस बातको स्वीकार किया कि मेरी बात अक्षरश. सत्य थी। वे यह बात भली भाँति समझ चुके थे कि लीग उनको मुस्लिम जनताकी दृष्टिमे गिरानेपर तुल गयी है। उन्होने इस बातको स्वीकार किया कि मुस्लिम लीगके नेताओको यह भय है कि यदि खुदाई खिदमतगारोको जनताकी सेवा करने दी जाती हैं तो इससे उनका प्रभाव कम हो जायगा और खुदाई खिदमतगारोके विरुद्ध उनका अभियान असफल हो जायगा।

"पाकिस्तान बन जानेके बाद सर जॉन कनिंघम हमारे सूबेके गवर्नर बने। वे एक अध्यवसायी तथा चतुर अंग्रेज अफसर थे। उनकी गणना मुस्लिम लीगके प्रबल समर्थको और विश्वस्त मित्रोमे की जाती थी। वे आठ वर्षतक मेरे प्रदेशके गवर्नर रहे। उन्होने सम्पूर्ण स्थितिका अध्ययन किया और फिर मेरे पुत्र गनीके द्वारा मुझसे मुस्लिम लीग और खुदाई खिदमतगारोकी सम्मिलित सरकारके लिए मेरी स्वीकृति चाही। मैने उनको सूचित कर दिया कि मुस्लिम लीग इस प्रस्तावके लिए कभी तैयार न होगी। हम लोग सेवा और फिरसे नये निर्माणपर विश्वास करते है जब कि मुस्लिम नेता मुख्य रूपसे जनतापर शासन करनेके महत्त्वाकाक्षी हैं। इस बातने सर जॉनके प्रयत्नको व्यर्थ कर दिया। मैने

गवनरसे यह कहला दिया कि यदि मुस्लिम लीगकी सरकार जनताका कल्याण करना चाहेगी तो हम बिना सरकारमे सम्मिलित हुए ही उसे अपना सहयोग देनेको तयार होंगे। परन्तु हम जनताकी सेवा करनेके इस अवसरसे भी वंचित कर दिये गये।

सन् १९४८ में जब मैंने पहली बार पाकिस्तानकी पार्लमेण्टके अधिवेशनमें भाग लिया तब मैंने यह घोषणा की कि जो कुछ हो चुका, वह हो चुका। पाकिस्तान हम सबकी समान रूपसे मातृभूमि है। सत्तारूढ दल यदि देशकी सेवा करनेका इच्छुक है तो वह जिस ढंगसे भी चाहेगा हम उसे अपना सहयोग देनेको तयार रहेंगे। मैंने आगे कहा कि मैंने किसी सरकारपर कभी अपना भार नहीं डालना चाहा। अब भी हम लोग अपना खर्च स्वयं उठा लेंगे। हम कुछ नहीं चाहते, सिवा देशकी निष्ठापूर्ण सेवाके। जिस समय मैं अधिवेशनमें बोल रहा था उस समय लियाकत अली खाँने मुझसे पूछा कि पाकिस्तानसे मेरा क्या अभिप्राय है। इसपर मैंने उनको बतलाया कि सही शब्द पाकिस्तान नहीं पख्तूनिस्तान है और यह केवल एक नाम है। उन्होंने मुझसे पूछा कि इस अभिव्यक्तिका क्या महत्त्व है? तब मैंने उनको समझाया कि जैसे पाकिस्तानके सूबे पंजाब, बंगाल, सिंध और बलूचिस्तान नाम हैं बस ही पाकिस्तानके भवनके ढाँचेमें पख्तूनिस्तान भी उसके एक खंडका नाम है। मैंने यह भी कहा कि हम लोगोंको कमजोर करनेके लिए अंग्रेजोंने हमारे यहाँकी जनताको टुकडोंमें बाँट दिया और हमारे देशका नामतक खुरच डाला। हम लोग अपने पाकिस्तानी बन्धुओंसे यह निवेदन करते हैं कि वे अंग्रेजों द्वारा हमारे प्रति किये गये इस अन्यायको दूर करें पख्तूनोंको संयुक्त करें और हम अपने प्रान्तके नामके लिए अनुमति दें जैसा कि पंजाबके मामलेमें है। जब भी पंजाबका नाम आता है तो सुननेवाले यह समझ लेते हैं कि यह उसी प्रान्तका जिक्र है जिसमें पंजाबी रहते हैं। इसी प्रकार बंगाल, सिंध और बलूचिस्तानका उल्लेख आते ही उन क्षेत्रोंकी तस्वीर हमारे दिमागके सामने आ जाती है जिनमें बंगाली, सिंधी और बलूची रहते हैं। हम लोग केवल यह चाहते थे कि पाकिस्तानके उस भागको जिसमें कि पश्तो भाषा बोली जाती है, पख्तूनिस्तान कहा जाय।

पार्लमेण्टमें मेरे इस भाषणके बाद कायदे आजम जिनाने मुझे अपने साथ भोजन करनेके लिए आमंत्रित किया। खाना खानेके बाद हम लोग एक लम्बी चर्चामें लग गये। मैंने उनसे कहा कि वे इस बातको भली भाँति जानते हैं कि खुदाई खिदमतगार आन्दोलन वस्तुतः एक समाज सुधार सम्बन्धी आन्दोलन था।

लेकिन अंग्रेज अधिकारियोके अत्याचारोने उसे एक राजनीतिक आन्दोलनके रूपमे परिवर्तित कर दिया। अब, जब कि देश स्वतत्र हो गया, मेरी यह राय बनी कि जबतक जनता सामाजिक रूपसे पिछडी हुई है तबतक उसमे एक यथार्थ चेतना जाग्रत नही हो सकती। पिछडे हुए लोगोमे लोकतान्त्रिक भावना कभी नही पनप सकती।

"कायदे-आज़म जिना मेरी बातसे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होने मुझसे हाथ मिलाया और मुझे यह आश्वासन दिया कि वे मुझको सब प्रकारकी सहायता देनेको तैयार है। हम लोग एक निश्चयपर पहुँच गये।

"जब मै कराचीसे चलने लगा तब कायदे आजमने मुझसे यह कहा कि अपने सीमाप्रान्तके अगले दौरेमें वे लाल कुर्ती दलके नेताओसे अवश्य मिलेगे। उन्होने मेरे लिए कुछ चरखोका आर्डर भी दे दिया था और यह आशा प्रकट की थी कि वे यथासम्भव शीघ्र मेरे पास भेज दिये जायँगे। हम लोगोने यह समझौता किया कि हम जनतामे एक सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम चलायेंगे। जब मै अपने प्रान्तमे पहुँचा तब मैने अपने साथियोसे उस लम्बी चर्चाका ज़िक्र किया जो मेरे और कायदे आजमके बीच हुई थी। हमने अपने मुख्य कार्यालयमे कायदे आज़मके उपयुक्त स्वागतका निश्चय किया। जब सत्ताके लोलुपो और अंग्रेज अधिकारियोको यह पता चला कि कायदे आज़म और खुदाई खिदमतगारोके बीच एक समझौता हुआ है तब वे अत्यधिक उद्विग्न हो उठे। जो कुछ हुआ उससे उन्होने अपनी एक हानि अनुभव की। उनको यह भय हुआ कि यदि कायदे-आजमने हमारे हुए समझौतेपर अमल किया तो वे लोग कहीके न रहेगे। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि उस समयतक मेरे प्रान्तके सारे महत्त्वपूर्ण पद अग्रेज अधिकारियोके हाथोमे थे। उस समय मैने यह माग की कि गवर्नरका पद और विभिन्न विभागोके अन्य महत्त्वपूर्ण पदोकी, जो कि अबतक अंग्रेज अधिकारियोके हाथोमे है, पूर्ति केवल पाकिस्तानके नागरिको द्वारा होनी चाहिए। इस माँगने न केवल स्वर्गीय लियाकत अली खाँको बल्कि मेरे प्रान्तके अंग्रेज अधिकारियोको भी नाराज़ कर दिया। इसलिए कायदे-आजम जिना और खुदाई खिदमतगारोके बीच हुई व्यवस्थाको भंग करनेके लिए नेता और अंग्रेज अधिकारी परस्पर मिल गये।

"इसी बीच सर जार्ज कनिंघमके स्थानपर सर ए० डी० एफ० डुंडाज़ सीमाप्रातके गवर्नर बनकर आ गये। उन्होने कायदे-आजमपर यह दबाव डालनेके लिए अपना एक विशेष संदेशवाहक कराची भेजा कि वे हमारे आमत्रणको

स्वीकार न करें, क्योंकि इससे खुदाई खिदमतगारोंकी प्रतिष्ठा बढ़ जायगी।

"जब कायदे आज़म सीमा प्रांतमें आये तो हम लोगोंको उनसे मिलनेका मौका देनेसे भी इनकार कर दिया गया। प्रांतके मुसलमान नेताओं और गवर्नरने कायदे-आज़मको यह विश्वास दिलाया कि खुदाई खिदमतगार अत्यन्त खतरनाक लोग हैं। उन्होंने उनके मनमें यह सन्देह भी जगा दिया कि हम जो उनको अपने केन्द्रीय कार्यालयमें लिये जा रहे हैं उसका उद्देश्य ही उनकी वहाँ हत्या कर देना है। हमको यह सूचित कर दिया गया कि कायदे आज़मने किसी भी गैर-सरकारी समारोहमें भाग न लेनेका निश्चय किया है हालाँकि उसके बाद उन्होंने बहुतसे गैर-सरकारी समारोहोंके आमन्त्रणोंको स्वीकार किया और उनमें भाग लिया।

'हमारे आमन्त्रणको अस्वीकार करनेके बाद भी वे खुदाई खिदमतगारोंसे पेशावरके राजभवनमें मिलना चाहते थे। यह निश्चय हुआ कि सफरके खुदाई खिदमतगारोंकी ओरसे मैं कायदे-आज़म जिन्नासे भेंट करूँ। दो घंटेकी लम्बी बात-चीतमें मैंने यह अनुभव कर लिया कि उनके सहयोगियोंने उनके दिमाग़में हमारे खिलाफ़ ज़हर भर दिया है। मैंने उनसे कहा कि एक मुसलमान होनेके नाते हमारी सब शक्ति उनकी शक्ति है और चूँकि वे मुसलमान हैं मैं उनकी शक्ति-को अपनी शक्तिके स्रोतका उद्गम मानता हूँ। इसपर उन्होंने मुझे मुस्लिम लीगमें आ जानेकी सलाह दी। मैंने उनसे पूछा कि वे इस बातके लिए इतने अधिक इच्छुक क्यों हैं? वे मुझसे काम लेना चाहते हैं या यह चाहते हैं कि मैं भी अन्य मुस्लिम लीगवालोंकी तरहसे उत्साहहीन हो जाऊँ? मुस्लिम लीगके नेताओंमेंसे अधिकांश बड़े ज़मींदार, जागीरदार या उनके मित्र थे और उन्होंने कभी देश की कोई सेवा न की थी। अपने जीवनभर वे अंग्रेज अधिकारियोंके समर्थक और चापलूस रहे थे। कायदे-आज़मने मुझसे यह आग्रह किया कि मैं मुस्लिम लीगमें सम्मिलित हो जाऊँ। मैंने उनसे इस बातको दुहराया कि उन्हें स्वार्थी तत्त्व घेरे हुए हैं। जब उनको अपने कोई निजी स्वार्थ पूरे करने होते हैं तब वे उनके (जिन्ना साहबके) आदेशोंतककी अवहेलना कर देते हैं, हालाँकि वे उनके केवल नेता ही नहीं हैं बल्कि गवर्नर जनरल भी हैं। कायदे आज़मने मुझे अपने तर्कको सिद्ध करनेके लिए कहा। प्रमाणके रूपमें मैंने उनसे कहा कि हिंदू लोग यहाँसे जाते समय पाकिस्तानमें करोड़ों रुपयोंकी सम्पत्ति छोड़ गये थे जिसे कि मुस्लिम लीगवालोंने लूट लिया। यह सम्पत्ति पाकिस्तानकी थी, लेकिन इसके बावजूद ये नेता उसमेंसे एक कानी कौड़ी भी सरकारको देनेके लिए तैयार न थे। मैंने उनसे कहा कि वे मुझको मुस्लिम लीगका एक भी ऐसा नेता बतला दें जिसने कि

इस लूटमे भाग न लिया हो।

"जब कायदे-आजमने हमसे मुस्लिम लीगमें सम्मिलित होनेका आगे आग्रह किया तो मैने उनसे यह कह दिया कि मै आपके इस प्रस्तावको अपने साथियोके आगे रखूँगा। उन लोगोने निश्चय किया कि चूँकि वे लोकतंत्रके प्रेमी है और वे अवतक स्वतंत्रता और लोकतंत्रके लिए लडते रहे है इसलिए वे इस वातके लिए तैयार नही है कि एक दल अपने इच्छानुसार दूसरे दलको अपनेमे विलय कर ले।

"ऐसा विश्वास किया जाता है कि सीमा-प्रातसे विदा लेते समय कायदे-आजम खुदाई खिदमतगारोका दमन करनेके लिए मि० खान अब्दुल कयूम खाँ और सीमा-प्रातके गवर्नर मि० डुंडाजको पूरे अधिकार दे गये।

"मै वहुत दिनोसे कोहाट और वन्नू नही गया था। वहाँके लोगो की यह इच्छा थी कि मै उनके इलाकेका दौरा करूँ। अत. मै १५ जून १९४८ को नाजो और मुनीर खाँ सालारके साथ वन्नूके लिए चल दिया। वहादुर खैल पहुँचनेपर हमने देखा कि पुलिसने रास्ता रोक रखा है। मुझसे और मेरे साथियोसे कारसे नीचे उतर आनेके लिए कहा गया। उसके वाद हम लोगोको टेरी तहसील ले जाया गया जहाँ कि हम लोगोको सारे दिन विना खाना-पानीके रखा गया। शामको कोहाटका डिप्टी कमिश्नर वहाँ आया। मुझको उसके सामने पेश किया गया। उसने मुझे तुरंत जमानत दे देनेको कहा। मैने उससे पूछा कि वह किस वातके लिए मेरी जमानत चाहता है। उसने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तानके विरुद्ध है। जब मैने उससे प्रमाण चाहा तव उसने कहा कि वेकार बहस करनेका कोई अर्थ नही है। मैने जमानत देनेसे इनकार कर दिया। इसके वाद उसने फैसला किया और मुझे तीन वर्षका कठोर कारावास दंड सुना दिया। जो लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे मुझे उनसे भी न मिलने दिया गया और न मुझको अपने कपडे या अन्य आवश्यक सामान ले जानेकी इजाजत दी गयी। मुझे माण्टगोमरी जेल भेज दिया गया और वही मैने अपनी कारावासकी अवधि पूरी की। लेकिन उसके वाद भी मुझे छोडा नही गया। उस समय मुझको सन् १८१८ की धाराके अन्तर्गत रोक लिया गया और अंतमे जनवरी १९५४ ई० मे छोडा गया।

"कश्मीरकी गुत्थीको सुलझानेके लिए मैने अपनी सेवाएँ अर्पित करनी चाही—एक बार कायदे-आजम जिनाके जीवनकालमे और दूसरी बार उनकी मृत्युके पश्चात् लेकिन मेरा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। सत्तारूढ दलने यह निश्चय किया कि यदि हम लोगोके द्वारा कश्मीरकी समस्या सुलझ जाती है तो इससे जनताके मनमे हमारे प्रति एक दुर्भावना उत्पन्न हो जायगी और इससे उन लोगो

की प्रतिष्ठाको एक धक्का लगेगा। स्वर्गीय लियाकत अली खाँके मनमें जो विचार चल रहा था उसकी झलक हमारे दो विधानसभाके सदस्योंसे की गयी उनकी बातचीतसे मिल जाती है। उस समय उन्होंने कहा था कि मि० जिनाकी मृत्युके पश्चात वे कोई ऐसा नेता नहीं चाहते जो जनताके ऊपर अपने प्रभावसे शासन कर सके और उसे अपने साथ बहा ले जा सके। एक अन्य अवसरपर ममदोतके नवाब माँटगोमरी जेलमें मुझसे मिलनेके लिए आये। उस समय हमने कश्मीर-समस्यापर बातचीत की और मैंने उनके आगे कुछ प्रस्ताव रखे। नवाबजादे वक्त हामिद निजामी साहब भी हम लोगोंकी इस चर्चाके समय उपस्थित थे। उस समय मुझको यह सुझाव दिया गया कि सरकार मेरे सुझावोंपर अत्यन्त सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। लेकिन उसका परिणाम भी कुछ नहीं निकला। यदि सरकारने उस समय मेरे प्रस्तावोंको स्वीकार कर लिया होता तो कश्मीरका प्रश्न बहुत पहले ही सुलझ गया होता। मेरी धारणा है कि बड़े नेता कश्मीरकी समस्याको सुलझाना ही न चाहते थे बल्कि अपने स्थानको सुरक्षित रखनेके लिए स्थितिका शोषण करनेको उत्सुक थे।

'सन् १९५३ में जब कि मैं जेलमें ही था, सरदार बहादुर खाँ रावलपिण्डी जेलमें मुझसे मिलनेके लिए आये। उन्होंने यह स्वीकार किया कि सरकारने खुदाई खिदमतगारोंके प्रति अत्यधिक अन्याय किया है और विशेष रूपसे अब्दुल कयूम तो दमन और अत्याचारपर उतर आये हैं। कोई सम्मान करने योग्य सरकार इसको न्यायसंगत नहीं ठहरा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार मेरी इस नजरबंदीको वैध नहीं मानती और वह मुझको छोड़ देनेके लिए उत्सुक है। लेकिन उसको यह भय है कि खुदाई खिदमतगारोंके साथ जो व्यवहार किया गया है, उसे न तो वे भूल सकते हैं और न क्षमा ही कर सकते हैं। मैंने उनको यह विश्वास दिलाया कि खुदाई खिदमतगार अहिंसापर विश्वास करते हैं और उन्होंने अपने दमनकारीसे कभी बदला लेनेकी कोशिश नहीं की। मैंने इस बातपर अपना आश्चर्य प्रकट किया कि अपनी भूलोंको स्वीकार करनेके बाद भी सरकार हम लोगोंके प्रति न्याय करनेको तैयार नहीं है। मैंने सरदार बहादुर खाँसे कह दिया कि जबतक सरकार प्रत्येक ढंगसे मेरे और मेरे खुदाई खिदमतगार आन्दोलनसे पूर्ण रूपसे सतुष्ट नहीं हो जाती तबतक मैं अपनी रिहाईके लिए उत्सुक नहीं हूँ। बादमें वे फिर मेरे पास आये और बोले कि सरकारने मुझे रिहा कर देनेका फसला कर लिया है।

'सन् १९५४ में जेलसे छूटनेके बाद मैं रावलपिण्डीके सर्किट हाउसमें रखा

दिया गया। वहाँ मेरे ऊपर रोक लगी हुई थी। सर्किट हाउसकी नजरवन्दीसे मैंने जेलकी नजरबंदीको अच्छा समझा। मुझे डर था कि शायद मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। जैसा कि अर्बाव खान अब्दुल गफ्फार खाँके साथ हुआ था। उनको पेरोलपर छोड दिया गया था लेकिन वादमे उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया था और यह अफवाह फैल गयी थी कि वे अफगान एजेन्टो के साथ षड्यंत्र रच रहे हैं।

"वादमे मुझको पंजावमे प्रवेश करनेकी अनुमति दे दी गयी। इस प्रकार मुझको संविधान सभामें भाग लेनेका और उसमे अपनी वात कहनेका एक अवसर मिला।

"उन दिनो एक इकाई योजनापर गर्म वहसे चल रही थी। मेरे पंजावी भाइयोको इस विवादग्रस्त विषयपर खान वन्धुओके खिलाफ कुछ शिकायते थी। अधिवेशनके दौरान चौधरी मुहम्मद अली, मुश्ताक अहमद गुरमानी, सरदार वहादुर खाँ और पंजावके तत्कालीन मुख्य मन्त्री फीरोज़ खाँ नून मुझसे मिले और उन्होने मुझे एक इकाई योजनाके लाभ समझानेकी कोशिश की। सिन्ध, वलूचिस्तान और पश्चिमोत्तर प्रदेशके लोगोसे मिलनेके वाद मै यह भली भाँति समझ गया कि जनता इस योजनाके पक्षमे नही है और इसे वलपूर्वक लागू किया गया तो यह पाकिस्तानके हितमे नही होगा। मैंने उनको यह वात समझानेको कोशिश की कि इस मौकेपर एक इकाईका गठन लाभकारी नही होगा। मैने उनसे यह भी कहा कि यदि वे इस दिशामे सचमुच गम्भीरताके साथ सोच रहे है तो पश्चिम पाकिस्तानकी दो इकाइयाँ वनाना अधिक उपयुक्त होगा जिनमेसे एक पंजाव होगा और दूसरी इकाई शेप अन्य छोटे प्रान्तोको मिलाकर वनायी जायगी। चौधरी मुहम्मद अलीने, जो इस समय प्रधान मंत्री है, यह कहा कि या तो एक वननी चाहिए या यथावत् स्थिति वनी रहनी चाहिए। इस प्रकार हमारी मुलाकात खत्म हो गयी।

"जिस समय इन विवादग्रस्त विषयोपर वाद-विवाद चल रहा था उस समय केन्द्रीय सरकारने गवर्नर जनरलके द्वारा डा० खान साहवसे समझौतेकी चर्चा शुरू कर दी। मि० गुलाम मुहम्मदने इस तथ्यको स्पष्ट रूपसे स्वीकार किया कि खुदाई खिदमतगारोके साथ वहुत वड़ा अन्याय किया गया है और उनके लिए इस व्यवहारको भूल जाना वहुत मुश्किल होगा। उन्होने मुझे यह सुझाव दिया कि मै अपने संगठनको भंग कर दूँ और उसकी जगह दूसरा नया संगठन प्रारम्भ कर दूँ। हम लोगोने उन्हे विस्तारसे वतलाया कि समस्याका यह हल नही है।

पर बैठक हुई और उसमें मुझको भी बुलाया गया। उसमें डा० खान साहब, मेजर जनरल इस्कंदर मिर्जा और सीमाप्रान्तके तत्कालीन प्रीमियर सरदार अब्दुल रशीद खाँने भाग लिया। मैंने उनको सचेत किया कि जनतासे बिना राय लिये हुए उनको एक इकाई योजनाको लागू नहीं करना चाहिए। जहाँतक मुझको स्मरण है, यह निश्चित हुआ था कि एक इकाई योजनाको क्रियान्वित करनेसे पहले जनताकी राय ले ली जायगी। मैं मिर्जा साहबके साथ बैठकसे बाहर आया। उन्होंने कहा कि मेरा सहयोग आवश्यक है। मैंने उनसे कहा कि यदि वे तथा शासनके लोग सचमुच यह चाहते हैं तो मैं अपना सहयोग देनेको तैयार हूँ।

"मैं कराचीसे पंजाब वापस चला गया क्योंकि इस प्रान्तमें मेरे प्रवेशपर प्रतिबंध लगा हुआ था। मैं कम्पबेलपुर जिलेके घोरघसी गाँवमें रहने लगा। सीमाप्रान्तके लोग मुझसे मिलनेके लिए इस गाँवमें आया करते थे। हमारे संगठनके क्रिया-कलापपर, हमारे समाचारपत्रों और हम लोगोंपर सरकारने जो प्रतिबन्ध लगाये थे उनको वे लोग सरकारके अत्यन्त घृणास्पद कदम समझते थे। वे इस बातसे निराश हो चुके थे कि वे सामान्य तरीकोंसे न्याय पा सकते हैं और उनमें से कुछ लोग तो सविनय आज्ञा भंगका आन्दोलन छेड़ देना चाहते थे लेकिन मैंने उनको सलाह दी कि खुदाई खिदमतगार होनेके नाते उनको अपने प्रति किये गये प्रत्येक अपकारको झेलना चाहिए और कुछ समयतक और धैर्य रखना चाहिए। इसी बीच नयी संसद बन गयी और उसका पहला अधिवेशन मरीमें बुलाया गया।

सन् १९५५ की ग्रीष्मऋतुमें नयी संसदके मरी अधिवेशनमें बंगाल और पंजाबके राजनीतिक नेताओंका तीव्र मतभेद फिर उभरकर सामने आ गया। सीमाप्रान्तमें मेरे प्रवेशपर अबतक प्रतिबंध लगा हुआ था और उन गुप्त पर्चोंमें जिन्हें मि० दौल्तानाने बाँटा था यह कहा गया कि यदि मेरे साथ कोई समझौता कर लिया जाता है तो एक इकाई योजनाको प्रारम्भ करनेकी सम्भावनाओंको फिर एक खतरा उत्पन्न हो जायगा। फिर भी पार्लियामेण्टके मरी अधिवेशनमें मुझे नाटकीय परिस्थितियोंमें सीमाप्रान्तमें प्रवेश करनेकी अनुमति दी गयी।

'मरी छोड़नेसे पहले मरीके गवर्नमेण्ट हाउसमें मेरी तथा मंत्री लोगोंकी एक और बैठक हुई। मि० गुरमानीने मुझे एक इकाई योजना विस्तारसे समझाया और मैंने उनसे यह कह दिया कि मेरे विचारमें इस योजनाको लागू करनेका कोई कारण नहीं है। इसके बाद मि० गुरमानीने जलके साधन, बिजली, खानों, यातायात और वन उद्योगोंके प्रबन्धके संयुक्त नियंत्रणपर बल दिया। मैंने उनसे

सामने यह तर्क रखा कि ये सब उद्देश्य तो पश्चिमी पाकिस्तानकी क्षेत्रीय संघ योजनाके द्वारा भी पूरे किये जा सकते हैं। मैंने उनसे यह स्पष्ट रूपसे कह दिया कि एक इकाई योजना पख्तूनोके राष्ट्रीय हितोके विरुद्ध है। हमे प्रान्तकी भावना का आदर करना चाहिए और विभिन्न संस्कृतियोकी रक्षा करनी चाहिए। मैंने यह भी कहा कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तानके लोग राजनीतिक चेतनाकी दृष्टिसे पश्चिमोत्तर प्रदेशके निवासियोसे कम प्रगतिशील है। मेरा मत यह था सीमाप्रान्तके अपवादको छोडकर पश्चिम पाकिस्तानके शेष सब प्रान्तोमे निर्वाचनमे कट्टरपथी, जागीरदार ही विधान-सभामे चुनकर आयेंगे। परन्तु सीमाप्रान्तमे, जहाँ कि जागीरदार बहुत सीमातक अपनी ताकत खो चुके है, अधिकाश रूपमे प्रगतिशील तत्त्व विजयी होगे। मैंने इस बातपर बल दिया कि यदि सारे पश्चिमी पाकिस्तानके लिए एक असेम्बली बनायी जाती है तो वह सीमाप्रान्तकी ईमानदारीसे साथ निर्वाचित विधानसभाकी अपेक्षा बहुत अधिक अनुदार होगी। इस प्रकार एक इकाई योजना पठान क्षेत्रोके ऊपर एक अनुदार और कट्टरपंथी शासन लाद देगी, इसलिए मैंने प्रस्ताव किया कि पंजाबमें हमे एक व्यापक और सक्रिय राजनीतिक कार्यक्रम चलाना चाहिए।

"जब मै एक इकाई योजनापर तैयार न हुआ और मैंने देशमें एक व्यापक, राजनीतिक कार्यकी आवश्यकतापर बल दिया तब तत्कालीन वित्तमंत्री चौधरी मुहम्मद अलीने मेरे आगे गाँवोके उत्थानकी अपनी एक योजना रखी और मुझे उसकी व्यवस्थाका प्रधान बननेका आमत्रण दिया। मैंने उनके इस प्रस्तावको इस शर्तके साथ स्वीकार कर लिया कि पहले एक इकाई योजनाका विवादग्रस्त प्रश्न न्यायोचित ढंगसे सुलझा लिया जायगा। मि० सुहरावर्दीने भी ग्रामोत्थानके महत्त्वपर बल दिया। उन्होने मुझसे कहा कि सरकारकी बिना सक्रिय सहायताके कोई बडा उपयोगी काम नही किया जा सकता। इसलिए हमारी बैठक एक इकाई योजनापर बिना कोई निर्णय किये हुए ही समाप्त हो गयी।

"जब मै सीमाप्रान्तमे वापस लौटा तब भी एक इकाई योजनापर विचार चल रहा था। जनरल इस्कंदर मिर्जा और डा० खान साहब दोनो हमारे प्रान्तके दौरेपर आये। हम सब लोग खान कुर्बान अली खाँके अतिथि थे। जनरल इस्कंदर मिर्जाने मेरे आगे ग्रामोत्थानकी उस योजनाको विस्तार रूपमे रखा जिसपर मरीमें चौधरी मुहम्मद अली मुझसे पहले बातचीत कर चुके थे। जनरल मिर्जाने मुझसे ग्रामोत्थानकी इस योजनाके प्रशासन-भारको सँभालनेके लिए कहा। मैंने उन्हें उत्तर दिया कि जबतक एक इकाई योजनाका विवादग्रस्त प्रश्न

वर्षके क़ैदी

१९५७–६४

खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खाँने एक इकाई योजनाका बड़ी दृढ़ताके साथ विरोध किया और हर एक तरहसे यह कोशिश की कि उनके प्यारे सरहदी सूबेका शेष पश्चिमी पाकिस्तानमें विलय न होने पाये। २७ जनवरी सन् १९५७ को उन्होंने पाकिस्तान नेशनल पार्टीमें शामिल हो जानेका अपना निर्णय घोषित कर दिया। यह दल छः विभिन्न विरोधी दलोंको मिलाकर संगठित किया गया था। बादशाह खाँने सरकारको यह सलाह दी कि देशमें एक स्वस्थ राजनीतिक जीवनको पनपानेके लिए निकट भविष्यमें सामान्य निर्वाचनोंका होना अनिवार्य है। उन्होंने ऐसा अभियान छेड़नेकी बात कही जो कि सरकारको शीघ्र सामान्य निर्वाचन करानेको बाध्य करे। उन्होंने अपनी निजकी सेवाएँ इस अभियानको अर्पित कीं। उन्होंने कहा कि केवल एक ही ढंगसे पाकिस्तान अपने राजनीतिक आधारको दृढ़ कर सकता है और वह उपाय यह है कि वह देशके शासनमें जनताको उसका उचित भाग दे दे। "जिस समय आपके शासकोंने पश्चिमी पाकिस्तानका एकीकरण किया था उस समय क्या आपसे राय ली गयी थी?" उन्होंने यह प्रश्न उठाया और स्वयं ही उसका उत्तर दिया, "नहीं, उस समय आपसे कोई राय नहीं ली गयी। मैं सरकारको इसके लिए मजबूर कर देना चाहता हूँ कि देशमें जनताकी अपनी एक आवाज हो और किसी भी निर्णयके पूर्व सदैव जनताकी राय ली जाय।"

खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँने एक इकाई प्रस्तावके विरोधमें जो उग्र अभियान छेड़ा था उसने समस्त राजनीतिक दलोंमें एक नयी स्फूर्ति भर दी। उन्होंने पूरे पाकिस्तानका दौरा किया। नेशनल पार्टीने सार्वजनिक सभाओं, जुलूसों और हड़तालोंके द्वारा अपने विरोधका प्रदर्शन किया और उसमें भाषाके आधारपर क्षेत्रीय संघ बनानेकी माँग की। यह माँग इतनी व्यापक हुई कि मुस्लिम लीगके नेताओं और एक इकाई योजनाके सूत्रधारोंका भी इस ओर ध्यान आकृष्ट हुआ। इस आशामें कि पश्चिमी पाकिस्तानके बलपूर्वक किये गये एकीकरणके साथ असंतोषकी एक लहर उन्हें फिर शक्ति-सम्पन्नताकी ओर ले जायगी, उन्होंने अपने खोये हुए प्रभावको पुनः स्थापित करनेके लिए इस तनावपूर्ण स्थितिका लाभ ले

लेनेकी कोशिश की। इस उद्देश्यको दृष्टिमे रखकर मुस्लिम लीग संसदीय दलके सदस्योने पश्चिम पाकिस्तानकी विधान-सभामें एक प्रस्ताव प्रस्तुत करा दिया। इस प्रस्तावमे यह कहा गया था कि पश्चिमी पाकिस्तानके संयुक्त प्रदेशका स्वायत्त शासी इकाइयोके क्षेत्रीय सघ द्वारा अधिक्रमण होना चाहिए। सितम्बर सन् १९५७ मे पश्चिमी पाकिस्तानकी विधान-सभामे वह प्रस्ताव एक बडे बहुमतके साथ पारित हुआ जिसमे पश्चिमी पाकिस्तानको चार या पाँच प्रदेशोमे बाँट देनेका समर्थन किया गया था। इस प्रस्तावको अस्वीकार करते हुए अध्यक्ष इस्कंदर मिर्जाने एक वक्तव्य जारी किया। उन्होने कहा कि प्रधान मंत्री श्री सुहरावर्दीके साथ उन्होने इस समस्यापर विचार-विमर्श कर लिया है और वे इस निष्कर्षपर पहुँचे है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलोको लेकर संविधानमे फेर-बदल नही करना चाहिए, विशेष रूपसे ऐसे संकटकालमे। उस वक्तव्यमे यह भी कहा गया था कि सन् १९५८ मे निर्धारित पहला सामान्य निर्वाचन इस मौजूदा संविधानके अन्तर्गत ही होगा। राष्ट्रपतिके आदेशके अनुसार विधान-सभाका अधिवेशन स्थगित कर दिया गया और पश्चिमी पाकिस्तानमे राष्ट्रपतिका शासन लागू कर दिया गया। सरकारका सारा काम, गवर्नर मि० गुरमानीने, जो संयुक्त पश्चिमी पाकिस्तानके एक प्रबल समर्थक थे, अपने हाथोमे ले लिया। पश्चिमी पाकिस्तान-के मुख्य मत्री डा० खान साहबको ७ जुलाई १९५७ को पद-च्युत कर देना इस गहरी संकट-स्थितिका एक आभास देता है।

जुलाई सन् १९५७ मे ढाकाके इस सम्मेलनमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ, प्रोफेसर भसानी, जी० एम० सईद और मियाँ इफ्तिखारुद्दीनने नेशनल अवामी पार्टीकी स्थापना की। यह पूरे पाकिस्तानका एक लोकतन्त्रिय संगठन था। उसीके कारण अक्तूबर सन् १९५७ मे सुहरावर्दी सरकारका पतन हो गया। रिपब्लिकन और मुस्लिम लीग पार्टियोके एक समझौतेके आधारपर मि० चुन्द्रीगर द्वारा एक नयी मिली-जुली सरकार बनी लेकिन इन लोगोको एक महीनेके बाद हट जाना पडा। उनके उत्तराधिकारी सर फीरोज खाँ नून मुश्किलसे एक सालतक टिक पाये। सकटकी स्थिति उत्तरोत्तर तेजीसे बढती जा रही थी। शासक-वर्गके पारस्परिक मतभेद और दलगत झगडे इसीके लक्षण थे। रिपब्लिकन पार्टीके नेता डा० खान साहबकी ९ मई सन् १९५८ के दिन हत्या कर दी गयी। यह दुर्घटना भी पश्चिमी पाकिस्तानकी तनावपूर्ण राजनीतिक स्थितिका एक परिचय देती है।

अपने बडे भाईकी हत्याके पश्चात् लाहौरमे अपना पहला भाषण करते हुए १९ मईको खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा कि डा० खान साहबकी हत्या उन

लोगोंने भी जिनके लिए उन्होंने अपने लोगोंको छोड़ा था, जिनके लिए वे अपने दलसे अलग हुए थे और जिनके लिए अपने गौरवपूर्ण राजनीतिक जीवनकी अधिक कीर्ति उन्होंने त्याग डाली थी। इसमें खान अब्दुल गफ्फार खाँकी समझमें भी यह बात नहीं आ रही थी कि डा० खान साहबकी हत्याका कारण क्या था। उन्होंने कहा कि मैं यह मान रहा हूँ कि पुलिस और सरकार मामलेकी कम तहकीकात कर रही है। उन्होंने इस बातपर बल दिया कि डा० खान साहबकी हत्याके फलस्वरूप पंजाबियों और पठानोंके बीच घृणाकी भावना बढ़ती हो गयी है। उन्होंने पाकिस्तानके सभी लोगोंसे यह निवेदन किया कि वे आपसमें अपेक्षाकृत अच्छे सम्बन्ध स्थापित करें। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि यही रवैया चलता रहा तो पंजाबियों और पठानोंका एक सड़कपर साथ-साथ चलना भी कठिन हो जायगा। इस समय पठानों, पंजाबियों और पाकिस्तानके अन्य लोगोंको आपसमें इस निरन्तर बढ़ते हुए अविश्वास और घृणाके बारेमें विचार करना चाहिए और इसका कोई प्रभाव डालनेवाला उपचार खोजना चाहिए।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने सन् १९५८ में पश्तोमें एक पुस्तिका प्रकाशित करके उस गुप्त षड्यन्त्रका भण्डाफोड़ किया जो कि इस एक इकाई योजनाके पीछे चल रहा था

"पख्तून बन्धुओ! मैं अपने-आपको आप लोगोंका एक सेवक मानता हूँ। राष्ट्र और समाजके आगे जो समस्याएँ खड़ी हैं उनपर विचार करते समय मेरी दृष्टिके आगे आपका कल्याण रहता है, वे कठिनाइयाँ या संकट नहीं, जिनमेंसे मुझको गुज़रना पड़ सकता है। यदि आप इतिहासका अवलोकन करें तो इस बातको महसूस करेंगे कि विगत कालमें आप एक बहुत बड़ी शक्ति थे वह शक्ति जिसने कि कभी भारत और ईरानपर शासन किया था। लेकिन जब आपने अपनी बन्धुत्व भावना, सामुदायिक जीवन, प्रेम, एकता और देशभक्तिको त्याग दिया और जब आप स्वार्थी बन गये तब न केवल आपका साम्राज्य विध्वस हो गया बल्कि आपके अपने देशपर भी आपका राज न रहा। आप मुगलोंके, सिखोंके और फिर अंग्रेजोंके गुलाम बन गये।

"अभी पिछली शताब्दियोंमें ही अंग्रेजोंने अपनी 'फूट डालो और राज करो' की नीतिके द्वारा सारे भारतपर शासन किया। उसके बाद उनका ध्यान हम पठानोंकी ओर आकृष्ट हुआ। उन्होंने देशद्रोहियोंकी सहायतासे हमारे ऊपर आधिपत्य कायम करनेकी कोशिश की। उन्होंने हमारे देशका कुछ भाग छीन लिया लेकिन पठानोंके शौर्यपूर्ण प्रतिरोधके कारण वे हमारा पूरा देश न ले सके। उन

अंग्रेजोंने, जिनके साम्राज्यमे सूर्य कभी नही डूबता, हमारे देशको जीतनेमे अपनी सारी शक्ति लगा दी फिर भी हमारे देशका बडा अंश स्वाधीन ही बना रहा। जिस भूमिपर अंग्रेजोका अधिकार हो गया था, उसके निवासी भी निरंतर अंग्रेजो का विरोध करते रहे। अंतत पख्तूनोने प्रेम, बन्धुत्व और देशभक्तिकी भावनाओ का विकास किया और वे ईश्वरके नामपर, जनताकी सेवाके लिए खुदाई खिदमतगारोके झण्डेके नीचे आपसमे मिले। उन्होने अनेक कठिनाइयो और कष्टोको सहन किया और बलिदान किये और सफलताके साथ ब्रिटिश आधिपत्यको समाप्त कर दिया। अंग्रेज पख्तूनोंकी ताकतको पहचानते थे, यह उनकी पठानोके प्रति पिछले दिनो अपनायी गयी नीतिसे स्पष्ट हो जाता है। उनको इस बातका विश्वास हो गया था कि यदि बन्धुत्व-भावना और सामुदायिक जीवनके प्रति उनकी आस्था ने पख्तूनोको संगठित कर दिया तो फिर धरतीकी कोई शक्ति उनको दबाकर न रख सकेगी, इसलिए उन्होंने पठानोको टुकड़ोमे बाँट दिया और उनके देशके सुन्दर नामतकको खुरच डाला। यहाँसे हटते समय वे हम लोगोको शेखीखोर विदूषकोके हाथोमे सौंप गये जिनका आजादीकी लडाईसे दूरका भी सम्बन्ध न था। उनके पुरखोने अग्रेजोको मदद दी थी और देश, समाज और इस्लामके साथ गद्दारी की थी। अंग्रेजोने अपने इन विदूषकोतकको यह निर्देश दे दिया कि वे पठानोके मुल्कपर अपना अधिकार जमाये रखनेके लिए उनको हमेशा दबाकर रखें। अग्रेजोके इस देशसे चले जानेके बाद भी और स्वाधीनता मिल जानेके बाद भी हमने अबतक आजादीके फलको नही चखा है, क्योकि जिनके हाथोमे बदलकर शक्ति आयी है उनको पठानोसे कोई लेना-देना नही है और न उनको समाजसे प्रेम है और न इस्लामसे कोई सहानुभूति। उनकी केवल एक महत्त्वाकांक्षा है, वह यह कि वे देशके ऊपर शासन करते रहे। यही कारण है कि वे राष्ट्र-सेवकों तथा अंग्रेजोके शत्रुओंको अपना निजका शत्रु समझते है। देशभक्तोके प्रति उनका व्यवहार अंग्रेजोके व्यवहारसे भी बदतर है। पिछले दिनो बिना किसी मुकदमेके या बिना कोई कारण बतलाये हुए हजारो आदमियोको जेलमें डाल दिया। निर्दोष बालको, स्त्रियों, बूढो, जवान लडकियो और लडकोको गोली मार दी गयी, उनके घर बर्बाद कर दिये गये, उनकी स्त्रियोकी इज्जतसे खेला गया। उनकी सम्पत्ति लूट ली गयी और पख्तून बालकोको निराश्रित कर दिया गया। और यह सब इस्लामके नामपर हुआ।

"शुरूमे कुछ लोगोने यह सोचा कि पाकिस्तानके शासकोके दमनके लक्ष्य केवल खुदाई खिदमतगार है लेकिन तुरन्त ही वे यह अनुभव करने लगे कि

पाकिस्तानके शासकोंके हाथोसे पूरा पख्तून समाज ही अपमानित होगा। जब ये शासक पख्तूनोकी भावनाको कुचलनेमें सफल न हुए तब उन्होने बाजीगरकी तरह अपनी पिटारीमेंसे 'एक इकाई-योजना' निकाली। प्रारभमें उन्होने ससदकी स्वीकृति प्राप्त करनेकी चेष्टा की। उन्होने जिरगाके माध्यमसे तथा अन्य तरीकोसे मुझसे भी मदद मॉंगी। जब एक इकाई विधेयक ससदमे पारित न हो सका तब उन्होने क्षेत्रीय सघ (जोनल फेडरेशन) बनानेका प्रयत्न किया। जब वे इस बार भी पराजित हो गये तब गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मदने ससदको ही बर्खास्त कर दिया और उस सविधानको खुरचकर मिटा दिया, जिसका प्रारूप बडी मुश्किलसे आठ सालोमें तैयार हो पाया था। विचित्र बात यह है कि पाकिस्तान ससदका उस समय अस्तित्व था जब कि उसका सविधान न था और अब, जब कि उसका प्रारूप तयार किया जा चुका है, ससदको उसके सविधानके साथ खुरचकर मिटा दिया गया है। नयी ससदने, जो पाकिस्तानके शासकोंने अपनी इच्छासे गठित की है 'एक इकाई' योजनाको अपनी स्वीकृति दे दी है और यह उसकी सबसे पहली स्वीकृति है। ससदका अत्यावश्यक कार्य यानी सविधानको तयार करनेके कार्य परे कर दिया गया है।

'वन-यूनिट प्लान' शीर्षक गुप्त प्रलेखको देख लेनेपर इसके पीछेका सारा मुख्य कारण स्पष्ट हो जाता है। इस गुप्त प्रलेखके तैयार करनेवाले है—गवर्नर जनरल गुलाम मुहम्मद, भूतपूर्व प्रधान मत्री मुहम्मद अली, मुमताज दौलताना, मि० गुरमानी तथा कुछ अन्य प्रमुख पजाबी। मै पश्चिमोत्तर सीमाप्रातके मुख्य मत्री सरदार अब्दुल रशीद खॉंका आभारी हूँ जिन्होने इस गुप्त प्रलेखको ससदके सामने प्रस्तुत किया और इस भयानक षड्यत्रके विरुद्ध लोगोको सावधान कर दिया। मै इस प्रलेखके कुछ अश यहाँ उद्धृत कर रहा हूँ। मुस्लिम लीग बहुधा राष्ट्रीय एकता और समाकलनकी बात करती है लेकिन उसमे उसका कितना विश्वास है यह गुप्त प्रलेखके इन थोडसे उद्धरणोसे स्पष्ट है

'एक इकाई क्यो?' अध्यायके अन्तर्गत गुप्त प्रलेखमें पृष्ठ २ पर लिखा गया है

'पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानके बीचकी बडी जोडनेके लिए भौगोलिक और प्रशासकीय कठिनाइयों विचार करने योग्य है। पाकिस्तानका विभाजन पूर्वी और पश्चिमी दो भागोंमें हुआ है जो कि एक दूसरेसे काफी दूरीपर स्थित हैं। इससे पाकिस्तानके आगे ऐसी कठिनाइयॉं आ खडी हुई है जिनको पार करना कठिन है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तानके बीचमें एक हजार माल

की दूरी है और उनके बीचमे हिन्दुओका पचड़ा है। एक और भी कठिनाई है, वह यह कि दोनो भागोंमे अलग-अलग भाषाएँ बोली जाती हैं। पूर्वी भागमे जन-संख्या अधिक है और उसमे आयके स्रोत कम हैं जब कि पश्चिमी भागकी आबादी कम है लेकिन उसका क्षेत्रफल बड़ा है और उसकी आयके स्रोत अधिक हैं। इन दोनों भागोमे अलग-अलग ढंगके शासनकी आवश्यकता हैं। कठिन समस्याएँ भाषणोसे नही सुलझायी जा सकतीं। ये कठिनाइयाँ मूलभूत और वास्तविक हैं। इन परिस्थितियोमे दोनो भाग एक-दूसरेपर शंका करते रहेगे और उससे कोई लाभ नही होगा।

"इस तर्कके अनुसार बंगाल और पूर्वी पाकिस्तानको पास आनेमे कठिनाइयाँ हैं लेकिन हम तो यह जानना चाहते हैं कि पश्चिमी पाकिस्तानके विभिन्न भाषा-भाषी प्रदेशोके एकीकरणमे कोई कठिनाई है या नही ?

"गुप्त प्रलेखके पृष्ठ ४ और ५ मे कहा गया है :

'पख्तूनोके पास बिजली है, बलूचिस्तानके पास खनिज सम्पत्ति है और सिंधके पास खेतीके लिए विस्तीर्ण भूमि है। पंजाबको इस बिजलीसे लाभान्वित होना चाहिए। यह आवश्यक भी है। यदि बलूचिस्तान और कबायली इलाकोसे खनिज सम्पत्तिको ले लिया जाता है तो इससे सामान्य जीवनमे एक समानता आयेगी। कबायलियोंको सिन्ध और बहावलपुरकी कृषि योग्य भूमिमे बसाया जा सकता है और यह कार्य चल भी रहा है लेकिन वस्तुतः इसमे बहुत कठिनाइयाँ है, जिनको दूर करनेके लिए पर्याप्त समय अपेक्षित है। उनके लिए एक नियोजित अभियानकी आवश्यकता है। यह सब तबतक नही हो सकता जबतक कि प्रान्तोको भग न कर दिया जाय। इन प्रान्तोका गठन कुछ इस प्रकारसे किया गया है कि इनमेंसे केवल एक आत्म-निर्भर है और शेष एक-दूसरेपर आश्रित हैं। यह एक महाजन और उसके कर्जदारके बीचका जिन्दगीभरका लम्बा रिश्ता है।'

"इस उद्धरणसे यह स्पष्ट है कि इस योजनाको पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तकी बिजली, बलूचिस्तानकी खनिज सम्पति और सिन्धकी भूमिके लिए सेया जा रहा है।

"गुप्त प्रलेखमे पृष्ठ ७ पर लिखा गया है :

'मौजूदा हालत यह है कि समस्त वास्तविक शक्ति केन्द्रके हाथमे है जिसमे बंगालका मुख्य भाग है और हम लोगोंका इसमें बहुत थोडा हिस्सा है। 'एक इकाई' बन जानेपर सारी शासन-सत्ता पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तानके दो समान

भागोमें बँट जायेगी। इस तरहसे पश्चिमी पाकिस्तानके हाथोमें पहिली बार यथेष्ट सत्ता आ जायगी। बगाल केन्द्रको अपनी आयके रूपमें जो धन दे रहा है उससे उसके ऊपर किया जानेवाला व्यय कहीं अधिक है। पश्चिमी पाकिस्तानके एक इकाई बन जानेके पश्चात् केन्द्रीय शासनपर बगालका यह भार भी बहुत कुछ हल्का हो जायगा।

'पृष्ठ सख्या ९ पर 'एक इकाई किस प्रकार बनानी चाहिए' शीर्षकके अन्तर्गत इस गुप्त प्रलेखमें कहा गया है

हमें सबसे पहले राजनीतिक शक्तिको अपने हाथमें ले लेनेकी कोशिश करनी चाहिए और इसके लिए हम अपने सारे विरोधियोंकी आवाजको दबा देना चाहिए जिससे कि हमारे रास्तेमें कोई बाधा न रहे। हम लोगोंको एक ऐसा वातावरण खड़ा कर देना चाहिए कि जनता केवल हमारी ही आवाज सुने और यह तभी सम्भव है जब कि हम अपनी राजनीतिक ताक़तको सख्तीके साथ काममें लायें। यदि हम अतिअल्प समयमें विरोधको बिल्कुल ही न दबा सके और जब तक विरोधी लोग चुप हैं तबतक अपनी राजनीतिक स्थितिको अधिक सुदृढ़ न कर सके तो राजनीतिक बलको प्राप्त करनेकी दिशामें हमारा कार्यारम्भ खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कोई भी असमंजस या कोरी धमकियाँ ही हमारे असली राजनीतिक बलको हासिल करनेके रास्तेमें आकर खड़ी हो सकती हैं।'

'प्रलेखमें पृष्ठ सख्या १० पर लिखा गया है

पाकिस्तानके निर्माणके समय जो उत्साह दिखलाई देता था, वह अब नहीं है। जनताको वशीभूत करनेकी पुरानी युक्तियाँ अब पर्याप्त नहीं रही हैं। जनतामें एक घोर निराशा और बेचैनीने घर कर लिया है इसलिए अब उसे किसी भी दिशामें ले जाया जा सकता है। हमारे कामके लिए यह अनुकूल अवसर है। ईश्वर जाने, हमें ऐसा मौक़ा फिर कभी मिलेगा भी या नहीं? जब हम ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि केवल हमारी ही आवाज सुनी जा सके तभी हम जनताको अपने पीछे ले जा सकेंगे।

प्रलेखके पृष्ठ १० पर इन पंक्तियोंका रहस्योद्घाटन किया गया है

इस उद्देश्यके हेतु हमको प्रत्येक प्रान्तमें अपने निजके आदमी रखने चाहिए। हमें उनको शक्तिशाली बनाना चाहिए और पूरे अधिकार देने चाहिए ताकि वे एक प्रभावपूर्ण ढंगसे अनुकूल स्थिति बना सकें। हमको सरहदी घटनाओंसे सबक लेना चाहिए जिसमें कि विधान-सभामें एक इकाईकी कार्रवाईको हमारे मार्गमें एक बड़ा रोड़ा खड़ा कर दिया गया। हमको प्रान्तीय विधानसभाओंपर

भरोसा नही करना चाहिए लेकिन स्वयं प्रस्तावका प्रारूप तैयार करके हम उनकी राय ले सकते है और अपने 'ह्विप' (सचेतक) के द्वारा उसे उनसे मनवा सकते है । हम प्रमुख व्यक्तियो द्वारा रेडियोसे अपने पक्षके वक्तव्य प्रसारित कर सकते है और स्वयं ही पत्रोंमे अपने प्रचार-कार्यको संगठित कर सकते है । हम छोटी पुस्तिकाओ और इश्तहारोके द्वारा अपना व्यापक प्रचार कर सकते है और अपनी सूचीमे वकीलो, डॉक्टरो, अध्यापको और विद्यार्थियोको सम्मिलित कर सकते है ।'

"पृष्ठ संख्या १२ पर कहा गया है :

'हमे एक इकाईके प्रचारके लिए मुल्ला लोगोकी सेवाओको भी अपने उपयोगमे लाना चाहिए । लेकिन हमको उनके प्रति सावधान रहना होगा क्योकि वे लोग ऐसे नही है कि घटनासे पूर्व उनको सारी बात बतला दी जाय । हमारे सौंपे हुए कार्यको करते समय वे स्वार्थके लिए कुछ ऐसी बातें भी करेंगे जिनका हमारे उद्देश्यसे कोई सम्बन्ध नही होगा और इस प्रकार वे अपनी महत्ता कायम करनेकी कोशिश करेंगे इसलिए हमको केवल भाडेके मुल्लाओको भर्ती करना चाहिए । हमारे लिए सार्वजनिक सभाओका आयोजन भी आवश्यक है । उनमे पहलेसे तैयार किये हुए भाषण हो और उनमे एक भी शब्द न बदला जाय ।'

"पृष्ठ संख्या १३ पर प्रलेखमे सावधान करते हुए कहा गया है

'इस समय हम पंजाबमे एक इकाईके समर्थनपर अधिक ज़ोर न दें क्योकि इससे छोटे प्रान्तोकी जनता आतकित हो जायगी और उसके मनमे शंका उत्पन्न हो जायगी । हमारे नेताओको अपने वक्तव्य जारी करते समय सावधान रहना चाहिए । हम लोगोको एक इकाईका दावा करनेवाले व्यक्तियोके रूपमे कभी सामने नही आना चाहिए क्योकि इससे हम लोग शोषण करनेवाले समझ लिये जायँगे । परन्तु स्मरण रखिए, इस कामके लिए हमको सुयोग्य और विश्वासपात्र कार्यकर्त्ता केवल पंजाबमे ही मिल सकते है । वे सगठित हो और आवश्यकताके समय कही भी जानेके लिए तैयार रहे । इस क्षणसे पजाबके नेताओको अपनेको संगठित कर लेना चाहिए ताकि उपयुक्त अवसर आनेपर वे स्थितिका पूरा लाभ ले सके । उन समस्त प्रस्तावोका, जो पंजाबमे पारित होगे, मसौदा कराचीमे तैयार किया जायगा ।'

"पृष्ट १४ पर इस प्रलेखमे कहा गया है .

'एक इकाई योजनाके अन्तर्गत पंजाबकी जन-सख्या ५६ प्रतिशत हो जायगी और इकाईकी आबादी ४४ प्रतिशत रह जायगी ।'

'पृष्ठ-संख्या २१ पर प्रलेखमें यह लिखा गया है

प्रत्येक व्यक्तिको यह बात जाहिर कर देनी चाहिए कि केन्द्र एक इकाई योजनाका समर्थक है। मीर मुहम्मद अली तालपुर जैसे लोगोंका योजनाका विरोध करनेका कोई अवसर नहीं देना चाहिए। हमको बंगालियोंके दलकी ओर ध्यान देना चाहिए जो कि हमारा हमेशा विरोध करते हैं, वे इसपर तुले गये हैं कि न हम अपना फायदा करेंगे और न दूसरोंका होने देंगे। उनका मुख्य उद्देश्य यह है कि यह सरकार अपनी जगहसे हट जाय।'

'इस गुप्त दस्तावेजमें पृष्ठ २२ पर ये शब्द अंकित हैं

सरहदी सूबेमें सारी स्थिति उलट गयी है। सरदार अब्दुल रशीद और पुराने मुस्लिम लीगियोंने निश्चय ही एक इकाई योजनाका समर्थन किया होता क्योंकि कयूमके पतनने उनका रास्ता साफ कर दिया था। कयूमका भ्रष्ट और विद्वेषपूर्ण शासन केवल प्रचारके बलपर चलता रहा। उसकी समाप्तिसे मुस्लिम लीगियोंका प्रभाव और भी अधिक बढ़ गया। लेकिन वहाँ स्थिति बिगड़ गयी क्योंकि कयूमके स्थानपर उनकी अपेक्षा कहीं बड़ी शक्ति, दुर्जेय लाल कुर्तीवाले प्रकट हो गये। हम खान अब्दुल गफ्फार खाँको कभी नहीं जीत सकते और न उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। यदि लाल कुर्तीवालोंको बिना शर्तके न छोड़ा जाता तो अधिक लाभप्रद होता। उनके ऊपर काफी पाबंदियाँ लगा देनी चाहिए थीं। कुछ लोग भ्रमवश डॉ० खान साहबको खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खाँसे अधिक महत्त्व दे बैठे हैं लेकिन शीघ्र ही वे अपनी मूर्खताका अनुभव कर लेंगे। यदि वे दोनों भाई साथ रहते हैं तो उनकी शक्ति संयुक्त रहती है। यदि वे पृथक हो जाते हैं तो खान अब्दुल गफ्फार खाँ तो अपनी स्थितिको यथावत रखेंगे लेकिन डा० खान साहब अपने स्थानसे च्युत हो जायेंगे क्योंकि व्यक्तिगत रूपमें उनकी कोई स्थिति नहीं है। रशीदको हमें अपना पूर्ण सहयोग देना चाहिए ताकि वे लाल कुर्तीवालोंकी उपेक्षा कर सकें और पुराने मुस्लिम लीगियोंको संगठित करनेमें उनको प्रोत्साहन मिले। लाल कुर्तीवालोंका सारे प्रान्तमें व्यापक प्रभाव है लेकिन अब उनकी इस रिहाईके बाद उसे खतम कर देना होगा। यह काम कुरबान अली खाँको सौंपा जा सकता है। वे इसे बड़े प्रभावोत्पादक ढंगसे पूरा कर सकते हैं। इसी अभिप्रायसे उनको सरहदी सूबेका गवर्नर बनाया गया है। खान अब्दुल ग़फ्फ़ार खाँकी पूरी तरहसे उपेक्षा की जानी चाहिए उनके साथ हमारी संधिवार्ता उनके प्रभावमें वृद्धि करेगी लेकिन हमारा रहा-सहा प्रभाव भी समाप्त कर देगा। राजनीतिक दूरदर्शिता या सूक्ष्म बोधमें हममेंसे कोई उनका मुकाबला

नही कर सकता। मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे पहले हमे जो सुविधा प्राप्त थी वह अब हमने खो दी है।'

"मुझको बार-बार जेल भेज देनेका यही कारण था। वे मुझको एक इकाई योजनाके विरोधमे कोई अभियान छेड़नेसे रोकना चाहते थे।

"पृष्ठ २३ पर प्रलेखमे कहा गया है

'पंजाबके लिए सबसे अच्छी बात यह होगी कि वह इस मामलेमे चुप रहे। हमे पंजाबके मित्रोंको यह समझा देना होगा कि वे कोई भूल न करे क्योकि मौजूदा नेतृत्व पंजाबका है और वह और भी प्रभावोत्पादक स्थिति होगी जब कि केन्द्र और इसी प्रकारसे लाहौरमे शासनकी पतवार पंजाबके प्रभावशाली और शिक्षित लोगोके हाथोमे होगी। बलूचिस्तानमे मुस्लिम लीगके नेता निश्चित ही कुछ सीमातक हमे मदद देगे क्योकि शाही जिरगाने अपने जीवन-कालमे कभी किसी शासन-सत्ताको असंतुष्ट नही किया। जब पश्चिमी पाकिस्तानपर हमारा नियंत्रण स्थापित हो जायगा तब हमे बंगालमे केवल एक नेताके साथ समझौता करना होगा, वे है सुहरावर्दी। सुहरावर्दी या तो खुलकर हमारा समर्थन करेंगे या तटस्थ हो जायेंगे।'

"हम लोगोको सिन्ध और सरहदमे राजनीतिक कार्य प्रारम्भ करनेके लिए वहाँके प्रभावशाली व्यक्तियोके सम्पर्कमे रहना होगा। मंत्रालय सम्बन्धी और राजनयिक पदोके रूपमें हमे कुछ लोगोको घूस भी देनी होगी। अन्यथा वे इस भयसे कि कही उनका धंधा खतरेमें न पड जाय, एक इकाई योजनाका विरोध करेंगे। यह भी आवश्यक होगा कि विधानसभाओमे एक इकाईका प्रस्ताव पारित कराया जाय। मुस्लिम लीग भी इसे स्वीकृत करेगी ..

"इसी प्रकारसे हम बलूचिस्तान, बहावलपुर और अन्य राज्योको भी अपने नियंत्रणमें ले सकेंगे। हम लोगोको डिप्टी-कमिश्नरोके ऊपर पूरी तरहसे निर्भर नही करना चाहिए। हमे उन लोगोको अपने पक्षमें लाना चाहिए, जिनका राजनीतिक प्रभाव है।

"प्रलेखमें पृष्ठ २४ पर इस बातपर बल दिया गया है

'कहा जाता है कि एक अन्य वैकल्पित व्यवस्था भी एक इकाईकी योजनाका स्थान ले सकती है। उदाहरणके लिए यह सुझाव दिया गया है कि पहले कुछ इलाके और राज्योंको अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रोंमे विलय कर देना चाहिए। कराची और बलूचिस्तानका कुछ भाग सिन्धके साथ मिला देना चाहिए। बलूचिस्तानके कुछ अन्य हिस्सोंका पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्तमें समाकलन कर दिया जाय और

बहावलपुर पजावम समाहित हो जाय। सीमाप्रान्तको बनाये रखनेके लिए पजाब और सिधको बादमें उसमें विलय कर देना चाहिए। कुछ लोगोंका विचार ह कि यह अधिक सरल समाधान होगा। हमारे लिए यह इतना सरल नही ह कि हम बहावलपुर और बलूचिस्तानको बडी इकाइयोमें अपना विलय करनेके लिए राजी कर सकें लेकिन उनको पश्चिमी पाकिस्तानमें अपना विलय करनेके लिए तयार किया जा सकता ह। यदि हम इस वैकल्पिक योजनाको क्रियान्वित करनेमें जुट जाते ह तो पश्चिमी पाकिस्तानमें एक इकाईकी जगह तीन इकाइयाँ हो जायगी। यहाँ दो या तीन इकाइयोका कोई अथ नही है क्योकि यह पाकिस्तान की उलझी हुई सवधानिक समस्याके समाधानका कोई उपाय नही ह। इस तरह स हम कुछ नही मिलेगा बल्कि हम अपने हाथोसे ही पख्तूनिस्तानकी स्थापना कर देंगे।

'पश्चिम पाकिस्तानके नेताओको जितने शीघ्र इस एक इकाई योजनाकी स्वीकृति मिल जाय उनको अपने हाथोम तुरत अधिकार ले लेना चाहिए और उन्हे बगालके लोगोसे, विशेष रूपसे सुहरावर्दीसे बातचीत प्रारम्भ कर देनी चाहिए। सुहरावर्दी महत्त्वाकाक्षी हैं। वे हमसे वार्ता करनेको तैयार हो जायँगे। हम उनसे यह कह देंगे कि केन्द्र केवल चार विषयोको आरक्षित कर लेगा और दो अर्थात् बगाल तथा पश्चिमी पाकिस्तान स्वायत्तशासी प्रदेश बन जायेंगे। केन्द्र म भी दोनोका प्रतिनिधित्व बराबर होगा। सुहरावर्दीके साथ हमारा यह सौदा वस्तुत इतना महँगा नही ह। जसे ही वे यूरोपसे वापस लौटेंगे, हम उनके पूर्वी पाकिस्तानके लिए रवाना होनेस पहले ही उनके साथ शीघ्र समझौता कर लेंगे।

इस उद्धरणको पढ लेनेसे यह बिलकुल स्पष्ट हो जाता ह कि इस एक इकाई योजनाको गढनेवाला कौन ह और इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या ह? यह दावा किया जाता ह कि इस एक इकाईके बन जानेपर विभिन्न प्रातोके मध्य समान बन्धुत्वकी भावना उत्पन्न हो जायगी और इसस ऐक्यभाव तथा ठोस पन आयेगा। लेकिन इन उद्धरणोको पढ लेनेके बाद यह स्पष्ट हो जाता ह कि वे इस अभिप्रायसे एक इकाई नही बना रहे हैं और वे प्रेम, स्नेह तथा बन्धुत्वके रास्तेको ग्रहण करनेके पक्षमें नही ह, बल्कि वे स्वार्थकी पूर्तिके लिए बल, षडयन्त्र, धोखा, घूस तथा अन्य अनुचित उपायोंका अपनाना चाहते ह। यही कारण ह कि प्रेमके स्थानपर घृणा, एकताके स्थानपर फूट और पारस्परिक विश्वासके स्थानपर अविश्वास उत्पन्न हुआ ह।

"तीसरी चीज, जिसका उन्होंने दावा किया ह, यह ह कि यदि एक इकाई

योजना बन जायगी तो व्यय कम हो जायगा और बचतकी इस निधिको जन-कल्याणके कार्योंमे लगाया जा सकेगा। लेकिन यह भी एक झूठ है। मैने संसद-को यह चेतावनी दी थी कि अभी एक इकाई योजनाके लिए स्थितियाँ अनुकूल नही हैं। लेकिन यदि वे वास्तवमें बचत करना चाहते हैं तो उनको एक ऐसी इकाईकी अपेक्षा, जो क्रियान्वित ही न हो सके, तीन इकाइयाँ बनानी चाहिए। पंजाबी भाइयोके लिए मै दो इकाइयाँ बनानेतकपर तैयार था। उन लोगोने यह दावा किया था कि एक इकाई बनाकर वे बीस करोडकी बचत कर लेगे, मैं दो इकाइयाँ बनाकर दस करोडकी बचत तो कर ही रहा था परन्तु तत्कालीन वित्तमंत्री मि० मुहम्मद अलीने मुझसे कहा कि या तो एक इकाई बनेगी या स्थिति यथावत् रहेगी। इसके बाद आगे कोई विचार-विमर्श नही हुआ और हम वहाँसे चले आये।

"लोगोको यह पता चला कि इस योजनामे खर्चकी कमीकी जगह करोडो रुपयोका अधिक व्यय है। मुझे एक और बात याद आती है। जब हम लोग एक इकाई योजना और क्षेत्रीय संघपर चर्चा कर रहे थे तब पंजाबके नेताओने कहा कि छोटे राज्योके एकीकरणके पश्चात् पंजाब और शेष भागके बीच प्रतिनिधित्व-का अनुपात ६५ और ३५ का रहेगा। यह अनुपात न केवल विधान-सभा और मंत्रिमंडलकी सदस्यतापर बल्कि नौकरियो, व्यापार तथा अन्य धंधोपर भी लागू होगा। मैने इस प्रस्तावको अस्वीकार कर दिया क्योकि मैने इसमे पख्तूनोकी राजनीतिक, आर्थिक, सास्कृतिक और सामाजिक क्षति देखी। ऐसा जान पडता है कि उन लोगोने पख्तूनोमेसे कुछ ऐसे व्यक्तियोका सहयोगीके रूपमे समर्थन प्राप्त कर लिया था, जो कि अपने देशके विनाशकी ओरसे उदासीन थे।

"उन लोगोने यह दावा भी किया था कि एक इकाईकी रचनाका परिणाम प्रशासनका एक सुधार होगा। लेकिन जब छोटे प्रदेशोमे स्थानीय प्रशासनिक ढाँचेकी हालत सुधारी न जा सकी तो यह कैसे सम्भव होता कि चित्रालसे कराची तक फैले हुए एक विशाल प्रदेशका प्रशासन कुशलतापूर्वक चलता रहे? देश और सरकारके जिम्मेदार लोग इस बातको स्वीकार करते है कि एक इकाईके बननेके समयसे ही प्रशासनका ह्रास हुआ है और जनताको अत्यधिक असुवि-धाओका सामना करना पड़ा है।

"ढाई वर्षोंका अनुभव यह सिद्ध करता है कि एक इकाईसे न तो हम लोगोमे समैक्य बढा है और न बन्धुत्व भावना, न उससे व्ययमे किसी प्रकारकी कमी हुई है और न प्रशासनमे ही कोई सुधार हुआ है। मेरे लिए यह एक रहस्यकी बात

ह कि ये लोग गधेकी पूँछको क्यो कसकर पकडे हुए है ये एक ऐसी योजनामें फँसे ह जिसने देशका कोई लाभ नही बल्कि हानि ही की ह । इस एक इकाई योजनाको जो कि हमारे लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुई है, चलाते रहनेका भला क्या औचित्य ह ? एक बार पश्चिमी पाकिस्तानकी विधान सभामें एक इकाईको रद्द कर देनेके लिए एक प्रस्ताव लाया गया था, तब ३१० सदस्योके सदनमें इस प्रस्तावको ३०६ सदस्योका मत मिला था । मुश्किलसे चारने इस प्रस्तावका विरोध करनेकी हिम्मत की थी ।

' इन लागोका यह कहना है कि चूँकि एक इकाई बन चुकी इसलिए इसको रद्द नही करना चाहिए क्योकि इससे पजाबकी प्रतिष्ठाको आघात लगेगा । लेकिन बगाल एक इकाई नही चाहता और न इसे सिन्ध, बलूचिस्तान और सीमाप्रात चाहते हैं । इस योजनाके निर्माता इससे चिपके रहना चाहते ह क्योंकि इसम उनका स्वाथ निहित ह और वे उसे जनताके ऊपर थोप रहे ह ।

"एक इकाईकी रचनाका प्रच्छन्न उद्देश्य और उसम परतूनोके लिए जो एक गुप्त खतरा ह उसे अब सबके आगे स्पष्ट ही हो जाना चाहिए । एक लोकतन्त्रीय देशके नागरिक होनेके नाते यह हमारा कत्तव्य था कि हम जनताकी भावनाओको सरकारतक पहुँचायें और हमने उससे यह निवेदन किया कि वह जनताकी स्वीकृतिसे इस मामलेका निणय करे । हम लोगोंमे यह कहा गया कि जनताके प्रतिनिधि असेम्बलीमें मौजूद थे और इसलिए जनतासे सीधी सलाह लेना आवश्यक न था । इस तक आधारपर उन्होंने एक इकाईके विधेयकका विधान सभाम पारित कर लिया और लोकतत्रके नामपर उसका एक कानूनका रूप द दिया । यद्यपि हमको उत्तेजित किया गया फिर भी हम लोग वैधानिक ढगसे सघष करते रहे और दा वषके दु खद अनुभवके पश्चात उसी विधान-सभाके सदस्य लौट फिरकर हमारे ही खयालपर आ गये और उन्होंने यह बात अच्छी तरहसे समझ ली कि एक इकाई योजना एक गम्भीर भूल थी और इसे तुरत ही रद्द कर देना चाहिए । विधान-सभाकी बठक हुई और एक इकाईके विरोधमें सव सम्मतिसे एक प्रस्ताव पारित किया गया । वैधानिक तरीका यह था कि इसके बाद उसे रद्द कर दिया जाय लेकिन स्वार्थी नेताओंने एसा नही किया । एक इकाई बननेके समय बलप्रयोग किया गया था और वही उसका बनाये रखनेके लिए भी इस्तेमाल किया गया । इन परिस्थितियोंके अतगत प्रश्न यह उठता ह कि इन और समुदायमें सम्बन्धित इस प्रकारके महत्त्वपूण मामलोंपर कम निणय होना चाहिए और य मामले, जिनपर इन और समाजका जीवन-मरण

निर्भर होता है, केवल राजनीतिक ही नही बल्कि आर्थिक, सामाजिक और साम्प्रदायिक भी होते है। लोकतंत्रीय देशोमे राष्ट्र और समुदायकी माँगोको स्वीकार करानेके दो ही तरीके है—एक रास्ता सवैधानिक है और दूसरा आन्दोलनका। लेकिन पिछले ग्यारह वर्षोमे हमने यह देख लिया कि वे थोडेसे लोकतंत्रीय अधिकार भी, जो कि अंग्रेजोने हमे दिये थे, पाकिस्तानके शासको द्वारा एक या दूसरे बहानेसे हमसे छीन लिये गये। परिणाम यह है कि इन पिछले सारे वर्षोमे कोई निर्वाचन नही कराया गया। जब ऐसे महत्त्वपूर्ण मामलोंको सुलझानेके लिए जनताको संवैधानिक और वैध तरीकोसे भी वचित कर दिया जाता है तब उसके पास एक ही रास्ता बच जाता है और वह रास्ता आन्दोलनका है।

"कुछ लोग यह सोच सकते है कि यह हमारी अपनी सरकार है। यदि वास्तवमे ऐसा ही होता तो उसे जनताकी कठिनाइयोको दूर कर देना चाहिए था। यदि वह लोकतंत्रीय होती तो उसको विधान-सभाके निर्णयको आदर देना चाहिए था। इस्लाम एक भव्य आदर्श है। यदि यह हमारा एक इस्लामी राज्य है तो इसमे इस्लामी कानून लागू होना चाहिए था, यहाँसे व्यभिचार, मद्यपान, सूदखोरी, अनैतिकता, अनुचित कृत्य, घूस, एक-दूसरेपर आक्रमण और दमन लोप हो जाना चाहिए था। इस्लाम इस बातकी कभी आज्ञा नही देता कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमानके अधिकारको कुचले या कोई मुसलमान दमनके आगे आत्म-समर्पण करे। दूसरेके अधिकारको दबाना, इस्लामकी दृष्टिमे सबसे बडा पाप है। उन लोगोसे, जो इस बातपर बल देते है कि यह एक लोकतंत्रीय और इस्लामी देश है, मुझको यह कहना है कि यह देश हम सबका है और हम सब मुसलमान है। जो स्थिति इस समय चल रही है उसमे मै उनसे यह पूछता हूँ कि जब हम एक मुस्लिम समाज कायम करना चाहते है तब लोगोका क्या कर्त्तव्य है, और विशेष रूपसे विद्वान् व्यक्तियोका ?

"निष्कर्ष रूपमे, मै सरकारसे आदरपूर्वक यह निवेदन करना चाहता हूँ कि वह जनताको उसके लोकतंत्रीय और वैध अधिकारोसे वंचित न करे। मै सरकारको इस बातके लिए विवश कर देना चाहता हूँ कि वह ऐसे रास्तो और उपायोंको अपनाये जिससे कि जनताके मूलभूत और मानवीय अधिकार दृढ हो। जब भारत और पाकिस्तानने अपनी स्वाधीनता प्राप्त की, तब हिन्दुओने भारतमे अपनी सरकार बनायी और मुसलमानोंने पाकिस्तानमे। जब हिन्दुओने शासन-सूत्र सँभाला तब उन्होने उन लोगोको पूरा मुआवजा दिया, जिन्होने देशकी

आजादीकी लड़ाईमें भाग लिया था, जेल काटी थी और अनेक कष्ट सहन किये थे। इस मुआवजेमें उन्होंने उन लोगोंको पुरस्कार, भूमि और ऊँचे पद आदि दिये। और यहाँ मुसलमानोंके इस शासनमें जो लोग आजादीके लिए अंग्रेजोंसे लड़े थे, उनको जेलमें डाल दिया गया। उनको अनेक दुःख सहने पड़े और त्याग करने पड़े। उनकी सीसचाम बन्द कर दिया गया, उनके घरोंको लूट लिया गया और उनको बहुतसी दूसरे तरीक़ोंसे तकलीफ़ झेलनी पड़ी। यह बात खेदजनक है कि यहाँ वह बन्धुत्वकी भावना नहीं है जो कि हिन्दुओंमें दिखलाई देती है।

'यदि ईश्वरने चाहा तो पख्तून अपनी कमर कसकर खड़े होंगे। वे अपने निश्चयपर दृढ़ होंगे और स्वार्थपरतासे छुटकारा पायेंगे। वे अपने निजके देशके मालिक होंगे और जैसे ही उनके हाथोंमें अधिकार आयेगा वे सबसे पहले उन लोगोंको पूरा मुआवजा देंगे जिन्होंने कि देशकी स्वतन्त्रताके लिए महान त्याग किये हैं। यह हमारा एक इस्लामी कर्त्तव्य है।"

१३ सितम्बर सन १९५८ को खान अब्दुल गफ्फार खाँको क्वेटामें गिरफ्तार कर लिया गया। जिलाधीशके आदेशानुसार उनके बलूचिस्तानमें प्रवेश करने पर प्रतिबन्ध लगा था और बादशाह खाँने उसका उल्लंघन किया था। दूसरे दिन पश्चिमी पाकिस्तानके मुख्य मन्त्रीने जिलेके अधिकारियोंको यह आदेश दिया कि खान अब्दुल गफ्फार खाँको पेशावर ले जाया जाय और वहाँ उनको छोड़ दिया जाय। जिस समय वे पुलिसकी हिफ़ाजतमें क्वेटासे पेशावर जा रहे थे उस समय उन्होंने पत्रकारोंसे बातचीत करते हुए लाहौर रेलवे स्टेशनपर कहा कि प्रेसीडेण्ट इस्कन्दर मिर्जा और मि० एम० ए० क़िज़िलबाशने उस आश्वासनको हवामें उछाल दिया जो कि उन्होंने पाकिस्तानके संविधानके संशोधनके सम्बन्धमें दिया था। उन्होंने अगले सामान्य निर्वाचनोंके बाद पश्चिमी पाकिस्तानके प्रदेशों को फिरसे अलग कर देनेका वचन दिया था। खान अब्दुल गफ्फार खाँने निर्भीकताके साथ पाकिस्तान सरकारपर यह आरोप लगाया कि एक इकाईके प्रश्न पर उसने पंजाबियों और पठानोंके बीचमें एक झगड़ा खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकारपर सामान्य निर्वाचनको स्थगित कर देनेका भी आरोप लगाया। उन्होंने घोषणा की "फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं सरकारकी इस चालको सफल न होने दूँ।"

११ अक्तूबर सन् १९५८ को खान अब्दुल गफ्फार खाँ, मौलाना भसानी और पूर्वी पाकिस्तानके आठ प्रमुख नेता गिरफ्तार कर लिये गये। पाकिस्तान सुरक्षा अधिनियमके अन्तर्गत खान अब्दुल गफ्फार खाँको चारसद्दा तहसीलके एक

गाँवमे उनके पुत्र गनीके घरपर गिरफ्तार कर लिया गया और उनको १४ वर्ष-का कठोर कारावास दण्ड दे दिया गया।

ये सारी गिरफ्तारियाँ प्रेसीडेण्ट इस्कंदर मिर्जा और रक्षा-मंत्री अयूब खाँ द्वारा शासनका तख्ता पलटनेके एक सप्ताहके भीतर ही हुई। दूसरे, पाकिस्तान-मे फौजी कानून, मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया था। अयूब खाँने २७ अक्तू-बर १९५८ के सवेरे प्रधान मंत्रीके नाते कसम ली। प्रेसीडेण्टके आदेशानुसार यह शपथ ग्रहण करनेके पश्चात् जनरल अयूब खाँने शामको टेलीविजनकी एक भेंटके सिलसिलेमे प्रेसीडेण्ट इस्कंदर मिर्जाके साथ फोटो खिचवाया। उस समय वे हँसते रहे और आपसमे मजाक करते रहे। इसके कुछ ही घंटो बाद अयूब खाँने अधि-कारपूर्ण ढंगसे इस्कंदर मिर्जाको उनका पद छोड़ देनेको कहा। इस्कंदर मिर्जा और उनकी पत्नीको क्वेटा भेज दिया गया और वहाँ उनको सर्किट हाउसमे नजरबन्द कर दिया गया। जनरल अयूबने राष्ट्रपति पदका कार्य-भार सँभाल लिया और अपनी सशस्त्र सेनाके सर्वोच्च सेनापतिके पदपर नियुक्ति कर ली। इसके पश्चात् उन्होने यह घोषणा की कि अब देशमें राष्ट्रपतिके शासनके प्रकारका मंत्रिमंडल रहेगा और तदनुसार प्रधान मंत्रीका पद तोड दिया गया। एक अधि-नायकके रूपमे अपनी स्थितिको सुदृढ करनेके लिए जनरल अयूब खाँने अपने सबसे अच्छे सहयोगियोको सेवामुक्त कर दिया। वे अपने सैनिक पद या श्रेणीको बनाये रख सकते थे परन्तु सशस्त्र सेनाओसे उनका सम्बन्ध तोड़ दिया गया। जिस समय जनरल अयूब खाँ अपने मित्रोको उनकी नौकरियोसे अलग कर रहे थे उसी समय अपने आपकी 'फील्ड-मार्शल' के स्थानपर पदोन्नति भी कर रहे थे। विरोध पक्षके लोगो द्वारा किये गये विविध प्रकारके अपराधोके लिए शासक वर्ग फौजी अदालतोकी मशीनरीपर भरोसा कर रहा था। इन सैनिक न्यायालयो को प्राणदडतक देनेका अधिकार दिया गया था। इनके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट स्तरकी छोटी-छोटी अदालत भी स्थापित कर दी गयी थी जो एक वर्षका कारा-वास दंड और पन्द्रह कोडोतककी सजा दे सकती थी। नियमित न्यायालयोंको इनके फैसलोपर पुनर्विचार करनेका अधिकार नही दिया गया था। इन्ही दिनो सीमाप्रान्त और बलूचिस्तानमे कुछ उपद्रवकी घटनाएँ हुई और सैनिक प्रशासन द्वारा गोली चलायी जानेसे कुछ व्यक्ति मारे गये।

फौजी कानूनके इस कालमे शासक वर्गने जो बड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये उनमेसे एक राजधानीका परिवर्तन भी था जो कि कराचीसे रावलपिंडी ले आयी गयी थी। राष्ट्रपतिने जलवायुके आधारपर रावलपिण्डीको पाकिस्तानकी राजधानी

बनानेका समर्थन किया था परन्तु वस्तुस्थिति यह थी कि उन्होंने सेनापर अपनी पकडको बनाये रखनेके लिए वहाँ अपनी राजधानी बदली थी। आखिर व राज्य के प्रधान तथा रक्षामन्त्रीके अतिरिक्त प्रधान सेनापति भी थे। राजधानीके रावल पिण्डी आ जानेसे पंजाबियोंको एक प्राथमिकता मिली, मुख्य रूपसे राजनीति और व्यापारमें।

जनरल अयूब खाँने 'पब्लिक आफिसेज डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर' जारी कर दिया और उसमें एक्जीक्यूटिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन आर्डर भी जोड़ दिया जिसका उद्देश्य पुराने राजनीतिक नेताओंको सन् १९६६ तक राजनीतिसे पृथक रखना था। उनमेंसे अधिक नेता काफी वृद्ध हो चुके थे और उन लोगोंके बारेमें यह अनुमान किया जाता था कि या तो वे उस समयतक मर जायेंगे या उनका शरीर इस योग्य न रहेगा।

४ अप्रैल १९५९ को खान अब्दुल गफ्फार खाँ 'पाकिस्तानके किसी अज्ञात स्थान'से, जहाँ कि वे नजरबन्द थे, रिहा कर दिये गये। सरकारकी एक प्रेस विज्ञप्तिमें कहा गया कि 'उनकी वृद्धावस्था और अस्वास्थ्य' के कारण मुक्त कर दिया गया है। उसमें यह भी कहा गया, 'सरकार समझती है कि अब वे किसी *ऐसे कार्यमें भाग नहीं लेंगे जो पाकिस्तानके समैक्य और सुरक्षाके लिए हानिप्रद* हो।' खान अब्दुल गफ्फार खाँको पहले हरिपुर जेलमें रखा गया और इसके बाद पुलिसके एक भारी जत्थेकी निगरानीमें उच्च न्यायालयमें उपस्थित होनेके लिए उनको लाहौर भेज दिया गया जहाँ कि गत वर्ष राजद्रोहके मामलेमें, अपराधसिद्धिके विरोधमें उनकी अपील खारिज कर दी गयी थी।

अपनी रिहाईके पश्चात् खान अब्दुल गफ्फार खाँ उतमजई चले गये। अन्य पहलेके राजनीतिज्ञोंको सार्वजनिक जीवनसे निकाल फेंकनेके लिए जिस विशेष न्यायाधिकरणकी नियुक्ति की गयी थी उसके द्वारा खान अब्दुल गफ्फार खाँको एक नोटिस दी गयी। उसमें उनसे पूछा गया था कि आपको सार्वजनिक जीवनके अयोग्य करार क्यों न दिया जाय जब कि आपने अलग अलग कालोंमें विध्वंसकारी कार्योंमें भाग लिया है और उनके लिए आपको जेलोंमें भी जाना पड़ा है? खान अब्दुल गफ्फार खाँने न तो इनकार किया और न यह बहस की कि उनके विरुद्ध नजरबन्दीके आदेश हुए थे। परिणामस्वरूप वे सन १९६६ के अन्ततक किसी भी ऐसी संस्थाकी सदस्यतासे वंचित कर दिये गये जिसमें कि निर्वाचन होते हों।

खान अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँने अपना सीमाप्रान्तका दौरा प्रारम्भ कर दिया और

उन्होने प्रतिवन्ध सम्बन्धी आदेशोंके विरोधमे गाँवो और कस्वोमे भाषण किये। मार्च सन् १९६१ मे वन्नू जिलेकी एक मस्जिदमे वोलते हुए उन्होने कहा

"आज मै आपको रसूल पाकके कुछ उपदेशो और उनके विश्वासोके वारेमे कुछ वतलाना चाहता हूँ। एक वार जव उनसे मुसलमानकी परिभाषा करनेको कहा गया तव उन्होने कहा कि मुसलमान वह है जो किसी दूसरे मुसलमानको चोट न पहुँचाये। यदि हमने अपने पैगम्वर (मुहम्मद साहव) की शिक्षाओका पालन किया होता तो हमारे जीवनमे श्रेष्ठताका समावेश होता और हमको एक संतोप मिला होता।"

"उन्होने यह भी घोपणा की थी कि यदि उनके अनुयायी मुख्य रूपसे अपना लगाव धन और ऐश-इशरतसे रखेगे तो उनकी दोनो दुनिया—यह और वादकी—नष्ट हो जायगी। हम क्षुद्र, महत्त्वहीन प्रलोभनोमें अपना धर्म और अपना समाज वेच देते है। हम धनके लिए लालच करते है। हमारी वर्तमान दुर्दशा इसीका परिणाम है। रसूल पाकने हमको वतलाया है कि अपने समाज और राष्ट्रको प्रेम करना और उसकी सेवा करना ही हमारे धर्मके अभिन्न अग है। इसके विपरीत हम अपने लोगोसे ही शत्रुताका व्यवहार करते है और एक-दूसरेसे प्रतिस्पर्द्धा करते है।

"इस्लामका अर्थ कार्यशीलता है। रोजा, नमाज और तसवीह इस्लाम नही है। यदि इस्लाम कार्य और विचारोका पर्यायवाची न होता तो हमारे पैगम्वर इतनी भयंकर कठिनाइयोको न झेलते, इतनी परीक्षाओको पार न करते।

"ईश्वरने हमको स्वर्ग-तुल्य देश दिया है जिसमे वहुतसे खजाने छिपे हुए है। लेकिन हममेसे कोई उससे लाभान्वित नही हुआ। आप इस वातसे वेखवर है कि आप लोग नही वल्कि दूसरे लोग इस देशके साधनोसे लाभ उठा रहे है। इसका नतीजा यह है कि आप लोग भूखे मर रहे है और एक जगहसे दूसरी जगह फिर रहे है। यदि आप इस देशमे रह सके और शान्तिपूर्वक एकताके साथ रह सके तो आप अपने इस देशको सुसम्पन्न वना सकते है और अपनी दोनो दुनियाओ-को अच्छा वना सकते है। कुरान शरीफमें ईश्वरने यह कहा है कि विश्वास न होनेके कारण वह लोगोको दण्ड नही देता। यदि ऐसा न होता तो अमेरिका, सोवियत रूस और यूरोप वहुत पहले ही नष्ट कर दिये गये होते। वे उत्तरोत्तर ऊँचे चढते जा रहे है। ईश्वर उनको दण्ड देता है और उनका नाश करता है, जो कि अत्याचारी है, जिनमे एकता नही है और जो उसके प्रति कृतघ्न है।

ईश्वर आपके ऊपर इतना कृपालु है कि उसने आपको अंग्रेजोंकी दासताके जुएसे मुक्त कर दिया। जब आप अंग्रेजोंके शासनको उतार फेंकनेकी कोशिश कर रहे थे तब हमारे वर्तमान स्वामी यह सोच भी नहीं सकते थे कि यह भी सम्भव है। बहुतसे धनी, सुसम्पन्न खान, जमींदार और धार्मिक नेता आजादीके सिपाहियोंको पागल समझते थे। उनका खयाल था कि ये लोग किसी पहाड़को धक्के दे रहे हैं। क्या कोई किसी पहाड़को हिला सकता है? क्या वे कभी यह सोचते भी थे कि एक दिन अंग्रेज भारत छोड़कर चले जायेंगे और उनका साम्राज्य बिना किसी रक्तपातके लुप्त हो जायगा? परन्तु ईश्वरने हमको संसारकी सबसे बड़ी शक्तिसे मुक्त कर दिया।''

इसके कुछ दिनों बाद खान अब्दुल गफ्फार खाँको १२ अप्रैल सन् १९६१ के दिन डेरा इस्माईल खाँमें उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जिस समय वे दक्षिणी ज़िलोंका दौरा कर रहे थे। उनको 'मेनटेनेन्स ऑफ पब्लिक आर्डर आर्डिनेन्स' के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर यह अभियोग लगाया गया था कि उन्होंने राज्य विरोधी क्रिया-कलापमें भाग लिया है। इसके साथ उन्होंने सरकारके प्रति द्वेष भावना फैलायी जिससे जनतामें एक निराशा और आतंक व्याप्त हो गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने जनताके विभिन्न वर्गोंमें एक घृणाकी भावना उत्पन्न की। पहले खान अब्दुल गफ्फार खाँको पनियालामें नजर-बन्द रखा गया और उसके बाद उनको सिन्धमें हैदराबाद जेलमें भेज दिया गया।

उनकी नजरबन्दीके तुरन्त बाद उनके कई सौ सहकर्मी भी गिरफ्तार कर लिये गये। रावलपिंडीमें एक पत्रकार-गोष्ठीको सम्बोधित करते हुए राष्ट्रपति अयूब खाँने इस टिप्पणीसे ही चर्चा प्रारम्भ की

''खान अब्दुल गफ्फार खाँ यह चाहते थे कि सरहदी सूबा हिन्दुस्तानका एक हिस्सा बन जाय। अपने इस प्रयासमें असफल होनेपर उन्होंने पाकिस्तानमें एक अलग प्रान्त बनानेकी माँग की जहाँ कि वे बादशाह बनना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने यह चाहा कि सरहदका इलाका अफ़गानिस्तानका एक हिस्सा बन जाय।' उन्होंने अपनी बातको यह कहकर खतम किया कि जिन लोगोंकी माँगें तर्कसंगत नहीं होंगी उनके साथ कठोरताके साथ पेश आया जायगा।

खान अब्दुल गफ्फार खाँकी नजरबन्दीकी अवधि हर छ महीनेके बाद बढ़ा दी जाती थी। दिसम्बर सन् १९६२ में 'एम्नेस्टी इण्टरनेशनल' नामक एक गैर-राजनीतिक संस्था द्वारा उनकी रिहाईकी माँग की गयी। 'एम्नेस्टी इण्टर-

नेशनल' ने तमाम देशोके सारे राजनीतिक कैदियोकी मुक्तिके लिए एक अभियान चला रखा था। इसके एक वक्तव्यमें यह कहा गया :

"अहिंसाके भी अपने शहीद है। उनमेसे एक खान अब्दुल गफ्फार खाँको 'एम्नेस्टी इण्टरनेशनल'ने 'वर्षके वंदी' के रूपमे चुना है। उनका उदाहरण सारे विश्वके उन लाखों लोगोकी अत्यधिक यातनाका प्रतीक है जो कि अपनी अंतरात्माके लिए जेलोंमे पडे हुए है।" उसमे इस बातपर बल दिया गया था कि पठानोके अधिकारोके लिए एक अभियान चलानेके अपराधमे उनको सन् १९४८ से प्राय निरन्तर जेलमे रखा गया है। इस वक्तव्यमे आगे यह भी कहा गया था, "अपीलोके बावजूद इन वृद्ध पुरुषको अबतक जेलमे रखा जा रहा है।"

अब्दुल वली खाँने मई सन् १९६३ मे इस रहस्यका उद्घाटन किया कि उनके पिताके पख्तून अनुयायी, जिनकी संख्या लगभग तीन सौ है, अवतक अवरोधन कैम्पोमे पडे हुए है और उनकी सम्पत्ति, जिसका मूल्य ४२ करोड रुपयोसे भी अधिक है, जब्त कर ली गयी है।

जुलाई सन् १९६३ मे पाकिस्तान नेशनल असेम्बलीके अध्यक्षने उस स्थगन प्रस्तावको नियम-विरुद्ध ठहरा दिया जिसमे खान अब्दुल गफ्फार खाँकी, जो उन दिनो लाहौर जेलमे बीमार थे, निरंतर नज़रबन्दीपर चर्चा करनेकी माँग की गयी थी। गृहमंत्रीने सबसे हालकी डाक्टरी रिपोर्टका हवाला देते हुए कहा : "खान अब्दुल गफ्फार खाँका स्वास्थ्य सामान्य है। वे नियमित रूपसे भोजन करते है। उनके पैरोंमे कुछ पुरानी तकलीफ़ है और उसका विशेषज्ञ इलाज कर रहे है।"

इसके एक पखवाड़ेके बाद यह सरकारी घोषणा की गयी कि खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँका, 'जो कि पिछले काफी दिनोसे गम्भीर रूपसे बीमार है' अपनी इच्छाके चिकित्साधिकारीके साथ 'उनकी अपनी प्रार्थनापर' मुलतान तबादला कर दिया गया है। इस घोपणामे आगे कहा गया कि उन्होने किसी भी डाक्टरसे, जो उनकी इच्छाका न हो, इलाज करानेसे इनकार कर दिया। और फिर वे तीन दिनके अनशनपर उतर गये।

वली खाँने दिसम्बर सन् १९६३ में अपने पितासे लाहौर जेलमे मुलाकात की। इसके बाद उन्होने गृह-मंत्रीसे शिकायत करते हुए कहा, "वे नजरबन्द है और उनको मजबूर होकर अपने हाथसे अपना खाना बनाना पडता है।" उन्होने इस बातपर ज़ोर दिया कि अभी कुछ दिनो पहले ही गलत दवा दे देनेके कारण

उनके पिता बहुत बीमार पड़ गये थे। उन्होंने अपने पिताके लिए एक शिष्ट, मानवीय व्यवहारकी माँग की।

खान अब्दुल गफ्फार खाँका स्वास्थ्य जब अत्यधिक क्षीण हो गया और उनकी हालत खतरनाक हो गयी तब ३० जनवरी सन् १९६४ को उनको हरिपुर सेण्ट्रल जेलसे रिहा कर दिया गया। पाकिस्तानका शासक-वर्ग यह नहीं चाहता था कि उनकी जेलमें ही मृत्यु हो जाय और उसकी निन्दा की जाय। उसने उन्हें उनके घरपर ही कैदी बना दिया। शायद अधिकारियोंने यह सोचा था कि अब वे जीवित नहीं बचेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपने गाँवके लोगोंतकसे मिलने की अनुमति नहीं दी गयी थी और न उनको कोई सार्वजनिक वक्तव्य देनेकी इजाजत दी गयी थी।

राष्ट्रपति अयूबके फौजी कानूनके शासनकालपर टिप्पणी करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँ लिखते हैं :

'मैंने फौजी कानूनके दो शासन-कालोंको देखा है। सन १९१९ में अंग्रेजोंने मार्शल लॉ घोषित किया था। उस समय वे एक ओर अफगानिस्तानके साथ युद्धमें संलग्न थे और दूसरी ओर उनको सारे भारतमें अहिंसात्मक विद्रोहका सामना करना पड़ रहा था। उनके आगे एक जटिल परिस्थिति आ गयी थी। लेकिन फिर भी उनका फौजी कानून मुश्किलसे चार महीने चला। सन् १९५० में जब पाकिस्तानमें फौजी कानून घोषित किया गया तब देशकी स्थिति शान्तिपूर्ण थी और उसकी सरहदोंके ऊपर कोई बाह्य शक्ति धमकी नहीं दे रही थी। लेकिन चालाक लोगोंने शासनको बलपूर्वक कायम करनेके लिए, जनताको उसके लोकतन्त्रीय अधिकारोंसे वंचित करनेके लिए और सामान्य निर्वाचनोंको रोकनेके लिए अनायास ही फौजी कानून घोषित कर दिया गया। यह फौजी कानून चार बरस तक चलता रहा।

अंग्रेजोंके फौजी कानूनने लोगोंमें विदेशी शासनका जूआ उतारकर फेंक देनेकी एक प्रेरणा जागृत की। उसका फल यह निकला कि स्वाधीनताके आंदोलनकी गति तीव्र हो गयी और अन्तमें अंग्रेजोंको भारत छोड़कर जाना पड़ा। पाकिस्तानके फौजी कानूनने जनताकी इस भावनाको दृढ़ कर दिया कि पाकिस्तानकी सरकार एक प्रतिनिधि सरकार नहीं है। बल्कि यह बल, दमन और शोषण द्वारा ऊपरसे लाद दी गयी है। यदि हमको अपनी सच्ची स्वाधीनता प्राप्त करनी है तो उसके लिए इस सरकारको फेंकना आवश्यक है। वस्तुतः यही असली शासन इतने वर्षों तक रहनेमें अंग्रेजोंको सफलता नहीं मिली और वे चले गये। इसी

विश्वास, एक संघर्ष

१९६४-६५

पं० जवाहरलाल नेहरूको इस बातकी बडी चिन्ता थी कि उनके प्रिय मित्र खान अब्दुल गफ्फार खाँका स्वास्थ्य बराबर गिरता जा रहा है और उनके कष्टका अन्त नहीं हो रहा है। उनको इसका गहरा दुःख भी था कि उनको पुराने साथीकी सहायता करनेका कोई रास्ता नहीं दिखलाई दे रहा है। 'हमारी कोई भी कोशिश बादशाह खाँकी मुसीबतोंको और भी बढ़ा सकती है।' २७ मई सन १९६४ को पं० जवाहरलाल नेहरूकी जीवन-लीला पूरी हो गयी। उनकी पुत्री श्रीमती इन्दिरा गाधीको खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने गाँवसे जो सम वेदनाका पत्र लिखा, उसमें उन्होंने लिखा

'पृथ्वी माताके एक महानतम पुत्रके निधनसे मुझको एक गहरा धक्का लगा है। भारतकी स्वाधीनताके संग्रामके वे एक अभिजात सेनानी थे। उन्होंने इस धरतीपर प्रेम और शान्तिके आदर्शोंको कार्यान्वित किया था। मैं सर्वशक्तिमान् ईश्वरसे यह प्रार्थना करता हूँ कि उनके उदात्त आदर्श भारतकी जनताको सतत प्रेरणा देते रहें। मैं चाहता था कि इस राष्ट्रीय शोकमें मैं इस समय तुम्हारे निकट होता।

अपनी बीमारीके दिनोंमें खान अब्दुल गफ्फार खाँ अपने गाँवमें रखे गये। सितम्बर १९६४ में उनको अपने इलाजके सिलसिलेमें ब्रिटेन जानेकी अनुमति दे दी गयी। जिन दिनों वे लन्दनमें थे सीमा प्रान्तके भूतपूर्व गवर्नर सर ओल्फ करो उनसे मिलनेके लिए आये। फिर वे खान अब्दुल गफ्फार खाँको विश्रामके लिए अपने घर ले गये। सर ओल्फने उनके साथ अत्यन्त सज्जनताका व्यवहार किया और उनके प्रति अपना हार्दिक आदर प्रकट किया। एक दिन 'पीस सोसायटी' के सदस्योंको, जो क्वेकर्स कहे जाते थे, सम्बोधित करते हुए खान अब्दुल गफ्फार खाँने कहा 'यह एक अच्छी बात हुई कि मैं आपके देशमें आया क्योंकि पिछले दिनोंतक मैं आपके देशके लोगोंके बारेमें कोई अच्छी राय न रखता था। भारतमें मैं जिन अंग्रेजोंसे मिला वे कुछ भिन्न प्रकारके थे। ईश्वरको धन्यवाद है कि मैं यहाँ आ गया और आप लोगोंके बारेमें मेरी गलतफहमी दूर हो गयी।

जिस समय इन्दिरा गांधी वहाँ पहुँची उस समय खान अब्दुल गफ्फार खाँ

उनसे इतने प्रेमसे मिले जैसे उनकी अपनी पुत्री ही वहाँ पहुँच गयी हो। खान अब्दुल गफ्फार खाँने श्री प्यारेलालको अपने एक पत्रमे लिखा .

"मनुष्य सुखके दिनोमे अपने मित्रोको भूल जाता है लेकिन जो लोग दु खमे है वे किसीको नही भूलते। अपनी विपत्तिके इन दिनोमे मै सबकी याद कर लिया करता हूँ। यदि महात्माजी जीवित होते तो निश्चय ही उन्होने हमे स्मरण किया होता और वे हमारी सहायता करनेको आये होते। यह हम लोगोका दुर्भाग्य है कि आज वे इस संसारमे नही है और बाकी लोग हमको भूल चुके है।

"शायद आप यह जानते हो कि मै अपने इलाजके सिलसिलेमे यहाँ आया हूँ। यहाँ आनेपर मेरे स्वास्थ्यमे थोड़ा-बहुत सुधार भी हुआ है लेकिन सर्दी बढती जा रही है। डाक्टरोकी राय है कि यहाँकी सर्दी मेरे स्वास्थ्यके लिए अनुकूल नही होगी। उन्होने मुझको अमेरिका चले जानेकी सलाह दी है। वहाँकी जलवायु न अधिक शीत है और न अधिक उष्ण। मैने अपने हाई कमिश्नरको पासपोर्टके लिए प्रार्थना-पत्र भेजा है। यदि मुझको पारपत्र प्राप्त हो जायगा तो मै अमेरिका चला जाऊँगा। आप अपनी प्रार्थनाके समय मुझको स्मरण कीजिएगा और ईश्वरसे प्रार्थना कीजिएगा कि वह मुझको अपने प्राणियोकी सेवा करनेके लिए आरोग्य प्रदान करे।"

बादमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने संयुक्त राज्य जानेके विचारको छोड़ दिया। लन्दन स्थित अमेरिकी राजदूतावास उनकी 'एक स्कूलके लडकेकी तरह' परीक्षा ले रहा था। इस सम्बन्धमे उनको कई बार राजदूतावास भी बुलाया गया। "कई सप्ताहके कुण्ठामय इस विलम्बके कारण मैने अब कैलीफोनिया जानेका विचार त्याग दिया।" अमेरिकाकी सरकार उन्हे प्रवेश-पत्र 'वीजा' देनेमे भी हिचक रही थी। उसका एक कारण यह भी था, "जो सज्जन लाल कुर्तीदलके नेताकी जमानत कर रहे थे, वे संयुक्त राज्यमें पख्तूनिस्तान आन्दोलनको प्रारम्भ करनेवाले डा० औरंगजेब शाह थे।" आगे यह भी कहा गया, "पख्तूनिस्तानका मसला स्थितिको और भी उलझा देगा। उसके बिना ही पाकिस्तानमे भारतको शस्त्रोकी सहायता देनेके लिए और चीनको लेकर सयुक्त राज्यके प्रति काफी असन्तोष है।"

पाकिस्तानके शासकोने अमेरिकाकी सरकारपर इस बातके लिए जोर डाला कि वह खान अब्दुल गफ्फार खाँको 'वीजा' देनेसे इनकार कर दे और वे वहाँ इलाजके लिए न जा सके। पाकिस्तानके लन्दन स्थित राजदूतावासने उनके अफगानिस्तान जानेका भी विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँसे कह दिया गया कि वे बेरूत, तेहरान या काहिरा जा सकते है जहाँ कि पाकिस्तानके अधिकारी

उनके इलाजकी व्यवस्था कर सकें। नवम्बरमें जब वे बाहिरा पहुँचे तब उनको इस तथ्यका पता लगा कि पाकिस्तानकी सरकारने अपने राजदूतको अफगान राजदूतावाससे यह कहनेका आदेश दिया है कि वह उनको अफगानिस्तानके लिए वीजा न दे। लेकिन इसमें कुछ विलम्ब हो गया। तबतक अफगानिस्तानकी सरकार खान अब्दुल गफ्फार खाँको अपने देशमें आनेके लिए अपनी स्वीकृति दे चुकी थी।

दिसम्बर सन् १९६४ में जब खान अब्दुल गफ्फार खाँ काबुल पहुँचे तब अफगानिस्तानके प्रधान मन्त्री तथा उनके मन्त्रिमण्डलके सहयोगी सदस्य बादशाह खाँको लेनेके लिए हवाई अड्डेपर आये। हजारों अफगानोंने "फख्रे-अफगान जिन्दाबाद" "पख्तूनिस्तान जिन्दाबाद" के नारे लगाकर उनका हार्दिक स्वागत किया। खान अब्दुल गफ्फार खाँने उनको बतलाया कि वे केवल डाक्टरी इलाज के लिए अफगानिस्तान आये हैं।

खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने एक पत्रमें श्री प्यारेलालको लिखा

'जिन विपत्तियोंको हम झेल चुके और जिन्हें हम अबतक झेल रहे हैं, उनसे बड़ी मुसीबतें और कुछ नहीं हो सकतीं। निजी हानिको मैंने कभी कोई महत्व नहीं दिया। मुझे इस बातने सबसे अधिक क्लेश पहुँचाया है कि हम लोगोंने भारतकी स्वाधीनताके लिए कोई त्याग करनेसे मुँह नहीं मोड़ा लेकिन जब वह मिल गयी तब कांग्रेसने हमें त्याग दिया। वे लोग सुखोपभोग करने लगे और उन्होंने हम लोगोंको कष्ट झेलनेके लिए अकेला छोड़ दिया। अबतक हम लोगोंको प्रच्छन्न हिन्दू कहा जाता है। कांग्रेसने हमारे प्रति अन्याय किया है। हम लोग पीड़ित हैं और पीड़ितोंकी सहायता करना अपने सच्चे मानमें धर्मका सार है।'

श्री विनोबा भावेने ५ अप्रैल सन् १९६५ के एक पत्रमें खान अब्दुल गफ्फार खाँको लिखा

'प्रिय बादशाह खाँ,

यह स्वीकार करते हुए मुझे जो दुःख हो रहा है उसे मैं अपने शब्दों द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता कि आजादीकी लड़ाईमें आपके साथ एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और सचमुच हमारे मित्रोंने आपकी ओर ध्यान नहीं दिया है परन्तु आपने इन सबको भी अपार धैर्य और दृढ़ताके साथ सहन किया है। आपका आदर्श हम सबके लिए प्रेरणाका एक स्रोत रहा है। इन दिनों मेरे मनमें यह धारणा जमती जा रही है कि आणविक अस्त्रोंके इस युगमें यह तथाकथित राजनीति एक बीते हुए युगकी वस्तु बन गयी है और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय

समस्याएँ केवल आध्यात्मिकता, 'रूहानियत' का आश्रय लेकर ही सुलझायी जा सकती है। मैं यह जानता हूँ कि आप एक राजनीतिक व्यक्तिकी अपेक्षा मूल-रूपेण एक गहन आत्मिक विश्वाससे युक्त एक ईश्वरके पुरुष है। आपका अहिंसा और आत्म-पीडनपर सदैव दृढ विश्वास रहा है। सम्भव है कि ऐसी कठिन परीक्षामे डालकर प्रभु विश्वकी समस्याओको सुलझानेके लिए आपको अपना एक उपकरण बनाना चाहता हो। अपनी हालतके शुभ समाचार दीजिए।"

इसके लगभग एक मास पश्चात् इस पत्रके उत्तरमें खान अब्दुल गफ्फ़ार खाँने लिखा

"आपके दिनाक ५ अप्रैल १९६५ के स्नेहपूर्ण पत्रने मेरे हृदयको स्पर्श कर लिया है। उस व्यक्तिके मनको, जो न केवल प्रतिपक्षियोके साथ बल्कि अपने निजके लोगोके साथ एक हारी हुई लड़ाई लड रहा हो, आप जैसे सुयोग्य व्यक्ति-के प्रोत्साहनके दो शब्द अत्यधिक दृढता प्रदान करते है। इन लोगोको पाकिस्तान-की अत्याचारी सरकारके प्रति एक निराशापूर्ण अरुचि उत्पन्न हो गयी है और ये लोग अहिंसाकी 'क्रीड' परसे अपना विश्वास खोते जा रहे है—उस विश्वास-को जिसे कि मैंने बहुत कष्ट सहकर अपने हृदयोमे संचित किया था। इनका तर्क यह है कि अंग्रेज एक सुसभ्य देशके लोग थे और वे प्रजातंत्रीय परम्पराओमे पले हुए थे इसलिए अहिंसा उनके ऊपर अपना कुछ प्रभाव डाल सकती थी परन्तु पाकिस्तानके लोगोपर, जो कि नैतिक मूल्योंको कोई महत्त्व नही देते, उसका कुछ भी असर नही होगा।

"पाकिस्तानको बने हुए अठारह साल हो चुके। पिछले पन्द्रह वर्ष मुझको जेलके सीखचोके भीतर, अधिकतर नजरबन्दीमे रहना पड़ा। इस अवधिमे मुझे जेलके वार्डरोके तरह-तरहके ताने सुनने पडे और अपमान झेलने पडे। यह सब केवल मेरी तकदीरमे ही न था, सभी खुदाई खिदमतगारोको ऐसा ही बल्कि इससे भी बदतर व्यवहार सहन करना पडा। यह तो आप जानते ही है कि हमारे यहाँ इन लोगोकी संख्या अत्यधिक थी। सरकारने उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली है और इस समय उनके बच्चे तथा परिवार बडी मुसीबतमे अपने दिन काट रहे है क्योकि उनके जीविका कमानेवाले जेलोमे बन्द है। यदि आप इस सूचीमे बलूचिस्तान और कबायली क्षेत्रकी बर्बरतापूर्ण बमबारीको भी शामिल कर लेते है तो सचमुच एक बहुत शोचनीय स्थिति दिखलाई देने लगती है। बलू-चिस्तान और बाजोड आज भी पाकिस्तानकी सेनाकी सामरिक भूमियाँ बने हुए है। उन्होने बहुत बडे-बडे क्षेत्रोको घेर रखा है, उनकी सैनिक गतिविधियाँ वहाँ

'जिस समय म वहाँ पहुँचा उस समय वे अपने उस बँगलेके सामनेके लॉन म कुर्सी डाले बठे थे और कुछ मुलाकाती लोग उनको घेर हुए थे। उनका सिर, जिसके सब बाल सफेद हो चुके हैं, खुला था। वे, पुराने ढगकी ढीलो-ढाली हल्के नीले रगम रँगी हुई कमीज और पाजामा पहने हुए थे और उनके पाँवोंमें चप्पलें थी। जब उनके मिलनेवाले चले गये तब हम लोग भीतर आ गये और रेडियोकी खबरें सुनने लगे। इसके पश्चात हमने भोजन किया। भोजन काफी सादा था। अफगानके आतिथ्यके अनुसार उनके लिए रोज महँगा खाना तैयार किया जाता ह लेकिन वे उसे स्वीकार नही करते क्योंकि वे राजकीय कोषपर एक भार नही बनना चाहते। ब्यालू कर चुकनेके बाद हम लोग बीती हुई स्मृतियाँ ताजा करते हुए लगभग एक घटा टहलते रहे।

पचहत्तर वषकी आयुके होते हुए भी मुझे उनका स्वास्थ्य वास्तवम असाधारण रूपसे अच्छा जान पडा। चलते समय उनके डग स्थिर, सधे हुए पडत ह। उनकी बोलनेकी, देखनेकी और सुननेकी शक्ति अभी क्षीण नही हुई ह और स्मरण शक्ति तो बहुत तीव्र ह। उनके मुखपर एक गहन पीडाने अपने चिह्न छोड दिये हैं परन्तु उनके नेत्रोम एक चमक ह, साथ ही एक गहरी करुणा ह। एक कृपामय वायुमण्डल उनको सदव अपनेम घेरे रहता ह। भारतके विभाजनके परिणामस्वरूप उनको तथा उनके यहाँके लोगोंको अनेक कष्ट सहन करने पडे। हम लोगोंकी ओरसे भी उनके प्रति विभाजनके पश्चात एक उपेक्षा बरती गयी फिर भी उनके स्वभावम द्वेष या कटुताकी जो अनुपस्थिति रही वह उनकी एक विरल विशिष्टता ह। जिस रास्तेको उन्हें पार करना पडा उससे उनके मित्र, काग्रेसके उनके सहयोगी तथा भारतकी जनता अप्रभावित रही फिर भी उनके मनमें इन लोगोंके प्रति प्रेम और आदर बना रहा। यह उनकी अपार विशाल हृदयताका ही द्योतक ह।

'जबसे बादशाह खा अफगानिस्तानम आये ह तभीसे पाकिस्तानी राजदूत उनको भाति भाँतिके आश्वासन और वचनोंका लालच देकर वापस पाकिस्तान ले जानेकी कोशिश कर रहा ह। लेकिन वे कहते ह कि वे अब उन लोगोंकी सारी चालबाजियोंको समझ चुके ह और उनके फदेमें फँसनेवाले नही हैं। वे अब वापस पाकिस्तान नही जायेंगे। उनका यह भली भाँति भरोसा हो चुका ह कि वहाँ केवल जेलम मृत्यु देरसे उनकी प्रतीक्षा कर रही ह।

"ऐसा जान पडता ह कि जेलम उनके साथ जो व्यवहार किया गया ह उसमे उनको शारीरिक दशाको एक स्थायी क्षति पहुँची ह। उनका हृदय दुबल

हो गया है। उनकी शिराओमे समुचित रूपसे ऊपरसे नीचे रक्तका संचार नही हो पाता। इसका परिणाम यह हुआ है कि अक्सर उनको अपनी टाँगोमे चेतना-शून्यता-सी अनुभव होने लगती है। उनकी भूख कम हो गयी है और रातमे उनको नीद भी वहुत कम आती है। उन दिनो चेकोस्लोवाकियाका एक चिकित्सक उनके स्वास्थ्यकी देखभाल करता था। जिन दिनो मै वहाँ था, उन दिनो उनको जाँच और इलाजके लिए दो वार अस्पताल जाना पडा। डाक्टरने उनको टाँगोकी मालिश करानेकी राय दी।

"वादशाह खाँ वहुत तडके साढे चार वजे ही उठ वैठते है। वे सवेरे छ वजे हल्की चाय लेते है और साढे सात वजे नाश्ता करते है। उनके नाश्तेमे चाय, अंडे और डवलरोटीके दो-एक सिके हुए टुकडे रहते है। उनके मध्याह्नके भोजनमे एक तश्तरी उवली हुई सब्जी, नान (रोटी), थोड़ा-सा दही और फल रहते है। शामका भोजन भी लगभग यही रहता है। सोनेसे पहले वे एक प्याला दूध लेते है। वे प्रतिदिन सुवह और शाम नियमित रूपसे टहलने जाते है। सवेरे नौ वजेसे दोपहरतक उनके मिलनेवालोका ताँता लगा रहता है। साढे तीन वजे-से यही क्रम पुन चालू हो जाता है। इन मिलने-जुलनेवालोमे शासनके सदस्य, विद्यार्थी, कवीलोके सरदार और धार्मिक पुरुप रहते है।

"कभी-कभी वे अपने मित्रो, सहकर्मियो तथा स्थानीय महत्त्वपूर्ण व्यक्तियोके साथ वाहर भी भोजन किया करते है। इन दावतोका पख्तून समाजमे वहुत कुछ वैसा ही स्थान है जैसा कि हमारे यहाँ सार्वजनिक सभाओका। इनमे परिवारके सदस्य और अतिथि आदि भी सम्मिलित होते है और उनमे शरीक होनेवालोकी संख्या एक दर्जनसे कई वीसीतक पहुँच जाती है। इन भोजोमे वाजोके ऊपर देशभक्तिपूर्ण गीत गाये जाते है और समसामयिक राजनीति, कवायलियोकी समस्याएँ, सामजिक सुधार या कोई नया छिडा आन्दोलन इन लोगोकी चर्चाके विपय होते है। अतमे जव सव लोग चले जाते है तव पर्दानशीन औरतें वादशाह खाँकी 'जियारत' करने आती है। वादशाह खाँकी जिस दावतमे मै गया था, उसका मेजवान एक अफरीदी सरदार था, जिसके नीचे ६०,००० सशस्त्र व्यक्ति थे।

"जव मै वहाँ था, तव वादशाह खाँने उससे इस वातको कई वार दोहराया कि यदि उन्होने केवल पाकिस्तानकी योजनाको स्वीकार कर लिया होता तो पख्तूनोको पख्तूनिस्तान या और कुछ मिल सकता था। विभाजनसे पहले, विभाजनके समय और विभाजनके वाद अंग्रेज सरकार, मि० जिना और पाकिस्तान

सरकारके सदस्योंने, जिनमें लियाकत अली, गुलाम मुहम्मद और इस्कंदर मिर्जा भी थे, बारी-बारीसे उनके आगे प्रलोभनोंसे भरे हुए प्रस्ताव रखे और यह चाहा कि बादशाह खाँ राष्ट्रीयताके सम्बन्धमें अपनी प्रिय धारणाओंसे समझौता कर लें। वे भारतीय राष्ट्रीय काग्रेससे अपने सम्बन्ध तोड़ लें और मुस्लिम लीगसे हाथ मिला लें। लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। विभाजनके समय गाधीजीने उनसे कहा था कि यदि उन लोगोंके ऊपर दमन किया जायगा तो भारत उनकी सहायताके लिए निश्चित ही आगे आयेगा। यह वचन पूरा नही हुआ। यदि गाधीजी जीवित रहते तो उन्होंने ऐसा कभी न होने दिया होता। भारत इसके लिए उन लोगोंका और गाधीजीका ऋणी है और इसके लिए उसे प्रायश्चित्त करना चाहिए।

"खुदाई खिदमतगारोंने जो उत्पीडन और दमन सहन किये हैं उनकी खान अब्दुल गफ्फार खाँके पास एक लम्बी और कड़वी कहानी है। पख्तूनोंको उनके स्वतत्र साहचर्य और वाक् स्वातंत्र्यके अधिकारसे वंचित रखा गया। खुदाई खिदमतगारोंके आदोलनको गैरकानूनी करार दे दिया गया। पश्तो भाषाको दबा दिया गया और उसके ऊपर जबरदस्ती उर्दू थोप दी गयी। उनको पख्तून पत्र प्रकाशित करनेकी अनुमति नही दी गयी जब कि अग्रेज लोग उनके उस पत्र 'पख्तून' पर प्रतिबन्ध लगानेका साहस नही कर सके। पठानोंका अपना किसी प्रकार का कोई प्रचार कार्यकी भी इजाजत नही दी गयी। उनको कुचला गया उनकी नैतिकताकी भावना नष्ट कर दी गयी और उनमें यत्नपूर्वक घूस प्रलोभन, दमन और अफीम तथा चरसका प्रसार करके उनको भ्रष्ट कर दिया गया। यह सब पाकिस्तानकी सरकारके द्वारा हुआ। न केवल पख्तून बल्कि सिंध बलूचिस्तान और पूर्वी पाकिस्तानके लोगोंपर भी अत्याचार किया गया। वे लोग पाकिस्तानके जुएको घृणाकी दृष्टिसे देखते हैं और उनके लिए पाकिस्तानी सरकारका अर्थ केवल पजाबी मुसलमानोंका राज्य और उनके द्वारा शोषण है।

मैंने उनसे पूछा कि उनकी तात्कालिक योजनाएँ क्या हैं? इसपर उन्होंने बतलाया कि वे अफगान सरकारकी स्वीकृति और सहयोगसे पुन खुदाई खिदमतगार आदोलन प्रारम्भ करना चाहते हैं।

मैंने उनसे पूछा कि क्या उनको इस बातका निश्चय है कि अफगान सरकारकी पख्तूनिस्तानकी परिकल्पना वही है जो कि स्वयं उनकी है या वे लोग केवल डूरण्ड रेखामें एक सशोधन करना चाहते हैं? इसपर उन्होंने इस तथ्यकी ओर सकेत किया कि पठानोंने ही वर्तमान शासकके पिता नादिर शाहको उनकी

गद्दी दिलायी थी। यह तो आपसमें एक-दूसरेको उपकृत करनेका प्रश्न है। 'जिस समय वे विपत्तिमे थे उस समय हम उनकी सहायता करनेके लिए गये थे। आज जब हम मुसीबतमे है तब उनसे यह अपेक्षा करते है कि वे हमारी सहायता करने के लिए आये।'

"मैने उनसे कहा कि आपने पृथ्वीके सबसे भयानक योद्धाओको अहिंसाका अतुलनीय सैनिक बना दिया है और इस दिशामे एक उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की हैं। जिस प्रणालीसे आपने यह कार्य किया उसका रहस्य क्या हैं? इसके उत्तरमे उन्होने कहा कि यह कार्य केवल व्यक्तिगत सम्पर्कसे दी गयी सीधी शिक्षाके कारण सम्भव हो सका है। मैने अपना अधिकाश समय गाँवोमे, वहाँके लोगोके घरपर, उनके बीचमें रहकर गुज़ारा है। मैने उनको दैनिक जीवनकी प्रारम्भिक बातें बतलायी: 'स्वच्छ कैसे रहा जाय, आप किस प्रकार स्वस्थ रह सकते है, आप एक दूसरेके साथ शांतिपूर्ण ढंगसे कैसे रह सकते है और कुरीतियो तथा रूढियोको कैसे मिटा सकते है आदि। हमने खुदाई खिदमतगारोंसे कहा कि वे केवल ईश्वरके प्राणियोकी सेवा करके ही ईश्वरकी सेवा कर सकते हैं।'

"आपको अपने वर्तमान आन्दोलनमे किन कठिनाइयोका सामना करना पडा?" मैने पूछा। उन्होने कहा कि कुछ स्वार्थी तत्त्व लोकतंत्रसे भय खाते थे, इसलिए मुझसे भी भय खाते थे। स्वार्थी तत्त्वो द्वारा यह भय कुछ समयतक अपना काम करता रहा। लेकिन उनमे भी बड़ी तेजीसे विश्वास लौटने लगा। हम खान लोगोसे कहते, 'हम लोग यह नही चाहते कि आप खान न रहें लेकिन और लोगोको खान बननेमे मदद देनी चाहिए। क्या आप इससे डरते हैं?' 'निश्चित ही नही।' उनका उत्तर होता।

"हमारे साथ अत्यधिक लोग हैं।" उन्होने आगे कहा, "आपने देखा होगा कि जब मैं हेरातमे अपने दौरेपर गया तब घरोकी छतोपर लड़के, लड़कियाँ, पुरुष और स्त्रियाँ लदे हुए थे, यहाँतक कि कुछ लोग पेडोपर भी चढ़े थे। जब लोग मेरे पास आये तब मैने उनसे कहा, 'आप मेरा 'दीदार' करनेके लिए, मेरे हाथ का चुम्बन लेनेके लिए और मुझे 'शुकराना' देनेके लिए यहाँ आये है क्योकि आपको यह बतलाया गया है कि इससे आपको 'सवाव' (पुण्य) मिलेगा। लेकिन यह एक मिथ्या उपदेश है और यह उन लोगोके द्वारा दिया गया है जो कि अपने व्यक्तिगत लाभके लिए आपकी इस श्रद्धासे लाभ उठाना चाहते है। मै इनमें आपसे कुछ नही चाहता। मै केवल आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मै आपको खुदाई खिदमतगार बननेकी शिक्षा देना चाहता हूँ। ईश्वरके प्राणियोकी सेवा

किये बिना ईश्वरकी कभी सेवा नही की जा सकती।"

'मने उनस यह कहना चाहा कि जो आन्दोलन उन्होने छेडा ह उसको क्या वैसा ही जन प्रिय उत्तर मिल रहा ह जैसा कि पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेशमें खुदाई खिदमतगार आन्दोलनको मिला था या इसम कुछ अन्तर ह ?" उन्होने कहा कि इन दोनामें अन्तर ह। इस समय उनको अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल उत्तर मिल रहा ह। पहले आन्दोलनमें लोग ब्रिटिश शासन द्वारा भ्रष्ट कर दिय गये थे और उनकी नैतिकता नष्ट कर दी गयी थी। उस समय उनकी मनोवृत्ति एक गुलामकी मनोवृत्ति थी। जिन लोगोमें वे इस समय काय कर रहे है वे शुद्ध है और यदि आपेक्षिकताके साथ कहा जाय तो वे लोग भ्रष्ट नही ह। उन लोगोका पालन स्वाधीनतामें हुआ ह। बादशाह खाने कहा कि इससे उनका काय अपेक्षाकृत सरल हो गया है। लोग अब अपनी स्वत की इच्छासे उनको अनुकूल उत्तर दे रहे ह।

'मने उनसे अगला प्रश्न यह पूछा कि इन लोगोको अनुशासित करना क्या आपको एक धीमी तथा कठिन प्रक्रिया नही जान पडती ?' उन्होने कहा कि लडाके होनेके कारण वे पहलेसे ही अनुशासित होते ह। वे कवल उस अनुशासन को एक अहिंसात्मक मोड दे देते ह।

"मेरे मनमें एक भय छिपा हुआ था उसको व्यक्त करते हुए मने उनस पूछा, 'यदि भारत उनक निमित्तको स्वीकार कर लेता ह तो इससे क्या उनको व्यक्तिगत रूपम कोई हानि नही पहुँचेगी ? उनके और पाकिस्तानकी सरकारके बीच यदि कोई समझौतका मौका भी आया तो क्या इसस उस क्षति न होगी ?' उन्होंने उत्तर दिया कि जहाँतक व्यक्तिगत रूपसे उनका सम्बन्ध ह वे अपनी जगह अटल ह और जहाँतक पाकिस्तानके साथ सन्धिकी बात ह, उसकी सम्भावना नहीके बराबर ह। उन्होन कहा कि मैंने इसका प्रत्येक उपाय करके देख लिया ह और विवश होकर मझको यह निष्कष निकालना पड रहा ह कि पाकिस्तानसे सम्बन्ध सुधर नही सकत। उदाहरणके रूपम उन्होंने कहा कि यदि भारत पाकिस्तानको एक नही बल्कि आधा दजन कश्मीर द दे तो भी वह यह देखेगा कि पाकिस्तानक साथ उसकी सन्धि स्थापित नही हो सकती। उसके प्रति अब उन्हें कोई विश्वास नही रह गया ह। पाकिस्तानके साथ कसे भी सम्बन्ध रहें, इस बारम उनकी अब कोई इच्छा नही ह। वे करेंगे या मरेंगे—या तो वे पख्तूनिस्तान लेंगे या लडते हुए मर जायेंगे।

क्या जनता तयार ह ? क्या सभाव्य परिणाम आशाजनक हो सकते है ?"

मैंने पूछा। उन्होने इसके उत्तरमे कहा, "केवल तैयार ही नही वल्कि वे इसके लिए अधीर हैं। ब्रिटिश शासन-कालमे मुझे जनताका इतना अधिक और इतना स्वेच्छिक सहयोग कभी नही मिला।" मैंने उनसे पूछा कि "क्या रचनात्मक कार्य करनेवाले पुराने कार्यकर्त्ताओमेसे कुछ, जिनको कि वे पहलेसे जानते है, उनके कार्यमे सहायक हो सकेंगे ?" इसके उत्तरमे उन्होने कहा, "सचमुच उन लोगोसे मुझको अत्यधिक सहायता मिलेगी।" साथ ही उन्होने यह भी कहा कि उनके पास अव अधिक समय नही है। उसके पास इस समय जो भी साधन तैयार है, उन्हीको लेकर उन्हे कार्य करना है। यदि वे इस समय हिचकिचा जाते है तो पठान उनके हाथसे वाहर हो सकते है और निराश होकर वे कुछ दुस्साहसपूर्ण कार्य भी कर सकते हैं। इस दु खान्त प्रकरणको रोकनेके लिए उनको सोच-विचार कर एक जोखिम लेनी ही चाहिए। वे अपने यहाँके लोगोको इस वातकी कभी अनुमति न देंगे कि वे कुचले जायँ, उनकी नैतिकता नष्ट की जाय या सदाके लिए वे एक घृणित पराधीनताके आगे आत्म-समर्पण कर दें। वे एक गुलामीसे दूसरी गुलामी वदलनेके लिए अंग्रेजोसे नही लडे हैं।

"मैंने वादशाह खाँसे पूछा कि 'क्या वे भारत आयेंगे ?' उन्होने इसके उत्तरमे कहा, 'अवश्य, लेकिन वहाँके दृश्य देखनेके लिए नही, जिस निमित्तको लेकर वे जीवित है, उनके भारत आनेसे यदि वह आगे बढता है; यदि भारत गांधीजी-की प्रतिज्ञाको स्वीकार करके पख्तूनोके मसलेको अपना निजका मामला मान लेता है तो वे अवश्य भारत जायँगे।' मैंने उनसे अगला प्रश्न किया कि क्या वे भारतके जनमतको अपने पक्षमे करनेके लिए भारत-यात्राकी योजना नही वनायेंगे ? उन्होने इसका उत्तर दिया कि यह भारत सरकारके दृष्टिकोणपर निर्भर है। मेरा उनसे अंतिम प्रश्न यह था कि क्या वे खुदाई खिदमतगार आन्दोलनका भारतमे विस्तार नही करेंगे, जैसा कि एक वार गाधीजीने अपना विचार प्रकट किया था ? मेरे इस प्रश्नके उत्तरमे उन्होने कहा कि यदि भारतकी जनता और भारत-सरकार यह चाहेगी तो निश्चित ही वे इसपर विचार करेंगे। लेकिन यह तभी हो सकेगा जब कि उनका आन्दोलन पख्तूनोके वीच अपनी गहरी जडें जमा लेगा।

"वादशाह खाँ यह अनुभव करते है कि यदि भारत और अफगानिस्तान उनको अपना पूर्ण सहयोग देते है तो पख्तूनिस्तानका प्रश्न विना वाहरी सहायता के या विना लडाईके ही सुलझ जायगा। मैंने उनसे पूछा कि 'जो लोग इससे सम्वन्धित है, उनके ऊपर नैतिक, आर्थिक और कूटनीतिक दवाव डालकर भारत

ऐसा करनेमें समर्थ हैं। सम्मानकी दृष्टिसे भारत उस गम्भीर वचनसे बँधा हुआ है जो कि विभाजनके समय गांधीजीने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा था कि जब उन लोगोंके आगे कोई महत्त्वपूर्ण मसला आकर खड़ा हो जायगा तब भारत उनके लिए जो कुछ भी कर सकेगा, अवश्य करेगा।

जिस समय मैंने बादशाह खाँसे विदा ली, उस समय मेरे मनमें सबसे ऊपर ईश्वरके इस पुरुषकी अपराजेय आत्माके प्रति एक आश्चर्य और विस्मयकी भावना थी। इस व्यक्तिने उन वस्तुओंको, जिन्हें कि उसने अपनी जिन्दगी दी, जेलके सींखचोंके पीछेसे रक्त टपकते हुए हृदयसे टूटते हुए देखा और अब, जब कि उसकी जीवन-सन्ध्या घिर आयी है वह घिसे हुए औजारोंसे, अत्यधिक विरोधोंके बीचमें बिना थके उन्हें फिरसे बना रहा है।'

पख्तूनोंकी शिकायत है कि वे कभी पाकिस्तानमें शामिल नहीं हुए बल्कि उन्हें उसमें जबरदस्ती घुसा दिया गया। सन् १९४६ में लण्डीकोतलमें एक सभाको सम्बोधित करते हुए लार्ड वेवलने उनको यह वचन दिया था 'हिज मेजेस्टी की सरकारकी ओरसे मैं आपको यह आश्वासन देता हूँ कि भारतमें होनेवाले नये राजनीतिक परिवर्तन आपकी स्वाधीनताके अधिकारोंके ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे।' किसी पख्तून जिरगाने किसी संविधान सभामें कोई भाग नहीं लिया और न उसने राज्य प्रारम्भ होनेके समय उसकी किसी क्रिया विधिपर हस्ताक्षर ही किये। पख्तून कबीलोंने किसी मतदानमें अपनी जनताकी ओरसे राय भी नहीं दिया। उनको पाकिस्तान द्वारा अचानक झपट लिया गया। वे आत्म-समर्पण करनेको विवश हो जायें इसलिए उनपर लगातार बमबारी भी की गयी। लेकिन वे झुके नहीं।

३१ अगस्त सन् १९६५ को पख्तूनिस्तान दिवसका उद्घाटन करते हुए काबुलके पख्तूनिस्तान स्क्वायरमें मेयर श्री मुहम्मद असगरने कहा कि अफगान सरकार प्रति वर्ष पख्तूनिस्तान दिवस मनाती है। जबतक उनके पख्तून बन्धुओंको स्वाधीनता नहीं मिल जाती है तबतक वह उनको अपनी मदद देती रहेगी। इस अवसरपर एकत्रित विशाल जन-समुदायमें अफगान मन्त्रिमण्डलके सब सदस्य तथा खान अब्दुल गफ्फार खाँ भी थे। भाषणके पश्चात् नगरप्रमुखने पख्तूनिस्तान का झण्डा फहराया। इसके पश्चात् समस्त जन-समूह गाजी स्टेडियम गया जहाँ कि भाषणके साथ पख्तूनिस्तानका झण्डा फहरा रहा था।

स्टेडियममें खान अब्दुल गफ्फार खाँका परिचय एशियाके एक महान नेताके रूपमें दिया गया जिसने कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादके विरुद्ध संघर्ष

किया। पख्तूनोके स्वातन्त्र्य-संग्राममे निरन्तर सहायता देनेके लिए खान अब्दुल गफ्फार खाँने अफगानिस्तानके शाह, अफगान सरकार और राष्ट्रको धन्यवाद दिया। ५०,००० श्रोताओके विशाल जन-समुदायमे खान अब्दुल गफ्फार खाँने अपने जोशीले भाषणमे कहा कि पख्तून मिलकर एक राष्ट्र बनाते है। उनके संघर्ष और बलिदानके कारण स्वाधीनता मिली, अंग्रेज भारतसे निकल गये और पाकिस्तानकी रचना हुई। उन्होने कहा, "हम पाकिस्तानसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना चाहते है।" उन्होने पख्तूनोको उनके अधिकारसे वंचित रखनेके लिए पाकिस्तान सरकारकी भर्त्सना की। इतना ही नही, उन्होने पख्तूनोको धनलोलुप बना देनेके लिए भी पाकिस्तान सरकारकी निन्दा की और उसपर यह आरोप लगाया कि वह उनको उनके बलूचिस्तान, वजीरिस्तान और कश्मीरके बन्धुओसे लडवा रही है।

अपनी एक भावनापूर्ण अपीलमे उन्होने पठानोको सलाह दी कि अपने आपसी झगडोको भूलकर एक हो जायँ ताकि पाकिस्तान उनको उनके अधिकार देनेके लिए विवश हो जाय। उन्होने अपनी बातपर बल देते हुए कहा कि पाकिस्तान बडे जोर-शोरसे यह प्रचार चला रहा है कि वह एक इस्लामी राष्ट्र है और अयूब खाँ एक पठान है। खान अब्दुल गफ्फार खाँने यह माननेसे इनकार किया कि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र है क्योकि वह इस्लामके उसूलोका पालन नही करता। इस्लामके सिद्धान्तके अनुसार तो एक भाई भी अपने भाईको उसके अधिकारसे वंचित नही कर सकता। "इस्लाम समता और समानाधिकारपर बल देता है। पख्तून केवल अपना घर बनानेकी माँग कर रहे है।"

उन्होने कहा, "अयूब खाँ मेरा आदर करते है और वे मुझे चाचा कहते है लेकिन वे पख्तूनिस्तानकी सुख-समृद्धिके आकाक्षी नही है। अयूब खाँ कैसे पठान है जब कि वे पठानोको बरबाद कर देनेपर तुले हुए है? पाकिस्तानमे पख्तूनोके ऊपर विश्वास नही किया जाता। पठान सेनाधिकारी सेनामेसे पदच्युत कर दिये जाते है और असैनिक पठान अधिकारियोको उनके अपने क्षेत्रोसे इतनी दूर फेक दिया जाता है कि वे अपने यहाँके लोगोसे किसी प्रकारका सम्पर्क न रख सकें। उनकी सम्पत्ति छीन ली गयी है और वे मामूली रिश्वतोसे खरीद लिये जाते है। पाकिस्तानमे पंजाबी लोग सर्वोच्च पदोपर आसीन है। पठानोकी आर्थिक स्थिति बिगड चुकी है और वही दशा चलती जा रही है।"

अंतमे उन्होने कहा कि जबतक पठानोका उद्देश्य पूरा नही हो जाता तब-तक वे संघर्ष करते रहेगे। "पख्तून देश हमारी मातृभूमि है। एक बाहरी तत्त्वने

आकर हमारी माँका अपमान किया ह, उसके घूँघटपर अपना पर रखा है अब यह आपके ऊपर ह कि आप इस पैरको हटा दें या अपनी माँको उसकी दयाके ऊपर छोड दें।"

खान अब्दुल गफ्फार खाका पठानोंके लिए यह जीवन सन्देश ह

"मैंने ईश्वरको साक्षी करके यह शपथ ली ह कि मै अपने प्यारे देश और अपने समाजकी सवा करूँगा। मेरी सवशक्तिमान् प्रभुसे यह प्राथना है कि इस प्रयासमें शहीद होऊँ। मेरे मिशन' में मेरा साथ दीजिए। आप दोनो हाथोंसे साहस बटोरिए और जबतक लक्ष्यकी प्राप्ति नही होती तबतक लडते रहिए। पगम्वर [मुहम्मद साहब] भी अकेले सफलता न प्राप्त कर सके। फिर भला म अकेला क्या कर सकता हूँ। किसी देश या समाजका भाग्य किसी एक व्यक्तिपर आश्रित नही होता वल्कि वह सब लोगोंकी सेवा और त्यागपर निभर होता ह।"

व्यवस्थित जिले [सेटिल्ड डिस्ट्रिक्टस] और कबायली क्षेत्रमें निवास करने वाले पख्तूनोके सम्ब धमें बादशाह खाँने कहा

'पख्तूनोंमें मेर प्रति जो प्रेम ह और उनमें जो देशभक्तिकी भावनाएँ ह उनको म निधिकी भाति सचय करता जाता हूँ और जीवनके अतिम दिनोतक करता रहूगा। ब्रिटिश शासनने और अब ही पाकिस्तानकी सरकारने हमें कभी इस बातकी अनुमति नही दी कि हम एजेंसियो और राज्योंमें बसनेवाले अपने प्यारे पडोसियोसे हिलें मिलें और उनकी मुसीबत और दु खमें उनके साथ खड हो। ब्रिटिश सरकारकी और उसके बाद पाकिस्तानकी सरकारकी वास्तविक मशा यह रही कि हम हमेशा छोटी-छोटी इकाइयोंमें और अलग-अलग कबीलोंम बँटे रह। वह हमें एक सयुक्त बधुत्व स्थापित करनेसे रोकना चाहती है।

"पुराने जमानेमें अत्याचारियोंने हजारो मनुष्योंकी हत्याएँ की है। ब्रिटिश और पाकिस्तानी राजनीतिके परिणामस्वरूप लाखो पठान, जो कि एशियाका एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाते और जिन्होंने मानवताके हेतु सेवा की होती, विभाजित हो गये और उजड गये। उनके राष्ट्रका नाम विश्वके नक्शेपरसे धीरे धीरे खुरच डाला गया और फिर पोंछ दिया गया। आज म इस अयायके विरोधम ही धम युद्ध कर रहा हूँ। इन भले पठानोंने कौनसे अपराध किये ह कि इनका नाम इति हासके पृष्ठोंपरसे मिटा दिया जाय और स्वाथपरता द्वारा इनको चक्रमें धकेल दिया जाय ?

"मैं चाहता हूँ कि बलूचिस्तानसे चित्रालतक पख्तूनोंके जो कबीले बँटे और बिखरे हुए हैं, उनको मैं एक समाजके, एक बधुत्वके सूत्रमें गूँथ दूँ ताकि वे अपने

कष्टो और दु.खोमे एक-दूसरेके भागीदार हो सकें और मानवताकी सेवामे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सके। हमारे विरोधी ससारकी दृष्टिमे हमे बुरे व्यक्तियों के रूपमे चित्रित करते रहे है। हमारे द्वार वन्द रहे है और किसीको हमारे पास आनेकी इजाजत नही रही है। हमको ससारके आगे असभ्य, जगली कवीलोके झुण्डके रूपमे प्रस्तुत किया जाता रहा है। इस विद्वेषपूर्ण प्रचारसे प्रत्येक मानव-हृदयपर एक चोट लगती है। हमारे कवायली वन्धुओंके साहसको जंगलीपन और उनकी स्वाधीनताकी उत्कट इच्छाको कानूनको स्वीकार न करना वतलाया गया है। पठानका अतिथि-सत्कार एक कहावत वन गया है लेकिन उनके उसी आतिथ्यके लिए यह कहा गया कि पठान भीख माँगकर, उधार लेकर या लूटमार करके अतिथिका सत्कार करते है जिसके विना वे रह नही सकते। सदियोतकके इन अन्धकारपूर्ण कुदिनोमे, जो कि मुगल सल्तनसे लेकर ब्रिटिश शासनकालतक और पाकिस्तानी हुकूमततक चले हैं, ये असहाय लोग सदैव अत्याचारके नीचे पिसते रहे है। इनके भाग्यमे यही रहा है कि ये पहाड़ियोके किनारे पडे हुए शुष्क भू-भागसें किसी तरह जीवन काटे। इन वंजर क्षेत्रोमें जीवन-यापन एक कठिन समस्या हैं। अनुर्वर खेतोकी उपज उनके लिए पर्याप्त नही हो पाती। परिवहन, संचार और समुचित साधनोके अभावमे व्यापारसे कोई फल नही निकलता। कलात्मक प्रतिभाके विकास और व्यवसायकी रुझानके लिए इन लोगोको कभी कोई अवसर नही दिया गया। औद्योगिक विकासके लिए शान्तिपूर्ण अस्तित्वकी जो एक लम्वी अवधि अपेक्षित है, उसका उपभोग उन्होने शायद ही कभी किया हो। उन्होंने सदियोंतक शान्तिको नही जाना। वे वार-वार वमवारी, युद्ध और नरसहारसे ही विनष्ट होते रहे। उनका इलाका लडाई-का एक क्षेत्र, साम्राज्यवादी शक्तियोके लिए प्रशिक्षणका एक मदान है। उनके यहाँ न विद्यालय है और न चिकित्सालय। अरक्षित, वन्य गुलवहारकी भाँति वे पहाड़ोके किनारे खिलते है और मुरझाते हैं। उनको जीवनकी समस्त आवश्य-कताओसे वचित कर दिया गया है, उनके पास न रोटी है और न पानी, न कृषिके योग्य उपजाऊ खेत, न व्यापार-केन्द्र और न वाज़ार। मुझको आश्चर्य है कि उनकी ओरसे उदासीन ससार उनसे क्या अपेक्षा करता है! संसारको इन सुन्दर, स्वस्थ, तरुणाईसे भरे लड़के और लडकियोको मुक्त रूपसे अपना प्रेम और सहानुभूति देनी चाहिए लेकिन वजाय इसके उनके ऊपर मनुष्य-भक्षी छोड़ दिये गये है जो उनके ऊपर चोट तो करते ही है, उनका अपमान भी करते है। यह मेरी एक प्रवल अभिलाषा है कि मैं इन भले, वीर, स्वाभिमानी, देशभक्त और

लोगोंसे पूर्ण पख्तूनोंको विरोधियोंके अत्याचारसे बचाऊँ और इनके लिए एक ऐसे मुक्त ससारकी रचना करूँ जहा कि ये सुख, शाति और आराममें रह सकें।

"पशुतुल्य मनुष्योंने जिनके घरोंको उजाड दिया है, मै उनके खडहरोंके ढेर की मिट्टीको चूमना चाहता हूँ। मै अपने हाथोंमे उनके खूनमें सने हुए कपडोंको धोना चाहता हूँ। मै उनकी गलियोंको और उनकी मिट्टीकी सादी झोपडियोंको बुहारना चाहता हूँ। मै मस्तक उठाये हुए उनको अपने पैरोंपर खडे हुए देखना चाहता हूँ और उसके बाद यह चुनौती फेंकना चाहता हूँ मुझको इन लोगो जैसी और कोई शिष्ट सज्जन और सभ्य जाति दिखला दो।"

खान अब्दुल गफ्फार खा एक विश्वासी पुरुष हैं। जिन्दगी एक सघर्ष है। विश्वासी अन्ततक लडता है। उसके लिए हथियारकी जरूरत नही होती।

०

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

(कुछ चुने हुए ग्रन्थ)

अली, आसफ

रिपोर्ट ऑन दि नॉर्थ-वेस्ट प्राविन्स एण्ड बन्नू रेड्स, १९३८। वर्किंग कमेटी ऑव् दि इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिल्ली।

एण्ड्रूज, सी० एफ० :

दि चैलेन्ज ऑव् दि नार्थ-वैस्ट फ्रंटियर, १९३७, जार्ज एलेन एण्ड अन्विन, लन्दन।

केरो, औल्फ

दि पठान्स, १९५८, मैकमिलन एण्ड कम्पनी, लन्दन।

कैयूम अब्दुल

गोल्ड एण्ड गन्स ऑव् दि पठान फ्रंटियर, १९४५, हिन्द किताब्स, बम्बई।

गनी खाँ :

दि पठान्स, १९४७, दि नेशनल इन्फार्मेशन एण्ड पब्लिकेशन्स, बम्बई।

गैन्कोव्सी वाइ, वी , और गोर्डन-पोलोनस्काया :

ए हिस्ट्री ऑव् पाकिस्तान १९४७-५८, १९६४, नउका पब्लिशिंग हाउस, मास्को।

डेवीस, सं० सी० :

प्रोब्लम ऑव् दि नार्थ-वेस्ट फ्रंटियर, कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटी प्रेस, लन्दन।

तेन्दुलकर, डी० जी० :

महात्मा ८ खण्ड, १९६३, पब्लिकेशन्स डिवीजन, दिल्ली।

देसाई, महादेव :

टू सर्वेन्ट्स ऑव् दि गॉड, १९३५, हिन्दुस्तान टाइम्स प्रेस, दिल्ली।

पटेल वल्लभ भाई

पेशावर इन्क्वायरी कमेटी १९३० वर्किंग कमेटी ऑव दि इडियन नेशनल काग्रेस, दिल्ली।

प्यारे लाल

ए पिलग्रिम फार पीस १९५०, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद।
दि लास्ट फेज़, १९६६, नवजीवन प्रेस, अहमदाबाद।
थोन टू दि वोल्वस् १९६६, ईस्ट लाइट, बुक हाउस कलकत्ता।

फूशे, ए०

नोटस ऑन दि एन्शिएट ज्यॉग्रफी ऑव गधार, १९१५ आरक्योलॉजिकल सर्वे ऑव् इडिया।

बाटन सर विलियम्स

इडियाज नॉर्थ वैस्ट फ्रंटियर १९३९, जॉन मरे, लदन।

ब्राईट, जे० एस०

फ्रटियर एण्ड इटस गाधी १९४४, एलाइड इडियन पब्लिशर्स, लाहौर।

यूनुस, मोहम्मद

फ्रंटियर स्पीक्स् १९४७, हिंद किताब्स, बम्बई।

सेन गुप्ता, ज्योति

इक्लिप्स ऑव ईस्ट पाकिस्तान, रैनको कलकत्ता।

स्पेन्स, जेम्स डब्ल्यू

दि पठान बॉडरलैण्ड, १९६३, माउटन एण्ट कम्पनी, दि हेग।
दि वे ऑव् दि पठान्स १९६२, रॉबर्ट हेल, लन्दन।

●

शब्दानुक्रमणिका